P.6

हिन्दू-लॉ

हिन्दू धर्मशास्त्र का कानून

1920

चन्द्रशेखर शुक्ल हिन्दू-लॉ

1920

P:6

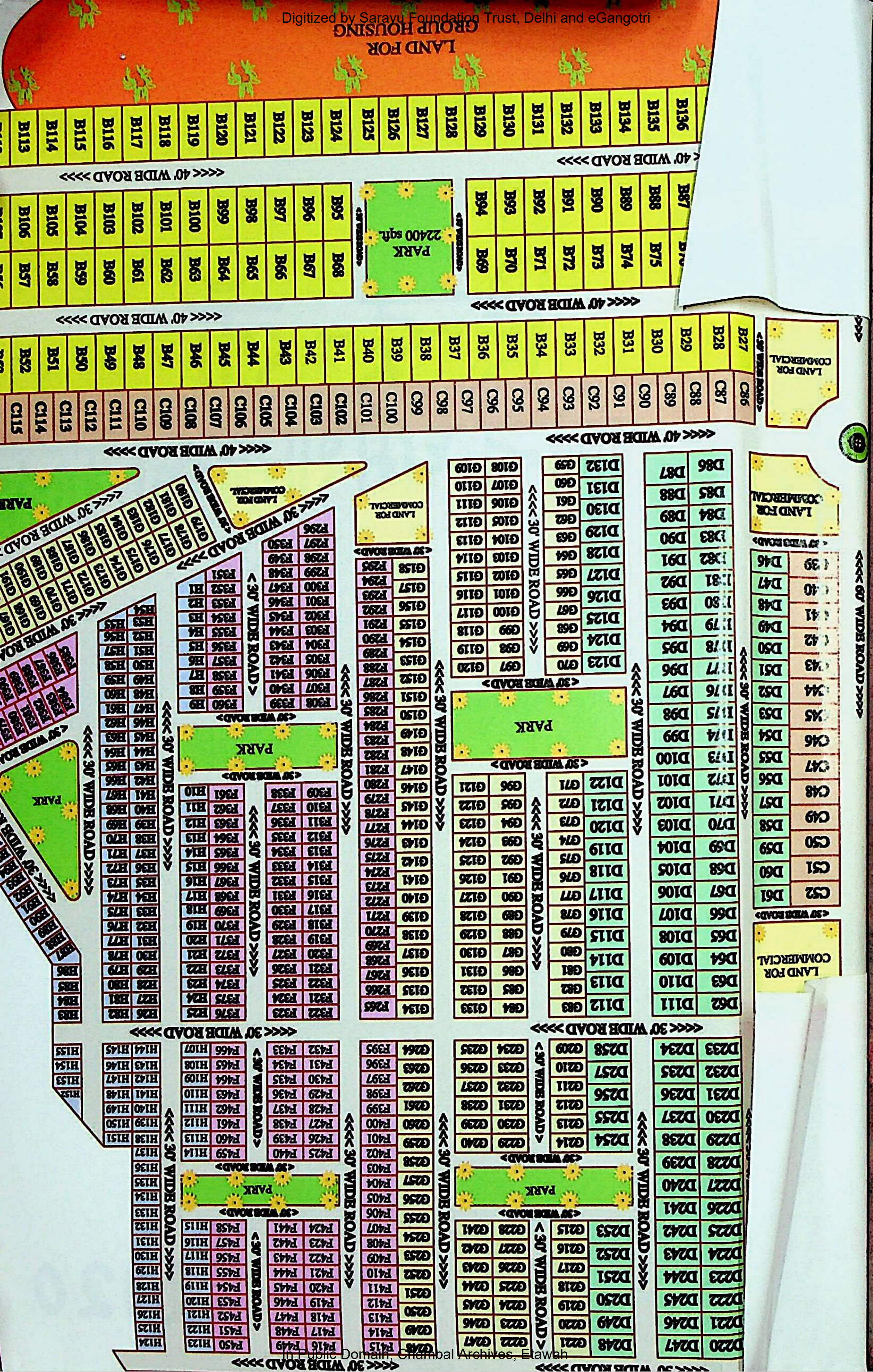
LAND FOR GROUP HOUSING
PARK 22400 sqft.
<<<< 40' WIDE ROAD >>>>
<<<< 30' WIDE ROAD >>>>
<<<< 60' WIDE ROAD >>>>
LAND FOR COMMERCIAL
PARK

हिन्दू-लॉ

HINDU LAW

BY

Chandra Shekhar Shukla

1920

लेखक

चन्द्रशेखर शुक्ल

श्रीयुत् पं० गदाधर प्रसाद वाजपेयी के करकमलों में
सादर अर्पित ——
चन्द्रशेखर
23-8-20

हिन्दू-लॉ

अर्थात्

हिन्दू धर्मशास्त्रका क़ानून ।

लेखक और प्रकाशक

चन्द्रशेखर शुक्ल, सनगवाँ, कानपूर ।

HINDU LAW

BY

Chandra Shekhar Shukla

प्रथमावृत्ति ।

संवत् १९७७ वि० सन १९२० ई०

मुद्रित
जगदीश्वर प्रेस—बंबई ।

(क़ानूनके अनुसार सर्वाधिकार सुरक्षित)

Rs 12/0

मिलनेका पता—चन्द्रशेखर शुक्ल
मु० पो०—सनगवां, ज़िला—कानपूर

To be had of—Chandra Shekhar Shukla.
P. O. Sangawan.
Dt. Cawnpore.
(U.P.)

भूमिका ।

" लॉ " (Law) शब्द अंगरेज़ी भाषाका है जिसका अर्थ है "क़ानून ।" "हिन्दूलॉ" का अर्थ है, हिन्दुओंके धर्मशास्त्रका क़ानून । परंतु इस क़ानून और अंगरेज़ सरकारके अन्य क़ानूनोंमें एक ख़ास भेदहै । वह यह कि और सब क़ानून तो अंगरेज़ सरकारके बनाये हुए हैं परंतु हिन्दूलॉ उसका बनाया हुआ नहीं है ; बल्कि उसका स्वीकार किया हुआ है ; क्योंकि हिन्दुओंका सामाजिक शासन किसी राजाके बनाये क़ानूनसे नहीं; बल्कि प्राचीन ऋषि, मुनि, धर्माचार्य्योंके निर्द्धारित नियमों और आज्ञाओंके अनुसार होता है । हिन्दू अपने धर्मशास्त्रको ईश्वरदत्त और ऋषिप्रणीत मानते हैं । अंगरेज़ी अदालतोंमें हिन्दुओंके सामाजिक मामले उन्हींके अनुसार फैसले होते हैं । इस प्रकार वर्तमान सरकारकी छाप उनपर पड़जानेसे हिन्दू-धर्मशास्त्र अंगरेज़ी अदालतोंमें मान्य क़ानूनका दर्जा पागया है और वही "हिन्दूलॉ" कहलाता है । इससे संबंध रखनेवाले सरकारके कुछ दूसरे क़ानून भी हैं जिनका वर्णन इस ग्रन्थमें किया गया है । परंतु अब प्रश्न यह है कि आज कितने हिन्दू अपने इस क़ानूनसे परिचित हैं ? क़ानून लगान, क़ानून इन्तक़ाल जायदाद, ज़ाबता दीवानी और फौजदारी, क़ानून ताज़ीरात हिंद आदिसे बहुतेरे हिन्दू परिचित हैं ; परंतु अपने धर्मशास्त्रके क़ानून " हिन्दूलॉ " से बहुत कम लोग परिचित हैं । क़ानूनमें हिन्दू अविभक्त परिवार क्या है, जायदादपर किनका कैसा कितना हक़ है, उसके उत्तराधिकार बटवारेके क्या नियम हैं, अपने परिवारकी विधवाओं, बहनों, बेटियो, पोतियों भाइयों तथा पुत्र पौत्र प्रपौत्रादि के प्रति किसका क्या कर्तव्य है और किसका किसपर कितना हक़ है, विवाह, दत्तक, दायभाग, दान, धर्मादे, वसीयत आदिके संबंधमें हिन्दुओंके लिये क्या क़ानून है, इन सब बातोंका ज्ञान बहुत कम-लोगोंको है । यही कारण है कि आज अपने परिवारकी सम्पत्तिके प्रति अपने अधिकार या हक़को न जाननेके कारण बहुत लोग या तो व्यर्थ दावे करते हैं, जिससे परिवारमें फूट फैलती है, या अज्ञानवश दावा करते ही नहीं, जिससे अपने हक़से वंचित रहते हैं और दूसरे अनधिकारी उसका लाभ प्राप्त करते हैं; या बहुत लोग उन छलियों फरेबियोंके षडयंत्रोंमें फंस कर उनका शिकार बनते हैं जो हिन्दूलॉकी कुछ बारीकियां जानने के कारण अपने अज्ञान भाईबंदोंकी सम्पात्ति दबा लेते हैं या प्रबंधक वन कर उनका गला काटते हैं । 'हिन्दूलॉ' न जाननेके कारण लोग क़ानून विरुद्ध दत्तक ले लेते हैं, वसीयत कर देते हैं; या मंदिर आदिमें कोई धर्मादा क़ायम कर देते हैं जिसने झगड़े पैदा होजाते हैं और यों जिनमें लाखों रुपया मुक़द्दमेबाज़ीमें स्वाहा होजाते हैं । यह सब चारो ओर प्रत्यक्ष दिख रहा है ।

इस ग्रन्थका लेखक बहुत समयसे क़ानून पेशेसे संबंध रखता आया है । बड़े बड़े धुरंधर वकीलोंकी आंखे देख चुका है । अपने इस दीर्घ अनुभव में जो बात विशेष रूपसे खटकी वह यही है कि अपने धर्मशास्त्रके क़ानून " हिन्दूलॉ " के न जाननेके कारण हिन्दू समाजकी बहुत बड़ी हानि होरही है । ग्रन्थकारने अनेक ऐसे मुक़द्दमे देखे हैं कि जिनमें बड़े बड़े घराने केवल मात्र हिन्दूलॉके अनुसार अपने अपने हक़ या कर्तव्य न जाननेके कारण कौड़ीके तीन तीन होगये और बाप बेटे, भाई भाई आदिके परस्पर सदाके लिये शत्रुता पैदा होगयी । इन्ही मामलोंको देख ग्रन्थकारने दृढ़ संकल्प किया कि अपने हिन्दू भाइयोंके लाभार्थ हिन्दूलॉ हिन्दी भाषामें अवश्य लिखूंगा । कुछ वर्ष पूर्व दत्तकके एक मुक़द्दमेमें (सेठ खेमराज श्रीकृष्णदास वादी बनाम रमानिवास सूरज

मल प्रतिबादी, मुक़द्दमा देखो पेज २२ में) वादी पक्षके सहायतार्थ बंबई बुलाया गया और इस मुक़द्दमेके संबंधमें गुजरात राजपूताना आदि में बहुतसी गवाहियां लेना पड़ीं। इस कामसे भी मालूम हुआ कि हिन्दू समाजमें हिन्दू धर्मशास्त्रके क़ानून हिन्दूलॉके प्रति वास्तवमें घोर अज्ञान फैला हुआ है जिस कारण आज कितनेही परिवार दरिद्र होरहे हैं और कितनीही विधवाएं तथा अनाथ घोर कष्ट भोगरहे हैं। गोदके क़ानून न जाननेसे आज लाखों रुपया मुक़द्दमे बाज़ीमें उड़ रहा है। अब ग्रन्थकारसे न रहा गया। उसने अपना पूर्व संकल्प पूरा करदेना ही निश्चित कर लिया। इसके अनुसार भगवान का नाम लेकर लेखनी उठायी और पूर्वजों तथा गुरुजनों की कृपासे वह कार्य पूर्ण होगया जो आज इस ग्रन्थ " हिन्दूलॉ " केरूपमें अपने देश वासियोंके समक्ष उपस्थित है। आज तक संपूर्ण विषयों सहित हिन्दी भाषामें " हिन्दूलॉ " किसीने भी नहीं लिखा। ग्रन्थकार का उद्देश संपूर्ण हिन्दूलॉ हिन्दी भाषामें लिखनेका था। वही इस ग्रन्थमें पूरा किया गया है। अंगरेज राज्यकालके प्रायः पौने दो सौ वर्षमें ऐसा बृहद हिन्दू धर्मशास्त्रका क़ानून " हिन्दूलॉ " आजतक हिन्दी में नहीं लिखा गया। यह अपने ढंगका पहला ग्रन्थ है। बल्कि कहना तो यह है कि अंगरेज़ीमें एकसे एक बढ़कर हिन्दूलॉ होनेपर भी ऐसा सर्वांगपूर्ण हिन्दूलॉ नहीं लिखागया कारण यही है कि अंगरेज़ीमें केवल अदालतों और वकील-पेशा लोगोंको क़ानूनी कार्रवाई मात्र बताने और समझानेकी दृष्टिसे हिन्दूलॉ लिखे गये हैं। किंतु हिन्दू गृहस्थोंके समझाने और उनके सुभीतेके लिये एक भी नहीं लिखा गया। यह ग्रन्थ हिन्दू मात्रको उनके धर्मशास्त्रीय क़ानूनका ज्ञान प्राप्त करादेनेकी दृष्टिसे लिखा गया है इसके सिवा अदालतें और क़ानून-पेशावाले भी इससे लाभ उठा सकते हैं। अंगरेज़ी हिन्दूलॉ में केवल स्मृति आदिका हवाला मात्र देकर बस कर दी है। परंतु इस ग्रन्थमें वेद धर्मशास्त्र पुराण स्मृति आदिकी आज्ञाएं प्रमाण वाक्य श्लोकादि ढूंढ ढूंढ कर अविकल उद्धृत कर दिये गये हैं और वे बारीकियां समझायी गयी हैं जो हिन्दू गृहस्थके ही ध्यानमें आ सकती हैं; अंगरेज लेखक कभी उन्हे ध्यानमें नहीं ला सकते। इस ग्रन्थमें प्रत्येक विषयके संबंधके धर्मशास्त्रीय प्रमाण ऐसी प्रचुरतासे उद्धृत किये गये हैं कि पाठकको उक्त शास्त्रोंमें ढूंढनेकी विशेष आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके आलावा उस विषयसंबंधी प्रत्येक हाईकोर्टके फैसले जो ग्रन्थ लिखनेके समयतक प्राप्त हुए, दिये गये हैं, जिनसे मालूम होगा कि किस विषयके संबंधमें हाइकोर्टोंका एक मत है और किसमें मतभेद हैं। दूसरी बात जिसका ध्यान विशेष रूपसे रखा गया है वह भाषाकी सरलता है; अर्थात क़ानूनी ग्रन्थोंकी पेचदार भाषा त्यागकर सबके समझने योग्य अत्यंत सरल शैलीका प्रयोग किया गया है। इस ग्रन्थमें सूचियां दो प्रकारकी दी गयी हैं-एक दफ़ावार दूसरी विषयवार। इससे पाठकोंको विशेष सुभीता रहेगा। एक विशेषता यह भी है कि जहां कहीं किसी दूसरे क़ानूनका हवाला दिया गया, अथवा उस क़ानूनकी आवश्यकता देखी गयी, वहां उस क़ानूनकी तत्संबंधी दफ़ाएं भी अविकल उद्धृत कर दी गयी हैं। एक ख़ास विशेषता इस ग्रन्थमें है जो अनेक अंगरेज़ी हिन्दूलॉमें नहीं है। वह यह कि " भारतका नक़शा " ग्रन्थके आदिमें हिन्दूलॉके स्कूलोंकी सीमा तथा विभाग बतानेके लिये दिया गया है। इस नक़शेसे एकही निगाहमें पाठकको मालूम होजायगा कि भारतमें कितनी दूरके अंदर मिताक्षरा या दायभाग या कस्टमरीलॉ आदि माने जाते हैं आर मिताक्षराके अंतर्गत कौन स्कूल कितनी सीमातक माना जाता है। यह नक़शा श्रीयुत् जे. आर. घारपुरेके हिन्दू लॉसे उद्धृत किया गया है। इस ग्रन्थके पढ़नेसे किनको क्या ख़ास लाभ होगा इसका कुछ संकेत नीचे करते हैं—

गृहस्थ—अपने धर्मशास्त्रके इस क़ानूनके अनुसार अविभक्त और विभक्त परिवारमें मर्दों और स्त्रियोंके हक़ तथा उत्तराधिकार आदिके क्या नियम हैं, प्रबंधकके अधिकार और ज़िम्मेदारियां क्या हैं, विवाह, बटवारा, दान, वसीयत और देवमंदिर आदिमें धर्मादा संबंधी क़ानूनके क्या नियम हैं, परिवारकी कन्याओं, स्त्रियों तथा विधवाओंके स्त्रीधन तथा उनके भरण पोषण और उत्तराधिकार आदिमें अधिकार और नियम क्या हैं, मौरूसी क़र्ज़ाके देनदार कौन हैं और कौन नहीं हैं, दत्तक जायज़ होनेके लिये किन बातोंका विचार करना ज़रूरी है इत्यादि अनेक बातोंका ज्ञान प्राप्त हो सकेगा।

वकील, मुख़्तार, मुहर्रिर—स्मृति आदिके वचनोंका हवाला देनेकी आवश्यकता पड़नेपर एकही जगह वे सब वचन प्रमाण पा सकेंगे। एकही प्रश्नपर हिन्दूलॉके भिन्न भिन्न टीकाकारोंके मत भी सुभीतेसे मिलेंगे। मुहर्रिरोंके लिये यह ग्रन्थ बहुत तरहसे लाभकारी है। हिन्दूलॉ संबंधी अर्ज़ियोंमें कौन बातें किस क़ानूनके अनुसार कैसे लिखना चाहिये अपने मुक़द्दमेको किस तरह अपने पक्षमें बनाना चाहिये, दानपत्र, मृत्युपत्र, प्रोबेट या वलीकी अर्ज़ी आदि कैसे लिखना चाहिये तथा उनमें कौनसी बातें लिखी जाना परमावश्यक हैं इत्यादि बातोंका ज्ञान प्राप्त हो सकेगा।

मुक़द्दमेकी पैरवी करनेवाले—अपने वक़ीलको अपना मुक़द्दमा भली भांति समझा सकेंगे और दूसरे पक्षकी त्रुटियां पकड़ सकेंगे। अपने पक्षका बलाबल जान सकेंगे। हिन्दूलॉके प्रत्येक विषयोंका ज्ञान होनेसे अपने मालिकको उचित क़ानूनी सलाह देसकेंगे और क़ानूनी त्रूटियोंसे सचेत रहेंगे इत्यादि बातोंका ज्ञान प्राप्त होसकेगा।

धनवान ज़िमीदार, ताल्लुक़ेदार—अपनी जायदादके उत्तराधिकार, बटवारे, दान, वसीयत, और धर्मादे आदिमें क़ानूनी समझदारीके साथ सब कार्रवाई कर सकेंगे जिससे पीछे उठनेवाले अदालती झगड़ोंसे पूरी रक्षा होगी। वे अपने मुक़द्दमें, हक़, अधिकारके बलाबल जान सकेंगे। वसीयत लिखने या कोई धर्मादा क़ायम करनेमें ऐसी कौन कौन बातें लिखना और करना बहुत ज़रूरी हैं जिनसे वह लिखत हमेशा जायज़ मानी जाय और पीछे अदालतमें कोई झगड़ा न पैदा हो, जायदादका बटवारा क़ानूनके अनुसार कैसा होगा, मंदिर या किसी निजकी देवमूर्तिमें लगी हुयी जायदाद कैसे बाटी जायगी इत्यादि बातोंका ज्ञान प्राप्त होसकेगा।

पण्डित, आचार्य, पुरोहित, आदि—सपिण्ड कितने होते हैं कैसे गिनना चाहिये, असपिण्ड कौन हैं, विवाह कैसे वर कन्याके परस्पर होना चाहिये, असपिण्ड कन्याका विचार कैसे किया जाय, दत्तक मुहूर्त तथा दत्तक परिग्रह विधान द्विजोंमें कैसे कराना चाहिये, दान देने और लेनेमें किन नियमोंका पालन करना चाहिये, पुजारियोंके और धर्मकार्यके कर्ताओं, जैसे कथावार्ता बाचनेवाले, भक्त, उपासक, आदिके उस धर्मादेमें क्या हक़ हैं, प्राचीन धर्मशास्त्र अंगरेज़ी अदालतोंमें कैसे माना जाता है, किस आर्ष वचनका कैसा अर्थ किस हाईकोर्टमें किया गया है, इत्यादि बातोंका ज्ञान प्राप्त होसकेगा।

साधु, संत, संन्यासी, मठाधीश, और अधिष्ठाता आदि—ये लोग अपनी जायदादमें क्या हक़ रखते हैं, शिष्य या चेलेको जायदाद पहुंचनेका नियम और क्रम क्या है, कैसा शिष्य या चेला उत्तराधिकारी होगा, क्या काम वे नहीं करसकते, गद्दीमें लगी हुई जायदादपर उनका क्या हक़ है, पुजारी या शिवायत के अधिकार क्या हैं, इनका क़ानूनी कर्तव्य क्या है, क़ानूनी साधु कौन है और कौन नहीं, कैसे काम करनेसे ये लोग पदच्युत किये जासकते हैं, कौन लोग दावा कर सकते हैं, इत्यादि बातोंका ज्ञान प्राप्त होसकेगा।

स्त्रियां--माता, बहन, बेटी, पत्नी, पोती, परपोती, विधवा, आदिकी हैसियतसे हिन्दू परिवारमें इनका क्या हक़ है, वे जायदादकी मालिक कहांपर और कब, किस शर्तसे होती हैं, कहांपर किस स्त्रीका जायदादपर पूरा अधिकार है और कहांपर नहीं, स्त्रीधन किस तरहकी जायदाद होती है और किस तरहकी नहीं, भरण पोषण देनेका ज़िम्मेदार कौन है, उत्तराधिकारमें जायदाद पानेका कब हक़ पैदा होता है इत्यादि बातोंका ज्ञान उन्हे प्राप्त हो सकेगा।

इस ग्रन्थकी तैय्यारीमें प्रायः अनेक स्मृतियों और अन्य संस्कृत ग्रन्थोंकी भी सहायता ली गयी है, सरकारके बनाये अनेक क़ानून और हाईकोर्टोंके आवश्यक फ़ैसले जो ग्रन्थ लिखे जानेके समयतक हुए तत्संबंधी विषयके साथ जोड़ दिये गये हैं। जिन संस्कृत ग्रन्थों, क़ानूनो और अंगरेज़ी हिन्दूलॉसे विशेष सहायता मिली है उनकी भिन्न भिन्न सूची आगे दी गयी हैं। अंगरेज़ी ग्रन्थोंमें हम मि० भट्टाचार्य, घारपुरे, मेन, ट्रिवेलियन्, मेक्नाटन्, स्ट्रेन्ज़, आदि आदि सुप्रसिद्ध और प्रमाणिक हिन्दूलॉके पण्डितोंके विशेष आभारी हैं।

धन्यवाद।

इस ग्रन्थके निर्माणमें हमें श्रीवेंकटेश्वर प्रेसके स्वामी परम श्रद्धेय श्रीमान धर्मरत्न सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासजीसे जैसा प्रोत्साहन मिला उसके लिये हम उनके कृतज्ञ हैं। इसी प्रकार क़ानूनके धुरंधर पण्डित और ग्रन्थकार तथा लॉ प्रोफ़ेसर श्रीयुत् पं० पद्मनाभ भास्कर सिंगणे वकील हाईकोर्ट बंबई और हिन्दूलॉके सुप्रसिद्ध ग्रन्थकार श्रीयुत् पं० जगन्नाथ रघुनाथ घारपुरे वकील हाईकोर्ट बंबई ने अपने असीम अनुभव और परामर्शसे तथा अनेक जटिल प्रश्नोंको हल करके और प्रेमपूर्वक समझा कर जैसी सहायता प्रदानकी है, उसके लिये हम उन दोनों महानुभावोंके चिरकृतज्ञ रहेंगे। इन महानुभावोंके अतिरिक्त हम अपने दो मित्रोंके भी विशेष रूपसे आभारी हैं; एकतो "श्रीवेंकटेश्वर समाचार" के संपादक श्रीयुत् पं० चन्दूलालजी महता जिन्होने प्रायः आदिसे अंत तक इस ग्रन्थके लिखने तथा समय समयपर प्रूफ़ देखने आदिकी सहायता की और दूसरे कर्मशियल् डिगरी-प्राप्त श्रीयुत् बाबू रतनचन्दजी घीया जिन्होने अपने बंबईके रहनेके दिनोंमें सहायता की।

अंतमें ग्रन्थकारोंकी प्राचीन परिपाटीके अनुसार सिर्फ़ एक बात बाक़ी रह गयी। वह यह कि इस ग्रन्थमें जो अशुद्धियां और त्रुटियां रह गयी हों, उनके लिये पाठक यही सोचकर क्षमाकरें, कि अपने ढंगके बिलकुल नयें और बृहद ग्रन्थमें ऐसा होना असम्भव नहीं है। इस संबंधमें हम इतना और कहेंगे कि वर्तमान कालमें कागज़ और छापेकी अन्य सामाग्रियोंकी महंगी तथा बंबईमें छपाईकी दिक़्क़तें भी माननीय पाठकोंको अपने ध्यानमें रखना चाहिये। बस; हमारा वक्तव्य और हमारा निवेदन समाप्त हुआ। हिन्दीमें "हिन्दूलॉ" हिन्दू समाजके सामने उपस्थित है। हमे पूर्ण विश्वास है कि इससे हिन्दू समाजका लाभ होगा। यदि कुछ अंशोंमें भी ऐसा हुआ, तो हम अपने उद्देशकी पूर्ति और अपना परिश्रम सफल समझेंगे।

बम्बई
ता० १५ जुलाई सन १९२० ई०

निवेदक,
ग्रन्थकार।

जिन संस्कृत ग्रन्थोंका आधार इस ग्रन्थके बनानेमें लिया गया है निम्न लिखित हैं।

१ अत्रि स्मृति
२ आपस्तम्ब स्मृति
३ औशनस स्मृति
४ कात्यायन स्मृति
५ कालिका पुराण
६ कुल्लूकभट्ट–मनुस्मृतिपर टीका
७ गोभिल स्मृति
८ गौतम स्मृति
९ चतुर्वर्ग चिन्तामणि
१० जातिभास्कर
११ दक्ष स्मृति
१२ दत्तक चन्द्रिका
१३ दत्तक मीमांसा
१४ दायभाग–जीमूतवाहनकृत टीका
१५ दानचन्द्रिका
१६ दायक्रमसंग्रह–श्रीकृष्णतर्कालंकारकृत
१७ दायतत्व–पं० रघुनन्दनमिश्र कृत
१८ देवल स्मृति
१९ धर्मसिन्धु
२० धर्मशास्त्र संग्रह
२१ नारदस्मृति
२२ निर्णयसिन्धु
२३ पराशरमाधव
२४ पाराशरस्मृति
२५ पाराशर धर्मशास्त्र
२६ बालंभट्टी–याज्ञवल्क्यपर टीका
२७ विश्वरूप–याज्ञवल्क्यपर टीका
२८ विष्णु स्मृति
२९ वीर मित्रोदय
३० बौधायन स्मृति
३१ व्यास स्मृति
३२ बृहस्पति स्मृति
३३ वृद्धशातातप स्मृति
३४ व्यवस्थादर्पण
३५ मनु स्मृति
३६ मयूख–व्यवहार प्रकरण
३७ मिताक्षरा–याज्ञवल्क्यपर टीका
३८ मि. ए. ओ. ह्यूमसाहबकीसेन्सेज़ रिपोर्ट
३९ मानवगृह्यसूत्र
४० मेधातिथि–मनुस्मृतिपर टीका
४१ यजुर्वेद
४२ यमस्मृति
४३ याज्ञवल्क्य स्मृति
४४ लघु आश्वलायन स्मृति
४५ लिखित स्मृति
४६ वसिष्ठ स्मृति
४७ व्यवस्था निर्णय–वरदराजकृत
४८ विवाद चिंतामणि
४९ विवाद रत्नाकर
५० सरस्वती बिलास–प्रताप रुद्रदेव कृत
५१ सुबोधिनी–याज्ञबल्क्यपर टीका
५२ संवर्त स्मृति
५३ संस्कार प्रकाश
५४ शातातप स्मृति
५५ शौनक स्मृति
५६ शंख स्मृति
५७ हारीत स्मृति

ग्रन्थ निर्माणमें निम्न लिखित अंगरेज़ी हिन्दूलॉसे विशेष सहायता प्राप्त हुयी।

१ घारपुरे हिन्दूलॉ	श्रीयुत् जे. आर. घारपुरे. बी. ए., एल. एल. बी. लिखित, दूसरा एडीशन् सन १९१० ई०
२ घोष हिन्दूलॉ	प्रिंसपल आव् हिन्दूलॉ, पं० योगेन्द्र चन्द्र घोष. एम. ए., बी. एल. लिखित दूसरा एडीशन् कलकत्ता
३ ट्रिवेलियन् हिन्दूलॉ	सर अर्नेस्ट जान ट्रिवेलियन्. डी. सी. एल. लिखित, दूसरा एडीशन् सन १९१३ ई०
४ बनर्जीलॉ, मैरेज एन्ड स्त्रीधन	सर गुरुदास बनर्जी एम. ए. डी. एल लिखित, सन १९१३ ई०
५ भट्टाचार्य हिन्दूलॉ	कामेन्टरी आन् हिन्दूलॉ बाबू योगेन्द्रनाथ भट्टाचार्य. एम. ए. डी. एल. लिखित, कलकत्ता
६ भट्टाचार्यलॉ, ज्वाइन्टफैमिली	पं० कृष्ण कमल भट्टाचार्य लिखित।
७ मेन हिन्दूलॉ	मि० जान. डी. मेन लिखित, सातवां एडीशन् सन १९०६ ई०
८ मुल्ला हिन्दूलॉ	मि० दीनशाह फरडुनजी मुल्ला एम. ए., एल. एल. बी. लिखित, दूसरा एडीशन् सन १९१५ ई०
९ मैकनाटन् हिन्दूलॉ	डबल्यू. एच. मैकनाटन लिखित, कलकत्ता
१० रामकृष्ण हिन्दूलॉ	सी. एस. रामकृष्ण बी. ए., बी. एल. लिखित सन १९११ और १९१३ ई०
११ सरकार हिन्दूलॉ	शास्त्री गोपालचन्द्र सरकार. एम. ए., बी. एल. लिखित तीसरा एडीशन् सन १९०७ ई० कलकत्ता
१२ सर्वाधिकारीलॉ, -इन्हेरिटेन्स्	पं० राजकुमार सर्वाधिकारी लिखित कलकत्ता
१३ स्ट्रेन्ज हिन्दूलॉ	मदरास हाइकोर्टके चीफ जस्टिस् सर टामस स्ट्रेन्ज लिखित।
१४ शंभुशिव ऐयर हिन्दूलॉ	पं० शंभुशिव ऐयर वकील मदरास हाइकोर्ट लिखित, छठवां एडीशन्

सरकारके निर्मित क़ानून और रेगूलेशन् जिनका हवाला इस ग्रन्थमें दिया गया है।

नं.शु.	सन	एक्टनं.	नाम क़ानून	विषय.
१	१८३९	२३	इन्टरेस्ट एक्ट	सूदका क़ानून
२	१८४१	२९	क्यूरेटर एक्ट	संरक्षक, महाफ़िज़, वलीसंबंधी क़ानून
३	१८५०	२१	फ्रीडम आव् रेलीजन् एक्ट	धार्मिक स्वतन्त्रताका क़ानून
४	१८५२	११	रेन्ट फ्री स्टेट एक्ट	माफी ज़मीदारियोंका क़ानून
५	१८५६	१५	हिन्दू विडो रिमैरेज एक्ट	हिन्दू विधवा विवाह संबंधी क़ानून
६	१८५८	४०	माइनर्स बंगाल एक्ट	बंगालका नाबालिग़संबंधी क़ानून
७	१८५८	३५	ल्यूनेसी एक्ट	विक्षिप्त या पागलकेसंबंधका क़ानून
८	१८५९	११	रेविन्यू सेलस् एक्ट	महकमें मालसंबंधी नीलामका क़ानून
९	१८६०	२७	सर्टिफिकटआन्सक्सेशन्एक्ट	वरासतकी सर्टिफिकेटका क़ानून
१०	१८६०	४५	पेनल् कोड्	क़ानून ताज़ीरात हिन्द
११	१८६३	२०	रेलिजस् एन्ड एन्डौमेन्ट एक्ट	धार्मिक और खैराती संस्थासंबंधी क़ानून
१२	१८६५	१०	सक्सेशन् एक्ट	उत्तराधिकार संबंधी क़ानून
१३	१८६५	१५	पारसीमैरेजएन्ड डाइवोर्सएक्ट	पारसियोंके विवाह और तलाक़का क़ानून
१४	१८६६	२१	नेटिव्क्रनवर्टस्मैरेजडिसोल्यूशन्	देशी ईसाईयोंके विवाह विच्छेदका क़ानून
१५	१८६६	२८	ट्रूस्टी एन्ड मारगेजीज़ एक्ट	ट्रूस्टियों और रेहन रखनेवालोंका क़ानून
१६	१८६९	१	अवध स्टेट एक्ट	अवधकी ताल्लुक़ेदारियोंका क़ानून
१७	१८६९	४	डाइवोर्स एक्ट	तलाक़का क़ानून
१८	१८७०	२१	हिन्दू विल्स् एक्ट	हिन्दू वसीयतनामोंका क़ानून
१९	१८७१	२३	पेन्शन् एक्ट	पेन्शन्का क़ानून
२०	१८७२	३	मैरेज एक्ट	विवाहका क़ानून
२१	१८७२	९	कंट्राक्ट एक्ट	कंट्राक्ट (मुआहिदे) का क़ानून
२२	१८७२	४	पंजाब लाज़	पंजाबके क़ानून
२३	१८७२	१	इन्डियन् एवीडेन्स् एक्ट	क़ानून शहादत हिन्द
२४	१८७३	३	मदरास सिविल कोर्टस्	मदरासकी दीवानी अदालतका क़ानून
२५	१८७५	९	इन्डियन् मेजारिटी एक्ट	क़ानून बलाग़त हिन्द (बालिग़ोंका क़ानून)
२६	१८७५	२०	सेन्ट्रल प्राविन्सेस् लाज़	मध्यप्रदेशीय क़ानून
२७	१८७६	१०	बांबे रेविन्यू जुरिस्डिक्शन्	क़ानून इलाक़े अख्तियार महकमे माल बंबई
२८	१८७६	१८	अवध लाज़	अवधके क़ानून

नं.शु.	सन	एक्टनं.	नाम क़ानून.	विषय.
२९	१८७७	१	स्पेसिफिक् परफारमेन्स्	कामकी ख़ास तामीलका क़ानून
३०	१८७७	३	इन्डियन् रजिस्ट्रेशन्	रजिस्टरीका क़ानून
३१	१८७८	१२	पंजाब लाज़	पंजाबके क़ानून
३२	१८८१	५	प्रोबेट एन्ड एडमिनिस्ट्रेशन्	वसीयतकी तस्दीक़ और वरासतकी मंज़ूरी
३३	१८८१	२६	निगोशिएबुल् इनस्ट्रूमेन्ट एक्ट	
३४	१८८२	२	ट्रस्टीज़ एक्ट	ट्रस्टियोंका क़ानून
३५	१८८२	४	ट्रान्सफ़र आव् प्रापर्टी एक्ट	इन्तक़ाल जायदादका क़ानून
३६	१८८२	१५	प्रेसीडेन्सी स्मालकाज़ कोर्टस्	कलकत्ता, बंबई, मदरासकी ख़फ़ीफ़ा कोर्ट
३७	१८८७	१२	बंगाल सिविल कोर्टस्	बंगालकी दीवानी अदालतोंका क़ानून
३८	१८८९	७	सक्सेशन् सर्टिफिकेट एक्ट	उत्तराधिकारके सर्टिफिकेटका क़ानून
३९	१८९०	६	चेरीटेबल् एन्डौमेन्टस्	ख़ैराती धर्मादोंका क़ानून
४०	१८९०	८	गार्डियन् एन्ड वार्डस् एक्ट	वली और नाबालिग़का क़ानून
४१	१८९२	४	कोर्टस् आव् वार्डस् बंगाल	बंगालकी कोर्टस् आव् वार्डस्का क़ानून
४२	१८९३	४	पार्टिशन् एक्ट	बटवारेका क़ानून
४३	१८९८	५	कोड आव् क्रिमिनल् प्रोसीजर	क़ानून ज़ाबता फौजदारी
४४	१८९८	१३	बरमा लाज़	बर्मादेशका क़ानून
४५	१८९९	२	इन्डियन् स्टाम्प एक्ट	स्टाम्पका क़ानून
४६	१९०१	२	टेनेन्सी एक्ट यन्, उबल्यू, पी,	युक्तप्रदेशका क़ानून लगान
४७	१९०८	५	कोड आव् सिविल प्रोसीजर	क़ानून ज़ाबता दीवानी
४८	१९०८	९	इन्डियन् लिमिटेशन् एक्ट	तमादीका क़ानून

गवर्नर मदरासके बनाये हुए क़ानून

४९	१८९६	४	मलाबार मैरेज एक्ट	मलाबारका विवाहका क़ानून
५०	१९०२	१	कोर्टस् आव् वार्डस् एक्ट	कोर्टस् आव् वार्डस्का क़ानून
५१	१९०२	२	इम्पार्टिबल स्टेट एक्ट	नबट सकनेवाली ताल्लुक़ेदारियोंका क़ानून

गवर्नर बंबईके निर्मित क़ानून

५२	१८६६	७	एन् सेस्ट्रल डेट्स् एक्ट	पूर्वजोंके क़र्ज़ेका क़ानून
५३	१८७९	५	लैन्ड रेविन्यू एक्ट	क़ानून मालगुज़ारी
५४	१८८८	६	गुजरात ताल्लुक़दाराज़ एक्ट	गुजरातके ताल्लुक़ेदारोंका क़ानून
५५	१९०५	१	कोर्टस् आव् वार्डस् एक्ट	कोर्टस् आव् वार्डस्का क़ानून

लफ़टेनेन्ट गवर्नर युक्त प्रदेशके निर्मित क़ानून

५६	१८९९	३	कोर्टस् आव् वार्डस् एक्ट	कोर्टस् आव् वार्डस्का क़ानून
५७	१९००	२	अवध सेटेल्ड स्टेट एक्ट	अवधकी बंदोबस्तकी हुई ताल्लुक़ेदारियोंका
५८	१९०१	२	टेनेन्सी एक्ट यन्, डबल्यू. पी.	संयुक्त प्रांतका क़ानून लगान
५९	१९०१	३	लैन्ड रिविन्यू एक्ट	मालगुज़ारीका क़ानून

बंगालके रेगूलेशन्

नं०शु०	सन	रे०नं०
६०	१७९३	८
६१	१७९३	११
६२	१८१०	१९
६३	१८१४	२९
६४	१८२२	७

मदरासके रेगूलेशन्

नं०शु०	सन	रे०नं०
६५	१८०२	५
६६	१८०३	२
६७	१८०४	५
६८	१८१७	७

बंबईके रेगूलेशन्

नं०शु०	सन	रे०नं०
६९	१८२७	२
७०	१८२७	४

गवर्नर जनरलके रेगूलेशन्

नं०शु०	सन	रे०नं०
७१	१८७२	३
७२	१८७७	२
७३	१८७७	३
७४	१८८६	१
७५	१८८८	१
७६	१८९०	३

पार्लिमेन्टके निर्मित क़ानून

७७	चैन्सरी रिपोर्ट	२१	(Geo)	३
७८	उक्तं	३७	(Geo)	३
७९	उक्तं	४०	(Geo)	३
८०	उक्तं	४	(Geo)	४

संकेताक्षरोंके विवरण ।

नं.शु.	संकेताक्षर.	
१	A. या All.	इन्डियन् लॉ रिपोर्टस् इलाहाबाद सीरीज़
२	Agr. या Agra.	आगराहाइकोर्ट रिपोर्टस् (पहले हाइकोर्ट था किंतु अब नहीं है)
३	A. L. J.	इलाहाबाद लॉ जरनल्
४	A. W. N.	इलाहाबाद वीक्ली नोटस्
५	B. या Bom.	इन्डियन् लॉ रिपोर्टस् बंबई सीरीज़
६	Banerjee's	बनर्जी लॉ आव् मैरेज एन्ड स्त्रीधन सन १९१३ ई० काछपा
७	B. L. R.	बंगाल लॉ रिपोर्टस्
८	B. L. R. F.B.	बंगाल रिपोर्टस् फुलबेंच कलकत्ता
९	Ben. S. D. A.	बंगाल सदर दीवानी अदालत रिपोर्टस् कलकत्ता सन१८४५-१८६२
१०	Ben. Sel. R.	बंगाल सिलेक्ट रिपोर्टस्
११	Bellasis	बंबई सदर दीवानी अदालत रिपोर्टस्
१२	B.H.C.याBom.H.	C. बंबई हाइकोर्ट रिपोर्टस्
१३	B. H. C. A.C.J.	बंबई हाइकोर्ट अपील सिविल जुरिस्डिक्शन्
१४	B. H. C. O.C.J.	बंबई हाइकोर्ट ओरी जिनल् सिविल् जुरिस्डिक्शन्
१५	Bom. I. L. R.	बंबई इन्डियन् लॉ रिपोर्टर
१६	Bom. L. R.	बंबई लॉ रिपोर्टर
१७	Bom. P. J.	बंबई हाइकोर्ट प्रिंटेड् जज्मेन्ट
१८	Bom. Sel. R.	बंबई सिलेक्ट रिपोर्टस्
१९	Borr.	बोरोडेल्स् रिपोर्टस्
२०	C. या Cal.	इन्डियन् लॉ रिपोर्टस् कलकत्ता सीरीज़
२१	C. L. R.	कलकत्ता लॉ रिपोर्टस्
२२	C. L. J.	कलकत्ता लॉ जरनल
२३	C. W. N.	कलकत्ता वीक्ली नोटस्
२४	C. P. L. R.	सेन्ट्रल् प्राविन्सेस् लॉ रिपोर्टस्
२५	Ch. D.	इंगलिश लॉ रिपोर्टस् चैन्सरी डिवीज़न्
२६	Cole या Cole Pref.	कोलब्रूक डाइजेस्ट या प्रेफेस् दायभाग
२७	Coop या Geo.	कूपर्स रिपोर्टस् चैन्सरी
२८	Dig.	जगन्नाथ डाइजेस्ट
२९	Elb.	यल् बलिंग् आन इनहेरिटेन्स्
३०	F. B.	फुल् बेंच
३१	F. Mac. या Macn.	सर यफ् मेक्नाटन्स् कन्सीडरेशन् आन हिन्दू लॉ
३२	Fulton या Fult.	फुल्टन्स् रिपोर्टस् सुप्रीमकोर्टस् कलकत्ता
३३	Gib या Gibelin.	गिबलिन् स्टयूडस्
३४	Goldst.	गोल्डस्ट कर्स प्रेज़ेन्ट एडमिनिस्ट्रेशन् आव् हिन्दू लॉ
३५	Hay.	हेज़ रिपोर्टस्—कलकत्ता हाइकोर्टस् अपीलेट साइड
३६	I. A.	इन्डियन् अपील लॉ रिपोर्टस्
३७	Ibid. या ibid.	जिसका अभी हवाला दिया गया है
३८	Ind. Cas या Indian	Cases. इन्डियन् केसेज़

नं.शु.	संकेताक्षर.	
३९	Ind. Jur	इन्डियन् जुरिस्ट
४०	John.	जान्स् रिपोर्ट चैन्सरी
४१	Ken. या Knapp.	नेप्स् प्रिवीकौन्सिल केसेज़
४२	L. R.	इंगलिश लॉ रिपोर्टस्
४३	L. B. R.	लोवर बरमा रूलिंग्स्
४४	M. या Mad.	इन्डियनलॉ रिपोर्टस् मदरास सीरीज़
४५	Mad. Dec.	मदरास डिसीशन्
४६	Mad S. D. A. या	Mad S. R. मदरास सदर दीवानी अदालत रिपोर्टस्
४७	M. H. C. या Mad.	H. C. मदरास हाइकोर्ट रिपोर्टस्
४८	M. L. J. या Mad.	L. J. मदरास लॉ जनरल रिपोर्टस्
४९	M. L. T.	मदरास लॉ टाइम्स्
५०	M. I. A.	मदरास इन्डियन् अपील
५१	M. W. N.	मदरास वीक्ली नोटस्
५२	Marsh.	मारशल्स् रिपोर्टस्
५३	Mys. या Mysore.	मैसूर लॉ रिपोर्टस्
५४	M. C. C. R.	मैसूर सिविल् कोर्टस् रिपोर्टस्
५५	M.Dig. या Morley	Dig. मोर्लेज़ डाइजेस्ट कलकत्ता
५६	Mort.	मोर्टन्स् डिसीशन् सुप्रीमकोर्ट कलकत्ता
५७	Morris.	बंबई सदर अदालत रिपोर्टस्
५८	N. L. R.	नागपूर लॉ रिपोर्टस्
५९	N.W.P.याH.C.R.	नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज़ हाइकोर्ट रिपोर्टस् (इलाहाबाद)
६०	O. C.	अवध केसेज़
६१	P. C.	प्रिवीकौन्सिल
६२	P. R.	पंजाब रिकर्ड
६३	P. L. R.	पंजाबलॉ रिपोर्टस्
६४	P. W. R.	पंजाब वीक्ली रिपोर्टस्
६५	Regu. या Regul.	रेगूलेशन्
६६	S. C.	सेम केस (उसी प्रकारका दूसरा मुक़द्दमा)
६७	S. D.	बंगाल सदर कोर्टस् डिसीशन्
६८	Suth.	सदरलेन्डस् वीक्ली रिपोर्टस् कलकत्ता
६९	S. L. R.	सिंध लॉ रिपोर्टस्
७०	Sorg.H.L.याSorg	पांडेचरीके चीफ जस्टिस् मि॰सार्गका हिन्दूलॉ भारतकी फ्रान्स भूमिके
७१	Stokes.	स्टोक्स् हिन्दू लॉ
७२	T. L. R.	त्राविन्कोरलॉ रिपोर्टस्
७३	U. B. R.	अपर बरमा रूलिंगस्
७४	W. R.	सदरलेन्ड वीक्ली रिपोर्टस्
७५	W. Macn.	डबल्यू मेक्नाटन्स हिन्दू लॉ
७६	W. R. A. O. J.	सदरलेन्ड वीक्ली रिपोर्टस् अपीलसाइड ओरीजिनल् जुरिस्डिकशन्
७७	W. R. C. R.	उक्त सिविल रूलिंगस्
७८	W. R. F. B.	उक्त फुल बेंच
७९	W. R. P. C.	उक्त प्रिवीकौन्सिल रूलिंगस्

हिन्दूलॉके प्रकरणोंकी सूची।

प्रकरण	विषय	दफ़ा	पेज
१ प्रथम प्रकरण	हिन्दूलॉके स्कूलोंका वर्णन	१-३७	१-२६
२ दूसरा प्रकरण	विवाह	३८-८०	२७-६३
३ तीसरा प्रकरण	पुत्र और पुत्रत्व	८१-९०	६४-७२
४ चौथा प्रकरण	दत्तक	९१-३२१	७३-२०१
५ पांचवां प्रकरण	नाबालिग़ी और वलायत	३२२-३८३	२०२-२२६
६ छठवां प्रकरण	मुश्तरका ख़ानदान	३८४-४७५	२२७-२९३
७ सातवां प्रकरण	पैतृक ऋण	४७६-५०२	२९४-३१५
८ आठवां प्रकरण	बटवारा	५०३-५५७	३१६-३५२
९ नवाँ प्रकरण	रिक्थाधिकार या उत्तराधिकार	५५८-६६२	३५३-४५६
१० दसवां प्रकरण	रिवर्ज़नर और उनके अधिकार	६६३-६८१	४५७-४६६
११ ग्यारहवां प्रकरण	वरासतसे मिली हुयी जायदादपर स्त्रियोंका अधिकार	६८२-७२१	४६७-४८५
१२ बारहवां प्रकरण	भरण-पोषण	७२२-७५१	४८६-५०२
१३ तेरहवां प्रकरण	स्त्रीधन	७५२-७७३	५०३-५२४
१४ चौदहवां प्रकरण	बेनामीका मामला	७७४-७७९	५२५-५३१
१५ पंद्रहवां प्रकरण	दामदुपटका क़ानून	७८०-७८८	५३२-५३६
१६ सोलहवां प्रकरण	दान और मृत्युपत्र	७८९-८१६	५३७-५५९
१७ सत्रहवां प्रकरण	धार्मिक और ख़ैराती धर्मादे	८१७-८९४	५६०-५९९

दफावार सूची।

दफा. विषय. पेज.

हिन्दूलॉके स्कूलोंका वर्णन।

प्रथम–प्रकरण।

(१) हिन्दूलॉकी उत्पत्ति।

१ हिन्दूलॉकी उत्पत्ति ईश्वरसे है १
२ श्रुति २
३ स्मृति २
४ पुराण २
५ स्मृतियोंकी टीकाएं २
६ दूसरी बातें डाइजेस्ट और क़ानून ३
७ हिन्दूलॉका अदालतोंसे संबन्ध ३
८ हिन्दूलॉकी उत्पत्तिका नक़शा ५
९ हिन्दूलॉकी उत्पत्तिके नक़शेका परिचय ६
  १–गोतम ६
  २–बौधायन ६
  ३–आपस्तम्ब ६
  ४–वसिष्ठ ६
  ५–हारीत ६
  ६–मनु ६
  ७–याज्ञवल्क्य ७
  ८–नारद ७
  ९–मेधातिथि ७
  १०–कुल्लूक ८
  ११–विज्ञानेश्वर ८
  १२–अपरार्क ८
  १३–विश्वरूप ८
  १४–पराशर ८
  १५–विवादार्णव सेतु ८
  १६–विवाद भंगार्णव ८
  १७–विवाद सारार्णव ८
  १८–विवाद चिन्तामणि ८
  १९–मयूख ८
  २०–वीर मित्रोदय ८
  २१–बालंभट्टी ८
  २२–सुवोधिनी ८
  २३–दायभाग ८
  २४–दत्तक मीमांसा, दत्तक चन्द्रिका ९
१० स्मृति और आचारके विरोधमें आचार का प्रवलता ९

(२) हिन्दूलॉका विस्तार।

११ किसके लिये हिन्दूलॉ लागू होगा १०
१२ हिन्दूलॉ किनसे लागू होगा ११
१३ हिन्दूलॉ किन लोगोंसे नहीं लागू होगा १३

(३) हिन्दूलॉके स्कूलोंका वर्णन।

१४ स्कूलोंमें भेद पड़नेका कारण १४
१५ हिन्दूलॉकी अनेक शाखाएं १४
१६ मिताक्षरा और दाय भागमें क्या फरक़ है १५
१७ मुश्तरका जायदादमें बाप और बेटेके हक़ १६
१८ शामिल शरीक हिस्सेदार १६
१९ उत्तराधिकार १७
२० मुश्तरका जायदादमें बापका हक़ १७
२१ पतिकी जायदादमें विधवाका अधिकार १७
२२ बटवारेमें विधवाका अधिकार १७
२३ स्कूलोंमें मान्य ग्रन्थ १८
  १–बनारस स्कूलमें–सुबोधिनी; मिताक्षरा; वीर मित्रोदय; कल्पतरु; दत्तक मीमांसा; निर्णय सिन्धु १८
  २–मिथिला स्कूलमें–मिताक्षरा; व्यवहार चिन्तामणि; विवाद चिंतामणि; विवाद रत्नाकर; दत्तक मीमांसा; द्वैत निर्णय; शुद्धि विवेक; द्वैत परिशिष्ट १८
  ३–बंबई स्कूल या महाराष्ट्र स्कूलमें–मिताक्षरा; व्यवहार मयूख; निर्णयासिन्धु; दत्तक मीमांसा; कौस्तुभ १९

दफा. विषय. पेज.
४-द्रविड़स्कूलमें—मिताक्षरा; स्मृति चन्द्रिका; दाय भाग; पराशरमाधव; रघुनन्दन २०
५-बंगाल स्कूल या दायभाग स्कूलमें—दायभाग; दायतत्व; दायकर्म संग्रह; दायभागका टीका पं० श्रीकृष्ण तर्कालंकार कृत; दत्तक चन्द्रिका; व्यवहार मयूख;-वीर मित्रोदय. २०
२४ कौनस्कूल कहांपर माना जाता है २१
२५ बनारस स्कूल २१
सेठ खेम राज श्रीकृष्णदासका केस २२
२६ मिथिला स्कूल २२
२७ बंबई स्कूल या महाराष्ट्र स्कूल २२
२८ द्रविड़ स्कूल या मदरास स्कूल २३
२९ पंजाब स्कूल २३
३० क़ानून बनानेका आधार रवाज भी है. २४
३१ रवाज तीन तरहकी होती है २४
३२ रवाज कैसे साबितकी जायगी २४
३३ रवाज कब बंदहो जायगी २४
३४ रवाजका सुबूत किसके ज़िम्मे होगा २४
३५ नाजायज़ रवाज २५
३६ क़ानून साथ जाताहै २५
३७ जाति सम्बन्धी मुक़द्दमें २५

विवाह।

दूसरा-प्रकरण

(१) विवाहके भेद आदि।

३८ विवाह प्राचीन धर्म है २७
३९ हिन्दूलॉके अनुसार विवाह २७
४० आठ प्रकारके विवाह २८
१-ब्राह्म विवाह २८
२-दैव विवाह २८
३-आर्ष विवाह २८
४-प्राजापत्य विवाह २८
५-आसुर विवाह २८
६-गांधर्व विवाह २८
दफा. विषय. पेज.
७-राक्षस विवाह २९
८-पैशाच विवाह २९
४१ आठ प्रकारके विवाहोंमें उचित और अनुचित २९
१-आसुर विवाह २९
२-गांधर्व विवाह ३०
४२ विवाहके विषयमें अदालत कामत ३०
४३ विवाहका विषय दो भागोंमें बटा है ३२
४४ विवाह के जायज़ मानेजानेकी शर्तें ३२
४५ जायज़ विवाहके योग्यताकी शर्तें ३३

(२) विवाहमें बर्जित सपिण्ड।

४६ सपिण्डकी क़िस्में ३४
४७ विवाहमें बर्जित सपिण्ड ३४
४८ मिताक्षरामें पिण्डदानके आधार पर सपिण्ड नहीं माना गया ३६
४९ अपने गोत्र और प्रवर की कन्याके साथ विवाह बर्जित है ३६
५० शूद्रोंके विषयमें गोत्र और प्रवरका नियम नहीं माना जाता ३६
५१ विवाहमें सपिण्ड सम्बन्ध कहांतक माना जाता है ३७
५२ सपिण्डोंमें विवाह करनेकी मनाही ३८
५३ बंगाल स्कूलके अनुसार सपिण्ड कन्या कौन है ३८
५४ मिताक्षरा स्कूलके अनुसार विवाह में सपिण्ड कन्या कौन है ३९
५५ दत्तकसे विवाहका सपिण्ड नहीं टूटता ४२
५६ सपिण्डोंमें किये हुए विवाह का परिणाम ४२

(३) वैवाहिक सम्बन्ध।

५७ भिन्न जातियोंके परस्पर विवाह ४३
५८ विवाह कौन कर सकता है ४४
५९ पतिके जीवन कालमें स्त्रीका दूसरा विवाह ४५
६० विवाहमें उमर की क़ैद ४५
६१ तलाक़ ४६

दफ़ा. विषय. पेज.
६२ पुरुषका पुनर्विवाह ४८
६३ स्त्रीका पुनर्विवाह ४९
६४ दो भिन्न जातियोंके परस्पर विवाह ५०
६५ विवाहमें सौतेली माताका सम्बन्ध ५१
६६ धर्म शास्त्रोंका घर और कन्याके सम्बन्धमें विचार ५१
६७ विवाहकी रस्म कबपूरी मानी जायगी ५३
६८ सगाई या मंगनी ५४
१-सगाई या फलदान टूट सकता है ५४
२-विवाह न करनेसे हर्जानेका दावा ५४
६९ विवाह सम्बन्धी दूसरे इक़रार या कंट्राक्ट आदि ५५
७० कन्यादान देनेके अधिकारी कौन हैं ५५
७१ विवाह के ख़र्च ५७
७२ कन्याकी वलायत ५८
७३ विवाहमें 'फेक्टूमवेलेट' ५८
७४ नियोग ५९
७५ स्त्री किसके क़ब्ज़े में रहेगी ५९
७६ पति, पत्नीके आपसके अधिकार और उनके प्राप्त करनेका उपाय ५९
७७ किनसूरतोंमें स्त्री अपने पतिके पास रहनेसे इनकार कर सकती है ५९
७८ पति, पत्नीकी निजकी जायदादपर विवाह का असर ६१
७९ पति, पत्नीका अधिकार आपसमें एक दूसरेकी जायदादमें ६२
८० विवाह का रवाज ६२

पुत्र और पुत्रत्व।

तीसरा-प्रकरण

पुत्र और पुत्रोंके दर्जे।

८१ पुत्रकी आवश्यकता ६४
८२ चौदह प्रकारके पुत्र और उनकी तारीफ़ ६५
८३ पुत्रिका पुत्र ६६
८४ कानीन पुत्र ६७
८५ कृत्रिम पुत्र ६८
दफ़ा. विषय. पेज.
८६ दत्तक पुत्र ६८
८७ क्षेत्रज पुत्र और नियोग की पैदाइश ६९
८८ नियोगकी चाल मनुके समयमें कमज़ोर हो चली थी ६९
८९ आजकल औरस और दत्तकपुत्र माने जाते हैं ७०
९० पुत्रोंके दर्जोंका नक़शा ७०

दत्तक।

चौथा-प्रकरण

प्रथम भाग।

(१) कौन दत्तक ले सकता है?

(क) साधारण नियम।

९१ साधारण अर्थ दत्तक-और उद्देश ७३
९२ दत्तक की चाल किसक़ौममें कैसी है ७३
९३ किन क़ौमोंमें दत्तककी चाल नहीं है ७४
९४ दत्तक विषय सात भागोंमें विभक्त है ७४
९५ पुरुष खुद या विधवा दत्तक ले सकती है ७४
९६ पुत्र या दत्तकपुत्रकी आज्ञासे दूसरा दत्तक लेना ७५
९७ एक वक्तमें केवल एकही लड़का गोद लिया जायगा ७६
९८ नाजायज़ दत्तक कभी जायज़ नहीं हो सकता ७६
९९ पुत्रके जाति च्युत होनेपर दत्तक ७६
१०० लड़केका लापता हो जाना ७७
१०१ जैनियोंमें हिन्दूलॉ माना जायगा ७७
१०२ क्वांरा या रंडुवा दत्तक ले सकता है ७७
१०३ अङ्ग भङ्ग पुरुष दत्तक ले सकता है ७७
१०४ दत्तकके समय इनबातोंका ध्यान रखना चाहिये ७८
१०५ गोदलेनेके समय जिसकी स्त्री गर्भवती हो ७८

दफा. विषय. पेज.
१०६ शूद्रोंमें विना प्रायश्चित्तके दत्तक लेना जायज़ है ९
१०७ उत्तराधिकार से च्युत पुरुष दत्तक ले सकता है ७९
१०८ कोढ़ीका दत्तक लेना ७९
१०९ पुत्रके अयोग्य होनेपर दत्तकलेना ७९
११० पुत्रके संसार त्यागनेपर दत्तक ८०
१११ अज्ञान (नाबालिग़) का गोद लेना ८०
११२ पतिकी ज़िंदगीमें पत्नी का गोद लेना ८२
११३ दत्तकके बदलेमें रुपया दिये जाने का असर ८२
११४ विभूति विदा कृत्य करके गोद लेना ८२
११५ चुदासामा गमेटे गरासियोंमें दत्तक ८२
११६ रंडियों और नाचने गानेवाली औरतों का गोद लेना ८२
११७ जब किसीकी जायदाद कोर्टस् आव् वार्ड्स् के ताबे हो ८३

(ख) विधवाका गोदलेना।

११८ विधवाके गोदलेनेमें स्कूलोंका मतभेद ८३
११९ नाबालिग़ पतिके लिये विधवा गोद ले सकती है ८५
१२० दत्तक पुत्रका कबसे अधिकार होगा ८५
१२१ नाबालिग़ विधवा दत्तक ले सकती है ८६
१२२ बंबईमें नाबालिग़ विधवाका दत्तक ८६
१२३ अनेक विधवाओंका दत्तक ८६
१२४ विधवाके गोदलेनेकी मियाद ८७
१२५ व्यभिचारिणी विधवा दत्तक नहीं ले सकती ८७
१२६ सूतकमें दत्तक लेना ८७
१२७ धमकी देकर गोद दिलानेका असर ८७
१२८ पुनर्विवाहित विधवाका दत्तक लेना ८८
१२९ अनेक लड़कोंका दत्तक लेना ८८
१३० पतिके मनाही करनेपर दत्तक ८८

गोदका अधिकार देनेकी रीति और असर।

१३१ गोदलेनेका अधिकार कैसे दिया जायगा ८८
दफा. विषय. पेज.
१३२ गोद लेनेका अधिकार किसे दिया जायगा ८९
१३३ कई विधवाओंको गोदलेनेका अधिकार देना ८९
१३४ अधिकार गर्भवतीको ९०
१३५ अधिकार ठीक तौरसे काममे लाया जायगा ९०
१३६ गोदका अनुचित अधिकार देना ९१
-भुवनमयी बनाम रामकिशोरका केस ९१
१३७ विधवाका गोद लेनेका अधिकार कब जाता रहेगा ९२

(ग) पतिकी आज्ञासे विधवाका दत्तक लेना।

१३८ पतिके लिये केवल विधवाही दत्तक ले सकती है ९३
१३९ विधवा मजबूर नहीं है ९३
१४० विधवा और दत्तक पुत्रका इक़रारनामा ९४
१४१ कुटुम्बका लड़का गोद लेना चाहिये ९५
१४२ पैदा होनेवाले पुत्रके लिये गोदकी आज्ञा ९५
-पेय्या पिलेका केस ९५

(घ) बिना आज्ञा पतिके विधवाका दत्तक लेना।

१४३ बिना आज्ञा पतिके विधवाका दत्तक ९६
१४४ बटे हुए कुटुम्बमें बिना आज्ञा पतिके दत्तक-लेना ९७
१४५ ससुरके मर जानेपर रज़ामंदी ९८
१४६ मदरासमें सपिण्डोंकी मंजूरी ज़रूरीहै ९९
१४७ बंबईप्रांतमें सपिण्डोंकी मंजूरी कब ली जायगी १००
१४८ बंबई और मदरासमें मनाही करने पर विधवा गोद नहीं ले सकती १०२
१४९ जैनियोंकी विधवाको पतिकी आज्ञा आवश्यक नहीं है १०२

दफा. विषय. पेज.
१५० पंजाबमें गोदलेनेके लिये पतिकी आज्ञा ज़रूरी नहीं है १०२

दूसरा भाग।

(२) कौन दत्तक दे सकता है ?

(क) दत्तक देनेके साधारण नियम।

१५१ धर्म शास्त्र और क़ानूनका विवेचन १०४
१५२ सगा या सम्बन्धी दत्तक नहीं दे सकता १०५
१५३ बाप और मा गोददेनेका अधिकार नहीं दे सकते १०६
१५४ अनाथ बालक गोद नहीं दिया जासकता १०६
१५५ बाप या माकी शर्तोंकी पाबंदी ज़रूरी है १०६

(ख) कौन लोग दत्तक देनेका अधिकार रखते हैं।

१५६ पिता १०७
१५७ माता १०७
१५८ भाई (मा या बापकी हैसियतसे) १०७
१५९ चाचा (बाप या माकी हैसियतसे) १०८
१६० अज्ञान (नाबालिग़) १०८
१६१ ब्रह्म समाजी १०८
१६२ हिन्दू राजपूत १०८
१६३ पुनर्विवाहिता माता १०९
१६४ विधवा माता १०९
१६५ कुष्ठी १०९

(ग) कौनलोग दत्तक देनेका अधिकार नहीं रखते।

१६६ सौतेली माता १०९
१६७ भाई १०९
१६८ दत्तक पिता या माता १०९
१६९ दादा १०९
१७० पत्नी १०९

दफा. विषय. पेज.

तीसरा भाग

(३) दत्तक कौन दिया जासकता है और कौन लिया जासकता है ?

(क) साधारण नियम।

१७१ दत्तक कौन होसकता है ११०
१७२ शौनक और अन्य आचार्य्योंकी राय ११०
१७३ जहांतकहो दत्तक सगोत्र सपिण्डमें लिया जाय ११२
१७४ अपनी जातिमें दत्तक लेना जायज़ है ११३
१७५ सपिण्ड और असपिण्ड ११५
१७६ सहोदर भाईका लड़का गोदलेनेमें श्रेष्ठ है ११८
१७७ दोहिता, भांजा आदिके गोदलेनेमें विवाद ११९
१७८ साला, सालेका बेटा आदि १२०
१७९ दत्तक पुत्रकी शारीरिक अयोग्यता १२०
१८० कितनी उमरका लड़का गोद लेना चाहिये १२०
–धर्म शास्त्रकारोंका मत १२०
१८१ दत्तक चन्द्रिकामें पांच वर्षकी क़ैद नहीं मानी गयी १२३
१८२ बंगाल स्कूलमें उमरकी क़ैद १२३
१८३ बनारस स्कूलमें उमरकी क़ैद १२३
१८४ बंबई स्कूल और गुजरातमें उमरकी क़ैद १२४
१८५ महाराष्ट्र स्कूलमें उमरकी क़ैद १२४
१८६ पंजाब में उमरकी क़ैद १२५
१८७ जैनियोंमें उमरकी क़ैद १२५
१८८ शूद्रोंमें उमरकी क़ैद १२५
१८९ गोदलेनेवालेसे दत्तक पुत्रकी उमर १२५
१९० एकलौते लड़केकी दत्तक १२५
१९१ दो पुरुष एकही लड़केको गोद नहीं लेसकते १२७

दफा. विषय. पेज.

(ख) कौन लड़के गोद हो सकते हैं ? या कौन गोदलिये जा सकते हैं ?

१९२ सगोत्र सपिण्ड, असपिण्ड, भिन्न गोत्रजसपिण्डका लड़का १२७
१९३ सौतेला भाई १२८
१९४ भाईका पुत्र १२८
१९५ भाईका पौत्र १२८
१९६ भाईकी लड़कीका लड़का १२८
१९७ लड़कीका लड़का (दोहिता) १२८
१९८ सौतेली लड़कीका लड़का १२९
१९९ वहनका लड़का १२९
२०० वहनका पोता १३०
२०१ वहनकी लड़कीका बेटा १३०
२०२ एकलौता लड़का १३०
२०३ विवाहा हुआ लड़का १३१
२०४ सौतेला पुत्र १३२
२०५ चाचाका पुत्र और पौत्र आदि १३२
२०६ जेठा पुत्र १३२
२०७ भांनजा (वहनका पुत्र) १३२
२०८ माकी वहनका पुत्र १३२
२०९ साला (पत्नीका भाई) १३२
२१० सालेका पुत्र १३२
२११ सालेका पोता १३३
२१२ सालीका बेटा (स्त्रीकी वहनका पुत्र) १३३
२१३ स्त्रीकी वहनकी लड़कीका लड़का १३३
२१४ बापकी वहनका पोता १३३
२१५ ब्राह्मोका पुत्र ब्राह्मो १३३
२१६ शूद्रोंमें ४०वर्षका विनब्याहा आदमी १३३
२१७ अपरचित पुत्र १३४
२१८ ऊंची जातियोंमें उपनयनके पहले १३४
२१९ शूद्रोंमें विवाहसे पहले १३४
२२० वेश्याका लड़की १३४

(ग) कौन लड़के गोद नहीं लिये जा सकते ?

२२१ पालक पुत्र १३४
२२२ पुत्रिका पुत्र १३५
२२३ अनाथ बालक १३५
२२४ सौतेला भाई १३५
२२५ भाई १३५
२२६ विवाहा हुआ लड़का १३५
२२७ स्वयं दत्त १३६
२२८ माकी वहनका लड़का १३६
२२९ जिस लड़केका उपनयन असली बाप के घर हो जाय १३६
२३० दत्तक पुत्र जो रुपया देकर लिया गया हो १३६
२३१ लड़कीका लड़का (दोहिता) १३७
२३२ वहनका लड़का १३७
२३३ सौतेली वहनकी बेटीका बेटा १३७
२३४ चाचा और मामा १३७
२३५ दत्तक पुत्रका दत्तक पिताके वंशमें दत्तक लेना १३७
२३६ दत्तक पुत्र १३७
२३७ शारीरिक या मानसिक अयोग्यता वाले लड़के १३७

चौथा भाग।

(४) दत्तक सम्बन्धी आवश्यक धर्म कृत्य क्या हैं ?

२३८ दत्तकमें आवश्यक कृत्य १३८
२३९ दत्तकमें कौन कृत्य सबसे ज़रूरी है १३८
२४० द्विजोंमें दत्तक हवन १३९
२४१ शूद्रोंके लिये दत्तक हवन ज़रूरी नहीं है १४१
२४२ मदरास प्रांतमें ब्राह्मणोंके दत्तकमें हवन ज़रूरी नहीं है १४१
२४३ सूतक या दूसरी अशुद्धतामें दत्तक १४२
२४४ दत्तक हवनके बारेमें फैसलोंपर विचार १४२
२४५ जान बूझकर दत्तककी रसम त्यागनेका फल १४३
२४६ वसीयतसे गोद और दानपत्र १४३

दफा. विषय. पेज.
२४७ पंजाब और जैनी १४३
२४८ लंकाद्वीपमें केशरका पानी १४४

दत्तक परिग्रह विधान।

२४९ दत्तक मुहूर्त और दत्तक लेनेकी विधि १४४

पांचवां भाग।

(५) दत्तक लेनेकी शहादत कैसी होना चाहिये?

२५० गोदलेना कैसे साबित किया जाय १५४
२५१ दत्तक होनेका अनुमान कब किया जायगा १५४
२५२ मिताक्षरास्कूलमें दत्तकका अनुमान १५५
२५३ कुटुम्बियोंके साथ दत्तक पुत्रके हिल मिल जानेका असर १५५
२५४ दत्तक पुत्रको अपने असली खानदानमें लौटनेकी रुकावटें १५७
२५५ दत्तक साबित होजानेका फैसला सबको पाबंद करेगा १५७

छठवां भाग।

(६) दत्तक लेनेका फल क्या है?

२५६ दत्तक पुत्र अपने असली कुटुम्बकी जायदादका वारिस नहीं होता १५८
२५७ असली कुटुम्बमें शादी नहीं कर सकता १५८
२५८ दत्तक पुत्र गोदलेनेवाले आदमीकी जायदादका वारिस होता है १५९
२५९ दत्तक पुत्र दादाके चचेरे भाईका तथा सपिण्डोंका वारिस होता है १५९
२६० दत्तक पुत्र नानाका वारिस होता है १५९
२६१ दत्तक पुत्र माके स्त्रीधन और संपत्तिका वारिस होता है १५९
दफा. विषय. पेज.
२६२ दत्तक पुत्र सौतेली माकी जायदादका वारिस नहीं होगा १६०
२६३ क्या दत्तक पुत्रकी निजकी जायदाद उसके साथ जायगी? १६०
२६४ गोदलेनेवाली मा और सौतेली माके अधिकार १६१
२६५ अनेक स्त्रियोंमें गोदलेनेका अधिकार एक स्त्रीको देना १६१
२६६ सौतेली मा सौतेले बेटेकी वारिस नहीं है १६२
२६७ सौतेली मा कौन कह लायेगी? सौतेला बेटा सौतेली माका वारिस न होगा १६२
२६८ द्व्यामुष्यायन दत्तकमें असली माताका हक़ १६२
२६९ जायदादमें दत्तक पुत्रका कितना भाग होगा १६३
२७० दत्तक लेनेके बाद यदि एक असली लड़का पैदा होजाय तो दत्तकको कितना हिस्सा मिलेगा? १६४
२७१ दत्तकके बाद जब असली लड़के एकसे ज्यादाहों तब दत्तकको कितना हिस्सा मिलेगा १६५
    १-बंगाल स्कूल १६५
    २-बनारस स्कूल १६५
    ३-मदरास स्कूल १६६
    ४-बंबई स्कूल १६७
२७२ शूद्रोंमें दत्तक पुत्र और असली लड़केके हक़ १६७
२७३ असली लड़केकी मौजूदगीमें दत्तक पुत्रके लड़केका हिस्सा १६७
२७४ शामिल शरीक कुटुम्बमें दत्तकका भाग १६७
२७५ मदरासमें दत्तक पुत्र असली लड़केका वारिस होताहै १६८
२७६ गोददेनेसे लड़का असली कुटुम्बसे खारिज होजाता है १६८
२७७ दत्तक पुत्रको असली कुटुम्बकी जायदादमें कब हिस्सा मिलेगा १६८

दफा. विषय. पेज.
२७८ जब ब्याहा या संतानवाला लड़का गोद लिया गयाहो तो उसके लड़केका हक़ १६८
२७९ इक़रार का असर जब नाबालिग़ पुत्रने गोद जानेसे पहले कियाहो १६९
२८० गोदलेनेसे पहले इक़रारका असर १६९

सातवाँ भाग।

(७) द्व्यामुष्यायन दत्तक और अन्य जरूरी बातें।

(क) द्व्यामुष्यायन दत्तक।

२८१ द्व्यामुष्यायन दत्तक १७०
२८२ द्व्यामुष्यायनकी रवाज नियोगसे चली है १७०
-अनेक आचार्य्योंके मत १७१
२८३ ऊपरके बचनोंका नतीजा १७५
२८४ क़ानूनमें द्व्यामुष्यायन कब मानाजाताहै १७६
२८५ द्व्यामुष्यायन और सादे दत्तकमें क्या फरक़ है १७६
२८६ अनित्य द्व्यामुष्यायन १७७
२८७ नम्बोदरी ब्राह्मणोंमें द्व्यामुष्यायन जायज़ है १७७
२८८ द्व्यामुष्यायनको कितना हिस्सा मिलेगा जब औरसपुत्र पैदाहोजाय १७७
२८९ द्व्यामुष्यायनके भाग जाननेका नक़शा १७८
२९० विभागका नतीजा १७९
२९१ पंजाबमें दत्तक पुत्र असली बापका धन पाताहै १७९
२९२ पांडीचरीमें दत्तक पुत्रको, बाप और भाईकी जायदाद मिलती है १७९

(ख) दत्तक सम्बन्धी अन्य ज़रूरी बातें।

२९३ दत्तक नाजायज़ होनेपर दत्तक पुत्रका बिरसा १८०
२९४ दत्तक पुत्रके बदलेमें रुपया लेनेका परिणाम १८०
२९५ नाजायज़ दत्तक पुत्रके हक़में दान पत्र या मृत्यु पत्र करनेका फल १८०
  १-दत्तक नाजायज़ होजानेसे दान पत्र नाजायज़ नहीं होगा १८०
  २-दत्तक पुत्रके हक़में किस सूरत में वसीयत जायज़ होगा १८१
  ३-उस लड़केके हक़में वसीयत जिसे वसीयत करनेवाला प्रेम करताहो १८१
  ४-वसीयतकी बुनियाद पर राजा साहबके मुक़द्दमेका फैसला १८१
  ५-उस लड़केके हक़में दानपत्र जिसके साथ उसका प्रेमहो १८१
  ६-वसीयत नामा कब नाजायज़ होगा १८२
  ७-जब गोदलेनेकी आज्ञाकई स्त्रियोंको दीगयीहो और सबने गोद लियाहो १८२
  ८-जब वसीयत या दानपत्र गोद लेनेसे पहले किया गयाहो १८२
  ९-किस सूरतमें विधवाको वसीयती जायदाद नहीं मिलेगी १८३
  १०-किन सूरतोंमें हिबानामा जायज़ होगा १८३
२९६ दत्तक पुत्र जायदाद वापिसले सकता है १८३
२९७ दत्तक लेनेसे विधवाका अधिकार घट जाता है १८४
२९८ अनेक विधवाओंमें बड़ी विधवा दत्तक लेसकती है १८४
२९९ पदोत्कर्ष वारिसका हक़ दत्तकसे नष्ट नहीं होता १८४
३०० राम किशोर बनाम भुवनमयीका मुक़द्दमा १८५
३०१ बद्रीदास बनाम रुकमाबाई का मुक़द्दमा १८६

दफा विषय. पेज.
३०२ विधवा अपने लिये लड़का गोद नहीं ले सकती १८६
३०३ वेश्या या नायकिन का लड़की दत्तक लेना १८७
३०४ पुरुष दत्तकमें लड़काही ले सकता है लड़की नहीं १८७

कृत्रिम दत्तक।

३०५ कृत्रिम पुत्रका दर्जा १८७
३०६ कृत्रिम के सम्बन्धमें धर्म शास्त्र कारोंका मत १८८
३०७ कृत्रिम दत्तक सब जगह नहीं माना जाता १८८
३०८ कृत्रिम दत्तक मिथिलामें माना जाता है १८८
३०९ कृत्रिम दत्तक और दत्तकमें क्या फरक़ है १८८
३१० मिथिलामें कृत्रिम दत्तक जायज़ है १८९
३११ कृत्रिम दत्तकके संबंधमें क़ानून और नज़ीरें देखो १८९
३१२ जफनाद्वीपमें कृत्रिमकी तरहका दत्तक १८९

इन्डियन् लिमीटेशन् एक्ट नं. ९ सन १९०८ ई० के अनुसार नालिशों की मियादें।

अर्थात्

अपने भावी हक़की रक्षाके लिये, या दत्तक मंसूख़ करा पानेके लिये; या दत्तक जायज़ क़रार दिये जानेके लिये या दत्तकके मुक़ाबिलेमें अथवा उससे जायदाद पानेके लिये नालिश करनेका विषय।

३१३ भावी हक़के रक्षित रखने के लिये नालिश हो सकती है १९०
३१४ दत्तक मंसूख़ करा पानेका दावा कब किया जायगा १९०
३१५ दत्तक मंसूख़ करा पानेका दावा ६ सालके अंदर होना चाहिये १९२
३१६ लिमीटेशन् एक्ट की दफा ११८ कावर्णन १९३
३१७ अनधिकारीके दत्तक लेनेमें यह दफा लागू नहीं होगी १९५
३१८ गोदमंसूख़ीका दावा जब गोद लेने वालेकी ज़िंदगीमें हो १९५
३१९ दत्तकपुत्र, अपनी दत्तक जायज़ क़रार दिये जानेकी नालिश कब कर सकता है १९६
३२० लिमीटेशन् एक्ट की दफा ११९ का मतलब १९६

अगर वाल वैश्योंकी उत्पत्ति।

३२१ मिस्टर, ए. ओ. ह्यूम साहबकीराय १९८

नाबालिग़ी और वलायत।

पांचवाँ—प्रकरण।

३२२ मियादमें मतभेद २०२
३२३ नाबालिग़ी की मियाद २०२
३२४ वलीहोनेका अधिकारी कौन हैं २०२
३२५ रिश्तेदार को वली होनेका पूर्ण अधिकार नहीं है २०३
३२६ बापको वली होनेका पूरा अधिकार है २०३
३२७ बाप मृत्यु पत्र द्वारा वली नियत कर सकता है २०३
३२८ मा मृत्युपत्र द्वारा वली नियत नहीं कर सकती २०३
३२९ मृत्यु पत्र द्वारा नियत किये हुये वलीका अधिकार २०३
३३० मिताक्षरा स्कूलके अंदर वलायत. २०४
३३१ छोटे बच्चेका भी बापही वली होगा २०४
३३२ नाबालिग़भी नाबालिग़का वली बन सकता है २०४

दफा विषय. पेज.
३३३ शामिल शरीक परिवारमें जायदाद की वलायत २०४
३३४ पत्नीका वली पति है २०५
३३५ मा शादी करनेसे, बाप दत्तक देनेसे वली नहीं रहते २०५
३३६ मज़हब बदलनेसे वलीकी स्थिति २०६
३३७ ईसाई बापका दावा लड़का दिला पानेका २०७
३३८ जातिच्युत हो जानेसे वलायत नहीं जाती २०७
३३९ मज़हब बदलनेसे धर्मशास्त्री हक़ चले जाते हैं। २०८
३४० अनौरस पुत्रका वली कौन होगा २०८
३४१ दत्तक पुत्रका वली कौन होगा २०८
३४२ कुदरती वलीका अधिकार २०८
३४३ क़र्ज़ाकी ज़रूरत साफ लिखी जाना जाहिये— २०९
—मेनेजरको ज़रूरत ठीक बताना होगा २०९
३४४ ब्याजकी शरह २०९
३४५ अदालतकी आज्ञानुसार जायदाद खरीद करनेमें २०९
३४६ मुद्दतरका जायदादमें वलीके अधिकार २०९
३४७ वली या मेनेजर जायदाद कब बेच सकता है २१०
३४८ ख़ानदानी ज़रूरतें क्या क्या हैं २११
३४९ मध्य भारत, राजपूताना, संयुक्त प्रांतका क़ायदा २१२
३५० बंबई और मदरासका क़ायदा २१२
३५१ अदालत न्यायकी तरफ ध्यान देगी २१३
३५२ गर्भावस्थामें बच्चेका हक़ २१३
३५३ पीछेकी मंजूरीसे पाबंदी २१३
३५४ साबित करना किस पक्षपर निर्भर है २१३
३५५ बापकी वसीयतसे जायदाद का बेचाजाना २१४
३५६ कुदरती वलीका मुआहिदा २१४
३५७ वली या मेनेजरका मुआहिदा २१४

दफा. विषय. पेज.
३५८ जो काम वली की हैसियतसे वली ने न कियाहो २१५
३५९ वलीकी तरफसे किसी क़र्ज़ेका मान लिया जाना २१६
३६० अज्ञानने अपनी उमर जब झूंठ बताई हो २१६
३६१ अज्ञानके मुक़द्दमेमें सुलह नामा २१७
३६२ कौन डिकरी नाबालिग़को पाबंद करेगी २१७
३६३ वलीकी ज़िम्मेदारी २१७
३६४ दौरान मुक़द्दमेमे अदालत वली नियत कर सकती है २१८

अनेक क़ानूनोंकी कुछ दफाओंका खुलासा।

गार्डियन् एन्ड वार्ड्स् एक्ट नं. ८ सन १८९० के अनुसार।

३६५ वली नियत करनेकी अर्ज़ीमें क्या लिखना चाहिये २१८
३६६ दौरान मुक़द्दमेमें अदालत वली नियत कर सकती हैं २१९
३६७ वली अमानती संबंध रखता है २१९
३६८ वलीकी तनख्वाह २२०
३६९ ज़ातके वली का कर्तव्य २२०
३७० जायदादके वलीका कर्तव्य २२०
३७१ वली किन बातोंसे ख़ारिज किया जायगा २२०

इन्डियन् कंट्राक्ट एक्ट नं० ९ स० १८७२ के अनुसार

३७२ अज्ञानकी जायदाद क़र्ज़ेकी कब ज़िम्मेदार होगी २२१
३७३ क़ानूनी ज़रूरतें यह भी होंगी २२१

इन्डियन् लिमीटेशन् एक्ट नं० ९ सं०१९०८ के अनुसार।

३७४ नाबालिग़ बयनामा या रेहननामा मंसूख़ीका दावा कब कर सकताहै २२२

दफा. विषय. पेज.
३७५ जब किसी दूसरे आदमीने, अज्ञान की जायदाद उसके हक़से हटा दी हो २२३
३७६ अज्ञानकी क़ानूनी अयोग्यता २२४
३७७ अर्ज़ी देना कहांतक लागू होगा २२४
३७८ जिस कामकी मियाद तीन सालसे कम हो २२५
३७९ प्रतिवादीके अज्ञान होनेसे दावा बंद नहीं होसकता २२५
३८० यह दफा कहांपर लागू नहीं होगी २२५
३८१ अज्ञानको दो तरहकी मियाद २२५
३८२ अगर अज्ञान मुद्दई दौरान मुक़द्दमें मे मरजाय २२६
३८३ अगर अज्ञान मुद्दालेह दौरान मुक़द्दमेमें मरजाय २२६

मुश्तरका खानदान ।

छठवाँ—प्रकरण

मिताक्षरालॉके अनुसार ।

३८४ हिन्दू ख़ानदान मुश्तरका होता है २२७
३८५ मुश्तरका ख़ानदानके मेम्बर २२७
३८६ अपनी पैदाइशसे कौन लोगं जायदादमें हक़ रखते हैं २२८
३८७ मुश्तरका ख़ानदानमें कौन आदमी होते हैं २२९
३८८ मेम्बरोंके हक़ २२९
३८९ मिताक्षरास्कूलके अनुसार मुश्तरका ख़ानदान २२९
३९० मुश्तरका ख़ानदान बनानेसे नहीं बनता २२९
३९१ मुश्तरका ख़ानदानकी शाखाएं २२९
३९२ मुश्तरका ख़ानदान कब टूट जाता है २३०
३९३ अलग रहनेसे मुश्तरका ख़ानदान नहीं टूटता २३०
३९४ कुलदेवता २३०
३९५ मुश्तरका ख़ानदानका सुबूत किसके ज़िम्मे होगा ? २३०

दफा. विषय. पेज.

कोपार्सनरी ।

३९६ कोपार्सनरी २३१
३९७ बार सुबूत उसपर होगा जो बटा हुआ ख़ानदान बयानकरे २३१
३९८ बटवारेके बाद मुश्तरका हो जाना २३२
३९९ कोपार्सनरी तीन पीढ़ीमें रहती है २३२
४०० आख़ीर मालिकसे तीन पीढ़ीमें कोपार्सनरी रहती है २३२

कोपार्सनर ।

४०१ कौनलोग कोपार्सनर हैं तथा कौन नहीं और उनके हक़ २३५
४०२ मिताक्षरा लॉके अनुसार कोपार्सनर २३७
४०३ अनौरस पुत्र २३७
४०४ मिताक्षरा लॉमें औरतें कोपार्सनर नहीं होतीं २३९
४०५ कोपार्सनर होनेके अयोग्य पुरुष २३९
४०६ अयोग्यताके साबित करनेका भार किसपर होगा २३९
४०७ मरा हुआ माना जायगा २४०
४०८ लड़केको हक़ कब नहीं मिलेगा २४०
४०९ अपना हिस्सा छोड़देना २४०
४१० कोपार्सनरके अधिकार २४०
४११ कोपार्सनरका मरना २४३
४१२ कोपार्सनरके मरनेसे मुश्तरका व्यापार नष्ट नहीं होता २४३

मुश्ततरका जायदाद ।

४१३ अप्रतिबंध और सप्रतिबंध वरासत २४४
४१४ अप्रतिबंध जायदादमें सरवाइवर शिप् होता है २४४
४१५ बंगाल स्कूलमें अप्रतिबंध जायदाद नहीं होती २४५
४१६ मुश्तरका जायदाद दो तरहकी होती है २४६
४१७ मुश्तरका जायदाद कौन कौन होती है ? २४६

दफ़ा. विषय. पेज.

अलहदा या खुद हासिलकी हुई जायदाद ।

४१८ अलहदा या खुद कमाई हुई जायदाद २५४
४१९ अलहदा कमाई २५५
४२० विद्वत्ताकी जायदाद २५५
४२१ बीमाका रुपया २५६
४२२ मुश्तरका जायदादके मामलेमें–अदालतका अनुमान २५७
४२३ अलहदा जायदाद पर अधिकार २५९
४२४ मुश्तरका कारोबार २५९
–(अ) कोपार्सनरोंके कारोबार का वर्णन २५९
–(क) कोपार्सनरोंके अधिकारका वर्णन २६१
४२५ मेनेजरके अधिकार २६३
४२६ मेनेजरको बटवारेके समय हिसाब देनेकी ज़िम्मेदारी २६५
४२७ मेनेजरका अधिकार मुश्तरका–ख़ानदानके लिये क़र्ज़ा लेनेका २६५
४२८ मुश्तरका ख़ानदानके कारोबारके मेनेजरके अधिकार २६६
४२९ मेनेजरके द्वारा मुश्तरका ख़ानदान की जायदादका इन्तक़ाल किया जाना २६७
४३० मुश्तरका ख़ानदानकी क़ानूनी ज़रूरतें २६८
४३१ मुश्तरका ख़ानदानकी ज़रूरतों का बार सुबूत २६९
४३२ पंचायत करनेके बारेमें मेनेजर का अधिकार २७०
४३३ मेनेजर द्वारा क़र्ज़ेका स्वीकार किया जाना २७०
४३४ अनेक कोपार्सनरोंमें किसी एकका अलहदा दावा करना २७१
४३५ मेनेजरका अदालतमें दावा करना २७१
४३६ दौराना मुक़द्दमेमें कोपार्सनरोंका फरीक़ बनाया जाना और मियाद २७२
४३७ सब कोपार्सनरोंका मुद्दई बनाया जाना २७४
४३८ सब कोपार्सनरोंका मुद्दालेह बनाया जाना २७४
४३९ मेनेजरपर डिकरी २७५
४४० बापके ज़ाती क़र्ज़ेकी डिकरी २७६
४४१ बापका किसी नाबालिग़के दावामें समझौता करलेना २७६

मुश्तरका जायदादका इन्तक़ाल ।

४४२ मुश्तरका जायदादका इन्तक़ाल कौन कर सकता है २७६
४४३ नाबालिग़ होनेकी सूरतमें मुश्तरका जायदाद कैसे ख़रीदी जाय २७७
४४४ बापके द्वारा मुश्तरका जायदादका इन्तक़ाल २७८
४४५ बचे हुए कोपार्सनरके द्वारा मुश्तरका जायदादका इन्तक़ाल २७८

मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादके लाभ अर्थात् मुनाफ़ेका इन्तक़ाल ।

४४६ मुश्तरका जायदादका दान या वसीयत द्वारा दान करना २७९
४४७ मुश्तरका जायदादका बेचना या रेहन करना २८०
४४८ जब बापने अपना क़र्ज़ा चुकानेके लिये जायदादका इन्तक़ाल किया हो २८०
४४९ अदालतकी डिकरीसे मुश्तरका जायदादका कुर्क़ और नीलाम होना २८१
४५० मुश्तरका जायदादके ख़रीदारके हक़ २८२
४५१ मुश्तरका जायदादका हिस्सा जिस आदमीकाबिक गयाहो उसकीस्थिति २८४
४५२ अगर कोपार्सनर अपना हिस्सा छोड़ दे २८४
४५३ दिवालिया कोपार्सनर २८५
४५४ मुश्तरका ख़ानदानके फर्मकादिवाला २८६

दफ़ा. विषय. पेज.

मुश्तरका जायदादका इन्तकाल मंसूख़ करना।

४५५ दान मंसूख़ करना २८६
४५६ बिक्री और रेहनका मंसूख़ करना २८६
४५७ मुश्तरका जायदादके इन्तक़ाल हो जानेपर कौन उज़ुर कर सकता है २८८
४५८ जायज़ इन्तक़ालके समय यदि गर्भमें भी पुत्र न हो तो हक़ नहीं है २८८
४५९ जायदादके इन्तक़ालके बाद यदि दत्तक लिया गया हो २८९
४६० माके गर्भमें रहते हुए पुत्रके अधिकार २८९

दायभागलॉ।

दायभागलॉके अनुसार कोपार्सनर और कोपार्सनरी जायदाद।

४६१ दायभागलॉके अनुसार मुश्तरका ख़ानदानकी ख़ास पहिचान २९०
४६२ लड़के अपनी पैदाइशसे कोई हक़ नहीं प्राप्त करते २९०
४६३ पैतृक जायदादके इन्तक़ाल करनेमें बापको पूरा अधिकार है. २९१
४६४ लड़के बापसे बटवारा नहीं करा-सकते और न हिसाब मांग सकते हैं २९१
४६५ दायभाग लॉके अनुसार पैतृक संपत्ति कौन है ? २९१
४६६ दायभागके अनुसारकोपार्सनर २९१
४६७ दायभाग लॉकी कोपार्सनरी जायदाद २९२
४६८ दायभागमें हर एक कोपार्सनर अपना हिस्सा लेता है २९२
४६९ दायभागमें सरवाइवरशिप् २९३
४७० कोपार्सनरका पूरा अधिकार २९३
४७१ अदालतकी डिकरीका असर २९३
४७२ मेनेजर दायभाग लॉका २९३
४७३ कोपार्सनरी जायदादका लाभ २९३
४७४ बटवारा करानेका अधिकार २९३
४७५ कोपार्सनरी जायदादमें अदालतका ख्याल २९३

पैतृक ऋण अर्थात् मौरूसी क़र्ज़ा।

सातवाँ—प्रकरण

४७६ पुत्रका कर्तव्य और ज़िम्मेदारी २९४
४७७ क़र्ज़ा देनेवालेका कर्तव्य २९५
४७८ अनुचित कामोंके क़र्ज़ेका पुत्र ज़िम्मेदार नहीं है २९६
४७९ सूद दिया जायगा २९७
४८० बापका अधिकार २९७
४८१ पहलेके क़र्ज़ोंके लिये रेहन २९८
४८२ जब लड़के फरीक़ न बनाये गयेहों तो क्या पावंदी है ३००
४८३ नीलामसे पुत्रके हक़का चला जाना ३०२
४८४ रुपये की डिकरी ३०३
४८५ बे क़ायदा नीलामसे पुत्रोंका हक़ रक्षित रहता है ३०४
४८६ बापके मरनेके बाद इजरा डिकरी ३०४
४८७ क़ानूनी प्रतिनिधि ३०४
४८८ पुत्रोंका हक़ कब चला जाता है ३०५
४८९ बार सुबूत ३०६
४९० ख़रीदारका कर्तव्य ३०६
४९१ पुत्रोंपर डिकरी ३०६
४९२ पुत्रोंपर बापके क़र्ज़ेकी साधारण ज़िम्मेदारी ३०७
४९३ बापकी ज़िंदगीमें पुत्र कहांतक ज़िम्मेदार हैं ३०७
४९४ ज़िंदा है या मरगया। ३०७

दफा. विषय. पेज.
४९५ पुत्रोंपर नालिश करनेकी मियाद ३०८
४९६ क़र्ज़े जिनका बोझ जायदाद पर नहीं पड़ता ३०८
४९७ बापके क़र्ज़का बोझा पुत्रकी जायदाद पर नहीं पड़ता ३०९
४९८ पैतृक ऋण देना जायदादही पर निर्भर नहीं है ३०९
४९९ दूसरे हिस्सेदार ज़िम्मेदार नहीं हैं ३१०
५०० क़र्ज़ा न चुकानेमें धर्मशास्त्रका मत ३१०

बेक़ानूनी या बुरे क़ामोंके वास्ते बापके लिये हुए क़र्ज़ोंके उदाहरण ।

५०१ बेक़ानूनी या बुरे कामोंके लिये बाप के क़र्ज़े ३११

बापके लिये हुए क़ानूनी क़र्ज़ोंके उदाहरण ।

५०२ बापके लिये हुए कानूनी क़र्ज़े ३१२

बटवारा ।

आठवां-प्रकरण

(१) बटवारेके साधारण नियम ।

५०३ बटवारा क्या है ३१६
५०४ बटवारा करवानेका कौन हक़दार है ३१७
५०५ बेटे, पोते, और परपोते के बटवारेका हक़ ३१८
५०६ स्त्रियोंके परस्पर बटवारा ३१९
५०७ नाबालिग़ कोपार्सनर ३२०
५०८ बटवारेके बाद लड़केका पैदा होना ३२१
५०९ दत्तकपुत्र ३२३
५१० अनौरस पुत्र ३२३
५११ ग़ैरहाज़िर कोपार्सनर ३२४
५१२ हिस्सेका ख़रीदार बटवारा करासकता है ३२४

(२) स्त्रियोंका अधिकार ।

५१३ बटवारेके समय पत्नीका अधिकार ३२४
५१४ बटवारेके समय माताका हिस्सा ३२६
५१५ बटवारेके समय दादीका हिस्सा ३२७
५१६ बटवारेके समय परदादीका हिस्सा ३२८
५१७ बटवारेके हिस्सेमें स्त्रीधनका मुजरा होना ३२८
५१८ कौन स्त्री बटवारेमे हिस्सा नहीं पाती ३२९
५१९ बिक्रीका असर हक़पर ३२९
५२० अधिकार कब काममें लाया जायगा ३२९

(३) कोपार्सनरोंके हिस्सोंके निश्चित करनेका क़ायदा ।

५२१ हिस्सोंके निश्चित करनेका सिद्धांत ३३०
५२२ क्या बाप कमती ज्यादा बटवारा कर सकता है ? ३३३
५२३ बटवारेके पहले अपना हिस्सा रेहन करना ३३३
५२४ कुछ कोपार्सनर बटवारा करें और कुछ शरीक रहें ३३४
५२५ भिन्न भिन्न माताओंके पुत्र ३३४

(४) बटवारे की जायदाद ।

५२६ किस चीज़का बटवारा हो सकता है और किसका नहीं ३३५
५२७ जो जायदाद स्वाभाविक तरहपर नहीं बट सकती ३३५

(५) अलहदगी और बटवारा ।

५२८ अलहदगी कैसे होती है ३३८
५२९ अलहदगीका सुबूत ३३९
५३० अधूरा बटवारा ३३९
५३१ बटवारेसे जो जायदाद छूट गयी हो ३४०
५३२ बटवारेमें इरादेका प्रश्न ३४०
५३३ हिस्सेका ख़रीदार ३४१
५३४ धर्मच्युत होनेसे कोपार्सनर नहीं रहता ३४२
५३५ बटवारेकी डिकरी ३४२
५३६ बटवारेका दावा ३४२
५३७ बटवारेकी जायदाद ३४३

दफा. विषय. पेज.
५३८ भिन्न भिन्न इलाकोंकी जायदाद ३४३
५३९ मुनाफेके हिसाबका दावा ३४३
५४० मुश्तरका ख़ानदानका क़र्ज़ आदि ३४४

(६) बटवारेके क़ानूनकी कुछ ज़रूरी दफाएं।

५४१ बटवारेके बजाय बिक्री ३४५
५४२ जब हिस्सेदार ख़रीदनेको तैय्यारहो ३४५
५४३ रहनेके मकानके हिस्सेके बटवारेका दावा ३४५
५४४ अयोग्य फरीक़ोंका स्थानापन्न ३४६
५४५ नीलाममें निश्चित मूल्य और हिस्सेदार की बोली ३४६
५४६ बिक्रीका ज़ाबता ३४६
५४७ डिकरी ३४६
५४८ आधा बटवारा आधी बिक्री ३४७
५४९ इस क़ानूनसे पहलेके मुक़द्दमे ३४७
५५० सरकारी मालगुज़ारी देनेवाली जायदाद का बटवारा ३४७
५५१ माल गुज़ारीके क़ानून ३४७

(७) बटे हुए कुटुम्बियोंका फिर शामिल होजाना।

५५२ फिर शामिल हो जाना ३४८

(८) बटवारा न हो सकनेवाली जायदादका उत्तराधिकार।

५५३ ज्येष्ठका हक़ सब जायदाद पानेका ३४९
५५४ न बट सकनेवाली जायदादके नियम ३४९
५५५ स्त्रियोंका वारिस होना ३५०
५५६ मिताक्षराकी ज्येष्ठ लाइन ३५०
५५७ प्राइमोजेनीचर का नियम ३५१

दफा. विषय. पेज.

रिक्थाधिकार अर्थात् उत्तराधिकार।

नवाँ-प्रकरण।

(१) साधारण नियम।

५५८ पारिभाषिक शब्दोंकी सूची ३५३
१—सरवाइ वरशिप् ३५३
२—रि वर्ज़नर वारिस ३५४
३—टेनेन्ट इन कामन् ३५४
४—ज्वाइन्ट टेनेन्ट ३५४
५—परकेपिटा ३५४
६—पर स्टिर्पेस् ३५४
७—लेटर्स् आव् एड मिनिस्ट्रेशन् ३५५
८—रिश्तेदार अर्थात संबंधियोंकी संज्ञा ३५५
५५९ उत्तराधिकार कैसी जायदादमें होता है ३५६
५६० वरासत दो तरहसे निश्चित की जाती है ३५६
५६१ मिताक्षरा लॉके अनुसार जायदाद कैसे पहुंचती है ३५६
५६२ दायभाग लॉके अनुसार जायदाद कैसे पहुंचती है ३५७
५६३ वारिस किस तरह निश्चित करना चाहिये ३५७
५६४ मर्द जायदादका पूरा मालिक होता है ३५८
५६५ बंगाल, बनारस, और मिथिला स्कूलमें कितनी औरतें वारिस मानी गयी हैं ३५८
५६६ उत्तराधिकारकी जायदादमें औरतों का हक़ महदूद रहता है ३५८
५६७ वरासतका हक़ फौरन पहुंच जाता है ३५९
५६८ बेटा, पोता, परपोतेका इकट्ठा हक़दार होना ३५९
५६९ उत्तराधिकारका हक़ किसीको नहीं दिया जासकता ३६१

दफा. विषय. पेज.

५७० मिताक्षरा स्कूलमें सरवाइवरशिप् चार वारिसोंमें होता है ३६२
५७१ दायभाग स्कूलमें सरवाइवरशिप् दो वारिसोंमें होता है ३६३
५७२ किन वारिसोंमें सरवाइवरशिप् नहीं लागू होता. ३६३

(२) मर्दोंका उत्तराधिकार मिताक्षरा लॉके अनुसार।

५७३ स्कूलोंके सबबसे उत्तराधिकार एकसां नहीं है ३६४
५७४ मिताक्षरा लॉके अनुसार जायदाद किसके पास जायगी ३६४
५७५ कौनसी जायदाद उत्तराधिकारके योग्य है ३६५
५७६ मिताक्षरा लॉके अनुसार उत्तराधिकार का सिद्धांत ३६६
५७७ मिताक्षरा, मनुके वचनानुसार उत्तराधिकार क़ायम करता है ३६६
५७८ उत्तराधिकार किस क्रमसे चलता है ३६६
५७९ सपिण्ड शब्दका अर्थ ३६६
५८० दो तरहके सपिण्ड ३६६
५८१ मिताक्षराके अनुसार गोत्रज सपिण्ड और भिन्न गोत्रज सपिण्ड ३६६
-दोनों सपिण्डोंका नक़शा ३६६(क)
५८२ सपिण्ड किसे कहते हैं ३६७
५८३ बापसे सातवीं, मासे पांचवीं पीढ़ी के बाद सपिण्ड नहीं रहता ३६८
५८४ सात दर्जेके सपिण्डोंका नक़शा ३६९
५८५ पिण्डदान और जल-दानके सपिण्ड ३६९
५८६ दोनों सपिण्डोंमें फरक़ नहीं है ३७०
५८७ सकुल्य किसे कहते हैं ? ३७०
५८८ समानोदक किसे कहते हैं ? ३७२
५८९ समानोदकोंका नक़शा ३७२(क)
५९० बन्धु किसे कहते हैं ३७३
५९१ गोत्रज सपिण्ड और भिन्न गोत्रज सपिण्ड में क्या भेद है ? ३७४
५९२ उत्तराधिकारमें सपिण्ड शब्दका संकेत अर्थ मानागया ३७४
५९३ तीन क़िस्मके वारिस जायदाद पाते हैं ३७४
५९४ सपिण्ड ३७४
५९५ सत्तावन दर्जेके सपिण्डोंका नक़शा ३७५
५९६ समानोदकोंकी संख्या निश्चित नहीं है ३७५
५९७ बन्धुओंकी संख्या निश्चित नहीं है ३७६
५९८ वरासत मिलनेका क्रम मिताक्षराके अनुसार ३७६
५९९ बनारस, मिथिला और मदरास स्कूल में वरासत मिलनेका क्रम ३७७
६०० गुजरात, बंबई द्वीप और उत्तरीय कोकनमें वरासत मिलनेका क्रम ३७८
६०१ बंबई प्रांतके दूसरे हिस्सोंमें वरासत मिलनेका क्रम ३७९
६०२ औरतोंकी क़ानूनी ज़रूरतें ३८०

(३) सपिण्डोंमें वरासत मिलनेका क्रम।

६०३ लड़के, पोते, परपोतेकी वरासत ३८२
-५ अनौरस पुत्र ३८४
६०४ विधवाकी वरासत ३८७
६०५ लड़की की वरासत ३९१
६०६ लड़कीके लड़केकी वरासत ३९७
६०७ माताकी वरासत ३९९
६०८ बापकी वरासत ४०१
६०९ भाईकी वरासत ४०१
६१० भाईके लड़केकी वरासत ४०२
६११ भाईके पोतेकी वरासत ४०२
६१२ बापकी मा (दादी) की वरासत ४०३
६१३ बापके बाप (दादा) की वरासत ४०४
६१४ बापका भाई (चाचा-पितृव्य) ४०४
६१५ बापके भाईके लड़केकी वरासत ४०४
६१६ बापके भाईके पोतेकी वरासत (चाचाका पोता) ४०५
६१७ परदादी (बापके बापकी मा) की वरासत ४०५

दफा. विषय. पेज.
६१८ परदादाकी वरासत (प्रपितामह) ४०५
६१९ दादाके भाईकी वरासत (पितामह का भाई) ४०५
६२० दादाके भतीजेकी वरासत (पितामह के भाईका लड़का) ४०६
६२१ दादाके भाईके पोतेकी वरासत ४०६
६२२ दूसरे सपिण्ड वारिस ४०६
६२३ सपिण्डोंकी वरासतका पहला सिद्धांत ४०७
६२४ पहले सिद्धांतका नक़शा ४०८
-प्रायः आजकल यही माना जाता है ४०९
६२५ पहले सिद्धांत पर इलाहाबाद हाईकोर्टका मशहूर मुक़द्दमा ४१०
६२६ सपिण्डोंकी वरासतका दूसरा सिद्धांत ४१३
६२७ दूसरे सिद्धान्तका नक़शा ४१४
६२८ सपिण्डोंकी वरासतका तीसरा सिद्धान्त ४१४
६२९ तीसरे सिद्धांतका नक़शा ४१५
६३० तीनों सिद्धान्तोंका फरक़ ४१६

(४) समानोदकोंमें वरासत मिलनेका क्रम ।

६३१ समानोदकोंमें उत्तराधिकारका क्रम ४१७
६३२ समानोदकोंका नक़शा ४१८(क)

(५) बन्धुओंमें वरासत मिलनेका क्रम ।

६३३ बन्धु किसे कहते हैं ४१९
६३४ मिताराक्षके बन्धु ४१९
६३५ बन्धुओंके क्रमके सिद्धांत ४२०
६३६ बन्धुओंका सामान्य सिद्धांत बंगाल स्कूलके अनुसार ४२०
६३७ बंगाल स्कूलके अनुसार कलकत्ता हाइकोर्टकी राय ४२१
६३८ मिताक्षरास्कूलके अनुसार बन्धु ४२४
६३९ बन्धुओंके नक़शे मिताक्षरालों के अनुसार ४२९
-बन्धुका नक़शा नं० १ ४३०
-बन्धुका नक़शा नं० २ ४३१
-बन्धुका नक़शा नं० ३ ४३२
-बन्धुका नक़शा नं० ४ ४३३
६४० बंबईमें कौन कौन औरतें बन्धु मानी गयी हैं ४३३
६४१ मदरासमें कौन कौन औरतें बन्धु मानी गयी हैं ४३४

(६) क़ानूनी वारिस न होनेपर उत्तराधिकार ।

६४२ जब कोई वारिस न हो तो जायदाद कहां जायगी ? ४३४
-आचार्य्योंकी राय व फैसले ४३५
-साधुकी जायदाद ४३६
-संन्यासी या यति ४३७
-गोसाईं ४३७
-भिखमंगे ४३८

(७) औरतोंकी वरासत ।

६४३ बंगाल, बनारस, मिथिलास्कूलमें पांच औरतें वारिस मानी गयी हैं ४३८
६४४ बंबई और मदरासस्कूलमें अधिक औरतें वारिस मानी गयी हैं ४३९
६४५ बंबई प्रांतमें कौन स्त्रियां वारिस होती हैं ४३९
६४६ गोत्रजसपिण्ड और सगोत्रसपिण्डमें क्या फ़रक़ है ४४०
६४७ बंबई प्रांतमें गोत्रजसपिण्डोंकी विधवाएं वारिस होती हैं ४४०
६४८ विधवाओंका क्रम पतियोंके अनुसार होगा ४४१
६४९ मदरासप्रांतमें गोत्रजसपिण्डोंकी विधवाएं वारिस नहीं मानी जातीं ४४१

(८) मौरूसी ज़मीन आदिका उत्तराधिकार ।

६५० मौरूसी ज़मीन आदिका उत्तराधिकार ४४१
-असामी साक़ितुल्मिलिकियत ४४२

दफ़ा. विषय. पेज.
–असामी दख़ीलकार (मौरूसी काश्तकार) ४४२
–असामी ग़ैर दख़ीलकार ४४३
–तीनों असामियोंकी वरासतका क्रम ४४३
–ठेकेदार ४४४
–साझीदार ४४४
–भाई ४४५
–लड़कीका लड़का ४४५

(९) उत्तराधिकारसे बंचित वारिस ।

६५१ व्यभिचारिणी विधवा ४४७
६५२ विधवाका पुनर्विवाह ४४९
६५३ शारीरिक अयोग्यता ४४९
१–धर्मशास्त्रकारोंके मत ४४९
२–क़ानूनी फ़ैसलोंका सारांश ४५१
६५४ अयोग्यताका असर ४५३
६५५ अयोग्यता चली जानेपर ४५३
६५६ स्त्रीधन ४५४
६५७ बंबईमें अयोग्य पुरुषकी स्त्री ४५४
६५८ हत्यारा वारिस ४५४
६५९ धर्म या जातिसे च्युत ४५४
६६० संसार त्याग ४५५
–क़ानूनी फ़क़ीर, या साधुसंत ४५५
–सन्यासी या बैरागी ४५५
६६१ बार सुबूत ४५६
६६२ वारिस अपना हक़ छोड़ सकता है ४५६

रिवर्ज़नर और उनके अधिकार।

दसवां–प्रकरण ।

६६३ जायदादमें रिवर्ज़नरका स्वार्थ ४५७
६६४ सीमाबद्ध स्त्रीके इन्तक़ालकी मंसूख़ीका दावा ४५८
६६५ जायदादको बरबादीसे रोकनेका दावा ४५९
६६६ रिवर्ज़नरके दावा करनेपर अदालत कब डिकरी देगी ४५९
६६७ रिवर्ज़नरके दावा करनेकी मियाद ४६०
दफ़ा. विषय. पेज.
६६८ रिवर्ज़नरके दावा करनेका अधिकार ४६१
६६९ जायदादके संबंधमें ग़फलत ४६१
६७० सीमाबद्ध मालिकको बेदख़ल करनेका हक़ ४६१
६७१ रिवर्ज़नरके पीछेवाले रिवर्ज़नर ४६२
६७२ रिवर्ज़नरके बादवाले रिवर्ज़रके दावाकी मियाद ४६३
६७३ रिवर्ज़नर कब आपत्ति कर सकता है ४६३
६७४ रिवर्ज़नरके अधिकार ४६३
६७५ क़ब्ज़ा पानेकी नालिशकी मियाद ४६४
६७६ इंतक़ालके जायज़ और नाजायज़ होनेका सुबूत ४६४
६७७ जब क़ानूनी ज़रूरतका कुछ हिस्सा साबित किया जाय ४६५
६७८ इंतक़ालके ख़ारिज होनेपर क़र्ज़की अदायगी ४६६
६७९ सरकारका अधिकार ४६६
६८० सीमाबद्ध मालिकके कामोंपर कौन आपत्ति कर सकता है ४६६
६८१ विचाराधीन मुक़द्दमे ४६६

वरासतसे मिली हुई जायदादपर स्त्रियोंका अधिकार।

ग्यारहवां–प्रकाण ।

६८२ वारिसकी हैसियतसे स्त्रियोंका अधिकार महदूद है ४६७
६८३ बंबईप्रांतमें वरासतसे मिली हुई जायदादपर स्त्रियोंके अधिकार ४६८
६८४ क्वारी लड़की ४६९
६८५ जैन विधवा ४६९
६८६ मनकूला जायदादपर विधवाका कैसा अधिकार है ४७०
६८७ वसीयत ज़बानी जायज़ है लिखित नहीं ४७१
६८८ बटवारेसे मिली हुई जायदाद ४७१

दफ़ा. विषय. पेज.
६८९ जायदादपर स्त्रीके अधिकारकी समस्या ४७१
६९० विधवाका क़र्ज़ा रिवर्ज़नरको पाबंद नहीं करता ४७१
६९१ विधवाके कामोंमें दख़ल ४७२
६९२ एकसे अधिक विधवाएं ४७३
६९३ जायदादमें इज़ाफ़ा ४७३
६९४ जायदादकी आमदनीपर अधिकार ४७४
६९५ भरण पोषणके ख़र्चसे बची हुई रक़म ४७४
६९६ विधवाकी ख़रीदी जायदाद ४७४
६९७ पट्टे ४७४
—खान ४७४
६९८ सीमाबद्ध स्त्री मालिक की जायदाद का इन्तक़ाल जीवन भरके लिये ४७४
६९९ डिकरी द्वारा कुर्क़ी ४७५
७०० विधवा आदि कब जायदादका इन्तक़ाल कर सकती हैं ४७५
७०१ ख़रीदार या रेहन रखनेवालेके कर्तव्य तथा बार सुबूत ४७६
७०२ ज़रूरत का दबाव ४७६
७०३ संपूर्ण जायदादके इन्तक़ालका अधिकार ४७६
७०४ ख़ानदानी कारोबार ४७६
७०५ एक पतिकी दो विधवाएं ४७७
७०६ क़ानूनी ज़रूरतें कौन हैं ? ४७७
१—धार्मिक कृत्यें ४७७
२—क़र्ज़ा अदा करना ४७८
३—सरकारी मालगुज़ारी आदि ४७८
४—ख़र्च ४७८
५—मरम्मत आदिके ख़र्च ४७९
६—भरण पोषणका ख़र्च ४७९
७—बेटीका ब्याह ४७९
७०७ कहांतक अधिकार काममें लाये जा सकते हैं ४७९
७०८ इन्तक़ालके लिये रिवर्ज़नर की मंज़ूरी ४८०
७०९ मंज़ूरी देनेका तरीक़ा ४८१
७१० अगर कोई स्त्री जायदादका अपना हक़ रिवर्ज़नर को देदे ४८१
७११ संसार त्यागने वाली स्त्रीका हक़ चला जाता है ४८२
दफ़ा. विषय. पेज.
७१२ वसीयतके अनुसार अधिकार ४८२
७१३ अदालतसे मिला हुआ अधिकार ४८२
७१४ वह क़र्ज़ जो जायदादपर न लिये गये हों ४८२
७१५ अदालतके फ़ैसलेसे जायदादकी पाबंदी ४८३
७१६ जायदादके वापिस लेनेका दावा ४८३
७१७ रिवर्ज़नर डिकरीके पाबंद होंगे ४८३
७१८ समझौता ४८४
७१९ रिवर्ज़नरको फ़रीक़ बनाया जाना ४८४
७२० मुक़द्दमेका ख़र्च ४८४
७२१ डिकरीमें नीलाम ४८४

भरण-पोषण।

बारहवाँ—प्रकरण।

७२२ कौन लोग भरण पोषणका ख़र्च पानेके अधिकारी हैं ४८६
१—पुत्र ४८६
२—अनौरस पुत्र ४८६
३—लड़की ४८६
४—पत्नी ४८६
५—बिठलाई हुई औरत ४८७
६—विधवा ४८७
७—माता ४८७
८—पुत्र वधू ४८७
९-बिन ब्याही बहन ४८७
१०-उत्तराधिकारसे वंचित वारिस ४८७
११-सौतेली माता ४८७
७२३ पत्नीके भरण पोषणका ख़र्च ४८७
-निर्धन पति पर दावा ४८८
-धर्मच्युत पति ४८८
-वैवाहिक संबंध टूटना ४८८
-वरासतसे वंचित पति ४८८
-रहनेका स्थान ४८८
-अधिकार छोड़ना ४८८
-हक़ नष्ट होजाना ४८९
७२४ पत्नीके भरण पोषणके ख़र्चकी रक़म ४८९
७२५ विधवाके भरण पोषणका ख़र्च ४८९
-अगर सरकारने जायदाद ज़ब्त की हो ४८९

दफा. विषय. पेज.

- ७२६ विधवा माता और पुत्रवधू ४९०
- ७२७ विधवाका निवासस्थान ४९१
- ७२८ विधवाके हक़का नष्ट होना ४९२
- ७२९ विधवाके भरण पोषणके ख़र्चकी रक़म ४९३
- ७३० अन्य लोगोंके भरण पोषणके ख़र्च की रक़म ४९३
- ७३१ भूखे मरनेसे बचानेका ख़र्च ४९३
  - -विधवाको व्यभिचार छोड़ने पर ४९३
- ७३२ बार सुबूत ४९४
- ७३३ बिठलाई हुई स्त्रीका भरण पोषण ४९५
- ७३४ भरण पोषण मांगनेवालेके पास जायदाद होना ४९५
- ७३५ विधवाकी अन्त्येष्टीका ख़र्च ४९६
- ७३६ ख़र्चकी रक़ममें अदालतका कर्तव्य ४९६
- ७३७ ख़र्च घटाया और बढ़ाया जायगा ४९६
- ७३८ हक़का इन्तक़ाल नहीं होसकता ४९७
- ७३९ जायदादके इन्तक़ालसे हक़का मारा जाना ४९७
  - १-निश्चित हक़ नहीं मारा जायगा ४९७
  - २-दान या वसीयत ४९७
- ७४० जायदाद पर भरण पोषणके ख़र्चका बोझ ४९८
  - १-क़र्ज़ा पहले चुकाया जायगा ४९८
  - २-जायदाद पर बोझ कब नहीं है ४९८
- ७४१ मुश्तरका ख़ानदान पर भरण पोषण के ख़र्चकी डिकरी ४९८
- ७४२ विधवाका वसीयत पर आपत्ति करना ४९९
- ७४३ जायदादका इन्तक़ाल ४९९
  - १-ख़रीदार पाबंद होगा ४९९
  - २-ख़रीदारकी पाबंदी ४९९
  - ३-ख़रीदारकी नीयतका असर ५००
  - ४-सूचना न मिलनेसे पाबंदी नहीं है ५००
- ७४४ दौरान मुक़द्दमेमें जायदादका इन्तक़ाल ५००
- ७४५ विधवाके क़ब्ज़ेकी जायदाद ५०१
- ७४६ जायदादकी बिक्रीके समय पर विधवाका हक़ ५०१
- ७४७ भरण पोषणके दावाका हक़ कब पैदा होता है ५०१

दफा. विषय. पेज.

- ७४८ भरण पोषणका दावा ५०१
- ७४९ फरीक़ मुक़द्दमा ५०२
- ७५० भरण पोषणके दावेमें तमादी ५०२
- ७५१ फौजदारी अदालतमें भरण-पोषण का दावा ५०२

स्त्री-धन ।

तेरहवां-प्रकरण ।

(१) स्त्री-धन ।

- ७५२ स्त्रीधन शब्दका अर्थ ५०३
- ७५३ स्त्रीधन क्या है ? ५०४
- ७५४ स्त्रीधनका बार सुबूत ५०५
- ७५५ स्त्रीधन कितने तरहका है ५०५
  - १-विवाहके समय प्राप्त धन—यौतक ५०५
  - २-शुल्क ५०६
  - ३-आधिवेदनिक ५०७
  - ४-अन्वाध्येयक ५०७
  - ५-भरणपोषणके लिये दी हुई जायदाद ५०७
  - ६-कारेपनका धन ५०७
  - ७-प्रीति दत्त ५०७
  - ८-कुटुम्बी या दूसरोंसे मिली हुई भेंट ५०८
  - ९-सरकारसे प्राप्त धन ५०८
  - १०-खुद कमाया धन ५०८
  - ११-उत्तराधिकारसे प्राप्त धन ५०८
  - १२-अपने धनसे ली हुई जायदाद आदि ५०९
  - १३-क़ब्ज़ा मुख़ालिफ़ानाकी जायदाद ५०९
  - १४-सौदायिक धन ५०९
- ७५६ स्त्रीधनके ख़र्च करनेका अधिकार ५१०
- ७५७ स्थावर जायदादका दान ५१०
- ७५८ अदालत क्या मानेगी ५१०
- ७५९ पतिके अधीन कौन जायदाद है ५११
- ७६० स्त्रीधनपर पतिका अधिकार ५११
- ७६१ स्त्रीधनपर विधवाका अधिकार ५१२

(२) स्त्री-धनकी वरासत ।

- ७६२ स्त्रीधनकी वरासतका सिद्धांत ५१२

दफा. विषय. पेज.

बिनब्याही लड़कीके स्त्रीधनकी वरासतका क्रम ।

७६३ कारी स्त्रीका स्त्रीधन ५१२
७६४ भावी वरकी दी हुई भेंटें ५१३

विवाहिता स्त्रीके स्त्रीधनकी वरासतका क्रम ।

(संतानवाली स्त्रीकी जायदादकी वरासत)

७६५ मिताक्षराके अनुसार स्त्रीधनकी वरासत ५१४
—विना संतानवाली स्त्रीके स्त्रीधनकी वरासत ५१६

स्कूलोंके अनुसार स्त्रीधनकीवरासत

७६६ बनारसस्कूल ५१७
७६७ मिथिला स्कूल ५१७
७६८ बंबई स्कूल ५१८
७६९ मदरास स्कूल ५२०
७७० बंगाल स्कूल ५२१
७७१ देवदासी और वेश्या तथा रंडीका स्त्रीधन ५२३
— नट,बेडिये आदि कौमोंकी स्त्रियोंका ५२४
७७२ अनौरस संतान ५२४
७७३ लावारिस स्त्रीधन ५२४

बेनामीका मामला ।

चौदहवां-प्रकरण

७७४ बेनामी किसे कहते हैं ५२५
७७५ असली मालिकके हक़ पर विचार ५२५
७७६ बार सुबूत ५२६
७७७ कितनी सूरतोंमें बेनामी मामला रद्द नहीं होगा ५२७
७७८ असली मालिक पाबंद रहेगा ५३०
७७९ बेनामीदारके दावा करनेका हक़ ५३१

दामदुपटका क़ानून ।

पंद्रहवाँ-प्रकरण

७८० दामदुपट किसे कहते हैं ५३२

दफा. विषय. पेज.
७८१ कहांपर दामदुपट माना जायगा ५३
७८२ दामदुपटमें मियादका क़ानून ५३
७८३ जहांपर मूलधनका कोई भाग अदा किया गयाहो ५३३
७८४ पीछेके इक़रारसे ब्याजका मूलधन होना ५३३
७८५ मुक़द्दमा दायर करनेके पश्चात् दामदुपट लागू नहीं होता ५३४
७८६ दामदुपट इनफिक़ाक़ रेहनसे भी लागू होगा ५३४
७८७ कौन आदमी दामदुपटका हक़ रखते हैं ५३४
७८८ कैसे क़र्ज़ेमें दामदुपट लागू होगा ५३५

दान और मृत्युपत्र

अर्थात्

हिबा और वसीयत ।

सोलहवां-प्रकरण

दान ।

७८९ दान शब्दकी उत्पत्ति और व्याख्या ५३७
७९० धर्म शास्त्रमें चार प्रकारके दान ५३७
७९१ लिखत नहीं बल्कि क़ब्ज़ा ज़रूरी है ५३८
७९२ दानदेनेका अधिकारी कौन है ५३८
७९३ दानदेनेका अधिकारी कौन नहीं है ५३९
७९४ दान लेनेका अधिकारी कौन है ५३९
७९५ क़ब्ज़ा होजाना अत्यावश्यक है ५३९
७९६ पतिका दान अपनी पत्नीको ५४१
७९७ दान मुश्तरका खानदानके मेम्बरोंको ५४२
७९८ मृत्युके समय दान ५४२
७९९ दानमें कौनचीज़ नहीं दी जासकती ५४३
८०० दानका मंसूख होना ५४३

मृत्युपत्र-वसीयत ।

८०१ वसीयतकी व्याख्या ५४५
८०२ दान या वसीयत कौन करसकता है ५४६
८०३ वसीयत लिखनेका क़ायदा ५४६
८०४ कैसी लिखतें वसीयत मानी जायंगी ५४७

दफा. विषय. पेज.

८०५ वसीयतनामेमें अर्थ लगाना ५४८
८०६ उत्तराधिकारसे वंचित करना ५४९
८०७ वसीयत और दानके सिद्धांतों पर टगोर केस ५४९
१—मानलेनाकि वसीयतके द्वारा हक़ दिया गया ५४९
२—कोई आदमी क़ानून नहीं बदल सकता ५५०
३—अनुचित शर्तें ५५०
४—भावी संतानके लिये वसीयत ५५०
५—उचित उद्देशके लियेही ट्रस्ट जायज है ५५२
६—सीमाबद्ध दान ५५२
८०८ जायदादकी आमदनी जमा होना ५५२
८०९ वसीयतके शब्द और वाक्यों पर विचार ५५४
८१० हिन्दू वसीयतका क़ानूनी सम्बन्ध ५५६
८११ वसीयत मुश्तरका खानदानके मेम्बरको ५५६
८१२ वसीयतकी मंसूखी ५५७
८१३ इन्डियन् सकुसेशन् एक्ट ५५८
८१४ मालाबार लॉ ५५८
—अलिया संतान लॉ ५५८

प्रोबेट

८१५ प्रोबेट ५५८
८१६ प्रोबेट मिलनेकी दरख्वास्तमें क्या लिखना चाहिये ५५९

धार्मिक और खैराती धर्मादे।

सत्रहवां—प्रकरण

८१७ धर्मादोंका उद्देश ५६०
८१८ धर्मादा किस तरह क़ायम करना चाहिये ५६०
८१९ मियाद नहीं हो सकती ५६१
८२० धर्मादा क़ायम करनेवाला ५६२
८२१ सार्वजनिक आरामका हक़ ५६२
८२२ किसी मुद्दतके बाद धर्मादा क़ायम करना ५६३
८२३ सार्वजनिक और निजके धर्मादे का भेद ५६३

दफा. विषय. पेज.

८२४ जायदादपर बोझ ५६३
८२५ धर्मादेका निश्चित होना अत्यावश्यक है ५६४
८२६ निम्न हालतोंके दान निश्चत होनेसे जायज़ माने गये ५६४
१—खैरात ५६४
२—खैरातके कामके लिये दान मुश्तरका मेम्बरोंका ५६४
३—शिक्षाकी संस्था ५६४
४—ग़रीब हिंदुओंको भोजन ५६५
५—चिकित्सालय, अस्पताल ५६५
६—ग़रीब रिश्तेदार ५६५
७—सदावर्त ५६५
८—शिवमंदिर या विष्णु मंदिर ५६५
९—मंदिर ५६५
१०—कालीदेवी की पूजा ५६६
११—श्राद्ध ५६६
१२—शिवरात्रि ५६६
१३—अन्नक्षेत्र ५६६
१४—पूजा ५६६
८२७ निम्न लिखित हालतोंके दान अनिश्चित होनेसे नाजायज़ माने गये ५६६
१—धर्म ५६६
२—सार्वजनिक या ख़ैरातके लिये ५६७
३—अच्छे काम या सत्कर्म ५६७
४—धर्मादेके लिये ५६७
५—ख़ास और उचित काम ५६७
६—वसीयत करनेवालेकी पसंद ५६७
७—अपनी संतानके लाभके लिये ५६७
८—हमारे ठाकुर द्वारेके ठाकुर जीके लिये ५६८
८२८ धर्मादा असली होना चाहिये ५६८
८२९ धर्मादेका सुबूत ५६९
८३० अदालत व्यवस्था निश्चित करेगी ५६९
८३१ धर्मादा कभी ख़ारिज़ नहीं हो सकता ५७०
८३२ मंदिर और मठ ५७०
८३३ देवपूजाका धर्मादा ५७०
८३४ देवताका मालिकाना हक़ ५७१
८३५ खण्डित या खोई हुयी मूर्ति ५७१
८३६ घरेलू धर्मादा ५७१
८३७ मठ ५७२

दफा विषय. पेज.
८३८ महंतके अधिकार ५७२
८३९ महंतका आमदनीपर अधिकार ५७३
८४० महंतका पागल होजाना ५७३
८४१ साधु होना ज़रूरी नहीं है ५७३
८४२ निजकी जायदाद ५७३
८४३ महंतकी नियुक्ति और वरासत ५७४
८४४ इन्तक़ाल ५७५

ट्रूस्टी, मेनेजर, शिवायत या पुजारी और महंत आदिके कर्तव्य और अधिकार।

८४५ ट्रूस्ट ५७५
८४६ स्त्रियां मेनेजर होसकती हैं ५७५
८४७ धर्मादेके स्थापकका ट्रूस्टी होना ५७६
८४८ ख़ानदानी देवमूर्तिको ख़र्च न मिलेगा ५७६
८४९ शिवायत ५७६
८५० मूर्तिके चढ़ावेका हक़ ५७६
८५१ क़ब्ज़ा और प्रबंधका अधिकार ५७७
८५२ मेनेजरका ख़र्च और हैसियत ५७७
८५३ प्राचीन रवाज क़ायम रहनाज़रूरी है ५७७
८५४ बहुमत माना जायगा ५७७
८५५ आमदनीका ख़र्च ५७८
८५६ हिसाब ५७८
८५७ मंदिरके संप्रदाय ५७८
८५८ मेनेजर, शिवायत, और महंत आदिके अधिकार ५७८
८५९ मुक़द्दमेके फरीक़ ५८१
८६० क़ानूनी कामकी पावंदी ५८१
८६१ दावाकी मुद्दत ५८१
८६२ हक़ मुख़ालिफ़ाना ५८१

ट्रूस्ट और धर्मादेकी जायदादके प्रबंध आदिका उत्तराधिकार।

८६३ शर्तें ५८१
८६४ मेनेजर ५८२
८६५ धर्मादेके स्थापकका हक़ ५८३

इन्तक़ाल।

८६६ देवोत्तर जायदादका इन्तक़ाल ५८३
८६७ बार सुबूत ५८५
८६८ इन्तक़ालके नियम ५८५
८६९ ख़ानदानकी देवमूर्तिके धर्मादेका परिवर्तन ५८५
८७० कुर्की और नीलाम ५८६
८७१ मुश्तरका ख़ानदानमें बटवारा ५८६

दावा दायर करनेका हक़ और ट्रूस्ट तथा धर्मादे संबंधी ज़रूरी क़ानूनी बातें।

८७२ अदालतोंका अधिकार ५८७
८७३ ट्रूस्ट भंग करनेके कारण अदालत में दावा ५८८
८७४ सार्वजनिक धर्मादेके दावेमें ज़ाबता दीवानीकी दफा ९२ का असर ५८८
८७५ ट्रूस्टी आदिके हटानेका अधिकार ५९०
८७६ हटाये जानेका कारण ५९१
८७७ हटाये हुए मेनेजरकी जगह पर दूसरा आदमी ५९१
८७८ ख़ैराती और धार्मिक धर्मादोंकी देखरेख तथा व्यवस्था ५९१
८७९ धार्मिक धर्मादेका क़ानून ५९३
८८० सार्वजनिक धर्मादा ५९३
८८१ धार्मिक ट्रूस्ट जायदादका इन्तक़ाल ५९३
८८२ ट्रूस्ट आदिका हक़. अधिकार और ज़िम्मेदारी ५९४
८८३ कमेटीकी नियुक्ति ५९४
८८४ कमेटीके मेम्बर कैसे होना चाहिये ५९४
८८५ मेम्बर स्थायी होगा ५९५
८८६ मेम्बरके ख़ाली स्थानकी पूर्ति ५९५
८८७ कोई मेम्बर ट्रूस्टी नहीं होसकता ५९५
८८८ कमेटीके अधिकार ५९५
८८९ आदमनी और ख़र्चका हिसाब ५९६
८९० प्रत्येक आदमी कब दावाकर सकता है ५९७
८९१ कैसे लाभके लिये दावा किया जा सकता है ५९८
८९२ अदालत ट्रूस्टका हिसाब मांग सकती है ५९८
८९३ सामाजिक या धार्मिकउद्देशोंके धर्मादे ५९८
८९४ सरकार अपने हाथमें नहीं रखेगी ५९९

इति।

विषयानुसार सूची।

अ

१ अनित्य द्वामुष्यायन दत्तक १७७
२ अज्ञान—देखो नाबालिग़
३ अपरार्क ८.
४ अनाथ बालकका गोद १०६; १३५
५ अग्रवाल वैश्योंकी उत्पत्ति १९८
६ अनौरस पुत्रका वली कौन है २०८
  —कोपार्सेनर २३७
  —बटवारेमें हक़ ३२३
  —उत्तराधिकारमें हक़ ३८४
  —भरणपोषण पानेका हक़ ४८६
  —ऐसी संतान माकी जायदादकी वारिस होगी ५२४
७ अलहदा जायदाद २५४–२६१
  —खुद कमाई हुयी २५४;२५५
  —विद्वत्तासे कमाई हुयी २५५
  —बीमाकाका रुपया २५६
  —जायदादपर अधिकार २५९
८ अलहदगी—
  —मुश्तरका ख़ानदानसे ३३८
  —सुबूत ३३९
९ अयौतक स्त्रीधन ५०५
१० अन्वाध्येय स्त्रीधन ५०७
११ अलिया संतान लॉ ५५८
१२ अस्पतालके लिये दान ५६५
१३ अदालतोंका अधिकार ५८७
१४ आपस्तंब ६
१५ आधिवेदनिक स्त्रीधन ५०७
१६ औरतोंकी क़ानूनी ज़रूरतें—देखो क़ानूनी ज़रूरतें।

इ

१ इज़ाफा—
  —कोपार्सेनरी जायदादमें २५०
  —अलहदा जायदादमें २५५
  —स्त्रियोंकी जायदादमें ४७३
२ इक़रार—
  —स्त्रीका पतिके साथ न रहनेका ५९
  —बालिग़ दत्तक पुत्रका, गोदसे पहले १६९
  —नावालिग़ दत्तकके वापका १६९
  —विवाह संवंधी ५५
  —क़ुदरती वलीका २१४
  —नावालिग़के मेनेजरका २१४
३ इन्तक़ाल—
  —विधवा या दूसरे सीमावद्ध वारिसका ४७४–४८१
    —पट्टा ४७४
    —जायदादका मुनाफा ज़िंदगी भरके लिये ४७५
    —कव कर सकती है ४७५
    —क़ानूनी ज़रूरतोंमें जायज़ है ४७७
    —वरासतसे मिली हुयी जायदादका ४७६
    —रिवर्ज़नरोंकी मंजूरीसे ४८०
    —मंजूरी देनेका तरीक़ा ४८१
    —हक़ छोड़ देना ४८१
  —मेनेजर मुश्तरका ख़ानदानका २६७; २७६
    —वालिग़ मेम्वरोंकी मंजूरीसे २६७
    —नावालिग़ मेम्वर होनेमें २६७; २७७
    —क़ानूनी ज़रूरतोंमें जायज़ है २६८
    —वार सुबूत २६९
    —दायभागलॉका २९३
  —वापका मिताक्षरालॉमें २७७–२७८
    —अधिकार २७७
    —मौरूसी मनकूला जायदादका २५४;२७८;५४३
    —मौरूसी ग़ैर मनकूला जायदादका २७८; ५४३
    —अपने क़र्ज़ेमें २८०
  —कोपार्सेनर द्वारा २८०
    —बंवई और मदरासमें २८०; २८१
    —वंगाल और संयुक्तप्रांतमें २८०; २८१
  —मंसूख़ करना २८६–२८९
    —दान, रेहनमें २८६; ५४४
    —दत्तक पुत्रका २८९
    —गर्भस्थित पुत्रका २८९

–कौन करा सकता है २८८
–जायज़ और नाजायज़ होनेका सुबूत ४६४
–रद होनेपर कर्ज़की अदायगी ४६६
–रिवर्ज़नरकी मंज़ूरी ४८०
–भरण पोषणके हक़का ४९७
–ऐसे हक़का नहीं होगा इन्तक़ाल ४९७
–हक़का मारा जाना ४९७
–बेनामीदारका ५२८
–दानके द्वारा ५३७; ५४३
–उत्तराधिकारके हक़का ३६१
–रिवर्जनरका दावा मंसूख़ीका ४५८
–सुबूत ४६४
–धर्मादेकी जायदादका ५७५
–देवोत्तर जायदादका ५८३
–बार सुबूत ५८५

उ

१ उत्तराधिकार—३५३–४५६
–कैसी जायदादमें होता है ३५६; ३६५
–मिताक्षराके अनुसार जायदाद पहुंचना ३५६;३६४
–दायभागके अनुसार जायदाद पहुंचना ३५७
–वारिस कैसे निश्चित होगा ३५७
–बटवारा नहो सकनेवाली जायदादका ३४९–३५२
–मर्द, जायदादका पूरा मालिक है ३५८
–कहांपर पांच स्त्रियां वारिस होंगी ३५८
–स्त्रियोंका सीमाबद्ध हक़ ३५८
–पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र ३५९; ३८२
–हक़का इन्तक़ाल नहीं होगा ३६१
–मिताक्षराके ४ वारिसोंमें सरवाइवरशिप् ३६२
–दायभागके २ वारिसोंमें सरवाइवरशिप् ३६३
–एक तरहका नहीं है ३६४
–क्रम मिताक्षरालॉके अनुसार ३७६
–बनारस, मिथिला, मदरासमें ३७७
–गुजरात, बंबई द्वीप, उत्तरी कोकनमें ३७८
–बंबईप्रांतके दूसरे हिस्सोंमें ३७९
–अनौरस पुत्र ३८४
–विधवाका ३८७
–लड़कीका ३९१
–लड़कीके लड़केका ३९७
–माताका ३९९
–बापका ४०१
–भाईका ४०१
–भतीजेका ४०२
–भाईके पोतेका ४०२
–दादीका ४०३
–दादाका ४०४
–चाचाका ४०४
–चाचाके लड़केका ४०४
–चाचाके पोतेका ४०५
–परदादीका ४०५
–परदादाका ४०५
–दादाके भाईका ४०५
–दादाके भतीजेका ४०६
–दादाके भाईके पोतेका ४०६
–दूसरे सपिण्ड वारिस ४०६
–सपिण्डोंमें क्रम ४०७; ४०८
–बन्धुओंका ४१८–४३४
–लावारिस जायदाद ४३६
–साधुकी जायदादका ४३६
–संन्यासी या यति ४३७
–औरतोंकी वरासत ४३८–४४१
–मौरूसी ज़मीन आदिका ४४१–४४७
–वंचित वारिस ४४७–४५६
–भरण पोषणका हक़ ४८७
–भरण पोषणकी रक़म ४९३
–भूखे मरनेसे बचानेका ख़र्च ४९३
–धर्मादेकी जायदादका ५८१–५८३

ए

१ एकलौता लड़का १३०
२ एक पतिकी दो विधवाएं ४७७

क

१ कन्यादान देनेके कौन हक़दार हैं ५५
–वलायत ५८
२ कमेटी धर्मादेकी नियुक्ति ५९४
–मेम्बर कैसे होना चाहिये ५९५
–मेम्बर ज़िंदगी भरके लिये होगा ५९५
–ख़ाली जगहकी पूर्ति ५९५
–आमदनी और ख़र्चेका हिसाब ५९६

  - –कब दावा किया जायगा ५९६
  - –कौन दावा करेगा ५९७
  - –अदालत हर समय हिसाब मांग सकती है ५९८

३ क़र्ज़ा–
  - –बापका क़र्ज़ा पुत्रोंपर २९४–३१२. देखो पुत्र

४ क़र्ज़ेका सकारना–
  - –मुश्तरका ख़ानदानके मेनेजर द्वारा २७०
  - –विधवा द्वारा ४७२

५ कारोबार–देखो मौरूसी कारोबार

६ क़ानूनी ज़रूरतें–
  - –ख़ानदानी ज़रूरतें क्या क्या है २११
  - –नाबालिग़की २२१
  - –मुश्तरका ख़ानदानकी २६८
  - –बार सुबूत २६९
  - –बापके लिये हुए क़ानूनी क़र्ज़े ३१२
    - –बे क़ानूनी क़र्ज़े ३११
  - –औरतोंकी ३८०
  - –जब कुछ हिस्सा साबित किया जाय ४६५
  - –स्त्रियोंकी ज़रूरतें कौन हैं ४७७
  - –इंतक़ाल ४७५

७ क्वारी लड़कीका स्त्रीधन ५०७
  - –वरासतका क्रम ५१२
  - –भावी वरकी दी हुयी भेटें ५१३

८ कुल्लूक भट्ट ८

९ कुलदेवता २३०

१० कोर्टस् आव् वार्डस्में दत्तक पुत्र ८३

११ कोपार्सनरी २३१–२३५

१२ कोपार्सनर २३५–२४३
  - –कौन लोग होते हैं २३५
  - –मिताक्षराके २३७
  - –अनौरस पुत्र २३७
  - –अयोग्य पुरुष २३९
  - –मरा हुआ माना जायगा २४०
  - –अधिकार २४० ; २५९ ; २६१
  - –मरना २४३
  - –दौरान मुक़द्दमेमें फरीक़ २७२
    - –मुद्दई बनाया जाना २७४
    - –मुद्दालेह बनाया जाना २७४
  - –दिवालिया २८५.
  - –धर्मच्युत होनेमें नहीं रहेगा ३४२

ख

१ ख़रीदार–
  - –नाबालिग़की जायदाद का २०९
  - –मुश्तरका जायदादमें हक़ २८७.
  - –बापके क़र्ज़ेका ३०६
  - –बटवारा करा पानेका हक़ ३२४
  - –बटवारेके हिस्सेका ३४१
  - –स्त्रियोंकी जायदादका ४७६
  - –बार सुबूत ४७६
  - –सीमाबद्ध स्त्रीकी जायदादका ४८४
  - –भरण पोषणकी जायदादमें ४९९
    - –नीयतका फल ५००

२ ख़ानदानी ज़रूरतें–देखो क़ानूनी ज़रूरतें

३ ख़ानदानकी देवमूर्तिकी जायदाद ५८५
  - –निजकी जायदाद ५७३
  - –ख़र्च न मिलेगा ५७६

४ ख़ैरात–देखो धर्मादा
  - –धार्मिक कामोंकी ५६४
  - –कामोंके लिये दान मुश्तरका मेम्बरोंका ५६४
  - –सार्वजनिक नाजायज़ है ५६७
  - –जायदाद सरकारी ख़ज़ानचीके पास ५३९

ग

१ गर्भस्थित बालकके हक़ २१३ ; २८९
  - –बटवारेके बाद लड़का पैदा होना ३२१

२ ग़रीबोंको दान ५६५.
  - –रिश्तेदारोंको ५६५
  - –सदावर्त ५६५
  - –अन्नक्षेत्र ५६६

३ ग़ैर हाज़िरकोपार्सनर बटवारेमें ३२४

४ गौतम ६

च

१ चिकित्सालयके लिये दान ५६५

२ चुदा सामा गमेटे गरासियोंमें दत्तक ८२

ज

१ जायदाद––
  - –बटवारेकी ३३५
  - –धर्मादेके ख़र्चेका बोझ ५६३

२ जातिच्युतका हक़ चला जाना ४५४
३ ज्वाइन्ट टेनेन्ट ३५४
४ जैनी--
  –विधवाका दत्तक लेना १०२
  –दत्तककी उमर १२५
  –दत्तकमें रसम ज़रूरी नहीं है १४३
  –विधवाका हक़ ४६९

ट

१ ट्रस्टी और ट्रस्ट
  –धर्मादेका ट्रस्ट ५७५
  –स्त्रियोंका मेनेजर होना ५७५
  –धर्मादेके स्थापकका ट्रस्टी होना ५७६
  –प्रबंधका उत्तराधिकार ५८१–५८३
  –जायदादका इन्तक़ाल ५८३
  –बार सुबूत ५८५
  –ट्रस्ट भंगके कारण दावा ५८८
  –ट्रस्टीके हटानेका हक़ ५९०
    –कारण ५९१
    –उस जगहपर दूसरा आदमी ५९१
  –ट्रस्टका हक़ और ज़िम्मेदारी ५९४
२ टेनेन्ट इन् कामन् ३५४

द

१ दत्तक--
  –पुत्रोंके प्रकार ६४; ७०
  –मान्य ग्रन्थ ९
  –उद्देश ७३
  –भिन्न भिन्न क़ौमोंकी चाल ७३
  –जायज़ दत्तककी शर्तें ७८
  –रुपया लेकर गोद देना ८२; १३६; १८०
  –नाजायज़ दत्तक ७६
  –लड़की लेनेकी मनाही १८७
  –(१) कौन दत्तक ले सकता है ?
    –जिसके पुरुष संतान नहीं है ७४; ७५
    –क्वारा, रंडुवा ७७
    –अज्ञान (नाबालिग़) ८०
    –पतिके जीवनमें पत्नी ८२
    –अङ्ग भङ्ग पुरुष ७७
    –उत्तराधिकारसे च्युत ७९
    –कोढ़ी ७९
    –जिसका पुत्र साधु हो गया हो ८०
  –विधवा ७४; ८३
    –स्कूलोंका भेद ८३
    –नाबालिग़ विधवा ८६
    –अनेक विधवाओंका लेना ८६
    –मियाद ८७
    –व्यभिचारिणी विधवा ८७
    –सूतकमें लेना ८७
    –धमकीसे दिलाना ८७
  –पुनर्विवाहित विधवा ८८
  –अनेक लड़कोंका लेना ८८
  –पतिके मनाही करनेपर ८८
  –अधिकार कैसे और किसे दिया जाय ८८; ८९
  –वड़ी विधवाका दत्तक १८४
  –अपने लिये नहीं ले सकती १८६
  –कई विधवाओंको अधिकार ८९
  –गर्भवती विधवा ८९
  –अनुचित अधिकार ९१
  –अधिकार कैसे जाता रहेगा ९३
  –विधवा और दतक पुत्रका इक़रार ९४; १६९
  –अधिकार कव नष्ट होगा ९३
  –पतिकी आज्ञासे दतक (ग) ९३
    –मृत पुरुषके लिये कौन लेगा ९३
    –पैदा होनेवाले पुत्रके लिये आज्ञा ९५
    –अनेक विधवाओंका अनेक पुत्र लेना १८२
  –विना आज्ञा पतिके दत्तक (घ) ९६
    –ऐसा गोद कहां नहीं होता ८३; ९६
    –कहांपर जायज़ है ९६; ९९; १०१; १०२
    –मुश्तरका ख़ानदानमें ९६
    –बटे हुए ख़ानदानमें ९७
    –मनाही करनेपर वंवई और मदरासमें १०२
    –जैन विधवा १०२
    –मदरासमें सपिण्डोंकी मंजूरी ९९
    –वंवईमें सपिण्डोंकी मंजूरी १००
    –मंजूरी मोल लेना ९९
    –वड़ी विधवाका गोद ८९
    –छोटी विधवाकी मंजूरी ज़रूरी नहीं है ८९
    –नायकिनका लड़की लेना ८२; १३४; १८७
    –रंडियों और नाचनेवाली स्त्रियोंका १३४; १८७

–चुडासामा गमेटे गरासियोंमें ८२
–पतिकी ज़िंदगीमें पत्नीको ८२
–पुत्रोंके संसार त्यागनेपर ८०
–जातिच्युत होना पुत्रका ७६
–पुत्रके लापता होनेपर ७७
–गर्भ होनेपर ७८
–(२) दत्तक कौन दे सकता है ? १०४
–बाप और मा १०७
–अज्ञान १०८
–भाई और चाचा १०७; १०८; १३५; १३७
–ब्रह्म समाजी, राजपूत १०८
–पुनर्विवाहिता माता १०९
–विधवा माता १०९
–कुष्ठी १०९
–कौन लोग नहीं देसकते १०९
–सौतेली माता, भाई, दादा १०९; १३५
–सगा संबंधी १०५
–अनाथ बालक १०६. १३५
–हक़ नहीं दे सकते १०६
–(३) कौन दिया जासकताहै और लिया जासकताहै–
–सिर्फ लड़का लिया जायगा ११०
–सगोत्र सपिण्डमें होना चाहिये ११२; ११५
–अपनी जातिका हो ११३
–सहोदर भाईका लड़का श्रेष्ठ है ११८
–शारीरिक अयोग्यतासे हक़ नष्ट होना १२०
–उमर १२०; १२३, १२४; १२५
–दो आदमियोंका एकही लड़का लेना १२७
–कौन लड़के गोदहो सकते हैं १२७–१३४
–भाईका पुत्र और पौत्र १२८
–ऊंची जातिमें उपनयनसे पहले १३४
–सौतेला भाई १२८
–कौन लड़के गोद नहीं लिये जासकते १३४–१३७
–विवाहा हुआ लड़का १३१; १३५
–पालक पुत्र १३४
–पुत्रिका पुत्र १३५
–स्वयंदत्त १३६
–(४) ज़रूरी कृत्य क्या हैं ? १३८–१४४
–केवल देना और लेना १३८
–द्विजोंमें दत्तक हवन १३९–१४२
–मुहूर्त और दत्तक परिग्रह १४४–१५३
–वसीयतसे लिया जाना १४३
–पंजाब और जैनियोंमें १४३
–लंका द्वीपमें १४३
–सूतक या अशुद्धतामें १४२
–(५) दत्तककी शहादत १५४–१५७
–दूसरे मामलोंकी तरह होगी १५४
–लेनेका अनुमान किया जाना १५४; १५५
–असली खानदानमें लौटनेकी रुकावटें १५७
–साबितहोनेका फैसला सबको पाबंद करेगा १५७
–(६) लेनेका फल क्या है ? १५८–१६९
–असली कुटुम्बकी जायदाद नहीं मिलती १५८; १६८
–सौतेली मांकी जायदाद नहीं पाता १६०
–निजी जायदाद साथ जानेमें संदेह १६०
–असली कुटुम्बमें विवाहकी मनाही १५८
–पुत्रकी दत्तक माता कौन है ? १६१; १६२
–वारिस होना १५९; १६८; १७९
–द्व्यामुष्यायनमें असली माताका हक़ १६२
–हिस्सा बदलता रहता है १६३; १६४
–औरसपुत्रोंके साथ दत्तक पुत्रका हिस्सा १६४–१६६
–शूद्रोंमें १६६
–मुश्तरका कुटुम्बमें हिस्सा १६७
–असली कुटुम्बकी जायदाद मिलना १६८
–संतानवाले लड़केके पुत्रका हक़ १६८
–पहलेका इक़रार १६९
–(७) द्व्यामुष्यायन तथा ज़रूरी बातें १७०–१९८
–द्व्यामुष्यायन दत्तक १७०; १७६
–द्व्यामुष्यायन और सादे गोदका भेद १७६
–अनित्य द्व्यामुष्यायन १७७
–नम्बोदरी ब्राह्मणोंमें १७७
–औरसके साथ द्व्यामुष्यायनका हिस्सा १७७–१७९
–ज़रूरी बातें
–नाजायज़ होनेपर भरण पोषण १८०
–नाजायज़ होनेपर दानका जायज़ रहना १८०
–वसीयतसे आज्ञा और जायदाद देना १८१
–प्रेमवश वसीयतसे जायदाद देनेमें १८१
–प्रेमवश दान पत्र १८१

–कैसी वसीयतसे जायदाद नहीं मिलेगी १८२
–गोद लेनेकी आशासे वसीयत और दान १८३
–जायदाद वापिस लेना १८३
–पदोत्कर्ष वारिसका हक़ १८४
–भावी हक़की रक्षाका दावा १९०
–गोद मंसूख़ीका दावा १९०; १९२
–लेनेवालेके जीवनमें मंसूख़ी १९५
–जायज़ क़रार दिये जानेका दावा १९५
–अग्रवाल वैश्योंकी उत्पत्ति १९८
–वलायत २०८
–अधिकार कबसे होगा ८५; १८४
–कोपार्सनर है २३६
–दत्तकसे वसीयतके क़ानूनकी दफा ३ लागू नहीं है ८१०
–दत्तकपुत्र और उसकी संतानका हक़ बटवारेमें ३२३
–यदि पति मरते समय मुश्तरका हो ८४
–औरसके समान हक़ होता है १५९
–दत्तकसे स्त्रीधनपर असर नहीं है १५९
–कृत्रिम दत्तक १८७; १८९
  –मिथिलामें जायज़ है १८९
  –दर्जा और विचार १८७; १८८
   –जफना द्वीपमें १८९
–बटवारेमें हक़ ३२३
२ दत्तक मीमांसा ८
३ दत्तक चन्द्रिका ९
४ दायभाग ८
५ दादीका वरासतमें हक़ ४०२
६ दामदुपट ५३२–५३५
–किसे कहते हैं ५३२
–कहां माना जाता है ५३३
–मियाद ५३३
–रक़म वह है जिसपर ब्याज लगा हो ५३३
–पीछेके इक़रारसे ब्याजका मूल धन होना ५३३
–दावेके बाद लागू नहीं होगा ५३४
–इन्फ़िक़ाक़ रेहन ५३४
–कौन हक़ रखते हैं ५३४
–कैसे क़र्ज़ेमें लागू होगा ५३५
७ दान ५३७; ५४३
–शब्दकी उत्पत्ति और अर्थ ५३७
–चार प्रकार ५३७
–वस्तुपर क़ब्ज़ा ज़रूरी है ५३८; ५३९
–देनेका अधिकार किसे है ५३८; ५४६
  –किसे नहीं है ५३९
–लेनेका अधिकार किसे है ५३९
–पतिका दान अपनी पत्नीको ५४१
–मुश्तरका ख़ानदानके मेम्बरोंको ५४२
–मृत्युके समयका ५४२
–कौन चीज़ नहीं दी जासकती ५४३
   –कब मंसूख़ होजायगा ५४३
–जो मरनेके पीछे दिया जाय–देखो वसीयत
–सिद्धांतोंपर टगोर केस ५४९–५५२
–कैसे दान जायज़ माने जाते हैं ५६४--५६६
  –नाजायज़ माने जाते हैं ५६६--५६८
–ख़ैरातके लिये ५६४
–धर्मके लिये नाजायज़ है ५६६
–नाजायज़ दान ५६७--५६८
  –सार्वजनिक ख़ैरातके लिये ५६७
  –अच्छे काम या सराकम ५६७
  –धर्मादेके लिये ५६७
  –ख़ास और उचित कामोंके लिये ५६७
  –वसीयत करनेवालेकी पसंद ५६७
  –संतानके लाभके लिये ५६७
  –ठाकुरजीके लिये ५६८
८ देव पूजाका धर्मादा ५७०
–देवताका मालिकाना हक़ ५७१
–खण्डित या खोई हुयी मूर्ति ५७१
९ देवदासीका स्त्रीधन–देखो रंडी

ध

१ धर्मशास्त्र और क़ानूनके साथ विवेचन १०४
२ धर्मच्युतका हक़ चला जायगा ४५४
३ धर्मादा ५६०–५९९
–धार्मिक और ख़ैराती धर्मादे ५६०
–उद्देश ५६०
–कैसे क़ायम करना चाहिये ५६०
–क़ानून मियादकी पाबंदी नहीं है ५६१
–क़ायम करनेवालेकी हालत ५६२

–निश्चित होना ज़रूरी हैं ५६४
–किन हालतोंमें जायज़ मानागया ५६४–५६६
–में नाजायज़ हैं ५६६–५६८
–केवल धर्मके लिये नाजायज़ हैं ५६६
–फरेब या जालसाज़ी न हो ५६८
–बार सुबूत ५६९
–व्यवस्था अदालत निश्चित कर सकेगी ५६९
–कभी ख़ारिज नहीं होगा ५७०
–मंदिर और मठ ५७२
–मूर्तिका चढ़ावा ५७६
–मेनेजर, शिवायत, महंत आदिके हक़ ५७८
–इतन्क़ाल ५८३–५८७
–ट्रस्ट और ट्रस्टी ५८७; ५९३
–क़ानूनकी कुछ दफ़ाएं ५९३; ५९९

न

१ नारद ७
२ नाबालिग़
–गोद लेना ८०
–विधवाका दत्तक लेना ८६
–गोददेनेका हक़ १०८
–मियाद२०२
–बली होनेका अधिकारी २०२; २०३
–वसीयतसे नियत वली २०३
–बय या रेहन मंसूख़ीका दावा २२२
–क़ानूनी अयोग्यता २२४
–दावा करना बंद नहीं होता २२५
–दौरान मुक़द्दमेमें मर जाना २२६
–दावेमें बापका समझौता २७६
–बटवारेमें ३२०
३ नान नफका–देखो भरण पोषण
४ नायकिन—देखो रंडी
५ निजका धर्मादा ५६३–५७१
६ नियोग. ५९; ६९; १७०; १७५

प

१ पराशर ८
२ परकेपिटा ३५४
३ पर स्टिर्पेस ३५४
४ पत्नी—
–भरण पोषणका हक़ ४८६; ४८७
–निर्धन पतिपर दावा ४८८
–धर्मच्युत पति ४८८
–वैवाहिक संबंध टूटना ४८८
–उत्तराधिकारसे वंचित पतिपर हक़ ४८८
–रहनेका घर ४८८
–हक़ नष्ट होना ४८९
–ख़र्चेकी रक़म ४८९
–दावा करना कि पति मेरे पास रहे ५९
५ पति—देखो विवाह
६ पारिभाषिक शब्दोंकी सूची ३५३–३५५
७ पुराण २; ५
८ पुत्र—
–पुत्रत्व ६४–७०
–आवश्यकता ६४
–चौदह प्रकार ६५
–पुत्रिका पुत्र ६६; १३५
–कानीन ६७
–कृत्रिम ६८ देखो दत्तक
–दत्तक ६८
–क्षेत्रज ६९
–औरस और दत्तक ७०
–दर्जोंका नक़शा ७०
–आज्ञासे दत्तक ७५
–जातिच्युत होनेपर दत्तक ७६
–लापता हो जाना ७७
–अयोग्य होनेपर दत्तक ७९
–संसार त्याग ८०
–पालक पुत्रका दत्तक १३४.
–बापके क़र्ज़ेकी ज़िम्मेदारी २९४; ३०७; ३१०
–हक़ चलाजाना ३०५.
–बार सुबूत ३०६.
–बापकी ज़िंदगीमें ज़िम्मेदारी ३०७.
–पुत्रकी जायदाद वरी है ३०९.
–सूद २९७.
–बापका अधिकार २९७.
–नीलामसे हक़का चलाजाना ३०३.
–बटवारेमें भिन्न भिन्न माताओंके पुत्र ३३४.
–भरण पोषणका हक़ ४८६.

९ प्रीतिदत्त स्त्रीधन ५०७.
१० प्राइमोजेनीचर ३५१.
११ पैतृक ऋण—देखो मौरूसी क़र्ज़ा
१२ प्रोवेट ५५८–५५९.
–अर्ज़ीमें क्या लिखा जायगा ५५९.

फ

१ फ़ेक्टम् वेलेटका सिद्धांत ५८.

ब

१ बटवारा ३१६–३५१.
–क्या है ३१६.
–अधिकारी ३१७; ३१८.
–स्त्रियोंके परस्पर ३१९.
–पत्नीका हिस्सा ३२४.
–माताका हिस्सा ३२६.
–दादीका हिस्सा ३२७.
–परदादीका हिस्सा ३२८.
–स्त्रीधनका मुजरा होना ३२८.
–विक्रीका असर हक़ पर ३२९.
–हिस्सा निश्चित करना ३३०.
–वापको कम ज्यादा करनेका हक़ ३३३.
–पहले रेहन करदेनेमें ३३३.
–अनेक माताओंके पुत्रोंमें ३३४.
–जायदाद ३३५ ; ३४३ ; ३४५ ; ३४७.
–अधूरा ३३९.
–जो जायदाद छूट गयीहो ३४०
–इरादेका नतीजा ३४०.
–डिकरी ३४२ ; ३४६.
–दावा करना ३४२.
–अगर जायदाद कई इलाक़ोंमें हो ३४३.
–मुनाफेका दावा ३४३.
–खर्चे और क़र्ज़ोंका वोझ जायदाद पर ३४४.
–के वजाय विक्री ३४५.
–अयोग्य फरीक़ोंका स्थानापन्न ३४६.
–नीलाममें बोली ३४६.
–आधा वटवारा आधी विक्री ३४७.
–किसमें नहीं होसकता ३४९–३५१.
२ बन्धु–
–किसे कहते हैं ३७३; ४१९.
–संख्या निश्चित नहीं है ३७६.
–मिताक्षराके ४१९.
–क्रमका सिद्धांत ४२०.
–वंगाल स्कूलके अनुसार ४२०.
–कलकत्ता हाईकोर्टकी राय ४२१.
–मिताक्षराके अनुसार ४२४.
–नक़्शे मिताक्षरा लॉके ४२९.
–वंवईमें कौन स्त्रियां मानी गयी हैं ४३३.
–मदरासमें कौन स्त्रियां मानी गयी हैं ४३५.
३ बहनके भरण पोषणका हक़ ४८७.
४ ब्रह्म समाजीको दत्तक देनेका हक़ १०८.
–लड़का गोद हो सकता है १३३.
५ व्याजकी शरह नाबालिग़के क़र्ज़ेमें २०९.
–वापके क़र्ज़ेमें २९७.
६ बालंभट्टी ८.
७ बाप–
–के क़र्ज़े २९४–३१२.
–किन क़र्ज़ोंका पुत्र ज़िम्मेदार नहींहै २९६;३११
–क़र्ज़ेमें अधिकार २९७.
–मरनेके वाद इजरा डिक्री ३०४.
–वरासतमें हक़ ४०१.
८ विश्वरूप ८
९ वीर मित्रोदय ८
१० वेक़ायदा नीलामसे हक़ नहीं जाता ३०४
११ वेक़ानूनी वापके क़र्ज़ ३११ देखो पुत्र
१२ वेश्या–देखो रंडी
१३ वेनामीका मामला ५२५–५३१
–किसे कहते हैं ५२५
–असली मालिकके हक़ पर विचार ५२५
–बार सुबूत ५२६
–कितनी सूरतोंमें रद नहीं होगा ५२७
–असली मालिककी पावंदी ५३०
–बेनामीदारके दावेका हक़ ५३१
१४ बौधायन ६

भ

१ भरण पोषण ४८६–५०२
–पानेके अधिकारी ४८६
–दावाका हक़ कव होगा ५०१
–दावा करना ५०१

–फरीक़ मुक़द्दमा ५०२
–तमादी ५०२
–फौजदारीमें दावा ५०२
–स्त्रियोंकी जायदाद ५०७
२ भाईका हक़ वरासतमें ४०१
–के पुत्रका हक़ वरासतमें ४०२

म

१ मनु ६
२ मयूख ८
३ मरा हुआ कब माना जायगा ३०७; ३०८
४ मठ किसे कहते हैं ५९०; ५९२
५ महंतके अधिकार ५७२; देखो धर्मादा
–आमदनीपर हक़ ५७३
–पागल होजानेपर हक़ ५७३
–साधु होना ज़रूरी नहीं है ५७३
–निजी जायदाद रख सकता है ५७३
–नियुक्ति और वरासत ५७४
–इन्तक़ालका हक़ ५७५
–कर्तव्य और अधिकार ५७ -५८१
–देवोत्तर जायदादका इन्तक़ाल ५८३
–वार सुबूत ५८५
६ मृत्युपत्र–देखो वसीयत
७ मारू मकट्टयम लॉ ५५८
८ माता–
–उत्तराधिकारमें हक़ ३५८; ३९९
–वटवारेमें हक़ ३२६
–दत्तक माता–देखो विधवा और दत्तक
–गोद लेनेका अधिकार नहीं देसकती १०६
–दत्तकमें शर्त करनेका हक़ १०६
–गोद ले सकती है १०७; १०९
–सौतेली मा दत्तक पुत्रकी वारिस नहीं है १६२; ४००
–वली होनेका अधिकार २०२
–वसीयतसे वली नियत नहीं करसकती २०३
–भरण पोषणका हक़ ४८७
  –सौतेली माताका ४८७
  –विधवा माताका ४९०
–वदचलनीसे भी पुत्रकी वारिस होती है ३८८
–वदचलनी और पुनर्विवाह ४००
९ मिताक्षरा और दायभाग १५; १८
१० मुनाफेका जमा होना–
–सीमा वद्ध स्त्रीके हाथमें ४७२
–वसीयतमें हिदायत ५५२–५५३
११ मुश्तरका ख़ानदान २३७–२९३
–अप्रतिवंध और सप्रतिवंध २४४; २४५
–मेनेजरके अधिकार २६३
–जायदाद कौन कौन होती है २४४–२४६
–कोपार्सनरके मरनेसे व्यापार नहीं टूटता २४३
–कारोवारमें कोपार्सनरोंके हक़ २५९
–जायदादमें कोपार्सनरोंके हक़ २६१
–मेनेजरकी ज़िम्मेदारी हिसाव देनेमें २६५
  –अधिकार क़र्ज़ा लेनेका २६५
  –कारोवारमें २६६
  –पंचायतमें हक़ २७०
  –क़र्ज़ेका स्वीकार करना २७०
    –दावा करना १७१
    –डिकरी २७५
–में कौन लोग होते हैं २२९
–वटवारेके वाद मुश्तरका होना २३२
–फर्मका दिवाला २८६
–क़ानूनी ज़रूरतें २६८
  –सुबूत २६९
–कोपार्सनरका फरीक़ वनाया जाना २७२
–मेम्वर २२७; देखो–कोपार्सनर
  –हक़ २२९
–टूट जाना २३०
–कुलदेवता २३०
–एक ही मेम्वर दावा कर सकता है २७१
–जायदादका इन्तक़ाल–देखो इन्तक़ाल
–देवोत्तर जायदादका वटवारा ५८६
  –इन्तक़ाल ५८३; ५८४
  –वार सुबूत ५८५
  –देवमूर्तिकी जायदादका परिवर्तन ५८५
–वटवारेमें क़र्ज़े चुकता करना ३४९
–वटे हुए कुटुम्वियोंका फिर शामिल होना ३४८
–भरण पोषणके ख़र्चेकी डिक़री ४९८
१२ मुश्तरका जायदाद–देखो मुश्तरका ख़ानदान

१३ मेधातिथि ७
१४ मेनेजर–
–धर्मादेमें स्त्रियां हो सकती हैं ५७५
–अधिकार ५७८; ५८१
–हटानेका अधिकार ५९०
–हटाये हुए मेनेजरकी जगहपर दूसरा ५९१
–कर्तव्य और अधिकार ५७५–५८१
–प्रवंधका उत्तराधिकार ५८१–५८३
–इन्तक़ालका हक़ ५८३–५८५
–मुश्तरका ख़ानदानका–देखो मुश्तरका ख़ानदान
–नावालिग़का क़र्ज़ा लेना व वेचना २०९
–जायदाद कव वेच सकता है २१०
१५ मौरूसी—
–वरासतमें कारोवार २५९; ४७६
–क़र्ज़ा २९४–३१२
–जायदादका वटवारा ३३५
–इन्तक़ालमें वापका हक़, दायभागमें २९१
–लड़के वापसे वटवारा नहीं करा सकते २९१
–ज़मीन आदिका उत्तराधिकार ४४१–४४५
–असामी सक़ितुल् मिल्कियत ४४२
–असामी दख़ीलकार ४४२
–असामी ग़ैर दख़ीलकार ४४३
१६ मंदिर किसे कहते हैं ५७०

य

१ याज्ञवल्क्य ७
२ यौतक स्त्रीधन ५०५

र

१ रवाज—
–कानूनका आधार है २४
–तीन तरहकी है २४
–सावित करनेका तरीक़ा २४
–कव वंद होगी २४
–नाजायज़ २५
–वार सुवूत २४
–विवाहकी ६२
–दत्तककी ७३; ७४
२ रिश्तेदार या संबंधियोंकी संज्ञा ३५५
३ रिवर्ज़नर
–वारिस कौन है ३५४
–जायदादमें स्वार्थ ४५७
–अधिकार ४५७—४६६
–दावा करनेका ४५८; ४६१; ४६३
–जायदादको वरवादीसे रोकनेका ४५९
–अदालतकी डिकरी ४५९
–दावाकी मियाद ४६०
–सीमावद्ध मालिकको वेदख़ल करनेका हक़ ४६१
–के पीछेवाले रिवर्ज़नर ४६२; ४६३
–पहले रिवर्ज़नरकी मंजूरीसे ४८०
–मंजूरीका तरीक़ा ४८१
–कव दावा कर सकता है ४६३
–क़ब्ज़ा पानेकी नालिशकी मियाद ४६४
–सीमावद्ध स्त्री की डिकरीकी पावंदी ४८३
–समझौतेसे पावंद नहीं होते ४८४
४ रंडी या नाचने गानेका पेशा करने-वाली औरतें—
–दत्तक ८२
–लड़की गोद लेना १३४
–नायकिनका लड़की गोद लेना ८२
–वेश्या होनेपर लड़कीका हक़ ३९५
–स्त्री धनकी वरासत ५२३; ५२४
–नट, वेड़िए आदिकी औरतोंका धन ५२३; ५२४

ल

१ लड़की—
–उत्तराधिकारमें हक़ ३९७
–क्वारीका हक़ ४६९
–भरण पोषण पानेका हक़ ४८६
–वद चलनीसे हक़ नष्ट नहीं होता ३९४
–नाजायज़ ३९४
–रवाजसे हक चलाजाना ३९४
२ लेटर्स् आव् एडमिनिस्ट्रेशन् ३५५
३ लंका द्वीपमें केशरका पानी १४४

व

१ वसिष्ठ ६
२ वली—
–नावालिग़का वली २०३; २१८

–मिताक्षरा स्कूलमें २०४
–छोटे बच्चेका बाप २०४
–नाबालिग़का नाबालिग़ २०४
–मुश्तरका ख़ानदानमें २०४
–पत्नीका पति २०५
–मा शादी करनेसे वली नहीं रहेगी २०५
–मज़हब बदलनेमें २०६; २०७
–अनौरस पुत्रका २०८
–दत्तक पुत्रका २०८
–कुदरती वलीका अधिकार २०८
–मुश्तरका जायदादके वलीके हक़ २०९
–जायदाद बेचनेके अधिकार २१०
–ज़िम्मेदारी २१५; २१७
–क़र्ज़ेका स्वीकार करना २१६
–दौरान मुक़द्दमेमें २१८; २१९
–तनख्वाह २२०
–ज़ातके वलीका कर्तव्य २२०
–जायदादके वलीका कर्तव्य २२०
–किन बातोंसे ख़ारिज किया जायगा २२०
–नियत करनेकी अर्ज़ीमें क्या लिखना २१८

३ वरासत—देखो उत्तराधिकार

४ वसीयत—५४५–५५८
–व्याख्या ५४५
–कौन कर सकता है ५४६
–लिखनेका क़ायदा ५४६
–कैसी लिखत वसीयत मानी जायगी ५४७
–अर्थ लगाना ५४८
–सिद्धांतोंपर टगोर केस ५४९–५५२
–माना जायगा कि सब हक़ दिये गये ५४९
–क़ानून नहीं बदल सकता ५५०
–अनुचित शर्तें ५५०
–भावी संतानके लिये ५५०
–उचित उद्देशके लिये ट्रस्ट जायज़ है ५५२
–सीमाबद्ध दान ५५२
–आमदनी जमा होना ५५२
–शब्द और वाक्योंपर विचार ५५४
–मुश्तरका ख़ानदानके मेम्बरोंको ५५६
–मंसूख़ी ५५७
–अवधके ताल्लुक़ेदारोंके संबंधमें ५५८
–मलाबारमें नियम ५५८
–मारू मकट्टयम् लॉ ५५८
–अलिया संतानलॉ ५५८

५ विज्ञानेश्वर ८ देखो–मिताक्षरा

६ विवादार्णव सेतु ८

७ विवाद भंगार्णव ८

८ विवाद सारार्णव ८

९ विवाद चिन्तामणि ८

१० विधवा–
–दत्तक विषयमें देखो–दत्तक
–भरण–पोषणका हक़ ४८७
–ख़र्च मिलेगा ४८९
–जायदाद ज़ब्त होनेमें ४८९
–विधवा माता ४९०
–निवास स्थान ४९१
–हक़ नष्ट होना ४९२
–ख़र्चेकी रक़म ४९३
–भूखे मरनेसे बचाना ४९३
–अन्त्येष्टी क्रिया ४९६
–ख़र्च घट बढ़ सकता है ४९६
–क़र्ज़ेकी जायदाद ५०१
–वसीयतपर आपत्ति करना ४९९
–बटवारेमें अधिकार १७
–वरासतमें हक़ ३८७
–बदचलनीसे हक़ मारा जाना ३८८
–व्यभिचारसे हक़ चला जायगा ४४७
–पुनर्विवाहसे हक़का नष्ट होना ३८८; ४४९
–मनक़ूला जायदादपर अधिकार ४७०
–ग़ैर मनक़ूला जायदादपर हक़ ४७१
–क़र्ज़ा रिवर्ज़नरको पाबंद करेगा ४७१
–प्रबंधमें बड़ी विधवा ४९३
–आमदनीपर पूरा हक़ ४७४
–ख़रीदी जायदाद ४७४
–स्त्रीधनपर अधिकार ५१२

११ बिठलाई हुई स्त्रीका भरणपोषण ४८७;४९५

१२ विवाह २७; ६२
–प्राचीन धर्म है २७
–आठ प्रकार २८
–आसुर और गंधर्व २९; ३०
–अदालत क्या मानेगी ३०

जायज़ माने जानेके नियम ३२
  –भिन्न जातियोंके परस्पर ४३; ५०
  –पतिके जीते स्त्रीका दूसरा विवाह ४५
  –उमर ४५
  –तलाक़ ४६
  –पुरुषका पुनर्विवाह ४८
  –स्त्रीका पुनर्विवाह ४९
  –सौतेली माता ५१
  –वर और कन्याका विचार ५१
  –सगाई टूटना ५४
  –ख़र्च ५७
  –फ़ेक्टम् वेलेट ५८
  –स्त्री किसके क़ब्ज़ेमें रहेगी ५९
  –स्त्री, पुरुषके हक़ ५९; ६२
  –स्त्रीका पतिके पास रहनेसे इनकार ५९

श

१ शारीरिक अयोग्यता वाले वारिसोंका हक़ ४४९; ४५६
  –हक़ चलाजाना ४४९
  –अयोग्यताका असर ४५३
  –अयोग्यता चली जानेपर ४५३
  –अयोग्यकी स्त्री बंबईमें ४५४
२ शिक्षाकी संस्थाके लिये ५६४
३ शिवायत धर्मादेका-देखो धर्मादा
  –कर्तव्य और अधिकार ५७५; ५८१
  –स्थायी पट्टा देना ५७८
  –दावा करनेका हक़ ५७९
  –किसे कहते है ? ५७६
  –क़ानूनी क़ब्ज़ा नहीं होता ५७६
  –मूर्तिके चढ़ावेपर हक़ ५७६
  –क़ब्ज़ा और प्रबंधका हक़ ५७७
  –क़र्ज़ा और इन्तक़ाल ५७९
  –हक़ मुख़ालिफ़ानेकी पाबंदी ५८१
  –देवोत्तर जायदादका इन्तक़ाल ५८३; ५८७
४ शुल्क ५०६
  –वरासत बनारस स्कूलमें ५१४
  –मिथिला स्कूलमें ५१७
  –बंबई स्कूलमें ५१८
  –मदरास स्कूलमें ५२१
  –बंगाल स्कूलमें ५२१
५ श्रुति २

स

१ सपिण्ड
  –क़िस्में ३४
  –जो विवाहमें वर्जित है ३४
    –गोत्र और प्रवरकी कन्या ३६
      –शूद्रोंमें वर्जित नहीं है ३६
    –कहांतक माना जायगा ३७
    –मनाही ३८
    –मिताक्षराकी सपिण्ड कन्या ३९
    –दायभागकी सपिण्ड कन्या ३८
    –दत्तकसे नहीं टूटता ४२
    –परिणाम ४२
  –दत्तकमें सपिण्ड और असपिण्ड ११५
  –गोत्रज सपिण्ड, असपिण्ड भिन्न गोत्रज १२७
  –शब्दका अर्थ ३६६
  –दोतरहके होते हैं ३६६
  –नक़शा ३६६ (क); ३७४
  –किसे कहते हैं ३६७
  –बापसे सातवीं. मासे पांचवीं पीढ़ी ३६८
  –सात दर्जेवालोंका नक़शा ३६९
  –पिण्डदान और जलदानके ३६९
  –उत्तराधिकारमें संकेत अर्थ ३७४
  –५७ दर्जेवालोंका नक़शा ३७५
  –वरासतका पहला सिद्धांत ४०७
  –पहले सिद्धांतका नक़शा ४०८
  –वरासतका दूसरा सिद्धांत ४१३
  –नक़शा दुसरे सिद्धांतका ४१४
  –तीसरा सिद्धांत ४१४
  –नक़शा तीसरे सिद्धांतका ४१५
  –गोत्रज सपिण्ड और सगोत्रसपिण्डका भेद ४४०

२ सरवाइवर शिप् ३५३
३ सकुल्य किसे कहते हैं ३७०
४ समानोदक—
–किसे कहते हैं ३७२
–नक़्शा ३७२ (क)
–संख्या निश्चित नहीं है ३७५
–वरासतका क्रम ४१७
–नक़्शा वरासतका ४१८ (क)
५ सदावर्त ५६५
६ सराकम ५६७
७ स्मृति २
–टीकाएं २
–स्मृति और आचारका विरोध ९
८ स्कूल–देखो हिन्दूलॉ
–मान्य ग्रन्थ १८
९ साधु, संन्यासी, फ़क़ीर आदि—
–जायदादका उत्तराधिकार ४३४; ४३८
१० सार्वजनिक
–आरामका हक़ ५६२
–धर्मादा ५६३; ५९३
–ख़ैरात ५६७
–दावामें ज़ाबता दीवानीकी दफा ९२।५८८
११ स्त्रियां
–परस्पर बटवारा ३१९
–बटवारेके समय पत्नीका हक़ ३२४
–माताका हिस्सा ३२६
–दादीका हिस्सा ३२७
–परदादीका हिस्सा ३२८
–स्त्रीधनका मुजरा होना ३२८
–हिस्सा पानेके अयोग्य ३२९
–विक्रीका असर हक़पर ३२९
–बरासतमें हक़ ४३८; ४४१
–जायदादपर अधिकार ४६७; ४८४
–अधिकार महदूद है ४६७
–वरासतकी जायदादपर हक़ बंबईमें ४६८
–अधिकार सब जायदादके इन्तक़ालका ४७६; ४७७
–अपना हक़ छोड़ना ४८१
–वसीयतसे अधिकार ४८२
–जायदाद वापिस लेनेका दावा ४८३
–मुक़द्दमेके ख़र्चेकी ज़िम्मेदार जायदाद ४८४
१२ स्त्रीधन—५०३–५२४
–शब्दका अर्थ ५०३
–क्या है ५०४
–बार सुबूत ५०५
–प्रकार ५०५; ५०९
–ख़र्च करनेका हक़ ५१०
–स्थावर धनमें कैसा हक़ है ५१०
–पतिके अधीन कौन है ५११
–वरासतका सिद्धांत ५१२
  –क्वारी लड़कीका धन ५१२; ५१३
  –संतानवाली स्त्रीका धन ५१४
  –विना संतानकी स्त्रीका धन ५१६; ५१७
  –बनारस स्कूलमें ५१७
  –मिथिला स्कूलमें ५१७
  –बंबई स्कूलमें ५१८
  –मदरास स्कूलमें ५२०
  –बंगाल स्कूलमें ५२१
–लावारिस ५२४
१३ सुबोधिनी ८
१४ सौतेली माता–देखो माता
१५ सौदायिक स्त्रीधन–देखो स्त्रीधन
१६ संबंधियोंकी संज्ञा ३५५
१७ संसार त्याग—
–क़ानूनी साधु, संत होनेसे हक़का जाना ४५५
–साधु, यति, संन्यासी आदिकी जायदाद ४३६
–गोसाईं और भिखमंगोंकी जायदाद ४३८
–ऐसी स्त्रीका हक़ जाना ४८२
–पुत्रके संसार त्यागनेपर दत्तक ८०

ह

१ हत्यारे वारिसका हक़ जाना ४५४
२ हिसाब लेना
  –मुस्तरका ख़ानदानके मेम्बरसे २६५
  –बटवारके दावेमें ३४३
  –धर्मादेके शिवायत, मेनेजरसे ५७८
  –धर्मादेके, ट्रस्टी, सुपरिन्टेन्डेन्टसे ५९६
२ हिन्दूलॉ—
  –ईश्वरसे उत्पत्ति है १
  –अदालतोंसे संबंध ३
  –उत्पत्तिका नक़शा ५
  –नक़शेका परिचय ६
  –किनसे लागू होगा ११
  –भेद पड़नेका कारण १४
  –अनेक शाखाएं १४
  –कौन स्कूल कहां माना जाता है २१
  –विवाह २७
४ हिया–देखो दान

इति।

हिन्दू लॉ

अर्थात्

हिंदू धर्मशास्त्रका क़ानून।

श्रीखण्डभस्मार्चितचर्चिताङ्गौ। मुक्तालिगङ्गोल्लसदुत्तमाङ्गौ।
शिवा शिवौ नौमिसुमाल्य नागौ। रत्नाग्निभाभूषित भाल भागौ॥ १॥

जिनके शुभ अङ्ग चन्दन और भस्मसे पूजित हैं, जिनके मनोहर शिखरमें मोतियोंकी अवलि और श्रीगंगाजी विराजमान् हैं, जिनके कण्ठमें सुंदर मालाएं और भुजंग शोभा देरहे हैं तथा जिनका ललाटस्थल रत्न और वह्निकी शोभासे विभूषित है, ऐसी श्रीभगवती पार्वती और शिवको मैं नमस्कार करता हूं।

हिन्दूलॉ के स्कूलोंका वर्णन।

प्रथम–प्रकरण।

यह प्रकरण निम्नलिखित तीन भागोंमें विभक्त है। इस ग्रंथको यथार्थ समझनेके लिये इस प्रकरणको खूब ध्यानसे पढ़नेपर भी सिद्धांत सदैव स्मरण रखना चाहिये. (१) हिन्दूलॉ की उत्पत्ति १—१०(२) हिन्दूलॉ का विस्तार ११–१३ (३) हिन्दूलॉ के स्कूलोंका वर्णन १४–३७

(१) हिन्दूलॉ की उत्पत्ति।

दफा १. हिन्दुलॉ की उत्पत्ति ईश्वरसे है–––'लॉ' यानी क़ानूनकी उत्पत्ति सदा राजा अथवा पार्लिमेंट (राजसभा) से हुआ करती है। परंतु हिन्दूलॉ अर्थात् हिन्दूधर्मशास्त्रकी उत्पत्ति किसी राजा या राजसभासे नहीं हुई। हिन्दू इसकी उत्पत्ति ईश्वरसे मानते हैं। पाश्चात्य नैयायिकोंका यह सिद्धांत कि, क़ानून राजाका आज्ञारूप है, हिन्दूसिद्धांतसे बिल्कुल भिन्न है:—

हिन्दूलॉ की उत्पत्ति मुख्यतः नीचे लिखे ग्रंथ आदिसे हुई है:—

(१) श्रुति, (२) स्मृति, (३) पुराण, (४) स्मृतियोंकी टीकाएं (५) तत्सम्बन्धी लिखे ग्रंथ (६) अदालती फैसले (७) सरकारके बनाये क़ानून (८) रवाज.

दफा २. श्रुति——वेदोंको श्रुति कहते हैं। हिन्दूलॉ का मुख्य आधार वेदही हैं। वेदोंसे प्राचीन आर्य्योंकी सभ्यता विज्ञान तथा उनके रवाजका बहुत अच्छा परिचय मिलता है । मिस्टर गोल्डस्टकर अपने लिटरेरी रिमेन्स नामक ग्रंथके पेज २७१ में कहते हैं. "लोगोंका यह ख्याल गलत है. कि वेदोंमें जिस हिन्दू समाजका वर्णन है, वह चरवाहों और कृषकोंका सा समाज मालूम होता है"। आप कहते हैं कि, ऐसा नहीं है, बल्कि ऋग्वेदकी ऋचाओंमें जिस समाजका वर्णन है, वह बहुतही ऊंचे दर्जेकी सभ्यता रखनेवाला समाज मालूम होता है, क्योंकि उसके वर्णनमें बड़े बड़े नगरों और महा शक्तिशाली नरेशोंका वर्णन है । वेदोंमें क़ानूनका कम वर्णन है, परंतु बहुतसी ऐसी बातें उनमें हैं कि, जिनसे क़ानूनका आधार लिया जा सकता है।

दफा ३. स्मृति——हिन्दूलॉ का विस्तार मुख्यतः स्मृतियोंसे हुआ है । धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र स्मृतियोंमें मुख्य हैं । यही हिन्दूलॉ के साररूप हैं। धर्मसूत्र एक प्रकार वेदोंकी कुंजी हैं । क्योंकि उनमें वेदोंकी सब बातें बड़े अच्छे क्रमसे एकत्र की हुई हैं । ऐसे सवाल, जैसे—घरके मालिकका क्या कर्तव्य है ? राजाके कर्तव्यकर्म क्या हैं ? न्याय कैसे करना चाहिये ? उत्तराधिकारके क्या नियम हैं ?—और ऐसेही अन्य विषय धर्मसूत्रोंमें लिखे हैं । धर्मसूत्रोंमें सबसे प्रसिद्ध महर्षि मनुका धर्मसूत्र है, जिसे मनुस्मृति कहते हैं। यह उन्होंने भृगुसे कही थी। पीछे भृगुने उसका प्रचार कियाः—

इत्येतन्मानवं शास्त्रं भृगुप्रोक्तं पठन्द्विजः
भवत्याचारवान्नित्यं यथेष्टां प्राप्नुयाद्गतिम् १२-१२६

भृगुके [illegible] हुए इस मानवशास्त्रको जो द्विज पढ़ता है , वह हमेशा आचारवान् होता है और मरनेपर यथेष्ट गतिको प्राप्त होता है (देखो दफा ९—६)

ध्यान रहे कि हिन्दुओंकी तरह बौद्धभी मनुस्मृतिको मानते हैं। मनुस्मृतिके बाद, याज्ञवल्क्य, पाराशर, नारद आदि स्मृतियोंका दर्जा है। यह सब महर्षि मनुके बहुत समय पीछे बनीं हैं।

दफा ४. पुराण——महाभारतसाहित अठारह पुराणोंसेभी हिन्दूलॉ की उत्पत्ति हुई है। जास्टिस् महमूदने 9 All 253, 289, गंगासहाय बनाम लेखराज सिंहके मामलेमें कहा कि " पुराणोंका दर्जा या तो श्रुति और स्मृतिके बीचमें है, या इन दोनोंके ठीक बाद है "

दफा ५. स्मृतियोंकी टीकाएं——स्मृतियोंकी टीकाओंसे भी हिन्दूलॉ की उत्पत्ति हुई है। टीकाओंमें' सर्व प्रधान यज्ञेश्वर योगिन् कृत याज्ञवल्क्यस्मृतिकी टीका मिताक्षरा है । बंगालको छोड़कर यह समस्त भारतमें माना जाता है (देखो दफा १५)

हिन्दूधर्मशास्त्र ईश्वरदत्त है। इसलिये राजा स्मृतियोंमें कही हुई आज्ञाओंके अनुसार उनका पालन कराता है। हिन्दूलॉ के प्रयोगोंके संबंधमें राजाका क्या कर्तव्य है, इस विषयमें मनु कहते हैं:—

जातिजानपदान्धर्मान् श्रेणीधर्मांश्चधर्मवित् ।
समीक्ष्य कुलधर्मांश्च स्वधर्मं प्रतिपादयेत् ८-४१

जो राजा धर्मशास्त्र जानता है, उसे चाहिये कि सब जातिवालों, और सब प्रांतों तथा सब संघोंके क़ानूनको जानकर उनके कुलधर्मके अनुसार उसका पालन कराये ।

सदाचारी लोग और धर्मशास्त्रोंके जाननेवाले द्विज जो आचार बर्तते हों वही राजाको क़ानून बनाना चाहिये । किंतु वह प्रांतों और परिवारों और जातेयोंके रवाजोंके विरुद्ध न हो क्योंकि मनुजीने कहा है कि " प्रमाणानिचकुर्वीत तेषां धर्म्यान् यथोदितान् "७-२०३ अर्थात् अपने राज्यके निवासियोंके जो उचित रवाज हों उनको भी राजा कानूनके समान बनाये.

हिन्दुस्थानकी अदालतों और प्रिवीकौन्सिलके जज राजाकी तरफसे उन सब मुक़द्दमोंका विचार ऊपर कहीहुई मनुकी आज्ञाओंके अनुसार करते हैं और उनके फैसले हिन्दुओंको वैसाही पाबंद करते हैं जैसे सरकारके दूसरे क़ानून । वे ऐसे मुक़द्दमे नहीं फैसल करते जो दफा ३७ में कहे गये हैं.

दफा ६. दूसरी बातें डाइजेस्ट और क़ानून——हिन्दूलॉकी उत्पत्तिके दूसरे ग्रंथ भी हैं, जैसे डाइजेस्ट, सरकारी क़ानून और रवाज । भारत सरकारके कुछ खास क़ानून जिन्होंने हिन्दू लॉ को कुछ तब्दील कर दिया है, या उसमें कुछ बढ़ा घटा दिया है निम्नलिखित हैं:—

(१)—एक्ट नम्बर २१ सन् १८५० जिसे " लेक्सलोकी एक्ट " कहते हैं । इस कानूनका सिद्धांत यह है कि, जबतक कोई हिन्दू हिंदूजातिसे निकाल न दिया जाए, तबतक उसका जायदाद और उत्तराधिकार संबंधी अधिकार कदापि नष्ट नहीं हो सकता ।

(२)—एक्ट नम्बर १५ सन् १८५६ ई० जिसे " विडोरिमैरेज एक्ट " (Widow remarriage Act) विधवा विवाहका क़ानून कहते हैं. इसका सिद्धांत यह है कि, विधवा पुनर्विवाह कर सकती है और उस विवाहसे उत्पन्न उसकी संतान औरस मानी जायगी और उसे क़ानूनी हक़ सब प्राप्त होंगे (देखो दफा ६५२)

(३)—एक्ट नम्बर १० सन् १८७० ई० जिसे "हिन्दू विल्स एक्ट "(Hindu Wills Act) हिन्दू वसीयतका क़ानून कहते हैं, इस ने बंगालप्रांत और बंबई शहरमें रहनेवाले हिन्दुओंके लिये वसीयत संबंधी क़ायदे मुक़र्रर किये हैं (देखो प्रकरण १६)

(४)—एक्ट नम्बर ९ सन १८७५ ई० जिसे "इंडियन मेजारिटी एक्ट"(Indian Majority Act) भारतीय बालिग़का क़ानून कहते हैं, इसमें यह निश्चित किया है कि, हिन्दू अठारह वर्षकी उमरमें बालिग़ माना जायगा (देखो प्रकरण ५)

(५)—एक्ट नम्बर २१ सन १८६६ ई० जिसे "नेटिव कनवर्टस् मैरेज डिस्सोल्युशन एक्ट" (Native converts marriage dissolution Act) ईसाई होनेवाले हिन्दुओंके वैवाहिक संबंध भंगका क़ानून कहते हैं । इस क़ानूनका यह नियम है कि, किसी हिन्दूके ईसाई होजानेपर उसका वैवाहिक संबंध अपनी स्त्री या पतिसे टूट जाता है (देखो प्रकरण २ दफा ६१; ६४)

दफा ७. हिन्दूलॉ का अदालतोंसे संबंध——ब्रिटिश भारतकी अदालतों का अधिकार, हिन्दुओंके मामलोंके साथ हिन्दूलॉ के लागू करनेका, इम्पीरियल पार्लिमेन्ट और प्रान्तीयसरकारोंके बनाये हुए क़ानूनोंसे पैदा होता है । यही कारण है कि ज्योंका त्यों हिन्दूधर्मशास्त्र आजकल अदालतोंमें नहीं माना जाता । व्यवस्थापक क़ानूनोंसे उसका रूपान्तर होगया है । किस प्रांतकी अदालतमें कौनसा क़ानून किस विषयमें माना जाता है इसका उल्लेख हम नीचे करते हैं:—

अदालतें.	नाम कानून.	विषय.
१ कलकत्ता हाइकोर्ट-ओरिजिनल साइड्.	21 Geo 3. C. 70. S. 17.	उत्तराधिकार । जमीन । भाड़ा । मालकी वरासत । सब मामलोंके कंट्राक्ट तथा पक्षकारोंके कारबारसंबंधी कुल व्यवहार.
२ बंबई हाइकोर्ट-ओरिजिनल साइड्.	37 Geo. 3. C. 142. S. 13.	उक्त.
३ मदरास हाइकोर्ट-ओरिजिनल साइड्.	उक्त.	उक्त.
४ कलकत्ता; बंबई; मदरासके स्मालकाज् कोर्ट.	Act 15 of 1882. S. 16.	प्रायः सब एकही तरहपर हैं और हर हाईकोर्टके नियमानुसार उनका कार्य है.
५ बंगाल; संयुक्त प्रांत और आसामकी प्रान्तीय अदालतें.	Act 12 of 1887. S. 37.	वरासत । उत्तराधिकार । विवाह । जाति । धार्मिक रवाज या संस्था.
६ बंबईकी प्रांतीय अदालतें.	Regu. 4 of 1827 S. 26.	यह किसी ख़ास विषयके लिये नहीं है.
७ मदरासकी प्रांतीय अदालतें.	Act. 3 of 1873. S. 16.	वरासत । उत्तराधिकार । विवाह जाति । धार्मिक रवाज या संस्था.
८ पंजाबकी अदालतें.	Act. 4 of 1872, S. 5. और Act. 12. of 1878 द्वारापरिवर्तित	वरासत । स्त्रियोंको खास जायदाद । सगाई । विवाह । तलाक़ । दायज । दत्तक । वलायत । नाबालिग़ी । अनौरसता । खानदानी रिश्ता वसीयत । हिबा बिलवसीयत । दान । बटवारा धार्मिक रवाज या संस्था ।
९ अवधकी अदालतें.	Act 18 of 1876. S. 3.	उक्त
१० अजमेर और मारवाड़की अदालतें.	Regu. 3 of 1877. S. 14.	उक्त
११ मध्य भारतकी अदालतें.	Act 20 of 1875. S. 5.	उक्त इसमें तलाक़ शामिल नहीं है.
१२ ब्रह्मदेशकी अदालतें.	Act 13 of 1898. S. 13.	वरासत । उत्तराधिकार । विवाह । धार्मिक रवाज या संस्था ।

ऊपर वर्णन किये हुए क़ानूनोंमेंसे कुछमें अदालतें हिन्दूलॉ को सिर्फ उन मामलोंसे लागू करती हैं जिनमें मुद्दालेह हिन्दू हों और कुछमें जबकि दोनों पक्षकार हिन्दू हों। अधिक देखना हो तो देखो ट्रैवेलियन हिन्दू लॉ 2 ed.P.6

दफा ८. हिन्दूलॉ की उत्पत्तिका नक़्शा।

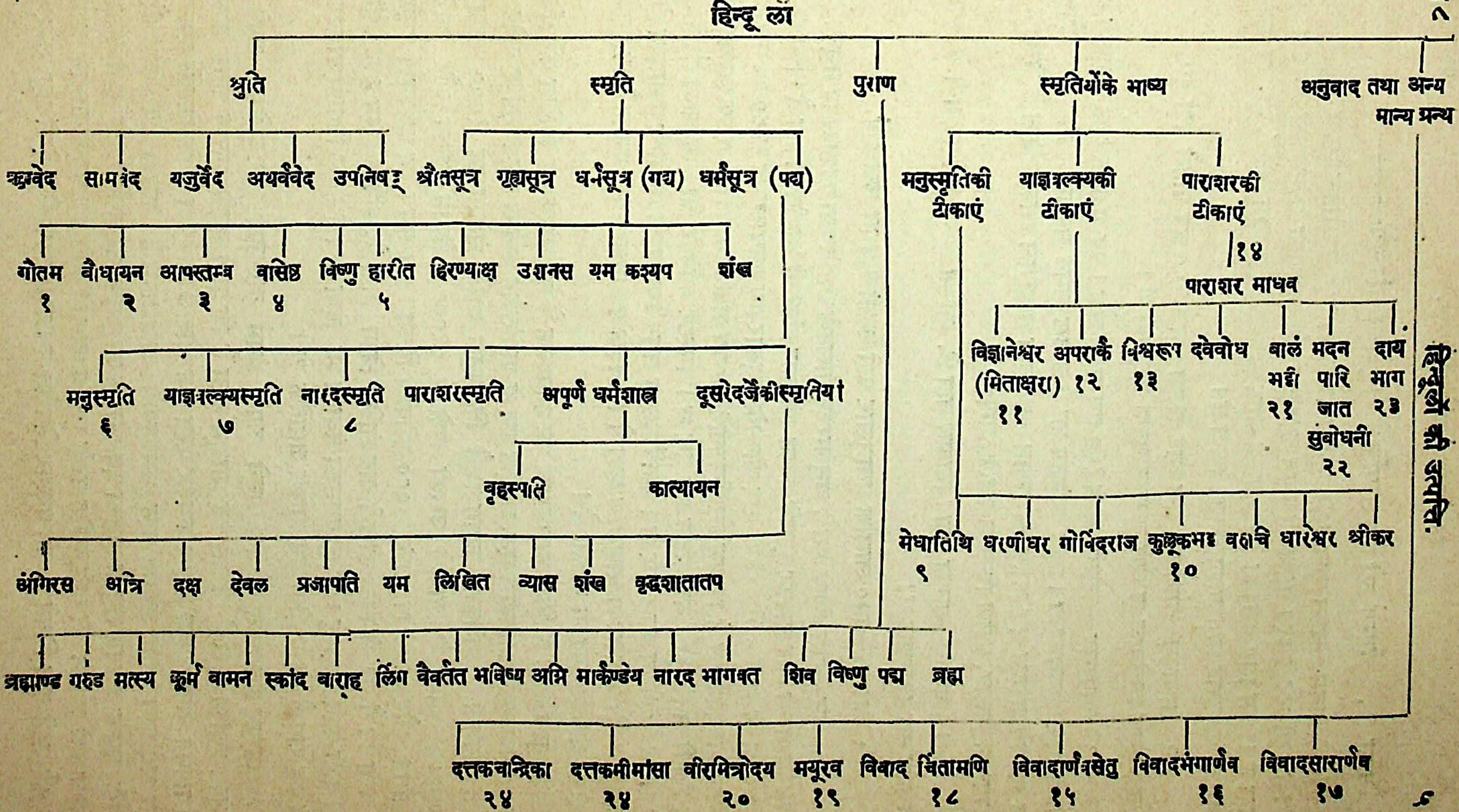
हिन्दू लॉ
श्रुति
स्मृति
पुराण
स्मृतियोंके भाष्य
अनुवाद तथा अन्य मान्य ग्रन्थ
ऋग्वेद
सामवेद
यजुर्वेद
अथर्ववेद
उपनिषद्
श्रौतसूत्र
गृह्यसूत्र
धर्मसूत्र (गद्य)
धर्मसूत्र (पद्य)
गौतम १
बौधायन २
आपस्तम्ब ३
वासिष्ठ ४
विष्णु
हारीत ५
हिरण्याक्ष
उशनस
यम
कश्यप
शंख
मनुस्मृति ६
याज्ञवल्क्यस्मृति ७
नारदस्मृति ८
पाराशरस्मृति
अपूर्ण धर्मशास्त्र
दूसरेदर्जेकीस्मृतियां
बृहस्पति
कात्यायन
अंगिरस
अत्रि
दक्ष
देवल
प्रजापति
यम
लिखित
व्यास
शंख
वृद्धशातातप
ब्रह्माण्ड
गरुड
मत्स्य
कूर्म
वामन
स्कांद
बाराह
लिंग
वैवर्तत
भविष्य
अग्नि
मार्कण्डेय
नारद
भागवत
शिव
विष्णु
पद्म
ब्रह्म
मनुस्मृतिकी टीकाएं
याज्ञवल्क्यकी टीकाएं
पाराशरकी टीकाएं
१४
पाराशर माधव
विज्ञानेश्वर (मिताक्षरा) ११
अपरार्क १२
विश्वरूप १३
देवबोध
बालं भट्टी २१
मदन पारिजात
सुबोधनी २२
दाय भाग २३
मेधातिथि ९
धरणीधर
गोविंदराज
कुल्लूकभट्ट १०
वरुचि
धारेश्वर
श्रीकर
दत्तकचन्द्रिका २४
दत्तकमीमांसा २४
वीरमित्रोदय २०
मयूख १९
विवाद चिंतामणि १८
विवादार्णवसेतु १५
विवादभंगार्णव १६
विवादसारार्णव १७

दफा ९. हिन्दु लॉ की उत्पत्तिके नक़शेका परिचय—

(१) गौतम—बहुत प्राचीन है। ईसाकी पैदाइशसे ३०० वर्ष पहिले हुए थे। गौतम सामवेदानुयायी हैं डाक्टर बुलरने गौतम बौधायन आपस्तंब और वसिष्ठकी स्मृतियोंका अंगरेजी भाषांतर किया है। देखो मि० बुलएकी "सेक्रेडबुक आफ दि ईस्ट" वाल्यूम 2—7, 14 विष्णुस्मृतिका अंगरेजी भाषान्तर मि० जालीसाहिबने किया है।

(२) बौधायन—गौतमके पीछे और ईसवी सनके २०० वर्ष पहिले पैदा हुए, यह दक्षिण हिन्दुस्थानके रहनेवाले थे और कृष्णयजुर्वेदके अनुयायी थ।

(३) आपस्तंब—ईसवी सनके १०० वर्ष पहिले के हैं। यह शुक्लयजुर्वेदके अनुयायी थे तथा आंध्रप्रदेशके रहनेवाले थे। हिन्दू क़ानूनमें जो कुछ उस समय गर्हणीय (निन्दनीय) विचार थे उन सब विचारोंको बड़े कड़ेपनसे इन्होंने त्याग दिया था इसीसे इनकी ख्याति है जैसे कि नियोग पैशाचिक विवाह, अनेक किस्मके पुत्र, इत्यादि—

(४) वसिष्ठ—इनका समय निश्चित नहीं है, यह भी कृष्णयजुर्वेदानुयायी थे तथा उत्तर हिन्दुस्थानके रहनेवाले थे।

(५) हारीत—मि० जालीके मतानुसार यही स्मृतिके प्रथम लेखक हैं.

(६) मनु—रामकृष्णके मतके अनुसार ईसवीसन्के २०० वर्ष पहिलेका समय मनुका है। सर-विलियम जोन्स और डाक्टर बुलरने इनकी स्मृतिका अंगरेजी भाषांतर किया है (देखो सेक्रेड बुक्स आफ दी ईष्ट (vol. xxv) सर जोन्सके अनुसार मनु ईसवीसन के १२८० वर्ष पहिले हुए थे स्क्लेजेलसाहेबका मत है कि मनु ईसवीसनके १००० वर्ष पहिले हुए थे। मि० एलफिस्टनका कहना है, कि ईसवी सनके ९०० वर्ष पहिले मनु हुए थे। मिस्टर मोनियर विलियम कहते हैं कि वह ईसवी सनके ५०० वर्ष पहले हुए थे। महर्षि मनुका समय उपनिषदके समयके पश्चात्का होना मालूम होता है। प्रोफेसर मेक्समूलरने कहा है कि वेदके पश्चात्का समय मनुका है जो ईसवी सनके २०० वर्षसे पूर्वका हो सकता है।

मनुका काल निश्चित करते समय यह आवश्यक है कि, पहिले यह निश्चित करें कि वर्तमान धर्मशास्त्रके बनानेवाले मनु, आदिके मनु थे या अंतके। क्योंकि मनु निस्संदेह अनेक हो चुके हैं नारदकी भूमिकामें कहागया है कि मनुके आदि धर्मशास्त्रमें १००० अध्याय और १००००० श्लोक थे। नारदने उसको संक्षेपमें १२००० श्लोकोंमें लिखा और उनके बाद सुमतिने और भी संक्षेप करके ४००० श्लोकोंमें लिखा। इस समय जो धर्मशास्त्र मनुके नामसे प्रचलित है वह संभवतः तीसरी बार संक्षिप्त किया गया है. क्योंकि इसमें २६८५ ही श्लोक हैं। कहीं कहीं वृद्धमनु और वृहद्मनुका हवाला भी दिया गया है। इस विषयमें डाक्टर जालीकी यह राय है कि ये दोनों मनु हालके जमानेके थे।

मिस्टर मेन कहते हैं कि मनुने अपने ग्रंथमें वसिष्ठका और वसिष्ठने अपने ग्रंथमें मनुका हवाला दिया है। इससे यह मालूम होता है कि दोनों मनुके बीचमें बहुत काल बीता बौधायनने अपने ग्रंथमें मनुका बताकर ऐसा एक श्लोक उद्धृत किया है कि जिससे एकदम विपरीत अर्थवाला श्लोक वर्तमान मनु धर्मशास्त्रमें पाया जाता है (मनु ९-८९) तेरह चौदह सौ वर्षके पूर्वके ग्रंथोंमें मनुका हवाला देकर उनके जो श्लोक उद्धृत किये गये हैं वे वर्तमान मनु धर्मशास्त्रमें ज्यों के त्यों नहीं, बल्कि उनके कुछ खण्ड पाये जाते हैं। मनुके वर्तमान धर्मशास्त्रमें ही कई ऐसी बातें लिखी हैं ज़ो परस्पर विपरीत हैं। उदाहरणके लिये देखो मनु ४-२५० और

५-१५७,१६०,१६१, इन दोनोंमेंसे परस्पर बहुतही भेद है। उन दोनों अध्यायोमें मांस भक्षण और विधवाके पुनर्विवाह विषयमें जो कुछ कहा गया है उसमें विरुद्धता है इसी तरहसे एक जगह तो कहा गया कि पत्नीके जीवनकालमें पति दूसरा विवाह नहीं कर सकता और दूसरी जगह कहा गया कि कर सकता है तथा यह भी कहा गया है कि पुरुषको अपने भाईकी विधवासे भाईके लिये संतान पैदा करनेका अधिकार है । इन सब बातोंसे ऐसा मालूम होता है कि इन दोनों विषयोंके श्लोक भिन्न भिन्न कालके हैं।

प्रसिद्ध जर्मन संस्कृतज्ञ डाक्टर बुलरकी पहिले तो यह राय थी कि मनुका वर्तमान धर्मशास्त्र बिल्कुलही नये ज़मानेका ग्रंथ है परंतु इस प्रश्नपर अधिक विचार करनेके बाद उनकी राय बदल गयी। पीछे उन्होंने ऐसा माना कि आजकल जो मनु धर्मशास्त्र है इसका कुछ भाग तो अति प्राचीन मानव धर्मसूत्रके आधारपर है और बाकी उन रसम रवाजोंके आधारपर है जो इस ग्रंथके लिखे जानेके समय प्रचलित थीं मानवसूत्रका आश्रय मनुने और महाभारतके कर्ताने भी बहुत कुछ लिया है महाभारतके कर्ताने कहीं कहीं वर्तमान मनु धर्मशास्त्रका हवाला दिया है।

डाक्टर जालीने यह सिद्ध किया है कि बृहस्पतिका धर्मशास्त्र जो तेरह चौदहसौ वर्ष पहिले लिखा गया था और जिसके अब कुछ खण्डही मिलसकते हैं उसी मनुके आधारपर लिखा गया था जिसके आधारपर हमारा वर्तमान मनु धर्मशास्त्र लिखा गया है। डाक्टर बुलर भी इस रायको मानते हैं और सब कुछ विचार करके वे इस नतीजेपर पहुंचते हैं कि भृगुसंहिता अति प्राचीन और आदि ग्रंथ है जिसमें उससे भी प्राचीन मनु धर्मशास्त्र उद्धृत किया गया है वही प्राचीन मनुका धर्मशास्त्र वर्तमान मानव धर्मशास्त्र है। यह मानना होगा कि यह एकही पुरुषका लिखा हुआ है परंतु साथही यह भी संभव है कि किसी समय दूसरोंने उसमें कुछ नये श्लोक जोड़ दिये हों। बुलर साहेबकी राय है कि वर्तमान मानवधर्मशास्त्र या तो २१०० वर्ष पूर्व लिखा गया था या १७०० वर्ष पूर्व या इन दोनोंके बीचमें।

वास्तवमें मनुका काल अति प्राचीन है ऊपर अनेक प्रसिद्ध पुरुषोंकी सम्मतियां बता दी गयीं मेरी रायमें उपनिषद्के निर्माण करनेके समयके या तो पीछे या लगभग उसी कालमें मनुका समय हो सकता है उपनिषद्का समय निश्चित करनेके लिये बहुत प्रमाणोंकी आवश्यकता है, विस्तारके भयसे इस विषयको यहीं पर छोडता हूं (देखो दफा ३)

(७) याज्ञवल्क्य—इस समयसे १४०० वर्ष पहिले हुए थे इनकी स्मृतिका अंगरेजी भाषांतर मिस्टर वी. एन. मांडलीकने और डाक्टर रोवरने तथा हालमें मिस्टर सेटलौर और मि. घारपुरेने किया है जर्मनीमें भी इस स्मृत्तिका भाषान्तर प्रोफेसर स्टेंज़लेरने सन् १८४९ ई० में किया था। इस स्मृतिमें फैले हुए विषयको इकट्ठा करके कहा गया है।

(८) नारद—पांचवी शताब्दीमें हुये थे डाक्टर जालीने इसका अंगरेजी भाषांतर किया है नारद नैपालके रहनेवाले थे इन्होने क़ानून किस तरह बर्तावमें लाया जाय इसके नियम अच्छे बनाये हैं इन्हींके बनाये हुए नियमोंके अनुसार प्रायः अंग्रेजी क़ानूनके बर्तावके नियम हैं।

(९) मेधातिथि—नवीं शताब्दीमें पैदा हुए मनुस्मृतिपर सबसे पहिली टीका इन्हींकी है। मिताक्षराकारने मेधातिथिसे कुछ अवतरण लिया है इससे मेधातिथि प्रख्यात क़ानून बनानेवाले समझे गये थे। मेधातिथिकी टीका अब कम मिलता है जो दो चार प्रति मैंने देखीं उनके मूलमें परस्पर विरोध मिला हर्षकी बात यह है कि मिस्टर घारपुरे M. A. L. L. B. गिरगांव बम्बईने इस टीकाको प्रकाशित कर दिया है.

(१०) कुल्लूक—चौदहवीं शताब्दीमें पैदा हुए इनकी टीका मेधातिथिके टीकाका सारांश है।

(११) विज्ञानेश्वर—ग्यारहवीं शताब्दीमें पैदा हुए यह दक्षिण प्रांतकी चालूक्य नामक राजोंकी राजधानी कल्याण (बंबई प्रांत) में रहते थे इनकी टीकाको डाक्टर कोलब्रुक साहबने अंगरेजी भाषांतर किया है, हालमें मिस्टर सेटलौर और घारपुरेले भी किया है । इनके टीकाका नाम मिताक्षरा है बंगाल छोड़कर तमाम भारतमें माना जाता है.

(१२) अपरार्क—सन ११४० ई० में पैदा हुए और ११८६ में मरगये यह कोकन प्रांतके राजा थे और इनका ग्रन्थ कास्मीरमें अधिक मानागया इस ग्रन्थके भाग पूनाके आनन्दाश्रम सीरीज़में निकले हैं। मिस्टर राजकुमार सर्वाधिकारीने इस ग्रन्थके दायभागका अंगरेजी भाषांतर किया है।

(१३) विश्वरूप—इस ग्रन्थके कुछ भागका अंगरेजी भाषांतर मदरास लॉ जनरलमें निकल चुके हैं । पहिले ऐसा समझा जाता था कि इस ग्रन्थका नाश होगया परंतु मलाबारमें एक प्रति इस ग्रन्थकी मिलगयी तथा मदरासके सीताराम शास्त्री वकीलने भाषांतर करके छपवा दिया।

(१४) पाराशर—चौदहवीं शताब्दीमें हुए थे (Bibliotheca Indica series) इस ग्रन्थमें पाराशर माधव छपचुका है।

(१५) विवादार्णव सेतु—यह ग्रन्थ फिजूल समझा जाता है इसे हिन्दुस्थानके प्रथम गवर्नर जनरल वार्न हैस्टिंगस्के कहनेसे हलेद साहेबने सन १७७३ ई० में अंगरेजी भाषांतर किया था।

(१६) विवादभंगार्णव—इसे सर विलियम जोन्सके कहनेसे पं० जगन्नाथ तर्कपंचाननने निर्माण किया तथा मि० कोलब्रुकने अंगरेजी भाषांतर किया इसे जगन्नाथ डाइजेस्ट कहते हैं।

(१७) विवाद सारार्णव—मिथिलाके एक सुप्रसिद्ध वकील पं० सरवरा त्रिवेदीने बनाया है। कहते हैं कि यह ग्रंथ सर विलियम जोन्सके कहनेसे बना था ।

(१८) विवादचिंतामणि—पंद्रहवीं शताब्दीमें वाचस्पति मिश्रने मिथिलामें इसकी सृष्टि की।

(१९) मयूख—इसे नीलकण्ठ भट्टने सत्रहवीं शताब्दीके शुरूमें लिखा था यह ग्रंथ महाराष्ट्र देशमें मिताक्षरासे दूसरे दर्जेपर माना जाता है।

(२०) वीरमित्रोदय—सोलहवीं शताब्दीमें लिखा गया था यह मिताक्षराका अनुयायी है और उसके अर्थको स्पष्ट करता है । इसे महामहोपाध्याय श्रीमित्र मिश्रने निर्माण किया चौखंभा संस्कृत सीरीज काशीमें प्रकाशित हो चुका है।

(२१) वालंभट्टी—इसे वैद्यनाथकी स्त्री लक्ष्मी देवीने सत्रहवीं शताब्दीके अंतमें निर्माण किया इसमें प्रायः नन्द पंडितका हवाला दिया गया है इस टीकासे मिताक्षराके अनेक कठिन एवं ज़रूरी स्थलोंका अर्थ स्पष्ट हो जाता है इसका बंबई प्रांतमें अधिक आदर किया गया।

(२२) सुबोधिनी—इसे विश्वेश्वर भट्टने तेरहवीं शताब्दीमें बनाया यह कुशी काश नामक वंशमे पैदा हुए थे।

(२३) दायभाग—यह ग्रंथ बंगालके सुप्रसिद्ध पण्डित जीमूतवाहनका निर्माण किया हुआ है। इनका ठीक समय नहीं माल्रूम होता मगर इनके ग्रंथके प्रसिद्ध टीकाकार रघुनन्दन श्रीकृष्ण तर्कालंकार हैं जो सोलहवीं शताब्दीके शुरूमें थे तथा उनके ग्रंथमें गोविंदराजकी टीकाका

ज़िकर किया गया है जो बारहवीं शताब्दीमें लिखी गयी थी। इसलिये ऐसा अनुमान होता है कि, जीमूतवाहनका समय तेरहवीं और पंद्रहवीं शताब्दीके बीचमें है। यह ग्रन्थ बंगालप्रांतमें सर्वोपरि माना जाता है।

(२४) दत्तकमीमांसा, दत्तकचन्द्रिका—दत्तकमीमांसाके निर्माणकर्ता हैं नन्द पण्डित जो इस समयसे २५० या ३०० वर्ष पहिले हुए थे। इनकी संतान अभी उत्तरभारतमें विद्यमान् है। दत्तकचन्द्रिकाके कर्ता हैं महामहोपाध्याय कुबेर, इनका समय नन्दपण्डितसे पहिलेका है। यह दोनों दत्तकविषयके प्रधान ग्रन्थ हैं। दोनों समस्त भारतमें बराबर माने जाते हैं और जिस जगहपर वे एक दूसरेसे विरुद्ध होते हैं तो मिथिला और बनारस स्कूलमें दत्तकमीमांसा माना जाता है, मगर बंगालमें ऐसा होनेपर दत्तकचन्द्रिकाकी प्रधानता मानी गयीहै। देखो–12 M. I. A. 397, 437; 21 All. 460; 22 Mad. 398; 21 All 412, 419; 26 I.A. 153, 161; 14 Bom. 249; 17 All 294;

दफा १०. स्मृति और आचारके विरोधमें आचारकी प्रबलता——

“ तत्र श्रुत्योर्विरोधेऽगृह्यमाण विशेषत्वात् द्वयोरपि तुल्यबलवत्त्वम् ”. एवं स्मृत्योराचारयोरपि विरोधे द्रष्टव्यं तुल्यन्यायत्वात्–श्रुतिस्मृत्योर्विरोधे तु श्रुतिर्बलीयसी निरपेक्षत्वात्–स्मृत्याचारयोर्विरोधे स्मृतिर्बलीयसी ” इति वीरमित्रोदये–चौखंभा संस्कृत सीरीज़ नम्बर १०३ पेज २५.

भावार्थ--यह नियम माना गया है कि, दो श्रुतियोंके परस्पर विरोध होनेमें एवं स्मृति और आचारमें विरोध होनेमें दोनों बराबरके बलवान् हैं। श्रुति और स्मृतिके विरोध होनेमें श्रुति बलवान् है। स्मृति और आचारके विरोध होनेमें स्मृति बलवान् है। याज्ञवल्क्यने इस विषयपर कहा है कि:-----

स्मृत्योर्विरोधे न्यायस्तु बलवान् व्यवहारतः
अर्थ शास्त्रात्तुबलवद्धर्मशास्त्रमिति स्थितिः। याज्ञवल्क्य २–२१

अंतमें इस विवादका निर्णय यह किया गया कि, श्रुति और स्मृतिके विरोधमें तो श्रुति बलवान् है, मगर स्मृति और आचारके विरोधमें आचार। इसका मतलब यह है कि, दो स्मृतियोंके विरोध होनेपर आचार बलवान् होगा, क्योंकि कहा गया है कि “ शास्त्राद्रूढिर्बलीयसी ” यानी शास्त्रसे रवाज बलवान् होता है।

आचार और रवाजमें यद्यपि सूक्ष्मदृष्टिसे देखनेमें फरक़ हो सकता है किंतु मोटे तरीकेमें नहीं। रवाजको अंगरेजीमें कस्टम (Custom) कहते हैं। जिस किसी ख़ास कुटुम्ब या समुदाय (Class) या ज़िलेमें कोई रसम बहुत दिनोंसे माना जाता हो वह रसम (रवाज) क़ानूनका दर्जा रखता है देखो–26 W. R. 55; R. & J's No. 41; 3 I. A. 259; 14 M. I. A. 570, 885; 17 W. R. 558; 12 B. L. R. 396;

हिन्दू लॉ में यह माना गया है कि, किसी ख़ास कुटुम्बमें जो रवाज या रसम हो वह साफ तौरसे साबित की जाय देखो—11 B. H. C. 249; 10 W. R. (P.C.) 17; 12 M. I A. 397; 1 B. L. R. (P.C.) 1; 3 M. H. C. 50; और देखो दफा. ३०–३५

(२) हिन्दू लॉ का विस्तार।

किसके लिये हिन्दू लॉ लागू होगा? कौन आदमी हिन्दू लॉ के अधिकारमें रहेंगे? कौन आदमी हिन्दू लॉ के अधिकारमें नहीं रहेंगे?

दफा ११. **किसके लिये हिन्दू लॉ लागू होगा?**——हिन्दू लॉ सिर्फ उन्हीं आदमियोंसे लागू नहीं होता जो हिन्दू मज़हब मानते हों, बल्के उन आदमियोंसे भी लागू होता है जो हिन्दू मज़हबके बाहर नहीं हैं चाहे वह ज़ाहिर तौरपर हिन्दू मज़हबकी रीतियोंका पालन न करते हों।

30 Cal. 999 में यह बात मानी गयी है कि, जो हिन्दू ब्रह्मसमाजी होजाता है वह हिन्दू बना रहता है, क्योंकि वह पहिले हिन्दूही पैदा हुआ है और ब्रह्मसमाजमें वह हिन्दूधर्मके माननेसे रोका नहीं गया इसलिये वह हिन्दू बना रहता है।

हिन्दू लॉ उस आदमीसे भी लागू होगा, जिसने हिन्दू धर्मकी खुराक और हिन्दुओंकी रसम रवाज छोड दिया हो। देखो-31 Cal. 11; जहां यह नहीं मालूम हो सके कि, कोई समाज या जाति हिन्दू है या मुसलमान, तो उनके विवाह और उत्तराधिकार विषयमें न्याय और सद्विचारके अनुसार अथवा उनकी जातिके रसम रवाजके अनुसार फैसला किया जायगा। देखो 20 M. L. J. 49;

सिख, जैन, खोजा आदि कई एसी जातियां भी हैं, जो हिन्दू धार्मिक रीति रसम न माननेपर भी हिन्दू लॉ के प्रभुत्वमें रहती हैं।

जो हिन्दू ईसाई होजाय उससे सन १८६५ का इन्डियन सक्सेशन एक्ट नम्बर १० लागू होता है। इस क़ानूनके पास होनेसे पहिले ईसाई होजानेवाले हिन्दूको अधिकार था कि चाहे वह अपना प्राचीन हिन्दू लॉ मानता रहे या न रहे परन्तु अब ऐसा नहीं होता यानी ईसाई होजानेवाला कोई हिन्दू अब भी हिन्दू रसम रवाज मानता है, प्रमाणके तौरपर मानी नहीं जायगी 2 Mad. I. L. R. 209; 19 B. 783;

इन्डियन सक्सेशन एक्टका संबंध हिन्दूकी जायदादसे नहीं है, परन्तु फिर भी कोई हिन्दू, किसी ईसाईकी जायदादका वारिस हो सकता है। देखो उक्त क़ानूनकी दफा ३३१, मुसलमान हो जानेवाले हिन्दूसे भी हिन्दू लॉ लागू नहीं होता 20 B. 53; 10 B. 1;

हिन्दू लॉ उन हिन्दुओंसे लागू होगा, जो जन्म और धर्मसे हिन्दू हों। देखो-9 M. I. A. 199—243; 'जन्म' से मतलब यह है कि जो हिन्दूकी प्रधानतामें पैदा हुए हैं और हिन्दूधर्म प्रकाशित नहीं किया देखो--भगवान् कुंवर बनाम बोस 31 Cal. 11—33; 30 I. A. 249; 19 Bom. 783—788; इन मुक़द्दमोंमें माना गया है कि हिन्दू लॉ उन लोगोंसे लागू नहीं होगा जो पैदाइशी हिन्दू नहीं हैं लेकिन सिर्फ हिन्दूधर्म मानते हैं। हिन्दू अवश्य पैदाइशी हो, बनाहुआ नहीं। प्रिवीकौन्सिलके सामने हालमें एक मार्केका मुक़द्दमा पेश हुआ। मामला यह था कि—एक हिन्दू क्षत्रीके मुसलमान स्त्रीसे एक अनौरस पुत्र पैदा हुआ, वह पुत्र हिन्दू मानकर परवरिश किया गया और वह अपने तमाम जीवनभर हिन्दूधर्म तथा हिन्दू प्रतिमायें मानता रहा, उसका विवाह एक हिन्दू क्षत्रियानीके साथ हुआ, उस क्षत्रियानीके गर्भसे एक लड़का पैदा हुआ। अब प्रश्न यह उठा कि यह लड़का हिन्दू नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसका बाप केवल हिन्दूधर्म मानता था, हिन्दू पैदा नहीं हुआ था। माननीय जजोंने दोनोंतरफकी बहस सुनकर कहा कि मुक़द्दमेंकी स्थितिके अनुसार हमारी रायमें इस विषयपर कोई राय

देना ज़रूरी नहीं मालूम होता। देखो--शरबहादुर बनाम गंगाबक्स (1913) 36 All 101 115, 116; 41 I. A. 1, 14;

दफा १२. हिन्दू लॉ किनसे लागू होता है ?——

(१) सिख—' सिखोंमें हिन्दू लॉ लागू होता है, इसी कानूनके अनुसार अदालतें उनके मामलोंका फैसला भी करती हैं। क्योंकि सिखोंकी गणना हिन्दू शब्दसे होती है उनके मामलोंमें न्याय और सद्विचारकेद्वारा विचार करनेकी पृथा काममें नहीं लायी जाती 31 C. 11; 30 I. A. 249; 5 Bom. L. R. 845; 13 M. L. J. 381; 7. C. W. N. 895;

(२) जैन-(क) जैनियोंका अगर कोई खास रवाज विरोधी न हो तो उनसे भी हिन्दू लॉ लागू होगा 31 C. 11; 30 I. A. 249; 7 C. W. N. 895; देखो 6 Bom; L. R. 1052; 29 B. 316; 11 Bom. L. R. 797; 3 Indian Cases 809;

(ख) जिन प्रांतोंमें जैनी रहते हों उस प्रांतके पक्के हिन्दू उत्तराधिकारके विषयमें जो हिन्दू लॉ मानते हों वही जैनियोंसे भी लागू होगा 23 B. 157;

(ग) अगर कोई रवाज विरोधी न हो तो अगरवाल जैनियोंसे भी साधारणतः हिन्दू लॉ लागू होता है 1 (1910) M. W. N. 432-433; 14. C. W. N. 545 (P. C.); 6 India Cases 272; 7 A. L. J. 349; 12 Bom. L. R. 412; 11 C L J. 454;

(घ) बौद्ध, जैन और सिख, जिस प्रांतमें रहते हों उस प्रांतमें माना जानेवाला हिन्दू लॉ उनसे लागू होता है 8 W. R. 116; 4 C. 744; 10 B. H. C. R. 241-258; 17 C. 518; 2 C W. N. 154; 22 B. 416; 23 B. 257; 16. M. 182; 16. B. 347; 1 A. 688; 3 A 55; 16. A. 379.

(३) कच्छी मेमन मुसलमान—जबतक किसी विरोधी रवाजका साफ साफ सुबूत मज़बूत न दिया जाय तबतक दायभाग और उत्तराधिकारके मामलोंमें कच्छी मैमन मुसलमानोंसे हिन्दू लॉ लागू होता है 14 B. 189; 30 B. 270; 7 Bom. L. R. 447; 5 B. L. R. 1010;

(४) खोजा मुसलमान-----(क) जबतक कोई विरोधी रवाजका मज़बूत, साफ-साफ प्रमाण न हो तबतक खोजा मुसलमानोंमें दायभाग, उत्तराधिकार, और जायदादके संबंधमें हिन्दू लॉ लागू होगा। देखो 12 B. H. C. 281; 13 B. 534; 9 B. 115; 9 B. 158; 3 C. 694; 6 B. 452; 10 B. I; 1 B. H. C. 71—73; 2 B. H. C. 292; 9 B. 133; 38 B. 449;

(ख) दायभाग और उत्तराधिकारके संबंधमें जो शर्तें हिन्दू लॉ में लागू हुई हैं वह सब खोजा मुसलमानोंको माननीय होती हैं। जब कोई खोजा मुसलमान किसी जायदादका वारिस होता है तो उस जायदादसंबंधी सब अधिकार और उसके देनलेनका भी ज़िम्मेदार होता है 29 B. 85; 6 Bom. L. R. 874;

(ग) अगर यह कहा जाय कि हिन्दू लॉ के विरुद्ध कोई रवाज खोजा मुसलमानोंमें जारी है तो इस बातका बारसुबूत रवाजके बयान करनेवालेपर है। रवाज साबित करनेके बारेमें जो यह शर्तें हैं कि रवाज प्राचीन हो, कभी उस रवाजमें तब्दीली न होती हो, और कानूनकी तरह माननीय हो, इन शर्तोंका सख्तीके साथ पालन खोजा मुसलमानोंमें न किया जायगा। सिर्फ यह साबित करना काफी होगा कि खोजा मुसलमानोंमें वैसी रवाज अधिकांश आदमी मानते हैं 12 B. H C. 294;

(घ) परन्तु रवाजके माने जानेके विषयमें खोजा मुसलमानोंके केवल अगुवालोगोंकी राय ही काफी नहीं होगी बल्के मिसालें देकर उन्हें यह साबित करना होगा कि ऐसा रवाज माना जाता है 3 B. 84;

(ङ) असल बात यह है कि अभीतक कोई यह निश्चय नहीं कर सका कि खोजा मुसलमानोंका हिन्दू लॉ से कितना संबंध है और प्रेसीडेन्सी शहरोंमें (कलकत्ता, बंबई और मद्रासमें) मुसलमान या अंगरेजी लॉ से कितना है ? खोजोंके मामलोंमें विचार करते समय यह नहीं देखना चाहिये कि खोजा मुसलमानोंने कितना हिन्दू लॉ ग्रहण किया है बल्के यह देखना चाहिये कि उन्होंने कितना हिन्दू लॉ छोड़ा है 3 Indian Cases 124, 157, 158;

(५) यूरोपियनोंके अनौरस पुत्र----दो हिन्दू स्त्रियोंसे एक यूरोपियनके कई एक अनौरस पुत्र थे, और वे सब हिन्दू रसम, रवाज मानते थे तो यह माना गया कि सब बातोंमें उनसे हिन्दू लॉ लागू होगा। हिन्दू लॉ में कहा हुआ मुश्तरका हिन्दू खानदान वे लड़के नहीं बना सकते थे, परंतु वे कोपार्सनर थे 8. M. I. A. 400 (P.C.); 2 M H. C. 196; 2 Seth (P.C.) 4; यह लड़के हिन्दू रसम रवाज मानते थे, इसलिये उनका उत्तराधिकार भी हिन्दू लॉ के अनुसार हुआ।

(६) हिन्दू या सिख जिन्होंने हिन्दू खानपान और धर्मकृत्य छोड़ दिये हैं-हिन्दू खानपान और धर्मकृत्य जो कि पक्के हिन्दूके लिये परमावश्यक हैं छोड़ देनेपर भी हिन्दू या सिख हिन्दूही माना जायगा, क्योंकि वह हिन्दू पैदा हुआ था और उस धर्मसे अलग नहीं किया गया 31.C.11, 33;

(७) ब्रह्मसमाजी होजानेवाले सिख और हिन्दू---यह ज़रूर नहीं है कि ब्रह्मसमाजी होजानेवाले सिख और हिन्दू अपनी जातिसे अलग समझे जावें 31 C. 11--33;

(८) पंजाबके कृषक समाज--पंजाबकी कृषक जातियां हिन्दू लॉ सख्तीसे नहीं मानतीं, परंतु उसका असर अवश्य उनके कस्टमरी लॉ पर पड़ा हुआ है 11 P. R. (1908); 92. P. L. R. 1901;

(९) दो धर्म माननेवाले खानदान------जो खानदान हिन्दू और मुसलमान दोनोंके रसम और रवाज मानते हों उनसे हिन्दू लॉ लागू किया जायगा 4 A. 343; 25 B. 551;

(१०) मोलासेलमगिरासिया-----मोलासेलमगिरासिया पहिले राजपूत हिन्दू थे, पीछे मुसलमान होगये। दायभाग उत्तराधिकारके मामलोंमें उनसे हिन्दू लॉ लागू होता है 20 B.181;

(११) सुन्नी बहोरे मुसलमान-----गुजरातप्रांतके अंतर्गत ढंढूका तालुकेके सुन्नी और बहोरोंसे उत्तराधिकार और दायभागमें हिन्दू लॉ लागू होता है 20 B. 53;

(१२) एक प्रांतसे दूसरे प्रांतमें जा बसनेवाले खानदानोंसे कौनसा लॉ लागू होता है ?—

(क) कोई हिन्दू खानदान जो एक ज़िलेसे दूसरे ज़िलेमें जाकर बसा हो, या एक प्रांतसे दूसरे प्रांतमें जाकर बसा हो, उसके विषयमें यही माना जायगा कि वह अपने खानदानका रसम रवाज अपने साथ ले गया है। बारसुबूत इस बातका उस पक्षपर है जो यह बयान करे कि उसने अपना कानून बदल दिया या उसने अपना रसम व रवाज छोड़ दिया। देखो—27 A. 203; 2 A. L. J. 720; 29 C. 433; 29 I. A. 82; 24 M. 650;

(ख) हिन्दू खानदानोंसे उनकी उत्पत्तिके स्थानोंका हिन्दू लॉ लागू होता है, न कि उनके रहनेके स्थानका। जबतक एसा साबित न किया जायगा तबतक उत्पत्तिके स्थानका लॉ ही उनसे लागू समझा जायगा W. R. 1864-56; 8 W. R. 261; 21 W. R. 89; 13 W. R. 47; 1 B. L. R. (P. C.) 26; 10 W. R. (P. C.) 35; 12 M. I. A. 81;

(ग) जब कोई हिन्दू खानदान दायभाग स्कूल मानता हो, दूसरे प्रांतमें चला गया हो जहां वह न माना जाता हो तो माना जायगा कि वह अपने साथ दायभाग ले गया है। बारसुबूत उस पक्षपर है जो बयान करे कि उसने दायभाग स्कूल छोड़ दिया 3 Indian Cases 563; 31 A. 477; 6 A. L. J. 591;

(घ) गुजरातसे किसी दूसरी जगह जा बसनेवाले हिन्दू खानदान अपने साथ मयूख

लॉ ले जा सकता है, जबतक कि इसके खिलाफ साबित न किया जाय 6 M. L. T. 181;

(ङ) अगर कोई कहे कि किसी ख़ानदानने दूसरी जगह बसकर अपना लॉ छोड दिया है तो एसा कहनेवालेको जायदादके मामलेमें यह साबित करना होगा कि उस ख़ानदानने जायदादके मामलेमें उस दूसरे प्रांतका लॉ स्वीकार कर लिया है 5 M. L. T. 181;

(च) दूसरी जगहमें बसाहुआ कोई हिन्दू ख़ानदान अपने पहिलेके स्थानका हिन्दू लॉ अब भी मानता है इसका खण्डन करनेके लिये यह कहा जा सकता है कि विवाहके सिवाय और सब कृत्य उस दूसरे स्थानके लॉ के अनुसार होते हैं 6 W. R. 295; और देखो 29 I. A. 70; 29. C. 483;

दफा १३. हिन्दू लॉ किन लोगोंसे नहीं लागू होगा ?——

(१) जब कोई हिन्दू मुसलमान हो गया हो—साधारणतः मुसलमान लॉ ही उन लोगोंसे लागू होता है जो हिन्दूसे मुसलमान होते हैं। परंतु जो लोग मुसलमान हो जानेपर भी हिन्दू रवाज मानते हैं उनसे केवल उत्तराधिकार और दायभागके मामलोंमें हिन्दू लॉ लागू होगा। बाकीमें नहीं। यदि कोई कहे कि उन लोगोंमें हिन्दू लॉके रवाजके विरुद्ध कोई रवाज जारी है तो उसका बारसुबूत उस पक्षपर होगा जो इसे बयान करता हो 20 B. 53; 10 B. 1. जो हिन्दू मुसलमान होगये और कई पुश्तोंतक वही धर्म मानते रहे तो उनकी जायदादके उत्तराधिकारका फैसला मुसलमान लॉके अनुसार होगा-देखो 1 Agra. F.B. 39; 2 Agra 61; 2Agra82,

(२) जो हिन्दू मुसलमान होगया हो उसकी जायदाद किसको मिलेगी ?—मुसलमान होजानेके समयतक जितनी जायदाद किसी हिन्दूकी हो उसके हक़दार वही लोग होते हैं जो हिन्दू लॉ के अनुसार होना चाहिये। बापके मुसलमान होतेही बेटा सारी मुश्तरका जायदादका एकमात्र मालिक हो जाता है 29 A. 481; परंतु मुसलमान होनेके बाद जो जायदाद वह प्राप्त करे उसका उत्तराधिकार मुसलमान लॉ के अनुसार होगा 10 M. I. A. 537;

(३) ईसाई होजानेवाले हिन्दू—(क) इन्डियन सक्सेशन् एक्ट नम्बर १० सन १८६५ ई० के पास होनेसे पहिले ईसाई होजानेवाले हिन्दूओंको अधिकार था कि उत्तराधिकारके विषयमें हिन्दू लॉ माने या न माने। देखो 1 W. R. (P. C.) 1; 9M. I. A. 195, परंतु इस एक्टका असर उसके पास होनेसे पहिलेके समयपर नहीं पड़ता अर्थात् उसके पास होनेके पहिले जो अधिकार किसीको प्राप्त हों उनपर इस एक्टका असर नहीं पड़ता 2 M. 209.

(ख) अब्रहाम बनाम अब्रहामके मामलेमें माने हुए सिद्धांत—प्रिवीकौन्सिलने इस मामलेमें (9 M. I. A. 195) यह माना कि किसी आदमीके ईसाई होजानेपर उसके अधिकारों और संबंधोंपर जिनसे ईसाईमतका कुछ संबंध न हो उस आदमीके ईसाई होजानेका कोई असर नहीं पडता। ऐसा आदमी आगे अपने चलनसे यह दिखला सकता है कि उन मामलोंमें वह कौनसा लॉ मानना चाहता है। चाहे वह अपना पुराना लॉ माने या छोड़ दे, ईसाई होजातेही उस आदमीका संबंध उसके ख़ानदानसे छूट जाता है। यह मुक़द्दमा इन्डियन सक्सेशन एक्टके पास होनेसे पहिलेका है, आजकल ईसाई होजानेवाले आदमियोंसे उक्त एक्ट लागू होता है अर्थात् उसके असरसे अब ईसाई हो जानेवाले हिन्दू, हिन्दू लॉ नहीं मान सकते हैं।

(ग) दो भाई हिन्दू थे, पीछे वह दोनों ईसाई हुए। ईसाई होनेपर वे जैसा कि पहिले हिन्दू रहनेपर शामिल शरीक रहते थे उसी तरहपर रहते रहे। कुछ दिनबाद एक भाई मर गया और उसने एक विधवा छोडी। मदरास हाईकोर्टने माना कि मृतकी जायदादका एक आधा हिस्सा उसके वारिसको मिलेगा, मगर बंबई हाईकोर्टने यह माना कि सरवाइवरशिप (दफा ५५८)के अनुसार दूसरे भाईको मिलेगा 10 Mad 69; 31 Bom. 25; 40 Cal. 407-417-418;

(३) हिन्दू लॉ के स्कूलोंका वर्णन.

Schools of Law.

दफा १४. स्कूलोंमें भेद पड़नेका कारण-----मिस्टर मेनने कहा है 'स्कूलस् आफ़ लॉ' (Schools of Law) यह शब्द हिन्दुस्थानके प्रत्येक भागोंमें भिन्न भिन्न कानूनके अर्थके सबसे बना है। स्कूलका अर्थ है 'शाखा,' अगर आप भिन्न भिन्न स्कूल बननेका पूरा पूरा इतिहास देखना चाहें तो देखो (कलक्टर आफ़ मदुरा बनाम मुट्टूरामलिंग 12 M. I. A. 435;) इसमें कहा गया है कि जो किताब सब जगह मानी जाती थी उसपर सब स्थानोंमें अलग अलग टीकायें हुयीं, उनमें टीकाकारोंने अपना अपना मत प्रदर्शित किया, यानी एक टीकाकारका मत एक जगह माना गया मगर दूसरी जगह नहीं; इसी तरहपर दूसरे टीकाकारका मत दूसरी जगह माना गया मगर अन्य जगह नहीं, इन टीकाओंके अर्थोंके फरकसे भिन्न भिन्न स्कूल बन गये। जैसे मिताक्षरा और दायभाग एकही याज्ञवल्क्यस्मृतिकी टीकायें हैं, परंतु मिताक्षरा बंगालको छोड़कर बाक़ी सब हिन्दुस्थानमें मानागया और दायभाग सिर्फ बंगालमें। इसी तरहपर मिताक्षराके ऊपर जितनी टीकायें हैं वह एक जगहपर एककी तथा दूसरी जगहपर दूसरे की टीका मानी जाती है। इसी सबबसे हिन्दुस्थानमें ६ प्रधान स्कूल होगये।

दफा १५. हिन्दू लॉ की अनेक शाखायें---मिस्टर कोलब्रुकने अपनी हिन्दू लॉ में हिन्दू लॉ के दो बड़े स्कूल माने हैं जिनका सिद्धांत एक दूसरेके विरुद्ध है। मिताक्षरा स्कूल और दायभाग स्कूल। मिताक्षरा स्कूलके अनुयायी थोड़े थोड़े फरकके साथ भिन्न भिन्न होते हैं वास्तवमें उन सबका सिद्धांत एकही है, मगर दायभाग स्कूलका सिद्धांत बिल्कुल अलग है।

मिस्टर मोर्लेके मतसे मिताक्षराके मुख्य चार स्कूल हैं, बनारस, मिथिला, महाराष्ट्र, और द्रविड़। तथा द्रविड़के अन्तर्गत तीन भाग किये गये हैं, द्रविड़, कर्नाटक, और आन्ध्र। इसी तरहपर मदरास हाईकोर्ट और जुडीशल् कमेटीने बनारस स्कूल और द्रविड़स्कूलको कुछ फरकके साथ माना है इसी तरहसे आंध्र और द्रविड़को भी माना है। डाक्टर बर्नल कहते हैं कि कर्नाटक स्कूल और आंध्रस्कूल यह दोनों विना मतलबके हैं मगर आगे उन्होंने जैसा कि कोलब्रुक साहेबने माना था कि हिन्दू लॉ के अंदर दो बड़े स्कूल हैं दायभाग और मिताक्षरा, इस रायसे सहमत हो जाते हैं।

स्कूलोंके विषयमें जस्टिस महमूदकी राय देखो---गंगासहाय बनाम लेखराज सिंह 9 All. I. L. R. 290.

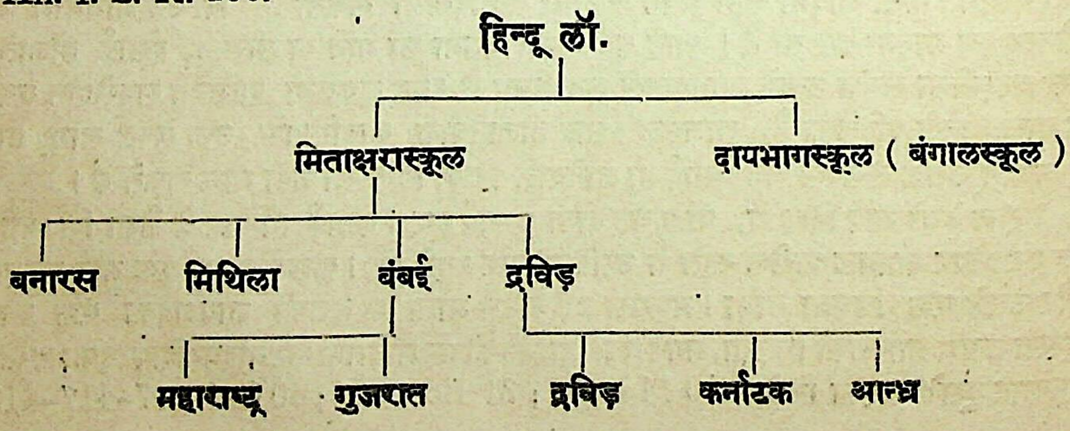

दफा १६. मिताक्षरा और दायभागमें क्या फरक़ है ?——अगर मिताक्षराके साथ दायभागका मुक़ाविला किया जाय तो यह वात मालूम हो जायगी कि दोनों धर्मशास्त्रोंमें सिद्धांत पक्षकाही विरोध है । समझनेके लिये कुछ सिद्धांत दोनों स्कूलोंके नीचे देखिये, आगे प्रकरण ६, ८, और ९ में विस्तारसे वर्णन किया गया है ।

मिताक्षरा और दायभागका भेद

मिताक्षरा	दायभाग
(१) लड़केको जन्मसेही पैतृक जायदादमें हक़ प्राप्त हो जाता है । बाप अपनी ज़िंदगीमें मौरूसी जायदादका पूरा अकेला मालिक नहीं है । लड़का बापसे बटवारा करा सकता है । देखो दफा ३८६, ४०२, ५०५	लड़केको जन्मसेही पैतृक जायदादमें कोई हक़ नहीं प्राप्त होता । बाप अपनी जिंदगीमें मौरूसी जायदादका पूरा अकेला मालिक है । लड़का बापसे बटवारा नहीं करा सकता । देखो दफा ४६२, ४६३, ४६४.
(२) मुश्तरका ख़ानदानमें हरएक आदमीका हिस्सा अलहदा नहीं होता, वह सब सरवाइवरशिपके साथ मुश्तरका क़ाविज रहते हैं तथा मदरास और बंवई प्रांतके सिवाय कोई आदमी अपने मुश्तरका हिस्सेका इन्तक़ाल नहीं कर सकता विना मंज़ूरी दूसरे कोपार्सनरोंके ।	मुश्तरका खानदानमें बापके मरनेके वाद भाइयोंमें या दूसरे भिन्न शाखावाले रिश्तेदारोंमें हरएक आदमी अपने अपने हिस्सेकी जायदादका पूरा मालिक है, और वह विना मंज़ूरी दूसरे शरीक कोपार्सनरोंके अपने हिस्सेका इंतक़ाल कर सकता है, यानी वेंच सकता है, रेहन कर सकता है, दान कर सकता है ।
(३) वरासतका क्रम क़रीबकी रिश्तेदारी या ख़ानदानी संबंध हीसे निर्धारित किया जाता है । स्त्रीसंबंधी रिश्तेदारोंके मुक़ाबिलेमें मर्दसंबंधी रिश्तेदारोंको प्रधानता दीगयी है।	वरासतका क्रम धार्मिक प्रभावपर निर्भर माना गया है । स्त्रीसंबंधी रिश्तेदारोंके मुक़ाबिलेमें मर्दसंबंधी रिश्तेदारोंको प्रधानता नहीं दी गयी है ।
(४) मुश्तरका ख़ानदानके किसीभी आदमीके नाम जो जायदाद ख़रीदी गयी हो उसे अदालत मुश्तरका जायदाद ख्याल करती है और जो आदमी उसे मुश्तरका न बयान करता हो वारसुबूत उसी पर होगा । देखो—31 A. 477; 6 A. L. J. 591; 3 Ind. Case 563; 31 Cal. 448.	मुश्तरका ख़ानदानके किसी आदमीके नामसे अगर कोई जायदाद ख़रीद की गयी हो तो अदालत यह नहीं ख्याल करेगी कि वह मुश्तरका है । जो यह बयान करता हो कि जायदाद मुश्तरका है तो वारसुबूत उसीपर होगा । देखा—31 A. 477; 31 C. 448.
(५) कोपार्सनरोंके हक़की बुनियाद पुत्रके जन्मसेही होती है । बापकी ज़िंदगीमें पुत्र कोपार्सनर होता है । स्त्रियां कभी कोपार्सनर नहीं होतीं ।	कोपार्सनरोंके हक़की बुनियाद बापके मरनेके बादसे होती है । बापकी ज़िंदगीमें पुत्र कोपार्सनर नहीं होता । स्त्रियांभी वारिस बनकर कोपार्सनर हो जाती हैं ।
(६) जब किसी आदमीने मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादका हिस्सा नलाममें ख़रीद किया हो तो वह कभी कोपार्सनर नहीं होगा, बल्के उसे बटवारा कराना होगा	मुश्तरका ख़ानदानके किसी आदमीपर जब अदालतसे क़र्ज़ेकी ड़ीकरी हो और उसके नीलाममें जिसने जायदाद ख़रीदी हो वह ख़रीदार उस आदमीके स्थानापन्न होकर कापासनर

तब ख़रीदी हुई जायदादपर वह क़ब्जा पावेगा। पट्टेदार, ठेकेदार, कभी कोपार्सनर नहीं हो सकता, और न उनका स्थानापन्न हो सकता है ।	हो जाता है, इसी तरहपर पट्टेदार, ठेकेदार भी हो जाता हैं।
(७) मुश्तरका ख़ानदानके सब लोग जायदादको क़ाबिज़मुश्तरक (Joint-tenant) रखते हैं यानी सरवाइवरशिप के हक़के साथ क़ब्जेमें रखते हैं। तथा मुश्तरका ख़ानदानके मेनेजरके अधिकार ट्रस्टीकी तरह नहीं होते। देखो—32 M. 271.	मुश्तरका ख़ानदानके सब लोग जायदादको क़ाबिज़ शरीक (Tenant in common) रखते हैं यानी सरवाइवरशिपका हक़ नहीं होता। तथा मुश्तरका ख़ानदानके मेनेजरके अधिकार बहुत कुछ ट्रस्टीकी तरह हैं 32 M. 271; 19. M. L. J. 70;
(८) जब कोई मुश्तरका ख़ानदानका मेम्बर बटवारेका दावा करे तो वह मेनेजरसे पिछला हिसाब नहीं मांग सकता, सिर्फ़ यह पूंछ सकता है कि इस वक्तका हिसाब कितना है ।	जब कोई मेम्बर बटवारेका दावा करे तो वह पिछला हिसाब मुश्तरका ख़ानदानके मेनेजरसे तलब कर सकता है ।

दफा १७. मुश्तरका जायदादमें बाप और बेटेका हक़——दायभाग यानी बंगाल स्कूल और मिताक्षरा स्कूलमें बहुत बड़ा फरक़ है। बंगाल स्कूलका सिद्धांत है कि बाप अपनी जिंदगीमें अकेला तमाम जायदादका मालिक है यानी बेटे बापके जीतेजी जायदादके बटवारा करानेकी बातभी नहीं कहसकते और न ज़ोर दे सकते हैं क्योंकि बेटोंके लिये मिलकियत उनके पैदा होनेसे नहीं पैदा होजाती बल्के बापके मरनेके बाद उस मिलकियत पर बेटोंका हक़ पैदा होता है इसलिये मौरूसी जायदादमें भी बापकी ज़िंदगीमें बिला रजामंदी बापके तक़सीम नहीं हो सकती. बापके मरनेपर बेटोंको सिर्फ़ वही जायदाद मिलेगी जो बापने छोड़ी हो। यह ज़रूर हैं कि बापचाहे असली मौतसे या क़ानूनी मौतसे मरा हो मगर पहिले लड़कोंको उसकी छोडी हुई सब जायदाद ज़रूर पहुंच जावेगी। सब लड़के उत्तराधिकारके अनुसार मालिक होंगे और बटवारा करानेका हक़ उस वक्त पैदा होजावेगा। देखो दफा ४६१–४७५

मिताक्षरा स्कूलमें ऐसा नहीं होता बापके जीतेजी बेटा मौरूसी जायदादका बटवारा करा सकता है क्योंकि बेटा कोपार्सनर है, और अगर बापने बिला क़ानूनी ज़रूरतके जायदाद बेंच दी हो या रेहन कर दी हो तो उसे बेटा मंसूख करासकता है। देखो दफा ४५५–४५७.

दफा १८. शामिल शरीक हिस्सेदार———दायभागमें सहोदर भाई या शामिल शरीक ख़ानदानी, शामिल शरीक परिवारमें रहनेपर भी सब अपने अपने हिस्सेके अलहदा अलहदा मालिक समझे गये हैं क्योंकि यहमाना गया है कि अविभक्त परिवारमें हरएक हिस्सेदार अपने हिस्सेके अनुसार जायदादको अपनी मरज़ीके मुताबिक़ दूसरेको बेंच सकता है, रेहनकर सकता है उसके कर्ज़ेमें भी सिर्फ़ उसीका हिस्सा पाबंद होगा

मिताक्षरा इसके विरुद्ध कहता है उसका कहना है कि कोई आदमी जो शामिल शरीक परिवारका हो बिना बटवारा के अपना कोई हिस्सा स्थिर नहीं कर सकता कि उसका कितना है, और न इन्तक़ाल कर सकता है जब तक कि सब कोपार्सनरोंकी मंजूरी प्राप्त न हो।

दफ़ा १९. उत्तराधिकार——दायभागमें वरासत यानी उत्तराधिकारमें मज़हबी असर सबसे प्रधान माना गया है, धार्मिक फल उस वरासतका क्या होगा इस बातको ध्यानमें रखकर यह विषय निश्चित किया गया है, नज़दीकी और दूरके रिश्तेदारोंमें फरक़ नहीं माना गया, सबको समान समझा है तथा स्त्रीसंबंधी रिश्तेदारोंके मुक़ाबिलेमें मर्दसंबंधी रिश्तेदारोंकी प्रधानता नहीं दी गयी।

मिताक्षरा स्कूलमें समान नहीं माने गये धर्मकृत्यके अनुसार दरजे क़ायम किये गये हैं यद्यपि दायभागमें भी दरजे क़ायम किये गये हैं परंतु दोनोंके दरजोंमें बहुत फ़रक़ है इसमें मर्दसंबंधी रिश्तेदारोंकी प्रधानता दी गयी है।

दफ़ा २०. मुश्तरका जायदादमें बापका हक़——दायभागके अनुसार अविभक्त परिवारमें बापको ख़ानदानकी संपूर्ण जायदादका अकेला मालिक स्वीकार किया गया है। इस बातसे बिल्कुल इनकार किया है कि मौरूसी जायदादमें बेटाका हक़ उसकी पैदाइशसे पैदा हो जाता है, इसलिये बापको कुल पैतृकसंपत्तिको इन्तक़ाल कर देनेका अधिकार उसकी मरज़ीपर निर्भर है, लड़केका हक़ उसमें कुछ नहीं माना गया और न लड़का पैतृकसंपत्तिको बापकी मौजूदगीमें बटवारा करा सकता है क्योंकि वह कोपार्सनर नहीं माना गया।

उदाहरण—हिन्दू शामिल शरीक ख़ानदानकी जायदादका मालिक रमाशंकर अपने बापके मरनेपर हुआ, रमाशंकरके एक लड़का मुकुंद पैदा हुआ, मुकुंद अपने पिता रमाशंकरकी ज़िंदगीमें पितामह (दादा) की जायदादमें कोई हक़ नहीं रखता और जब उसको पिताकी मौजूदगीमें मौरूसी जायदादमें कोई हक़ पैदा नहीं हुआ तो इसलिये वह अपने हिस्सेका बटवारा भी नहीं करा सकता क्योंकि उसकाही असलमें हक़ नहीं है। पिताको पूरा अधिकार है कि वह अपनी मरज़ीके अनुसार जिसे चाहे दे दे, या बेंच दे या रेहन करदे।

मिताक्षराके अनुसार एसा नहीं हो सकता लड़केकी पैदाइशसे उसका हक़ मौरूसी जायदादमें पैदा हो जाता है और पिता लड़केके हक़को अपने अधिकारसे इन्तक़ाल नहीं कर सकता, और पितासे मौरूसी जायदादका बटवारा करा सकता है।

दफ़ा २१. पतिकी जायदादमें विधवाका अधिकार——दायभागके अनुसार अविभक्त परिवारकी विधवा अपने पतिकी जायदादके हिस्सेपर मालिकाना अधिकार रखती है; और वह अपने पतिके हिस्सेकी वारिस होती है, अगर उसका पति लावल्द मरा हो तो अपने हिस्सेको तक़सीम करा सकती है.

मिताक्षराके अनुसार कोई हिन्दू विधवा अविभक्त परिवारमें उसवक्त तक पतिकी जायदादकी मालकिन नहीं हो सकती जबतक कि उसका पति तनहा और जुदागाना मालिक होकर न मरा हो। अगर पति मुश्तरका ख़ानदानमें मर जावे तो विधवाका अलहदा करनेवाला हक़ भी मर जाता है.

दफ़ा २२. बटवारामें विधवाका अधिकार——दायभागमें, कोई आदमी अपनी संतानमें अपनी खुद कमाई हुई जायदादका या पैतृकजायदाद या दोनोंका बटवारा करेगा तो उसे लाज़िम होगा कि पुत्रोंके साथ माका हिस्सा बराबर देवे, और एसी सूरतमें जब कि कोई आदमी अपनी ख़ास जायदाद किसी स्त्रीको दे दे तो दूसरी स्त्रियां अगर कोई हों चाहे वह संतानवाली हों या न हों उसी क़दर जायदाद पानेकी अधिकारिणी होंगी जिस क़दर पहिली स्त्रीको दी गयी थी। और अगर उनको जायदाद न मिली हो तो लड़कोंके समान हिस्सा

पानेकी अधिकारिणी होगी देखो-दायकर्मसंग्रह ६ अ० २२-२६ दायभागमें विधवाका अधिकार ऐसा है कि चाहे उसका पति संतान छोड़कर या न छोड़कर मरा हो वह भाग पानेका दावा कर सकती है । अगर मरतेवक्त पतिने संतान नहीं छोड़ी और मुश्तरका ख़ानदानमें मरा है तो भी विधवा उसकी वारिस होगी क्योंकि वह पतिकी हिस्सेदार मानी गयी है कारण यह बताया गया है कि विवाह होनेके पश्चात् वह अपने पतिके गोत्रवाली हो गयी और पतिके शरीरमें आधा भाग उसे मिल गया इसलिये पतिके मरनेके बाद वह अपने हिस्सेका दावा करके मालिकाना क़ब्ज़ा रख सकती है ।

कलकत्ता हाइकोर्टने इस विषयका यों निश्चय किया है कि विधवाके दावाके मुवाफ़िक़ बटवाराकी ड़िकरी देनेके पहिले यह विचार करलेना चाहिये कि इस ड़िकरीसे भावी वारिसके ऊपर तो किसी क़िस्मका असर ख़िलाफ़ नहीं पड़ता और अदालतको देखलेना चाहिये कि दावा दर असल जायज़ ज़रूरतके होनेसे दायर किया गया है, और उसके ड़िकरी करनेसे मुश्तरका ख़ानदानमें तो कोई बाधा नहीं पड़ती, और विधवा सही तौरपर अपने हक़ अथवा उसके हक़पर जो विधवाके मरनेपर वारिस होगा क़ायम मुकाम होगी देखो-महादे बनाम हरकनरायन 9 Cal. 244-250 ; यह भी माना गया है कि अगर बापके औलाद हो और वह एक ऐसी विधवा छोड़कर मरा हो जो उस औलादकी माता न हो (सौतेली माँ) तो वह रोटी कपड़ासे अधिक पानेका हक़ नहीं रखती । और अगर बाप औलाद छोड़कर मराहो और उसकी विधवा जो औलादकी मा हो तो उसे भी सिवाय रोटी कपड़े मिलनेके और ज़्यादा अधिकार नहीं है मतलब यह है कि पुत्रके जीतेजी माको अधिकार नहीं है । ऐसी दशामें विधवा बटवाराका दावा स्वयं नहीं कर सकती मगर यदि दूसरोंकी तरफ़से ऐसा दावा होगा तो वह अपना हिस्सा बटा लेगी ।

दफ़ा २३. स्कूलोंमें मान्य ग्रन्थ——

(१) बनारस स्कूल——(क) इस स्कूलमें याज्ञवल्क्यस्मृतिकी टीका मिताक्षरा सर्वोपरि मानी जाती है (देखो दफ़ा ९) जहां कि, किसी काम करनेकी आज्ञा हो, और उस कामका न करना पाप हो तो विज्ञानेश्वरके अनुसार वह आज्ञा सर्वथा मान्य होगी और उस कामका करना लाज़िमी होगा 32 B. 26 ; 9 Bom. L. R. 1187 ; विज्ञानेश्वरका मत है कि जब सभी स्मृतियां एक समान मान्य हों और उनमेंसे दो या अधिक स्मृतियोंमें मतभेद हो तो अदालतको अधिकार है कि उनमेंसे चाहे जिसे माने 11 Bom. L. R. 708.

(ख) सुबोधिनी—मिताक्षरापर टीका है (देखो दफ़ा ८ और दफ़ा ९ पैरा २२)

(ग) वीरमित्रोदय—गोपालचन्द्र शास्त्रीने अंगरेज़ी भाषांतर किया है सन १८७९ ई. में (देखो दफ़ा ९) बनारसस्कूलका लॉ समझनेके लिये और मिताक्षरामें जो संदेह पड़े उसके मिटानेके लिये यह ग्रन्थ माना गया है 12 M. I. A. 448 ; 3 B. 369 ; 25 C. 367.

(घ) कल्पतरु—इसे तेरहवीं शताब्दीमें पं० लक्ष्मीधरने लिखा था।

(ङ) दत्तकमीमांसा-सदर लेन्डसाहबने इसका अंगरेज़ी भाषांतर किया है (देखो दफ़ा ९)

(च) निर्णयसिंधु-सन् १६१२ ई० में इसे कमलाकरने लिखा था ।

(२) मिथिलास्कूल——यह स्कूल, तिरहुत और उत्तरबिहारमें १५ वीं शताब्दीमें चन्द्रेश्वर और वाचस्पतिका जारी किया हुआ है ।

(क) मिताक्षरा—(देखो दफ़ा ९)

(ख) व्यवहारचिंतामणि और विवादचिंतामणि—इन दोनों ग्रन्थोंको वाचस्पति मिश्रने मिथिलामें बनाया था (देखो दफ़ा ९) मिथिलास्कूलमें यह ग्रन्थ सबसे बढ़कर मान्य हैं। विवादचिंतामणिका अनुवाद बाबू प्रसन्न कुमार ठाकुरने किया है 11 M. I. A. 487.

(ग) विवादरत्नाकर—यह ग्रन्थ चन्द्रेश्वरका लिखा है वे मिथिला नरेशके मंत्री थे इसका अनुवाद बाबू गुलाबचन्द्र सरकार और बाबू दिगंबर चटरजीने अंगरेज़ीमें किया है।

(घ) दत्तकमीमांसा—(देखो दफा ९)

(ङ) द्वैतनिर्णय—यह ग्रन्थ वाचस्पति मिश्रका बनाया है।

(च) शुद्धिविवेक—इसके कर्ता रुद्रधर थे।

(छ) द्वैत परिशिष्ट—इसके कर्ता केशवमिश्र थे।

(३) बंबई स्कूल=महाराष्ट्र स्कूल——(क) मिताक्षरा—(देखो दफा ९) पश्चिम भारतमें यह ग्रन्थ उत्तराधिकारके मामलेमें सबसे अधिक मान्य है। मयूखका दरजा इससे नीचे है, नीचा होनेपर भी शास्त्रीय आज्ञायोंके विषयमें यह भी अधिक मान्य ग्रन्थ है 12 B. H. C. R. 65; 2 B. 418. रत्नागिरी ज़िलेमें मिताक्षरा सर्व प्रधान ग्रन्थ है 14 B. 605; 612 मयूखका दरजा दूसरा है। मिताक्षरा और मयूखका अर्थ एक दूसरेसे मिलाकर करना चाहिये। उत्तराधिकारके मामलेमें जहां मिताक्षरा और मयूखमें मतभेद हो वहांपर मयूखकी बात मानी जायगी साधारण नियम यही है ; जहांतक संभव हो दोनों ग्रन्थोंके अनुसार अर्थ करना चाहिये 30 B. 431 (P.C.) ; 10 C. W. N. 302 (P. C.); 16 M. L. J. 446; 8 B. L. R. 446.

बंबई हाईकोर्टका यह पुराना नियम है कि जहां मिताक्षरा चुप हो या स्पष्ट आज्ञा नहीं हो वहांपर व्यवहारमयूखकी सहायतासे ही अर्थ किया जायगा 32 B.300; 10 B.L.R. 389; बालंभट्टकृत मिताक्षराका टीका बंबईके हिन्दूगण नहीं मानते। नन्दपण्डितके संबंधमें भी ऐसाही समझना चाहिये 32 B. 300; 10 B. L. R. 389.

(ख) व्यवहारमयूख—इस ग्रन्थके कर्ता नीलकण्ठ थे जो सन १६०० ई. में पैदा हुए इनके ग्रन्थका व्यवहार सन १७०० से आरंभ हुआ। गुजरात और बंबई द्वीपमें यह सर्वमान्य ग्रन्थ है, तथा उत्तर कोकणमें भी माना जाता है, अहमदनगर, पूना और खानदेशमें मिताक्षराके तुल्य माना जाता है पर मिताक्षराकी आज्ञाको खण्डन नहीं कर सकता इस ग्रन्थका अंगरेज़ी अनुवाद बोरोड़ेल और मिस्टर मण्डलीकने किया है 3 B. 353; 14 B. 624; 11 B. 285-294; नीलकण्ठने स्मृतियोंके श्लोकोंके अर्थका जिसप्रकार व्यवहार किया है उसमें दो बातें ध्यान देनेयोग्य हैं एक तो यह कि जिन श्लोकोंमें मनुष्यों या वस्तुओंका क्रम या उनमेंसे किसीका पहिले होनेकी बात कही गयी है वहांपर नीलकण्ठने वह क्रम साफ तौरसे कह दिया है परंतु ऐसे किसी श्लोकको, बिना किसी दूसरे श्लोकके प्रमाणके अर्थ नहीं करना चाहिये 7 B. L. R. 622.

(ग) निर्णयसिंधु—इस ग्रन्थके कर्ता कमलाकर थे इनका ग्रन्थ दक्षिण-पश्चिम और उत्तरके स्कूलोंमें सर्व प्रधान मान्य है।

(घ) दत्तकमीमांसा—(देखो दफा ९) दत्तक विधानमें यह ग्रन्थ अवश्य मान्य है परंतु जहांपर नन्दपण्डित स्मृतियोंसे भिन्न होते हैं या उनमें कुछ बढ़ाते हैं या उनकी बात, अदालतके माने हुए किसी पुरानी रवाजके विरुद्ध हो तो वहांपर वह मान्य नहीं हैं 10 B. L. R. 948.

(ङ) कौस्तुभ—

(४) द्रविड़स्कूल——दक्षिण भारतमें देवानन्द भट्टने तेरहवीं शताब्दीमें जारी किया।

(क) मिताक्षरा—दक्षिणभारतमें मिताक्षरा सर्वोपरि ग्रन्थ माना जाता है यदि स्मृतिचन्द्रिकासे भिन्न होनेका कोई साफ प्रमाण न हो तो स्मृतिचन्द्रिकाके ऊपर मिताक्षरा ही माना जायगा 29 M. 358.

(ख) स्मृतिचन्द्रिका—जिससमय दक्षिणभारतमें विजयनगर राज्य था उस समय

देवानन्द भट्टने इस ग्रन्थको लिखा था देवानन्द तेरहवीं शताब्दीमें हुए उनके ग्रन्थका अंगरेजी अनुवाद श्रीयुत् कृष्णसामी ऐय्यर मद्रास निवासीने सन १८६७ में किया।

(ग) दायभाग—यह बंगालस्कूलका दायभाग नहीं है। इसके कर्ता थे विजयनगर नरेशोंके प्रधानमंत्री माधवी। यह चौदहवीं शताब्दीके उत्तरार्द्धमें हुए, इनके ग्रन्थका अनुवाद डॉक्टर बरनलसाहेबने अंगरेजीमें किया है।

(घ) सरस्वतीविलास—सोलहवीं शताब्दीके आरंभमें या चौदहवीं शताब्दीमें उड़ीसाके एक राजा प्रतापरुद्रदेवने इसे लिखा और पादरी मिस्टर फोलकेसने अंगरेजी अनुवाद किया।

(ङ) वरदराज—वरदराजने इस ग्रन्थको लिखा था वे सोलहवीं या सत्रहवीं शताब्दीमें हुए। यह तामिल देशके रहनेवाले थे डॉक्टर बरनलने इस ग्रन्थका अंगरेजी अनुवाद किया है।

(च) दत्तकचन्द्रिका—(देखो दफा ९) यह दत्तकविधानके दो खास ग्रन्थोंमेंसे एक है। ऐसा कहा जाता है कि इस ग्रन्थका आदर द्राविड़में किया गया है; इस ग्रन्थके कर्ता बंगालके कुबेर थे। भट्टाचार्य्य हिन्दू लॉ जिल्द १ एड़ीशन् तीसरा पेज ३२८ में कहा गया है कि साधारणतः ऐसा कहा जाता है कि इस ग्रन्थके कर्ता देवानन्दभट्ट थे। परंतु इसी विषयमें ऐसे भी प्रमाण हैं कि बहिर्गाछी निवासी पं० रघुमणि इसके कर्ता थे जिनका देहान्त सन १८१६ में हुआ।

(छ) पराशरमाधवीय—यह ग्रन्थ पराशरस्मृतिका माधवाचार्यकृत टीका है। बनारस और दक्षिण तथा पश्चिमके स्कूलोंमें यह बड़ा मान्य है माधवाचार्य विजयनगर नरेशोंके प्रधान मंत्री थे। सर विलियम मेक्नाटन्, सर टामसस्ट्रेन्ज, मिस्टर कोलब्रुक आदि सभी बड़े मान्य यूरोपियन विद्वान् इस बातमें सहमत हैं कि दक्षिणभारतमें मिताक्षरा, स्मृतिचन्द्रिका और माधवीय सर्व प्रधानमान्य ग्रन्थ हैं। स्मृतिचन्द्रिका और माधवीय यह दोनों द्राविड़स्कूलके खास ग्रन्थ हैं। देखो 12 M. I. A. 437;

(ज) रघुनन्दन—यह दक्षिण हिन्दुस्तानमें नहीं माना जाता—31 M. 100; 18 M. L. J. 70; 2 M. L. T. 533.

(५) बंगालस्कूल=दायभागस्कूल—पंद्रहवीं शताब्दीमें जीमूतवाहन और रघुनन्दन मिश्रने जारी किया था—

(क) दायभाग—(देखो दफा ९) यह ग्रन्थ बंगालमें सर्व मान्य है। यह सारा ग्रन्थ मानो मिताक्षराके सिद्धान्तोंपर आक्रमण करनेके लिये लिखा गया था। इसका अनुवाद मिस्टर कोलब्रुकने अंगरेजीमें किया है। बंगालमें जब दायभाग और किसी दूसरे ग्रन्थमें मतभेद हो तो दाय भाग ही माना जायगा। दायभागकी सब बातें मानलेना लाज़िमी नहीं हैं उसके बचनोंमें इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि जो कुछ कि वह कहता है वह धर्मशास्त्रका ठीक अर्थ है या नहीं और रवाजसे भी माना हुआ है या नहीं। इसके सिवाय इस बातका भी ध्यान रखना चाहिये कि उसका कोई श्लोक जाली या पीछेसे जोड़ाहुआ तो नहीं है 8 C. L. J. 369. दायभागके अध्याय ४ के तृतीय परिच्छेदमें ३२-३३ का बचन और ३१ श्लोकमें 'स्वस्रीय' शब्द पीछेसे जोड़ा गया है तथा जाली है देखो—8 C. L. J. 369 बचन यह है—

"न तु सुतपदमौरसविशेषणं वैयर्थ्यात् सपत्नीपुत्रसद्भावेऽपि स्वस्रीयाद्यधिकारापत्तेश्च ४-३-३२" "औरस पुत्र कन्ययोः सपत्नीपुत्रस्यचाभावेदौहित्रस्याधिकारिता ४-३-३३"

(ख) दायतत्व—इसे रघुनन्दनने लिखा था इसका अनुवाद अंगरेज़ीमें बाबू गुलाबचन्द्र सरकारने किया है।

(ग) दायकर्मसंग्रह—इसके कर्ता थे श्रीकृष्णतर्कालंकार। इसका अंगरेजी भाषांतर मिस्टर विंचने किया है इसमें दायभागके अनुसार उत्तराधिकारके विषयका वर्णन है।

(घ) दायभागका टीका श्रीकृष्णकृत्।

(ङ) रघुमणिकृत दत्तकचन्द्रिका—इसे कोई देवानन्दकृत भी कहते हैं।

(६) बरार और नागपूर—(क) मिताक्षरा—बंबई स्कूलमें जो मिताक्षराका अर्थ किया जाता है वही बरारमें किया जाता है (देखो बंबई स्कूल); नागपुरमें रहनेवाले महाराष्ट्र ब्राह्मणोंके मामलेमें पश्चिम भारतके हिन्दू लॉ का स्कूल जो मिताक्षरामें कहागया है मान्य है।

(ख) व्यवहारमयूख और वीरमित्रोदय—इस प्रांतमें दूसरे दरजेपर मानेजाते हैं। वे वहींतक माने जाते हैं जहांतक उनका मिताक्षरासे मतभेद नहीं है। व्यवहारमयूख, वीरमित्रोदयसे ऊपर मानाजाता है।

दफा २४. कौन स्कूल कहांपर माना जाता है——दायभाग केवल बंगालहीमें माना जाता है और कई एक मुक़द्दमोंमें मिताक्षराके अनुसार भी वहांपर फैसले हुये हैं। बाक़ी हिन्दुस्तानके बड़े भागमें मिताक्षरा माना जाता है, पंजाबमें कस्टमरी लॉ का प्रचार मिताक्षराके साथ साथ होगया है। मिताक्षरास्कूल चार बड़े हिस्सोंमें बटा है (देखो दफा १५) नीचे उक्त चारो स्कूलोंकी सीमायें देखो।

दफा २५. बनारसस्कूल——यह स्कूल विहार, ज़िला बनारस, मध्यवर्ती भारत और उत्तरपश्चिमभारत तथा तमाम उत्तरभारतमें प्रचलित है। केवल पंजाबमें इसके साथ साथ कस्टमरी लॉ भी लागू किया गया है। मिस्टर मोर्ले अपनी डाइजेस्टकी भूमिकामें कहते हैं कि उड़ीसामें भी यही स्कूल प्रचलित है देखो—विशुन प्रियामनी बनाम सुगंधरानी 1. Ben. Sel. R. 37-39; दूसरा एड़ीशनके पेज 49—51 का नोट.

मिस्टर मेकनाटन् कहते हैं कि–उड़ीसामें भी वही मान्य ग्रन्थ माने जाते हैं जो बंगालमें माने जाते हैं। मगर पण्डितोंकी राय इस मुक़द्दमेमें बंगालके प्रमाणोंके अनुसार नहीं रही, जैसा कि मिस्टर मेनने अपनी हिन्दू लॉ के सातवें एड़ीशनके पैरा ११ में बयान किया है। उड़ीसाके एक दूसरे मुक़द्दमेमें जिसका ज़िकर मेक्नाटन्के हिन्दू लॉके पैराग्राफ ३०६ में किया गया है कहते हैं कि उस मुक़द्दमेमें पण्ड़ितोंकी राय मिताक्षराके अनुसार दी गयी थी देखो रघुनाथा बनाम ब्रजकिशोर 3 I. A. 154; 1 Mad. 69; 25 W. R. C. R. 291; जो कि गांजम प्रांतका एक मुक़द्दमा था और वह प्रांत उड़ीसाके प्राचीन हिन्दू राज्यमें शामिल था द्रविड़स्कूलका लॉ बिना संकोचके लागू किया गया था इस विषयमें मिस्टर मेन सातवां एड़ीशन पैरा ११ में राय ज़ाहिर की है कि उस मुक़द्दमेमें अदालतने वही क़ानून लागू किया जिससे अदालत बहुत वाक़िफ थी। रघुवानन्ददास बनाम साधुचरणदास 4 Cal. 425; 3 C. L. R. 534 में जो कि, उड़ीसाका मुक़द्दमा था मिताक्षरा लॉ लागू किया गया था और भी देखो–कालीपद बनरजी बनाम चैतन्य पराड़ा 22 W.R.C. R. 214; जोगेन्द्रभूपति हरीचन्द्र महापात्र बनाम नित्यानन्दमानसिंह 17 I. A. 128; 18 Cal. 151; पार्वती कुमारी देवी बनाम जगदीश चन्द्रधवल 29 I. A. 82; 29 Cal. 432; 6 C. W. N. 490; 4 Bom. L. R. 365. में अदालतके फैसलेसे ज़ाहिर हुआ है कि उड़ीसामें मिताक्षरा लॉ प्रचलित है लेकिन जुड़ीशल कमेटीने इस प्रश्नका फैसला नहीं किया।

जे. आर. घारपुरे हिन्दू लॉ दूसरा एड़ीशन पेज १९ देखो—कहा गया है कि बनारसस्कूल वहांपर लागू होता है जहांपर मिताक्षराके अधिकारको प्रधानताके साथ साथ सुबोधिनी, वीरमित्रोदय, कल्पतरू, दत्तकमीमांसा और निर्णयसिंधु उससे कम दरजेपर माने जाते हैं।

बनारसस्कूलका एक मुक़द्दमा——बनारसस्कूलका अधिकार भारतके उत्तर पश्चिम देशमें माना गया है (ट्रिवेलियन हिन्दू लॉ दूसरा एड़ीशन पेज १०) उत्तर पश्चिममें राजपूताना और माड़वार देश शामिल हैं प्रायः माड़वार देशमें गोदलेनेकी चाल अधिक है और जब कभी उनके बीचमें गोदके मुक़द्दमें अथवा उत्तराधिकारके मुक़द्दमे अंगरेजी राज्यमें दायर होते हैं तो बड़ा ज़रूरी सवाल यह होता है कि मुक़द्दमा कौन स्कूलसे लागू किया जाय। अगरवाल वैश्यजातिमें बनारस धर्मशास्त्रका आदर करना प्राचीन कालसे चला आता है (देखो दफा ३२१) इस ग्रन्थकर्ताको यद्यपि अनेक एसे मुक़द्दमोंमें काम करना पड़ा जिनमें रवाज और इसी क़िस्मके दूसरे विषय थे। ग्रन्थ लिखनेके समय एक गोदके मुक़द्दमेमें यही बात पैदा हुई मुक़द्दमा था हिन्दुस्तानके प्रसिद्ध श्रीवेंकटेश्वर प्रेस बंबईके मालिक सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासका। बाक़ियात यह थे-गंगाविष्णु और खेमराज भाई थे दोनों बटे हुए हिन्दू ख़ानदानमें रहते थे, गंगाविष्णुके मरनेके बाद उनकी विधवा जानकी बाईने ता. ८ मार्च १९०९ को एक दत्तक लिया, विधवा १९ आगस्त सन १९११ में मरगयी। सेठ खेमराजने ता. २४ अगस्त सन १९११ ई० में फर्स्टक्लास सब जजकोर्ट ज़िला ठाणें (बंबई प्रांत) में गोद मंसूख़ी और अपने भाईकी जायदाद उत्तराधिकारके अनुसार पानेका दावा किया। सेठजी चूरूके रहनेवाले थे उनकी तरफसे कहा गया था कि माड़वारमें बनारसस्कूल प्रचलित है, प्रतिवादी इससे इनकार करता था माड़वारके बहुतसे प्रसिद्ध स्थानों तथा काशीके शास्त्रियोंकी साक्षियां वादीकी तरफसे ग्रन्थकर्ता के द्वारा दीलाईं गयीं। ता० ५ दिसंबर सन १९१४ ई० को अदालतने फैसलेमें कहा कि माड़वारमें बनारसस्कूल लागू होता है। दावा ड़िकरी हुआ इस केसमें रवाज इसी स्कूलके अनुसार साबित हुई। बंबई हाईकोर्टसे ता० २६ मार्च १९१९ को फैसला बहाल रहा जजोंने कहा कि विधवा विनाआज्ञा पतिके दत्तक नहीं ले सकती देखो-सेठ खेमराज श्रीकृष्णदास बनाम रमानिवास केस नम्बर ४०३ सन १९११ ई० दावा २५५१४०) रु० फर्स्ट अपील नं. २०९ सं. १९१५ फैसला चीफ जस्टिस बंबई हाईकोर्ट।

दफा २६. मिथिलास्कूल——मिथिलास्कूल उस प्रांतमें प्रचलित माना गया है जिसे प्राचीन समयमें मिथिला कहते थे अर्थात् तिरहुत। तिरहुत संस्कृतके 'तीरभुक्ति' शब्दका अपभ्रंश है इसमें आसपासके ज़िले शामिल हैं, तीरभुक्तिके नामसे जैसा कि प्रकट होता है वैसाही उस ज़िलेके तीनों तरफ तीन नदियां हैं। पश्चिममें गण्ड़क, पूरबमें कोशी और दक्षिणमें गंगा देखो-ट्रिवेलियन हिन्दू लॉ पेज ११; तथा जी. सी. सरकारका लॉ आफ़ एड़ीप्शनका पेज ४४६; और प्राचीन मिथिलाके उस नक़शेको जो पी. सी. टगोरके विवादचिंतामणिके अनुवादके साथ लगा है। तिरहुतके आसपासके ज़िलोंमें इस स्कूलको सन १३१४ ई० मे चन्द्रेश्वरने और पंद्रहवीं शताब्दीमें वाचस्पति मिश्रने स्थापित किया था देखो-भट्टाचार्य्य हिन्दू लॉ दूसरा एड़ीशन पेज ४९.

दफा २७. बंबईस्कूल=महाराष्ट्रस्कूल——यह स्कूल उस देशमें प्रचलित है जिसकी भाषा मराठी है देखो-ट्रिवेलियन हिन्दू लॉ पेज ११; बंबई स्कूलके अंतर्गत महाराष्ट्र स्कूल है जिसमें, मिताक्षरा, व्यवहारमयूख निर्णयसिंधु दत्तकमीमांसा और कौस्तुभ माना जाता है। बंबईस्कूलके अंतर्गत गुजरात स्कूल भी है, गुजरात स्कूलके अंदर अहमदनगर है जहांपर मिताक्षरा और व्यवहारमयूखका अधिकार मानागया है (दफा १५)

बंबईस्कूलके भीतर महाराष्ट्रदेश, उत्तरकनाड़ा, और रत्नागिरीमें मिताक्षराका सबसे श्रेष्ठ और पहिला दरजा मानागया है यद्यपि इनमें मयूख आदरणीय माना जाता है परंतु मयूखका दरजा

दूसरा है। देखो जानकीबाई बनाम सुंदरा 14 Bom. 612; विथापा बनाम सावित्री Bom. H. C. S. A. 803 of (1909)

गुजरातमें मयूखका सबसे पहिला दरजा माना जाता है बंबई द्वीप जो पहिले गुजरातका हिस्सा समझा जाता था उसमें और उत्तरीय कनाड़ामें यही प्रधान समझा जाता है। देखो सखाराम बनाम सीताबाई 3 Bom. 353; लल्लूभाई बनाम मानकुंवर बाई 2 Bom. 388-418; विद्यारण्य बनाम लक्ष्मण 8 Bom. H. C. R. 244; कृष्णाजी बनाम पाण्डुरंग 12 Bom. H. C. R. A. C. J. 65; और देखो-नरायन बनाम नानामनोहर 7 Bom. H. C. R. A. C. J. 166;

अहमदनगर और पूना तथा खानदेशमें मयूखका अधिकार मिताक्षराके समान है। महाराष्ट्रदेशमें मयूख, मिताक्षराका उल्लंघन नहीं करसकता-भागीरथी बनाम कनौजीराव 11 Bom. 285, 294; जब मिताक्षराके किसी अर्थमें संशय पैदा होजाता है तब व्यवहारमयूख द्वारा उसका अर्थ लगाया जा सकता है। उत्तरीय कनाड़ाके मुक़द्दमोंमें बंबईका क़ायदा माना जाता है मदरासका नहीं।

दफा २८. द्रविड़स्कूल=मदरासस्कूल----द्रविड़स्कूल, मदरासप्रेसीडेन्सी अर्थात् भारतके प्रायद्वीपके दक्षिणी भागमें प्रचलित है इसे तेरहवीं शताब्दीमें देवानन्दभट्टने स्थापित किया था देखो कलक्टर आफ मदुरा बनाम मिट्टूरामालिंग 12 M. I. A. 397; 1 B. L. R. (P. C.) 1; 10 W. R. (P. C.) 17—20.

मिस्टर मोर्ले कहते हैं कि, द्रविड़स्कूल तीन ज़िलोंमें विभक्त किया जा सकता है उनमेंसे हरएकमें कोई ख़ास क़ानूनी पुस्तक, दूसरी क़ानूनी पुस्तकोंकी अपेक्षा ज्यादा असर रखती है देखो डाइजेस्ट मोर्लेकी भूमिका पेज 191 (CXCI) जिन तीन ज़िलोंमें द्रविड़स्कूल विभक्त किया गया है यह हैं। (देखो दफा १५)

(१) ख़ास द्रविड़।
(२) करनाटक।
(३) आन्ध्र।

मिस्टर मुल्ला, द्रविड़स्कूलको मदरासस्कूलके सिर्फ नामभेद कहते हैं इस स्कूलमें स्मृतिचन्द्रिका, पराशरमाधव और वीरमित्रोदय प्रधानतासे माने गये हैं जहांपर इन तीनों ग्रन्थोंसे दूसरे ग्रन्थ विरुद्ध हों वहांपर इन्ही ग्रन्थोंकी वात मानी जायगी। ख़ास द्रविड़ वह है जहां तामिल भाषा बोली जाती है, तथा कर्नाटक वह है जहां कानड़ी भाषा बोली जाती है, और आंध्र वह है जहां तेलगू भाषा बोली जाती है; देखो-बरसम्मल बनाम बलराम चारलू (1863) I. M. H. C. 420—425;

मिस्टर घारपुरे कहते हैं कि जहांपर मिताक्षराके आधारपर स्मृतिचन्द्रिका, पराशरमाधव, सरस्वतीविलास और दत्तकचन्द्रिकाका अर्थ लगाया जाता हो वह द्रविड़स्कूल है देखो घारपुरे हिन्दू लॉ पेज १९.

दफा २९. पंजाबस्कूल———शास्त्री गुलाबचन्द सरकार इन स्कूलोंके अतिरिक्त एक और स्कूल मानते हैं जिसे वह पंजाबस्कूल कहते हैं। इस स्कूलको दूसरे हिन्दू लॉ के लिखनेवाले नहीं मानते। नज़ीरोंमें इस स्कूलके नामसे कोई हवाला भी नहीं दिया जाता देखो गुलाबचन्द सरकारका हिन्दू लॉ पहिला एडीशन पेज २४; लॉ आफ़ एडाप्शन पेज २२८-२५४;

हिन्दू लॉ जैसा कि पंजाबमें प्रचलित है उसमें, और अन्य प्रांतोंमें माने जानेवाले हिन्दू

लॉ में बहुतसे भेद हो सकते हैं, लेकिन् यह भेद केवल स्थानीय रवाजसे जिनपर कि क़ानून निर्भर है पैदा होते हैं देखो–टुप्परका पंजाब कस्टमरी लॉ जिल्द २ पेज ८२–८६.

दूसरे स्कूलोंमें जैसा कि श्लोकोंका अर्थ करनेमें मतभेद होनेके कारण हिन्दू लॉ में फरक़ पड़ता है वैसा पंजाबमें नहीं। दूसरे स्कूलोंकी भौगोलिक सीमा बिल्कुल ठीक ठीक नहीं बताई जा सकती परंतु बहुत कुछ पंजाबकी सीमा निर्द्धारित है।

दफा ३०. क़ानून बनानेका आधार रवाज भी है——हिन्दू लॉ जिन आधारोंपर बना है उनमेंसे एक रवाज भी है जहांपर रवाज और स्मृति या क़ानूनमें भेद पड़ता है तो वहांपर रवाज प्रधान मानी जाती है। अगर व्यवहार या आचार पूरे तौरपर साबित हो जाय वह क़ानूनसे ज्यादा माना जाता है देखो–कलक्टर ऑफ़ मदुरा बनाम मोटोरामलिंग (1868) 12 M. I. A. 397–436.

दफा ३१. रवाज तीन तरहकी होती है——रवाजें तीन तरहकी होतीं हैं (१) लोकल–स्थानीय (२) क्लास–यानी जातीय (३) फेमिली कस्टम–यानी ख़ानदानी रवाज। यही तीन क़िस्मकी रवाजें अदालतमें साबित की जाती हैं। अगर क़ानून रवाजके ख़िलाफ हो तो रवाज साबित कर देनेसे क़ानूनका असर रद्द हो जाता है (देखो दफा १०)

दफा ३२. रवाज कैसे साबित की जायगी ?——रवाज जो किसी ख़ानदानमें या किसी ख़ास ज़िलेमें बहुत दिनोंसे मानी जाती हो वह क़ानूनका दरजा रखती है। मगर उस रवाजको प्राचीन होना चाहिये, निश्चित होना चाहिये और उचित होना चाहिये तथा सर्वसाधारण नियमोंके अंदर होना चाहिये और उसे ठीक तौरसे माना जाना चाहिये मतलब यह है कि वह रवाज क़ानूनका दरजा रखेगी जो प्राचीन हो, निश्चित हो, उचित हो, तथा आम क़ायदेके विरुद्ध न हो। देखो–हरप्रसाद बनाम शिवदयाल (1876) 3. I. A. 259 , 285 ; और यह भी ज़रूरी बात है कि जब कोई रवाज साबित की जाय तो साफ तौरपर और विश्वास करनेयोग्य साक्षियोंके द्वारा साबित होना चाहिये। देखो–रामलक्ष्मी बनाम शिवनाथ 14 M. I. A. 570, 585 ; गोपाल एय्यान बनाम रघुपति एय्यन 7 Mad. H. C. 250 ; हरनाभ बनाम मांडिल 27 Cal. 379 ; रूपचन्द बनाम जम्बू 37. I. A. 93.

दफा ३३. रवाज कब बंद होजायगी——ख़ानदानी रवाज मिसल स्थानीय रवाजके ऐसी साबित होना चाहिये कि वह बदल नहीं सकती, और हमेशासे चली आती है तथा अब भी वही जारी है इस तरहपर साबित की हुइ रवाज मानी जायगी। अगर वह रवाज कभी किसी अचानक घटनासे, या ख़ानदान वालोंकी मरज़ीसे या और किसी तरहपर बंद होगयी हो या कर दी गई हो तो यह माना जायगा कि अब वह रवाज बाक़ी नही रही। मगर स्थानीय रवाजके बारेमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि वह रवाज जिस स्थानमें मानी जाती है सब आदमियोंके बारेमें लागू पड़ती है जो उस स्थानमें रहते हैं ; देखो–राजकिशुन बनाम रामजय 1 Cal. 186, 195 (P. C.) ; सर्बजीत बनाम इन्द्रजीत 27 All 203.

दफा ३४. रवाजका सुबूत किसके ज़िम्मे होगा——जहांपर कि हिन्दू लॉ से कोई ज़ात या ख़ानदान शासन किया जाता हो और उसके अंतर्गत कोई रवाज उठाई जाय तो उस रवाजका साबित करना उस पक्षकारपर निर्भर होगा जिसकी तरफसे यह रवाज बयान की गयी हो यानी–जब कोई आदमी रवाजका प्रश्न खुद अदालतमें उठाये तो वह रवाज उसे साबित करना होगा। देखो–भगवान्‌सिंह बनाम भगवानसिंह 21 All 412 , 423 ; चण्डिकाबकस बनाम मूना कूंवरि 24 All 273 ; 29 I. A. 70 ; रूपचन्द बनाम जम्बा 37 I. A. 93.

मगर उस हालतमें जब कि कोई ज़ात या खानदान जो पहिले हिन्दू नहीं थे और अब उन्होंने हिन्दू रवाजें अखत्यार करलीं और इस आधारपर वह यह कहें कि अमुक रवाज उस ज़ात या खानदान की है और वह लागू पड़ती है तो ऐसा सावित करनेके वही ज़िम्मेदार होंगे ; फणीन्द्रदेव बनाम राजेश्वर 11 Cal. 463, 476 ; 12 I. A. 72 ; 81.

दफा ३५. नाजायज़ रवाज——जो रवाज सद्व्यवहार, आम प्रजाकी नीति और व्यवस्थापक सभा द्वारा बनाये हुये किसी क़ानूनके विरुद्ध हो, वह रवाज नाजायज़ मानी जायगी जैसे नायकिनका लड़की दत्तक लेना नाजायज़ रवाज होगी अगर एसी रवाज सावित भी की जाय जहांपर वह जायज मानी जाती हो तो भी वह नाजायज़ होगी मथुरा बनाम यू शू 4 Bom. 545 ; हीरा बनाम बाधा 37 Bom. 117.

दफा ३६. क़ानून साथ जाता है——यह बात कही जाचुकी है (देखो दफा १५; २४-२९) कि हिन्दुस्थानभरमें हिन्दू लॉके माने जानेके साथ ही किस किस भागमें कौन कौन स्कूल माना जाता है यह बात याद रखना चाहिये कि, हरएक प्रांत अपने धर्म और रवाजके अनुसार किसी न किसी स्कूलके तावे किये गये हैं और उनके निवासी उस धर्मशास्त्रके पावंद माने जाते हैं इसलिये जो हिन्दू हिन्दुस्थानके किसी प्रांतमें रहता हो, यह मान लिया जायगा कि वह उस क़ानूनका पावंद है जो क़ानून उसके प्रांतमें प्रचलित है। यह रहनेवालेका प्रांतिक क़ानून नहीं है बल्के उसका ज़ाती क़ानून है और वह उसके खानदानकी हैसियतका हो जाता है जैसे—कोई राजपूतानाका रहनेवाला मरवाड़ी अगरवाल जहांपर कि बनारसस्कूल लागू माना जाता है, कलकत्तेमें चला जाय जहांपर बंगाल स्कूल माना जाता है तो चाहें वह जितने दिनका रईस कलकत्तेका होगया हो यह माना जायेगा कि वह अपना क़ानून (बनारसस्कूल) अपने साथ लाया है जबतक कि इसके विरुद्ध सावित न किया जावे ऐसाही माना जायेगा।

हिन्दुस्थानके किसी हिस्सेमें रहनेवाले आदमीके वारेमें अदालत यह ख्याल करेगी कि वह उसी क़ानूनको मानता है जिस क़ानूनके अख्त्यारमें पहिले वह था, देखो–रामदास बनाम चन्द्र 20 Cal. 409; पार्वती बनाम जगदीश 29 Cal 433 ; 29 I. A, 82 ; सुरेन्द्रोनाथ बनाम हीरामनी 12 M. I. A. 81 ; गोविंद बनाम राधा 31 All 477 ; जगन्नाथ बनाम नारायण 34 Bom. 553 ; मैलही बनाम सुव्वारैय्या 24 Mad. 650 ; कुलड़ बनाम हरीपद 40 Cal. 407 (1913) और देखो मेन हिन्दू लॉ सातवां एड़ीशन पैरा ४८.

उदाहरण—सेठ लक्ष्मीचन्द माड़वारके रहनेवाले हैं जहां बनारस स्कूल प्रचलित है रोज़गारसे बंबईमें रहने लगे उन्होंने एक लड़का गोद लिया, पीछे एक असली लड़का पैदा होगया, उक्त सेठजी दोनो पुत्रोंको छोड़कर मरगये। अब प्रश्न यह उठा कि किस लड़केको कितनी आयदाद मिलना चाहिये। अगर विरुद्ध सावित न हुआ हो तो मानलिया जायगा कि सेठ लक्ष्मीचन्द अपने साथ बनारसस्कूल लाये थे उसके अनुसार $\frac{१}{४}$ एक चौथाई दत्तक पुत्रको और $\frac{३}{४}$ तीन चौथाई औरस पुत्रको जायदाद मिलेगी। अगर यह साबित होगया हो कि उन्होंने बनारसस्कूल छोड़ दिया था तो बंबई स्कूलके अनुसार $\frac{१}{५}$ एक पांचवां हिस्सा दत्तक पुत्रको और $\frac{४}{५}$ चार हिस्से औरस पुत्रको मिलेगी–देखो दफा २७०-२७१

नोट–किसी खास कुटुम्ब, या परिवार का अगर कोई ख़ास रवाज हो तो उसका भी यही असर होगा।

दफा ३७. जातिसंबंधी मुक़द्दमे——कोई अंगरेजी अदालत एसा मुक़द्दमा नहीं सुनेगी जिसमें केवल कौम या जाति-संबंधी प्रश्न हो और उसमें जायदादकी हक़दारीका प्रश्न न हो, देखो–जेठाभाई बनाम चपसी कुंवरजी (1909) 34 Bom. 467 ; 11 Bom. L.R. 1014.

अगर कोई अपनी कौम या जातिसे बाहर कर दियागया हो, या उससे उसकी कौम या जातिवालोंनें संबंध तोड़ लिया हो, अथवा वह किसी रवाज या धर्मशास्त्रके किसी वचनानुसार धार्मिक हक़ोंके पानेस वंचित कर दिया गया हो तो एसे मामलोंमें अदालत कोई दखल नहीं देगी जबतक कि प्राकृतिक न्यायसे वह मामले विरुद्ध न हों देखो-अप्पा बनाम पादप्पा 23 Bom. 122 ; 24 Bom. 13 ; जगन्नाथ चरण बनाम अकाली दासी 21 Cal. 463 ; 17 Mab. 222 ; 12 Mad. 485 ; 10 Mad. 133.

नीचेके मुक़द्दमोंमें मानागया कि, केवल सामाजिक हक़की हानि अदालतके हस्तक्षेप करनेके लिये जायज़ क़रार नहीं दी जायगी, देखो-15 Bom. 599 ; 10 Bom. 661 ; 18 Bom 115 ; 3 Bom. L. R. 91 ; 11 W.R.C.R. 457 ; 1 W. R. C. 351 ;

बंबइ प्रांत—बंबई द्वीपको छोड़कर सारे बंबई प्रांतकी अदालतोंको हुक्म है कि वे कौम या जातिसंबंधी किसी प्रश्नपर विचार न करें सिवाय उन मुक़द्दमोंके जिनमें जाति च्युत होने या दूसरे कारणसे क्षति पहुंची हो और उस क्षतिके पूरा करनेके लिये हर जानेका मुक़द्दमा दायर किया गया हो अथवा मुद्दईके आचरण (चालचलन) में किसीने अपने बे क़ानूनी कामोंके द्वारा या अपने अनुचित बर्तावसे नुक़सान पहुंचाया हो और उसकी क्षति पूर्ण करनेके लिये हानिपूर्तिका दावा किया गया हो, देखो-1 Bom. Reg. 2 of. 1827. S. 21 ; 5 Bom. 83-84 ; 11 Bom. 534.

इस विषयमें ज़ाबतादीवानी सन १९०८ की दफा ९ भी देखो-कहागया है कि "जिस दांवेमें मिलकियत या किसी हक़का झगड़ा हो उसकी नालिश दीवानी अदालतमें होगी, चाहे वह हक़ पूर्णरूपसे किसी मज़हबी रसम या रवाजपर निर्भर हो " ।

इति.

बिवाह।

दूसरा-प्रकरण।

यह प्रकरण तीन भार्गोमें विभक्त है (१) विवाहके भेद आदि ३८-४५ (२) बिवाहमें वर्जित सपिंड ४६-५६ (३) वैवाहिक संबंध ५७-८०.

(१) बिवाहके भेद आदि।

दफा ३८. बिवाह प्राचीन धर्म है——सारे संसारमें सभ्य असभ्य प्राचीन अर्वाचीन सब समाजोंमें बिवाहकी रसम मानी जाती है। अति प्राचीन कालमें बिवाहकी रसम ऐसी नहीं थी जैसी कि इस समय प्रचलित है। बिवाहकी रसम जारी होनेपर भी वह भिन्न भिन्न समयमें भिन्न भिन्न रूपकी थी, उदाहरणके लिये जैसे महाभारतके समयमें द्रौपदीके पांच पतियोंका होना या अन्य किसी समयमें एक पति की कई पत्नियोंका होना। सारांश यह है कि बिवाहकी रसम संसारभरमें हर जगहपर प्राचीन है।

दफा ३९. हिन्दू लॉ के अनुसार बिवाह——हिन्दूशास्त्रानुसार बिवाह एक कर्तव्यकर्म माना गया है याज्ञवल्क्यने कहा है कि——" **एवमेनः शमं यांति बीजगर्भसमुद्भवम्। तूष्णीमेताः क्रियाः स्त्रीणां बिवाहस्तु समंत्रकः १-१३**" हिन्दुओंमें दश संस्कार होते हैं यथा गर्भाधान[१], पुंसवन[२], सीमंत[३], जातकर्म[४], नामकरण[५], निष्क्रमण[६], अन्नप्राशन[७], चूड़ाकर्म[८], यज्ञोपवीत[९] और विवाह[१०]। इन दश कर्मोंका फल यह भी है कि माता पिताके शरीरके द्वारा जो पाप गर्भमें आता है वह शांति पा जाता है और स्त्रियोंके जातकर्म आदि मंत्रोंके बिना और बिवाह वेदोक्त मंत्रोंसे होता है। मतलब यह है कि बिवाह एक धर्मकृत्य है। कोई ख़ास क़िस्मका कंट्राक्ट (मुआहिदा) नहीं है। हिन्दू लॉ में बिवाह अकाट्य संबंध माना गया है।

26 Mad. 505 और 27 Mad. 206 में मद्रास हाईकोर्टने स्मृतिचन्द्रिकाके अनुसार यह माना था कि बिवाह कोई संस्कार नहीं है, इसलिये पिता या दूसरा कोई कोपार्सनर उस क़र्ज़ेका ज़िम्मेदार नहीं है जो मुश्तरका ख़ानदानकी किसी लड़की या लड़केके बिवाहके लिये लिया गया हो। लेकिन ऐसा फैसला करनेमे मद्रास हाईकोर्टने मिताक्षराके सिद्धांतका ख्याल नहीं किया, इसी सबबसे इस फैसलेको दूसरी हाईकोर्टें नहीं मानतीं और अब हालमें मद्रास हाईकोर्टने भी अपनी उक्त राय बदलना शुरू कर दिया है, देखो—रघुनाथ बनाम दामोदर (1910) M. W. N. 195.

हिन्दूधर्मशास्त्रोंका सिद्धांत है कि जिन लड़कियोंके बिवाह या दूसरे संस्कार न हुए हों, उन लड़कियोंके बड़े भाई पैतृकसंपत्तिसे उन संस्कारोंको अवश्य पूरा करें। यही बात ख़ानदानके लड़कोंके विवाहमें भी है (देखो दफा ४३०); याज्ञवल्क्यने कहा है कि बिवाहका ख़र्च ख़ानदानके सब आदमियोंके हिस्सेमेंसे लिया जाय—

असंस्कृतास्तुसंस्कार्य्या भ्रातृभिः पूर्वसंस्कृतैः
भगिन्यश्च निजादंशादत्त्वांशंतु तुरीयकम्—व्यवहारे १२४

जिन भाइयोंका संस्कार पिताके जीवनकालमें न हुआ हो उनका संस्कार संस्कृत भाई करें; और जिन बहनोंका बिवाह न हुआ हो उनका बिवाहरूप संस्कार भी वे भाई अपने अपने हिस्सेकी चौथाई जायदाद देकर करें हिन्दूओंमें बिवाह एक संस्कार है। प्राचीन रोमनोंमें भी बिवाह कंट्राक्ट नहीं माना जाता था यह सिर्फ पिछले जमानेसे अंगरेज, मुसलमान, पारसी आदि समाजोंमें बिवाह कंट्राक्टके सदृश्य माना जाता है धर्मशास्त्रमें आठ प्रकारके बिवाह बतलाये गये हैं और उनके विधान भी कहे गये हैं।

दफा ४०. आठ प्रकारके बिवाह—

चतुर्णामपिवर्णानां प्रेत्यचेह हिताहितान्
अष्टाविमान्समासेन स्त्रीविवाहान्निबोधत। मनु ३—२०
ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथाऽसुरः
गांधर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः। मनु ३–२१

चारो वर्णोंके लिये इस लोक और परलोकमें हित तथा अहित करनेवाले आठ प्रकारके बिवाहोंको मैं संक्षेपसे कहता हूं। १ ब्राह्म, २ दैव, ३ आर्ष, ४ प्राजापत्य, ५ आसुर, ६ गांधर्व, ७ राक्षस और आठवां सब बिवाहोंमें अधम पैशाच बिवाह है।

(१) ब्राह्मबिवाह—आच्छाद्य चार्चयित्वाच श्रुतशीलवते स्वयम्। आहूय दानं कन्याया ब्राह्मो धर्मः प्रकीर्तितः॥ मनु ३–२७अर्थात् विद्वान्, शीलवान् वरको बुलाकर उत्तम वस्त्र और भूषणोंसे अलंकृत करके कन्यादान की जाती है उसे ब्राह्मबिवाह कहते हैं। आज कल यही बिवाह माना जाता है (देखो दफा ४१–४२)

(२) दैवबिवाह—यज्ञे तु वितते सम्यगृत्विजे कर्म कुर्वते। अलंकृत्य सुतादानं दैवं धर्मं प्रचक्षते॥ मनु ३–२८ अर्थात् जब यज्ञके समय, यज्ञ करानेवाले ऋत्विक्को यजमान अलंकृत करके कन्यादान कर देता है तब वह दैवबिवाह कहलाता है।

(३) आर्ष बिवाह—एकं गो मिथुनं द्वे वा वरादादाय धर्मतः। कन्याप्रदानं विधिवदार्षो धर्मः स उच्यते॥ मनु ३–२९ अर्थात् जब किसी धर्मकार्यके लिये वरसे एक अथवा दो जोड़े गौ बैल लेकर उसको विधिपूर्वक कन्या दी जाती है तब उसको आर्षबिवाह कहते हैं।

(४) प्राजापत्यबिवाह—सहोभौ चरतां धर्म मितिवाचानुभाष्य च। कन्याप्रदानमभ्यर्च्य प्राजापत्यो विधिःस्मृतः॥ मनु ३–३० अर्थात् जब ऐसा कहकर कि तुम दोनों (वर, कन्या) धर्माचरण करो, भूषण आदिसे पूजित करके वरको कन्या दी जाती है तब वह प्राजापत्य नामका बिवाह कहलाता है।

(५) आसुरबिवाह—ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्वा कन्यायै चैव शक्तितः। कन्याप्रदानं स्वाच्छन्द्यादासुरो धर्मउच्यते॥ मनु ३–३१ अर्थात् कन्याके पिता आदि संबंधियोंको अथवा कन्याको यथाशक्ति धन देकर जब कोई इच्छापूर्वक कन्या ग्रहण करता है तब उसे आसुरबिवाह कहते हैं (देखो दफा ४१)

(६) गांधर्वबिवाह—इच्छयान्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च। गांधर्वः स तु विज्ञेयो मैथुन्यः कामसंभवः॥ मनु ३–३२ अर्थात् कन्या और वरका परस्पर प्रीतिसे जो मिलन हो जाता है उसको गांधर्वबिवाह कहते हैं (देखो दफा ४१)

(७) राक्षसविवाह—हत्वा छित्वा च भित्वा च क्रोशंतीं रुदतीं गृहात् । प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते॥ मनु ३-३३ अर्थात् जब कन्याके पक्षके लोगोंको मार, काट तथा गृहको भेदकर रोती और पुकारती हुई कन्याको हरण करके विवाह किया जाता है तब उसको राक्षसविवाह कहते हैं।

(८) पैशाचविवाह—सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहोयत्रोपगच्छति । स पापिष्ठो विवाहानां पैशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥ मनु ३-३४ जिस विवाहमें सोती हुई अथवा मदपानसे मतवाली या उन्मत्त कन्याको एकांतमें मैथुनपूर्वक ग्रहण करता है उसे सब विवाहोंसे नीच आठवां पैशाचविवाह कहते हैं।

प्रायः अनेक स्मृतियोंमें यही आठ प्रकारके विवाह माने गये हैं। प्रमाणके लिये देखो—याज्ञवल्क्यस्मृति १ अध्याय ५८-६१; शंखस्मृति ४ अ० ४—६; गौतमस्मृति ४ अ० ३; बृहत् पाराशरीय धर्मशास्त्र ४ अ० ३—११; बौधायनस्मृति १ प्रश्न, ११ अ० २—९; नारदस्मृति १२ विवाद पद ४०—४४.

दफा ४१. आठ प्रकारके विवाहोंमें उचित और अनुचित--

(१) आसुरविवाह—ऊपर कहे हुए प्रथमके चार विवाह (ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य) उचित माने जाते हैं और पिछले चार (आसुर, गांधर्व, राक्षस, पैशाच) अनुचित। ऊंची जातोंमें ब्राह्मविवाह ही प्रचलित है परंतु इसके सिवा और भी कई तरहके विवाह माने जाते हैं किंतु आजकल ब्राह्मविवाह ही क़ानूनीविवाह माना जाता है।

आसुरविवाह, अनार्य ढंगका विवाह है प्राचीन आर्य्योंने इसे पसंद नहीं किया पर बहुत समयसे अनार्य्योंमें प्रचलित होनेके कारण जारी रखागया। दक्षिण हिन्दुस्तानके शूद्रोंमें प्रायः ऐसा विवाह हुआ करता है मद्रासके ब्राह्मणोंमें भी ऐसा बिवाह जायज़ माना गया है। देखो—विश्वनाथन् बनाम स्वामीनाथन् 13 Mad. 83.

विवाहके प्रत्येक मामलोंमें अदालतकी तरफसे हिन्दू लॉ के अनुसार पहिले यह मान लिया जायगा कि हरएकविवाह ब्राह्मविवाहके ढंगसे हुआ है; देखो—मुसम्मात ठाकुर देयी बनाम रायबालक 11 M. I. A. 139; गोजाबाई बनाम श्रीमंत साहाजीराव 17 Bom. 114.

बंबईमें यह माना गया है कि नीच जातियोंमें आसुर ढंगका विवाह ही आमतौरसे प्रचलित है; देखो--बिजयरंगम् बनाम लक्ष्मण 8 Bom. H. C. R. 144; लेकिन उनमें ऊंचे ढंगका बिवाह भी वर्जित नहीं है देखो-जैकिशनदास बनाम हरीकिशन 2 Bom. 9 और शूद्रोंमें भी अगर दोनों पक्षकार प्रतिष्ठित घरानेके हों तो अदालत यही निश्चित करेगी कि ऊंचे ढंगका विवाह हुआ है; जगन्नाथन् बनाम नारायण 12 Bom. L. R. 545. आसुरविवाहका ख़ास लक्षण यह है कि कन्याके पिता या उसके पक्षवालोंने धन लेकर कन्या दी हो, इसे बंबईकी तरफ "पल्ला" कहते हैं पल्ला वह नक़द धन या माल है जो दुलहिनको भविष्यमें काममें लानेकेलिये लिया दिया जाता है और सिर्फ इस कारणसे कि वह नक़द या माल दुलहिनके बापने या दूसरे किसी रिश्तेदारने लिया है, इस बातसे यह नहीं माना जायगा कि दुलहिनकी बिक्री हुई जो आसुरविवाहका मुख्य लक्षण है; देखो—अमृतलाल बनाम बापूभाई Bom. H.C.P.J. (1887)207.

विवाह किस ढंगका हुआ यह निर्णय करनेके लिये यह नहीं देखना चाहिये कि विवाहके समय क्या क्या धर्मकृत्य हुए थे, बल्कि यह देखना चाहिये कि लड़कीके कुटुम्बियोंने लड़कीके बदलेमें कुछ रक़म ली या नहीं क्योंकि आसुरविवाहका मुख्य लक्षण यही है; देखो—चुन्नीलाल बनाम सुरजराय 11 Bom. L. R. 708, 22 Mad. 512. इस ऊपरके मुकद्दमेमें यह

माना गया कि जब लड़कीवालोंने लड़कीके बदलेमें नक़द धन ले लिया तो यद्यपि विवाहके सब कृत्य ब्राह्मविवाहके ढंगसे हुए थे परंतु फिर भी वह विवाह आसुरढंगका माना गया। मदरासके मुक़द्दमेमें माना गया कि जो जातियां हवन और सप्तपदी कृत्यको आवश्यक नहीं समझतीं वे यदि अपने विवाहमें एसे कृत्य न करें तो इस सबबसे उनका विवाह नाजायज़ नहीं हो सकता।

विवाहके ढंगमें कोई दोष है या नहीं, केवल यही देखकर यह निश्चित किया जाता है कि कोई विवाह उचित ढंगका है या अनुचितढंगका अर्थात् एसे मामलेमें विवाहका ढंग नहीं बल्कि उस ढंगकी सिफत देखी जाती है; देखो–मूसाहाजी बनाम हाजीअब्दुल 7 Bom.L.R.447.

(२) गांधर्वविवाह——क्षत्रियोंमें गांधर्वविवाह सन् १८१७ ई० में बंगालकी सदर दीवानी अदालतने जायज़ माना था। सन १८५० और सन १८५३ ई० में भी ऐसा ही माना गया परंतु आजकल ऐसे विवाह बहुत ही कम होते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्टने इस गांधर्व विवाहकी पृथाको अनुचित माना है वह इसे विठलाई हुई औरतके समान मानते हैं. देखो— भवानी बनाम महाराजसिंह 3 All 738. एक दूसरे मुक़द्दमेमें इलाहाबाद हाईकोर्टने कहा कि प्राचीन कालमें शास्त्रानुसार चाहे कुछ भी होता रहा हो परंतु वर्तमानकालमें ब्राह्मण और क्षत्रियके परस्पर विवाह इन प्रांतोंमें जायज़ नहीं माना जा सकता और ऐसे विवाहसे उत्पन्न सन्तान औरस नहीं मानी जा सकती; देखो—बद्दाम कुमारी बनाम सूरजकुमारी 28 All 458; और पंजाबमें भी देखो–प्रेमन बनाम संतराम 77 P. L. R. (1906).

मदरासमें यह माना गया कि विवाहका मुख्य कृत्य हवन यदि करलिया गया हो तो गांधर्व विवाह जायज़ होगा; देखो–बिन्दामन बनाम राधामनी 12 Mad. 72. बंबईमें एक राजपूत पुरुष और ब्राह्मण स्त्रीके परस्पर जो विवाह हुआ जायज़ नहीं माना गया और स्त्रीका दावा वैवाहिक हक़के पानेके वास्ते जो हुआ था ख़ारिज कर दिया गया; देखो—लक्ष्मी बनाम कल्याणसिंह 2 Bom. L. R. 128. पंजाब चीफकोर्टने हालके एक मुक़द्दमेके खास हालातपर यह माना कि 'चादर अंदाज़ी' से किया हुआ राजपूत पुरुष और महाजन स्त्रीका विवाह जायज़ है, यह भी कहा कि यदि वह महाजन, वैश्य मानी जाय तो भी जायज़ होगा; देखो– ख़ैरो बनाम फक़ीरचन्द 57 P. R. (1909) इस मुक़द्दमेकी ख़ास सूरतपर ऐसा फैसला किया गया है इस लिये यह फैसला आम नहीं हो सकता। यह ध्यान रहे कि पंजाबमें कस्टमरी लॉ लागू माना जाता है।

दफा ४२. विवाहके विषयमें अदालतका निश्चित सिद्धांत——

(१) जबतक इसके विरुद्ध साबित न किया जाय, तबतक ऊंची जातोंके विवाहोंके मामलेमें अदालत पहिलेसेही यह मान लेगी कि विवाह उचित रीतिसे और उचित ढंगका हुआ था अर्थात् ब्राह्मविवाह हुआ था। जो पक्षकार यह कहता हो कि ब्राह्मविवाह नहीं हुआ तो बारसुबूत उसी पक्षपर होगा; देखो—ठाकर देयी बनाम रायबालकराम 11 M. I. A. 139; गोजाबाई बनाम शाहाजीराव मालोजी राजे भोंसले 17 Bom. 114; जगन्नाथ प्रसाद बनाम रंजीतसिंह 25 Bom. 354–366.

(२) और देखो मनुजीने ब्राह्मविवाह ही सबसे श्रेष्ठ माना है, तथा सभी स्मृतिकारोंने इसको श्रेष्ठता दी है। वर्तमान समयमें यही विवाह प्रचलित है इसलिये अदालतने निश्चित किया है कि पहिले हरएक ऐसे मामलेमें यह मान लेना चाहिये कि वह ब्राह्मविवाह हुआ था; देखो मनु–'दशपूर्वान्परान्वंश्यानात्मानं चैकविंशकम्। ब्राह्मीपुत्रः सुकृतकृन्मोचयेदेनसः पितॄन् ३–३७' ब्राह्मविवाहकी स्त्रीसे उत्पन्न पुत्र पहिलेकी १० पीढ़ियों और

पीछेकी १० पीढ़ियोंको, तथा अपनेको, इन २१ पीढ़ियोंको पवित्र करता है और पितरोंका उद्धार कर देता है। इसी विषयमें संवर्त और व्यासस्मृति भी देखो—

अलंकृत्य तु यः कन्यां वराय सहशायवै । ब्राह्मेण तु विवाहेन दद्यात्तां तु सुपूजिताम् ॥ १०—६१ स कन्यायाः प्रदानेन श्रेयो विन्दति पुष्कलम् । साधुवादं सवै सद्भिः कीर्तिं प्राप्नोति पुष्कलाम् ॥ संवर्त स्मृति १०—६२ ब्राह्मोद्वाह विधानेन तद्भावे परो विधिः । व्यासस्मृति १४—९ अर्थात् जो मनुष्य ब्राह्मविवाहके विधानसे कन्याको अलंकृत तथा पूजित करके उसके समान वरको कन्यादान करता है उसका बड़ा कल्याण होता है, सज्जन लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और उसकी बड़ी कीर्ति फैलती है। व्यासजी कहते हैं कि ब्राह्मविवाहके विधानसे विवाह करना चाहिये, इसके अभावमें अन्य प्रकारके विवाहोंकी विधि कही गयी है। ब्राह्मविवाहकी पृथा ऊंची जातियोंमें प्रचलित है ऐसा हिन्दू लॉ का निश्चित सिद्धांत है। लेकिन नीच जातियोंके बारेमें ऐसा नहीं।

नीच जातोंके विवाहके मामलोंमें पूर्वोक्त अदालतका सिद्धांत समझबूझकर काममें लाया जायगा ; देखो—औथी केशवलूचट्टी बनाम रामानुजंचट्टी 32 Mad. 512 ; विजय रंगम् बनाम लक्ष्मण 8 Bom. M. C. R.

(३) जब विवाहका होजाना एक दफा साबित होगया हो तो मान लिया जायगा कि वह विवाह क़ानूनन् जायज़ है ; देखो—ईदरम् बनाम रामसामी 13 M. I. A. 141 ; महंतावा बनाम गंगावा 33 Bom. 693.

(४) विवाहमें जो धर्मकृत्य आमतौरसे हुआ करते हैं यदि उनका होना सबित किया गया हो तो यह मान लिया जायगा कि वह धर्मकृत्य सब पूर्णरीतिसे किये गये थे। यदि इसके विरुद्ध साबित किया जावे तो दूसरी बात है ; वृन्दावनचन्द्र बनाम चन्द्रकरमकर 12 Cal. 140 ; 13 M.I.A. 141; बाई दिवाली बनाम मोतीकृष्ण 22 Bom. 509—512.

(५) जब कि यह साबित करदिया जाय कि कोई ख़ास रिश्तेदारी जैसे कोई वैवाहिक संबंध पहिले हो चुका है, तो यह मान लिया जायगा कि वह संबंध सदा उसी तरहपर जारी रहा है। अगर कोई कहे कि वैसा संबंध पीछे नहीं रहा या पाहिलेसे नहीं रहा तो बारसुबूत उसपिर होगा ; भीमा बनाम दुलप्पा 7 Bom. L. R. 95.

(६) पत्नीने पुत्र अपने पतीसे पैदा किया है, यह बात अदालत क़ानून शहादतकी दफा ११२ के अनुसार स्वयं मान लेगी। वह दफा इस प्रकार है " अपनी माता और किसी पुरुषके परस्पर जायज़ विवाहके जारी रहनेके समयमें कोई आदमी पैदा हुआ है या वैवाहिकसंबंध टूटनेके २८० दिनके अंदर पैदा हुआ और इस मुद्दतमें उसकी माता विना पतिके रही तो माना जायगा कि वह (लड़का) उस आदमीका अर्थात् माताके पतिका औरसपुत्र है। चाहे यह साबित किया जाता हो कि वह आदमी उसकी माताके पास उतने दिनों पहिले नहीं गया था कि जिससे उसका गर्भ समभा जा सके तो भी अदालतमें ऐसा नहीं माना जायगा " यानी एसा साबित होनेपर भी वह औरस माना जायगा। नरेन्द्रनाथ पहाड़ी बनाम रामगोविंद 29 Cal. 111 ; 29 I. A. 17 में साबित हुआ कि एक स्त्री जब अपने पतिके घर आई तो उसके आनेके थोड़ेही दिन बाद पति मरगया पीछे २८० दिनके अंदर उसके बच्चा पैदा हुआ मानागया कि वह मरे हुए आदमीका औरस पुत्र है। ऐसे मामलेमें प्रिवीकौंसिलने कहा कि जबतक यह साबित न कर दिया जाय कि पति इस योग्य था ही नहीं कि वह अपनी स्त्रीके पास जाय, तबतक वह पुत्र औरस माना जायगा। यह बात कि, पति एसी ख़राब बीमारीसे पीडित था जिससे गर्भ रही

नहीं सकता था और अंतमें उसी बीमारीमें मरगया, अदालतके पूर्वोक्त निश्चित सिद्धांतके काटनेके लिये काफी नहीं है ।

हरएक पुत्र औरसपुत्र है, अदालतका यह बात स्वयं मानलेना सिर्फ ब्याहे हुए स्त्री, पुरुषोंकी संतानमें होता है, मगर यदि कोई आदमी खुद यह कहता हो कि, मैं अमुक पुरुषका अनौरस पुत्र हूं तो उसको अपना यह संबंध अन्य रिश्तेदारियोंकी तरह स्वयं साबित करना होगा—गोपालसामी चट्टी बनाम अरुणाचलम् चट्टी 27 Mad. 32–34–35.

जहांपर एक दफा (Defacto) यानी वास्तवमें (वाक़ई) विवाह क़रार दे दिया गया हो और मृत पुरुषने लड़कोंको अपना लड़का मान लिया हो तो इस बातके साबित करनेके लिये बहुतही मज़बूत शहादत अदालतमें पेश करना होगी कि उन लड़कोंकी माता विवाह करनेका अधिकार नहीं रखती थी, इसलिये क़ानूनन् वे लड़के औरस नहीं हैं ; देखो-रामामनी अम्मल बनाम कुलंथाई नाडाचियर 14 M.I.A. 346.

स्त्री, पुरुषके आदतन् साथ रहनेसे तथा इस बातकी शोहरतसे कि वे दोनों पतिपत्नी हैं, अदालत स्वयं पहिलेसे यह मानलेगी कि उनका विवाह कानूनन् जायज़ था । अदालतके ऐसा मानलेनेका खण्ड़न करनेके लिये बहुत मज़बूत, स्पष्ट और संतोषप्रद, तथा क़तई यक़ीन दिलानेवाली, अकाट्य शहादत पेश करनेकी ज़रूरत है। और उस सूरतमें जब कि विवाहको बहुत समय बीत गया हो और पति या पत्नी दोनोंमेंसे एक मरगया हो तो ऐसी सूरतमें वैसी शहादत पेश करना ख़ास तौरसे मुशकिल होगा ; देखो-शास्त्री बिलाइ दर अरोनगरी बनाम सिबेक्र ही वयगाली L. R. 6. A. C. 364 ; 20 Mad L. J. 49.

बरमामें एक हिन्दू पुरुष और एक स्त्री जिसका नाम बरमी स्त्रियोंका सा था पचास वर्षसे पति पत्नीके तौरपर इकट्ठे रहते थे, सवाल पैदा हुआ कि क्या उनका विवाह जायज़ माना जाय ? अदालतने फैसला किया कि उनका विवाह जायज़ था—भानू गोपाल बनाम कृष्णसामी मुदलियार 3 Lower Burma Reports 25.

स्त्रीपुरुषके केवल एक साथ रहनेसे ही यह नहीं मान लिया जायगा कि बिवाह जायज़ था-चारू बनाम कुंदन 3 A. L. J. 807.

अगर किसी जातिने अपनी जातिवाले किसी स्त्रीपुरुषका विवाह जायज़ मान लिया है और उन दोनोंको अपनी जातिमें रखा है तो अदालतको इस कहनेसे कुछ भी प्रयोजन नहीं है कि उस विवाहमें कोई दोष है इसलिये वह नाजायज़ है। नथ्थूसामी बनाम मसलीमनीके मुक़द्दमेमें अदालतने यह भी कहा कि जो विवाह हिन्दू लॉ के अनुसार जायज़ है वह किसी भी जातिके ख़ास रसमोंके विरुद्ध होनेपर भी वह विवाह क़ानूनमें जायज़ माना जायगा ।

दफा ४३. बिवाहका विषय दो भागोंमें बटा है——बिवाहका विषय दो भागोंमें विभक्त हो सकता है, एक तो यह कि, १ क़ानूनमें बिवाहके जायज़ माने जानेके लिये बिवाहमें किन बातोंका होना परमावश्यक है, (देखो दफा ४४) २ दूसरे यह कि बिवाह करनेवाले स्त्रीपुरुष जायज़ बिवाह करनेके योग्य हैं या नहीं (देखो दफा ४५)

दफा ४४. विवाहके जायज़ माने जानेकी शर्तें——बिवाहके विषयमें सदा दो बातें देखी जाती हैं एक यह कि वर और कन्या एकही जातिके हों ; दूसरी यह कि, वर, कन्या एकही कुटुम्बके न हों—देखो याज्ञवल्क्य विवाह प्र० ५२.—

अविप्लुतब्रह्मचर्यो लक्षण्यां स्त्रियमुद्वहेत्
अनन्य पूर्विकां कांता मसपिण्डां यवीयसीम्

वर, जिसका ब्रह्मचर्य भंग न हुआ हो अच्छे गुणवाली स्त्रीको पत्नी बनाये मगर शर्त यह है कि वह किसी दूसरे पुरुषसे संबंध न रखती हो, रूपवती हो, सपिण्ड न हो और अपनेसे उमरमें और शरीरमें छोटी हो। 'सपिण्ड न हो, इससे मतलब यह है कि, एकही पूर्वजोंसे न पैदा हुई हो और न एकही कुटुम्बकी हो विस्तारसे देखो दफा ४७-५४.

दफा ४५. जायज़ बिवाहके योग्यताकी शर्तें——(१) जिस कन्याके साथ विवाह किया जाय वह उसी जातिकी हो, परंतु कोई स्थानीय रसमके अनुसार शूद्रोंमें भिन्न जातियोंके परस्पर विवाह हो सकता है; देखो मेलारमनू दियाल बनाम तानूराम वामन 9 W. R. 552; 2 P. C. R. 267; 15 Cal. 708.

लिङ्गायतोंमें उनके रवाजसे तथा हिन्दू लॉ के अनुसार भी भिन्न उपजातियोंके परस्पर विवाह नाजायज़ नहीं है। जो कोई नाजायज़ बताये उसे साबित करना होगा कि किसी अतिप्राचीन रवाजसे ऐसा विवाह वर्जित है; देखो-फकीर गौड़ा बनाम गंगी 22 Bom. 277.

'पांचाल' और 'कुरवार' शूद्रोंकी उपजातियां हैं इन दोनोंके परस्पर विवाह जायज़ हैं अगर कोई नाजायज़ बताये तो उसे साबित करना होगा कि किसी अतिप्राचीन रवाजसे वह वर्जित है; महंतावा बनाम गंगावा 33 Bom. 693; 11 Bom. L. R. 822.

हिन्दू लॉ के अनुसार जिन शर्तोंसे विवाह जायज़ माना जा सकता है उसके सिवाय यदि किसी जातिमें विवाहका जायज़ बनानेके लिये कोई और रसम भी हो तो उस रसमके पूरा करनेहीसे विवाह जायज़ माना जायगा 20 M. L. J. R. 49.

मद्रासप्रांतके तिनेवली जिलेमें 'कैकोलर' (जुलाहे) जातिकी ईसाई मा-बाप की एक लड़की अपने विवाहके समय हिन्दू मानी गयी ३०। ४० वर्षतक उसकी जातिवालोंने उसको और उसके पतिको अपनी जातिमें रखा और दोनोंको परस्पर पति पत्नी माना, यह माना गया कि उन दोनोंके विवाह जायज़ है क्योंकि वह उस जातिकी रसमके अनुसार हुआ था। यह भी माना गया कि हिन्दू लॉ ऐसे विवाहको वर्जित नहीं करता क्योंकि वह एक जातिकी ख़ास रसमके अनुसार हुआ था 20 M.L.J.R.49.

(२) कन्या उमरमें छोटी हो यह आम बात है, मगर किसी भी उमरकी लड़कीसे विवाह किया जा सकता है। उमरके संबंधमें स्मृतियोंमें मतभेद है—

(३) एक्ट नम्बर १५ सन १८५६ के अनुसार अब विधवा स्त्रीसे भी विवाह किया जा सकता है-देखो दफा ६.

(४) जिस स्त्रीका पति मौजूद हो उससे कदापि विवाह नहीं किया जा सकता, यदि कोई ऐसा करे तो क़ानून ताज़ीरात हिन्दकी दफा ४९४ के अनुसार दण्ड पायेगा। बंबईके एक मुक़द्दमेंमें यह माना गया कि यद्यपि किसी जातिमें यह रसम हो कि एक पतिके जीवन-कालमें और उसकी मंजूरी लिये बिना कोई स्त्री दूसरा विवाह कर सकती है, फिर भी क़ानूनमें ऐसो विवाह नाजायज़ माना गया है और ऐसे मामलेमें स्त्री, और दूसरे पुरुषको पूर्वोक्त दफा ४९४ और ४९७ के अनुसार दण्ड दिया जायगा-देखो कैसरहिन्द बनाम करसन गोजा 2 Bom. H. C. R. 117; (कुछ हालतोंमें स्त्री अपने पतिकी मंजूरीसे दूसरा विवाह कर सकती है; देखो-कैसरहिन्द बनाम उमी 6 Bom. 126) अपनी जातिवालोंको कुछ रुपया देकर और बिना तलाक़ लिये 'नतरा' ढंगका विवाह करनेका रवाज सदाचारके विरुद्ध माना गया; देखो-उजी बनाम हाथीलाल 7 Bom. H. C. R. 133.

जिनमें तलाक़ जायज़ है उनमे तलाक़ होजानेके बाद पति, पत्नी यदि एक दूसरेके

बिबाहका खर्च अदा करदें तो स्त्रीका दूसरा बिवाह करलेना सदाचारके विरुद्ध नहीं है ; देखो—शंकर लिङ्गं बनाम सुब्बनचट्टी 17 Mad. 479 ; 15 Mad. 307.

(५) जिस किसी लड़कीकी सगाई किसी एकसे होगयी हो, तो भी उसका बिवाह दूसरे आइन्दासे किया जा सकता है क्योंकि सगाईसे बिवाह करना निश्चित होता है मगर बिवाह हो नहीं जाता ; देखो दफा ६८.

(६) बदलेका विवाह शास्त्रोंमें मना है परंतु जातिकी अगर ऐसी रसम हो तो जायज़ माना जायगा । उत्तर हिन्दुस्थानमें कान्यकुब्ज ब्राह्मणों और क्षत्रियोंमें ऐसा रवाज है कि बरावरवाले कुलसे वह बदलका बिवाह कर लेते हैं । बदलेसे यह मतलव है कि दोनों पक्षोंके लड़का और लड़की एकही समय या भिन्न भिन्न समयमें एक दूसरेके यहां बिवाह करदिये जाते हैं । बंबईके ' कड़वाकुनबो ' जातिमेंभी ऐसा बिवाह जायज़ माना गया है ; देखो—बाई उगरी बनाम पटैल पुरुषोत्तम 17 Bom. 400.

---

(२) बिवाहमें बर्जित सपिण्ड ।

दफा ४६. सपिण्डकी क़िसमें——सपिण्ड दो तरहके होते हैं एक वह जो बिवाहमें काम आते हैं दूसरे उत्तराधिकारमें । उत्तराधिकारके सपिंडसे बिवाहके सापिण्ड़में भेद है—यहांपर बिवाहके सापिण्ड नीचे बताये गये हैं । उत्तराधिकारके सपिण्डका विषय ; देखो–दफा ५६९–६०१.

दफा ४७. बिवाहमें बर्जित सपिण्ड——हिन्दू लॉ में वर्जित संबंधियोंमें बिवाह नाजायज़ माना गया है—देखो याज्ञवल्क्यस्मृतिका बिवाह प्रकरण ५२.

अविप्लुतब्रह्मचर्यो लक्षण्यां स्त्रियमुद्वहेत्
अनन्यपूर्विकां कांतामसपिण्डां यवीयसीम् । ५२

जिस ब्रह्मचारीका ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं हुआ वह अच्छे लक्षणोंवाली और जिसका दूसरे पुरुषके साथ संग नहीं हुआ, रूपवती, अपने सपिण्डोंमें न हो, और अवस्था तथा शरीरमें अपनेसे छोटी हो ऐसी कन्याके साथ बिवाह करे । विज्ञानेश्वर भट्टाचार्यने इस श्लोकके ' असपिण्डां ' पदकी व्याख्या अपने मिताक्षरा नामक टीकामें निम्नलिखित की है—

" असपिण्डां समान एकः पिण्डो देहो यस्याः सा समान पिण्डा । न सपिण्डा असपिण्डा ताम् । सपिण्डता च एकशरीरावयवान्वयेन भवति । तथा हि पुत्रस्य पितृशरीरान्वयेन पित्रा सह सापिण्ड्यम् "

एवं पितामहादिभिरपि पितृद्वारेण तच्छरीरावयवान्वयात् । एवं मातृशरीरावयवान्वयेन मात्रा । तथा मातामहादिभिरपि मातृद्वारेण । तथा मातृष्वसृमातुलादिभिरपि एक शरीरावयवान्वयात् तथा पितृव्य पितृष्वस्रादिभिरपि तथा पत्यासह पत्न्या एकशरीरारम्भकतया । एवं भ्रातृभार्य्याणामपि परस्परशमेकशरीरारब्धैः सहैक

शरीरारम्भकत्वेन । एवं यत्र यत्र सपिण्डशब्दस्तत्र तत्र साक्षात्परंपरया वा एकशरीरावयवान्वयो वेदितव्यः ।

यद्येवं मातामहादीनामपि दशाहं शावमाशौचं सपिण्डेषु विधीयत इत्यविशेषेण प्राप्नोति स्यादेतत् यदि तंत्र प्रत्तानामितरे कुर्युरित्यादि विशेष वचनं न स्यात् । अतश्च सपिण्डेषु यत्र विशेषवचनं नास्ति तत्रदशाहमित्येत्तद्वचनमवतिष्ठते अवश्यं चैकशरीरावयवान्वयेन सापिण्ड्यम् वर्णनीयम्।'आत्माहि जज्ञे आत्मन' इत्यादि श्रुतेः । तथा 'प्रजामनुप्रजायसे' इति च ।'स एवायं विरूढः प्रत्यक्षेणोपलभ्यते, इत्याद्यापस्तम्ब वचनाच्च तथा गर्भोपनिषदि । एतत् "षाट्कौशिकं शरीरं, त्रीणि पितृतस्त्रीणि मातृतः । अस्थि स्नायुमज्जानः पितृतः, त्वङ्मांसरुधिराणि मातृत" इति । तत्र तत्रावयवान्वय प्रतिपादानात् । निर्वाप्य सापिण्डान्वयेन तु सापिण्ड्ये मातृसंताने भ्रातृपुत्रादिषु च सापिण्ड्यं न स्यात् । समुदायशक्त्याऽङ्गीकारेण रूढिपरिग्रहे अवयवशक्तिस्तत्र तत्रावगम्यमाना परित्यक्ता स्यात् । परम्परयैक शरीरावयवान्वयेन सापिण्ड्ये यथा नाति प्रसंगस्तथा वक्ष्यामः । यवीयसीं वयसा प्रमाणतश्च न्यूनामुद्वहेत् परिणयेत् स्वगृह्योक्त विधिना । ५२.

भावार्थ——असपिण्डका अर्थ है जो सपिण्ड न हो अर्थात् जिसका देह अपने देहके संग एक न हो । क्योंकि सपिण्डता तभी होती है जब शरीरके अवयव एक हों जैसे पुत्रका पिताके साथ सापिण्ड्य है क्योंकि पिताके अवयवोंका संबंध वीर्यद्वारा पुत्रमें है। इसी तरहपर पिताके द्वारा पितामह आदिमें भी सपिण्डता होती है क्योंकि उनके शरीरोंके अवयवोंका संबंध एक दूसरेसे है । इसीप्रकार माताके शरीरके अवयवोंके संबधसे माताके द्वारा मातामह (नाना) आदिके साथ सपिण्डता होती है । एवं परंपरासे एक शरीरका संबंध होनेसे मौसी और मामा, तथा चाचा और बुवाके साथ सपिण्डता होती है। इसी तरह पतिके साथ पत्नीकी सपिण्डता है क्योंकि वह आपसमें मिलकर एक शरीर पैदा करते हैं । भ्राताओंकी स्त्रियोंके संग सपिण्डता होती है क्योंकि भ्राताओंके संग अपने शरीरकी एकता है और उनके (भ्राताओं) शरीरोंके संग उनकी स्त्रियोंके देहोंकी एकता है अर्थात् भाईयोंकी स्त्रियां भी एक दूसरेके सपिण्ड हैं क्योंकि वह मिलकर एक शरीर पैदा करती हैं। या यों कहिये कि वह इकट्ठी उन लोगोंसे मिलकर जो एक शरीरसे पैदा हुए हैं, पुत्र पैदा करती हैं। यानी वह स्त्रियां एक ही मनुष्यकी संतानसे युक्त होकर पुत्र उत्पन्न करती हैं और इसलिये उनके पतिका बाप ही सबका बंधन है जो सबको सपिण्डमें जोड़ता है । इसलिये जहां जहां सापेण्ड शब्द हो वहां वहां साक्षात् वा परंपरा संबंधसे शरीरके अवयवोंका एकही संबंध जानना अर्थात् जहांपर सपिण्ड शब्द आवे तो जानना चाहिये कि जब कभी सपिण्ड शब्द किसी दो मनुष्योंके बीचमें व्यवहार किया जाता है तो उसका अर्थ यह है कि किसी एक शरीरसे उन दोनोंका संबंध स्वयं ही या संतान होनेके कारण माना जाता है।

यहांपर यह शंका होती है कि अगर मातामह (नाना) आदि भी माके द्वारा सपिण्ड हैं तो उनका भी दश दिनका सूतक मानना चाहिये क्योंकि यह कहा गया है कि " दशाहं शावमाशौचं सपिण्डेषु विधियते" इस बचनके अनुसार उनके मरनेका दशदिनका सूतक

मानना चाहिये। इसका उत्तर यह दिया गया है कि हां ऐसा होता अगर कोई विशेष बचन इस संबंधमें नहीं होता "प्रत्तानामितरेकुर्य्युः" इस बचनमें यह विशेष आज्ञा दी गयी है कि-'बिवाही हुई कन्याओंका अशौच वही माने जिनको वह बिवाही गयी हों' इसलिये जिन सपिण्डोंके बारमें कोई विशेष बचन न हो वहांपर दश दिनके अशौचका बोधक समझना चाहिये। इससे यह सिद्ध हुआ कि एक शरीरके अवयवोंके अन्वयसे सपिण्डता अवश्य होती है। क्योंकि श्रुतिमें कहा गया है कि 'आत्माही आत्मासे पैदा हुआ है और प्रजाके पीछे तूही पैदा होता है' तथा आपस्तम्ब ने भी यह कहा है कि 'वही, पिता आदि पैदा होकर प्रत्यक्ष देखा जाता है'। गर्भोपनिषद्में भी कहा है कि 'इस शरीरमें छः कोश हैं यानी ६ वस्तु हैं तीन पितासे और तीन मातासे आती हैं। अस्थि स्नायु, मज्जा पितासे, त्वचा मांस रुधिर मातासे आते हैं, इसप्रकार वहां वहांपर शास्त्रोंमें अन्वय प्रतिपादन किया गया है। यदि साक्षात् पिताके ही संबंधसे सपिण्डता मान ली जाय तो हानि यह होगी कि माताकी संतान तथा माताओंके लड़कोंके साथ सपिण्डता नहीं होगी। अगर समुदाय शक्तिसे रूढि मानोगे तो पहिले मानी हुई अवयव शक्ति त्यागना पड़ेगी और अगर परंपरासे एक शरीरके अवयव संबंधसे सपिण्डता मानोगे तो इसमें जो दोष आता है उसका वर्णन किसी दूसरे स्थलमें करेंगे। ऐसी सपिण्डता माननेमें इसका अर्थ अत्यंत विस्तृत हो जायगा जिससे अनन्त पैदाइशोंसे अनन्त संबंध किसी न किसी तरहसे मनुष्योंके बीच पैदा हो जायेंगे। जो कन्या अवस्था और देहके प्रमाणसे कम हो उसका विवाह गृह्यसूत्रमें कहीहुई विधिके अनुसार करना चाहिये।

दफा ४८. मिताक्षरामें पिण्डदानके आधारपर सपिण्ड नहीं माना गया——

मिताक्षराकारने सपिण्डके निर्णय करनेमें पिण्डदानका आधार नहीं माना (लल्लूभाई बनाम काशीबाई 5 Bom. 110, 118, 120 P. C.) इस प्रिवीकौन्सिलकी नज़ीरमें कहा गया है कि जहां कहीं भी सपिण्ड शब्द आवे वहां सीधी तरहपर या और तरहपर शारीरिक सबंधका होना ही समझना चाहिये। यद्यपि प्रिवीकौन्सिल और हिन्दुस्तानकी दूसरी अदालतें दो दावादारोंके हककी छोटाई बड़ाई निश्चित करनेमें धार्मिक कृत्योंका विचार करती हैं परंतु मिताक्षराने रक्तके निकटका संबंध होनेसे जो सपिण्ड निर्णयके लिये सिद्धांत रखा है और स्मृतिचान्द्रिका, तथा सरस्वतीविलासमें भी साफ साफ कहा गया है वही मानना चाहिये; देखो-7 M. L. T. 203; 20 M. L. J. 280; और देखो-निर्णयसिंधु तृतीय परिच्छेद, बिवाह श्रीवेंकटेश्वर प्रेसका छपा पेज ३६७.

दफा ४९. अपने गोत्र और प्रवरकी कन्याके साथ बिवाह बर्जित है——

हिन्दू लॉ के अनुसार द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,) के विवाहने योग्य वह लड़की है जो न अपने गोत्रकी हो और न अपने 'प्रवर' की हो; देखो—रामचन्द्र कृष्णाजी जोशी बनाम गोपाल 10 Bom. L. R. 948; वह लड़की अपने पिता और नानाकी सपिण्ड भी न हो। महर्षि मनुने कहा है कि—'असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः। सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने॥ मनु ३–५ कुल्लूक भट्टने इस श्लोकका अर्थ ऐसा किया है कि जो लड़की अपनी माताकी सपिण्ड तथा गोत्रकी न हो और पिताके गोत्रकी न हो 'च' से मतलब यह है कि पिताके सपिण्डकी भी न हो ऐसी लड़कीके साथ द्विज बिवाह करे। अर्थात् अपने और नानाके गोत्र तथा सपिण्डकी न हो वही लड़की द्विजोंमें बिवाहने योग्य है।

दफा ५०. शूद्रोंके विषयमें गोत्र और प्रवरका नियम नहीं माना जाता——

शूद्रोंके विषयमें कहा गया है कि वह सपिण्ड कन्याके साथ विवाह नहीं कर सकता; देखो

भविष्य पुराण—'समान गोत्रप्रवरां शूद्रमूद्वानदोषभाक् । शूद्रस्याच्छूद्रजातौ च सपिण्डे दोषभाग्भवेत् ।' यदि शूद्र एकही गोत्र और प्रवरकी कन्याके साथ विवाह करले तो दोष नहीं है परंतु वह सपिण्ड कन्याके साथ विवाह नहीं कर सकता ।

दफा ५१. विवाहमें सपिण्ड सम्बन्ध कहांतक माना जाता है——

(१) पंचमात्सप्तमादूर्ध्वं मातृतः पितृतः क्रमात्
सपिण्डतानिवर्तेत सर्ववर्णेष्वयंविधिः । याज्ञवल्क्य

सब जातियोंसे यह नियम लागू होगा कि माताकी तरफसे पांचवीं और पिताकी तरफसे सातवीं पीढ़ीके बाद सपिण्ड़का संबंध टूट जाता है । विज्ञानेश्वरने इसकी व्याख्या साफ साफ नहीं की । वह कहते हैं कि एकही शरीरका अंश परस्पर मौजूद होनेसे सपिण्ड सम्बंध पैदा होता है यह कहा है कि सपिण्डता माता और पितासे पांचवीं और सातवीं पीढ़ीमें निवृत्त हो जाती है । गौतम, मनु, विश्वरूप, वसिष्ठ, स्मृतितत्व आदिमें भी यही बात मानी गयी है ।

(२) मिताक्षरा—मातृतोमातुः सन्तानेपञ्चमादूर्ध्वं, पितृतःसंताने सप्तमादूर्ध्वं
सापिण्ड्यं निवर्तेत ।

(३) गौतम——ऊर्ध्वं सप्तमात् पितृबन्धुभ्योवींजिनश्च,मातृबन्धुभ्य पञ्चमादिति ।

(४) मत्स्यपुराण—पिण्डदःसप्तमस्तेषां सापिंड्यं साप्तपौरुषीम् ।

(५) स्मृतितत्व—-बध्वा वरस्य वा तातः कूटस्थाद्यदि सप्तमः । पञ्चमी चेत्त-
योर्माता तत्सापिंड्यं निवर्तते । कूटस्थो—मूलपुरुषः ।

(६) विश्वरूपानिबंध-पितृबन्धुषु सप्तमात् पञ्चमान्मातृबन्धुतः ।

(७) स्मृतिचिंतामणि-आसप्तमात्पञ्चमाच्च बन्धुभ्यः पितृमातृतः । अविवाह्याः
सगोत्राच समान प्रवरास्थता ।

(८) विष्णुपुराण—-पञ्चमीं मातृपक्षाच्च पितृपक्षाच्च सप्तमी
गृहस्थ उब्दहेत् कन्यां न्यायेन विधिना नृप ।

(९) अपरार्क——पञ्चमे सप्तमे चैव एषां वैवाहिकी क्रिया
क्रियापरा अपि हिते पतिताः शूद्रतां गताः ।

(१०) शुद्धिचिन्तामणि-सर्वेषामेववर्णानां विज्ञेयासाप्तपौरुषी । सपिण्डता ततः
पश्चात् समानोदकधर्मतः ।

(११) ब्राह्मे———पञ्चमीं मातृतः परिहरेत्सप्तमीं पितृतः ।

(१२) वसिष्ठ——पञ्चमीं सप्तमीं चैव मातृतः पितृतस्तथा ।

(१३) मनु———सपिण्ड़ता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते । समानोदकभावास्तु
जन्मनाम्नोरवेदने ।

ऊपरके बचनोंका सारांश यह है कि माताकी तरफसे पांचवीं और पिताकी तरफसे सातवीं पीढ़ीके अंदरवाली कन्याके साथ विवाह वर्जित है । माताकी ओर गिनती इसतरह होगी, माता माताका पिता आदि; इसी तरहपर पिताकी ओर समझिये । सपिण्डमें विवाह वर्जित है यह बात

सवमान्य है मगर सपिण्ड कौन होते हैं इस बातमें मिताक्षरा और दायभागमें मतभेद है नीचे यह बात समझाई गयी है ।

दफा ५२. सपिण्डोंमें विवाह करनेकी मनाही——बनरजीके 'लॉ ऑफ् मेरेज' के तीसरे एडीशनके पेज २४, २४७ में कहा गया है कि अगर कोई रवाज इसके विरुद्ध न हो तो धर्मशास्त्रमें मनाही किये हुए सपिण्डों और रिश्तेदारोंके दरमियान विवाह करना नाजायज़ है । द्विजोंमें कोई आदमी अपनही गोत्र या अधिकांश प्रवर समान होनेपर किसी स्त्रीके साथ विवाह नहीं कर सकता; अर्थात् विवाह करनेवाले लड़केका बाप और लड़कीका बाप दोनों किसी एकही मूलपुरुषकी नीचेकी मर्दशाखामें हों तो विवाह नहीं हो सकता । यह सिद्धांन शूद्रोंसे नहीं लागू होगा क्योंकि उनमें प्रायः कोई ख़ास गोत्र नहीं कहे जाते ।

मिताक्षरा और बंगालस्कूल दोनोंमें यह सिद्धांत माना गया है कि कोई आदमी अपने सपिण्डकी स्त्रीसे विवाह नहीं कर सकता, मगर दोनों स्कूलोंमें विवाहके सपिण्ड कौन रिश्तेदार हैं इस बातके निर्णय करनेमें अधिक मतभेद हैं । यह ध्यान रहे कि उत्तराधिकारके सपिण्डोंमें और विवाहके सपिण्डोंमें अंतर है नीचे विवाहके सपिण्ड बताये गये हैं । पहिले बंगालस्कूलके सपिण्ड और पीछे मिताक्षराके सपिण्ड क्रमसे देखो——

दफा ५३. बंगालस्कूलके अनुसार विवाहमें सपिण्ड कन्या कौन है ?——बंगालस्कूलमें जहांपर सर्वोपरि जीमूतवाहनका टीका दायभाग माना जाता है वहांपर नीचे लिखे क़ायदोंके अनुसार लड़कीका विवाह वर्जित है ।

(१) अगर लड़की अपने बापके पूर्वजोंकी पांच पीढ़ीके अंदर हो ।
(२) अगर लड़की अपनी मांके पूर्वजोंकी पांच पिढ़ीके अंदर हो ।
(३) अगर लड़की अपने बापके तीन ख़ास बन्धुओंकी सात पीढ़ीके अंदर हो ।
(४) अगर लड़की अपनी माके तीन ख़ास बन्धुओंकी पांच पीढ़ीके अंदर हो ।

यह माना गया है कि ऊपरके चारो क़ायदोंके भीतर अगर लड़की हो और वह लड़केके गोत्रसे तीन गोत्र भिन्न हो तो विवाह हो सकता है; देखो-दफा ५४ का दूसरा उदाहरण-(बंगालस्कूलके अनुसार नीचेका नक़शा देखो) देखो-बनर्जी लॉ आफ् मेरेज एण्ड स्त्रीधन सन १९१३ पेज ६३.

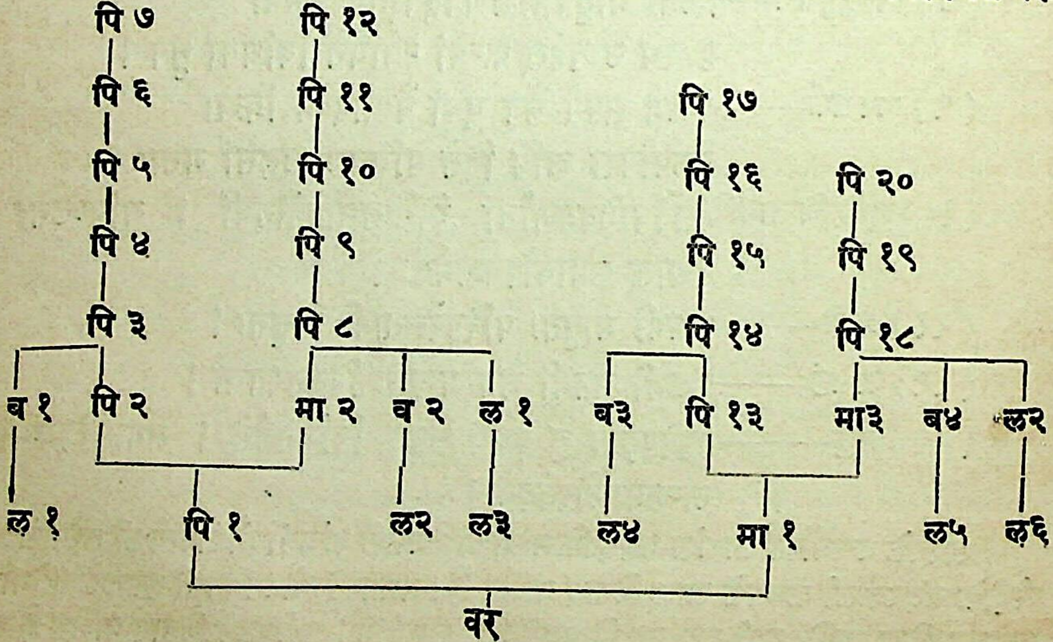

ऊपरके नक़शेमें 'वर' पुरुष है जिसका विवाह होना है। पि १ वरका पिता है मा १ वरकी माता है, मा २ बापकी माता, और मा ३ वरकी माताकी माता (नानी) है। ब १ बापके बापकी बहन, ब २ बापकी माकी बहन, ब ३ माताके बाप (नाना) की बहन, ब ४ माताकी माकी बहन है। ल, से मतलब लड़का है। ल १ पिताकी माका भाई, ल २ माताकी माका भाई है। पि १ स लेकर पि ७ तक वरके पितृपक्षके सात पूर्वज हैं। पि ८ से लेकर पि १२ तक वरके बापके मातृपक्ष (बापका नाना) की सीधी शाखाके पांच पूर्वज हैं। पि १३ से लेकर पि १७ तक वरके मातृपक्षके पांच पूर्वज सीधी शाखामें हैं। पि १८ से लेकर पि २० तक वरकी माताके मातृपक्षके सीधी शाखावाले तीन पूर्वज हैं। ल १, ल २, ल ३, तक वरके पितृबन्धु हैं (ल १—पिताके पिताकी बहनका लड़का, ल २—पिताकी माताकी बहनका लड़का, ल ३—पिताकी माके भाईका लड़का है) तथा ल ४, ल ५, ल ६, यह वरके मातृबन्धु हैं (ल ४-माके बापकी बहनका लड़का, ल ५-माताकी माकी बहनका लड़का, ल ६ माताकी माके भाईका लड़का है) ऊपर कहे हुए चारों सिद्धांतोंके अलग अलग उदाहरण देखो—

(१) जैसा कि ऊपर बताया गया है कि अगर लड़की अपने बापके पूर्वजोंकी सात पीढ़ीके अंदर हो तो विवाह नहीं हो सकता। ऊपरके नक़शेमें देखो पि१ से लेकर पि७ तक वरके पितृपूर्वज हैं। इसमेंसे किसी एकके अगर सात पीढ़ीके अंदर लड़की होगी तो विवाह नहीं हो सकता।

(२) जैसा कि ऊपर दूसरे सिद्धांतमें बताया गया है कि अगर लड़की अपनी माके पूर्वजोंकी पांच पीढ़ीके अंदर हो तो विवाह नहीं हो सकता देखो पि १३ से लेकर पि १७ यह माताके पांच पितृपूर्वज हैं; इसकी गणनामें मातासे शुमार नहीं किया जायगा क्योंकि माताके पितृ पूर्वज माताके पिता (नाना) से शुरू होते हैं।

(३) जैसा कि ऊपर तिसरे सिद्धांतमे कहा गया है कि—अगर लड़की अपने बापके तीन ख़ास बन्धुओंकी सात पीढ़ीके अंदर हो तो विवाह नहीं हो सकता देखो ल १ ल २ और ल ३ यह पितृबन्धु हैं अर्थात् ल १ पिताके बापकी बहनका लड़का, ल २ पिताकी माकी बहनका लड़का और ल ३ पिताकी माके भाईका लड़का है, वरके इन तीनो पितृबन्धुओंकी सात पीढ़ीके अंदर किसी कन्याका विवाह नहीं हो सकता।

(४) जैसा कि उपर चौथे सिद्धांतमे कहा गया है कि अगर लड़की अपनी माताके तीन ख़ास बन्धुओंकी पांच पीढ़ीके अंदर हो तो विवाह नहीं हो सकता देखो ल ४, ल ५, ल ६, मातृबन्धु हैं अर्थात् ल ४ नानाकी बहनका लड़का, ल ५ माताकी माकी बहनका लड़का, और ल ६ माताकी माके भाईका लड़का है इन तीनो मातृबन्धुओंमेसे किसी एककी पांच पीढ़ीके अंदर किसी लड़कीका विवाह नहीं हो सकता अर्थात् ल ४ के पूर्वज हैं, पि १४ से पि १७ तक ल ५, ल ६ के पूर्वज हैं पि १८ से पि२० इत्यादि। ल ६ का बाप है, ल २.

ऊपर विवाहके सपिण्डोका क्रम बंगालस्कूलके अनुसार बताया गया। रघुनन्दनभट्टके बनाये उद्वाहत्तत्व नामक ग्रंथके आधारपर और बंगाल प्रांतमे माने हुए ग्रंथोंके अनुसार ऊपरके सिद्धांत माने गये हैं। डाक्टर बनरजीके 'लॉ आफ़ मेरेज, तीसरा एडीशन पेज ६५-७२ में कहा गया है कि जो लड़की ऊपरके दरजोंके अंदर हो और बरके गोत्रसे तीन गोत्र दूर हो तो विवाह हो सकता है; देखो-दफा ५४ का दूसरा उदाहरण।

दफा ५४. मिताक्षरास्कूलके अनुसार विवाहमें सपिण्ड कन्या कौन है ?——

(१) मिताक्षराके अनुसार विवाहका सपिण्ड अधिक विस्तृत है, दफा ५१ में कहे गये बचनोंके अनुसार वह पितासे सात और मातासे पांच पीढ़ीके समाप्त होनेपर समाप्त हो जाता है। कौस्तुभ, मदन पारिजातमें इसका पूरा विस्तार देखो, निर्णयसिंधु और धर्मसिंधुने

भी इसपर अच्छा विवेचन किया गया है। मिताक्षराके अनुसार विवाहके विषयमें सपिण्ड कन्या जिन ख़ास सिद्धांतोंसे विचार की जाती हैं वह दफा ४७-४८ में ऊपर बताये जाचुके हैं उनका सारांश नीचे देते हैं जो विवाहमें वर्जित माने गये हैं।

१—अगर वर और कन्या दोनोंका उनके पिताओंके द्वारा सात पीढ़ीके अंदर एकही मूल पुरुष हो अर्थात् वर और कन्या अपने अपने पिता, पितामह, आदिके क्रमसे सात पीढ़ीके अंदर या सात पीढ़ीमें एकही किसी मूलपुरुषसे संबंध रखते हों (सात पीढ़ीके बाहर न हों) या

२—अगर वर और कन्या दोनोंका, माताकी तरफ़से एकही मूलपुरुष हो और वह पांच पीढ़ीके अंदर हो (पांच पीढ़ीके बाहर न हो)

यही सिद्धांत घोश हिन्दू लॉ दूसरे एडीशनके पेज ६८० ; भट्टाचार्य्य हिन्दू लॉ के दूसरे एडीशनके पेज ९०; घारपुरे हिन्दू लॉके दूसरे एडीशनके पेज ३०७; मुल्ला हिन्दू लॉ दूसरे एडीशनके पेज ३६१ में, तथा ट्रिवेलियन हिन्दू लॉ दूसरे एडीशनके पेज ३९ में उद्धृत किये गये हैं।

इन सिद्धान्तोंके उदाहरण देखो—

(धर्मसिंधौ तृतीय परिच्छेदे पूर्वार्धे तृतीय पादे, श्रीवेंकटे० शके १८२९ पेज ३६८)

इस नक़शेमें ‘ विष्णु ’ यह मूलपुरुष माना गया है											
नं० १			नं० २			नं० ३			नं० ४		
विष्णु १			विष्णु १			विष्णु १			विष्णु १		
कांति	२	गौरी	दत्त	२	चैत्र	दत्त	२	चैत्र	दत्त	२	चैत्र
सुधी	३	हर	सोम	३	मैत्र	सोम	३	मैत्र	सोम	३	मैत्र
बुध	४	मैत्र	सुधी	४	बुध	सुधि	४	बुध	सुधी	४	बुध
चैत्र	५	शिव	श्यामा	५	रति	श्यामा	५	नर्वदा	श्यामा	५	शिव
गण	६	भूप	शिव	६	गौरी	शिव	६	काम	कांति	६	हर
मृड़	७	अच्युत				रमा	७	कवि			
रति	८	काम									
	पंक्ति			पंक्ति			पंक्ति			पंक्ति	

नं० १—विष्णु मूलपुरुषके दो कन्यायें हुयीं जिनका नाम कांति और गौरी है. उन कन्याओंसे सुधी और हर दो पुत्र हुए फिर उन लड़कोंसे बुध और मैत्र, उनसे चैत्र और शिव, उनसे गण और भूप, उनसे मृड़ और अच्युत, लड़के पैदा हुए मृड़के रति नामकी कन्या और अच्युतके काम नामक लड़का उत्पन्न हुआ यहांपर रति (कन्या) और काम (वर) दोनोंका विवाह हो सकता है क्योंकि वर और कन्या दोनों अपने पिताओंके द्वारा सात पीढ़ीके अंदर एकही मूलपुरुषसे संबंध नहीं रखते; वह दोनों आठवी पीढ़ीमें हैं।

नं०२—विष्णु मूलपुरुषसे दत्त और चैत्र दो लड़के हुए, उनके सोम और मैत्र, उनके सुधी और बुध, उनके श्यामा और रति नामकी कन्याएं पैदा हुयीं। श्यामाके शिव नामका लड़का और रतिके गौरी नामकी कन्या पैदा हुई। यहांपर शिव और गौरीके साथ विवाह होनेमें दोष नहीं है क्योंकि मूलपुरुष विष्णुसे छठी पीढ़ीमें ये हैं इससे माताके द्वारा पांचवीं पीढ़ीमें सपिण्ड निवृत्त हो गया।

नं०३—विष्णुमूलपुरुषसे दत्त और चैत्र दो लड़के पैदा हुए, उनके सोम और मैत्र, उनके सुधी और बुध, उनके श्यामा और नर्बदा दो कन्यायें हुयीं, उनके शिव और काम, एवं शिवके रमा नामकी कन्या और कामके कवि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, यहांपर रमा और कविका विवाह नहीं हो सकता क्योंकि यद्यपि माताके द्वारा सपिण्ड निवृत्त हो चुका तथापि ' मण्डूक प्लुति न्याय ' के अनुसार रमा और कवि पिताके संबंधसे सात पीढ़ीके अंदर होते हैं।

नं० ४—विष्णुमूलपुरुषसे दत्त और चैत्र दो पुत्र पैदा हुए, उनके सोम और मैत्र, उनके सुधी और बुध, सुधीके श्यामा नामकी कन्या और बुधके शिव नामका लड़का जन्मा, श्यामाकी कांति कन्या और शिवका हर पुत्र उत्पन्न हुआ। यहांपर कांति और हरका विवाह नहीं हो सकता क्योंकि माताके द्वारा यद्यपि कांतिका सापिण्ड्य हरके साथसे निवृत्त होगया तथापि हरकी सपिण्ड कांति बनी रही क्योंकि हर अपने पिताके द्वारा मूलपुरुषसे छठी पीढ़ीपर है।

(२) विवाहके सपिण्डके विचार करते समय मनुके उस वचनका ध्यान रखना चाहिये कि **'असपिण्डाच या मातुरसगोत्रा च या पितुः '** ३—५ । अर्थात् माताका सपिण्ड नहो और पिताके गोत्रका दोष न लगता हो। बनरजी हिन्दू लॉ तीसरे एडीशन पेज ६५-७२ में कहागया है कि जो कन्या ऊपरके दरजोंके अंदर हो मगर तीन गोत्र वरके गोत्रसे भिन्न हो तो विवाह हो सकता है यह सिद्धांत बहुत करके बंगालस्कूलमें माना जायगा। दूसरा उदाहरण देखो—

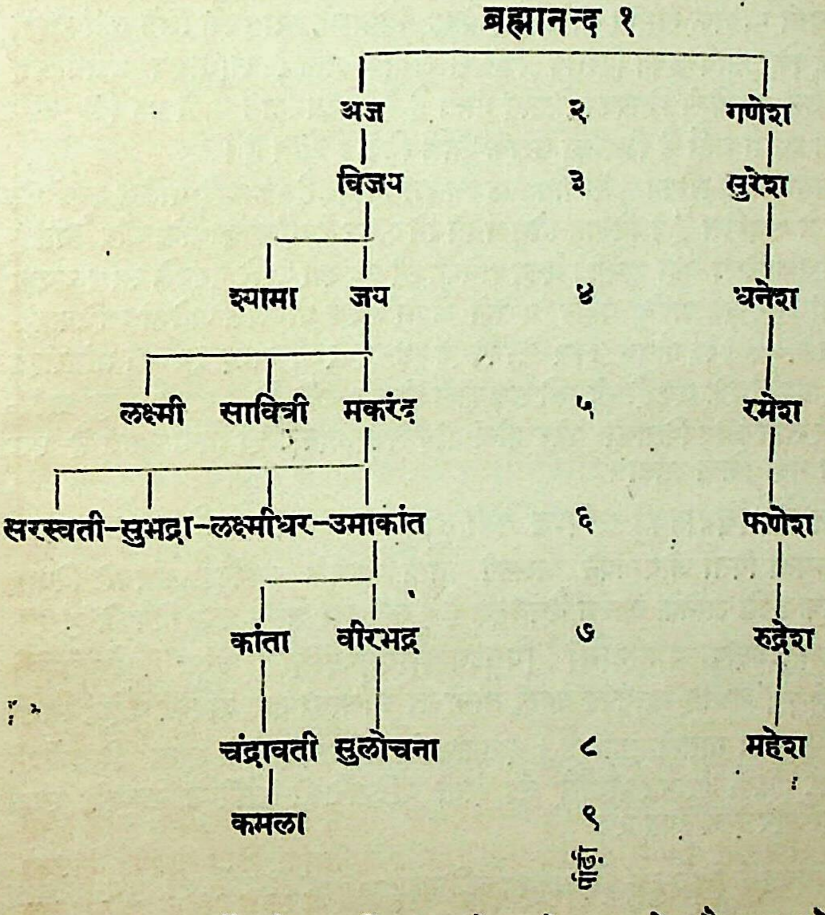
ब्रह्मानन्द १
अज
२
गणेश
विजय
३
सुरेश
श्यामा
जय
४
धनेश
लक्ष्मी
सावित्री
मकरंद
५
रमेश
सरस्वती-सुभद्रा-लक्ष्मीधर-उमाकांत
६
फणेश
कांता
वीरभद्र
७
रुद्रेश
चंद्रावती
सुलोचना
८
महेश
कमला
९
पीढ़ी

इस उदाहरणमें महेशका विवाह सुलोचनाके साथ होना है। क्या महेशके पिताकी ओरसे सुलोचना सात पीढ़ीके अंदर है? नहीं वह आठवीं पीढ़ीमें है इसलिये तो विवाह हो सकता है।

देखो ब्रह्मानन्द मूलपुरुषके दो लड़के हैं अज और गणेश, अजकी संतानमें सुलोचना आठवीं पीढ़ीपर है और गणेशकी संतानमें महेश आठवीं पीढ़ीमें है दोनोंका मूलपुरुष ब्रह्मानन्द है यहांपर मनुके ३-५ के वचनका खण्डन होता है 'असगोत्राचयापितुः ' समानगोत्रकी कन्याके साथ बिवाह वर्जित है इसलिये महेशसे यद्यपि सुलोचना आठवीं पीढ़ीमें है तोभी बिवाह नहीं हो सकता, लोकमें यह बात सामान्यतः तथा दोनों स्कूलोंमें मानी जाती है।

उमाकांतके एक पुत्र वीरभद्र और एक कन्या कांता है कांताकी कन्या चंद्रावती है। चन्द्रावतीका गोत्र महेशके गोत्रसे भिन्न होगया। कांता जिस गोत्रमें बिवाही गयी थी वही गोत्र अभी चन्द्रावतीका है महेशके गोत्रसे एक दर्जा हटा हुआ चन्द्रावतीका गोत्र है अब अगर चन्द्रावतीका बिवाह महेशके साथ होजाय तो वह अपने नाना उमाकांतके गोत्रमें बिवाही गयी ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि कन्याको अपने गोत्रसे तीन गोत्रके फरक़में होना चाहिये मगर कमलाके साथ महेशका बिवाह हो सकेगा क्योंकि कमला तीन गोत्र हटी हुयी है।

इस उदाहरणमें विजयका पुत्र जय और लड़की श्यामा बताई गयी, इसी तरहपर जयकी दो लड़कियां लक्ष्मी-सावित्री और एक पुत्र मकरंद बताया गया, एवं मकरंदके दो लड़के और दो लड़कियां दिखाई गयीं हैं यह सब बराबर दरजोंके समझनेके लिये दिखाये गये हैं जैसे कांता अगर लक्ष्मीधरकी लड़की होती तो भी एकही मतलब होता।

(३) बिवाहमें सपिण्ड कन्या बर्जित की गयी है ऊपर यह बता चुके हैं कि पितासे सात और मातासे पांचवीं पीढ़ीके समाप्त होनेपर सपिण्ड बिवाहके मतलबके लिये नहीं रहता अब प्रश्न यह उठता है कि सपिण्डका हिसाब किससे लगाया जाय ? साधारण उत्तर यह है कि सपिण्ड हमेशा उस लड़केसे जिसका बिवाह होना है देखा जायगा। यानी यह कि, कहीं बरके सपिण्डमें तो वह कन्या नहीं है जिसका उसके साथ बिवाह होता है।

(४) संस्कृत धर्मशास्त्रकारोंका अंतर्भाव यह मालूम होता है कि यदि वर्जित दरजोंकी कन्याके साथ (जो दरजे संदेहित हैं) बिवाह होगया हो तो कन्या धार्मिक कृत्योंके और वैवाहिक संबंधके पानेकी अधिकारिणी नहीं रहती। ऐसा होनेपर भी वह स्त्री दूसरे पुरुषके साथ अपना बिवाह नहीं कर सकती और वह अपने पहले पतिसे अपने भरण पोषणके पानेकी अधिकारिणी है। देखो अपस्तम्ब २-५-११; गौतम ४-२-५; विष्णु १४-९-१०; नारद १२-७; मांडलीक ४११; वास्तवमें होता यह है कि एकही गोत्रकी लड़कीसे बिवाह नहीं किया जाता परंतु सपिण्डसंबंध माताकी ओर तीन और पिताकी ओर पांच पीढ़ीतक ज़रूर ही माना जाता है इस नियमका कभी उल्लंघन नहीं किया जाता।

दफा ५५. दत्तकसे बिवाहका सपिण्ड नहीं टूटता——दत्तक लिया हुआ लड़का अपने दत्तक लेनेवाले माता पिता और अपने असली माता पिताके सपिण्ड सगोत्रसे बिवाह नहीं कर सकता। दत्तक लिये जानेके कारण वैवाहिक क़ैदें नहीं टूट जातीं, इस विषयमें बृहस्पतिका बचन है कि– 'मातुःस्वसा मातुलानी पितृव्यस्त्रीपितृष्वसा। श्वश्रूः पूर्वजपत्नी च मातृतुल्याः प्रकीर्तिताः' अर्थात् माताकी बहन, मामा या चाचाकी स्त्री, बापकी बहन, सास, और बड़े भाईकी स्त्री यह सब माताके तुल्य हैं। दत्तकपुत्रके बिवाहमें दोनों माता पिताओंकी तरफसे सपिण्ड बिचार किया जायगा अर्थात् वह दोनों परिवारोंकी सपिण्ड कन्याके साथ बिवाह नहीं कर सकता और देखो दफा २५७.

दफा ५६. सपिण्डमें कियेहुए बिवाहका परिणाम——सपिण्डमें कियेहुए बिवाह नाजायज़ हैं लेकिन शर्त यह है कि अगर किसी जातिमें ऐसी रसम हो तो वह जायज़ माना जा सकता है : देखो लक्ष्मणकुंवर बनाम मरदानसिंह 8 All. 143.

बंबईमें अकोला, और सोलापूरकी तरफ मामाकी लड़कीके साथ विवाह जायज़ है ऐसे भी कई मामले हुये हैं जिनमें मामाकी लड़की और बुवाकी लड़कीके साथ विवाह जायज़ माना गया महाराष्ट्रोंमें ऐसा विवाह नाजायज़ नहीं माना गया।

(३) वैवाहिक सम्बन्ध।

दफा ५७. **भिन्नजातियोंके परस्पर विवाह**—भिन्न जातियोंके परस्पर विवाह अब नहीं होते पहिलेके ज़मानेमें विवाहके संबंधमें जातिका विचार नहीं किया जाता था मगर अब ऐसा होना बंद होगया है याज्ञवल्क्य कहते हैं कि—

यदुच्यते द्विजातीनां शूद्रादारोपसंग्रहः
नैतन्मममतं यस्मात्तत्रात्मा जायते स्वयम् । आचारे ५३
मनुः—न ब्राह्मणक्षत्रिययोरापर्धापिहि तिष्ठतोः
कस्मिंश्चिदपि वृत्तान्ते शूद्रभार्य्योपदिश्यते । ३-१४
हीनजाति स्त्रीयं मोहादुद्वहन्तो द्विजातयः
कुलान्येवनयन्त्याशु ससन्तानानि शूद्रताम् । ३-१५
शूद्राशयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्
जनयित्वा सुतं तस्यां ब्राह्मण्यादेव हीयते । ३-१७

द्विज पुरुष और शूद्रस्त्रीके परस्पर विवाह मुझे मान्य नहीं हैं क्योंकि स्त्री अपनी अर्द्धांगिनी होना चाहिये। मनुने इसे माना है वह कहते हैं कि, विवाहकी इच्छा करनेवाला ब्राह्मण और क्षत्रीको आपत्तिकालमें भी शूद्रभार्य्याके साथ विवाह न करना चाहिये। जो द्विज मोहसे अपनेसे हीन जातिकी भार्य्यासे विवाह करता है वह उस भार्य्यासे उत्पन्न संतानकेद्वारा अपने कुलको शूद्र बनादेता है। शूद्राके साथ संभोग करनेसे ब्राह्मण नरकको जाता है और उस स्त्रीमें पुत्र उत्पन्न करनेसे ब्राह्मणपनेको नष्ट कर देता है।

शास्त्रोंमें इस बातका नियम है कि किस जातिकी स्त्रीकी संतान पहिले और किसकी पीछे मानी जायगी। इससे श्रेष्ठ और हीन बताया गया है इसलिये जब कोई हिन्दू अपनी जातिकी स्त्रीसे ही विवाह करे तो वह जायज़ माना जायगा। अगर उस हिन्दूने अपना निवासस्थान बदल दिया हो तो भी यही नियम लागू होगा देखो 3 L. B. R. 244; और 9 W. R. 552; सिविलमेरेज एक्ट ऐसे मामलेसे लागू नहीं होता। अगर विवाह करनेवाले स्त्री पुरुष यह कहें कि उस क़ानूनमें कहीहुई जातियोंमेंसे किसी जातिमें हम नहीं हैं तब वह क़ानून लागू होगा। और पति, पत्नीकी रजिस्टरी उस क़ानूनके अनुसार अदालतमें हो जायगी। एकही जातिकी उपजातियोंके परस्पर विवाह वर्जित नहीं है इस विषयमें अगर पहलेकी कोई नज़ीर, रसम रवाजकी कैद लगानेवाली हो तो भी विवाह जायज़ माना जायगा यानी वैसी नज़ीर नहीं मानी जायगी; देखो—मेलाराम बनाम थानूराम 9 W. R. 552; नारायण बनाम राखालगांई 1 Cal 1.

यह माना गया है कि हिन्दू लॉ में कोई ऐसी बात नहीं है जो शूद्रोंकी उपजातियोंके परस्पर विवाह वर्जित करे देखो–उपोमाकुचाइन बनाम भोलाराम धोबी 15 Cal 701 ; फकीर गौड़ बनाम गंगी 22 Bom. 277 वाले मुक़द्दमेमें अदालतने यह माना कि लिंगायतोंकी उपजातियोंके परस्पर विवाह नाजायज़ नहीं है ; जो कोई नाजायज़ बयान करे उसे साबित करना चाहिये देखो 33 Bom. 693 ; 11 Bom. L. R. 822 ; 20 Mad. L. J. 49.

दफा ५८. विवाह कौन कर सकता है ?——

(१) नाबालिग़ दुलहा—हिन्दू धर्मशास्त्रानुसार तो लड़केका विवाह २४ वर्षकी समाप्तीपर करना चाहिये परंतु स्मृतियोंमें यह बात साफ नहीं कही गई कि नाबालिग़ अपना विवाह कानूनन नहीं कर सकता। इन्डियन मेजारिटी एक्टका असर विवाहपर नहीं पड़ता परंतु विवाहके मतलबके लिये बालिग़ होना सोलह वर्षकी उमर पूरी होनेपर माना जाता है। १६ वर्षसे कम उमरवाले लड़केके विवाहके लिये उसके वलीकी मंजूरी आवश्यक है ; देखो नन्दलाल बनाम तपीदास Mor. 287. प्रत्येक हिन्दू विवाह करनेके योग्य मानागया है और प्रत्येक हिन्दू कन्या विवाहमें दानके योग्य मानी गयी है जबतक कि ख़ास आज्ञा कोई इस विषयपर नहो–देखो बनरजीका लॉ आफ मेरेज दूसरा एडीशन पेज ३३.

(२) पागल और बेअक़लका विवाह–बेअक़ल और पागल पुरुषका विवाह हो सकता है हालां कि ऐसे लोग उत्तराधिकारके मामलेमें दीवानी क़ानूनके मतलबोंके लिये अयोग्य माने गये–देखो देवीचरणमित्र बनाम राधाचरणमित्र 2 Mor 99 ; और देखो मनु ९–२०३ ; मिताक्षरा २–१०–९–११; विवादचिंतामणि टैगोरका अनुवादित पेज २४४ ; व्यवहारमयूख ५–११–११; स्मृतिचंद्रिका ५–३२.

पागल और बेअकल आदमी उत्तराधिकार पानेके तो अयोग्य माना गया है मगर उसकी संतान हिस्सा पायेगी यह निश्चित है इसलिये इनका विवाह जायज़ माना गया 2 Mor. 99.

पागल आदमी विवाह कर सकता है यह बात मानी जा चुकी है मगर किस दरजेका पागल विवाहके योग्य होगा यह बात उसके पागलपनकी तादादसे निर्णय की जायगी ; देखो मौजीलाल बनाम चन्द्रावती कुमारी (1911) 38 I. A. 122–125 ; 38 cal. 700 ; 15 C. W. N. 790 ; 13 Bom. L. R. 534.

बंगाल और बंबईके पण्डितोंने यह राय दी है कि पागल विवाह करनेसे रोका नहीं जा सकता देखो 14 Mad. 316 ; 2 Morl, Dig. 99 ; West and Buhler's Hindu Law 2nd ed. P. 274.

बनरजी अपनी हिन्दू लॉ के पेज ३७ में कहते हैं कि यह निश्चित करना कठिन है कि वह किस दरजेका पागल है यानी पागलने कन्यादान स्वीकार कर लिया या नहीं ? पागल या बेअक़लके विवाहके बारेमें कोर्ट ख्याल करेगी कि वह विवाह जायज़ है , और उस स्त्रीसे उत्पन्न संतान औरस (असली) है 38 I. A. 122 ; 38 cal. 700 ; 13 B. L. R. 534.

हिन्दू विवाह धार्मिक कृत्य माना गया है इसलिये उसमें किसी क़िस्मकी रज़ामंदीकी ज़रूरत नहीं है और न बचपन या दूसरी शारीरिक या मानासिक अयोग्यतासे विवाह की हैसियतपर असर पड़ता है।

(३) बहरा, गूंगा, या किसी घृणित रोगसे पीड़ित, जैसे कोढ़ी आदमी विवाह नहीं कर सकता है परंतु यदि विवाह होगया हो तो नाजायज़ नहीं माना जायगा। ऐसे आदमी वैवाहिक हक़ प्राप्त करनेकी नालिश नहीं कर सकते अर्थात् यदि ऐसे किसी आदमीकी स्त्री

उसके साथ प्रथमही रहनेसे इनकार करे, तो पति उसपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता और न अपने कब्ज़ेमें ले सकता है देखो-बाई प्रेममूकर बनाम भीखा कल्याणजी 5 Bom. H. C. R. A. C. J. 209.

(४) हिन्दू पुरुष, एक स्त्रीके जीवनकालमें दूसरी स्त्रीसे भी विवाह कर सकता है। अपने आनन्दके लिये हिन्दू पति कितनी संख्यामें भी शादी कर सकता है चाहे वह सब स्त्रियां जीवित हों ; देखो-विरसवामी चट्टी बनाम अप्पासामी चट्टी 1. Mad. H. C. 375 ; 7 Mad. 187 ; 17 Mad. 235 ; बनरजीके लॉ आफ़ मेरेज 2 ed. P. 39, 40, 128 ; दायभाग ९-६; व्यवस्थादर्पण पेज ६७२.

ब्रह्मसमाजमें एक स्त्रीके जीतेजी दूसरा विवाह नहीं किया जा सकता देखो-सोना लक्ष्मी बनाम विष्णुप्रसाद 6 Bom. L. R. 58 ; 28 Bom. 597 ;

अगर किसीने ऐसा कोई इक़रार किया हो कि दूसरी शादी करनेपर पहली शादी रद्द समझी जायगी तो यह बात हिन्दू लॉ के सिद्धांतके विरुद्ध है ऐसा इक़रार रद्दी समझा जायगा और उसका कोई असर नहीं होगा ; देखो-सीताराम बनाम अहीरी 11 B. L. R. 129 ; 20 W. R. C. R. 49 ; इन्डियन कान्ट्रेक्टकी दफा २६ एक्ट नं. ९ सन 1872.

(५) रंडुवा विवाह कर सकता है और कई हालतोंमें शास्त्रकार उसको विवाह करना लाज़िमी बताते हैं जैसे संतानके लिये इत्यादि। किंतु बृद्ध या अयोग्यको नहीं करना चाहिये।

(६) किसी कुटुम्बीके मरनेपर शोक मनानेके लिये जो मुद्दत नियत हो उसके अंदर कोई हिन्दू विवाह न करे ऐसी शास्त्रकी आज्ञा है।

(७) जिस हिन्दू लड़कीका विवाह न हुआ हो वह विवाह कर सकती है। -

(८) हिन्दू लॉ में कुछ ख़ास नियम ऐसे हैं जो सभ्य समाजकी सभ्यतापर निर्भर हैं। कुछ क़ायदोंमें हिन्दू विवाह बर्जित किये गये हैं जैसे सूतक होनेपर विवाह करना बर्जित माना गया। चाहे वह सूतक जन्मका हो या मरणका-देखो-बनरजीका लॉ आफ मेरेज दूसरा एडीशन पेज १०१ अधिक देखना हो तो देखो भट्टाचार्य्यका हिन्दू लॉ दूसरा एडीशन पेज ८६.

दफा ५९. पतिके जीवनकालमें स्त्रीका दूसरा विवाह——हिन्दू जातिकी कोई स्त्री अपने पतिके जीवनकालमें दूसरा विवाह नहीं कर सकती ; देखो-स्थापित पितर बनाम स्थापित लक्ष्मी 17 Mad. 235 ; सिनाअम्मल बनाम एडमिनिस्ट्रेटर जनरल आफ मदरास 8 Mad. 169—173. मनुस्मृति अ० ९ श्लो० ४६—४७

अगर किसी आदमीने यह साबित किया हो कि उसकी जाति या प्रांतका रवाज है कि पतिके जीतेजी विना मंज़ूरी उसके, स्त्री दूसरा विवाह अपने आनन्दके लिये कर सकती है तो भी अदालत ऐसा रवाज कभी मंजूर नहीं करेगी ; देखो—2 Bom. 140 ; 1 Bom. 347 ; 2 Bom. H. C. 124 ; 7 Bom. H. C. A. C. J. 133 ; 7. C. L. R. 354.

जब किसी स्त्रीने पतिकी मोजूदगीमें विना उसकी मंजूरीके अपनी इच्छासे या दूसरोंके कहनेसे, दूसरा विवाह कर लिया हो या दूसरा पति कर लिया हो, तो ऐसा वह नहीं करसकती ; खेमकर बनाम उमाशंकर 10 Bom. H. C. 381 ; 8 Mad 440 ; 8 Mad 169 ; अगर किसी पंचायतसे ऐसा करनेको स्त्रीके लिये अधिकार दिया गया हो या स्त्रीकी ऐसी इच्छा मंजूर की गयी हो, वह सब नाजायज़ मानी जायगी—देखो ट्रिवेलियन हिन्दू लॉ दूसरा एडीशन पेज ३३.

दफा ६०. विवाहमें उमरकी क़ैद——ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पुरुषका विवाह, यज्ञोपवीत संस्कार होनेके पश्चात् होना माना गया है। यज्ञोपवीतके पहले विवाह नहीं होसकता

देखो ट्रिवेलियन हिन्दू लॉ दूसरा एडिशन पेज ३१ इस विषयमें मनुने कहा है कि " गर्भाष्टमेऽब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम् । गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात्तु द्वादशे विशः २--३६ गर्भके समयसे आठवें वर्ष ब्राह्मणका और गर्भसे ग्यारहवें वर्ष क्षत्रियका और गर्भसे बारहवें वर्ष वैश्यका यज्ञोपवीत करना चाहिये ।

पहले ऐसा कोई भी द्विज नहीं था जिसका यज्ञोपवीतसंस्कार न किया जाता हो परंतु आजकल कुछ क्षत्रियों और वैश्योंमें इसकी पृथा कमज़ोर होगई है विवाहके पहले उनका यज्ञोपवीत नाममात्र करादिया जाता है उसे ' दुर्गाजनेऊ ' कहते हैं सो भी बहुतेरोंका नहीं होता । हिन्दू लॉ में यह सिद्धांत माना गया है कि द्विजोंमें यज्ञोपवीतके विना विवाह नहीं हो सकता यह बात आसानीसे साबित हो सकती है मगर इसके विरुद्ध साबित करना उतनाही कठिन है । ब्राह्मणोंकी संख्या ऐसी बहुत है जिनका यह संस्कार पृथक् होता है और यज्ञोपवीत पहिने रहते हैं । क्षत्रियों और वैश्योंको इस बातपर ध्यान देना चाहिये

जिन हिन्दू जातियोंमें कोई क़ैद नहीं है उन हिन्दुओंको अधिकार है कि किसी भी उमरमें विवाह करें ; देखो 14 Mad. 316-318. और द्विजोंके लिये सिर्फ इतनी क़ैद परमावश्यक मानी गयी है कि यज्ञोपवीतके पहले विवाह नहीं कर सकते उमरकी क़ैद विवाहके लिये नहीं है ।

हिन्दू स्त्री किसी भी उमर की हो विवाहमें दानके योग्य मानी गई है । जी. डी. बनरजीका मत है, तथा धर्मशास्त्रोंका प्रमाण है कि कन्याकी उमर कमसे कम आठ वर्षकी होना चाहिये देखो—धर्मशास्त्र संग्रह पेज १९०. धर्मशास्त्रोंमें कम उमरकी कन्याका दान श्रेष्ठ बताया गया है मगर हिन्दू लॉ में यह कुछ नहीं कहागया कि किस उमरकी कन्या विवाहके योग्य हो सकती है । इसलिये हर उमरका पुरुष और हर उमरकी कन्याका विवाह हो सकता है मगर आम क़ायदेके ख़िलाफ़ दोनों (पति पत्नी) की उमर न होना चाहिये । जब अज्ञान लड़केका विवाह होता हो तो उसके वलीकी मंजूरी ज़रूरी होगी ।

दफा ६१. तलाक़ (Divorce.)——हिन्दू लॉ में तलाक़ नहीं है क्योंकि हिन्दूओंमें विवाह एक संस्कार माना गया है ; (देखो दफा ३९) प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्यकर्म है, ख़ास कर द्विजोंमें विवाहसंस्कार आवश्यक बताया गया है । विवाह आनन्दके लिये नहीं बल्कि एक ज़रूरी कर्तव्यकर्म है , अपनी आत्मिक शांति और अपने पितरोंके लाभके लिये यह संस्कार किया जाता है । हिन्दू विवाहका बंधन पति और पत्नीमें जन्मभरका होता है ।

धर्मशास्त्रकारोंने स्त्री और पुरुषका अविच्छिन्न संयोग बताया है , स्त्रीको अन्य पतिका निषेध ज़ोर देकर कहा है । देखो—मनु अ० ५

कामं तु क्षपयेद्देहं पुष्पमूलफलैः शुभैः
न तु नामापि गृह्णीयात्पत्यौ प्रेते परस्य तु । १५७
आसीता मरणात्क्षांता नियता ब्रह्मचारिणी
यो धर्म एक पत्नीनां कांक्षन्तीतमनुत्तमम् । १५८
अनेकानि सहस्राणि कुमारब्रह्मचारिणाम्
दिवं गतानि विप्राणमकृत्वा कुलसंततिम् । १५९
मृते भर्तरिसाध्वीस्त्री ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता

स्वर्गं गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः । १६०
अपत्यलोभाद्यातु स्त्रीभर्तारमतिवर्तते
सेहनिन्दामवाप्नोति पतिलोकाच्चहीयते । १६१
नान्योत्पन्ना प्रजास्तीह नचाप्यन्यपरिग्रहे
न द्वितीयश्च साध्वीनां क्वचिद्भर्तोपदिश्यते । १६२ मनु० अ० ५

स्त्रीको उचित है कि पतिके मरनेपर पवित्र फूल , मूल और फलको खाकर जीवन बितावे व्यभिचारकी बुद्धिसे दूसरे पुरुषका नाम भी नहीं लेवे। एक पतिवाली स्त्रियोंके उत्तम धर्मकी इच्छा करनेवाली स्त्री अपने मरनेके समयतक क्षमायुक्त , नियमचारी , और ब्रह्मचारिणी होकर रहे। जिस प्रकारसे कई हज़ार कुमार ब्रह्मचारी ब्राह्मणोंने विना संतान उत्पन्न किये ही स्वर्ग पाया है उसी भांति पतिव्रता स्त्रियां अपुत्रा होनेपरभी पतिके मरनेपर केवल ब्रह्मचर्य धारण करके स्वर्गमें जाती हैं। जो स्त्री पुत्रके लोभसे व्यभिचार करती है वह इस लोकमें निन्दित और पतिके लोकसे गिर जाती है। अन्य पुरुषसे उत्पन्न संतानसे स्त्रीका तथा अन्य स्त्रीसे उत्पन्न संतानसे पुरुषका धर्मकार्य नहीं हो सकता। किसी शास्त्रमें पतिव्रता स्त्रीको दूसरा पति करनेका उपदेश नहीं है। यही बात जो मनुजीने कही ठीक पराशरने कही है देखो-पराशरस्मृति अ०४ श्लोक ३०, ३१, ३२, ३३ ; व्यासस्मृति अ० २-५२, ५३ ; वसिष्ठस्मृतिका अ० १७ श्लोक ६७, ६८, ६९, ७०, ७१; और नारदस्मृति १२-११ से १८.

कुडोमी बनाम जोतीराम 3 Cal. 305 और शंकरलिंगम् बनाम सुबन 17 Mad. 479 में माना गया कि यदि किसी जातिमें तलाक़की रवाज आम हो तो मानी जा सकती है।

मज़हबके बदल देने या जातिच्युत हो जानेसे बिवाहका संबंध नहीं टूट जाता और न स्त्री पुरुष दोनो इस सबबसे बालिग़ हो जाते हैं, और न वह स्त्री जिसका पति दूसरे मज़हबमें चलागया हो वेश्या बन जाती है; देखो—गवर्नमेन्ट आफ बंबई बनाम गंगा 4 Bom. 330 ; 9 Mad. 466 ; 18 Cal. 264 ; 23 Mad. 171, 177 ; नरायण बनाम त्रिलोक 29 All 4.

मिस्टर मेनका कहना है कि, हिन्दुओंका विवाह धार्मिक रसूम है, कंट्राक्ट नहीं है इस लिये पति और पत्नी दोनों समझदार हों इस बातकी ज़रूरत नहीं है इस लिये कितनी भी छोटी उमरमें विवाह हो सकता है ; देखो— मेन हिन्दू लॉ 7 ed. P. 108 ; 5 All 513 ट्रिवेलियन हिन्दू लॉ 2 ed. P. 29 ; मुल्ला हिन्दू लॉ 2 ed. P. 365 ; सदाशिव ऐय्यर हिन्दू लॉ 6 ed. Chapter. 3.

हिन्दू बिवाह कंट्राक्ट नहीं है क्योंकि हिन्दू बिवाह और कंट्राक्टमें फरक़ यह है कि कंट्राक्ट अज्ञानावस्थामें नहीं हो सकता अगर किया जाय तो जायज़ नहीं होगा, मगर हिन्दू विवाह धार्मिक कृत्य होनेसे जायज़ है। हिन्दू एक पत्नीके जीते दूसरा विवाह कर सकता है ईसाई नहीं कर सकता । इसी लिये हिन्दू लॉ में डाइओर्स यानी तलाक़ नहीं हो सकती। ऐसे बिवाहके संबंधमें देखो—गोवर्धन बनाम जसोदामनी 18 Cal. 252 ; इन्डियन डाईवोर्स एक्ट ४ सन १८६९ हिन्दू बिवाहसे लागू नहीं होता जबतक कि दोनों ईसाई नहीं होजाते कलकत्ता और मदरास हाई कोर्टने माना है कि जब पति ईसाई हो जाय तो वह उक्त क़ानूनके अनुसार तलाक़ अपनी स्त्रीको दे सकता है 17 Mad 235 ; 18 Cal. 252.

द्विजोंमें तलाक़ नहीं हो सकता, शूद्रोंकी भी ऊंची जातियोंमें नहीं हो सकता क्योंकि हिन्दू लॉ का सामान्य सिद्धांत है कि पति और पत्नीका संबंध कभी टूट नहीं सकता दोनोंके जीवनकालतक रहता है। सभी ऊंची हिन्दू जातियोंमें विधवाविवाह और तलाक़ एक प्रकार

होताही नहीं देखो 3 Cal. 305; 17 Mad. 479; हां आजकल सुधारके पक्षपाती ऐसा करने लगे हैं। हालमें बंबई हाईकोर्टने एक मामलेमें यह राय प्रकट की कि, इन्डियन डायओर्स एक्ट ४ सन १८६९ की दफा ७ का ख्याल करते हुए उस कानूनमें जिस विवाहकी बात कही है वह ईसाई सिद्धांतका विवाह है। अर्थात् ऐसा विवाह जिसमें एक पत्नीके होते हुए दूसरा बिवाह नहीं हो सकता यही ईसाई सिद्धांत है। परंतु हिन्दू सिद्धांत यह नहीं है हिन्दू एक स्त्रीके होनेपरभी दूसरा बिवाह कर सकता है इस सबबसे वह क़ानून हिन्दू बिवाहसे लागू नहीं हो सकता; मगनियां बनाम प्रेमसिंह 8 Bom. L. R. 856.

एक्ट नं. २१ सन १८६६ के अनुसार मज़हब छोड़नेवाला हिन्दू (स्त्री या पुरुष) जब ईसाई हो जाता है और ईसाई धर्मको मानने लगता है तब अदालत उस दूसरे मज़हबमें गये हुए पुरुष या स्त्रीकी प्रार्थनापर उस बिवाहको रद्द कर देती है जो हिन्दूपनमें हुआ था। उसके बाद दोनों फिर बिवाह कर सकते हैं जैसा कि पतिके मरनेपर स्त्रीका और स्त्रीके मरनेपर पतिका देखो—गोवर्द्धन बनाम जसोदामनी 2 Bom. 140.

बंबईमें यह मानागया है कि शूद्रोंमें तलाक़ और विधवा बिवाहका अधिकार है 1 Bom. 97; और स्त्री अपनी इच्छासे पतिको छोड़ सकती है तथा विना मंजूरी पहिले पतिके दूसरा विवाह कर सकती है यह सभ्यसमाजके नियमोंके विरुद्ध माना जाता है देखो—नरायन बनाम लाविंग 2 Bom. 140; 10 Bom. H. C. 381;

मदरास हाईकोर्टने कहा कि अगर जातिकी रवाज़ हो और पति-पत्नीने आपसमें एक दूसरेको तलाक़ देदिया हो तो सभ्यसमाजके व्यवहारके विरुद्ध नहीं है देखो-17 Mad. 479.

दफा ६२. पुरुषका पुनर्बिवाह——हिन्दू लॉ के अनुसार हिन्दू पुरुष पहिली स्त्रीके मरनेपर अथवा कई सूरतोंमें उसके जीतेजी भी दूसरा विवाह कर सकता है मनु इस विषयमें यों कहते हैं——देखो मनु अ० ५ श्लोक १६७, १६८, १६९;

एवं वृत्तां सवर्णां स्त्री द्विजातिः पूर्वमारिणीम्
दाहयेदग्निहोत्रेण यज्ञपात्रैश्च धर्मवित् । १६७
भार्यायै पूर्वमारिण्यै दत्त्वाग्नीनन्त्यकर्मणि
पुनर्दारक्रियां कुर्य्यात् पुनराधानमेव च । १६८
अनेन विधिना नित्यं पंचयज्ञान्नहापयेत्
द्वितीयमायुषोभागं कृतदारो गृहे वसेत् । १६९

धर्मके जाननेवाले द्विजातिको उचित है कि, यदि उसकी सद्वृत्तिशालिनी सवर्णा स्त्री उससे पहले मरजाय तो अग्निहोत्रकी आग और यज्ञके पात्रोंसे उसका दाह करे। उसकी प्रेतक्रिया समाप्त होनेपर फिर अपना दूसरा बिवाह करके अग्निहोत्र ग्रहण करे। पूर्वोक्त विधिसे सदा पंचमहायज्ञ करे इसप्रकारसे बिवाह करके अपनी आयुका दूसरा भाग गृहस्थाश्रममें बितावे। यही बात याज्ञवल्क्यके १ अ० ८९ श्लो० में है याज्ञवल्क्यने कई सूरतें ऐसी बतायीं हैं कि स्त्रीके जीवनकालमें पति दूसरा बिवाह करे देखो—याज्ञवल्क्य अ० १ श्लो० ७२, ७३, ७४.

गर्भभर्तृवधादौ च तथा महति पातके
सुरापी, व्याधिता, धूर्ता, बंध्यार्थघ्न्य प्रियंवदा ।

स्त्री प्रसूश्चाधिवेतव्या पुरुषद्वेषणी तथा ।
अधिविन्ना तु भर्तव्या महदेनोन्यथा भवेत् ।

पुरुषको उचित है कि, गर्भपात करानेवाली, भर्तांके बधका उद्योग करनेवाली, महापातकी, मदिरा पीनेवाली, सदा रोगग्रस्त रहनेवाली, धूर्ता, वन्ध्या, बहुत खर्च करनेवाली, अप्रिय वचन बोलनेवाली, सदा लड़की ही पैदा करनेवाली, और पतिसे द्वेष रखनेवाली स्त्रीके जीवित रहनेपर भी अपना दूसरा बिवाह करलेवे । दूसरा बिवाह करनेपर उचित रीतिसे पहली स्त्रीका पालन करे क्योंकि उसका पालन नहीं करनेसे पति नरकगामी होगा । व्यासजी कहते हैं कि "धूर्ता च धर्मकामघ्नीमपुत्रां दीर्घरोगिणीम् । सुदुष्टां व्यसनासक्ता महिता मधिवासयेत्" व्यासस्मृति अ० २-५०. धूर्ता, धर्म तथा कामको नष्ट करनेवाली, पुत्रहीना, सदा बमार रहनेवाली, अति दुष्टा, मद्यपान आदि व्यसनमें आसक्त रहनेवाली, विरुद्ध काम करनेवाली ऐसी स्त्रीके जीते रहनेपर भी दूसरा बिवाह पुरुष करलेवे-और देखो ट्रिबेलियन हिन्दू लॉ (दूसरा एडीशन पेज ३२) और इस किताबकी दफा ५८ पैरा ५.

दफा ६३. **स्त्रीका पुनर्बिवाह**——धर्मशास्त्रोंमें कई स्त्रियोंसे एक साथ विवाह करना जायज़ बताया गया है, मगर एक साथ कई पतियोंसे बिवाह करना वर्जित किया गया है । कुछ बचन ऐसे हैं जिनमें स्त्रीका पुनर्विवाह वर्जित किया गया है । देखो दफा ६१-मनु कहते हैं कि स्त्री पुनर्विवाह न करे । इसपर मिस्टर मेन कहते हैं कि मनुस्मृतिमें यह श्लोक किसीने जोड़ दिया है । जो हो साधारणतः सब शास्त्र विधवा विवाहके विरुद्ध हैं और जहां कहीं ऐसा मंजूर किया गया है वहां कोई ख़ास प्रसंग है ; आम क़ायदा नहीं माना गया । विधवा विवाहके संबंधमें जहां कहीं जो वाक्य हैं उनमें विधवा बिवाहकी आज्ञा नहीं दी गयी है बल्कि एक प्रकारसे स्वीकार कर लिया गया है । अगर कोई रवाज विरुद्ध न हो तो पतिकी मंजूरी बिना कोई हिन्दू औरत अपना बिवाह दूसरे पुरुषके साथ नहीं कर सकती ।

जब स्त्री, पतिके त्याग देनेपर या विधवा होजानेपर अपनी इच्छासे अन्य पुरुषकी भार्य्या बनकर पुत्र उत्पन्न करती है तब वह पुत्र 'पौनर्भव' कहलाता है ; देखो दफा ८२-मनु कहते हैं कि यदि कोई स्त्री, पुरुषके सहवाससे बचकर किसी दूसरे पुरुषके पास जावे तो वह विवाहसंस्कार करके उसे ग्रहण करे अथवा यदि किसी स्त्रीको पतिने त्याग दिया हो और वह परपुरुषके समीप रहनेपरभी सहवाससे बची हो, पीछे अपने पहिले पतिके पास लौट आवे तो उस स्त्रीसे बिवाहसंस्कार फिर करना चाहिये । मगर वह स्त्री अब 'पुनर्भूपत्नी' कहलायेगी देखो मनु० अ० ९—१७६ ; शातातप कहते हैं-उद्वाहिताच याकन्या न संप्राप्ताचमैथुनम् । भर्तारं पुनरभ्येति यथाकन्या तथैवसा ४४ ; जिस कन्याका बिवाह हो चुकाहो मगर पतिका सहवास न हुआ हो वह पतिके मरजानेपर दूसरा पति प्राप्त करे क्योंकि वह अविवाहिता कन्याके समान है । और देखो वसिष्ठस्मृति अ०१७ श्लो०६४ 'अद्भिर्वाचाच दत्तायां म्रियेतादौ बरो यदि । नचमंत्रोपनीतास्यात्कुमारी पितुरेवसा' जल अथवा वाक्यद्वारा कन्यादान हो चुका हो किंतु मंत्रोंसे बिवाहकार्य पूरा नहीं हुआ हो यदि उस समय वर मरजावे तो वह कन्या अपने पिताकी कुमारी कन्या समझी जावेगी । इन सब बचनोंका सारांश यही निकलता है कि जब पतिका सहवास हो जाय तो कदापि स्त्री दूसरा बिवाह नहीं कर सकती । इस समय सुधारके पक्षपातीयोंने कुछ बिधवाबिवाह किये हैं मगर वह हिन्दू लॉ के सर्वमान्य सिद्धांतपर असर नहीं रखते.

पंजाबमें जहां कस्टमरी लॉ का प्रचार है, नाथू बनाम रामदास 4 Panjab 1905 में माना गया कि एक खत्री और खतरानी बिधवाका विवाह जायज़ है ।

दफ़ा ६४. दो भिन्न जातियोंके परस्पर बिवाह—दो भिन्नजातियोंके परस्पर बिवाह नाजायज़ है ; अर्थात् ब्राह्मण और क्षत्रिय, या ब्राह्मण और वैश्य, या ब्राह्मण और शूद्र । इसी तरहपर क्षत्रिय और ब्राह्मण, या क्षत्रिय और वैश्य, या क्षत्रिय और शूद्र । एवं वैश्य और ब्राह्मण, या वैश्य और क्षत्रिय, या वैश्य और शूद्र तथा शूद्र और ब्राह्मण, या शूद्र और क्षत्रिय, या शूद्र और वैश्य, के परस्पर बिवाह नहीं हो सकते । देखो-पद्मकुमारी बनाम सूर्यकुमारी 28 All 458 ; 2 Bom. L. R. 128 ; भट्टाचार्य्य हिन्दू लॉ 2 ed. P. 85 ; व्यवस्थादर्पण ६५६ ; मिताक्षरा १-११ रामलाल शुक्ल बनाम अक्षयकुमारमित्र 7 C. W. N. 619.

यह क़ायदा सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णोंमें माना जायगा ; यानी अपने अपने वर्णमें विवाह जायज़ माने जायेंगे भिन्न वर्णमें नहीं । मगर जब एकही वर्णके अंदर अनेक जातियों हों और उन भिन्न जातियोंमें बिवाह हो गया हो तो हिन्दू लॉ के अनुसार वह जायज़ माना जायगा—देखो 13 M.I.A.141 ; 3 B.L.R. (P.C.) 1-4 ; 12 W.R. (P.C.) 41 ; 1. Mad.H.C. 478 ; 15 Cal 708 ; 33Bom693 ; 11Bom. L R. 822 ; 14 Mad.I. A. 346 ; अगर किसी खास परिवारमें ऐसा रवाज न हो तो जायज़ माना जायगा देखो ; नगन्द्रनरायन बनाम रघुनाथ नरायन W. R. 1864. C. R. 20 at P. 23.

जब कोई विवाह हिन्दूपुरुष और ईसाई स्त्रीके साथ हुआ हो, जो स्त्री विवाह कालमें हिन्दू होगयी हो, तो जायज़ माना जायगा-देखो 33 Mad. 342.

जब कि किसी हिन्दू और किसी ग़ैरहिन्दूके दरमियान विवाह हो जाते हैं तो उनका निर्णय कठिन हो जाता है । अगर इस क़िस्मके विवाह इंगलैंड़में हों तो वह इंगलिश लॉ के अनुसार जायज़ माने जा सकते हैं मगर हिन्दुस्थानमें उनकी हालत भिन्न होगी । हिन्दू लॉ ऐसे विवाहको नहीं मानती हिन्दूस्थानकी कोर्टें ऐसे विवाहको जायज़ नहीं मानेंगी । देखो ट्रिवेलियन की राय 2 ed. P. 35.

धर्मशास्त्रकारोंका भी यही मत है ; देखो मनु कहते हैं कि, सवर्णाग्रे द्विजातीनां प्रशस्तादारकर्मणि । कामतस्तु प्रवृत्ताना मिमाः स्युः क्रमशो वराः ३-१२ नब्राह्मणक्षत्रिययो रापद्यपिहि .तिष्ठतोः । कस्मिंश्चिदपि वृत्तान्ते शूद्राभार्य्योपदिश्यते ३-१४ । शूद्रांशयनमारोप्य ब्राह्मणोयात्यधोगतिम् । जनयित्वा सुतं तस्यां ब्राह्मण्यादेवहीयते-३-१७ मनुः । अर्थात् द्विजातियोंके लिये बिवाहमें अपने वर्णकी स्त्री ही श्रेष्ठ है । कामके वश होकर उनके पुनर्बिवाह करनेपर क्रमसे स्त्रियां श्रेष्ठ होती हैं । किसी वृत्तान्तमें नहीं देखा जाता कि विपद्कालमें भी ब्राह्मण अथवा क्षत्रियने शूद्रसे बिवाह किया था । शूद्रा स्त्रीसे संभोग करनेवाला ब्राह्मण नरकमें जाता है और उससे पुत्र पैदा करनेवाला ब्राह्मण ब्राह्मणही नहीं रहता व्यास कहते हैं कि " ऊढायां हि सवर्णाया मन्यां वा काममुद्वहेत् । तस्यामुत्पादितः पुत्रो न सवर्णात् प्रहीयते " धर्मकार्य्यके लिये प्रथम अपने वर्णकी कन्यासे बिवाह करके फिर यदि भोगकी प्रबल इच्छा हो तो अन्यवर्णकी कन्यासे बिवाह करे । ऐसा करनेसे अपने वर्णवाली स्त्रीकी संतान असवर्ण नहीं होगी अर्थात् अपने वर्णकी होगी और धर्मकार्यके योग्य होगी । नारद—इस बिषयमें स्पष्ट कहते हैं ' ब्राह्मण क्षत्रियविशां शूद्रानांच परिग्रहे सजातिः श्रेयसी भार्या सजातिश्च पतिः स्त्रियः " १२ विवादपद ४ ; यानी ब्राह्मण,

क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चारोंको अपनी जातिकी स्त्री श्रेष्ठ है और स्त्रियोंको अपनी जातिका पति श्रेष्ठ होता है। जहां कहां ब्राह्मणको प्रबल संभोगकी इच्छासे दूसरे वर्णकी स्त्री लाना कहा गया है वहां वह उत्तम नहीं कही गयी; एवं दूसरे वर्णोंके लिये भी देखो—शंखस्मृति अ० ४ श्लोक ६, ७, ५७; तथा याज्ञवल्क्य अ० १ श्लोक ८८ में कहा है कि सजातीय स्त्रीके विद्यमान होनेपर अन्य वर्णकी स्त्रीसे धर्मसंबंधी कार्य्य न करावे और अनेक सवर्ण स्त्रियोंके होनेपर ज्येष्ठा पत्नीसे धर्मकार्य करना चाहिये।

अगर विवाह एकही वर्णमें हुआ हो मगर भिन्न जातिमें हुआ है और साबित किया गया है कि उस प्रांतका ऐसाही रवाज है तो अदालत इसे मंजूर कर सकती है; देखो रामलाल शुक्ल बनाम अक्षयचरनमित्र 7 C.W.N. 619.

हिन्दू और ईसाईके परस्पर विवाह तथा हिन्दू और ग़ैर हिन्दूके साथ विवाहके संबंधमें जो क़ानूनोंका असर होता है वह तलाक़के संबंधमें बताये गये हैं; देखो दफा ६१

दफा ६५. विवाहमें सौतेली माताका संबंध——कोई हिन्दू अपनी सौतेली माताके भाईकी लड़कीके साथ तथा उस लड़कीकी लड़कीके साथ विवाह नहीं कर सकता; देखो—उद्वाहत्तत्व पं० रघुनन्दन कृत Vol II P.66; बनर्जी हिन्दू लॉ 2 ed. P. 60. सौतेली माका रिश्ता भी वैसाही माना जायगा जैसा कि असली माताका।

दफा. ६६. धर्मशास्त्रोंका वर और कन्याके संबंधमें विचार——(१) हिन्दू धर्मशास्त्रानुसार विवाहमें वर कैसा होना चाहिये तथा कैसा नहीं होना चाहिये, किस नियमकी पावंदी करनां चाहिये, एवं वरका क्या धर्म है इन विषयोंपर विचार; देखो—व्यास अ० २ श्लो. १२,१३; "पाटितोयं द्विजाः पूर्वमेकदाहः स्वयंभुवा। पतयोर्द्धेन चार्द्धेन पत्न्योऽभुवन्निति श्रुतिः। यावन्न बिंदते जाया तावदर्द्धो भवेत्पुमान्" व्यास कहते हैं कि वेदमें लिखा है कि पूर्वकालमें ब्रह्माने एक शरीरके दो भाग करके आधेको पुरुष और आधेको स्त्री बनाया, इसलिये पुरुष जबतक अपना विवाह नहीं करता है तबतक वह आधाही रहता है। मनु कहते हैं कि—

गुरुणानुमतःस्नात्वा समावृत्तो यथा विधि
उद्वहेत द्विजो भार्यां सवर्णां लक्षणान्विताम्। ३-४
महान्त्यपि समृद्धानि गोजाविधन धान्यतः
स्त्रीसंबंधे दशैतानि कुलानि परिवर्जयेत्। ३-६
हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमशार्शसम्
क्षय्यामयाव्यपस्मारि श्वित्रि कुष्ठि कुलानि च। ६-
नोद्वहेत्कपिलां कन्यां नाधिकाङ्गीं नरोगिणीम्
ना लोमिकां नातिलोमां न बाचाटाम् न पिङ्गलाम् ३-८
नर्क्षे वृक्ष नदी नाम्नीं नान्त्य पर्वत नामिकाम्
न पक्ष्यहि प्रेष्यनाम्नीं नच भीषणनामिकाम्। ३-९
अव्यङ्गाङ्गी सौम्यनाम्नीं हंसवारण गामिनीम्
तनु लोम केश दशनां मृद्वङ्गीं मुद्वहेत् स्त्रियम्। ३-१०

यस्यास्तु न भवेद्भ्राता नविज्ञायेत वा पिता
नोपयच्छेत तां प्राज्ञः पुत्रिका धर्म शंकया । ३-११

मनु कहते हैं कि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्यको चाहिये कि गुरूकी आज्ञासे ब्रह्मचर्य व्रतको ठीक रीतिसे पालन करते हुए समावर्तन स्नान पहले करे, पीछे शुभलक्षणों से युक्त अपने वर्णकी स्त्रीसे बिवाह करे। नीचे लिखे दश प्रकारके कुल यदि गौ, बकरी, भेड़, आदि धन और धान्यसे युक्त भी हों तो उनकी कन्यासे बिवाह नहीं करना चाहिये। और जो कुल अर्थात् ख़ानदान (१) क्रियाहीन हो (२) केवल कन्याही पैदा होती हो (३) वेदविद्या न जानते हों (४) सबके शरीरमें रोम बड़े होते हों (५) बवासीर रोग होता हो (६) क्षयी रोगसे युक्त हो (७) मंदाग्नि रोग होता हो (८) मृगी रोगसे पीड़ित हो (९) श्वेतकुष्ठ रोग होता हो या (१०) गलितकुष्ठ होता हो, ऐसे ख़ानदान की लड़की के साथ विवाह करना वर्जित है। भूरेबालोंवाली, अधिक अंगवाली, रोगिणी, रोमरहित शरीरवाली, बहुत रोमवाली, बहुत बकनेवाली, पीली आंखवाली, तथा नक्षत्र, बृक्ष, नदी, म्लेच्छ, पहाड़, पक्षी, सर्प, दासी आदि सेवासूचक अथवा भयानक नामवाली कन्यासे विवाह नहीं करना चाहिये। शुद्ध अङ्गोंयुक्त और प्रिय नामवाली हंस और हाथीके समान चलनेवाली, बहुत बारीक रोमवाली, मुलायम लम्बे केशवाली, छोटे दांत और कोमल शुभ अंगवाली कन्यासे विवाह करना चाहिये। और जिस कन्याका भाई न होवे तथा जिस कन्याके पिताको न जानता हो ऐसी "पुत्रिका" नामक कन्याके साथ धर्मकी शंकासे विवाह नहीं करना चाहिये ' पुत्रिका ' किसे कहते हैं देखो मानवगृह्यसूत्र १ पुरुष, ७ खण्ड ८ अंक; गौतम अ.२९ अंक ३; शातातपस्मृति श्लो. ३६; याज्ञवल्क्यस्मृति १-५२,५४ में कहा गया है कि द्विजको चाहिये कि ब्रह्मचर्य व्रत पूरा हो जानेपर शुभलक्षणोंसे युक्त, बिनब्याही हुई, असपिण्डा, अपनेसे कम उमरकी, रोगरहिता, भाईवाली, अपने गोत्र और प्रवरसे बाहरवाली, मातासे ५ पीढ़ी और पितासे ७ पीढ़ीके अंतरवाली, और दश पीढ़ियोंसे विख्यात, श्रोत्रियोंके कुलकी कन्यासे बिवाह करे। कुष्ठ आदि संचारी रोग तथा दोषयुक्त अच्छे बड़े कुलकी कन्याको भी न बिवाहे। व्यासस्मृति अ. २ श्लो. १-४ में कहा है कि जिस कन्याका पिता मूल्य नहीं चाहता हो, जो अपनी जातिकी हो, जो नीचे लटकनेवाले कपड़े पहनती हो (लहंगा आदि) और सदाचारसे युक्त होवे उस कन्याका शास्त्रकी विधिसे बिवाह करे। ऐसाही गौतमस्मृति अ. ४ श्लोक १-२, वसिष्ठस्मृति अ. ८ श्लो. १-२; शंखस्मृति अ. ४ श्लो. १; और नारदस्मृति १२ विवाहपदका ७ श्लोक; शातातपस्मृति ३२; लघुआश्वलायनस्मृति, विवाहप्रकरण १५ श्लोक २ में कहा है कि- विद्वान् मनुष्यको चाहिये कि अच्छे कुलमें उत्पन्न, सुंदर मुखवाली, सुंदर अंगवाली, सुंदर पवित्र वस्त्र पहननेवाली, मनोहर, सुंदर नेत्रवाली, और भाग्यवती कन्याके साथ बिवाह करे। मानवगृह्यसूत्र पु. १ खं. ७ अं. ८

(२) छोटे भाईसे पहिले बड़े भाईका विवाह उचित है——मनु कहते हैं कि-

दाराग्निहोत्रसंयोगं कुरुतेयोग्रजे स्थिते
परिवेत्तासविज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः । ३-१७१
परिवित्तिः परिवेत्ता ययाच परिविद्यते
सर्वेते नरकं यांति दातृयाजक पञ्चमाः । ३-१७२

जब बड़े भाईके क्वांरे रहते हुए छोटा भाई विवाह अग्निहोत्र ग्रहण करता है तब छोटा भाई परिवेत्ता और बड़ा भाई परिवित्ति कहलाता है। ऐसा करनेसे परिवित्ति, परिवेत्ता, कन्या, कन्यादान करनेवाला, और पुरोहित ये पांचों नरकमें जाते हैं। यही बात कात्यायनस्मृति ख० ६

श्लो०२-३ में कही गयी है। हां कुछ शर्तें इस विषयमें हैं जिनके होनेसे छोटा भाई बड़े भाईसे पहले अपना विवाह कर सकता है; देखो अत्रिस्मृति श्लो० १०३-१०४ और २५५-२५६ में कहा है कि यदि बड़ा भाई कुबड़ा, बौना, लंगड़ा, तोतला, जड़, जन्मका अंधा, बहरा, गूंगा, क्लीव, परदेशमें बसाहुआ, पतित संन्यासी या योगशास्त्रमें रत हो, तो उसे छोड़कर छोटाभाई अपना विवाह कर सकता है। ऐसी दशामें उसे दोष नहीं लगेगा; मगर जब बड़ाभाई गुणहीन हो और छोटा भाई गुणवान होनेसे अपना विवाह करले तो उसे प्रतिदिन ब्रह्महत्याका दोष लगेगा। यही बात पराशरस्मृति अ० ४ श्लो० २७-२८-२९ में कही गयी है। और देखो बनरजी लॉ आफ मेरेज 2 ed. P. 41, 53 54;-भट्टाचार्य्य हिन्दू लॉ 2 ed P. 83;

नोट—जो दोष वर और कन्याके ऊपर बताये गये हैं उनमेंसे सब हिन्दू लॉ में माने नहीं गये जो मानेगये हैं। उनका ज़िकर ऊपर उचितस्थानमें कर दिया गया है।

दफा ६७. बिवाहकी रसम कब पूरी मानी जायगी—बिवाहका कृत्य समाप्त होतेही पति, पत्नीका संबंध आंरभ हो जाता है और बिवाहका कृत्य समाप्त तब समझा जाता है जब बर और कन्या 'सप्तपदी' करलें। सप्तपदी का मतलब सात भांवरोंके बाद जो कृत्य किया जाता है (लघु आश्वलायन स्मृति १५ विवाह प्रकरण तथा मानवगृह्यसूत्र पुरुष १ खण्ड ८ से १४) उससे है। एक बार आपसमें ऐसा संबंध क़ायम होतेही फिर वह कभी भंग नहीं हो सकता मगर शर्त यह है कि बिवाहमें कोई जालसाज़ी या ज़बरदस्ती न की गयी हो या बापकी विना रज़ामंदी विवाह हुआ हो तो देखो—मूलचन्द बनाम बुधिया 22 Bom 812.

द्विजोंके बिवाहमें दो रसमोंके पूरा कर चुकनेपर विवाहकी कृत्य पूर्ण समझी जाती है (१) हवन (२) सप्तपदी (यमस्मृति श्लोक ७८, ८६) 'सप्तपदी' का मूल अर्थ है 'सात-पद वाला कर्म' बिवाहमें अन्य कृत्यों अर्थात् सात भांवरोंके होजानेपर, वर और वधू ग्रन्थिबंधनसहित अग्निके सन्मुख वैदिकविधिके अनुसार सात पद चलते हैं उसे 'सप्तपदी' कहते हैं। यह कृत्य समाप्त होतेही विवाह पूरा होजाना माना जाता है; देखो—चुन्नीलाल बनाम सूरजराम (1909) 33 Bom. 433, 437, 438; अथीकेसावालू बनाम रामानुजम् 32 Mad. 512, 519, 520; बृन्दावन बनाम चन्द्रा 12 Cal 140.

अगर किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यके बिवाहमें हवन और सप्तपदी की कृत्य कुछ बाक़ी रहगयी हो, मगर गौना होगया हो, तो महज़ गौना होजानेके सबबसे विवाहकी कृत्य पूरी नहीं समझी जायगी क्योंकि गौना बिवाहकी कृत्य पूरी होनेके लिये ज़रूरी नहीं है; देखो-अदनजिन मद्रास बनाम अनन्दाचार्य 9 Mad 466, 470; दादाजी बनाम सखमाबाई 10 Bom. 301, 311.

यदि किसी जातिमें किसी रसमके पूरा करनेके पश्चात् विवाहकी कृत्य पूरी समझी जाती हो तो उस जातिके लिये उस रसमके हो चुकनेपर बिवाहकी कृत्य पूरी मानी जायगी, देखो कालीचरन बनाम दुःखी 5 Cal. 692; हरीचरण बनाम निमाई 10 Cal. 138.

जहांपर यह साबित कियागया हो कि विवाहकी सब कृत्यें हो चुकीं थीं तो अदालत क़ानूनके अनुसार उस बिवाहको जायज़ मान लेवेगी-देखो-इन्दरन बनाम रामासामी 13 M. I. A. 141, 158; फकीर गौदा बनाम गंगी 22 Bom. 277, 279; और अगर यह साबित किया गया हो कि ज़रूरी रसमें सब होचुकीं थीं तो भी जायज़ मानलेगी देखो—मौजीराम बनाम चन्द्रवती 38 Cal. 700; 38 I.A. 122. बृंदावन बनाम चन्द्रा 12 Cal. 140; बाई दिवाली बनाम मोती 22 Bom. 909; बिधवा का बिवाह—हिन्दू लॉ के अनुसार बिधवाके पुनर्बिवाहमें किसी रसमकी ज़रूरत नहीं है देखो-हिन्दू बिड़ो रि मेरेज एक्ट नं. १५ सन १८५६ की दफा ६.

किन बातोंके होनेसे अदालत विवाहको जायज़ मानेगी ? जब यह सावित कियागया हो कि विवाह होनेके पश्चात् दोनों यानी पतिपत्नी एक साथ रहे, अपनी जातिमें शामिल रहे और जातिवालोंके ज़रूरी रसमोंके मौक़ोंपर वह दोनों शरीक कियेगये, और जातिवाले तथा, अन्य लोग उन्हें स्त्री, पुरुष मानते थे, जातिवाले खानपानमें बरावर शरीक करते थे, ऐसा साबित होनेसे अदालत बिवाहके जायज़ होनेका मज़बूत सुबूत मानेगी—देखो मौजीलाल बनाम चन्द्रवती 38 Cal. 700; 38 I. A. 122.

जब कोई औरत किसी पुरुषकी निगरानी और रक्षामें बहुत दिनोंसे रहती हो, और दोनो प्रायः एक साथ रहा करते हो और उस औरतके बच्चोंको उस पुरुषने अपने बच्चे मानेहों तो अदालत यह मान लेगी कि वह दोनों स्त्री पुरुष थे और विवाह जायज़ था लेकिन अदालतका यह मान लेना इकदम रद्द कर दिया जा सकता है जब यह साबित कर दिया जाय कि दर असल उन दोनोंका जायज़ विवाह नहीं हुआ था; देखो–चिल्लामल बनाम रंगनाथम् 34 Mad. 277.

दफा ६८. सगाई या मंगनी—(१) विवाह होनेकी बात पक्की हो जानेको सगाई कहते हैं। यह बिवाह नहीं है विवाह तब कहा जाता है जब बिवाहकी कृत्यें सब पूरी हो जायं तब बिवाह टूट नहीं सकता। सगाई या मंगनी या फलदान तोड़ा जा सकता है देखो——उम्मैद बनाम नगीनदास 7 Bom. 122.

अगर सगाई तोड़ दी गयी हो तो अदालतमें विवाह करापाने का दावा दायर नहीं हो सकता देखो गनपतिसिंहका मामला 1Cal. 174 इस मामलेमें अदालतने कहा कि; सगाई तोड़ने पर हर्जेका दावा हो सकता है (अगर कुछ वास्तवमें हुआ हो) मगर ऐसे हर्जेका दावा उस सूरतमें होगा जब कि सगाई उचित और क़ानूनी हो और किसी उचित कारणके बिना तोड़ दी गयी हो देखो–मूलजी ठाकरसी बनाम गोमती 11 Bom 412 सगाई तोड़ी जानेके कारण जो ख़र्चा पड़ा हो वही हर्जेके दावामें वसूल किया जा सकता है 11 Bom. 412; 16 Bom. 673.

पुरुषोत्तमदास त्रिभुवनदास बनाम पुरुषोत्तमदास मंगलदास 21 Bom. 23 के मामलेमें यह सूरत थी कि सगाइ मुद्दालेह की लड़कीसे हुई थी, मुद्दईका दावा यह था कि अमुक, मुद्दतके अंदर यदि मुद्दालेह अपनी लड़कीका विवाह मुद्दईसे न कर दे तो मुद्दई को सगाई तोड़ देनेका अधिकार होगा, यह भी कहा गया था कि सगाई नाजायज़ है। अदालतने मुद्दईका दावा ड़िकरी किया और कहा कि, हिन्दू लड़के और लड़कियोंका विवाह एक ऐसा कंट्राक्ट है जिसको दोनों पक्षोंके मातापिता आपसमें तय करते हैं। लड़के और लड़की की मंजूरी उसमें नहीं होती यही बात सगाईकी भी है और उसमें कोई ऐसी शर्त नहीं होती कि ऐसे कंट्राक्टका पूरा किया जाना बिवाहके समय लड़कीकी रज़ामंदीपर है।

(२) सगाईके बाद बिवाह न करनेसे हर्जानेका दावा—सगाईके पश्चात् यदि बिवाह किसी कारणसे न हो तो, जिसकी तरफसे वह इक़रार भंग किया जाय उसपर दावा उचित सूरतोंमें हो सकता है। इसी तरहका सबसे हालका मुक़द्दमा बंबईमें हुआ; छोटालाल मुद्दालेह नं. १ ने अपनी लड़की 'कमला' का बिवाह रनछोड़दास मुद्दईके साथ करनेका इक़रार किया था, सगाई (फलदान) हो गयी, पीछे उसने जैकिशुनदास मुद्दालेह नं. २ के साथ बिवाह कर दिया मुद्दईने ३०००) रु. के हरजानेका दावा इस बयानसे किया कि मुद्दालेह नं. १ ने इक़रार भंग किया और जैकिशुनदासने उस इक़रारके भंग करनेमें मदद दी। अदालतने दोनों मुद्दालेह पर ८००) रु. की ड़िकरी दी, पहली अपीलमें फैसला बहाल रहा, दूसरी अपील मुद्दालेह नं. २ ने की हाईकोर्टने कहा कि जैकिशुनदास नाबालिग़ है तथा वह हर्जानेका ज़िम्मेदार नहीं है, वह जिम्मेदार उस समयतक नहीं माना जा सकता जबतक कि यह न साबित

किया जाय कि उसने खुद इक़रार भंग करा देनेकी कोशिशकी और अपना प्रभाव मुद्दालेह नं. १ पर डाला, शहादत स्पष्ट और सीधी होना ज़रूरी है, अपील डिकरी हुआ नीचेकी अदालतोंका फैसला मंसूख किया गया—देखो—जैकिशुनदास हरकिशुनदास बनाम रणछोड़दास भगवानदास (1916) 19 Bom. L. R. 12.

दफा ६९. बिवाह संबंधी दूसरे इक़रार या कंट्राक्ट आदि——विवाहमें ठहरौनी यानी दहेज देनेका क़रार सार्वजनिक सिद्धांतके इकदम विरुद्ध है इसलिये ऐसा इक़रार जो किसी विवाहमें हुआ हो नाजायज़ है। मद्रास हाईकोर्ट की रायमें ऐसा मानना बहुत उचित नहीं है। मगर नीच जातियोंमें दुलहिनका बाप दुलहासे कुछ धन ले सकता है। यदि लड़कीका बाप ऐसा धन लेकर लड़कीका बिवाह किसी दूसरेसे कर दे, तो वह धन लड़कीके बापको पहले दुलहाको लौटा देना पड़ेगा—देखो रामचन्द्रसेन बनाम आदित्यसेन 10 Cal.1054; 16 Bom.613. मदरास हाईकोर्टने एक मुक़द्दमेमें यह माना, (जिसमें वादी और प्रतिवादी दोनों ब्राह्मण थे, बादी अपनी लड़कीका विवाह प्रतिवादीके भतीजेके साथ करेगा इस इक़रारपर प्रतिवादीने एक दस्तावेज़ वादीके नाम लिख दी) कि उस दस्तावेज़की रक़मके लिये वादी, प्रतिवादीपर दावा कर सकता है देखो—विश्वनाथम् बनाम स्वामीनाथम् 13 Mad 83; मगर यह मदरास ही में माना जायगा और हालके मुक़द्दमोंमें मदरास हाईकोर्टनें इसके विरुद्ध फैसला किये.

हिन्दू सभ्य समाजमें दहेज यानी ठहरौनीके इक़रार बहुत ही नापसंद किये जाते हैं आजकल इस कुप्रथाके उठानेके लिये समाजें बहुत कुछ प्रयत्न कर रही हैं इसी सबबसे इस क़िस्मके इक़रार छिपा कर किये जाते हैं ज़ाहिरा तौरसे ऐसा इक़रार करानेवाले भी प्रायः इसे नापसंद करते हैं। हिन्दू लॉ के अनुसार बिवाह कर देनेकी शर्तपर जो लेन देनका इक़रार किया जाय या इस संबंधकी दलाली, ऐसे मामले, इन्डियन कंट्राक्ट ऐक्टके अनुसार नाजायज़ हैं.

एक आदमीने जो किसी दूसरे आदमीकी लड़कीका वली था उस लड़कीका बिवाह किसी आदमीसे कर देनेके इक़रार पर उस आदमीसे कुछ रक़म पानेका बचन ले लिया था अदालतने माना कि लड़कीका बली उस रक़म पानेके लिये दावा नहीं कर सकता—देखो—दुलारी बनाम वल्लभदास 13 Bom. 126; पीताम्बर रतनसी बनाम जगजीवन 13 Bom.831.

बिवाहके लिये कोई सुंदर स्त्री ढूंढ देनेकी शर्तपर एक आदमीने दूसरे आदमीसे कुछ रक़म पानेका इक़रार कर लिया था अदालतने माना कि ऐसा इक़रार, इन्डियन कंट्राक्ट एक्ट की २३ दफाके अनुसार नाजायज़ है; देखो—वैद्यनाथं बनाम गंगाराजू 17 Mad. 9; मदरासके इस मुक़द्दमेमें यह बात ध्यान देनेयोग्य है, कि इस मामलेमें हाईकोर्टने जो राय प्रकट की उससे उस हाईकोर्टकी उस रायका खण्डन होगया जो उसने ऊपर कहे हुए 13 Mad. 83 वाले मुक़द्दमेंमें प्रकट की थी। अगर किसीने अपने लड़के या लड़कीका बिवाह कर देनेके इक़रार पर जो लेनदेन किसी दूसरी तरहपर किया हो वह नाज़ायज़ है यह बात हालमें बंबई हाईकोर्टने मानी है, ढोलीदास ईश्वर बानम फूलचन्द 22 Bom. 658.

दफा ७०. कन्यादान देनेके अधिकारी कौन हैं——हिन्दू विवाहमें दुलहिनका स्वयं कुछ अधिकार नहीं होता अर्थात वह कन्या अपने पिता, या वली, या किसी रिश्तेदारके द्वारा दानके तौरपर दी जाती है, कन्यादानके करनेवालोंके अधिकारका क्रम याज्ञवल्क्यने इस प्रकार कहा है "पितापितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा। कन्याप्रद: पूर्वनाशे प्रकृतिस्थः परःपरः॥" १-६३ मिताक्षराकार विज्ञानेश्वर कहते हैं कि 'एतेषां पित्रादीनां पूर्वे

पूर्वाभावे परःपरः कन्याप्रदः इत्यादि यानी पिता, पितामह, भाई सकुल्य (देखो दफा ५८७) तथा माता इन सबमें क्रम यह है कि पूर्व कहे हुए अधिकारीके न होनेपर, पर अधिकारी कन्यादानके योग्य हैं माताका दरजा अंतमें रखागया है । यानी सबसे पहले पिता, उसके न होनेपर पितामह, पीछे भाई, भाईके न होनेपर पिताकी तरफके नज़दीकी रिश्तेदार, उसके बाद माता कन्यादानकी अधिकारिणी है । कन्यादानका कर्तव्य पालन, शास्त्रोंकी अनिवार्य आज्ञा है व्यासस्मृति अ० २ श्लोक ६ में विशेष यह कहा गया है कि भाईके न रहनेपर चाचा और चाचाके न रहनेपर कुलका कोई पुरुष कन्यादान करे। यदि कोई न रहा हो तो कन्या स्वयं अपना पति बनालेवे, तथा नारदस्मृति १२ विवाहपदके श्लोक २०, २१ देखो; मनु अ० ९ श्लो० ९१ में कहते हैं कि पिता आदिसे न दी हुई कन्या विवाहकालमें यदि पतिको स्वयं वर ले तो उसको और उसके पतिको कोई पातक नहीं लगता।

चोरीके अपराधमें दण्ड पाये हुए पिताके कन्यादानका अधिकार क्या उक्त दण्ड पानेसे जाता रहता है ? बंबई हाईकोर्टने कहा कि केवल दण्ड पानेसे उसका ऐसा अधिकार नहीं जाता और यह नहीं माना जा सकता कि सिर्फ चोरीके अपराधमें दण्ड पानेके कारण कोई आदमी अपनी स्त्री, बच्चोंसे फिर गृहस्थाश्रमी नहीं बन सकता, अपनी कन्याके विवाहके लिये वर पसंद करनेमें पिताका अधिकार अवश्य रहेगा देखो-नानाभाई बनाम जनार्दन 12 Bom.110,119.

यह स्पष्ट है कि दूसरे मामलोंके वलीसे विवाहके वलीमें भेद है। माताको बहुतही छोटा दरजा दिया गया है; जानकीप्रसाद अगरवाला 2 Boulnoi's 114 के मुक़द्दमेमें कन्यादानका अधिकार माताकी अपेक्षा भाईका अधिक माना गया है। अदालतने कहा कि पिताके बाद कन्याके लिये मुनासिब वर चुननेका अधिकार पितामह, भाई, और पिताकी तरफके रिश्तेदारोंका, क्रमसे है और उनके पीछे माताका है। परंतु मदरास हाईकोर्टने याज्ञवल्क्यके श्लो० १-६३ का अर्थ ऐसा किया है, कि जिससे माताका स्वाभाविक अधिकार कुछ दूरतक माना गया है अदालतने कहा कि दूसरे रिश्तेदारोंने कन्याके लिये जो वर पसंद किया हो और माताका पसंद किया हुआ वर उससे अच्छा हो तो माताकी बात मानी जायगी देखो-- नमःशिवायं पिल्ले बनाम अन्नामी अम्मल 4 Mad. H. C. R. 344.

जब कोई वली कन्याका ऐसा विवाह करने लगा हो, जो कन्याके लिये हानिकर हो तो अदालतको अधिकार है, उसमें हस्तक्षेप ज़रूरी समझकर करे । विशेषतः जब यह मालूम हो कि वली यह विवाह अनुचित नियतसे या स्वार्थ वश कर रहा है तब अवश्यही हस्तक्षेप करेगी श्रीधर बनाम हीरालाल 12 Bom. 480; 12 Bom 110 ; हरेंद्रनाथ बनाम विंदारानी 2 Cal. W. N. 521; लेकिन जब वली कन्याका बाप हो, तो अदालत बहुतही ख़ास सूरतमें हस्तक्षेप करेगी 12 Bom 480. धर्मशास्त्रमें विवाह परम कर्तव्य माना गया है भाइयोंके लिये भी आज्ञा है कि वह बहनोंका विवाह करें देखो वैकुंठनाथ अय्मनगर बनाम कल्लापीरं पैयनगर 23 Mad. 512; 26 Mad. 497.

कन्यादानमें माताका दरजा सबसे पीछे रखा गया है पिताकी तरफके रिश्तेदारोंमें जब कोई दोष पाया जाय तो ऐसे वक्त माता कन्यादान करेगी। माता अपनी तरफसे किसी उचित पुरुषको कन्यादानके लिये नियुक्त कर सकती है; देखो—बाई रामकुंवर बनाम जमुनादास (1913) 37 Bom. 18 ; 35 Mad. 728. सौतेली माताको कन्यादान देनेका अधिकार नहीं ; 7 W. R. C. R. 321 ; और देखो-2 Ind. Gur 193.

अगर किसी नाबालिग़ (लड़की या लड़का) की ज़ात या जायदादपर एक्ट नं० ८ सन १८९० ई० के अनुसार हाईकोर्टने या किसी दीवानी कोर्टने वली नियत कर दिया हो तो नाबालिग

के विवाहके लिये वह वली कोर्टकी मंजूरीसे खर्च करेगा और कोर्ट कुल ज़रूरी हिदायतें विवाह संबंधमें वलीको देगी और अगर वली हिन्दू लॉ का होगा उसे ऐसा अधिकार रहेगा कि वह बिना मंजूरी कोर्टके विवाह करे ; देखो—एक्ट नं. ८ सन् १८९० की दफा ट्रिवेलियन लॉ आव माइनर्स 3 ed. P. 176, 177, 291 ; (संदेहितकेस देखो—22 Bom. 509, 513, विलसन्स ऐंग्लो मोहमडन ला 3 ed P. 190)

बंगाल—जब कोई नाबालिग़ बंगाल हाईकोर्टके ताबे, कोर्ट आफ वार्डस् एक्टके अनुसार हो तो उसके वलीको विवाहसे पहले विवाहके लिये अदालतसे इजाज़त प्राप्त करना ज़रूरी है-कोर्ट आफ वार्डस् Rules. S. VIII (e) rule 5.

मदरास—जब नाबालिग़ मदरास हाईकोर्टके ताबे कोर्ट आफ वार्डस् एक्टके अनुसार हो और उसके वलीने बिना मंजूरी अदालतके नाबालिग़का विवाह कर दिया हो तो उस वलीको अदालत दण्ड देती है. जो २०००) रु. जुरमाना और ६ महीनेकी क़ैदसे अधिक नहीं होगा। या दोनो सज़ायें साथमें देगी-देखो Act 1. (M. C.) of 1902, s. 67.

दफा ७१. विवाहके खर्च——मिताक्षरा स्कूलमें हिन्दू मुश्तरका ख़ानदानके मर्द मेम्बरोंकी लड़कियोंकी शादीके खर्च मुश्तरका जायदादपर पड़ते हैं (देखो दफा ४३०) 26 Mad 497; 23 Mad 512. लड़कियोंकी शादीमें जो खर्च हो, जो लड़कीको बतौर नेगचारके दिया जाय, या जो दुरागमन यानी गौनेमें खर्च हो, सब क़ानूनी ख़र्च माना गया है; देखो—चुरामैन साहू बनाम गोपी साहू (1909) 13 C. W. N. 994 इसी तरहपर मुश्तरका ख़ानदानके मर्द मेम्बरोंकी शादीके ख़र्च जायदादसे दिये जायेंगे—(1907) 32 Bom. 81 ; 9 Bom. L. R. 1366 ; (1910) 32 All. 575 ; 34 Mad 422.

बंगाल स्कूलमें यह नियम नहीं माना जाता—देखो सरकार हिन्दू लॉ 3. ed. 106. बंबई हाईकोर्टने माना कि मुश्तरका हिन्दू ख़ानदानमें जो क़र्ज़ किसी कोपार्सनरके विवाहके लिये लिया गया हो उसके देनदार मुश्तरका खानदानके सब कोपार्सनर होंगे (कोपार्सनर देखो दफा ४३०) क्योंकि वह क़र्ज़ ख़ानदानके मतलब और उसके लाभके लिये लिया गया है ; देखो-सुंदराबाई बनाम शिवनारायण 32 Bom. 81 ; 9 Bom. L. R. 1366 ; इसी तरहपर जैराम नाथू बनाम नाथू श्यामजी 34 Bom. 54 में यह माना गया कि छोटे भाईका विवाह करनाभी ज़रूरी कामोंमें दाखिल है। इलाहाबाद हाईकोर्टने बहनके व्याहके विषयमेंभी वही बात मानी; देखो-नन्दनप्रसाद बनाम अजोध्याप्रसाद 7 All.L.J. 236 (फुलबेंच) हालमें इलाहाबाद हाईकोर्टने यह माना कि बापके दूसरे विवाहके लिये दुलहिनके बापको रुपया देनेके उद्देशसे जो क़र्ज़ लिया गया, वह भी ख़ानदानी ज़रूरी काम है और इस लिये लड़के उस क़र्ज़के देनदार हैं ; देखो—भागीरथी बनाम जोखूराम 7 All. L. J. 667. इस भागीरथीवाले मुक़द्दमेंमें अदालतने कहा कि प्रत्येक पुनर्विवाह क़ानूनी ज़रूरी कामोंमें दाखिल नहीं है लेकिन जबकि पिताकी उमर लगभग २८ वर्षके हो, पुत्र लगभग ९ वर्षकाहो और स्त्री मर जाय तो पिताका फिर विवाह करना क़ानूनी ज़रूरियातमें दाख़िल है । मदरास हाईकोर्ट भी धीरे धीरे ऐसेही सिद्धांत मानने लगी है ; देखो 19 Mad. L. J. 666 वाले मामलेमें हाईकोर्टने यह सिद्धांत कि ' हिन्दूके लिये विवाह परम कर्तव्य है ' ब्राह्मणोंके सिवाय शूद्रोंके लिये भी माना। इस मामलेमें सौतेली मा अपने पतिकी जायदादकी वारिस हुई थी, अदालतने माना कि, उसकी सौतेली कन्याका विवाह करना उसका कर्तव्य है । 9 Mad. L. T. 158 वाले मुक़द्दमेमें मदरास हाईकोर्टने यह भी माना कि, पतिकी जायदादका एक टुकड़ा जो विधवाने कन्याके विवाहके खर्चके लिये बेचा था वह क़ानूनी ज़रूरी काम था ।

जहांपर कोई हिन्दू खानदान मिताक्षरा लॉके आधिपत्यमें रहता हो तो खानदानकी जायदाद, खानदानके लड़कोंके बिवाहके खर्चके लिये पाबंद है ; यानी उस जायदादमेंसे विवाहका खर्च किया जायगा ; देखो—32 Bom. 81; 12 All 570; 37 Mad 273; 27 Mad 206; (1911) 34 Mad 422; लड़कियोंके विवाहके लिये भी पाबंद है 28 Mad 512, 26 Mad 407; 35 Mad 728.

दफा ७२. कन्याकी वलायत——कन्याकी वलायतके दो भाग हैं। एक तो विवाहके पहले, दूसरा विवाहके पश्चात्। विवाहके पहले कन्याका वली (देखो दफा ३२४; ३३३) विवाहके पश्चात् उसका वली पति है चाहे पति नाबालिग़ भी हो। नाबालिग़ दुलहन का वली नाबालिग़ दुलहा होता है. (दफा ३३२) अगर कहींपर ऐसी ख़ास रसम हो कि अपनी स्त्रीके बालिग़ होनेपर पति उसका वली माना जाय तो बात दूसरी है—अरुमुगामुदाली बनाम वीरराघव मुदाली 24 Mad 255.

दफा ७३. बिवाहमें 'फेक्टमवेलेट'—(Factum valet)—जब कोई ऐसा नाजायज़ काम हो जाता है, कि जिसको रद्द करनेसे और भी ज़ियादा हानि होती है, तो अदालत उस कामको नाजायज़ समझते हुए भी रद्द नहीं करती। इस सिद्धांतका नाम 'फेक्टमवेलेट' है। बिवाहमें यह सिद्धांत इस सूरतमें लागू होता है, कि जब वलीकी रज़ामंदी बिना लड़कीका बिवाह करदिया जाय तो अदालतको वह बिवाह (यद्यपि नाजायज़ है) जायज़ मानना पड़ता है, क्योंकि हिन्दुओंमें बिवाह तोड़ा नहीं जासकता। यदि अदालत तोड़दे तो उस लड़कीको और भी अधिक हानि पहुंचेगी। इसलिये ऐसे मामलेमें 'फेक्टमवेलेट' लागू होता है। हिन्दूलॉके अनुसार बिवाह केवल इस लिये रद्द नहीं किया जा सकता, कि वलीकी रज़ामंदी नहीं ली गयी थी। हां अगर जाल, फ़रेब, हो तो दूसरी बात है; देखो—मूलचन्द बनाम भूदिया 22 Bom. 812; खुशहालचन्द बनाम बाई मनी 11 Bom. 247; गाजी बनाम शकरू 19 All 515; 4 Mad. 339; मधुसूदन मुकरजी बनाम यादवचन्द बनरजी 3 W.R.194.

धोखा——जब विवाह किसी अनुचित कन्याके साथ धोखा, फ़रेबसे होगया हो तो पति उस स्त्रीको त्याग कर सकता है—मनु—कहते हैं कि—

विधिवत्प्रतिगृह्यापि त्यजेत्कन्यां विगर्हिताम्
व्याधितां विप्रदुष्टां वा छद्मना चोपपादिताम्। ९—७२

वरको उचित है कि विशेष दोषवाली, रोगिणी, मैथुनसंसर्गवाली, जालसाजीसे दी हुई कन्याको बिधिपूर्वक बिवाहमें ग्रहण करनेपर भी त्याग देवे। और जिसने ऐसा धोखा दिया हो, या जालसाज़ी की हो, उसे राजा दण्ड दे; देखो—याज्ञवल्क्य अ० १ श्लोक० ६६; नारद १२ बिवादपद ३१-३२-३३; तथा मनु ८-२२४, ऐसा पुरुष क़ानून ताज़ीरात हिन्दसे भी दण्डित होगा—बाई दिवाली बनाम मोतीकृष्ण 22 Bom.509. वाले मामलेमें माताने अदालतके हुकमके ख़िलाफ़, और कन्याके चाचाके मौजूद रहते स्वयं अपनी लड़कीका बिवाह करदिया। अदालतने इस बिवाहको भी जायज़ माना। जजोंने कहा कि देखना सिर्फ यह चाहिये कि बिवाह क़ानूनी हुआ है? फेक्टमवेलेटका सिद्धांत भी लागू हो सकता था। परंतु ध्यान रहे कि ऐसा बिवाह भलेही जायज़ किसी खास सूरतमें मान लिया जाय परंतु ऐसा करनेमें जिन लोगोंने कन्याको उसके उचित वलीकी वलायतसे बाहर निकालने आदि कामोंमें भाग लिया, वे क़ानून ताज़ीरात हिन्दके अनुसार अभियुक्त होंगे; देखो—महारानी विक्टोरिया बनाम गुरदास राजवंशी 4 W. R. 7 फौजदारी; संम्राट बनाम प्राणकृष्ण शर्मा 8 Cal. 969.

दफा ७४. नियोग——देखो इस किताबकी दफा ८७; ८८; २८२; २८३ और देखो धर्मशास्त्रसंग्रह पेज २२०.

दफा ७५. स्त्री किसके क़ब्ज़ेमें रहेगी——ज़ाहिरा तौरसे माना गया है कि पति अपनी स्त्रीका वली है और वह विवाहके समयसेही अपनी स्त्रीको अपने घरमें रहनेके लिये मजबूर करनेका अधिकार रखता है। स्त्री चाहे कितनीभी छोटी उमरकी हो उसको अपने पतिके घरमेंही रहना होगा। अगर कोई रवाज इसके विरुद्ध हो तो दूसरी बात है। धरणीधर घोषका मामला देखो-17 Cal. 298 ; असमुगामुदाली बनाम वीरराघवमुदाली 24 Mad. 225.

मनु कहते हैं कि जब स्त्रीकी उमर नाबालिग़ हो तोभी पति बल प्रयोग करके उसे अपने पास रखे। अगर स्त्री बालिग़ हो और पतिके पास रहनेसे इनकार करे तो पतिकी प्रार्थनापर अदालत स्त्रीको सिर्फ यह हुक्म देगी कि वह पति के पास रहे, मगर उसे मजबूर नहीं कर सकती। अर्थात् पति ऐसा मुक़दमा दायर नहीं कर सकता कि उसकी स्त्री ज़बरदस्ती अदालतसे उसके कब्ज़ेमें दिला दी जाय-जमुनाबाई बनाम नारायण मोरेश्वर पेंडसे 1 Bom. 164.

नोट—पतिको जब अदालतसे ऐसा हुक्म मिल जायगा कि उसकी स्त्री उसके पास रहे, तो पति अपनी स्त्रीको ज़बरदस्ती ले जा सकेगा मगर अदालतके किसी आफिसरके द्वारा अगर वह चाहे कि उसकी स्त्री पकड़कर उसके क़ब्ज़ेमें दीजावे ऐसा नहीं हो सकता। जो लोग पतिके ऐसे काममें बाधा देंगे वह फौजदारीके क़ानूनसे अभियुक्त होंगे, मगर पति भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जो सभ्य समाजके नियमोंके अथवा क़ानून की सीमाके बाहर हो। पति नाबालिग़ होने पर भी अपनी नाबालिग़ स्त्रीको अपने पास रहनेके लिये मजबूर कर सकता है। क्यों नहीं अदालत का अफसर स्त्रीको पकड़ कर पतिके हवाले करता? इस सवालका मुख्य उत्तर यह है कि हिन्दू क़ौमकी स्त्री, पुरुषका आधा शरीर मानी गयी है और स्त्रीको दूसरे किसी पुरुषका स्पर्श, दोष माना जाता है ; देखो व्यासस्मृति अ० २-श्लोक० १२, १३ ऐसी दशामें यदि स्त्री पतिसे बलवान हो तो कठिनता होगी। पति स्वयं अपनी स्त्रीको बलपूर्वक ससुराल या अन्य जगहसे ला सकता है।

दफा ७६. पति, पत्नीके आपसके अधिकार, और उनके प्राप्त करनके उपाय—विवाहके पश्चात् यदि पति या पत्नी आपसमें एक दूसरके साथ रहनेसे इनकार करें तो इनकार करनेवाले पक्षपर वैवाहिक अधिकार प्राप्त करनेका दावा किया जा सकता है। देखो टिकैत बनाम वसंता (1901) 28 Cal. 751; दादाजी बनाम रुखमाबाई 10 Bom. 301.

स्त्रीका जो यह कर्तव्य माना गया है कि पति चाहे कहीं भी रहे मगर स्त्री उसके साथ रहे, यह हिन्दूलॉका नियम है, जिसके माननेके लिये सब मजबूर हैं। अगर किसी स्त्रीका रक्षक या स्त्री इस कारण पतिके पास रहनेसे इनकार करती हो कि, वह विदेशमें या किसी दूर देशमें उसको लेजायगा, तो यह इनकार नहीं चलेगा। अगर व्याहके पहिले पतिने यह लिखत लिखदी हो कि वह अपनी स्त्रीको उसके बापके घरसे कहीं दूसरी जगह नहीं लेजायगा तो ऐसी लिखत सरासर हिन्दूलॉके पूर्वोक्त नियमका उद्देश नष्ट करती है; एक तो इसी सबबसे और दूसरे इस सबबसे भी कि ऐसी लिखत सार्वजनिक नीतिके विरुद्ध है, नाजायज़ मानी जायगी; देखो-टिकैतमनमोहिनी जमादारी बनाम वसंतकमारसिंह, 28 Cal. 751. अगर पति अपनी स्त्रीके पास रहनेसे बिना योग्य कारणके इनकार करे तो वह मजबूर किया जा सकता है कि वह स्त्रीके पास रहे।

दफा. ७७ किन सूरतोंमें स्त्री अपने पतिके साथ रहनेसे इनकार कर सकती है ?—अगर कोई स्त्री अपने पतिसे अलग रहनेका दावा करे तो उसे यह साबित करना होगा कि पतिने कोई ऐसा काम किया है जिसके सबबसे वह उसके साथ नहीं रह सकती। पति अगर

जातिच्युत कर दिया गया हो तो उसकी स्त्री उसके साथ रहनेसे इनकार नहीं कर सकती है, और न अदालत पतिको जातिमें शामिल करनेका हुकम दे सकती है। सहादुर बनाम रजवंता 27 All 96.

(१) क्रूरता—जब स्त्री यह कहे कि पतिकी क्रूरताके कारण मैं उसके पास नहीं रह सकती तो स्त्रीको साबित करना होगा कि पति ऐसी मार पीट करता है जिससे जानके लिये भय है या ऐसा भय होनेका उचित कारण मौजूद है—जमुनाबाई बनाम नारायण 1 Bom. 164; मतंगिनी दासी बनाम योगेन्द्रमल्लिक 19 Cal 84.

घरमें रंडी रखना और अपनी स्त्री, पुत्र आदिको निकाल बाहर करना, तथा स्त्रीको मारना पीटना, और उसे जानकी धमकी देना पतिकी क्रूरतामें दाख़िल है। और माना गया है कि इन कारणोंसे स्त्री अपने पतिसे अलग रहनेका अधिकार रखती है। दुलार कुंवर बनाम द्वारिकानाथ मिश्र 34 Cal 971; सीताबाई बनाम रामचन्द्रराव 12 Bom. L. R. 373; यही सुरत उस समय होगी जब पतिने कोई स्त्री घरमें बिठलाली हो (उढ़री स्त्री)

(२) व्यभिचार—पतिका किसी दूसरी स्त्रीको अपने घरमें डाल लेना (उढ़री बिठला लेना) व्यभिचार है। ऐसी सुरतमें स्त्री, पतिसे अलग रह सकती है—लालगोविंद बनाम दौलत 14 W. R. 451; अगर पति घरमें रखी हुई रंडी या वेश्या या उढ़री स्त्रीको निकाल देवे तब वह अपनी स्त्रीको फिर साथ रखनेका दावा कर सकता है; देखो—पैगी बनाम शिवनारायण 8 All 78.

(३) दूसरे धर्ममें चला जाना—अगर पति अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्ममें चला जाय अर्थात् ईसाई या मुसलमान होजाय, तो स्त्री पतिके पास रहनेसे इनकार कर सकती है-देखो मंसादेवी बनाम जीवनमल 6 All. 617.

(४) जातिच्युत होना—अगर पति जातिच्युत होगया हो तो स्त्री पतिके साथ रहनेसे इनकार नहीं कर सकती और न अदालत इस शर्तकी डिकरी देसकती है कि जब पति जातिमें शरीक किया जाय तब स्त्री उसके साथ रहे। पतिके साथ न रहनेके लिये स्त्रीको यह साबित करना चाहिये कि पतिने वैवाहिक सबंध के विरुद्ध कोई काम ऐसा किया है जिसके कारण स्त्री उसके साथ नहीं रहसकती। बिंदा बनाम कौशिल्या 13 All 126; शहादर बनाम रजवंता 27 All 96.

अगर पति, पत्नीमेंसे कोई एक मुसलमान होजाय तो वैवाहिक संबंध नहीं टूट जाता पत्नीके मुसलमान होजानेपर पति का अधिकार नष्ट नहीं होजाता। हिन्दू पतिको अधिकार है कि अपनी स्त्रीको जो इसलाम में चलीगयी हो अपने कब्जेमें रखे। हिन्दूलॉमें भी पतिको अधिकार है स्त्रीको अपने साथ रखे; देखो—जमुनादेवी बनाम मूलराज 48 P. R. 1909. ईसाई होजानेकी सूरतमें यह बात नहीं होगी क्योंकि ईसाई क़ानून लागू हो जायगा.

(५) नामर्दी या घृणित रोग—जो पति नामर्द हो या गलितकुष्ट आदि घृणित रोगोंसे पीड़ित हो उसके साथ उसकी स्त्री रहनेके लिये मजबूर नहीं है। एक आदमी कुष्ठरोग और आतशकसे पीड़ित था। उसने अपनी स्त्रीको अपने साथ रखनेका दावा बंबई हाईकोर्टमें किया अदालत ने उसका दावा रद्द करदिया; देखो—बाई प्रेमकुंवर बनाम भीका कल्याणजी 5 Bom. H. C. R. A. C. I 209.

कोई स्त्री यह कहकर पतिके साथ रहनेसे नहीं बच सकती कि मैं बीमार रहा करती हूं या मेरे शरीरमें कोई ऐसा दोष है कि जिसके कारण पति उससे वैवाहिक उद्देश पूरा नहीं कर सकता। परंतु अगर यह ऊपर कहे हुए दोनों दोष पतिमें हों तो वह स्त्रीको अपने साथ रखने का दावा नहीं कर सकता-पुरुषोत्तमदास बनाम बाईमनी 31 Bom. 610.

(६) बुद्धिकी कमज़ोरी—पति बुद्धिहीन है, बेवकूफ़ है, पागल है, ऐसा कह कर; स्त्री पतिके साथ रहनेसे इनकार नहीं कर सकती; बिंदा बनाम कौशिल्या 13 All 126 10 Bom 301.

(७) क़ानून के विरुद्ध विवाह—विवाह क़ानूनके विरुद्ध हुआ है यह सावित करके स्त्री या पुरुष एक दूसरे के साथ रहनेसे इनकार नहीं कर सकते हैं। एक राजपूत्र पुरुष और ब्राह्मण स्त्रीके परस्पर गांधर्व विवाह हुआ था पतिने जब स्त्रीको अपने साथ रखनेका दावा किया अदालतने रद्द कर किया 4 Bom. L. R. 128. यह विवाह एक जातिमें न था-गांधर्व विवाह देखो—इस किताबकी दफा ४० पैरा ६.

दफा ७८. पतिपत्नीकी निजकी जायदादपर विवाहका असर—विवाहिता स्त्री और कंट्राक्ट—अगर किसी दूसरी तरह अयोग्य न हो तो हिन्दू विवाहिता स्त्री, इन्डियन कंट्राक्ट एक्टके अनुसार, कंट्राक्ट कर सकती है; देखो-नथ्थू बनाम जवादर 1 Bom. 131.

अगर स्त्री और पुरुष मिलकर क़र्ज़ लेवें तो स्त्री केवल अपने स्त्रीधनकी हद्द तक उस क़र्ज़की देनदार होगी वह ऐसी डिकरीमें गिरफ्तार नहीं कराई जासकती, पुरुष कराया जायेगा; देखो—नरोत्तम बनाम ननका 6 Bom. 673; 12 Bom. 228.

अगर हिन्दू विधवाने अपने वैधव्य कालमें क़र्ज़ लियाहो और उसके बाद उसका पुनर्विवाह होगया हो तो भी वह अपने उस क़र्ज़की देनदार होगी और ऐसी सूरतमें वह गिरफ्तार भी की जायगी-निहालचन्द बनाम बाई शिवा 6 Bom. 470.

जबकि पतिपत्नी साथ रहते हों तो अदालतका पहला यह ख्याल होगा कि पत्नीने जो कुछ काम किया है वह अपने पतिकी तरफसे एजेन्टके तौरपर किया है इस लिये पति और उसकी जायदाद पाबंद है-वीरसामीचिट्टी बनाम अप्पासामी चिट्टी 1 Mad. 375; जो स्त्री अपनी इच्छासे और बिना उचित कारण अपने पतिसे अलग होकर रहती हो वह अपने क़र्ज़की खुदही ज़िम्मेदार है चाहे वह कर्ज़ उसकी ज़रूरियातके लियेही लिया गया हो। परन्तु वह ऐसे क़र्ज़को अपने स्त्रीधनकी हद्द तक ही देनदार होगी, एसे क़र्ज़की डिकरीमें वह गिरफ्तार नहीं हो सकती 1 Bom. 121 और देखो ज़ाबता दीवानी सन १९०८ की दफा ५६.

(१) पति कब देनदार है?—स्त्री, जो क़र्ज़ अपने पतिकी. मंजूरी बिना ले और जो किसी ऐसी ज़रूरतके लिये न हो कि जिसका ध्यान रखते हुए अदालत यह ख्याल करसके कि पतिने वैसी मंजूरी दी होगी, ऐसे क़र्ज़का देनदार पति नहीं है; देखो—चूसी बनाम महादेवप्रसाद 3 All. 122; गिरधारी बनाम क्राफर्ड 9 All. 147; पतिने दूसरा विवाह कर लिया हो इस सबबसे पहली पत्नी यदि पतिसे अलग जा कर रहे उस सूरतमें क़र्ज़ ले तो पति उस क़र्ज़का देनदार नहीं होगा, 1 Mad. 375.

स्त्रीने खानदानी कारवार चलानेके वास्ते जो क़र्ज़ लिया हो उसका देनदार उसका पति होगा, देखो—याज्ञवल्क्य व्यवहाराध्याय ४८— "गोपशौन्डिक शैलूष रजकव्याधयोषितां। ऋणंदद्यात् पतिस्तासां यस्माद् वृत्तिस्तदाश्रया" अर्थात् गोप, शराब बेचनेवाला नाट्यकार, धोबी, शिकारी, यह सब अपनी स्त्रीके क़र्ज़के देनदार हैं।

(२) स्त्री कब देनदार है?-निम्नलिखित कारणोंके सिवाय स्त्री अपने पतिके क़र्ज़की देनदार नहीं है। "प्रतिपन्न स्त्रियादेयं: पत्या वा सह यत्कृतम् । स्वयं कृतं वा यद् ऋणं नान्यत् स्त्री दातुमर्हति" याज्ञवल्क्य व्य० अ० ४९; अर्थात् जिस क़र्ज़के लेनेकी

आज्ञा पतिने दी हो और जिसकी ज़िम्मेदारी स्त्रीने ली हो; या जो क़र्ज़ उस स्त्रीने अपने पतिके साथ मिलकर लिया हो, या स्त्रीने स्वयं लिया हो उस क़र्ज़की देनदार स्त्री होगी। इनके सिवाय किसी तरहके क़र्ज़ोंकी देनदार स्त्री नहीं है। विज्ञानेश्वरने कहा है कि, शराब, रंडीबाज़ी जुवा इत्यादिके लिये पतिके कहनेसे भी यदि स्त्रीने क़र्ज़ लिया हो तो भी उस क़र्ज़ की देनदार स्त्री नहीं है—"अन्यत् सुराकामादि वचनोपात्तम् प्रतिपन्नमपि पत्यासह कृतमपि नदेय मिति"

दफा ७९. पति पत्नीका अधिकार आपसमें एक दूसरेकी जायदादपर—अपने पतिकी जायदादमें स्त्रीको कोई अधिकार नहीं प्राप्त होता। और न पतिको अपनी स्त्रीके स्त्रीधनमें कोई अधिकार प्राप्त होता है। किंतु विपद् कालमें पति स्त्रीधनको काममें लानेका अधिकारी है। लेकिन शर्त यह है कि ज्योंही पतिकी दशा सुधरे वह स्त्रीधन तुरंत वापिस कर दे; देखो-"दुर्भिक्षे धर्म कार्येच व्याधौ संप्रतिरोधके। गृहीतं स्त्रीधनं भर्ता न स्त्रियै दातुमर्हति" याज्ञवल्क्य ११-१४७ और देखो दफा ७५९-७६०. मदरासमें एक बेटी अपने जीवनपर्यंत अपने बापकी जायदादके क़ब्ज़ेका अधिकार रखती थी; अर्थात् वह जायदादका इंतक़ाल नहीं कर सकती थी; परंतु जब उसने अपनी सौतेली बेटीके विवाहके लिये जायदादका इन्तक़ाल किया क्योंकि उसका पति दरिद्रताके कारण विवाह नहीं कर सकता था, अदालतने इस इन्तकालको जायज़ माना; देखो—चुदम्मल नादामनी नायडू 6 Mad L. T 158.

पुत्रार्तिहरणेवापि स्त्रीधनं भोक्तु मर्हति (किंतु)
वृथादानेच भोगेच स्त्रियै दद्यात् सवृद्धिकम् ।
प्राप्तं शिल्पैस्तु यद्वित्तं प्रीत्या चैव यदन्यतः
भर्तुः स्वाम्यं भवेत्तत्र शेषं तु स्त्रीधनं स्मृतम् । कात्यायन

सारांश यह कि स्त्रीने कलाकौशलसे जो धन प्राप्त किया हो, या प्रीतिसे या दूसरी तरहसे मिला हो, उसमें पतिका अधिकार है; बाक़ी स्त्रीधनमें नहीं है, ऐसा कहना कात्यायनका है; देखो दफा ७५९ और ७६०.

दफा ८०. विवाहका रवाज——विवाहके जो रवाज सदाचारके विरुद्ध हों, क़ानूनके विरुद्ध हों, या सार्वजनिक नीतिके विरुद्ध हों अदालत उन्हें नहीं मानेगी। उदाहरणके लिये देखो—जैसे पतिके जीवन कालमें बिना मंजूरी पतिके विवाहका रवाज आदि नहीं माना जायगा—खेमकुंवर बनाम उमियाशंकर 10 Bom. H. C. R. 381.

जिन लोगोंमें तलाक़ और पुनर्विवाहका रवाज है, उनमें पति अपनी स्त्रीको, या स्त्री अपने पतिको, प्रथम विवाहका खर्च लौटाकर दूसरा विवाह करसकती है। ऐसा रवाज सदाचारके विरुद्ध नहीं माना जायगा; शंकरलिंगं बनाम सुवनचिट्टी 17 Mad. 479; रजस्वला होनेतक स्त्रीका अपने पिताके घर रहनेका रवाज है 24 Mad. 255.

मदरासके मलावार प्रांतके नामबुद्री ब्राह्मणोंमें 'सर्वस्वाधनं' विवाहका रवाज अबतक जारी है। जब कोई नामबुद्री ब्राह्मण, पुत्रहीन हो तो वह अपनी बेटीका 'सर्वस्वाधनं' विवाह करसकता है, ऐसे विवाहका फल यह होता है कि यदि बेटीके पुत्र उत्पन्न हो तो वह अपने नानाकी जायदादका वारिस होता है और धार्मिक मतलबोंके लिये वह अपने नानाका

पुत्र माना जाता है । यदि बेटीके पुत्र उत्पन्न न हो तो बेटीके बापकी जायदादका वारिस बेटी का पति नहीं होता बल्कि वह जायदाद बेटीके बापके खानदानमें चली जाती है, देखो—वासुदेव बनाम सेक्रेटरी आफ स्टेट 11 Mad 157-160; 9 Mad 260; यदि बिवाहके समयही जायदादका वारिस नियत कर दिया गया हो तो दूसरी बात है।

पंजाबके कस्टमरी लॉके अनुसार यदि किसी आदमीने अपने दामादको घरजमाई बना-लिया हो और यह उद्देश हो कि वह अपनी ससुरालकी जायदादका वारिस हो, तो ससुरालका कोई पुत्र न होनेकी सूरतमें घरजमाई अपनी ससुरालकी जायदादका वारिस होगा; देखो—राट्टिगनका पंजाब कस्टमरी लॉ की दफा २१ पेज १५ मगर यह कायदा सिवाय पंजाबके और किसी स्थानमें नहीं माना जायगा—मिताक्षरा स्कूल या दायभाग स्कूलके अंदर दामादको उतराधिकारी माना ही नहीं है।

इति ।

पुत्र और पुत्रत्व।

तीसरा–प्रकरण

पुत्र और पुत्रोंके दरजोंके जाननेकी ज़रूरत बहुत करके इस लिये है, कि प्राचीन कालमें आठ प्रकारके विवाह (दखो दफ़ा ४०) होते थे। मगर अब क़ानूनके असर तथा प्रथाके बदल जानेसे उतने नहीं होते फिर भी अनेक क़िस्मकी स्त्रियोंसे जो पुत्रोंकी पैदाइश होती है, वह पुत्र कहांतक माने जायेंगे, तथा उनमें किससे किसको श्रेष्ठता है, क़ानूनमें कितनी क़िस्मके पुत्र माने गये हैं; कौन जायज़ और कौन नाजायज़ हैं, उत्तराधिकार पानेके अधिकारी कौन हैं आपसमें बटवारा उनके दर्जोंके अनुसार कैसा होगा, इत्यादि बातोंका वर्णन इस प्रकरणमें किया गया है।

पुत्र और पुत्रोंके दरजे।

दफ़ा ८१. पुत्रकी आवश्यकता——महर्षि मनुने कहा है, कि नरकका नाम पुं है और जो नरकसे पिताको बचाता है इस लिये उसका नाम स्वयं ब्रह्माजीने पुत्र रखा है। मनुष्य पुत्र होनेसे सब लोकों को प्राप्त होता है, पौत्र होनेसे अनन्त समय तक स्वर्गका सुख भोगता है और प्रपौत्रसे सूर्यलोक को पाता है। धर्मशास्त्रका सिद्धांत है, कि विना पुत्रके सद्गति प्राप्त नहीं होती तथा पितरोंके ऋणसे छुटकारा नहीं पाता। अत्रिस्मृतिमें कहा है कि पिता जीवित पुत्रका मुख देखते ही पितरोंके क़रज़से छूट जाता है और मरनेपर उसे स्वर्गमें स्थान मिलता है। बौधायनने भी इसकी पुष्टि की है—ब्राह्मण का बालक तीन क़रज़ोंसे युक्त होकर जन्म लेता है ब्रह्मचर्य साधन करनेसे ऋषि ऋण, यज्ञ करनेसे देवऋण और पुत्र उत्पन्न करनेसे पितृऋणसे छूट जाता है। यह बात सभी स्मृतिकारोंको मान्य है, कि पुत्र होनेसे पिताको स्वर्ग मिलता है और मुक्त हो जाता है। एवं जिस मनुष्यके पुत्र नहीं होता उसे स्वर्गकी प्राप्ति नहीं होती और पितरोंका क़रज़दार बना रहता है। देवकर्म, और पितृकर्म, बिना पुत्रके नहीं क़ायम रह सकता। अतएव पुत्रकी कामना हिन्दूधर्मानुसार आवश्यक है। पुत्रसे पिताकी आत्माको शांति पहुंचती है तथा उसका वंश आगे चलता है और नाम संसारमें क़ायम रहता है, इसी कारण हरएक हिन्दूपुरुषको संतान पैदा होनेकी प्रबल इच्छा रहा करती है। इसी हेतुसे पुरुष बिवाह करता है जब उसके संतान नहीं होती तब दूसरा और तीसरा बिवाह करता है। तो भी कभी कभी अभाग्यवश पुत्रोत्पत्तिसे निराश रहना पड़ता है। इसी आशामें बृद्धावस्था आजाती है, इन्द्रियां शिथिल और मनोवेगकी प्रबलता हो जाती है तब पुरुष अपनेको संतान उत्पन्न करनेके अयोग्य समझ विवश होकर अनेक प्रकारके उपाय सोचने लगता है, क्योंकि उसे भय होता है, कि

---

(१) पुन्नाम्नो नरकाद्यस्मा त्त्रायते पितरं सुतः ; तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तःस्वयमेव स्वयंभुवा। अ० ९–१३९. (२) पुत्रेणलोकां जयति पौत्रेणानन्त्य मश्नुते ; अथ पुत्रस्य पौत्रेणब्रध्नस्याप्नोतिविष्टपम्। अ०९–१३७. (३) पितापुत्रस्य जातस्य पश्ये च्चेज्जीवितोमुखम् ; ऋणमस्मिन्संनयति अमृतत्वं चगच्छति। ५३. (४) जायमानोवै ब्राह्मणस्त्रिभिर्ऋणी जायते ब्रह्मचर्य्येणर्षिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजयापितृभ्य इति। ९

कहीं उसके धर्मकृत्य और उसके वंश तथा नामके चलनेका मार्ग बंद न होजाय। वह उपाय एकही है। वह यह, कि दूसरे पुरुषके लड़केको अपना लड़का बनाले। इस चालको 'गोदलेना' कहते हैं, और इस चालके अनुसार जो लड़का गोदलिया जाता है, उसे दत्तकपुत्र (मुतवन्ना-खोला) कहते हैं इस नक़ली लड़केको धर्मशास्त्रकारोंने बारह प्रकारके लड़कोंके भीतर माना है और संपत्तिमें इस पुत्रका भाग क़ायम किया है। दत्तक पुत्रसे धर्मकृत्य वंश तथा नाम उसी प्रकारसे चलना माना गया है, जैसे असली लड़केसे। दत्तकपुत्र होनेसे पुरुष पुत्रवान् कहलाता है और वह सगे लड़केकी तरह पिता तथा पिताके पितरोंको पिण्डदान आदिसे तृप्त करता है और पिताकी संपत्तिका वारिस होता है।

दफ़ा ८२. चौदह प्रकारके पुत्र और उनकी तारीफ़—पहले ज़मानेमें स्मृतिकारोंने बारह प्रकारके पुत्र स्वीकार किये हैं। उनमें किसी २ के मतसे 'कुण्ड' और 'गोलक' मिलाकर चौदह क़िस्मके पुत्र होते हैं। परंतु विशेष रूपसे बारह प्रकारके पुत्रोंकाही ज़िकर पाया जाता है। जैसे—औरस[1], क्षेत्रज[2], पुत्रिकापुत्र[3], कानीन[4], गूढज[5], पौनर्भव[6], सहोढज[7], निषाद[8] (पारशव) दत्तक[9], क्रीत[10], अपविद्ध[11], स्वयंदत्त[12]।

(१) औरस पुत्र—योग्य विवाह संस्कारसे युक्त भार्यामें पतिके संबंधसे जो लड़का पैदा होता है, उसे औरस कहते हैं। यही श्रेष्ठ और मुख्य पुत्र है।

(२) क्षेत्रजपुत्र—मरे हुए पुरुषकी, नपुंसक अथवा असाध्य रोगी मनुष्यकी स्त्रीमें धर्मपूर्वक नियुक्त होकर दूसरे पुरुषके वीर्यसे जो लड़का पैदा होता है, उसे क्षेत्रज कहते हैं।

(३) पुत्रिकापुत्र—जब कोई पुरुष अपनी कन्याको, जिसके भाई न हो, आभूषणोंसे युक्त करके इस शर्तपर बरको देता है, कि इस कन्यासे जो पुत्र पैदा होगा, वह मेरा होगा, तब उस कन्याको "पुत्रिका" कहते हैं और उससे जो पुत्र पैदा होता है उसे 'पुत्रिकापुत्र' कहते हैं।

(४) कानीन पुत्र—जब किसी लड़कीके विवाह होनेके पहले कुमारी अवस्थामें गुप्त सहवाससे पिताके घरमें पुत्र उत्पन्न होता है, उसे कानीनपुत्र कहते हैं और यह पुत्र उस लड़कीसे विवाह करनेवालेका होता है। और अगर विवाह न हो तो उसके बापका होता है।

(५) गूढ़जपुत्र—बिना जाने हुए पुरुषके संबंधसे जब किसी स्त्रीके गुप्त सहवास द्वारा पुत्र उत्पन्न होता है, उस पुत्रको गूढ़ज कहते हैं और यह पुत्र उसके पतिका होता है।

(६) पौनर्भवपुत्र—जो स्त्री पतिके छोड़ देनेपर अथवा विधवा होनेके बाद अपनी इच्छासे दूसरे पुरुषकी स्त्री बनकर पुत्र उत्पन्न करती है उसे पौनर्भव कहते हैं।

---

(१) स्वक्षेत्रे संस्कृतायांतु स्वयमुत्पादयेद्धियम्; तमौरसं विजानीया त्पुत्रं प्रथम कल्पितम्। मनु अ०९।१६६. (२) यस्तल्पजः प्रमीतस्य क्लीवस्य व्याधितस्यवा; स्वधर्मेण नियुक्तायां स पुत्रः क्षेत्रजः स्मृतः। मनु ९।१६७. (३) अभ्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्यंकन्यामलं कृताम्; अस्यां यो जायते पुत्रः समेपुत्रोभवेदिति। वसिष्ठ १७ अ० १८. (४) पितृवेश्मनि कन्यातु यं पुत्रं जनयेद्रहः; तं कानीनं वदेन्नाम्ना वोढुः कन्या समुद्भवम्। मनु ९।१७२. (५) उत्पद्यतेगृहेयस्य नचज्ञायेत कस्यसः; सगृहे गूढ़ उत्पन्नस्तस्यस्या द्यस्य तल्पजः। मनु ९।१७०. (६) या पत्यावा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया; उत्पादयेत्पुनर्भूत्वा सपौनर्भव उच्यते। मनुः ९।१७५.

(७) सहोढ़जपुत्र—अनजानसे अथवा जानबूझकर जो पुरुष गर्भवती कन्यासे विवाह कर लेता है और उससे जो पुत्र पैदा होता है उसे सहोढ़ज कहते हैं। यह पुत्र पतिका होता है।

(८) निषाद—पारशव—जब ब्राह्मण काम वंश होकर शूद्रकी स्त्रीसे सहवास करता है उससे उत्पन्न पुत्रको पारशव निषाद कहते हैं। यह पुत्र 'पारशव' इसलिये कहा जाता है कि ऐसा लड़का धर्मशास्त्रकी दृष्टिसे जीते रहनेपरभी मरे हुएके समान है।

(९) दत्तक पुत्र—जब माता पिता आपद्‌कालमें प्रीतिपूर्वक किसी समान जातिके मनुष्यको विधिवत् अपना पुत्र दे देते हैं तब उस पुत्रको 'दत्तक पुत्र' कहते हैं (देखो दफा १७४)

(१०) क्रीत पुत्र—जो लड़का असली मातापितासे क़ीमत देकर ख़रीद लिया जाता है वह ख़रीदनेवालेका क्रीतपुत्र कहलाता है।

(११) अपविद्धपुत्र—किसी लड़केको जब मातापिता अथवा उसका रक्षक त्याग देता है और दूसरा पुरुष उसे रक्षाकरके रखता है तो वह पुत्र रक्षा करनेवालेका अपविद्धपुत्र कहलाता है।

(१२) स्वयंदत्तपुत्र—जिस लड़केके मातापिता मरगये हों अथवा उन्होंने विना कारण उसे त्याग दिया हो, और तब वह पुत्र खुद जाकर यदि किसी दूसरे पुरुषका लड़का बन जाय तो उसे स्वयं दत्तपुत्र कहते हैं।

(१३) कुण्ड पुत्र—जो लड़का पतिके जीविति रहनेपर जार कर्मसे पैदा हो, उसे कुण्ड पुत्र कहते हैं। यह पुत्र पतिका होता है।

(१४) गोलक पुत्र—जो लड़का विधवा स्त्रीसे पैदा हो उसे गोलक कहते हैं।

मनुस्मृतिमें 'पुत्रिका पुत्र' नहीं लिखा है। मगर याज्ञवल्क्य विष्णु, गौतम, वसिष्ठ, नारद, बौधायन आदि स्मृतियोंमें पुत्रिकापुत्र, बारह प्रकारके पुत्रोंके अन्तर्गत है। बल्कि गौतमने कहा है कि बिना पुत्रवाला पुरुष जब अग्नि और प्रजापतिको आहुति देकर ऐसी प्रतिज्ञाके साथ कन्यादान करता है, कि इस कन्याका पुत्र हमारे पुत्रके स्थानपर होकर हमारा श्राद्ध आदि कर्म करेगा तब वह कन्या "पुत्रिका" कहलाती है और उसका पुत्र पुत्रिका पुत्र कहलाता है। वसिष्ठने पुत्रिका पुत्रको तीसरे दरजेपर माना है। जब ऊपरकी शर्तके अनुसार कन्यादान कियाजाय उससे जो पुत्र पैदा होगा उसे पुत्रिकापुत्र और अन्य कन्याके पुत्रको दौहित्र कहते हैं। यद्यपि मनुने कुण्ड और गोलक पुत्रोंकीभी व्याख्या नहीं की है परंतु इन दोनोंका समावेश गूढ़ज और पौनर्भवमें क्रमसे हो जाता है।

दफा ८३. पुत्रिका पुत्र——इन चौदह प्रकारके पुत्रोंमेंसे दो बड़े आवश्यक और

---

(७) या गर्भिणी संस्क्रियते ज्ञाताऽज्ञाता पिवासती; बोढुः सगर्भोभवति सहोढ़ इति चोच्यते। मनुः ९।१७३. (८) यं ब्राह्मणस्तु शूद्रायां कामा दुत्पादयेत्सुतम्; सपारयन्नेव शवस्तस्मात्पार शवस्मृतः। मनुः ९।१७८. (९) मातापिता वा दद्यातां यमद्भिः पुत्रमाण्दि; सदृशंप्रीतिसंयुक्तं सज्ञेयोदत्रिमः सुतः। मनु.९।१६८. (१०) क्रीणीयाद्यस्त्व पत्यार्थं मातापित्रोर्यमन्तिकात्; सक्रीतकः सुतस्तस्यसदृशो सदृशोऽपिवा। मनु ९।१७४. (११) माता पितृभ्या मुत्सृष्टं तयोरन्यतरेणवा; यं पुत्रं परि गृह्णीया दपविद्धः सउच्यते। मनुः ९।१७१. (१२) माता पितृ विहीनोयस्त्यक्तो वास्याद कारणात्; आत्मानं स्पर्शये द्यस्मै स्वयं दत्तस्तु सस्मृतः। मनुः ९।१७७. (१३) अमृते जारजः कुण्डः (१४) मृते भर्तरि गोलकः।

समझने योग्य हैं, पुत्रिकापुत्र और कानीन। पुत्रिका पुत्र—वह लड़का है जो उस लड़की के गर्भसे पैदा हो, कि जिसका विवाह वसिष्ठ के इस श्लोकके अनुसार किया गयाहो "अभ्रातृकां प्रदास्यामितुभ्यंकन्या मलंकृतां। यस्यां यो जायते पुत्रः समेपुत्रो भवेदिति" अर्थात् भाईसे रहित अलंकार युक्त कन्या को तुझे देताहूं; इसमें जो पहला पुत्र होगा वह मेरा पुत्र होगा। यह लड़का औरस पुत्रके समान वसिष्ठने माना है। अगर ज़्यादा गौर करके देखाजाय तो इसके दो अर्थ होते हैं। पहला, उपरोक्त क़रारके साथ कन्या देनेके बाद जो लड़का पैदा होगा वह पुत्रिका पुत्र है। दूसरा, जिस पुरुषके लड़का नहीं है वह अपनी लड़की को पुत्रवत् माने तो वह लड़कीही उसका लड़का है। ऐसी लड़की के लड़के को पुत्रिका पुत्र कहते हैं। इस पिछले मतमें कुछ विरोध है। परंतु यही दो भेद वसिष्ठजीने पुत्रिका पुत्र के संबंधमें दिखाये हैं। यह पुत्र नाना का होता है।

मिस्टर मेन ने अपने हिन्दूलॉ के दफा ७६ में कहा है कि—" लड़की जायज़ तौरपर अपने पतिको बिवाही गयी, लेकिन फिर भी उसका बेटा उस लड़की के बाप का बेटा होगया, बशर्ते कि, बाप के कोई बेटा न हो। उक्त लड़की का लड़का कुछ इस सबबसे अपनी माता के बाप का लड़का नहीं होगया, कि कन्यादान करते समय लड़कीके पतिसे क़रार होगया था; बल्कि इस सबबसे होगया, कि अपुत्रपिता का इरादा ऐसा था "। वसिष्ठने बेदका प्रमाण दिया है कि—" जो लड़की बिन भाईकी हो, वह फिर अपने ख़ानदानमें पुत्रकी हैसियतसे बाप और दूसरे आदमियोंके पास वापिस आती है और वापिस आकर वह उनका ' बेटा ' होजाती है "

इससे मालूम होता है कि पुत्रहीन पिताने लड़कीपर अपना क़बज़ा इस हद्दतक क़ायम रखा है कि अगर चाहे तो उसके लड़केको अपना लड़का बनाले, अथवा ऐसे क़रारके साथ अपने क़ब्ज़ेको रक्षित रखकर किसीके साथ शादी करदे कि फिर यही परिणाम हो।

मद्रासमें मलबारके नम्बूदरी ब्राह्मणोंमें इस क़िस्मका रवाज अवतक मौजूद है। कहते हैं कि ये लोग लगभग पंद्रहसौ वर्ष पहेल पूर्वीय हिन्दुस्थानसे आये, और अपने साथ हिन्दुओंके क़ानूनका त्यक्त भाग लेते आये, जो हिन्दुओंमें नामुनासिब समझा जाता था। जब कोई नम्बूदरी क़ौमका पुरुष बिना मर्द औलादके हो तो, वह अपनी लड़की की शादी ऊपरके क़ायदेके अनुसार कर सकता है और इस क़िस्मकी शादीका नतीजा यह होता है, कि अगर उसकी लड़कीसे लड़का पैदा हो तो, वह हर क़िस्मके मज़हबी कामोंके लिये माके बापका बेटा अर्थात् नानाका बेटा होता है, और अगर कोई लड़का न पैदा हो या इस क़िस्मकी औलाद पैदा होनेमें कामयाबी न हो, तो उस लड़कीके ख़ानदानकी जायदाद, जिसकी लड़की मालिक थी पति नहीं पाता, बल्कि वह लड़कीके बापके ख़ानदानको वापिस होजाती है। विशेष कर उस सूरतमें कि जब शादीके साथही दामाद उचित रीतिसे उस जायदादका 'निश्चित वारिस मुक़र्रर कियागया हो। इस विषयपर मद्रास हाईकोर्टमें कई फैसले हो चुके हैं; देखो—कुमारिन बनाम नारायण 9 Mad. I. L. R. 260; 11 Mad. I. L. R. 162; 25 Mad. I. L. R. 662, 664 और देखो दफा ६०६.

दफा ८४. कानीनपुत्र—कानीन वह लड़का है जो किसी कन्यासे विवाह संस्कार के पहले सवर्ण पुरुषसे पैदा हुआ हो। विवाहसंस्कारसे यह मतलब है कि जब किसी लड़कीके, सिर्फ़ बिवाह संस्कार हो जानेके बाद और पतिका संग होनेके पहले लड़का पैदा होगा, तो वह लड़का उससे बिवाह करने वाले पतिका होगा और अगर बिवाह संकार होनेके पहले लड़का पैदा होगया हो तो वह लड़कीके बापका लड़का होगा। मगर शर्त यह है कि जब ऐसा

लड़का पैदा हो गया हो और उसके बाद लड़कीकी शादी हो जाय, तो वह लड़का फिर उसके पतिका हो जाता है। विवाह संस्कार होनेके बाद पिताके घरमें जब लड़का पैदा होगा तो वह लड़का उपरोक्त पौनर्भव पुत्रकी हद्दमें पहुंचता है; इसीलिये पतिका होता है और पतिके साथ भाग पाता है। इसपर वसिष्ठका मत है, कि कुमारी अवस्थामें जब लड़कीसे पुत्र, पिताके घरमें पैदा होजाय और लड़कीका विवाह न हो, तो वह लड़का नानाके पुत्रके स्थानमें होकर नानाका पिण्डदान करता है और उसका उत्तराधिकारी होता है; अर्थात् नानाके धनमें भाग पाता है

सरकार और घारपुरे हिन्दूलॉके अनुसार भी यही बात पुष्ट होती है, कि पिताके घर रहनेवाली बिन ब्याही कुमारी लड़कीसे पैदा हुए लड़केको कानीन पुत्र कहते हैं। अगर उस लड़कीकी शादी होजाय, तो वह लड़का लड़कीके पतिका होजाता है और शादी न होनेपर लड़का, लड़कीके बापका होता है। पतिका लड़का होनेपर पतिकी जायदादका और नानाका लड़का होनेपर नानाकी जायदादका वारिस होता है या उसका जिसकी हिफाज़तमें वह (लड़की) रही हो। इसी तरह अगर कोई गर्भवती कन्या (जो विवाह संस्कारसे पहले गर्भवती होगयी हो) चाहे उसका गर्भ किसीको मालूम हुआ हो या न हुआ हो, विवाह संस्कारके बाद पुत्र पैदा करे, तो वह पुत्र उसके पतिका सहोढ़ज पुत्र होगा और अपनी माताके पतिकी जायदादका उत्तराधिकारी होगा। विष्णु, वसिष्ठ, नारद, वीर मित्रोदय, आदिने भी यही कहा है। नन्द पण्डितने भी ऐसाही माना है।

दफा ८५. क्रत्रिमपुत्र——पुत्रिकापुत्र और कानीन पुत्रोंके अलावा क्रत्रिम, दत्तक, और क्षेत्रज पुत्रोंके ऊपर भी दृष्टि डालना आवश्यक जान पड़ता है। क्रत्रिमपुत्र—वसिष्ठने नहीं माना, किंतु याज्ञवल्क्य, विष्णु, बौधायनने माना है। क्रत्रिमपुत्रका समावेश अपविद्ध पुत्रके अंतर्गत होजाता है। मनुने कहा है कि—"गुण दोषके विचार करनेमें चतुर पुरुष गुणयुक्त अपनी जातिके बालकको जब अपना पुत्र बनालेता है तब उसको क्रत्रिम पुत्र कहते हैं। याज्ञवल्क्यके टीका मिताक्षरामें कहा है, कि जिसको पुत्रके अभिलाषी मनुष्यने धन और क्षेत्र आदिके लोभको दिखाकर स्वयं पुत्र करलिया हो, वह क्रत्रिम पुत्र है। बौधायनने क्रत्रिम पुत्रका एकही जातिका होना स्वीकार किया है। और देखो इस किताबकी दफा ३०५—३१२.

दफा ८६. दत्तकपुत्र——अपनी जातिमें मातापिताका दिया हुआ पुत्र दत्तकपुत्र कहलाता है। हम इस विषयमें आगे प्रकरण चारमें विस्तारसे कहेंगे। यहांपर केवल यह समझनेके योग्य है, कि, क्रत्रिम और दत्तकमें क्या अंतर है। माता पिता द्वारा दिये हुए लड़केको दत्तक और खरीदे हुए या पालेहुए लड़केको क्रत्रिम कहते हैं यह साधारण अर्थ है। कानूनमें इसी तरहपर कहा गया है। जिस लड़केके माता पिताने या उसने जिसका कि हक़ अज्ञानबालकपर था, उसे बेच डाला हो, या उन लोगोंने दे ड़ाला हो जो उसपर क़ाविज़ थे, तब वह क्रत्रिमपुत्र होता है।

---

(१) कानीनः पंचमः। या पितृगृहेऽसंस्कृताकामात्दुत्पादयेत् मातामहस्य पुत्रोभवतीत्याहुः । अथाप्युदाहरंति—अप्रत्ता दुहिता यस्य पुत्रं विन्देत तुल्यतः। पुत्रो माता महस्तेन दद्यात्पिण्डं हरेद्धनम्। वसिष्ठ अ० १७।२२ से २५

(२) सदृशं तु प्रकुर्य्याद्यं गुणदोष विचक्षणम्। पुत्रं पुत्रगुणैर्युक्तं सविज्ञेयश्चक्रत्रिमः मनु ९।१६९. (३) क्रीतश्चताभ्यां विक्रीतः क्रत्रिमः स्यात्स्वयं क्रतः। याज्ञवल्क्य २ अ० १३५. (४) सदृशं यं सकामं स्वयं कुर्य्यात्स क्रत्रिमः। बौधायन २प्रश्न२अ०२५

दफा ८७. क्षेत्रजपुत्र और नियोग की पैदाइश——क्षेत्रजपुत्रके बारेमें स्मृतिकारोंका बहुत बड़ा विवाद है। इस क़िस्मके पुत्रका रवाज बहुतदिनोंसे चला आता है। बौधायन ने कहा है कि—जो बालक किसी ऐसी स्त्रीसे पैदा हुआ हो जिसका पति, बालक पैदा होनेसे पहले मरगया हो, या हिजड़ा होगयाहो, या किसी ऐसे रोगसे युक्त हो जो अच्छा नहीं होसकता यानी असाध्यहो, या पतिकी आज्ञासे किसी दूसरे पुरुषसे उत्पन्न किया गयाहो, उसे क्षेत्रज कहते हैं। ऐसे बालकके दो बाप और दो गोत्र होते हैं। यहांपर गोत्रका अर्थ 'घराना' है। उस पुत्र को दोनों पिताओं की सम्पत्ति मिलती है और दोनोंका मृतक संस्कार आदि करनेका अधिकार है। ऐसाही घारपुरे हिन्दूलॉ के चैप्टर ४ में मानागया है। और देखिये, याज्ञवल्क्यने कहा है कि, अपनी भार्यामें सगोत्र अथवा दूसरे पुरुषसे जो पुत्र उत्पन्न होता है, वह क्षेत्रज कहलाता है। बृहद्विष्णुस्मृतिमें यों कहा है, कि नियोग धर्मसे अपने सपिण्ड अथवा उत्तमवर्णद्वारा जो पुत्र दूसरे पुरुषकी स्त्रीमें पैदा हो, उसे क्षेत्रज कहते हैं और इसका दूसरा दरजा होता है। बौधायन, याज्ञवल्क्य, और बृहद्विष्णुने यह नहीं साफ किया, कि किस वक्त क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न होनेसे वह जायज़ माना जायगा। अगर औरस पुत्रके होनेपर क्षेत्रज पैदा हो तो उसका क्या असर होगा? यह बात महर्षि वसिष्ठने साफ कर दी है, कि—औरस पुत्रके न होनेपर नियोगद्वारा जो दूसरेकी स्त्रीके गर्भसे पुत्र पैदा होगा वही क्षेत्रज होगा। अर्थात् यदि औरस पुत्र मौजूद हो तो फिर क्षेत्रज नहीं पैदा किया जासकता। क्योंकि औरस पुत्रके होनेपर पिताका अधिकार धर्म शास्त्रकी दृष्टिसे चला जाता है। कारण कि पुत्रोत्पादन, धर्मकृत्यके पूरा होने और वंशके क़ायम रखनेके लिये ज़रूरी होता है। इस विषयमें सभी स्मृतिकारोंका मत एक है कि औरस पुत्र न होनेपर क्षेत्रजका विधान है और वह सगोत्र तथा नज़दीकी सपिण्डकी मौजूदगीमें दूरके पुरुष द्वारा न उत्पन्न किया जाय; देखो दफा २८२, २८३.

दफा ८८. नियोगकी चाल मनुके समयमें कमज़ोर होचली थी——मेन हिन्दूलॉकी दफा ७०।७१।७२।७३ में विस्तृत वर्णन पुत्रके संबंधमें कियागया है। सारांश यह है कि, जैसे जैसे ज़माना बदलता गया, वैसाही परिवर्तन होता गया। यही कारण मालूम होता है कि स्मृतियोंमें कुछ कुछ फरक़ देख पड़ता है। मनुके समयमें इसकी प्रथा कमज़ोर होगयी थी। मनु कहते हैं, कि स्त्रीके अलंकारयुक्त होनेसे कांति बढ़ती है और अगर पतिके सिवाय दूसरे पुरुषका उसमें संसर्ग न हो तो वह कुल शोभित होता है; और दूसरे पुरुषका संसर्ग

---

(१) मृतस्य प्रसूतोयः क्लीव व्याधितयोर्वाऽन्येनानुमते स्वक्षेत्रे सक्षेत्रजः। स एष द्विपिता द्विगोत्रश्च द्वयोरपि स्वधारिक्थभाग्भवति। बौधायन २ प्रश्न २ अ० २०।२१ (२) क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु सगोत्रेणेतरेणवा। याज्ञवल्क्य २ अ० १३२ (३) नियुक्तायां सपिण्डेनोत्तमवर्णेनोत्पादितः क्षेत्रजो द्वितीयः। बृहद्विष्णु १५ अ० ३ (४) स्वयमुत्पादितः स्वक्षेत्रे संस्कृतायां प्रथमः। १३। तदलाभेनियुक्तायां क्षेत्रजो द्वितीयः। वसिष्ठ। १७ अ० १४

(५) स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलम्। तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते। मनु ३ अ० ६२। तथामित्यं यतेतायां स्त्रीपुंसौ तु कृतक्रियौ। यथा नाभिचरेतां तौ वियुक्तावितरेतरम्। मनु ९ अ० १०२

होनेसे वह कुल दूषित होजाता है । स्त्री और पतिको सदा ऐसा प्रयत्न करना चाहिये जिससे धर्म अर्थ और काममें, आपसमें बाधा न पड़े; ऐसा होनेपर कहीं व्यभिचारयुक्त न होजाय। इस बातका प्रमाण मिलता है कि पहिलेसे बहुत कुछ परिवर्तन होगया था जब साधारणतः अविभक्त परिवारकी तक़सीम होगयी, तब नियोग भी नापसंद होगया । मृत पतिके सहोदरके साथ विधवासे नियोगद्वारा पुत्र उत्पन्न करनेकी आज्ञा मनुंने उस हालतमें दी है, कि जब लड़कीका केवल वाग्दान हो चुकनेके बाद और पतिसंग होनेके पहिले उसका (कन्याका) होनेवाला पति मर गया हो । ऐसी हालतमें कन्याके साथ नियोग विधिसे और विवाहके न ग्रहण करनेसे, जो संतति होगी वह वाग्दत्ता पुरुषकी अर्थात् पहिले जिस पुरुषके लिये लड़की देनेका इरादा था, उसकी होगी । यह रवाज दक्षिणी हिंदमें एक जंगली क़ौममें अब भी पाया जाता है और हिन्दुस्थानके दक्षिणी कनारा प्रांतकी तरफ 'गोदा' आदि क़ौमोंमें प्रचलित है तथा उड़ीसा और पंजाबके ' जाट ' ख़ानदानोंमें भी माना जाता है । पंजाबमें कुछ ब्राह्मणों और राजपूतों दोनोंमें है, और भी हिन्दके कई राजपूत ख़ानदान इस रवाजको मानते हैं । किंतु इस क़िस्मकी शादियां बहुतही नीचे दरजेमें शुमार की जाती हैं । इसीसे ऐसी औलादको पूरा हक़ देनेका रवाज नहीं है । यह रवाज क़ानूनकी दृष्टिसे नामुनासिब जान पड़ता है और इस सबबसे भी नामुनासिब है कि पतिके मरनेपर विधवा उसी मकानमें अपने देवर के साथ रहेगी और देवर अपने मृतभाईके सब अधिकारोंको अपने क़बजेमें करलेगा । प्रथम तो वारिसकी हैसियतसे दूसरे परिवारमें सबसे बड़े मालिककी हैसियतसे तीसरे धर्म कृत्यके अनुसार मालिक होजानेके सबबसे । जब देवर मृतभाईका श्राद्ध आदि कर्म करेगा तब विरोध नज़र आता है ।

पंजाबका रवाज—पंजाबकी किसी किसी कौममें यह रवाज होगया है कि विधवा अपने पतिके बड़े भाईके साथ शादी नहीं करती बल्कि उसके छोटे भाईके साथ शादी करती है । देखो "पंजाब कस्टमरीलॉ" जिल्द २, पेज ९४.

ऐसे रवाजके होनेसे अविभक्त हिन्दू ख़ानदानमें उसके विरुद्ध परिणाम पैदा होता है । इस अंशका विशेष विवरण "जगन्नाथ डाइजेस्ट" पेज ३२१ से ३२३ तथा जिल्द २ के पेज ४७६ में दिया गया है । स्मृतिकारोंने ज़मानेके अनुसार कई क़िस्मकी रायें दी हैं, मगर इस वक़्त सिवाय चंद क़ौमोंके और किसीमें ऐसा रवाज नहीं है । क्षेत्रज पुत्रको किसीने इस आधारपर पतिका माना है, कि स्त्रीको क्षेत्र कहते हैं । उस क्षेत्रसे जो पुत्र पैदा होगा, चाहे किसी तरहसे हो, क्षेत्रके स्वामिका होगा । जैसे खेतमें बोया हुआ अन्न खेतके स्वामीका होता है । देखो दफा २८२;२८३.

दफा ८९. आजकल औरस और दत्तक पुत्र माने जाते हैं——अब इस ज़मानेमें केवल औरस, और दत्तक पुत्र यही दो प्रकारके प्रायः माने जाते हैं । अन्य प्रकारके पुत्रोंकी क़िस्में नहीं मानी जातीं । मिथिला और उसके अंतर्गत जिलोंमें कृत्रिमपुत्रका प्रचार है । यही चाल लंकाद्वीपके जफना नगरके निवासियोंमें है । मनु और याज्ञवल्क्यने कृत्रिमपुत्र माना है, मगर कई आचार्य इस पुत्रको नहीं मानते । कृत्रिमपुत्रका विशेष विवरण कृत्रिमदत्तक दफा ३०५—३१२ में देखो.

दफा ९०. पुत्रोंके दरजोंका नकशा———पुत्रोंके दरजे आचार्योंने एकसे नहीं कायम

---

(१) यस्याम्रियेतकन्यायावाचा सत्येकृते पतिः । तामनेन विधानेन निजोविन्देतदेवरः । मनुँ ९ अ० ६९ ॥ यथा विध्यधिगम्यैनां शुक्लवस्त्रां शुचिव्रताम् । मिथोभजेता प्रसवात्सकृत्सकृदृतावृतौ । मनु ९।७०

किये। दरजेसे मतलब श्रेणी या वर्ग है। अंग्रेजीमें क्लास (class) कहते हैं। स्मृतियोंके अनुसार नीचेका नक़शा देखो। इस नक़शेमें दरजे इस तरहपर क़ायम किये गये हैं। देखो बौधायन-स्मृति २ प्रश्न २ अध्याय ३६।३७ श्लोक—

औरसं पुत्रिकापुत्रं क्षेत्रजं दत्तकृत्रिमौ
गूढजं चापविद्धंच रिक्थभाजं प्रचक्षते। ३६
कानीनं च सहोढंच क्रीतंपौनर्भवं तथा
स्वयंदत्तं निषादं च गोत्रभाजः प्रचक्षते। ३७ इत्यादिः

आचार्योंके मतानुसार पुत्रोंके दर्जे।

नम्बर.	पुत्रोंके नाम	मनु ९।१५८, १६०	याज्ञवल्क्य २।१२८, १३३	बौधायन २।२।३६, ३७	वसिष्ठ १७।१९, ४०	गौतम २८।३२, ३३	नारद १३।४४, ४६	विष्णु १५।१, २७	कालिका पुराण	शंख, लिखित	हारीत	देवल	यम	बृहस्पति
१	औरस	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
२	क्षेत्रज	२	३	३	२	२	२	२	२	२	२	३	२	८
३	पुत्रिका	×	२	२	३	१०	३	३	×	३	५	२	३	२
४	कानीन	७	५	८	५	७	४	५	७	५	४	४	५	१०
५	गूढ़ज	५	४	६	६	५	६	६	५	६	६	५	६	१२
६	पौनर्भव	१०	६	११	४	९	७	४	१०	४	३	८	४	९
७	सहोढज	८	११	९	७	८	५	७	८	८	१०	७	८	११
८	निषाद्र और पारशव	१२	×	१३	१२	×	×	१२	१२	११	×	×	×	७
९	दत्तक	३	७	४	८	३	९	८	३	९	७	९	९	३
१०	कृत्रिम	४	९	५	×	४	११	×	४	×	१२	११	१०	६
११	क्रीत	९	८	१०	९	१२	१०	९	९	१०	८	१२	११	५
१२	अपविद्ध	६	१२	७	११	६	८	११	६	७	९	६	७	४
१३	स्वयंदत्त	११	१०	१२	१०	११	१२	१०	११	१२	११	१०	१२	×

नोट—इस नक़शेमें कुण्ड, और गोलक नहीं दिखाये गये, क्योंकि इनका हक़ किसीनें स्वीकार नहीं किया।
× इस निशानसे समझना कि आचार्य्यने कुछ नहीं माना।

ऊपरके नक़शेसे पुत्रोंके दरजे इस तरहपर देखिये—पहले यों देखिये कि मनुने औरसको प्रथम मानकर उसकी अपेक्षा दूसरे पुत्रोंके दरजे माने हैं। जैसे क्षेत्रजपुत्रको दूसरा दरजा, और दत्तकको तीसरा देते हैं। अर्थात् दत्तकसे क्षेत्रज, श्रेष्ठ माना। इसी तरहपर दरजोंके हिसाबसे

श्रेष्ठता और न्यूनताकी श्रेणी मानी जाती है। जैसे जैसे दरजे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उस पुत्रका दरजा पहिलेवालोंके मुक़ाबिलेमें कम होता जाता है। जैसे दोके मुक़ाबिलेमें तीनका दरजा कम है, और तीनकी अपेक्षा चारका कम है इत्यादि—दूसरी तरहसे पुत्रोंका दरजा इस तरहपर देखिये कि, समुदाय शक्तिसे कौन पुत्र किस पुत्रसे श्रेष्ठ माना गया, जैसे औरस पुत्रको सभीने सबसे प्रधान माना। क्षेत्रजको देखिये ९ आचार्योंने दूसरा दरजा माना, तीन आचार्योंने तीसरा दरजा और एकने आठवां दरजा क़ायम किया। तो इससे नतीजा यह निकलता है कि ९ आचार्य जिस बातको कहते हैं, वह बात तीन और एक आचार्यसे श्रेष्ठ है। इसलिये क्षेत्रजपुत्रका दूसरा दरजा मानना चाहिये, क्योंकि कसरतराय दूसरे दरजकी है। दत्तक पुत्रको देखिये—चार आचार्योंने उसका तीसरा दरजा, चारने नवां दरजा, दोने सातवां दरजा, दोने आठवां दरजा, एकने चौथा दरजा माना है। नवें और तीसरे दरजेमें बराबरके आचार्य हैं। यहांपर मनुने जिस पक्षको स्वीकार किपा हो, वह समानता होनेपर भी श्रेष्ठ मानना पड़ेगा। मनु, गौतम, बृहस्पति, कालिका पुराण, प्रसिद्ध एवं अधिक माननीय आचार्य हैं। ९ दरजेके माननेवालोंके बचनोंको उतना मान नहीं दिया गया है। इसलिये दत्तक पुत्रको तीसरा दरजा देनाही योग्य होगा। अब दत्तफ और क्षेत्रजके विषयमें मिलान करें तो क्षेत्रज, दत्तकसे श्रेष्ठ है क्योंकि उसका दरजा समुदाय शक्तिसे दूसरा और दत्तकका तीसरा है। इसी तरहपर सब पुत्रोंका विचार करलेना चाहिये।

ऊपरके पुत्रोंके बारेमें विज्ञानेश्वरका मत याज्ञवल्क्य और मनुसे मिलता है और जीमूतवाहनका मत देवलके मतसे। स्मृति चन्द्रिकाका मत मनुके मतसे मिलता है। मनुने पुत्रिका पुत्रको नहीं माना। मगर उसे औरसके बराबर भागमें अधिकारी बताया है। मिताक्षराने औरस से उसका नीचा दरजा माना है। देखो—मनुस्मृति ९-१३४ पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोऽनुजायते। समस्तत्र विभागस्याज्ज्येष्ठतानास्तिहिस्त्रिया।

इति।

दत्तक ।

चौथा-प्रकरण ।

यह विषय बड़े झगड़े का है। प्रथम प्रकरणमें कहे हुए स्कूलोंके सिद्धांतों और स्कूलोंमें मान्य ग्रन्थों तथा अदालती फ़ैसलोंको ध्यानमें रखकर इस प्रकरणको पढ़ना चाहिये। कई एक अदालती फ़ैसलोंके कारण दत्तक विषयमें गड़बड़ पड़ गयी है। इसलिये पाठक पूर्वापर प्रत्यक्ष विरोध देख पड़नेकी दशामें आगे पीछेके विषयको सावधानीसे विचारकर पढ़ें। यह प्रकरण सात भागोंमें विभक्त है (१) कौन दत्तक ले सकता है ? ९१-१५० (२) कौन दत्तक दे सकता है ? १५१—१७० (३) कौन दिया जासकता है और कौन लिया जासकता है? १७१—२३७ (४) दत्तकसंबंधी आवश्यक धर्मकृत्य क्या हैं ? २३८-२४९ (५) दत्तककी शहादत कैसी होना चाहिये? २५०-२५५ (६) दत्तक लेनेका फल क्या है ? २५६-२८० (७) द्वामुष्यायन दतक और अन्य ज़रूरी बातें २८१—३२१

प्रथम भाग

(१) कौन दत्तक ले सकता है ?

दत्तक विषयका प्रथम भाग, चार हिस्सोंमें बटा हुआ है (क) दत्तक लेनेके साधारणनियम ९१-११७; (ख) विधवाका दत्तक लेना ११८-१३७ ; (ग) पतिकी आज्ञासे विधवाका दत्तक लेना १३८-१४२ ; (घ) बिना आज्ञा पतिके विधवाका दत्तक लेना १४३-१५०

(क) दत्तक लेनेके साधारण नियम ।

दफा ९१. साधारण अर्थ दत्तक और उद्देश—— 'दत्तक' का अर्थ है दिया हुआ लड़का, जिसे गोदका लड़का कहते हैं। दत्तक लेनेका उद्देश केवल यह है कि पिण्डदान और जलदानकी क्रिया चलती रहे तथा दत्तक लेनेवालेका नाम क़ायम रहे।

अपुत्रेण सुतः कार्यो यादृक् तादृक् प्रयत्नतः
पिण्डोदक क्रियाहेतोर्नाम संकीर्तनायच ।

दत्तकका क़ानून शौनक, मनु ९-१६८; वसिष्ठ १५-१-१० याज्ञवल्क्य, मिताक्षरा, मयूख, दत्तकचन्द्रिका, दत्तकमीमांसा और कौस्तुभ आदि स्मृतियोंके आधारपर बना है। वास्तवमें देखिये तो यह संपूर्ण क़ानून शौनकके केवल एक वाक्यपर निर्मित हुआ है। वह वाक्य यह है 'पुत्रच्छायावः' दत्तकके क़ानूनके प्रामाणिक ग्रन्थोंका विस्तारसे वर्णन गंगासहाय बनाम लेखराजसिंह 9 All 288में किया गया है। 'पुत्रच्छायावः' इस सूत्रका विवरण दफा १७२ में देखो

दफा ९२. दत्तककी चाल किस क़ौममें कैसी है——गोदलेनेकी चाल पारसियों और मुसलमानोंमें नहीं है। यहूदियोंमें गोदकी चाल किसी समय जारी थी, मगर अब नहीं रही। किंतु उन मुसलमानोंमें जो बहुत वर्षोंसे हिन्दुओंके बीचमें रहते आये हैं, अधिकतर पंजाबी मुसलमानोंमें गोदकी चाल पायी जाती है। हिन्दुओंमें प्राचीन कालसे गोदकी रसम जारी है। हिन्दुओंके सिवाय भी गोदकी रसम अन्य देशवासियोंमें पहले थी और अब भी कहीं कहीं पायी जाती है। मध्यअफ्रीका और मेडागास्करमें दत्तकपुत्र बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है।

दत्तकपुत्र और असली लड़केमें कुछ फरक़ नहीं समझा जाता । इसीसे दोनोंका हक़ बराबर माना जाता है । गोदकी रसम पहले यूनान और रोममें भी थी । वहां गोद लेनेकी ऐसी चाल थी कि गोद लेनेवाले लड़केके मातापिता पहलेसे ही गोद लेनेवालेको अपना पुत्र दे दिया करते थे और पीछेसे गोद लेनेवाली माता प्रसूति बनकर प्रकट करती थी कि उसके लड़का पैदा हुआ है । तभीसे वह लड़का मातापिताका दत्तकपुत्र समझा जाता था । रूस साम्राज्यके सरकेशिया प्रांतमें दत्तककी चाल ऐसी थी कि गोद लेनेवाली माता लड़केको अपने स्तन पिलाकर दत्तक करलेती थी । इससे प्रमाणित करलिया जाता था कि वह लड़का गोद लेनेवाले मातापिताका होगया । इनसे इस बातका प्रमाण मिलता है कि गोद लेनेकी रसम न केवल हिन्दुओंमें जारी थी, बल्कि अनेक देशोंमें यह प्रथा प्रचलित थी । अब उसमें बहुत कुछ फेर बदल होगया है । हिन्दुस्थानके अधिक भागोंमें यद्यपि दत्तककी चाल प्रचलित है परंतु राजपूतानेमें और उसके आसपासके ज़िलोंमें बहुतायतसे देखी जाती है ।

दफा ९३. किन क़ौमोंमें दत्तककी चाल नहीं है——अंगरेज़ों तथा पारसियोंमें गोदकी चाल नहीं है । पारसियोंमें प्रायः इंगलिश लॉ आजकल माना जाता है । मुसलमानोंके क़ानूनमें भी दत्तक नहीं माना गया ; देखो—मोहम्मद अल्लाहदाद बनाम मोहम्मदइसमाईल 10 All. 289-340 ;

दफा ९४. दत्तक विषय सात भागोंमें विभक्त है——दत्तकका क़ानून निम्नलिखित ७ भागोंमें विभक्त किया गया है—

" केन, कीदृक्, कदा, कस्मै, कस्मात् कः क्रियतां सुतः; विविच्यनोक्तं यत् पूर्व स्तद शेष मिहोच्यते । " दत्तकमीमांसा

दत्तक मीमांसाके अनुसार ६ भागोंमें दत्तक विषय समाप्त हो जाता है । किंतु इस किताबमें उक्त विषय सात भागोंमें समाप्त किया गया है । वे सात भाग यह हैं—

(१) कौन दत्तक ले सकता है ? देखो दफा ९१-१५०
(२) कौन दत्तक दे सकता है ? देखो दफा १५१-१९०
(३) कौन दिया जासकता है और कौन लिया जासकता है ? देखो दफा १९१—२३७
(४) दत्तकसंबंधी आवश्यक धर्मकृत्य क्या हैं ? देखो दफा २३८-२४९
(५) दत्तककी शहादत कैसी होना चाहिये ? देखो दफा २५०-२५५
(६) दत्तक लेनेका फल क्या है ? देखो दफा २५६—२८०
(७) द्वामुष्यायन दत्तक और अन्य जरूरी बातें, दफा २८१—३२१

दफा ९५. पुरुष खुद या उसकी विधवा दत्तक ले सकती है——पुरुष स्वयं अपने लिये या उसकी विधवा अपने पतिके लिये दत्तक ले सकती है । दत्तक लेनेका मुख्य काम पति या पत्नी दोनोंमेंसे किसी एकके द्वारा होना परमावश्यक है । देखो—लक्ष्मीबाई बनाम रामचन्द्र 22 Bom 590; असलमें गोद लेनेका अधिकार पतिको है । पतिके जीतजी उसकी स्त्री गोद नहीं ले सकती । यदि पति गोद लेनेकी आज्ञा दे गया हो तो विधवा स्त्री भी गोद ले सकती है; देखो—नारायन बनाम नाना 7 Bom H. R. 153 ; परंतु किसी स्कूलके अंतर्गत विधवा पतिकी आज्ञाके बिना भी गोद ले सकती है, जिसका वर्णन आगे किया गया है; देखो दफा १४३ से १५०

गोद चाहे पुरुष ले या उसकी तरफसे उसकी विधवा, मगर दोनों ही सूरतोंमें यह शर्त निहायत ज़रूरी है कि गोद लेनेके समय वह अपुत्री (लावल्द) हो और गोदका कोई लड़का पहले न लिया गया हो, जो मौजूद हो । इस जगहपर 'अपुत्री' का अर्थ यह है "पुत्रपदं पुत्र

पौत्र प्रपौत्रयोरप्युपलक्षणम्" यानी पुत्र, पौत्र, और प्रपौत्र (लड़का, पोता, परपोता) तीनोंके न होनेपर अपुत्री कहा जाता है। अर्थात् पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र इन तीनोमेंसे किसी एककी तथा पहले लिये हुए किसी योग्य दत्तकपुत्रकी मौजूदगीमें दत्तक नहीं लिया जासकता। कारण यह है कि वे सब धार्मिककृत्य पूरा कर सकते हैं लेकिन अगर परपोतेका लड़का या लड़कीका लड़का मौजूद हो तो गोद लिया जासकता है। इस विषयमें मि० मेकनाटन और मेनकी यही राय है; देखो—एफ० मेकनाटन जिल्द १ पेज. १४९ ; डबल्यू. मेकनाटन पेज ६६.

जिस किसी हिन्दू पुरुषके लड़का, पोता, परपोता पैदा हुए हों और गोद लेनेसे पहले मर चुके हों वह गोद ले सकता है-जैचन्द्रराय बनाम भैरव चन्द्रराय Ben S. D A. 1849 P. 461 ; रंगोवालाजी बनाम मुद्दीअप्पा 23 Bom, 296–303 ; 25 Bom. 306–311 ; 2 Bom. L. R. 1101 ; दत्तक मीमांसा और दत्तक चन्द्रिकाका भी यही मत है। 'अपुत्रेणैत्येव कारेण पुत्रवतोनाधिकारोबोधितः'

लेकिन अगर लड़के, पोते, परपोते. अपनी मानसिक अयोग्यताके सबबसे या किसी ऐसे सबबसे जिससे कि वे साधारण कुदरती कामोंके और किसी धार्मिक कृत्यके करनेके अयोग्य हैं तो गोद लिया जा सकता है। देखो-मेकनाटन हिन्दू लॉ जिल्द २ पेज २०० ; स्ट्रेन्ज हिन्दू लॉ जिल्द १ पेज ७८; कोलब्रुक्स् डाइजेस्ट जिल्द ३ पेज २९५.

यह बात मानी गयी है, कि अगर किसीने कोई अयोग्य (नाजायज) दत्तक ले लिया हो तो वह उस दत्तककी मौजूदगीमें दूसरा जायज़ दत्तक ले सकता है ; देखो-सरकारका लॉ आफ एडापशन पेज १८९.

जहांपर यह जायज़ माना जाता हो कि इकलौता लड़का गोद दिया जासकता है, वहांपर अगर किसीने अपना इकलौता लड़का दूसरेको दत्तक दे दिया हो तो वह भी गोद ले सकता है। देखो-राधामोहन बनाम हरदाई बीबी 22 I. A. 113–142 ; 22 Mad 398 ; 21 All 430 ; 3 C. W. N. 427–447 ; 1 Bom L. R. 226.

दफा ९६. पुत्र या दत्तक पुत्रकी आज्ञासे दूसरा दत्तक लेना——ऊपर यह बताया गया कि 'अपुत्री' पुरुष दत्तक ले सकता है। परंतु इस बातके विरुद्ध नन्दपण्डितने वेदकी एक घटनापर आधार मानकर विवाद किया है। वह कहते हैं कि दत्तक असली लड़केकी मौजूदगीमें भी लिया जासकता है। मगर शर्त यह है कि दत्तक लेनेकी मंजूरी और आज्ञा उस पुत्रसे लेली गयी हो। अगर पुत्र दत्तककी आज्ञा न दे, तो नहीं लिया जासकता। देखो दत्तक मीमांसा—

"यत्तुविश्वामित्रादीनां पुत्रवतामपि देवरातादि पुत्रपरिग्रहः लिंगदर्शनं तदपुत्रेणैवेत्यादि श्रुति विरोधात्, स्वजाघनी भक्षणादिवन्नश्रुत्यनुमापकः। नचस्मातांश्रुतिः श्रौतस्य लिङ्गस्य नवाधिकेति वाच्यम् नापुत्रस्य लोकोऽस्ति, इत्यादि प्रत्यक्ष श्रुत्युपष्ठम्भेन तस्या एव बलवत्वात्। अथापि स्मार्तश्रुतितः श्रौतलिङ्ग बलवत्व एव। श्रीमतामाग्रहाति शयश्चेत् तर्हि [पुत्रानुज्ञया पुत्रवतोप्यस्तु पुत्रान्तर परिग्रहाधिकारः] यन्नः पिता सञ्जानीते तस्मिंस्तिष्ठामहेवयम्। पुरस्तात् सर्वे कुर्म हेत्वामन्वञ्चोवयं स्महीति श्रौतलिङ्गात्।"

भावार्थ——वेदमें 'शुनःशेफ' की एक बात लिखी है। विश्वामित्रादिकोंके पुत्रवान् होनेपर भी उन्होंने देवरातसे पुत्र गोद लिया, यद्यपि विश्वामित्रके सौ पुत्र मौजूद थे। प्रश्न यह है कि

वचन तो ऐसा है कि जिसके पुत्र न हो वह गोद ले इसलिये विरोध पड़ता है । उत्तरमें कहा गया कि जैसे अन्नके दुर्भिक्षमें क्षुधार्त विश्वामित्रने कुत्तेकी टांगका मांस भक्षण किया तो इससे कोई नियम नहीं हो सकता एवं मन्वादि स्मृतियां श्रुतिकी बाधक नहीं हो सकतीं । अगर बहुतही आवश्यकता हो तो पुत्रकी मंजूरी और उसकी आज्ञासे पिता गोद ले सकता है । यह बात इसलिये मानी गयी कि वेदमें एक वाक्य यह है कि अपने पिताकी जो इच्छा हो उसीका अनुगामी पुत्रको होना चाहिये । और देखो—सरकार लॉ आव एडापशन पेज १८०—१८१; यही सूरत उस समय भी होगी जब कोई पहले जायज़ दत्तक लिया गया हो, उसकी भी मंजूरी और आज्ञासे दत्तक हो सकता है । रंगम्मा बनाम आचम्मा 4 M. I. A. 1 at P. 97; 7 W. R. P. C. 57 at P. 59, 62.

इस क़िस्मके दत्तकके रवाजको बंगालमें जायज़ स्वीकार किया गया है । देखो—सुलकना बनाम रामदुलाल, फैसला सदर अदालत बंगाल 1 Vol. P. 324—434; गौरीप्रसाद बनाम जमाला फैसला सदर अदालत बंगाल 2 Vol. P. 136-174

औरसपुत्र या दत्तकपुत्रकी मंजूरी और आज्ञासे दत्तक लेना बहुत करके अयोग्य है और जब वे धार्मिक कृत्यके करनेकी योग्यता रखते हों तो सभ्य समाजके नियमके एकदम विरुद्ध है । ऐसे दत्तकका मानना या न मानना अदालतपर निर्भर है। परंतु अब यह प्रथा बंद सी होगयी है ।

दफा ९७. एक वक्तमें केवळ एकही लड़का गोद लिया जायगा——यह तय होगया है कि कोई एकही वक्तमें दो दत्तकपुत्र गोद नहीं ले सकता, चाहे उसे अधिकार भी हो कि वह जितने और जितनी दफा चाहे गोद ले परंतु यह अधिकार माना नहीं जायगा । देखो—रंगम्मा बनामा आचम्मा 4 Mad. I. A. I. S. C. 7 ; Suth (P. C.) 57; महेशनरायन बनाम तारकनाथ 20 I. A. 30; S. C ; 20 Cal. 487 ; अक्षयचन्द्र बनाम कलायारहाजी—12 I. A. 198; 12 Cal. 406; दुर्गासुंदरी बनाम सुरेन्द्र केशव 12 Cal. 686; 19 I. A. 108; S. C. 19 Cal 513. अर्थात एक वक्तमें एकही गोद होगा

दफा ९८. नाजायज़ दत्तक कभी जायज़ नहीं हो सकता——जहांपर गोद असली लड़के या दत्तक पुत्रकी मौजूदगीमें नाजायज़ बताया गया है, वहांपर पहलेके दत्तकपुत्र या असली लड़केके मरजानेपर वह गोद जायज़ नहीं हो जायगा । दत्तक लेनेके समय जो दत्तक नाजायज़ हो वह पीछे होनेवाली उन घटनाओंसे जायज़ नहीं हो सकता, जो यदि दत्तक लेनेके समय होतीं तो वह दत्तक जायज़ होजाता । जैसे किसीने एक लड़केकी मौजूदगीमें नाजायज़ गोद लिया उसके बाद पहलेवाला लड़का मरगया तो अबभी वह दत्तक जायज़ नहीं होगा । देखो—बसू बनाम बसू Mad. Dec. 1856. P. 20.

दफा ९९. पुत्रके जातिच्युत होनेपर दत्तक——असली लड़का या दत्तकपुत्र अपनी जातिसे बारह होजाय और धर्मकृत्यके पूरा करनेके योग्य न रहे तो गोद लेना जायज़ होगा मि० सदरलैन्ड और मैकनाटनकी यही राय है । बंबई प्रांतमें इस बातपर अमल किया जाता है देखो—W. Mac. 2 Vol. P. 200; Steel. P. 42-181.

यह सवाल बड़े झगड़ेका है, क्योंकि एक्ट नं० २१ सन १८५० के अनुसार कोई लड़का जिसने अपने धर्म या जातिको छोड़ दिया हो अपने हक़से अलहदा नहीं होता । इसलिये अपनी जातिके छोड़ देनेसे उसके अधिकारपर कोई लड़का गोद नहीं लिया जासकता । यदि ऐसा प्रश्न किसी मुक़द्दमेमें पैदा होजाय तो हो सकता है कि अदालत ऐसा दत्तक मंजूर करनेसे इनकार कर दे और उसे दीवानी कोर्टसे जो अधिकार मिलनेवाले हों न मिलें। मगर यह प्रश्न उस

समय मज़बूत होजायगा जब असली लड़का विना औलादके मरजाय । देखो—स्ट्रैंज हिन्दूलॉ जिल्द १ पेज ७७; ट्रिवेलियन हिन्दू लॉ दूसरा एडीशन पेज १००

उदाहरण——सेठ पीरूमलका लड़का वेधर्म होगया और धार्मिक क्रिया करनेका अधिकारी न रहा। तो सेठजी दूसरा लड़का गोद ले सकते हैं। किंतु मुश्किल यह है कि एक्ट नं० २१ सन १८५० के अनुसार लड़केका हिस्सा वेधर्म होनेसे नहीं चलागया ऐसी दशामें निश्चय नहीं कहा जासकता कि उसका परिणाम क्या होगा। मगर बंबई प्रांतमें शूद्रोंमें वेधर्म हो जानेपर गोद लेनेकी रसम है।

दफ़ा १००. लड़केका लापता होजाना——जब किसीका लड़का लापता होगया हो और बहुत वर्षोंतक उसकी कोई ख़बर न मिली हो, ऐसी सूरतमें यदि कोई लड़का दत्तक लियाजाय, तो वह दत्तक उस समयतक जायज़ नहीं माना जायगा, जबतक कि अदालतमें यह न साबित करादिया जाय, कि गोद लेनेके समय उसका लड़का मरगया था। देखो—रंगूवालाजी बनाम मोदी अप्पा 23 Bom. 296-303. धरूपनाथ बनाम गोविंद सरन 8 All. 614-620 जन्मेजय मजूमदार बनाम केशवलाल घोष 2 B.L.R.A.C. 134. गुरुदासनाग बनाम मती लालनाग 6 B.L.R.App. 16; 14 W.R.C.R. 468; परमेश्वरराय बनाम विश्वेश्वरसिंह 1 All. 53; 8 All. 614 ; 11 Bom. 433 ; और देखो सरकारका लॉ आव एडापशन पेज १९४, १९५.

दफ़ा १०१ जैनियोंमें हिन्दू लॉ माना जायगा——दत्तक लेनेवाला हिन्दू हो या कमसे कम ऐसा हो जिसने ज़ाहिरा हिन्दू धर्मको न त्यागा हो। बंबई प्रांतमें जैनियोंके दत्तक लेनेका विचार भी साधारण हिन्दू लॉ के अनुसार होता है। जैनियोंकी विरासतका (उत्तराधिकारका) विचार भी हिंदूलॉसे होता है ; देखो भगवानदास बनाम राजमल 10 Bom. 241 H.C.R. ; आमावा बनाम महादेवा बड़ा 22Bom.416; जीवनलाल बनाम कल्लूमल A.W.N.(1905)P.235; इलाहाबाद हाईकोर्टने कहा कि, और ऐसी दूसरी क़ैदें केवल द्विज जातिसे संबंध रखती हैं। द्विजसे अर्थ ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य है । किंतु पुरबिया कुनबी जो अपनेको पुरबियाक्षत्री कहते है द्विजोंमें नहीं हैं। इसलिये जब कि उनमेंसे एकने अपने पिताकी बहनके पोतेको दत्तक लिया तो वह नाजायज़ नहीं है। देखो-घारपुरे हिन्दू लॉ दूसरा एडीशन पेज ६९.

दफ़ा १०२. क्वारा या रंडुवा दत्तक ले सकता है——जिसका विवाह न हुआ हो अर्थात् क्वारा हो, और जिसकी स्त्री मरचुकी हो, यानी रंडुवा हो, ये दोनों गोद ले सकते हैं। वह दत्तक जायज होगा।Suth. Syn. 664-771; 3 Dig. 252; 1 W. Macn 66; 2 W. Macn I75; Bom. Sel. Rep 202; नागप्पा बनाम सुब्बाशास्त्री 2 Mad. H.C. 367; 4 Mad. H.E. 270; 12 Bom. 329 ; 12 All. 328-352.

दफ़ा १०३. अंगभंग पुरुष दत्तक ले सकता है——उत्तराधिकारसेच्युत पुरुष दत्तक ले सकता है परंतु उस दत्तकका अधिकार अपने दत्तकपितासे अधिक न होगा । वह दत्तकपुत्र केवल रोटी, कपड़ा पानेका अधिकारी होगा। जहांपर कोई आदमी अपनी शारीरिक अयोग्यताके कारण वारिस होनेकी योग्यता नर रखता हो, जैसे अंधा, लूला, लंगड़ा, पागल, गूंगा इत्यादि, और वह किसी लड़केको गोद ले, तो ले सकता है मगर उस दत्तकपुत्रका हक़ सिर्फ़ रोटी कपड़ा पानेका रहेगा। फ़ैसला अदालत मदरास 1857 P. 210. मि० सदर लैण्डकी यह राय है कि दत्तक तो जायज़ होगा, मगर उसे दत्तक. पिताकी खुद कमाई जायदाद या जो अलहदा हो मिलेगी।

मगर मि०मेकनाटनने इसमें एक फरक़ निकालकर दो मुकद्दमोंका ज़िकर किया है, जिनमें कहा गया है कि बंगालके पण्डितोंने यह राय दी है कि व्यक्तिगत अयोग्यतावाले पुरुषके गोद लेनेका आधार इस बातपर निर्भर था, कि वह पहिले प्रायश्चित्त करके अपनेको उस योग्य बनाले, पीछे गोद ले तो वह गोद जायज़ समझा जायगा; यानी प्रायश्चित्तके बिना गोद नहीं ले सकता। देखो—मेकनाटन हिन्दू लॉ जिल्द २ पेज २०१; मिताक्षरा २-१०, ११; महंत भगवानदास बनाम महंत रघुनन्दन 22. I. A. 94; S. C. 22 Cal. 843.

यह राय इस युक्तिपर निर्भर थी, कि जबतक प्रायश्चित्त उसने नहीं किया था, तबतक वह इस योग्य नहीं था कि मज़हबी धार्मिक कृत्योंको पूरा करसके। बिल्कुल इसी उद्देशके अनुसार बंगाल हाइकोर्टने फ़ैसला किया कि जब कोई विधवा अपने धर्मसे च्युत रही हो और वह गोद ले, तो वह नाजायज होगा। क्योंकि जिस हैसियतमें उसने गोद लिया है वह हैसियत किसी धर्मकृत्यके पूरा करनेके योग्य न थी। देखो—श्यामलाल बनाम सौदामनी 5 B.L. R 362.

यह बहस बंबई हाईकोर्टमें भी एक मुकद्दमेमें की गयी कि विधवाका गोद लेना नाजायज़ है, जिसने अपना शिर न मुड़ाया हो। यह साबित किया गया था कि उसने वह ज़रूरी प्रायश्चित्त करदिये थे जो गोद लेनेके समय होना चाहिये परंतु अदालतने इस मामलेमें बहस करनेकी आज्ञा नहीं दी। देखो—रावजी विनायक बनाम लक्ष्मीबाई 11 Bom. 381-392; लक्ष्मीबाई बनाम रामचन्द्र 22 Bom. 590; W. B. 998; यह दोनो केस एक दूसरेके विरुद्ध हैं—पहले केसमें माना गया कि शिर मुण्डन करानेके बाद दत्तक लेना जायज़ होगा। दूसरेमें यह भी नहीं माना गया। कहा गया कि प्रायश्चित्त, धार्मिक कृत्य नहीं है-दफा १०९ भी देखो।

दफा १०४ दत्तकके समय इन बातोंका ध्यान रखना चाहिये——गोद लेनेके समय प्रायः इन मोटी बातोंपर अवश्य ध्यान रखना चाहिये क्योंकि इनके न होनेपर दत्तक नाजायज़ हो सकता है:—

(१) गोद लेनेवालेके गोद लेते समय कोई बेटा, पोता, परपोता, या दत्तकपुत्र मौजूद न हो, देखो दफा ९५.
(२) होश हवास ठीक हो 10 M. I. A. 429.
(३) विधिपूर्वक दत्तक लिया गया हो। द्विज होनेपर दत्तक-हवन किया गया हो; देखो दफा २३८ से २४९.
(४) जिसने गोद लिया हो हिन्दू हो. देखो दफा ९२.
(५) गोद लेने और देनेवाला गोद लेने और देनेका अधिकारी हो; देखो दफा ९५—१७०.
(६) गोदलिया जानेवाला लड़का अयोग्य न हो। देखो दफा १७१ से २३७.
(७) एकही गोत्रमें गोद लिया गया हो और एकही जातिमें। देखो दफा १७२-१७५.
(८) एकसाथ दो लड़के गोद न लिये गये हो। देखो दफा ९७.
(९) और दूसरी शर्तें जो विशेष कही गयी हैं उनका पूरा ध्यान रखा गया हो।

दफा १०५. गोद लेनेके समय जिसकी स्त्री गर्भवती हो—जिस आदमीकी स्त्री गर्भवती हो उसे दत्तक लेनेका अधिकार है। एक पहिलेके मुकदमेमें सदर अदालत मदरासने यह माना था कि जो दत्तक गोद लेनेवाले पुरुषकी स्त्रीके गर्भावस्थामें लिया गया हो वह नाजायज़ होगा। वह इस सबबसे नहीं नाजायज़ होगा कि बादको उसके लड़का पैदा होजाय जिसकी बाबत अभी कुछ नहीं मालूम है, बल्कि इस सबबसे नाजायज़ होजायगा कि गोद लेनेका

अधिकार उस समय पैदा होता है, जब पुरुष असली औलादके पैदा होनेसे नाउम्मैद होगया हो ; देखो नारायण बनाम वेदाचल Mad. Dec. 1860 P. 97; Steel 43.

अगर यह सिद्धांत सद्दर अदालत मदरासका सही माना जाय, तो अत्यत वृद्धपुरुष अथवा मृत्युके मुखमें जानेवाले पुरुषोंतकको गोद लेनेसे रोकेगा, क्योंकि कभी कभी उनके भी पुत्र होजाते हैं और यह सिद्धांत आगे चलकर बिल्कुल खिलाफ़ पड़ेगा जहांपर असली लड़का और गोदके लड़केके बीच जायदादका हिस्सा क़रार पाया है इत्यादि । इसलिये अब यह माना जाता है कि जिस आदमीकी स्त्री दत्तक लेनेके समय गर्भवती हो वह दत्तक ले सकता है; नागभूषण बनाम शेषम्मा 3 Mad. 180 ; हनुमंत रामचन्द्र बनाम भीमाचार्य 12 Bom. 105 ; दौलतराम बनाम रामलाल 29 All. 310.

प्रिवीकौंसिलमें एक मुकदमेमें यह बहस पैदा हुई और ज़ाहिरा स्वीकार भी की गयी थी कि गोद लेनेवालेने अपवित्रताकी दशामें गोदलिया है तो वह गोद नाजायज़ होगा । मगर इस खास बिनापर कोई फ़ैसला नहीं किया गया । सबब यह था कि यह विचार्य्य विषय जिन बातोंसे पैदा होता था अदालतने अनावश्यक समझा । अब यह ज़रूरी होगा कि जब कोई ऐसा मुकदमा पैदा हो, तो पहलेहीसे निश्चित करलेना योग्य होगा कि कौनसी रसम या कृत्य गोद लेनेके समय करना चाहिये या होना चाहिये और कौन उसमें शरीक होसकता है । रामलिंगं बनाम सदाशिव 9 Mad.I.A. 506; S.c. 1 Suth(p.c.) 25. और देखो मेन हिंदूलॉ, ७ वां एडीशन चैप्टर १९.

दफा १०६. शूद्रोंमें बिना प्रायश्चित्तके दत्तक लेना जायज़ है——एक मुकदमेमें एक शूद्रने बिना प्रायश्चित्तके (जो द्विजोंके लिये ज़रूरी है) गोद लिया अदालतने उसे इस आधारपर मंजूर किया कि शूद्रोंमें कोई मज़हबी रस्में गोदलेनेके लिये आवश्यक नहीं हैं—सुरेन्द्रमोहन बनाम शिरोमनी 28 Cal. 171 ; 21 Bom. L. R. 427—434.

दफा १०७. उत्तराधिकारसे च्युत पुरुष दत्तक ले सकता है——उत्तराधिकारसे च्युत हुआ आदमी दत्तक तो ले सकता है मगर दत्तकपुत्रको दत्तक-पितासे ज्यादा अधिकार न होगा । देखो दफा ६५३.

दफा १०८ कोढ़ीका गोद लेना——कोढ़ीका उत्तराधिकारी होना अथवा न होना उसके पैतृक क्रियाओंके करनेकी योग्यतापर निर्भर है—देखो भगवान रामानुज बनाम रामप्रकरण 22 Cal 843 (P. c.) इसके बादके एक मुकदमेमें यह माना गया कि शूद्र कोढ़ी दत्तक ले सकता है । वह कोढ़ी दत्तक लेनेके योग्य नहीं था, अथवा उसका रोग असाध्य था, उससे घृणा की जाती थी, जबतक इन बातोंका प्रमाण न हो तो उस सूरतमें कोढ़ीका दत्तक लेना जायज़ होगा ; देखो—शिवकुमारी बंवा बनाम अनन्तमेलिया 28 Cal. 168.

दफा १०९. पुत्रके अयोग्य होनेपर दत्तक लेना——जिस आदमीका पुत्र किसी कारणसे अयोग्य हो, वह आदमी दत्तक ले सकता है या नहीं ? जब यह प्रश्न उपस्थित होगा तब यह भी प्रश्न होसकता है कि अयोग्य पतिकी स्त्री पतिके जीवन कालमें या पतिके मरनेके बाद गोद ले सकती है या नहीं । यह प्रश्न और भी जटिल होजाय, जब इस बातपर भी विचार कियाजाय कि वह आदमी अयोग्य ही पैदा हुआ था या पैदा होनेके बाद अयोग्य होगया । इन सब प्रश्नोंका उत्तर संक्षेपसे दफा १०३; १०७; १०८; ६५३; में दिया गया है, कि अयोग्य पुरुष दत्तक ले सकता है मगर उस दत्तकका हक़ बापसे ज्यादा न होगा; सिर्फ रोटी कपड़ा पानेका अधिकारी होगा और जायदादका भी जो गोद लेनेवाले बापने अलहदा पैदा की हो या प्राप्त की हो ।

यह विषय उत्तराधिकारका है इसलिये यहांपर छोड़कर आगे नवें प्रकरणमें 'उत्तराधिकारसे वंचित वारिस' के विषयमें कहा गया है।

अगर लड़का हमेशाके लिये धार्मिक कृत्योंके पूराकरनेके अयोग्य ही पैदा हुआ हो, यानी वह पैदाइशी अंधा, बहरा, गूंगा, नामर्द, लंगड़ा, घणितकुष्ठी, पागल, और दीवाना, विक्षिप्त हो या किसी दूसरे कारणोंसे जिनसे कि वह उत्तराधिकार पानेके अयोग्य हो तो ऐसी सूरतमें यह समझा जायगा कि वह पुत्र धार्मिक कामोंके मतलबके लिये जीवित नहीं है। स्ट्रेन्ज हिन्दू लॉ जिल्द १ पेज ७७; सरकारका लॉ आव एडापशन पेज १९६; मेकनाटन हिन्दू लॉ जिल्द १ पेज ६६.

दफा ११०. पुत्रके संसार त्याग देनेपर दत्तक——जब कि पुत्र संसार और धन दोनोंको पूर्णरूपसे त्याग दे और संन्यासी या साधु या फकीर होजाय, तो उसके जीवनकालमें भी पिता दत्तक ले सकता है ; देखो—पंजाब रिकर्ड 1875 S S. 144; परंतु आजकलके वैरागियोंसे यह लागू नहीं होगा, क्योंकि वे त्यागी साधु नहीं हैं—तिलकचन्द बनाम श्यामाचरण 1864; 1 W. R. C. R. 209 ; जगन्नाथपाल बनाम विद्यानन्द 1868; 1 B.L.R. A. C. 114; 10 W. R. C. R. 172 ; खुदी रामचरणजी बनाम रुक्मिणी वैष्णवी 1871; 15 W. R. C. R. 197.

इस प्रश्नपर एक्ट नं० २१ सन १८५० का असर पड़ता है सही परंतु यह प्रश्न जायदाद या हक़की ज़बतीका या केवल 'संसार त्याग देने' या धर्म या जातिसे निकाल दिये जानेके कारण विरासतके हक़के बिगड़जानेका नहीं है।

दफा १११. अज्ञान (नाबालिग़) का गोद लेना——राजेन्द्रनारायण बनाम शारदा 15 Suth W. R. 548 में मित्र जजने माना है कि नाबालिग़ दत्तक ले सकता है। परंतु नाबालिग़का दत्तक लेना उस समय जायज़ माना जायगा जब वह विवेक अवस्थाको पहुंच गया हो (समझदार होगया हो) 1 Cal 289; 15 Bom 565 ; बंगालमें नाबालिग़की विधवा भी दत्तक ले सकती है बशर्तेकि उसका पति अपने जीतेजी आज्ञा दे गया हो।

(१) बंगाल—यदि अज्ञान पुरुष बंगालमें कोर्ट आफ वार्ड्सकी निगरानीमें हो तो बिना लिखी हुई मंजूरी जनाब लेफ्टनेन्ट गवर्नरसाहब बहादुरके गोद नहीं ले सकता—देखो एक्ट नं० ७ सन १९०५ की दफा ३; एक्ट नं० ९ सन १९८९ की दफा ६१ (B. C.).

इस विषयपर मि० मेनका कहना है कि दत्तककी हैसियतका आईन या अज्ञानको गोद लेनेका अधिकार देना साफ तौरसे तय नहीं हुआ है। बहुतसे एक्ट जो कोर्ट आफ वार्डस्से संबंध रखते हैं उनमें बिना रज़ामंदी कोर्टके अयोग्य ज़िमीदार अज्ञानको गोद लेनेका अधिकार नहीं दिया गया—देखो बंगाल रेगुलेशन No 1 of 1893 S. S. 33; No 42 of 1803. S. S. 37; Mad. Regu. No 5 of 1804 S. S 25; Act 35 of 1858. S. S. 74; Act No 4. of 1870. S. S. 74; Act 9 of 1889. S. S. 61. लेकिन यह शर्तें उस समय तक लागू नहीं पड़ेंगी जबतक कोर्ट आफ़ वार्ड्सका पूरा कब्ज़ा न होजाय, और जब होजाता है तो गोदलेनेके अधिकारको मना करता है और अगर कोई इन शर्तोंको तोड़कर गोद लेलेवे तो वह दत्तक नाजायज़ होगा—जमुना बनाम रामासुंदरी 3 I. A. 72 ; 1 Cal. 289 ; नीलकंठ बनाम आनन्दमयी S. D. 1855-218 ; आनन्दमयी बनाम शिवचन्द 9 M. I. A. 287 ; S. C. 2 Suth (P. C.) 19 ; और देखो Pontifex. j वेनाप्रसाद बनाम मुंशीसेद 25 Suth 192-193 ; यह स्वीकार किया गया है कि बंबईके एक्ट नं० २ सन १८६३ की

दफा ६ का संबंध सिर्फ़ गवर्नमेन्ट और उस आदमीके बीचमें है जो गोद होनेका वादी हो, देखो-वासुदेवानन्द बनाम रामकृष्ण ; 2 Bom. 529.

(२) नाबालिग़ीकी मियाद—एक्ट नं० ९ सन १८७५ की दफा ३ के अनुसार अब हिन्दुओंमें नाबालिग़ी (अज्ञानता) पूरे अठारह वर्षतक रहती है, सिवाय उन सूरतोंके जहांपर कोर्ट आफ् जस्टिससे वली (रक्षक) नियुक्त कियागया हो या अज्ञान कोर्ट आफ वार्डस्के तावे हो। ऐसी दशामें अज्ञानता इक्कीस वर्षकी उमर समाप्त होनेतक रहती है । मगर बंबई और बंगालमें यह क़ायदा नहीं मानाजाता । वहांपर अज्ञानको गोद लेने और गोद लेनेके लिये अधिकार होनेकी बात जायज़ मानी जाती है, बशर्ते क़ि वह समझदार होगया हो, अर्थात् अज्ञानको कोर्ट आफ वार्डस्के तावेमें रहनेपर भी उसे गोदलेनेका अधिकार दियागया हो। इस रायको जुडीशल कमेटीने भी पसंद किया।

(३) जस्टिस मित्र जजकी राय—अज्ञानके अधिकारके संबंधमें जस्टिस् मित्र जजने कहा कि—"अज्ञानका प्रत्येक काम बेकार नहीं है। केवल वह काम जो उसके फायदेको नुकसान पहुंचानेवाले हों सम्हालनेके योग्य हैं; क्योंकि अज्ञान जब बालिग़ होजायगा तब उनपर आपत्ति कर सकता है। लेकिन किसी बेऔलाद हिन्दूके गोदलेनेसे कोई नुक़सान नहीं पहुंच सकता। कारण यह है कि हिन्दूधर्म शास्त्रानुसार धार्मिक और मज़हबी कृत्यके प्रचलित रहनेके लिये अज्ञान पाबंद कियागया है और जब वह बालिग़ होगा तब उसे अपनी धार्मिक और मज़हबी रीतियोंके पूरा करनेका ज़िम्मेदार होना पड़ेगा और उसपर फर्ज़ होगा कि उन्हें पूरा करे; ऐसी सूरतमें जब कोई गोद लिया गया हो उसे हम नाजायज़ नहीं मान सकते; चाहे गोद लेनेवाला बाप अदालतकी निगाहमें नाबालिग़ हो " देखो—15 Suth. 548 ; 15 Bom. 565 ; 3 I. A. 83; S.C. 1 Cal 289 ; मि० प्यारे बनाम मि० हरवंशी 19 Suth. 127 ; और देखो भट्टाचार्य्य हिन्दू लॉ दूसरा एडीशन पेज ३४९; रामकृष्ण हिन्दू लॉ सन १९११ पेज ८९; इनकी यह राय है कि जब अज्ञान समझदार होगया हो तो गोद ले सकता है।

(४) मदरास—मदरासमें जब कोई अज्ञान कोर्ट आफ वार्डस्के तावे हो उस सूरतमें वह बिना मंजूरी लिखी हुई या ज़बानी कोर्ट आफ़ वार्ड्सके गोद नहीं ले सकता-एक्ट नं० १ सन १९०२ की दफा ३४. सी.

(५) मध्यप्रदेश—मध्यप्रदेशमें कोर्ट आफ वार्ड्सका कोई नाबालिग़ बिना मंजूरी लिखी या ज़बानी जनाब चीफकमिशनर साहबके गोद नहीं ले सकता-एक्ट नं० १७ सन १८८५ की दफा २४ ; यदि गोदके बाद मंजूरी ली गयी हो तो भी जायज़ है।

(६) संयुक्तप्रांत—संयुक्तप्रांतमें जब कोई नाबालिग़ कोर्ट आफ वार्ड्सके तावेमें हो तो वह कोर्ट आफ वार्ड्सकी लिखी या ज़बानी मंजूरीके बिना गोद नहीं ले सकता । मगर यदि गोद लेना किसी ऐसे क़ानूनके विरुद्ध न हो जो उस नाबालिग़से लागू होता हो, और उस दत्तक लेनेसे जायदादको या उस नाबालिग़के कुटुम्बकी मर्य्यादाका नुक़सान न होता हो, तो कोर्ट आफ वार्ड्स गोद लेनेकी मंजूरी देनेसे इनकार नहीं कर सकती।

यह ध्यान रहे कि जिस नाबालिग़ने (या उसकी तरफसे) अपनी दरख्वास्तके द्वारा जायदाद कोर्ट आफ वार्ड्सके हवाले की हो तो ऊपरकी क़ैदें कोईभी लागू नहीं होंगी Act No 3 N.W.P. of 1899. S.S. 34 .

(७) पंजाब—पंजाबमें लिखी हुई कोर्ट आफ वार्ड्सकी मंजूरी बिना दत्तक नहीं हो सकता-Act No 2. P. C. 1903. S. S. 15.

(८) बंबई और अजमेर—बम्बई और अजमेरके कोर्ट आफ वार्ड्सके क़ानूनोंमें इस

विषयकी कोई व्यवस्था नहीं रखी गयी है, Bom Act 1 of 1905; अजमेर Regulation 1 of 1888.

दफा ११२. पतिकी ज़िंदगीमें पत्नीका दत्तक लेना——पतिके धार्मिक कृत्य पूरा करने और उसका नाम चलानेके लिये गोदलेना कहागया है-" अपुत्रेणसुतः कार्यो यादृक् तादृक् प्रयत्नतः पिण्डोदकक्रिया हेतो नाम संकीर्तनायच" पिण्डदान और तर्पणकी क्रिया करनेका अधिकार पुरुषको है और जो गोद इस मतलबसे लिया जायगा वह पतिकी बिना मरज़ी नहीं लिया जासकता, क्योंकि गोद पतिके लाभके लिये ही लियाजाता है । इसलिये पतिको अधिकार है कि बिना मंजूरी स्त्रीके गोद ले सकता है; चाहे उसकी स्त्री राज़ी भी न हो। इसी आधारपर स्त्री अपने पतिके सिवाय दूसरेके लिये गोद नहीं ले सकती है; देखो-रंगम्मा बनाम आचम्मा 4 M.I.A.2; S.C. 7 Suth (P.C.) 57.

मिथिला स्कूलमें स्त्री कृत्रिम दत्तक ले सकती है; देखो दफा ३०५ से ३१२.

नरेन्द्रनाथ वैणी बनाम दीनानाथदास 36 Cal. 824, में मानागया कि कोई हिन्दू स्त्री किसी हालतमें सिर्फ अपने लिये दत्तक नहीं ले सकती, यह राय वसिष्ठके इस वाक्यपर निर्भर है 'नस्त्रीपुत्रं दद्यात् प्रति गृन्हीयाद्वा अन्यत्रनुज्ञानाद्भर्तुः' अपने पतिकी आज्ञा बिना स्त्री कोई पुत्रको दे या ले नहीं सकती; इस वाक्यका अर्थ प्रत्येक स्कूलोंमें भिन्नभिन्न कियागया है; देखो दफा ११८.

दफा ११३. दत्तकके बदलेमें रुपया दिये जानेका असर——दत्तकपुत्रके बदलेमें दत्तकपुत्रके असली पिता या माताको कोई रक़म देने या देनेका वादा करनेसे दत्तक नाजायज़ नहीं होगा, जो और सब तरहसे योग्य हो; देखो—मुरुगप्पाचट्टी बनाम नागप्पाचट्टी 29 Mad 161. बंबई और मदरास प्रांतमें यदि विधवाने उचित सपिण्डकी मंजूरी, रुपया देकर प्राप्त की हो तो इससे गोद नाजायज़ नहीं होगा; 36 Mad 19; 30 Mad 405 (1907)

दफा ११४. विभूतिबिदा कृत्य करके गोद लेना——जिस वैश्यने विभूति बिदा नामक कृत्य किया हो वह दत्तक ले सकता है। अगर कोई रसम इसके विरुद्ध बताई जाती हो तो उसे पूर्णरूपसे साबित होना चाहिये; म्हलसाबाई बनाम विठोबा 7 Bom. H. C. App 26.

दफा ११५. चुदा सामागमेटे गरासियोंमें दत्तक——चुदा सामागमेटे गरासिया कौमका कोईभी आदमी दत्तक ले सकता है; बीराबाई बनाम बाई हीराबा 5 Bom. L. R. 234; 30 I. A. 234; 27 Bom 492.

दफा ११६. रंडियों और नाचने गानेवाली औरतोंका गोद लेना——रंडियोंका, या नाचने गानेका पेशा करनेवाली औरतोंका लड़की दत्तक लेना सर्वथा नाजायज़ है। कलकत्ता और बंबई हाईकोर्टके अनुसार यह मानागया कि नायकिनका अथवा नाचनेवाली औरतोंका लड़की गोद लेना नाजायज़ है, चाहे कोई ऐसा रवाज भी साबित किया जाता हो; क्योंकि सभ्यता और सादाचारके यह विरुद्ध है, यही बात इलाहाबाद हाईकोर्टने भी मानी है; मथुरा बनाम ईशू 4 Bom. 545; हिरा बनाम राधा (1913) 37 Bom. 117; 4 Bom. L. R. 116; हेमकुंवर बनाम हंसकुंवर 2 Morl. Dig 133; मनजम्मा बनाम शेषगिरिराव 26 Bom. 491; इस आख़िरीके मुक़द्दमेमें गोद एक रंडीने लिया था।

मदरास हाईकोर्टके अनुसार ऐसा गोद जायज़ मानागया है, मगर शर्त यह है कि वह गोद रंडीके पेशेके लिये न लियागया हो; देखो—वंकू बनाम महालिंग 11 Mad 393; 12 Mad. 214 ; वैंकट चिल्लम बनाम वैंकटासामी, फैसला मदरास सन 1856 P. 65 ; 2 Mad. H. C. 56 ; 13 Mad 133 ; अगर उसके कोई लड़की होवे तो वह क़तई तौरपर गोद नहीं ले सकती, स्ट्रेन्ज मैन्यूअल पैरा ९९.

26 Bom. 491; 4 Bom. L. R. 116 में हालके एक मुकद्दमेमें रंडीका लिया हुआ दत्तक इसलिये जायज़ मानागया कि उसकी अंत्येष्टी क्रिया करे और जायदाद ले।

जब किसी रंडी या नाचनेवाली औरतने सोलह सालसे कम उमरकी किसी लड़कीको बेच दिया हो या अपना पेशा करानेके लिये लिया हो, यह दोनों सूरतें क़ानूनन नाजायज़ हैं, बल्कि ऐसे अपराधमें Act XLV. 1860. S. S. 372, 373 के अनुसार सज़ा दी जायगी; और देखो 12 Mad 273.

सिर्फ मदरासमें लड़की गोद ली जासकती है; देखो—दफा २२० ; ३०३.

दफा ११७. जब किसीकी जायदाद कोर्ट आफ वार्ड्सके ताबे हो——जिस आदमीकी जायदाद कोर्ट आफ वार्ड्सके ताबे हो वह आदमी बिला मंजूरी रेविन्यूबोर्डके दत्तक नहीं लेसकता, अगर ले तो नाजायज़ होगा। एक मरतबा इस बातपर ध्यान दिया गया था कि इनामदार, ज़िमींदार, जागीरदार और खिदमती जागीरदार जिनके मरनेके बाद सरकार उनकी जायदादकी लावारिसकी हैसियतसे वारिस होगी, बिना मंजूरी गवर्नमेन्टके दत्तक नहीं लेसकते और यह मंजूरी हाकिम वक्तसे ली जाना चाहिये। लार्ड डेलहाउसीके समयमें इसके अनुसार कुछ काम भी कियागया। इसकी पाबंदीमें अनेक दिक़तें पैदा हुईं। यह शर्त प्रथम तो दत्तक विधानके जायज़ करनेके लिये काफ़ी न थी और यह भी मुमकिन था कि ऐसी सूरतमें सरकारी हाकिम दत्तक लेनेकी इजाज़त न दें और सरकार इजाज़त देनेके लिये मजबूर नहीं की जा सकती इत्यादि, पीछे जब लार्ड कैनिंग्का ज़माना आया तब उन्होंने एक घोषणापत्र निकालकर गवर्नमेन्टसे इजाज़त लेनेकी ज़रूरतको रफा करदिया; देखो—रामचन्द्र बनाम नानाजी 7 Bom. H. C. (A. C. J.) 26 ; नरहरि गोविंद बनाम नारायण 1 Bom. 607 ; रंगूबाई बनाम भागीरथीबाई 2 Bom. 377; Bell's Empire in India 127; Bell's Indian Policy 10 ; Sir. C. Jackson's Vindication Of Lord Dalhousie 9 ; बालाजी रामचन्द्र बनाम दत्तरामचन्द 27 Bom. 75.

(ख) विधवाका गोद लेना।

दफा ११८. विधवाके गोद लेनेमें स्कूलोंका मतभेद———विधवा स्त्रीके गोद लेनेका अधिकार प्रत्येक स्कूलमें भिन्न भिन्न मानागया है। यह भेद वसिष्ठके वाक्यके अर्थ करनेसे पैदा होता है। हरएक स्कूलमें उस वाक्यका अर्थ जुदा जुदा कियागया है। वह वाक्य यह है:—

"नस्त्रीपुत्रं दद्यात् प्रतिगृह्णी याद्वा अन्यत्रानुज्ञानाद्भर्तुः"

(१) मिथिलास्कूल——मिथिला स्कूलमें उक्त वाक्यका अर्थ यह मानागया कि गोद लेनेके समय पतिकी मंजूरी होना चाहिये; इसलिये बिना पतिकी मौजूदगीके गोद नहीं लिया जासकता। अतएव कोई विधवा गोद नहीं ले सकती; देखो—दत्तक मीमांसा १-१६, विवादचिंतामणि;

मेक्नाटन हिन्दू लॉ जिल्द १ पेज ९५-१०० ; जैराम बनाम मुसंघर्मी 5. S. D. 3 ; और देखो ट्रिवेलियन हिन्दू लॉ दूसरा एडीशन पेज १२१; मुल्ला हिन्दू लॉ दूसरा एडीशन पेज १७२, इस किताबकी दफा देखो—२३ पैरा २; २६; ११२.

(२) बंगालस्कूल——बंगालस्कूलमें उपरोक्त वाक्यका अर्थ यह मानागया है कि पतिकी आज्ञा गोदलेनेके लिये ज़रूरी है। अगर पति अपनी ज़िंदगीमें गोदलेनेकी आज्ञा दे गया हो और उस आज्ञामें यह योग्यता हो कि उसके मरनेके बाद काममें लाई जासके, तो विधवा उस आज्ञासे गोद ले सकती है। यही अर्थ बनारस स्कूलमें मानागया है—1 W. Macn 91-100 ; 2 W. Macn 175-182-183 ; जानकी देवी बनाम सदाशिव I. S. D. 197 ; तारामनी बनाम देवनरायन 3. S. D. 387.

जब पतिने दो या ज्यादा विधवाओंको एक दूसरेके बाद गोद लेनेकी आज्ञा दी हो तो दोनों स्कूलोंमें (बंगाल, बनारस) बड़ी विधवाको श्रेष्ठता दी जाती है ; विजयकृष्ण करमाकर बनाम रंजीतलाल करमाकर (1911) 38 Cal. 694.

(३) बनारसस्कूल—बनारसस्कूलमें उपरोक्त वाक्यका अर्थ वही लगाया गया है जो बंगाल स्कूलमें मानागया है 'बिना आज्ञा पतिके विधवा स्त्री गोद नहीं ले सकती' हेमंचलसिंह बनाम घनश्यामसिंह कुमार 2 Knapp 203 ; 5 W. R. P. C 69 ; इस केसमें इटावाके बारेमें फ़ैसला सीमाबद्ध है। तुलसीराम बनाम विहारीलाल 12 All 328 ; परसूलाल बनाम मैलने 14 Cal. 401-416 ; 1 W. Macn 91 -100 ; 2 W. Macn 189 ; शमशेर बनाम दिलराज 2 S. D. 169 ; पद्मसिंह बनाम उदयसिंह 12 M. I. A. 350 ; 12 M. I. A. 440 ; 12 W. R. (P. C.) 1 ; 2 M. H. C. 216.

इस स्कूलमें अनेक विधवाओंको यदि एक दूसरेके बाद गोदकी आज्ञा हो तो बड़ी विधवा गोद लेगी—38 Cal 694.

(४) महाराष्ट्र स्कूल (बंबई स्कूल)—महाराष्ट्रस्कूल, मयूख और कौस्तुभ आदि ग्रन्थोंके तावे है। इस स्कूलमें उपरोक्त वाक्यका अर्थ यह कियागया कि—"इस वाक्यका संबंध उस दत्तकसे है जो पतिके जीते जी लियाजाय" इससे यह मतलब नहीं है कि विधवाके अधिकारको बंद करदे, जिसको सब हिन्दू धर्मशास्त्रकारोंने पतिकी आत्माके लिये लाभकारी बताया है देखो—कलक्टर आफ मदुरा बनाम मोटोरामलिंगं 12 M. I. A. 435 ; S. C. 1 B. L. R. (P. C.) 1 ; 10 W. R. (P. C.) 17 ; V. N. Mandlik 463 ; 3 I. A. 154 ; 1 Mad 69 ; 25 W. R. C. R. 291-302 ; 4 I. A. 1 ; 3 Mad. H. C. 283.

पश्चिमीय कनारा प्रांतके निवासी नामबुद्री ब्राह्मणोंने भी उक्त वाक्यका ऐसाही अर्थ किया है। हिन्दुस्थानके दक्षिणी भागकी तरफ यह मानागया है कि अगर पति गोदकी आज्ञा न दे गया हो, तो इस कमीको उसके सपिण्ड पूरा करसकते हैं; अर्थात् पतिकी आज्ञा न होनेपर भी सपिण्डोंकी आज्ञासे विधवा गोद ले सकती है।

महाराष्ट्र स्कूलके अनुसार विधवा या तो पतिकी आज्ञासे या बिना आज्ञा भी अगर वह जायदादकी खुद मालिक हो, गोद ले सकती है। देखो—6 Bom 505 ; 12 M. I. A. 397-436 ; 1 B. L. R. (P. C.) 1 ; 10 W. R. P. C. 17 ; 23 Bom. 250 ; 22 Bom. 558, 566, 568 ; 22 Bom. 416 ; 19 Bom. 331, 337; 15 Bom. 565 ; 6 Bom. 498 ; 8 Bom. H. C. (A. C.) 114 ; 5 Bom. H. C. (A. C.) 181.

अगर विधवाका पति मुश्तरका खानदानमें मरा हो और कोई आज्ञा गोदकी नदी हो तो विधवा बिना मंजूरी शरीक हिस्सेदारोंके गोद नहीं ले सकती है.—22 Bom. 416; 6 Bom. 498; 6 Bom. 505.

इस स्कूलमें यह भी मानागया है कि जहांपर विधवाके पास कोई स्पष्ट आज्ञा पतिकी गोद लेनेकी न हो, तो यह माना जायगा कि पतिकी इच्छा गोद लेनेकी थी और जब कि पति नाबालिगी अवस्थामें मरा हो तो यह ख्याल मज़बूत होजायगा; देखो—15 Bom. 565 ; 25 Bom. 306 ; 2 Bom. L. R. 1101.

बटे हुए खानदानमें बड़ी बिधवा विना मंजूरी छोटी विधवाओंके गोद ले सकती है मगर छोटी विधवा बिना मंजूरी बड़ीके गोद नहीं ले सकती जबतक कि कोई ख़ास बात न हो, 5 Bom , H. C. 181-192 ; 6 Bom. 498-503 ; 13 Bom. 160.

(५) पश्चिमी हिन्दुस्थान—पश्चिमी हिन्दुस्थानमें दक्षिणकी अपेक्षा विधवाका दत्तक अधिकार बढ़ा हुआ है। वसिष्ठके वाक्यका अर्थ करते समय मयूखने जो नतीजा निकालकर प्रधानता दी है, ऊपर कहागया है। नन्द पण्डितके सिद्धांतके वह विरुद्ध है। उनका सिद्धांत है कि विधवा कभी दत्तक नहीं ले सकती, क्योंकि गोदके समय पतिकी आज्ञा होना ज़रूरी है (इस दफाका मिथिला स्कूल देखो) मयूखमें कहा गया है कि विधवाही ऐसी आज्ञा पानेकी अधिकारिणी है, दूसरा नहीं। बंबई प्रांतके तमाम मुक़द्दमोंके देखनेसे यह क़रार पाया है कि मराठा और गुजरात प्रांतमें जो विधवा विभक्त परिवारमें बिला शिरकत किसीके जायदादकी वारिस हो, वह अपने पतिके लिये बिना आज्ञा पतिके और बिला रज़ामंदी सपिण्डोंके चाहे वह नज़दीकी भी हों, तथा हाकिमके, गोद ले सकती है विधवाके इस अधिकारमें प्रिवी कौंसिलकी उस तजवीज़से ज्यादा मदद मिली है ; जो रामनाद (दफा १४३ पैरा २) के मुक़द्दमेंमें की गयी थी, यानी उसमें कहागया था कि बिधवाने मज़हबी रसूमात पूरा करनेके बाद योग्यरीतिसे दत्तक लिया, और किसी अनुचित स्वभावसे गोद नहीं लिया तथा रिशवत देकर भी यह गोद नहीं लियागया ; देखो-रुकमावाई बनाम राधाबाई 5. Bom. H. C (A. C. J) 181; भगवानदास बनाम राजमल 10 Bom. H C. 257; रामजी बनाम घुमान 6 Bom. 498; दिनकर सीताराम बनाम गनेशशिवराम 1 B. 505 ; गिरीओवा बनाम भीमाजी 9 Bom. 58; रिशवत देनेका बार सुबूत उस पक्षपर निर्भर है जो दियाजाना बयान करता हो ; देखो-पटैल वृंदावन जैकिशुन बनाम मनीलाल 15 Bom. 565.

दफा ११९. नाबालिग़ पतिके लिये विधवा गोद ले सकती है——विधवाका लिया हुआ दत्तक यदि अन्य सब बातोंसे जायज़ है तो वह इस बातसे नाजायज़ नहीं होगा कि विधवाने जिसके लिये गोद लिया वह पति, मरनेके समय नाबालिग़ था यानी नाबालिग़ पतिके लिये दत्तक लिया जासकता है; पटैल वृंदावन जैकिशुन बनाम मनीलाल 15 Bom. 565.

दफा १२०. दत्तक पुत्रका कबसे अधिकार होगा——जब दत्तक किसी विधवाने लिया हो तो उस दत्तक पुत्रके हक़ उसी वक्तसे पैदा होंगे जिस वक्त कि वह गोद लिया गया हो, यानी गोद लेनेवाले बापके मरनेके वक्तसे नहीं पैदा होंगे, चाहे उसे विधवाने पतिकी आज्ञासे लिया हो या न लिया हो ; देखो लक्ष्मणराव बनाम लक्ष्मी अम्मल (1881) 4 Mad. 160 ; बामनदास मुकरजी बनाम मुसम्मात तारणी 7. M. I. A. 169-184 ; गनपति ऐय्यन बनाम सावित्री अम्मल 21 Mad 10-16 ; नारायनमल बनाम कुंवर नारायन मेरी 5 Cad. 251 ; मोरो नारायन जोशी बनाम बालाजी रघुनाथ 19 Bom. 809.

उदाहरण——महेशको एक जायदाद सरकारसे इस शर्तपर मिली कि जबतक उसके मर्द संतान रहे उसका मुनाफा पाता रहे। महेशके मरनेके दूसरे दिन विधवाने गोद लिया ऐसी सूरतमें सरकारकी शर्त टूट गयी, क्योंकि दत्तकपुत्रका अधिकार उसके गोद लेनेके समयसे हुआ। अगर महेशकी ज़िंदगीमें गोद लियागया होता तो जायदाद मिलती।

दफा १२१. नाबालिग़ विधवा दत्तक ले सकती है——जिस विधवाको पतिसे जायज़ अधिकार गोद लेनेका प्राप्त हो वह नाबालिग़ होनेपर भी गोद ले सकती है। मानागया है कि यह काम उसके पतिका है विधवा निमित्त मात्र है—देखो मंदाकिनी बनाम आदिनाथ 18 Cal. 69.

दफा १२२. बंबईमें नाबालिग़ विधवाका दत्तक——बंबई प्रांतमें जब कि ख़ानदान बटा हुआ हो, पति या कुटुम्बियोंकी रज़ामंदी गोद लेनेके लिये ज़रूरी नहीं है। विधवा अपनी इच्छानुसार दत्तक ले सकती है। इसलिये इस प्रांतमें कोई नाबालिग़ विधवा दत्तक नहीं ले सकती जबतक कि उसे पतिकी ख़ास आज्ञा न हो। लेकिन अगर कोई आदमी नाबालिग़ अवस्थामें ही मरगया हो तो उसकी विधवा नाबालिग़ होनेपर भी पतिके लिये दत्तक ले सकती है; देखो–15 Bom. 565; और देखो स्टडी आफ हिन्दू लॉ शंबाशिव पैय्यर 6 ed S. S. 104.

दफा १२३. अनेक विधवाओंका दत्तक——जब दो या दोसे ज़्यादा विधवाएं हों और दत्तक लेनेका अधिकार उनमें किसी एकको दियागया हो, तो बाक़ी विधवाओंकी मरज़ी न होनेपर भी केवल वही विधवा दत्तक ले सकती है जिसे अधिकार मिला हो। अगर अधिकार एकसे ज़्यादा विधवाओंको दियागया हो तो यदि बड़ी विधवा गोद लेनेसे इनकार करे तो छोटी दत्तक ले सकती है; देखो मंदाकिनीदासी बनाम आदिनाथ 18 Cal. 69. छोटी विधवाको बिना बताये और बिना उसकी सलाहके यदि बड़ी विधवा अपने पतिके सपिण्डोंकी मंजूरीसे कोई दत्तक ले ले तो वह नाजायज़ नहीं होगा। छोटी विधवासे सलाह नहीं लेना यद्यपि अनुचित है किंतु उस दत्तकको जो और सब तरहसे जायज़ है, नाजायज़ बनानेकी यह बजह काफी नहीं होगी; देखो–ठट्टानायक बनाम मंजाम्मल 15 M. L. J. 143; नारायणसामीनायक बनाम मंजाम्मल 28 Mad. 315; इसका नतीजा यह है कि छोटी विधवा बिना मंजूरी बड़ी विधवाके गोद नहीं ले सकती और बड़ी विधवा ले सकती है। यह क़ायदा उसी सूरतसे संबंध रखता है जहां दोनो विधवाएं अपने पतिके बतौर व वारिसके क़ाबिज़ हों। नीचेका मुक़द्दमा देखोः—

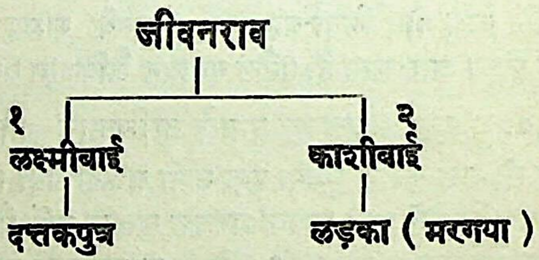

जीवनराव, दो विधवा और एक लड़का जो काशीबाईका था छोड़कर मरगया, बड़ी विधवा लक्ष्मीबाई और छोटी काशीबाई है। लड़केके मरजानेके बाद काशीबाई बतौर माके उसकी वारिस हुई और जायदादपर क़ाबिज़ हुई। उसके बाद लक्ष्मीबाईने एक लड़का पतिके लिये गोदलिया। अदालतसे यह तय हुआ कि गोद नाजायज़ है और यह कि अगर उसने काशीबाईकी रज़ामंदी भी प्राप्त कर ली हो तो भी यह दत्तक जायज़ नहीं होता; देखो—आनन्दीबाई बनाम काशीबाई 28 Bom. 461.

यह अभीतक निश्चित नहीं हुआ कि जब अनेक विधवाएं हों और सबको गोद लेनेका

अधिकार दियागया हो तो क्या वे दत्तक जायज़ माने जायंगे ? देखो 37 Mad 199-221; 41 I. A. 51; 29 Mad 437; 17 C. W. N. 319.

दफा १२४. विधवाके गोद लेनेकी मियाद——यदि पति स्पष्ट कोई मियाद न बता गया हो तो इस बारेमें कोई मियाद नहीं निश्चित है कि विधवाको पतिसे पाये हुए अधिकारके अनुसार कब दत्तक लेना चाहिये; यानी विधवा जब चाहे दत्तक ले सकती है; कोई मुद्दत उसको पाबंद नहीं करती; देखो-F. Macn 157; 1 N. C. 111; राम किशुन बनाम श्रीपती 3. S. D. 367, 489-494.

बंगालमें एक गोद पतिके मरनेके पंद्रह १५ वर्षके बाद लियागया। इस मुक़द्दमेमें इस बातपर बहस भी की गयी थी। और बंबई प्रांतके मुक़दमोंमें गोद लेनेकी हद बीसें पैंचीस बावन^{५२} और इकहत्तर^{७१} सालतक मानी गयी-देखो-Amon. 2 M. Dg. 18; भास्कर बनाम नारो रघुनाथ Bom. Sel. 24; व्रजभूषणजी बनाम गोकूल्दूट सावोजी 1 Bor. 181 (202); निम्बालकर बनाम जयावंतराव 4 Bor. H. C. J. (A. C. J.) 191; गिरीओवा बनाम भीमाजी रघुनाथ 5 Bom. 581; दखिना बनाम रासबिहारी 6 Suth 221. इस केसमें साबित हुआ कि विधवा बारह सालके बाद गोद नहीं लेसकती और यह मियाद पतिके मरनेसे पैदा होगी।

दफा १२५. व्यभिचारिणी विधवा दत्तक नहीं ले सकती—व्यभिचारणी विधवा दत्तक नहीं ले सकती, यानी दत्तक लेनेके समय यदि वह व्यभिचारिणी हो तो उसका लिया हुआ दत्तक नाजायज़ होगा। मगर प्रायश्चित्त करलिया हो तो दूसरी बात है; देखो-कोरी कोली थानी बनाम मनीराम 13 Bom. L. R. 14.

व्यभिचारिणी विधवा धार्मिक कृत्योंके करने योग्य नहीं रहती, इसकारणसे पतिके दिये हुए दत्तक लेनेके अधिकार प्राप्त होनेपर भी वह दत्तक नहीं ले सकती; देखो-मेन हिन्दू लॉ छठवां एडीशन पेज ११७. मुल्ला हिन्दू लॉ दूसरा एडीशन पेज ३८० दफा ३८१.

व्यभिचारिणी विधवा गर्भवती होनेपर दत्तक नहीं ले सकती चाहे उसे पतिकी आज्ञा मिल चुकी हो—थूकू बनाम रूमा 2 Bor. 446, 456; श्यामलाल बनाम सौदामनी 5 B. L. R. 362; यदि दत्तक लेनेके बाद विधवा गर्भवती साबित हो और यह भी साबित हो कि गोदके समय वह व्यभिचारिणी थी तो दत्तक नाजायज़ होगा किंतु दफा ४२ पैरा ६ का ध्यान ज़रूर रहना चाहिये.

दफा १२६. सूतकमें दत्तक लेना——जो दत्तक सूतककी समाप्तिके पहले लिया गया हो वह नाजायज़ है अर्थात् मातमकी मियाद ख़तम होनेके पूर्व दत्तक नहीं लिया जासकता-रामलिंगपिल्ले बनाम सदाशिव 9 Mad. I. A. 506.

शूद्रोंमें दत्तक लेनेके समय किसी धार्मिक विधिकी आवश्यकता नहीं है सिर्फ लेना और देना ही काफी है; इन्द्रामणी चौधरानी बनाम बिहारीलाल मलिक 5 Cal. 770; 7 I. A. 24 इसीलिये अगर कोई शूद्रानी सूतकके समय दत्तक ले लेवे तो वह नाजायज़ नहीं होगा। द्विजोंके लिये सूतकमें दत्तक लेना नाजायज़ है; देखो-थंगथन्ना बनाम राममुदाली 5 Mad. 358.

दफा १२७ धमकी देकर गोद दिलानेका असर———एक मुक़द्दमेमें जब पतिकी लाश घरमें पड़ी थी, उसकी नाबालिग़ विधवाको यह धमकी देकर कि जबतक वह दत्तक नहीं लेगी तबतक लाश उठने नहीं पायेगी, गोद दिलाया गया, तो उस विधवाका यह दत्तक

लेना इस बुनियादपर नाजायज़ मानागया कि बेजा असर और धमकी देकर दत्तक दिलाया गया था और एक यह बुनियाद भी मानी गयी कि दत्तक लेते समय विधवा सूतकमें थी; देखो—रंगनायकम्मां बनाम अनवरसेटी 13 Mad 214 ; देखो दफा १३९.

दफा १२८. पुनर्विवाहित विधवाका गोद लेना—कोई विधवा जो अपना पुनर्विवाह करले उसके बाद वह अपने पहले पतिके लिये गोद नहीं ले सकती; देखो—पंचप्पा बनाम सनगमवसाबा 24 Bom 89–94 ; पुतलाबाई बनाम महादू 33 Bom. 107.

दफा १२९. अनेक लड़कोंका गोद लेना—जहांपर जायज़ मानागया है, विधवा एकके बाद दूसरेके क्रमसे अनेक लड़के गोद ले सकती है। मगर गोद लेनेके समय पहला लड़का जीवित न हो। यदि पतिने स्पष्ट मनाही करदी हो तो नहीं ले सकती; देखो–29 Mad. 382 ; 23 J. A. 145.

उदाहरण—अजने अपनी स्त्रीको एक पुत्र गोद लेनेका अधिकार दिया और मरगया। विधवाने रामदासको गोदलिया। रामदास मरगया तब शिवदासको गोदलिया। अगर वह भी मरजाय तो विधवा तीसरा, चौथा गोद लेसकती है। मानागया है कि अधिकार एकही पुत्रपर नहीं समाप्त होजाता और अगर पतिने दूसरा लड़का गोद लेनेकी स्पष्ट मनाही करदी हो तो नहीं लेसकती क्योंकि उस सूरतमें अधिकार पहिला लड़का गोद लेते ही समाप्त होजाता है।

प्रिवीकौन्सिलकी राय कुछ इसके विरुद्ध है; देखो–19 I.A. 108; 19 Cal 513. इस फैसलेसे शास्त्री जी. सरकार असंतुष्ट हैं।

दफा १३०. पतिके मनाही करनेपर दत्तक—यह नियम प्रायः सब जगहपर मानाजाता है कि जब पति स्पष्ट मनाही करगया हो कि मेरे लिये दत्तक न लियाजाय तो विधवा गोद नहीं लेसकती।

गोदका अधिकार देनेकी रीती और असर।

दफा १३१. गोद लेनेका अधिकार कैसे दिया जायगा?—प्रत्येक हिन्दू आदमी गोद लेनेका अधिकार अपनी स्त्रीको ज़बानी और लिखा हुआ दोनों तरहसे दे सकता है—(1905) 28 All. 377; 33 I. A. 55. गोद लेनेका अधिकार वसीयतनामेके द्वारा भी दिया जासकता है–सरोदा बनाम तिनकोरी 1 Cal. H. R. 223 ; 1 Mad 174 ; 4 I. A. 1.

किसी विशेष बातके होनेपर भी दत्तक विधान जायज़ समझा जायगा, बशर्ते कि उस बातके होनेपर दत्तक विधान हुआ हो; यानी अधिकार देनेके लिये कोई ख़ास रीति आवश्यक नहीं है। अधिकार किसी शर्तके साथ भी दिया जासकता है जो किसी विशेष घटनाके होनेपर काममें लायाजाय। मगर यह ज़रूर है कि अधिकार देनेवालेके लिये उस समय कोई ऐसी बात न हो जिससे वह अधिकार देनेकी योग्यताही न रखता हो 1 Beng.S.D.324. जैसे पति अपने पुत्रके जीवनकालमें स्वयं क़ानूनन् दत्तक नहीं लेसकता इसलिये उसका दिया हुआ अधिकार नाजायज़ होगा। अगर मा और पुत्रमें मतभेद रहता हो तो ऐसे पुत्रके मरजानेपर अधिकार जायज़ होगा। इसी तरहपर उस समयभी ऐसा अधिकार जायज़ होगा जब एकके पश्चात् दूसरा लड़का गोद लेनेका अधिकार दियागया हो, यानी पहिला लड़का मरजाय तब दूसरा

गोद लियाजाय। लड़केकी मौजूदगीमें बापको स्वयं गोद लेनेका अधिकार नहीं है—सल्लूकना बनाम रामदुलार 1 S.D. 324; गोपीलाल बनाम मु० चन्द्रावली 19 Suth. 12 (P.C.) 1.

'पहले लड़केके जीतेजी दूसरा गोद नहीं लिया जासकता'—श्यामचन्द्र बनाम नारायणी 2 S. D. 209 (279) ; भुवनमयी बनाम रामकिशोर 10 M. I. A. 279 ; S. C. 8 Suth. (P. C.) 15 ; जमुना बनाम बामासुंदरी 3 I. A. 72 ; S. C. 1 Cal 26. Suth 21 ; 15 Bom. 565 में मानागया है कि पति अज्ञान होनेपर भी गोद लेनेका अधिकार दे सकता है चाहे उस समय स्त्री भी नाबालिग़ हो।

दफा १३२. गोद लेनेका अधिकार किसे दिया जासकता है ?——लड़का गोद लेनेका अधिकार पुरुष सिर्फ अपनी स्त्रीको ही दे सकता है दूसरे किसी पुरुष या स्त्रीको नहीं दे सकता। कारण यह है कि पुरुषका आधा शरीर स्त्री मानी गयी है, 'पुत्रत्त्व' दोनो हीसे पैदा होता है। इसलिये गोद या तो पति ले सकता है या उसकी आज्ञासे और उसके मरनेके पश्चात् उसकी विधवा। दूसरे किसी भी रिश्तेदारको ऐसा अधिकार नहीं दिया जासकता और पति इस अधिकार देनेमें दूसरे किसीको शरीक भी नहीं करसकता—अमृतलाल बनाम सरनमयी. 27 Cal. 996 ; 27 I. A. 128.

यद्यपि पति अपनी स्त्रीको गोद लेनेका अधिकार देते हुए किसी दूसरेको शामिल नहीं करसकता, मगर पति ऐसी आज्ञा दे सकता है कि अमुक पुरुषसे सलाह लेकर वह गोद ले, या अमुक पुरुषसे बिना सलाह लिये हुए स्त्रीको गोद लेनेका अधिकार नहीं होगा। परंतु यदि किसी विधवाको इस तरहकी आज्ञा मिली हो तो विधवा अगर चाहे तो सलाह लेवे और न चाहे तो वह इस बातकी पाबंद नहीं है; बिना उसकी सलाहके भी गोद ले सकती है; देखो—सुरेन्द्र बनाम सैलाजी 18 Cal. 385. लेकिन जब ऐसी आज्ञा हो कि बिना अमुककी सलाह गोद लेनेका अधिकार नहीं है तो विधवा बिना उसकी सलाहके गोद नहीं ले सकती और अगर ले तो नाजायज़ होगा—रंगूबाई बनाम भागीरथीबाई 2 Bom. 377 ; 27 Cal 996-1002; 27 I. A. 128—134.

उदाहरण—महेशने वसीयत नामेके द्वारा अपनी विधवा और अपने चाचा उमाशंकरको यह अधिकार दिया कि—मेरे लिये एक लड़का गोद लेना। अधिकार मिलनेके बाद विधवा और उमाशंकरने गोद लिया। मानागया कि गोद नाजायज़ है, और अगर अकेले विधवा गोद लेती तो भी नाजायज़ होता, क्योंकि गोद लेनेका अधिकार दूसरे आदमीके साथ विधवाको दिया गया था, न कि अकेली विधवाको।

दफा १३३. कई विधवाओंको गोद लेनेका अधिकार देना——जब दो या दोसे ज्यादा विधवाओंमेंसे किसी एकको गोद लेनेका अधिकार दिया गया हो तो वह विधवा बिना दूसरी विधवाओंकी मंजूरीके गोद ले सकती है। यह निश्चित नहीं है कि जब अनेक विधवाओंको मुश्तरका गोद लेनेका अधिकार दियागया हो तो क्या वह अधिकार जायज़ होगा? मानागया है कि जहां मुश्तरकन गोद लेनेका अधिकार दिया गया हो वहांपर सब विधवाएं मुश्तरकन गोद लेंगी। अगर उनमेंसे कोई मरजाय तो गोद नहीं होसकता। इसपर प्रिवी कौंसिलका मुकद्दमा देखो-37 Mad 199 ; 41 I. A. 51.

जहांपर अनेक विधवाओंको गोद लेनेका अधिकार पतिने दिया हो तो ऐसी सूरतमें बड़ी विधवाको अधिकार गोद लेनेका होता है, छोटीको नहीं। यदि बड़ी विधवा इनकार कर दे तो छोटी लेसकती है—विजय बनाम रंजीत 38 Cal. 694 ; 18 Cal. 69 ; 39 Cal. 582.

उदाहरण—एक हिन्दूने अपनी दो स्त्रियोंके नाम वसीयत की कि, जो लड़का उसका नज़दीकी हो गोद लिया जाय, और यह भी कहा कि दोनों मिलकर गोद लेवें। ऐसी सूरतमें दोनों विधवाएं मिलकर गोद लेसकती हैं और अगर उनमेंसे कोई विधवा मरजावे, तो प्रिवीकौन्सिलकी राय है कि बाक़ी विधवाएं गोद नहीं लेसकतीं; क्योंकि अधिकार मुस्तरकन दियागया था। एक विधवाके मरनेपर अधिकार टूट गया; देखो—नृसिंह बनाम पार्था सारथी 37 Mad. 199; 4; I. A. 51.

ऐसे अधिकारमें गोद लेते समय मुश्किल होगी; क्योंकि सब विधवाएं कैसे एक साथ गोद लेसकती हैं? मानागया है कि एक तो गोद लेगी और बाक़ी सब किसी न किसी गोदके कृत्यमें शरीक रहेंगी। इस तरहपर 'मुस्तरकन्' का अर्थ ठीक होजायगा और वह गोद जायज़ माना जायगा।

दफा १३४. अधिकार गर्भवतीको——जब किसीने, अपनी गर्भवती स्त्रीको, गर्भवती मालूम होनेपर यह अधिकार दिया हो कि अगर उसके लड़का पैदा होकर मरजाय तो दूसरा लड़का गोद ले। पतिके मरनेके बाद उस गर्भसे लड़की पैदा हो, तो यह तय होगया है कि फिर वह विधवा दूसरा लड़का गोद नहीं लेसकती—महेन्द्रलाल बनाम रुकमनी 1 Coryton 42, Cited V. Darp. 814.

यद्यपि उसे अधिकार था परंतु वह लड़कीकी ज़िन्दगीमें दूसरा लड़का गोद नहीं लेसकती थी। इस बारेमें एक राय यह भी मानी गयी कि अगर लड़का पैदा होकर मरजाय तो भी विधवा गोद नहीं लेसकती थी। इस क़िस्मका एक केस देखो—सदर अदालत बंगाल 1849 P. 41.

जब कोई पुरुष संतान होनेसे नाउम्मैद होगया हो और उसकी स्त्री गर्भवती हो तो यह बात उसे गोद लेनेसे नहीं रोक सकती। गोद लेनेके बाद यदि असली लड़का पैदा होजाय तो दत्तक नाजायज़ नहीं होगा-दौलतराम बनाम रामलाल 29 All. 310; 3 Mad. 180; 12 Bom. 105. ऐसी सूरतमें दत्तकपुत्र और औरस पुत्र अपने स्कूलके अनुसार हिस्सा पावेंगे देखो दफा २७०; २७१.

दफा १३५. अधिकार ठीक तौरसे काममें लाया जायगा——पतिने जो अधिकार दिया हो, ठीक उसीके अनुसार काम करना चाहिये। उसमें किसी तरहका परिवर्तन या बिस्तार या संक्षेप नहीं किया जासकता चाहे वह नाजायज़ हो जब कि वह कियाजाय; जैसे दो विधवाओंको एक साथ ही दो लड़के गोद लेना; देखो—सुरेन्द्रकेशव बनाम दुर्गासुंदरी 19 I. A. 108 P. 122; S. C. 19 Cal 513.

अगर विधवाको यह अधिकार दियागया हो कि वह किसी ख़ास मुद्दतके अंदर गोद लेवे तो वह उस मुद्दतके बाहर गोद नहीं लेसकती-मुतसद्दी बनाम कुंदनलाल 28 All. 377; 33 I. A. 55.

इसी तरहपर विधवाको जब किसी ख़ास लड़केके गोद लेनेका अधिकार मिला हो तो वह उसको छोड़कर दूसरा गोद नहीं लेसकती चाहे वह लड़का गोद लेने योग्य न हो और चाहे उसके माता पिता भी उसे न देते हों; अर्थात् अगर वह लड़का न मिलसके या गोदके योग्य न हो तो भी वह दूसरा लड़का गोद नहीं लेसकती-14 Mad. 65; 26 Mad. 681-685.

बंबई प्रांतमें विधवा उस सूरतमें दूसरा लड़का गोद लेसकती है जब पतिके बताये हुए लड़केके मातापिता उसे देनेसे इनकार करदें या वह लड़काही गोद लेनेके योग्य न हो। और

अगर पतिने स्पष्ट रीतिसे यह कह दिया हो कि सिर्फ वही लड़का गोद लियाजाय और दूसरा लड़का गोद न लियाजाय तो विधवा फिर दूसरा लड़का गोद नहीं लेसकती; देखो-लक्ष्मीबाई बनाम राजाजी 22 Bom. 996.

दफा १२६. गोदका अनुचित अधिकार देना—(१) पतिका दिया हुआ दत्तक लेनेका अधिकार उस सूरतमें काममें नहीं लाया जायगा जब कि अधिकार देनेवाला अपने लड़के, पोते, परपोतेमेंसे किसी एकको छोड़कर मरगया हो; देखो-भुवनमयी बनाम रामकिशोर आचारी 10 Mad. I. A. 279 ; पद्मकुमारी देवी बनाम कोर्ट आफ वार्ड्स 8 I. A. 229. इन मुक़द्दमोंमें कहा गया कि गुरुकिशोर अपना लड़का भवानी और एक विधवा चन्द्रावलीको छोड़कर मरगया। गुरुकिशोरने अपनी स्त्री चन्द्रावलीको खास तौरपर यह अधिकार दिया था कि अगर मेरा बेटा भवानी मरजाय तो वह गोद लेवे। बापके मरनेके बाद भवानीने विवाह किया और बालिग़ हुआ तथा एक विधवा अपनी छोड़कर मरगया मगर उसके कोई औलाद न थी। उस वक्त चन्द्रावलीने पतिकी आज्ञानुसार रामकिशोरको गोद लिया। रामकिशोरने भवानीकी विधवा भुवनमयीपर जायदादके दिलापानेका दावा दायर किया। अंतमें प्रिवीकौन्सिलने फैसल किया कि पश्चात्के गोद लेनेकी वजहसे विधवा जायदादसे अलहदा नहीं की जासकती। इस विषयपर लार्ड किंगस्डौनने कहा कि जिस समय चन्द्रावलीने अपने दत्तक लेनेके अधिकारको काममें लाना चाहा था उस समय उस अधिकारमें यह योग्यता न रही थी कि उसकी तामील की जाय, क्योंकि भवानीके मरनेपर उसकी विधवा उत्तराधिकारिणी होगयी थी। इस बातपर यह बहस की गयी कि गुरुकिशोरने कोई मियाद नियत नहीं की थी, कि अमुक समयतक विधवा इस अधिकारको अपने काममें लासकती है इसलिये उसका अधिकार बिला हद्दके था। इसके जवाबमें अदालतने कहा कि कोई हद्द ज़रूर होना चाहिये। अगर भवानी कोई असली लड़का या दत्तकपुत्र छोड़कर मरता और वह लड़का दूसरा लड़का छोड़कर मर जाता और चन्द्रावलीकी ज़िंदगीमें वह बालिग़ होजाता, तो चन्द्रावलीका गोद लेनेका इरादा इस तरहका होता कि, सिलसिलेवार कई वारिसोंके मरनेके बाद आख़िरी गोद लेनेवालेके परदादाके लिये गोद कियाजाय। चाहे उसका कुछ भी इरादा हो मगर क्या क़ानून ऐसा करनेकी आज्ञा देता है? हम ऐसा ख्याल करते हैं कि अदालत मातहतकी राय थी कि अगर भवानी कोई बेटा छोड़ जाता या, यह कि लड़का न छोड़नेकी दशामें भवानीकी विधवा योग्य रीतिसे क़ानूनी अधिकारके अनुसार अपने पतिके लिये कोई लड़का गोद लेलेती, तो चन्द्रावलीका जो गोद लेनेका अधिकार दियागया था उसका नाश होजाता। परंतु यहं जानना बहुत कठिन है कि कौनसी बातें इसके परिणामके लिये नियत की जासकती हैं जो हमारे सामनेके मुकद्दमेसे एकही तरहपर न हों। फिर यही प्रश्न भुवनमयी और चन्द्रावलीके मरनेपर पैदा हुआ। रामकिशोर उस जायदादपर क़ाबिज होगया जो गुरुकिशोर और भवानीने छोड़ी थी। तब एक दूसरे नज़दीकी वारिस रिश्तेदारने रामकिशोरपर उस कुल जायदादके दिलापानेका दावा किया। इस मुक़द्दमेमें कहा गया कि रामकिशोरका दत्तक नाजायज़ है; हाईकोर्ट बंगालने दावा डिस्मिस किया; देखो-पद्मकुमारी बनाम जगत किशोर 5 Cal. 615. इस मुकद्दमेके फैसलेमें प्रिवी कौन्सिलकी तजवीज़के असरको जो पहिले हो चुकी थी महदूद करदिया गया जिस तजवीज़में फैसल हो चुका था कि रामकिशोर मुद्दईको उस ज़ायदादके पानेका कोई हक़ नहीं है जिसका दावा रामकिशोरने भुवनमयीपर किया था। मगर बंगाल हाईकोर्टका यह फैसला भी जुडीशल कमेटीने मंसूख करदिया; देखो पद्मकुमारी बनाम कोर्ट आफ वार्डस् 8 I.A. 229. आखिरी नतीजा यह निकाला गया कि-भवानीको जायदादमें हक पैदा होनेसे दत्तकके अधिकारकी समाप्ती होगयी

जो चन्द्रावलीको मिला था, या यह कि दत्तकका अधिकार पुत्रकी मौजूदगीमें दिया ही नहीं जासकता था, इसलिये वह तामीलके योग्य नहीं रहा। ऊपरके दोनों मुकद्दमोंका विचार फिर मद्रास हाईकोर्टके निम्नलिखित मुक़द्दमोंमें करनेकी ज़रूरत हुई--

थयामल बनाम वेंकटराम 14 I. A. 67 ; S. C. 10 Mad. 205 ; तथा ताराचरण बनाम सुरेशचन्द्र 16 I. A. 166; S. C. 17 Cal. 122. इस मुक़द्दमेमें सभी बातें पहलेके दोनों मुक़द्दमोंकी तरहपर थीं। फ़रक़ सिर्फ़ इतना था कि इस मुक़द्दमेमें विधवाने अपने पतिके सपिण्डोंकी आज्ञासे गोद लिया था। यह दत्तक असली लड़केके मरनेके बाद और उस लड़केकी विधवाकी मौजूदगीमें सपिण्डोंकी मंजूरीसे लिया गया था। जब दत्तक लेनेवाली विधवा मरगयी और असली लड़केकी विधवा भी मरगयी तब नज़दीकी वारिसने दत्तक पुत्रसे जायदाद दिलापानेका दावा किया। अदालतसे यह फ़ैसला कियागया कि दत्तक बिलकुल नाजायज़ था; और यह दत्तक वारिसके हक़को मिटा नहीं सकता। यही नतीजा बंबईके मुक़द्दमोंमें भी मानागया।

(२) पांच लड़कोंतक गोदकी इजाज़त—इसी सिद्धांतके अनुसार बंबई और बंगालमें अनेक मुक़द्दमें फ़ैसल हुए—रामसुंदर बनाम सुरबनीदासी 22 Suth. 121 के मुक़द्दमेमें पतिने अपनी स्त्रीको अधिकार दिया था कि वह एक दूसरेके मरजानेके बाद पांच बेटे तक गोद ले। इस अधिकारके अनुसार विधवाने कस्टो चरणको दत्तक लिया। वह गोद लेनेके बाद बारह सालतक ज़िंदा रहा; पीछे मरगया। फिर विधवाने एक और लड़केको गोद लिया। इस दूसरे लड़केके गोद लेनेपर उत्तराधिकारीने आपत्ति की, हाईकोर्टमें इस अम्रपर विचार किया गया कि उपरोक्त मुक़द्दमा (भुवनमयी बनाम रामकिशोर आचारी 10 Mad.I.A. 279.) के अनुसार विधवाको दूसरा लड़का गोद लेनेका अधिकार नहीं है। कारण यह बताया गया कि कस्टोचरण बारह वर्षतक ज़िंदा रहकर समस्त आत्मिक धर्मकृत्य अपने गोद लेनेवाले मृत पिताके संबंधमें पूरे कर चुका और यह समझमें आता है कि उसने सब मज़हबी काम पूरे करदिये होंगे; परंतु हाईकोर्टने तजवीज़ किया कि विधवाका दूसरा दत्तक लेना नाजायज़ नहीं है, क्योंकि चाहे लड़का बालिग़ होगया हो, और हिन्दूधर्मशास्त्रानुसार आवश्यक धर्मकृत्य पूरे कर चुका हो तो भी वह ऐसा नहीं माना जायगा कि लड़केने सब धार्मिक कृत्य समाप्त करदिये जो उसके मृत पिताके लिये शास्त्रोंमें बताये गये हैं। इसका उद्देश यह है कि हिन्दू धर्मकृत्य परंपरा वंश वृद्धिसे संबंध रखता है जैसे पिण्डदान या जलदान आदि क्रियाएं तीन पुश्ततक चलती हैं और उनसे मृतपुरुषकी आत्माको लाभ पहुंचता है। भुवनमयीके मुक़द्दमेमें हाईकोर्टने यह राय प्रकाशित की कि प्रिवीकौन्सिलका यह मतलब था कि भवानीकिशोरकी विधवाको मालिकाना अधिकारसे च्युत रखे, मगर यह राय हालके मुक़द्दमेमें ज्युडीशल कमेटीके फ़ैसलोंसे संदेह जनक होगयी। यह ज़रूर है कि हाईकोर्टके सामने जो मुक़द्दमा था वह उन तीनों मुक़द्दमोंसे अलहदा था; गोकि पक्षकारकी तरफ़से भुवनमयीके मुक़द्दमेका हवाला दिया गया था मगर वह मुक़द्दमा उससे नहीं मिलता था। पहलेके मुक़द्दमेमें लड़केकी मौजूदगीमें गोद लेनेकी इजाज़त थी; दूसरेमें पतिके मरते समय कोई लड़का नहीं था; देखो 8 I. A. 229 ; 14. I. A. 67 ; 16 I. A. 166.

(३) दादीका गोद लेना—27 Bom. 492 के मुक़द्दमेमें जो बंबई हाईकोर्टके सामने था जिसमें एक हिन्दू पुरुष अपनी मा और स्त्री तथा एक नाबालिग़ लड़का छोड़कर मरगया। बापके मरनेके बाद वह लड़का बिनब्याहा अपनी माको छोड़कर मरगया। माने एक लड़का गोद लिया, और उसकी सासने (बापकी मा) एक लड़का गोद लिया। सासका गोद लेना

नाजायज़ करार दिया गया, क्योंकि उस गोदसे माके हक़ चले जाते थे। माका दत्तक इसलिये जायज़ माना गया कि उसकी गोदसे सिवाय माके और किसीके हक़ नहीं जासकते थे; 11 B. I. L. R. 383; 19 B. 331.

इसी सिद्धांतपर जहांपर पहले जायदाद विवाहित लड़केके नाम, और उसके मरनेके बाद उसकी विधवा स्त्रीके नाम, और उस विधवा स्त्रीके मरनेसे बापकी विधवाके नाम आयी हो, तो यह तय कर दिया गया है कि वह विधवा खुद अपने पतिके वास्ते अगर कोई गोद लेगी तो नाजायज़ माना जायगा; देखो—17 B. I. L. R. 164.

दफा १३७. विधवाका गोद लेनेका अधिकार कब जाता रहेगा?——अगर पतिने ऐसी आज्ञा दी हो कि अमुक लड़का गोद लेना, तो फिर विधवा उसे छोड़कर दूसरा नहीं ले सकती, चाहे वह लड़का गोद लेनेके योग्य न हो और चाहे उसे उसके वारिस गोद भी न दें। जब विधवा उसे गोद ले लेवेगी तो अधिकार जाता रहेगा। फिर उस अधिकारके अनुसार दूसरा लड़का गोद नहीं ले सकती, चाहे वह दत्तकपुत्र मर भी जाय; देखो—चौधरी-पद्म बनाम कुंवर उदय 12 M. I. A. 356.

मद्रास प्रांतमें यह माना गया है कि जब पतिने वसीयतनामेके द्वारा गोद लेनेकी आज्ञा दी हो और तदनुसार विधवाने गोद लिया तथा गोदके बाद वह पुत्र मरगया, तो फिर विधवा सपिण्डोंकी इजाज़तसे दूसरा लड़का गोद लेसकती है, बशर्तेकि पतिने दूसरा लड़का गोद लेना मना न किया हो; देखो-पाराशरभट्ट बनाम रंगरोजा 2 Mac. 202.

(ग) पतिकी आज्ञासे विधवाका दत्तक लेना।

दफा १३८. पतिके लिये केवल विधवाही दत्तक ले सकती है——बंगाल और बनारस स्कूलके अनुसार पतिकी आज्ञासे विधवा दत्तक ले सकती है, यदि उस आज्ञामें दत्तक लेनेकी योग्यता हो; देखो दफा ११८ पैरा २ और ३. हिन्दू धर्मशास्त्रानुसार पतिके अंगका बायां भाग उसकी अर्द्धांगिनी स्त्री मानी गयी है; इसीसे यज्ञादि कर्मोंमें स्त्रीको शामिल किया है। दत्तकमें इसका नतीजा यह है कि पतिके मरजानेपर उसका बायां आधा अंग (विधवा) जीवित रहता है। इसीलिये क़ानूनमें गोद लेनेका अधिकार केवल स्त्रीको पति दे सकता है, दूसरे किसीको नहीं—देखो दफा १३१। इसी उद्देशपर पतिके मर जानेपर भी उसकी विधवा उसके लिये दत्तक ले सकती है। विधवाको यह अधिकार नहीं है कि वह अपना अधिकार दूसरेको दे दे या उसमें किसीको शामिल करे। बंबई और मद्रासमें विधवा सपिण्डोंकी मंजूरीसे गोद ले सकती है चाहे पतिकी आज्ञा न हो। वहांपर भी दत्तक लेनेका काम विधवाहीपर निर्भर है। विधवा अपने अधिकारको खुदही काममें लासकती है—अमृतलाल बनाम सुरनमयी 25 Cal. 662; 27 Cal. 996.

दफा १३९. विधवा मजबूर नहीं है——विधवाको जो अधिकार पतिसे मिले हैं उनके पूरा करनेकी मजबूरी विधवापर नहीं है। विधवा अपनी इच्छानुसार उस दत्तकके अधिकारको काममें लासकती है और कोई दबाव उसपर इस बारेमें नहीं डाला जासकता। मगर जो काम वह करे पतिकी हिदायत और क़ानूनके खिलाफ न होना चाहिये। अगर विधवाकी

इच्छा न हो और वह धमकाई गयी हो या कोई दबाव डालागया हो कि वह गोद ले, तो ऐसा गोद नाजायज़ होगा; देखो—रंगनापा कामा बनाम अलवरसेटी 13 Mad. 214—220. देखो दफा १२७. यह माना गया है कि विधवा जबतक पतिसे मिले हुए अधिकारको काममें नहीं लाती तबतक वह उस हैसियतसे वारिस है जो उसको अधिकार न मिलनेकी सूरतमें होता।

गोद लेना जब दूसरेकी सलाहसे कहा गया हो—अगर पति वसीयतनामेके द्वारा या और किसी तरहसे यह आज्ञा दे गया हो कि उसकी विधवा लड़का गोद ले मगर वह अमुककी सलाहसे लियाजाय जिसको पतिने एजेन्टके तौरपर नियत किया हो। ऐसी दशामें अगर विधवा बिना सलाह उसके गोद लेले तो जायज़ माना जायगा। क्योंकि यह माना गया है कि गोद लेनेका अधिकार सिर्फ स्त्रीको दिया जासकता है और इस तरहपर उस अधिकारके दो टुकड़े होजाते हैं और ऐसा अधिकार विधवाके अधिकारपर असर नहीं डालता—सुरेन्द्रनन्दन बनाम शैलजाकांत 18 Cal. 335.

इसी क़िस्मका एक फैसला हुआ कि 'वसीयत करनेवालेका मंशा दूसरे आदमीके शरीक करनेसे यह था कि वह आदमी अच्छी तरहपर जांच करके बुद्धिमानीके साथ कामकी सहूलियतमें मदद देगा। मगर इस मतलबके लिये नहीं कि गोदकी किसी ज़रूरी शर्तका वह कहना कोई हिस्सा है, 24 I. L. R. Cal. 589.

दफा १४०. विधवा और दत्तक पुत्रका इक़रारनामा——जब पतिने विधवाको सामान्य गोद लेनेका अधिकार दिया और उसमें खास तौरसे यह न बतायागया हो कि विधवा और दत्तकपुत्र जायदादका लाभ किस तरहपर उठावेंगे, ऐसी दशामें अगर विधवा और दत्तकपुत्रके कुदरती वली बाप या माके दरमियान कोई इक़रारनामा इस बातका लिखाजाय कि 'दत्तकपुत्रका अधिकार विधवाके जीवन भर नहीं होगा, जायदादपर विधवा क़ाबिज रहे और उसके मरनेपर दत्तकपुत्रको जायदाद मिले' यह इक़रारनामा उस दत्तकपुत्रके लिये माननीय होगा और जायज़ होगा।

एक हिन्दू विधवाने अपने पतिके दिये हुए अधिकारके अनुसार पतिके मरनेके बाद नाबालिग़ लड़केको गोद लिया। विधवाने दत्तक लेनेके दिन एक दस्तावेज़ रजिस्टरी कराया जिसमें दत्तक लेनेकी बातके सिवाय इस बातकी भी व्यवस्था लिखी गयी कि दत्तक पिताकी जायदादका लाभ किस रीतिसे विधवा और दत्तकपुत्र आपसमें उठावें। उसमें एक शर्त यह थी कि अगर गोद लेनेवाली माता और दत्तक पुत्रके बीचमें परस्पर मतभेद हो तो माता अपनी उमर भर पतिकी जायदादकी मालिक रहेगी; उसके मरनेपर दत्तकपुत्र पावेगा। दत्तक लेनेका अधिकार विधवाको पतिने ज़बानी दिया था। सिर्फ यह कहा था कि "एक लड़का दत्तक लेना" वह लड़का और विधवा जायदादका किस तरहपर लाभ उठावें इस बातका पतिने कुछ भी ज़िकर न किया था। विधवाने दत्तक लेनेके समय जो इक़रारनामा किया था उसका मतलब यह था कि दत्तक लेनेके बाद भी विधवा पतिकी जायदादका उमर भर लाभ उठावेगी। 'लाभ' से मतलब मुनाफा या अन्य फ़ायदेकी बातोंसे है। प्रबंध भी लाभ उठानेवालेके पास रहता है।

इक़रारनामेमें जो शर्तें लिखी गयी थीं उनको दत्तकपुत्रके असली बापने मंजूर किया था दत्तक लिये जानेसे पहले। पीछे दत्तकपुत्र और विधवामें मतभेद होगया। दत्तकपुत्रने अपने असली पिताके द्वारा विधवापर नालिश की कि उसे दत्तक पिताकी सब जायदाद दिला दी जाय। अदालतने फैसला किया कि विधवा और दत्तक पुत्रके बीचमें जो इक़रारनामा रजिस्टरी हुआ

है उसका पाबंद दत्तकपुत्र है विधवा अपनी उमर भर जायदादपर काबिज रहेगी ; देखो—विशालाक्षी अम्मल बनाम शिवनारायन 27 Mad. 577.

दफा १४१. कुटुम्बका लड़का गोद लेना चाहिये——जब किसी विधवाने गोद लेनेका सामान्य अधिकार पतिसे पाया हो कि "हमारे लिये लड़का गोद लेना" तो ऐसा लड़का गोद लिया जाना चाहिये जिसका शरीक होना खानदानमें जायज़ हो। जहांतक होसके नज़दीकी सपिण्डका लड़का गोद लेना चाहिये जो एकही गोत्रका हो, यानी सगोत्र सपिण्डका नज़दीकी लड़का। दत्तकमीमांसा और दत्तकचन्द्रिकामें भी यही माना गया है; तथा देखो—फैसला सदर अदालत मदरास 1 Vol 105. और देखो दफा १९३—१९६.

दफा १४२. पैदा होनेवाले पुत्रके लिये गोदकी आज्ञा——(१) अय्यापिल्लेका केस—वीरपरमल बनाम नारायण पिलैय्यर 1 Str. N. C 91 के मुक़द्दमेमें इस क़िस्मके वाक़ियात थे—पतिने अपनी स्त्रीको यह लिख दिया था कि "अगर अय्यापिलेके वर्तमान पुत्रके सिवाय एक और पुत्र हो तो उसको तुम मेरे वंशमें ले लेना" ऐसा लिखने वालेके मरनेके बाद अय्यापिलका कोई दूसरा पुत्र नहीं हुआ। तब विधवाने काफी इंतज़ार करनेके बाद दूसरा पुत्र दत्तक लिया। अदालतमें वारिसकी तरफसे दावा करनेपर जजोंने कहा कि ऐसी सूरतमें विधवा अनन्त कालतक प्रतीक्षा करनेके लिये बाध्य नहीं है और उसका किसी दूसरे लड़केको गोद लेना नाजायज़ नहीं है। उस लिखतका यह अर्थ माना गया कि लिखनेवालेकी प्रधान इच्छा यह थी कि उसके लिये कोई लड़का गोद लियाजाय; दूसरी इच्छा यह थी कि वह लड़का उस व्यक्तिका हो जिसका नाम उस लिखतमें बताया गया है।

इस मुक़द्दमेके बाद बंबईका दूसरा मुक़द्दमा इसी तरहका है जिसमें अदालतने कहा कि दत्तकका अधिकार देनेवाले पतिके लिये यह आम बात है कि वह उस लड़केका नाम भी बतादे कि जिसे वह गोद लेना चाहता है; किंतु यदि पीछे वह लड़का मरजाय, या उसके मा बाप देनेसे इनकार करें तो कमसे कम बंबई प्रांतमें उसी अधिकारसे दूसरा लड़का दत्तक लिया जासकता है, यदि पति यह न लिख गया हो या कहगया हो कि अमुक लड़काही गोद लिया जाय और दूसरा नहीं। बंबई प्रांतमें यह समझा जाता है कि पतिकी इच्छा गोद लेनेकी थी। किसी लड़केका नाम लिख देना केवल अपनी पसंद प्रकट करना है—26 Mad 681 ; 22 Bom.946.

(२) इलाहाबादका फैसला—बनारस और बंगालमें यह बात नहीं मानी जायगी। वहांपर पतिके बताये हुए लड़केके सिवाय विधवा दूसरा लड़का गोद नहीं लेसकती। यदि वह लड़का मरजाय या न मिलसके, तो उसका गोद लेनेका अधिकार समाप्त होजाता है। यदि पतिने साधारण अधिकार दिया हो कि 'एक लड़का गोद लेना' तो विधवा सगोत्र सपिण्डमेंसे नज़दीकी लड़केको जहांतक होगा गोद लेगी। मगर एक हालके मुक़द्दमेमें इलाहाबाद हाईकोर्टने फैसला किया, जिसमें एक हिन्दू पतिने विधवाको एक ख़ास घरानेका लड़का गोद लेनेकी आज्ञा दी थी; उस समय उस घरानेमें चार लड़के थे, लेकिन विधवाने पतिके मरनेके बाद जो लड़का उस घरानेमें चारोंके अलावा पैदा हुआ उसे गोद लिया। इस मुक़द्दमेका फैसला प्रिवी कौन्सिलने यह किया कि वह छोटा लड़का अपने भाइयोंकी अपेक्षा उमरके ख्यालसे गोद लेनेके लिये अधिक योग्य था; उसे गोद लेकर विधवाने पतिकी आज्ञाका अच्छा उपयोग किया; देखो—मुतसद्दीलाल बनाम कुंदनलाल 33 I. A. 55; 28 All. 377.

(घ) बिना आज्ञा पतिके विधवाका दत्तक लेना ।

दफा १४३. बिना आज्ञा पतिके विधवाका दत्तक——(१) मदरास और बंबई प्रांतमें यह बात मानी गयी है कि बिना आज्ञा पतिके विधवा दत्तक लेसकती है, मगर बंगाल और इलाहाबाद हाईकोर्टमें नहीं मानी गयी देखो—दफा ११८; जो दत्तक बिना आज्ञा पतिके सपिण्डोंकी मंजूरीके अनुसार होता है उसका क्या असर होगा? शास्त्रीजी. सरकारकी राय है कि हिन्दुस्थानके दक्षिण, और पश्चिम, तथा कुछ उत्तरमें इस विषयमें सपिण्डोंकी रज़ामंदी काफ़ी समझी गयी है। कितने सपिण्डोंकी रज़ामंदी ज़रूरी होगी, इस विषयमें मदरास हाईकोर्टमें एक मशहूर मुक़द्दमेका फैसला हुआ है—

(२) बटे हुए परिवारमें एक सपिण्डकी मंजूरी काफी हैं; देखो-कलक्टर आफ मदुरा बनाम मोटो रामलिंगम् 2 Mad. H. C. 206; 12 M. I. A. 397; 1 B. L. R. (P.C.) 1; S. C. 10 Suth (P.C.) 17.

रामनाद केस—ऊपरके मुक़द्दमेमें विधवाने अपने पतिकी अलहदा ज़िमीदारीका वारिस बनानेके लिये पतिके अधिक सपिण्डोंकी मंजूरीके अनुसार दत्तक लिया था। जो सपिण्ड उस समय जीते थे उनमेंसे अधिक सपिण्डोंने मंजूरी दी थी। प्रश्न यह उठा था कि 'दक्षिण हिन्दुस्थानमें गोदकी मंजूरी देनेके लिये सपिण्डोंकी संख्या कितनी होना चाहिये जो ऐसे गोदको जायज़ करसके जो बिना आज्ञा पतिके गोद लियागया हो' मदरास हाईकोर्टने इस प्रश्नपर अपनी राय दी। कहा कि दत्तक जायज़ है। उद्देश यह माना गया कि क़ानूनकी दृष्टिसे दत्तक असलमें भाई या सपिण्डसे पुत्र पैदा करानेके प्राचीन नियोग नामक सिद्धांतके अनुसार मंजूरीसे संबंध रखता है, और सपिण्डोंकी रज़ामंदी इस बारेमें केवल सभ्यताके लिहाज़से नहीं, बल्कि दूसरे तौरसे भी अधिक आवश्यक है, जो सपिण्ड योग्य रीतिसे और जिसे पतिके अन्य तमाम अधिकार दिये गये हों, और समझे जाते हों एक भी मंजूरी दे दे तो वह मंजूरी गोद लेनेके लिये उचित होगी। सभी मेम्बरोंकी मंजूरी होना ऐसे मामलेमें मुशकिल होगी। इस लिये एक मेम्बर—सपिण्डकी मंजूरी काफी होगी जो योग्य हो और समाजके ज़ाहिरा उद्देशके विरुद्ध न हो तथा मंजूरी किसी दूसरी ग़रज़से न दी गयी हो। यह फैसला जुडीशल कमेटीने बहाल रखा। यह रामनद केसके नामसे मशहूर है 12 .M I. A. 397.

(३) मुश्तरका ख़ानदानमें—जहांपर कि ख़ानदान शामिल शरीक हो वहांपर विधवा अपने पतिकी जायदादके हिस्सेसे फायदा नहीं उठा सकती; उसे केवल रोटी कपड़ेका अधिकार हैं। यह सिद्धांत उन स्कूलोंसे लागू नहीं होगा जिनमें कि इसके विरुद्ध बयान कियागया है। अगर किसी विधवाके पतिका बाप ज़िंदा हो तो वही ख़ानदानका मुखिया और विधवाका रक्षक होगा, तथा उसे तमाम ख़ानदानी आवश्यकताओंके पूरा करनेका अधिकार है। ऐसी सूरतमें विधवा सिर्फ़ अपने ससुरकी रज़ामंदीसे पतिके लिये दत्तक लेसकती है और वह दत्तक जायज़ होगा। यदि ससुर न जीता हो, तो उन भाइयोंकी रज़ामंदीसे, जो गोद न लेनेकी हालतमें पतिकी जायदादके हक़दार होंगे, गोद ले सकती है और वह गोद जायज़ होगा।

उदाहरण—(१) अज और शिव दोनों भाई मुश्तरका ख़ानदानमें रहते हैं और मिताक्षरा स्कूल मानते हैं। अज अपनी स्त्रीको एक लड़का गोद लेनेका अधिकार देकर मरगया। अजके मरनेपर उसका हिस्सा $\frac{1}{2}$ जो जायदादमें था सरवाइवरशिप (दफा ५५८) के हकके

अनुसार शिवको पहुंचगया। शिवकी ज़िंदगीमें अजकी विधवाने अपने पतिके लिये एक लड़का गोद लिया। अब गोदका असर यह हुआ कि दत्तकपुत्र 'कोपार्सनरी' (दफा ३९६) के अनुसार ½ जायदादका वैसाही मालिक होगया जैसा कि उसका दत्तक पिता था; देखो—सुरेन्द्र बनाम शैलजा 18 Cal. 385.

(२) अज और शिव दोनों भाई मिताक्षरा स्कूलके पाबंद हैं और मुश्तरका खानदानमें रहते हैं। अज अपनी स्त्रीको गर्भवती छोड़कर मरा। उसके बाद शिव एक वसीयतके द्वारा अपनी स्त्रीको एक दत्तक पुत्र लेनेका अधिकार देकर मरगया। शिवके मरनेके पश्चात् दूसरे दिन अजकी विधवाके गर्भसे एक पुत्र पैदा हुआ। इसके तीन मासके बाद शिवकी विधवाने अपने पतिके लिये एक लड़का गोद लिया। माना गया, कि वह दत्तक जायज़ है। अजका औरस पुत्र और शिवका दत्तक पुत्र दोनों 'कोपार्सनर' तरीके रहेंगे और दोनों जायदादको मुश्तरका रखेंगे; देखो-बच्चू बनाम मनकूरीबाई 31 Bom 373; 34 I.A.107; 29 Bom. 51.

(३) बंबईमें एक केसका फैसला बड़ी बारीकीसे कियागया। उसमें शकल यह थी-अज और शिव मुश्तरका रहते हैं। अज मरगया और उसकी जायदादका हिस्सा उसके भाईको सरवाइवरशिप (दफा ५५८). के द्वारा पहुंचगया। पीछे शिव मरा और विधवा छोड़ी। अब शिवको कुल जायदाद बहैसियत वारिसके मिली, जिसपर कि उसका पति मरनेके वक्त हक़दार था। पश्चात् अजकी विधवाने पतिके लिये एक लड़का गोद लिया। ऐसी सूरतमें दत्तक नाजायज़ माना गया यद्यपि दत्तक पतिकी आज्ञानुसार लिया गया था। इसमें यह सिद्धांत लागू किया गया कि शिवके मरतेही जायदाद उत्तराधिकारके अनुसार उसकी विधवाको मिलगयी और मुश्तरका खानदान टूट गया—देखो चन्द्र बनाम गूजराबाई 14 Bom. 463.

दफा १४४. बटे हुए कुटुम्बमें बिना आज्ञा पतिके दत्तक लेना——बटे हुए खानदानमें जब पति मरा हो और विधवाको पतिकी जायदाद वरासतमें अलहदा मिली हो वहांपर किसी क़ायदेके क़ायम करनेके लिये बहुतही कठिनता होगी। जब पतिने गोद लेनेका अधिकार न दिया हो तो बंबई और मदरास स्कूलमें विधवा सपिण्डोंकी मंजूरीसे दत्तक लेसकती है, मगर नज़दीकी सपिण्डोंकी रज़ामंदी आवश्यक होगी, जिनका दत्तकसे हक़ मारा जाता हो। अगर दूरके सपिण्डोंकी रज़ामंदी नहीं प्राप्त की गयी हो तो हर्ज नहीं होगा; यानी सिर्फ़ इस वजहसे गोद नाजायज़ नहीं होजायगा। नज़दीकी सपिण्डोंकी सबकी रज़ामंदी होना चाहिये। सपिण्डोंकी रज़ामंदीका आधार यह माना गया है कि स्त्रियोंमें खुदमुख्तारीकी योग्यता नहीं होती। बंबईके एक मुक़द्दमेमें यही निश्चित कियागया है; देखो—विठोबा बनाम बापू 15 Bom. 110.

उदाहरण—(१) जय बटे हुए खानदानमें रहता है। एक लड़की छोड़कर मरगया। उसकी विधवा लड़का गोद लेसकती है। लड़कीका कोई हक़ नहीं है जबतक विधवा जीती रहे। अगर विधवा बिना दत्तक लिये मरजाय तो लड़कीका हक़ पैदा होगा।

(२) जय एक विधवा लक्ष्मीबाईको छोड़कर मरगया और यह अधिकार भी दे गया था कि वह दो लड़के एकके बाद दूसरा गोद लेवे। लक्ष्मीबाईने पतिके मरनेपर प्रद्युम्नको गोद लिया। गोद लेनेकी तारीखसे १२ वर्षके बाद प्रद्युम्न बिन ब्याहा मरगया। अब सब जायदादकी मालकिन बहैसियत दत्तक पुत्रकी माताके लक्ष्मीबाई फिर हुई। तब उसने दूसरा लड़का गोद लिया। माना गया कि दत्तक जायज़ है; देखो—रामसुंदर बनाम सरबनीदासी—(1874) 22 W. R. 121.

(३) अजने अपने मरनेके समय एक लड़का और अपनी विधवाको छोड़ा तथा उसने

विधवाको यह अधिकार दिया था कि अगर लड़का मरजाय तो गोद लेवे। अजके मरनेपर सब जायदाद उसके लड़केको पहुंचगयी। पीछे वह लड़का अपनी विधवा छोड़कर मरगया जिसका नाम जमुनाबाई था। लड़केके मरनेपर सब ज़ायदाद बहैसित वारिसके उसकी विधवा जमुनाबाईको पहुंची। पश्चात अजकी बिधवाने पतिके लिये एक लड़का गोद लिया। इस गोदके समय जमुना जीवित थी। माना गया कि दत्तक नाजायज़ है। क्योंकि यद्यपि अजकी विधवाको गोद लेनेका अधिकार था, परंतु जायदाद जमुनाके अधीन थी; देखो—भुवनमयी बनाम रामकिशोर आचारी 10 M. I. A. 279; पद्मकुमारी बनाम कोर्ट आफ वार्डस् 8 Cal 302; 8 I. A. 229.

नोट—इस उदाहरणमें अगर जमुना पहिले मर जाती तो सब जायदादकी वारिस बहैसियत माताके अजकी विधवा होती उस समय भी दत्तक नाजायज़ हो सकता था। मदरासमें अगर अजकी विधवा पतिके सपिण्डोंकी मंजूरीसे पतिके लिये दत्तक लेती, जहां ऐसा हो सकता है, तो वहांपर भी दत्तक नाजायज़ होता, क्योंकि दोनोंमें एकही सिद्धांत लागू होता है; 10 Mad 205; 14 I. A. 37, बंबईमें भी ऐसा दत्तक नाजायज़ माना गया है; देखो–9 Bom 94.

(४) अज मरगया और उसने एक लड़का तथा अपनी विधवा छोड़ी। लड़केको सब जायदाद पहुंचगयी। उसकी शादी हुई। पीछे वह अपनी विधवा जमुनाको छोड़कर मरगया। कुछ समयमें जमुना मरगयी। अब सब जायदाद अजकी विधवाको बहैसियत लड़केकी माके पहुंची। तब उसने पतिके लिये एक लड़का गोद लिया। माना गया कि दत्तक नाजायज़ है, क्योंकि विधवाके गोद लेनेके अधिकारका अंत होगया जब अजका पुत्र विधवा छोड़कर मरगया क्योंकि संभव था कि वह कोई दूसरी औलाद छोड़जाता—17 Bom 164; 33 Cal 1306; 33 Mad 228.

(५) अज एक लड़का और विधवा 'सुंदरी' को छोड़कर मरगया। बापकी जायदादका लड़का वारिस हुआ। पीछे लड़का एक पुत्र शिवको छोड़कर मरगया। शिव बापकी कुल जायदादका वारिस होगया। शिव बिन ब्याहा मरगया। तब सब जायदाद सुंदरीको बहैसियत दादीके पहुंची। तब सुंदरीने पतिके लिये लड़का गोद लिया माना गया कि दत्तक नाजायज़ है, क्योंकि अधिकारमें ताक़त गोद लेनेकी नहीं रही थी; देखो–रामकृष्ण बनाम श्यामराव 26 Bom. 526.

(६) अज मरगया; उसने अपनी विधवा सुंदरीको और अपने पोते (पौत्र) शिवको छोड़ा। शिव सब जायदादका बहैसियत दादाके पोतेके वारिस हुआ। शिव बिन ब्याहा मरगया मरनेके समय कोई विधवा या दत्तक नहीं छोड़ा। अब सब जायदाद सुंदरीको बहैसियत दादीके मिली। सुंदरीने एक लड़का पतिके लिये गोद लिया। माना गया कि दत्तक जायज़ है। यह ध्यान रखो कि अगर शिव विधवा छोड़कर मरजाता तो सुंदरीका गोद लेनेका अधिकार समाप्त होजाता, चाहे वह विधवा पीछे मर भी जाती।

दफा. १४५. ससुरके मर जानेपर रज़ामंदी——जब विधवाका ससुर (पतिका बाप) मरगया हो या मौजूद न हो, तो दत्तककी रज़ामंदीके संबंधमें कोई ठीक कायदा क़ायम करना कठिन है। जिस मुक़द्दमेमें ससुरकी रज़ामंदी न हो वह अपने खानदानकी हालतपर निर्भर होगा। इस बारेमें सिर्फ इतनाही कहा जासकता है कि ऐसे मुक़द्दमेमें रिश्तेदारोंकी रज़ामंदीकी ऐसी शहादत होना चाहिये जिससे अदालतको ठीक तौरसे मालूम और साबित होजाय कि विधवाने दत्तकविधान ठीक और योग्य रीतिसे किया है, तथा दत्तक धार्मिक कृत्यके पूरा कराने के लिये लियागया है; वह किसी बुरे इरादे या क्रोधसे या किसीको नुक़सान पहुंचानेकी ग़रज़से नहीं लियागया है।

अगर सपिण्डोंकी रज़ामंदियां मोल लीगयी हों और वह योग्य रीतिकी न हों तो वह गोदके जायज़ करनेके लिये काफ़ी नहीं, चाहे वह दत्तकके लिये मज़बूत शहादत भी हो। अगर विधवा दत्तकके पूर्व कोई अयोग्य अलहदगी आदि अनुचित काम, काममें लावे तो उससे लड़केके हक़में बाधा नहीं पड़ेगी। यह माना गया है कि जब पतिने गोद लेनेकी आज्ञा न दी हो तो इस शुभ कामके लिय सपिण्डोंकी मंजूरी है, मगर यह बात उस वक्त नहीं मानी जायगी जब पतिने मनाही करदी हो या मनाहीका अर्थ उसके कामोंसे निकलता हो या और अन्य बातें हों जो दत्तककी आवश्यकताको मिटा देनेवाली हों।

दफ़ा १४६. मदरासमें सपिण्डोंकी मंजूरी ज़रूरी है——यह बात अकसर मानी गयी है कि अगर प्रधान सपिण्डकी मंजूरीसे विधवा गोद ले, तो वह दत्तक जायज़ होगा। मगर इसके खिलाफ़ एक मुकद्दमेमें बहस की गयी कि सपिण्डोंकी मंजूरी ग़ैर ज़रूरी है मगर कोर्टने नहीं माना; देखो–असदाडी बनाम कुप्पामल 3 M. H. C. 283; पाराशर बनाम राम गरज 2 Mad 206 ; 23 Mad 486.

(१) त्रावंकोर केस—इसी क़िस्मका एक मुक़द्दमा कुछ फरक़के साथ त्रावंकोरमें पैदा हुआ। उसमें विधवाने बिला रज़ामंदी पतिके भाईके जो भाई शामिल शरीक रहता था, दूसरे सपिण्डोंकी रज़ामंदीसे दत्तक लिया। अदालतने कहा कि दत्तक नाजायज़ है। चीफ़ जज साहेबने फैसलेमें कहा कि हिन्दू धर्मशास्त्रके अनुसार स्त्री स्वतंत्र नहीं है; पहिले अपने बापकी निगरानी में रहकर पतिकी निगरानीमें आती है, और पतिके मरनेपर विधवा अफसर खानदानकी निगरानीमें रहती है। यह माना गया है कि ससुरके मौजूद न होनेपर बड़ा भाई अफसर खानदान होगा और क़ानूनकी दृष्टिसे तथा यों भी वही विधवाकी खबरदारी रखनेका पूरा अधिकार रखता है। इसलिये उसकी रज़ामंदी निहायत ज़रूरी इस मुक़द्दमेमें है जो नहीं लीगयी, और जो इस लायक था कि विधवाके लिये हुए दत्तक पुत्रकी शादी आदि कामोंमें मदद दे और ख़र्च करे। अगर खानदान बटा हुआ होता तो इस मुक़द्दमेकी शकल दूसरी होती, क्योंकि ज़ाहिरा फिर विधवापर निगरानी करनेका अधिकारी कोई ख़ास आदमी नहीं होसकता था और न उसको गुज़ारा देनेपर मजबूर होसकता था। इसलिये हिन्दू धर्मशास्त्रानुसार अविभक्त परिवारमें भाईकी ज़िंदगीमें वही अफ़सर खानदान है और जहांपर ऐसे ज्यादा भाई हों वहांपर बड़ा भाई अफ़सर खानदान होगा। आगे चीफ़ जजने फ़रमाया कि मुझे यह ठीक नहीं मालूम होता, कि सबसे नज़दीकी और जो वास्तवमें अफ़सर खानदान तथा विधवाका रक्षक था उसकी रज़ामंदी न लेकर एक दूरके अजनबी आदमीकी मंजूरीसे जायदादका वारिस बनाया जाय इसलिये मैं दत्तक नाजायज़ करता हूं। इस मुक़द्दमेका अपील प्रिवी कौन्सिलमें हुआ और फ़ैसला बहाल रहा; देखो–रामासामीयन बनाम भगोती अम्मल 8 Mad. Jur. 58.

(२) ब्रह्मपुर केस——ब्रह्मपुरका मुक़द्दमा बिल्कुल त्रावन्कोरके मुक़द्दमेकी तरह था। वाक़ियात यह थे–मुश्तरका खानदानमें चीना कमड़ीका रहनेवाला एक ज़िमीदार, अपने भाई और विधवाको छोड़कर मरगया, और एक बटे हुए खानदानके सपिण्डको जो पिदाकमड़ीका ज़िमीदार था छोड़ा सिवाय इसके दूसरे सपिण्ड न थे। मृतपुरुष और उसका भाई शामिल शरीक थे और वही भाई वारिस भी था। विधवाने पिदाकमड़ीके ज़िमीदारके बेटेको बिला रज़ामंदी पतिके भाईके गोद लिया और दावा किया कि उसे अपने पतिके लिये गोद लेनेका अधिकार है, और सपिण्डोंकी तरफ़से काफ़ी मंजूरी भी है। अदालतने फ़ैसला विधवाके विरुद्ध किया; रघुनाधा बनाम ब्रजाकिशोर 3 I. A. 154 ; S. C. 1 Mad 69; S. C. 25 Suth 291. अदालतके इस फ़ैसलेका अपील हाईकोर्टमें किया गया, अपीलमें फैसला मंसूख़ होगया।

अपीलमें कहागया कि एक सपिण्डकी मंजूरी गोदके लिये काफ़ी है और नज़दीकी वारिसके हक़के संबंधमें ख्याल न होना चाहिये। जब यह फैसला जुडीशल कमेटीके सामने गया तो उसने हाईकोर्टकी राय रद्द करदी; कहा कि हाईकोर्टने ग़लत राय क़ायम की है। क़रीब क़रीब वही कारण दिखाये जो त्रावन्कोरके केसमें दिखलाये गये थे; यानी ग़ैर शरीक दूरके सपिण्डकी रज़ामंदी काफ़ी नहीं होगी। अर्थात् जब ख़ानदान शामिल शरीक हो, तो रज़ामंदी उसी ख़ानदानके प्रधान मेम्बरसे ली जाना चाहिये, न कि दूरके सपिण्डकी, जो जुदा रहता है। क्योंकि हिन्दू सोसाइटीमें मुश्तरका ख़ानदानकी यह एक रसम है और वह सब बातोंमें शरीक रहता है। मज़हबी रसमोंमें और खानपान आदिमें, हिन्दू स्त्री शादी होनेके बाद उसी मुश्तरका ख़ानदानकी मेम्बर होजाती है और विधवा होनेकी हालतमें अपनी परवशिका दावा उसी ख़ानदानपर रखती है और वही ख़ानदान विधवाकी परवरिशका ज़िम्मेदार है। हर ऐसे ख़ानदानमें एक अफसर ख़ानदान ज़रूरतके अनुसार होना आवश्यक है। इस मुक़द्दमेमें विधवाने देवरकी रज़ामंदी न लेकर दूरके सपिण्डकी मंजूरीसे दत्तक लिया है इसलिये नाजायज़ है।

—अदालत मदरासमें यह स्वीकार कियागया है कि जहांपर पतिका परिवार हरएक दूसरेसे अलहदा हो तो फिर किसी एक मेम्बरकी रज़ामंदी काफ़ी होगी मगर विधवापर लाज़िम है, कि वह हरएक सपिण्डके पास अपनी बातको निवेदन करे; देखो-पराशर बनाम रंगराज 2 Mad. 202, 26 Mad. 627. आगे हाकिमने यह भी फ़रमाया कि यह तो सभी मानते हैं कि नज़दीकी सपिण्डोंकी रज़ामंदी दूरके सपिण्डोंकी रज़ामंदीसे ज़रूरी और योग्य है। इस मुक़द्दमेमें ऐसी रज़ामंदीका पता नहीं लगता और जो कुछ अदालतके सामने है वह इतनाही है कि महादेवीने यह कहकर कि उसके पास पतिकी आज्ञा है पिदाकमड़ीके ज़िमीदारसे लड़का मांगा और उसे दत्तक लिया और कोई बात ऐसी ज़ाहिर नहीं होती कि पिदाकमड़ीके ज़िमीदारने कभी यह ख्याल किया हो कि विधवाको पतिने दत्तक लेनेकी आज्ञा दी थी। विधवाको दत्तक लेनेका अधिकार ऐसी सूरतमें नहीं रहा जब कि उसके देवरकी रज़ामंदी न थी; देखो—करुणाब्धि बनाम रतनामैएर 7 I. A. 173; S. C. 2 Mad 270.

बेंकट लक्ष्मिमण बनाम नारासाया 8 Mad 545; इस मुक़द्दमेमें विधवाने झूठी बात कहकर कि उसे पतिकी आज्ञा गोद लेनेकी है सपिण्डोंकी मंजूरी प्राप्त कर ली थी जो शामिल शरीक रहते थे। जुडीशल कमेटीने दत्तक नाजायज़ कर दिया; कहा कि विधवाने चालाकीसे मंजूरी प्राप्त की थी।

(३) जब गोदकी मंजूरी अपने लाभके लिये दी गयी हो—कुछ ऐसे मुक़द्दमे भी हैं जिनमें वाजबी सपिण्डोंकी मंजूरी होनेपर भी, इस बुनियादपर नाजायज़ करदिये गये कि सपिण्डोंने मंजूरी अपने लाभके लिये दी थी, 7 I. A. 173; 2 Mad 270; 2 Mad 202; इसके विरुद्ध देखो—23 Mad 486.

(४) ससुर या उत्तराधिकारियोंकी रज़ामंदी दरकार है—जो विधवा जायदादमें अधिकार न रखती हो और जिसका पति मरनेके समय अपने कुटुम्बियोंसे जुदा न रहता हो उस विधवाको ऐसा अधिकार नहीं होगा कि पतिकी आज्ञाके बिना या ससुर या शरीक सपिण्डोंकी रज़ामंदीके बिना दत्तक लेसके; देखो—6 Bom 498; 15 Bom 110; 29 Bom 410; 31 Bom 373; 34. I. A. 107.

(५) अगर पतिने स्पष्ट रीतिसे मनाही करदी हो तो फिर विधवा किसी स्कूलके अनुसार गोद नहीं लेसकती।

दफा १४७. बंबई प्रांतमें सपिण्डोंकी मंजूरी कब ली जायगी?——बंबई

प्रांतमें बटे हुए कुटुम्बकी प्रत्येक विधवाको अपने अधिकारसे गोद लेनेकी स्वतंत्रता है। मगर विधवाको ऐसी स्वतंत्रता होनेपर भी उसे पोतेकी ज़िंदगीमें विधवा दादीको गोद लेनेका अधिकार नहीं हैं—रामजी बनाम घामव 6 Bom 498 ; केशव बनाम गोविंद 9 Bom 94.

जब जायदादकी मालिक केवल दत्तक लेनेवाली विधवा ही हो तो उसका दत्तक लेना जायज़ है क्योंकि दत्तक लेनेसे वह केवल अपनेको जायदादसे बेदख़ल करती है दूसरेको नहीं इस सिद्धांतके अनुसार जब जायदादकी वारिस विधवा बहू (लड़केकी विधवा) हो तो उस सूरतमें सासका दत्तक लेना नाजायज माना गया है। देखो—गावड़प्पा बनाम गिरिमल 19 Bom 331 ; पायअप्पा बनाम अपन्ना 23 Bom 327 ; जमुनाबाई बनाम रामचन्द्र 7 Bom 225 ; 11 Bom 383 , हालके एक मुक़द्दमेमें माना गया कि हिन्दू दादी जो अपने बिन ब्याहे पोतेकी वारिस हुई थी उसका दत्तक लेना नाजायज़ है—कृष्णाराव त्र्यंबक हसनवीस बनाम शंकराव विनायक 17 Bom 164 ; 26 Bom 526.

लल्लूभाई बनाम मानकुंवरबाई वाली नज़ीरके अनुसार बंबई हाईकोर्टके जस्टिस मि० बेचलर और चौबल जजकी उपस्थितिमें दत्तक लेनेकी अयोग्यताके इस सिद्धांतको उस साधारण विधवासे भी लागू करदिया है जो गोत्रज सपिण्डकी विधवाकी हैसियतसे, वारिस हो। इस मुक़द्दमेमें यह माना गया कि ऐसी विधवा दत्तक नहीं लेसकती ; देखो-दत्तो गोविंद कुलकर्णी बनाम पाण्डुरंग 32 Bom 499 ; 10 Bom L. R. 692.

इस फैसलेके संबंधमे मि० घारपुरेने अपने हिन्दू लॉमें आपत्ति की है। वह कहते हैं कि फ़ैसलेपर कई प्रकारकी आपत्तियां होसकती हैं। उनमेंसे सबसे साफ़ आपत्ति उन वजूहातके संबंधमें है, जिनकी बुनियादपर यह फ़ैसला कियागया। इस फ़ैसलेमें कहा गया कि 'यह बिल्कुल बेतुकी बात है कि जो अधिकार दादीको नहीं मिल सकता वह और भी दूरके रिश्तेकी औरतको दियाजाता।" लेकिन यह स्पष्ट है कि दोनों विधवाओंके पतियोंका दर्जा भिन्न भिन्न है और यह उचित नहीं है कि अन्य फ़ैसलोंका सिद्धांत जिसके उचित या अनुचित होनेके संबंधमें हिन्दू समाजको संदेह है उन मुक़द्दमों यानी गोत्रज सपिण्डकी विधवासे भी लागू कियाजाय जिसका उस सिद्धांतसे कुछ भी लगाव नहीं है और न होनेका कहीं इशारा पाया जाता है ; देखो घारपुरे हिन्दू लॉ दूसरा एडीशन चेपटर ४.

(१) विधवा माताका गोद लेना—बंबई हाईकोर्टमें यह माना गया है कि माता विधवा जो अपने ऐसे पुत्रकी वारिस हो जो पुत्र विधवा या संतान न छोड़ गया हो, दत्तक लेसकती है, चाहे उसका पुत्र मरनेसे पहिले विवाह होने या दूसरी तरहकी किसी रसमसे बालिग़ समझे जानेकी योग्यता प्राप्त कर चुका हो-विधवा माताके अधिकारमें बाधा न पड़ेगी; देखो-19 Bom 331 ; 25 Bom 306 ; 2 Bom L. R. 1101,

मगर यह भी मालूम होता है कि यदि पुत्रने अपने मरनेसे पहिले रसमके कारण बालिग़ होनेकी हैसियत प्राप्त कर ली हो, तो माताका अधिकार गोद लेनेका चला जाता है-वीराबाई बनाम बाई हीराबा 30 I. A. 234 ; 27 Bom 492 ; 33 Cal. 1306 ; और देखो 17 Cal 578 ; मानिक बनाम जगत सेठानीवाले मुक़द्दमेमें दोनों पक्ष जैन धर्मके थे। इसमें यह माना गया कि दादी जो अपने पोतेकी वारिस हो वह अपने पतिके लिये गोद लेसकती है।

(२) नज़दीकी वारिससे इजाज़त लेना-बंबई हाईकोर्टने यह माना है कि जहांपर विधवाके दत्तक लेनेसे किसी आदमीका हक़ जो विधवाके मरनेके बाद पैदा होगा चला जाता हो तो विधवा बिला रज़ामंदी उस आदमीके दत्तक नहीं लेसकती ; देखो-रूपचन्द्र बनाम रुकमाबाई 8 Bom. H. C. 114 ; गोपाल बालकृष्ण बनाम विष्णु 23 Bom 250 ; मुख्तरकामें यही माना जायगा.

दफा १४८. बंबई और मदरासमें मनाही करनेपर विधवा गोद नहीं ले सकती— बंबई और मदरास प्रांतमें जिस विधवाको पतिने गोद लेनेसे मनाही कर दी हो तो वह गोद नहीं लेसकती। अगर मनाही न की हो और आज्ञा भी न दी हो तो वह सपिण्डोंकी मंजूरीसे गोद लेसकती है—7 Bom . H.C. R. App 1.

बंबईमें यदि विधवाको पतिने दत्तक लेनेका अधिकार दिया हो मगर उसके हुक्मके अनुसार गोद न लिया गया हो तो दत्तक नाजायज़ होगा—2 Mad 270 ; 30 Mad 50 ; 34 I. A. 22.

जब पतिने अपने मरनेके समय विधवाकी हैसियतही न रखी हो तब भी वह गोद नहीं लेसकती. 24 Bom. 89.

दफा १४९. जैनियोंकी विधवाको पतिकी आज्ञा आवश्यक नहीं है—— जैनियोंमें बिना लड़केवाली विधवाको वही सब अधिकार प्राप्त हैं जो उसके पतिको थे। इसी लिये जब विधवा दत्तक लेना चाहे तो उसे पतिकी आज्ञाकी ज़रूरत नहीं है और न किसी दूसरे आदमीकी रज़ामंदी दरकार है; अर्थात् वह जब चाहे अपने पतिके लिये गोद लेसकती है। देखो-गोविंद नाथराय बनाम गुलालचन्द 5. S. D. 276 ; शिवसिंह बनाम मु० दाखो 6 N. W. P. 382 ; 5 I. A. 87 ; 1 All 688 ; लखमीचन्द बनाम गाटोबाई 8 All 319 ; मानिकचन्द बनाम जगत सेठानी 17 Cal. 518 ; हरनाम बनाम मांड़दिल 27 Cal. 379.

जैनियोंके संबंधमें अदालतकी यह राय है कि यह लोग दत्तकको वैसा नहीं मानते जैसा कि हिन्दुओंमें धार्मिक रीतियोंके पूरा करनेके लिये माना जाता है। जैनियोंमें दत्तक सिर्फ जायदादका वारिस बनानेके लिये लिया जाता है ; देखो—6 N. W. P. [illegible].

(१) जगत सेठका केस—इस मुक़द्दमेके वाक़ियात यह थे-जगतसेठ सन १८५५ ई० में मरगये और उन्होंने गोपालचन्द्र दत्तक पुत्रको तथा प्राणकुमारी अपनी विधवाको छोड़ा। गोपालचन्द्र अपना लड़का गोपीचन्द्रको छोड़कर सन १८६८ ई० मे मरगया; उसके बाद गोपीचन्द्र भी बिनब्याहा तथा बिना औलादके मरगया। गोपीचन्द्रके मरनेके बाद उसकी वारिस प्राणकुमारी हुई तब उसने अपने पतिके लिये एक लड़के जीवनमलको गोद लिया। गोपीचन्द्रके एक दूरके कुटुम्बी रिश्तेदारने प्राणकुमारीपर दावा किया। अदालतसे वादीने प्रार्थना की कि 'करार दिया जाय कि प्राणकुमारीके मरनेके बाद मैं जायदादका वारिस हूं और जो गोद प्राणकुमारीने लिया है नाजायज़ है, हाईकोर्टसे तय हुआ कि अगर जगतसेठने गोद लेनेके लिये अपनी विधवा प्राणकुमारीको अधिकार दिया होता तो गोद नाजायज़ न होता मगर इस मुक़द्दमेके पक्षाकार जैन मज़हबके हैं और उनके क़ानूनके अनुसार विधवा बिना आज्ञा पतिके गोद ले सकती है, इस लिये प्राणकुमारीका गोद लेना जायज़ है। देखो-मानिकचन्द बनाम जगतसेठानी 17 Cal 518-536 हाईकोर्टने इस मुकद्दमेमें लार्ड किंग्सडौनके मतानुसार फैसला किया। यह संदेह होता है कि यद्यपि जैन कौमकी विधवाको बिना आज्ञा पतिके गोद लेनेका अधिकार है ताहम यह क़यास करना मुशकिल है कि विधवा वह काम भी कर सकती थी, जिसके लिये उसके पतिने उसको मजाज़ नहीं किया था, तय नहीं हुआ-बाकी अन्य बातोंमें साधारण नियम लागू होंगे।

दफा १५०. पंजाबमें गोद लेनेके लिये पतिकी आज्ञा ज़रूरी नहीं है— पंजाब प्रांतमें इसी तरहपर रवाज प्रचलित है। पंजाबमें दत्तक पुत्रको धार्मिक कृत्योंके पूरा करनेकी

दृष्टिसे नहीं देखते, बल्कि उसे जायदादका उत्तराधिकारी नियत होनेका निगाहसे देखते हैं। वहांपर दत्तक लेनेका उद्देश यह है कि किसीको जायदादका हक पानेके लिये नियत करदेना। पंजाबमें विधवा, पतिकी आज्ञासे या आज्ञा न होनेपर सपिण्डोंकी रज़ामंदीसे गोद ले सकती है; मगर जब पतिने दत्तक लेनेकी मनाही करदी हो, तो वह किसी हालतमें गोद नहीं ले सकती। देखो पंजाब कस्टमरी लॉ P. 83.

पंजाबमें दत्तककी रसम कई प्रकारसे प्रचलित है। गुरगांवमें विधवा बिना मंजूरी पतिके कुटुम्बियोंके गोद नहीं ले सकती और जो गोद लेगी तो वह पतिके कुटुम्बका होगा। दूसरे जिलोंमें पतिकी आज्ञा आवश्यक मानी गयी है देखो पंजाब कस्टमरीलॉ II 154, 178, 205; III 87, 89, 90; 16 Mad 182.

भाग दूसरा.

(२) कौन दत्तक दे सकता है ?

दत्तक विषयका दूसरा भाग तीन हिस्सोंमें बटा हुआ है (क) दत्तक देनेके साधारण नियम १५१-१५५ (ख) कौन लोग दत्तक देनेका अधिकार रखते हैं ? १५६-१६५ (ग) कौन दत्तक देनेका अधिकार नहीं रखते ? १६६-१७०.

(क) दत्तक देनेके साधारण नियम ।

दफा १५१. धर्मशास्त्र और कानूनका विवेचन——(१) प्रायः सभी धर्मशास्त्रकारोंका मत है कि दत्तक दिया जानेवाला पुत्र कम उमरका हो और कम उमरके सबबसे उसे विवेक नहीं हो सकता इसलिये पुत्रको पिता अथवा पिताकी आज्ञासे माता ही दत्तक दे सकती है । इस विषयमें महर्षि मनु कहते हैं कि—

मातापिता वा दद्यातां यमद्भिः पुत्रमापदि
सदृशं प्रीति संयुक्तं सज्ञेयो दत्रिमः सुतः । मनु ९—१६८

दत्तकपुत्र उस समय माना जायगा जब माता या पिता संकल्प करके किसीको सजाति में दे देवें । और देखो वसिष्ठने कहा है कि—

शोणित शुक्रसंभवः पुरुषो माता पितृनिमित्तकः
तस्य प्रदान विक्रय त्यागेषु मातापितरौ प्रभवतः ।
न स्त्री पुत्रं दद्यात् प्रति गृन्हीयाद्वान्यात्रानुज्ञानाद्भर्तुः वसिष्ठ१५-१-२

पुत्र, रुधिर और शुक्रसे पैदा होता है और उसके पैदा होनेके कारण माता और पिता ही हैं; इसलिये उसके देनेमें, त्याग करनेमें, माता और पिताही का अधिकार है; बिना पतिकी आज्ञाके स्त्रीको पुत्रके देने और लेनेका अधिकार नहीं है । वसिष्ठके उपरोक्त वाक्यका अर्थ यह है कि पुत्रके दत्तक देनेका अधिकार पिता और माता दोनोंको प्राप्त है । मगर अन्तिम वाक्यसे स्पष्ट है कि उन दोनोंमें पिताका अधिकार प्रधान है। मतलब यह निकला कि पिता, बिना अनुमति पुत्रकी माताके अपने पुत्रको दत्तक दे सकता है, मगर माता, बिना आज्ञा पुत्रके पिताके दत्तक नहीं दे सकती । यह बात उस समय विशेष लागू होगी जब पिता जीवित हो ।

(२) कुछ धर्मशास्त्रकार इस बातपर आपत्ति करते हुए यह कहते हैं कि—जब बिना पत्नीकी अनुमति लिये पति अपने अधिकारसे पुत्रको दत्तक दे दे तो माताका अधिकार जिस क़दर पुत्रपर था बाकी रहजाता है, और उसकी क्रियाकर्म तथा श्राद्ध आदि या अन्य धर्म कृत्योंके करनेका वह पुत्र अधिकारी रहता है जैसा कि वह उस दशामें होता जब कि दत्तक न दिया गया था—नारद स्मृति देखो ।

(३) हिन्दू लॉके अनुसार पिता और माता दोनोंका अधिकार अपने पुत्रके दत्तक देनेका माना गया है ; कोई दूसरा आदमी दत्तक नहीं दे सकता ; देखो–12 B. H. C. 362–376.

लेकिन जब पुत्रके असली पिता या माताने अपने पुत्रको गोद दे दिया हो, और गोद लेनेवाले पिता या गोद लेनेवाली माताने उसे स्वीकार करलिया हो तो ऐसी सूरतमें पुत्रका बड़ा भाई अथवा दूसरे संबंधी भी उस दत्तकके कृत्य तथा दत्तकहवनको असली पिता या माताके स्थानमें होकर पूरा कर सकनेका अधिकार रखते हैं ; देखो-7 Mad 548-551 .

नरायणसामी बनाम कुप्पूसामी (1887) 11 Mad 43-47 वाले केसमें जस्टिस आर्थर गालिस् और मुत्तूसामी ऐय्यरने कहा कि ' पिता और माताके दत्तक देनेके अधिकारमें पिताका अधिकार प्रधान है, मगर विधवा माताको भी पूरा अधिकार अपने पुत्रके दत्तक देनेका है, बशर्ते कि उसका पति अपने जीवनकालमें दत्तक देनेका क़ानूनन अधिकारी रहा हो और पतिने किसी तरहकी मनाही न करदी हो; यही बात जस्टिस् मेकलीनने 30 Cal 964 में कही है।

मि० मेन अपने हिन्दू लॉके सातवें एडीशन पेज १६९ में कहते हैं कि यह बात तय हो गयी है कि बाप अपने पुत्रको विना मंज़ूरी अपनी स्त्रीके दत्तक दे सकता है । यद्यपि स्त्रीकी मंज़ूरी साधारणतः लेना चाहिये; नज़ीरें देखो—आलंक मंजरी बनाम फकीरचन्द सरकार (1834) 5 Ben. Sel. R. 356 ; 11 Bom. H. C. 199

शास्त्री जी. सी. सरकार अपने लॉ आफ् एडाप्शनके पेज २७४-२७५ में कहते हैं कि बापके दत्तक देनेके समय जब माता आपत्ति कर रही हो तोभी वह दत्तक जायज़ होगा, मगर जब कि माता दत्तक देती हो और बाप आपत्ति कर रहा हो, तो वह दत्तक अवश्य नाजायज़ होगा।

(४) मा, बाप जिसके मरगये हों ऐसे लड़केको ' यतीम ' कहते हैं। यतीम लड़केको जब उसका बड़ा भाई उसे दत्तक दे दे तो यद्यपि यह गोद अनुचित अवश्य है परंतु 'फेक्टम-वेलेट (Factum valet ; दफा ७३) के सिद्धांतानुसार अदालत उसे नाजायज़ नहीं कर देती ; देखो 7 Indian Cases 427.

(५) पुतलाबाई बनाम महादू 33 Bom. 107 में यह बात थी कि माताने अपनी दूसरी शादी कर ली, पीछे पहले पतिके पुत्रको दत्तक दिया अब यह प्रश्न उठा कि उसका दत्तक देना जायज़ है या नहीं ? जस्टिस स्काटने कहा कि पुनर्विवाहित माता अपने प्रथम पतिसे उत्पन्न पुत्रको दत्तक देनेका अधिकार रखती है। इस मामलेमें पहलेके कई मुक़द्दमोंका तथा स्मृतियोंका और क़ानूनके अर्थका विवेचन किया गया है ; और देखो इसी तरहका केस—रामकृष्ण हिन्दू लॉ पेज ११३.

(६) बाप मुसलमान हो गया था और माता मर गयी थी; ऐसी सूरतमें पुत्रके चाचाने दत्तक दिया और दत्तक हवन किया । मुसलमान बापने अपना दत्तक देनेका अधिकार अपने भाईको दिया था । जस्टिस केनडीने एक्ट नं० २१ सन १९५० का हवाला देकर कहा कि ऐसा अधिकार दिया जासकता है ; देखो-श्यामसिंह बनाम शांताबाई 25 Bom 551 , 553.

दफा १५२. सगा या संबंधी दत्तक नहीं दे सकता——बाप और माताके सिवाय और कोई आदमी दत्तक नहीं दे सकता चाहे वह कितनाही नजदीकी हो। जैसे भाई अपने भाईका दत्तक नहीं दे सकता, किसी खास सूरतमें भाईका दिया हुआ दत्तक 'फेक्टम वेलेट' (दफा ७३). के सिद्धांतसे जायज़ मान लिया गया है परंतु आम क़ायदा नहीं है। बाप और मातासे यहांपर असली बाप और मातासे मतलब है। यदि किसी लड़केकी मा पिताकी जिंदगीमें मरगयी हो और पिताने दूसरा विवाह किया हो तो वह सौतेली मा, सौतेले पुत्रको

दत्तक नहीं दे सकती। इसी तरहपर जिसके अनेक स्त्रियां हों तो जिसके गर्भसे जो पुत्र पैदा हुआ होगा उस पुत्रको उसकी माताही गोद दे सकती है। धर्मशास्त्रकारोंका मत भी यही है। और देखो—लक्ष्मप्पा बनाम कामप्पा 12 Bom. H. C. 364; सोमशेखर बनाम सुबद्रामाजी 6 Bom 524 (P. C.) 130; पापा अम्मा बनाम अप्पाराव 16 Mad 384. भाई अपने भाईको नहीं दे सकता; देखो व्यवस्था दर्पण श्यामाचरण सरकार P. 825; तारामनी बनाम देवनरायन 3 S. D. 387—516; मुट्टूसामी बनाम लछमी Mad. 1852 P. 97; See. F. Macn 223; विरायरमल बनाम नारायण पिले 1 N. C. 91; अगर दादा या अन्य रिश्तेदारने दत्तक दिया हो तो नाजायज़ है; देखो—कलक्टर आफ् सूरत बनाम धीरसिंहजी 10 Bom, H. C. 235.

दफा १५३. बाप और मा गोद देनेका अधिकार नहीं दे सकते——ऊपर यह कहा जा चुका है कि सिवाय बाप और माके दूसरा कोई भी आदमी या औरत दत्तक नहीं दे सकती। इसमें यह प्रश्न उठता है कि जब माता या पिता गोद देनेका अपना अधिकार किसी दूसरेको दे गये हों अथवा दिया हो तो वह दत्तक दे सकता है या नहीं? हिन्दू लॉ में माना गया है कि बाप और माको स्वयं यह अधिकार नहीं है कि वे अपने गोद देनेके अधिकारको किसी दूसरेको दे सकें, और उन्हें यह भी अधिकार नहीं है कि वे अपने किसी लड़केसे अपने मरनेसे पहले कह जायें कि वह अपने भाईको गोद देवे; अर्थात् माता और पिता अपना गोद देनेका अधिकार किसी दूसरेको नहीं दे सकते; देखो—वशेट्टी अप्पा बनाम शिवलिंगप्पा 10 Bom. H. C. 268.

दफा १५४. अनाथ बालक गोद नहीं दिया जासकता——इसी सिद्धांतानुसार अनाथ बालक जिसके मा और बाप दोनो मरगये हैं गोद नहीं दिया जासकता; क्योंकि न तो वह स्वयं अपने आपको गोद दे सकता है और न कोई उसके देनेका अधिकारी जीवित है। अनाथ बालक चाहे बालिग़ भी हो तो भी गोद नहीं दिया जासकता; देखो—2 M. H. C. 129; बलवंतराव बनाम बापाबाई 6 Bom. H. C. (O. C. J.) 83; 10 Bom. H. C. 268. जैनियोंमें भी यही बात मानी गयी है उनमें उमरका कोई प्रश्न नहीं है; देखो—10 Mysore. 384.

दफा १५५. बाप या माकी शर्तोंकी पाबंदी ज़रूरी है——क़ानूनकी दृष्टिसे बाप और मा पुत्रके दत्तक देनेके अधिकारी माने गये हैं। वह अगर चाहें तो किसी शर्तके साथ दत्तक दे सकते हैं। यह माना गया है कि अगर उन शर्तोंकी पाबंदी न की जाय तो दत्तक नाजायज़ होगा; जैसे किसीने एक लिखत करदी कि 'मैं अपना लड़का उस समय दत्तक दूंगा जब लेनेवाला गवर्नमेन्टकी इजाज़त प्राप्त कर ले' अगर यह बिना इजाज़त प्राप्त किये दत्तक ले लेवे तो वह दत्तक नाजायज़ होगा चाहे वह अन्य सब तरहसे ठीक हो और वह इजाज़त प्राप्त करना भी ज़रूरी न हो; देखो—रंगूबाई बनाम भागीरथीबाई 2 Bom 377.

(ख) कौन लोग दत्तक देनेका अधिकार रखते हैं ?

दफा १५६. पिता——बापको अपने पुत्रके दत्तक देनेका पूरा अधिकार प्राप्त है। वह बिना अपनी स्त्रीसे पूछे और उसकी मरज़ीके बिना भी दत्तक दे सकता है ; देखो—मेन हिन्दू लॉ सातवां एडीशन पेज १६९. बिना मंजूरी स्त्रीके गोद देनेका अधिकार बापको जो प्राप्त है वह बलीकी हैसियतसे नहीं, बल्कि मालिककी हैसियतसे प्राप्त है ; देखो—11 B. H. C. 199 ; 5 S. D. 356, 418.

ट्रिवेलियन हिन्दू फैमिली लॉ पेज १३७में कहा गया है कि हिन्दू बालिग़ बाप अपने पुत्रके गोद देनेका अधिकार अपनी नाबालिग़ पत्नीको दे सकता है। मगर जब ऐसा प्रश्न उठे कि नाबालिग़ बाप अपने नाबालिग़ पुत्रको गोद दे सकता है या नहीं ? इस विषयका हमें कोई फैसला नहीं मिला परंतु संभवतः यही माना जायगा कि दे सकता है ; नीचे देखो-दफा १६०

दफा १५७. माता——जब बाप मरगया हो और माता जीवित हो तो सिर्फ माताही अपने पुत्रको गोद दे सकती है। दादा या और कोई घरका आदमी गोद नहीं दे सकता ; देखो 10 Bom. H C. 235.

यदि बाप मरगया हो, या किसी देशमें चले जानेके सबबसे अपना देश छोड़ गया हो-जहांसे उसके लौटनेकी आशा न रही हो, या साधु संन्यासी फ़क़ीर हो गया हो, जिस पंथसे वह लौट न सकता हो, या पागल हो गया हो, या मज़हब बदल दिया हो, या मस्तिष्क इतना खराब हो गया हो कि वह कोई बात निश्चित करनेके योग्य न रह गया हो, ऐसी सूरतोंमें पतिके जीवनकालमें भी उसकी स्त्री अपने पुत्रका दत्तक दे सकती है मगर ज़रूरी शर्त यह है कि पतिने पुत्र देनेकी मनाही न की हो ; देखो—जोगेशचंन्द्र बनर्जी बनाम नृत्य कालीदेवी (1903) 30 Cal 965 ; 7 C. W. N 871 ; 2 Bom 377 ; 7 Bom.H.C.App 26 ; 11 Mad 43 ; 18 Mad 53 ; 30 All 197; 37 I.A. 93; 32 All 247 ; 14 C. W.N. 545; 12 Bom L. R. 402 ; पुत्र देनेकी मनाही न की गयी हो 2 Bom 377 ; 11 Mad 43 ; 3 B.L.R.A.C. 145; 11 W.R.C.R. 468 ; 26 I. A. 113 ; 22 Mad 398 ; 3 C. W. N. 427 ; 18 Mad 53 ; और देखो. जी, डी का लॉ आफ़ मेरेज दूसरा एडीशन पेज १६७. रामकृष्ण हिन्दू लॉ पेज ११५.

अपने पतिकी ग़ैर हाज़िरीमें मगर उसकी आज्ञासे यदि स्त्री अपने पुत्रका दत्तक दे दे तो वह दत्तक उसी तरहपर जायज़ माना जायगा जैसा कि पतिने दिया होता ; देखो—5 M.L.J. 66 ; 2 Bom. 377 ; 2 Bom. 388, 404. 405 ; 1 Mad. Dec. 154.

दफा १५८. भाई (मा या बापकी हैसियतसे)——यदि बापसे आज्ञा दत्तक देनेकी मिलगयी हो तो बड़ा भाई अपने छोटे भाईको गोद दे सकता है; देखो 7 Mad 548 ; इसमें असली बापने पुत्रके दत्तक देनेका वचन दिया था और गोद लेनेवाले बापने स्वीकार कर लिया था; यह ठहराव हो गया था कि भविष्यमें किसी समय गोदकी रसमें पूरी करके दत्तक दे दिया जायगा किंतु दत्तक देने और रसमोंके पूरा करनेसे पूर्व असली बाप और मा मर गये थे। ऐसी सूरतमें बड़े भाईने बाप और माके स्थानपर होकर दत्तक दिया तथा रसमें कीं। माना गया कि वह दत्तक दे सकता है और दत्तककी रसमें भी पूरी कर सकता है। इसमें यह नहीं माना जायगा कि बड़े भाईने दत्तक देने और रसमें करनेका काम स्वयं किया, बल्कि दत्तक पुत्रके असली बाप और माकी तरफ़से स्थानापन्नकी हैसियतसे किया।

जब बापने दत्तक देनेकी मंजूरी दे दी हो और दत्तक देनेके समय वह बीमारीके सबबसे स्वयं दत्तक संबंधी कोई काम करनेके अयोग्य हो और दत्तक दिये जानेवाले पुत्रके भाईने पिताकी आज्ञासे दत्तक हवन और सब कृत्यें की हों तो दत्तक जायज़ माना जायगा ; देखो—7 Bom. 225.

यदि कोई अनाथ बालक (जिसके मा बाप मरगये हों) अपने बड़े भाईके द्वारा गोद दे दिया गया हो तो यद्यपि ऐसा दत्तक उचित नहीं है किंतु अदालत ऐसी सूरतमें 'फेक्टम वेलेट' (दफा ७३). के सिद्धांतसे उसे जायज़ मान लेती है-7 Indian Cases 427 ; इसके विरुद्ध देखो दफा १६७.

दफा १५९. चाचा- (बाप या माकी हैसियतसे)——पतिके मर जानेके बाद माताने पुत्रके चाचासे कहा कि ' तुम गोद दे दो ' क्योंकि माता बीमारीके कारण स्वयं उस समय उपस्थित नहीं हो सकती थी, चाचाने दत्तक दे दिया और सब कृत्य किये, माना गया कि चाचाके दत्तक देनेसे जो क़ानूनी हक़ दत्तकमें पहुंचते वे चाचाके दत्तक देनेसे भी प्राप्त हो गये इससे दत्तक जायज़ है; देखो—विजयरंगम बनाम लक्ष्मण 8 B. H. C. O. C. 244-257; इस नजीरको 7 Mad 549; 22 Bom 590 ; 21 Mad 497 से मुक़ाबिला करो ।

नोट——अगर ऐसी सूरत न होती तो चाचाका दिया हुआ दत्तक नाजायज़ होता ।

दफा १६०. अज्ञान———अज्ञान (नाबालिग़) दत्तक लेनेका अधिकार दे सकता है; देखो--1 Cal. 289 ; 25 W. R. 235 ; 3 I. A. 72.

1 Cal. 289 (P.C.) में कहा गया कि--रेगूलेशन नं १० सन १७९३ की दफा ३३ और रेगूलेशन नं० २६ सन १७९३ की दफा २ के अनुसार कोईभी ज़िमींदार या तालुक़ेदार जिसकी उमर १८ वर्षसे कम हो, और जो कोर्ट आव् वार्डसके ताबे हो, बिना इजाज़त कोर्ट आव् वार्डस् के दत्तक नहीं ले सकता; और जो अज्ञान कोर्ट आव् वार्डसके ताबे न हो और उसे समझदारी आगयी हो वह दत्तक लेनेका अधिकार दे सकता है। ट्रिवेलियन हिन्दू फैमिली लॉ पेज १३७ में कहा गया है कि नाबालिग़ बाप अपने पुत्रका गोद नहीं दे सकता; क्योंकि वह वसीयत नहीं कर सकता है और वली भी मुक़र्रर नहीं कर सकता। इसका मतलब यों समझिये कि जो आदमी दत्तक देता हो उसकी उमर ऐसी होना ज़रूरी है कि उसे समझदारी आ गयी हो; यह ज़रूरी नहीं है कि वह बालिग़ ही हो, और जिस समय दत्तक दिया गया हो उस समय देनेवालेका दिमाग़ दुरुस्त हो देखो--19 Cal. 452 ; 19 I. A. 101-106.

दफा १६१. ब्रह्मसमाजी——जो हिन्दू ब्रह्मसमाज़ी होगया हो वह अपने पुत्रको दत्तक दे सकता है; देखो-7 Cal. W. N. 784 ; कुसुमकुमारी बनाम सत्यरंजन (1903) 30 Cal. 999.

दफा १६२. हिन्दू राजपूत——हिन्दू राजपूतोंसे साधारण हिन्दू लॉ लागू होता है, मगर यदि कोई ईसाई या मुसलमान होगया हो, अर्थात् अपना मज़हब बदल दिया हो, तो इससे क़ानूनी मौत नहीं होजायगी, क्योंकि बापको वली होनेका अधिकार बना रहता है। इसलिये मज़हब बदलनेपर भी बापको अपने पुत्रके दत्तक देनेका अधिकार बना रहता है-3 Bom; L. R. 89 ; 25 Bom. 551. इन नज़ीरोंमें यह भी कहा गया है कि जब बापने मज़हब बदल दिया हो तो वह अपना दत्तक देनेका अधिकार और दत्तक हवन करनेका अधिकार दूसरेको दे सकता है।

दफा १६३. पुनर्विवाहिता माता——एक मुक़द्दमेंमें माताने अपनी दूसरी शादी करनेके पश्चात् पहले पतिसे पैदा हुए पुत्रको दत्तक दिया। बंबई हाईकोर्टने माना कि माताको ऐसा अधिकार था; देखो-पुतलाबाई बनाम महादू 33 Bom. 107; 1 Indian cases. 659.

नोट——ऐसा मालूम होता है कि जिन क़ौमोंमें पुनर्विवाहकी रसम जायज़ मानी जाती है उन्हींमें यह फैसला लागू किया जासकेगा, आम क़ायदा नहीं। इसपर देखो 24 Bom. 39; 10 Bom. L. R. 1134.

दफा १६४. विधवा माता——विधवा माता अपने पुत्रको दत्तक दे सकती है चाहे ऐसा अधिकार पतिने न भी दिया हो; 7 Cal W.N. 871 ; 30 Cal 965; 11 W. R. 468 ; 3 B. L. R. A. C. 145 ; 7 Bom. H. C. App. 26.

विधवा माता अपने इकलौते पुत्रको दत्तक दे सकती है चाहे ऐसा अधिकार पतिसे उसे न भी मिला हो; 22 Mad 398 ; 26 I. A. 113 ; 3 C. W. N. 427.

मानागया है कि जब पतिने गोद देनेकी मनाही न की हो तो विधवा गोद दे सकती है; यदि मनाही करदी हो तो नहीं दे सकती। गोद देनेके लिये पतिने यदि कोई बात न कही हो तो इससे कोई हर्ज नहीं पड़ता; देखो—11 Mad. 43; 18 Mad. 53.

दफा १६५. कुष्ठी——कुष्ठ रोगी मनुष्य अपने पुत्रको दत्तक दे सकता है; देखो-W. R. 1864 P. 173.

(ग) कौन लोग दत्तक देनेका अधिकार नहीं रखते ?

दफा १६६. सौतेली माता——सौतेली माता अपने सौतेले पुत्रको हिन्दूलॉके अनुसार दत्तक नहीं दे सकती; देखो—3 M. L.J. 80; 16 Mad 384.

दफा १६७. भाई——भाई अपने भाईको दत्तक नहीं दे सकता. 3 S. D. 387-516; Mad. Dec. 1852 P. 97. और देखो दफा—१५८.

दफा १६८. दत्तक पिता या माता——जो पुरुष गोद लेता है वह दत्तक पिता, और जो स्त्री गोद लेती है वह दत्तक मा कहलाती है। दत्तक पिता और दत्तक माता अपने दत्तक पुत्रको, दत्तक नहीं दे सकते; क्योंकि दत्तक देनेका अधिकार केवल असली पिता और माता ही को है।

दफा १६९. दादा——जब कि माता जिंदा हो दादा दत्तक नहीं दे सकता; देखो—10 B. H. C. 235 ; 10 B. H. C. 265 का नोट.

दफा १७०. पत्नी——पतिकी आज्ञाके विरुद्ध या बिना मरज़ी पतिके पत्नी दत्तक नहीं दे सकती। बंबई प्रांतमें मानाजाता है कि पत्नी, पतिकी वसीयतके विरुद्ध गोद नहीं दे सकती; 2 Bom 377 ; 23 Bom 250 ; 23 Bom 789.

तीसरा भाग.

(३) दत्तक कौन दिया जासकता है और कौन लिया जासकता है ?

दत्तक विषयका तीसरा भाग तीन हिस्सोंमें बटा है। (क) साधारण नियम १७१–१९१ (ख) कौन लड़के गोद हो सकते हैं या कौन गोदलिये जासकते हैं ? १९२—२२०; (ग) कौन लड़के गोद नहीं लिये जासकते ? २२१—२३७.

(क) साधारण नियम.

दफा १७१. दत्तक कौन हो सकता है ?——जो हिन्दू हो, या हिन्दू पैदा हुआ हो और उसके पूर्वज हिन्दू हों, ऐसा लड़का गोद लिया जायेगा। दत्तकमें लड़काही लिया जासकता है लड़की नहीं इसलिये कोई भी हिन्दू लड़केको गोद ले सकता है मगर लड़कीको गोद नहीं ले सकता; देखो-गंगाबाई बनाम अनन्त 13. Bom. 690. और देखो दफा २०४

यद्यपि दत्तक मीमांसाने लड़कीको भी दत्तक लेने योग्य बताया है, मगर यह बात अब मानी नहीं जाती सिर्फ मदरास प्रांतमें नायकिन, या नाचने गानेका पेशा करनेवाली स्त्रियोंके बारेमें लड़कीका दत्तक लेना इस शर्तपर जायज़ मानागया कि जो वेश्याके कामके लिये न ली गयी हो देखो-बंकू बनाम महालिंग 11 Mad 393; 26 Bom. 491; और देखो दफा ११६; २२०.

दफा १७२. शौनक और अन्य आचार्योंकी राय——दत्तकका आईन शौनकके एक वाक्यके आधारपर बना है उसीके अर्थमें मतभेद होनेसे भिन्नभिन्न तरीके गोद लेनेके होगये, इस भेदके समझनेके लिये शौनककी वाक्य और दूसरे आचार्योंकी रायको नीचे संक्षेपसे देखियेः—

" पुत्रच्छायावः " (पुत्रस्यच्छाया सादृश्यं ताम् आवहति प्राप्नोतीति पुत्रच्छायावः , अच्) पुत्रसादृश्यं। तच्च नियोगादिना स्वयमुत्पादनयोग्यत्वम् यथा भ्रातृसपिण्डसगोत्रादि पुत्रस्य । ततश्च भ्रातृ पितृव्य मातुल दौहित्र भागिनेयादीनां निरासः पुत्रसादृश्याऽभावात् । एतदेवाभिप्रेत्योक्त मग्रे तेनैव दौहित्रो भागिनेयश्च शूद्राणां विहितः सुतः । ब्राह्मणादि त्रये नास्ति भागिनेयः सुतः क्वचित् इति । अत्रापि भागिनेयादि पदं पुत्रासदृशानां सर्वेषामुपलक्षणं विरुद्ध संबंधस्य समानत्वात्। विरुद्धसंबंधश्च नियोगादिना स्वयमुत्पादनायोग्यत्वम् । यथा विरुद्धसंबंधो विवाह गृह्यपरिशिष्टेच वर्जित; । दम्पत्योर्मिथः पितृ मातृ साम्ये विवाहो विरुद्ध सम्बन्धो यथा भार्यास्वसुर्दुहिता पितृव्य पत्नी स्वसा चेति। अस्यार्थः यत्र दम्पत्योर्वधवरयोः पितृमातृ साम्यं बध्वा बरः पितृस्थानीयो भवति वरस्य वा वधूर्मातृस्थानीया भवति

तादृशो विवाहो विरुद्धसम्बन्धः। तत्र यथाक्रममुदाहरण द्वयम् ‘ भार्यास्वसुर्दुहिता, श्यालिकापुत्री ‘पितृव्यपत्नीस्वसा, पितृव्यपत्न्या भगिनी चेति। तथा प्रकृते विरुद्ध-सम्बन्ध पुत्रोवर्जनीयः । यतो रतिभोगः सम्भवति तादृशः कार्ये इति यावत् । दत्तक मीमांसायां । सोयम् दत्तक चन्द्रिकायाम् ‘ पुत्रच्छायावः, पुत्रसादृश्यं नियोगादिना स्वयमुत्पादन योग्यत्वमिति यावत् ।

भावार्थ——प्रायः शौनकके इस वाक्यपर दत्तकका कानून बना है प्रत्येक स्कूलोंमें इसका अर्थ भिन्नभिन्न प्रकारसे किया गया है वह वाक्य है ‘ पुत्रच्छायावः ’ पुत्रकी सादृश्यताको प्राप्त होनेवाला। यानी जो लड़का गोद लिया जाता हो उसकी माताके साथ गोद लेनेवाले पुरुषका नियोग हो सकता हो, जैसे सपिण्ड सगोत्र सहोदर भाई गोद नहीं हो सकता उसका पुत्र हो सकता है। क्योंकि सहोदर भाईकी मा अपनी मा होती है इसलिये भाई गोद नहीं लिया जा सकता, सहोदर भाईका लड़का गोद लिया जासकता है क्योंकि उसकी यानी उस लड़केकी माके साथ शादी हो सकती थी अगर वह उसके भाईको न विवाही जाती, इसी सिद्धांतके अनुसार सहोदर भाई, चाचा, मामा, दोहिता (लड़कीका लड़का) भांजा वगैरा गोद नहीं लिये जासकते कारण भाईकी मा अपनी मा होती है, चाचाकी मा दादी, मामाकी मा नानी, दोहिताकी मा लड़की, और भांजाकी मा बहन होती है, इनमेंसे किसीके साथ शादी नहीं होसकती थी इसलिये उनके पुत्रोंमें पुत्रकी सादृश्यता नहीं हो सकती । आगे चलकर यह बताया गया है कि शूद्रोंमें इसका नियम नहीं है सिर्फ तीन वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) में यह नियम लागू कियागया है । इसीलिये भांजा आदि गोद लेनेका जो निषेध कियागया है वह पुत्रकी सादृश्यताको न प्राप्त होनेके सबबसे कियागया है । नियोग द्वारा भी उनकी माताओंके साथ पुत्रोत्पादन नहीं संभव हो सकता था।

इसी आधारपर गृह्य सूत्रके परिशिष्टमें विरुद्ध सम्बन्ध के कारण विवाह वर्जित किया-गयाहै । अब दूसरा सिद्धांत यों मानागयाहै कि जिस विवाहमें वर और कन्याका रिश्ता मा और बापके दर्जे में होताहो वह विवाह भी वर्जित है। इसे यों समझो जैसे अपनी स्त्रीकी बहनकी लड़की (सालीकी बेटी) और चाचाकी स्त्रीकी बहन (चाचीकी बहन) के साथ विवाह नहीं हो सकता क्योंकि संबंध अयोग्य है। देखो अपनी स्त्रीकी बहनका दरजा वही है जो दर्जा अपनी स्त्रीका है, अगर पहिले अपनी स्त्रीकी बहनके साथ विवाह होता तो हो सकताथा मगर अब दोनोका दरजा बराबर होगया इसीलये अपनी स्त्रीकी बहनकी लड़कीका दरजा अपनी लड़कीके दर्जेके बराबर है अर्थात् उसके साथ लड़कीका रिश्ता पैदा हो जाता है, तो जब उस लड़कीके साथ विवाह होगा तब वर और वधूका रिश्ता, बाप और लड़कीका मौजूद रहेगा इसी लिये ऐसा विवाह नहीं हो सकता। और जब ऐसा विवाह अनुचित रिश्तेके सबबसे अयोग्य बताया गया तो अर्थ यह निकला कि उसका लड़का गोदनहीं लिया जा सकता। दूसरी मिसाल चाचीकी बहनकी लीजिये, इसमें भी वही बात है क्योंकि चाचीका दरजा मा के बराबर है और चाचीकी बहनका दर्जा भी वही हुआ इस लिये चाचीकी बहनके साथ विवाह अयोग्य है कारण ऐसे विवाह में वर और वधूका रिश्ता मा और पुत्रका पैदा होता है इसी लिये उसके लड़केको भी दत्तक में वर्जित होना उचित होगा। ऊपरकी मिसा-लोंसे अच्छीतरह से समझ में यह आजावेगा कि इसबारे में दो बड़े सिद्धांत लागू किये गये हैं पहला-सीधे रिश्तेका तथा दूसरा-जो रिश्तासे रिश्ता पैदा होकर दर्जेकी समानताका होता है। शास्त्रकारोंने सब बातें समझाकर आखीरमें साफ कह दिया है कि जिस स्त्रीके साथ रति

योग सम्भव हो सकता है अथवा ऐसा कार्य्य शास्त्रानुसार अनुचित नहीं है उस स्त्रीसे पैदा हुआ लड़का गोद लिया जासकता है अन्यथा नहीं। यहीबात दत्तक चन्द्रिकामें भी कही गयी है कि ऐसा पुत्र गोद लिया जाय जिसमें पुत्रकी सादृश्यता होसके और उसकी मा के साथ गोद लेनेवाले पुरुषका या जिसके लिये गोद लिया जाता हो नियोग होना सम्भव होसके। और देखो मेन हिन्दूलॉ सातवां एडीशन पैरा १३५; घारपुरे हिन्दूलॉ पेज ८४; मुल्ला हिन्दूलॉ पेज ३८८ दफा ३९५; ट्रिवेलियन हिन्दूलॉ पेज १३३; रामकृष्ण हिन्दूलॉ पेज १२०; माण्डलीककी रायके फैसले देखोः—मीनाक्षी बनाम रामनाद 11 Mad 49; भगवान सिंह बनाम भगवान सिंह 26 I. A. 153; S. C. 21 All 412.

माण्डलीक कहते हैं कि, दत्तक चन्द्रिका, दत्तक मीमांसा, संस्कार कौस्तुभ, धर्म सिन्धु, और दत्तक निर्णयमें उपरोक्त सिद्धांत के अनुसार मनाहीकी गयी है यह सब ग्रन्थ शौनक की उपरोक्त वाक्य का प्रतिपादन करते हैं।

सन १९१८ में इसी क़िस्मका एक मामला बंबई हाई कोर्टके सामने पेश हुआ। मामला यहथा कि जायदाद भीम अप्पाकीथी जो सन १९०३ में अपनी विधवा डुंड़ावाको छोड़कर मर गया। सन १९०५ में विधवाने गंगप्पाको पतिके लिये गोद लिया पीछे दत्तक पुत्रने स्थावर जायदाद मालप्पाके हाथबेंचदी, विधवाने अपने पतिके बापके भाईका लड़का गोद लिया था (भाईका दरजा होता है) सन १९१३ में भीम अप्पाके भाईकी विधवाने दावा किया कि गोद नाजायज़है और जायदाद मुझे मिले। प्रारंभिक अदालतने गोद नाजायज़ माना और जायदाद विधवाको दिलायी, अपीलमें फैसला बहाल रहा दोनों अदालतोंने फैसलेमें शौनकके इस वचनका आधार माना 'पुत्रच्छा यावः' कहाकि बापके भाईका पुत्र इस लिये गोद नहीं होसकता क्योंकि यह भाईके दरजेमें है हाई कोर्टमें जब मामला पेश हुआ तो सब प्रमाणोंके माननेपर जजोंने कहा कि यद्यपि शास्त्र विरुद्ध है किंतु क़ानूनमें मना नहीं किया गया इस लिये जायज़ माना जाय देखो—मालप्पा पारप्पा हासपेटी बनाम गंगाबा गंगप्पा हासपेटी 21 Bom. L. R. 17—27 (1918). इस विषयमें और भी देखो दफा १७७.

दफा. १७३. जहां तकहो दत्तक सगोत्र सपिण्डमें लिया जाय——

शौनकने कहा है कि 'ब्राह्मणोंको जहां तकहो अपने सपिण्डमें दत्तक लेवें और अगर सपिण्डमें नहो या नमिले तो असपिण्डमें लेवें अगर उसमें भी नहो या नमिले तो वह दत्तक नहीं ले सकता ; शौनकका वचन यह है—

ब्राह्मणानां सपिण्डेषु कर्तव्यः पुत्र संग्रहः
तदभावेऽसपिण्डे वा अन्यत्र तु न कारयेत्— शौनक

यहांपर ' सपिण्ड ' शब्दके अर्थमें शाकलने दूसरी युक्ति लगाई है उनका कहना है कि तथाच सपिण्डा भावे असपिण्डः 'सगोत्रस्तदभावे भिन्न गोत्रोपि ग्राह्य' सपिण्डके अभावमें असपिण्ड और सगोत्रके अभावमें दूसरा गोत्र भी ग्रहण किया जा सकता है। इस विषयमें दत्तक चन्द्रिका तथा दत्तक मीमांसाका कहना यह हैः—

सपिण्डा पत्यक श्चैव सगोत्रज मथापिवा
अपुत्रको द्विजो यस्मात्पुत्रत्वे परि कल्पयेत्।
समान गोत्रजाभावे पालये दन्यगोत्रजम्
दौहित्रं भागिने यश्च मातु स्वसृ सुतं विना।

अन्यत्रतु न कारयेदिति, ब्राह्मणातिरिक्तः
क्षत्रियादिरसमानजातीयो दत्तको व्यावर्तते—

सपिण्ड और सगोत्रसे जो पुत्र दत्तक लिया जाता है उसे पुत्रत्व प्राप्त होता है यानी उसी पुत्रमें पुत्रका भाव रहता है इस कहनेसे यह मतलब है कि, सपिण्ड और सगोत्रके अतिरिक्त जो पुत्र गोद लिया जाय वह पुत्र चाहे नाम चलानेके वास्ते योग्य हो मगर उसमें पुत्रत्व भाव नहीं रहता, यह नियम द्विजोंमें लागू किया गया है शूद्रोंमें नहीं। जब दूसरे गोत्रसे गोद लिया जाय तो लड़कीका लड़का, बहनका लड़का, माताकी बहन का लड़का नहीं लिया जा सकता अर्थात् दोहिता, भानजा, मौसीका लड़का, गोद नहीं लिया जा सकता। ये लड़के गोद क्यों नहीं लिये जा सकते? देखो दफ़ा १७२; १७७ और दफ़ा १७२ के सिद्धांत पर विचार करो.

दफा. १७४. अपनी जातिमें दत्तक लेना जायज़ है— (१) महर्षि मनु दत्तक पुत्रकी तारीफमें कहते हैं कि—देखो मनु-

मातापिता वादद्यातां यमद्भिः पुत्रमापदि
सदृशं प्रीति संयुक्तं सज्ञेयो दत्रिमः सुतः।

पुत्रोंके संबंधमें इसका वर्णन किया जा चुका है देखो दफा ८२; ८६; ८९ यहांपर 'सदृशं' शब्दका अर्थ प्रयोजनीय है दत्तक चन्द्रिकामें इस शब्दकी व्याख्या ऐसी है:—

'सदृशं' सजातीयम्। यत्तु सदृशं न जातितः किंतुकुलानुरूपैर्गुणैस्तेन क्षत्रियादिरपि ब्राह्मणस्य पुत्रो युज्येते इति मेधातिथि व्याख्यानम्। तत्रायमभिसंधिः औरसासत्वे क्षत्रियादेरसमानजातीयतया पिण्डोदकाद्यनर्हत्वेपि नाम संकीर्तनादि प्रयोजनकतया पुत्रत्वमुत्पाद्यत एव शास्त्रीयत्वात् परन्स्वल्पोपकारतया ग्रासाच्छादनमात्रभागित्वं तदाह कात्यायनः—असवर्णास्तु ग्रासाच्छादन भागिन इति।

'सदृशं' शब्द जो मनुके श्लोकमें आया है वह सजातिका बोधक है मगर मेधातिथिका कहना है कि यह शब्द जातिका बोधक नहीं है बल्कि कुलके अनुरूपही गुणोंका बोधक है। क्षत्रियादि कहनेसे क्षत्री, वैश्य, शूद्रका अर्थ संभव हो सकता है परंतु व्याख्याकी गति द्विजोंकी लाइनमें है इसलिये यहांपर 'आदि' शब्दसे द्विजमात्रका अर्थ ग्रहण करना प्रयोजनीय है। इस जगह आक्षेप कियागया है कि असमान जातियोंका पिण्डोदक कृत्य औरसके स्वत्वमें योग्य नहीं और ऐसा लड़का जो असमान जातिका गोद लियागया हो वह सिर्फ कहने भरका लड़का होता है और उस लड़केसे गोद लेनेवालेका नाम चाहे भलेही चले मगर वह दूसरे मतलबका नहीं है ऐसे लड़केसे पिण्डोदक क्रिया नहीं होसकती इसलिये उसको जायदादमें उत्तराधिकार नहीं मिलता वह सिर्फ रोटी कपड़ा पानेका अधिकारी है यही बात कात्यायन कहते हैं शौनककी राय कात्यायनसे मिलती है देखो-

यदि स्यादन्यजातीयो गृहीतोऽपि सुतः क्वचित्
अंशभाजं नतं कुर्य्याच्छौनकस्य मतं हि तत्। कात्यायनः
सजातीयस्य पिण्डदातृत्वांश हरत्वे विहिते न तु
विजातीयस्य पुत्रत्वं, निषिद्धम्।

अगर कोई आदमी दूसरी जातिका पुत्र गोद ले ले तो वह जायदाद नहीं पाता इसका

कारण याज्ञवल्क्य बताते हैं कि सजातीय पुत्र पिण्डदानका अधिकारी होनेसे जायदाद पानेके योग्य है मगर विजातीय लड़केके गोद लेनेकी मनाही तो नहीं की गयी सिर्फ उसे उत्तराधिकार में जायदाद नहीं मिलेगी, वृद्ध याज्ञवल्क्य इसे स्पष्ट करते हैं। देखो—

सजातीयः सुतो ग्राह्यः पिण्डदाता सरिक्थभाक्
तद्भावे विजातीयो वंशमात्रकरः स्मृतः।
ग्रासाच्छादन मात्रन्तु स लभेत तदक्थिन इति

अपनी जातिके पुत्रको गोद लेना चाहिये वही पिण्ड देनेका अधिकारी है और उसे जायदाद उत्तराधिकारमें मिलेगी। अगर सजातीयमें लड़के का अभाव हो तो वंश चलानेके लिये विजातीय पुत्र लेना मगर वह पुत्र सिर्फ रोटी कपड़ेका अधिकारी है, उसे जायदाद नहीं मिलेगी। इसालिये मनुने जो 'सदृशं' शब्दका प्रयोग किया है उसका स्पष्ट अर्थ सजातीय हो सकता है क्योंकि सजातीय पुत्रही जायदादमें भाग पावेगा विजातीय नहीं आगे मनुने दत्तक पुत्रका भाग भी कायम किया है इन सब कारणोंसे 'सदृशं' शब्दका अर्थ सजातीय ही होना योग्य है। मनु इससे सहमत हैं कि विजातीय पुत्रको जायदादमें भाग नहीं मिलता, मेधातिथिका अर्थ दूसरी लाइनका है। 'सजातीय' का क्या मतलब है? इसे शौनक स्पष्ट कर देते हैं।

क्षत्रियाणां सजातौ च गुरुगोत्रसमेऽपिवा
वैश्यानां वैश्यजातेषु शूद्राणां शूद्रजातिषु
सर्वेषामेव वर्णानां जातिष्वेव न चान्यथा।

क्षत्रियोंको क्षत्री जातिमें, वैश्योंको वैश्य जातिमें, और शूद्रोंको शूद्र जातिमें गोद लेना चाहिये दूसरी जातिमें नहीं। यहांपर यह शंका नहीं करना कि ब्राह्मणोंकी बात क्यों नहीं कही गयी, उत्तर यह है कि ब्राह्मणोंके लिये विशेष वचन दफा १९३ में पहले कह चुके हैं इससे यहां आवश्यकता नहीं रही। क्षत्रियोंके संबंधमें 'गुरुगोत्रसमेऽपिवा' जो पद दियागया है इससे यह अभिप्राय है कि यदि क्षत्रियोंको अपनी जातिमें लड़का न मिले तो अपने पूर्व वंशकर्ता गुरु (आदिपुरुष) के वंशके अंतर्गत लेवें जैसे सूर्यवंशी क्षत्रियोंके अंतर्गत अनेक किसमकी क्षत्रियोंकी जातियां हैं, यदि अपनी जातिमें न मिले तो सूर्यवंशमें किसी भी जातिका लड़का गोद लिया जासकता है। यह पद कुछ विवाद ग्रस्त है इसलिये स्पष्ट करनेके लिये अन्य वचन देखो—

गुरु गोत्र समेऽपि वेति क्षत्रियाणां प्रातिस्विक गोत्राभावात्
गुरुगोत्र निर्देशः पौरोहित्यान् राजन्यविशां प्रवृणीतेति सूत्रेण
तस्य पुरोहितगोत्र भागित्वोक्तेः। दत्तकचन्द्रिका

अर्थात् जब किसी क्षत्रीके वंशका पता न लगता हो तो गुरूके गोत्र सम होनेसे पता लगाया जासकता है, दोनोंके गुरूका क्या गोत्र है उसमें एकता निर्देश करना यानी जिसका गोत्र गुरूके गोत्रसे मिलता हो 'प्रातिस्विक गोत्राभावात्' कहनेसे यह अर्थ होता है कि 'प्रतिस्वंभवः प्रतिस्व-ठक्। साधारणःतत्पर्य्यायः अन्याऽसाधारणम् आवेशिकम् इति शब्दकल्पद्रुमे' इस व्याख्यासे यह अर्थ हुआ कि जिस प्रकार ब्राह्मणोंके कुछ गोत्र ऐसे होते हैं जो और किसी वर्णके नहीं होते उन्हें असाधारण गोत्र कहते हैं और जो गोत्र सब वर्णोंमें एवं अनेक जातियोंमें पायाजाय वह साधारण गोत्र कहलाता है। क्षत्रियोंमें साधारण गोत्र होते हैं इसी-

लिये कहा गया है कि साधारण गोत्रके होनेसे गुरूके गोत्रसे जिसका गोत्र मिलता हो उसका पुत्र गोद लेना चाहिये।

(२) हिन्दूलॉमें भी यही बात मानीगयी है कि जिस जातिका गोद लेनेवाला हो उसी जातिका लड़का गोद लियाजाय, देखो कुसुम कुमारी बनाम सत्यरंजन 30 Cal. 999. ट्रिवेलियन हिन्दू लॉ पेज १३२; मुल्ला हिन्दू लॉ पेज ३८८ दफा ३९१; मेन हिन्दू लॉ पे० १७७-१७८; जी, सी, सरकारका लॉ आफ् एडाप्शन पेज १६५; ३५७.

सपिण्ड और असपिण्ड।

दफा १७६. सपिण्ड और असपिण्ड——'सपिण्डेषु' सप्तमपुरुषावधिकेषु सपिण्डेष्विति सामान्यश्रवणात् समानाऽसमान गोत्रेष्विति गम्यते। तत्र समानगोत्रतायां। सगोत्रेषु कृतायेस्युर्दत्तक्रीतादयः सुताः, विधिनागोत्रतां यांति न सपिण्डं विधीयते; इति वृद्धगौतमीयं वचनं प्रमाणं। दत्तक मीमांसायाम्। 'सपिण्डेषु' सप्तम पुरुषावधिकेषु सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तत इत्याद्युक्तेषु इत्यर्थः। सामान्यश्रवणादिति सगोत्रत्वाविशेषादित्यर्थः 'समानगोत्राः' भ्रातृपुत्रादयः 'असमानगोत्राः' दौहित्र मातृष्वस्रेयादयः। सगोत्रेष्विति। न सापिण्ड्यं न साप्त पौरुषं पिण्डलेपान्वयरूपं यावन्तः पितृवर्गाः स्युरित्यनेन तस्य पिण्डान्वयरूप त्रैपुरुषिक सापिण्ड्यस्य वक्षमात्रत्वात्। प्रमात्रमित्यस्य समानगोत्रतायामित्यनेनान्वयः। विधिनेति। वाक्य मात्रस्य सावसारणत्वात्——इतिबालसंबोधनी टीकायाम्।

'गोत्रतां' सन्ततित्वम् दत्ताद्या अपि तनया निज गोत्रेण संस्कृताः। आयान्ति पुत्रतां सम्यगन्यबीज समुद्भवा। इति कालिका पुराणात्। संतति गोत्रजनन कुलान्यभिजनान्वयाविति त्रिकाण्डी स्मरणात्। न तु गोत्रतापदेन गोत्रसंबंधो विधीयते सगोत्रेष्वेव पुत्रीकरणेन तस्य साहजिकतया विधानायोगात्।

न सापिण्ड्यं विधीयत इत्यसापिण्ड्यस्य पुत्रीकरणे सापिण्ड्यं च प्रतिग्रहीतुः पाञ्चपौरुषम् निषिध्यते असमानगोत्रस्य पुत्रीकरणे गोत्ररिक्थे जनयितुर्नभजेद्दत्रिमः सुत इतिमानवम् दत्तक्रीतादि पुत्राणां बीजवप्तुः सपिण्डता। पंचमी सप्तमी तद्वद्गोत्रं तत्पालकस्यचेति, बृहन्मानवं वचः प्रमाणम्। सोयं मुख्यः कल्पः तदसंभवेनुकल्पमाह तद्भावेऽसपिण्डेवेति। तेषां सपिण्डा नाम भावेऽसपिण्डोऽपि पुत्रीकार्यः। 'असपिण्डाः' सप्तमपुरुष बहिर्भूताः असबन्धिनश्च तेऽपि द्विविधा समानगोत्रा असमानगोत्रश्चेति। तदयं निर्गलितोर्थः, समानगोत्रः सपिण्डो मुख्यः तद्भावेऽसमानगोत्रः सपिण्डः। यद्यप्यऽसमानगोत्रः सपिण्डः समानगोत्रोऽसपिण्डश्चेत्युभावपि तुल्यकक्षौ एकैक विशेषणराहित्याद्रुभयोस्तथापि गोत्रप्रवर्तक पुरुषात् सपिण्ड प्रवर्तकपुरुषस्य

सन्निहितत्वे नाभ्यर्हितत्वम् । तेन चासमानगोत्रोऽपि सपिण्ड एव ग्राह्यो मातामह कुलीनः सर्वथा सपिण्डाऽभावेऽसपिण्डस्तत्रापि सोदकः आचतुर्दशात् समानगोत्रः प्रत्यासन्नः । तस्याऽभावे असमानोदकः सगोत्रएकविंशात् । तस्याऽप्यभावे असमानगोत्रो सपिण्डश्चेति । अत्र च पूर्वपूर्वस्य प्रत्यासत्यतिशयेन निर्देश इति। तदेवाह वसिष्ठः--अदूरवान्धवं बन्धुसन्निकृष्टमेव प्रतिगृन्हीयादिति अस्यार्थः—अदूरश्चासौ बान्धवश्चेत्यदूरबांधवः सन्निहितः सपिण्ड इत्यर्थः । सान्निध्यंच द्विधा सगोत्रतया स्वल्पपुरुषान्तरेण च भवति । तत्र सगोत्रः स्वल्पपुरुषान्तरः सपिण्डो मुख्यः तदभावे बहुपुरुषान्तरोपि सगोत्रः सपिण्डः तद्भावे असमानगोत्रः सपिण्डस्तस्याप्यभावे बन्धुसन्निकृष्टः सपिण्डः बन्धूनां सपिण्डानां सन्निकृष्टः सपिण्डः स्वस्यासपिण्डः सोदकः इत्यर्थः पर्यवस्यति । तत्रापि सन्निकर्षौ द्विविधा सगोत्रतया स्वल्पपुरुषान्तरेण च स्वस्यासपिण्डोपि स्वसमानगोत्रः स्वल्पपुरुषान्तरः सपिण्डानां सपिण्डो मुख्यतस्तदभावे बहुपुरुषान्तरोऽपि सगोत्रः सपिण्ड सपिण्डः सोदक इति यावत् ।

सपिण्ड सोदकाऽसम्भवे समानगोत्र एकविंशात् ग्राह्यः । तद्भावे समानगोत्रोऽसपिण्डोऽपि ग्राह्यः तद्भावेऽसपिण्डेवेति शौनकीयात् । सन्देहे चोपपन्ने दूरवान्धवं शूद्रमिव स्थापयेदिति वसिष्ठलिङ्गाच्च । दूरे बान्धवा यस्यासौ दूरबान्धवः गोत्रसापिण्ड्याभ्यामसन्निहित इत्यर्थः । संदेहोत्र कुलशीलादिविषयः सचासपिण्डे सगोत्रे च भवतीति सोप्यनुज्ञायते । अन्यत्र तु न कारयेदिति यद्यपि सपिण्डाऽसपिण्डेभ्योऽन्यो न सम्भवति तथापि सर्वेषामपि वर्णानां जातिष्वेव नचान्यत इति वाक्यशेषेण सपिण्डाऽसपिण्डानां सजातीयत्वेन विशेषणादसमानजातीयाः सपिण्डा असपिण्डाश्च व्यावर्तन्ते । अप्रतिसिद्धमनुमतं भवतीति न्यायेनानुकल्पतया तत्प्राप्ति सम्भवात् । इति दत्तक मीमांसायाम् ।

इन वचनोंका सारांश यह है कि सामान्य रीतिसे सपिण्डता सातवीं पीढीतक रहती है चाहे समान गोत्र हो और चाहे असमानगोत्र वृद्धगौतम कहते हैं कि, समानगोत्र अर्थात् अपने गोत्रमें विधिपूर्वक लिये हुए दत्तक और क्रीत आदि लड़के गोद लेनेवालेके गोत्रवाले हो जाते हैं मगर वह लड़के सपिण्ड नहीं हो सकते । यज्ञेश्वर भट्टाचार्यने इसे और भी साफ कर दिया है वह कहते हैं सपिण्ड सातवीं पीढीतक रहता है, सातवीं पीढीके निवृत्त होनेपर सपिण्डता चली जाती है, भाई आदिके पुत्र समानगोत्र और लड़कीका लड़का, तथा माताकी वहनके लड़के आदि असमानगोत्र कहलाते हैं क्योंकि विवाह होनेबाद कन्याका गोत्र बदल जाता है । असपिण्डसे सात पूर्वजोंके भीतरका मतलब नहीं समझना, सपिण्डके बाद सगोत्र होता है और सपिण्डकी दशामें वह सगोत्र-सपिण्ड कहलाता है । सपिण्डका दूसरा अर्थ यह भी है कि जहांतक शरीर संबंधी पिण्ड हो वह सपिण्ड है । इस तरहपर पिताके वंशमें तीन पीढीतक सपिण्ड कहाता है यानी बाप, दादा, और परदादा । परदादाके बाद तीन पीढीका शरीर संबंधी सपिण्ड निवृत्त हो जाता है बाद वह समान सगोत्र कहलाता है ।

गोत्रका अर्थ संतति (औलाद) किया गया है कालिका पुराणमें कहा है कि विधिपूर्वक

और अपने गोत्रके लड़के जब दत्तक लिये जाते हैं तब वह लड़के पुत्र बन जाते हैं यद्यपि वह दूसरे पुरुषके वीर्यसे पैदा हुए हैं। गोत्रका अर्थ संतति इसलिये कियागया है कि अमरकोशमें संतति, गोत्र, जनन, कुलानि, अभिजन, और अन्वय, गोत्रके पर्य्याय वाचक शब्द हैं। गोत्रसे, गोत्रका संबंध नहीं लियाजायगा इसलिये अपने गोत्रसे गोद लेना चाहिये, असपिण्डका लड़का गोद लेनेके बारेमें जो कहा गया है कि वह सपिण्ड नहीं होसकता। इस कहनेसे यह मतलब नहीं है कि गोद लेनेवालेकी पांचवीं या सातवीं पीढ़ीके अंदर ही गोद लियाजाय। मानव धर्मशास्त्रमें कहागया है कि असमान गोत्रके लड़केके गोद लेनेमें असली बापके गोत्रका धन दत्तक पुत्रको नहीं मिलेगा इसी बातको बृहन्मानव यों कहते हैं कि दत्तक और क्रीतपुत्र आदि लड़कोंकी सपिण्डता उनके असली बापके साथ होती है जो पांचवीं और सातवीं पीढ़ीमें समाप्त हो जाती है। दत्तक पुत्रकी सपिण्डता दत्तक लेनेवालेके साथ ऐसी होती है जैसे किसी लड़केका गोत्र न मालूम हो तो उसका गोत्र वही समझो जो उसके पालनेवालेका है। मुख्य बात यह है कि सपिण्डमें यदि गोद न मिले तो असपिण्डसे भी लड़का गोद लिया जासकता है असपिण्डसे यह मतलब है कि सात पीढ़ीके बाहर। असपिण्ड, दो प्रकारके हैं एक समान गोत्रवाले दूसरे असमान गोत्रवाले। ऊपर कही हुई वाक्योंका स्पष्ट अर्थ यह है कि समानगोत्रसपिण्ड मुख्य है अर्थात् जहांतक होसके अपने गोत्रमें और अपने सपिण्डमें लड़का गोद लिया जावे। अगर समानगोत्र सपिण्डमें लड़का न हो तो असमानगोत्र सपिण्डका लड़का गोद लियाजाय। देखो– असमानगोत्र सपिण्ड (गोत्र दूसरा हो और सपिण्ड हो) और समानगोत्र असपिण्ड (अपने गोत्रका हो और सपिण्ड न हो) इन दोनोंका दर्जा बराबर है एक एक बात दोनोंमें पायी जाती है इसलिये दोनों समान हैं परंतु इन दोनोंमें भी गोत्र चलानेवाले पूर्व पुरुषके मुकाबिलेमें सपिण्डके चलानेवाले पुरुषकी श्रेष्ठता है और वह नज़दीकी है इसलिये यह कहागया है कि असमानगोत्रके होनेपर भी सपिण्डका लड़का गोद लेना चाहिये क्योंकि वह सपिण्डके ख्यालसे नज़दीकी हैं। नानाके गोत्रमें सपिण्डके लड़केके होनेपर भी, अपने गोत्रके सपिण्डमें गोद लेना चाहिये यदि उसमें न हो तो असपिण्डमें, यदि उसमें भी न हो तो समानोदकमें गोद लेना चाहिये समानोदक चौदह पीढ़ीतक रहता है, यदि चौदह पीढ़ीतक भी कोई लड़का न हो तो असमानोदक यानी सगोत्रमें लेवे, सगोत्र इक्कीस पीढीतक रहता है यदि इक्कीस पीढीमें भी लड़का न हो तो, असमानगोत्र और असपिण्डमें लेवे। वाक्योंका तात्पर्य यह है कि पहला दूसरेकी अपेक्षा क्रमसे नज़दीकी बताया गया है, वसिष्ठने भी कहा है कि पुत्र ऐसा गोद लिया जाय जिसके बांधव दूर न हों अर्थात् सन्निहित सपिण्डका लड़का गोद लियाजाय, सन्निहित सपिण्ड दो प्रकारका है एक गोत्रसे दूसरा गोत्रमें थोड़ी पीढ़ियोंके अंतरका, इनमें सगोत्रके मुकाबिलेमें थोडी पीढियोंके अंतरका लड़का लेना मुख्य है जब ऐसा पुत्र न हो तो बहुत पीढियोंके अंतरका और सगोत्र सपिण्ड हो तो अच्छा होगा, अगर ऐसा भी लड़का न मिले तो असमानगोत्र सपिण्डका लेना। ऐसा भी न हो तो बन्धुसन्निकृष्टसपिण्ड हो अर्थात् भाइयोंके नज़दीकी सपिण्डका हो चाहे वह अपना असपिण्ड नहो, वह भी दो प्रकारका है एक सगोत्रसे दूसरा सगोत्र और थोडी पीढ़ीयोंके अंतरसे, यद्यपि वह अपना असपिण्ड है परंतु समान गोत्र होनेसे और भाइयोंके संबंधसे थोड़ी पीढ़ियोंका अंतर होनेसे योग्य कहा गया है यह लड़का सपिण्डोंका सपिण्ड हुआ क्योंकि अपने सपिण्डमें सातपीढ़ी शामिल हैं और सातपीढ़ीके आखीर पुरुष यानी सातवें पुरुषसे जब उसका सपिण्ड और सात दर्जे ऊपर चलेगा तो वह अपनेसे चौदह दर्जे और उस पुरुषसे सात दर्जेपर रहेगा इस लिये ऐसा सपिण्ड सपिण्डोंका सपिण्ड कहलाता है। अगर सपिण्डोंके सपिण्डमें भी लड़का नहीं तो अनेक पीढ़ियोंके अंतरमें और सगोत्रमें लड़का गोद लेना। सपिण्ड और समानोदकमें लड़केके

न होनेपर समानगोत्रमें इकीस पीढ़ीतक गोद लिया जाय, अगर ऐसाभी न होतो असमान गोत्र असपिण्डमें भी लेवे।

वसिष्ठके कथनानुसार जब किसी दूर बान्धवमें संदेह हो जाय और यह न मालूम हो सके कि वह किस गोत्रका है तथा उसका सपिण्डत्व कैसा है तो उसे शूद्रकी तरह माने यानी शामिल न करे इस स्थानमें 'संदेह' शब्दका यह अर्थ लिया गया है कि उसकी जाति तथा शीलादि गुणका जब पता न लगता हो। असपिण्ड और असमान गोत्रका सबसे हीन दर्जा दिया गया है।

मनुका यह मतलब है कि जब लड़का सपिण्डमें अथवा असपिण्डमें नहीं हो तो फिर नहीं लेना चाहिये। सब लोगोंको अपनी अपनी जातिमें लड़का गोद लेना चाहिये दूसरी जातिका लड़का गोद न लेवें इससे यह बात मालूम होती है चाहे सपिण्ड हो अथवा असपिण्ड परंतु दोनों सूरतोंमें दत्तक पुत्र सजातीय होवे। सजातीय न होनेपर चाहे वह कितनाही योग्य हो गोद लेनेके अयोग्य है।

ऊपरके वचनोंसे यह नतीजा निकलता है कि पहले समान गोत्र सपिण्डमें लड़का गोद लेना चाहिये जैसे सहोदर भाईका लड़का समानगोत्र सपिण्ड होता है यदि ऐसा न होतो अपने गोत्रके थोड़े पुरुषोंके अंतरका लड़का हो उसके न होनेमें अपने गोत्रका लड़का हो चाहे अधिक पुरुषोंके अंतरका हो, ऐसा भी न होनेपर गोत्रका कोई भी लड़का हो। यदि गोत्रमें भी न हो तो, असमान गोत्र सपिण्डका हो यानी नानाके गोत्रका सपिण्ड हो, यदि ऐसा सपिण्ड न हो तो अपने गोत्रज भाइयोंके नज़दीकी सपिंडका कोई लड़का हो ऐसा लड़का सपिंडोंका सपिण्ड कहलाता है यदि ऐसा न होतो भाइयोंके दूरवर्ती सगोत्रीका हो, इनसबोंके न होनेपर असमान गोत्र असपिण्डका हो यानी नानाके गोत्रमें असपिंडका हो।

नोट—सपिण्डके लिये देखो दफा ५८२-५८७ और समानोदकके लिये दफा ५८८-५८९ अदालती फैसलोंके अनुसार माना गया है कि लड़का अपनी जातिकाहो देखो दफा १७४ तथा यह भी माना गया हैं कि किसी द्विजातियोंमें यदि कोई रवाज खास तौरसे साबित नहीं की जाती हो तो अपने गोत्रहीमें लडका गोद लेना उचित है वही जायज़ होगा।

दफा १७६. सहोदर भाईका लड़का गोद लेनेमें श्रेष्ठ है——(१) धर्मशास्त्रोंमें माना गया है कि जहांतक होसके लड़का नज़दीकी कुटुम्बीका गोद लेना चाहिये जो अन्य सबबातोंसे भी योग्य हो सगे भाईका बेटा सबसे नज़दीकी होता है।

दत्तक मीमांसा—सन्निहित सगोत्र सपिण्डेषु च भ्रातृपुत्र एव पुत्री कार्यः। अभ्युपगतश्चैतद्विज्ञानेश्वराचार्यैरपि भ्रातृपुत्रस्य श्रेष्ठत्वम् तस्मात् भ्रातृ पुत्र एव पुत्री कार्यः अत्र सहोदरभ्रातृपुत्रएव पुत्री कार्यः इत्याह मनुः—'भ्रातृणामेक जातानामेकश्चेत् पुत्रवान् भवेत्। सर्वेते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरब्रवीत्। पुत्रवान् भवेत्। एक जातानामित्यनेनैकेन पित्रा एकस्यां मातरि जातानामेव ग्रहीतृत्वं न भिन्नोदराणां भिन्नपितृकाणां वेति। एक मातृ प्रभवत्वेन भ्रातृ पुत्र एव पुत्री कार्यः। यत्तु बृहस्पतिना यद्येक जाता वहबो भ्रातरस्तु सहोदरा, एकस्यापि सुते जाते सर्वे ते पुत्रिणः स्मृताः। वह्वीनामेक पत्नीनामेष एव विधिः स्मृतः, एकाचेत्पुत्रिणी तासां सर्वासां पिण्डदस्तु सा।

भावार्थ—दत्तक मीमांसामें कहा है कि—नज़दीकी सगोत्रसपिण्डका लड़का गोद लेना

ऐसा लड़का सगे भाईका होता है। यही बात विज्ञानेश्वरने कही है कि भाईका पुत्र ही गोद लेनेके योग्य है भाईसे मतलब सहोदर भाईसे है। मनुजीने कहा है कि एक मातासे पैदा हुए भाइयोंमेंसे एकके पुत्र होनेपर सब पुत्रवान् कहे जाते हैं यहां 'भाई' शब्दसे एक माताके गर्भसे जन्मे भाइयोंसे मतलब है इस लिये सबसे नज़दीकी वही है। बृहस्पति कहते हैं कि जब एक मा बापसे पैदा हुए अनेक भाई हों और उनमेंसे एकके लड़काहो तो बाकीके सब भाई पुत्रवान् कहलायेंगे इसी तरह पर जब किसीके अनेक स्त्रियांहों और उनमेंसे एकके पुत्र हो तो बाक़ी सब स्त्रियां पुत्रवती कही जायेंगी क्योंकि सबका पिंडदान जल दानका करनेवाला वही पुत्र होता है। सहोदर भाईके पुत्रके न होनेपर दूसरा लड़का गोद लेना उचित होगा।

(२) आजकल हिन्दूलॉमें यह बात मानी जाती है कि क़रीबी रिश्तेदार की मौजूदगीमें अगर दूरका लड़का गोद लिया जाय जो और सब बातोंसे योग्यहो तो आयज़ माना जायगा देखो 1 W. Men 68; 2 Stra. H. L. 68—102; 3 Cal. 587; गोकुलानन्द बनाम उमादायी 15 B. L. R. 405; 23 W. R. C. R. 340; 2 C. L. R. 51; 5 I. A. 40; 6 Bom. H. C. (A. C. J.) 70; दारमादाऊ बनाम रामकृष्ण 10 Bom. 80; ट्रैवेलियन हिन्दूलॉ पेज १३३ इस किताबकी दफा देखो १९४.

दफा. १७७. दोहिता, भानजा आदिके गोद लेनेमें विवाद---(१) मि० मांडलीकने माना है कि द्विजोंमें दोहिता, भानजा आदि गोद नहीं लिये जा सकते मगर शूद्रोंमें लिये जा सकते हैं लड़कीका लड़का, बहनका लड़का आदि भी गोद लिये जा सकते हैं हां कहीं पर बहनका लड़का गोद नहीं लिया जाता। जिन वचनोंमें यह कहा गया है कि शूद्र, दोहिता, भानजा आदिको गोद लेसकता है उन वचनोंकी टीका करते हुए मांडलीक कहते हैं कि उनका यह अर्थ नहीं हैं कि शूद्रोंको, बहनका बेटा और बेटीका बेटा गोद लेना चाहिये और न इस क़िस्मके दत्तकके लिये द्विजोंको मनाही है। क्योंकि वाक्यमें 'क्वचित्' पद है।

दौहित्रो भागिनेयश्च शूद्राणां विहितः सुतः
ब्राह्मणादि त्रये नास्ति भागिने यः सुतः 'क्वचित्'।

विस्तारसे देखो दफा १७२। इस विषयमें दत्तक निर्णय आदि ग्रन्थोंमें कहा है कि रवाजके वज़नके सामने यह राय असर नहीं रखती। रवाजके लिये देखो दफा ३०-३६.

(२) सदर लेन्ड और मेक् नाटनकी राय—नियोग वाले सिद्धांतको, सदर लैन्ड और मेकनाटन तथा स्ट्रेन्ज साइबने स्वीकार किया है देखोः—Suth. Syn 664; F. Macn 150; 1 W. Macn 67; 1 Stra. H. L. 83—84; कहते हैं कि द्विजन्मा कौमोंमें हिन्दुस्थान भरमें यह क़ायदा दृढ़तासे माना जाता है कि बेटीका बेटा, तथा चाचीका बेटा गोद नहीं लिया जासकता क्योंकि उन लड़कोंकी माताओंके साथ नियोग नहीं हो सकताथा देखो—बाई गंगा बनाम बाई शिवकुंवर Bom. Sel. Rep 73; नरासायल बनाम बाला रामा चरलू 1 M. H. C. 420; जिवानी बनाम जीवू 2 M. H. C. 462; गोपाल पैयन बनाम रघुपति पैयन 7 Mad. H. C. 250; रामलिंग बनाम सदाशिव 9. M. I. A. 506; S. C. 1 Suth (P. C.) 25; इस प्रिवी कौंसिलके फैसलेमें 'वैश्य' ग़लत लिखा है सब पढो तो मालूम होगा कि वह शूद्र है; 2 Mad. H. C. 467; कोराशुंको बनाम बीबी मुन्नी 2 Mad. Dig 32; 3 Bom. 273; भागीरथी बनाम राधाबाई 3 Bom. 298; पार्वती बनाम सुंदर 8 All. 1; 16 I. A. 186; 12 All 51.

(३) इलाहाबाद हाईकोर्ट और प्रिवीकौंसिलकी राय—इलाहाबाद हाईकोर्टने हालके एक मुक़द्दमेमें यह माना कि जहांपर बनारस स्कूल माना जाता है वहां दत्तक मीमांसा नहीं मानना चाहिये यानी जो सूबे बनारस स्कूलके तावे हैं वहां पर दत्तक मीमांसाका असर नहीं होगा वह सिद्धांत जिन्हे दत्तक मीमांसाने क़ायम करके दत्तककी अयोग्यताका विचार किया है लागू नहीं होंगे । यद्यपि इलाहाबाद हाईकोर्टका फैसला इजलास कामिलसे हुआथा मगर प्रिवीकौन्सिलमें इसके ख़िलाफ एक मुक़द्दमेंका फैसला हो गया जिसमें कहा गया कि, जहां-पर समस्त धर्म शास्त्र एक मत होकर किसी विषयका एक ही निर्णय करते हों और उसके विरुद्ध कोई रवाज सावित न कीगयी हो तो उसको माननाही उचित है इस दलील परसे सहोदर भाई, चाचा, तथा मामा आदिका दत्तक लेना नाजायज़ है इन सबोंमें ऊपर कहा हुआ सिद्धांत लागू पड़ता है फैसले देखो—भगवान सिंह बनाम भगवान सिंह 17 All. 294 ; 26 I. A. 153 ; रंजीत सिंह बनाम अभयसिंह 2 S. D. 245-315 ; Mad Dec of 1852 P. 96 ; 3 Mad 15 ; मीनाक्षी बनाम रामनाद 11 Bom 49 ; मगर मदरासमें चाचाके वेटेकी दत्तक रवाजके अनुसार मंजूर की गयी है 14 Mad. 459.

शूद्रोंमें दोहिता और भानजा गोद लिया जा सकता है, मयूख भी इससे सहमत है ; पंजाबके जाटोंमें चाचाका बेटा गोद लिया जा सकता है देखो—1 Mad. 62 ; पंजाब कस्टम-रीलॉ P. 79-83; जैनियोंमें भी ऐसी दत्तकें जायज मानी गयी हैं देखो सिवसिंह बनाम मु० दाखो फैसला सदर अदालत 6. N. W. P 382; 5 I. A. 87; S. C. 1 All. 688; हसनअली बनाम नागमल 1 All 288 ; लक्ष्मीचन्द बनाम दत्तोवाई 8 All 319 ; देखो दफा १९७—१९९—२०७.

दफा १७८. साला, सालेका बेटा आदि——साला, सालेका बेटा भी गोद लिया जा सकता है देखो—Mad Dec of 1856 P 213; Mad. Dec. of 1857 P. 94; 22 Bom. 973; 3 mad 15 और देखो एय्यर हिन्दू लॉ की दफा २२९ इसी तरहपर सालीका बेटा भी गोद लिया जा सकता है तथा माकी बहनकी लड़कीका लड़का, भी दत्तक हो सकता है ; 7 Mad 548; और देखो दफा २०९; २१०

दफा १७९ दत्तक पुत्रकी शारीरिक अयोग्यता——जब कोई ऐसा लड़का गोद लिया जाय जो अन्य सब बातोंमें योग्य होनेपर भी अपने शरीरमें कोई ऐसी अयोग्यता रखताहो जिसके सबबसे वह गोद लेनेवाले पुरुषके संबंधमें या जिसके लिये वह गोद लिया गया हो उसकी धार्मिक कृत्योंके करनेका अधिकारी न हो तो उस पुत्रको गोद लेनेवाले की जायदादमें कोई हक़ नहीं मिलता देखो Suth. Syn 665; और देखो दफा २३७.

दफा १८०. कितनी उमरका लड़का गोद लेना चाहिये——गोद लेनेके समय दत्तक पुत्रकी उमर कितनी होना चाहिये यह बात निश्चित करना कठिन है । धर्मशास्त्रकारोंका मत इस विषयमें एक नहीं है, मगर इस बातमें सब सहमत हैं कि छोटा लड़का गोद लेना चाहिये, कितनी उमरका लड़का छोटा कहलाता है इसमें मतभेद है । संक्षेपसे धर्मशास्त्रकारोंका मत नीचे देखोः—

(१) धर्मशास्त्रकारोंका मत——दत्तक मीमांसायाम् । ननु पञ्चमवर्षाभ्यन्तरीय एव पुत्रोग्राह्यः इति विधान मुखं प्रोज्झय पञ्चमवर्षानन्तरं पुत्रो न ग्राह्यः इति । कालिका पुराणे-दत्ताद्या अपि तनया निजगोत्रेण संस्कृताः । आयांति पुत्रतां सम्य

अन्यबीजसमुद्भवाः । पितुर्गोत्रेण यः पुत्रः संस्कृतः पृथ्वीपते । आचूडान्तं न पुत्रः सः पुत्रतां याति चान्यत इति । चूडाद्या यदि संस्कारा निजगोत्रेण वैकृताः । दत्ताद्यास्तनयास्तेस्युरन्यथा दास उच्यते । ऊर्ध्वन्तु पञ्चमाद्वर्षात् न दत्ताद्याः सुता नृप । गृहीत्वा पञ्चवर्षीयं पुत्रेष्टिं प्रथमं चरेत् ।

अकृत जातकर्माद्यसम्भवे कथमित्यत आह । चूडाद्या यदीति यदि चूडाद्याः संस्कारा निजगोत्रेण प्रतिग्रहीतृ गोत्रेण कृता वै शब्दोऽवधारणे तदैव दत्ताद्यास्तनयाः स्युरन्यथा ते दासाः उच्यंते इति । चूडाद्या येषां ते तथेति ननुचूडाद्या आद्या इति पूर्वोक्त पौनरुक्त्यापातात् । अनेन जातकर्माद्यन्नप्राशनान्तानां जनकगोत्रेणानुष्ठानेऽपि न विरोधः । तथाच अकृत जातकर्मादिर्मुख्यः अकृत चूडोनुकल्प इति सिध्यति । दत्ताद्या इत्यादि पदेन कृत्रिमादि ग्रहणमित्युक्तमेव तेषामपि संस्कारैरेव पुत्रत्वं न परिग्रहमात्रेण अन्यथा दास उच्यते इति विपक्ष बाधकात् । अन्यथा चूडाद्यकरणे कृत चूडादि परिग्रहे वा दासता भवति ननु पुत्रत्वमित्यर्थः । अस्य पुत्रत्वस्य पूर्वत्वादिवत् संस्कार जन्यत्वात् । असंस्कृतः पुत्री कार्य इति स्थितम् । असंस्कृतोऽपि पञ्चमादूर्ध्वं न ग्राह्यः कालाभावेन पुत्रत्वानुपपत्तेः । अनेन पञ्चमवर्षावधि पुत्रपरिग्रह कालः इत्युक्तं भवति तदव्यतिरेकेणाभिधानन्तु पञ्चमानन्तरं गौणोऽपिकालो नास्तीति । प्रतिपादनाय अन्यथा स्वकालादुत्तरः कालो गौणः सर्वः प्रकीर्तित इति । न्यायेन पञ्चमानन्तरस्य गौणकालत्वापत्तिः । ततश्च जननमारभ्या तृतीयवर्षं तत्रापि तृतीयवर्षस्य मुख्यकालतया ऊर्ध्वन्तु पञ्चमाद्वर्षादित्युपसंहारे वर्षश्रवणाच्च अत्रापि चूडाशब्दस्य तृतीयवर्षे परतै वाभिप्रेतेति गम्यते । अन्यथा उपनीति सहभावपक्षे अष्टमवर्षमकृत चूडस्य परिग्रहापत्तिः । नचेष्टापत्तिः ऊर्ध्वन्तु पञ्चमाद्वर्षादित्यनेन विरोधात् । तस्मादाचूडान्तमित्यत्र चूडाशब्द तृतीयवर्षे पर एव प्रयुक्तः तृतीयानन्तर मा पञ्चमे गौणः ऊर्ध्वन्तु गौणोऽपिनेति स्थितम् । तदाह यज्ञेश्वर भट्टेन—तथाचाकृत चूडस्य तृतीय वर्षे गृहणमतिप्रशस्तम् चतुर्थे पञ्चमे चाप्रशस्तमित्यर्थः ।

भावार्थ—दत्तक मीमांसाका मत है कि पांच वर्षके उमरके भीतर गोद लिया जाय पश्चात् न लिया जाय दोनों बातोंसे एकही अर्थ निकलता है कि पांच वर्षकी उमर तक लड़का गोद लिया जाय । कालिकापुराणमें कहा है कि दत्तक आदि लड़के जिनका संस्कार गोद लेनेवाले पुरुषके घरमें किया गया हो वह पुत्र दूसरेके वीर्यसे पैदा होनेपर भी पुत्रताको प्राप्त हो जाता है इसके विरुद्ध जिन लड़कोंका संस्कार असली बापके गोत्र (घर) में किया गया हो और चूड़ा कर्म (मुण्डन) भी वहींपर हुआ तो फिर वह लड़का दूसरेका पुत्र नहीं बन सकता । जिनपुत्रोंका चूड़ा आदि संस्कार गोद लेनेवालेके घर कियागया हो वह दत्तक आदि लड़के होते हैं और अगर चूड़ा आदि संस्कार गोद लेनेवाले पुरुषके घर न हुए हों तो वे लड़के दास कहलाते हैं यानी उनमें पुत्रत्व भाव नहीं आता । पांच वर्षकी उमरके बाद लड़का गोद लेनेके

योग्य नहीं रहता इसलिये पांच वर्षकी उमर तकका लड़का पुत्रेष्ठी संस्कार करके गोद लेना चाहिये।

जिस लड़केका चूड़ा आदि संस्कार गोद लेनेवाले पुरुषके घरमें कियागया हो ऐसा लड़का दत्तकपुत्र होता है। और अगर ऐसा न हो तो वह दास कहलाता है। 'चूड़ा—आदि' के कहनेसे यहांपर यह मतलब है कि मुण्डन संस्कारसे लेकर आगेके संस्कार गोद लेनेवाले पुरुषके घरमें किये गये हों मगर यह मतलब नहीं लिया जायगा कि चूड़ा संस्कारके पहलेवाले संस्कार भी उसीके घर होना चाहिये। ऐसा अर्थ करनेसे दुवारा कहनेका दोष आवेगा इस-लिये पहलेका अर्थ मानना चाहिये। अगर जातकर्म, अन्नप्राशन आदि संस्कार असली बापके घरमें लड़केके हो जायें तो कुछ हर्ज नहीं है, और अगर कोई ऐसा लड़का गोद लिया गया हो कि जिसका जातकर्म, अन्नप्राशन आदि संस्कार गोद लेनेवालेके घरमें ही किये गये हों तो वहुत ही श्रेष्ठ है इस कहनेसे यही नतीजा है कि चूड़ा संस्कारके पूर्व गोद लेना चाहिये। 'दत्तक आदि' पद जो ऊपर कहागया है उससे दत्तक और कृत्रिम पुत्र आदि समझना चाहिये क्योंकि उनके भी संस्कार करनेसे पुत्रत्व प्राप्त होजाता है विना संस्कार किये पुत्रत्व भाव किसी लड़केमें नहीं होता यानी सिर्फ लड़का गोद लेनेसे पुत्रत्वभाव नहीं होजाता वल्कि ऐसा लड़का दास कहलाता है। चूड़ा आदि संस्कार अगर असली बापके घरमें लड़केका हो चुका हो और ऐसा लड़का गोद लियाजाय तो उसमें पुत्रत्वभाव नहीं आता वल्कि उसे दास रहते हैं इसपर उदाहरण यह दियागया है कि जैसे कोई लकड़ी विना मिस्त्रीके ठीक किये खंभाके योग्य नहीं वन सकती उसी तरहपर विंना संस्कारके पुत्रत्वभाव नहीं आता।

अगर यह कहाजाय कि जिस लड़केका चूड़ा आदि संस्कार असली बापके घरमें अधिक उमरतक नहीं हुआ हो तो क्या वह पुत्र गोद लेनेके योग्य है? इसका उत्तर यह है कि जिस लड़केका ऐसा संस्कार न भी कियागया हो तो वह पांच वर्षकी उमरसे ज़्यादाका गोद लेने योग्य नहीं है, अब यह स्पष्ट हुआ कि दत्तक पुत्रकी उमर दत्तक लेनेके समय पांच वर्षसे ज़्यादा न होना चाहिये। पांच वर्षकी उमरके वादका समय 'गौण' कहलाता है और गौण कालमें दत्तक लेनेको मना कियागया है, गौण काल वह है कि जो निश्चित और योग्य कालके वाद हो. यहां-पर पांच वर्षतक लड़का गोद लेना चाहिये यह मानागया मतलब यह हुआ कि लड़केके जन्मसे तीन वर्षतक उचित काल दत्तक लेनेका है और तीन वर्षकी उमरके पश्चात् पांच वर्षतक अर्थात् दो वर्ष गौण काल है। नतीजा यह है कि तीन वर्षकी उमरके अंदर तो अत्युत्तम समय गोद लेनेका हुआ और आगे दो साल निकृष्ट। कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि चूड़ा संस्कार उप-नयनके साथही कर लेते हैं और उपनयन आठवें वर्षमें होता है, इसका विरोध कियागया है। चूड़ा संस्कार तीसरे वर्ष होना योग्य है और तीन वर्षके बाद पांच वर्षका समय गौण है। यदि गौण समय भी निकल गया हो तो गोद नहीं लेना चाहिये क्योंकि उसमें पुत्रत्वभाव नहीं आता। इसी वातकी पुष्टि यज्ञेश्वरने भी की है कि तीसरे वर्ष चूड़ा संस्कार श्रेष्ठ है मगर चौथे या पांचवें साल श्रेष्ठ नहीं है। ऊपरके सव वचनोंसे जो नतीजा निकलता है वह यह है कि दत्तक पुत्रकी उमर गोद लेनेके समय पांच वर्षसे अधिक न होना चाहिये, और लड़केका चूड़ा संस्कार न हुआ हो। चूडा संस्कार और उमरके वीच उमरका ज़्यादा ख्याल रखना उचित है।

नीलकण्ठ और मिताक्षरा तथा पं० जगन्नाथ भट्टका मत—नीलकण्ठ और मिताक्षरा भी यही कहते हैं कि जिस लड़केकी उमर पांच वर्षसे ज़्यादा हो गयी हो और उसका मुण्डन असली बापके घर होगया हो वह पुत्र दत्तक लेनेके योग्य नहीं रहता बिल्कुल यहीबात पं० जगन्नाथ भट्टने मानी है।

जस्टिस महमूद की राय—गंगा सहाय बनाम लेखराज 9 All. I. L. 310 में जस्टिस महमूदने कहा कि जिस लड़केकी पांचवें वर्षकी सालगिरह असली बापके घरमें न हुई हो वह गोद लेनेके लिये मुनासिब होगा। देखो-दफा २१६; २१८; २१९; २२९.

दफा १८१. दत्तक चन्द्रिकामें पांच वर्षकी क़ैद नहीं मानी गयी——दत्तक चन्द्रिकाने दत्तक पुत्र की उमरके वारेमें यह माना है कि अगर पांच वर्षसे अधिक उमरका पुत्र होतो भी गोद लिया जासकता है। कहा है कि—

यदि स्यात् कृत संस्कारो यदि वातीत शैशवः। ग्रहणे पञ्चमाद्वर्षात् पुत्रेष्टिं प्रथमं चरेत्। जनक गोत्रेण कृत चूडान्त संस्कारस्य पुत्रत्वं निषिद्ध्य प्रतिग्रहीत्रा पुनश्चूड़ा कर्मादि करणे तत् प्रतिप्रसूतम्। ततश्च कृत संस्कारस्यातीत पञ्चवर्षस्य च ग्रहीत्रा चूड़ादि करणात् पूर्वं दासत्वाक्षेपात् चूडादि करणानन्तरं पुत्रत्वं लब्धम्। एवञ्च चूड़ाद्या इत्य तद्गुणसम्बिज्ञान बहुब्रीहिण द्विजातीनामुपनयन लाभः शूद्रस्य तु विवाहादि लाभः। दत्तक चन्द्रिकायाम्।

अगर असली बापके घरमें लड़केका संस्कार होगया हो और वाल्यावस्था भी निकल गई हो तो पुत्रेष्ठि संस्कार करनेके बाद वह लड़का गोद लिया जा सकता है। गोद लेनेवाला दुबारा मुण्डन आदि संस्कार अपने घरमें करलेवे, संस्कार होनेके बाद पांच वर्षके वालकको गोद लेनेकी वात जो कही गयी है वह सिर्फ आक्षेप है मुण्डन होनेपर भी पुत्रत्व रहता है यहांपर 'वहुब्रीह समास' से उसके गुण सम्बधी ज्ञान से मतलब है। द्विजातियोंको उपनयन (यज्ञोपवीत) से और शूद्रोंको विवाहसे पूर्व गोद लेना संभव हो सकता है।

दत्तक चन्द्रिकाका यह मत है कि अगर कोई दूसरा लड़का योग्य न मिले तो उस लड़केको भी दत्तक लिया जासकता है जिसका मुण्डन असली वापके घर हो चुका हो। मगर यह शर्त लगाई गयी है कि जब ऐसा लड़का गोद लिया जायतो गोद लेनेके पहले पुत्रेष्टी कर्म करना आवश्यक है मगर उपनयन संस्कारके पूर्व द्विजातियोंमें और विवाह संस्कारके पूर्व शूद्रोंमें गोद लेना चाहिये उमरकी कोई क़ैद नहीं है। इसी मतका पालन प्रायः सबी कोर्टोंने किया है सिर्फ बंवईमें व्याहा हुआ पुत्र गोद लिया जासकता है।

दफा १८२. बंगाल स्कूलमें उमरकी क़ैद——बंगालमें पहिले एक मुक़द्दमेंमें पण्डितोंकी रायसे यह माना गया कि पांचवर्षकी उमरकी क़ैद परमावश्यक नहीं है मगर मुण्डन संस्कार यदि असली बापके घर हो चुकाहो तो दत्तक जायज़ नहीं होगा देखो; कीर्तिनारायण बनाम भुवनेश्वरी 1 S. D. 161 (213) इसके बाद सन १८३८ ई० में उमरके वारेमें पुनः प्रश्न उठा उसमें यह माना गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंमें उमरकी हद उपनयन संस्कारतक और शूद्रोंमें विवाह संस्कारतक है अर्थात् द्विजोंमें यज्ञोपवीतके और शूद्रोंमें विवाहके पूर्व गोद लिया जासकता है देखो; वल्लभकांत बनाम किशुनप्रिया 6 S. D. 219 (270) जो राय इस मुक़द्दमेमें मानी गयी थी वहीबहुतसे मुक़द्दमोंमें बहाल रखी गयी. बल्कि अब यही निश्चित समझा जाता है देखो-नित्रादायी बनाम भोलानाथ S. D. of 1858; रामकिशोर बनाम भुवन S. D. of 1859, P. 229, 236; S. D. of 1860, 485, 490; 10 M. I. A. 279; S. C. 3 Suth (P. C.) 15.

दफा १८३. बनारसस्कूलमें उमरकी क़ैद——बनारसस्कूलके अनुसार इलाहा-

बाद हाईकोर्टमें फैसले हो चुके हैं पहला फैसला सन १८६८ ई० में हुआ जिसमें तय हुआ कि दत्तक मीमांसाके अनुसार ६ सालतक दत्तक जायज़ थी देखो; ठाकुर उमरावसिंह बनाम महताब कुंवर N. W. P. H. C. Rep 1868--103 A.; 9 All 812.

इसके पश्चात् फिर नीचेके मुकद्दमेमें यही प्रश्न उठा कि जो दत्तक पांच वर्षकी उमरसे अधिकका लिया गया हो महज़ उमरकी बुनियादपर खारिज करदिया जाय इलाहाबाद हाईकोर्टने उन प्रमाणोंका वैसा अर्थ माननेसे इनकार करदिया जैसा कि दत्तकमीमांसा और कालिकापुराण आदि ग्रन्थोंसे ज़ाहिर होता था, अदालतने दत्तकमीमांसाके वचनोंका (दफा १८०). यह अर्थ लगाया कि जब पुजारी बनानेके लिये दत्तक लिया गया हो तो पांचवर्षकी शर्त लगाई जासकती है। दत्तकमीमांसाका असर इस स्कूलमें दत्तकचन्द्रिकासे पीछे है इसलिये जिन कौमोंमें उपनयन संस्कार होता है (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) उनमें जनेऊसे पहले और शूद्रोंमें विवाहसे पहले गोदलेना जायज़ है देखो: रूपचन्द बनाम जम्बूप्रसाद (1910) 37 I. A 93; 32 All 247; 14 C W. N. 545; 12 Bom L. R 402; ट्रेंजहिन्दू लॉ P. 91 बंगालस्कूल और बनारसस्कूलकी एकही राय है।

दफा १८४. बंबईस्कूल और गुजरातमें उमरकी क़ैद----दक्षिणी और गुजरातके पण्डितोंने सदर अदालतको रिपोर्ट किया कि जहांपर यह क़ायदा माना जाता है कि, पांचवर्षसे अधिकका लड़का गोद न लियाजाय, यह बात उस समय मानी जाती है कि जब गोद लेनेवाले और उस लड़केके बीचमें कोई रिश्तदारी न हो लेकिन जब किसी रिश्तेदारका लड़का गोद लियाजाय तो पांच वर्षकी उमर ज़रूरी नहीं है बल्कि अगर लड़केकी शादी भी हो गयी हो और औलाद पैदा हो गयी हो तो भी गोद लिया जासकता है यदि उसमें अन्य सब बातें जो दत्तकपुत्रके लिये आवश्यक हैं मौजूद हों और उसे दत्तक लेनेवाला चाहता हो देखो-व्रजभूषण बनाम गोकुला सावोजी 1 Bor 185 (217).

पूनाके दक्षिणी शास्त्रियोंका मत है कि ५ वर्षसे ५० वर्षका लड़का भी गोद लिया जासकता है वे उमरकी कोई हद नहीं मानते, आजकल आदमी ५० वर्षमें बूढ़ा हो जाता है यानी मरनेके समयतक गोद लिया जासकता है चाहे उसके पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र मौजूद हों। वे यह शर्त लागू करते हैं कि गोद लेनेवालेसे, गोद लिया जानेवाला लड़का उमरमें ज्यादा न हो देखो-गोपालबालकृष्ण बनाम विष्णु रघुनाथ 23 Bom 250-256

मि० मेन, कहते हैं कि बंबई हाईकोर्टने जिन मुकद्दमोंमें विवाहा हुआ लड़का गोदके योग्यमाना है उनमें पक्षकार शूद्र थे देखो राजो निम्बालकर बनाम जयवंतराव 4 Bom. H. C. (A. C. J.) 191; 8 Bom. H C. (A C. J.) 67 मगर नीचेके मुकद्दमोंमें द्विजोंके अंतर्गत व्याहेहुए लड़केकी दत्तक जायज़ मानी गयी और यह भी माना गया कि भिन्न गोत्रका भी लड़का गोद लिया जासकता है। देखो-सदाशिव बनाम हरीमोरेश्वर 11 Bom. H. C. 190; 12 Bom H. C. 364; 10 Bom 80.

नामबुद्री ब्राह्मणोंमें विवाहित पुरुषके दत्तक लेनेका अधिकार उस सूरतमें माना गया है जब कि लड़का कृत्रिम पुत्रानुसार लियाजाय 11 Mad 176.

दफा १८५. मदरासस्कूलमें उमरकी क़ैद——जो क़ायदा बंगालस्कूल (दफा १८२) और बनारसस्कूल (दफा १८३) में प्रचलित है प्रायः वही इस स्कूलमें भी माना जाता है देखो-1 Stra. H. L. 87-91; 2 Stra H L 87-110; 1 Mad 106; 1 Mad 406; Mad. Dec of 1859 P. 118; 6 Mad 43; 18 Mad 128.

मि० वलसका मत है कि यदि उपनयन संस्कारके पश्चात् गोद लियाजाय तो भी जायज है मगर दोनोंका गोत्र एकही हो। त्रावंकोरमें एक मुकद्दमा इस बिना पर चला कि भाईका पुत्र उपनयनके पश्चात् गोद लिया गया था। अदालतने उसे इसीलिये स्वीकार किया कि वह भाईका बेटा था, उपनयनके आधार पर नहीं देखो-४ Stra H. L. 104; 8 Mad 58 मदरास हाईकोर्टने इस फैसलेके आधारपर मुकामी रवाजकी शहादत लेनेके बाद यही बात मानी। देखो-४ Mad 148; 3 Mad. H. C. 28

इसके बाद एक मुकद्दमा ऐसा दायर हुआ जिसमें ४० वर्षका मरद जो अपने बापके मरनेके बाद बापकी जायदादका वारिस होचुका था, और जिसकी शादी नहीं हुई थी गोद लिया गया अदालतने यह दत्तक रद्द कर दिया देखो; पापाअम्पा बनाम अप्पाराव 16 Mad 384-396.

मि० गिवलिन् साहेबकी राय है कि पांडेचरीमें ब्राह्मणोंके सिवाय यह रवाज है कि उपनयनके पश्चात् गोद लिया जासकता है 1 Gibelin 94.

दफा १८६. पंजाबप्रांतमें उमरकी क़ैद——पंजाब प्रांतमें उमरकी कैद नहीं है वहां पर किसी भी उमरका लड़का गोद लिया जासकता है देखो-पंजाब कस्टमरीलॉ P. 82

दफा १८७. जैनियोंमें उमरकी क़ैद——जैनियोंमें ३२ सालकी उमरतक लड़का गोद लिया जासकता है मगर जस्टिस हालवे साहेबका कहना है कि जैनियोंमें गोद लेनेके संबंधमें उमरकी कोइ कैद नहीं है 9 Mad Jur 21; 6 N. W. P. 402, 5 S D. 276;

दफा १८८. शूद्रोंमें उमरकी क़ैद——सभी स्कूलोंमें माना गया है कि विनब्याहा शूद्र कौमका लड़का चाहे जिस उमरका हो गोद लिया जासकता है देखो-16 Mad 384 397; और देखो इस किताबकी दफा २१९.

दफा १८९. गोद लेनेवालेसे दत्तक पुत्रकी उमर——सामान्यतः गोदलेनेवाले बाप या मातासे दत्तक पुत्रकी उमर कम होना चाहिये, मगर यदि अन्य सब बातोंसे दत्तकपुत्र उचित और योग्य हो तो उमरका ख्याल नहीं किया जायगा देखो; 10 Bom 80; 12 Bom. H. C. 364.

दफा १९०. एकलौता लड़केकी दत्तक——जिसके एकही लड़का हो वह एक लौता लड़का कहलाता है। और जिसके कई लड़के हों उनमेसे जो उमरमें सबसे बड़ा हो वह जेठा लड़का कहा जाता है। धर्मशास्त्रकारोंकी राय इन दोनोंके बारेमें नीचे देखो—

इदानीं कीदृशः पुत्रीकार्यः इत्यतआह शौनकः——नैकपुत्रेण कर्तव्यं पुत्रदानं कदाचन। बहुपुत्रेण कर्तव्यं पुत्रदानं प्रयत्नतः। दत्तकमीमांसायाम्——एक एव पुत्रो यस्येति एकपुत्रः तेन तत्पुत्रदानं न कार्य्यं। नत्वेकं पुत्रं दद्यात् प्रतिगृह्णीयाद्वा इति वसिष्ठस्मरणात्। अत्र स्वस्वत्व निवृत्तिपूर्वक पर स्वत्वापादानस्य दानपदार्थत्वात् परस्वत्वापादानस्य च पर प्रतिग्रहं विनानुपपत्तेस्तमप्याक्षिपति तेन प्रतिग्रह निषेधोऽपि अनेनैव सिध्यति। तत्र वसिष्ठः——नत्वेवैकं पुत्रंदद्यात् प्रतिगृह्णीयाद्वेति तत्र हेतुमाह सहि सन्तानाय पूर्वेषामिति। सन्तानार्थत्वाभिधानेनैकस्य दाने सन्तान विच्छित्ति प्रत्यवायो बोधितः। सच दातृप्रतिग्रहीत्रो सभयोरपि उभयशेषत्वात्।

यत्तु स्मृत्यन्तरम् सुतस्यापि च दाराणां वशित्वमनुशासने, विक्रये चैव दानेच वशित्वं न सुते पितुरिति । यच्च योगीश्वर स्मरणात्---देयंदारसुताहृत इति तदेक पुत्र विषयम् 'कदाचन' आपदि तथाच नारदः---निक्षेपः पुत्रदारश्च सर्वस्वञ्चान्वये सति आपत्स्वपि हि कष्टासु वर्तमानेन देहिना । अदेयान्याहुराचार्य्या यच्चत् साधारणधनमिति । इदमप्येक पुत्र विषयमेव वसिष्ठ शौनकैकवाक्यत्वात् । तर्हि केन पुत्रोदेय इत्यतआह—बहुपुत्रेणेति । बहवः पुत्राः यस्येति 'बहुपुत्रः' नैकपुत्रेणेति निषेधात् द्विपुत्रस्यैव दानप्राप्तौ यद्बहुपुत्रेणेत्युच्यते तद्द्विपुत्रस्यापि तत्प्रतिषेधाय । एकपुत्रो ह्यपुत्रोमे मतः कौरवनन्दन । एकं चक्षुर्यथा चक्षुर्नाशे तस्यान्ध एवं हीत्यादि भीष्मं प्रतिशान्तनूक्तेः इति ।

भावार्थ—कैसा पुत्र गोद लेना चाहिये इस विषयपर शौनककी यह राय है कि-जिस किसी आदमीके एकही लड़का हो उसे गोद देना योग्य नहीं है जब एकसे ज्यादा लड़के हों तो छोटा गोद देवे । दत्तक मीमांसामें इस वाक्यका अर्थ यही लगाया गया है कि जिसके एक लड़का हो वह उसे गोद न दे । वसिष्ठने कहा कि, जिसके एकही पुत्र हो वह उसे गोद न देवे, और ऐसा लड़का गोद न लेना चाहिये । अब शंका यह है कि 'दान' से यह मतलब है कि लड़केको अपने अधिकारसे दूसरेके अधिकारमें दे देना तो यह उस समय तक संभव नहीं हो सकता कि जबतक दान देनेवाला देवे नहीं और लेनेवाला लेवे नहीं इससे मालूम होता है कि दानका निषेध कियागया । वसिष्ठने जो यह कहा कि एक पुत्रको गोद-न देवे इससे यह मतलब है कि, वह लड़का अपने वंशके चलानेके वास्ते रखा गया है जिसमें वह जन्मा है । इसीलिये एक लड़केवाले पिताका अधिकार उसके गोद देनेमें नहीं है क्योंकि जिसके एकही लड़का हो और वह उसे गोद दे देवे, पीछे दूसरा पुत्र पैदा न हो तो उसका वंश नहीं चलसकेगा इस भयसे एक लड़का होनेकी सूरतमें गोद देनेका निषेध कियागया है । एकलौता लड़का देने और लेनेमें, देनेवाले और लेनेवाले पर एक प्रकारका अपराध माना गया है । अपराधसे यह मतलब है कि पिताका अधिकार उसके गोद देनेमें नहीं है । स्मृतिकारोंने कहा है कि पिताके वशीभूत पुत्र और उसकी मा होती है मगर उसे यह अधिकार नहीं है कि उन्हे वेंचडाले अथवा दान करदे । नारद और अन्य आचार्योंने यद्यपि आपद्कालमें कुछ इसके विरुद्ध कहा है मगर वह विषय दूसरे प्रकारका है । अब प्रश्न यह है कि कैसा पुत्र गोद दिया जासकता है ? इसका उत्तर यह है कि जिस आदमीके एकसे ज्यादा पुत्र हों वह छोटे पुत्रके गोद देनेका अधिकारी है और ऐसा ही पुत्र गोद लिया जासकता है । महाभारतके इतिहासमें शांतनुने भीष्मसे कहा कि जिसके एकही पुत्र हो उसका दान इस प्रकार है कि, जैसे किसी आदमीके एकही आंख हो और फूट जाय तो वह अंधा होजावेगा मतलब यह है कि एकलौते पुत्रका दान नहीं करना चाहिये ।

दत्तक चन्द्रिका और विज्ञानेश्वरने भी यही माना है । अनेक पुत्रोंमें कौन पुत्र गोद दियाजाय और कौन लियाजाय ? मनुजी कहते हैं कि—

जेष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः
पितॄणामनृणश्चैव स तस्मात्सर्वमर्हति । ९-१०६

सिर्फ पैदा होनेहीसे संस्कार रहितभी जेठे पुत्रसे मनुष्य पुत्रवान् होजाता है और पितरोंके क़र्ज़ेसे छूट जाता है इसलिये जेठापुत्रही सब धन पानेके योग्य है। इसीसे जेठे पुत्रको गोद न देवे वह वंश चलानेके लिये और धर्मकृत्य करनेके लिये प्रधान पुत्र है।

पहलेके मुक़द्दमोंमें यह दोनो बातें हिन्दूलॉमें भी मानी गयी थीं यानी एकलौता पुत्र और जेठापुत्र न तो गोद दिया जासकता है और न लिया जासकता है। देखो—जानकी बनाम गोपाल 2 I. L. R. Cal 365; काशीबाई बनाम तांतिया 7 Bom. I. L. R. 221; 7 Bom I. L. R. 225; मि० माण्डलीक मयूखकी टीकामें कहते हैं कि एकलौते पुत्र और जेठे पुत्रके दत्तक देने या लेनेके बारेमें वेदोंके समयसे लेकर आजतक कोई साफ मनाही नहीं पायी जाती हां ऐसा करनेमें देनेवाला और लेनेवाला पातकी होता है।

हैवतराव बनाम गोविंदराव 2 Bom. 75 वाले मामलेमें बापने अपने दोनों लड़कोंको गोद दे दिया था और दो ही पुत्र उसके थे। हाईकोर्टने कहा कि एकलौते बेटे और जेठेबेटेके दत्तक देनेका अपराध असली बापके ऊपर है लेनेवाले के ऊपर नहीं और जब ऐसा दत्तक हो चुका हो तो जायज़ है। इसी क़िस्मके अनेक मुक़द्दमे बंबई और मदरास हाईकोर्टमें हुए तथा प्रिवी कौन्सिलतक गये सबोंमें मुख्यतः दो वचनोपर विचार कियागया था।

नैक पुत्रेण कर्तव्यं पुत्रदानं कदाचन। बहु पुत्रेण कर्तव्यं पुत्रदानं
प्रयत्नतः—शौनक। नत्वेकं पुत्रं दद्यात् प्रतिगृह्णीयाद्वा वसिष्ठः।

प्रिवी कौन्सिलने 'कर्तव्यं' और 'दद्यात्' इन पदोंपर बड़ा विचार किया अंतमें कहा कि—शौनक यह कहते हैं कि एक पुत्र गोद न लेना चाहिये और वसिष्ठ कहते हैं कि न देना चाहिये 'न देना चाहिये' कहनेसे यह मतलब नहीं है कि अगर ऐसा पुत्र दत्तक दे दियागया हो तो नाजायज़ है बल्कि यह मतलब है कि असली बापको न देना चाहिये ऐसा करनेमें देनेवालेपर क़सूर है न कि लेनेवालेपर और जब ऐसा पुत्र दत्तक ले लिया गया हो तो फिर वह नाजायज़ नहीं है। धर्मशास्त्रकारोंने असली बापको सलाह दी है कि वह ऐसा न करे मगर देनेके बाद विरोध नहीं कियागया। और देखो दफा—२०२; २०६

दफा १९१. दो पुरुष एकही लड़केको गोद नहीं ले सकते—दो आदमी शामिल होकर एक पुत्रको गोद नहीं ले सकते चाहे वह सगे भाई क्यों न हों 10 Cal. 688; मेन हिन्दूलॉ सातवां एडीशन पेज १९३ सरकार ला आफ एड़ापशन पेज ३०६

(ख) कौन लड़के गोदहो सकतेहैं? या कौनगोद लिये जा सकते हैं?

नोट—उदाहरणकी तरहपर कुछलड़के नीचे बताये गयेहैं जोगोद लिये जासकते हैं। नीचे जिनका ज़िकर किया गयाहै वह कहींतो रवाजके अनुसार और कहीं पर विशेष क़ायदे से तथा कहीं पर दूसरे सिद्धांतसे जायज़ माने गये हैं मगर वह समस्तभारत से लागू न होंगे इसलिये इस विषयके समझनेके लिये स्कूल, रवाज, क़ौम और दूसरी बातोंकोभी ध्यनमें रखना।

दफा १९२. सगोत्रसपिण्ड, असपिण्ड भिन्नगोत्रसपिण्डका लड़का—जहांतक हो नज़दीकका लड़का गोद लियाजाय देखो दफा १७२; १६३; १६५ जैसे सगे भाईका पुत्र बहुतही उचित है यदि ऐसा पुत्र न हो या न मिल सकता हो तो, सगोत्रपिण्डमें

कोई पुत्र दत्तक लियाजाय पीछे सगोत्र असपिण्डमें इनमें भी न हो या न मिलसके तो भिन्नगोत्र सपिण्डमें गोद लेना बताया गया है देखो इस किताबकी दफा १९२

दफा १९३. सौतेला भाई——शूद्रोंमें (जो द्विजन्मा नहीं हैं) सौतेला भाई दत्तक लिया जासकता है देखो 15 All. 327 लेकिन द्विजोंमें हरगिज़ नहीं लिया जासकता 3 Mad. 15; देखो दफा २२४.

दफा १९४. भाईका पुत्र——मि० मेन अपनी हिन्दूलॉकी दफा १२५ में कहते हैं कि भाईका पुत्र गोद लेनेके लिये बहुतही योग्य है। भट्टाचार्य कहते हैं कि भाईका पुत्र अपने पुत्रके बराबर है भट्टाचार्य हिन्दूलॉ तीसरा एडीशन पेज ४१४ और देखो दफा १९६

दफा १९५. भाईका पौत्र——भाईके बेटेका पुत्र, नीचेके मुकद्दमोंके फैसलोंमें, जायज़ माना गया है 6 Cal. 41; 6 Cal. L. R. 393; पंजाबमें भी जायज़ माना गया है देखो 67 P. R. 1902..

दफा १९६. भाईकी लड़कीका लड़का——दक्षिणी भारतमें रवाजके अनुसार हिन्दू पुरुष अपने भाईकी लड़कीके पुत्रको दत्तक लेसकता है यद्यपि ऐसा दत्तक हिन्दूलॉके सिद्धांतोंसे इक दम विरुद्ध है 15 M. L. J. 211.

पंजाबमें जब तक कि इसके विरुद्ध कोई रवाज साबित न हो भाईकी लड़कीका बेटा दत्तक लिया जा सकता है देखो; No 72 of 1878; 27 of 1884; 86 of 1885 43 of 1886; 86 P. R 1904.

दफा १९७. लड़कीका लड़का (दोहिता)—(१)-हिन्दुस्थानके दक्षिणमें रवाजके अनुसार ब्राह्मणोंमें लड़कीका लड़का (दोहिता) दत्तक हो सकता है देखो 9 Mad 44 (F. B.); 7 Mad 3.

(२)-शूद्रोंमें लड़कीका लड़का आम तौरसे गोद लिया जा सकता है देखो; 1 M. 62; 10 Cal 688; 12 All 328-334.

(३)-पंजाबमें लड़कीके लड़केको गोद लिया जाना रवाजके अनुसार जायज़ माना जाता है देखो-पंजाब No 13 of 1873; 50 of 1874; 26 of 1872; 72 of 1878; 50 of 1879; 66 of 1881; 129 of 1882; 167 of 1883; 154 of 1884; 5 of 1885; 64 of 1883; 162 of 1883; 35 of 1885; 37 of 1886; 85 of 1886; 43 P. R. 1890; 159 P. R. 1890; 86 P. R. 1904.

जी. सी. सरकारने अपने लॉआफ एडापशन पेज ३४१--३४२ में कहा है कि पंजाबमें द्विजोंके अंतर्गत लड़कीका लड़का, बहनका बेटा, भाईकी लड़कीका बेटा, भाईकी बहनका बेटा, गोद लिया जासकता है वह जायज़ माना गया है। मगर पंजाबभरमें जबतक कोई खास रवाज साबित न हो तबतक लड़कीके लड़केकी दत्तकके बारेमें जो कुटुम्बियोंकी बिना मंजूरीके हुआ हो ज़ाहिरतौरसे नहीं कहा जासकता कि जायज़ है देखो-- 12 P. R. 1893; 50 P. R. 1893 (F. B.); 3 P. R. 1884; 30 P. R. 1894; 34 P. R. 1894; 86 P. R 1894; 19 P. R. 1895; 47 P. R. 1895; 58 P. R. 1895; 84 P. R. 1895; 103 P. R. 1895; 38 P. R. 1896; 18 P. R. 1899; 34 P. R. 1899; 33 P. R. 1900; 81 P. R. 1900; 67 P. R. 1901; इन नज़ीरोंमें जाट और राजपूतोंके मामले शामिल हैं।

(४) जैनियोंमें लड़कीका लड़का गोद लिया जा सकता है देखो-8 All 319; 1 All 688; 5 I. A. 87; 2 Cal. L. R. 193; 1 All 288; 14 All 53; 4 B. H. C. A. C. 130; 17 All 294; लेकिन 21 All 412 में प्रिवी कौंसिलने माना कि लड़कीका लड़का, या वहनका बेटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्योंमें उस समयतक दत्तक नहीं हो सकता जब तककि कोई खास रवाज इसके विरुद्ध न सावितकी जाय देखो-53 P. W. R. 1908; 28 All 488 (P. C.); 12 All 51; 8 All 1; 1 Mad. H. C. 420; 6 I. L. J. 567 (P. C.); 10 Cal. L. J. 58; 5 M. L. T. 423; 11 Bom. L. R. 833; 36 Cal 780; 3 Indian Cases. 382; 93 P. R. 1909; 13 C. W. N. 920.

(५) तन जोर, ट्रिचनापोली, तिनिवेली ज़िलोंमें रवाजके अनुसार ब्राह्मणोंमें लड़कीके लड़केको गोद लेना जायज़ माना गया है देखो-वैद्यनाथ वनाम अप्पू 9 Mad 44, यही बात मलावारके नामवुद्री ब्राह्मणोंमें मानी गयी है देखो 7 Mad 3; किंतु दक्षिणी महाराष्ट्र देशमें लड़कीके बेटेको गोद लेना यह आम क़ायदा नहीं माना गया 22 Bom. 973-976;

(६) ऊपर वताये हुए स्थानों और क़ौमोंके अतिरिक्त, लड़कीके बेटेका दत्तक सब जगह नाजायज़माना गया है इस विषयमें अनेक हाईकोर्टोंके फैसले देखो-भगवान सिंह वनाम भगवान सिंह 26 I. A. 153-160; 21 All 412; 3 C. W. N. 454, 456; 1 Bom. L. R. 311; 3 Bom. 273; 3 Bom. 298; 2 Mad. H. C. 462-468.

(७) मारवाड़में द्विजोंमें कोई कोई लोग लड़कीका लड़का (दौहित्र-दोहिता) गोदलेलेते हैं। मगर अदालत ऐसे दत्तकको पहले जायज़ नहीं मानलेगी जब तक कि ऐसी रवाज न सावितकी जाय। रवाज कैसे सावितकी जाती है? देखो दफा ३० से ३५ और देखो दफा—१७७; २३१.

दफा १९८. सौतेली लड़कीका लड़का——पंजावमें होशियारपुर ज़िलेके, जाटोंके बीचमें सौतेली बेटीके पुत्रकी दत्तक जायज़ मानी गयी देखो-No 59 of 1874,

दफा १९९. बहनका लड़का——(१) दक्षिण हिंदुस्थानके ब्राह्मणोंमें बहनके बेटे और वेटीके बेटेके गोद लेनेका रवाज़ है और वहां जायज़ माना गया है देखो; 9 Mad 44 (F. B.); 1 M. H. C. 420.

(२) दक्षिणी-कनारा प्रांतके सारस्वत ब्राह्मणोंमें बहनका बेटा रवाजके अनुसार जायज़ माना गया है देखो; 4 Bom. L. R. 140; 4 Bom. H. C. (A. C.) 130; 22 Bom. 973-976.

(३) उत्तर पश्चिम प्रांतोंके बोहरा ब्राह्मण, बहनके बेटोंको गोद लेसकते हैं देखो 14 All 53; विरुद्ध देखो 24 All 194.

(४) शूद्रक़ौममें बहनके बेटेको गोद लेना सब जगह जायज़ है 1 Mad 62; 10 Cal 688; 12 All 328.

(५) रवाजके अनुसार पंजावमें बहनका बेटा गोद लिया जा सकता है यदि कोई रवाज़ इसके विरुद्ध सावित न की जाय। पंजाब No 24 of 1867; 88 of 1867; 50 of 1874; 35 of 1874; 1 of 1875; 50 of 1875; 149 of 1883; 33 of 1886; 119 of 1882; 128 of 1886; 197 P. R. 1889; 24 P. R. 1900; 79 P. R. 1901.

अगर बहनका बेटा भिन्न शाखावाले कुटुम्बियोंकी मौजूदगीमें गोद लिया गया हो और उनकी मंजूरी गोद लेनेमें न ली गयी हो तो वह नाजायज़ है यदि कोई ख़ास रवाज होतो दूसरी बात है देखो-21 P. R. 1892 ; 102 P. R. 1893 ; 92 P. R. 1894 ; 35 P. R. 1896 ; 39 P. R. 1897 ; 29 P. R. 1904.

(६) जैनियोंमें बहनका बेटा गोद लिया जा सकता है 1 All 288 ; 1 All 688 ; 5 I. A. 87 ;

(७) मलाबारके नाम बुद्री ब्राह्मणोंमें बहनका बेटा दत्तक हो सकता है 7 Mad 3.

(८) तनजोर, ट्रिचना पोली, और तिनीवेली ज़िलोंमें तथा बोहरा ब्राह्मणोंमें जो उत्तर पश्चिम भारतके उत्तरीय ज़िलोंमें रहते हैं, मलाबारके नाम बुद्रियोंमें और कनाराके सारस्वत ब्राह्मणोंमें, बहनका लड़का गोद लेना जायज़ माना गया है। जो नज़ीरें लड़कीका लड़का दफा १९७ के संबंधमें ऊपर कही गयी हैं वही बहनके लड़केसे भी लागू होती हैं क्योंकि सिद्धांत एकही है दफा १७७, २३२ भी देखो

दफा २००. बहनका पोता——लाहौर ज़िलेके अन्तर्गत 'अरोण' कौममें बहनके बेटेके पुत्रकी दत्तक नाजायज़ नहीं मानी गयी देखो ; No 77 of 1878 ; 120 of 1885 ; 129 P. R. 1894.

दफा २०१. बहनकी लड़कीका बेटा-----जहांपर तैलंगी और तामिल भाषा बोली जाती है ऐसे ज़िलोंमें बहनकी लड़कीका बेटा दत्तक लिया जा सकता है 7 Mad 548-549 ; अन्य जगह पर नहीं.

दफा २०२. एकलौता लड़का——(१) एकलौता लड़का (जिसके एकही पुत्र हो) और अनेक पुत्रोंमेंसे कोईभी लड़का चाहे वह जेठाहो या न हो दत्तक लिया जा सकता है देखो-26 I. A. 113 ; 22 Mad 398 ; 21 All 460 ; 3 C. W. N. 427 ; 1 Bom. L. R. 226 ; 24 Bom. 367 ; 2 Bom. L. R. 163.

अदालतोंमें बहुत दिनोंसे यह विवाद चला आता है कि जिसके एकही पुत्रहो वह दत्तक लिया जा सकता है या नहीं ? इस विषयमें कुछ फैसले विरुद्ध और कुछ पक्षमें हुए हैं। लेकिन सन १८९९ ई० से यहबात निश्चितसी मानी जाती है कि एकलौता लड़का गोद लिया जा सकता है इसके पहलेभी कुछ केसोंमें यहीबात मानी जा चुकीथी देखो ; 2 Cal 365 ; 7 Bom. 225. विधवा अपने एकलौते पुत्रको गोद देसकती है देखो 25 Bom. 537 ; 3 Bom. L. R. 73 ; 6 Bom. 524 ; 12 Bom. H. C. 364 ; 26 I. A. 127 ; 22 Mad 407 ; 21 All 469.

(नीचे प्रत्येक हाईकोर्टकी राय और फैसले देखो)

(२) मद्रास-मद्रास हाईकोर्टने यह माना है कि जिस किसीके एकही पुत्र हो उसका गोद लेना हिन्दूलॉके अनुसार है मगर शर्त यह है कि पतिने गोद देनेकी मनाही न की हो। विधवा एक लौते लड़केको गोद दे सकती है वह जायज़ माना जायगा 22 Mad 398 (P. C.) ; 9 Mad. L. J. 6 ; 3 C. W. N. 427; 18 Mad 53 ; 4 Mad. L. J. 237 ; 11 Mad 43 ; 1 M. H. C. 54.

(३) इलाहाबाद-इलाहाबाद हाईकोर्टने एकलौते लड़केके दत्तकको 'फेक्टमवेलेट' के सिद्धांतानुसार जायज़ माना। फेक्टमवेलेटका मतलब देखो दफा ७३ और देखो 2 All 164 (F.B.) ; 14 All 67 ; 21 All 460 ; 22 Mad 398 (P. C.).

(४) पंजाब--पंजाबकी चीफ कोर्टने एकलौते लड़केकी दत्तक जायज़मानी है No 18 of 1870 ; 50 of 1874 ; 33 of 1872.

फीरोज़पुर ज़िलेके 'गिल' नामक स्थानके रहनेवाले जाटोंमें एकलौते पुत्रकी दत्तक नाज़ायज़ मानी गयी है देखो No 33 of 1872.

(५) बंगाल--बंगालस्कूलके अनुसार एकलौते बेटेकी दत्तक नाजायज़ मानी गयी है देखो 3 Cal 443; 1 B. L. R. A. C. 221; 10 W. R. 847; 4 S. D. 70-89 ; 4 S.D. 320--407 ; 3 S.D 232--310 ; 15 W. R. 548.

मगर यह भी माना गया कि ऐसा दत्तक 'फेक्टमवेलेट' (दफा ७३). के सिद्धान्तानुसार जायज़ है देखो--फुलबेन्च रिपोर्ट 75 W.R. 1864 P. 188 ; 1 Ind Jur, O.S. 115.

(६) बंबई--बंबई हाईकोर्टने ऐसा माना है कि एकलौते लड़केका दत्तक हिन्दूलाके सर्व सामान्य नियमके विरुद्ध है और जब कि किसीन एकलौता पुत्र दत्तक दे दिया हो पाछे उसके कोई दूसरा पुत्र पैदा हो जाय तो इस सबबसे वह दत्तक जायज़ नहीं हो जायगा। देखो 19 Bom 658 (F. B.) ; 14 Bom 248 ; 6 Bom 524.

जब किसी विधवाने अपने पतिका एकलौतापुत्र दत्तक देदिया हो और ऐसी आज्ञा पति न देगया हो तो वह दत्तक शुरूसेही अनुचित और रद्द करने के योग्य है. 12 Bom. H.C. 364; मगर 19 Bom 428 में कहा कि लिंगायतों में ऐसा दत्तक रवाज के अनुसार जायज़ है।

गुजरात में भी जहांपर मयूख प्रधानतासे माना जाता है एकलौते पुत्र की दत्तक जायज़ मानी गई है देखो--24 Bom 473 ; 24 Bom 367 (F B.).

हिन्दू विधवा अपने एकलौतेपुत्रको दत्तक दे सकती है ऐसे दत्तकमें यह प्रश्न नहीं उठ सकता कि सिर्फ एकलौतापुत्र होने के कारण नाजायज़ है 12 Bom. H. C. 364; की नज़ीर द्वामुष्यायन दत्तकसे लागू नहीं होती और हालकी नज़ीरें ऐसी हैं कि जिनमें असली बापने अपने एक लौते बेटेको दत्तक दिया था जायज़ मानागया, यही सिद्धांत जहांपर कि विधवाने ऐसे पुत्रको दत्तक दियाहो लागू होसकता है देखो--25 Bom. 537 ऐसा मालूम होता है कि जहांपर एकलौते पुत्रकी दत्तक जायज़ मानी गयी है वह 'फेक्टमवेलेट' दफा ७३ के सिद्धांतसे मानी गयी है देखो--4 B.H.C.A.C. 191, 7 B.H.C. Appendix 26.

(७) मध्यभारत-मध्यभारत के फैसलोंमें मानागया कि एकलौते बेटेकी दत्तक बे कानूनीहै। सेलेक्ट केस सन 1872 Part 8 No. 46; 5 C. P. L. R. 26.

(८) एकलौते पुत्रकी दत्तक के विषयमें देखो दफा--१९०

दफा २०३. बिवाहा हुआ लड़का--(१) सिर्फ बंबई और पंजाब प्रांतमें बिवाहा हुआ लड़का गोदलिया जासकता है अन्यत्र नहीं। बंबईमें बिवाहा हुआ आदमी चाहे वह एकही गोत्रका हो या भिन्न गोत्रका हो ब्राह्मण और शूद्रोंमें दत्तक लिया जा सकता है 10 Bom 80 ; 8 Bom H. C. (A. C.) 67; 7 B. H. C. App. 26 ; 12 B. H. C. 364 ; 11 B. H. C. 394.

23 Bom. 251 वाले मामले में गोद लेनेवाली मातासे दत्तक पुत्रकी उमर ज्यादा थी मगर इस सबबसे वह नाजायज़ नहीं माना गया। नीलकण्ठ, मयूखमें कहते हैं कि मेरे पूज्य पिताजी की यह राय थी कि बिवाहा हुवा और जिसके लड़का पैदा होगया हो ऐसा आदमी

भी गोद लेने के योग्य है। इसीलिये माना गया है कि जब किसी हिन्दू आदमी के विवाह के बाद पुत्र भी पैदा होगयाहो और वह पीछे गोद दे दिया जाय तो उसके पुत्र अपने असली खानदान का गोत्र तथा हक़ नहीं खो देते, और न उन्हे अपने बापकी छोड़ीहुई जायदादका उत्तराधिकार मिलता है जिसमें उसका बाप दत्तक गया है 33 Bom 669 ; 11. Bom. L. R. 797; 3 Indian. Cases. 809.

(२) पंजाब—पंजाबमें दत्तक पुत्रके लिये उमरकी क़ैद नहीं है चाहे दत्तकपुत्रका उपनयन और विवाह असली पिताके घर होगया हो पीछेसे भी वह दत्तक दिया जासकता है देखो— No. 51 of 1867 ; 37 of 1868 ; 37 of 1872 ; पंजाब कस्टम 1876 P. 82

(३) विवाहाहुआ लड़का गोद नहीं लिया जासकता देखो दफा २२६

दफा २०४. सौतेला पुत्र——होशियारपुर ज़िलेके जाटोंमें रवाजके अनुसार ऐसे लड़केकी दत्तक जायज़ मानीगयी है जो लड़का किसी दूसरे पुरुषसे पैदा हुआ हो और उसकी मा ने पुनर्विवाह करनेके बाद पहले पतिके पुत्रको गोद दे दिया हो देखो— No 98 of 1884 ; 45 of 1874 लेकिन 'मारा' और 'अलख' नामक जाटोंमें ऐसा दत्तक नाजायज़ माना गया है 98 P. R. 1892; 48 P. R. 1394; 122 P.R. 1894.

दफा २०५. चाचाका पुत्र और प्रपौत्र आदि——7 Mad 548 में माना गया कि चाचाका पुत्र (बापके भाईका पुत्र) तथा प्रपौत्र, मामाकी लड़कीका पुत्र, और मामाके भाईकी लड़कीकी लड़कीका पुत्र, रवाज साबित होनेपर दत्तक हो सकता है।

दफा २०६. जेठा पुत्र——सब लड़कोंमें जो लड़का उमरमें बड़ा हो उसकी दत्तक नीचेके मुक़द्दमोंमें जायज़ मानी गयी है देखो— 2 Cal 365 ; 1 Hary 260 ; 7 Bom 221 ; 7 Bom. 225 ; 3 B. L. R. (P.C.) 27 ; 12 W. R.P. C. 29 ; 13 M.I,A. 85 ; 12 B.H.C. 364 ; 1 Bom. L. R. 144 देखो दफा १९०.

दफा २०७. भानजा (बहनका पुत्र)——पंजाब प्रांतमें अंबाला ज़िलेकी रूपार नामक तहसीलके अन्तर्गत 'सेक्रासिस' क़ौमके संतानहीन मामाने अपनी बहनके पुत्रको दत्तक लिया था जायज़ माना गया देखो- No. 85 P. R. 1889 ; देखो दफा १७७.

दफा २०८. माकी बहनका पुत्र——सिर्फ शूद्रोंमें दत्तक हो सकता है देखो 1 Mad 62 ; लेकिन विरुद्ध फैसले देखो 21 All 412 (P.C.); 11 Bom. L.R. 1172 द्विजोंमें नाजायज़ है मदरासमें दूसरा फैसला मुझे इस बारेमें नहीं मिला। देखो दफा—२२८

दफा २०९. साला (पत्नीका भाई)——(१) श्रीरामलू वनाम रामाऐय्या 3 Mad 15 में मुट्टसामी एय्यर जजने कहा कि स्त्रीका भाई गोद हो सकता है क्योंकि एक क़ायदा यह है कि 'वह लड़का गोद लियाजाय जिसकी मा गोद लेनेवालेकी स्त्री बन सकती हो' लागू होता है। कुछ पुराने केस इस बारेमें हैं मगर अब ऐसा दत्तक बहुत कम होता है देखो Mad. Dec. 1856 P. 213 ; Mad. Dec. 1857. P. 94.

(२) पंजाबके कुछ मज़हबोंमें साला गोद लिया जासकता है 22 P.R. 1891 ; और देखो—इस किताबकी दफा—१७८.

दफा २१०. सालेका पुत्र——स्त्री, अपने भाईका पुत्र अपने पतिके लिये गोद ले सकती है देखो-22 Bom. 973 ; 9 Bom. 58 ; 3 Mad 15 , 27 All 417.

मि० मेन, अपनी हिन्दूलॉके छटवें संस्करणके पैरा १३५ में कहते हैं कि साला या सालेका पुत्र दत्तक लिया जासकता है इसी तरहपर स्त्रीकी बहनका पुत्र भी दत्तकके योग्य हो सकता है। यही राय भट्टाचार्य्यकी भी है देखो--भट्टाचार्य्य हिन्दूलॉ तीसरा एडीशन पेज ४१४ सिरसा ज़िलेके 'ड़बवाली' तहसीलमें उन जाटोंमें जिनका गोत्र 'ढ़ांनढ़ीवाल' है सालेका पुत्र दत्तक होसकता है देखो--No 32 of 1882; 94 P. R. 1898.

गुजरातके 'आवांस' नामक क़ौममें रवाजके अनुसार सालेका पुत्र दत्तक लिया जासकता है No 165 of 1854 सिविल.

अंबाला ज़िलेकी रूपार नामक तहसीलके 'रेहाला' जाटोंमें सालेका पुत्र गोद नहीं लिया जासकता जबतक कि कोई ख़ास रवाज साबित न हो 156 P. R. 1890; 75 P. R. 1892.

नोट—पहलेके मामलोंमें ऐसा माना जाताथा कि सालेका पुत्र दत्तक नहीं हो सकता जबतक कि पतिकी स्पष्ट आज्ञा न हो मगर बादके एक मुकदमें (27 All 417) में जस्टिस स्टेन्ले ने पहलेके सब मुक़दमोंको विचार करके कहा कि पहले के सब मामलोंमें प्रायः यही मानागया है कि सालेका पुत्र दत्तकके लिये बिलकुल योग्य है और इसमें नन्द पण्डित का नियम लागू नहीं होगा। और देखो मेन हिन्दूलॉ सातवां एडीशन पेज १७७. मि० ट्रेवेलियन अपनी हिन्दूलॉके दूसरा एडीशन पेज १३८ में कहते हैं कि ऐसा दत्तक माना जा सकता है। और देखो 3 Mad 15-17; 22 Bom. 973; और देखो इस किताब का दफा १७८.

दफा २११. सालेका पोता——जो क़ायदा ऊपर दफा २१० में सालेके पुत्रके संबंधमें लागू किया गया है वही सालेके पुत्रके बेटेमें भी होगा। विधवा अपने भाई के पोतेको पतिकी आज्ञासे गोद ले सकती है देखो—जैसिंहपाल बनाम विजयपाल 2 All. L. J. 36; 27 All 417.

दफा २१२. साली कावेटा (स्त्रीकी बहनका पुत्र)——सिर्फ फीरोज़पूर जिलेके धावन खत्रियोंमें स्त्रीकी बहनका पुत्र गोद लिया जासकता है। इसके विरुद्ध रवाज साबित नहीं की गयी 3 P R. 1901; Bom. Sel. R 73.

दफा २१३. स्त्रीकी बहनकी लड़की का लड़का——मदरासके दो मुक़द्दमोंमें मानागयाकि हिन्दू अपनी स्त्रीकी बहनकी बेटीका बेटा दत्तक ले सकता है देखो- 7 Mad. L. J. 134; 20 Mad 283.

दफा २१४. बापकी बहनका पोता——एक मुक़द्दमेमें 'पुरवियाकुरमी' जो अपनेको पुरविया क्षत्री कहते हैं उनमें, बापकी बहनके लड़केका पुत्र गोद लियागया और वह नाजायज़ नहीं मानागया। क्योंकि वह द्विजन्मा क़ौममें नहीं माने गये देखो--28 All 170.

दफा २१५. ब्राह्मोका पुत्र ब्राह्मो——जो आदमी ब्रह्म समाजी होगया हो उसके बाद उसके पुत्र पैदा हुआ हो तो वह पुत्र ज़ाहिर तौरसे ब्राह्मो पैदा हुआ मगर ऐसा पुत्र दत्तक लिया जासकता है कारण यह है कि 30 Cal 999; 7 C.W.N. 734 में साबित था कि असली बाप हिन्दू पैदा हुआ और उसके ब्रह्मसमाजी होनेपर पुत्र पैदा हुआ था। बाप जिसक्षण चाहे प्रायश्चित्त करके ब्रह्म समाजसे हिन्दू समाजमें आसकता है तो उसका पुत्र क्यों नहीं आसकता इसलिये ब्राह्मो पुत्रका दत्तक जायज़ माना गया देखो--कुसुम कुमारराय बनाम सत्यरंजनदास 30 Cal 999.

दफा २१६. शूद्रोंमें ४० वर्षका विनब्याहा आदमी——शूद्रोंमें ४० वर्षकी उमरका बिनब्याहा आदमी जब दत्तक लियागया तो वह नाजायज नहीं मानागया और उसके उत्तरा-

धिकारका हक़ असलीबापके घरानेसे भी नष्ट नहीं होगया यह बात प्रायः सब स्कूल मानते हैं देखो---3 Mad. L. J. 80 ; 16 Mad 384—396 ; देखो दफा १८०.

दफा २१७. अपरचित्त पुत्र----अपरचित लड़का (नज़दीकीको छोड़कर दूरका) दत्तक लिया जासकता है जो और सब बातोंसे उचित हो चाहे भाईके पुत्र भी मौजूद हों ; दत्तक मीमांसा और दत्तक चन्द्रिकामें सहोदर भाईके लड़केका दत्तक, दूसरे सब लड़कोंसे अधिक श्रेष्ठ बताया गया है देखो दफा १९६ इस वाक्यका अर्थ जजोंने ऐसा किया कि गोद लेनेवालेके कर्तव्य कर्मको उक्त वचन पाबंद करते हैं मगर वह वचन क़ानूनका असर नहीं रखते इसलिये यह बात गोद लेनेवालेकी इच्छापर निर्भर है। मानागया कि यदि सहोदर भाईके पुत्रको छोड़कर दूसरा लड़का गोद लियागया हो जो अन्य सब बातोंसे उचित हो तो सिर्फ इस कारणसे कि भाईका पुत्र छोड़कर दूसरा पुत्र दत्तक लियागया इसलिये दत्तक नाजायज़ है, अदालतने यह बात नीचेके मुक़द्दमोंमें नहीं मानी 3 Cal 587; 15 B.L.R.405; 23 W. R.340; 2 C.L.R. 51; 6 B.H.C.A.C.J. 70 ; 10 Bom 80. देखो दफा १९६ पैरा २.

दफा २१८. ऊंची जातियोंमें उपनयनके पहले----(१)-ब्राह्मण, और ऊंची जातियोंमें उपनयन संस्कार आवश्यक है, जनेऊ करनेसे पहले लड़का दत्तक लिया जासकता है यह नियम सामान्य है मगर जहांपर कोई विशेष बात मालूम पड़ती है वहां नहीं, जैसे बंबई स्कूलमें व्याहा हुआ लड़का दत्तक लिया जासकता है देखो दफा २०३ जनेऊसे पहले गोद लेना चाहिये देखो---- 9 Mad 148 ; 13 Mad 128 ; 3 Mad H. C. 28 ; बंबईमें उपनयनके पश्चात् भी लिया जासकता है देखो-10 Bom 8 ; 8 B. H. C. A. C. 67; 12 B. H. C. 364 ; 11 B. H. C. 194; 28 Bom. 251.

(२) पंजाबमें भी उपनयनके पश्चात् जायज़ मानाजाता है-देखो दफा १८०.

दफा २१९. शूद्रोंमें विवाहसे पहिले----शूद्रोंमें विवाहसे पहले दत्तक लेना योग्य है देखो 23 Bom. 250 ; मगर यह कायदा व्यापक नहीं मानागया किसी भी उमरका लड़का गोद लिया जासकता है और बहुत जगहोंमें ऐसा दत्तक जो विवाहके बाद दियागया हो जायज़ माना गया है। देखो दफा १८०.

दफा २२०. वेश्याका लड़की----सिर्फ मदरासमें रंडी, या गानेबजानेका पेशा करनेवाली औरत लड़की गोद लेसकती है मगर रंडीके पेशेके लिये नहीं----देखो दफा--११६ ; ३०३.

(ग) कौन लड़के गोद नहीं लिये जासकते ?

दफा २२१. पालक पुत्र----पालकपुत्र दत्तक नहीं हो सकता । बारह प्रकारके पुत्रोंके अन्तर्गत पालकपुत्रका नाम नहीं है मि० ट्रेवेलियन अपने फेमिलीलॉके पेज १००में कहते हैं कि—आजकल कोई हिन्दू, पालकपुत्र और लड़कीको गोद नहीं लेसकता यानी यदि कोई यूरोपियन किसी लड़केकी परवरिश करता रहे और जायदाद उसे दे दे और यह कहे कि वह गोद लियागया है, यह ठीक न होगा क्योंकि वह लड़का उत्तराधिकारसे जायदाद नहीं पावेगा

और मज़हबी कृत्योंके पूरा करने योग्य भी नहीं माना जायगा। इसतरहका पुत्र निश्चित एक शर्तबंद पुत्र है दत्तक नहीं देखो–13 M. I. A. 85; 3 B. L. R. (P.C.) 27; 12 W. R. (P.C.) 29; 2 W. R. C. R. 281.

दफा २२२. पुत्रिकापुत्र-----पुत्रिकापुत्र किसे कहते हैं देखो दफा-८२-३ ; ८३ ऐसा पुत्र दत्तक नहीं लिया जासकता क्योंकि दत्तक लेनेका जो मतलव है वह ऐसे पुत्रसे सिद्ध होजाता है फिर भी यदि उसे दत्तक लियाजाय तो नाजायज़ हो जायगा W. R. 1864 P. 194.

दफा २२३. अनाथ बालक-----अनाथ बालक उसे कहते हैं जिसके बाप, मा मरगये हों। ऐसा बालक गोद नहीं लिया जासकता क्योंकि गोद देनेका काम सिर्फ बाप और माताही करसकती है स्वयंदत्त आजकल प्रचलित नहीं रहा देखो–6 Bom. H. C. 83; 2 Mad. H.C. 129; 10 Bom, H.C. 268; 10 Mysore. L. R. (1878–1895) 384.

मगर 7 Indian cases 427 में एक मामलेमें यह मानागया कि अनाथ बालकके बड़े भाईने उसे गोद दिया था जब कि मा बाप दोनों मरचुके थे अदालतने इसे फेक्टमवेलेट (दफा ७३). के सिद्धांतसे जायज़ माना।

दफा २२४. सौतेला भाई-----शूद्रोंको छोड़कर जैसा कि ऊपर दफा १९२ में बताया गया है दूसरी कौमोंमें या ऊंची जातियोंमें सौतेलाभाई गोद नहीं होसकता देखो---3 Mad 15--16.

दफा २२५. भाई-----सगाभाई दत्तक नहीं लिया जासकता देखो नार्टनके प्रधान-केस Part. 1 P. 66 सिर्फ दक्षिणके कुछ मुकद्दमोंमें छोटे भाईका दत्तक जायज़ मानागया था 2 Bor 75–85 भाईका दत्तक लेना धर्मशास्त्रोंमें बड़ा निषेध कियागया है देखो दफा १९२; भाईका दत्तक नीचेके मुकद्दमोंमें नाजायज मानागया--श्रीरामलू बनाम रामाप्पा 3 Mad 15 रंजीतसिंह बनाम अभयनारायणसिंह 2 Ben. Sel. R. 245; देखो भाईके दरजेका दत्तक एक मुकद्दमेमें जायज़ मानागया देखो 21 Bom L. R. 17—27 (1918) दफा १९२.

दफा २२६. विवाहाहुआ लड़का-----सिर्फ बंबई और पंजाबको छोड़कर जैसा कि दफा २०३ में बताया गया है--अन्यत्र कहीं भी विवाहा हुआ लड़का दत्तक नहीं लिया जासकता।

(१)- बंगाल--बंगालकी द्विजातियोंमें दत्तक उपनयनसे पहिले जायज़माना गया है और शूद्रोंमें विवाहसे पहले देखो–S. D. A. R. 1853 P. 563.

(२)—मदरास—गोद लेनेवालेके गोत्रसे चाहे भिन्न गोत्रका पुत्र हो मगर ब्राह्मणोंमें उपनयनसे पहले दत्तक जायज़ माना जायगा 9 Mad 148. यदि दत्तकपुत्र एकही गोत्रका हो तो उपनयनके पश्चात् भी गोद लिया जासकता है किंतु विवाहसे पहले 13 Mad 128.

विवाहा हुआ लड़का दत्तक नहीं लिया जा सकता देखो; 13 Mad 128; 6 Mad 43; 1 Mad. Dec. 106 ; 1 Mad. Dec. 406; 16 Mad 384 में मानागया कि ४० वर्षका आदमी विन व्याहा गोद हो सकता है।

(३)—इलाहाबाद—इलाहाबाद हाईकोर्टमें मानाजाता था कि पांच वर्षकी उमरके पश्चात् जो पुत्र दत्तक लियागया जायज़ है। जस्टिस् महमूदने इस विषयके वचनों और फैसलोंपर

विचार करके माना कि द्विजोंमें उपनयनके पूर्व और शूद्रोंमें विवाहके पूर्व दत्तक लेना जायज़ है 9 All 253-316-324-327-328; 7 All. L. J. 927 में मानागया कि शूद्रोंमें एकलौता लड़का दत्तक लिया जासकता है मगर विवाहसे पहले।

(४)—मध्यभारत-मध्यभारतमें मानाजाता है कि पांच वर्षसे ऊपरका लड़का मध्यभारतमें दत्तक लिया जासकता है मगर विवाहसे पहले-देखो-सेलेक्टकेस 1886 Part. 8 No 44.

(५)—बनारसस्कूल-बनारसस्कूलके अन्तर्गत विवाहा हुआ लड़का गोद नहीं लिया जासकता 11 C.P. L R. 56; 1 N.L. R 1; और देखो ट्रिवेलियन हिन्दू फेमलीलॉ पेज १४७.

(६)--जैन--जैनियोंमें विवाहा हुआ लड़का दत्तक नहीं लिया जासकता क्योंकि निस्संदेह जैनियोंमें हिन्दूलॉ लागू होता है। अगरवालजैन निःसंदेह द्विज हैं। अगर कोई रवाज खास तौरसे साबितकी जाय तो दूसरी बात है देखो-14 C. W. N. 545 (P C.); 12 Bom. L. R. 402; 6 Indian cases 272; 7 A L. J. 349; 11 C. L. J. 454.

जिस किसी जैनी खानदानमें खास तौरसे ऐसा रसम हो कि व्याहा हुआ लड़का दत्तक लिया जाता है तो वह जायज़ होगा मगर रवाज साबित करना पड़ेगी 5 A. L. J. 200; 30 Al. 197; 29 All 495; 6 N. W. P. 402; 9 M. L. J. 21.

दफा २२७. स्वयंदत्त——एक मुकद्दमेमें बंबई हाईकोर्टने दत्तक खारिज करदिया जो साबित करता था कि मैंने अपनेको बालिग होनेपर स्वयं दत्तक दे दिया था 10 Bom. H. C. 268.

दफा २२८. माकी बहनका लड़का——माकी बहनका लड़का दत्तक नहीं लिया जासकता देखो--भगवानसिंह बनाम भगवानसिंह 26 I. A. 153; 21 All 412; 3 C. W. N. 454 बालभाई बनाम हिरबाई 34 Bom 491; 11 Bom. L. R. 1172. सिर्फ शूद्रोंमें दत्तक हो सकता है देखो दफा--२०८

दफा २२९. जिस लड़केका उपनयन असली बापके घर होजाय——

(१) बंगाल—बंगालमें, द्विज कहलानेवाली कौममें जिस लड़केका उपनयन असली बापके घर होजाय तो गोद नहीं लिया जायगा 6. S. D. 219-270.

(२) मदरास--इस प्रांतमें भी बंगालकी बात मानीगयी है भेद इतना है कि यदि एकही गोत्रके दोनों हों तो जनेऊके पश्चात् भी गोद हो सकता है 9 Mad 148.

(३)--इलाहाबाद--इस हाईकोर्टमें यदि द्विजोंमें दत्तकपुत्रका उपनयन संस्कार असली बापके घर हुआ हो तो दत्तक नाजायज़ होगा 9 All 253.

(४)--बंबईमें--उपनयनके बाद भी लियाजाता है देखो दफा-२१८.

दफा २३०. दत्तकपुत्र जो रुपया देकर लियागया हो— कलियुगमें रुपया देकर दत्तकपुत्र लेना स्वीकार नहीं कियागया यह क्रीतपुत्रकी तरहपर है दत्तक नहीं। आजकल दत्तक पुत्र मानाजाता है, क्रीत नहीं, देखो-13 B. L R. App. 42; 21 W. R. 381; प्राचीन धर्मशास्त्रोंमें क्रीत पुत्र जायज़ मानागया था मगर अब उसे अदालतें नहीं मानतीं 29 Mad 161; 8 Indian Cases 625.

यदि ऐसा साबित हो कि दत्तक पुत्रके पिता या माताने रुपया लेकर दत्तक, विधिपूर्वक दिया है और वह दत्तक अन्य सब बातोंसे जायज़ है तो अदालत सिर्फ रुपया लेनेकी बातपर दत्तक खारिज नहीं करेगी।

दफा २३१. लड़कीका लड़का (दोहिता)———आम क़ायदा यह है कि द्विजोंमें लड़कीका बेटा (दौहित्र) दत्तक नहीं लिया जासकता जबतक कि कोई रवाज सावित न की जाय देखो ; 21 All 412 ; 53 P.W.R. 1908 ; 28 All 488 (P.C.) ; 3 Bom 273 ; 3 Bom 298 ; 17 All 294 ; 14 All 53 ; 26 I. A. 153 ; 3 C. W. N. 454 ; 1 B. L. R. 311 ; 2 Mad. H. C. 462.

नोट—सिवाय पंजाबके और जहां कहीं लड़कीका लड़का दत्तक लिया गया हो उस दत्तकके जायज़ साबित करनेके लिये जैसे और बातोंके सावित करनेकी ज़रूरत होती है. रवाज भी उसी तरहपर सावित की जायगी रवाज कैसे सावित की जाती है देखो दफा ३० से ३५ कहांपर दोहिताका गोद जायज़ मानाजाता है देखो दफा १९७.

दफा २३२. बहनका लड़का———हिन्दूलॉके सर्वमान्य सिद्धांतके अनुसार बहनका बेटा दत्तक नहीं लिया जासकता देखो ; 3 I.L.J. 415 (P. C.) ; 21 All 412 (P.C.) 3 C. W. N. 454 ; 28 All 488 ; 9 Mad 44 ; 1 Mad 62 ; 4 Bom. L.R. 140 ; 14 All 53 ; 17 All 294 ; 4 B. H.C. A.C. 130 ; 26 I. A. 153 ; 1 Bom. L.R. 311 ; 33 I.A. 97 ; 28 All 488 ; 10 C. W. N. 730 ; 25 I. A. 46 ; 20 All 209 ; 16 I. A. 186 ; 12 All 51 ; 10 Cal 688 ; 7 Mad. H C. 250.

बहनके पुत्रकी दत्तक कहां जायज़ है ? देखो दफा ; १७७ ; १९९.

दफा २३३. सौतेली बहनकी बेटीका बेटा———सौतेली बहनकी लड़कीका लड़का गोद नहीं लिया जासकता देखो ; 2 Mad 270-279 ; 7 I. A. 173.

दफा २३४. चाचा और मामा———बापका भाई और माका भाई दत्तक नहीं लिया जासकता देखो ; 6 Cal. 41-47 ; 6 C. L. R. 393 ; सरकारका लॉ आफ एड़ाप्शन पेज ३२७ ; ट्रिवेलियन हिन्दूलॉ पेज १३७ मेकनाटन हिन्दूलॉ जिल्द १ पेज ६७.

दफा २३५. दत्तकपुत्रका दत्तक पिताके वंशमें दत्तक लेना———जब कोई लड़का किसीके दत्तक चला जाता है तो फिर वह ऐसे किसी लड़केको दत्तक नहीं ले सकता जो यदि वह दत्तक पुत्र, दत्तकपिताका औरसपुत्र होता उस हालतमें वह वैसे लड़केको गोद न ले सकता था देखो ; सरकारका लॉ आफ एड़ाप्शन पेज ३८७.

दफा २३६. दत्तकपुत्र———जो लड़का एक दफा दत्तक ले लिया गया है वह दुबारा दत्तक नहीं लिया जासकता देखो सरकारका लॉ आफ एड़ाप्शन पेज २८१—२८२ ट्रिवेलियन हिन्दू फैमिलीलॉ पेज १४९.

यहांपर यह प्रश्न होसकता है कि जब कोई दत्तक अदालतसे नाजायज़ हो गया हो और वह दूसरी सब बातोंसे दुबारा दत्तक लेनेके योग्य भी हो तो वह पुत्र पुनः दत्तक लिया जासकता है या नहीं? इसमें मतभेद है जहांतक मालूम हुआ है ऐसे प्रत्येक मामलेकी कारवाई परसे अदालत यह बात विचार करेगी क्योंकि प्रत्येक ऐसा मामला भिन्न भिन्न क़िस्मका होता है।

दफा २३७. शारीरिक या मानसिक अयोग्यतावाले लड़के———जो अपने शारीरिक या मानसिक अयोग्यताके सबबसे धर्मशास्त्रानुसार ‘ अन्त्येष्ठी क्रिया ’ करनेके अधिकारी नहीं है, दत्तक नहीं लिये जासकते, ऐसे पुरुषोंको उत्तराधिकारमें जायदाद नहीं मिलती इसलिये ऐसे लड़के यदि गोद लिये गये हों नाजायज़ हैं। देखो ; मेन हिन्दूलॉ सातवां एड़ीशन पैरा १३९ और देखो इस किताबकी दफा १७९.

चौथा भाग.

(४) दत्तकसंबंधी आवश्यक धर्मकृत्य क्या हैं ?

दफा २३८. दत्तकमें आवश्यक कृत्य——जिस विधिसे लिया हुआ दत्तक प्राचीनकालमें जायज़ माना जाताथा उससे आजकलके क़ानूनमें बहुत भेद पड़ गया है। प्राचीनकालमें यह सिद्धांत माना जाता था कि जबतक शास्त्रोक्त रीतिद्वारा दत्तक न लिया जाय तबतक वह दत्तक पुत्र नहीं होसकताथा उस समय द्विजोंमें मंत्रोंकी प्रधानता और कर्मकाण्डकी श्रेष्ठता मानी जाती थी अगर विधिके अनुसार गोद न लियाजाय तो वह गोद नहीं कहलाता था। क़ानूनके अनुसार वह रीति इतनी ज़रूरी नहीं रही अब केवल पुत्रको गोद देना और लेना जायज़ होनेके लिये काफ़ी है।

दफा २३९. दत्तकमें कौनसी कृत्य सबमें ज़रूरी है——(१) क़ानूनमें माना गया है कि दत्तककी रसममें लड़केका देना और लेना निहायत ज़रूरी है यही कर्म दत्तककी रसमका प्रधान अंग है, दत्तककी रसमका यह कर्म लड़केको एक ख़ानदानसे दूसरे खानदानमें परिणत कर देता है। देखो ; महाराय शशिनाथ बनाम श्रीमती कृष्णा 7 I.A. 250 ; S. C. 6 Cal 381 ; रंगनाया कामा बनाम अलवर सेटी 13 Mad 214.

(२) क़ानूनके अनुसार 'दत्तक' अदालतमें जायज़ मानाजाय इस बातके साधनके लिये दत्तकसंबंधी कृत्योंमें पुत्रके देने और लेनेकी रसम होना सबसे ज़रूरी है—10 B.H.C. 235 ; 10 B.H.C 265 Note ; 4 M.H.C. 165.

(३) यदि गोद देनेवाले पिता या माता, और लेनेवाले पिता या माताके बीचमें दत्तक संबंधी कोई लिखत होगयी हो जिससे दत्तक होना ज़ाहिर होता हो तो ऐसी लिखतसे दत्तक देने और लेनेकी अमली कारवाई पूरी होगयी ऐसा नहीं माना जायगा जबतक कि असली पिता या माता अपने पुत्रको, खुद, गोद लेनेवाले पिता या माताके गोदमें न दें दे—देखो ; 6 Cal 381 ; 7 C.L.R. 313 ; L.R. 7 A.I. 250 ; 2 C.W.N. 154 ; 25 W.R. 192 ; 13 Mad 214 ; लेकिन इनके साथ 11 B.L.R. 171 भी देखो।

(४) दत्तकके मामलेमें, लेने और देनेकी रसम अवश्य साबित करना चाहिये सिर्फ किसी इक़रार नामेंसे यह बात नहीं मानी जायगी कि लेने और देनेकी रसम अमलमें आयी थी चाहे इक़रारनामा असली बाप या मा ने और गोद लेनेवाले बाप या मा, दोनोंने लिखा हो देखो ; Select Case 1886 Part VIII No 44 ; 10 B.H.C. 225 , 226 ; 19 Cal 452 ; 9 All 255 ; 5 W R. (P.C.) 69 ; 1 B.L R. 842.

(५) दत्तक जायज़ है ऐसा साबित करनेके लिये देने और लेनेकी रसमके अतिरिक्त यदि किसी दूसरे कामों या रसमोंसे ऐसा नतीजा निकाला जाता हो तो वह काफी नहीं है देखो ; 2 B.L.R.A.C.J. 279 ; 11 Suth 196 ; 11 B.L.R. 171 ; 19 W.R. 133 ; 7 I.A. 250 ; 6 Cal 381 ; 7 C.L.R. 313 ; 25 W. R. 192 ; इक़रार नामा वाला मुक़द्दमा देखो ; 2 C.W.N. 154 ; 10 B.H.C. 268 ; 10 B. H. C. 265 ; 25 W.R. 192.

(६) दत्तकके प्रत्येक मुक़द्दमेंमें देने और लेनेकी असली रसूम होना साबित होना ज़रूरी है तभी दत्तक जायज़ माना जायगा देखो; वीरेश्वर मुकरजी बनाम अर्द्धचन्द्रराय चौधरी (1892) 19 I.A. 101 ; 19 Cal. 452 ; शशिनाथघोष बनाम कृष्ण सुंदरी दासी 7 I.A. 250 ; 6 Cal 381 ; 7 Cal. L. R. 313 ; 4 Mad. H.C. 165 ; 1 Mad. N.C. 78 ; 13 Mad 214 ; 11 Mad 5.

(७) दत्तकमें लड़केके देने और लेनेकी रसम सब क़ौमोंमें परमावश्यक मानी गयी है चाहे वह द्विज हों या शूद्र देखो ; मेन हिन्दूलॉ सातवां एडीशन पैरा १५१; ट्रिवेलियन हिन्दूलॉ पेज १४४ ; रामकृष्ण हिन्दूलॉ पेज १८० (A.) ; घारपुरे हिन्दूलॉ पेज ८९ ; शंभुशिवऐय्यर हिन्दूलॉ पेज ८८ (E.) ; मुल्लाहिन्दूलॉ पेज ३९२ दफा ४०३.

(८) एक मुक़द्दमा बंबई प्रांतमें ऐसा हो चुका है कि एक पंद्रह वर्षकी उमर वाली विधवा स्त्रीने एक लड़का गोद लिया और उसने अपनी तरफसे अपने एक रिश्तेदारको दत्तक हवन और अन्य कामोंके लिये नियत किया, विधवा एक कमरेके अंदर बैठी रही सब रसूमात उसके रिश्तेदारके द्वारा कियेगये, यह बात दत्तकके इस मामलेमें आपत्तिजनक नहीं मानी गयी देखो ; लक्ष्मीबाई बनाम रामचन्द्र 22 Bom 590 ; इसी तरहपर लड़का देनेका काम भी उस आदमीकी तरफसे पूरा किया जासकता है जो करनेका अधिकारी हो.

(९) कुछ विद्वानोंका ऐसा सिद्धांत है कि दत्तकके संबंधमें दूसरी रसम ऐसी आवश्यक नहीं है जितनी कि लड़केके देने और लेनेकी रसम। अगर यह रसम किसी दत्तक विधानमें न की गयी हो तो वह दत्तक बिल्कुल नाजायज़ होजायगा, बल्कि वह दत्तकही नहीं कहा जायगा। यद्यपि द्विजोंमें दत्तक हवनकी कृत्य गोद लेनेमें निहायत ज़रूरी है मगर अदालती फैसलोंसे यह तय हो गया है कि हवन एक मज़हबी ज़रूरी रसम है दत्तक विधानमें परमावश्यक नहीं है देखो; वीरपरमल बनाम नारायण पिल्ले 1 N.C. 91 , 117 ; 1 Stra. H. L. 95 ; 3 Dig 244 , 248 , सिंगामा बनामा वेंकटाचार्लू 4 M.H.C. 165 ; सूत्रागुन बनाम सवित्रा 2 Kn. 290 ; 2 W. Macn 199.

दफा २४०. द्विजोंमें दत्तक हवन——(१) हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रकारोंकी सम्मति इस विषयमें एक दूसरेके विरुद्ध नहीं है दत्तक संबंधी आवश्यक कृत्य तीन होते हैं पहला लड़केका देना, दूसरा उसे लेना और स्वीकार करना, तीसरा द्विजोंमें दत्तक हवन। द्विजोंके जिस किसी दत्तक विधानमें यह तीनों कृत्य न किये गये हों अथवा इनमेंसे कोई एक न किया गया हो तो वह दत्तक नहीं होसकता, दत्तककी रसमोंमें हवनको भी उतनाही प्रधान माना है जितना कि लड़केका देना और लेना माना गया है। इस बातकी पुष्टिमें यह कहा गया है कि दत्तक पुत्र गोद लेनेवाले पिताकी धार्मिक कृत्योंका पूरा करनेके लिये लिया जाता है इसलिये और अन्य कारणोंसे भी दत्तक विधानमें हवन आवश्यक कृत्य है। बौधायन और दत्तकचन्द्रिका आदिका यही कहना है कि अगर किसी दत्तकमें हवनकी रसम न की गयी हो तो दत्तक पुत्रको दत्तक लेनेवाले पिताकी सिर्फ उतनी जायदाद मिलेगी जितनी दत्तक पुत्रके विवाहके लिये काफी हो इससे अधिक जायदाद पानेका वह अधिकारी नहीं हैं.

(२) मदरासके पण्डितोंका मत—इस बारेमें मदरासके पण्डितोंने यह कहा कि दत्तकमें, दत्तक हवन सिर्फ ब्राह्मणोंके लिये परमावश्यक है दूसरी क़ौमोंके लिये ऐसा ज़रूरी नहीं हैं इस बातको मिस्टर कोलब्रुक और मिस्टर एलिसने माना है 2 Stra H. L. 87-89 ; यह बात प्राचीनकालसे मानी गयी है कि शूद्र ऐसी कोई रसम नहीं करसकते जिसमें वेद

मंत्रोंकी आवश्यकता हो इस रायको मि० स्टील ने माना देखो ; Steele. 46 दत्तक हवन द्विजोंके लिये आवश्यक कहा गया है शूद्रोंके लिये नहीं।

मिस्टर कोलब्रुक और एलिस् कहते हैं कि दत्तक हवन ब्राह्मणोंके लिये परमावश्यक है मगर क्षत्रियों और वैश्योंका ज़िकर नहीं करते, आगे यह भी कहते हैं कि शूद्रोंमें दत्तक हवनकी ज़रूरत नहीं हैं। अर्थापत्तिसे यह अर्थ निकलता है कि क्षत्रियों और वैश्योंके लिये दत्तक हवन यद्यपि परमावश्यक नहीं तो आवश्यक अवश्य है। दत्तक पुत्रका गोद लेनेवाले पिताके खानदान और उसके धार्मिक कृत्योंके साथ संबंध होता है और यह संबंध परंपरा चलनेवाला होता हैं, द्विजोंके लिये नित्यकर्ममें हवन करना एक परमावश्यक कर्म माना गया है इसलिये जब दत्तकपुत्र गोद लिया जाय तो ज़रूरी है कि धार्मिक कृत्य जो गोद लेनेवाले पिताके लिये परमावश्यक हैं पूरे कियेजावें। अभीतक जितने गोदके मुक़द्दमे हिन्दुस्थानकी हाईकोर्टोंके सामने पेशहुए हैं उनमें यह बात साफ तौरसे तय नहीं हुई कि द्विजोंमें दत्तकहवन ज़रूरी नहीं है इसलिये द्विजोंको दत्तक विधानमें दत्तकहवनकी कृत्यकरना ज़रूर चाहिये देखो दफा २४९.

(३) ब्राह्मणोंमें दत्तक हवन ज़रूरी है किंतु शूद्रोंमें नहीं देखो ; 7 Mad 548 ; 13 Mad 214 ; 11 B. 381 ; 5 S. D. 356-418 ; 6 S. D. 219-270 ; 16 Suth 179 ; W.N.P.H.C. 1868. P. 103.

(४) दक्षिणी ब्राह्मणोंमें लड़कीका बेटा, या भाईका बेटा गोद लेनेके समय दत्तक हवन ज़रूरी नहीं हैं देखो ; 6 All 276.

(५) जब कि गोद लेनेवाले बाप और दत्तक पुत्रका गोत्र एकही हो तो दत्तक हवन ज़रूरी नहीं हैं देखो ; 11 Mad 5 ; 24 Bom 218 ; 5 Mad 358.

(६) मदरास प्रांतमें रहनेवाले खत्रियोंमें विना किसी मज़हबी कृत्य किये दत्तक विधान जायज़ माना गया है देखो ; 6 Mad 20.

(७) नामबुद्री ब्राह्मणोंमें दत्तक हवन ज़रूरी नहीं है देखो ; 15 Mad 7.

(८) दत्तक हवन क्या है ? 5 M.L.J. 66 ; 18 Mad 397 ; में माना गया कि दत्तक हवन लड़केके देने और लेनेकी रसमको दोहरा देता है।

(९) दत्तक हवन कहांपर होना चाहिये ? 3 Agra H.C. 103 A. में कहा गया है कि दत्तक हवन किसी भी जगहपर किया जासकता है यह ज़रूरी नहीं हैं कि गोद लेने वालेके घरहीपर कियाजाय।

(१०) जब किसी ब्राह्मणने लड़का गोद ले लिया हो और गोद लेनेकी रसमें करनेसे पहले मरजाय तो उसकी विधवाका दत्तक हवन करना और दूसरे रसूमात करना जायज़ है। हवन और दूसरे रसूमात करनेके सबबसे वह दत्तक नाजायज़ नहीं होगा देखो; 21 Mad 497.

(११) यदि दत्तक हवनके समय दत्तक पुत्रका असली बाप न मौजूद हो और दत्तक हवन आदि सब कृत्य उसकी स्त्रीने पतिकी आज्ञासे की हों तो वह दत्तक इस सबबसे नाजायज़ नहीं होगा 18 Mad 396 ; 5 Mad L.J. 66 ; 7 Mad 549.

(१२) 8 All 319 में कहा गया कि पंजाबमें कोई भी दत्तककी रसम दत्तक जायज़ करनेके लिये ज़रूरी नहीं हैं क्योंकि वहां दत्तक रवाजके अनुसार लिया जाता है।

नोट—हिन्दुस्थानकी हाईकोर्टोंमें पहले यही माना जाता था कि द्विजोंके दत्तकमें यदि धार्मिक रसूम न किये गये हों तो वह दतक नाजायज़ है (16 W. R. 179) मगर प्रिवीकौन्सिलनें हालके मुक़द्दमोंमें कहा कि मज़हबी रसूमात दतकके जायज़ करनेके लिये ज़रूरी नहीं है किंतु दत्तक हवन ज़रूरी है 5 Cal 770 ; 7 I. A. 24; 6 Cal 381 ; 7 Cal L. R. 313; 7 I. A. 250.

दफ़ा २४१. शूद्रोंके लिये दत्तक हवन ज़रूरी नहीं हैं---(१) तमाम फैसले इस बारेमें हो चुके हैं कि शूद्रोंमें किसी वक्त किसी मज़हवी रसमकी ज़रूरत नहीं है देखो ; नित्यानन्द बनाम कृष्णदयाल 7 B. L. R. 1 ; S.C. 15 Suth 300 इस मुक़द्दमेमें सावित हुआ है कि शूद्रोंमें गोद लेनेके समय मज़हवी रसमकी ज़रूरत नहीं है मगर इस मुक़द्दमेमें भाईका लड़का गोद लिया गया था जो एकही परिवारके थे इसलिये कहा जासकता है कि भाईके लड़केके गोद लेनेमें सिवाय देने और लेनेकी रसमके अन्य रसमें ज़रूरी न थीं । इसके वाद दूसरा मुक़द्दमा फैसला हुआ जिसमें यह वात न थी, माना गया कि शूद्र, दत्तककी कोई रसम अदा किये विना भी दत्तक ले सकता है और इस क़िसमका दत्तक जायज़ होगा शूद्रोंमें विवाहकी रसमके सिवाय अन्य रसमें ज़रूरी नहीं है—देखा; विहारीलाल बनाम इन्द्रमनी 13 B.L R. 401 ; S. C. 21 Suth 285 ; प्रिवी कौंसिलका फैसला देखो—सवर्नोमनी इन्द्रमनी बनाम विहारीलाल 7 I.A. 24 ; S.C. 5 Cal 770 ; दयामनी बनाम रासविहारी S.D. 1852. P. 1001 ; प्रकाशचन्द्र बनाम धुनमनी S. D. 1853 P 96 ; अलवर बनाम रामासामी 2 Mad Dec. 67 ; थंगाथंन्नी बनाम रानूमुदाली 5 Mad 358 ; 7 B.L.R. 1; 15 W.R. 300 ; 11 B.L.R. 171 ; 19 W.R. 133 ; 2 B.L R.A.C.J. 279 ; 11 Suth 196 ; 6 C.L.R. 183 ; इन ऊपरके मुक़द्दमोंमें स्पष्ट है कि शूद्रोंको दत्तक लेनेमें सिवाय लड़केके देने और लेनेकी रसमके और कोई भी मज़हवी रसमकी ज़रूरत नहीं है ।

(२) शूद्रोंमें मज़हवी रसूमात दत्तक लेनेके लिये ज़रूरी नहीं हैं, और शूद्रकुष्ठी दत्तक ले सकता है द्विजकुष्ठी नहीं ले सकता देखो ; 28 Cal 168 ; 6 Cal. 381 ; 7 I.A. 250 ; 7 Cal. L.R. 313.

(३) S.C. 26 में कहा गया है कि वनियोंमें दत्तक हवन और पुत्रेष्ठीकी ज़रूरत नहीं है

(४) जैनियोंमें गोद लेनेके लिये किसी रसमकी ज़रूरत नहीं है 8 Cal 319.

दफ़ा २४२. मदरास प्रांतमें ब्राह्मणोंके दत्तकमें हवन ज़रूरी नहीं है---(१) मदरासके एक मुक़द्दमेमें यह बात साफ तय पायी है कि वहांपर ब्राह्मणोंके गोद लेनेमें दत्तक हवनकी ज़रूरत नहीं है सिर्फ पुत्रका देना और लेना ज़रूरी है । इस मुक़द्दमेमें स्पष्ट सिद्ध करदिया गया है कि मदरास प्रांतमें अगर ब्राह्मणोंके दत्तक लेनेके समय हवनकी रसम न की गयी हो तो वह दत्तक सिर्फ इस बातसे नाजायज़ नहीं होगा. देखो ; सिनगम्मा बनाम वेंकटचालू 4 Mad. H.C. 165 ; 1 Stra. H. L. 96 ; जगन्नाथकी भी यही राय है 3 Dig 244-248.

(२) क्षत्रिय—नीचेके मुक़द्दमेंसे यह मालूम होता है कि क्षत्रियोंमें भी उस प्रांतमें दत्तक हवनकी रसम ज़रूरी नहीं है इस मुक़द्दमेंमें वही क़ायदा लागू किया जो ऊपरके ब्राह्मणोंसे लागू किया गया था देखो ; चन्द्रमल बनाम मुक्तामल 6 Mad 20 नम्बोदरी ब्राह्मणोंकी नज़ीर देखो ; शंकरन बनाम केशावन 15 Mad 7.

(३) ब्राह्मणोंके एक मुक़द्दमेंमें यह माना गया कि दत्तककी सब रसमें (हवन आदि) पहले हो चुकी थीं मगर लड़केके देने और लेनेकी रसम पांचवर्षके पश्चात की गयी ऐसा मालूम होता है कि दत्तक देने और लेनेवालेके दरमियान तय हुआ था कि बाज़ावता दत्तक विधान आगे किया जायगा, इस दत्तकको अदालतने जायज़ माना वेंकट बनाम सुभद्रा 7 Mad 548 ; सव्वार पैय्यर बनाम सव्वामल 21 M. 497.

दूसरा मुक़द्दमा ऐसा था कि जिसमें एक ब्राह्मण पुरुषने अपने गोत्रका लड़का गोद लिया था मगर दत्तक होमकी रसम नहीं की थी अदालतने गोदको जायज़ माना देखो; गोविंद ऐय्यर बनाम दोरासामी 11 Mad 5.

दफ़ा २४३. सूतक या दूसरी अशुद्धतामें दत्तक——जन्म या मरणके सूतकमें, अथवा दूसरी तरहकी अशुद्धताके अंदर यदि कोई दत्तक लिया गया हो तो वह महज़ इस तजेहसे नाजायज़ नहीं होगा, मगर शर्त है कि दोनों पक्षोंका गोत्र एकही हो, ऐसी दशामें दत्तक हवन ज़रूरी नहीं है-देखो; 14 Mad L.J. 340; 27 Mad 538; 11 Mad 5; 24 B. 218; 5 Mad 358 परंतु थोड़ा विरुद्ध भी देखो 15 W.R. 300; 7 B.L.R.1.

अगर दत्तक हवन करना आवश्यक होवे तो वह दत्तक लेनेके बाद और सूतक या अशुद्धता समाप्त होनेपर किया जासकता है देखो; 5 M.L.J 66; 18 Mad 397; 27 Mad 538. 13 Mad 214-222 में मदरास हाईकोर्टने कहा कि इस मुक़द्दमेमें एक वैश्य विधवाने उस वक्त गोद लिया जब कि उसके पतिकी लाश घरमें पड़ी थी, और सूतक था इसलिये दत्तक नाजायज़ है यही सिद्धांत 9 Mad. I.A. 506 में माना गया।

शूद्रोंमें अशुद्धताके भीतर गोद लिया जासकता है क्योंकि उनमें किसी रसमकी पाबंदी नहीं मानी गयी 5 Mad 358; बंबई प्रांतमें माना गया है कि विना शिर मुंडी विधवा दत्तक ले सकती है 11 Bom 381; 22 Bom. 590; और बंगाल प्रांतमें माना गया है कि विधवा विठलाई हुई. दत्तक नहीं ले सकती क्योंकि उसे किसी धार्मिक कृत्य करनेका अधिकार हिन्दू धर्मशास्त्रकारोंने कहाही नहीं 22 Cal 347; 5 B.L.R. 362.

दफ़ा २४४. दत्तक हवनके बारेमें फ़ैसलोंपर विचार——एक दूसरे सिद्धांतके विपरीत अनेक फ़ैसले होगये हैं जिनमेंसे किसीमें दत्तकहवन आवश्यक बताया गया और किसी में नहीं। दत्तकहवनका विवाद द्विजन्मा क़ौमोंके संबंधमें है। शूद्रोंके संबंधमें सब फ़ैसले प्रायः एकही उद्देशके साथ मिलते हैं कि उनमें दत्तक हवन ग़ैरज़रूरी है सिर्फ लड़केका देना और लेनाही दत्तककी रसमको पूराकर देता है। हम आगे कुछ ऐसे फ़ैसले देते हैं जिनमें बहुत कुछ साफ किया गया है कि द्विजोंके लिये दत्तक हवन परमावश्यक कृत्य वैसाही है जैसी कि लड़केके देने और लेनेकी कृत्य देखो; रंगनाया कामा बनाम अलवर सेटी 13 Mad. 214-219; इस मुक़द्दमेमें जजोंने जुड़ीशल कमेटीके इस फैसलेपर भरोसा किया था कि जो महाशय-शशिनाथ बनाम श्रीमती कृष्णा 7 I.A. 250-256 में फैसला हुआ था इसमें अदालतकी राय थी कि अभीतक जो कुछ तय हुआ है वह इतनाही है कि शूद्रोंमें दत्तक लेनेकी रसम सिर्फ लड़केका देना और लेना काफी है उनके लिये दत्तक हवनकी कोई ज़रूरत नहीं है और न कोई दूसरी रसमकी, किंतु द्विजन्मा क़ौमोंके लिये विना दत्तक हवनके दत्तक नहीं हो सकता क्योंकि द्विजोंके लिये कुछ मज़हबी रसमें निहायत ज़रूरी हैं जैसे 'दत्तक हवन' यही सिद्धांत बंगालके पण्डितोंने भी दो मुक़द्दमोंमें क़ायम किया था, तीनों ऊंचे दर्जेकी क़ौमोंमें दत्तक हवनकी रसम आवश्यक है देखो; अलंकमंजरी बनाम फक़ीरचन्द 5 S. D. 356-418; 6 S. D. 219-270; यह सिद्धांत अन्य मुक़द्दमोंमें भी माना गया, जस्टिस मित्रने भी यही माना कि द्विजोंके लिये दत्तक हवन परमावश्यक है मगर शूद्रोंके लिये नहीं देखो; लक्ष्मण बनाम मोहन 16 Suth 179; ठाकुर उमराव बनाम ठकुरानी N. W. P. H C. 1868 P. 103; ठीक इसी सिद्धांतको बंबई हाईकोर्टने मानकर कुछ मुक़द्दमोंका

फ़ैसला किया है अब अधिकतासे यह माना जाता है कि द्विजोंमें दत्तक हवन ज़रूरी रसम है शूद्रोंमें नहीं। मगर जहांपर सगे भाईका लड़का गोद लिया गया हो और दत्तक हवनकी रसम न की गयी हो तो वह महज़ इस वजेहसे नाजायज़ नहीं होगा कि उस लड़केके गोद लेनेके समय दत्तक हवन नहीं किया गया था। इससे यह मतलब नहीं समझना चाहिये कि सगे भाईके लड़केके गोद लेनेकी रसममें दत्तक हवन नहीं होना चाहिये बल्कि यह मतलब है कि अगर किसी भूलके सबबसे दत्तक हवन रह गया हो तो दत्तक पुत्र नाजायज़ नहीं हो जायगा। यदि जानबूझकर द्विजोंमें दत्तकहवन छोड़ दिया गया हो तो उसका फल दूसरा होगा देखो (दफ़ा २४५); बंबई हाईकोर्टके फैसले देखो—हैबतराव बनाम गोविंदराव 2 Bom 72-87; रवजी विनायकराव बनाम लक्ष्मीबाई 11 Bom 381—393; बल्लूबाई बनाम गोविंद 24 Bom 218.

इलाहाबाद हाईकोर्टमें इसी क़िस्मका एक मुक़द्दमा फैसला हुआ है जिसमें फरीक़ैन दक्षिणी ब्राह्मण थे साबित हुआ था कि जब सगे भाईका लड़का गोद लिया गया हो तो दत्तक हवन ज़रूरी नहीं है बाक़ी दशाओंमें है देखो; प्रमाराम बनाम माधवराव 6 All 276.

पांडेचरीमें साफ़ तय हो गया है कि द्विजोंमें दत्तक हवनकी रसम और अन्य रसमें जो ज़रूरी हैं, दत्तक जायज़ बनानेके लिये अवश्य होना चाहिये, इस विषय पर जो अनेक प्रकारके फैसले हो चुके हैं उन सबका फरक़ जहांतक मालूम होता है इस हद्दतक जासकता है कि द्विजन्मा क़ौमोंमें अगर गोद लेनेवाले और देनेवालेका समान गोत्र न हो, या इसके विरुद्ध कोई रवाज साबित की जाती हो तो दत्तक हवनकी रसम परमावश्यक है।

दफ़ा २४५. जानबूझकर दत्तककी रसम त्यागनेका फल——यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर गोदकी रसम जानबूझकर इस लिये छोड़ दी गयी हो कि दत्तक विधि पूरी न हो जाय अथवा किसीके मरनेसे या अन्य किसी दूसरे कारणसे जो चाही गयी थी पूरी न की जाय तो ऐसी दशाओंमें दत्तक विधि पूरी नहीं समझी जायगी। जो रसम लड़का देनेवाले और लेनेवालेके बीच चाही गयी थी वह दत्तक विधिके पूरा करनेके लिये आवश्यक है चाहे वह रसम क़ानूनन ज़रूरी नहो देखो; 3 W. Macn 197; ईश्वरचन्द्र बनाम रासबिहारी S. D. 1852, P. 1001; बेनीप्रसाद बनाम मुंशीसैय्यद 25 Suth. 192; 24 Bom 226.

दफ़ा २४६. वसीयतसे गोद और दानपत्र——जबकोई दत्तक वसीयतनामा (मृत्युपत्र) के द्वारा लियागयाहो तो उसमें भी ज़रूरी है कि दत्तकसंबंधी समग्र मज़हबी रसमें अवश्य की जायें, और अगर ज़रूरी रसमें किये बिना गोदलिया जाय तो वह गोद नाजायज़ होगा। अगर दत्तक की वसीयत करनेके पश्चात् एक बख़शीशनामा (दानपत्र) किसी जायदाद का उसी लड़के के नाम करदिया गयाहो जो लड़कागोद लिया जाने वालाहो तो उस बख़शीशनामा (हेबानामा या दानपत्र) की पाबंदी इसप्रश्नपर निर्भर होगी कि क्या उस लड़केने दत्तकपुत्रकी हैसियत गोदलेने वालेके दिलपर प्राप्त करली थी? या वह दानपत्र दूसरे आदमी के नाम जैसा किया जाता है वैसा किया गया है? Sorg. H. L. 135; Co. Con 171 Post. 180, 182.

दफ़ा २४७. पंजाब और जैनी——पंजाबप्रांतमें और जैनक़ौममें दत्तक जायज़ होनेके लिये किसी मज़हबी रसमकी ज़रूरत नहीं है, पंजाबकस्टमरीलॉ 3 P. 82; लखमीचन्द बनाम गाटोबाई 8 All 319.

दफा २४८. लंकाद्वीपमें केशरका पानी——उत्तरीय सीलोन (लंकाद्वीप) के मदलियारों में गोदलेनेकी रसम यह है कि गोदलेनेवाला केशर का पानी गोदलिये जानेवाले लड़के के हाथसे पी लेवे देखो; Thesawaleme II.

दत्तक परिग्रह विधान ।

दफा २४९. दत्तक मुहूर्त और दत्तक लेनेकी विधि——

(१) दत्तक लेनेका मुहूर्त—दत्तक विधान शुभ मुहूर्त में होना चाहिये इसलिये साधारणतः नीचे लिखे अनुसार पंचाङ्ग देखकर नक्षत्र, वार, तिथि और लग्नको अवश्य विचारलो ।

[दत्तक मुहूर्त]

हस्तादि पंचक भिषग्वसु पुण्य भेषु सूर्य्येंच भौम गुरु भार्गव वासरेषु
रिक्ता विवर्जित तिथिष्वलि कुंभ लग्ने सिंहे वृषे भवति दत्त परिग्रहोऽयम् ।

दत्तक लेने के मुहूर्त में इन बातों का विचार करना चाहिये । नक्षत्र यह हों-हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, अश्विनी, और धनिष्ठा । दिन यह हों—रवि, मंगल, बृहस्पति, और शुक्र । यह तिथियां न होवें- ४ । ९ । १४ इन तिथियों को छोड़ कर शेष तिथियां शुभ हैं । लग्न यह हों—वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ । इसतरह नक्षत्र, वार, तिथि और लग्नको देखकर गोदलेने का मुहूर्त निश्चित करना ।

(२) शौनक के अनुसार दत्तक लेनेकी विधि——

[दत्तक लेनेकी विधि]

राजानं ग्राम स्वामिनं च निवेद्य पुत्रग्रहणात्पूर्वे दिने कृतोपवासः चन्द्र
[विधि] तारादि बलान्विते शुभ मुहूर्ते ब्राह्मणान् बन्धून् ज्ञातीन् सपिण्डान् चाहूय
सुसत्कृत्य सपत्नीको यजमानः शुभासने उपविश्य आचम्य प्राणानायम्य
देशकालौ स्मृत्वा प्रतिज्ञां कुर्य्यात् ।

महर्षि शौनक कहते हैं कि-गोदलेने वाला, गोदलेनेसे एक दिन पहले राजा या ग्रामस्वामी (ज़िमीनदार या प्रतिष्ठित पुरुष) से दत्तक लेनेकी बात निवेदन करके व्रत धारण करे । ज्योतिष शास्त्रके अनुसार जिस समय चंद्रमा और तारा आदि बलवान मिलें ऐसे शुभ मुहूर्तमें ब्राह्मण, बन्धु, और जातिभाइयों तथा वंशजों को मानपूर्वक निमंत्रित करे और सबका यथोचित पूजन तथा सत्कार करे । ' यजमान ' गोदलेनेवाला अपनी स्त्री सहित शुद्धता पूर्वक पवित्र आसनपर बैठे, विधिके अनुसार आचमन और प्राणायाम करनेके पश्चात् देश, कालका स्मरण करता हुआ नीचे लिखा संकल्प पढ़े—

(कुशकी पवित्री पहनकर हाथमें जल लेवे और नीचेका संकल्प पढ़े)

[कृत्य] विष्णुर्विष्णुर्विष्णुरित्यादि…… …… ……मम अग्रजस्त्व प्रयुक्त पैतृक ऋणापाकरण पुन्नाम नरक त्राण द्वारा वंशाभिवृद्ध्यर्थं संतति विच्छेद जनित प्रत्यवाय परिहारार्थं सनातन कुलधर्माणामुत्पत्तये च समस्त पितृणां शाश्वत ब्रह्मलोक निवासार्थं स्वस्योद्धर्तुं कामोऽहं स्वकुलोत्पन्न पुत्रवता समत्व सिद्ध्यर्थं श्रीपरमेश्वर प्रीत्यर्थं शौनकोक्त विधिना पुत्र प्रतिग्रहं करिष्ये—तदङ्गत्वेन गणपत्यादि पूजन स्वस्ति पुण्याह वाचन माचार्य वरणं विष्णुपूजनं च करिष्ये ।

[विधि] ततः धर्म संयुक्तं वेद पारगं ब्राह्मणं आचार्यं संपूज्य वाससी कुण्डले उष्णीषञ्चाङ्गुलीयकं दत्वा वृणुयात् ।

इसके पीछे, धर्मके जाननेवाले और चारों वेदोंके पारंगत ऐसे ब्राह्मण आचार्यका विधिवत् पूजन करे और उसे धोती जोड़ा, दो कुण्डल, पगड़ी और अंगूठी आदि देकर आगे कहे हुए वाक्यसे उसका वरण करे ।

(वरण करनेका वाक्य)

[कृत्य] मम अग्रजस्त्व प्रयुक्त पैतृक ऋणापाकरण वंशाभिवृद्धिपूर्वक समस्त पितृणां शाश्वत ब्रह्मलोक निवासार्थं पुत्र प्रतिग्रह कर्मणि अमुक गोत्रं अमुक शर्माणं ब्राह्मणं एभिर्द्रव्यैः आचार्यत्वेन त्वामहं वृणे ।

(आचार्य निम्न वाक्य कहे)

‘ वृतोस्मि ’

[विधि] ततः आचार्यः स्वस्ति पुण्याहवाचनम् रक्षाविधानम् विधाय कलश-प्रतिष्ठा गणेशादीन् कुलिष्टदेवं श्रीविष्णुंच यथोपचारैः विधिवत्संपूज्य स्थण्डिले शुद्धायां भूमौ दर्भैः परिसमूहनम् गोमयोदकेनोपलेपनम् स्वादिरेण स्फ्येनेनोल्लेखनम् हस्तेनोद्धरणम् उदकेनाभ्युक्षणम् एतानि पञ्चभूसंस्काराणि कृत्वा कांस्य पात्रेणाग्निमानीय वक्ष्यमाण मंत्रेणाग्निं संस्थापयेत् ।

वरण हो जानेपर आचार्य ‘ स्वस्तिवाचन ’ और ‘ पुण्याहवाचन ’ के मंत्र पढ़े । रक्षा-विधान (हाथोंमें सूत्रकी रक्षा बांधना) करके विधिवत् कलशस्थापन करे । गणेश, वरुण, गौरी आदि देवताओं तथा कुलके इष्टदेवता एवं विष्णु भगवान का विधिपूर्वक यथोचित

पूजन करे। पवित्र स्थानमें यज्ञकी एक सुंदर वेदी बनावे और 'पंचभू संस्कार' से शुद्ध कर कांस पात्रमें अग्नि मंगवाये। नीचे के मंत्रको पढ़कर यज्ञवेदीमें अग्नि स्थापन करे।

(अग्निस्थापन करनेका मंत्र)

ॐ अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यवाह मुपब्रुवे देवां आसा दयादिह

ततो यजमानः आचार्य्येण सह दातुः समक्षं गच्छेत् आचार्य द्वारा याञ्चां कारयेत्। आचार्यो दातारं प्रत्येतस्मै पुत्रं देहीति याञ्चां कुर्यात्। ददामीति दाता वदेत्। ततो दाता आचम्य प्राणानायम्य देशकालौ संकीर्त्य प्रतिज्ञां कुर्यात्।

अग्नि स्थापन करनेके पश्चात् गोद लेनेवाला अपने आचार्यको साथ लेकर पुत्र देनेवाले के पास जाय और आचार्यद्वारा उससे पुत्र मांगे (गोद लेनेवाला अपने आचार्यसे कहे कि आप मेरे लिये अमुकसे पुत्र मांगिये) आचार्य पुत्र देनेवालेसे कहे कि 'आप मेरे यजमानकी वंशवृद्धिके लिये अपना पुत्र दीजिये' पुत्र देनेवाला कहे कि 'मुझे स्वीकार है मैं अपना पुत्र देताहूं,' इसके बाद पुत्र देनेवाला पवित्र होकर यज्ञवेदीके समीप आये और आचमन, प्राणायाम करके देश कालका स्मरण करता हुआ नीचे लिखी प्रतिज्ञा करे।

(पवित्री आदि धारण कर पुत्र देनेवाला यह संकल्प करे)

[कृत्य] ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः ॐ तत्सद्ब्रह्म श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणो द्वितीये परार्धे विष्णुपदे श्रीश्वेत वाराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे तत्प्रथमचरणे अमुक....द्वीपे अमुक....खण्डे तत्रापि परमपवित्रे भारतवर्षे अमुक....देशे अमुक....क्षेत्रे श्रीगंगायमुनयोर्महानद्योरमुक....दिग्भागे। देवब्राह्मणानां सन्निधौ श्रीमन्नृपतिविक्रमादित्यस्य राज्यादमुक संख्यापरिमिते श्रीशालिवाहन राज्यादमुक....संख्या परिमित वा प्रवर्तमान वत्सरे प्रभवादि षष्ठिसंवत्सराणां मध्येऽमुक....नाम्नि संवत्सरे अमुक....अयने अमुक....ऋतौ अमुक....मासे अमुक....पक्षे अमुक....तिथौ अमुक....वासरे अमुक....नक्षत्रे अमुक....योगे अमुक....करणे अमुक....राशिस्थिते चंद्रे अमुक....राशिस्थे सूर्य्ये अमुक....राशिस्थे देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं गुणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्य फल प्राप्ति कामः अमुक....गोत्रोत्पन्नः अमुक....वर्णोहं अमुकस्य....वंशाभिवृद्धये मम च पुत्र फल प्राप्ति कामः श्रीपरमेश्वर प्रीत्यर्थं पुत्रदानं करिष्ये। तदङ्गत्वेन गणेशादीनां पूजनं च करिष्ये। इति संकल्पः।

[विधि] इति संकल्प्य गणपत्यादिपूजनान्ते प्रतिग्रहीतारं यथा शक्त्या संपूज्य दानं दद्यात् ।

गोददेनेवाला उक्तप्रकार संकल्प करके गणेशादि देवताओं तथा गोदलेनेवाले काभी पूजन करे और अपने पुत्रका दान देनेसे पहले नीचेके पांच वेदमंत्रों को पढ़े (स्वयं न पढ सकने की दशामें आचार्य पढ़े)

(वेदमंत्राः)

[कृत्य] ॐ येयज्ञेन दक्षिणया समक्ता इन्द्रस्य सख्य मंमृतत्व मांनश । तेभ्यो भद्रमंगिरसो वोऽअस्तु प्रतिगृभ्णीत मानवं सुमेधसः । १ । यऽउदायंन् पितरो गोमयं वस्वृते नाभिन्दन्परिवत्सरे वलम् । दीर्घायुत्व मंगिरसो वोऽअस्तु प्रतिगृभ्णीत मानवं सुमेधसः । २ । य ऋतेन सूर्यमारोहयन्दिव्य प्रथयन्पृथिवीं मातरं वि । सुप्रजास्त्वमंगिरसो वोऽअस्तु प्रतिगृभ्णीत मानवं सुमेधसः । ३ । अयन्नाभावदति वल्गुवो गृहे देवपुत्राऽऋषयस्तच्छृंणोतन । सुब्रह्मण्य मंगिरसो वोऽअस्तु प्रतिगृभ्णीत मानवं सुमेधसः । । ४ । विरूपामऽइद्दषयस्तऽइद्गंभीरवेपसः । तेऽअंगिरसः सूनवस्तेऽ अग्नेः परिं जज्ञिरे । ५ । इति ।

[विधि] इतिपंचमंत्रान्पठित्वा दक्षिण हस्ते जलादीन्यादाय देशकालौ स्मृत्वा प्रतिज्ञां कुर्य्यात् । संकल्पोदकं पतिगृहीतृ हस्ते निषिंचेत् ।

पुत्र देनेवाला, ऊपरके पांच वेद मंत्रोंको पढ़कर दाहिने हाथमें जल, अक्षत, सुपारी, द्रव्य आदि लेकर देश कालका स्मरण करे और नीचे लिखी प्रतिज्ञा (संकल्प) स्पष्ट रीतिसे पढ़कर उस जल अक्षत आदिको गोद लेने वालेके हाथमें छोड़देवें, पीछे अपने पुत्रको अपनी गोदमें लेकर गोद लेनेवाले के दोनों हाथोंमें दे दे ।

(पुत्र दानका संकल्प)

[कृत्य] ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः ॐ तत्सद्ब्रह्म श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णो राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्रीश्वेत वाराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे तत्प्रथमचरणे अमुक.... द्वीपे अमुक.... खण्डे तत्रापिपरम पवित्रे भारतवर्षे अमुक.... देशैकदेशे अमुक.... आरण्ये बौद्धावतारे अमुक.... क्षेत्रे श्रीगंगायमुनयोर्महानद्योरमुक.... दिग्भागे देव ब्राह्मणानां सन्निधौ श्रीमन्नृपति विक्रमादित्यस्य राज्यादमुक.... संख्यापरिमिते श्रीशालिवाहन राज्यादमुक.... संख्या परिमित वा प्रवर्त-

मान वत्सरे प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये अमुक.... नाम्नि संवत्सरे अमुक.... अयने अमुक.... ऋतौ अमुक.... मासे अमुक.... पक्षे अमुक.... तिथौ अमुक.... योगे अमुक.... करणे अमुक.... राशिस्थिते चन्द्रे अमुक.... राशिस्थिते सूर्यें अमुक.... राशिस्थे देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशिस्थान स्थितेषु सत्सु एवं गुण विशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्य फल प्राप्ति कामः अमुक.... गोत्रोत्पन्नः अमुक.... नामाहं—इमं पुत्रं तव पैतृक ऋणापाकरण पुन्नाम नरकोत्तारणार्थं वंशाभिवृद्ध्यर्थं मात्मनश्च मुक्तये श्रीपरमेश्वर प्रीतये तुभ्य महं संप्रददे नमम ।

(दत्तक लेनेवाला—बालकको हाथोंमें लेकर आगे लिखी वाक्यपढ़े । और 'ॐदेवस्यत्वा')
इस मंत्रको पढ़कर अपनी गोदमें बिठाले ।

धर्मायत्वा गृह्णामि संतत्यैत्वा गृह्णामि ।

देवस्यत्वा सवितुः प्रस वे श्विनों ब्बाहुभ्यांम्पूष्णो हस्ताभ्यां प्रति प्रति गृह्णामि

(गोदलेनेवाला, नीचेके मंत्रको पढ़कर बालकका मस्तक सूंघे)

ॐ अंगा दंगात्संभवसि हृदयादधि जायसे । आत्मावै पुत्र नामासि सजीव शरदः शतम् । इति ।

[विधि] ततो युवासुवासेति मंत्रेण बालकाय वस्त्रं परिधायउष्णीषं बद्ध्वा कुंडलादिभिरलंकृत्य कुंकुमादिना तिलकं कृत्वा प्रावरणेन संवेष्ट्य धृतच्छत्रं गीतवाद्य नृत्य मंगल पुरःसरं ब्राह्मणैः स्वस्तिनइन्द्रेति सुमंगल सूक्तं पठेत् । पुरंध्रीभि र्नीराजयेत् ।

'ॐ युवासुवास' नीचे लिखामंत्र पढ़कर पुत्रको सुंदर वस्त्र, पगड़ी, कुंडल आदिआभूषण पहनाये केशरका तिलक लगाये उत्तरीयवस्त्र (उपरना-दुपट्टा). छत्र धारण करे । नृत्य, गीत, वाद्य एवं मंगलमय अन्य कृत्य करे । ब्राह्मण लोग वेदके 'स्वस्तिवाचन' आदि कल्याण प्रद मंत्रोंका गान करें । स्त्रियां मंगलगान करती हुयी नीरांजन करें ।

नोट—प्राचीनकालमें यह चालथीकि गोदलेने वाला, पुत्रदेनेवाले के घर जाकर पुत्र मांगताथा और वहांसे उक्तप्रकार अपने घर लौट कर यज्ञादि कर्म करताथा किंतु अब प्रायः ऐसा नहीं होता । दोनो एकही जगह पर दत्तकविधि पूरा करते हैं इसलिये प्राचीन पृथाकी सब कृत्य उसी जगह पर पूरी कर दी जाती हैं ।

(आभूषण पहनाने का मंत्र)

[कृत्य] ॐ युवा सुवासः परिवीत आगात् सुश्रेयान् भवति
तंधीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यायो मनसा देवयन्तः ।

[विधि] ततोगृहीता हस्तौ पादौ प्रक्षाल्य अग्नेःपश्चिमतः शुभासने प्राङ्मुख उपविश्य स्वदक्षिणतः पत्नीं चोपवेश्य पत्न्युत्संगेबालं चोपवेश्य आचम्य प्राणानायम्य देशकालौ स्मृत्वा “दत्तकविधानाङ्ग हवनं करिष्ये” इति संकल्प्य कुशकण्डिकां कुर्यात् तत्र आचार्योऽग्नेर्दक्षिणतः परिस्तरण भूमिं त्यक्त्वा ब्रह्मणे आसनं दत्वा ब्रह्माणं वृणुयात् ।

पुत्रको आभूषणोंसे सुसज्जित करनेके पश्चात् गोदलेनेवाला स्वयं पवित्र होकर यज्ञवेदी के पश्चिम शुभआसनपर पूर्वकी तरफ मुखकरके बैठे और अपने दाहिने तरफ अपनी पत्नीको सुंदर आसनपर बिठाये । पत्नीकी गोदमें उस दत्तक पुत्रको देदेवे । पीछे आचमन, प्राणायाम करके ‘ दत्तक-हवन ’ करनेका संकल्प करे । यज्ञवेदीके दक्षिण तरफ ‘ ब्रह्मा ’ बनानेके लिये किसी योग्य ब्राह्मणको अच्छे आसनपर बिठा एवं आचार्यको बिठाकर दोनोका विधिवत् पूजन करके नीचे लिखे वाक्य द्वारा ‘ ब्रह्मा, को वरण करे ।

(ब्रह्माके वरण करनेका वचन)

[कृत्य] देशकालादि संकीर्त्य० ....ॐ अद्यकर्तव्य दत्तपुत्र विधानाङ्गहोम कर्मणि कृताऽकृता वेक्षण रूप ब्रह्म कर्म कर्तुममुक....गोत्रं अमुक....शर्माणं ब्राह्मणमेभिः पुष्प चन्दन ताम्बूल द्रव्यादिभिर्ब्रह्मत्वेन त्वामहं वृणे ।

(वरणको लेकर ब्रह्मा यह कहे)

ॐ वृतोस्मि ।

(गोदलेने वाला यजमान कहे)

ॐ यथा विहित कर्म कुरु ।

(ब्रह्मा यह वचन बोले)

करवाणीति ।

(नीचे लिखी कृत्य आचार्य, ब्रह्मा, और गोदलेनेवाला यथा योग्य करे)

(कुश कण्डिका)

तद्यथा-प्रणीतापात्रं पुरतः कृत्वा जलेनापूर्य्य कुशत्रयेणाच्छाद्य ब्रह्मणोमुख मवलोक्य अग्नेरुत्तरतः कुशोपरि निदध्यात् । ततः परिस्तरणम् । बर्हिषश्चतुर्थभागमादाय चतुर्भिर्दर्भदलै रुत्तराग्रैराग्नेयादीशानान्तम् १ प्रागग्रैर्नैऋत्यादाग्नेयान्तम् २ उदगग्रैर्नैऋत्याद्वायव्यान्तम् ३ प्रागग्रै र्वायव्यादीशानान्तम् च परिस्तरेत् ४ एवं परिस्तरणं कृत्वा अग्नेरुत्तरतः

पश्चिम दिशि पवित्र छेदनार्थं कुशत्रयं पवित्रकरणार्थं पवित्रे साग्रे अन्तर्गर्भे द्वेकुशपत्रेः प्रोक्षणी पात्रम् १ आज्यस्थाली १ चरुस्थाली १ संमार्जन कुशाः पंच ५ उपयमन कुशाः सप्त ७ समिधस्तिस्रः पालाश्यः प्रादेशमात्राः ३ श्रुवः १ आज्यं गव्यम्। चर्वर्थास्तंडुलाः तंडुलपूरितपूर्णपात्रम् दक्षिणा एतानि पवित्रच्छेदन कुशानां पूर्वं पूर्वं दिशि क्रमेणासादनीयानि ततः पवित्रछेदनैः पवित्र करणम् । द्वयोः पवित्रयोरुपरि कुशत्रयं निधाय अग्रतः प्रादेशमात्रं विहाय त्रिभिः कुशैर्द्वे कुशतरुणे प्रच्छिद्य द्वयोर्मूलं त्रीणि चोत्तरतः क्षिपेत् । ततः सपवित्र हस्तेन प्रणीतोदकं त्रिः प्रोक्षणी पात्रे निक्षिप्य अनामिकाङ्गुष्ठाभ्यामुत्तराग्रे गृहीत्वा त्रिरुत्पवनम् । प्रोक्षणी पात्रस्य सव्यहस्तेकरणम् । अनामिकांगुष्ठाभ्यां पवित्रे गृहीत्वा त्रिरुद्दिंगनम् । ततः प्रणीतोदकेन प्रोक्षणी प्रोक्षणम् । प्रोक्षणी जलेन आज्यस्थाल्यादीनि पूर्णपात्रपर्यंतानि क्रमेणैकैकशः प्रोक्ष्य असंचरे प्रणीताग्न्योर्मध्ये प्रोक्षणी पात्रं निधाय आसादितमाज्य माज्यस्थाल्यां प्रक्षिप्य । चरुस्थाल्यां प्रणीतोदकमासिच्य । तत्र तंडुलान्प्रक्षिप्याज्यं ब्रह्माधि श्रयति । तदुत्तरतः स्वयं चरुमेव युगपदग्नावारोप्य । ईषच्छृते चरौज्वलदुल्मुकं प्रदक्षिणमाज्य चर्वोः समंतात् भ्रामयेत् । ततो दक्षिण पाणिनास्रुवमादाय अधोमुखमग्नौ तापयित्वा सव्येपाणौकृत्वा दक्षिणेन संमार्जनाग्रैर्मूलतोग्रपर्यन्तं मूलैरग्रमारभ्य अधस्तान्मूलपर्यन्तं संमृज्य प्रणीतोदकेनाभिषिच्य पुनः प्रताप्य दक्षिणतो निदध्यात् । ततः आज्यमुत्थाप्य चरोः पूर्वेणनीत्वाग्नेरुत्तरतः स्थापयित्वा चरुमुत्थाप्य आज्यस्य पश्चिमतोनीत्वा आज्यस्योत्तरतः स्थापयित्वा आज्यमग्नेः पश्चादानीय चरुंचानीय आज्यस्योत्तरतो निदध्यात् । ततः पवित्राभ्यामाज्यमुत्पूय अवलोक्य तस्मादपद्रव्य निरसनं पुनः प्रोक्षण्युत्पवनम् । ततः उपयमन कुशानादाय उत्तिष्ठन् प्रजापतिं मनसा ध्यात्वा तूष्णीमग्नौ घृताक्ताः समिधस्तिस्रः प्रक्षिपेत् । ततः उपविश्य प्रोक्षण्युदकेन सपवित्रेणाग्निमीशानादि उदकपर्यंतं परिषिच्य दक्षिणं जान्वाच्य ब्रह्मणान्वारब्धः समिद्धतमेऽग्नौ श्रुवेणाज्याहुतीर्जुहुयात् [आहुत्यनन्तरं श्रुवावस्थित हुतशेषघृतस्य प्रोक्षणीपात्रे प्रक्षेपः] इति ।

(नीचेके मंत्रोंसे घृतकी आहुति देवे)

(अथहोमः)

अग्नेरुत्तरभागे—ॐ प्रजापतये स्वाहा । इदंप्रजापतये । अग्नेर्दक्षिणभागे —ॐ इन्द्राय स्वाहा । इदमिन्द्राय । (इत्याघारौ) मध्येसमिद्धतमे—ॐ अग्नये स्वाहा । इदमग्नये । ॐ सोमाय स्वाहा । इदंसोमाय । (इत्याज्य भागौ) ततश्चरु मवधार्य होमः—

(नचिके मंत्रोंसे चरुकी आहुति देवे)

ॐ यस्त्वाहृ॒दा की॒रिणा॒ मन्यंमा॒नोऽमंर्त्यं॒ मर्त्यो॒ जोहंवीमि। जातंवेदो॒ यशोंऽअ॒स्मासुं धेहि प्र॒जाभिंरग्नेऽअमृत॒त्व मंश्या॒ं स्वाहा ।१।
इदमग्नये नमम ।

ॐ यस्मै॒त्वं सु॒कृतें जातवेदऽउ॒लोकमंग्ने कृ॒णवः स्यो॒नम्। अ॒श्विन॒ं सपु॒त्रिणं वी॒रवंन्तं॒ गोमंन्तं र॒यिन्नंशते स्व॒स्ति स्वाहा ।२। इदमग्नये नमम ।

ॐ तु॒भ्यमग्ने॒ पर्यंवह॒न्त्सूर्यां वंह॒तु नांस॒ह । पुन॒ः पतिंभ्यो जा॒यांदाग्नै प्र॒जयास॒ह स्वाहा ।३। इदं सूर्यासावित्र्यैनमम ।

ॐ सोमों दददृंध॒र्वायं गंध॒र्वों ददंद॒ग्नयें । र॒यिंचं पु॒त्राँश्चां दाद॒ग्निर्म॒ह्य मथोंऽइ॒मां स्वाहा ।४। इदं सूर्यासावित्र्यै नमम ।

ॐ इ॒हैवस्त॒ं मावियौंष्ट॒ं विश्व॒ मायु॒र्व्यंश्नु॒तम्। क्रीळंतौ पुत्रैर्न॒प्तृ॒भि॒र्मोदंमा॒नौ स्वेगृ॒हे स्वाहा ।५। इदं सूर्या सावित्र्यै नम।

ॐ आनंः प्र॒जां जंनयतु प्र॒जापंति राजरसा॒य समनक्त्वर्य॒मा । अदुमंगलीः पतिलो॒क माविंश॒ शन्नोंभव द्विपदे॒ शं चतुंष्पदे स्वाहा ।६। इंदसूर्या सावित्र्यै नमम ।

ॐ अघोर चक्षु रपंतिघ्न्येधि शि॒वाप॒शुभ्यः सुमनाः सुवर्चाः। वी॒र सूर्देव कांमा स्यो॒ना शन्नों भव द्वि॒पदे॒ शं चतुंष्पदे॒ स्वाहा ।७। इदंसूर्या सावित्र्यै नमम ।

ॐ इ॒मांत्वमिंद्र मीढः सु॒पुत्रां सु॒भगां कृणु। दशांस्यां पु॒त्रानाधेंहि॒ पतिमेकाद॒शं कृधि॒ स्वाहा ।८। इदंसूर्या सावित्र्यै नमम ।

[ततः आज्येन]

ॐ भूःस्वाहा इदंभूः । १ । ॐ भुवःस्वाहा इदंभुवः । २ । ॐ स्वःस्वाहा इदंस्वः । ३ । ॐ भूर्भुवः स्वःस्वाहा इदं भूर्भुवः स्वः । ४ ।

[ततोऽन्वारब्धेन चरुघृताभ्याम्]

ॐ अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा ।-इदमग्नये स्विष्टकृते नमम ।

[तत आज्येन भूराद्या नवाहुतयः]

(नीचेके ९ मंत्रोंको पढ़कर घीकी आहुति देवे).

ॐ भूः स्वाहा इदमग्नये । १ । ॐ भुवःस्वाहा इदंवायवे । २ । ॐ स्वः स्वाहा इदं सूर्याय । ३ । ॐ त्वन्नोऽअग्ने व्वरुणस्य विद्वान्देवस्य हेडो अवया सिसीष्टाः । यजिष्ठो वह्नितमः शोशुचानो व्विश्वा द्वेषांꣳसिप्रमुमुग्ध्यस्मत्स्वाहा । ४ । इदमग्नी वरुणाभ्यां नमम । ॐ सत्व न्नोऽअग्नेवमो भवोती नेदिष्ठो अस्याऽउषसो व्युष्टौ । अवयक्ष्व नो व्वरुणꣳ रराणो वीहि मृडीकꣳसुहवो नऽएधि स्वाहा ।५। इदमग्नी वरुणाभ्यां नमम । ॐ अयाश्चाग्नेस्य नभिशस्ति पाश्चं सत्यमित्त्व मया ऽ असि । अयानो यज्ञं वहास्य यानो धेहि भेषज ꣳ स्वाहा । ६ । इदमग्नये न मम ॐ येते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञियाः पाशा वितता महान्तः । तेभि-र्नोऽअद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्क्काः स्वाहा । ७ । इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्केभ्यश्च न मम। ॐ उदुत्तमं व्वरुण पाशं मस्मद वाधमं विमद्ध्यमꣳश्रथाय । अथा वयमा-दित्य व्रते तवा नागसो अदितये स्याम स्वाहा । ८ । इदं वरुणाया-दित्यायादितये च नमम। ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये न मम ॥ ९ ॥

इति नवाहुतयः

विधि] ततः संश्रव प्राशनं आचमनं च । ब्रह्मणे पूर्णपात्र दानम्––

गोद लेनेवाला उपरोक्त मंत्रोंसे हवन कर चुकनेपर प्रोक्षणीपात्रके घृतका प्राशन करे। पीछे आचमन कर और नीचेके संकल्पको पढ़कर 'पूर्णपात्र' ब्रह्माको देवे। पूर्णपात्रमें यथा-शक्ति दक्षिणा भी रख लेवे।

(ब्रह्माके लिये पूर्णपात्रका संकल्प)

[कृत्य] ॐ अद्य दत्त पुत्र विधानाङ्ग होम कर्मणि कृताऽकृता वेक्षण रूप ब्रह्म-कर्म प्रतिष्ठार्थमिदं पूर्ण पात्रं प्रजापति दैवतं सदक्षिणाकममुक.... गोत्रायामुक.... शर्मणे ब्राह्मणाय ब्रह्मणे दक्षिणात्वेन तुभ्यमहं संप्रददे। स्वस्तीति प्रति वचनम्। ततो ब्रह्मग्रंथि विमोकः।

(आचार्य, गोदलेनेवाले के शिरमें प्रणीतापात्रसे जल लेकर मार्जन करे)

मंत्र

ॐ सुमित्रिया नऽआप ओषधयः संतु

(नीचेका मंत्र पढ़कर ईशान्य कोणमें प्रणीताको न्युब्ज (उलटा) देवे)

ॐ दुर्म्मित्रियास्तस्मै संतु योऽस्मान्द्वेष्टि यंच वयं द्विष्मः।

[विधि] ततस्त्र्यायुष्करणं कुर्यात्। एवं होम शेषं समाप्य आचार्यं वस्त्रालंकारादिभिर्यथाविभवं संपूज्य धेनुं दद्यात्। ब्राह्मणेभ्यो दक्षिणां दत्वा तैराशिषो गृहीत्वा सभोपविष्टान् गंध ताम्बूलफलादिभिस्तोषयेत्।

आचार्य, यज्ञवेदीकीभस्मश्रुवासे लेकर ' त्र्यायुषं यमदग्ने ' इसमंत्रद्वारा गोदलेनेवाले के अङ्गोंमें त्र्यायुष्करण करे। यज्ञाग्नि और देवताओं का विसर्जन करे।

गोदलेनेवाला, हवनकृत्य समाप्तहोनेपर अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार उदारता पूर्वक अपने आचार्य को नये वस्त्र, आभूषण, दक्षिणा देकर पूजन करे पीछे एक गोदान करे। जो ब्राह्मण उस स्थानमें एकत्र हों सबको यथा योग्य सत्कार करके दक्षिणा देवे तथा ब्राह्मणोंसे आशीर्वाद ग्रहण करे, शक्त्यानुसार ब्राह्मण भोजन करावे। दत्तकविधानमें आये हुए वंशज, जातिभाई, और बन्धुवर्ग तथा इष्टमित्र सबका यथोऽचित सत्कार करके सबको भोजन करावे, स्वयंभी उनके साथ भोजन करे। बिरादरी और अन्य लोगोंमें नारियल, गरीगोला, मिश्रीके लड्डू, आदि अपनी पृथाके अनुसार वितरण करे। पुत्रजन्मोत्सवकी तरह अनेक प्रकारके योग्य उत्सव करे।

नोट—गोद लेनेकी विधि ऊपर साधारण रीतिसे बतायी गयी है अधिक देखना हो तो देखो, शौनक-स्मृति, दत्तकमीमांसा, दत्तकचन्द्रिका, संस्कार प्रकाश, और चतुर्वर्ग चिंतामणि। दत्तक विधिके पश्चात् दत्तक पुत्रके जात कर्मसे लेकर सब संस्कार विधिवत् करना चाहिये तथा नान्दीमुख श्राद्ध करना चाहिये। अर्थात् जो संस्कार औरसपुत्रके लिये धर्मशास्त्रानुसार आवश्यक बताये गये हैं वे संस्कार दत्तक पुत्रके लिये भी होना आवश्यक हैं। आजकल गोद लेनेके उपलक्ष्यमें सेठ साहूकार हजारों रुपया खर्चकर देते हैं किंतु अपने पवित्रपूर्वजोंकी आर्ष विधि करनेसे हाथ मुंह सिकोड़ते हैं। हम आग्रह करते हैं कि द्विजोंको और विशेषकर क्षत्रिय तथा वैश्योंको इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये। ब्राह्मणोंमें प्रायः विधिके अनुकूल दत्तक लिया जाता है।

पांचवाँ भाग।

(५) दत्तक लेनेकी शहादत कैसी होना चाहिये।

दफा २५०. गोदलेना कैसे साबित किया जाय——अदालतमें दत्तक सावित करनेके लिये कोई विशेष बात नहीं है। जिसतरह पर कि अन्य मामले सावित किये जाते हैं उसी तरहपर दत्तक भी सावित किया जाता है चाहे वह मुद्दई हो और चाहे मुद्दालेह। ऊपर दत्तक विधि में कहा गया है कि अच्छे मुहूर्त में अपने कुटुम्बियों और भाई बंदोंको तथा ब्राह्मणों और अन्य आदमियों को बुलवावे, राजाको निमंत्रणदे और विधिपूर्व्वक मंगलाचार करके अपने खानदानकी रसूमातके अनुसार सबके समक्षमें गोद लेवे। यह सब शहादत गोद सावित करने के लिये ज़रूरी होती है। यहभी ऊपर बताचुके हैं कि जिस गोद में सब बातें साबित हो जायें मगर लड़केका देना और लेना साबित नहो तो गोद नाजायज़ हो जावेगा (देखो दफा २३९) इस लिये सब बातें ध्यानमें रखकर गोदकी रसम करना चाहिये और वही अदालतमें लेखबद्ध और ज़बानी साक्षियों से सावित करना चाहिये। दत्तक चन्द्रिका, दत्तक मीमांसा, वीर मित्रोदय आदि ग्रन्थों मे कहा गया है कि--

> नृत्यगीतैश्च वाद्यैश्च स्वस्तिशब्दैश्च संयुतम्
> गृहमध्ये तमाधाय चरुं कृत्वा विधानतः।

किसी समयपर इस क़िस्मकी शहादत भी दी जासकती है कि जो लोग उत्सवमें शरीक रहे हों, गाने बजाने या अन्य रसूमातके कामोंमें हाज़िर रहे हों, वह यह सावित करें कि अमुक बात हमारे सामने हुई है। शहादतमें दत्तकपत्र लिखा जाता है, चाहे वह सादे कागज़पर लिखा गया हो अथवा रजिस्टरी कराया गया हो; अकसर आजकल दत्तक विधानके वक्त एक लिखत की जाती है जिसमें लड़का देने और लेनेका ज़िकर करके उपस्थित बिरादरीके दस्तख़त होते हैं और लड़का देनेवाले तथा लेनेवालेके दस्तख़त होते हैं। वह कागज़ दत्तक विधान सावित करनेके लिये अदालतमें पेश किया जासकता है और साबित किया जासकता है। इसी तरहपर जैसे और मामले सावित किये जातेहैं उसी तरहपर दत्तक भी सावित करना चाहिये इस आखीर वाक्यके बारेमें नज़ीरें देखो; तारनी चरण बनाम सरोदासुंदरी 3 B. L. R. (A. C. J.) 146; S. C. 11 Suth 468 हरदयाल बनाम रायक्रिस्टो 24 Suth 107.

दफा २५१. दत्तक होनेका अनुमान कब किया जायगा——महर्षि अत्रिने कहा है कि--

> अपुत्रेणैव कर्त्तव्यः पुत्र प्रतिनिधिः सदा
> पिण्डोदक क्रियाहेतोर्यस्मात्तस्मात्प्रयत्नतः।

उपरोक्त श्लोकमें अत्रिने बहुत ज़ोर देकर कहा है कि जिस पुरुषके औरस पुत्र न हो उसे दत्तक पुत्र लेनेके लिये कोशिश करना चाहिये ताकि उसकी पिण्डदान और

तर्पण की क्रिया वंद न होजाय। इस वातकी पुष्टि वीर मित्रोदय, दत्तक मीमांसा दत्तकचन्द्रिका, कौस्तुभ आदि ग्रन्थोंसे होती है कि हिन्दू पुरुषको अपना कोई न कोई प्रतिनिधि (लड़का) अवश्य छोड़ जाना चाहिये जिसमें उस पुरुषके मरनेके बाद धार्मिक कृत्य बंद न होजाय। इसलिये इन सब बातोंपरसे ऐसा अनुमान किया जाना बहुत योग्य है, कि जब कोई हिन्दू पुरुष विना औलादके मरगया हो तो उसने दत्तकके लिये ज़रूर खयाल किया होगा, और जब यह साबित हो कि वह बीमार बहुत दिन रहा था, और जायदाद वाला था, (जो जायदाद उसके मरनेके बाद दूसरे वारिसोंको पहुंचती) तव अधिक अनुमान किया जायगा कि उसने ज़रूर दत्तक पुत्र लेनेके वारेमें खयाल किया होगा। इससे भी अधिक ऐसा अनुमान तब किया जायगा जब घरेलू झगडों या अन्य किसी सवबसे उसको वह पसंद न करता हो जो उसके मरनेके बाद उसकी जायदादका वारिस होनेवाला हो।

दफा २५२. मिताक्षरा स्कूलमें दत्तकका अनुमान——हिन्दुस्थानके जिन भागोंमें मिताक्षरा लॉ लागू किया गया है, उनमें यदि कोई हिन्दू पुरुष विना औलादके मरजाय तो उसकी विधवाको सिर्फरोटी कपड़ा मिलनेका अधिकार है वशर्तेकि खानदान शामिल शरीक हो। ऐसी दशामें विधवाको पतिके उत्तराधिकारी, चाहे वह कितना भी दूरका हो उसके आधीन रहना पड़ेगा। इसलिये ऐसा अनुमान किया जासकता है कि पतिने अपने उत्तराधिकारी (वारिस) के तावे अपनी स्त्रीको छोड़ना पसंद नहीं किया होगा वल्कि यह पसंद किया होगा कि विधवा माताकी हैसियतसे रहे और दत्तक पुत्रकी माता कहलाती हुई उस पुत्रकी वली बनी रहे। देखो; 1 Hyde, 249; हराधन बनाम मथुरानाथ 4 M.I.A, 414; S.C. 7 Suth. (P.C.) 71; सुंदरकुमारी वनाम गजाधर 7 M.I.A. 64; S.C. 4 Suth (P.C.) 116; राव हनाधा वनाम व्रजाकेशोरी 3 I. A. 177; S. C. 1 Mad 69; S. C. 25 Suth 291. जस्टिस मित्रकी राय देखो; राजेन्द्र नरायण बनाम सरोदा 15 Suth 548; हरमंचलसिंह बनाम कुंवर घनश्याम 2 Kn. P. 220.

यद्यपि यह कहा गया है कि जिस पुरुषकी स्त्री गर्भवती हो उस वक्त वह दत्तक ले सकता है (देखो दफा १०५) मगर यहांपर यह अनुमान भी किया जासकता है कि जब अपनी जवानीमें अथवा यह समझकर कि मेरी स्त्री गर्भवती है ज़रूर इसके औलाद पैदा होगी, मरगया हो तो दत्तकके न लेनेका अनुमान हो सकता है। सावित्री बनाम शत्रुघ्न 2 S. D. 21 (26); मंजूर किया गया— 2 Kn 287.

दफा २५३. कुटुम्बियोंके साथ दत्तक पुत्रके हिलमिल जानेका असर——जब किसी दत्तक पुत्रके वारेमें कहाजाता हो कि नाजायज़ है और इसके साथ ही यह भी साबित होताहो कि उस दत्तक पुत्रको दत्तक हुए बहुत रोज़ गुज़र गये हैं, बिरादरीमें उसके प्रतिकूल कोई झगड़ा नहीं उठा, सब भाई बंदोंमें वह खान पान आदिमें मिस्ल दत्तक पुत्रके शामिल किया जाचुका है और होता रहता है, जो कुछ बर्ताव उसके साथ किया गया है वह दत्तक मानकर किया गया है, तथा अन्य सब लोग उसे दत्तक पुत्र समझकर उसके साथ बर्ताव करते हैं तो ऐसी हालतमें यह समझा जायगा कि जो सुबूत दत्तक साबित करनेके लिये आवश्यक था वह पूरा हो चुका। या यों कहिये कि जब दत्तक पुत्रको दत्तक लेनेका एक ज़माना वीत गया हो, और खानदानमें तथा उस समाजमें जिसमें खानदानवालोंका संबंध अथवा मेल मिलाप होता रहता है दत्तक पुत्रकी हैसियतसे वह शामिल होगया हो,

उसके साथ वैसाही बर्ताव किया गया हो जैसा कि दत्तक पुत्रके लिये होना चाहिये था। ऐसी हालतमें जिन लोगोंके साथ ऐसा बर्ताव हुआ है और जिन लोगोंको दत्तककी सही बातें जाननेका मौका मिला है उनकी शहादत मुक़द्दमेंमें ज़रूरी होगी—देखो ; प्रकाशचन्द्र बनाम धुनमनी S. D. 1853, 96 ; नित्यानन्द बनाम कृष्णदयाल 7 B. L. R. 1; S. C. 15 Suth , 300 ; राजेन्द्रनाथ बनाम जोगेन्द्रोनाथ 14 M. I. A. 67 ; S. C. 15 Suth (P.C.) 41 ; हरदयाल बनाम रायक्रिस्टो 24 Suth , 107 ; सुवो वेवा बनाम सुवोधन 11 Suth 380 ; S. C. 2 B, L. R. , Appx 51 ; वैश्य चिम्मनलाल बनाम वैश्य रामचन्द्र 24 Bom 473. और देखो आख़ीरके संबंधकी नजीरें:—राजेन्द्रोनाथ बनाम जोगेन्द्रोनाथ 14 M· I. A. 67 ; S.C. 15 Suti (P.C.) 41 ; S. C. 7 B. L. R. , 216 ; अनद्रो शिवाजी बनाम गणेश यशवंत 7 Bom. H. C. Appx. 33.

"बहुतरोज़ या ज़माना" के बारेमें साफ़तय नहीं हुआ कि कितना हो जानाजाहिये, यह बात हरएक मुक़द्दमेंके जैसे संबंध हों उसके अनुसार लागू होगी। जिसतरहपर कि ऊपर कहा हुआ ज़माना गुज़रजानेसे और ख़ानदानवालों केसाथ तथा अन्य लोगोंके साथ मिस्ल दत्तक पुत्रके बर्ताव होजानेसे दत्तकके साबित होनेका अनुमान पैदाहोता है, उसीतरहपर अगर यह बातें अनुकूल नहीं तोविरुद्ध अनुमानभी पैदाहोजाता है। जैसे यदि दत्तकको बहुतरोज़ होगये हों मगर यह बात छिपाई गयीहो, या किसीएकतरफ़से दत्तक कहाजाताथा मगर दूसरी तरफ़से इसबात पर शककिया जाताथा, या उसकी असलियत पर कभी जांच नहीं कीगयी, अथवा उसकेसाथ बिरादरी व ख़ानदान वालोंने दत्तक पुत्रकी हैसियतसे बर्ताव नहीं किया ऐसी हालतमें जितना समय दत्तकका व्यतीत होता जायगा उतनाही उस दत्तकके विरुद्ध अनुमान कियाजायगा मगर यह ध्यानरहेकि यदि कोई दत्तक बिना अधिकारके लिया गयाहो या अन्यबातें जो दत्तक के लिये क़ानूनन् होना ज़रूरीहैं न की गयी हों तो ज़माना कितनाभी दत्तक का गुज़र जाय और चाहे ख़ानदान वाले और अन्य लोगों ने स्वीकार भी कर लिया हो मगर वह जायज़ नहीं होसकेगा। इसी क़िस्मका एक मुक़द्दमा देखो जिस्में हिन्दू विधवाने बिला इजाज़त अपने पतिके दत्तक लिया था और उसे लोगोंने स्वीकार कर लिया था १८ मास वितीत होगये थे, नाजायज़ क़रार दिया गया 18 Mad. I. L. R. 145.

(१) बिरादरीमें स्वीकार किया हुआ भी दत्तक पुत्र नाजायज़ होगा यदि कोई दत्तक ऐसा हो जो और सबतरहसे ठीक हो तथा विधिपूर्वक लिया गया हो, और उसे दत्तक लिये बहुत रोज़ गुज़र गये हों तथा अपने ख़ानदान व भाई बंदोंमें वह दत्तक पुत्रकी भांतिमाना जाता हो, मगर यह साबित हो जाय कि वह दत्तकपुत्र दत्तकके योग्यही नहीं था, तो नाजायज़ होगा। जैसे किसी पुरुषके योग्य औरसपुत्र मौजूद हो और उसने दत्तक लिया हो, या ब्राह्मणोंमें बहन का लड़का दत्तक लिया गया हो या लड़कीका लड़का लिया गया हो इत्यादि।

अब आप दो ऐसे मुक़द्दमें देखें जिनमें गोदकी मंसूख़ीका दावा किया गया था और यह साबित हुआ था कि दावा करनेवालेनेही वह गोद दिलाया है और हर तरहसे वह उस गोदसे राज़ीथा मगर फिरभी अदालतसे नहीं माना गया। इतनाही नहीं बल्कि उसने दत्तक लेनेके बारेमें कोशिश की थी, समझायाथा, स्वयं राज़ी हुआ था, और बिरादरीमें कोशिश की थी कि उस दत्तकपुत्रके साथ दत्तकपुत्रकी हैसियतसे बर्ताव किया जावे। पहिला मुक़द्दमा वह है जिसमें एक ब्राह्मणने अपने भांजेको दत्तक लिया और दूसरा जिसमें एक ब्राह्मणने यज्ञोपवीत और विवाह होजानेपर दत्तक लिया था, दोनों नाजायज़ हुये। अदालतने यह मानाकि दावा करनेवाला अपने अमल तरीक़ेसे दत्तकसे इनकार नहीं कर सकता मगर वह यदि, ऐसी

सूरत न होती तो दावा कर सकता था। देखो ; गोपालयान, वनाम रघुपति पय्यान 7 Mad H. C., 250, सदाशिव बनाम हरि मोरेश्वर 11 Bom. H. C. 190; रावजी विनायकराव बनाम लक्ष्मीवाई 11 Bom, 381, 396; कन्नामल बनाम वेरासामी 15 Mad 486; सानटप्पा पप्पा बनाम राम गप्पा यप्पा 18 Mad. 397, 54 ; सुखवासी वनाम गुम्मान 2 All 366 ; कुंवरजी वनाम वावाई 19 Bom. 374; 18 Mad I.L.R. 397; 15 Mad. I.L.R. 486.

(२) यह बात अयोग्य जान पड़ती है कि जिस पुरुषने दत्तकके बारेमें इतनी पैरवी की हो, और वह उसके लिये किसी तरहसे भी कोई बाधा उसके लाभमें न डाल सके। मुमकिन है कि उसने बिना समझे, नेकनियतीसे या ग़लतीसे दत्तकके संबंधमें कोशिश की हो और रज़ामंदी ज़ाहिर कीहो मगर उस ग़लतीके सबबसे दूसरेको नुक़सान, या तकलीफ पहुंचे तो ऐसी ग़लती चाहे कैसी भीहो स्वीकारके योग्य नहीं है। जिसकी तरफसे उपरोक्त काम किया गया हो उसे अपने बयानके बदलनेका अथवा उस बयानके असरके हटानेके उद्योग करनेका मौक़ा क्या देना चाहिये। देखो ; पारवती वनाम रामकृष्णा 18 Mad I. L. R. 145 (उपरकी राय ग़लतीसे स्वीकारकी गयी थी)

दफा २५४. दत्तक पुत्रको अपने असली ख़ानदानमें लौटनेकी रुकावटें—

जब कि दत्तक पुत्र अपने असली ख़ानदानसे दूसरे ख़ानदानमें चला गया हो, अथवा ऐसा दत्तक हो जो क़ानूनन् असली ख़ानदानसे ख़ारिज न किया गया हो, और किसी सबबसे उसे अपने असली ख़ानदानमें लौटना पड़े, तो उसे क़ानूनी रुकावटें पैदा हो जाती हैं। मुमकिन है उसको क़ानून मियादसे रुकावट पड़ जाय जिसके सबबसे वह असली ख़ानदानमें जानेसे रोकाजाय या उसकी हालत जो बदलचुकी है उसके सबबसे असली ख़ानदानमें जानेकी रुकावट पैदा हो जाय, जो हालत कि उसकी असली ख़ानदानमें होनेकी दशामें होती वह नहीं रही। राजेन्द्रोनाथ वनाम जोगेन्द्रोनाथ 14 M.I A. 77 ; S.C. 15 Suth (P.C.) 41 ; S.C. 7 Bom L.R. 216.

दफा २५५. दत्तक साबित होजानेका फैसला सबको पाबंद करेगा—

यह बात तय हो गयी है कि जब कोई मुक़द्दमा दत्तकका अदालतमें चल रहा हो और उसका फैसला दत्तकके पक्षमें होजाय अर्थात् कोर्टसे दत्तक साबित होजाय तो वह फैसला न सिर्फ उन्हीं दोनों पक्षकारोंके साथ लागू होगा जो दत्तकके मुक़द्दमेंमें वादी या प्रतिवादीकी हैसियतसे संबंध रखते थे, बल्कि उन सब लोगोंसे लागू होगा जो उस मुक़द्दमेके पक्षकार नहीं थे, यानी उस फैसलेका असर उन सबको पाबंद करेगा जो उस केसमें शामिल न थे। इस क़िस्मका फैसला ख़ानदान व बिरादरी वग़ैरासे भी लागू किया जायगा। अदालतसे जब गोद साबित होनेका फैसला आख़िरी होजाय तो ख़ानदान या बिरादरीका कोई आदमी उस फैसलेकी पाबंदीसे इनकार नहीं कर सकता, हमेशाके लिये वह फैसला इस बातका हो जायगा कि जो दत्तक ली गयी थी जायज़ थी। और जब एक दफा ऐसा फैसला अदालतसे होजाय तो दुबारा दावा नहीं हो सकता देखो ; सिविल प्रोसीजर एक्ट नं० ५ स० १९०८ ई०की दफा ११। नजीरें देखो ; सीताराम बनाम जगवंधू 2 Suth 168 फैसला न मानने वालेपर बार सुबूत पड़ेगा—किस्टोमनी बनाम कलक्टर आफ मुरशिदाबाद S.D. 1859, 550 ; राजक्रिष्टो बनाम किशोरी 3 Suth 14. यरकल अम्मा बनाम अनाकला 2 Mad.H.C. 276 ; गोपालायान बनाम रघुपति पय्यान 3 Mad H.C. 217

छठवां भाग ।

(६) दत्तक लेनेका फल क्या है ।

दफा २५६. दत्तक पुत्र अपने असली कुटुम्बकी जायदादका वारिस नहीं होता— दत्तक पुत्रका पहिलेके कुटुम्बसे जिसमें वह पैदाहुआ है नाता छूटजाता है, और उस कुटुम्बसे विल्कुल संबंध टूट जाता है वह उस कुटुम्बका लड़का कहलाता है जिस कुटुम्बमें गोद लिया गया है उसे पूर्व पिताका नाम वदल कर नये पिताका नाम उपयोग में लाना पड़ता है। और नये पिताकी धार्मिककृत्य सब करना पड़ती है उसे ऐसा समझनाचाहिये कि जब दत्तकपुत्र नये कुटुम्ब में आता है तव उसका नामकरण संस्कार भी किया जाता है यानी दूसरा नाम रखाजाता है। दत्तकपुत्र जिसवक्त नये कुटुम्बमें प्रवेश करता है उसे सब वा सारा अधिकार जहांतक उसके संबध में पहुंचते हैं सब प्राप्त होजाते हैं। जब कोई लड़का अपने असली कुटुम्ब से दूसरे नये कुटुम्ब में दत्तक चाला जाता है तो असली कुटुम्ब की जायदादका वारिस नहीं होता नीचेके उदाहणर देखो—

उदाहरण——(१) माणिकचन्दके दो लड़के हैं हीरालाल और मोतीलाल, मोतीलालको माणिकचन्दने गोददेदिया और पश्चात वह मरा तो माणिकचन्द की जायदाद का वारिस हीरालाल होगा मोतीलाल नहीं होगा क्योंकि वह गोदचला गयाथा (२) खानदान शामिल शरीकमें शिवराम, शिवलाल, और शिवदास तीनों सगेभाई हैं। शिवराम का शिवप्रसाद, शिवलालका शिवचरण, शिवदासका शिवदत्त पुत्र है। शिवप्रसाद को शिवरामने गोददेदिया तो खानदानी जायदाद के वारिस पांच आदमी रहेंगे। शिवप्रसादका कोई हक पिताकी जायदाद में वाकी नहीं रहा क्योंकि वह दत्तक चला गयाथा।

दफा २५७. असली कुटुम्बमें शादी नहीं कर सकता, और न गोदले सकता है— यद्यपि दत्तक पुत्रका संबंध उसके असली कुटुम्बसे टूट जाता है मगर खूनके संबंधको वह नहीं मिटासकता। इसी लिये दत्तक पुत्र अपने असली कुटुम्बमें शादी नहीं कर सकता, और न वह अपने असली कुटुम्बसे किसीपुत्रको दत्तक ले सकता है, जिसे वह असली कुटुम्बमें रहनेकी हालतमें दत्तक न ले सकता था। देखो दफा २५६.

उदाहरण—(१) रामनाथके दो लड़के हैं रामरिख और रामप्रताप। रामप्रतापके मामा रामसेवकके एक लड़की है जिसका नाम है रामवती। रामप्रतापको रामनाथने गोद दे दिया। अब गोद चले जानेपर भी रामप्रताप, रामवतीके साथ शादी नहीं कर सकता है इसीतरह पर रामप्रताप उन सबके साथ शादी नहीं कर सकेगा, जिनके साथ वह गोद न जानेकी दशामें नहीं कर सकता था।

(२) गणेश प्रसादके तीन पुत्र हैं गणेशलाल, गणपति और गणेशदास। गणपतिकी बुवाके लड़केका नाम शिवसागर और बहनके लड़केका नाम प्रताप तथा भाई गणेशदासकी लड़कीके लड़केका नाम मुकुन्द है। गणपतिको गणेशप्रसादने गोद दे दिया तो अब गोद

जानेकी दशामें भी गणपति, शिवसागर, प्रताप और मुकुंदको दत्तक नहीं ले सकता क्योंकि गणपति इन लड़कोंको उस वक्त भी गोद नहीं ले सकता था जब कि वह असली खानदानमें था

दफा २५८. दत्तक पुत्र गोद लेनेवाले आदमीकी जायदादका वारिस होताहै— जब अकेला दत्तक पुत्र ही दत्तक लेनेवालेके बाद वारिस रहा हो, और एकही पुत्र दत्तक लिया गया हो तो दत्तक पुत्रको, गोद लेनेवाले बाप और उसके दादा परदादाकी सब जायदाद प्राप्त होती है बल्कि दूसरे रिश्तेदारों तकका वह वारिस होजाता है। दत्तक पुत्र इस तरहपर सबका वारिस होता है जिसतरह पर कि गोद लेनेवालेका औरस पुत्र होता। नज़ीरें देखो; गुरुवल्लभ बनाम जगन्नाथ 7 Macn. 159; मुकुन्दो बनाम विकंठ 6 Cal. 289; और देखो 26 I.A. 83; S. C., 22 Mad 383.

एक दत्तक पुत्र दूसरे दत्तक पुत्रका वारिस होता है और दत्तक पुत्र, गोद लेनेवाले बापके भाईका भी वारिस होता है दोनों बातोंकी नज़ीरें देखो; श्यामचन्द्र बनाम नारायनी 1 S.D. 209 (279); गुरुहरी बनाम मिस्टर रत्नासुरी 6 S. D. 203 (250); जैचन्द्र बनाम भैरवचन्द्र S.D. of 1849, 461; गुरूगोविंद बनाम आनन्दलाल 5 B. L. R. 15; S. C. 13 Suth (F.B.) 49; लोकनाथ बनाम श्यामासुंदरी S. D. of 1858,. 1863; किशननाथ बनाम हरी गोविंद S. D. of 1859. 18; गुरुप्रसाद बनाम रासबिहारी S. D. of 1860, 1, 411.

दफा २५९. दत्तक पुत्र दादाके चचेरे भाईका तथा सपिण्डोंका वारिस होता है— दत्तक पुत्र, अपने गोद लेनेवाले बापके पिताके चचेरे भाईकी जायदादका वारिस है। अर्थात् दत्तक संबंधसे दादाके चचेरे भाईका वारिस होता है—तारामोहन बनाम कृपामयी 9 Suth 423; दत्तक पुत्र गोद लेनेवाले पुरुषका वारिस तो होता ही है मगर नीचेके मुकद्दमेमें यह माना गया कि दत्तक पुत्र तमाम सपिण्डोंका वारिस होता है—पद्मकुमारी बनाम जगतकिशोरी 5 Cal. I. L. R. 615; यह फैसला प्रिवीकौंसिलमें भी बहाल रहा देखो—सवनीमनी पद्मकुमारी बनाम कोर्ट आफ वार्डस 8 I. A. 229; S. C· 8 Cal, 320.

दफा २६०. दत्तक पुत्र नानाका वारिस होता है———— दत्तक पुत्र गोदलेनेवाली माताके खानदान का वारिस होगा यानी नाना की संपत्ति का वारिस होगा इस विषयमें अनेक लोगोंका मत कुछ भिन्न भिन्न होनेपर भी आखिरीमें एक ही है। मिस्टर मेकनाटन साहबकी रायहै कि दत्तक पुत्र मा की वहनके भाई का वारिस हो सकता है देखो; मेकनाटन हिन्दू ला जिल्द २ पेज ८८ इन्हीं सब बातोंसे प्रमाण मिलता है कि दत्तक पुत्र नानापक्षका उतना ही अधिकारी होता है जितना असली लड़का।

दफा २६१. दत्तक पुत्र मा के स्त्रीधन और संपत्ति का वारिस होता है——— दत्तक पुत्र के सबब से गोदलेनेवाली मा अथवा जिसके पतिने गोदलियाहो तो विधवा का अधिकार स्त्रीधनपर वैसाही बनारहता है जैसा कि पहिले था मगर दत्तक पुत्र मा के स्त्रीधन का वारिस होगा—तीन कौड़ी बनाम दीनानाथ 3 Sutn 49 बंबई के पण्डितोंने भी यहीराय मानी है W. & B. 513.

दत्तक पुत्र उसका भी वारिस होगा जो गोदलेनेवाली मा ने अपने बाप से उत्तराधिकार

में पायी हो, दत्तक को औरस पुत्र के समान सब अधिकार प्राप्त होते हैं । इलाहाबाद हाईकोर्टने इस विषयमें तय किया है देखो; श्यामकुवर बनाम गया । All. 256. और देखो ; उमाशंकर वनाम कालीकमल 6 Cal. 256; 10 I. A. 138; S. C.10 Cal. 232; सरयूकंथ नन्दी वनाम महेशचन्द्र 9 Cal. 70.

दफा २६२. दत्तकपुत्र सौतेली मा की जायदादका वारिस नहीं होगा—— दत्तक पुत्र सौतेली मा की जायदादका वारिस नहीं होगा केवल उसी माकी संपत्ति पायेगा जिसने उसे गोद लिया है, और गोद लेनेवाली मा भी दत्तक पुत्रकी वारिस होगी यह वात आगे कहेंगे । अन्नपूर्णा वनाम फाव्स् 1899, 23 Mad. I.L.R; 23 I. A. 246.

दफा २६३. क्या दत्तकपुत्रकी निजकी जायदाद उसके साथ जायगी—— दत्तक पुत्रको गोद लेनेसे पहिले अगर कोई जायदाद वतौर वारिसके अलहदा मिली हो तो वह जायदाद दत्तक पुत्रकी वनी रहेगी । विहारीलाल बनाम कैलाशचन्द्र 1 Cal. W. N. 12 (1896) और देखो ; इस किताबकी दफा २६७ मगर बंबई हाईकोर्टने एक मुक़द्दमेमें इसके विरुद्ध माना देखो ; दत्तात्रेय सखाराम देवली बनाम गोविंद शंभाजी कुलकर्णी (1916) 18 Bom. L. R. 258 मामला यह था कि महादेव और शंभाजी दोनों भाई अलहदा अलहदा जायदादके मालिक थे, महादेव मरगया और उसने अपनी विधवा पार्वतीबाई तथा एक पुत्र रामचन्द्र और तीन लड़कियोंको छोड़ा। महादेवके मरनेके थोड़े ही दिनों बाद पार्वतीने रामचन्द्रको दत्तक दे दिया, दत्तक देनेके १२ वर्षके पश्चात् पार्वतीबाईने पतिकी जायदाद दत्तात्रेय मुद्दईके हाथ रेहन कर दी मुद्दईने शंभाजीके दो पुत्रोंपर उस जायदाद पर क़ब्जा पानेकी नालिश की, दोनों पुत्र मुद्दालेह नं० १ और २ हैं। मुद्दालेहने जवाबमें कहा कि पार्वतीबाईको रेहन करनेका अधिकार नहीं था, तीनों लड़कियोंकी तरफसे रेहन स्वीकार कर लिया गया था।

अदालत मातहतने मुक़द्दमा डिस् मिस् किया और पहली अपीलमें फैसला बहाल रहा दूसरी अपील बंबई हाईकोर्टके सामने जस्टिस बेचलर और शाहके इजलासमें पेशहुई, दोनों पक्षोंकी मार्केकी बहस सुनकर जस्टिस शाहने जो कुछ कहा उसका सार यह था कि—इस मुक़द्दमेमें महादेव और उसका भाई शंभाजी वटे हुए ख़ानदानमें थे, महादेवको मरेहुए २० वर्षसे ज़्यादा होचुका, महादेवके मरनेके वाद रामचन्द्र ग्वालियरमें एक ख़ानदानमें गोद चला गया इस मुक़द्दमेमें जो ज़ायदाद विवादास्पद है वह महादेवकी छोड़ी हुई है और उसका वारिस सिर्फ रामचन्द्र था । दत्तक देनेके वाद पार्वतीबाईने सन १९०९ में पतिकी जायदाद दत्तात्रेयके पास रेहन कर दी। अब मुख्य प्रश्न यह है कि दत्तक पुत्र रामचन्द्र जब दूसरे ख़ानदानमें गोद चला गया तो उसका हक़ उस जायदाद पर रहा या नहीं ? दत्तक देनेके वाद रामचन्द्रकी जायदादकी मालकिन उसकी माता पार्वतीबाई हुई क्योंकि हिन्दूलॉका सिद्धांत है कि जब लड़का गोद दिया जाता है तो उसकी सिविलडेथ’ यानी क़ानूनी मृत्यु असली पिताके ख़ानदानमें होजाती है और उसका पुनर्जन्म गोद लेनेवालेके ख़ानदानमें होता है यही वात मनु अन्याय ९ श्लोक १४२ में स्पष्ट की गई है तथा सेक्रेड वुक्स आफ दी ईस्ट पेज ३५५ देखो ; जस्टिस शाहने कहा कि—इस मुक़द्दमेमें कोई कठिन बात नहीं है सब तरहसे यही नतीजा निकलता है कि दत्तक देनेसे दत्तक पुत्रकी असली बापके ख़ानदानमें कानूनी मृत्यु होगई ‘इससे जायदाद भी असली ख़ानदानके नज़दीकी वारिसको चली जायगी न कि वह जायदाद दत्तक पुत्रके साथ दूसरे ख़ानदानमें जावे’ पार्वतीबाईको

अधिकार प्राप्त था। अपील डिकरी हुआ अदालत मातहतका फैसला मंसूख़ और मुक़द्दमा वापिस भेजा गया। यही मुक़द्दमा 40 I. L. R. Bom. P. 429 में भी दिया गयाहै।

नोट—इसके पहले जो मुक़द्दमें हुये हैं उनमें यह सिद्धांत नहीं माना गया था मदरासलॉजनरलमें इसके विरुद्ध नोट दिया गया है यह फैसला बंबईका है दूसरे हाईकोर्टोंमें इसका पूरा असर नहीं पड़सकता दत्तकपुत्रकी क़ानूनी मृत्यु असली ख़ानदानमें पूर्णरूपसे नहीं होती क्योंकि वह उसमें विवाह नहीं कर सकता इत्यादि। यह फैसला पूर्णरूपसे ठीक नहीं समझाजाता।

दफ़ा २६४. गोद लेनेवालीमा और सौतेलीमाके अधिकार——
गोद लेनेवालीमा वह कहलाती है जिसने ख़ुद गोद लिया हो और सौतेलीमा वह कहलाती है जो दत्तक पुत्रके बापकी दूसरी विधवाहो। सौतेली माका प्रश्न विचारणीय है—जब किसी पुरुषके कईएक स्त्रियांहों और 'दत्तक' पुरुषने लियाहो तो उस पुरुषके मरनेके बाद बाक़ी सब विधवायें बराबर दरजे की मातायें दत्तक पुत्रकी होती हैं यहांपर बड़ी विधवाके लिये कोई विशेष बात नहीं हैं। मगर जब पतिके मरजानेके बाद किसी एक विधवाने जिसे पति गोद लेनेका अधिकार दे गया हो अथवा वह विधवा ऐसा अधिकार किसी दूसरे तरीक़ेसे रखती हो और उसके अनुसार दत्तकपुत्र ख़ुद गोद लिया हो, तो वह विधवा गोद लेनेवालीमा कहलायेगी और बाक़ी विधवायें सब सौतेलीमा कह लायेंगी। यह प्रश्न और भी जटिल हो जायगा जब कईएक विधवाओंको गोद लेनेकी इजाज़त हासिल हो और उसके अनुसार सबने गोद लिया हो। ऐसी आज्ञा देनाही योग्य नहीं होगा जैसा कि ऊपर पहिले भागके अंदर कहा जा चुका है। अनेक विधवाओं की मौजूदगीमें एक विधवाके दत्तक लेनेसे बाक़ी सब विधवाओंका वह पुत्र एकसा लड़का हो जाता है। इस विषयपर महार्षि मनुने स्पष्ट कहा है

सर्व्वासामेक पत्नीनामेकाचेत्पुत्रिणी भवेत्। सर्वास्तास्तेन पुत्रेण प्राह पुत्रवतीर्मनुः—मनु ९ अ० १८३। एकपतिकानां सर्वासां स्त्रीणां मध्ये यद्येका पुत्रवतीस्यात्तदा तेन पुत्रेण सर्वास्ताः पुत्रयुक्ता मनुराह। ततश्च सपत्नीपुत्रे सति स्त्रिया न दत्तकादि पुत्राः कर्तव्या इत्येतदर्थमिदम्—कुल्लूकभट्ट।

जिन सब स्त्रियोंका एक पति है उन सबोंमेंसे किसी एकके पुत्र होनेसे बाक़ी सब स्त्रियां पुत्रवती कहलाती हैं। कुल्लूकभट्टने कहा है कि यह वचन इस लिये कहा गया है कि सौतिके पुत्र होनेपर स्त्रीको दत्तकपुत्र नहीं करना चाहिये।

मनुके वचनके अनुसार मि० मेकनाटनसाहेबने कहा है कि जब गोद पतिने न लिया हो और उसकी अनेक विधवाओंमेंसे किसी एकके द्वारा लिया गया हो तो गोद लेनेवाली विधवाके सिवाय बाक़ी सब विधवायें सौतेलीमा कह लायेंगी देखो; F. Macn 171; W. &. B. 1181.

दफ़ा २६५. अनेक स्त्रियोंमें गोद लेनेका अधिकार एक स्त्रीको देना——
मदरास हाईकोर्टमें एक मुक़द्दमा इसी तरहका फैसला किया गया जो प्रिवीकौन्सिलसे बहालरहा, पतिने दूसरे विवाहकी औरतके साथ एक दत्तक लिया, पहिली औरत उससे अलहदारहतीथी, पतिके मरनेके बाद उसका दत्तकपुत्र उसकी छोड़ी हुई सब जायदादका वारिस हुआ, जायदाद तक़सीमके योग्य नथी। बादको दत्तकपुत्र विना औलादकेमरा

तव दोनों विधवाओंके वीच मुक़द्मा चला। एक विधवा बहैसियत बड़ी विधवाके दावीदार थी दूसरी वहैसियत दत्तक पुत्रकी माके। हाईकोर्ट मदरासने फैसला उस विधवाके पक्षमें दिया जो दत्तकपुत्रकी माकी हैसियतसे दावा करती थी। प्रिवीकौंसिलमें यह फैसला बहालरहा प्रिवीकौंसिलमें यह भी साफ होगया है कि पुरुष अपनी अनेक स्त्रियोंमेंसे एकहीको गोद लेनेका अधिकार दे सकता है——देखो; अन्नापुरनाई नचियर बनाम फोरवेस 18 Mad. 277; 26 I. A. 246; S. C. 23 Mad. 1.

दफा २६६. सौतेलीमा सौतेलेबेटेकी वारिस नहीं होती——सौतेलीमा सौतेले बेटेकी वारिस नहीं हो सकती यहराय बंगाल, और मिताक्षरा स्कूलोंमें मानी गयी है उड़ीसामें मिताक्षराका अर्थ यह लगाया गया कि जो मिताक्षरामें सिर्फ़मा का हिस्सा स्वीकार किया गया है सौतेलीमाका ज़िकर नहीं किया गया तो ऐसा मानना चाहिये कि मा शब्द सौलेती माके संबंधमें भी उसी तरहपर लागू होता है। नीचेके मुक़द्मेंसे मालूम होता है कि इसी क़िस्मका एक झगड़ा मिथिलाप्रांतमें उठा जिसमें वंगाल हाईकोर्टने तजवीज़ कियाकि दायभाग और मिताक्षराके अनुसार सोतेलीमा सोतेले लड़केकी वारिस नहीं हो सकती-लाला जोती वनाम मिस्टर दुर्रानी B. L. R. Sup. 67; S. C. Suth Sp. No. 173. रामानन्द बनाम सरजियानी 16 All. 221. वंबई प्रांतमें सौतेलीमा गोत्रज सपिण्ड की हैसियतसे समझी जाती है इस लिये उसका हक़ बड़ी दूर चलकर पहुंचता है देखो—केसरबाई वनाम बलाव 4 Bom. 188; रसूबाई बनाम ज़ुलेकाबाई 19 Bom 707, मदरासमें भी यही तय किया गया है कि सौतेलीमा पतिके सपिण्डके बराबर वारिस नहीं होती देखो; कुमारवालू बनाम विरना 5 Mad 29; मुदाअम्मल बनाम विंगलक्ष्मी 32; मारी बनाम चिन्नाअम्मल 8 Mod 107. सिर्फ पांडीचरीमें यह सिद्धांत नहीं माना गया वहांपर मनुके वचनके अनुसार सौतेलीमाका हक़ दूसरी माताओंके बराबर रखा गया है। महर्षि मनुका वचन है कि जब कई एक स्त्रियोंके बीचमें एकके लड़का पैदा हो तो शेष सब स्त्रियां पुत्रवती कहलायेंगी इसीसे सबका वह पुत्र माना जायेगा और सब स्त्रियां उस पुत्रकी माता कह लायेंगीं।

दफा २६७. सोतेलीमा कौन कह लायेगी सौतेला बेटा सौतेलीमा का वारिस न होगा——सौतेलीमा कौन कह लायेगी इस बातका एक अच्छा उदाहरण नीचेकी नज़ीरमें दिया गया है। एक आदमीके अनेक स्त्रियां हैं और उस आदमीने उनमेंसे किसी एक कोलेकर लड़का गोद लिया तो जिस स्त्रीके साथ पुरुषने दत्तक लिया वह तो दत्तकपुत्रकी मा कहलायेगी और बाक़ी सब स्त्रियां सोतेली मा कहलायेंगी चाहे वह वड़ी अथवा छोटी स्त्रीहो यह बात मालूम होती है कि सोतेली मा सोतेले लड़केकी वारिस नहीं हो सकती इसी तरहपर सौतेलापुत्र सौतैलीमाका वारिस नहीं हो सकता।

दफा २६८. द्वामुष्यायनदत्तकमें असली माताका हक़——आगे समझाया गया है कि द्वामुष्यायनदत्तक कैसा होता है, देखो दफा २८१ से २९०. यहांपर माताके अधिकारको कहते हैं। द्वामुष्यायन दत्तक दो सगे भाइयोंके बीच एकके एकही लड़का हो और दूसरेके कोई लड़का न हो, और वह लड़का इस शर्तके साथ गोद दे दिया जावे कि यह दोनों भाइयोंका लड़का रहेगा वह लड़का द्वामुष्यायन है, ऐसे दत्तकको दोनों बापोंकी जायदाद मिलती है और वह दोनों बापोंकी धार्मिक कृत्य पूरा करता है। अब प्रश्न यह है कि द्वामुष्यायन दत्तककी असली माता तथा अन्य नज़दीकी वारिसोंके बीच किस तरहपर हक़ माना जाता है? इलाहाबाद हाईकोर्टने एक ऐसेही मुक़द्मेंका फैसला किया है जिसमें दत्तक

पुत्र इस शर्तके अनुसार गोद दिया गया था कि यह पुत्र दोनों बापोंका लड़का रहेगा, दोनों दूरके रिश्तेदार थे सगे भाई नथे। दत्तक पुत्र, दत्तक लेनेवाले बापके मरनेके बाद उसकी जायदादका वारिस हुआ और पश्चात् अपनी एक विधवा छोड़कर मरगया, पुत्रके मरनेपर उसकी असली मा ने जायदाद पानेका दावा किया जो उसने छोड़ी थी। दत्तक लेनेवाले बापके भतीजेने भी उसी जायदादके बारेमें दावा किया। हाईकोर्टने तजवीज़ किया कि—दत्तककी असली मा जायदाद पानेकी अधिकारिणी है क्योंकि इक़रार नामाके अनुसार असली माके संबंधमें कोई फर्क़ दत्तकसे नहीं पैदा हुआ; दूसरे अगर खुद वह जायदाद छोड़ कर मर जाती तो दत्तक पुत्र उसका वारिस होता, तीसरे अगर दत्तक लेनेवाली मा दोनों ज़िंदा होतीं तो दोनों बराबर हिस्सेकी मालिक होतीं देखो; बिहारीलाल बनाम शिवलाल 26 All. 472.

उदाहरण—शिवकुमार और रामसेवक दूरके रिश्तेदार हैं। रामसेवक और रामभरोसे सगे भाई हैं। शिवकुमारकी स्त्रीका नाम पार्वतीबाई तथा लड़केका नाम जैदेव है, रामभरोसेके लड़केका नाम रामचरण है। शिवकुमारने जैदेवको इस शर्तके साथ रामसेवकको गोद दिया कि यह लड़का दोनोंका लड़का रहेगा तथा दोनोंके धार्मिक कृत्य पूरा करेगा। कुछ दिन बाद रामसेवक मर गये पश्चात् जैदेव सब जायदादका वारिस बहैसियत दत्तकके हुआ, जैदेव गोद लेनेवाली माता (रामसेवककी स्त्री) के मरनेके बाद एक विधवा छोड़कर मरगया। तब पार्वतीबाईने जैदेवकी छोड़ी हुई जायदादके पानेका दावा किया, यह दावा बहैसियत द्व्यामुष्यायन दत्तकके था, उधर रामचरणने उसी जायदादके पानेका दावा बहैसियत वारिसके किया। हाईकोर्ट इलाहाबादसे तजवीज़ हुआ कि जैदेवके दत्तक देनेसे पार्वतीबाईके पुत्रत्व संबंधमें कोई फरक़ नहीं पड़ा था क्योंकि इक़रारनामा हो चुका था कि वह दोनोंका लड़का रहेगा। और अगर पार्वतीबाई पहिले मरजाती तो जैदेव वारिस होता तथा दोनो माताओं के जीतेजी अगर जैदेव मरजाता तो दोनों बराबरकी वारिस होतीं ऐसी हालतमें रामचरणके विरुद्द फैसला किया। अर्थात् जैदेव की जायदाद पार्वतीबाईको मिलेगी नकि रामचरणको।

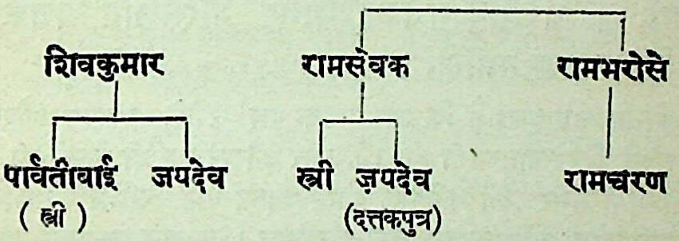

नोट—स्मरण रहे कि पिताके पहिले माताका अधिकार पैदा होता है यानी माता और पिताके जीवनमें पहले जायदाद माताको मिलती है पीछे पिताको। पितरौ—माताचपिता व पितरौ (द्वंद) इस समाससे माताका हक़ पहले माना गया है।

दफा २६९. जायदादमें दत्तक पुत्रका कितना भाग होगा——यह निश्चय करनेमें कि दत्तक पुत्रका जायदादमें कितना भाग मिलेगा पहिले यह जान लेना चाहिये कि दत्तक अपने दरजेके अनुसार भाग पानेका अधिकारी है; दत्तकका दर्जा उस वक्त बदल जाताहै जब दत्तक लेनेके पश्चात् असली पुत्र पैदा हो जावे। ऐसी दशामें दत्तक (यदि सब तरहसे योग्य हो) का जायदादमें भाग, प्रत्येक स्कूलमें और शामिल शरीक अथवा ग़ैर शामिलशरीक भाइयोंके साथ तथा द्व्यामुष्यायन दत्तकके होनेपर जब औरस पैदा हो जाय, एवं अनेक इसी

तरहकी घटनाओंके उपस्थित होनेपर बदलता रहता है । संक्षेपसे सबकी मीमांसा क्रमानुसार नीचे की गयी है ।

दफा २७०. दत्ताक लेनेके बाद यदि एक असली लड़कापैदाहोजाय तो दत्तकको कितना हिस्सा मिलेगा ?---

बंगाल स्कूल--बंगाल स्कूलके अनुसार तीसरा हिस्सा मिलेगा $\frac{१}{३}$
बनारस स्कूल--बनारस स्कूलके अनुसार चौथाई हिस्सा मिलेगा $\frac{१}{४}$
बंबई स्कूल--बंबई स्कूलके अनुसार पांचवां हिस्सा मिलेगा $\frac{१}{५}$
मदरास स्कूल--मदरास स्कूलके अनुसार भी पांचवां हिस्सा मिलेगा $\frac{१}{५}$
मगर शूद्रोंमें बराबर हिस्सा मिलना स्वीकार किया गया है ।

(१) दत्तक और औरस पुत्रके भागमें धर्मशास्त्रकारोंकामत—धर्मशास्त्रोंमें दत्तक पुत्रका भाग विवेचन करनेमें मतभेद है कोई दत्तकपुत्रका भाग औरस पुत्रके होनेपर बराबर मानते हैं और कोई न्यूनमानते हैं । मनु दत्तकके भागको दूर चलकर स्वीकार करते हैं, कात्यायन, बौधायन आदिने दत्तकका भाग कहा है परंतु दोनोंमें कुछ अंतर है, नीचे स्पष्ट वचनोंको उद्धृत करते हैं जिनसे दत्तकका भाग साफ जाना जाता है यह स्मरण रहे कि जिन ग्रंथोंका हम नीचे प्रमाण देते हैं वह बनारस स्कूलके अंतर्गत हैं बंगालमें दायभाग माना जाता है । दायभागमें $\frac{१}{३}$ यानी तिहाई हिस्सा दत्तकका स्वीकार किया गया है । बंबई और मदरासमें मान्य ग्रंथोंका विषय स्कूलके संबंधमें पहले वर्णन कर दिया गया है देखो; प्रथम प्रकरण दफा २३.

कात्यायनः । उत्पन्ने त्वौरसे पुत्रे तृतीयांशहराःस्मृताः । सवर्णा असवर्णास्तु ग्रासाच्छादनभागिनः । " चतुर्थांशहराःस्मृता " इति-द्वितीय चरणे क्वचित्पाठः । वसिष्ठः--तस्मिंश्चेत् प्रतिगृहीते औरस उत्पद्यते स चतुर्थ भागभागी । दत्तकमीमांसायाम्--तस्मिन् दत्तके प्रतिगृहीते यद्यौरस उत्पद्यत तदा दत्तकश्चतुर्थांशं लभेत न समांशमित्यर्थः । धर्मसिंधु--दत्तकगृहणोत्तर मौरसेजाते दत्तकचतुर्थांश भागी न समभागी । मिताक्षरायां तथोक्तेः ।

भावार्थ—कात्यायनने कहा है कि जब दत्तक पुत्र लेनेके पश्चात् औरस पुत्र, पैदा हो जावे तो दत्तक तीसरे हिस्सेका भागी होता है और औरस पुत्र दो हिस्सोंका । यह बात बंगाल स्कूलमें मानी गयी है मगर इसी श्लोकके अंतिमपदका पाठ ऐसाभी मिलता है, कि दत्तकपुत्र एक चौथाईका भागी होगा तथा औरस तीन हिस्सेका । यह पाठ बनारस स्कूलमें माना गया है मगर शर्त यह है कि वह दत्तकपुत्र सवर्ण होना चाहिये, और यदि असवर्ण होगा तो सिवाय रोटी कपड़ाके और उसे जायदादमें भाग नहीं मिलेगा । वसिष्ठजी कहते हैं कि यदि दत्तकके पश्चात् औरस हो जाय तो दत्तकको एक चौथाई भाग मिलेगा; एवं औरसको तीन चौथियाई । दत्तक मीमांसाकारने भी यही कहा है कि दत्तकके बाद असली लड़का पैदा होनेपर दत्तकका भाग एक चौथाई और असली लड़केका भाग तीन चौथाई मिलेगा और यह साफ कहा है कि दोनोंका भाग बराबर नहीं होगा। इसी बातकी पुष्टी धर्मसिंधु तथा मिताक्षरामें भी की गयी है ।

उपरके वचनोंपर विचार करनेसे यह मालूम होता है कि अगर पिताने जायदाद चार हज़ार की छोड़ी और दत्तकपुत्र तथा एक औरस पुत्र भी छोड़ा तो दत्तकको एक हज़ार

की, और औरस पुत्रको तीन हज़ारकी जायदाद मिलेगी ऐसा बनारस स्कूलके अंतर्गत विभाग होगा यदि औरस पुत्र एकसे ज्यादा होंतो विभाग कैसा होगा? यह प्रश्न आगे कहा गया है। परंतु धर्मशास्त्रानुसार यह प्रतीत होता है कि, जितना हिस्सा औरस पुत्रका नियत किया गया उसीके बराबर सभी औरस पुत्रोंका हिस्सा मिलेगा। दूसरी बात और यह उपस्थित होती है कि, अगर कुल जायदादमेंसे एक चौथाई भाग दत्तकको मिल जायगा, तो बाकी हिस्सेमें दूसरे हक़दार भी शामिल होंगे या नहीं हो सकेंगे! इन सब प्रश्नोंका उत्तर आगे क्रमसे देखियेः--

(२) बंगाल स्कूलमें दत्तकका हिस्सा कितना मानागयाहै--दत्तक पुत्रके गोद लेनेके बाद जब असली लड़का पैदा हो जावे तो दोनों लड़कोंके बीच गोद लेनेवाले पिताके मरनेपर जायदाद इस तरहसे तक़सीम होगी--

बंगाल स्कूलके अंतर्गत जायदाद तीन बराबर हिस्सोंमें तक़सीम करके दोहिस्से असली पुत्र पावेगा और एक हिस्सा दत्तकपुत्र। यानी दत्तकका दुगुना असली लड़केको मिलेगा देखो; दायकर्मसंग्रह ७-२३; डबल्यू मेकनाटन हिन्दू लॉ जिल्द १ पेज ७० तथा जिल्द २ पेज १८४; और देखो एफ् मेकनाटन कन्सीडरेशन आन हिन्दूलॉ पेज १३७; तारा मोहन बनाम कृपामयी 9 Suth 423; जैनियोंमें भी यही माना गया है—रुखल बनाम चुन्नीलाल 16 Bom 347.

(३) बनारस स्कूलमें कितना मिलेगा--बनारस स्कूलके अंतर्गत जायदाद चार बराबर हिस्सोंमें तक़सीम होकर तीन हिस्से असली पुत्रको और एक हिस्सा दत्तकपुत्रको मिलेगा; यानी दत्तक का तिगुना हिस्सा असली पुत्रको मिलेगा-बंगालस्कूलकी नज़ीरें देखो.

(४) मदरास स्कूलमें कितना मिलेगा—मदरास स्कूलके अंतर्गत जायदाद पांच बराबर हिस्सोंमें तक़सीम होकर दत्तकपुत्रको एक हिस्सा और असली पुत्रको चार हिस्सोंमें मिलेगी यानी दत्तकका चौगुना हिस्सा असली लड़केको मिलेगा; देखो-पय्याव बनाम नीलादत्तची 1 Mad. H. C. 45; गिरिअप्पा बनाम निनगप्पा 17 Bom, 100.

(५) बंबई स्कूलमें कितना मिलेगा—मदरास स्कूलके अनुसार बंबई स्कूलके अंतर्गत जायदाद पांच हिस्सोंमें बराबर तक़सीम होकर; उसमेंसे एक हिस्सा दत्तकपुत्रको और चार हिस्से, असली लड़केको मिलेगी-नज़ीरें मदरासस्कूलकी देखो और देखो दफा २८९.

दफा २७१. दत्तके बाद जब असली लड़के एकसे ज्यादा हों तब दत्तकको कितना हिस्सा मिलेगा——प्रश्न यह उपस्थित होता है कि, जब दत्तक लेने के पश्चात् असली लडके २ या ३ या अनेक पैदा होगये हों तो गोद लेनेवालेपिताके मरनेपर उन पुत्रोंके बीच जायदाद किन हिस्सोंमें बॉटी जायगी?

(१) बंगाल स्कूल—बंगालस्कूलके अनुसार हरएक असली लड़केको, दत्तकपुत्रसे दूना हिस्सा मिलेगा यानी अगर दो असली लड़के और एक दत्तकपुत्र हो तो, कुल जायदाद पहिले पांच हिस्सोंमें बराबर विभाग करके दो, दो, हिस्से तो दोनों असली लड़कोंको, और एक हिस्सा दत्तक पुत्रको मिलेगा; एवं तीन असली लड़कोंके होनेपर जायदाद सात हिस्सोंमें विभाग करके तीनोंको दो, दो हिस्से तथा दत्तकको एक हिस्सा मिलेगा इसीतरहपर जितने असली लड़के होंगे उन सबको दो, दो, हिस्से मिलेंगे और दत्तकको एक हिस्सा। अर्थात् $\frac{1}{3}$ हिस्सा मिलेगा।

(२) बनारस स्कूल—बनारस स्कूलके अनुसार हरएक असली लड़केको तीन हिस्से

और दत्तकको एक हिस्सा मिलेगा यानी अगर दो असली लड़के होंगे तो जायदाद सात हिस्सोंमें बराबर तक़सीम होकर दोनों पुत्रोंको तीन, तीन हिस्से और दत्तकको एक हिस्सा मिलेगा एवं तीन असली पुत्रोंकी मौजूदगीमें जायदाद दश बराबर हिस्सोंमें तक़सीम होकर, असली तीनों पुत्रोंको तीन, तीन हिस्सोंमें और दत्तकको एक हिस्सेमें मिलेगी इसी तरहपर जितने असली लड़के होंगे उन्हे हरएकको जायदाद तीन हिस्सोंमें मिलेगी तथा दत्तकको एक हिस्सेमें। अर्थात् $\frac{१}{४}$ हिस्सा दत्तकको मिलेगा।

(३) मदरास स्कूल--मदरास स्कूलके अनुसार हरएक असली लड़केको चार हिस्सा और दत्तक पुत्रको एक हिस्सा मिलेगा यानी अगर दो लड़के असली होंगे तो जायदाद नव हिस्सोमें बराबर बांटी जायगी, उसमेंसे चार, चार हिस्सा दोनों असली लड़कोंको मिलेगी और एक हिस्सा दत्तकको, अगर तीन असली लड़के होंगे, तो जायदाद तेरह हिस्सोंमें बराबर बांटी जायेंगी, फिर असली तीनों लड़कोंको चार, चार हिस्से और दत्तकको एक हिस्सा मिलेगा। अर्थात् $\frac{१}{५}$ हिस्सा दत्तकको मिलेगा।

(४) बंबई स्कूल--जैसा ऊपर मदरास स्कूलका हिस्सा बताया गया है उसीके अनुसार बंबई स्कूलका हिस्सा माना गया है यानी हरएक असली लड़केको जायदाद चार हिस्सोंमें मिलेगी तथा दत्तक पुत्रको एक हिस्सेमें।

हिंदुस्थानके पश्चिमी हिस्सेमें कुछ क़ौमें ऐसी हैं जिनमें दत्तक पुत्रको हिस्सा पिताकी संपत्तिमें कभी एक तिहाई कभी एक चौथाई कभी आधा कभी कुछ नहीं मिलता है जबकि दत्तकके बाद असली लड़का पैदा हो जावे। उनमें पिताको अधिकार है कि असली पुत्र होनेपर दत्तकको निकाल दे या जो चाहे करे। और देखो दफा २८९

दफा २७२. शूद्रों में दत्तकपुत्र और असली लड़केके हक़---

दत्तकचन्द्रिकायाम्---दत्तपुत्रे यथा जाते कदाचित्त्वौरसो भवेत्। पितुर्बित्तस्य सर्व्वस्य भवेतां सम भागिनौ। इत्यपि वचनं शूद्रविषय एव योजनीयम्। शूद्रस्य तु सवर्णैव नान्या भार्य्योपदिश्यते। तस्यां जाता समांशः स्युर्यदि पुत्र शतं भवेत्। इत्यत्र वचने शूद्राणां भार्य्योत्पन्नानां सर्व्वेषां समांशमभिधाय पुनर्यदि पुत्र शतमित्यनेन पुत्रान्तराणामपि समांशता प्रतिपादिता।

भावार्थ-दत्तकपुत्रके लेनेके बाद यदि औरसपुत्र पैदा होजाय तो गोद लेनेवाले पिताका धन दोनों पुत्र बराबरमें बांट लेवें, यह बचन सिर्फ शूद्रोंके विषयमें कहागया है औरसपुत्रसे तात्पर्य्य यह है कि जब वह पुत्र उस स्त्रीसे पैदा हुआ हो जो सवर्ण की हो; उस पुत्रके बारेमें आधा भाग पाना कहागया है और अगर दत्तकके बाद एकसे अधिक पुत्र औरस पैदा होजावें तो सब पुत्र दत्तक सहित बराबर भाग पानेके अधिकारी हैं 'शतं' शब्दसे 'अनेक' का अर्थ होता है; मतलब यह है कि, कितनेभी औरस पुत्र, दत्तकके पश्चात् पैदा हो जायं सब पुत्र बराबर भाग पानेके अधिकारी हैं; दत्तकमीमांसाकार इसको और तरहपर कहते हैं कि; जब औरसपुत्रमें अच्छे गुण न हों तो आधा भाग मिलेगा।

(१) मदरास हाईकोर्ट और बाबू श्यामाचरणकी राय--मदरास हाईकोर्टमें मानागया है कि, शूद्रोंमें दत्तकके पश्चात् पैदा हुए औरसपुत्रके दरमियान. जायदाद दोनों बराबर पावेंगे; यही राय मिस्टर मेकनाटन साहेबकी है. मि० थामससाहेब कहते हैं कि, दक्षिणी हिन्दुस्थानके शूद्रोंमें यही प्रचार है; मि० गिलबन साहेब कहते हैं कि, यही बात पांडीचरी

मेंभी मानी गयी है ; सीलोनके उत्तर भागमें यही माना जाता है। बाबू श्यामाचरण कहते हैं कि बंगालमें भी केवल शूद्रोंमें यह बात मानी जाती है ऊंचे दरजेकी क़ौमोंमें नहीं मानी जाती-देखो ; राजा बनाम सब राया 7 Mad 253. हनूमानतम्मा बनाम रामी रिद्दी 4 Mad 272. मदरास हाईकोर्टने यहभी माना है कि जब जायदाद अगर कोई ऐसी हो जो तक़सीम नहीं हो सकती, तो वह औरसपुत्रहीके हक़में आवेगी देखो--रामासासी बनाम सुंदरा लिंगसामी 17 Mad 435.

(२) मि० घारपुरे कीराय—घारपुरे हिन्दूलॉ तथा मुल्ला हिन्दू लॉका सिद्धांत भी यही है कि, शूद्रोंमें सब लड़के बराबर भाग पानेके अधिकारी हैं अगर और कोई बात इसके विरुद्ध न हो--देखो घारपुरे हिन्दू लॉ पेज ९५.

दफा २७३. असली लड़के की मौजूदगीमें दत्तक पुत्रके लड़केका हिस्सा--

जब दत्तकके पश्चात् असली लड़के पैदा होगये हों और बापके मरनेके बाद तथा जायदादमें हिस्सा पानेके पहिले दत्तकपुत्र एक लड़का छोड़कर मरगया हो तो, दत्तकके लड़केका जायदादमें भाग पानेका अधिकार उससे ज़्यादा नहीं होगा जितना कि, उसके बापको था और अगर दत्तकपुत्र एकसे अधिक लड़के छोड़कर मरा हो तो सब लड़के बराबर के अधिकारी होंगे जितना कि हक़ उनके बापका रहा हो।

उदाहरण—शिवलालने अमृतको गोद लिया और पीछे उसके गणेशलाल, गणेशदत्त गणनाथ तीन लड़के पैदा हुए। अमृतके दो लड़के पैदा हुए एक रामगोपाल, दूसरा रामानन्द। अमृत शिवलालके मरनेके बाद मरगया। अब जायदाद इस तरहपर तक़सीम होगी कि-बंगाल स्कूलके अनुसार रामगोपाल और रामानन्दको कुल जायदादका सातवां भाग और बनारस स्कूलके अनुसार दशवां भाग तथा मदरास व बंबई स्कूलके अनुसार तेरहवां भाग मिलेगा अर्थात् जो भाग उनके पिताको मिलता वही भाग इनको मिलेगा उस भागमें दोनों बराबरके हिस्सेदार होंगे। अगर अमृतने पहिले किसी लड़केको गोद लिया होता और पीछे उसके असली लड़काभी पैदा होगया होता तो जो भाग अमृतको मिलना चाहिये था उस भाग में स्कूलोंके अंतर्गत उसी तरहपर भाग होंगे जैसा कि, ऊपर वर्णन किया जा चुका है।

दफा २७४. शामिल शरीक कुटुम्बमें दत्तकका भाग--

जब ख़ानदान शामिल शरीक हो और गोद लेनेवाला पिता अपने भाइयोंके शामिल शरीक रहता हो (कोई भाई दत्तकके न हों) तो दत्तक पुत्रको जायदादमें उतना हिस्सा मिलेगा जितना कि, उसे औरसपुत्र होनेकी हालतमें मिलता।

उदाहरण—

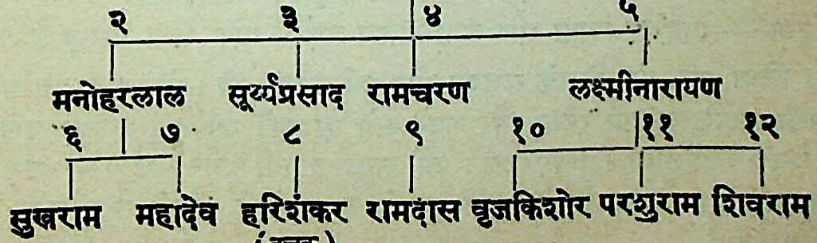

हरिशंकर दत्तकपुत्रने, नम्बर १, २, ३, ४, और ५ के मरनेपर बनारस स्कूलके अनुसार जायदादके बटा पानेका दावा व मुक़ाबिले नम्बर ६, ७, ९, १०, ११ और १२ के दायर किया। ख़ानदान शामिल शरीक है। अदालतसे नम्बर ८ मुद्दई का हिस्सा ¼ यानी कुल-जायदादका चौथा हिस्सा मिलेगा क्योंकि, सूर्य्यप्रसाद अगर बटवारा करता तो उसे चौथा हिस्सा मिलता। इसी तरहपर प्रत्येक स्कूलके अनुसार समझ लेना।

कलकत्ता हाईकोर्टसे इसी तरहका एक मुक़द्दमा फ़ैसला हो चुका है, जिसमें दत्तक पुत्रने गोदलेनेवाले पिताके सगे और शामिल शरीक भतीजोंके मुक़ाबिलामें बटवारेका दावा किया था जिसे प्रारंभिक अदालतसे लेकर हाईकोर्टतक दत्तकका हक़ उसी क़दर स्वीकार किया गया जितना कि उसके बापका होता देखो; रघुवानन्ददास बनाम साधूचरण 4 Cal. 425.

दफा २७५. मदरासमें दत्तकपुत्र असली लड़केका वारिस होताहै——

जब किसीने दत्तकपुत्र और असली लड़केभी मरनेके बाद छोड़े हों और जायदादका बटवारा क़ानूनके अनुसार हो गया हो पीछे असली लड़का लावल्द मरगया हो, ऐसी सूरतमें मद्रास हाईकोर्टने तजवीज़ किया है कि दत्तकको उत्तराधिकारके अनुसार असली लड़केकी जायदाद सब मिलेगी देखो—1 Mad. H C. 49 Note. मगर बंगाल और बनारसमें ऐसा नहीं माना गया है, वहांपर उत्तराधिकार उसी तरहपर चलेगा जिस तरहपर कि मिताक्षराके अनुसार होना चाहिये अर्थात् बेटा, विधवा, बेटी, वग़ैराके नहोनेपर दूसरी शकल होगी देखो; प्रकरण ९

दफा २७६. गोद देनेसे लड़का असली कुटुम्बसे ख़ारिज हो जाताहै——

दत्तक पुत्रका अधिकार दत्तक होनेके कारण असली बापकी जायदादमें नहीं रहता, वह ऐसा माना जाता है कि मानों वह उस ख़ानदानमें पैदाही नहीं हुआ था इसलिये जिसके वह गोद जाता है यह माना जाता है कि वह असली लड़केका स्थानापन्न है। दत्तकका संबंध दत्तक लेनेवाले पिताकी हैसियतसे, दत्तकके असली ख़ानदान वालोंके साथ होता है मगर ख़ूनका संबंध नहीं टूटता इसी सबबसे दत्तकपुत्र न तो अपनी शादी उस ख़ानदानसे कर सकता है और न गोद ले सकता है जिस हालतमें कि वह गोद दिये जानेके पहिलेभी नहीं कर सकता था। इस विषयको विस्तारके साथ पहिले कह चुके हैं। देखो; दफा १३८, १३९

दफा २७७. दत्तकपुत्रको असली कुटुम्बकी जायदादमें कब हिस्सा मिलेगा—

दत्तक पुत्रको अपने असली ख़ानदानमें उस जायदादका हिस्सा मिलेगा, जो गोदलेनेवाले पिताको किसी तरहसे पहुंचती थी, मगर दत्तक सिर्फ उतनाही हिस्सा पायेगा ज़्यादा नहीं जितना कि, उसके दत्तक पिताको मिलता। और देखो; इस किताबकी दफा २६३.

दफा २७८. जब ब्याहा या संतानवाला लड़का गोद लिया गयाहो, तो उसके लड़केका हक़——जहांपर ब्याहा और संतानवाला लड़का गोद लेना जायज़ है अगर ऐसा लड़का गोद लिया गया हो, जिसके लड़का और स्त्री मौजूद हो। तो दत्तक पुत्र का लड़का अपने असली दादाके कुटुंबमें रहेगा और अपने सगे दादाकी जायदाद पावेगा उसे नये कुटुम्बसे कुछ संबंध नहीं होगा। दत्तकपुत्रकी स्त्री साथ जायगी अगर कोई ऐसा लड़का हो जो मातासे जुदा नहीं हो सकता हो तो उसकी दूसरी सूरत होगी, जैसी उस वक्त सहूलियत हो 33 Bom. 669.

दफा २७९. इक़रारका असर जब लिग़ पुत्रने गोद जानेसे पहिले कियाहो— जब किसी विधवाने बालिग़ दत्तकपुत्र लिया हो और दत्तकके पेश्तर उससे यह इक़रार साफ और योग्य रीतिसे करालिया हो कि, उसे इतने हक़से अधिक जायदादमें हक़ नहीं दिया जायगा जो विधवाके पास है, तो दत्तकपुत्र उसका पाबंद रहेगा और इक़रारके अनुसार जायदाद पावेगा। यह क़ायदा वहांपर लागू होगा जहांपर बालिग पुत्र, दत्तक लेना जायज़ माना गया है।

दफा २८०. गोद लेनेसे पहिले इक़रारका असर——यदि कोई विधवा, नाबालिग़ और योग्य दत्तकपुत्र लेवे और उस दत्तकपुत्रके असली बापके साथ इस क़िस्मका कोई इक़रार करे कि, वह दत्तकपुत्र इतनी जायदादसे अधिक पानेका अधिकारी नहीं होगा अथवा दूसरी कोई शर्त करे पीछे गोद लेवे, तो दत्तकपुत्र उस इक़रारका सिर्फ उसी क़दर पाबंद होगा जहांतक कि, यह साबित हो कि, वह अज्ञानके लाभके लिये लिखागया था और किसी बदनियती या चालाकी या और किसी ख़राब इरादेसे नहीं लिखा गया था। देखो 19 Bom. 36, 41; 27 Mad 577; 11 Bom H. C. 199; 6 I. A. 196; 2 Mad. 91. अगर कोई ऐसा इक़रारनामा लिखागया हो जैसा कि ऊपर बयान किया गया है तो दत्तकपुत्र बालिग़ होनेपर उसे मंसूख़ करासकता है और अगर वह मंसूख़ीका दावा न करे तो समझाया जायगा कि, उसे भी मंजूर है और फिर उसकी पाबंदी उसपर लाज़िम होगी ऐसे इक़रारनामेंकी मंसूख़ी की मियाद तीन सालकी होगी और यह मियाद बालिग़ होनेके वक्तसे शुरू होगी। यह ध्यान रहे कि ऐसी नालिश के देर करनेमें अगर कोई योग्य कारण न हो तो ख्याल कियाजा सकता है कि देर होनेकी वजेह कोई दूसरी थी जिसका असर वादीके विरुद्ध होगा और देखो; इस किताबकी दफा ८९.

सातवाँ भाग।

(७) द्व्यामुष्यायन दत्तक और अन्य ज़रूरी बातें।

दत्तक विषयका सातवां भाग दो हिस्सोंमें बटा है (क) द्व्यामुष्यायनदत्तक २८१–२९२ (ख) दत्तकसंबंधी अन्य ज़रूरी बातें २९३–३२१.

(क) द्व्यामुष्यायन दत्तक।

दफा २८१. द्व्यामुष्यायनदत्तक——ऊपर जितने प्रकार के गोद कहे गये हैं उन सबमें दत्तक पुत्र अपने असली बापके ख़ानदानसे अलहदा होजाता है और नये ख़ानदानमें चलाजाता है मगर एक क़िस्म गोदकी वह है जिसमें लड़केका संबंध दोनों ख़ानदानोंमें बराबर बना रहता है और वह दोनों ख़ानदानोंका लड़का कहलाता है तथा दोनोंकी संपत्तिका वारिस होता है उस गोदको द्व्यामुष्यायन कहते हैं। द्व्यामुष्यायन दत्तक आम दत्तक नहीं है। जब दो सगे भाइयोंके बीचमें एक भाई के एकही लड़का हो और दूसरेके कोई न हो, तथा उसे यह रंज हो कि, मेरी धार्मिककृत्य कौन पूरा करेगा, लड़के वाला भाई राज़ी होकर अपने दूसरे भाईको जिसके कोई नहीं है अपना लड़का इस शर्तके साथ गोद देवे कि, यह लड़का दोनों भाइयों की धार्मिक कृत्य पूरा करेगा तथा दोनों की जायदाद पावेगा तो वह द्व्यामुष्यायन पुत्र है देखो; इस किताबकी दफा १६८.

दफा २८२. द्व्यामुष्यायनकी रवाज नियोगसे चली है——द्व्यामुष्यायनकी रवाज़ नियोग परसे चली मालूम होती है प्राचीन ग्रन्थोंके देखनेसे पता लगता है कि, पहिले जब किसी के लड़का न होताथा तो दूसरे पुरुषद्वारा गर्भाधान कराया जाता था, नियोगकी विधि अनेक स्मृतिकारोंने वर्णन की है। महर्षि मनुने कहा है कि संतानके न होनेसे स्त्री अपने देवर अथवा अन्य सापिण्डसे एक पुत्र संतानके वास्ते पैदा करे। नियोगके विषयमें स्मृतियोंके कुछ बचन नीचे देते हैं। इसके पहले दफा ८९—८८ भी देखो।

(१) मनु—देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यङ्‌ नियुक्तया। प्रजेप्सिताधिगन्तव्या संतानस्य परिक्षये॥ विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्यतो निशि। एकमुत्पादयेत्पुत्रं न द्वितीय कथंचन॥ द्वितीयमेके प्रजनं मन्यते स्त्रीषु तद्विदः। अनिर्वृतं नियोगार्थं पश्यन्तो धर्मतस्तयोः॥ बिधवायां नियोगार्थे निवृत्ते तु यथाविधि। गुरुवच्च स्नुषावच्च वर्त्तेयातां परस्परम्॥ मनुस्मृति अ० ९ श्लोक ५९ से ६२। देवरादिति। संतानाभावे स्त्रिया पत्यादि गुरु नियुक्तया देवरादन्यस्माद्वा सपिण्डाद्वक्ष्यमाण घृताक्तादि नियमवत्पुरुषगमनेनेष्टाः प्रजा उत्पादयितव्याः। ईप्सितेत्यभिधानमर्थात्कार्य्याक्षमपुत्रोत्पत्तौ पुनर्गमनार्थम्। विधवायामिति विधवाया मित्यपत्योत्पादन योग्यपत्यभावपरमिदम्। जीवत्यपि पत्यौ अयोग्यपत्यादि गुरु नियुक्तो घृताक्त सर्व गात्रो मौनी रात्रावेकपुत्रं जनयेन्न कथंचिद्द्वितीयम्। द्वितीयमिति। अन्ये पुनराचार्य्या नियोगात्पुत्रोत्पादनविधिज्ञो अपुत्र एक पुत्र इति

शिष्टप्रवादादनिष्पन्नं नियोग प्रयोजनं मन्यमानाः स्त्रीषु पुत्रोत्पादनं द्वितीयं धर्मतो मन्यन्ते । विधवायामिति । विधवादिकायां नियोग प्रयोजने गर्भधारणे यथाशास्त्रं सम्पन्ने सति जेष्ठो भ्राता कनिष्ठभ्रातृभार्या च परस्परं गुरुवत्स्नुषावच्च व्यवहरेताम् ॥ इति कुल्लूकभट्टः ।

(२) गौतमः—अपतिरपत्य लिप्सुर्देवराद् गुरुप्रसूतान्नर्तुमती यात् पिण्डगोत्रऋषिसम्बन्धिभ्यो योनिमात्राद्वा नादेवरादित्येके । गौतमस्मृति अ० १८ ।

(३) वसिष्ठः—प्रेतपत्नी षण्णमासान्व्रतचारिण्य क्षारलवणं भुञ्जानाधः शयीतोर्ध्वं षड्भ्यो मासेभ्यः स्नात्वा श्राद्धं च पत्ये दत्वा विद्याकर्मगुरु योनिसम्बन्धान्सन्निपात्य पिता भ्राता वा नियोगं कारयेत्तपसे । नसोन्मत्तामवशां व्याधितां वा नियुञ्ज्यात् । ज्यायसीमपि षोड़श वर्षाणि नचेदामयावीस्यात् । प्रजापत्ये मुहूर्ते पाणिग्रहवद्धुपचरेत् । लोभान्नास्ति नियोगः । प्रायश्चित्तं वाप्युपनियुंज्यादित्येके । वसिष्ठ स्मृति—अ० १७ अंक ४९, ५०, ५१, ५२, ५७, ५८, ।

(४) बौधायनः—संवत्सरं प्रेतपत्नी मधु मांस मद्य लवणानि बर्जयेदधः शयीत । षण्मासानिति मौद्गल्यः । अत ऊर्ध्वं गुरुभिरनुमता देवराज्जनयेत्पुत्रमपुत्रा । अथाप्युदाहरंति । बशा चोत्पन्नपुत्रा च नीरजस्का गतप्रजा, नाकामा संनियोज्या स्यात्फलं यस्यां न विद्यते इति । बौधायनस्मृति अ० २ प्रश्न २ ।

(५) याज्ञवल्क्यः—अपुत्रां गुर्वनुज्ञातो देवरः पुत्रकाम्यया । सपिण्डो वा सगोत्रो वा घृताभ्यक्त ऋतावियात् ॥ आगर्भसंभवाद्गच्छेत्पतितस्त्वन्यथा भवेत् । अनेन विधिना जातः क्षेत्रजोऽस्य भवेत्सुतः ॥ याज्ञवल्क्यस्मृति अ० १ श्लो० ६८, ६९ ॥ विज्ञानेश्वर कृत मिताक्षरा व्याख्या—

अपुत्रा मलब्धपुत्रां पित्रादिभिः पुत्रार्थमनुज्ञातो देवरो भर्तुः कनीयान् भ्राता सपिण्डो वा उक्तलक्षणः सगोत्रो वा एतेषां पूर्वस्य पूर्वस्याभावे परः परः घृताभ्यक्त सर्वाङ्गः । ऋतावेव वक्षमाण लक्षणे इयाद्गच्छेत् आगर्भोत्पत्तेः । ऊर्ध्वं पुनर्गच्छन् अन्येन वा प्रकारेण पतितो भवति । अनेन बिधिनोत्पन्नः पूर्वं परिणेतुः क्षेत्रजः पुत्रो भवति । एतच्च वाग्दत्ताविषयमित्याचार्य्याः यस्या म्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः । तामनेन विधानेन निजो बिन्देत देवरः इति मनुस्मरणात् ।

(६) मिताक्षरा—अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः । उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्ड दाताच धर्मतः ॥ याज्ञवल्क्यस्मृति अ० २ श्लोक १२७ ।

अपुत्रतां गुर्वनुज्ञात इत्याद्युक्त विधिना अपुत्रेण देवरादिना परक्षेत्रे परभार्य्यायां गुरु नियोगेनोत्पादितः पुत्र उभयोर्बीजिक्षेत्रिणोरसौ, रिक्थी रिक्थहारी पिण्डदा-

ताच धर्मत इत्यस्यार्थः । यदासौ नियुक्तोदेवरादिः स्वयमप्यपुत्रोऽपुत्रस्य क्षेत्रे स्वपर पुत्रार्थं प्रवृत्तोयं जनयति, सद्विपितृकोद्वामुष्यायणो द्वयोरपि रिक्थहारी पिण्डदाताच । यदातु नियुक्तः पुत्रवान् केवलं क्षेत्रिणः पुत्रार्थं प्रयतते तदा तदुत्पन्नः क्षेत्रिण एव पुत्रो भवतीत न वीजिनः । सच न नियमेन वीजिनो रिक्थहारी पिण्ड देवेति । यदुक्तं मनुना—क्रियाभ्युप गमात्क्षेत्रं बीजार्थंयत्प्रदीयते । तस्येह भगिनौ दृष्टौ बीजीक्षेत्रक एवचेति । क्रियाभ्युपगमादिति अत्रोत्पन्नमपत्यमावयो रुभयोरपि भवत्विति संविदङ्गी करणाद्यत्क्षेत्रं क्षेत्रस्वामिना, बीजावपनार्थं बीजिने दीयते तत्र तस्मिन्क्षेत्र उत्पन्नस्यापत्यस्य बीजि क्षेत्रिणौ भागिनौ स्वामिनौ दृष्टौ महर्षिभिः तथा मनुः--फलं त्वनभिसंधाय क्षेत्रिणां बीजिनां तथा । प्रत्यक्षं क्षेत्रिणामर्थौ, बीजाद्योनिर्वलीयसी । फलं त्वनभिसंधायेति—अत्रोत्पन्नमपत्यमावयो रुभया रस्त्वित्थेवमनभिसंधाय परक्षेत्रे यदपत्यमुत्पाद्यते तदपत्यं क्षेत्रिण एव यतोवीजाद्योनिर्बलीयसीति । गवाश्वादिषु तथा दर्शनात् ।अत्रापि नियोगो वाग्दत्ता विषय एव । इतरस्य नियोगस्य मनुना निषिद्धत्वात्। मनुः--देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यङ् नियुक्तया । प्रजेप्सिताधिगंतव्या संतानस्य परिक्षये ।। विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तोवाग्यतोनिशि । एकमुत्पादयेत्पुत्रं न द्वितीयं कथञ्चन ।। इत्येवं नियोगमुपन्यस्य मनुः स्वयमेव निषेधति । नान्य स्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः ।। अन्यस्मिन्हि नियुञ्जाना धर्मं हन्युः सनातनम् । नोद्वाहिकेषु मंत्रेषु नियोगः कीर्त्यते क्वचित् ।। न विवाह विधावुक्तं विधवावेदनं पुनः। अयं द्विजैर्हि विद्वद्भिः पशुधर्मो विगर्हितः ।। मनुष्याणामपिप्रोक्तो बेनेराज्यं प्रशासति । समहीमखिलां भुञ्जन् राजर्षि प्रवरः पुरा ।। वर्णानां संकरं चक्रे, कामोपहतचेतनः । ततः प्रभृतियोमोहात् प्रमीतपतिकां स्त्रियम् ।। नियोजयत्यपत्यार्थें गर्हन्ते तं हि साधवः इति । नचविहितप्रतिषिद्धत्वाद्विकल्प इति मन्तव्यम् । नियोक्तृणां निन्दाश्रवणात् । स्त्रीधर्मेषु व्यभिचारस्य बहुदोषश्रवणात् । संयमस्य प्रशस्तत्वाच्च । यथाहमनुरेव—कामं तु क्षपयेद्देहं पुष्प मूल फलैः शुभैः । नतुनामापि गृन्हीयात्पत्यौ प्रेते परस्य त्विति जीवनार्थं पुरुषान्तराश्रयणं प्रतिषिद्ध्यते मनुः । आसीता मरणात् क्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी । यो धर्म एक पत्नीनां कांक्षन्ती तमनुत्तमम् ।। अनेकानि सहस्राणि कौमारब्रह्मचारिणाम् । दिवं गतानि विप्राणामकृत्वा कुल सन्ततिम्।। मृते भर्तरि साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता। स्वर्गं गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः ।। अपत्यलोभाद्यातुस्त्री भर्तारमति वर्तते । स्येहनिन्दामवाप्नोति परलोकाच्च हीयते इति पुत्रार्थमपि पुरुषान्तराश्रयणं निषेधति । तस्माद्विहित प्रतिषिद्धत्वाद्विकल्प इति न युक्तम् । एवं विवाह संस्कृतानियोगे प्रतिषिद्धे कस्तर्हि धर्म्यो नियोग इत्यतआह--यस्यामृयेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः । तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ।। यथाविध्यभिगम्यैनां शुक्ल-

वस्त्रां शुचि व्रताम् । मिथोभजेतामसवा त्सकृत्सकृदृतावृतौ इति । यस्मै वाग्दत्ता कन्या समतिग्रहमन्तरेणैव तस्याः पतिरित्यस्मादेव वचनादवगम्यते तस्मिन्प्रेत देवरस्तस्य जेष्ठः कनिष्ठो वा निजः सोदरोविन्देत परिणयेत् । यथाविधि यथाशास्त्रमधिगम्य परिणीय अनेन विधानेन घृताभ्यङ्ग वाङ् नियमादिना शुक्लवस्त्रां शुचिव्रतां मनोवाक्काय संयताम्। मिथोरहस्या गर्भग्रहणात् मत्यृत्वेकवारं गच्छेत् अयंच विवाहोवाचनिको घृताभ्यङ्गादि नियमवन्नियुक्ताभि गमनाङ्गमिति न देवरस्य भार्य्या त्वमापादयति। अतस्तदुत्पन्नमपत्यं क्षेत्रस्वामिन एवभवति। न देवरस्य संविदातूभयोरपि।

(१) मनुके मतका भावार्थ--जब संतान न होवे तब पति आदि गुरुजनोंसे आज्ञा प्राप्त होनेपर स्त्री अपने देवर अथवा अन्य सपिण्डसे, शरीरमें घृत लगानेकी विधान करनेवाले पुरुषसे जिसका वर्णन आगे किया गया है, गमनकर संतान पैदा करे। 'इप्सिते' इस पदसे दुवारा गमनका निषेध जान पड़ता है विधवामें संतानके लिये एक पुत्र उत्पन्न करनेसे यह अर्थ है कि अगर पति संतान उत्पन्न करनेके योग्य न हो तो उसके जीतेभी, उसकी और गुरुओंकी आज्ञासे पुरुष अपनी देहमें घृत लगाकर मौन होकर रात्रिमें एक पुत्र उत्पन्नकरे दूसरा नहीं। नियोगसे पुत्र उत्पन्न करनेकी विधिके ज्ञाता जो आचार्य्य हैं वह नियोगकी आवश्यकताको मानते हुए दूसरा पुत्र उत्पन्न करना धर्मसे मानते हैं क्योंकि एकपुत्र अपुत्रके समान शिष्ठलोगोंने कहा है। विधवाओंमें नियोगका प्रयोजन गर्भाधान करना है। वह भी शास्त्रकी रीतिसे जेष्ठ भाई छोटेभाईकी स्त्रीसे आपसमें गुरूके समान और पुत्रवधूके समान व्यवहार करें अर्थात् छोटेभाईकी स्त्री अपने जेठे देवरको गुरुके समान और वड़ाभाई अपनी छोटी भौजाईको पुत्रवधूके समान समझें।

(२) गौतमके मतका भावार्थ—पति न रहेनेपर यदि स्त्रीको संतानकी इच्छा हो तो देवर अथवा सपिण्ड, गोत्र या ऋषिके संबंधी किसी पुरुष द्वारा ऋतुकालमें गमन करके संतान उत्पन्न करलेवे, इस विषयमें किसी आचार्य्यका मत ऐसा है कि सिवाय देवरके और किसीसे पुत्र उत्पन्न नहीं करना चाहिये।

(३) वसिष्ठके मतका भावार्थ—मरे हुये पुरुषकी स्त्री ६ मासतक नमक छोड़ कर केवल हविष्यान्न भोजन करे, व्रतकरे, भूमिपर शयन करे। ६ मासके पश्चात् स्नान करके पतिका श्राद्ध करे, पीछे विधवाका पिता अथवा भाई उसकेपतिके विद्या गुरू, कर्मकाण्ड कराने वाले गुरु, तथा बंधु जनोंको जमा करे, उन सबोंकी अनुमति लेकर संतान उत्पन्न करनेके लिये उसका नियोग करा देवे। यदि वह स्त्री उन्मत्ता, स्वेच्छाचारिणी, रोगिणी, अथवा १६ वर्षसे कम अवस्थाकी होवे तो उसका नियोग नहीं कराना और स्त्रीसे कम अवस्थाके पुरुषके साथ भी नियोग नहीं कराना चाहिये। जिस पुरुषके साथ नियोग कियाजाय वह विवाहित पतिके समान चार घड़ी रात रहनेपर नियुक्ता स्त्रीके साथ गमन करें। काम अथवा भोगके लोभसे नियोग न: करे। एक आचार्य कहते हैं कि लोभसे नियोग करने वालेको प्रायश्चित्त करना चाहिये।

(४) बौधायनके मतका भावार्थ—मरे हुये मनुष्यकी स्त्री एक वर्षतक, मधु, मांस, मद्य, और नमकको त्यागदेवे, भूमिपर नित्य सोवे। मौद्गल्य ऋषिका मत है कि ऊपर कहा हुआ नियम ६ मास तक करे। जिस स्त्रीके पुत्र नहों वह ऐसा नियम धारण करनेके पश्चात् श्वसुर आदि बड़े लोगोंकी आज्ञानुसार देवर द्वारा पुत्र उत्पन्न करे। दूसरा उदाहरण देखो बन्ध्या, पुत्रवती, ऋतुहीना, मरेहुए पुत्रकी :माता, और कामभोगसे रहित स्त्रीका नियोग करानेसे कुछ फल नहीं होता इस लिये नियोग न करे।

(५) याज्ञवल्क्यके मतका भावार्थ--जिस स्त्रीके पुत्र न पैदा हुआ हो उसके साथ पिता आदिकी आज्ञासे पुत्रकी कामनाके लिये अपने देहमें घृत लगाकर ऋतुके समयमें देवर सपिण्ड वा गोत्रका पुरुष गमन करे जब तक गर्भाधान नहो ; गर्भाधानके पश्चात् पुत्र उत्पन्न होनेपर यदि गमन करेगा तो पतित हो जायगा ; इस नियोगकी विधिसे जो पुत्र पैदा होता है वह प्रथमपतिका क्षेत्रज पुत्र है ; आचार्यने कहा है कि यह वचन उसी कन्याके विषयमें है जो वाग्दत्ता हो, क्योंकि मनुने कहा है कि जिस कन्याका वाग्दान किये पीछे पति मरजाय उस कन्याको इस विधिसे, सगा देवर विवाह करले ; परंतु इस मनुके श्लोकमें ' अपुत्रा ' पदसे वाग्दानके अनंतर विवाहसे प्रथम, पुत्र न होनेका निश्चय यद्यपि कठिन है, तथापि वरमें जो ऐसे दोष पहलेही मालूम होजायें कि जिनसे पुत्र नहो, तो उस वाग्दत्ता कन्याको देवर विवाहले ।

(६) विज्ञानेश्वर कृत मिताक्षराके मतका भावार्थ--पुत्रहीन मनुष्य, दूसरेकी स्त्रीमें नियोगसे जो पुत्र उत्पन्न करेगा वह पुत्र दोनों पिताओंका धार्मिक कृत्य श्राद्ध आदि करेगा और दोनों पिताओंकी जायदादका वारिस होगा ; इस श्लोकका भाष्य विज्ञानेश्वरने यों किया है—

पहिले कही हुयी विधिसे पुत्ररहित देवरआदिके संबंधसे दूसरेकी स्त्रीमें गुरुकी आज्ञासे जो पुत्र पैदा किया जाता है वह पुत्र बीज, और क्षेत्रवाले दोनों पिताओंकी जायदादके पानेका भागी होता है ; और धर्मसे दोनों पिताओंको पिण्डका देनेवाला होता है ; जहां पर गुरूकी आज्ञा लीगयी हो, और नियुक्त होनेवाला पुरुष यानी देवर आदि स्वयं भी पुत्र-रहितहो, तथा वह स्त्री जिसमें नियोग किया जानेवाला हो पुत्र रहितहो, ऐसी दशामें अपने या दूसरेके पुत्रके लिये नियोगमें दोनों (स्त्री और पुरुष) प्रवृत्त होकर जो पुत्र उत्पन्न करेंगे वह ' द्व्यामुष्यायन ' पुत्र कहलाता है यानी दो पितावाला पुत्र कहा जाता है, वह दोनों पिताओंके धनका पानेवाला और दोनों पिताओंको पिण्ड देनेवाला होता है ; और जब देवर पुत्रवान् हो और केवल अपुत्रा स्त्रीमें पुत्र उत्पन्न करनेके लिये नियोग करे तो उस दशामें वह पुत्र क्षेत्रके स्वामी यानी स्त्रीके पतिकाही होता है, नियुक्त पुरुषका नहीं ; वह पुत्र नियमसे बीजवाले पुरुषको नतो पिण्ड दान कर सकता है और न उसका धन पा सकता है । मनुने कहा है कि जब पुरुष इस प्रतिज्ञाके साथ कि-इस स्त्रीमें पैदा हुआ पुत्र दोनोंकी संपत्ति पानेका अधिकारी होगा और दोनोंका पिण्ड देसकेगा ; बीजवाले पुरुषद्वारा नियोग कराई गई हो; तो उससे जो पुत्र पैदा होगा वह दोनोंका मालिक होगा ऐसा महर्षियोंने देखा है पुनः मनुने यह कहा है कि अगर ऐसी प्रतिज्ञा न की गयी हो कि इस स्त्रीसे पैदा हुआ पुत्र दोनोंका होगा, तो वह पुत्र केवल क्षेत्रके स्वामीका ही होगा और उसीकी जायदाद पावेगा क्योंकि बीजसे योनिकी प्रधानता मानी है जैसे गौ, घोड़ा, आदिमें । यहांपर नियोग वाग्दत्ताके विषयमें यानी जिस कन्याकी सगाई होचुकी हो और विवाह न हुआ हो उसके विषयमें कहा गया है क्योंकि अन्य स्त्रीमें नियोग मनुजीने निषेध किया है । कहा है कि—अच्छी तरहसे नियुक्त की हुई स्त्री देवर वा सपिण्डसे वांछित संतानको प्राप्त होवे जिसके पुत्र न हों--विधवामें नियुक्त पुरुष अपने शरीरभरमें घृतको लगाकर मौन होकर रात्रिमें एक पुत्र पैदा करे दूसरा कदापि न करे । इसतरह पर नियोगविधिको कहकर आगे उसका खण्डन करते हैं, मनुजी कहते हैं कि द्विजाति अन्यके साथ विधवा स्त्रीका नियोग न करें, क्योंकि अन्य पुरुषके संग नियोग करनेवाले सनातन धर्मको नष्ट करते हैं । विवाहके मंत्रोंमें कहीं भी नियोग नहीं कहागया, और न विवाहकी विधिमें विधवाका पुनः विवाह कहा गया है, यह पशुओंका धर्म है इसीसे विद्वानोंने निंदित कहा है । यह नियोगकी प्रथा

'बेन' राजाकी राज्यमें प्रचलित हुई थी, उस 'बेन' राजाने इसकी पृथा चलाई थी, बेन राजा उस समय बड़ा प्रतापी था और पृथ्वीका एकमात्र स्वामी था परंतु कामवश उसकी बुद्धि नष्ट होगई थी, वर्णसंकर पैदा होनेका कारण वह बना। उसके पश्चात् जो पुरुष विधवा स्त्रीमें संतान पैदा करनेके निमित्त नियोग करता है उसको अच्छे जन निन्दा करते हैं; यदि यह कहाजाय कि मनुजीने नियोग विधि और निन्दा दोनों कही हैं इस लिये एक दूसरेके विरुद्ध होगा, यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि नियोग करनेवालों की निन्दाशास्त्रमें कही गयी है, और स्त्रीको व्यभिचार कर्ममें अत्यंत दोष हैं, तथा जितेन्द्रिय होनेकी बहुत प्रशंसा सर्वत्र कहीगयी है। मनुजीने कहा है कि कंद, फल, फूल, खाकर चाहे शरीरको नाश करदेवे मगर पतिके मरनेके पीछे दूसरे पुरुषका नामतक न लेवे, इस वचनसे दूसरे पुरुषका निषेध स्पष्ट होता है फिर भी मनुजी कहते हैं कि—विधवा स्त्री जबतक जीती रहे तबतक पतिव्रताओंके सर्व्वोत्तम धर्मकी आकांक्षा करती रहे। हज़ारों आवाल ब्रह्मचारी रहकर विना संतान पैदाकिये हुये भी स्वर्गको गये हैं, इसीतरह पर पतिके मरनेके पीछे साध्वी स्त्री ब्रह्मचारिणी रहकर स्वर्गमें जाती हैं। जो विधवा स्त्री पुत्रके लोभसे पर पुरुष रत होती है वह इस लोकमें निन्दाको प्राप्त होती है और पर लोकसे पतित होजाती है इन वचनोंसे पुत्रके लिये भी जो स्त्री नियोग करती है वह पतित हो जाती है इसलिये पुत्रकी कामनाके लिये भी नियोगका निषेध किया गया है। नियोग किसका होना चाहिये इस विषयमें मनुने कहा है कि जिस कन्याका विवाह रूप संस्कार हो गया हो उसका नियोग निषिद्ध है मगर जब कन्याका सिर्फ वाग्दान हो गया हो और उसका पति मरजाय उस कन्याको इस विधिसे देवर विवाह करले। देवरके विवाह करलेने पर वह स्त्री शुक्ल वस्त्र पहने और व्रतोंको धारण करे, तथा विधिके अनुसार जब उसका ऋतु समय आवे तब सिर्फ पुत्रकी कामनासे एक पुत्र उत्पन्न पर्य्यंत ही गमन करे पीछे कभी नहीं। जिस कन्याके साथ वाग्दान होजाता है वह उसका पहिला पति होता है चाहे पाणिग्रहण नभी हुआ हो। देवरके विवाह लेनेपर भी यथाविधि संग करनेको जो कहा गया है इससे यह मतलब है कि समयके आनेपर देवर अपने शरीरमें घृत लगाकर मौन व्रत धारण कियेहुये ऋतु समयमें जबतक गर्भाधान न हो तबतक एक वार गमन करे। जब विवाह होनेपर देवरको घृत आदिका नियम किया गया है इससे सिद्ध है कि वह देवरकी भार्य्या नहीं होगयी सिर्फ पुत्रोत्पन्न करनेके लिये नियोग किया गया है। इस लिये उस स्त्रीमें देवर द्वारा जो पुत्र पैदा किया गया है वह क्षेत्रके स्वामीका ही होता है यानी उसके वाग्दत्ता पतिका होता है देवरका नहीं। और अगर यह प्रतिज्ञा पहिले कर ली गयी हो कि इससे जो पुत्र होगा वह दोनोंका होगा तो वह पुत्र दोनों पिताओंका होता है—इसी आखीरवाले पुत्रको 'द्वामुष्यायन' कहते हैं।

दफा २८३. ऊपरके वचनोंका नतीजा——गौतम, वसिष्ठ, बौधायन, याज्ञवल्क्य, और विज्ञानेश्वर कृत मिताक्षरा आदि ग्रंथोंमें नियोगकी विधि कही गयी है महर्षि मनुने नियोगकी विधिको कहकर उसको निन्दित वताया है एवं विज्ञानेश्वरजीने मिताक्षरामें यद्यपि नियोगकी विधि कही है परंतु वह मनुकी रायसे सहमत ही नहीं है। वल्कि वह नियोगको तथा द्वामुष्यायनको नहीं मानते। मिताक्षरामें द्वामुष्यायन नहीं मानागया और जहां जहां पर माना गया है तो अनेक शर्तें ज़रूरी उसके साथ लगायी हैं। आजकल द्वामुष्यायन दत्तक वहुत कम सुनेजाते हैं भारत सरकारकी राज्यमें अदालतोंमें द्वामुष्यायन किस तरह पर माना जाता है इस विषयका उल्लेख नीचे दियागया है। अङ्गरेज़ी क़ानूनमें यह बात स्वीकार की गयी है कि द्वामुष्यायनका रवाज नियोग की रवाज परसे चला है, नियोगकी रवाज पुरानी है इसका ज़िकर अनेक धर्मशास्त्र ग्रन्थोंमें पाया जाता है।

दफा २८४. क़ानूनमें द्वामुष्यायन कब मानाजाता है—जब दो सगे भाइयोंके बीचमें एक भाईके एकही लड़का हो और दूसरे भाईके कोई न हो, तथा उसे इस बातका रंज हो कि मेरी धार्मिक कृत्य, (अंतेष्ठिक्रिया और श्राद्ध तर्पण आदि) कौन पूरा करेगा, तब वह लड़के वाला भाई खुशीसे और राज़ी होकर अपने उस एकलौतेलड़केको अपने उस भाईको जिसके कोई नहीं है इस शर्तके साथ दत्तक दे देवे कि यह लड़का दोनों भाइयोंकी धार्मिक कृत्य पूरा करेगा और दोनोंकी जायदादका वारिस होगा तो वह लड़का द्वामुष्यायन माना जाता है । द्वामुष्यायन दत्तकके लिये दोनों भाइयोंकी ज़िंदगी, और इक़रार तथा दत्तकके बाद इसी तरहका वर्ताव जैसा कि इक़रारसे ज़ाहिर होता हो ज़रूरी है । इसलिये जब एक भाईके एकसे अधिक पुत्र हों और उसने उनमेंसे एकको दूसरे भाईके गोद दे दिया हो तो उसे द्वामुष्यायन मानना बहुत ही कमज़ोर है । लेकिन यह बात उस इक़रारनामें परसे जो दत्तकके समय किया गया हो तथा दत्तकके बाद जैसा वर्ताव दोनों भाइयोंका आगे रहा हो निश्चय की जायगी देखो ; 26 All. 472. घारपुरे मिताक्षरा पेज ८६ . लाइन १४—३० मिताक्षरा द्वामुष्यायनको नहीं मानता । घारपुरे मयूख पेज ५१ लाइन २५—३५ दत्तक देनेके समय अगर कोई इक़रारनामा लिखा गया हो, या कोई ख़ास बात मानी गयी हो तो उससे निश्चय किया जायगा कि वह दत्तक सादा था अथवा द्वामुष्यायन था-दत्तक मीमांसा अ० ६ श्लोक ४१ ; दत्तकचन्द्रिका अ० २ श्लोक २४ ; सरकार लॉ आव् एड़ाप्शन पेज ३६—३७; मेन हिन्दूलॉ पैरा १७३; घारपुरे हिन्दूलॉ पेज ८८; सम्बाशिव ऐय्यर हिन्दूलॉ दफा २३९—२४०.

मुल्ला हिन्दूलॉमें कहा गया है कि—जब पुरुष अपना लड़का किसी दूसरे पुरुषको इस इक़रारके साथ गोद दे देवे कि वह दोनोंका लड़का माना जायगा, तो वह द्वामुष्यायन दत्तक कहलाता है, दत्तक देनेके समय इस क़िस्मका इक़रार ज़ाहिर किया गया हो या मानागया हो, दोनों तरह पर वह द्वामुष्यायन होगा । और जब कि एक भाई अपने एकलौते लड़केको दूसरे भाईको दत्तक दे देवे तो ऐसी सूरतमें क़ानूनके अनुसार ऐसा मानलिया जायगा । कि वह इक़रार द्वामुष्यायनका था नकि सादे दत्तकका देखो ; प्रिंसिपल्स आफ़ हिन्दूलॉ, दीनशाह फरडुनजी मुल्ला, यम, ऐ, यल, यल, बी, सेकेन्ड एड़ीशन सन १९१५ पेज ३९० दफा ४०१, द्वामुष्यायन दोनों बापोंकी जायदाद पायेगा देखो ; मुल्ला हिन्दूलॉ दूसरा एड़ीशन पेज ४०१; नज़ीर देखो ; ऊमा बनाम गोकुलानन्द (1878) 3 Cal. 587, 598; 5. A. I. 40, 50-51 ; कृष्णा बनाम परम श्री (1901) 25 Bom. 537 ; बिहारीलाल बनाम शिवलाल (1904) 26 All. 472 (इस इलाहाबादकी नज़ीरका ज़िकर ऊपर भी है.)

जैसा कि ऊपर बयान किया गया है इसी प्रकारसे द्वामुष्यायन दत्तकको सरकार हिन्दूलॉ, ट्रिवेलियन हिन्दूलॉ में भी माना गया है द्वामुष्यायन दत्तकके लिये इक़रार होना परमावश्यक है तथा उस इक़रारके अनुसार दोनोंके बीचमें वैसाही वर्ताव रहना चाहिये, जिससे उस इक़रारके तोड़ दिये जानेकी कोई बात पैदा न हो जाय ।

हालके एक मुक़द्दमेमें माना गया कि गोद देते समय यदि स्पष्ट रूपसे द्वामुष्यायन प्रकाशित न कर दिया गया हो तो वह द्वामुष्यायन नहीं माना जायगा—देखो (1918) 20 Bom. L. R. 161.

दफा २८५. द्वामुष्यायन और सादे दत्तकमें क्या फरक़ है——सादा दत्तक वह है, कि जब लड़का अपने असली खानदानसे रिश्ता तोड़कर दत्तक लेनेवालेके खान-

दानमें जाता है और सिर्फ दत्तक लेनेवालेके धनमें भाग पाता है । और उसीकी धार्मिक कृत्य पूरा करता है । द्वामुष्यायन दत्तकमें लड़केका रिश्ता असली ख़ानदानसे नहीं टूटता, और वह दोनों पिताओं यानी अपने असली पिता और दत्तक लेनेवाले पिता की जायदाद पाता है तथा दोनों पिताओंकी धार्मिक कृत्य पूरा करता है सिवाय इसके और कोई फरक़ द्वामुष्यायनमें नहीं है--25 Bom 537 , 542.

दफा २८६. अनित्य द्वामुष्यायन——‘अनित्य’ शब्दका अर्थ है क्षणिक या थोड़ा समय, जो लड़का दूसरे गोत्रसे मुण्डन संस्कारके बाद गोद लिया गया हो और यह इक़रार भी हो गया हो कि यह पुत्र दोनों बापोंका होगा तथा क्रिया कर्म दोनोंका करेगा और दोनोंकी जायदाद पावेगा तो वह द्वामुष्यायन दत्तक अनित्य कहलाता है अर्थात् थोड़े समयके लिये ऐसा दत्तक होता है और दत्तक पुत्र जो इस तरीक़ेका होगा वह दोनों पिताओंकी धार्मिक कृत्य करेगा और जायदाद पावेगा। मगर उस दत्तक पुत्रका लड़का अपने असली गोत्रको लौट जायेगा गोद लेनेवाले पिताके गोत्रमें नहीं रहेगा और न जायदाद पावेगा इसीसे इस गोदको अनित्य कहते हैं और आजकल इस क़िस्मका गोद क़ानूनन नाजायज़ माना गया है देखो--1 W. Macn 71 ; शमशेर बनाम दिलराज 2 S.D. 169 (216) ;26 All.472.

दफा २८७. नम्बोदरी ब्राह्मणोंमें द्वामुष्यायन जायज़ है—हिन्दुस्थानके पश्चिमीय हिस्सेमें नम्बोदरी ब्राह्मणोंमें विला किसी इक़रारके द्वामुष्यायन दत्तक जायज़ माना जाता है, उन लोगोंमें इसी क़िस्मकी दत्तककी रवाज आम है देखो ; 11. Mad. 167. 178.

दफा २८८. द्वामुष्यायनको कितना हिस्सा मिलेगा जब औरस पुत्र पैदा हो जायें—द्वामुष्यायनको दोनों पिताओंकी संपूर्ण जायदाद उस वक्त मिलेगी जब दोनों कुटुम्बोंमें यानी दोनों पिताओंके कोई औरस पुत्र दत्तकके बाद न पैदा हुआ हो। और जब दत्तकके बाद औरसपुत्र पैदा हो जाय तो उसे जायदाद इस प्रकारसे मिलेगी—

द्वामुष्यायन तरीक़ेसे दत्तक देनेके बाद जब असली बापके एक लड़का पैदा हो जाय तो दत्तकपुत्रको उस औरस पुत्रसे आधी जायदाद मिलेगी और औरसपुत्रको दत्तकसे दूनी ; अर्थात जब असली बापकी जायदादके दो वारिस हों एक औरसपुत्र दूसरा द्वामुष्यायन दत्तक, तो पहिले कुल जायदादके, बराबर तीन भाग करके एक भाग द्वामुष्यायन दत्तक पुत्रको तथा दो भाग औरस पुत्रको मिलेंगे । इसी तरहपर जब दो लड़के औरस होंगे तो जायदाद पांच भागोंमें बटकर.एक भाग द्वामुष्यायनको व दो, दो भाग दोनों पुत्रोंको मिलेंगे एवं जितने औरस पुत्रहोंगे उनसबोंको दो, दो भाग और द्वामुष्यायनको एक भाग मिलेगा ; द्वामुष्यायनको जितना मिलेगा उसका दूना प्रत्येक औरस पुत्रको ।

उदाहरण—सेठ लखपतिरामने, अपने एकलौते लड़केको द्वामुष्यायन तरीक़ेसे अपने भाईको गोद दे दिया, पीछे उनके तीन औरसपुत्र पैदा होगये ; लखपतिरामने अपने मरनेपर सात लाख रुपया छोड़ा तो क़ानूनके अनुसार हरएक औरस पुत्रको दो, दो लाख और द्वामुष्यायन पुत्रको एक लाख रुपया मिलेगा। सिद्धांत यह है कि जितना द्वामुष्यायनदत्तकपुत्रको मिलेगा उसका दूना हरएक औरसपुत्रको मिलना चाहिये।

जब दत्तक लेनेवाले पिताके, द्वामुष्यायनदत्तक लेनेके बाद औरसपुत्र पैदा हो जाय तो द्वामुष्यायनको उस हिस्सेका आधा हिस्सा मिलेगा, जो साधारण दत्तक लेनेके बाद औरसपुत्र पैदा हो जानेकी सूरतमें स्कूलोंके अंतर्गत मानागया है देखो इस किताबकी दफा २७०-६७५ और २८९.

दफा २८९. द्वामुष्यायनकेभाग जाननेका नक़शा—नीचेके नक़शोसे-दत्तक और द्वामुष्यायनदत्तक लेनेके बाद जब औरसपुत्र पैदा होजाय तो प्रत्येक स्कूलोंके अंतर्गत कितना हिस्सा किसको मिलेगा साफ़ तौरसे मालूम होजायगा इसकिताबकी दफा २७०-२७१ भी देखो-

दत्तकपुत्र और द्वामुष्यायनदत्तकपुत्रके भाग जाननेका नक़शा ।

स्कूल.	औरसपुत्र पैदा होने की संख्या.	दत्तकपुत्र या द्वामुष्यायन	गोदलेने वाले बापकी जायदाद कितने भागोंमें बटेगी	साधारण दत्तकमें		द्वामुष्यायन दत्तकमें		
				साधारण दत्तकको कितना हिस्सा मिलेगा	प्रत्येक औरसपुत्रको कितना हिस्सा मिलेगा	द्वामुष्यायनको कितना हिस्सा मिलेगा (साधारण दत्तकके भागका आधा)	कितनी जायदाद बाक़ी रही जो औरसपुत्रोंको बराबर बांटी जायगी	प्रत्येक औरसपुत्रका हिस्सा.
बंगाल-स्कूल.	१	१	३	१	२	$\frac{१}{२}$	$२\frac{१}{२}$	$२\frac{१}{२}$
	२	१	५	१	२	$\frac{१}{२}$	$४\frac{१}{२}$	$२\frac{१}{४}$
	३	१	७	१	२	$\frac{१}{२}$	$६\frac{१}{२}$	$२\frac{१}{६}$
	४	१	९	१	२	$\frac{१}{२}$	$८\frac{१}{२}$	$२\frac{१}{८}$
	५	१	११	१	२	$\frac{१}{२}$	$१०\frac{१}{२}$	$२\frac{१}{१०}$
	६	१	१३	१	२	$\frac{१}{२}$	$१२\frac{१}{२}$	$२\frac{१}{१२}$
	७	१	१५	१	२	$\frac{१}{२}$	$१४\frac{१}{२}$	$२\frac{१}{१४}$
बनारस-स्कूल.	१	१	४	१	३	$\frac{१}{२}$	$३\frac{१}{२}$	$३\frac{१}{२}$
	२	१	७	१	३	$\frac{१}{२}$	$६\frac{१}{२}$	$३\frac{१}{४}$
	३	१	१०	१	३	$\frac{१}{२}$	$९\frac{१}{२}$	$३\frac{१}{६}$
	४	१	१३	१	३	$\frac{१}{२}$	$१२\frac{१}{२}$	$३\frac{१}{८}$
	५	१	१६	१	३	$\frac{१}{२}$	$१५\frac{१}{२}$	$३\frac{१}{१०}$
	६	१	१९	१	३	$\frac{१}{२}$	$१८\frac{१}{२}$	$३\frac{१}{१२}$
	७	१	२२	१	३	$\frac{१}{२}$	$२१\frac{१}{२}$	$३\frac{१}{१४}$
बंबईस्कूल और मदरासस्कूल.	१	१	५	१	४	$\frac{१}{२}$	$४\frac{१}{२}$	$४\frac{१}{२}$
	२	१	९	१	४	$\frac{१}{२}$	$८\frac{१}{२}$	$४\frac{१}{४}$
	३	१	१३	१	४	$\frac{१}{२}$	$१२\frac{१}{२}$	$४\frac{१}{६}$
	४	१	१७	१	४	$\frac{१}{२}$	$१६\frac{१}{२}$	$४\frac{१}{८}$
	५	१	२१	१	४	$\frac{१}{२}$	$२०\frac{१}{२}$	$४\frac{१}{१०}$
	६	१	२५	१	४	$\frac{१}{२}$	$२४\frac{१}{२}$	$४\frac{१}{१२}$
	७	१	२९	९	४	$\frac{१}{२}$	$२८\frac{१}{२}$	$४\frac{१}{१४}$

उदाहरण--द्व्यामुष्यायन गोद लेनेके बाद सेठ रामप्रतापके औरस दो पुत्र पैदा होगये अब उनकी जायदाद पहिले पांच भागोंमें बांटी जायगी और उसमेंसे एक भागका आधा द्व्यामुष्यायनको तथा सवा दो, दो, भाग प्रत्येक औरसपुत्रोंको मिलेंगे ऐसा विभाग बंगाल धर्मशास्त्रके अनुसार होगा, और जब बनारसधर्मशास्त्रके अनुसार उनकी जायदादका विभाग किया जायगा तो पहिले सेठ रामप्रतापकी जायदाद सात भागोंमें बांटी जायगी।उसमेंसे एक भागका आधा भाग द्व्यामुष्यायनको मिलेगा और सवा तीन, तीन, भाग प्रत्येक दोनों औरस पुत्रोंको। इसी तरहपर जब बंबई अथवा मदरासके धर्मशास्त्रानुसार बटवारा किया जायगा तो पहिले उनकी जायदाद नव भागोंमें बांटकर एक भागका आधा भाग द्व्यामुष्यायनको मिलेगा तथा सवा चार चार भाग हरएक दोनों औरस लड़कोंको। एवं जितने लड़के होंगे उन सबका विभाग इसी क्रमसे होगा। ऊपर नकशेमें सात औरसपुत्रोंके पैदा होनेपर जो भाग द्व्यामुष्यायनको स्कूलोंके अंतर्गत मिलना चाहिये दिखलाया गया है; अगर ज़्यादा पुत्र हों तो इसीतरह पर समझ लेना।

दफा २९०. विभागका नतीजा——द्व्यामुष्यायन दत्तकको क्यों ऐसा भाग दियागया है? इस विषयमें मुझे कोई प्रमाण नहीं मिला मुमकिन है कि कोई हो मगर मालूम ऐसा होता है कि जब उसे दोनों बापोंकी जायदाद पानेका अधिकार दिया गया था तो औरस पुत्रोंकी मौजूदगीमें कम अधिकार कर दिया गया अगर यह मानो कि दोनों ख़ानदानोंमें द्व्यामुष्यायनके बाद एक एक औरस पुत्र पैदा होगया तो द्व्यामुष्यायनको असली बापकी जायदादका तीसरा हिस्सा मिला तथा गोद लेनेवाले पिताकी जायदादका बंगाल स्कूलमें पांच हिस्सोंमें एक हिस्सा मिला। असली पिताकी जायदाद पानेमें हमेशा द्व्यामुष्यायनको औरससे आधा मिलेगा गोद लेनेवाले पिताकी जायदादमें हर धर्मशास्त्रके अंतर्गत भिन्नता होगी जैसा कि ऊपरके नकशेमें बताया गया है। देखो दफा २८९.

मयूखने इस विषयका विवेचन करते हुए कहा है कि जब द्व्यामुष्यायन दत्तक देनेके बाद दोनो ख़ानदानोंमें असली लड़के पैदा हो जायें तो दत्तकपुत्रको सिर्फ गोद लेनेवाले बापकी जायदादमें भाग मिलना चाहिये। वह भाग उसी तरहपर मिलना चाहिये जो सादे दत्तकमें, दत्तकके बाद औरसपुत्र पैदा होनेकी सूरतमें मिलता देखो दफा २७०-२७१ व्यवहार मूयूख अ० ४-५-२५.द्व्यामुष्यायन दत्तक होनेके बाद जब एकही ख़ानदानमें औरस पुत्र पैदा हों तो क्या सूरत होगी? मालूम होता है कि उसे एक बापकी सब और एककी उसी क़दार जायदाद मिलेगी जिस क़दर कि ऊपर कहा जा चुका है मगर इस बातपर मयूखने कुछ नहीं रायदी है।

दफा २९१. पंजाबमें दत्तकपुत्र असली बापका धन पाता है--पंजाब प्रांतमें अगर दत्तक पुत्रका असली बापबिला औलादके मर जावे तो वहां की रवाजके अनुसार दत्तकपुत्र अपने असली बापकी जायदाद पाता है और दत्तक लेनेवाले पिताकी भी-देखो; पंजाब कस्टम पेज ८१ तथा पंजाब कस्टमरीलॉ जिल्द ३ पेज ८३.

दफा २९२. पांडीचरीमें दत्तकपुत्रको, बाप और भाईकी जायदाद मिलती है-पांड़ेचरीमें दत्तकपुत्रका असली बाप तथा भाई जब लावल्द मरजाय तो दत्तकपुत्र अपने बाप, और भाईकी जायदाद पाता है! यह बात फ्रान्सीसी क़ानूनके अनुसार तयकी गयी है।

राजपूताना, मध्यभारत, तथा संयुक्त प्रांतमें द्व्यामुष्यायन दत्तक कभी कभी अबभी होते हैं मगर यह पृथा अब बहुत शिथिल होगयी है। मदरास प्रांतमें कई एक क़ौमोमें आम मानी जाती है।

(ख) दत्तकसंबंधी अन्य ज़रूरी बातें।

दफा २९३. दत्तक नाजायज़ होनेपर, दत्तकपुत्रका विचार—यह आम बात है कि-जब दत्तक असली कुटुम्बसे दे दिया जाता है तब उसका असली कुटुम्बमें कोई हिस्सा जायदादका बाक़ी नहीं रह जाता (सिवाय उस सूरतके जो पहिले--द्व्यामुष्यायन दत्तकमें बताया गया है) और जब अदालतसे दत्तक नाजायज़ क़रार पाजावे तो दत्तक पुत्रका कोई अधिकार गोद लेनेवाले कुटुम्बमें नहीं रहता ; ऐसी सूरतमें दत्तकपुत्र दोनों कुटुम्बोंसे छूट जाता है ; यह एक कठिन एवं जटिल प्रश्न है कि जब दत्तक नाजायज़ हो गया तब अपने असली ख़ानदानमें उसका प्रवेश हो सकता है या नहीं ; ख़ासकर उस सूरतमें जब कि दत्तक विधानही साबित न होनेकी वजेहसे उसकी दत्तक नाजायज़ मानी गयी हो। इस विषयमें मिस्टर सदर लेन्ड की राय यह है कि अगर अदालतमें दत्तक जायज़ न माना गया हो तो उसका (दत्तकपुत्रका) हक़ असली कुटुम्बमें रक्षित रहता है ; 1 Stra. Hindu Law 82 ; भवानी बनाम अम्बाबाई 1 Mad. H. C. 363 ; लक्ष्मअप्पा बनाम रामावा 12 Bom. H. C. P. 397.

ऊपरके दोनों पुराने मुक़द्दमें हैं इनपर अमल बहुत रोज़से नहीं किया गया, इस विषयमें मिस्टर मेनकी राय बहुतही योग्य समझी जाती है, उनका कहना है कि- " मुमकिन है कि दत्तकपुत्र, जिसकी दत्तक नाजायज़ क़रार दीगयीहो अपने असली ख़ानदानमें एक मेम्बरकी हैसियतको खोदे । मगर वह अपनी परवरिश पानेका उस ख़ानदानसे अधिकारी है जिसमें वह गोद लिया गया हो " देखो मेन हिन्दू लॉ पैरा ; १७७. सबका नतीजा यह है कि दत्तकपुत्र, गोद लेनेवाले ख़ानदानपर अपने परवरिश पानेका दावा कर सकता है जबकि दत्तक नाजायज़ क़रार पायाहो, मगर इस किस्मके दावाकी ख़ास सूरतें हैं जो प्रत्येक मुक़द्दमेंके सुबूतपर निर्भर हैं।

दफा २९४. दत्तक पुत्रके बदलेमें रुपया लेनेका परिणाम—जब कोई दत्तकपुत्र देनेके बदलेमें, लेनेवालेसे रुपया वसूलकर लेवे, अथवा मासिक या सालाना किसी तौरपर रुपया मिलनेका ठहराव कर लेवे, तो यक़ीनन् वह दत्तक मंसूख़ हो जायगा यदि कोई ऐसा ठहराव किया गया हो कि इस क़दर रुपया दत्तक देनेवालेको सालाना मिला करेगा, तो इसका यह अर्थ होता है कि वह दत्तक बिलावास्ता नहीं है बल्कि वह दत्तक ' क्रीत ' है ' क्रीत ' क़िस्मकी दत्तक क़ानूनन् नाजायज़ होता है इस लिये वह भी नाजायज़ होगा ; और जब यह साबित हो कि दत्तकपुत्र ख़रीदा गया है, तथा सिर्फ रुपया मिलनेकी गरज़से दिया गया है, तो दत्तक नाजायज़ हो जावेगा ; देखो-एशान किशोर बनाम हरिश्चन्द्र 13 B. L. R. P. 42 ; S. C. 21 Suth 381 ; क्रीत पुत्रके लिये देखो दफा ८२ पैरा १०.

दफा २९५. नाजायज़ दत्तकपुत्रके हक़में दानपत्र या मृत्युपत्र करनेका फल—(१) दत्तक नाजायज़ हो जानेसे हिबानामा नाजायज़ नहीं होगा-दानपत्र (हिबानामा) करनेके बाद अगर दत्तकपुत्र नाजायज़ क़रार दिया जाय तो दानपत्र मंसूख नहीं समझा जायगा ऐसा मानो कि भगवानदासने अपनी जायदाद हिबानामाके द्वारा मुरलीधर कोदी और जिस-वक्त हिबा लिखा गया था भगवानदासको यह मालूम था कि मुरलीधर गोदका लड़का है

पश्चात् हिबानामाके मुरलीधरकी दत्तक नाजायज़ होगयी तो अब सवाल यह उठता है कि हिबा ठीक रहा या वह भी नाजायज़ हो जायगा ! इसका उत्तर यह है कि दत्तक नाजायज़ होनेकी वजहसे हिबा नाजायज़ नहीं होगा हिबा ठीकमाना जायगा। यह माना गया है कि दत्तकके विषयसे हिबाका ज़्यादा संबंध नहीं है।

(२) दत्तक पुत्रके हक़में किस सूरतमें वसीयत जायज़ होगा--जब कोई मृत्युपत्र (वसीयत नामा) ऐसा लिखा गया हो कि “ मैंने अमुक लड़केको गोद लिया है और मैं अपनी जायदाद उसे देताहूं, मेरी स्त्रियां मेरा धर्मकृत्य पूरा करेंगी और जबतक लड़का बालिग़ न हो जाय उसकी परवरिश करेंगी तथा इस लड़केकी ज़िन्दगीमें उनको गोद लेनेका अधिकार नहीं रहेगा ” प्रिवीकौन्सिलने यह रायदी कि अगर उसकी विधवायें वसीयत की पाबंदी भी न करतीं तो भी वसीयती हिबा जायज़ था-देखो--निधोमनी देवी बनाम सरोदाप्रसाद 3 I. A. 253 ; S. C. 26, Suth 91.

(३) उस लड़केके हक़में वसीयत, जिसे वसीयत करनेवाला प्रेम करता हो—नीचेके मुक़द्दमेमें एक पुरुषने यह विचार किया था कि मैं जायदाद एक दूसरे लड़केको दे दूं जिसके साथ उसका प्रेम था। बादमें उसने उस लड़केको गोद ले लिया और वसीयतके ज़रियेसे अपनी जायदाद उसे दे दी। पुरुषके मरनेपर दत्तक नाजायज़ होगया मगर अदालतने वसीयत नामाको बरक़रार रखा—देखो—वीरेश्वर बनाम अर्द्धचन्द्र 19 I. A. 101 ; S. C. 19 Cal 452 .

(४) वसीयतकी बुनियाद पर राजासाहेबके मुक़द्दमेका फैसला—एक ख़ास क़िस्मका मुक़द्दमा देखो, जिसमें एक राजा साहबने बहुतरोज़ बिला औलाद रहनेके कारण एकपुत्र दत्तक लिया, दत्तक लेनेके बाद राजासाहेबकी स्त्रियोंमेंसे एकके, एक औरसपुत्र पैदा होगया, राजासाहबने एक वसीयतकी कि धर्मशास्त्रानुसार सब जायदाद औरसपुत्रको पहुंचती है इसलिये मेरी सब जायदादका वारिस औरस पुत्र होगा, तथा दत्तकपुत्रको सिर्फ नान नफ़्क़ा (रोटी कपड़ा) मिलेगा। राजासाहबके मरनेपर दत्तक पुत्रने दावा दायर किया, कहागया कि वसीयत नाजायज़ है और सब जायदाद वादीको मिलना चाहिये, अदालतमातहतने दावा सभी बुनियादों पर ड़िकरी करदिया। मदरास हाईकोर्टके सामने सिर्फ अपील वसीयतकी बुनियाद पर की गयी, अपीलमें इस बातपर विचार किया गया कि वसीयत जायज़ है अथवा नाजायज़। हाईकोर्टने वसीयत जायज़ क़रार दिया, जजोंकी राय थी कि वसीयत फरेबन नहीं किया गया. क़ानूनन जायज़ था और औरसपुत्र उसका वारिस था। यह मदरास हाईकोर्टका फैसला प्रिवीकौन्सिलने स्वीकार किया--देखो ; वेंकटा सुरैय्या महीपति बनाम दि कोर्ट आफ़ वार्डस् 20 Mad 167; 26 I. A. 83 ; S. C. 22 Mad 383.

(५) उस लड़केके हक़में दानपत्र (हिबा) जिसके साथ उसकाप्रेमहो--यह बात पहिले भी बतायी गयी है कि जब कोई आदमी अगर किसी लड़केको ज़िंदगीभर परवरिश करे, उसकी शादी करे तथा अपने असली लड़केकी तरहपर हमेशा मानता रहे और उसके साथ वैसाही बर्ताव करतारहे जैसा कि सगे लड़केके साथ होना चाहिये था तो भी वह लड़का उस आदमीके मरनेके बाद जायदादमें कुछ भी भाग नहीं पायेगा। लेकिन अगर ऐसे लड़केको पालनेवाले आदमीकी तरफसे हिबानामा (दानपत्र) कर दियाजाय तो उस बुनियाद पर लड़केको जायदाद मिल जायगी बशर्ते कि दानपत्र अन्य सब बातोंसे जायज़ किया गया हो। देखो अब्बाचारी बनाम रामचन्द्रिया 1. Mad. H. C. 393. [और देखो सोलहवां प्रकरण]

(६) वसीयतनामा कब नाजायज़ होजायगा—जब कोई आदमी या विधवा किसी लड़केको दत्तक ले लेवे और उस दत्तककी रस्में या जिन बातोंसे वह आयज़ होसकता था उनको अपनी समझसे पूरा कर लेवे और बादको उस दत्तकपुत्रके नाम एक वसीयत करे जिसका नतीजा यह हो कि मैंने तुमको दत्तकलिया था और दत्तककी हैसियतसे तुम मेरी सब जायदादके मालिक मेरे मरनेके पश्चात् होगे, तथा मेरे लिये व मेरे पितरोंके लिये पिण्डदान, आदिकी धार्मिक कृत्य पूरी करना, । इस मतलबकी वसीयत लिखनेके बाद उस आदमी या विधवाके मरनेपर अगर दत्तक नाजायज़ क़रार दीजावेगी तो वसीयतनामा भी नाजायज़ क़रार पावेगा। जुड़ीशल कमेटीने फरमाया कि दत्तक मय वसीयतनामाके नाजायज़ है सबब यह बताया गया कि ज़ाहिरा वसीयत करनेवालेका यह इरादा था कि वह बहैसियत दत्तकपुत्रके जायदाद उसे देवे । देखो; फणेन्द्रदेव बनाम राजेश्वरदास 12 I. A. 72 ; S. C., 11 Cal. 463 ; दुर्गासुंदरी बनाम सुरेन्द्र केशव 12 Cal. 686; कृष्णदास बनाम लादकाबाइ 12 Bom 185 ; श्यामाबाइ बनाम द्वारिकादास Ib. 202 ; पटेल वृन्दावन जैकिशुन बनाम मन्नीलाल 15 BOm 573 ; अब्बा बनाम कुप्पामल 16 Mad 355.

(७) जब गोदलेनेकी आज्ञा कई स्त्रियोंको दी गयीहो और सबने गोदलिया हो—मुल्ला हिन्दूलॉमें कहा गया है कि जब इकट्ठा एक या दो या अधिक दत्तक लेनेकी आज्ञायें दी गयीं हो तो वह नाजायज़ हैं। देखो-मुल्ला हिन्दूलॉ ऐड़ीशन दूसरा पेज ३९० दफा ४०० इस सिद्धांतपर एक नज़ीर देखो। जिस नज़ीरका परिणाम यह है। ऐसा मानो कि रामलाल के दो औरतें हैं उन दोनों औरतों के लड़के नहीं हैं, और रामलाल यह इच्छा रखता है कि दोनों एक एक पुत्र दत्तक लेवें। रामलाल अपने मरनेसे पहिले यह आज्ञा दे गया था कि दोनों विधवायें अलग अलग एक एक लड़का गोदलेवें। इस आज्ञाके अनुसार दोनों विधवाओंने लड़के गोद लिये अदालतसे क़रार दिया गया कि ऐसा दत्तक लेनेका अधिकार देनाही नाजायज़था इसलिये दोनों दत्तक पुत्र नाजायज़ होगये । यद्यपि इस मुक़द्दमेमें अन्य बातों परभी विचार किया गया है मगर यह साफ है कि ऐसा अधिकार जैसाकि रामलालने दिया अयोग्यथा देखो-आखुचन्द्र बनाम कलाफर (1885) 12 Cal. 406; 12 I.A. 198; सुरेन्द्रो बनाम दुर्गासुन्दरी (1891) 19 Cal. 513 ; 19 I. A. 108 और देखो दफा १३१ से १३७.

(८) जब वसीयत, या हिबा गोद लेनेसे पहिले, किया गया हो—जब कोई वसीयत या हिबा (मृत्युपत्र अथवा दानपत्र) किसी लड़के को इस इच्छासे किया गया हो कि वह लड़का दत्तक लिया जायगा, और जायदाद उसको पहुंच जायगी। मगर लिखनेके समय दत्तक न लिया गया हो उसके मरनेके पीछे अगर वह गोद नाजायज़ हो जाय तो उसको वसीयत या हिबा के अनुसार भी जायदाद नहीं मिलेगी। क्यों कि उस लिखत और उसके सब संबंधोंसे यह देखा जायगा कि देनेवालेकी ख़ाहिश कैसी थी। यदि यह साबित हो कि देनेवालीकी इच्छा दत्तकके आधार पर नथी। तो वसीयत या हिबा जायज़ होगा, अगर दत्तकके आधार पर साबितहो तो नाजायज़ होगा इसीतरह पर जबकोई ऐसे लड़के हक़में वसीयत कर गयाहो जिसे वह गोदलेना पसंद करताथा और वह दत्तक न लिया गयाहो तो वह वसीयत और हिबा नाजायज़ होगा-देखो-मुल्ला हिन्दूलॉ एड़ीशनदूसरा पेज ४०९ दफा ४२६.

ऊपरके सिद्धांतके अनुसार प्रत्येक विषयकी भिन्न भिन्न नजीरें देखोः—वसीयत करनेवालेकी इच्छा, वसीयतनामाकी तहरीर और उस पुरुषके तमाम अन्य सम्बंधोंसे विचारकी जायगी और साबितहो सकेगी-फणीन्द्र देव बनाम राजेश्वर (1184) 11 Cal, 463, 12 I.A. 72, P. 89 ; अगर वसीयत इस आधारपर कीगयीहो कि लड़का दत्तक लिया जायगा,

और दत्तक पुत्रकी हैसियतसे जायदाद उसे दीगयीहो तो दत्तक नाजायज़ होनेकी सूरतमें वसीयतभी नाजायज़ होगा देखो—निश्चोमनी बनाम सरोदा (1876) 26 W.R. 91; 3 I. A. 253; वीरेश्वर बनाम अर्द्धचन्द्र (1892) 19 Cal 452, 19 I.A. 101; सुब्बारायर बनाम सुब्बामल (1900) 24 Mad 214; 27 I.A. 162; मुरारीलाल बनाम कुंदनलाल (1909) 31 All 337; अगर वसीयत किसी पसंद किये हुए लड़के के हक़में यह मानकर किया गया हो कि वह लड़का गोदलिया जावेगा। अगर किसी तरहसे गोदन लिया गया तो वसीयत नाजायज़ होगी-देखो-सुरेन्द्रो बनाम दुर्गासुंदरी (1892) 19 Cal. 523; 19 I.A. 108; लाली बनाम मुरलीधर (1906) 28 All. 488; 33 I.A. 97; विल्कुल इसीतरहका केस देखो-करमसी बनाम कृष्णदास (1898) 23 Bom 271.

नोट—यहांपर वसीयत या हिबासे यह मतलब है कि जायदाद किसी शर्तके साथ और किसी आधारपर दूसरेको दीगयी हो, हिबासे ऐसा अर्थ नहीं समझना कि अपनी जिन्दगीहीमें और उसी वक्त देदी गयी हो, ऐसा हिबा, वसीयती हिबा कहलाता है देखो प्रकरण १६.

(९) किस सूरतमें विधवाको वसीयती जायदाद नहीं दिलाई जायगी-जब आदमी कोई अपनी स्त्रीको ऐसी वसीयत करे कि "जबतक वह, मेरीविधवाकी हैसियतसे अपना धर्म पालन करे और शादी नकरे तो उसको सालाना इतना रुपया बराबर मिलता रहेगा" उस आदमीके मरनेसे पहिले अगर यह साबित हुआ कि उसका विवाह प्रारंभसे ही नाजायज़ था तथा इस बुनियाद पर उसे छुटकारा दिया गया। तो ऐसी सूरतमें उसे सालाना रुपया नहीं मिल सकता देखो—इंगलिश लॉ, रिपोर्टस् चान्सरी डिवीज़न् 22 P. 597; यही फैसला क़बूल किया गया 25 Ch. D. 685.

(१०) किन सूरतोंमें हिबानामा जायज़ रहेगा—अगर कोई पुरुष किसी औरत या लड़केके नाम अपनी जायदादका हिबा करें जिसे वह ग़लत तौरपर अपनी औरत या लड़का समझता था, तो ऐसा हिबा किया जाना कुछ तो इस वजेहसे मालूम होता है कि वह अपने रिश्तेदारको परवरिश करनेकी ग़रज़ ज़ाहिर करताहै, और कुछ इस सबबसे कि उसकी प्रीतिका प्रवाह उसकी तरफ होगया है। ऐसी दशामें यद्यपि रिश्तेदारीकी कोई बात न भी हो तो जायज़ रहेगा। इसीतरहपर हिबा उस वक्त भी जायज़ क़रार दियाजायगा जब कि रिश्तेदारी हिबा करनेके वक्त क़ायम हो और जब हिबाके संबंधसे उसे जायदाद पहुंचनेका मौक़ा आवे रिश्तेदारी क़ायम न रही हो। देखो—इंगलिश रिपोर्ट चेन्सरी 22 P. 619.

नोट—जब किसी तहरीर (लिखत) के ज़रियेसे किसी आदमीने अपनी जायदाद दूसरेको दी हो तो जिसवक्त उस तहरीरसे जायदाद पहुंचनेका समय आवेगा तो विचार इस बातका किया जायगा कि उसने किस हैसियतसे दी थी, और उसका मंशा क्या था। अगर उसकी मंशासे यह ज़ाहिर होता हो कि किसी बातको मानकर दी थी, तो उस बातके सिद्ध न होनेपर उस तहरीरका असर भी नहीं होगा। और बादमें जायदाद जायज़ वारिसके पास पहुंचेगी, ऐसा समझकर कि गोया उसने तहरीर कीही नहीं थी। लिखने वालेका मंशा उसकी तहरीरके शब्दोंसे और उसके आगेके बर्तावसे समझा जायगा। इस बातका साबित करना उस पक्षकार पर निर्भर है, जिसके साबित न होनेकी वजेहसे उसका नुक़सान पहुँचता हो।

दफा २९६. दत्तकपुत्र जायदाद वापिस ले सकता है—विधवा दत्तक लेनेके लिये मजबूर नहीं की जासकती, उसका जब जी चाहे गोद लेवे मगर हक़ वारिसाना पतिके मरतेही फौरन पहुंच जाता है इसे वह रोक नहीं सकती; हक़ वारिसाना तमाम हक़ोंके साथ जाता है मानो दत्तक लेनेके अधिकारकी पैदाइशही नहीं हुई थी। मगर यदि कोई ऐसा अधिकार प्राप्त होनेपर जायदादको अलाहदा करदे या अन्य किसी तरहपर नुक़सान पहुंचा हो

तो जिस वक्त दत्तक लिया जायगा दत्तक पुत्रको उसी वक्तसे अधिकार प्राप्त होना शुमार किया जायगा जबसे उसका दत्तक पिता मरा था । और दत्तक पुत्र उस जायदादके वापिस पानेका तथा नुक़सान पूरा करा पानेका दावा करसकता है और वापिस लेसकता है जो दत्तक लेनेके पहिले वाक़ै हुआ हो-देखो-बाबू अनोजी बनाम रतनोजी 21 Bom 319.

दफा २९७. दत्तक लेनेसे विधवाका अधिकार घट जाता है—दत्तक होतेही दत्तकपुत्रको गोद लेनेवाले बापकी जायदादमें पूरा अधिकार प्राप्त हो जाता है, और विधवाका अधिकार घट कर सिर्फ रोटी, कपड़ा पानेका रहजाता है मगर जब लड़का अज्ञान हो तो विधवा बहैसियत बलीके जायदादपर क़बज़ा रखती है । देखो-धरमदास पांडे बनाम मु० श्यामासुंदरी 3 M. I. A. 229 ; S. C. 6 Suth (P. C.) 43 ; विंद्रावनदास बनाम जमुनाबाई 12. Bom H. C. 229; जमुनाबाई बनाम रामचन्द्र 12 Bom 225; निनगारेडी बनाम लक्ष्मावा (1901) 26 Bom 163 ; खेमकर बनाम उमाशंकर (1873) 10 Bom H. C. 381.

अविभक्त परिवारकी जब कईएक विधवायें हों तो जिस विधवाको दत्तक लेनेका अधिकार होगा, वह विला रज़ामंदी दूसरी विधवाओंके दत्तक ले सकती है और उस दत्तकसे सब विधवाओंके अधिकार घटकर रोटी कपड़ायर रह जावेंगे । कोई विधवा रज़ामंदी न देनेकी वजेहसे दत्तकके अधिकारको रोक नहीं सकती ; देखो—मंदाकिनीदासी बनाम आदिनाथ 18 Cal. 69.

दफा २९८. अनेक विधवाओंमें बड़ीविधवा दत्तक लेसकती है—— बंबई स्कूलमें विधवा पतिकीआज्ञा विना भी दत्तक लेसकती है । वहांपर यह मानागया है कि जब पति किसी विधवाको दत्तक लेनेका अधिकार न दे गया हो तो सब विधवाओंमेंसे जो बड़ी विधवा होगी वह विला रज़ामंदी छोटी विधवाओंके दत्तक ले सकती है ; देखो— रुकमाबाई बनाम राधाबाई 5 Bom H.C. (A. C. J.) 181 , 192 ; 18 Cal P. 74.

मिस्टर मुल्लाने कहा है कि-बड़ी विधवा, विला रज़ामंदी छोटी विधवाओंके गोद लेसकती है मगर छोटी विधवा विला रंज़ामंदी बड़ी विधवाके गोद नहीं ले सकती ; देखो-- मुल्ला हिन्दूलॉ दूसरा एडीशन पेज ३७९ दफा ३६८ पैरा ४ ; नज़ीर देखो-5 Bom 181 ; पदाजीराव बनाम रामराव (1888) 13 Bom 160 ; अमावा बनाम महद गौड़ (1896) 22 Bom 416.

दफा २९९. पदोत्कर्षवारिसका हक़ दत्तकसे नष्ट नहीं होता——अगर लड़का अपनी स्त्री या बच्चे या अन्य दूसरा नज़दीकी वारिस बमुक़ाबिले अपनी मा के छोड़कर मरजाय, और उसकी माको पतिसे ऐसा अधिकार प्राप्त हो चुका हो कि "यदि लड़का मरजाय तो दत्तकपुत्र लेना " यद्यपि मा पतिके दियेहुए अधिकार द्वारा दत्तकपुत्र लेनेकी अधिकारिणी है परंतु दत्तक नहीं ले सकती, यदि लेवे तो नाजायज़ होगा । इस तरहपर समझो कि--

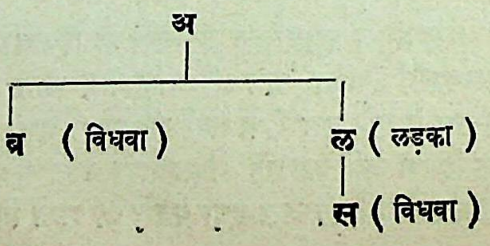

जैसे--अ, मरगया और उसने अपनी विधवा ब, तथा एक पुत्र ल, को छोड़ा। अ, के मरनेपर ल, अपने बापकी छोड़ी हुई सब जायदादपर क़ाबिज हो गया, ल, अपनी विधवा स, को छोड़कर मरगया, और ल, के मरनेपर उसकी विधवा स, पतिकी छोड़ीहुई जायदादपर क़ाबिज होगयी बतौर उसके वारिसके। स, मरगयी और उसके मरनेपर ल, की मा ब, बहैसियत उत्तराधिकारके जायदादकी वारिस हुई और क़ाबिज़हुयी। ब, को पतिसे अधिकार मिलचुकाथाकि लड़केके मरनेपर दत्तक लेवे, मगर अब वह नहीं ले सकती और अगर लेवे तो दत्तक नाजायज़ होगा। माना गयाहैकि जब उसका लड़का एक विधवा छोड़कर मरगया तो उसका अधिकार दत्तक लेनेका चला गया; देखो-कृष्णराव बनाम शंकरराव (1891) 17 Bom 164; माणिक्यमल बनाम नन्दकुमार (1906) 33 Cal 1306.

दफा ३००. रामकिशोर बनाम भुवनमयी वाला मुक़द्दमा——इसी तरहका एक मशहूर मुक़द्दमा देखो, जो बंगालमें पैदा हुआथा और प्रिवीकौन्सिल तक बहालरहा। पहिले नीचेके नक़शे को देखो—

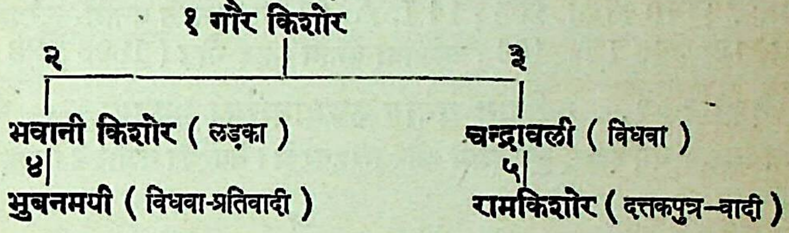

नं. एक, दो और तीनको छोड़कर मरगया। नं. दो, चारको छोड़कर लावल्द मरगया; तब नं. तीनने, पांचको दत्तक किया। नं. पांच मुद्दई है और नं. ४ मुद्दालेह।

गौरकिशोरने एक वसीयत किया जिसमें लिखाकि—"अगर मेरी स्त्री चन्द्रावलीका औरसपुत्र भवानीकिशोर मरजाय, तो वह दत्तक लेवे" गौरकिशोर मरगया और उसने भवानीकिशोर लड़का तथा चन्द्रावली विधवाको छोड़ा। अपने बापके मरनेपर भवानी किशोर उसकी सब जायदादका वारिस जायज़ हुआ और क़ाबिज होगया। भवानीकिशोर धीरे धीरे बड़ा हुआ, और उसकी शादी हुई तथा वह जवान हुआ। जवानीमें वह लावल्द मरगया। उसने भुवनमयी अपनी विधवाको छोड़ा। तब चन्द्रावलीने पतिकी आज्ञाके अनुसार रामकिशोरको दत्तक लिया। रामकिशोरने भुवनमयी विधवा पर जायदाद वापिस लेनेकी नालिश की। यहांपर यह याद रखनाकि बंगालमें विधवा अपने पतिके जायदादकी वारिस होतीहै चाहे उसका पति ख़ानदानमें शामिल शरीक अपने भाइयोंके रहता हो। जुडीशल कमेटी बंगालने दावा रामकिशोरका ख़ारिज कर दिया। अन्य बातोंके साथ साथ यह तजवीज़ किया गयाकि—भवानीकिशोर इतने दिन ज़िन्दा रहाथाकि वह सब धार्मिक कृत्यें जो उसके बाप गौरकिशोरके लिये होना आवश्यक थीं सब अदा करचुकाहोगा तथा वह मौरूसी जायदादका बतौर वारिस मालिक हुआ था जिसपर उसका पूरा अधिकार मिस्ल मालिकके था। अगर वह अपने समयमें जायदाद किसीको देदेता या अपने क़ब्ज़ेसे हटा देता अथवा एक लड़का दत्तक लेलेता, तो जिसे भवानीकिशोरने जायदादका मालिक बनाया होता, जायदाद ज़रूर उसे पहुंच जाती और वह इसतरह पर उसका मालिक बनजाता। यदि ऐसा होता तो गौरकिशोरका इरादा नष्ट होजासकताथा। भवानी किशोरके मरनेपर उसकी विधवा भुवनमयी जायदादकी वारिस हुयीतो ऐसी सूरतमें

रामकिशोर जायदाद उससे नहीं ले सकता है। अदालतने औरभी ऐसी सूरतें बयान कीं हैंकि जिनसे भुवनमयीके क़ब्जेसे जायदाद नहीं अलहदा होसकती थी। यह भी तजवीज़ किया गयाहैकि भुवनमयीके मरनेपर इस जायदादका वारिस वह होगा जो भवानी किशोरके मरनेपर होता, अर्थात् दत्तकपुत्र उस वक्त भी जायदाद नहीं पासकेगा जब भुवनमयी मरजाय। इस मुक़द्दमेंमें यह सिद्धांत लागू किया गयाकि पदोत्कर्ष वारिसका अधिकार दत्तकसे नष्ट नहीं होसकता। इस केसमें विधवा चन्द्रावलीके मुक़ाबिलेमें भवानी किशोर लड़केका हक़ पदोत्कर्ष है। और अगर भवानी किशोर बिनव्याहा मरजातातो जायदाद फिर चन्द्रावली उसकी माको पहुंच जाती, उस वक्त उसे दत्तक लेनेसे दूसरा असर पैदा होता। यानी यहाकि, उस समय दत्तक लेनेसे चन्द्रावली सिर्फ अपने अधिकारको घटा देती नंकि किसी दूसरेके अधिकारको। उस वक्त दत्तक लेना योग्य हो सकता और उसका फैसला मामूली दत्तकके अनुसार हो जाता; देखोः—भुवनमयी बनाम रामकिशोर (1865) 10 M.I.A. 279, 310 S. C. 3 Suth (P. C.) 15; इसी तरहके और भी फैसले हैं देखो--पद्मकुमारी बनाम कोर्टस् आफ् वार्डस् (1881) 8 Cal. 302; S. I. A. 229 थैय्यामल बनाम वेंकटराम (1887) 10 Mad. 205; 14 I. A. 67; ताराचरन बनाम सुरेशचन्द्र (1889) 17 Cal. 122; 16 I.A. 166; अम्मावा बनाम महद गौड़ (1896) 22 Bom 416.

दफा ३०१. बद्रीदास बनाम रुकमाबाईका मुक़द्दमा———बंबईमें एक फैसला हुआ जिसमें वाक़ियात् मुक़द्दमेमें और तरहपर थे। बंबईकी नज़ीरके वाक़ियात् इस तरहपर थे-

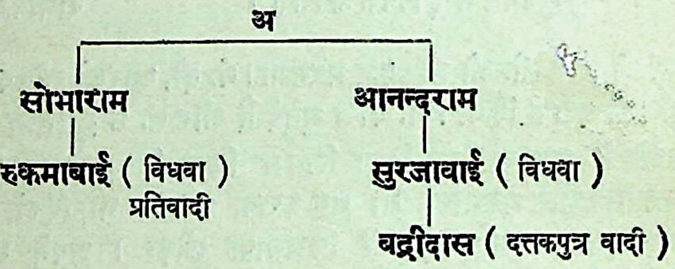

ख़ानदान शामिल शरीकमें सोभाराम और आनन्दराम दो सगे भाई हैं। आनन्दराम पहिले मरगया और सुरजाबाई विधवा को छोड़ा। पीछे सोभाराम मरा और रुकमाबाई विधवाको छोड़ा, सुरजाबाईने सोभारामके मरनेपर बद्रीदासको अपने पतिके लिये गोद लिया जिसने रुकमाबाईके मुक़ाबिलेमें जायदाद पानेका दावा किया। यह स्मरण रहे कि बंबई प्रांतमें विधवा बिना पतिके सपिण्डों की आज्ञासे गोद ले सकती है। हाईकोर्टने फैसला किया कि दावा मुद्दई ख़ारिज होवे। यह माना गया कि अविभक्त परिवारमें जब आदन्दराम पहिले मरा तो उसकी जायदाद उसके भाई सोभारामको पहुंच गयी। सोभाराम दोनोंकी जायदादका अकेला वारिस हो गया, और जब सोभाराम मरा तो उसकी जायदाद रुकमाबाईको प्राप्त हो चुकी थी; इस लिये दत्तकपुत्र जायदाद वापिस नहीं ले सकता है जो सिद्धांत भुवनमई बनाम रामकिशोर 10 M. I. A. 279; के मुक़द्दमेमें माना गया था कि जब जायदाद किसी वारिसको पहुंच जावे तो दत्तकसे उसका अधिकार नष्ट नहीं होता वह सिद्धांत भी इसमें लागू किया जा सकता है देखो–5 Bom H. C. (A.C.J.) 181.

दफा ३०२. विधवा अपनेलिये लड़का गोद नहीं लेसकती———यह कहा जा चुका हैकि हरएक पुरुष दत्तक ले सकता है अगर वह दत्तक अन्य सबबातोंसे योग्य हो

उसकी विधवा भी पतीके लिये दत्तक ले सकती है मगर कोई दूसरी औरत किसी लड़केको गोद नहीं ले सकती । जैसे मा अपने बेटेके लिये अथवा बहन अपने भाईके लिये गोद नहींलेसकती । स्त्रीभी अपने पतिकी ज़िन्दगीमें गोद नहींले सकती , मगर वह पतिसे पाये हुए अधिकारकेद्वारा उसके मरनेपर गोद ले सकती है हिंदुस्थानके कुछ भागोंमें माना गया है कि वह विना अधिकार पाये हुए भी पतिके लिये दत्तक लेसकती है । अगर किसी विधवाने ख़ास अपने लिये लड़का दत्तक लियाहोतो उसे विधवाके पतिकी जायदादमें कोई हक़ नहीं मिलता और विधवाके मरनेपरभी उस दत्तकपुत्रको जायदादमें कुछ नहीं मिलेगा-देखो—चौधरी बनाम कोयर (1869) 12 M.I.A. 350, 356; नरेंद्र बनाम दीनानाथ (1909) 36 Cal. 824.

जब किसी विधवाने ख़ास अपने लिये दत्तकपुत्र लियाहो, और वह उसे छोड़कर मरगयी हो, तो विधवाकी ख़ास जायदादका भी मालिक़ दत्तकपुत्र नहीं होसकता ।

दफा ३०३. वेश्या या नायकिनका लड़की दत्तकलेना——कलकत्ता और बंबई प्रांतोंके फैसलोंसे तय हो चुका है कि, इन प्रांतोंके अंतर्गत कोई वेश्या या नायकिन या नाचने गानेका पेशा करनेवाली औरत लड़कीको दत्तक नहींलेसकती अगर लेगीतो नाजायज़ होगा; क्योंकि वह क़ानूनन्. नाजायज़ है । मुक़ामी रवाजसे भी साबित हो चुका है कि ऐसा दत्तक नाजायज़है । मदरास हाईकोर्टके अंतर्गत फैसला कियागयाहैकि ऐसी दत्तक जायज़ है, यदि वह उसके पेशेके लिये न लिया गया हो, अर्थात् दत्तक, नाचने, गाने या वेश्याके कामके लिये न लिया गयाहो । दोनों क़िस्मके फैसले देखो—नाथूराम बनाम ईसू (1880) 4 Bom. 545 ; हीरा बनाम बाधा (1913) 37 Bom. 117 ; हेनकोवर बनाम हंसकोवर (1818) 2 Morl. Dig. 133 ; मनजामा बनाम शेषगिरिराव (1902) 26 Bom 491, 495 ; मदरासकी नज़ीरें देखो—वेंकू बनाम महालिंग (1888) 11 Mad 393 ; मुट्टूकानू बनाम परामासामी (1888) 12 Mad 214. देखो दफा २२० ; ११६.

दफा ३०४. पुरुष, दत्तकमें लड़काही लेसकताहै लड़की नहीं——पुरुषको दत्तकमें लड़काही लेना चाहिये लड़की नहीं लेना चाहिये इस क़ायदेके अनुसार लड़का ही दत्तक लिया जासकता है लड़की नहीं । एक ब्राह्मणने एक लड़की, इस ग़रजसे दत्तक ली, कि वह उसे अपनी लड़कीकी जगह पर क़ायम करे; मगर धर्मशास्त्रके और रवाजके अनुसार वह जायज़ क़रार नहीं दी गयी देखो-गंगाबाई बनाम अनन्त (1888) 13 Bom 690.

कृत्रिम दत्तक ।

दफा ३०५. कृत्रिम पुत्रका दरजा——यद्यपि कृत्रिम पुत्रको, वसिष्ठ, विष्णु, शंख लिखितने नहीं माना और ब्रह्मपुराणमें इस पुत्रका ज़िकर नहीं है । परंतु मनु, बौधायन गौतम, याज्ञवल्क्य, नारद, हारीत, देवल, यम, और बृहस्पतिने मानाहै तथा इस पुत्रका ज़िकर कालिकापुराणमें किया गया है । जिन स्मृतिकारोंने इस पुत्रको माना है उन्होंने अन्य पुत्रोंके साथ इसका दरजा क़ायम किया है । जैसे मनुने ४, बौधायनने ५, गौतमने ४, याज्ञवल्क्यने ९, नारदने ११, हारीतने, १२, देवलने ११ यमने १० बृहस्पतिने ६ और कालिका-

पुराणने चौथा क़ायम किया है, । गौतम, मनु और कालिकापुराण चौथे दरजेसे सहमत हैं बाक़ीके आचार्य्य भिन्न भिन्न दरजे मानते हैं। दरजेका अर्थ श्रेणी या वर्ग होता है, दरजेसे यह मतलबकि किससे कौन श्रेष्ठ है और कौन कम है । इसे यों समझलो कि औरसपुत्रको सब आचार्य्योंनें पहिला दरजा क़ायम किया है इसलिये वह सबसे श्रेष्ठ है और बाक़ी पुत्रोंके बारेमें एक राय नहीं है। इसतरह पर कृत्रिम पुत्रको मनु औरस पुत्रसे चौथा दरजा देतेहैं यानी औरसपुत्रकी अपेक्षा वह चार दरजा हीन है-देखो इस किताबकी दफा ८९; ९०.

दफा ३०६. कृत्रिमके संबंधमें धर्मशास्त्रकारोंका मत——कृत्रिमपुत्रकी तारीफ़ समझनेके लिये स्मृतियोंके कुछ वचन नीचे उद्धृत करताहूं——

मनु——सदृशंतु प्रकुर्य्याद्यं, गुणदोष विचक्षणं। पुत्रं पुत्रगुणैर्युक्तं सविज्ञेयश्च कृत्रिमः। मनुः अ० ९-१६९. सदृशमिति—यं पुनः समान जातियं पित्रोः पारलौकिक श्राद्धादिकरणा करणाभ्यां गुणदोषौ भवत इत्येव मादिज्ञं, पुत्रगुणैश्च माता पित्रेण-राधनादि युक्तं पुत्रं कुर्य्यात् स कृत्रिमाख्यःपुत्रोवाच्यः । कल्लूक भट्टः ।

याज्ञवल्क्य—क्रीतश्च ताभ्यां विक्रीतः कृत्रिमः स्यात्स्वयंकृतः । अ० २-१३१.

मिताक्षरा——कृत्रिमः स्यात्स्वयंकृतः । कृत्रिमस्तु पुत्रः स्वयं पुत्रार्थिना धनक्षेत्र प्रदर्शनादि प्रलोभनैव पुत्रीकृतो । मातापितृ विहीनस्तत्सद्भावे तत्परतन्त्रवात् ।

बौधायन——सदृशं यं सकामं स्वयंकुर्यात्सकृत्रिमः। २ प्रश्न २ अ० २५ ।

मनुका भावार्थ—गुण और दोषके जानने में चतुर पुरुष जब गुणयुक्त और अपनी जातिके बालकको लेकर अपना पुत्र बनालेता है उस पुत्रको कृत्रिम पुत्र कहते हैं। यही भाव कुल्लूक भट्टका है। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि-जिस पुत्रको किसी मनुष्यने जिसे पुत्रकी अभिलाषाहो धन और क्षेत्र आदिके लोभको दिखाकर स्वयं पुत्र करालियाहो वह कृत्रिमपुत्र कहलाता है। यही मतलब मिताक्षराकार विज्ञानेश्वरका है । बौधायन कहते हैं कि-जबकोई समान जातिके बालकको अपनी इच्छासे पुत्र बनालेता है तब वह कृत्रिम पुत्र कहा जाता है । प्रायः अन्य आचार्य्योंने भी ऐसीही व्याख्या कृत्रिमकी कीहै। क़ानूनमें कृत्रिम पुत्र किसतरहपर मानाजाता है तथा कहां माना जाता है और उसे क्या अधिकार हैं इत्यादि बातोंका उल्लेख नीचे देखो।

दफा ३०७. कृत्रिमदत्तक सबजगह नहीं मानाजाता——दत्तक मीमांसा में मानागया है कि अभी इस क़िस्मके दत्तकका रवाज प्रचलित है, मगर आजकल सिर्फ़दो क़िस्मके लड़के प्रायः सर्वत्र माने जाते हैं औरस और दत्तक। बाक़ी क़िस्मके लड़के नहीं माने जाते, बंगाल, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रदेश, बंबई, और मदरासके एक बड़ेभागमें कृत्रिमदत्तक नहीं माना जाता। परंतु मिथिला और नामबुद्री ब्राह्मणोंमें अबभी इस दत्तकका रवाज प्रचलित है।

दफा ३०८. कृत्रिम दत्तक मिथिलामें माना जाता है——मिथिला और उसके आसपासके ज़िलोंमें कृत्रिम दत्तक माना जाता है और अंगरेज़ी क़ानूनभी वहांपर इसे मानता है। हरएक आदमी और औरत कृत्रिमपुत्र ले सकता है, मदरासमें नम्बोदरी ब्राह्मणोंमें भी इसकी रवाज स्वीकारकी गई है, पंजाबमें कोई क़ायदा ख़ास नहीं है।

दफा ३०९. कृत्रिम दत्तक और दत्तकमें क्या फरक़ है——दत्तककी सबबातें हम पहिले कह चुके हैं यहांपर उन बातोंका वर्णन करते हैं जो दत्तकमें नहीं होतीं और

कृत्रिम दत्तकमें होती है। (१) कृत्रिम दत्तकमें गोद लिये जानेवाले लड़केकी मंजूरी होनी चाहिये, और वह लड़का मंजूरी देनेके योग्य हो (२) गोद लिया जानेवाला लड़का उसी दर्जेका होना चाहिये जिसकाकि बापहै यानी एकही ज़ातका हो। (३) हर उमरका लड़का और कोई भी लड़का गोद लिया जा सकता है। (४) इस दत्तकके लिये लिसी रसमकी जरूरत नहीं है अर्थात् दत्तक हवन आदिकी आवश्यकता नहीं है। (५) कृत्रिम दत्तक लियेजानेकी प्रायः यह रीति है, कि लेनेवाला स्नान करके, स्नान किये हुए लड़केसे कहे कि "तू मेरा लड़का होजा" और लड़कायों कहे कि "मैं आपका बेटा हो गया हूं" और कोई रीति नहीं है सिर्फ़ दोनोंकी रज़ामंदी दरकार है; (६) पतिने यदि एक लड़का गोद लेलियाहो तो उसकी ज़िन्दगीमें स्त्री अपने लिये एक बेटा गोद लेसकती है। (७) सधवा स्त्री (जिसका पति जिन्दा हो) को कृत्रिम दत्तक लेनेके लिये, अपने पति अथवा किसी आदमीकी आज्ञा लेना जरूरी नहीं है। (८) विधवा स्त्री अपने लिये कृत्रिम दत्तक ले सकती है मगर अपने पतिके लिये नहीं ले सकती चाहे उसका पति गोद लेनेकी आज्ञा भी दे गया हो। (९) विधवा स्त्रीको कृत्रिमपुत्र लेनेका अधिकार विनासपिण्डोंकी आज्ञा के भी है। (१०) कृत्रिम दत्तक पुत्रका हक़ अपने असली ख़ानदानमें नहीं मारा जाता और दत्तक लेनेवाले ख़ानदानमें वह सिर्फ़ उसी आदमीकी जायदादका वारिस होता है जिसने उसे गोद लिया हो।

दफा ३१०. मिथिलामें कृत्रिम दत्तक जायज़ है—सिवाय मिथिलाके, और जगहोंपर औरत अपने लिये दत्तक नहीं ले सकती। मिथिलामें या जहांपर कृत्रिम की रीती बताई गयी है स्त्री अपने पतिकी ज़िन्दगीमें अपने लिये दत्तक लेसकती है, और पतिके मरने परभी ले सकती है। पति और पत्नी शामिल शरीक होकर तथा अलहदा अलहदा दत्तक ले सकते हैं। अगर कोई सधवा स्त्री अपने लिये लड़का ले लेवे तो वह लड़का उसका क्रियाकर्म करता है तथा उसके बेटेकी तरह माना जाता है और सिर्फ़ उसकी जायदादका वारिस होता है। लेकिन वह उसके पतिका पुत्र नहीं कह लाता, और न उसकी जायदाद पाता है और न उसका क्रियाकर्म कर सकता है। जब पति और पत्नी शामिल शरीक किसी लड़केको दत्तक लेते हैं तो वह लड़का दोनोंका बेटा होता है और दोनोंकी क्रियाकर्म करता है तथा दोनोंकी जायदाद पाता हैं। जब पतिने अपने लिये किसी एक लड़केको लियाहो और पत्नीने दूसरा लड़का अपने लिये लिया हो तो दोनो अपने अपने (लेनेवालेके) लड़के कहलाते हैं तथा अलग अलग क्रियाकर्म करते हैं तथा अपने अपने गोद लेनेवालेकी जायदाद पाते हैं यानी पतिकी जायदाद पतिका लड़का एवं स्त्रीकी जायदाद स्त्रीका लड़का।

कृत्रिम पुत्र लेनेका तरीका बड़ा अद्भुत जान पड़ता है क्योंकि देखो दफा ३०९ का पैरा २, ३, जब एक ज़ातका कोईभी लड़का किसी उमरका दत्तक लिया जा सकता है, तो बापको लड़का भी गोद ले सकता है, तथा ससुरको बहू भी गोद ले सकती है—इसी लिये यह दत्तक अद्भुत प्रतीत होता है जोहो क़ानूनने ऐसाही माना है।

दफा ३११. कृत्रिम दत्तकके संबंधमें क़ानून और नज़ीरें देखो——मिस्टर मेन हिंदूलॉ पैरा २००—२०६; घारपुरे हिंदूलॉ पेज १००; मुल्ला हिंदूलॉ पेज ४११; ट्रिवेलियन्स हिंदूलॉ पेज १५९-१६१ तथा पेज २०५-२०६; सरकारका हिंदूलॉ चौथा; एड़ीशन् पेज १८०-१८१; नज़ीरें देखो—कलक्टर आफ तिरहुत बनाम हूरो प्रसाद 7 Suth W.R. 500; 11 M. I. L.R. 174, 176; लछिमन बनाम मोहन 16 Suth 179.

दफा ३१२. जफनाद्वीपमें कृत्रिमकी तरहका दत्तक—जफनाद्वीप, सीलोन

यानी लंकाद्वीप के उत्तर—पश्चिम किनारे पर है, जो मदरास प्रांतके दक्षिणी किनारेके सामने पड़ता है। सन १९०१ की मरदुम शुमारीके समय इस द्वीपमें ४३०९२ जन संख्याथी। यह छोटासा द्वीप है और सीलोनमें शामिल है। इस द्वीपके निवासियों में कृत्रिम दत्तक की तरह की एक रवाज लड़का लेने की है, उसमें भी मज़हवी रसूम नहीं है, और लड़केका हक़ लड़का लेनेवाले की जायदाद पर होता है, उसका वारिस वही होता है ; देखो मेन हिंदूलॉ पैरा २०६.

नोट—हिन्दुस्थानके अंदर कृत्रिम दत्तककी तरह कई जगहोंपर लड़का और लड़कियां गोद ली जाती हैं। जैसे ब्रह्मदेशमें लड़कियां भी गोद ली जाती हैं और उनमे कोई रसम दत्तककी नहीं होती, सिर्फ वह अपनी विरादरीमें मशहूर कर दी जाती हैं। मदरासमें एक 'रैड़ी' क़ौम है जिसमें दामादको दत्तकपुत्रकी तरहपर मान लेते हैं। मलावारमें 'नायर' लोगोंमें लड़कियां दत्तक ली जाती हैं वह जायदाद की वारिस भी होती हैं। नामवुद्री ब्राह्मणोंमें भी इसी क़िस्मकी चाल है। मगर अब यह सब रवाजें कम होती जाती हैं। क़ानूनमें इन रवाजोंका स्थान नहीं हैं।

इन्डियन लिमीटेशन एक्ट नं० ९ सन १९०८ ई० के अनुसार दत्तकसंबंधी नालिशोंकी मियादें।

अर्थात्

अपने भावी हक़की रक्षाके लिये, या दत्तक मंसूख़ करापानेके लिये, या दत्तक जायज़ क़रारदियेजानेके लिये, या दत्तकके मुक़ाबिलेमें, अथवा उससे जायदाद पानेके लिये, नालिश करनेका बिषय।

दफा ३१३. भावी हक़के रक्षित रखनेकेलिये नालिश होसकती है——जब किसीको कोई हक़ किसीके मरनेके बाद पैदा होता हो, और उसे यह आशंकाहो कि वह, जिसके तावेमें इस वक्त जायदाद है, सिर्फ इस कारण कि वह जायदाद वारिसको नमिले बरवाद कररहाहो, या बरवाद कर देनेकी कोशिश कर रहा हो, तो नालिश इस बातकी अदालतमें दायर कीजासकतीहैकि उसका हक़ भावी साफ कर दिया जाय, और मुद्दालेह वैसा करनेसे रोका जाय। इस क़िस्मकी नालिश अन्य सूरतोंमें भी दायर हो सकेगी; जबकि कईएक संदेह जनक वारिस पैदा होते हों, या कोई ऐसी बात हो जिसके कारण उस वक्त यदि नालिश नहीं दायर की जायतो नालिशमें अथवा अन्य किसी काममें नुक़सान पहुंचना संभवहो इसी तरहपर एक मामला बंगालमें पहिले चला था जिसमें अन्य बातोंके अलावा यह साफ है कि, होनेवाले एक वारिसने विधवापर दावा दायर किया कि-उसका हक़ आगेके लिये निश्चित कर दिया जाय। अदालतने तज़वीज़ किया कि विधवाका पति दत्तक लियागयाथा इस वजेहसे मुद्दई हक़दार है दावा डिकरी हुआ। इस मुक़द्दमेमें अन्य बातें भी सावित हुयी हैं जो दत्तकके किसी फैसलेके होनेसे वह लोग, जो शरीक नालिश नथे पांवद नथे ; देखो--3 Mad W.L.R. 14 full bench case. और देखो--इस किताबकी दफा ३१६.

दफा ३१४. दत्तक मंसूख़ करापानेकादावा कब कियाजायगा?——दत्तक मंसूख़ीके दावेमें मियादका एक ज़रूरी सवाल है, जो दत्तकके नाजायज़ क़रार दियेजानेके

दावा करनेमें आवश्यक होता है। यानी दत्तकसे नुक़सान कब पैदा हुआ (विनाय मुख़ासमत) यहँवांत हर मुक़द्दमेमें ज़रूरी होती है। इसीके आधार पर दावा, मियादके भीतर या मियादके बाहर निश्चय किया जाता है। जब गोदके मंसूख़ करनेका दावा किया जाय, अथवा गोदके लड़केके बजाय वादी अपनेको उस जायदादका अधिकारी कहता हो, जो जायदाद अगर वादी न होता तो उस गोदके लड़केको मिलती। या दत्तकपुत्रके कब्ज़ेसे जायदाद दिला पानेका दावा किया जाय, ऐसी सूरतोंमें क़ानून मियाद से कितनी रुकावटें पड़ती हैं इस बातका देखना निहायत ज़रूरी है। मियादसे मतलब यह है कि इस क़िस्मका दावा दत्तकलेनेके कितने दिनों बाद तकदायर कियाजासकेगा। और वह मियाद कबसे शुरू की जायगी। इस विषयमें तय किया गया है कि—" मियाद उस वक्तसे शुरू होगी जिस वक्त गोद मंसूख़ीका दावा करनेवाले मुद्दईको उससे नुक़सान पहुंचे, उसी वक्तसे मियाद शुरू होगी। मगर जब कोई ऐसा वारिसहो जिसे दत्तक न होनेकी दशामें जायदादके पानेका हक़ पैदा होता हो तो मियाद उस वक्तसे शुरूं होगी जब उसे ऐसा हक़ पैदा हुआ है "।

उदाहरण—(१) सेठ कस्तूर चन्दके मरनेके बाद उनकी विधवा जानकीबाईने ता. ५-सितंबर १९१५ को एक पुत्र गोद लिया, इस पुत्रके गोद लेनेसे सेठ कस्तूरचन्दके वारिस जायज़को अपने हक़का नुक़सान पहुंचा, तो उचित है कि गोद मंसूख़ीके दावाकी मियाद उसी वक्तसे शुरू कीजाय जिसतारीख़को जानकीबाईने गोद लिया था, (२) सेठ जवाहरमल और मूंगामल दोनों सगे भाई हैं दोनोंके बटे हुए ख़ानदान हैं, सेठ जवाहरमलके मरनेपर उनकी विधवा सरस्वतीबाईने ता. १ जनवरी सन १९०० ई० में एक लड़का गोद लिया। सरस्वतीबाई मरी ता० ५ सितंबर १९१५ ई. में। ऐसी सूरतमें गोद मंसूख़ीके दावाकी मियाद उस वक्तसे शुरू होगी जबकि सेठ मूंगामलको भाई की जायदाद पाने और उसपर क़बज़ा करनेका अधिकार पैदा हुआ यानी विधवाके मरनेके बाद जायदाद मूंगामलको पहुंची इरुसे ता. ५ सितंबर १९१५ ई. से मियाद शुरू होगी।

(१) दत्तक पुत्रका क़बज़ा जायदाद परसें कबनहीं हटाया जायगा—जबकोई मियाद, जायदाद पर क़बज़ाकरनेके हक़ पैदाहोनेसे शुरू कीजायगी, तोउसवक्त दत्तक पुत्रका क़बज़ा जायदाद परसे न हटाना योग्यहोगा देखो—मलाया बनाम नरासामा 17 Mysore. 180 मगर जब कोई दावा दत्तक मंसूख़ीका उसवक्त किया गाया हो जब जायदाद पर क़बज़ा दत्तक पुत्रकाहो तो उसका क़ब्ज़ा हटाना और भी अधिक कठिन होजायगा। इसक़िस्मकी मियाद लेनेमें इसबात पर ध्यान रखना कि जब विधवा जायदाद पर, अपने पतिकी वारिस जायज़ की सूरतमें क़बज़ा रखती हो और उसने दत्तक लियाहो अर्थात् जो विधवा योग्यरीतिंसे पतिकी वारिस होतो, उसके मरनेके दिनसे मियाद शुरू होगी ; इसबारेमें एक पुराना फैसला देखो—भरबचन्द्र बनाम कालीकिशोर S. D. of 1850, 369. बंगालसदरअदालतने इस फैसलेमें तय किया है कि—विधवाके मरनेके बादसे मियाद शुरूहुयी—इस मुक़द्दमेमें वादी कहता था कि—मैं विधवाके पतिकी लड़की का लड़का हूं (नेवासा); और विधवाने पतिके मरनेके बाद सन् १८२४ में दत्तक लिया, तथा सन १८६१ ई० तक जीती रही। विधवाके मरनेके ५ वर्षके बाद यानी सन १८६६ ई० में दावा दायर किया गया। वादीने यह स्वीकार कियाथाकि दत्तकपुत्र अपनी गोदकी हैसियतसे सन १८२४ ई० से जायदादपर क़ाबिज़ रहा है, और इस मुक़द्दमेमें दत्तकपुत्र और उसका लड़का मुद्दालेह बनाया गया। दावामें दत्तक नाजायज़ होनेका बयान कियागयाथा। अदालतने इस मुक़द्दमेमें क़ानून मियादके अनुसार यह तय कियाकि दावामें तमादी होगयी, इसलिये बादीके ख़िलाफ़ फैसला किया।

वादमें फुलविंच हाईकोर्ट बंगालमें यह मुक़द्दमा पेश हुआ और तय कियागयाकि वादीको जायदादपर क़वज़ा पानेकाहक़ विधवाके मरनेके वाद पैदा हुआ और विधवामरी सन १८६१ ई० में। मियाद, नालिश मंसूख़ी दत्तककी १२ वारह सालकी है, इसलिये तमादी नहीं है उसवक्त जो क़ानून मियाद गवर्नमेन्टका जरी था वह एक्ट नं० ९ सं० १८७१ ई० था, जिसमें १२ सालकी मियाद दत्तक मंसूख़ीकी रखीगयीथी मगर अव वह क़ानून जारी नहींहै श्रीनाथ गंगोपाध्याय बनाम महेशचन्द्र 4 B. L. R. (F.B.) 3 ; S.C. 12 Sulh (F.B.) 14.

दफा ३१९. दत्तक मंसूख़ करापानेकादावा ६ सालके अंदर होना चाहिये— पहिले दत्तक नाजायज़ क़रार देनेके लिये अदालतमें दावा करनेकी मियाद वारह वर्षकी रखी गयी थी और यह मियाद अनेक प्रकारसे शुरू होतीथी देखो-क़ानूनमियाद एक्ट नं० १४ सन् १८५९ और एक्ट नं० ९ सन् १८७१ ई०। आजकल वारह वर्षकी मियाद नहीं मानी जाती। ऊपरी एक्टोंका इस मियादके संबंधवाला भाग, एक्ट नं० १५ सन १८७७ ई० के अनुसार मंसूख़ होगया है। और आजकल अंतमें कही हुई एक्ट मानी जाती है—

एक्ट नं. १५ सन् १८७७ ई० की दफा ११८ में कहा गया है कि " वयानकी हुई दत्तकके नाजायज़ क़रार देनेके वास्ते या दरहक़ीक़त दत्तक लियाही नहीं गयाथा, सावित करनेके वास्ते, नालिशकी मियाद ६ छह सालकी है और यह मियाद उसवक्तसे शुरू होगी जवकि वयानकी हुयी दत्तकका हाल मुद्दईको मालूमहो" विल्कुल यही दफा एक्ट नं०९ सं० १९०८ ई० में मानी गयी है। इस दफाका साफ़ अर्थ इतना समझ लेनाकि जव वादीको यह मालूम होजाय कि गोद लिया गयाहै और उस गोदलेनेसे वादीके हक़में नुक़सान पैदा होगयाहै तो उसे चाहियेकि जबसे गोदलेना मालूमहो तवसे ६ वर्षके अंदर गोदमंसूख़ी अर्थात् अपने हक़के साफकर लेनेका दावा अदालतमें दायर करदे नहींतो वाद गुज़रजाने मियादके दावामें तमादी पैदा हो जायगी।

इसी क़िस्मका एक मुक़द्दमा बंगालमें पैदा हुआथा जो प्रिवीकौन्सिलतक गया इसमें वादीने एक विधवाके मर जानेके वाद उस जायदादके दिलापाने और क़वज़ा पानेकी नालिशकी जो उस विधवाके पास उसके पतिकी छोड़ी हुई थी, और यहभी कहा गयाथा कि विधवाने एक दत्तक पुत्र लिया है। वादीकी तरफसे वहसका सारा दारमदार दफा ११८ एक्ट नं० १५ सन् १८७७ क़ानून मियादके आधारपर किया गया था। मगर यह वहस अयोग्य क़रार पायीथी अदालतमे दो कारण वताये, प्रथमतो विधवाने दत्तक सिर्फ अपने वास्ते लिया था नकि अपने पतिके लिये ; दूसरे यह नहीं सावित किया गया थाकि वादीको ६ सालके अंदर दत्तकका इल्म, नालिश करनेके पहिले हो गया था। ऐसा मालूम होताहैकि इस मुक़द्दमेमें वादीके दावामें तमादीकी वहस आन पड़ी थी। दावा दफा ११८ के अनुसार दायरथा नकि १४१ क़ानून मियाद एक्ट १५ सन १८७७ के देखो—लछिमनलाल बनाम कन्हैय्यालाल 22. I. A. 51 ; S. C. 22 Cal. 609.

(१) वारह वर्षकी मियाद कव मिलेगी—क़ानून मियाद दफा १४१ एक्ट १५ सन १८७७ ई० का यह मतलव है कि " जब कोई औरत हिन्दू या मुसलमान क़ौमकी मरगयी हो, और उसकी छोड़ी हुई स्थावर संपत्तिके क़वज़ा दिलापानेका दावा किसी हिन्दू या मुसलमानकी तरफसे दायर किया जाय तो ऐसे मुक़द्दमेमें मियाद वारह सालकी होगी और यह मियाद उस वक्तसे शुरूकी जायगी जवकि औरत मरीहो"। यह दफा १४१, एक्ट नं०९ सं० १९०८ ई० में ज्योंकी त्यों मानी गयी है अगर विशेष विवरण देखनाहो तो देखो-के, जे, रुस्तमजीका इन्डियन लिमीटेशन एक्ट ९ सं० १९०८ ई० पेज ३६७ से ३७४ तक, एडीशन सन १९१५ ई०

इस दफाका साफ मतलब यह है कि जिस मुक़द्मेंमें दत्तककी वहस ज़रूरी नहो और दावा उत्तराधिकारीकी वरासतके अनुसार किया गया हो, जहांपर कि वादी विना दत्तककी वात लाये हुयेभी, अथवा उसके ख़िलाफ सावित किये हुए भी, अपने दावामें कामयाव होसकता हो, यह दफा उन सूरतोंसे संवंध रखती है। देखो--एक्ट नं० १५ सन १८७७ की दफा १४१ का इलाहावाद हाईकोर्ट और बंगाल हाईकोर्टने यह अर्थ माना है कि दत्तकके प्रश्नसे और इस धारासे कोई संवंध नहीं इस विषयके फैसले नीचे देखिये।

(२) छ सालकी मियादपर फैसले--मदरासमें एक विधवाने दावा दायर किया, दावामें कहा गया कि, विधवा मुद्दैय्या अपने पतिकी जायदाद पर क़बज़ा दिलापाने का अधिकार रखती है, यह दावा उसके मुक़ाविले में दायर किया था जो अपनेको कहताथाकि मैं विधवाके पतिका दत्तक पुत्र हूं। अर्ज़ीनालिशमें स्वीकार किया गयाथाकि विधवाका पति सन् १८८४ में मरगया, तथा दत्तककी ख़बर विधवाको सन १८८५ ई० में हुयी और मुक़द्मा दायर किया गया सन १८९३ ई० में। प्रतिवादीकी तरफसे जवाव दावा दाख़िल किया गया जिसमें कहा गया कि दावामें तमादी होगयी है। यह वहस एक्ट नं० १५ सं० १८७७ ई० की धारा ११८ के अनुसार थी। इसमें अदालत हाईकोर्ट मदरासने प्रिवीकौन्सिलकी कई एक नज़ीरोंका हवाला देकर यह सिद्ध कियाकि दफा १२९ एक्ट नं० ९ सं० १८७१ ई० और दफा ११८ एक्ट नम्बर १५ सन १८७७ ई० का मतलब एकही तौरसे मालूम होता है। मुक़द्मा तमादीपर फैसल कियागया देखो—पारवथी बनाम सामीनाथ 20 Mad. 40 ; फोल्ड़ पय्या डोरायी वनाम सोलाई 24 Mad 405; रतनामासारी बनाम अकिलंडअम्माल 26 Mad 291.

उपरोक्त दफा ११८ और १४१ एक्ट नं० १५ स० १८७७ ई०-तथा एक्ट नं० ९ सन १९०८ क़ानून मियादमें जो संदेह पैदा होता है, उसपर हाईकोर्ट इलाहावाद और वंगालने यह रायदी है कि उक्त दफा ११८ का मतलब यहहैकि जव कोई नालिश अपने हक़के साफ करलेनेके बारेमें दायर कीजाय तो मियाद उसकी इस दफाके अनुसार लेनी चाहिये, मगर यह दफा उन नालिशोंसे संवंध नहीं रखती जो दफा १४१ या १४० के अनुसार हों। अर्थात् इस ११८ दफाके अनुसार सिर्फ अधिकार साफ करलिया जासकता है। इसकी मियाद छह सालकी है किंतु जब कोई दावा क़वज़ा मांगे जानेका दायर हो तो उसकी मियाद १२ बारह सालकी होगी जैसा कि दफा १४० ; १४१ का मतलब है। देखो—वसुदेव, बनाम गोपाल 8 All 644 ; नाटूसिंह बनाम गुलाबसिंह 17 All 167 ; प्रभूलाल वनाम मिलनी 14 Cal. 401 ; रामचन्द्रमुखरजी वनाम रणजीतसिंह 27 Cal. 242.

बंबई हाईकोर्टने इसके विरुद्ध कुछ फैसले किये हैं. देखो—फेनीअम्मा बनाम मंजया 21 Bom. 159 दूसरा मुक़द्मा देखो 24 Bom. 260 , 266; रामचन्द्र बनाम नारायण 27 Bom. 614. उपरोक्त 24 Bom 260 में हाईकोर्टने यह माना है कि दफा ११८ क़ानून मियाद एक्ट नम्बर १५ सन् १८७७ ई० ऐसी नालिशोंसे संबंध रखती है जिनमें दत्तकका प्रश्न अत्यावश्यक हो, और ऐसा प्रश्न वादीकी तरफसे अथवा प्रतिवादीके जवाब दावाके आधारपर उठाहो। तथा दफा १४१ कामंशा यह है कि जिन मुक़द्मोंमें दत्तक की वहस ज़रूरी नहो और वादी अपना दावा, दत्तक नाजायज़ बयान न करकेभी सावित करसकता हो।

ऊपर कही हुई ६ सालकी मियादके बारेमें ठीक समझ लेनेके लिये हम दफा ११८ का जानने योग्य विवरण नीचे देते हैं।

दफा ३१६. लिमीटेशन् एक्ट नं० ९ सं० १९०८ ई० की दफा ११८ का वर्णन—

" इस बातके क़रार दिये जानेके वास्ते कि जो दत्तक ज़ाहिरकी गयी है नाजायज़ है,

या दर असल वह दत्तक ही नहीं हुयी थी, ऐसी नालिश करनेकी मियाद ६ सालकी है, और यह मियाद उस वक्तसे शुरू होगी जब बयानकी जानेवाली दत्तकका हाल वादीको मालूम हो " दफाका शब्दार्थ इतना है अब आप देखिंये कि इन शब्दोंका अर्थ कैसा लगाया गया है—

जहांपर नालिश जायदादके क़ब्ज़ा पानेके लियेकीगयी है वहांपर अगर दावाके मज़बूत करनेके लिये दत्तकका नाजायज़ क़रार दियाजाना ज़रूरी होतो यह ११८ दफा लागू नहीं होगी।

(१) जस्टिस तैय्यवजीकी राय——जस्टिस तैय्यवजीने क़रार दिया हैकि यह दफा उन सब नालिशोंके लिये ज़रूरी होगी, जहां कि वहेसका ख़ास हिस्सा प्रतिवादीके दत्तकके जायज़ या नाजायज़ होनेके बारेमें हो। चाहे यह प्रश्न पहिले पहल वादीकी तरफसे उठाया गया हो, या प्रतिवादीने अपने जबाबमें उठाया हो।

(२) कलकत्ता हाईकोर्टकी राय-कलकत्ता हाईकोर्टने यह निश्चित किया है कि यह ११८ दफा ग़ैर मनकूला (स्थावर संपत्ति) जायदादके क़ब्ज़ा पानेकी नालिशके लिये ज़रूरी नहीं होगी चाहे वादीको दत्तक नाजायज़ साबित करना ज़रूरी हो देखो—राम बनाम रंजीत 27 Cal 242.

(३) रिवर्ज़नर—वारिस इस दफासे मजबूर नहीं किया जासकता-अगर दत्तक होनेके ६ सालतक रिवर्ज़नर वारिस (देखो दफा ५५८) दत्तकके नाजायज़ क़रार दिये जानेके वास्ते नालिश न करे, तो इस दफाकी वजेहसे इतना समय निकल जानेपर भी वह दत्तक यदि नाजायज़ है तो जायज़ नहीं मानाजायगा। अर्थात् उसकी नालिशका हक़ नहीं माराजायगा।

रिवर्ज़नर-वारिस (देखो दफा ५५८) दत्तक नाजायज़ क़रार दिये जानेका दावा करनेके लिये उस सूरतमें मजबूर नहीं किया जासकता, जब किसी हिन्दू विधवाने दत्तक लिया हो और वह (रिवर्ज़नर—वारिस) विधवाके मरनेके बाद, विधवाके पतिका उत्तराधिकारी हो; नज़ीर देखो—हरी बनाम बाईरेवा (1895) 21. B. 376.

उदाहरण--ठाकुर दिग्विजयसिंह और विजयसिंह दोनों सगे भाई हैं आपसमें बटे हुये ख़ानदानमें रहते हैं। विजयसिंहके दो लड़के हैं और दिग्विजयसिंहके कोई लड़का नहीं है। दिग्विजयसिंह मरगये और उनकी सब जायदाद उनकी विधवाको वरासतन मिली, जिसपर विधवाने क़ब्ज़ा किया। विधवाने एक लड़का गोद लिया, यह गोद सन १९०० ई० में लिया गया,। सन १९०३ में विजयसिंहको गोदकी खबर मिली और विधवा मरी सन १९१० ई० में ठाकुर विजहसिंह जायदाद पानेका दावा दत्तक पुत्रके मुक़ाबिलेमें करसकते हैं क्योंकि उन्हे विधवाके मरनेपर जायदाद मिलनेका हक़ पैदा हुआ।

ऊपरके उदाहरणसे मालूम होजायगा कि जब विजयसिंहको सन १९०३ में गोदकी ख़बर मिली थी तो उन्हें ६ सालके अंदर गोद मंसूख़ीका दावा करना चाहिये था, मगर यह मियाद विधवाकी ज़िंदगीमें वितीत होगयी। अगर दफा ११८ मियाद क़ानूनके अनुसार देखिये तो अब वह दावा नहीं करसकते मगर यह दफा ऐसी सूरतमें लागू नहीं की गयी क्योंकि दिग्विजयसिंहका रिवर्ज़नरी-वारिस विजयसिंह था। विजयसिंहको क़ानून मियादकी दफा १४१ के अनुसार नालिश करनेका हक़ बाक़ी रहा है; देखो-इस किताबकी दफा ३१५ पैरा १.

(४) कैसी सूरतमें इस दफासे तमादी होजायगी--जहांपर कि प्रतिवादीने अपना दत्तक साबित न किया हो मगर उसने अपना दत्तक ठीक मान रखा हो, और बादीको इस बातको मालूम हुए ६ सालबीत गये होंतो वह मुक़द्दमा इस दफ़ा ११८ के असरसे तमादी होजायगा अर्थात् वादी दावा नहीं करसकेगा; नज़ीर देखो—वेरट बनाम वेरट 25, Bom. 26.

" वादीको इस बातका मालूम होना " इन ऊपरके शब्दोंका ठीक ठीक अर्थ समझ लेना चाहिये। इस बारेमें देखो—अधिलक्ष्मी बनाम वेंकट रामया (1902) 14 M.L.J. 359.

इस नज़ीरमें बताया गया है कि " ज्ञान होना चाहिये " उस कहे जानेवाले दत्तकका नहीं, बल्कि उन सच्ची बातोंका और सूरतोंका जो दत्तकको जायज़ बना सकती थीं। सच्ची बातका कुछ न कुछ आधार होना चाहिये, और कहांतक यह शर्त डिकरी देनेके सवालमें विश्वासकी जासकती है यह हरएक केसमें उसके मामलों परसे ज़ाहिर होगी।

(५) सर मेरे ड़िथ्ल्लाड ड़न् साहेबकी राय—देखो—(1903)5 Bom.L.R.584 में कोर्टने यह निश्चय किया कि सिर्फ दत्तक होना तो कहा जाता हो,और कुछ नहीं। तो यह दफा ११८ ऐसी सरतमें लागू करनेके लिये काफी नहीं होगी । लेकिन यह दफा क्या उसवक्त भी लागू नहीं होगी जब कि कोर्टको शहादतमें यह मालूम होजाय कि दत्तक कभी नहीं हुआ, या दत्तक होनेका कोई ज़ाहिरा सुबूत नहीं है ?

(1894) P.R. 73 F. B. में, सर मेरे ड़िथ्ल्लाड ड़न साहेबने फरमाया कि ऐसी सरतमें यह दफा लागू नहीं होगी। दफा ११८ उन सूरतोंके लिये है जहां कि एक आदमी जिसको कि दत्तक लेनेका अधिकार है अपने उस अधिकारको ठीक तौरसे काममें नहीं लाता-देखो—(1905) P. R. 86 F.B.

दफा ३१७. अनधिकारीके दत्तकलेनेमें यह दफा लागू नहींहोगी———

जहांपर ऐसे आदमीने या किसी विधवाने दत्तक लियाहो जिसे दत्तकलेनेका अधिकारही नहींथा तो वहांपर यह दफा ११८ लागू नहीं होगी। क्योंकि वहांपर तो दत्तकके अधिकारहीका अभावहै। और न यह ११८ दफ़ा वहां लागू पड़ेगी जहांपर दत्तकलेनेवाला जिस क़ानून मुक़ामीसे पाबंद किया गया है उस क़ानूनमें दत्तकलेनेकी कोई रसम हैही नहीं। जैसेकि मिथिलामें विधवाका दत्तक लेना। (1911) P. R. 44 में फुल विंचने, उस फैसलेका अर्थ स्पष्ट किया है जो सन (1908) P. R. 71 ; और (1911) P. L. R. 196. में दोहराया गया था । फुलविंचकी राय यह मालूम होतीथीकि यह दफा, बिल्कुल ख़राब और नाजायज़ दत्तकोंमें लागू नहीं होगी। यह दफा उसवक्त लागू होगी जब कि सिर्फ दत्तकके रद्द कर देनेका दावा किया गया हो, और जायदाद पानेका दावा न किया गया हो; देखो—(1903) 5 Bom. L.R. 584 ; (1903) 27 Bom 614.

दफा ३१८. गोद मंसूख़ीका दावा जब गोदलेनेवालेकी ज़िंदगीमें हो———

प्रारंभमें कहा गया है कि जब दत्तक होनेकी ख़बर मिले अथवा जब हक़ कबज़ा पानेका पैदा हो उस समयसे ६ वर्षके अंदर नालिश दाखिल करना चाहिये। दोनो क़िस्मकी नज़ीरें ऊपर दी जाचुकी हैं। जब दत्तक लेनेसे मियाद शुरू होती है, तो इस बातकी होती है कि, जो पुरुष दत्तक न होनेकी दशामें उसका उत्तराधिकारी होगा, जिसके क़बज़ेमें जायदाद है तो नालिश ऐसी की जायगी कि दत्तकपुत्र अयोग्य है और वादीका हक़ पश्चात् पैदा होता है, दत्तक लेनेवालेकी ज़िंदगीमें ऐसी नालिश नहीं होसकेगी कि दत्तकपुत्र नाजायज क़रार दिया जाकर जायदाद मुद्दईको दिलायी जाय। क्योंकि जबतक दत्तक लेनेवाला ज़िन्दा है तबतक जायदाद उसके क़बज़ेसे नहीं अलहदा होसकती इस बिनापर कि उसने अयोग्य दत्तक लिया था। दूसरी तरहसे भी क़बज़ा पानेका दावा नहीं हो सकता क्योंकि अगर दत्तकपुत्र न लिया जाता तो उसके क़बज़ेसे जायदाद अलहदा नहीं होसकती थी इसलिये क़ानून मियादकी दफा ११८ एक्ट ९ सन् १९०८ ई० के अनुसार सिर्फ क़रार दिये जाने अपने हक़के और दत्तकपुत्रके नाजायज़ क़रार दिये जानेके लिये दावा दायर होसकेगा। अगर मान लीजिये कि इस क़िस्मका दावा दायर कियागया और वह दत्तक जिसके विरुद्ध दावा है, अदालतसे ख़ारिज होजाय तो

उसवक्त बादीको जायदादपर क़बज़ा नहीं मिलसकता क्योंकि जब दत्तकपुत्र अज्ञानावस्थाकी वजेहसे स्वत्वाधिकारको स्वयं नहीं प्राप्त हुआ था तो उसके ख़ारिज होनेपर बादी भी नहीं पासकता। तथा दत्तक लेनेवालेको, यदि अधिकार दूसरे दत्तक केभी लेनेका हो तो वादी उसे रोक नहीं सकेगा दत्तक होनेकी तारीख़से अगर छह वर्षसे अधिक वीत गये हों, और बादीको दत्तककी ख़बर मिले हुए भी छह वर्षसे अधिक वीत गये हों, तथा उसके बाद असली वारिसके मरनेकी तारीख़से छह वर्षके अंदर गोद मंसूख़ी और जायदादपर क़बज़ा दिला पानेका दावा कियागया हो तो हालत बिल्कुल दूसरी होगी मगर बादीके ख़िलाफ़ सिर्फ यह ख़्याल किया जासकेगा कि उसने दत्तककी ख़बरसे, अंदर मियाद अपने हक़को क्यों नहीं साफ करलिया? यानी वादीके विरुद्ध इस बातका ख़्याल होना ज़रूर है कि इतनी मुद्दततक वह चुपके बैठा रहा और यह काम उसका एक प्रकारसे यह नतीजा पैदा करता है कि वह दत्तकसे नाराज़ नहीं था। मगर जब यह साबित न हो कि वादीको यथार्थमें दत्तकका ज्ञान होचुका था, जैसा कि कहा जाता हो तो कोई बात उसके विरुद्ध लागू नहीं पड़ेगी। हर हालतमें यह ज़रूर है कि वारिस जायज़को जहांतक होसके अपना हक़ जल्द साफ करा लेना चाहिये और जब उसको जायदादपर क़बज़ा पानेका हक़ पैदा हो फौरन दावीदार होना चाहिये—

दफा ३१९. दत्तकपुत्र, अपनी दत्तक जायज़ क़रार दियेजानेकी नालिश कब करसकता है——दत्तकपुत्र अपना हक़साफ करलेनेकी नालिश करसकता है जब उसके अधिकारोंमें किसीके नाजायज़ दख़ल देनेकी वजेहसे उसको नुक़सान पैदा हो। उसवक्त दत्तकपुत्र अदालतमें अपने दत्तकपुत्र की हैसियतसे दत्तक साबित करापानेका दावा दायर कर सकता है। यह दावा क़ानून मियाद की दफा ११९ एक्ट नम्बर ९ सन १९०८ ई० के अनुसार दायर किया जायगा। इस दफाका सारांश यहहैकि " दत्तक जायज़ है इसबातके क़रार दिये जानेका दावा ६ सालकी मियाद के अंदर होना चाहिये, और यह मियाद उसवक्तसे शुरू की जायगी जबकि दत्तकपुत्रके हक़ोंमें जो उसके दत्तक लिये जानेसे पैदा हुएहों नुक़सान पहुंचाहो "

इलाहाबाद और कलकत्ता हाईकोर्टकी राय—हाईकोर्ट इलाहाबाद और कलकत्ताने इस दफा का यह अर्थ माना है कि इस दफाके अनुसार क़ब्ज़ापाने की नालिश नहीं दायर की जासकती। बल्कि यह ज़रूर है कि ज़ाहिरा ऐसादावा दत्तक क़रार देनेका किया गया मगर अंदरसे उसे क़ब्ज़ापानेकाभी फैसला होगया; देखो-लाली बनाम मुरलीधर 24 All 195; चंदनिया बनाम सालिगराम 26 All. 40; जगन्नाथ प्रसाद बनाम रंजीतसिंह 24 Cal 354.

दफा ३२०. लिमीटेशन् एक्ट नं० ९ सन १९०८ ई० की दफा ११९ का मतलब— " इसबातके क़रार दिये जानेके वास्ते कि दत्तक जायज़ है, इसक़िस्मकी नालिश की मियाद ६ सालकी है, और यह मियाद उसवक्तसे शुरू होगी जब दत्तक पुत्रके दत्तक संबंधी अधिकारोंमें दख़ल दिया गया हो" दफा ११९ का शब्दार्थ ऊपर बताया गया नीचे विस्तारसे देखो।

यह दफा वहांपर लागू होगी जहांपरकि दत्तक जायज़ माननेसे इनकार किया जाताहो। या जिन रसमोंके होनेसे दत्तक जायज़ होता है उन रसमोंका न किया जाना बयान किया जाता हो।

यह ११९ दफा वहांपर लागू पड़ेगी जहांपर दोबातें कही जाती हों, एकतो यहकि, दत्तक हुआ, और दूसरी यह कि जायज़ तौरसे हुआ। जबयह दोनों बातें साथ साथ बयान की जायेंगी तब उस दत्तक जायज़ क़रार देनेकी मियाद इस दफाके अनुसार ६ सालकी

मिलेगी। और अगर जहांपर सिर्फ यह कहा जाताहो कि "दत्तक हुआ" और जायज़ तौरसे हुआ है यहबात न कही जातीहो तो यह दफा लागू नहीं पड़ेगी।

(१) दफा ११९ और ११८ में क्या फरक़ है?--दफा ११८ से दफा ११९ में यह फरक़ है कि, दफा ११८ में दोनों बातोंमेंसे एकही के होनेपर मियाद उसके अनुसार मिलती है। यानी चाहे दत्तक हुआही नहो, या नाजायज़ तौरसे लिया गया हो, दोनों बातोंमेंसे अगर एक बातभी होगी तो मियाद दफा ११८ के अनुसार मिलेगी। मगर दफा ११९ के मतलब के लिये दोनों बातें होना ज़रूरी हैं यानी 'दत्तक हुआ है' और 'जायज़तौरसे हुआ है' देखो नज़ीर (1903) 20 M. 291. F.B.

(२) दख़ल देनेसे क्या मतलब है!-इस दफा ११९ की मियाद उसवक्तसे शुरू होना मानी गयी है जब दत्तक संबंधी अधिकारोंमें दख़ल दियागया हो। दख़ल किसने दियाहो, और कैसे दिया गयाहो; दोनों बातें संक्षेपसे समझलेना चाहिये। दख़लदेनेवाला यातो प्रतिवादी हो या प्रतिवादीके पूर्व पुरुष यानी उसके बाप, दादा आदिहों जिनकी जायदाद का प्रतिवादी उत्तराधिकारी है। सिवाय इनके तीसरा आदमी नहो जिसका कि प्रतिवादीसे कुछ संबंध नहीं है तो ऐसे प्रतिवादी या उसके पूर्व पुरुषोंके दख़ल देनेसे इस दफाकी मियाद शुरू होगी, देखो--(1904) 26 All. 40.

दख़लदेनेसे यह मतलब है कि-प्रतिवादीने ऐसा कोई काम किया हो जिसकी वजहसे दत्तक नाजायज़ माना जाना ज़रूरी हो देखो—(1903) 26 M. 291 F. B. दख़लका मतलब उस कामसे भी है जिस कामके होने पर बादी के दत्तककी हैसियत नमानी जाती हो, या वादीको कोई हक़ जो दत्तककी हैसियत से प्राप्त हुआ हो उस हक़ के इस्तेमाल करने से वह हटा दिया गया हो। उदाहरण देखो—

उदाहरण--जय और विजय दोनों सगे भाई हैं और बटे हुए खानदान में रहते हैं। जयने एक लड़का गोद लिया जिसका नाम है अजीत। जय मर गया और उसने अपने भाई विजय और दत्तक पुत्र अजीत बालिग़को छोड़ा। जयकी जायदाद बहुत थी जैसे ज़िमीदारी, ज़मीन, बाग़ात् और मकानात वग़ैरा। जयके मरतेही अजीतने अपने दत्तकपिताकी तमाम जायदाद पर क़ब्ज़ा कर लिया, और विजय ने भी ज़बरदस्ती कुछ बाग़ातों पर क़ब्ज़ा कर लिया जिसका इल्म (ज्ञान) अजीत कोथा। मगर अजीतने क़ब्ज़ा कर लेने की तारीख़से ६ साल के अंदर दावा नहीं किया तो अब वह इस दफा ११९ के अनुसार नहीं कर सकता।

(३) हक़के टालनेसे मियाद नहीं शुरू होगी--जब किसी दत्तकपुत्रको दत्तक पिताकी वरासत मिलती हो तो उस वरासतके मुताबिक़ अपने बापकी जायदादपर क़ब्ज़ा करनेके हक़ को सिर्फ टालदेने से इस दफाकी मियाद नहीं शुरू होगी-देखो-(1904) 28 B. 94.

उदाहरण--सेठ गोकरन और रामकरन दोनों सगे भाई हैं बटे हुए खानदान में रहते हैं। गोकरन ने एक लड़का गोद लिया और उसे बालिग़ छोड़ कर मर गया। पीछे रामकरनने दत्तकपुत्रको समझाया कि गोकरन की जायदादका इंतज़ाम मैं करता रहूं गा, दत्तकपुत्र इस बातपर राज़ी हो गया। कुछ दिनों बाद रामकरन ने उस जायदाद में से एक मकान अपने अधिकारसे बेंचडाला। तो दत्तकपुत्र को कुल जायदादके वापिस लेनेका तथा उसे मंसूख़ करानेका दावा करने के लिये ६ सालकी मियाद उस वक्तसे मिलेगी जिस वक्त उसे बदनियती रामकरन की मालूम हुई।

(४) मियाद पहिले के क़ब्ज़े से शुरू होगी-जिस जायदाद के बारे में मुक़द्दमा दायर किया गया है सिर्फ उसी जायदादमें दख़लदेने के समयही से मियाद शुरू नहीं होगी,

वल्कि इसके पहिले किसी दूसरी जायदादमें जिसके क़ब्ज़ेका हक़ वहैसियत दत्तक के वादी के पास हो अगर उसमें दख़ल दिया गया हो तो उस वक्त से शुरू होगी। अर्थात् दावाकी जायदाद में दख़लदेने से पहिले प्रतिवादीने अगर किसी दूसरी इसी तरह की जायदाद में भी दख़ल दिया होतो सबसे पहिले जब दख़ल दिया गया होगा उस तारीख़ से इस दफा ११९ की मियाद शुरू होगी। देखो--(1903) 13 M. L. J. 145.

अग्रवाल वैश्योंकी उत्पत्ति ।

अन्य लोगोंकी अपेक्षा अग्रवालवैश्योंमें गोदके मुक़द्दमें अधिक होते हैं। जव कभी गोदके या उत्तराधिकारके मुक़द्दमें में ऐसा प्रश्न उठेकि 'मुक़द्दमा कौन स्कूलसे लागू किया जाय ?' तो वनारस स्कूल [दफा २५] माननेवाले पक्षकारकी तरफसे निम्नलिखित मि० ह्यूमकी रिपोर्ट का हवाला वहसमें दिया जा सकता है। यह क्रम वतानेके लियेकि इनके पूर्वज बनारसके धर्म शास्त्रका पहलेसे आदर करते रहे हैं और मानते रहे हैं। किंतु पक्षकारको दफा ३०-३६ के अनुसार अपने मुक़द्दमेमें जैसी ज़रूरत हो नयी शहादत भी देना चाहिये। नयी शहादत और मि०ह्यूमकी रिपोर्ट दोनोके एकही तरहपर मिलनेसे पक्ष वहुत मज़बूत हो जायगा। यदि पक्षकार कोई दूसरा स्कूल वयान करे, तो उसे इस रिपोर्टसे कुछ सहायता नहीं मिलेगी। सेठ खेमराज श्रीकृष्णदास वनाम रमानिवास फर्स्ट अपील नं० २०९ सन १९१५ के मुक़द्दमेमें वादीकी तरफसे, वनारस स्कूलके समर्थनमें, वंबई हाईकोर्ट के सामने इस रिपोर्टका हवाला दिया गयाथा। चीफ़जज ने, यद्यपि मुक़द्दमा दूसरी सूरतपर फैसल किया किंतु यहभी कहाकि मारवाड़में कोई स्त्री बिना आज्ञा अपने पतिके गोद नहीं लेसकती, यहवात वनारस स्कूलकी है।

दफा ३२१. मिस्टर, ए, ओ, ह्यूम साहेबकी राय——यह जाति हिन्दुस्थान की जातियोंमें से एक अतीव वैभवशाली वैश्यवर्ण की जाति है, और उत्तर, उत्तरपश्चिम, तथा मध्यभारतमें निवास करती है। यह जाति धन और प्रतिष्ठासे गौरवान्वित होकर अपने को एकमात्र सच्ची वैश्य जाति मानती है। पण्डित लोग भी इसके विरुद्ध कोई वात नहीं उठाते इस जाति की उत्पत्ति की कथा बहुत प्रसिद्ध है। काशीधाम में निवास करनेवाले इस जाति के चौधरी अर्थात् अगुवाने मुझे इस संबंध में इस प्रकार लिखा है—

अग्रवालों की जाति पहलेपहल गोदावरी नदी के किनारों पर से आयी, इनके आदि पूर्वज का नाम 'धनपाल' था उनके मुक्तानाम्नी एक कन्या भी थी, जिसका विवाह याज्ञवल्क्य के साथ हुआ। ईश्वर की कृपासे मुक्ता के आठ पुत्र हुए जिन के नाम यह हैं (१) शिव, (२) नल, (३) अनिल, (४) नन्द, (५) कुंद, (६) कुमुद, (७) वल्लभ, (८) शेखर। इन्ही पुत्रों की संतानों के वंशज हिन्दुस्थानमें चारो ओर फैल गये, कुछ गुजरात तक भी चले गये, समय के हेर फेर से इसने धीरे धीरे अपनी जाति के आचार विचार एवं रीति भूलकर शूद्रों के साथ सम्बन्ध करलिया। केवल इनके एक पुत्र अपने धर्मपर आरूढ़ रहे। उनका नाम उग्रसेन या अग्रसेन था। कोई कोई उनको उग्रनाथ या उग्र भी कहा करतेथे। वर्तमान अग्रवाल जाति इन्ही मनुष्यसे पैदा हुयी है। यह जाति उग्रसेन को अपना जन्मदाता और पूर्व्वज वतलाती है। उग्रसेन अपनी पत्नी माधवी के साथ अग्रोहे में निवास करने लगे। यह नगर अब तक छोटेसे क़सबेके रूपमें हरियानेकी सीमापर विद्यमान है। यहांपर उनका

परिवार बढ़ा और बड़ा धनशाली तथा प्रतापी हुआ। वौद्धों और हिन्दुओंके झगड़ोंके समय सहस्रों अग्रवाल मारे गये, बहुतोंने प्राण रक्षाकी हेतु वौद्ध धर्म भी स्वीकार करलिया, जब बौद्धों और हिन्दुओंका घोर युद्ध समाप्त हुआ, तब इन अग्रवालोंने जो भारतके कई प्रांतोंमें फैल गये थे अपना बहुत कुछ सुधार करलिया। इस समय यह जाति एकबार फिर पूर्ववत् धन, धान्य, तथा वैभवशाली बनगयी।

सर हेनरी ईलिपटने इनके विषयमें अपने शब्दसंग्रहके अधिक भागमें कुछ विरुद्ध लिखा है। आपने बताया है कि शहाबुद्दीन द्वारा अग्रोहा लिये जानेपर अग्रवाल वहांसे हिन्दुस्थानके समस्त भागोंमें फैल गये। काशी निवासी इस जातिके प्रधान नेता हैं। प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता बाबू हरिश्चन्द्रजीने लिखा है कि इस जातिके पूर्वजोंपर उक्त शहाबुद्दीनगोरीने अग्रोहामें भयंकर आक्रमण किया था, इसी कारण अग्रवालोंने वहांसे भागकर भारतके अन्यान्य सुरक्षित स्थानोमें निवास किया। मुसलमानोंके आक्रमणसे इस जातिको बहुतक्षति पहुंची और बहुतसी स्त्रियां सती हो गयीं। चुनार और मारवाड़के अग्रवाल अपने अपने स्थानोंमें निवास करनेका सम्बत् इसी समयसे बताते हैं। वे अब इसवक्त इस जातिमें बड़े प्रतिभाशाली तथा धनवान पुरुष गिने जाते हैं। मुसलमान पठान संम्राटोंके शासनके सारे पूर्व कालमें अग्रवालोंकी दशा बड़ी हीन थी। ब्रिटिश राज्यमें जैसे सुखसे अब वे निवास करते हैं वैसाही इसके विपरीत वे पहले दुःख भोग चुके हैं। निदान जब मुग़ुल संम्राटोंका राज्य हुआ तब इन अग्रवालोंकी दशा सुधरनेलगी इनके शासनकालमें अग्रवालोंको कई उच्चपद भी मिले थे।

अग्रह निवासी इस जातिके जन्मदाता उग्रसेन के १७ पुत्र हुऐ थे जिनसे अग्रवालोंके सत्रह गोत्र चले हैं। गोत्रोंके नाम यह हैं। (१) गर्ग, (२) गोइल, (३) गावाल, (४) बात्सिल, (५) कासिल, (६) सिंहल, (७) मंगल, (८) भद्दल, (९) तिंगल, (१०) ऐरण, (११) टैरण, (१२) ठिंगल, (१३) तित्तल, (१४) मित्त, (१५) तुन्दल, (१६) तायल, (१७) गोभिल, और गवन अर्थात् गोइनगोत्र आधा गोत्र है। आजकल गोत्रोंके नामोंमें कुछ अक्षर उलट पलट भी गये हैं। इस विषयमें ईलियट साहेबकी अधिकशब्दसंग्रह पुस्तक देखो जिल्द १, तथा एलफिस्टेन कृत भारतका इतिहास देखो जिल्द २ पेज २४१.

इस ग्रन्थकर्ताको, अग्रवालोंके कई मुक़द्दमोंमें गोत्रोंके नाम साबित करनेका काम पड़ा है। गोत्रोंके नाम इस प्रकार बताये गयेथे-(१) गरगोत्र, (२) गोइलगोत्र, (३) कच्छलगोत्र, (४) मंगलगोत्र, (५) विंदलगोत्र, (६) ढालनगोत्र, (७) सिंगलगोत्र, (८) चीतलगोत्र, (९) मीतलगोत्र, (१०) तुंगलगोत्र, (११) तायलगोत्र, (१२) कंसलगोत्र, (१३) वांसलगोत्र, (१४) नागलगोत्र, (१५) ईंदलगोत्र, (१६) ड़ेहरनगोत्र, (१७) एरणगोत्र (½) गवनगोत्र, या गोनगोत्र; पहिलेके नामोंसे अबके नामोंमें अक्षरोंका फरक़ होगया है और बोलते बोलते उच्चारण भी बदल गया है; सिवाय पांच गोत्रोंके नामोंके बाक़ी का उच्चारण क़रीब क़रीब मिलता जुलता है देखिये--(१) गर्ग-गर, (२) गोइल-गोइल (३) बात्सिल—वांसल, (४) कासिल—कंसल, (५) सिहल-सिंगल, (६) मंगल-मंगल, (७) तिंगल—तुंगल, (८) एरण—एरन, (९) टैरण—डेहरन (१०) ठिंगल-ढालन (११) मित्त—मीतल (१२) तायल—तायल (१३) गवन या गोइन—गवन या गोन। मगर पहिले कहे हुये पांच गोत्रोंका उच्चारण आजकलके उच्चारणसे अधिक फरक़ ड़ालता है जैसे गावाल, भद्दल, तित्तल, तुंदल, गोभिल, यह नाम पहिले बोले जाते थे अब कच्छल, विंदल, चीतल नागल, ईंदल, बोले जाते हैं यह एक दूसरेसे बहुत कम मिलते ह। यह निश्चय नहीं होता कि जो गोत्र मैंने आजकलके बोले जानेवाले बताये हैं सब जगहोंपर एकही तरहका उच्चारण होता हो। लोगोंको और तरहसे उच्चारण करते हुये भी सुना है।

इन सब गोत्रोंके लोग काशीधाममें नहीं पाये जाते। कुछ गोत्र जैसे टैरण—(तरण) इनके कांसिल का वहांपर पता नहीं लगता, काशीमें अधिक अग्रवाल गोइल गोत्रके मिलते हैं। इनके सिवाय अग्रवालोंकी और भी उपजातियां पाई जाती हैं, जिनके नाम उक्त गोत्रोंमें सम्मिलित नहीं किये नये हैं। इन उपजातियोंके नाम "दास" और "विरादरी राजा" हैं। दासगोत्रवाले अग्रवाल, वसुसे, उपपत्नी द्वारा उत्पन्न हुये हैं इसकारण अन्य अग्रवाल इनके साथ अपना सम्बन्ध नहीं रखते। "विरादरी राजा" गोत्रवाले अग्रवालोंकी उत्पत्ति रत्नचन्दसे हुयी है। फरुख़शेर बादशाहने गत शताब्दीके पूर्वभागमें इनको राजाकी उपाधि दी थी कुछ आदमी इस उपजातिको भी "दास" की तरह मानते हैं।

अग्रवाल जातिकी दो शाखायें और हैं, पूर्वीया और पश्चिमीया। पूर्वीयोंकी संख्या पश्चिमीयोंकी अपेक्षा अधिक है काशीमें पूर्वीया अग्रवाल पश्चिमीयोंसे अधिक प्राचीन समझे जातेहैं। दोनों काशीके पंड़ितोंकी बातपर पूर्ण आस्था करते हैं बह दोनों उपजातियां आपसमें खानपान करती हैं पर विवाह संबंध नहीं करतीं, पहले ये दोनों परस्पर विवाह संबंध भी करते थे, पर कुछ झगड़े होजानेके कारण इन्होंने इस रीतिको उठा दिया। हालमें फिर चेष्टाकी गयी है कि यह दोनों उपजातियां आपसमें मेल करलें, इसमें कुछ सफलता भी देखी गयी है। अग्रवाल जाति धार्मिक रीतिके विचारमें बड़े पक्के होते हैं। वे मांस नहीं खाते और उनमें विधवाविवाह नहीं है, बनारसके धर्मशास्त्रको बड़े प्रेमसे मानते हैं। अग्रवालोंका एक वृहद-भाग अर्थात् इस जातिके लगभग आधे लोग जैनधर्मके अनुयायी हैं (इन प्रांतोंके पूर्वीय ज़िलोंमें वे सरावगी नामक जैनी, अग्रवालोंसे शादी विवाह करते हैं।)

बुलन्द शहरके प्रत्येक क़स्बे और गांवमें अग्रवाल निवास करते हैं मैनपुरीवाले अग्रवाल जैनमतके हैं। सोलहवीं शताब्दिके अन्तसमयमें अग्रवालोंका एक परिवार गोरखपूरसे इटावेको गया और वहांपर निवास करलिया। मिस्टर ए, ओ, ह्यूम कहते हैं कि—इस घरानेके आदि पुरुषका नाम लालविहारी था। वह बादशाहके ख़जानची थे उन्होंने कोड़ाजहानाबादमें कुछ समय वितीत किया किंतु मरे इटावामें ही। इनके पुत्र बैजनाथ, वहां घर बनवाकर अपना रहना स्थिर करलिया, उनके पौत्र जैचन्दने कटरा बनवाया जो अबतक उनके वंशजोंके अधिकारमें चला आता है जिनमें अधिकांश धन, धान्यशाली, व्यवसायी और ज़िमींदार हैं। अग्रवालोंमें जो साधरण व्योपारी और बनिये हैं वे अकसर मिर्ज़ापुरके ज़िलांतर्गत चुनार स्थानमें पाये जाते हैं। ये लोग पहिले, पहल दिल्लीसे आकर यहां वसे। इसी ज़िलेके कर्वांत परगनेमें भी कुछ ऐसे अग्रवाल निवास करते हैं।

यह पहलेही कहाजा चुका है, कि काशीधाममें अग्रवालों के चौधरी अथवा मुखिया बाबू हरिश्चन्द्रजी रहते हैं। अग्रहमें शहाबुद्दीन गोरी द्वारा अनेक अग्रवालोंके मारे जानेपर उनकी जो स्त्रियां सती होगयीं थीं उनकी पूजा अबतक अग्रवाल काशीमें करते हैं। इनमेंसे दो महिलाएं उक्त बाबू साहेबके निकटवर्ती पूर्वजोंकी पत्नियां थीं। उनकी मूर्तियां बनाकर अग्रवाल अब पूजन करते हैं। अपना प्रथम निवास अग्रह छोड़नेपर इस परिवारने बहुत समयतक दिल्लीके पास लखनौती नामक एक गांवमें कई वर्षतक किया। पर जबतक औरंगजेबके पुत्र बहादुर शाहका राज्य नहीं हुआ, तबतक इस घरानेके कोई आदमी सरकारी कामोंमें अच्छे पदोंपर आरूढ़ नहीं होसके। बहादुर शाहने अग्रवालोंको बड़े आदर और नीतिकी दृष्टिसे देखा तथा उनको अपनी राज्यमें अच्छे अच्छे स्थान दिये। कतिपय अग्रवालोंको राजाकी उपाधियां भी मिलीं। अग्रवालोंकी बर्तमान संतानसे १३ पीढ़ियां यदि हम पीछे देखते हैं, तब पता लगता है कि इनके पूर्वज 'बाळकृष्ण' थे उनके एकपुत्र मुरशिदाबादके नव्वाबकी सेवामें

राजदूत बनाकर भेजे गये थे। उक्त नव्वाब साहेब इनपर अंतमें ऐसे प्रसन्न हुए कि उन्हें पुरस्कार स्वरूपमें राजमहलके अंतर्गत एक बड़ी मिलकियत दी। जिसके कुछ अंशपर इस घरानेका अधिकार चला आता है। एकसौ वर्षबीते कि काशीके राजा श्रीमान् बलवंत सिंहके समयमें उक्त घरानेके एक आदमीने बनारसके महान प्रतिष्ठित महाजन साहु रामचन्द्रकी कन्यासे विवाह करलिया। मरते वक्त साहु रामचन्द्र अपनी सम्पत्ति अपने जामाता अनुचन्द के नाम लिखगये जिनके अनेक कन्याओंके सिवाय दो भाई और १० पुत्र थे। एक भाईने तो फ़क़ीर या योगी होकर भागल पुरमें मठ बनालिया जो अभीतक मौजूद है। उस समयसे इस परिवारकी संतानोंके भाग्यमें समयकी गतिसे हेर फेर होताही चला गया अब इस घरानेमें बाबू हरिश्चन्द्र और उनके भाई बचगये हैं। देखो—

मि० ए० ओ० ह्यूम साहेबकी सेन्सेज़ रिपोर्ट सन् १८६५ ई० तथा एपेन्डिक्स बी. पी. सन् १८८९ ई०। यह पुस्तक मुझे बंबई हाईकोर्टकी लाइब्रीरीमें मिली थी।

नाबालिग़ी और वलायत ।

पाचवां-प्रकरण ।

दफा ३२२. मियादमें मतभेद है——नाबालिग़ी अर्थात् अज्ञानता कब समाप्त होजाती है, इस विषयमें हिन्दूलॉके लिखनेवालोंकी रायमें भेद पड़गया है । किसीकी राय यह है कि अज्ञानता पंद्रह सालके समाप्त होनेपर ख़तम होजाती है, और किसीकी राय सोलह साल समाप्त होनेपर है । बंगालमें अज्ञानताकी मियाद सोलह साल समाप्त होने पर ख़तम हो जाती है । देखो-माथुर मोहन बनाम सुरन्द्रो (1875) 1 Cal .108.

बंगालप्रांतको छोड़कर तमाम भारतमें अज्ञानताकी मियादकी समाप्ती पंद्रह सालकी उमर ख़तम होनेपर मानी जाती है देखो—शिवजी बनाम दत्तू (1874) 12 Bom. H. C. 281, 290 ; रिद्धी बनाम कृष्णा (1886) 9 Mad. 391 , 397 , 398.

इन्डियन मेजारिटी एक्ट ९ सन् १८७५ ई० के पास होजानेसे अज्ञानताकी अवधिके विषयमें जो झगड़े थे सब मिट गये क्योंकि यह क़ानून तमाम हिन्दुस्थानमें लागू कियागया तथा सब आदमियों और सब कामोंके लिये एकसां पाबंद करदिया गया ।

दफा ३२३. नाबालिग़ीकी मियाद———एक्ट नंबर ९ सन १८७५ ई० के अनुसार आजकल यह माना जाता है कि जिस नाबालिग़की ज़ात (शरीर) या जायदादके लिये अदालतसे वली नियत कियागया हो, या आइन्दा नियत कियाजाय, या जो नाबालिग़ कोर्ट आफ़् वार्ड्स्के ताबेमें हो, तो नाबालिग़ीकी मुद्दत इक्कीस वर्ष समाप्त होनेपर ख़तम हो जायगी । बाक़ी और तमाम सूरतोंमें अट्ठारह साल समाप्त होनेपर ख़तम होजायगी; देखो—ख्व़ाहिश बनाम सुरजू 3 All 598 ; रेड़ी बनाम कृष्णा 9 Mad. 391 ;

जब कोई वली अदालतसे नियत होचुका हो तो अज्ञानताकी मियाद. इक्कीस वर्ष समाप्त होनेतकही रहेगी, चाहे वली अपना काम करता हो या नकरता हो, और चाहे उसने सर्टीफिकट वलायत हासिलकी हो या नकीहो ; देखो—रुद्रप्रकाश बनाम भोलानाथ मुकरजी 12 Cal. 612; गिरीशचन्द्र बनाम अबदुल्सालेम 12 Cal 55; गोरधनदास बनाम हरिबल्लभदास 21 Bom 281 ; ज्वालादेवी बनाम पराभुव 14. All 35.

जब किसी अज्ञानकी जायदादपर क़ब्ज़ा कोर्ट आफ़् वार्ड्सका होगया हो तो उसकी अज्ञानता उसवक्ततक रहती है जबतक उसकी जायदादपर दख़ल कोर्टआफ़्वार्ड्स्का बना रहता है पश्चात् नहीं रहती । मगर अज्ञानको कोर्ट आफ़् वार्ड्स्के ताबे रहनेपर भी उसे यह क़ानून, विवाह, दहेज, उत्तराधिकार और दत्तकके लिये पाबंद नहीं करता; देखो—व्रजमोहन लाल बनाम रुद्रप्रकाश 17 Cal. 244.

दफा ३२४. वली होनेका अधिकारी कौन है———

(१) बाप } कुदरती वली हैं ।
(२) मा }

(३) बापने जिसको अपनी वसीयतके द्वारा नियत किया हो।
(४) बापकी तरफके रिश्तेदार।
(५) माकी तरफके रिश्तेदार।
(६) जिसे कोर्टने एक्ट नम्बर ८ सन् १८९० ई०के अनुसार नियत कियाहो। या हाईकोर्टने।

अज्ञानके शरीर और उसकी जायदादकी रक्षाके अधिकारी ऊपरके लोग अपने पदाधिकारके क्रमसे होते हैं। यानी नं० १ के वाद २ और नं० २ के वाद ३ एवं।

दफा ३२५. रिश्तेदारको वली होनेका पूर्णअधिकार नहीं है—— सिवाय बाप और माके, किसी रिश्तेदारको अज्ञानका वली बननेके लिये पूरा अधिकार नहीं है। यानी जब बाप और मा नहीं हैं, और बापकी तरफसे कोई वली नियत भी नहीं कियागया, तो किसी रिश्तेदारको अज्ञानका वली बननेका पूरा अधिकार नहीं हैं। ऐसी दशामें कोर्टकी तरफसे गार्जियन (वली) नियत कियाजायगा। कोर्ट वली नियत करनेके वक्त नज़दीकी रिश्तेदारीका ख्याल रखेगी और अगर अज्ञान राय देनेके योग्य हो तो उसकी राय लेगी और सबसे ज़्यादा इस बातपर ध्यान देगी कि जिससे अज्ञानका सब तरहका लाभ हो। इसी तरहपर कोर्ट किसी ख़ास मुक़द्दमेमें अज्ञानके लाभके लिये बापकी तरफके रिश्तेदारोंको छोड़कर माकी तरफ़के रिश्तेदारको गार्जियन (वली) नियत करदेगी; देखो—क्रिष्टोकिशोर बनाम कदरमयी (1878) 2 Cal. L. R. 583; भिकनू कुंवर बनाम चमेला कुंवर (1897) 2 Cal. W. N. 191; और देखो गार्जियन्स एन्ड वार्ड्स एक्ट सन 1890.

दफा ३२६. बापको वली होनेका पूरा अधिकारहै—अज्ञानका वली होनेके लिये बापको पूरा अधिकार है क्योंकि जबतक बाप ज़िन्दा है कोर्टको अज्ञानके शरीरका कोई वली नियत करनेका अधिकार नहीं है। मगर जब बाप अज्ञानके शरीरकी रक्षा करनेमें असमर्थ हो या अयोग्य हो तो अदालत दूसरा वली नियत करदेगी; देखो—गार्जियन एन्ड् वार्ड्स् एक्ट नं० ८ सन् १८९० की दफा १७. बापके वसीयतनामा के द्वारा जब कोई पुरुष अज्ञानका वली नियत किया गया हो उसका हक़ माके मुक़ाबिलेसे अधिक माना जाता है।

दफा ३२७. बाप मृत्युपत्रद्वारा वली नियतकरसकता है—हिन्दू क़ौममें बाप अपने अज्ञान लड़के के लाभके लिये अपने मरनेसे पहिले ज़बानी अथवा मृत्युपत्र लिखकर किसी पुरुषको वली नियत करसकता है। और बापको यह भी अधिकार है कि लड़के की माके जीतेजी उसे वलायतसे हटाकर किसी दूसरे आदमीको वली नियत करदे; देखो—सुभप्रिथीलाल बनाम दुर्गालाल 7 W.R. 73, 75; बूधीलाल बनाम मुरारजी 31 Bom. 413.

दफा ३२८. मा मृत्युपत्रद्वारा वली नहीं नियत करसकती—मा अपने अज्ञानबालक के लिये मृत्युपत्रद्वारा वली नियत नहीं करसकती। मगर यदि किसी माने मृत्युपत्रमें अपने अज्ञानबालक का वली नियत किया हो तो कोर्ट माकी मरज़ी पर पूरा ध्यान देगी; देखो—वैंकाया बनाम वेंकट (1897) 21 Mad. 401.

दफा ३२९. मृत्युपत्रद्वारा नियत कियेहुए वलीका अधिकार—जो वली बापकी वसीयत के ज़रियेसे किसी अज्ञान का रक्षक नियत हुआ हो उसे वह सबशर्तें पूरी तौरपर पालन करना होंगी ज़ो वसीयतनामामें इसबारेमें लिखी गई हों, या जैसी कि मंशा वसीयत करनेवालेकी ज़ाहिर होती हो; वह उन सब बातों के पालन करने का पाबंद है; देखो—गार्जियन् एन्ड् वार्ड्स् एक्ट सन १८९० की दफा २७.

दफा ३३०. मिताक्षरा स्कूलके अंदर वलायत—इस किताबकी दफा १५में कहा जा चुका है कि तमाम हिन्दुस्थानमें दो बड़े स्कूल हैं; दायभाग और मिताक्षरा। दायभाग सिर्फ बंगालमें और बाक़ी सब जगह मिताक्षरास्कूल माना जाता है। मगर दोनों स्कूलोंमें बाप और मा अज्ञानके क़ुदरती वली हैं। पहिले बाप और उसके बाद मा। अगर मा न हो, या इस योग्य न हो कि अज्ञान की परवरिश का काम करे, तो कोई मर्द रिश्तेदार नियत किया जायगा। मर्द रिश्तेदारके नियत करते समय बापकी तरफके रिश्तेदार पहिले और माकी तरफके रिश्तेदार बादको नियत किये जायेंगे।

अविभक्तपरिवार में, जो मिताक्षराधर्मशास्त्रसे लागू किया गया हो जायदादका तमाम इंतज़ाम और अज्ञानके हिस्से की जायदादका इंतज़ाम भी नज़दीकी मर्द कुटुम्बी को होगा नकि माको। और जहां परिवार बटा हुआ हो वहांपर ऐसी सूरत न होगी; देखो—गौरा कुंवर बनाम गजाधर 5 Cal. 219; लेकिन अज्ञानके शरीररक्षाका जो अधिकार माको प्राप्त होता है उसमें कोई पुरुष आपत्ति नहीं करसकता है.

दफा ३३१. छोटे बच्चेकाभी बापही वली होगा—जबतक बाप जीतारहेगा तो उसके चाहे कितनाभी छोटा बच्चाहो बाप वली होगा, मा नहीं होसकती; देखो—इम्प्रेस बनाम प्राणकृष्ण 8 Cal. 969.

दफा ३३२. नाबालिग़भी नाबालिग़का वली बनसकताहै—एक नाबालिग़ अपने अज्ञान लड़कों तथा अज्ञान औरतका वली बनसकताहै, मगर वह किसी दूसरे अज्ञानका वली नहीं बनसकता; देखो—गार्जियन् एन्ड् वार्ड्स एक्ट ८ सन १८९० की दफा २१.

हिन्दूलॉमें कोई ऐसा क़ायदा नहीं मालूम होता कि शामिलशरीक ख़ानदानमें इंतज़ाम करनेवाला पुरुष बालिग़ही होना चाहिये; तो ऐसी सूरतमें इंतज़ाम अज्ञानभी करसकताहै। और वह सिर्फ अपनी स्त्री तथा लड़कोंकाही वली नहीं होगा बल्कि ख़ानदानके दूसरे अज्ञान लड़कोंकाभी वली होसकताहै।

दफा ३३३. शामिलशरीक परिवारमें जायदादकी वलायत—अगर अज्ञान किसी शामिलशरीक ख़ानदानमें है तो उसकी जायदादका वली बतौर कर्ताके उसका बापहै। यदि बाप मरगया हो तो अज्ञानके हिस्सेकी जायदादके सहित, तमाम जायदादके देखभाल और इंतज़ामका वली बतौर कर्ताके बड़ा लड़का होगा। मा अपने लड़केकी उस जायदादका देखभाल और इंतज़ाम करनेकी अधिकारिणी नहीं है जो शामिलशरीक है, मगर अपने लड़केके शरीरकी तथा उस जायदादकी जो उसके लड़केकी अलहदा, यदि कुछ हो, देखभाल करने और इंतज़ाम करनेका अधिकार रखती है; देखो—घरीब औला बनाम खलकसिंह (1903) 25 All. 407; 30 I. A. 165; गौरा बनाम गजाधर 5 Cal 219; विरूपाक्षय्या बनाम नीलगंगोबा 19 Bom. 309; श्यामकुंवर बनाम महानन्द 19 Cal. 301.

अगर सब लड़के अज्ञान हैं तो अदालत कुल शामिल शरीक जायदादके लिये एक वली नियत करदेगी, और वह वली जबतक बड़ा लड़का बालिग़ न होगा, रहेगा। बड़े लड़केके बालिग़ होतेही उस वलीकी अवधि समाप्त होजायगी; देखो—विन्दाजी बनाम मथुराबाई (1905) 30 Bom. 152. अनेक अज्ञान लड़कोंमें जब एक लड़का बालिग़ होजायगा तो कोर्ट पहिले नियत किये हुए वलीको ख़ारिज करदेगी, और बाक़ी सब अज्ञान लड़कोंका वली उस बालिग़ लड़केको बनाकर सब शिरकतकी जायदाद उसके ताबे कर देगी; देखो—रामचन्द्र बनाम कृष्णाराव (1908) 32 Bom. 259.

उदाहरण--

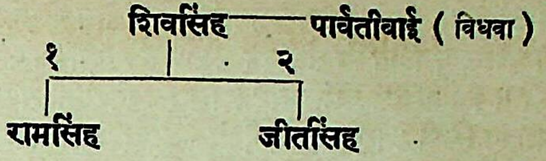

(१) ऐसा मानो कि शिवसिंह एक पुरुष है जो मिताक्षराका पाबंद है उसने अपने मरनेपर एक विधवा पार्वती जो जीतसिंहकी माता है, और दो लड़के रामसिंह, तथा जीतसिंह छोड़े। रामसिंहकी माता नहीं है तथा वह वालिग़ है और जीतसिंह अज्ञान है। अगर दोनों लड़के शामिल शरीक रहेंगे तो, रामसिंह आफिसर खानदान बनकर सब शिरकतकी जायदादका इंतज़ाम करेगा, और वही जीतसिंहका बली होगा। विधवा पार्वतीबाई जो जीतसिंहकी माता है, उसे यह अधिकार नहीं होगा कि अपने लड़केके मुश्तरका जायदादके हिस्सेमें कोई दूसरा बली नियत करदे। मगर वह जीतसिंहके शरीरकी, तथा लड़केकी उस जायदादकी जो अलहदा, यदि कोई हो, बली होसकती है।

(२) अगर रामसिंह और जीतसिंह अपनी जायदादका बटवारा करालेंगे तो, जीतसिंह को जो हिस्सा मिलेगा उस हिस्साकी जायदादकी, मा बली होगी क्योंकि उसका हिस्सा अलहदा होगया; इसी क़िस्मका एक फैसला देखो--गौरा बनाम गजाधर 5 Cal. 219.

(३) अगर रामसिंह और जीतसिंह दोनोंही नाबालिग़ होतो दूसरी सूरत होती। उस दशामें अदालत, शामिल शरीक जायदादकी रक्षाके लिये दूसरा कोई बली नियत करसकती है। और अगर अदालत चाहे तो जीतसिंहकी मा पार्वतीबाईको भी बली नियत कर सकती है; 30 Bom 159.

(४) दोनोंकी नाबालिग़ीमें जब कोई बली अदालतसे नियत कियागया हो, तो दोनों लड़कोंमेंसे जो पहिले वालिग़ होगा, अदालत उसे बली बनाकर सब मुश्तरका जायदादके इंतज़ामका भार देगी और अज्ञानोंका बली उसे नियत करेगी। यानी यदि रामसिंह भी अज्ञान होता तो दूसरा बली नियत कियाजाता, और अगर पहले जीतसिंह वालिग़ होजाता तो उसे सब अधिकार ऊपरके मिलजाते; 32 Bom. 259.

(५) अगर शिवसिंह एक अज्ञानपुत्र छोड़कर मरजाता, और अदालतसे उसकी जायदादपर कोई बली नियत कियाजाता, तो जिसवक्त वह लड़का वालिग होता, बली मंसूख होजाता।

दफा ३३४. पत्नीका बली पति है——17 Cal. 298; की नज़ीरमें तय कियागया कि, पत्नीका बली उसका पति है। घारपुरे हिन्दूलॉ दूसरा एडीशन् पेज १०५ में कहागया है कि पति अपनी पत्नीका कुदरती बली है। स्त्री चाहे कितनी भी कम उमरकी हो, पति अपनेपास रखनेके लिये मजबूर करसकता है, यदि कोई रवाज इसके विरुद्ध न हो। पति यदि स्वयं अज्ञान हो तोभी वह अपनी स्त्रीका बली है; देखो--अरूमुगा मुदाली बनाम वीरराघन (1900) 24 Mad 225.

अगर पति अपनी अज्ञान स्त्रीको छोड़कर मरजाय तो उस नाबालिग़ विधवाका बली पतिके संबंधियोंमें कोई होगा, जो सपिण्डका दर्जा रखता हो। विधवाका बाप और उसके रिश्तेदार सपिण्ड पुरुषकी मौजूदगीमें बली नहीं बनसकेंगे; देखो—खुदीराम बनाम बनवारीलाल 16 Cal. 584.

दफा ३३५. मा शादी करनेसे, बाप दत्तकदेनेसे बली नहीं रहते हैं---अगर किसी लड़केकी मा बली हो और माने अपनी शादी करली हो तो, वह अज्ञानकी बलायतसे

ख़ारिज करदी जायगी। इसी तरहपर जब किसी अज्ञान लड़केका वली बाप हो और बापने उस लड़केको दत्तक दे दिया हो तो, वह बलायतसे ख़ारिज करदिया जायगा। इस बातमें कोई संदेह नहीं है कि हरएक वली चाहे जिस तरहपर नियत कियागया हो काफी वजेहपर वलायतसे अलहदा किया जासकता है; देखो—बाईशिवा बनाम रतनजी 24 Bom. 89; पंचप्पा बनाम संगबासाबा 1 Bom. L. R. 543.

मिस्टर मुल्लाकी राय इस बारेमें विरुद्ध है, उनका कहना है कि हिन्दू विधवा जो लड़कोंकी बली हो दूसरी शादी करनेकी वजेहसे अपने बलीके अधिकारको नहीं खोदेगी; देखो—मुल्ला हिन्दूलॉ सेकेन्ड एड़ीशन् पेज ४१५ दफा ४३५; नजीर देखो—गंगा बनाम झालो(1911) 34 Cal. 862; पुतलाबाई बनाम महादू (1908) 33 Bom 107; 114, पंचप्पा बनाम संगं बासवा 24 Bom 89, 91. इस बातको मिस्टर घारपुरे और मि॰ ट्रिवेलियन नहीं मानते, उनका कहना है कि मा वली नहीं रहेगी, जैसा कि ऊपर कहागया है, मि० मेन भी इस आख़ीर रायसे सहमत है; देखो--घारपुरे हिन्दूलॉ दूसरा एड़ीशन् पेज १०५; मेनका हिन्दूलॉ पैरा २११.

अगर अदालको बली हटानेके लिये काफी वजेह नहीं दिखायी जायगी तो बली नहीं अलहदा कियाजासकता, और अगर बली बाप अथवा मा हो तो यह ख्याल कियाजायगा कि अज्ञानकी ज़ात (शरीर) और जायदादकी रक्षाका प्रेम उन्हें सबसे बढ़कर है।

दफा ३३६. मज़हब बदलनेपर वलीकी स्थिति——(१) जब बाप किसी लड़केका बली हो, और उसने अपना मज़हब बदल दिया हो, और अब उसका मकान लड़केके रहने योग्य नरहगया हो तो, लड़का बापकी बलायतसे हटाकर दूसरे बलीके सिपुर्द किया जायगा जिसे अदालत सब बातोंपर निगाह करके उचित समझे। और अगर बाप दूसरे मज़हबमें जाकर अदालतसे यह प्रार्थना करता हो कि उसका लड़का उसके क़ब्जेमें दिलादियाजाय तो अदालत सब बातोंका विचार करके ऐसा हुक्म देगी जिससे अज्ञानका लाभ हो; देखो—मकुन्दलाल बनाम नवदीपचन्द्र 25 Cal 881. ऐसा बाप क़ब्ज़ा पानेकी नालिश क़ानूनन करसकता है देखो--गार्जिन ऐन्ड़वार्ड्स् एक्ट नं० ८ सन १८९० ई०; शरीफ़ बनाम मुनेखां 25 Bom 574. श्यामलाल बनाम बिन्दू 26 All 594.

(२) अगर माने बलीकी हैसियतमें अपना मज़हब बदल दिया हो और यह संभव हो कि उसके असरसे दूसरोंको भी मज़हब बदल जायगा तो अदालत उस माकी वलायत ख़ारिज करदेगी; देखो—स्किनर बनाम आरड़े 14 M. I. A. 309; S. C. 10 B. L. R. 125; S C. 17 Suth. 77.

(३) वह सूरत बिल्कुल अलग होगी जबकि अज्ञान लड़केने अपना मज़हब बदल दिया हो, तो उसका बली कौन होगा ? इस विषयपर ज़्यादा विचार कियागया है। पहले ऐसे फैसले जात कियेगये हैं जिनसे ज़ाहिर होता है कि जब दूसरे मज़हबमें अज्ञान लड़का चला गया हो, तो वह अदालतसे बापको वापिस दिला मिलता था, मगर आजकल जो नये फैसले हुये उनमें वाक़ियातके लिहाज़से यह मानागया कि जहांपर लड़केको एक अर्सेतक रखागया, यां वह रहा, तो उससे हटानेमें लड़केका लाभ नहीं है; नये फैसलोंकी एक दो नज़ीरें देखो—

(अ) एक हिन्दू ख़ानदानमें पैदाहुयी लड़की अपने मा बापकी तरफसे आठवर्षतक बंबईके अमेरिकन कालेजमें शिक्षा पारहीथी जहांपर वह ईसाई होगयी, अब उसकी उमर पंद्रहवर्षकीथी, फैसला हुआकि वह ब्हैसियत ईसाईके अपनी ख़ुशिरखे; 16 Bom 307.

(क) कलकत्तेका मुक़द्दमा देखो—जिसमें एक हिन्दूबापने ईसाई मज़हब स्वीकार करलियाथा। जब बापने ईसाई मज़हब स्वीकार कियाथा उसके पहले उसने अपने लड़केको चाचाके सिपुर्द करदियाथाकि उसका लड़का हिन्दू मज़हबमें परवरिशपायें । ईसाई होजानेपर उसने अपने लड़केके क़ब्ज़ा पानेकेलिये अदालतसे प्रार्थनाकी तब लड़केकीउमर बारह वर्षकीथी, और वह लड़का पांचवर्ष चाचाके पास रहचुकाथा अदालतने प्रार्थना नामंजूरकी और यह सिद्धांत केसमें लागू कियाकि—बच्चा काफी समयतक नयेघरमें नयीआदतके साथ रहाहै. जिसे बच्चा अख़्त्यार करचुकाथा और अगर दुनियावी मामलोंके लिये उसे बापके हवाले कियाजातातो उसे तकलीफहोती; देखो—मकुंदलाल बनाम नवदीपचंद्र 25Cal 881.

दफा ३३७. ईसाईबापका दावा लड़का दिलापानेका—एक आदमीने ईसाईमत स्वीकार करलियाथा, उसके एक दूधपीनेवालाबच्चा और एक दोवर्षकी लड़कीथी, उस आदमीकी औरत ईसाईमत स्वीकार करनेसे इनकार करके अपने दोनों बच्चोंको लेकर चलीगयीथी। बापने उन बच्चोंके दिलापाने और अपने क़ब्ज़ेमें रखनेकेलिये दावाकिया । यह मुक़द्दमा मैसूरमें दायर हुआ ; जजोंकीरायमें भेद पड़गया और कसरतरायके अनुसार इसका फैसला कियागया । फैसला बादीके विरुद्ध हुआ यानी, अदालतने लड़केदिलानेसे इनकार किया इस फैसलेमें जस्टिस कृष्णमूर्तिसाहेबने फरमायाकि—यह मुक़द्दमा हिन्दू क़ायदेके अनुसार फैसल कियाजानाचाहिये, यह सचहै कि बच्चे अपने बापकेयहां परवरिश पायें और वह एकप्रकारसे बापकी मिलकियतहै बापके मज़हबमें परवरिशपाना तथा शिक्षापाना ज़रूरी और योग्यहै, मगर जब बापने कोई ऐसाकाम कियाहो जिससे बाप क़ानूनन तमाम उनबातोंके लाभसे अलहदा होगया हो जिनसे वह उसकामके नकरनेसे नहींहोता, तो बाप लड़केकी परवरिश व शिक्षादेनेके योग्य नहीं रहा। एक हिन्दूलड़का अपने दादा और परदादाके धार्मिक कृत्य करनेका उतनाही ज़िम्मेदारहै जितनाकि वह बापके लियेहै। बेटेके ख्यालसे बाप तीन पुश्तोंमेंसे एक है, और तीनोंपुश्तें बेटेके ऊपर बराबर अधिकार रखतीहैं। बेटेका मज़हब होना चाहिये जो बापका मज़हब होक्योंकि उसमें तीनपुश्तके पितरोंका हक़ शामिलहै इसलिये बापका कोई अधिकार नहींहैकि अपनी तब्दीली मज़हबके सबबसे कोई ऐसा कामकरे जिससे लड़केको अपने दादा और परदादाके लाभपहुंचानेमें कोई हर्ज पैदाहो। और किसी बापको हक़ हासिल नहींहै कि, अपने किसी अयोग्य कामसे अपने आज्ञानबालकको कोई नुक़सान पहुंचाये, इस फैसलेका अच्छा विस्तृतबर्णन मिस्टरमेनसाहेबने कियाहै देखो मेनहिन्दूलॉ पैरा २१५-२१६; मुक़द्दमा देखो—दासप्पा बनाम चिकामा 17 Mysore. 324.

दफा ३३८. जातिच्युत होजानेसे बलायत नहीं जाती—अगर कोई जातिसे बाहर करदिया गया हो (मगर हिन्दू रहा हो) तो सिर्फ इस सबबसे, अज्ञानकी जायदाद और उसके शरीरका वलीपन नहीं खोजायगा। मगर पहले यह माना जाता था कि खोजायगा, इस विषयकी नजीरें देखो-स्ट्रेनजर्स हिन्दूलॉ जिल्द १ पेज १६० परंतु जबसे एक्ट नम्बर २१ सन १८५० ई० पास हुआ तबसे इस क़ानूनके असरसे अब वलीपन नहीं जाता; देखो—कन्हैराम बनाम विद्याराम (1878) 1 All 549 ; कौलेसर बनाम जोराय (1905) 28 All 233.

एक्ट नम्बर २१ सन १८५० ई० का मतलब यह है—"किसी रवाजका या क़ानूनका इतना हिस्सा, जो ब्रिटिश इन्डियामें जारी है, कि जिसकी बजेहसे कोई आदमी अपने धर्मसे निकाले जानेपर, या उसे छोड़ देनेपर, या जातिच्युत होजानेपर अपने किसी हक़ या मालको

खो देता है। अबसे उस रवाज या क़ानूनका उतना हिस्सा, बतौर क़ानूनक़तईके नहीं माना जायगा."

नोट—१७ मैसूर ३२४ के केसमें रियासत होनेकी वजेहसे एक्ट नम्बर २१ सन १८५० ई० लागू नहीं किया गया था अंगरेज़ी राज्यमें अवश्य लागू होता।

दफा ३३९. मज़हब बदलनेसे धर्मशास्त्री हक़ चले जाते हैं——जब कोई हिन्दू मज़हब छोड़कर ईसाई मज़हबमें चला जाय तो हिन्दूसमाज उसे बिल्कुल अलहदा कर देती है और उसके वह तमाम अधिकार नाश होजाते हैं, जो उसे धर्मशास्त्रानुसार प्राप्त थे। वह पुरुष जो ईसाई होगया हो वरासत या बटवाराका दावा नहीं करसकता और अगर कोई जायदाद उसके पास शामिलशरीक खानदानमें हो तो उसका हिस्सा वेदख़ल होजायगा जो हिस्सा उसे हिन्दूधर्मशास्त्रानुसार नियत था। मुसलमान होनेसे भी ऐसाही होगा।

उदाहरण—अविभक्त हिन्दूपरिवारमें बाबू कालीदत्त रहते हैं, उनके चार भाई हैं, और पांचो भाई मिलकर पैतृक सम्पत्तिमें बराबर हिस्सा रखते हैं। बाबू कालीदत्त ईसाई होगये तो अब वह न तो विरासत अपने भाइयोंकी, या अन्य किसीकी पासकते हैं, और न अपने हिस्सेके बटा पानेका दावा करसकते हैं, नतीजा यह हुआ कि उनका जो पैतृक सम्पत्तिमें हिस्सा था उससे वह वेदख़ल होगये।

दफा ३४०. अनौरसपुत्रका वली कौन होगा—अनौरसपुत्रका अर्थ है जो असली लड़का न हो। ऐसे लड़केकी मा उसकी कुदरती वली है। मगर जब माने आज्ञा दी हो कि लड़का उसके पाससे अलहदा करलिया जाय, तथा बाप या उसके नियत किये हुए किसी आदमीके ज़रियेसे उस लड़केकी परवरिश कराई जाय तो उसके (मा) अधिकारके वारेमें अदालत यह मानेगी कि अब माका हक़ उस लड़केपर बाक़ी नहीं रहा; देखो—लालदास बनाम निकुंज 4 Cal 374 ; 19 Mad 461 माके नियत किये हुए वलीके वारेमें प्रायः कोई आपत्ति नहीं की जायगी, ऐसे पुत्रकी क़ुदरती वली मा होती है ; 12 Mad. 67, 68 ; 16 Bom 307, 317.

दफा ३४१. दत्तकपुत्रका वली कौन होगा————जब दत्तक उसके असली मा बापने देदिया हो तो असली मा बाप फिर दत्तकपुत्रके वली नहीं रहते। दत्तकपुत्रका वली गोद लेनेवाला पिता या माता होती है, श्रीनरायन बनाम कृष्ण 11 Beng. L. R. 171, 191. I. A. Sup. Vol. 149, 163 ; लक्ष्मीबाई बनाम श्रीधर 3 Bom. 1 निर्विनय बनाम निर्विनय 9 Bom 365.

दफा ३४२. कुदरती वलीका अधिकार—————कुदरती वली बाप या मा, कुल जायदादका इन्तज़ाम करते समय जायदादके लाभके लिये अथवा अन्य किसी खास ज़रूरतके लिये जायदादका कोई हिस्सा बेंच सकते हैं और रेहन (गिरौं) कर सकते हैं; नज़ीरें देखो—हनूमान प्रसाद बनाम मुसम्मात बबूई (1856) 6 Mad I. A. 393 ; देखो माने रेहनकर दिया था—महानन्द बनाम नाफ़ुर (1899) 26 Cal. 820 ; दादीने बेंच डाला था—सुंदरनरायन बनाम विनन्दराम 4 Cal. 76 ; माने बेंच डाला था—वंशीधर बनाम विन्देश्वरी 10 M. I. A. 454. वलीने विलाकिसी ज़रूरतके मुरारी बनाम टयाना 20 Bom 286 माने बेंच डाला था।

करज़ा देनेवाले और ख़रीदनेवालेपर फ़र्ज़—ऊपरकी सब नज़ीरोंमें हनूमान प्रसाद बनाम

बवुई 6 Mad. I. A. 393 ; का केस उल्लेख योग्य है। इस केसमें अदालत हाईकोर्टने फरमाया कि हिन्दूलॉमें एक अज्ञान बालककी जायदादमें मेनेजरका अधिकार महदूद है, वह अपने अधिकारको किसी ख़ास ज़रूरतके अचानक आ पड़नेसेही काममें लासकता है। अगर जायदादपर कोई ख़ास दबाव पड़ा हो, या कोई ख़तरा पैदा हुआ हो, या जायदादको कोई ख़ास लाभ पहुंचता हो, और उस समय मेनेजरने अपने अधिकारसे काम लेकर पूरा किया हो, तो ऐसे हर मुक़द्दमेमें इन बातोंका विचार कियाजायगा। अदालतने यह भी कहा कि जब कोई ऐसी सूरतमें क़रज़ादेवे, तो क़रज़ा देनेवालेको क़रज़ा लेनेकी ज़रूरत अच्छीतरह दरियाफ्त करलेना चाहिये-और उसे अपने आपको पूरा इतमीनान करलेना चाहिये कि मेनेजर जायदाके फायदेके लिये अच्छा काम कररहा है? विशेषकर उस ख़ास बातमें जिसमें कि वह क़र्ज़ा दे रहा है। अगर क़र्ज़ा देनेवाला इतनी काफी पूंछ पांछ करलेगा और ईमानदारीसे वर्ताव करेगा तो उसे अपने क़र्ज़ेका बार सावित करनेके लिये यह ज़रूरी नहीं होगा, कि वह रुपया जो उसने दिया था दर असल किसकाममें ख़र्च कियागया, तथा कोई विश्वास करने योग्य ज़रूरत थी या नहीं। इसी तरहपर वह आदमी जो मेनेजरसे कोई चीज़ मोल लेवे तो उसे सिर्फ इतना साबित करदेना काफी होगा कि उसने इस बातकी पूरी पूंछ पांछ करके अपने इतमीनान करने योग्य बातें हासिल करलीथीं कि वहां कोई ज़रूरत रुपयाकी है देखो---सुरेन्द्रो बनाम नन्दन (1874) 21 W. R. 196.

दफा ३४३. क़र्ज़ाकी ज़रूरत साफ लिखी जाना चाहिये---जब मेनेजर किसी ख़ास मतलबके लिये कोई क़र्ज़ा ले या रुपयाके पानेकी ग़रज़से कोई चीज़ बेंचे, हर सूरतमें जो दस्तावेज़ लिखी जाय उसमें ज़रूरी है कि कर्ज़ा या रुपया लेनेकी ग़रज़ साफतौरपर लिखी जाय। केवल इतना लिखाजाना कि "ज़रूरतके लिये लियागया" काफी नहीं मानाजायगा, देखो--राजलक्ष्मी देवी बनाम गोकुलचन्द 3 Beng L. R. (P. C.) 57 ; 13 M I. A. 209.

ज़रूरत क़ानूनी साबित करनेके लिये दूसरी शहादतकी ज़रूरत होगी; लाला ब्रजलाल बनाम इन्द्कुंवर (1914) 16 Bom. L. R. 352.

अगर दस्तावेज़ बैनामा या तमस्सुकमें ज़रूरत रुपया लेनेकी साफ तौरपर नलिखी गयी हो तो, महज़ इस सबबसे वह नाजायज़ नहीं होजायगी क्योंकि दूसरी शहादतसे उसे साबित करसक्ते हैं; बमेशचन्द्र बनाम दिगंबर 3 W. R. 154.

दफा ३४४. ब्याजका शरह-----अगर किसी महाजनने मेनेजरको अधिक सूदपर क़र्ज़ा दिया होगा और यह साबित होजाय कि मेनेजरको उस सूदसे कमभावपर क़र्ज़ा मिलसकता था। तो महाजनको अदालत उतनाही सूद दिलायेगी जितना कमसेकम उसे मिलसकता था; देखो—18 Cal. 311,

दफा ३४५. अदालतकी आज्ञानुसार जायदाद ख़रीदकरनेमें--अज्ञानकी अलहदा जायदादका वली जब कोर्टआफ़ वार्ड्स् एक्ट सन १८९० की दफा २८-२९ के अनुसार कोर्टकी आज्ञासे नाबालिग़की किसी जायदादको बेंचे या रेहन करे तो ख़रीदनेवाले अथवा रेहनकरनेवालेको पूंछपांछ वग़ैरा करनेकी ज़रूरत नहीं होगी सिर्फ कोर्टपर विश्वास करलेनाही योग्यहै, गंगाप्रसाद बनाम महारानीबीबी 11 Cal. 379, 383-384; 12 I. A. 47, 50

दफा ३४६. मुश्तरकाजायदादमें वलीके अधिकार—(१) शामिलशरीक खानदानमें

मुश्तरकाजायदादपर जब कोई वली नियतहो जिसमें बालिग़ मेम्बर मौजूदहों, तो किसी ख़ानदानीज़रूरतसे वह जायदाद् बेंचसकताहै और रेहन करसकताहै, अगर उसने बेंचने और रेहन करनेसे पहले बालिग़मेम्बरोंकी मंजूरी हासिल करलीहो; मिलर बनाम रंगनाथ 12 Cal 389.

(२) जहांपर कोईवली, जो मुश्तरका ख़ानदानकाहो ख़ानदानकी ज़रूरतकेलिये अगर कोई जायदाद् विलामंजूरी वालिग़मेम्बरोंके बेंचे या रेहनकरे तो यह मानलियाजायगा कि उनकी मंजूरीथी (यद्यपि उन्होने नहींदी) मगर शर्तयहहैकि वह ज़रूरत वहुतहीतेज़हो और बेंचते या रेहनकरते समय उनकी रज़ामंदी नमिलसकतीहो ; देखो--छोटीराम वनाम नरानयदास 11 Bom 605. मुदित वनाम रंगलाला 19 Cal. 797.

(३) जिस मुश्तरकाख़ानदानमें नाबालिग़हों, उसके वलीको अधिकारहैकि ख़ानदानकी किसी ख़ासज़रूरतके लिये जायदाद्को बेंचसकताहै, और रेहन करसकताहै, ऐसी सूरतमें नाबालिग़ उसके पाबदहोगें; देखो ग़रीबउल्ला वनाम ख़लकसिंह 25 All 407, 415 ; 30 I. A. 165, 169 ; हनूमानप्रसाद बनाम मुसम्मातबबुई 6 M. I. A. 393 ; सुरेन्द्र वनाम नन्दन 21 W. R. 196.

(४) जिस मुश्तरकाख़ानदानमें बालिग़ और नावालिग़ दोनों मौजूदहों, ऐसीसूरतमें ऊपर कहेहुए नियमोंके अनुसार अगर जायदाद वेंची गयी हो या रेहन क़ीगयी होतो उसके पावंद वालिग़ और नावालिग़ दोनोंहोंगे ; देखो--श्यामसुंदर बनाम अचनकुवर 21 All. 71.

उदाहरण—जय और विजय दोनोंभाई हैं दोनों ख़ानदान मुश्तरकाके मेम्बर हैं, जय शिक्षा पानेकेलिये वलायत चलागया, विजयको ख़ानदानकेलाभके लिये कारोबार करनेकी ज़रूरत पड़ी और वहनकी शादी आवश्यकहुयी, उसने दोनोंकामोंकेलिये बिलामंजूरी जयके जायदाद बेंचदी या रेहन करदी। जय उसका पावंदहै ।

दफ़ा ३४७. वली या मेनेजर जायदाद कब वेंचसकताहै--शामिलशरीक हिन्दू-परिवारके लाभके लिये. अगर किसी रोजग़ार करनेकी ज़रूरतहो, या लड़कीकीशादी करनाहो, या चलतेहुए कारोबारका क़र्ज़ा अदाकरनाहो, या अन्य कोई मज़हवी काम, जिसे करना परिवार पर फ़र्ज़हो करनाहो, तो ऐसी ख़ास सूरतोंमें, वली या मेनेजर जायदादको बेंच या रेहन करसकताहै जिसकीपावंदी बालिग़ और नाबालिग़ मेम्बरोंपर एकसांहोगी और यह साबितहो कि किसी दूसरी ग़रज़से, अथवा दूसरेके लाभपहुंचानेके लिये, या ऐसा करनेसे करनेवालेका उद्देश कुछ और था जिसका असर ख़ानदानके विरुद्ध पड़ता है या पड़ सकता है तो दूसरी सूरत होगी। अगर परिवारके लाभकेलिये रोजगारकरनेकी ग़रज़से कोई क़र्ज़ा लियागयाहो उसका अदाकरना ख़ानदानी ज़रूरतहै ; देखो—रामलाल वनाम लक्ष्मीचन्द 1 Bom H.C. app. B. श्यामसुंदर बनाम अचनकुंवर 21 All. 71 , 83 ; 25 I. A. 183.

जहांपर ख़ानदानके कारोवारके क़र्ज़ादेनेकेलिये जायदाद बेंचीगयीहो या रेहन कीगयीहो वहांपर यह मानलिया जायगा कि उनकी मंजूरीहै, जो भी उन्होने नहींदी; देखो--ऊपरकी नज़ीर-श्यामसुंदर बनाम अचनकुवर 21 All. 71, 83; 25 I. A. 183. मानागयाहै कि यदि मुश्तरका ख़ानदानका कोई कारोवार चलरहाहै और उसके मेनेजरने लाभकेलिये कोई जायदाद बेंच दी हो या रेहन करदी हो, चाहे वह विलामंजूरी वालिग़ मेम्बरोंके कीगयीहो, और उस ख़ानदानमें अज्ञानबालकभीहों दोनों सूरतोंमें दस्तावेज़के जायज़ करनेकेलिये--अदालतमें यह साबितकरना ज़रूरीहोगा कि वह जायदाद जो बेंचीगयीथी या रेहन कीगयीथी कारोवारके क़र्ज़ा देनेके लिये की गयी थी जिसकी ज़रूरत उस वक्त बहुत थी। ऐसी सूरतमें वालिग़ और नावालिग़ दोनों मेंबर उसके पाबंद होगें।

नोट—ध्यान रखना चाहिये कि जितने वालिग़ उससमय मौजूद हों संबकी मंज़ूरी ज़रूरी है । एकबात यह पैदा होसकती है कि अगर चार वालिग़ मौजूद हैं और उनमेंसे दो कहीं बाहर चले गये हैं । मौजूदा दो वालिग़ोंकी मंज़ूरी लीगयी और रेहन कर दियागया । जब रेहनकी नालिश हुयी तो उसवक्त वह दोनों वालिग़ मरगये थे जिनकी मंज़ूरी न लीगयी थी । अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या रेहन नामा लिखनेके वक्त जायज़ था ? मुझे इस क़िस्मकी नज़ीर कोई नहीं मिली—

दफा २४८. खानदानी ज़रूरतें क्या क्या हैं——हिन्दू खानदान मुश्तरका की शामिलशरीक जायदादको, वली, या मेनेजर नीचे लिखी ज़रूरतोंमें बिला मंज़ूरी खानदानके वालिग़ मेम्बरोंके बेंच सकता है और रेहन करसकता है ; चाहे उस खानदानमें नावालिग़ मेम्बर भी हों, सब मेम्बर पाबंद होंगे । नीचे लिखी ज़रूरतें उसी खानदानसे संबंध रखेंगी जिसमें मिताक्षरास्कूल लागू किया गया है । दफा ३७३ भी देखो ?

(१) अगर जायदाद सरकारी मालगुज़ारी या किसी सरकारी रुपयाके देनेके लिये बेंची गयी हो जिसका बार जायदादपर हो तो नावालिग़ और वालिग़ दोनों मेम्बर उसके पाबंद हैं ।

(२) अगर जायदाद क्रियाकर्म करनेके लिये, अथवा खानदानी रसमें पूरी करनेके लिये बेंची गयी हो तो अज्ञान और वालिग़ मेम्बर दोनों पाबंद हैं; देखो—नाथूराम बनाम सोमाछगन 14 Bom 562 ; लल्लागनपति बनाम तूरन 16. W. R. 52.

(३) अगर जायदाद, मुश्तरका खानदानके प्रधान मुखियाको फौजदारीके किसी संगीनचार्जसे बचानेके लिये जो खर्च पड़ा हो, इस ग़रज़से बेंची गयी हो तो वालिग़ और नावालिग़ दोनों मेम्बर पाबंद हैं ; देखो—बेनीराम बनाम मानसिंह (1912) 34 All. 4.

(४) अगर जायदाद, जायदादके छुटानेके लिये, या उसके बचाये रखनेके लिये बेंची गयी हो तो नावालिग़ और वालिग़ मेम्बर दोनों पाबंद हैं ; देखो--मिलर बनाम रूंगानाथ 12 Cal 389.

(५) अगर जायदाद, किसी मुश्तरका कर्ज़ेके अदा करनेके लिये बेंची गयी हो, जो कर्ज़ा जायदादसे देने योग्य हो उसके नावालिग़ और बालिग़ दोनों मेम्बर पाबंद है ; देखो–नाथू बनाम कुंदन (1910) 33 All. 242. जैसे बापका क़ानूनन देने योग्य कर्ज़ा ।

(६) अगर जायदाद, जायदादके हिस्सेदारोंकी लड़कियोंकी शादीके लिये बेंची गयी हो तो उसके नावालिग़ और बालिग़ मेंबर दोनो पाबंद है, देखो–छोटी राम बनाम नारायणदास 11 Bom. 605 ; वेकुंट बनाम कल्लापिरं 23 Mad. 512 ; वेकुंटं बनाम कल्लापिरां 26 Mad. 497 ; रंगनेकी बनाम रामानुज (1912) 35 Mad. 728 ; रामचरन बनाम महीनलाल (1914) 36 All. 158.

नोट—जायदादके हिस्सेदारोंकी लड़कियोंसे मतलब यह है कि, उनकी लड़कियोंकी शादीका खर्चा जायज़ शुमार कियाजायगा जिनका कि हिस्सा जायदादमें शामिल है । दूसरी लड़कियोंका नहीं ।

(७) अगर जायदाद, मुश्तरका हिस्सेदारोंके और घरके अन्य आदमियोंके खानेपीनेके लिये बेंची गयी हो तो उसके पाबंद नावालिग़ और बालिग़ दोनों मेंबर हैं, देखो—मुकुन्दी बनाम सरवसुख 6 All. 417, 421.

(८) अगर जायदाद, हिस्सेदारोंकी शादीके खर्चके लिये बेंची गयी हो तो उसके पाबंद नावालिग़ और बालिग़ दोनों मेंबर हैं; देखो--सुंदरबाई बनाम शिवनारायण 32 Bom 81 भागीरथी बनाम जुवकू 32 All.575; गोपालकृष्णं बनाम बेंकटरास (1914) 37 Mad 273.

नोट—और देखो ! इन्डियन कांट्रक्ट एक्ट ९ सं० १८७२ की दफा ६८ तथा दफा ३७३.

दफा ३४९. मध्यभारत, राजपूताना, संयुक्तप्रांतका क़ायदा——बंबई और मदरासको छोड़कर, तथा उस हिस्से हिन्दुस्थानको छोड़कर जहां कस्टमरीलॉ मानाजाता है। मध्यभारत, राजपूताना, संयुक्तप्रांत आदि हिस्सोंमें जो मिताक्षरास्कूलके तावे हैं कोई आदमी मुश्तरका ख़ानदानका, शामिल शरीक जायदादका अपना हिस्सा अलहदा नहीं बेंच सकता जबतक कि दूसरे हिस्सेदारोंकी मंजूरी न हो। इसीलिये यह मानागया है कि—मध्यभारत, राजपूताना, संयुक्तप्रांत जहांपर मिताक्षरास्कूल मानाजाता है, अगर वहांपर कोई आदमी जो अविभक्त परिवारका हिस्सेदार हो, अपना हिस्सा बिला मंजूरी दूसरे हिस्सेदारोंके किसीको बेंच दे या रेहन करदे, तो दूसरे हिस्सेदारं उस बैनामा या रेहननामको रद्द करासकते हैं। ऐसी सूरतमें कुल दस्तावेज़ मंसूख़ होजायगी मानो उस दस्तावेज़की कोई बातही नहीं पैदा हुयी थी। मगर शर्त यह है कि अगर उस दस्तावेज़को बाप, या दादाने लिखी हो तो सबपर पाबंदी होगी किंतु बाप, या दादाने उस क़रज़ेके बारेमें न लिखी हो जो क़रज़ा ग़ैर क़ानूनी है।

उदाहरण—जय, विजय, अजय, तीनभाई हैं कानपुरमें रहते हैं, और मिताक्षरास्कूलके पाबंद हैं। तीनों मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादके हिस्सेदार हैं। जयने बिलामंजूरी विजय, और अजयके कुछ जयदाद बेंचदी, जो ग़ैर क़ानूनी ज़रूरतके लिये बेंची गयी विजय अथवा जय चाहे शामिल होकर या उनमेंसे एकही बैनामा मंसूख़ करासकता है अगर मियादके अंदर नालिशकी गयी हो। ऐसी सूरतमें ख़रीदार जयको भी नहीं पाबंद करसकता।

दफा ३५०. बंबई और मदरासका क़ायदा——बंबई और मदरासमें भी मिताक्षरा लागू कियागया है, मगर हाईकोर्टके फैसलोंके आधारपर कुछ फरक़ पड़गया है। देखिये बंबई और मदरास प्रांतोंके अंतर्गत मुश्तरका जायदादका हरएक हिस्सेदार अपना हिस्सा बिला मंजूरी दूसरे हिस्सेदारोंके, बेंचसकता है और रेहन करसकता है (मध्यभारत, राजपूताना, संयुक्तप्रांतमें नहीं करसकता) इसी आधारपर बंबई और मदरासमें यह माना जाचुका है कि—अविभक्त परिवारका अगर कोई आदमी शामिल शरीक जायदादमें अपना हिस्सा बेंचदें या रेहन करदे तो जायज़ है, और अगर वह आदमी अपने हिस्सेसे ज्यादा हिस्सा बिला किसी कानूनी अधिकारके रेहन करदे या बेंचदे तो दूसरे मेम्बर उसे उतनाही मंसूख़ करादेंगे जितना कि उसने अपने हिस्सेसे ज्यादा बेंचा या रेहन किया है। अगर कोई बच्चा माके पेटमें हो तो उसे भी अपने हक़के मंसूख करालेनेका अधिकार है। ऐसी सूरतमें कुलदस्तावेज़ मंसूख़ नहीं होगी इस विषयपर केस देखो--श्रीपति चीना बनाम श्रीपति सुरैय्या 5 Mad 196 ; मरूया बनाम रंगसामी 23 Mad 89. जब किसीने अपने हिस्सेमें शामिल दूसरेका हिस्सा बेंच दिया हो या रेहन करदिया हो, तो दस्तावेज़ बैनामा या रेहननामा बिलकुल ख़ारिज अर्थात् रद्द नहीं होजायगा, अदालत रुपया देनेवालेके पक्षमें विचार करेगी और ऐसा फैसला देगी जहांतक कि अन्यक़ानूनी सब बातोंके पूरा होते हुए रुपया वसूल होजाय। नीचे हम दो फैसले उदाहरणके साथ देते हैं।

उदाहरण--(१) अमृत, कुंद, और मुकुंद तीनभाई हैं, बंबईमें रहते हैं तथा मिताक्षराके पाबंद हैं। अमृत ख़ानदानका मेम्बर और मेनेजर है, उसने रामसे एकहज़ाररुपया करज़ा लिया जो कानूनन जायज़ न था, करज़ा लेनेके पहिले कुंद और मुकुंदकी मंजूरी न ली गयी थी। कुंदने अमृत और रामपर बैनामा मंसूख़ीकी नालिशकी। साबित हुआ कि अमृतने क़रज़ा ख़ानदानकी जरूरत बताकर लिया था तथा रामने इसबातको ठीक समझकर रुपया

दिया था। अदालतने फैसला किया कि रेहननामा रद्द करदिया जासकता है इस शर्तपर कि जायदाद का मुनाफा तीन हिस्सोंमें बाटकर अमृतके हिस्सेमें जितना रुपया आवे उसमेंसे रामको रहेनकारुपया दिया जावे और जबतक रुपया अदा न होजाय सूद दिया जाय। मगर जायदाद तीनोंके क़ब्ज़ेमें रहेगी। देखो—तेजपाल बनाम गंगा (1902) 25 All. 59.

(२) विचार करो कि अगर अमृत मरजाय तो अमृतकी सब जायदाद बाकी दोनो भाइयोंमें वरासतके अनुसार चली जायगी उससमय अदालतकी डिकरी पाबंद नहीं होसकेगी। और रामका रुपया डूब जायगा ऐसाही केस यह है; देखो--माधोप्रसाद बनाम मेहरबानसिंह 18 Cal. 157; 17. I. A. 193.

दफा ३५१. अदालत न्यायकी तरफ ध्यान देगी——जहांपर मिताक्षरा माना जाता है वहांपर मुश्तरका खानदानकी जायदादको किसी हिस्सेदारके रेहन करने या बेंच देनेसे दूसरे हिस्सेदारोंकी प्रार्थनापर, यद्यपि वह दस्तावेज़ क़ानूनन् रद्द कर दी जायगी मगर अदालत हमेशा न्यायकी तरफ ध्यान देगी। ऐसा मानो कि अगर एक मुश्तरका खानदानमें जो मिताक्षरासे लागू किया गया है, आठ भाई बराबरके शामिलशरीक हिस्सेदार हैं। उनमेंसे एकने विला मंजूरी दूसरे भाइयोंके मुश्तरका जायदादका कुछ हिस्सा बेंच दिया और उस रुपयासे जायदादपर जो करज़ा था अदा करदिया। दूसरे भाईकी तरफसे अदालतमें नालिश कीगयी जिसमें प्रार्थना थी कि बैनामा रद्द करदिया जावे। अदालतने न्याय दृष्टिसे फैसला किया कि बैनामा क़ानूनन रद्द किया जावे और खरीदारको वह अधिकार हासिल हों, जो उस आदमीको जायदादसे रुपया वसूल करनेके हासिल थे जिसको रुपया दिया गया था। खरीदार उसकी जगह लेकर रु० वसूल करसकता है। इस क़िस्मके फैसलेको (इक्युटी) कहते हैं। अगर भाइने जायदाद न बेंची होती, बापने बेंची होती, तो सब भाइयोंपर पाबंदी होती।

दफा ३५२. गर्भावस्थामें बच्चेका हक़—अगर बाप कोई मौरूसी जायदाद उसवक्त बेंचदे या रेहन करदे जब कि उसकी स्त्रीके गर्भमें एक मर्द बच्चा है तो वह लड़का जब बालिग़ होगा दस्तावेज़ रद्द करा सकता है मगर शर्त यह है कि बापने यदि किसी क़ानूनी जायज़ कामके लिये बेंची हो या रेहन की हो तो रद्द नहीं करा सकता। हर हालमें मिताक्षरा स्कूलके ताबे होना चाहिये तब यह शकल होगी देखो—सभापति बनाम सोमसुंदरं 16 Mad. 76.

दफा ३५३. पीछेकी मंजूरीसे पाबंदी—मुश्तरका जायदादमें अगर पहिले किसी बालिग़ मेम्बरकी मंजूरी जो क़ानूनन जरूरीहै, नलेकर कोई शिरकतकी जायदाद बेंच दी गयीहो, या रेहन करदी गयीहो, और उसके बाद वह मेम्बर उसे मंजूर करले जिसकी मंजूरी पहिले नहीं लीगयीथी तो वह मेम्बर उस दस्तावेज़के असरका पाबंद है। देखो-कंडासामी बनाम खमासकंड़ा (1912) 35 Mad 177.

नोट——बैनामा या रेहननामा कहनेसे यह मतलब है कि चाहे किसी तरहपर भी जायदाद दूसरेके अधिकारमें देदीगयीहो या किसी ज़मानत आदि में लगादी गयीहो।

दफा ३५४. साबित करना किसपक्षपर निर्भर है——दस्तावेज़के जायज़ करनेके लिये जो सुबूत दरकारहो वह उस पक्षपर निर्भर है, जिसने बैनामा या रेहननामा या अन्य कोई दस्तावेज़ लिखाकर रुपया दिया हो। रुपया देनेवाले पक्षपर यह आवश्यक है कि वह अपनी दस्तावेज़ जिसकी बुनियाद पर वह अदालतसे प्रार्थना करता है दस्तावेज़ साबित करे

सिर्फ इतनाही साबित कर देना काफी नहीं है कि उसने रुपया देदिया बल्कि रुपया देनेवालेको साबित करना चाहिये कि-दर असल ख़ानदानमुश्तरकामें रुपयाकी जायज़ ज़रूरतथी। या उसने ख़ानदानी ज़रूरत के दरियाफ्त करनेमें इतनी ज़्यादा कोशिश कीथी जो सबतरहसे मुमकिन थी जिसकी बजेहसे रुपया देनेवालेके दिलमें पूरा निश्चय होगयाथा कि वहां पर वास्तवमें रुपयाकी ज़रूरत है जैसीकि रुपया लेने वालेने बयान कीहै। ऊपरकी दोनों सूरतें दस्तावेज़के जायज़ करनेके लिये काफी होंगी , अंतमें कही हुयी सुबूतकी सूरतका साफ अर्थ यह है कि-जब रुपया देनेवालेके दिलमें उपरोक्त तरहपर निश्चय होजायकि वहांपर ज़रूरतथी चाहे वहांपर ज़रूरत नभीहो तो वह ज़िम्मेदार नहीं है। अगर उसने ईमानदारी केसाथ सब वर्ताव अंततक किया है और किसी फरेब या नुक़सान पहुंचानेकी ग़रज़से नहीं किया है; ऐसी सूरतमें उसके रुपया देनेके ज़िम्मेदार मुश्तरका मेम्बर होंगे;

दफा ३५५. बापकी वसीयतसे जायदादका वेंचा जाना--अगर बाप मृत्युपत्र [वसीयत] द्वारा किसीको यह अधिकार दे गया हो कि वह आदमी जायदाद का इन्तज़ाम करे और किसी ख़ास कामके लिये [जो क़ानूनन जायज़हो] कुछ जायदाद वेंचदे तो अगर वह आदमी मत्युपत्रमें लिखी हुई कुल शर्तों की पावंदी करता हुआ जायदादको वेंचकर वह काम पूरा करदे जिसे हिदायत की गयींथी तव उसके पावंद अज्ञान मेम्बर होंगे। मगर जब कोई बलिग़ होगया हो तो ऐसी कारखाई नाजायज़ होगी; क्योंकि उस आदमीका अधिकार जाता रहेगा ; देखो-महावलेश्वर वनाम रामचन्द्र (1914) 33 Bom 94.

दफा ३५६. कुदरती वलीका मुआहिदा------कुदरतीवली (वाप या मा) अज्ञानके ज़ाती लाभके लिये या जायदादके लाभ के लिये या उसकी ज़ातिरक्षा या जायदादकी रक्षाके लिये मुआहिदा (कंट्राक्ट) कर सकता है देखो-सुवरामानि या वनाम असमुगा 29 Mad. 330 सूनू वनाम दुंडू (1904) 28 Bom 330 मगर किसी तरहभी कोई वली अज्ञानको ज़ाती तौरपर नहीं पावंदकर सकता , देखो-बनमाल सिंहजी वनाम वादीलाल 20 Bom. 61; 70, सुरेन्द्रोनाथ वनाम अतुलचन्द्र 34 Cal. 892; नरायनदास वनाम रामानुज 20 All. 209 ; 25 I. A. 46.

दफा ३५७. वली या मेनेजरका मुआहिदा----कोई वली या मेनेजर अज्ञानको ज़ाती तौरसे नहीं पावंद करसकता क्योंकि उसका अधिकार सिर्फ उसी जायदाद तक महदूद है जो अज्ञानके लाभ के लिये उसकी हिफाज़त मेंदी गयी है; वली या मेनेजर कोई स्थावर संपत्ति मोल लेनेके लिये अज्ञानको ज़ाती तौर पर नहीं पावंद कर सकता ; और न अज्ञानकी जायदादको पावंद कर सकता है ; मीरसरं वारजन वनाम फखरुद्दीन 39 Cal. 232; 39 I.A. 1 ; वघेलराज सानजी वनाम शेख मसल उद्दीन 14 I.A. 89 ; S.C. 11 Bom. 551 ; वनमाल सिंहजी वनाम वादीलाल 20 Bom 61 और देखो-लाला नरायन वनाम लाला रामानुज 25 I.A. 46 ; S.C. 20 All. 209.

ऊपर कहेहुए वघेलराज सानजी वनाम शेख मसल उद्दीनके मुकद्दमेंके वाक़ियातका खुलासा देखिये-एक वलीने जायज़ कामके लिये अज्ञानकी जायदादका एकभाग वेंचडाला जो जायदाद बेंची गयी थी, वह धीरे धीरे उस जायदादकी क़ीमत बढ़तीगयी, बैनामामें एक शर्त यह लिखी थी कि अगर किसीवक्त सरकार मालगुजारीका दावाकरे और ख़रीदारका नुक़सान होजाय तो उस नुक़सानको नाबालिग और उसके वारिस पूरा करदेंगे । बैनामामें

यह भी लिखाथा कि मालगुज़ारीका कुलबोझा उस जायदादपर रहेगा जो बेंची नहीं गयीथी। खरीदारके नुक़सान अदा करनेके ज़िम्मेदार ज़ाती तौरपर अज्ञान और उसके वारिस होंगे। लड़केको वालिग़ होनेपर सरकारने उस ज़मीनपर अपनी मालगुज़ारी चार्ज किया, तब बैनामाकी शर्तके अनुसार ख़रीदारने वालिग़ लड़केपर दावा किया। प्रिवीकौन्सिलने यह फैसला किया कि कोई ज़ातीशर्त नावालिग़पर उसे वालिग़ होनेपरभी पावंद नहीं करसकती अतएव दावा ख़ारिज कियागया देखो 14 I. A. 89.

ऊपर कहाहुआ मुक़द्दमा मीरसरवारजन बनाम फखरुद्दीनका आधार इस उदाहरणपर है कि–मानो–अज, अज्ञान है और उसका वली विजय, है। विजयने, जयके साथ अजकी तरं फसे मुआहिदा (कंट्राक्ट) किया कि वह जयकी ज़िमींदारी मोललेगा, ले नहीं सका था कि अज वालिग़ होगया। अजने, जयपर नालिशकी कि वह अपनी ज़िमींदारी बेंचदे अर्थात् उसका बैनामा अजयके हक़में लिखदे। अदालतसे फैसला हुआ कि दावा ख़ारिज हो। सबब यह कहागया कि ऐसा मुआदिया पूर्वसे नाजायज़ था इसलिये न तो अजय, जयकी ज़िमींदारी पाने का दावा करसकता है और न जय इस बातका दावा करसकता है कि उसकी ज़िमींदारी अजयको दिलादीजाय।

दफा ३५८. जोकाम वलीकी हैसियतसेवलीने न कियाहो——जब किसी अज्ञानके बलीने कोई काम अज्ञान के लिये बलीकी हैसियतसे नहीं कियाहो तो वह अज्ञानको पावंद नहीं करेगा और अगर वलीने अपने अधिकार के साथ वलीकी हैसियतसे कियाहो तो अज्ञानको पावंद करेगा। अगर कंट्रक्ट करनेके वक्त या दस्तावेज़ लिखनेके वक्त अज्ञानका नाम नहीं लिया गयाहो या नहीं लिखागयाहो तो इस बातसे पूरा सुबूत यह नहीं मान लिया जायगाकि वह काम अज्ञानके लिये नहीं कियागयाथा। यहबातकि वह काम अज्ञानके लिये कियागयाथा कि नहीं, प्रत्येक मुक़द्दमेमें अलहदा अलहदा देखा जायगा; कुछतो दस्तावेज़के शब्दोंसे और बाक़ी उसवक्त की स्थिति और इरादेके सुबूतसे; देखो—इन्द्रचन्द्र बनाम राधे किशोर 19 Cal 507; 19 I. A. 90; नाथू, बनाम बलवंतराव 27 Bom 380.

उदाहरण—कृष्ण, नामका एक आदमी मरा उसने अपनी विधवा राधा और अपने तीनपुत्र अज्ञान छोड़े जिनके नामथे ज़य, अजय, विजय कृष्णके मरनेपर राधा विधवाने पतिकी कुल जायदादपर वहैसियत तीनों लड़कोंके वलीके, क़ब्ज़ा किया। और इंतज़ाम करने लगी। कुछ अर्से वाद किसी सबबसे एक पुरुष कुमुदने अदालतसे प्रार्थनाकी कि माको रद्द करके वह लड़कोंका बली बनाया जावे। अदालतने सब बातें सुनकर कुमुदको बली नियत करदिया। राधा विधवाने कुमुदको जायदादका चार्ज देनेसे पहिले अज्ञानकी कुछ जायदाद एक हज़ार रूपया पर बेंचदीथी, श्रीहर्षने जायदाद ख़रीद कीथी। माने जो जायदाद बेंचीथी वह बतौर अपने मालके कहकर बेंचीथी नकि अज्ञानके मालके। राधा विधवा के पति कृष्ण के क़रज़े की एक डिकरी उस जायदाद परथी। राधा विधवाने एक हज़ार रुपयामेंसे आधे तो उस डिक़रीमें अदा किये जो जायदाद परथी और आधेरुपया अपने खानेपीने वग़ैरामें ख़र्च कियेथे तीनों लड़कोंमेंसे एक बालिग़हुआ और उसने श्रीहर्षपर नालिशकी, इस बातकी कि उसकी जायदाद जो माने बेंचीथी दिलामिले। अदालतने श्रीहर्ष का बैनामा रद्द कर दिया अर्थात् दावाडिकरी हुआ, श्रीहर्षको कुछ भी रुपया नहीं दिलायागया। पांचसौ रु० वहभी नहीं दिलामिले जो माने लड़कोंके बापके क़रज़ेकी डिकरीमें दियेथे जो क़रज़ाकि पति, यानी कृष्णकी छोड़ी हुई जायदादको पावंद करताथा, और इस लिये लड़केभी पावंदथे देखो—नाथू बनाम बलवंतराव 27 Bom. 380.

दफ़ा ३५९. वलीकी तरफ़से किसी क़रज़ेका मान लियाजाना---वंबई और मदरास हाईकोर्टने यह तय किया है कि अज्ञानका कुदरतीवली, और वह वली जो गार्जियन एन्ड़ वार्ड्स एक्ट नंबर ८ सन १८९० ई० के अनुसार नियत कियागया हो, अज्ञानकी जायदादके लिये या रक्षाके लिये किसी क़रज़ेको मंजूर करसकता है या उसका ब्याज देसकता है इसवास्ते कि क़ानूनी मियादका समय और बढ़जाय। लेकिन जो क़रज़ा क़ानूनी मियादसे वाहर होचुका है उसको वह फिरसे ताज़ा नहीं करसकता ; देखो–अन्नापगाउदा बनाम संगादिग अप्पा 26 Bom. 221 234 ; सोमानन्द्री बनाम श्रीरामुलूम 17 Mad. 221 ; सुब्रामनिया बनाम असमुगा 26 Mad. 330.

विधवा अपने पतिका क़रज़ा अदाकरनेकी मजाज़ मानी गयी है क्योंकि विधवाका धार्मिक फर्ज़ है कि अपने पतिका क़रज़ा अदाकरे। मगर यह क़रार दियागया है कि अगर कोई मेनेजर हिन्दूपरिवारका अपनी इसी हैसियतसे विला किसी ख़ास अधिकारके उस क़रज़ेको स्वीकार करके ताज़ा नहीं बनासकता जो पहिले क़ानूनी मियादसे वाहर होचुका हो ; देखो--चिनाया बनाम गुरूनाथन 5 Mad. F. B. 169 ; भास्कर तांतिया बनाम विजलाल नाथ 7 Bom. 512.

कलकत्ता हाईकोर्टके अनुसार कुदरती वली या वह वली जो गार्जियन एन्ड़ वार्ड्स एक्ट नम्बर ८ सन १८९० ई० के मुताबिक़ नियत कियागया हो, किसी क़रज़े का सूद नहीं देसकता जिससे क़ानूनी मियाद बढ़ जाती हो, और न वह कोई क़रज़ा मंजूर करसकता है और न किसी क़रज़ेको अपनी मंजूरीसे ताज़ा बनासकता है ; देखो--बाज़िवन बनाम क़ादिरबख्श 13 Cal. 292. 295 ; चत्तूराम बनाम विलटूअली 26 Cal. 51, 52

दफ़ा ३६०. अज्ञानने अपनी उमर जब झूंठ बताई हो———जब किसी अज्ञानने, दूसरे आदमीको यह धोका दिया हो कि मैं बालिग़ हूं, या मेरी उमर बालिग़ होनेतक पहुंच चुकी है, और ऐसा मानकर कोई इक़रार किया हो या कोई लिखत की हो। ऐसी सूरतमें अज्ञान अपनी नाबालिग़ीका उज़ुर कोर्टमें पेश करसकता है कि जब वह इक़रार किया गया था या लिखत की गयी थी मैं नाबालिग़ था, जब उसपर नालिश कीजाय। अज्ञान भी अपने उस इक़रार या लिखतको मंसूख़ करा देनेका दावा करसकता है जो नाबालिग़ीकी अवस्थामें लिखी गयी थी ; देखो---धनमल बनाम रामचन्द्र 24 Cal 265. इस मुक़द्दमेमें एक नाबालिग़ने अपनी उमर बालिग़ बताकर एक रेहन नामा लिख दिया था और रुपया पालिया था। रेहननामा लिखानेवालेने नालिशकी, वादीके वकीलने यह स्वीकार कर लिया था कि वह नाबालिग़के झूंठ उमर बतानेके सबबसे रेहनकी डिकरी हासिल नहीं करसकता इससे योग्य वकीलने रेहनके दावाको छोड़कर सादी डिकरी अदालतसे मागी। हाईकोर्टसे यह फैसला हुआ कि अज्ञान उस रुपयाके देनेके लिये मजबूर किया जासकता है जब यह साबित हो कि उसने फरेबदेकर रुपया हासिल किया, दावा डिकरी हुआ। दूसरा मुक़द्दमा बिल्कुल इसी क़िस्मका था मगर वकीलने रेहनकी डिकरी मांगी थी इस लिये दावा ख़ारिज होगया देखो–सरलचन्द्रमित्र बनाम मोहन बी बी 25 Cal 371. तीसरा मुक़द्दमा इसीतरहका और पैदा हुआ–इसमें एक आदमीने एक लड़केसे जायदादका बैनामा लिखाया था, लड़केने अपनी उमर २२ वर्ष बताई थी, जब उस बैनामाकी नालिश अदालतमें दायर हुयी तो यह उज़ुर पेश किया गया कि उसवक्त लिखनेवाला अज्ञान था। हाईकोर्ट बंबईने दावा ख़ारिज कर दिया और कहा कि खरीदारको यह मालूम था कि वह झूठ बोल रहा है और उसने उसे झूठ

बोलने दिया तथा उस बातको मानकर उसने बैनामा लिखाया इस लिये अब बादी एवीडेन्स एक्ट नं० १ सन १८७२ ई० की दफा ११५ के अनुसार अपनी बातसे हट नहीं सकता।

दफा ३६१. अज्ञानके मुक़द्दमेमें सुलहनामा——अज्ञानकी तरफसे वली सुलह नामा (कंप्रोमाइज़) कर सकता है ; देखो—निर्विनय बनाम निर्विनय 9 Bom. 365 ; जब किसी अज्ञान के मुक़द्दमें में आपसमें सुलह, यानी राज़ीनामा हो जाय तो अदालत उस सुलह नामाको उस वक्त तक मंजूर नहीं करेगी जबतक कि उसे इसबातका पूरा यक़ीन नहो जाय कि सुलह नामासे अज्ञानको फायदा पहुंचताहै, और नवालिग़ के फायदे के लिये किया गया है, और अगर ऐसी मंजूरी अदालतसे न ली गयी हो तो उस सुलहनामा का पाबंद अज्ञान नहीं होगा बल्कि जो डिकरी ऐसे सुलहनामाकी बुनियाद पर की गयी हो वह अज्ञानके प्रार्थना करनेपर मंसूख़ करदी जायेगी, देखो–राजा गोपाल बनाम मुट्टुपालम 3 Mad. 103 ; करम, अली बनाम रहीमभाई 13 Bom 137, कलावती बनाम छेदीलाल 17 All. 531, रंगराव बनाम राजगोल 22 Mad 378 ; 26 Bom. 109 ; राखल बनाम अद्वैत 36 Cal 613.

अगर बिला मंजूरी अदालतके सुलहनामाके आधारपर कोई डिकरीकी गयी हो तो पक्षकारको साबित करना निहायत ज़रूरी है कि सुलह नामाकी रज़ामंदी ऐसे आदमीने दी थी जो क़ानूनन नावालिग़के पाबंद करनेका अधिकार रखता था। मगर ऐसीरज़ामंदी उस सूरतमें पाबंदीके क़ाबिल नहीं होगी अगर वह ऐसे आदमीके ग़लत बयान करनेके आधारपर निर्भर हो जिसे अज्ञानके विरुद्ध कुछ लाभ प्राप्त होता हो ; देखो–मोहंमद मुमताज़ बनाम शिवरतन गिरि 23. I. A. 75 ; S. C. 23. Cal. 934 ; राम अटर बनाम राजा मोहम्मद मुमताज 24 I. A. 107 ; S C 24 Cal 853.

दफा ३६२. कौनड़िकरी नावालिग़को पाबंद करेगी——जिस नावालिग़की तरफसे किसी मुक़द्दमेमें उसका (प्रापरली, रिप्रेज़न्टेटिव) वकील या जिसे क़ानूनन् पैरवी करनेका अधिकार हो, अदालतमें हाज़िर होकर अज्ञानकी तरफसे उसके लाभके लिये योग्य पैरवी की हो। उस मुक़द्दमेके नतीजेका नावालिग़ पाबंद होगा चाहे उस मुक़द्दमेका नतीजा अज्ञानके लाभके विरुद्ध हो, या तस्फीया होजाय, या दस्तबरदारी करलीजाय ; देखो—इस विषयपर नज़ीरें बहुत हैं दो एक यहांपर देते हैं—विरूपाक्षय्या बनाम शिदाया 23 Bom 620 ; गोपीनाथ बनाम रामजीवन. S. D. of 1859, 913 ; गोपालराव बनाम नृसिंह 22 Mad 308 ; आशुनचन्द्र बनाम नन्दमनी 10 Cal 357. जब कोई ऐसी ड़िकरी अदालतसे प्राप्तकर ले जो अज्ञानको पाबंद करती हो, और वह भूलसे उस ड़िकरीको अज्ञानके वलीपर जारी करादे तो महज़ इस बजेहसे ड़िक़रीदारका यह हक़ नहीं मारा जायगा कि वह अपनी उसी ड़िकरीको दुबारा अज्ञानपर जारी न करासके अर्थात् करा सकता है ;12 Bom 427.

दफा ३६३. वलीकी ज़िम्मेदारी——चाहे जिस तरहपर वली नियत किया गया हो मगर वह उस नुक़सानके पूरा कर देनेके लिये ज़ाती तौरपर ज़िम्मेदार है जो उसकी दग़ाबाज़ी, चालाकी, या ग़ैरक़ानूनी तरीक़ेसे हुआ हो। मगर वली अज्ञानके क़रज़ेका उतनेसे ज़्यादा ज़िम्मेदार नहीं है जितनी कि जायदाद उसने अज्ञानसे पायी हो।

जब अज्ञानका वली कोई अपराध करे तो अज्ञान, उसकी ग़लतीका पाबंद नहीं होगा। वली अपनी ग़लतीका ज़ाती तौरपर ज़िम्मेदार होगा। इसी तरहपर जब अविभक्त परिवारके अज्ञानकी जायदादमें वलीने कुछ अपराध किया हो तो अज्ञानकी जायदाद ज़िम्मेदार नहीं होगी ; देखो—सोनू विश्राम बनाम ढुंढू 6 Bom L. R. 122 ; 28 Bom 330.

नोट—अपराधसे मतलब है (ख़ियानत) और वह क़सूर जो उसकी ग़लतीसे या वद नियती आदिसे पैदा हुए हों। वली किन किन बातोंका ज़िम्मेदार है इस विषयका पूरा विवरण गार्जियन एन्ड वार्ड्स एक्ट नम्बर ८ सन १८९० ई०की दफा २०, २४, २७ में देखो। यह दफायें इस किताबकी दफा ३६७; ३६९; ३७० में देखो।

दफा ३६४. दौरान मुक़द्दमामें अदालत वली नियत करसकती है——जब अदालतके सामने वली नियत करनेकी प्रार्थना की गयी हो, और उसपर कोई क़तई फैसला न हुआ हो और ऐसा अंदेशा फरीक़ की तरफसे अदालतमें ज़ाहिर किया गया हो कि वली नियत करनेके फैसलेके पहिले, या फैसलेतक अज्ञानकी जायदादमें कोई आदमी नुक़सान पहुंचानेकी कोशिश कर रहा है, तथा ज़्यादा मुमुकिन है कि जायदादमें नुक़सान पहुंच जावे तो अदालत सब मामलेको सुनकर वीचके समयके लिये किसी वलीको नियत करेगी; देखो—गार्जियन एन्ड वार्ड्स एक्ट ८ सन १८८० की दफा १२.

अनेक क़ानूनोंकी कुछ दफाओंका खुलासा।

(गार्जियन एन्ड वार्ड्स एक्ट नम्बर ८ सन १८९० ई० के अनुसार)

दफा ३६५. वलीनियत करनेकी अर्ज़ीमें क्या लिखना चाहिये——गार्जियन एन्डवार्ड्स एक्टकी दफा १०—अगर कलक्टरसाहेब अर्ज़ न करें तो, सबको लिखीहुयी अर्ज़ी-द्वारा जैसा कि सिविलप्रोसीजर में वताया गया है उसके अनुसार करना चाहिये। जहांतक होसके अर्ज़ीमें नीचे लिखी वातें वताना चाहिये—

(१) अज्ञानका नाम, जाति, धर्म, पैदाहोनेकी तारीख़ और रहनेकी जगह।

(२) अगर अज्ञान लड़की है, तो वताना चाहिये कि वह व्याहीहै याक्वांरी, अगर व्याही है तो उसके पति का नाम और उमर।

(३) अज्ञानकी अगर कोई जायदादहो, सब वताना चाहिये। और उस जायदादकी हालत कैसी है, किस जगह है और उसकी अंदाज़न क़ीमत कितनी है।

(४) अज्ञानकी ज़ात या जायदाद की निगरानी रखनेवाले आदमी का नाम, और रहनेकी जगह।

(५) अज्ञानके नज़दीकी रिश्तेदार कौन कौन हैं और वह कहां रहेते हैं।

(६) अगर किसी आदमीने जो मजाज़ वली नियत करनेका हो। किसी आदमीको वली नियत करदिया होतो वताना चाहिये कि वह वली ज़ातका है या जायदादका या दोनोंका और उसका पता क्या है।

(७) क्या कभी अज्ञानके वली नियत करने के वारेमें कोई अर्ज़ी किसी अदालतमें की गई है? और अगर कीगयी हो तो उसका परिणाम क्या हुआ।

(८) यह अर्ज़ किस लिये कीगयी है ? अज्ञानकी ज़ातके लिये, या जायदादके लिये, या ज़ात और जायदाद दोनोंके वली नियत करनेके वारेमें है; या कि सिर्फ घोषणा कर देनेके वारेमें है।

(९) क्या यह अर्ज़ी किसी वली नियत करनेके वारेमें है ? या किसी तजवीज़ किये हुए वलीकी योग्यताके वतानेके वारेमें।

(१०) क्या अर्ज़ी किसी आदमीको वली ज़ाहिर करदेनेके वारेमें है ? जो ख़ासशर्तोंपर अपनेको वली बनाना चाहता है।

(११) किस सववसे अर्ज़ी दीगयी है (अर्ज़ी देनेके कारण लिखना चाहिये)

(१२) अगर कोई दूसरी वातें हों तो वह भी सव ज़ाहिर कर देना चाहिये.

अगर कोई वली तजवीज़ किया गया हो तो, अर्ज़ीके साथ उस तजवीज़ किये हुये वली की रज़ामंदी और उस रज़ामंदीपर वलीके दस्तख़त तथा कमसे कम दो गवाहोंके दस्तख़त होना चाहिये। अगर कलक्टरसाहेबने वलीके नियत किये जानेकी अर्ज़की है तो वह चिठ्ठीकी शकलमें पोस्टकेद्वारा या किसी आदमी के द्वारा अदालतमें भेजी जायगी। उसमें भी सव वातें होंगी जो ऊपर वतायी गयी हैं।

दफा ३६६. दौरान, मुक़द्दमें में अदालत वली नियत कर सकती है——गार्जियन एन्डवार्ड्स एक्टकी दफा १२--अदालत जवतक वली नियत करनेका फैसला करे, और उस मामलेका सुवूत सुने, इतने वीचमें अज्ञानकी जायदादके लाभको नष्ट न होने देनेके लिये कोई वली चन्दरोज़ा नियत करदेगी। जव कोर्ट, किसी आदमीको वीचमें वली नियत करनेका इरादा करेगी तो उसे हुक्म देगी कि वह अज्ञानको लेकर किसी तारीख़पर हाज़िर हो। अगर अज्ञान लड़कीहै और वह किसी रवाजसे हाज़िर नहीं हो सकती है तो जिस तरह मुनासिव मालूम होगा हुक्म देगी।

दफा ३६७. वली अमानती संबंध रखता है——गार्जियन एन्ड वार्ड्स एक्टकी दफा २०--वली अज्ञानसे अमानती संबंध रखता है। वली को अज्ञानके काममें लाभ किसी तरहका नहीं उठाना चाहिये। मगर वली वह लाभ उठा सकता है जो वसीयतनामा या दूसरे किसी लेखमें जिससे कि वह नियत किया गया है या इस क़ानूनके ज़रियेसे उसे अपना लाभ उठानेका अधिकार दिया गया है।

वलीका, अमानती संबंध इनकामोंमें लागू पड़ता है--जैसे-वलीको, अज्ञानकी जायदादका मोल लेना। अज्ञानकी तरफसे, वलीकी जायदादका मोल लेना । फौरन उसीवक्त, या उसके थोड़े दिनतक जव कि अज्ञान वालिग़ होगया है, और सव दूसरे सौदे जो उन दोनोंके वीचमें हुए हैं या ऐसे समयमें जव कि वालिग़ होनेके वाद लड़केपर वलीका दवाव रहा हो। दवावकी हालतमें अगर वलीने अपने लाभके लिये कुछ किया हो तो वली ज़ाती तौरपर अज्ञानके नुक़सानका ज़िम्मेदार है।

नोट—अमानती संवधको अंगरेज़ी भाषामें फाडिव सियरी रिलेशन् शिप (Fiduciary-relationship) इस शव्दकी परिभाषा यह है कि——वमूजिव एक्ट अमानतके जव कोई अमीन या जिसके हक़में वसीयत है, या शरीकदार, या एजेन्ट, या इक्ज़ीक्यूटर कंपनीका, या मशीर क़ानूनी, या और आदमी जो दूसरे आदमीका विश्वास पात्र हो, और इस वजेहसे उसके अधिकारोंको सुरक्षित रखनेका पावंद हो, विश्वासकी हैसियत या दवावको दख़ल देकर अपनी ज़ात ख़ासके लिये कोई मुनाफा नक़दी या दूसरी तरहका हासिल

करे। या जब कोई पुरुष जो इस क़िस्मका पाबंद हो, इस सूरतमें कुछ अपना लेन देन करे जिसमें ख़ुद उसका हक़ विश्वास करनेवालेके विरुद्ध हो या होजाय, और उस लेन देनसे अपनी ज़ात ख़ासके लिये कुछ मुनाफा हासिल करे तो ज़रूर हैकि उसने अपने लाभके लिये वह काम किये थे, ऐसे संबंधको अमानती संबंध कहते हैं।

दफा ३६८. वलीकी तनख़्वाह——गार्जियन्स एन्ड़ वार्ड्स एक्टकी दफा २२—जो वली अदालतसे नियत कियागया हो, या ज़ाहिर कियागया हो वह सिर्फ उतना रुपया पानेका हक़दार है जिसे अदालतने, अज्ञानके कामके लिये हुक्म दिया हो।

अगर कोई गवर्नमेंन्टका आफिसर अपनी आफिसरीकी हैसियतसे वली नियत कियागया हो, या ज़ाहिर कियागया हो तो अज्ञानकी जायदादमेंसे गवर्नमेंन्टको ऐसी फीसें देना होंगी जिन्हे लोकल गवर्नमेन्ट आम या ख़ास तौरपर तजवीज़ करेगी।

दफा ३६९. ज़ातके वलीका कर्तव्य———गार्जियन एन्ड़ वार्ड्स एक्टकी दफा २४—अज्ञानके ज़ाती वलीको, अज्ञानके शरीरकी देखभाल और रक्षा सिपुर्दकी गयी है। उसके शरीर संबंधी सब आवश्यकताओंको पूरा करना, तथा उसकी तंदुरुस्ती, और शिक्षाके विषयमें पूरा ध्यान रखना ज़रूरी है और उन बातोंपर ध्यान दियाजायगा जिनको कि वह क़ानून, जिसके आधीनमें अज्ञान है, अज्ञानके लिये चाहता है।

दफा ३७०. जायदादके वलीका कर्तव्य——गार्जियन एन्ड वार्ड्स एक्टकी दफा २७—अज्ञानके जायदादके वलीको उसकी जायदादके संबंधमें उसी तरहपर वर्तना पड़ेगा जैसा कि प्रत्येक दूर दर्शी पुरुष अपनी जायदादके संबंधमें वर्ते। और इस एक्टपर ध्यान रखते हुये वह जायदादके लेलेने, रक्षा करने, और उसके लाभके लिये सब काम जो योग्य और मुनासिब हो करेगा।

दफा ३७१. वली किनबातोंसे ख़ारिज किया जायगा———गार्जियन एन्ड़ वार्ड्स एक्टकी दफा ३९—नीचे लिखी हुयी बातोंपर लाभ रखनेवाले, किसी आदमीके दरख़्वास्त परसे प्रत्येक वलीको, अदालत वलायतसे हटा सकती है, चाहे वह कोर्टसे नियत कियागया हो, या ज़ाहिर कियागया हो, या किसी वसीयतके द्वारा या अन्य [illegible] द्वारा नियत कियागया हो।

(१) अमानतका ख़राब इस्तेमाल करता हो।
(२) अमानतके बारेमें जो कर्तव्य है उससे वह सदैव चूकता रहता हो।
(३) अमानतके बारेमें कर्तव्य काम करनेकी हैसियत न हो।
(४) अज्ञानकी उचित फिकर न रखता हो। या बुरा वर्ताव करता हो।
(५) इस एक्टकी बातोंको या कोर्टके हुक्मको बराबर न मानता हो।
(६) किसी ऐसे अपराधके प्रमाणित होजानेपर, जिससे कोर्टकी रायमें उसका चालचलन ख़राब मालूम हो, और अज्ञानके वली रहनेके अयोग्य हो।
(७) अगर वली अपने कर्तव्य काम, ईमानदारीसे पूरा करनेके विरुद्ध निजी लाभ रखता हो।
(८) कोर्टके अधिकारी इलाक़ेके अंदर रहना बंद करदिया हो।
(९) जायदादके वली होनेकी सूरतमें, वलीका दिवाला निकल गया हो या इन्सालवेन्ट होगया हो यानी ' लाह ' लेलिया हो।

(१०) जिस क़ानूनके अज्ञान आधीन है, उस क़ानूनकी वजेहसे वलीकी वलायत ख़तम होजानेपर या ख़तम कीजासकने पर ।

नोट—जो वली वसीयत नामाके द्वारा या अन्य किसी लेखके द्वारा नियत कियागया है तो वह इन वातोंसे नहीं हटाया जायगा । १–ऊपरके सातवें पैरेसे–वशर्तेकि यह सावित न होजाय कि ऐसा विरुद्ध लाभ जिस आदमीने उसे नियत किया था उसके मरनेके वाद पैदा होगया है, अथवा नियत करनेवाले आदमीने ऐसा विरुद्ध लाभ करनेकी अज्ञानतामें वली नियत किया है । २–ऊपरके आठवें पैरेसे–लेकिन अगर वलीने अपनी सकूनत ऐसी जगह रखी है जिससे कोर्टकी रायमें वलीको अपना कर्तव्य काम करनेकी असुविधा पैदा होगयी है, तो ऐसी सुरतोंमें हटा दिया जायगा । पहिली वात इसतरहपर समझो कि–जैसे, रामने वली नियत किया और रामके मरनेपर उसने विरुद्ध लाभ उठाया । या रामके समयमें वह वली होनेसे पहिले, अज्ञानके विरुद्ध लाभ उठाता था मगर राम इसवातको जानता नहीं था, और रामने विना जाने कि वह अज्ञानके विरुद्ध लाभ उठा रहा है, इस वातकी अज्ञानतामें, उसे वली नियत करदिया । अगर ऐसा सावित होजाय तो वली हटाया जायगा । वली हटाये जानेके वारेमें सावित करना उस पक्षपर निर्भर होगा जो वली हटाये जानेकी अर्ज़ करता हो ।

[इन्डियन कांट्रेक्ट एक्ट ९ सन १८७२ ई० के अनुसार]

दफा ३७२. अज्ञानकी जायदाद क़रज़ेकी कव ज़िम्मेदार होगी——इन्डियन कांट्रेक्ट एक्टकी दफा ६८—वह आदमी जो मुआहिदा करनेकी योग्यता नरखताहो, या वह आदमी जो उसे क़ानूनन पालन करनेके लिये वाध्य हो, इन दोनोंको अगर कोई उस लड़के की हैसियतके अनुसार जो मुआहिदा नहीं कर सकताथा, क़ानूनी ज़रूरतों केलिये क़रज़ादे या कोई चीज़ देवे, तो वह आदमी अपना रुपया अज्ञानकी जायदादमेंसे ले सकता है । मगर अज्ञानकी ज़ात पावंद नहीं होगी ।

अगर किसी आदमीने अज्ञानको या अज्ञानके वलीको या मेनेजरको, अज्ञानकी हैसियतके मुताविक़, उसकी क़ानूनी ज़रूरतों के लिये कुछ क़रज़ा दियाहो, या दूसरी कोई चीजें दीहों, तो वह आदमी अज्ञानकी जायदाद मेंसे अपना रुपया वसूल कर सकता है ।

दफा ३७३. क़ानूनी ज़रूरतें यह भी होंगी——(१) जब कोई मुक़द्दमा ऐसा दायर हुआहो जिससे अज्ञानकी जायदादमें नुक़सान पहुंचने वालाहो, तो उस सूरतमें जो ख़र्च उसकी जायदादके बचानेके लिये किया जायगा—क़ानूनी जरूत है देखो—बर्ट किंगस बनाम धरनू बावू (1881) 7 Cal. 140.

(२) अगर कोई मुक़द्दमा डाकेज़नीका (या इसी क़िस्मका कोई संगीन केस) अज्ञान पर लगाया गयाहो, तो उस केससे छुटनेके लिये जो ख़र्च पड़ेगा, क़ानूनी ज़रूरत है; देखो श्यामचरनमल बनाम चौधरी देविया सिंह (1894) 21 Cal. 872.

(३) जब अज्ञानकी जायदाद किसी डिकरीमें नीलाम हो रहीहो, या विक रहीहो, तो जो रुपया उसकी जायदाद बचानेके लिये दिया जायगा—क़ानूनी ज़रूरत है । देखो —आत्माराम बनाम हुनर (188) Punjab Rec 96.

(४) अविभक्त परिवारके मेनेजरको, अज्ञान लड़कोंकी बहनकी शादी करनेके लिये अगर कोई क़रज़ा दे तो वह अज्ञान की जायदादसे वसूल हो सकता है यह क़ानूनी ज़रूरत है देखो–नूरदान प्रसाद बनाम अयोध्या प्रसाद (1910) 32 All. 325. और देखो ख़ानदानी ज़रूरतें क्या क्या हैं दफा ३४८.

नोट—अगर अज्ञानकी क़ानूनी ज़रूरत के लिये रुपया दिया गया हो, या कोई चीजें दीगयीं हों, जो उस अज्ञानकी हैसियतके ख़िलाफहों, तब वह क़ानूनी ज़रूरत ठीक नहीं रहेगी, और नहीं मानी-जायगी। जैसे किसी अज्ञान की हैसियत ५०) रु० मासिक ख़र्च करनेके अंदाजकी है अज्ञान स्कूलमें पढ़ता है, उसे रातमें पढ़नेके लिये एक लेम्पकी ज़रूरत है, जो क़ानूनी ज़रूरत मानी गयी है, किसीने ६० रु० की एक लेम्प उसे देदी तो वह क़ानूनी ज़रूरत नहीं रही। क़ानूनी ज़रूरतसे यह मतलब है कि जो फिज़ूल ख़र्च, या सुखोपभोग, या देखावा के लिये नहो। साधारण तरहसे वसर होने योग्य हो, इस वातकी जांच रुपया देनेवाले को या चीजें देनेवाले को अच्छी तरहपर कर लेना चाहिये। क्योंकि जब वह अपना रुपया दिलापानेकी या चीजोंकी क़ीमत दिलापाने की नालिश अज्ञानके विरुद्ध करेगा तो उसे सावित करना पड़ेगा कि उसने अज्ञानके लाभके लिये क़ानूनी ज़रूरतोंके रफा करनेकी ग़रज़से अज्ञानकी हैसियत के अनुसार रुपया दियाथा या चीजें दींथी। अगर ऐसा सुबूत वह नहीं दे सकेगा तो अदालत उसके दावापर विश्वास नहीं करेगी। ऐसी सूरत में रुपया मिलना मुशकिल हो जायगा।

[इन्डियन लिमीटेशन् एक्ट १ सन १९०८ ई० के अनुसार]

दफा ३७४. नावालिग़ बैनामा या रेहन नामा मंसूख़ी का दावा कब कर सकता है—इंडियन् लिमीटेशन एक्टकी दफा ४४-अज्ञान वालिग़ होनेपर अपनी उस जायदादके वापिस पानेका दावा कर सकता है, जिसे उसके वलीने बेंच दी हो या रेहन कर दीहो, या और किसी सूरतसे अज्ञानके स्वामित्वसे हटा दीहो। ऐसी नालिश दायर करनेकी मियाद तीन सालकी है और यह मियाद अज्ञानके वालिग़ होनेकी तारीख़से शुरू होगी।

नोट--इस दफासे यह मतलब है कि अगर वह अज्ञानका क़ानूनी वली या असली वली न हो, और उसने जायदादको बेंच दिया हो या रेहन कर दियाहो अथवा और किसी तरहसे अज्ञान के स्वामित्वसे हटा दियाहो, तो उस सूरतमें यह दफा लागू नहीं पड़ेगी। यह दफा सिर्फ असली वली और क़ानूनी वली की हैसिपत पर लागू पड़ेगी।

उदाहरण--वाप अपने अज्ञान लड़कोंका वली था, उसने वलीकी हैसियतमें अज्ञानोंकी जायदाद रेहन करदी। और जिसने रेहन कराया था उसने रेहननामा के आधारपर नालिश अदालतमें दायरकी, जिसमें अज्ञान लड़कोंको फरीक़ वनाया। अदालतने दावा मुद्दई डिकरी किया। जब उनमेंसे एक लड़का वालिग़ हुआ तो उसनेवालिग़ होनेकी तारीख़से तीन सालके अंदर रेहन नामा मंसूख़ करापानेकी नालिश अदालतमें दायर नहीं की। अर्थात् तीन सालके वाद नालिशकी, अर्जीदावामें वादीने कहा कि रेहननामा जाली है, और दोनोंने मिलावट करके लिखा है। यद्यपि अदालतने यह वात स्वीकार नहीं की, मगर यहांपर देखना यह है कि ऐसी वुनियादपर मियाद वढ़जाती है जब कि यह कहा जाता हो कि दस्तावेज़ जाली है और मिलकर लिखी गयी है; नज़ीर देखो—रघुवर वनाम भिरिवया (1889) 12 C. 69.

(१) वारह वर्षकी मियाद—इस वातका ध्यान रखना कि अगर अज्ञानकी किसी जायदादको क़ीमतमें एवज़लेकर उसके वलीने अज्ञानके स्वत्वाधिकारसे हटादी हो तो उस सूरतमें दफा १३३ और १३४ लिमीटेशन् एक्टकी लागू पड़ेगी। जिसके अनुसार १२ वर्षकी मियाद दावा करनेके लिये क़ायमकी गई है; और यह वारह वर्षकी मियाद उस तारीख़से शुरू होती है जिस तारीख़में वह हटाई गयी हो; यानी ख़रीदनेकी तारीख़से, और अगर यह मियाद अज्ञानकी अज्ञानतामेंही समाप्त होजाय तो अज्ञानको वालिग़ होनेके वाद सिर्फ तीन वर्षकी मियाद अधिक मिलेगी, जो उसे दफा ४४ के अनुसार मिलती है। अगर वारह वर्षवाली

मियाद का कुछ हिस्सा अज्ञानकी अज्ञानतामें समाप्त होजाय और उसके बालिग़ होनेके बाद तीन वर्षसे ज़्यादा वाक़ी रहे, तो उस सूरतमें जितनी मियाद वाक़ी रहेगी बालिग़को मिलेगी।

उदाहरण--धरमदास नाबालिग़ है और उसका क़ानूनी वली सत्यदेवने अज्ञानकी जायदादका कुछ हिस्सा १ जनवरी सन् १९०० ई० में बेंचडाला। उसके बाद ता. ३१ दिसंबर सन १९०५ ई० में धरमदास बालिग़ होगया। अब धरमदासको अपनी जायदाद वापिस लेनेके लिये दो मियादें मिलती हैं; एक तो दफा ४४ के अनुसार; दूसरी दफा १३३, १३४ के अनुसार। धरमदासको अधिकार है, कि वह १ जनवरी सन् १९१२ ई० तक नालिश करे; क्योंकि उसे बालिग़ होनेके बाद ७ वर्षकी मियाद नाबालिग़ीमें खतम होजाती तो उसे दफा ४४ के अनुसार बालिग़ होनेकी तारीख़से तीन सालकी और मिलती। यह ध्यान रहे, कि क़ानूनमें जिसकी मियाद तीन सालसे कम रखी गयी है वह मियाद बालिग़ होनेके तारीख़से शुरू हो जायगी और अपनी अवधिपर खतम हो जायगी अर्थात् दफा ४४ के अनुसार तीन सालकी मियाद नहीं मिलेगी।

(२) दफा ४४ का नतीजा--इस दफा ४४ में सबसे ज़रूरी बात यह है कि अज्ञानकी जायदाद चाहे जिसतरहसे बेंच दीगयी हो, या रेहन कर दीगयी हो या अज्ञानके स्वामित्वसे हटा दी गयी हो, उसके वापिस पानेका दावा वह बालिग़ होनेकी तारीख़से तीन वर्षके अंदर कर सकता है। इस दफामें ट्रांसफर (इन्तक़ाल) शब्दके साथ कोई विशेषण नहीं लगाया गया। जैसा कि दफा १३३ और १३४ में लगाया गया है। इसी कारणसे इस दफा ४४ के अनुसार हर क़िस्मके ट्रांसफर (इन्तक़ाल) का दावा तीन सालके अंदर होसकता है। चाहे वह ट्रांस्फर बिला किसी एवज़के हो या चाहे वह ज़बानी या किसी दस्तावेज़के द्वारा किया गया हो; देखो--(1905) 28 Mad. 423; (1908) 2 Ind. Cas 229 (Nagpur).

(३) क़ानूनी वली और असली वली--क़ानूनी वली और असली वली का भेद ऐसा है कि जो वली अदालतकी तरफ़से नियत किया गया हो, या किसी लेखद्वारा नियत किया गया हो, वह क़ानूनी वली है। और जो वली क़ुदरती हो जैसे बाप या मा अथवा मुश्तरका जायदादका मेनेजर (मोहतमिम) यह असली वली कहलाते हैं। और वह आदमी भी असली वली कहलायेगा जो किसी अधिकारके साथ अज्ञानका वली होसकता हो। अगर यह लोग वलीकी दशामें अज्ञानकी जायदाद बेंचदें या रेहन करदें, या अज्ञानके स्वामित्वसे किसी तरहपर हटादें तो अज्ञान बालिग़ होनेकी तारीख़से तीनसालके अंदर उस जायदादके वापिस पानेका दावा दफा ४४ के अनुसार कर सकता है।

(४) जायदादसे क्या मतलब है--दफा ४४ में जायदाद, शब्द दोनों क़िस्मकी जायदादोंके लिये काममें लाया गया है। जायदादमें स्थावर और जंगम सम्पत्ति शामिल हैं यानी जायदाद मनक़ूला और ग़ैर मनक़ूला। लिमीटेशन् एक्टके अनेक लेखकोंने जायदाद, शब्दका ऐसाही मतलब माना है क्योंकि क़ानूनमें प्रापरटी (Property) शब्दके साथ और कोई शब्द नहीं जोड़ा गया।

नोट--विशेष विवरण देखो--इन्डियन लिमीटेशन एक्ट नं० ९ सन १९०८ ई०-के, जे, रुस्तमजी बेरिस्टर एट, लॉ, सन १९१५ ई० का छपा। और यच, टी, रिवाजका छठवां एडीशन् सन १९१२ ई० का छपा।

दफा ३७५. जब किसी दूसरे आदमीने, अज्ञानकी जायदाद उसके स्वत्वाधिकारसे हटा दी हो---अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर किसी ऐसे वलीने जो

क़ानूनी या असली वली की हैसियत न रखता हो अथवा किसी दूसरे आदमीने अज्ञानकी जायदादको उसके स्वत्वाधिकारसे हटा दिया हो तो कौनसी दफा उस केसमें लागू पड़ेगी तथा उसकी कितनी मियाद होगी और वह मियाद कबसे शुरु होगी ? नीचे देखो ।

दफा ३७६. अज्ञानकी क़ानूनी अयोग्यता——(१) इन्डियन लीमीटेशन् एक्ट नं० ९ सन १९०८ ई० की दफा ६ देखो-क़ानून मियादकी दफा ६ का यह अर्थ है कि "अगर वह आदमी जो नालिश करने या डिकरी जारी करानेकी दरख़ास्त देनेका अधिकारी है, उस समयमें जबसे मियाद शुरू की जाना चाहिये, अज्ञान या पागल या विक्षिप्त हो, तो उसे अधिकार है कि, जब उसकी अयोग्यता चली जाय उसी मियादके अंदर नालिश दायर करे या डिकरी जारी करानेकी दरख़ास्तदे जो उस कामके लिये क़ानून लिमीटेशनमें मियाद मुक़रर की गयी है" (देखो उदाहरण नं० १).

(२) जिस समयसे मियाद शुरू होना चाहिये, अगर किसी आदमीको उसवक्त दो क़िस्मकी अयोग्यतायें हों, चाहे वह दोनों अयोग्यतायें साथही शुरू हुयी हों या जब एक अयोग्यता ख़तम न होने पायी हो और बीचहीमें दूसरी शुरू होगयी हो, तो जब दोनों क़िस्मकी अयोग्यतायें उसकी नष्ट होजायेंगी, उसवक्तसे मियाद शुरू होगी । अर्थात् क़ानूनमें जिस कामके लिये जो मियाद क़ायम की गयी है वह मियाद उसवक्तसे शुरू होगी जब दोनों क़िस्मकी अयोग्यतायें नष्ट होजायें । (देखो उदाहरण नं० २).

(३) जब किसी आदमीकी अयोग्यता उसके मरनेतक रही हो तो, उसका क़ायममुक़ाम जायज़ उसके मरनेके बाद नालिश उसी मियादके अंदर दायर करसकता है या दरख़ास्त दे सकता है, जो मियाद उस मरे हुए आदमीकी अयोग्यता न होनेकी सूरतमें होती । अर्थात् मियाद उसके मरनेकी तारीख़से शुरू होगी ।

(४) जब किसी आदमीकी अयोग्यता उसके मरनेतक रही हो, और उसका क़ायममुक़ाम जायज़ भी उसवक्त अयोग्य हो जब कि वह आदमी मरा है तो मियाद उस वक्तसे शुरू होगी जब क़ायममुक़ाम जायज़की अयोग्यता नष्ट होजाय । जैसा कि ऊपर न० १ और न०२ में कहागया है (देखो उदाहरण नं० ३).

उदाहरण—(१) मथुरादास, एक महाजनका लड़का है जो अज्ञान (नाबालिग़) है । मथुरादासको किसी नालिशका हक़ उसकी अज्ञानतामें पैदा होगया जिसकी मियाद ६ सालकी है । और नालिशका हक़ पैदा होनेके १० वर्षकेबाद मथुरादास बालिग़ हुआ तो वह बालिग़ होनेकी तारीख़से तीन सालके अंदर वही दावा दायर करसकता है ।

(२) सुरेन्द्रको अपनी अज्ञानता (नाबालिग़ी) में नालिश करनेका एक हक़ प्राप्त हुआ यह हक़ प्राप्त होनेकेबाद मगर अज्ञानताहीमें सुरेन्द्र पागल होगया, तो क़ानून मियादकी मुद्दत सुरेन्द्रकी अज्ञानता और पागलपन दोनोंके ख़तम होजानेपर शुरू होगी ।

(३) व्रजेन्द्रको अपनी अज्ञानतामें नालिश करनेका एक हक़ पैदा हुआ लेकिन वह बालिग़ होनेके पहिलेही मरगया और व्रजेन्द्रका लड़का सुरेन्द्र वारिस हुआ । सुरेन्द्र उसवक्त अज्ञान है जब उसका बाप व्रजेन्द्र मरा तो क़ानून मियादकी मुद्दत उसवक्त शुरू होगी जब सुरेन्द्र बालिग़ होजाय ।

दफा ३७७. अर्ज़ी देना कहांतक लागू होगा---एक्ट सन १८७७ की दफा ७ के अनुसार अज्ञान बालिग़ होनेपर हर क़िस्मकी दरख्वास्तं दे सकताथा, अदालतों को इस बातसे बहुत तकलीफ हुयी क्योंकि अज्ञानके लिये यह मुमकिनथा कि बीस वर्ष बादभी जब कि

वह बालिग़हो और उसकी जायदाद अदालतकी डिकरीके जारी होनेसे नीलाम हो गयी हो, तो उस नीलामके मंसूख़ करा देनेके लियें दरख्वास्तदे सकता था। चाहे उस नीलाम होनेके वक्त अज्ञानका वली मुक़द्दमा हाज़िर भीहो। अब इस एक्ट न० ९ स० १९०८ ई० की दफा ६ के अनुसार अर्ज़ी देना सिर्फ डिकरी जारी कराने तक महदूद किया गया है। और दूसरी अर्ज़ियोंके बारेमें अज्ञान अपने वली या जिसे उसने ऐसा अधिकार दियाहो उसके कामोंसे बंध जायगा और पावंद हो जायगा।

दफा ३७८. जिस कामकी मियाद तीन सालसे कम हो——जहांपर मियाद तीन सालसे कमहो तो वादीको अयोग्यताके ख़तम होजानेके बाद उतनी ही मिलेगी। अर्थात् वह तीन सालतक बढ़ाई नहीं जासकेगी। जैसे—एक अज्ञानको जायदादके नीलामको रद्द करादेनेकी नालिश करनेका अधिकार उसकी नाबालिग़ीमें पैदा हुआ। और इस हक़ प्राप्त होनेके पंद्रह साल बाद वह बालिग़ हुआ तो बालिग़ होनेके पीछे जितनी कि मियाद नीलाम रद्द करानेकी क़ायमकी गयी है उतनेही मिलेगी यानी एक साल मियाद मिलेगी न कि तीन साल नज़ीर देखो–(1894)·17 Mad 316.

दफा ३७९. प्रतिवादीके अज्ञान होनेसे दावा बंद नहीं हो सकेगा—— जिस सूरतमें कि किसी आदमीको नालिशका हक़ पैदा होगया हो, तो वह इस वजेहसे अपने दावाको रोक नहीं सकता कि प्रतिवादी अज्ञान है या अयोग्य है। वादीका दावा तमादी होजायगा अगर उसने उस मियादके अंदर नालिश नहीं कीजो मियाद उसे क़ानूनन् मिलीथी।

दफा ३८०. यह दफा कहांपर लागू नहीं होगी——दफा ६ सिर्फ उन्हीं मामलोंसे लागू पड़ेगी जिन मामलोंकी मियाद लिमीटेशन एक्ट ९ सन् १९०८ ई० के अनुसार क़ायमकी गयी है। और जिन मामलोंकी मियाद किसी दूसरे कानून के द्वारा नियतकी गई है उनके लिये यह दफा लागू नहीं होगी।

अगर कोई मियाद प्रांतीय क़ानून में क़ायमकी गयी हो तो यह दफा लागू नहीं पड़ेगी देखो—(1874) 13 Ben. L. R. 445; (1894) P. R. 128; C. F. 94. P. R. 64; (1890) 17 Cal. 263; (1892) 16 Bom. 536; (1890) P. R. 74 F. B.; (1897) P. R. 69; (1902) 29 Cal. 813.

नोट—हक़ शिफाकी नालिशमें भी दफा ६ लागू नहीं मानी जायगी।

दफा ३८१. अज्ञानको दो तरहकी मियाद——(१) जब किसी अयोग्यताके अंदर हक़ नालिशका पैदा होगया हो और उसकी मियाद क़ानूनी अयोग्यता ख़तम होनेके बाद तीन सालसे ज़्यादाकी बाक़ी रहगयी हो, तो वह उस मियादके अंदर दावा कर सकता है जो तीन वर्षसे ज़्यादाकी उसे मिली है।

(२) जब किसी अयोग्यतामें नालिशका हक़ पैदा हुआ और उसहक़की मियाद अयोग्यता ख़तमहोनेसे पहिले चली गयी हो तो उसे अयोग्यता ख़तमहोनेकी तारीख़से तीन सालकी मुद्दत और मिलेगी अगरवह मियादजो चली गयी है तीन वर्षकी या तीन वर्षसे ज़्यादा कीहो।

(३) जब किसी अयोग्यताके बीचमें किसी नालिशका हक़ पैदा होगया हो और उसकी मियाद तीन वर्षसे कम, क़ानूनमें रखी गयी हो तो अयोग्यता ख़तम होनेकी तारीख़से उसे उतनीही मियाद मिलेगी जो उस कामके लिये क़ानूनमें नियत कीगयी थी। यानी उसे तीन वर्षकी मियाद नहीं मिलेगी।

दफा ३८२. अगर अज्ञानमुद्दई (वादी) दौरान मुक़द्दमेमें मरजाय——इन्डियन लीमीटेशन् एक्ट नं० ९ सन १९०८ ई० की दफा १७६ के अनुसार ६ महीनेके अंदर मुद्दई या अपीलांटके स्थानमें किसीको फरीक़ बनजाना चाहिये । देखो दफाका शब्दार्थ—
" जब दौरान मुक़द्दमेमें, मुद्दई या अपीलांट (जिसने अपीलकी है) मरजाय तो उसकी जगहपर दूसरा क़ानूनी अधिकार रखनेवाला आदमी जो उस मरे हुए की जगहपर अदालतमें हाज़िर होकर मुक़द्दमेकी पैरवी करसके, उसे ६ महीनेके अंदर फरीक़ बन जाना चाहिये और यह मियाद उस तारीख़से शुरू होगी जब वह आदमी मरा है. "

दफा ३८३. अगर अज्ञान मुद्दालेह (प्रतिवादी) दौरान मुक़द्दमेमें मरजाय—इन्डियन लिमीटेशन् एक्ट नं० ९ सन १९०८ ई० की दफा १७७ के अनुसार ६ मासके अन्दर मुद्दालेह या रिस्पान्डेन्ट बन जाना चाहिये । दफाका शब्दार्थ देखो—

" जब दौरान मुक़द्दमेमें प्रतिवादी या रिस्पान्डेन्ट (जिसके विरुद्ध अपील किया गया हो) मरजाय तो उसकी जगहपर दूसरा क़ानूनी अधिकार रखनेवाला आदमी जो अदालतमें हाज़िर होकर पैरवी करसके उसे ६ महीनेके अन्दर फरीक़ बन जाना चाहिये और यह मियाद उस आदमीके मरनेके दिनसे शुरू होगी" ।

मुश्तरका ख़ानदान।

छठवां-प्रकरण।

मिताक्षरालॉके अनुसार।

नोट—मुश्तरका ख़ानदान वह कहलाता है जिसमें एक कुटुम्बके बहुतसे लोग शामिलशरीक रहते हों और किसी तरहका अलगाव न हो। इसीको अविभक्तपरिवार, अविभाजित परिवार या कुटुम्ब, बिनाबटा हुआ परिवार, अविच्छिन्न परिवार, संयुक्त परिवार या कुटुम्ब, तथा मुश्तरका ख़ानदान आदिनामोंसे कहते हैं। हिन्दुओंमें प्रायः सब लोग संयुक्त परिवारमें रहते हैं। इस प्रकरणमें शामिलशरीक कुटुम्बकी सीमाका विस्तार, अधिकार, ज़िम्मेदारियां, तथा कौन जायदाद शामिलशरीक है और कौन नहीं, जायदादका इन्तक़ाल मंसूख़ कराना और हक़दारके मरनेपर उसके हिस्सेकी जायदाद किन लोगोंको मिलेगी, इत्यादि बातोंका उल्लेख कियागया है।

दफा ३८४. हिन्दू ख़ानदान मुश्तरका होता है——आम तौरपर हिन्दू ख़ानदान मुश्तरका होता है, इसीलिये अदालतोंमें हिन्दू ख़ानदान पहले मुश्तरका (शामिलशरीक) मानलिया जाता है जबतक कि उसके खिलाफ साबित न कियाजाय। मगर यह बात ज़रूर है, कि मुश्तरका खानदानमें जिस क़दर दूरकी रिश्तेदारी होती जायगी उसी क़दर बमुक़ाबिले नज़दीकी रिश्तेदारीके उस ख़ानदानका मुश्तरका मानाजाना क़मज़ोर होता जायगा; अर्थात् दूरकी रिश्तेदारीको मुश्तरका मानना क़मज़ोर होगा; देखो—मोरू विश्वनाथ बनाम गनेश 10 Bom.H.C.444,468; प्रीतकुंवर बनाम महादेवप्रसाद 21I.A.134;S.C.22Cal. 85.

जब किसी हिन्दू खानदानमें बटवारा करानेसे अलहदगी होजाय तोभी वह अलहदगी अधिक समयतक क़ायम नहीं रहसकती; क्योंकि जब कोई आदमी अपने भाई या दूसरे हिस्सेदारसे अलहदा होगया और अलहदा होनेके बाद उसके लड़का पैदा होगया, तो वह आदमी जो अलहदा हुआ था एक नये मुश्तरका ख़ानदानका मुखिया होजाता है वह उसका मूल पुरुष कहलाता है। इस नये खानदानमें उसके बेटे, पोते, परपोते, शामिल हैं। इस अलहदा हुए आदमीके मरनेपर जब उसकी छोड़ी हुई जायदाद उसके बेटोंके पास आवेगी, तब वह जायदाद फिर कुदरती तौरसे मुश्तरका होजाया करती है। नतीजा यह है कि आम तौरपर हिन्दू ख़ानदान मुश्तरका होता है; देखो—रामनरायनसिंह बनाम प्रीतमसिंह 11 B. L. R. 397; S. C. 20 Suth. 189; और देखो दफा ३९८.

दफा ३८५. मुश्तरका ख़ानदानके मेम्बर———हिन्दुओंमें मुश्तरका ख़ानदानका फैलाव बहुत बड़ा है—मुश्तरका ख़ानदानमें मृत पुरुषके पूर्वज और उनकी संतान, इसी तरह पर नीचेकी शाखामें बहुत दूरतक मुश्तरका ख़ानदानका फैलाव होता है। मुश्तरका ख़ानदानके मुक़ाबिलेमें 'हिन्दू कोपार्सनरी' (दफा ३९६-४००); का फैलाव बहुत छोटा है। जब हम हिन्दूमुश्तरका ख़ानदानके बारेमें कहते हैं जिससे 'कोपार्सनरी' बनती है, तो हमारा मतलब उन सब कुटुम्बियोंसे नहीं है, जो किसी एकही दूरके पूर्वजकी संतान हैं, और जिनमें

अभीतक बटवारा नहीं हुआ बल्कि हमारा मतलब सिर्फ उन कुटुम्बियोंसे है जो अपनी रिश्तेदारीकी वजहसे ख़ानदानकी मुश्तरका जायदादपर नीचे लिखे हक़ रखते हैं—

(१) मुश्तरका जायदादपर अपना क़ब्ज़ा रखकर उससे लाभ उठानेका हक़ रखते हैं (२) और उस जायदादपर अपने क़र्ज़ेका बोझा डाल सकते हैं (३) और जायदादको गिरवी करने या बेचने आदिसे एक दूसरेको रोक सकते हैं (४) और अपनी इच्छासे उस जायदादका बटवारा करासकते हैं।

हिन्दूख़ानदान मुश्तरकामें 'कोपार्सनरी' के सिवाय और जो आदमी शामिल हैं उनका हक़ कम होता है, जैसे सिर्फ रोटी, कपड़ा पाना। मुश्तरका ख़ानदानमें ऐसे भी आदमी होते हैं जो किसी ख़ास सूरतके पैदा होजानेपर 'कोपार्सनरी' की हक़दारीके अंदर आजाते हैं इसलिये 'कोपार्सनरी' हक़दारी कैसी होती है इसके बतानेके पहिले यह बात ज़रूरी है कि कोपार्सनरीके समझानेमें जिन जिन बातोंकी ज़रूरत पडेगी, वे पहलेही साफ तौरसे बतादी जायें।

दफा ३८६. अपनी पैदाइशसे कौन लोग जायदादमें हक़ रखते हैं—— अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वह कौनसे आदमी हैं जो अपने पैदा होतेही, उसी समयसे, मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादमें हक़दार होजाते हैं? इसका जवाब यह है कि वह आदमी जो कि जायदादके मालिकको पिण्डदान करसकते हैं, वही अपनी पैदाइशसे मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादमें हक़दार होजाते हैं; अर्थात् पुरुष शाखामें तीन पीढ़ीतककी संतान, बेटे, पोते, परपोतेको यह हक़ प्राप्त है। इसीलिये जिस आदमीके बेटा, पोता, परपोता ज़िंदा होतो यह सब और उसको मिलाकर एक हिस्सेदारी क़ायम करते हैं, और इनमेंसे हरएकको पिण्डदान करनेका अधिकार है; इसीलिये वह आदमी पैदाइशसे जायदादमें हिस्सा पाते हैं। जो संतान मालिक जायदादको पिण्डदान नहीं करसकती, वह इस हिस्सेदारी (कोपार्सनरी दफा ३९६ से ४००) में शामिल नहीं होसकती, जैसे परपोतेका लड़का, मालिक जायदादको पिण्डदान नहीं करसकता; इसलिये जबतक मालिक जीता है, तबतक वह इस हिस्सेदारीमें शामिल नहीं होसकता। मगर जैसे जैसे ऊपरका पूर्व्वज मरताजायगा, उसी तरहपर नीचेके दरजेकी पुरुष संतान 'कोपार्सनरी' कीहिस्सेदारीमें शामिल होते जायगी।

स्मृतियोंमें यह माना गयाहै, कि लड़के पोते और परपोते का दियाहुआ पिण्ड मृतपुरुषको पहुंचता है। लड़का अपने बापको, पोता अपने दादाको, परपोता अपने परदादाको पिण्ड देता है। इसके आगे पिण्डकी क्रिया नहीं चलती। इसलिये लड़का आदि तीन संतान, और जिसे पिण्ड दिया जाता है उसे मिलाकर, चार पीढ़ी होती हैं। इन्हीं चारोंके बीचमें जो शास्त्रानुसार संबंध हैं, वही क़ानूनमें 'कोपार्सनरी' नामसे कहा जाता है। सपिण्डीकरणके विधानमें स्मृतियोमें माना गया है, कि मृतपुरुष और उसके तीन पूर्व्वज इन चारों को मिलाकर एक 'पूर्ण पिण्डसपिण्ड' बनता है। मतलब यह कि, पूर्ण पिण्डसपिण्ड चार डिगरीमें रहता है, इसी लिये 'कोपार्सनरी' की हिस्सेदारी चार डिगरीके अंदर ही मानी जाती है। कोपार्सनरीका विषय आगे विस्तारसे कहा गया है—देखो दफा ३९६ से ४०० यहांपर यह समझ लेना चाहिये कि मालिक जायदादको जो जो लोग अपने हिन्दू शास्त्रीय संबंधसे पिण्डदान करने के अधिकारी हैं वही अपनी पैदाइशसे मौरूसी जायदादमें हक़ प्राप्त कर लेते हैं; यानी लड़का, पोता, और परपोता। लड़के, पोते, परपोते के सिवाय और दूसरे रिश्तेदार अपनी पैदाइशसे मौरूसी, जायदादमें हक़ नहीं प्राप्त करते, जैसे परपोते का लड़का। परपोते के लड़केको उसके नगड़दादा (वृद्धप्रपितामह) के जीतेजी जायदादमें कुछ हक़ नहीं है।

मगर नगड़दादाके मरतेही वह भी अपने परदादाके साथ परपोतेकी हैसियतसे जायदादमें अपनी पैदाइशसे हक़ प्राप्त कर लेता है।

दफा ३८७. मुश्तरका ख़ानदानमें कौनआदमी होते है ?—एक हिन्दू मुश्तरका ख़ानदानमें सिर्फ बाप और उसके पुत्रही नहीं होते, बल्कि मूलपुरुष और उसके बिनब्याहे लड़के, और लड़कियां, उसकी औरतें, उसके ब्याहे हुए लड़के, और उन लड़कोंकी औरतें व बच्चे, और विधवा-लड़की जिसे अपने पतिके ख़ानदानमें भोजन वस्त्र नहीं मिलता हो, होते हैं। इस तरहका ख़ानदान जो यद्यपि स्वयं बहुतसी सूरतोंमें पूरा है, तो भी एक विशाल ख़ानदानका अंश होसकता है; यानी ऐसे छोटे छोटे ख़ानदान मिलकर एक बहुत बड़ा ख़ानदान बनाते हैं। इस बड़े ख़ानदानमें मूलपुरुषके सब मर्द औलाद और उनकी औरतें, लड़के, बिनब्याही लड़कियां होती हैं। चाहे ख़ानदान बड़ाहो या छोटा, उसके मेम्बर प्रायः इकट्ठे रहते हैं और मुश्तरका पूंजीसे उनका सब ख़र्चा होता है तथा अपने धर्मके सब कृत्य इकट्ठे अदा करते हैं। इस तरहसे रहनेवाले हिन्दू ख़ानदानको अंगरेज़ी क़ानूनके जाननेवाले 'ज्वाइन्ट हिन्दू फैमिली' (Joint hindu family) कहते हैं; अर्थात् हिन्दू मुश्तरका ख़ानदान। और इस ख़ानदानकी आमसूरत यह है कि उसके मेम्बर भोजन, पूजन, और जायदादमें मुश्तरका होते हैं।

दफा ३८८. मेम्बरोंके हक़——मुश्तरका ख़ानदानकी जायदाद में मेम्बरोंके हक़ हरएक स्कूल के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं—बंगाल स्कूल—अगर जायदाद बंगाल स्कूल के ताबे है, तो लड़कोंको बापके जीतेजी मौरूसी जायदादमें कुछ भी हक़ नहीं है। वह जायदाद बापके पास पूरे अधिकारों सहित रहती है। बापको कुल जायदादके बेचनेका पूरा हक़ प्राप्त है--(दफा ४६२-४६४); बंगालमें अगर बाप, बिना किसी वसीयत के मरजाये, तो उसके लड़के जायदादमें हक़ उत्तराधिकारके अनुसार प्राप्त करते हैं। परंतु अगर जायदाद मिताक्षरा स्कूल के ताबे हो तो दूसरी शकल होगी; देखो दफा १६-१७.

दफा ३८९. मिताक्षरा स्कूलके अनुसार मुश्तरका ख़ानदान——मिताक्षरा स्कूलमें हिन्दू ख़ानदानका मतलब मूल पुरुष और उसकी नीचेकी प्रधान शाखाकी संतान से है और जबतक कि वह आदमी मामूली हालतमें रहता है मुश्तरका माना जाता है। मुश्तरका ख़ानदानमें किसी आदमी या औरतके मर जानेसे कोई फ़रक़ नहीं पड़ता देखो—सुकनधा बानी मंदर बनाम सुक नधा बानी मंदर (1904) 28 Mad 344, 345.

दफा ३९०. मुश्तरका ख़ानदान बनानेसे नहीं बनता——मुश्तरका ख़ानदान किसी आदमी या औरतके बनानेसे नहीं बनता वह जिस तरहसे क़ानूनमें मानागया है उसी तरहपर बनता है। यानी जितनी हद्दमें क़ानूनने मुश्तरका ख़ानदानका फैलाव माना है उसी हद्दमें वह रहेगा कोई उसे ज्यादा कमती नहीं कर सकता, मगर इसमें सिर्फ एक बात ऐसी है जिसके करनेसे ग़ैर आदमी मुश्तरका ख़ानदानके भीतर आ जाता है वह बात लड़का गोद लेना है। दत्तक लेनेसे दूसरे ख़ानदानका लड़का भी मुश्तरका ख़ानदानके भीतर आजाता है।

दफा ३९१. मुश्तरका ख़ानदानकी शाखायें——मुश्तरका ख़ानदान एक मूल पुरुषसे शुरू होता है और उस मूल पुरुषके परिवारमें अनेक पुरुषोंकी औलाद होनेसे उनको मूल पुरुष मानकर छोटे अनेक मुश्तरका ख़ानदान हो सकते हैं; देखो-सदर सनाम मिस्त्री बनाम नरासि महुल्लू मेस्त्री 25 Mad 149, 154. जबतक कि ख़ानदानका बटवारा नहीं

होता तबतक उसके दो या दोसे ज्यादा मेम्बर चाहे वह एकही शाखाके मेम्बर हों अथवा वह उसी ख़ानदानकी अनेक शाखाओंके मेम्बरहों, वे मुश्तरका ख़ानदानसे अलहदा, और स्वाधीन क़ानून के अनुसार नहीं माने जायेंगे । लेकिन जहांपर वह एकही शाखाके सब मेम्बरहों तो वह उस बड़े जमावके अंदर अपना एक ख़ास और अलहदा जमाव बनालेते हैं और इसके अनुसार उस शाखाके किसी मेम्बरकी खुद कमाई हुयी जायदाद या किसी पूर्व पुरुषसे मिली हुई जायदाद, जो उस शाखाकी (सिर्फ उसी शाखाकी) अलहदा जायदाद होसकती है; बड़े जमावके अन्तर्गत दूसरी शाखाओंसे अलहदा क़ब्ज़ा रखेंगे; देखो—25 Mad 149,155,

दफा ३९२. मुश्तरका ख़ानदान कब टूट जाता है !——मुश्तरका ख़ानदानके सब मेम्बरों के हक़ का बटवारा हो जानेपर मुश्तरका ख़ानदान टूट जाता है । जिन आदमियोंने मुश्तरका ख़ानदानसे बटवारा करालेने के कारण मुश्तरका ख़ानदान तोड़ दिया है उसमें नये मुश्तरका ख़ानदानकी चाल लागू होगी देखो—बटो कृष्ण नाइक बनाम चिंतामणि नाइक 12 Cal 262. जब कोई आदमी किसी मुश्तरका ख़ानदान में अकेला और आख़िरी मालिक हो तो उसके मरनेपर भी मुश्तरका ख़ानदान टूट जाता है और उसकी जायदाद, अगर वह किसीको न दे गया हो तो उत्तराधिकार के अनुसार उसके वारिसको मिलती है देखो-इस पुस्तकका नवां प्रकरण ।

दफा ३९३. अलगरहनेसे मुश्तरका ख़ानदान नहीं टूट जाता——हिन्दू समाजमें शामिल शरीक परिवार, आमतौरसे होता है वह ख़ानदानमें, पूजनमें, और जायदादमें जुड़ा रहता है, देखो रघुनन्द बनाम ब्रजकिशोर 1 Mad 69, 81; 3. I. A. 154. अगर जायदाद, बटवारा होकर अलहदा हो जाय, तो फिर वह ख़ानदान शामिल शरीक नहीं गिना जाता । और अगर मुश्तरका ख़ानदानके आदमियोंका रहन सहन और पूजन तथा खानपान अलहदा भीहो, तो ऐसी सूरतमें वह ख़ानदान अलहदा नहीं माना आयगा; देखो-गनेश दत्त बनाम जीवाच (1903) 31 Cal. 262; 31 I. A. 10.

दफा ३९४. कुल देवता——हिन्दुस्थानमें सब हिन्दुओंके हरएक ख़ानदानमें किसी न किसी देवताका विशेष पूजन होताहै इन्हें कुलदेवता या इष्टदेवता कहते हैं हिन्दुओंके हरएक परिवारमें जुदेजुदे नामके कुलदेवता होतेहैं बटवारा करानेके समय कुलदेवताकी मूर्ति और मंदिर तक़सीम नहीं किया जासकता। मगर यह हो सकता हैकि अगर मुश्तरका ख़ानदानके लोग चाहें तो वारीवारीसे उस मूर्तीको अपने क़ब्ज़ेमें रखें, या अदालत उस मूर्तिका क़ब्ज़ा ख़ानदानके किसी प्रधान पुरुषको देदे और बाक़ीके सब हिस्सेदार उस मूर्तिके पूजनके अधिकारी होंगे देखो—दामोदरदास बनाम उत्तमराम (1892) 17 Bom. 271; मित्तकन्थ बनाम नैशरंजन (1874) 14 Beng L.R.166. और देखो दफा ५२७ में 'देवस्थान' तथा दफा ८२३.

दफा ३९५. मुश्तरका ख़ानदानका सुबूत किसके ज़िम्मे होगा ?——अदालत हिन्दू ख़ानदान मुश्तरका का होना पहिले मानलेती है इसलिये जो आदमी यह कहता हो कि ख़ानदान मुश्तरका नहीं है, सुबूतका भार उसी के ज़िम्मे होगा देखो—दफ़ा ३९७.

कोपार्सनरी ।

(Coparcenary)

दफा ३९६. **कोपार्सनरी**—कोपार्सनरीका अर्थ-कोपार्सनरी शब्द अंगरेज़ी भाषाका है इसका अर्थ है संसृष्टि, संसृष्टिता, समांशिता, शुरकाय एक जद्दीकी जमात। इस कोपार्सनरीका हक़ जिन लोगोंके पास रहता है वह 'कोपार्सनर' कहलाते हैं। 'कोपार्सनर' का अर्थ है, समांशिन्, संसृष्टिन्, अंशहर, रिक्थाधिकारिन्, दायाद; शरीक मुजम्मिल, शरीक ख़ानदान। कोपार्सनरीका हक़ जिस जायदादमें रहता है वह 'कोपार्सनरी प्रापरटी' कहलाती है ऐसी जायदाद हमेशा मुश्तरका ख़ानदानमें हुआ करती है। मुश्तरका हिन्दू ख़ानदानमें 'कोपार्सनरी' का समझ लेना परमावश्यक है क्योंकि अनेक मर्दोंके शामिल शरीक रहनेपर भी, जिन लोगोंको कोपार्सनरीका हक़ प्राप्त रहता है, उन्हींका पूरा अधिकार मुश्तरका जायदादपर रहता है। वाक़ीके लोगोंका हक़ सिर्फ़ रोटी, कपड़ेके पानेका होता है। इसलिये जब मुश्तरका ख़ानदान अर्थात् शामिलशरीक परिवारमें जायदादका मिलना, या बटवाराकी नालिश, करना हो तो सबसे पहले यह निश्चित करो कि, वह आदमी जो जायदाद पानेका अपनेको हक़दार बताता है या बटवारा करा पानेका हक़दार बनता है 'कोपार्सनरी' के फैलावके अंदर है या नहीं। अगर वह उसके अंदर नहीं होगा तो उसे उपरोक्त हक़ प्राप्त नहीं होगा इसलिये नीचे 'कोपार्सनरी' को विस्तारसे समझाते हैं।

दफा ३९७. **बार सुबूत उसपर होगा जो बटा हुआ ख़ानदान बयान करे**—कोपार्सनरी, हमेशा मुश्तरका ख़ानदानमें होती है और हिन्दूख़ानदान आमतौरसे धर्मशास्त्रोंमें मुश्तरका मानागया है तथा अदालतमें भी वह पहले मुश्तरका मानलिया जाता है। इसी सबबसे जो पक्षकार इसके विरुद्ध बयान करता हो, यानी मुश्तरका नहीं है, ऐसा बयान करता हो तो इस बातके साबित करनेका भार उसी पक्षकार पर होगा, जो मुश्तरका नहीं बयान करता है। देखो—ट्रीवेलियन हिन्दूलॉ पेज २१४, तथा एवीडेंन्स एक्ट नं० १ सन १८७२ की दफा १०३—

ट्रीवेलियन हिन्दूलॉमें कहा गया है कि "हरएक हिन्दू ख़ानदान: खानपान और पूजन और जायदादमें शामिल शरीक मान लिया जाता है, और उस ख़ानदानकी ज़ायदाद मुश्तरका मानली जाती है, इस लिये बारसुबूत उस पक्षकार के ऊपर होगा जो ख़ानदानको अलहदा होना बयान करताहो"; नज़ीरें देखो—रिवनप्रसाद बनाम राधाबीबी (1846) 4 M. I. A. 137, 168; नरांगुटी लछमीड़वाम्हा बनाम वेंगामा नैडू (1861) 9 M. I. A. 66, 92; 1 W. R. P. C. 30, 32; नीलकिस्टो देव बरमोने बनाम वीरचन्द्रथाकुर (1869) 12 M. I. A. 523, 540; 3 B. L. R P. C. 13, 17; 12 W. R. P. C. 21, 23; मुसम्मात चिथ्या वनाम मिह्वीलाल बाबू (1867) 11 M. I. A. 369; प्रीतकुंवर वनाम महादेव प्रसादसिंह-(1894) 21 I. A. 134, 135; 22 Cal. 85, 89; भगवती मिसराइन वनाम दुमन मिसराइन (1875) 24 W. R. C. R. 365; तारकचन्द्र पोदार वनाम ज़ुदीशरचन्द्र कुंडू (1873) 11 B. L. R. 193; 19 W. R. C.

R. 178; शिवप्रसाद चक्रवर्ती वनाम गंगामनी देवी—(1871) 16 W. R. C. R. 291; कासिमभाई अहमदभाई वनाम अहमदभाई हुब्बीभाई (1887) 12 Bom. 280, 309; विलाशकुंवर वनाम भवानीवकस नरायण W. R. (1864) C. R. 1.; विश्वंभर सरकार वनाम सुरधनी दासी 3 W. R. C. R. 21; त्रिलोचनराय वनाम राजकिशनराय (1866) 5 W. R. C. R. 214; वीरनारायन सरकार वनाम तीनकौड़ीनन्दी (1864) 1 W. R. C. R. 316; और देखो दफा ४२२.

दफा ३९८. वटवाराके बाद मुश्तरका होजाना—ऊपर मुश्तरका ख़ानदानकी अलामत वताई गई है। इसका कारण यह है कि अगर किसी हिन्दू ख़ानदानमें वटवारा भी होजाय, उसके बाद जब बटे हुये आदमियोंकी औलाद होगी तो फिर वह मुश्तरका ख़ानदान उतने हिस्सेकी जायदादमें होजायगा जितना हिस्सा कि वटवारा करानेमें मिला था। ऐसा मानो कि तीन भाई क, ख, ग, जो अभीतक शामिल शरीक रहते थे तीनोंने आपसमें वटवारा करालिया और अपना अपना हिस्सा जायदादमें अलहदा करा लिया, अब देखिये उनकी ऐसी हालत सिर्फ थोड़ेही समय तक रहेगी क्योंकि जहां उनके लड़के पैदा हुए, तीनोंके तीन मुश्तरका ख़ानदान होजायंगे, क्योंकि मिताक्षरालॉके अनुसार लड़के, पोते, परपोते मौरूसी जायदादमें अपनी पैदाइश के समयसेही हक़दार होजातेहैं।

जब किसी हिन्दू आदमीकी औलाद विना वटवारा कराये हुये रहती है तो मुश्तरका ख़ानदान होता है, ऐसे मुश्तरका ख़ानदानमें दो तरहके मेम्बर होते हैं (१) जो 'कोपार्सनरी' में शामिल होतें हैं और (२) वह जिनको सिर्फ रोटी कपड़ा मिलनेका हक़ रहता है।

'कोपार्सनरी' मुश्तरका ख़ानदानके उन आदमियोंके गिरोहको कहते हैं जो मुश्तका ख़ानदानमें चार क़िस्मके अधिकार रखते हैं देखो-दफा ३८४; ४०१.

दफा ३९९. कोपार्सनरी तीन पीढ़ीमें रहती है—जहांपर कि एक आदमीको मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादमें हिस्सा मिलता है तो उसकी तीन पीढ़ीतककी पुरुष संतान उस हिस्से में अपनी पैदाइशसे हक़ प्राप्त कर लेती है, इस तरहपर 'कोपार्सनरी' की हिस्सेदारी बढ़ती जाती है। 'कोपार्सनरी' की हिस्सेदारी हमेशा इस शर्तकी पावंद है, कि जो आदमी अपने हिस्सा पानेका दावा करताहो उसे उस पूर्वजसे तीन पीढ़ीके अंदर होना चाहिये जिसने कि हिस्सा पाया है; यानी तीन पढ़ीसे ज्यादा फासलेका न हो। जब कोई तीन पीढ़ी से ज़्यादा हो तो वह इस कोपार्सनरी के हक़का हक़दार नहीं होगा क्योंकि 'कोपार्सनरी' हमेशा तीन पीढ़ीमें रहती है। कोपार्सनरीके चार मुख्य सिद्धांत यह हैं—

(१) कोपार्सनरी, मूल पुरुषसे शुरू होती है और मूल पुरुष भी उसमें शामिल रहता है। मूल पुरुष उसे कहते हैं जिससे वह ख़ानदान बनाहो देखो दफा ३८४

(२) कोपार्सनरी, मूलपुरुष और उसकी तीन पुश्तोंमें रहती है (लड़का, पोता, परपोता) मूलपुरुषको मिलाकर चार पुश्तोंमें देखो दफा ३८६

(३) कोपार्सनरी, जायदादके आख़िरी मालिक से तीन पुश्तोंमें और उसे मिलाकर चार पुश्तोंमें रहती है-देखो दफा ४००

(४) कोपार्सनरी, में वह लोग नहीं शामिल हैं जो मूलपुरुषसे, उसे मिलाकर, या जायदाद के आख़िरी मालिकसे, उसे मिलाकर, पांचवीं पुश्तमें होते हैं।

दफा ४००. आख़ीर मालिकसे तीन पीठीमें कोपार्सनरी रहती है——ऊपरकी बातोंको ध्यानमें रखकर यह बात समझ लेनेके योग्य है, कि कोपार्सनरीकी हिस्सेदारी

मूल पुरुषकी तीन पीढ़ी तककी संतानमेंही ख़तम नहीं होजाती वल्कि जायदादके आख़िरी मालिककी तीनपीढ़ीतक होती है । अर्थात् आख़िरी मालिकके लड़के, पोते, परपोते तथा आख़िरी मालिक भी शामिल रहता है, चाहे वह मूल पुरुषसे कितना भी दूर हो; देखो-10 B.H.C.R. 462.465. इसे आसानीसे समझनेके लिये एक फैसला देखो उपरोक्त नज़ीरमें जस्टिस् नानाभाई हरीदासका फैसला और मोरो विश्वनाथ वनाम गनेश विट्ठल 10 B.H.C. R. 444, 448. जस्टिस् वेस्ट साहेवका फैसला विचारणीय है । जस्टिस् नानाभाई हरीदासने इस तरहपर निश्चयकिया—

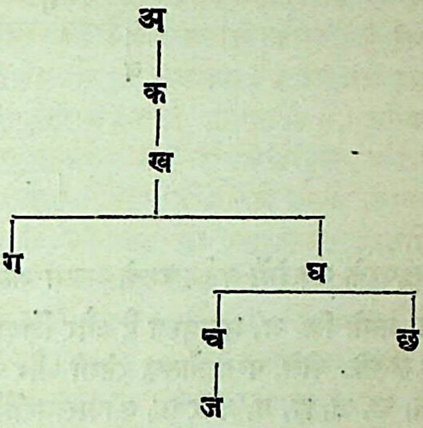

इस ऊपरके नक़शेमें 'अ' मुल पुरुष है और बाक़ी सव उसकी मर्द औलाद हैं ।

(१) अ, पहले मरगया, उसके पीछे क, और ख, मरे । ख, ने एक लड़का घ, को और पोता च, छ, को छोड़ा और मरगया । च, छ, अपने बाप घ, से जायदादका बटवारा करासकते हैं क्योंकि उनका मौरूसी जायदादमें बापके साथ हिस्सा है ।

(२) अव ऐसा मानो कि-क, ख, पहले मरगये पीछे, अ, मरा और उसके एक परपोता घ, उस समय ज़िंदा था जव अ, मरा था । अ, के मरनेपर च, और छ, पैदा हुए, तो भी वह घ, से जायदादका वटवारा करासकते हैं ।क्योंकि कोपार्सनरीमें पैदाइशसे हक़ माना जाता है और जायदादके आख़िरी मालिक से तीन पुश्त तक की पुरुषसंतान कोपार्सनरी में शामिल होती है जैसा कि इस कितावकी दफा ३९९ के तिसरे सिद्धांतमें वताया गया है ।

(३) अव ऐसा मानो कि--क, ख, पहिले मरगये, उसके पीछे अ, मरा और अ, ने अपने मरनेके समय ग, और घ, को छोड़ा। तव यह दोनों भाई जायदादको सर वाइवर शिपके हक़के साथ (देखो दफा५५८).मुश्तरकन्लेंगे।घ, अपने दो लड़के च,छ,को छोड़कर मरगया, तब च, छ, और च, का लड़का ज, भी 'ग' से जायदादका वटवारा करासकता है। अगर ज, के कोई लड़का होता तो उसका भी यह अधिकार प्राप्त होता, क्योंकि कोपार्सनरी तीन पुश्तमें रहती है।

(४) अब ऐसा मानोकि-क, ख, और घ, पहिले मरगये उसके बाद अ, मरा और उसने अपने मरते समय ग, और च, छ, को छोड़ा । ऐसी सूरतमें च, छ, का कोई हक़ जायदादमें नहीं है और वे ग, से वटवारा नहीं करा सकते, जो जायदाद ग, को अ, से मिली है । क्योंकि जायदाद ग, को अकेले मिली है । च, छ, के बाप घ, को जब जायदाद नहीं मिली, तो उनका तथा उनके लड़कों का कोई हक़ नहीं रहा । ग, अकेले सब जायदाद का मालिक होगा और ग, के मरनेपर उसकी संतानको वह मिलेगी ।

कोपार्सनरीके उदाहरण—

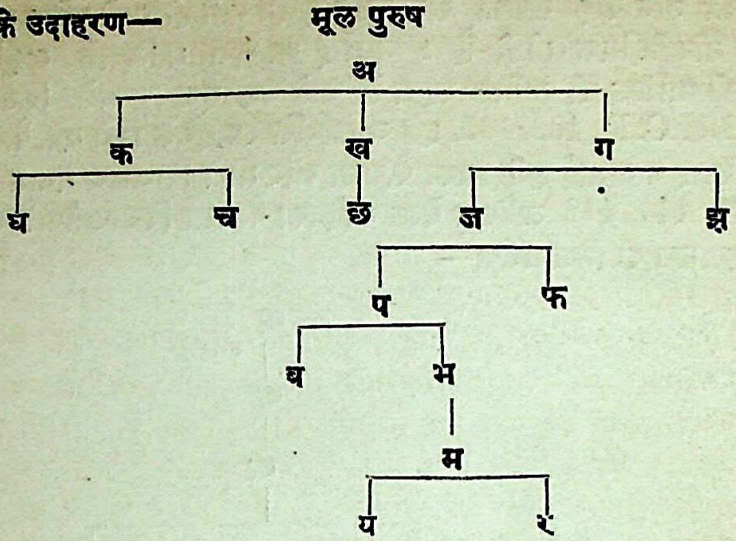

ऊपरके नक़शेमें कई तरहके अलग अलग उदाहरण समझो ।

(१) ऐसा मानो कि, अ, मूलपुरुष है और ज़िंदा है तो कोपार्सनरी अ, से तीन पीढ़ीतक यानी उसके लड़के, पोते, परपोतेतक रहेगी और अ, भी उसमें शामिल रहेगा अर्थात् क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, प, और फ, कोपार्सनरीमें शामिल हैं । मगर ब, भ, और म, तथा उसकी संतान, हरगिज़ कोपार्सनरीमें शामिल नहीं है ।

(२) ऐसा मानो कि—अ, मरगया और उसकी छोड़ी हुई जायदाद उसके लड़कोंको मिली तो सिर्फ उसी जायदादमें लड़के और लड़कोंके नीचेकी तीन-पीढ़ियां, कोपार्सनरीमें शामिल होजायेंगी ; अर्थात् अ, के मरनेपर ब, भ, भी कोपार्सनरीमें शामिल होजायेंगे, क्योंकि ब, भ, जायदादके आख़िरी मालिकसे तीन पीढ़ीके अंदर हैं । मगर म, और उसकी संतान हरगिज़ शामिल नहीं होगी क्योंकि वह आख़िरी मालिक जायदादसे पांचवीं पीढ़ीमें हैं । मालिक भी एक पीढ़ी शुमार कियाजाता है । यह स्मरण रहे कि—लड़के पोते, परपोते-सर वाइवर शिप (देखो दफा ५५८). के हक़के साथ जायदाद लेते हैं । इसी तरहपर जब ऊपरकी शाखा वाले मर्द मरते आयेंगे तब नीचेकी शाखावाले मर्द कोपार्सनरीमें शरीक होते जायेंगे ।

(३) ऐसा मानो कि—अ, के मरनेसे पहिले क, ख, ग, मरचुके थे पीछे अ, मरा। तो उस समय अ, की जायदाद उसके पोतोंको मिली (घ, च, छ, ज, झ,); पोते आख़िरी मालिक जायदादके होगये तो अब उनके लड़के, पोते, परपोते, कोपार्सनरीमें शामिल होजायेंगे, अर्थात् म, भी कोपार्सनरीके भीतर आजावेगा, मगर य, र, नहीं आवेगा ।

(४) ऐसा मानो कि—अ, के मरनेसे पहिले उसके सब लड़के, पोते, दोनों मरचुके थे पीछे अ, मरा । तो अब अ, के मरनेपर जायदाद उसके परपोतोंके पास पहुंची । वह (परपोते) जायदादके आख़िरी मालिक हुए ऐसी सूरतमें उनके (परपोतोंके) लड़के, पोते, परपोते कोपार्सनरीमें शरीक होजायेंगे । अर्थात् जब जायदाद अ, के मरनेपर प, फ, को मिली तो प, फ, के लड़के, पोते, परपोते भी कोपार्सनरीमें शामिल होगये यानी ब, भ, म, य, र, इसीतरह कोपार्सनरी बढ़ती जाती है ।

(५) अगर अ, के मरनेसे पहले उसके सब लड़के, पोते, परपोते मरचुके थे उसके पीछे अ, मरा और अ, के मरनेके समय ब, और भ ज़िंदा थे, तो जायदाद मुश्तरका खान

दानके तरीक़ेसे नहीं मिलेगी बल्कि उत्तराधिकार (Inheritance) के अनुसार अ, के नज़दीकी वारिसको मिलेगी (देखो प्रकरण ९) यह मानागया है कि ऐसी सूरतमें अ, के मरनेके समय कोपार्सनरी टूट गयी थी।

(६) ऐसा मानो कि-१-अ, के मरनेसे पहिले क, ख, मरचुके थे पीछे अ, मरा। अ, का लड़का ग, और उसके पोते तथा परपोते ज़िंदा हैं। २—अथवा क, पहिले मरगया ख,ग, और पोते, परपोते, ज़िंदा हैं। ३—अथवा ग (लड़का), ज, झ (पोते), दोनों पहिले मरगये पीले अ, मरा हो और क, ख, तथा बाक़ीके पोते, परपोते ज़िंदा हैं, तो हरएक कुटुम्बी जो इस कोपार्सनरीमें शामिल मानेगये हैं उन्हे अधिकार है कि अपने बापके, या दादा के स्थानापन्न होकर चाचाओं या चचाज़ात दादाओंके साथ कोपार्सनरीके पूरे पूरे हक़ प्राप्तकरें।

(७) ऊपरकी सब बातोंपर ध्यान रखते हुए इस दफाके नक़शेमें यह बातभी समझ लीजिये कि—कोपार्सनरीमें कई एक छोटे छोटे परिवार (Families) भी शामिल होजाते हैं, परंतु कोपार्सनरीके सिद्धांत और फैलावके बाहर नहीं जासकते जैसे—अ, का परिवार तीन पीढ़ीमें फैला है, इसी तरहसे ग, का परिवार, दो पीढ़ीमें एवं क, ख, का परिवार एक, एक पीढ़ीमें फैला है। यह लोग बड़ी कोपार्सनरीके अंदर छोटी छोटी कोपार्सनरी अपनी अपनी बनाते हैं। जिस तरहसे कि ग, यद्यपि अ, के साथ कोपार्सनरीमें शामिल है परंतु ग, अपनी अलहदा कोपार्सनरी अ, की ज़िंदगीमें सिर्फ अपने लड़कों और पोतोंकी बनाता है। एवं क, यद्यपि अ, के साथ कोपार्सनरीमें शामिल है परंतु क, अपनी कोपार्सनरी सिर्फ अपने लड़कोंके साथ अ, की ज़िंदगीमें बनाता है। इसका मतलब यह है कि मूलपुरुषसे तीन पीढी नीचेतक कोपार्सनरी मानीजाती है इसमें चाहे जितने आदमी हों वह सब शामिल हैं, और इसीके अंदर अपने अपने परिवारकी अलहदा अलहदा कोपार्सनरी मानी जासकती है, परंतु किसी तरहसे भी वह मूलपुरुष या जायदादके आख़िरी मालिकसे तीन पीढ़ीसे आगे नहीं मानी जायगी और इसमें मूलपुरुष तथा मालिक शामिल रहेंगे।

कोपार्सनर।

(Coparcener)

दफा ४०१. कौन लोग कोपार्सनर हैं और कौन नहीं तथा उनके हक़——

(१) कोपार्सनरके हक़—कोपार्सनरीमेंजो लोग शामिल माने गये हैं वही 'कोपार्सनर' कहलाते हैं। अर्थात् जो लोग मुश्तरका जायदादमें अपना हिस्सा रखते हैं वह लोग 'कोपार्सनर' कहलाते हैं। कोपार्सनरका हक़ मुश्तरका जायदादमें यह होता है—

(१) जायदादपर क़ब्ज़ा रखना और उससे लाभ उठाना.
(२) जायदादके बारेमें एक दूसरेको काम करनेमें रुकावट डालना.
(३) अपने करज़ेका जायदादपर बोझा डालना.
(४) अपनी इच्छासे जायदादका बटवारा करा लेना.

इन चार हक़ोंके सिवाय यह भी याद रखना चाहिये कि--कोपार्सनर जायदादको या उसके किसी ख़ास हिस्सेको सरवाइ वरशिप (देखो दफा ५५८), के अनुसार लेते हैं। कोपार्सनरके अधिकारोंको विस्तारसे देखो दफा ४१०.

(२) दत्तकपुत्र कोपार्सनर है—दत्तकपुत्र भी, जिससमयसे कि वह गोद लिया जाता है कोपार्सनर बनजाता है इसतरहपर कि मानो वह औरसपुत्र है, कोपार्सनरके हक़ उसे पूरे प्राप्त होजाते हैं।

(३) बेटे, पोते, परपोते कोपार्सनर हैं—हिन्दूधर्मशास्त्रके अनुसार बेटे, पोते, और परपोते पैतृक जायदादमें अपनी पैदाइशके समयसे हक़ प्राप्त करलेते हैं तो इससे साफ ज़ाहिर है कि वही लोग जो अपनी पैदाइशसे पैतृक जायदादमें हक़ प्राप्त करलेते हैं कोपार्सनर हैं यानी मूलपुरुष, और उसके बेटे, पोते, परपोते.

(४) परपोतेके बेटे कब कोपार्सनर होंगे—यहबात बिल्कुल साफ हैकि मूलपुरुष (वह आदमी जिससे ख़ानदान बना है या शुरू होता है) के जीतेजी सिवाय उसके, और उसके बेटे, पोते, परपोतोंके, अन्य कोई भी कोपार्सनर नहीं होसकता, मगर जब मूलपुरुष मर जायगा तो उसके मरनेके पश्चात् जब जायदाद उस मूलपुरुषके बेटोंके पास जायगी तब बेटोंके परपोते भी कोपार्सनर, सिर्फ उस जायदादमें होजायेंगे जो मौरूसी जायदाद मूलपुरुषके बेटोंके पास आई है, और उस जायदादमें बेटोंके परपोते भी अपना हक़ अपनी पैदाइशसे प्राप्त करेंगे। इस जगहपर स्मरण रखो कि बेटोंके परपोते मूलपुरुषके जीवनकालमें पैतृक जायदादमें कुछ हक़ नहीं रखते और न वह उससमय कोपार्सनर हैं।

(५) पोतेका अपने बापके स्थापन्न होना—अगर मूलपुरुषके मरनेसे पहिले उसके कई एक बेटोंमेंसे कोई बेटा मरगया हो तो मूलपुरुषके मरनेपर मरेहुए बेटेका लड़का (मूलपुरुषका पोता) अपने पिताके स्थानापन्न होकर मूलपुरुषके दूसरे बेटोंके साथ (चाचाओंके साथ) मौरूसी जायदादमें हिस्सा पावेगा। और ऊपर बताये हुए क़ायदेके अनुसार जब मृतपिताके स्थानापन्न होकर पोतेको मौरूसी जायदाद मिली हो तो अब उस पोतेके बेटे, पोते, और परपोते अपनी पैदाइशसे उस जायदादमें हक़ प्राप्त करलेते हैं और वह सब कोपार्सनर होजायेंगे।

(६) परपोतेका अपने दादाके स्थानापन्न होना—जब मूलपुरुषके मरनेसे पहिले उसके कई एक बेटोंमेंसे कोई बेटा मरगया हो और उस मरेहुए बेटेका लड़का (मूलपुरुषका पोता) भी मरगया हो तो मूलपुरुषके मरनेके पश्चात् मूलपुरुषका परपोता अपने मृतदादाके स्थानापन्न होकर मूलपुरुषके जीवित दूसरे बेटोंके साथ मौरूसी जायदादमें हिस्सा पावेगा। और ऊपरके क़ायदेके अनुसार जब मौरूसी जायदाद मूलपुरुषके परपोतेको मिली हो तो उस जायदादमें मूलपुरुषके परपोतेके बेटे, पोते, परपोते अपनी पैदाइशसे हक़ प्राप्त करलेंगे तथा वह कोपार्सनर होजायेंगे.

(७) परपोतेके बेटेको कब हक़ नहीं मिलेगा—जब मूलपुरुषके मरनेसे पहिले उसके कई एक बेटोंमेंसे कोई बेटा मरगया हो, और उस मरेहुए बेटेका लड़का तथा पोता (मूलपुरुषका पोता और परपोता) भी मरगया हो तो मूलपुरुषके मरनेके पश्चात् मूलपुरुषके मरेहुए बेटेका परपोता जायदादमें हिस्सा पानेका अधिकारी नहीं होगा और न वह कोपार्सनर बनसकता है। और जब मूलपुरुषके मृतबेटेके परपोतेको जायदाद नहीं मिली तो फिर उस जायदादमें उसके बेटे, पोते, परपोते भी अपना कोई हक़ नहीं रखते। अर्थात् उन्हे मौरूसी जायदादमें कुछ हक़ नहीं है, क्योंकि तीनपुश्ततकही स्थानापन्न होकर जायदाद पानेका क़ायदा है।

दफा ४०२. मिताक्षरालॉके अनुसार कोपार्सनर---मिताक्षरालॉके अनुसार हरएक हिन्दू अपनी पैदाइशसे या गोदलेनेसे संपूर्ण कोपार्सनरी जायदादमें अपना हक़ प्राप्त करलेता है। कोपार्सनरी जायदाद चाहे पैतृकहो या नहो, और चाहे उसके जन्म होने या दत्तक लेने के समयसे पहिले या पीछे मिलीहो तो भी हक़ प्राप्त कर लेता है।

यह वात स्मरण रखनेके योग्य है कि-बापको यदि किसी नालिश करनेका अधिकार कानूनन् प्राप्त है तो कोई भी ‘ कोपार्सनर ’ उस अधिकारको नहीं लेसकता। अर्थात् अगर कोई कोपार्सनर यह ख्याल करे कि उस अधिकार में वह शामिल है तो ग़लत है। देखो-उजागरसिंह बनाम पीतमसिंह 8 I. A. 190; 4 All. 120 मगर देवस्थानकी जायदादमें लड़केका हक़ माना गयाहै-देखो रामचन्द्र पाण्ड़े बनाम रामकृष्णभट्ट 33 Cal. 507.

लड़कोंका भाग कोपार्सनरी जायदादमें वापके भागके वरावर रहता है--देखो-सुंदरलाल वनाम चितारमल 29 All. 1 परंतु लड़के कभी अपने वापसे अलहदा क़ब्ज़ा जायदादपर नहीं रख सकते--देखो-वल्देवदास वनाम श्यामलाल 1 All. 77; बाबूवीर किशोरसिंह वनाम हरवल्लभ नरायनसिंह 7 W. R. C. R. 502.

दफा ४०३. अनौरसपुत्र---(१) द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,) जातिमें अनौरसपुत्र (जो पुत्र 'औरस' नहो औरस पुत्रके लिये देखो दफा ८२.) का हक़ कोपार्सनरी जायदादमें कुछ नहीं माना गया क्योंकि वह कोपार्सनर नहीं है--देखो-रोशनसिंह वनाम वलवंतसिंह (1899) 27 I. A. 51, 56; 22 All. 191, 197; 2 Bom. L. R. 529; रणमर्दनसिंह वनाम साहेव प्रल्हादसिंह 7 M. I. A. 18; 4 W. R. P. C. 132.

(२) शूद्रक़ौममें अनौरसपुत्रका हक़ माना गया है, और वह कोपार्सनर होता है। देखो—राही वनाम गोविंद वल्दतेजा 1 Bom. 97; साढू वनाम वैजा 4 Bom. 37; सरस्वती वनाम मन्नू 2 All. 134; हरगोविंद कुंवर वनाम धरमसिंह 6 All 329; कृष्णाऐय्यन वनाम मुदूसामी 7 Mad. 407; एन कृष्णाअम्मा वनाम एन पापा 4 Mad H. C. 234; और देखो 7 Mad. 407; 4 Mad. H. C. 234; 12 Mad. 72; 13 Mad. I. A. 141, 159; और भी देखना हो तो मनुस्मृति अध्याय ९ श्लोक १७९ देखो--

दास्यां वा दासदास्यां वा यः शूद्रस्य सुतो भवेत्
सोनुज्ञातो हरेदंशमिति धर्म्मोंव्यवस्थितः।

तथा याज्ञवल्क्य व्यवहाराध्याय श्लोक १३४.

जातोऽपिदास्यां शूद्रेण कामतोंशहरो भवेत्
मृते पितरिकुर्य्युस्तं भ्रातरस्त्वर्द्धभागिकम्।

शास्त्रोंमें वताया गया है कि शूद्रक़ौममें अगर दासी या दासीकी दासी से पुत्र पैदा हो तो पिताकी इच्छासे भाग पाता है। क़ानूनमें यह मान लिया गया कि शूद्रक़ौमका अनौरस पुत्र कोपार्सनर हो सकता है अगर कोई विशेष बात इसके खिलाफ न हो।

यह बात हमेशा याद रखना चाहिये कि अगर अनौरसपुत्रकी पैदाइश किसी ऐसे संबंधसे हुई है कि जो धार्मिक दृष्टिसे अनुचित है अथवा किसी ऐसी स्त्रीसे हुई है कि जिसका पति ज़िंदा हो और किसी दूसरे पुरुषके अयोग्य संबंधसे वह पैदा हुआ हो तो शूद्रक़ौममें भी लड़केका हक़ कोपार्सनरी जायदादमें नहीं माना जायगा और न वह कोपार्सनर होगा। देखो-वेंकटा चिल्लाचिट्टी वनाम परवाथाम 8 Mad. H. C. 134; दलीप वनाम गनपति 8 All. 387; दत्तीपरीसीनयादू वनाम दत्तीवेंगरू नयाडू 4 Mad. H. C. 204.

(३) शूद्रोंमें भी अनौरसपुत्रका हक़ पैदाइशसे नहीं माना गया--शूद्रोंमें जहांपर कि अनौरसपुत्र को हक़ माना गया है वहांपर उसकी पैदाइशसे नहीं माना गया इसी लिये अनौरसपुत्र बापसे कोपार्सनरी जायदादका बटवारा नहीं करा सकता और न बापके हक़ोंको रोक सकता है जो उसे कोपार्सनरी जायदादमें हैं। देखो-रामसरननराइन बनाम टेकचन्द्रनरायण (1900) 28 Cal. 194; अगर उसके बापने हक़ दिये हों तो होंगे।

(४) जब किसी आदमीके औरसपुत्र और अनौरसपुत्र दोनो क़िस्मके होवें तो बापको अधिकार है कि वह औरसपुत्रोंके बराबर तक अनौरसपुत्रको जायदादमें हक़ देसकता है ज्यादा नहीं। देखो—करूपान्नान चिट्टी बनाम बलोकमचट्टी 23 Mad 16.

(५) बापके मरनेके बाद अनौरसपुत्र सरवाइवरशिप (देखो दफा ५५८); के हक़के साथ कोपार्सनरी जायदादमें दूसरे लड़कोंके साथ हिस्सेदार होजाता है देखो—जोगेन्द्र भूपति हरीचन्द्र महापात्र बनाम नित्यानन्द मानसिंह (1890) 17 I. A. 128; 18 Cal. 151; 11 Cal 702; 4 Bom 37, 44, 45.

(६) अगर बाप अपनी ज़िंदगीमें लड़कों का हक़ नहीं देगया और मरगया है. तो बापके मरनेके पश्चात् अनौरस पुत्र, औरस पुत्रोंके मुक़ाबिले अदालतमें मुक़द्दमा दायर करके अपने हिस्सेका बटवारा करा सकता है। देखो-थंगम पिलाई बनाम सप्पा पिलाई 12 Mad 401; फकीर अप्पा बनाम फकीर अप्पा (1902) 4 Bom. L. R. 809.

(७) अगर बापने अपनी ज़िन्दगीमें लड़कों का हिस्सा तक़सीम नहीं किया तो बापके मरनेपर अनौरस पुत्रको औरस पुत्रसे आधा हिस्सा मिलेगा। देखो-पार्वती बनाम थिरुमलाई 10 Mad 334, 344; चिल्लामल बनाम रंगनाथम् पिलाई (1910) 34 Mad 277.

उदाहरण—ऐसामानोकि एक आदमी शूद्र क़ौम का मरा जिसने दो औरस पुत्र तथा एक अनौरसपुत्र और पांच हज़ारकी जायदाद छोड़ी बापके मरनेपर अब बटवारा इस तरह होगाकि दो, दो, हज़ारकी जायदाद तो हरएक औरस पुत्रको मिलेगी तथा एक हज़ारकी अनौरस पुत्रको। इसी तरहसे जब औरस पुत्र और अनौरस पुत्र दोनों अनेकहों तो जितना हिस्सा हरएक औरस पुत्रको मिलेगा उसका आधा हिस्सा हरएक अनौरस पुत्र पावेगा। अनौरस पुत्रका हक़ केवल शूद्र क़ौममें माना गया है द्विजों में नहीं।

(८) अनौरस पुत्रको जायदाद कब मिलेगी? शूद्र क़ौमके अनौरस पुत्रको उसवक्त कुल जाददाद के पाने का हक़ पैदा होगा जबकि उसका बाप अपने भाइयोंसे बिलकुल अलहदा होकर माराहो और उसके कोई औरस पुत्र नहो। देखो-25 Mad 519.

(९) ऐसा अनौरस पुत्र, जो उत्तराधिकार पाने या कोपार्सनर होनेका अधिकारी नहीं है वह रोटी कपड़ेके पाने का हक़ उस जायदादमें रखता है जिसका कि उसका बाप अपनी ज़िंदगीमें कोपार्सनर था-और यह हक़ उस पुत्रका उस जायदाद पर भी होगा जिसका कि बटवारा नहीं हो सकता देखो-रण मर्दन सिंह बनाम साहेब प्रल्हाद सिंह 7 Mad. I. A. 18; 4. W. R. P. C. 132; 12 Mad. I. A. 203; 2 Beng L.R. (P.C.) 15; 11 W. R. P. C. 6.

(१०) बापके भाई के साथ अनौरस पुत्रका कोई हक़ कोपार्सनरी जायदादमें नहीं है; यानी अगर कोई शूद्र क़ौमका आदमी अपना भाई और औरस पुत्र तथा अनौरस पुत्रको छोड़कर मर जावे तो उस सूरतमें अनौरस पुत्रका कोई हक़ कोपार्सनरी जायदादमें नहीं होगा क्योंकि अनौरस पुत्रका कोई हक़ बापके स्थानापन्न होकर नहीं प्राप्त होता। देखो-रानोजी बनाम कांड़ोजी 8 Mad 557; 10 Mad 334; 27 Mad 32. और देखो दफा ७२२-२.

दफा ४०४. मिताक्षरालॉ में औरत कोपार्सनर नहीं होती——मिताक्षरालॉ के अनुसार औरत कोपार्सनर कभी नहीं हो सकती सिर्फ मर्द होता है। देखो-पुन्नावीवी वनाम राधा किशुनदास (1903) 31 Cal. 476. लेकिन यह क़ायदा क़ानून मियादके ख़िलाफ़ नहीं माना जायगा यानी अगर किसी सववसे औरतके क़ब्ज़ेमें कोई कोपार्सनरी जायदाद चली गयी हो और उस जायदादपर उस औरतका क़ब्ज़ा इतने दिनोंतक वना रहाहो कि क़ानून मियादके अनुसार वह अव वेदख़ल नहीं की जासकती हो तो ऐसी सूरतमें वह औरत अपनी ज़िंदगीभर तक कोपार्सनरी जायदादमें क़ब्ज़ा रखेगी। देखो-श्याम कुंवर वनाम दाह कुंवर (1902) 29 I.A.132; 29 Cal 664; 6C.W.N. 657; 4 Bom.L.R. 547.

दफा ४०५. कोपार्सनर होनेके अयोग्य पुरुष—जिन आदमियोंका हक़ उत्तराधिकारमें (देखो प्रकरण ९) उनकी अयोग्यताके सववसे नहीं माना गया वह आदमी कोपार्सनर नहीं माने गये उनका हक़ सिर्फ रोटी कपड़ेका होता है देखो-रामसहाय मुकट वनाम लालजी सहाय लाला 8 Cal 149 ; 9 C. L. R. 457 ; रामसुंदर राय वनाम रामसहाय भगत 8 Cal 919 यहीवात व्यवहार मयूख तथा दायभाग मेंभी मानी गयी है।

इस विषयमें वंगाल हाईकोर्टमें यह माना गयाहै कि जब किसी पुरुषको शारीकअयोग्यता जन्मसे नहो वल्कि वीचमें पैदा होगयी हो तो भी उसे कोपार्सनरी जायदादमें हक़ नहीं मिलेगा क्योंकि वह कोपार्सनर नहीं हो सकता । देखो-रामसहाय मुकट वनाम लालजी सहाय 8 Cal 149 ; 9 C. L. R. 457; रामसुंदर राय वनाम रामसहाय भगत 8 Cal 919.

वंगाल हाईकोर्टकी रायके ख़िलाफ इलाहावाद हाईकोर्टने यहमाना है कि-जव किसी पुरुषको कोपार्सनरी जायदादमें जन्मसे हक़ एक दफा पैदा हो जाए और उसके वाद उसे शारीरिक अयोग्यता आगयी तो अव उस अयोग्यताको वीचमें आजानेसे उसकाहक़ नहीं मारा जायगा। देखो-त्रिवेणी सहाय वनाम मोहम्मद उमर (1905) 28 All. 247.

जब किसी आदमीको अपनी अयोग्यताके सबवसे जायदादमें हक़ नहीं मिला हो तो, जब उसकी अयोग्यता चली जायगी तब वह अपने हक़ के पानेका दावा करसकता है। देखो मिस्टर मेनसाहेबका हिन्दूलॉ पेज ६५५; और भट्टाचार्य्यका ज्वाइन्ट फेमिली लॉ ३९६, ३९७; ४११, ४१४; इसतरहसे हक़ मिलनेके बाद अगर अयोग्यता आगयी हो तो फिर वह हक़ नहीं चला जायगा।

जब किसी आदमीको अयोग्यताके सबबसे उत्तराधिकार और कोपार्सनरी जायदादमें हक़ नहीं मिल सकता तो इस बातकी मनाही नहीं है कि उस अयोग्य आदमीके नाम किसी जायदाद का बख़शीश पत्र आदि न किया जाय अर्थात् किया जासकता है। देखो-गंगासहाय बनाम हीरासिंह 2 All. 809 ; कोर्ट आफ़ वार्ड्स बनाम कुवलसिंह 10 B. L. R. 364; 19 W. R. C. R. 164.

दफा ४०६. अयोग्यताके साबित करनेका भार किसपर होगा——जब किसी मुक़द्दमेंमें किसी आदमीकी शारीरिक अयोग्यता बयान की गयी हो तो उस अयोग्यता के साबित करनेका भार उस पक्षपर निर्भर है जिसने उसे बयान किया हो। देखो—हेलनदासी बनाम दुर्गादास 1 C. L. J. 323 ; फटीकचन्द्रचटरजी बनाम जगतमोहिनी देवी 22 W. R. C. R. 348 ; चन्द्रमनी देवी बनाम क्रिष्टोचन्द्र मजूमदार 18 W. R. C. R. 375 ; ईश्वरचन्द्रसेन बनाम रानीदासी 2 W. R. C. R. 125 ; नलिनचन्द्रगुहो बनाम भगोला सुंदरी दासी 21 W. R. C. R. 249 ; 21 I. A. 94 ; 22 Cal. 843.

दफा ४०७. मराहुआ माना जायगा——जिस किसी आदमीका हक़ कोपार्सनरी जायदादमें नहीं है और वह कोपार्सनर नहीं होसकता, तो इसका मतलव यह लगाया गया है कि मानो वह आदमी मरगया । देखो—वापूजी लक्ष्मण बनाम पाण्डुरंग 6 Bom. 616 ; वीरमित्रोदय, ८-६.

दफा ४०८. लड़केको हक़ कब नहीं मिलेगा—जब किसी आदमीको शारीरिक अयोग्यताके सबबसे कोपासनरी जायदादमें हक़ नहीं मिलाहो और ऐसी दशामें जायदादका वटवारा हो जाय तो वटवारा होनेके बाद अगर उसके लड़का पैदा होगया तो उस लड़केको भी कोई हक़ नहीं मिलेगा यानी वह लड़का फिर जायदादमें अपना हक़ कुछ भी नहीं रखता देखो--वापूजी लक्ष्मण वनाम पांडुरंग (1882) 6 Bom. 616 ; और अगर वटवारा होनेके पहिले उस अयोग्य आदमीके लड़का पैदा हुआ हो और वह लड़का योग्य पैदा हुआ हो तो उसे कोपार्सनरी जायदादमें हक़ मिलेगा । देखो—कृष्णा बनाम सामी (1885) 9 Mad. 64 ; और देखो मेन हिन्दूलॉकी दफा 600.

कोपार्सनरी जायदादका कोई हिस्सा रोटी कपड़ेके वदलेमें नहीं दिया जासकता, उसे जिसे रोटी कपड़ेके मिलनेका हक़ कोपार्सनरी जायदादमें है ।

दफा ४०९. अपना हिस्सा छोड़ देना——वंबई और मदरास प्रांत में जहांपर कि मिताक्षरा पावंद किया गया हैं हरएक कोपार्सनर, कोपार्सनरी जायदाद का अपना हिस्सा विला मंजूरी दूसरे शरीक कोपार्सनरोंके किसी भी कोपार्सनर को देसकता है और वख़शीस कर सकता है । देखो-पेदैय्या बनाम रामलिंगन् 11 Mad 406 ; मगर कलकत्ता और संयुक्त प्रांत में ऐसा नहीं होसकता अर्थात् वहांपर विलामंजूरी दूसरे शरीक कोपार्सनरोंके अपना हिस्सा नहीं देसकता और न वख़शीस करसकता हैं । देखो--चन्द्रकिशोर वनाम दंपती किशोर 16 All. 369 ; एक पुरानी नज़ीर देखो—दालचन्द वनाम सुंदर 2 Agra 173.

अगर किसी कोपार्सनर ने अपना हिस्सा किसी दूसरे कोपार्सनर को देदिया हो तो वह सिर्फ अपनाही हिस्सा देसक़ता है मगर अपने वेटे पोते, परपोते का हिस्सा नहीं दे सकता । देखो—शिवाजीराव माधोराव वनाम वसंतराव माधोराव 33 Bom. 267 ; 10 Bom. L. R. 778.

नोट——वंबई और मदरास प्रांत में मुश्तरका ख़ानदानके मेम्बर को यह अधिकार माना गया है कि वह अपना हिस्सा दूसरे को दे सकता है यहांपर दूसरेसे मतलव मुश्तरका ख़ानदानके दूसरे मेम्बरसे है । यह वात वंगाल और इलाहावाद हाईकोर्टने नहीं मानी—

दफा ४१०. कोपार्सनरके अधिकार——कोपार्सनरके अधिकार इस किताबकी दफा ४०१ में सामान्यरीतिसे बताये गये हैं यहांपर उन्हीको विस्तारसे देखिये ।

(१) कोपार्सनरका पहला हक़—कोपार्सनरी जायदादके मेम्बरके हक़को रक्षित रखते हुए मुश्तरका जायदादपर क़ब्ज़ा रखना और उससे लाभ उठाना ; देखो हलधरसेन बनाम गुरुदासराय 20 W. R. C. R. 126 ; सुरेन्द्र नरायनसिंह बनाम हरीमोहन मिसर 33 Cal 1201 ; स्टालकारट बनाम गोपालपाण्डे 12 B. L. R. 197 ; 20 W. R. C. R. 58 ; नन्दनलाल वनाम लोयड़ 22 W. R. C. R. 74 .

वंगालस्कूल—जव कोई कोपार्सनर सिर्फ अपने हक़के पानेका दावा क़ानूनन नहीं करसकता, मगर वह शामिलशरीक रहनेके लिये दावा करसकता है (ऊपरकी नज़ीरें देखो)

यह बात केवल बंगालस्कूलमें होती है यानी बंगालस्कूलमें बापकी ज़िंदगीमें लड़कोंका हक़ कोपार्सनरी जायदादमें नहीं है इसलिये लड़के बापसे अपना हिस्सा तो नहीं ले सकते मगर वह शामिलशरीक रहनेके लिये दावा करसकते हैं मगर शर्त यह है कि यह दावा क़ानून मियादके बाहर न हो।

अगर कोई कोपार्सनर, कोपार्सनरी जायदादमें कुछ ऐसा फेरबदल करता हो, या उसमें कोई ऐसी इमारत बनाता हो, या उसमें कोई ऐसा काम कराता हो, कि जिससे कोपार्सनरी जायदादका नुक़सान होता हो, या होसकता हो, तो किसी कोपार्सनरकी प्रार्थनापर कोर्ट उस फेरबदल, या इमारत, या कामको बंद करदेने और असली हालतमें करदेनेका हुक्म दे सकती है। देखो--शशिभूषणघोष बनाम गनेशचन्द्रघोष 20 Cal 500; जानकीसिंह बनाम बखोरीसिंह Ben. S. D. A. 1856, P. 761; शादी बनाम अनूपसिंह (1889) 12 All. 436; परसराम बनाम सरजित 9 All 661.

जब अनेक आदमी कोपार्सनरी जायदादके हक़दार हों तो वह सब आपसमें उस जायदादको अपनी सहूलियतकी ग़रज़से अपना अपना हिस्सा अलहदा करके लाभ उठा सकते हैं मगर ऐसा करनेसे उस जायदादका बटवारा नहीं माना जायगा। देखो--ट्रिवेलियन हिन्दूलॉ पेज २२५ और जहांपर कि सब कोपार्सनरोंकी इजाज़तसे और मरज़ीसे किसी कोपार्सनरको मुश्तरका जायदादका कोई हिस्सा मिला हो और उसने उसे उन्नति किया हो तो वे बेदख़ल नहीं करसकते। देखो—कलक्टर आफ चौवीस परगना बनाम देवनाथराय चौधरी 21 W. R. C. R. 222; जोतीराय बनाम भिचक मिया 20 W. R. C. P. 288.

यदि कोपार्सनरी जायदादके अनेक हिस्सेदारोंने जब सिर्फ अपनी सहूलियतके लिये अपना अपना हिस्सा अलहदा करलिया हो तो हरएक हिस्सेदारकी जितनी आमदनी उस जायदादसे होगी वह सब मुश्तरका मानी जायगी अर्थात् कोई हिस्सेदार यह नहीं कहसकता कि, उसकी जायदादके हिस्सेकी वह आमदनी है इसलिये उसकी अलहदाकी, होगंयी; देखो—मुसम्मात बोनाकुंवर बनाम बोलेसिंह 8 W. R. C. R. 182.

मिताक्षरालॉ के अनुसार कोई कोपार्सनर मुश्तरका जायदादसे सिर्फ अपने हिस्सेके पानेका अदालतमें दावा नहीं करसकता, मगर वह जायदादके बटवारा करापानेका दावा कर सकता है इससे यह मतलब है कि वह बटवारा करापानेका दावा करे और पीछे अपना हिस्सा जायदादमेंसे अलहदा करलेवे; देखो-त्र्यंबक दीक्षित बनाम नरायन दीक्षित 11 Bom. H. C. 69; रतन मनीदत्त बनाम वृजमोहनदत्त 22 W. R. C. R. 333; गोविन्दचन्द्र घोष बनाम रामकुमार देव 24 W. R. C. R. 393.

जब कोई दूसरा आदमी कोपार्सनर नहीं है मुश्तरका जायदादके किसी हिस्सेको अपने क़ब्ज़ेंमे लेकर उसका उपभोग करने लगे या उससे लाभ उठानें लगे तो ऐसी सूरतमें कोई भी कोपार्सनर अदालतमें नालिश करके उसे निकाल सकता है यानी यह ज़रूरी नहीं हैं कि सब कोपार्सनरोंको मिलकर दावा करना चाहिये। देखो-राधाप्रसाद बस्ती बनाम ईसुफ 7 Cal 414; 9 Cal. L. R. 76; दर्शनसिंह बनाम दिग्विजयसिंह 9 C. L. J. 623.

मियाद दावा करनेकी—अगर कोई आदमी मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादसे बेदख़ल होगया हो या उसका हक़ चलागया होतो वह आदमी बारह वर्षके अंदर अपने हक़के पानेका और जायदादमें क़ब्ज़ा पानेका दावा करसकता है; देखो-क़ानून मियाद एक्ट नं. ९ सन १९०८ की दफा १२७ अगर किसी मुक़द्दमें यह कहाजाता होकि अमुक आदमी एक समयमें मुश्तरका ख़ानदानका मेम्बर था मगर अब नहीं है तो इस बातका सुबूत देना उसी पक्षकारपर निर्भर है

जिसकी तरफ़से यह बयान कियागया हो कि वह अब मुश्तरका ख़ानदानका मेम्बर नहीं है। देखो-इस किताबकी दफा २९७ तथा-22 Bom 259 ; 18 Bom 197 ; 11 Bom 365;

क़ब्ज़ामुख़ालिफ़ाना (Adverse possession)—मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादका अगर कोई हिस्सा किसी हिस्सेदारके पास अलहदा क़ब्ज़ेमें बारहवर्षसे ज्यादा रहा हो, और दूसरे हिस्सेदार कहते हों कि वह हिस्सा जो उसके पास अलहदा था सहूलियत आदिकी ग़रज़से अलहदा कर दिया गया था और असलमें वह शामिल शरीक ख़ानदानकी जायदाद है । ऐसी सूरतमें वह आदमी जिसके क़ब्ज़ेमें बारह वर्षसे ज्यादा वह जायदाद रही हो यह कहसकता है कि ' क़ब्ज़ामुख़ालिफ़ाना , हो गया । और इस वजेहसे उस आदमीसे जायदाद पीछा नहीं लीजासकेगी । वेनीसिंह बनाम भरतसिंह 1 Agra 162; रंजीतसिंह बनाम मदद अली (1868) 3 Agra 222 ; भानागोविंद गुरावी बनाम विठोजी लाड़ोजी गुरावी 3 Bom. H. C. A. C. 170. मगर शर्त यह है कि किसी दूसरे हिस्सेदार ने किसी वक्त यह ज़ाहिर किया हो कि वह जायदाद जो अलहदा एक हिस्सेदार के क़ब्ज़ेमें थी मुश्तरका है, और जिसके क़ब्ज़ेमें थी उसने इस बातसे इनकार किया हो तो बारह वर्षकी मियाद उस तारीख़से शुरू होगी कि जिस तारीख़को इनकार किया गया हो कि जायदाद मुश्तरका नहीं है ; देखो—जोगेन्द्रोनाथ बनाम बल्देवदास (1907) 35 Cal. 961 ; वैद्यनाथ ऐय्यर बनाम ऐय्यासामी ऐय्यर (1908) 32 Mad. 191 ; शर्फुन्निशाबीबी चौधरानी बनाम कैलाशचन्द्र गंगोपाध्याय 25 W. R. C. R. 53 ; रखलदासबंदोपाध्याय बनाम इन्द्रमनीदेवी (1877) 1 Cal. L. R. 155.

(२) कोपार्सनर का दूसरा हक़ मुश्तरका जायदादमें यह है कि वह अपना और अपने बच्चोंका तथा उन आदमियों और औरतोंका खाना पीना जो उसके ऊपर निर्भर है, मुश्तरका ख़ानदान की जायदादमेंसे ले सकता है । देखो-ऐय्यावू मुपानार बनाम नीला दखी अमल. 1 Mad. H.C. 45; 12. Bom H.C. 96. एवं लड़कोंके शिक्षण का ख़र्च और लड़कियों की शादीका ख़र्च भी लेसकता है देखो—वैकुंटम् अम्भानगर बनाम-काला पिरान ऐय्यनगर (1900) 23 Mad. 512 और उचित तथा आवश्यक धार्मिक कृत्योंके ख़र्चके लिये भी लेसकता है । देखो--भट्टाचार्य्यके ज्वाइन्ट फैमिली लॉ पेज 277. सब क़िस्मके ख़र्च ख़ानदान और जायदादकी स्थिति तथा हैसियतके अनुसार योग्य समझे जायेंगे ।

(३) कोपार्सनरका तीसरा हक़ मुश्तका जायदादमें यह है कि—वह अपने मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादके मेनेजर (प्रबंधक) से सब क़िस्मके हिसाबात और हालतें पूंछ सकता है, और जायदाद के बेंचने या रेहन करने आदि बड़ी बड़ी बातोंमें अपना मत दे सकता है ।

(४) कोपार्सनरका चौथा हक़ मुश्तरका जायदादमें यह है कि–अगर किसी कोपार्सनरने ऐसा कोई काम किया हो जो उसके अधिकारसे बाहर है तो उस कामके बारेमें आपत्ति (रोकटोक) करनेके लिये, तथा उस कामका करना अयोग्य है इस बातके क़रार दिये जानेके लिये अदालतमें मुक़द्दमा दायर कर सकता है । देखो—सूर्य्यवंशी कुंवर बनाम शिवप्रसादसिंह 6 I. A. 88, 101 ; 5 Cal 148, 165 ; 4 Cal L. R. 226 ; अनन्त रामराव बनाम गोपाल बलवंत (1894) 19 Bom. 269 ; गनपति बनाम अन्नाजी (1898) 23 Bom. 144 ; रामचन्द्र काशी पाटंकर बनाम दामोदर त्र्यंबक पाटंकर--20 Bom. 467 ; 13 W. R. C. R. 322, 323.

(५) कोपार्सनरका पांचवां हक़ मुश्तरका जायदादमें यह है कि--हरएक कोपार्सनर अपनी इच्छा के अनुसार मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादका बटवारा करा सकता है । मगर जहांपर मिताक्षरा लॉ माना जाता है वहांपर बापके जीतेजी पौत्र (पोता) पितामह (दादा)

से वटवारा नहीं करा सकता, इसी तरहपर जब बाप अथवा पितामह दोनों या दोनोंमेंसे कोई एक भी ज़िंदा हो तो प्रपौत्र अपने प्रपितामह से वटवारा नहीं करा सकता—अर्थात् इसे यों कहिये कि पोता अपने दादासे जब कि उसका बाप ज़िंदा हो, या परपोता अपने परदादासे जब कि उसका बाप या दादा कोई ज़िंदा हो तो कोई भी बालिग़ कोपार्सनर वटवारा नहीं करा सकता–अर्थात् बापके मरनेपर पोता अपने दादासे और बाप और दादा दोनोंके मरनेपर परपोता अपने परदादासे वटवारा करा सकता है।

उदाहरण—ऐसा मानो कि अ, मुश्तरका खानदानका मूलपुरुष है। अ, का लड़का क, है और ख, पोता है तथा ग, परपोता है। सब ज़िंदा हैं, ऐसी सूरतमें ख, वटवारा करा लेना चाहता है अ, से। तो वह नहीं करा सकता क्योंकि ख, का बाप क, जबतक जीता रहेगा वटवाराका हक़ कभी ख, को नहीं प्राप्त होगा। अब ऐसा मानो कि ग, वटवाराका करा लेना चाहता है अपने परदादा अ, से। वह नहीं करा सकता क्योंकि ग, का बाप और दादा ज़िंदा हैं जब दोनों मरजायें तब ग, को वटवारा करापानेका हक़ परदादा से होगा बीचमें नहीं होगा।

अ
|
क
|
ख
|
ग

दफा ४११. कोपार्सनरका मरना——जब कोई कोपार्सनर मरजाय तो बाक़ी ज़िंदा कोपार्सनरही उस जायदादके मालिक होते हैं। क्योंकि सरवाइवर शिप (देखो दफा ५५८). के हक़ के साथ कोपार्सनर अपना हक़ रखते हैं। एक कोपार्सनर के मरनेपर उसकी चौथी पुश्त कोपार्सनर बनजाती है जैसा कि कोपार्सनरीमें बताया गया है. देखो—राजनरायनसिंह बनाम हीरालाल 5 Cal 142; पार्वती कुमारी देवी-श्रीमतीरानी बनाम जगदीशचन्द्रचौवल (1902) 29 I. A. 82; 29 Cal. 433; 6 C.W.N.490; 4 Bom.L.R. 365; सातोकुंवर बनाम गोपाल साहू (1907) 34 Cal 929; 5 Mad. 362.

अगर सब कोपार्सनर मरगयें हों और अब कोई भी कोपार्सनर बाक़ी नरहो तो फिर मुश्तरका ख़ानदानकी जायदाद उत्तराधिकारके अनुसार उस आदमीके वारिसको पहुंचती है जो कोपार्सनरोंमें सबसे अख़ीरमें मराहो।

दफा ४१२. कोपार्सनरके मरनेसे मुश्तरका व्यापार नष्ट नहीं होता——— जब मुश्तरका ख़ानदानका कोई व्यापार चलरहा होतो किसी एक कोपार्सनरके मर जानेसे वह व्यापार बंद नहीं हो सकता जिस तरहसे कि किसी व्यापारकी साधारण भागीदारी, एक भागीदारके मरनेसे नष्ट हो जाती है; देखो 14 Bom 189, 5 Bom 38. मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादमें कोई कोपार्सनर अपना हिस्सा निश्चित नहीं कर सकता जबतक कि वटवारा नहो जावे। क्योंकि हर एक कोपार्सनर का हिस्सा कमती और ज़्यादा हो जाना संभव है कमती इस वजेहसे हो सकता है कि जब उसके लड़का पैदा हो जाय, और ज़्यादा इस वजेहसे हो सकता है कि जब उसके कोपार्सनरोंमेंसे कोई मर जाय। इसी तरहके संबंधोंसे कमती और ज़्यादा हिस्सा हो जाया करता है इसी लिये कोई कोपार्सनर मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादके मुनाफे या भाड़े आदिमें यह कभी नहीं कह सकता कि 'मेरा हिस्सा देदो' क्योंकि वह मुश्तरका खानदान की जायदाद है, और उसका हिस्सा वटा हुआ नहीं है; देखो— अप्पूवियर बनाम रामा सुब्बा ऐय्यन 11 M. I. A. 75,

मुश्तरका जायदाद—कोपार्सनरी प्रापर्टी ।

(Coparcenary property)

दफा ४१३. अप्रतिवंध और सप्रतिवंध वरासत——

मिताक्षरा—तत्र दाय शब्देन यद्धनं स्वामिसम्बन्धादेवनिमित्ता दन्यस्य स्वंभवति तदुच्यते—सच द्विविधः । अप्रतिवन्धः सप्रतिवन्धश्च । तत्र पुत्राणां-पौत्राणां च पुत्रत्वेन पौत्रत्वेन च पितृधनं पितामहधनं च स्वं भवतीत्य प्रतिवन्धो दायः । पितृव्य भ्रात्रादीनां तु पुत्राभावे स्वाम्याऽभावे च स्वं भवतीति पुत्रसद्भावः स्वामिसद्भावश्च प्रतिवन्धस्तदभावे पितृव्यत्वेन भ्रातृत्वेन च स्वं भवतीति स प्रतिवन्धो दायः एवं तत्पुत्रादिष्वप्यूहनीयः । दायविभागप्रकरणे ८ ।

भावार्थ—' दाय ' शब्दसे वहधन कहलाता है जो स्वामीके संबंधसे दूसरे आदमी का धन हो जाय । वह दाय दो प्रकार का है ' अप्रतिवंध ' और ' सप्रतिवन्ध ' । पुत्र और पौत्रों का पुत्ररूप और पौत्ररूपसे पिता और पितामहके धनमें जो अधिकार है वह अप्रतिवन्धदाय कहलता है । चाचा और भाई आदिकोंका पुत्र और स्वामीके अभाव मेंही जिस जायदादमें अधिकार हो सकता है वह 'सप्रतिवन्ध दाय' है क्योंकि पितृव्यरूपसे और भ्राता रूपसे जिस जायदादमें स्वत्वहो वह सप्रतिवन्ध कहलाता है । इसी प्रकार उनके पुत्र आदिमेंभी समझना । मिताक्षरामें दो तरहकी जायदाद मानी गयी है एक ' अप्रतिबंध ' और दूसरी ' सप्रतिवन्ध ' । जिस जायदादमें आदमी अपनी पैदाइशसे हक़ प्राप्त करता है वह जायदाद ' अप्रतिबन्ध ' कहलाती है । क्योंकि जायदादका मालिक उस हक़में कोई बंधन नहीं डाल सकता (बंधन का अर्थ रुकावट समझना) इसलिये बाप, दादा और पर दादासे पायी हुई जायदाद अपने बेटे, पोते, और परपोतोंके लिये अप्रतिबंध वरासत होगी, क्योंकि बेटे, पोते, परपोते अपनी पैदाइशसे उस जायदादमें हक़ प्राप्त कर लेते हैं, तथा वह पैदा होतेही अपने बाप, दादा, पर दादाके साथ कोपार्सनर हो जाते हैं ।

वह जायदाद जिसमें पैदाइशसे हक़ नहीं प्राप्त होता लेकिन आख़िरी मालिक के मरने-पर प्राप्त होता है वह ' सप्रतिवन्ध , वरासत है । क्योंकि मालिक के जीतेजी वह हक़ नहीं प्राप्त कर सकते इसलिये जो जायदाद बाप, भाई, भतीजे और चाचाओं आदिको आख़िरी मालिकके मरनेके बाद मिलती है वह जायदाद सप्रतिवन्ध कह लाती है । यह रिश्तेदार अपनी पैदाइशसे ही जायदादमें हक़ प्राप्त नहीं कर लेते किन्तु उनका हक़ मालिक आख़िरी के मरनेके बाद पैदा होता है, और जबतक वह नहीं मरता तबतक उन्हे उत्तराधिकारका एक सिर्फ मौक़ा रहता है क्योंकि अगर वह उस समय, उस मालिकके मरनेके समय तक ज़िंदा रहेंगे तो मौक़ा मिलेगा ।

दफा ४१४. अप्रतिबन्ध जायदादमें सरवाइवरशिप होता है——अप्रतिबन्ध जायदाद हमेशा सरवाइवरशिप (देखो दफा '५५८); के हक़के साथ जाती है । और सप्रतिवंध

जायदाद उत्तराधिकारके साथ जाती है लेकिन चार तरहके वारिसोंको सप्रतिवन्ध जायदाद भी सरवाइवरशिपके हक़के साथ जाती है। वह चार वारिस यह हैं—

(१) विधवायें.

(२) लड़कियां (वंवईको छोड़कर).

(३) लड़कीके लड़के जब वह मुश्तरका रहते हों.

(४) लड़के, पोते, परपोते.

अंगरेज़ी भाषामें 'अप्रतिवन्धदाय' को अन् आवस्ट्रक्टेड् हेरीटेज (Unobstructed heritage) कहते हैं और 'सप्रतिवन्धदाय' को आवस्ट्रक्टेड् हेरीटेज (Obstructed heritage) कहते हैं।

नोट—ध्यान रखो कि वेटे, पोते, परपोतेही मौरूसी जायदादमें अपनी पैदाइशसे हक़ प्राप्त करलेते हैं, जिस जायदादमें वे हक़ प्राप्त करते हैं वह मौरूसी जायदाद होती है अर्थात् वह जायदाद जो उनके बाप, दादा, परदादाने अपने वाप, दादा, परदादासे पायी हो। मगर लड़के, पोते, परपोते अपने वाप, दादा, परदादाकी खुद कमाई हुई जायदादमें कोई हक़ अपनी पैदाइशसे प्राप्त नहीं करते। यह भी ध्यान रखो कि वेटे, पोते परपोते, कोपार्सनरी जायदादमें अपना हक़ अपनी पैदाइशसे प्राप्त करलेते हैं न कि सिर्फ मौरूसी जायदादमेंही, क्योंकि मौरूसी जायदाद भी एक तरहकी कोपार्सनरी जायदाद है, कोपार्सनरी जायदादमें मौरूसी और मौरूसीके अलावा दूसरे क़िस्मकी भी जायदादें शामिल होती हैं।

अ
|
क
|
ख
|
ग

उदाहरण—(१) ऐसा मानो कि अ, ने अपने वापसे जायदाद पायी, और अ, के एक लड़का क, है। ऐसी जायदाद क, के लिये अप्रतिवन्ध, है यानी क, अपने वाप अ, के साथ कोपार्सनर होजाता है और उसके मरनेपर वह, जायदादको कोपार्सनर होनेकी वजेहसे सरवाइवरशिपके हक़के साथ लेता है। अगर अ, ने अपने दादा या परदादासे भी जायदाद पायी होती तो भी यही शकल होती, मगर परदादाके बापसे यदि पायी होती तो यह शकल नहीं होती क्यों कि वह जायदाद उत्तराधिकारके अनुसार आती।

(२) ऐसा मानो कि अगर अ, की ज़िंदगीमें क, मरगया और ख, तथा ग, ज़िंदा हैं तो भी वह जायदाद 'अप्रतिवन्ध' रहेगी।

(३) ऐसा मानो कि—अगर अ, ने अपने भाईसे जायदाद पायी है और उसके एक लड़का क, है तो अ, के पास यह जायदाद 'सप्रतिवन्ध' रूपसे है क्योंकि क, का कोई हक़ उस जायदादमें अ, की ज़िंदगीमें नहीं है। अ, के मरनेके वाद, क, उस जायदादको उत्तराधिकारके अनुसार लेगा।

दफा ४१५. बंगालस्कूलमें 'अप्रतिबन्ध' जायदाद नहीं होती——बंगालप्रांतमें जहांपर दायभाग माना जाता है वहांपर 'अप्रतिवन्ध' जायदाद नहीं मानी जाती, सिर्फ मिताक्षरास्कूलके ही अंदर इस क़िस्मकी जायदाद मानी गयी है। दायभागमें सव जायदाद 'सप्रतिवन्ध' होती है क्योंकि इस स्कूलके सिद्धांतके अनुसार कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमीकी किसी जायदादमें अपनी पैदाइशसे हक़ नहीं प्राप्त करसकता यानी लड़का, पोता, परपोता आदि अपनी पैदाइशसे मौरूसी जायदादमें हक़ नहीं प्राप्त करसकते। इसका कारण यह है कि दायभागमें सरवाइवरशिपका सिद्धांत नहीं माना गया, उसमें उत्तराधिकारका हक़ माना जाता है, और यह हक़ आख़िरी मालिकके मरनेही पर प्राप्त होसकता है। ऐसा सिद्धांत

होनेपर भी प्रिवीकौन्सिलने दायभागके अंदर जब दो या दोसे ज़्यादा विधवायें या लड़कियां हों और उन्हे कोई जायदाद मुश्तरकन् मिली हो तो वहांपर सरवाइवरशिपका हक़ लगाया है।

दफ़ा ४१६. मुश्तरका जायदाद दो तरहकी होती है——(१) हिन्दूलॉके अनुसार जायदाद दो हिस्सोंमें तक़सीम की जासकती है एक 'मुश्तरका ख़ानदानकी जायदाद' और दूसरी 'अलहदा कमाई हुई जायदाद' मुश्तरका ख़ानदानकी जायदाद के भी दो हिस्से होसकते हैं एक मौरूसी जायदाद (पैतृकसंपत्ति) दूसरी कोपार्सनरोंकी अलहदा जायदाद जो मुश्तरका ख़ानदानकी जायदाद में शामिल होजाती है। इस तरहसे मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादमें दो क़िस्मकी जायदाद शामिल हैं मौरूसी और मुश्तरका ख़ानदानमें रहने वाले कोपार्सनरोंकी दूसरी जायदाद जिसका ज़िकर दफ़ा ४१८ से ४२३ में किया गया है मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादमें नहीं शामिल होगी।

(२) वह सब जायदाद जिसमें मुश्तरका ख़ानदानके सब लोग मुश्तरकन लाभ रखते हों, और मुश्तरकन् क़ब्ज़ा रखते हों, मुश्तरका जायदाद है अंगरेज़ीमें इसे 'कोपार्सनरी प्रापरटी' कहते हैं। मुश्तरका जायदाद में बटवारा करा लेनेका अधिकार सब कोपार्सनरों को प्राप्त रहता है। देखो—कटामानाचियर बनाम शिवगंग 9 M. I. A. 543; 615; 2 W. R. P. C. 1; वेंकायामा गारू राजा चिल्लीकानी बनाम वेंकटरामानयम्मा (1902) 29 I. A. 156, 164; 25 Mad. 678; 4 Bom. L. R. 657; कृष्णदास धर्मसी बनाम गंगाबाई (1908) 32 Bom 479; 10 Bom. L. R. 184; और देखो श्यामनरायन बनाम कोर्ट आफ़ वार्ड्स (1873) 20 W. R. C. R. 197.

दफ़ा ४१७. मुश्तरका जायदाद कौन कौन होती है——(१) कोपार्सनरी जायदाद मुश्तरका होती है-हिन्दूलॉमें सिवाय कोपार्सनरी जायदाद के दूसरी क़िस्मकी मुश्तरका जायदाद नहीं होती। इंगलैन्ड़में अनेक और भिन्न भिन्न ख़ानदानके लोग मिलकर मुश्तरका जायदाद बना लेते हैं, मगर हिन्दुस्थानमें वह मुश्तरका नहीं होती। जो मुश्तरका जायदाद हिन्दुस्थानमें होती है वह हमेशा कोपार्सनरीके हक़दारोंमें ही होती है, किसी मर्द या औरतके बनानेसे मुश्तरका जायदाद नहीं बनती। गोपी बनाम जलधर (1910) 33 All. 41

(२) बटवाराके बाद ख़रीदी जायदाद—अगर कोई जायदाद परिवारके अनेक आदमियोंके नामसे ख़रीदकी गयी हो तो वह जायदाद मुश्तरका ख़ानदानकी होजायगी। इसका मतलब यह है कि कोई ख़ानदान पहिले शामिलशरीक रहा हो और पीछे बटवारा होकर सब लोग अलहदा होगये हों उसके पश्चात् अगर कोई जायदाद सबके नामसे या कुछ आदमियोंके नामसे (जो अलहदा होगये थे) ख़रीद करलीगयी हो तो वह जायदाद जितने आदमियोंके नामसे ख़रीदकी गयी है उनके लिये मुश्तरका ख़ानदानकी जायदाद होजाती है और उस जायदादमें हरएक आदमीकी औलाद अपनी पैदाइशसे उसमें हक़ प्राप्त करलेती है जैसा कि कोपार्सनरी जायदादमें बतायागया है देखो—राधाबाई बनाम नानाराव 3 Bom. 151; ट्रान्सफर आफ प्रापरटी एक्ट नं० ४ सन १८८२ की दफ़ा ४५.

(३) मुश्तरका व्यापार या मेहनतकी जायदाद-जो जायदाद, शिरकतके व्यापार द्वारा कमाई गयी हो, या मुश्तरका ख़ानदानके मेम्बरोंकी मुश्तरका मेहनतसे पैदा कीगयी हो, और ऊपरके दोनों तरीक़ोंमें मुश्तरका ख़ानदानका रुपया न लगा हो तो भी वह जायदाद मुश्तरका ख़ानदानकी समझी जायगी। देखो-रामप्रसाद तिवारी बनाम शिवचरनदास 10 M. I. A. 490; श्यामनरायन बनाम कोर्ट आफ़वार्ड्स 20 W. R. C. R. 197; चतुर्भुज

मेघजी बनाम धरमसी नरायनजी 9 Bom. 438, 445, 446 ; गोपालासामी चिट्टी बनाम अरुणचेलम चिट्टी (1903) 27 Mad 32 और देखो मनुस्मृति नवम अध्याय श्लोक २२५—

भ्रातॄणामविभक्तानां यदुत्थानं भवेत्सह
नपुत्र भागं विषमं पितादद्यात् कथंचन । मनुः

मुश्तरका परिवारमें बापके साथ भाइयोंने जो धन पैदा किया हो उसे बाप विषमभागसे पुत्रों मेनवांटे अर्थात् बराबर बांटे । मिताक्षराका भी यही मत है ; मि० कोलब्रुक् डाइजिस्ट Vol 3 P. 386.

लेकिन जब यह किसीने साबित किया हो कि वह जायदाद सिर्फ साधारण भागीदारीके द्वारापैदाकी गयी है जैसा कि कान्ट्रूक्ट एक्टमें बताई गयीहै तो उस जायदादमें सरवाइवरशिप आदि जो कोपार्सनरके हक़ हैं नही रहेंगे । देखो—10 M. I. A. 490 ; 9 Bom. 438 ; 25 Mad 149, 156 ; रामनराय नृसिंहदास बनाम रामचन्द्र जानकीलाल 18 Cal. 86 ; 25 All. 378.

अगर मुश्तरका ख़ानदानके आदमियोंने मिलकर व्यापार नहीं किया हो यानी उनमेंसे अगर कुछ आदमी छूट गये हों, और मुश्तरका जायदादका रुपया उस व्यापारमें न लगाया गया हो तो अदालतको यह ख्याल करनेका मौका होसकता है कि वह जायदाद जो इस तरहसे पैदा कीगयी थी मुश्तरका ख़ानदानकी नहींहै देखो-सुदर्शनम् मिस्ट्री बनाम नरसिम्हलू मिस्ट्री (1901) 25 Mad 149. मिस्टर मेन साहेब कहते हैं कि-अगर मुश्तरका ख़ानदानका कुछ भी रुपया न लेकर कोई जायदाद पैदा की गयी हो,चाहे वह मुश्तरका ख़ानदानके सब मेम्बरोंने मुश्तरकन् व्यापार करके या मेहनत करके पैदा की हो तो वह मुश्तरका ख़ानदानकी जायदाद नहीं मानी जायगी और उस जायदादमें उनके लड़कोंका हक़ कुछ नहीं होगा क्योंकि वह कोपार्सनरी जायदाद नहीं हैं । देखो-मेन हिन्दुलॉ की दफा 277 ; चतुर्भुज बनाम धरमसी 9 Bom. 438 ; 445.

(४) दान या वसीयत द्वारा दान जो मुश्तरका ख़ानदानको दियाजाय; देखो दफा ७९७ ऐसा मानागया है कि-जो दान या वसीयत द्वारा दान (Devise) किसी मुश्तरका ख़ानदानके सब आदमियोंको दियागया हो वह मुश्तरका जायदाद नहीं मानाजायगा । देखो-किशोरी दुवाइन बनाम मुद्रादुवाइन ((1911) 33 All. 665 ;दिवालीबाई बनाम बेचरदास पटैल (1902) 26 Bom 445. परंतु बंबई हाईकोर्टने राधाबाई बनाम नानाराव (1879) 3 Bom. 151 में, और मदरास हाईकोर्टने येथी राजलू नायडू बनाम मुकुंधू नायडू (1905) 28 Mad. 363 ; कुन्हाचा उन्मा बनाम कुट्टीमम्मी हाजी (1892) 16 Mad. 201 में माना है कि दान या वसीयत द्वारा दान जो मुश्तरका ख़ानदानके सब मेम्बरोंको दियागया हो अगर देनेवालेका कोई दूसरा इरादा साफ तरहसे ज़ाहिर न करदिया हो तो वह दान या वसीयत द्वारा दानका धन मुश्तरका जायदाद समझाजायगा ।

ऐसा कहागया है कि ऊपर वालीराय टगोरवाले मुक़द्दमें-(जितेन्द्रमोहन टगोर बनाम गणेन्द्रमोहन टैगोर सन 1872 I. A Sup Vol 47 ; 9 B. L. R. 377 ; 18 W. R. C. R. 359.) के विरुद्ध पड़ती है । क्योंकि इसके अनुसार वे लोग भी जिनका जन्म उस समय नहीं हुआ, जन्मके बाद मुश्तरका जायदादमें अर्थात् दान या वसीयत द्वारा दानकी जायदादमें हक़ प्राप्त करसकते हैं । परंतु किसी किसी एकश्रेणी (Class) के लोगोंको दिये हुए दानके विषयमें जो फैसले हालमें हुए हैं उनसे इस बातका खण्ड़न होता है । टगोरकेस को विस्तारसे देखो दफा ८०७

(५) बाबुआनाके तौरपर दी हुई जायदाद । बाबु आनाके तौरपर जो जायदाद किसी मुश्तरका ख़ानदानके कनिष्ट (Junior) कुटुम्बीको, और उसकी सीधी पुरुष सन्तानको दीजाय उसके विषयमें देखो--रामचन्द्र माड़वारी बनाम मुदेश्वरसिंह (1906) 33 Cal. 1158 ; 10 C. W. N. 979 ; दुर्गादत्तसिंह बनाम रामेश्वरसिंह (1909) 36 I. A. 176 ; 36 Cal 943 ; 13 C. W. N. 1013 ; 11 Bom. L. R. 901 ; ललितेश्वरसिंह बनाम भवेश्वरसिंह (1908) 35 Cal. 823 ; 12 C. W. N. 958.

(६) समझौतेसे प्राप्त की हुई जायदाद । जब मुश्तरका ख़ानदानमें कोई ऐसी जायदाद शामिल होजाय जो किसी समझौते (Compromise) अथवा इन्तज़ाम (Arrengment) के द्वारा आई हुई हो, चाहे वह मौरूसी भी हो तो इस बातका निर्णय कि वह जायदाद कोपार्सनरी है या नहीं उस समझौते और इन्तज़ामके ऊपर निर्भर है जो पहिले हो चुका है। देखो--महाबीर कुंवर जुमासिंह 8 B. L. R. 38 ; 16 W. R. C. R. 221.

(७) नानासे उत्तराधिकारमें पायी हुई जायदाद । यह अभीतक पूरी तौरसे निश्चित नहीं हुआ है कि नानासे उत्तराधिकारमें पायी हुई जायदाद मौरूसी जायदाद होजाती है या नहीं । इस विषयमें एक केस देखिये--वेंकयामा बनाम वेंकटराम नैय्यामा (1902) 25 Mad 678 ; 29 I. A. 156. के केसमें दो भाई जो मुश्तरका ख़ानदानके मेम्बरोंकी तरह रहते थे उन्होंने अपने नानासे कुछ जायदाद पायी उनमेंसे एक अपनी विधवाको छोड़कर मर गया अब यहांपर सवाल यह पैदा हुआ कि उसके नानाकी जायदादका हिस्सा उसकी विधवाको उत्तराधिकारके अनुसार मिलेगा अथवा सरवाइवरशिपके अनुसार उसके भाईको मिलेगा । प्रिवीकौंसिलके जजोंने यह निश्चित किया कि वह जायदाद दोनो भाइयोंके पास मुश्तरका जायदाद थी और उसमें मृतपुरुषका अविभाजित हिस्सा उसके भाईको सरवाइवरशिपके अनुसार मिलेगा, विधवाको उत्तराधिकारके अनुसार नहीं मिलेगा । इस फैसलेका यह नतीजा हुआ कि लड़कीके लड़के ; नानाकी जायदादको सरवाइवरशिपके अनुसार मुश्तरकन् लेते हैं । अपने फैसलेमें जजोंने यह भी कहा कि वह जायदाद लड़कीके लड़कोंके हाथमें जब पहुंचेगी तो मौरूसी यानी मुश्तरका ख़ानदानकी जायदाद होजायगी । इलाहाबाद हाईकोर्ट और मदरास हाईकोर्टने नानासे पायी हुई जायदादको मुश्तरका ख़ानदानकी जायदाद नहीं मानी इसलिये इस विषयमें मतभेद है मदरास हाईकोर्ट ऊपरके फैसलेसे यह अर्थ निकालती है कि नानासे पायी हुई जायदाद पारिभाषिक अर्थमें पैतृक सम्पत्ति होती है देखो--करूपाई बनाम संकर नरायन्ना (1903) 27 Mad 300 312, 314 और इसलिये अगर ऐसा मानो कि अ, अपने नानासे कोई जायदाद पाये और उसके एक लड़का 'क' हो जो उसके साथ मुश्तरका रहता हो तो उस जायदादमें 'क' अपनी पैदाइशसे हक़ प्राप्त करलेगा और उस जायदादका 'अ' से बटवारा करा सकता है 27 Mad 382 ; और देखो 6 Mad. 1, 16 ; 9 I. A. 128-143.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह माना है कि प्रिवीकौंसिल के जजोंने यह बताते वक्त किदो या दोसे ज्यादा लड़की के लड़के जो जायदाद अपने नानासे उत्तराधिकार में पाते हैं उसको मुश्तरका सरवाइवरशिपके साथ लेते हैं, और उसवक्त उन्होने जो पैतृकसंपत्ति शब्दका उपयोग किया है वह उसके पारिभाषिक अर्थमें नहीं है लेकिन उसका वही मतलब है जो मतलब कि इंगलिशलॉ में 'मुश्तरका जायदाद' से निकलता है यानी वह जायदाद कि जिसके साथ सर वाइवर शिप का हक़ लागू नहीं होता है । इस लिये इलाहाबाद हाईकोर्टने यह माना कि नेवासे का लड़का नानासे पायी हुई जायदादमें अपनी पैदाइशसे कोई हक़ नहीं

रखेगा और न वह उस जायदादका बापसे बटवारा करा सकेगा और अगर बाप लड़के के जीतेजी उस जायदादको इन्तक़ाल करदे तो लड़का उसे नहीं रोक सकता-देखो-जमुनाप्रसाद बनाम रामप्रताप (1907) 29 All. 667. मदरास हाईकोर्ट पैतृकसंपत्तिका अर्थ उस जायदाद से लगाती है जो किसी पूर्वजसे मिली हो चाहे वह पूर्वज पिता की तरफसे हो या माता की तरफसे हो। लेकिन मामा पूर्वज नहीं माना गया और इसी लिये मामासे पायीहुई जायदाद पैतृकसंपत्ति नहीं मानी जाती मद्रास हाईकोर्टका यह मत है। देखो-27 Mad 300.

मिस्टर मेनसाहेबने कहा है कि " जो जायदाद नानासे मिली हो नगड़दादा से मिली हो, या किसी पुजारीसे, या सहपाठीसे वरासतमें मिली हो, तो वह जायदाद मुश्तरका ख़ानदान की नहीं होगी-देखो मेन हिन्दूलॉ की दफा 275. मिस्टर ट्रिवेलियन ने कहा है कि जब अनेक लड़कियोंके अनेक लड़के भिन्न भिन्न ख़ानदानमें हों और उस समय नानाकी जायदाद उत्तराधिकारमें उन सब नेवासोंको मिले तो उस सूरतमें सब नेवासे अलहदा अलहदा लेंगे और कोपार्सनरी नहीं मानी जायगी-देखो ट्रिवेलियन हिन्दुलॉ पेज 233. मिस्टर घारपुरेने कहा है कि--जब कोई जायदाद उत्तराधिकारके अनुसार नाना से मिलती है तो सब नेवासे उसे सरवाइवरशिपके अनुसार नहीं लेंगे और उनमेंसे एकके मरनेपर वह जायदाद सरवाइवरशिपके अनुसार नहीं जायगी-देखो मिस्टर घारपुरे हिन्दूलॉ पेज 128; जसोदा कुंवर बनाम शिवप्रसाद 17 Cal. 33.

(८) अप्रतिबंध जायदाद किसके लिये कोपार्सनरी नहीं होगी? मिताक्षरा स्कूल के अनुसार वह सब जायदाद मनक़ूला या ग़ैरमनक़ूला चाहे किसी तरह भी प्राप्तकी गयीहो मगर वह अप्रतिबन्धदायकी हैसियतसे मिली हो अर्थात् जो सगेबाप, या दत्तक पितासे, या दादा या परदादासे मिली हो वह जायदाद उस आदमीकी संतानके लिये कोपार्सनरी जायदाद होगी मगर उस आदमीके लिये नहीं जिसने वह पायी है। देखो-गुरू मर थी रिड़ी बनाम गुरम्भल (1908) 32 Mad-86, 88; 11 All. 194-198.

(९) जो जायदाद विधवा कोरोटी कपड़ाके लिये दीगयी है। अगर कोई जायदाद मुश्तरका ख़ानदानकी किसी विधवा को रोटी, कपड़ा के ख़र्च के लिये देदी गयी हो तो विधवाके मरनेपर वह जायदाद कोपार्सनरी मेशामिल हो जायगी। देखो—बेनी प्रसाद बनाम पूरनचन्द 23 Cal. 262-273. मगर वह सूरत इससे भिन्न होगी जब किसी विधवाको अपने पतिसे उत्तराधिकार के अनुसार जायदाद मिली है।

(१०) मुश्तरका ख़ानदान वालों की मुश्तरका पूंजी। जबकि मुश्तरका ख़ानदानके सब आदमी जिनके पास मुश्तरका जायदाद है अपनी अलग अलग कमाईका रुपया किसीएक कारबारमें लगावें तो उस कारबारकी आमदनी मुश्तरका ख़ानदानकी आमदनी मानी जायगी। देखो—लाल बहादुर बनाम कन्हैया लाल 34 I. A. 65; 29 All. 244; 11 C. W. N. 417; 9 Bom. L. R. 597.

(११) कोपार्सनरका फिर शामिल होजाना। जब मुश्तरका ख़ानदानका कोई आदमी पहिले अलग होगया हो और पीछेसे फिर शामिल होगया हो तो उसकी जायदाद सब कोपार्सनरी जायदाद होजायगी। देखो 17 Cal 33; 33 Mad 165.

(१२) अलहदा जायदादके दावाकी मियाद। अगर कोई मुश्तरका ख़ानदानका मेम्बर किसी जायदादको अपनी अलहदा बयान करता हो उसे क़ानूनी मियादके अंदर दावा करना चाहिये अगर ऐसा न होगा तो फिर वह कोपार्सनरीमें शामिल होसकती है क्यों कि तमादी

होजानेपर दावा नहीं चलेगा। देखो—वसुदेवपाधी वग़ैरा बनाम मगनी देवनवख़शी (1901) 28 I. A. 81, 24 Mad 387; 5 C. W. N. 545; 3 Bom L. R 303.

(१३) कोपार्सनरी जायदादकी वृद्धि और प्राप्ति। मुश्तरका ख़ानदानकी जायदाद चाहे वह मनकूला हो या ग़ैरमनकूला उसकी आमदनीसे या उसकी मददसे या उसके आधारसे जो जायदाद या धन प्राप्त किया गया हो वह सब मुश्तरका ख़ानदानकी जायदाद है और फिर उस जायदादकी आमदनी और उसकी बिक्रीका रुपया और उस रुपयासे ख़रीदी हुई जायदाद भी सब मुश्तरका ख़ानदानकी जायदाद होजायगी। हरएक बातकी अलग अलग नज़ीरें देखो-

(१) मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादकी आमदनीसे या उसकी मदद आदिसे जो जायदाद प्राप्त कीजाय-मुश्तरका है—लालबहादुर बनाम कन्हैय्यालाल (1907) 34 I. A. 65, 29 All. 244; 11 C. W. N 417; 9 Bom. L. R. 597; अमृथनाथ चौधरी बनाम गौरीनाथ चौधरी (1870) 13 M. I. A. 542; 15 W. R. P. C. 10; ईश्वरीप्रसादसिंह बनाम नसीबकुंवर (1884) 10 Cal 1017; सुभैय्या बनाम सरैय्या (1887) 10 Mad 251; अजोध्याप्रसाद बनाम महादेवप्रसाद (1909) 14 C. W. N 221; 8 Mad. H. C. 25; 4 Mad. H. C. 5; 19 W. R. C. R. 223; 17 W. R. C. R. 528; 8 W. R. C. R. 182; 6 W. R. C. R. 256;

(२) अगर मुश्तरका जायदादके आधारपर कोई जायदाद प्राप्त कीगयी हो वह सब मुश्तरका है-शिवप्रसादसिंह बनाम कलंदरसिंह 1 Ben Sel. R. 76 दूसरा एडीशन 101.

(३) मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादकी आमदनीसे जो दूसरी जायदाद प्राप्त कीजाय और उससे जो जायदाद प्राप्त कीजाय आदि मुश्तरका है। देखो-(1888) 11 Mad 246.

(४) जो जायदाद मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादको बेंचकर ख़रीदी गयी हों मुश्तरका है-18 Mad 73; 3 Cal 508; 1 Cal. L. R. 343;

(५) जो जायदाद मुश्तरका ख़ानदानकी मनकूला जायदादसे ख़रीदी गयी हो मुश्तरका है—3 Cal. 508; 1 Cal. L. R. 343. अगर किसी मुश्तरका ख़ानदानके आदमीने मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादसे बिल्कुलही कम सहायतासे कोई जायदाद प्राप्त की हो तो ऐसा माना गया है कि वह जायदाद उसकी अलहदाकी समझी जाना चाहिये 10 M. I, A. 490—505; 13 Bom 534; और जिस जायदादके प्राप्त करनेमें, सीधी तौरसे मदद मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादसे न मिली हो और चाहे प्रकारान्तरसे मिली भी हो तो वह जायदाद अलहदाकी समझी जायगी यानी जिस आदमीने पैदा की हो उसकी निजकी समझी जायगी; 10 Bom 528; स्ट्रेन्जके हिन्दूलॉ पेज २१४ में कहा गया है कि—अगर ऐसा कोई उज्जुर किया जाता हो कि जिसने अलहदा जायदाद कमाई है उस आदमीके सिर्फ खाने पीनेका ख़र्च मुश्तरका जायदादमेंसे होता रहा है इसलिये वह सब जायदाद मुश्तरका है' इसका कुछ असर नहीं होगा। और अगर कोई आदमी मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादमेंसे अपने ख़र्चके लिये उसकी आमदनी लेता हो तो उस आदमीकी पैदा की हुई सब जायदाद मुश्तरका होगी; 4 Mad. H. C. 5.

(१४) जो जायदाद विद्वत्ताके पेशेसे कमाई गयी हो। अगर किसी आदमीको ख़ास तौरसे पढ़ानेका ख़र्च मुश्तरका जायदादसे किया गया हो और उसने अपनी विद्वत्तासे जो धन कमाया हो वह सब मुश्तरका ख़ानदानमें शामिल होजायगा—और अगर मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादकी आमदनीसे ख़ास तौरपर शिक्षा प्राप्त करके विद्वता न प्राप्त की गयी हो तो कोई आदमी जो अपनी विद्वताके पेशेसे जायदाद पैदा करे वह उसकी अलहदाकी होगी। इसबारेमें अधिक देखो इस किताबकी दफा ४२०.

(१५) देवोत्तर जायदाद। किसी धार्मिक कामके लिये जो जायदाद दी गयी हो उसके ट्रस्टियोंमें ट्रस्टकी कोपार्सनरी होती है। और ऐसी जायदादका बटवारा नहीं होसकता। देखो--रामचन्द्रपण्डा बनाम रामकृष्णमहापात्र (1906) 33 Cal 507 ; देखो प्रकरण १७.

उदाहरण-अ, और ब, एक मन्दिरकी जायदादके ट्रस्टी हैं मन्दिरकी जायदादकी बचतसे दूसरी जायदाद ख़रीदी गयी तो अ, और ब, उसके भी ट्रस्टी हैं क्योंकि जो दूसरी जायदाद ख़रीदी गयी वह कोपार्सनरी जायदादमें शामिल होगयी मगर दोनो ट्रस्टी उसे बांट नहीं सकते हैं।

(१६) भिन्न शाखावालोंसे और स्त्रियोंसे उत्तराधिकारमें पायी हुई जायदाद। नानाकी जायदादके झगड़को छोड़कर यह कहा जासकता है कि सिर्फ बाप, दादा परदादासे पायी हुई जायदाद पैतृक संपत्ति होती है यानी मुश्तरका जायदाद होती है। दूसरे किसी रिश्तेदारसे पायी हुई जायदाद अपनी अलहदा जायदाद होती है उसमें मर्द औलाद अपनी पैदाइशसे कोई हक़ नहीं प्राप्त करसकती यानी वह जायदाद जो परदादाके बापसे या दूसरे दूरके पूर्वजोंसे या भिन्न शाखावालोंसे जैसे चाचा, भतीजा आदि या किसी स्त्रीसे जैसे मा, दादी आदिसे पायी हुई जायदाद अलहदा होती है। देखो नन्दकुमार बनाम रजी उद्दीन 10 Beng. L R 183.

(१७) बटवारा करानेपर जो हिस्सा जायदादका मिलता है। मुश्तरका जायदादके बटवारेमें जो कोपार्सनर अपने हिस्सेकी जायदाद पाता है वह उसकी मर्द औलादके लिये यानी लड़के, पोते, परपोतोंके लिये मौरूसी जायदाद होती है। लड़के, पोते परपोते अपनी पैदाइशसे उसमें हक़ प्राप्त करलेते हैं; 29 All 244 ; 34 I. A. 65 ; 9 Bom 438 ; चाहे वह बटवारा करानेके वक्त ज़िंदा हों या पीछेसे पैदा हुए हों 3 Cal. 1 ; मगर ऐसा हिस्सा सिर्फ मर्द औलादके ही लिये मौरूसी है, दूसरे रिश्तेदारोंके लिये वह उसकी अलहदा जायदाद है। और अगर ऐसा कोपार्सनर जिसने बटवारा करालिया हो मरते समय कोई लड़का, पोता, परपोता, न छोड़े तो वह जायदाद उसके वारिसोंको उत्तराधिकारके अनुसार मिलेगी; 17 All 456 ; 22 I. A. 139.

उदाहरण—ऐसा मानो कि, क, और ख, दो भाई मुश्तरका ख़ानदानके मेम्बर हैं। क, के एक लड़का ग, है और ख, के कोई लड़का नहीं है मगर एक औरत है। क, और ख, दोनो मुश्तरका जायदादका बटवारा करालेते हैं। अब क, की बटवाराकी हुई जायदाद तो ख, के लिये अलहदा जायदाद है। मगर क, के लड़के ग, के लिये वह जायदाद मौरूसी है। इसी तरहपर ख, की बटवारा कराई हुयी जायदाद क, के लिये अलहदा जायदाद है। और जब ख, बिना किसी मर्द औलादके मरजाय तो वह जायदाद उसकी औरत विधवाको उत्तराधिकारसे मिलेगी। बटवारा करानेसे बटवारा करानेवाले आदमियोंके बीचमें आपसका हक़ टूट जाता है लेकिन बाप और उसकी मर्द औलाद फिर भी मुश्तरका रहते हैं अगर बाप और उसकी मर्द औलाद बटवारा करालें तो उनका भी आपसका हक़ टूट जाता है। जब कोई कोपार्सनर बटवारा होनेपर अपने हिस्सेमें कोई रेहनकी हुई जायदाद पाता है और बादमें उसको अपनी अलहदा कमाई हुई द्रव्यसे छुटा लेता है तो इससे जायदादकी शकल नहीं बदलजाती यानी वह छुड़ाई हुई जायदाद पैतृक संपत्ति बनी रहती है और उसकी मर्द औलाद अपनी पैदाइशसे उसमें हक़ प्राप्त करलेती है देखो 5 Mad H.C. 150 जब किसी कोपार्सनरको रेहन रखी हुई जायदाद हिस्सेमें मिली हो और वह जायदाद ज़ब्त होगयी हो अर्थात् जिसके पास रेहन रखी थी उसका रुपया नपुंचनेके सबबसे उसने उस जायदादको ज़ब्त करालिया हो और उसके पीछे कोपार्सनर अपने खुद कमाये हुए रुपयासे मोल लेलिया हो तो अब वह

जायदाद यद्यपि पहिले पैतृक संपत्ति थी मगर अब वह पैतृक संपत्ति नहीं रहेगी वह जायदाद उस कोपार्सनरकी अलहदाकी जायदाद होजायगी जिसने कि उसे मोल लिया है ; देखो बलवंतसिंह बनाम रानी किशोरी ४0 All. 267 ; 25 I. A. 54 ;

(१८) जायदाद जो किसीने अपने पूर्वजसे इनाम या वसीयतसे पायी हो । जब कोई आदमी अपनी ख़ुद कमाई हुई या अलहदा जायदादको अपने लड़केको किसी पुरस्कार (इनाम) मे देदे या मृत्युलेख पत्र (वसीयतनामा) द्वारा उसको देदे तो सवाल यह पैदा होता है कि ऐसी जायदाद लड़केकी अलहदा जायदाद होगी अथवा लड़केकी मर्द औलादके लिये मौरूसी जायदाद होगी ? कलकत्ता और मद्रासके फैसलोंके अनुसार ऐसी जायदाद जहांपर कि बापका दूसरा इरादा न हो वह मौरूसी मानीगयीहै देखो-6 W.R.71 इनाम; 24 Mad 429; वसीयत का प्रकरण १६ देखो । इरादासे मतलब यहहै कि-जैसाकि मृत्युपत्रसे मालूम होता हो या इनाम देते समय जैसा इरादा रहा हो ।

बंबई और इलाहाबादके फैसलोंके अनुसार ऐसी जायदाद जहांपर मृत्युपत्रमें या दान देतेसमय कोई बरख़िलाफ़ इरादा नहीं पाया जाता हो तो लड़केकी अलहदा जायदाद मानी जायगी—देखो जगमोहनदास बनाम मंगलदास (1886) 10 Bom 528; परसोत्तम बनाम जानकीबाई (1907) 29 All. 354; दोनों मुक़द्दमें वसीयत के हैं। हर सूरतमें बाप अपने लड़केकी शादीके वक्त जो रुपया उसे पुरुस्कारमें देता है वह लड़केकी अलहदा जायदाद होती है मौरूसी जायदाद नहीं होती । और लड़केकी मर्द औलाद अपनी पैदाइशसे उस जायदादमें हक़ प्राप्त नहीं करती 12 C.l. W. N. 103.

उदाहरण—(१) ऐसा मानो कि अ, और उसके पांच लड़के मुश्तरका ख़ानदान के मेम्बर हैं अ, अपने पांचों लड़कोंको अपनी ख़ुद कमाई हुई मनक़ूला और ग़ैरमनक़ूला जायदाद दानपत्र द्वारा देता है, मद्रास और कलकत्ता हाईकोर्ट के अनुसार यह जायदाद हरएक लड़के के हाथमें पैतृकसंपत्ति होगी जब कि बापका कोई ख़िलाफ इरादा नसाबित हो और उन लड़कोंकी मर्द औलाद अपनी पैदाइशसे उस जायदादमें हक़ प्राप्त कर लेगी ।

(२) ऐसा मानो कि-अ, ने एक वसीयतनामा लिखा जिसके शब्द यह है " मेरे तीन लड़के जो कि इस वक्त ज़िंदा हैं और जितने लड़के कि बादमें पैदा हों वह सब मेरी जायदाद को बराबर हिस्से में बांटलें " वसीयतमें यह भी लिखा था कि जब तक उसकी तीन औरतें न मरजायें तबतक मौरूसी घरका बटवारा नहीं किया जाय । मद्रास हाईकोर्टने यह निश्चय किया कि इस वसीयत में कोई ऐसा इरादा नहीं मालूम होता कि लड़के उस जायदाद को बग़ैर पैतृकसंपत्ति के हक़ के लेवें, और इसी लिये हरएक हिस्सा जो हरएक लड़केको मिला हैं वह उनके पास उनकी मर्द औलाद के लिये पैतृकसंपत्ति होगी यानी मुश्तरका ख़ानदानकी जायदाद होगी—और उसकी पुरुषसंतान अपनी पैदाइशसे हक़ प्राप्त कर लेगी । देखो नागालिंग बनाम रामचन्द्र (1901) 24 Mad. 429.

(३) ऐसा मानो कि अ, वसीयतद्वारा अपने लड़केको जायदाद इन शब्दोंके साथ देता है " मेरे मरनेके बाद मंगलदास मेरी जायदादका मालिक होगा वह उसको बेचनहीं सकेगा और न गिरवी रखसकेगा लेकिन उसके भाड़ेसे उस जायदाद का और ख़ानदानका ख़र्चा किया करेगा और बचतका रुपया किसी ठीक जगहपर ब्याजके लिये जमा कर देगा लेकिन यह सब मेरे लड़के मंगलदास काही होगा और अगर उसे कभी जायदादके बेचने या गिरवी रखने की ज़रूरत पड़े तो इस वसीयतमें लिखे हुये 'इक्ज़ीक्यूटरों' की राय लेकर करसकती है " बंबई हाईकोर्टने यह निश्चित किया कि इन शब्दोंसे बापका इरादा पायागया

कि उसका लड़का मंगलदास उसकी जायदाद को पूरे अधिकार के साथ ले और वाक़ी की इवारत जो वसीयतमे लिखी थी उससे सोई विरुद्ध इरादा न पाये जानेकी वजेहसे लड़का उस जायदादको बतौर अलहदा जायदादके लेगा और उस लड़केकी मर्द औलाद अपनी पैदाइशसे हक़ प्राप्त नहीं करेगी 10 Rom. 528.

नोट—'मुश्तरका ख़ानदानकी जायदाद' कौन है यह बात ऊपर मोटेतरीक़े से वताई गई है। मुश्तरका जायदाद और मौरूसी जायदादमें क्या फरक़ है यह वात भी समझ लेना चाहिये। मौरूसी जायदाद वह कहलातीहै जो वाप, दादा, या परदादासे मिलीहो ऐसी जायदाद मिलनेवाले की पुरुषसंतान के लिये मौरूसी जायदाद होती है और मुश्तरका जायदादमें मौरूसी जायदाद शामिल होनेपर भी वह भी जायदाद शामिल हो जाती है कि जो दूसरेतरीक़ोंसे प्राप्तकी गयी हो। पैतृकसंपत्ति और मौरूसी जायदादमें कुछ फरक़ नहीं है सिर्फ़ शब्दका फरक़ है।

वह सब जायदाद जो, मर्द हिन्दू अपने बाप, दादा, परदादासे पाता है पैतृकसंपत्ति कहलाती है, मिताक्षराके अनुसार पैतृकसंपत्ति में ख़ास बात यह होती है कि बेटे, पोते, परपोते अपनी पैदाइशसे उस जायदादमें हक़ प्राप्त करलेते हैं हक़ उनको उनकी पैदाइश के वक्तसे लागू होता है यानी अगर 'राम' कोई जायदाद मनकूला या ग़ैरमनकूला अपने वाप दादा या परदादासे पाये तो वह जायदाद उसकी पुरुषसंतानके लिये पैतृकसंपत्ति होती है। और अगर रामके कोई बेटा, पोता, परपोता नहीं हैं जिस वक्त कि उसे जायदाद मिली है तो राम उस जायदादका पूरा मालिक है और उसे जो चाहे करसकता है, लेकिन अगर जायदाद पाते समय उसके कोई बेटा, पोता, परपोता हो अथवा कोई लड़का, पोता, परपोता पीछेसे पैदा होजाय तो वह लोग ख़ानदानमें सिर्फ होने की वजेहसेही उस जायदादमें हक़ पानेके अधिकारी होंगे। राम उसवक्त पूरे मालिककी तरह जायदादको नहीं रखसकता और न वह उस जायदादको अपनी इच्छाके अनुसार काममें लासकता है।

यहबात ग़ौर करना ज़रूरी है कि सिर्फ वही जायदाद जो कि एक हिन्दू अपने बाप, दादा, परदादा से पाता है वह सिर्फ उसके बेटों, पोतों, परपोतों के लिये ही पैतृक संपत्ति होती है दूसरा कोई कुटुम्बी अपनी पैदाइश से हक़ प्राप्त नहीं कर सकता। और जब कोई जायदाद किसी हिन्दूको बाप, दादा, या परदादासे तो मिलीहो मगर सीधे तौरसे न मिली हो यानी किसी दूसरे आदमी या औरत के मरने के बाद मिली हो जिसका हक़ उस जायदाद पर सिर्फ हीन हयाती हो तो जब वह जायदाद उसके पास आवेगी तो वह उसके लड़के, पोते, परपोतों के लिये पैतृक संपत्ति बन जायगी। यह भी ध्यान रखना कि जब किसी पुरुष को कोई जायदाद किसी पूर्वजसे मिले और उसके कोई पुरुष संतान नहो, उस वक्त वह जायदाद को कहीं वेचदे पीछे उसके लड़का पैदा हो जाय तो फिर उस लड़के का हक़ उस जायदादमें कुछ नहीं रहेगा। और अगर कुछ जायदाद बाप के पास वेंचनेसे बाक़ी रह गयी होगी उसमें बेटे, का हक़ प्राप्त हो जायगा। जैसे रामको एक जायदाद वरासतमें बापसे मिली, रामके कोई बेटा, पोता, परपोता नहीं है लेकिन उसके बाप का भाई (चाचा) है। चाचा अपनी पैदाइशसे उस जायदाद में कोई हक़ प्राप्त नहीं करता चाचा के लिये ऐसी जायदाद राम की अलहदा जायदाद है क्योंकि राम का उस जायदादमें पूरा अधिकार है कि जैसा जीमें आवे करें। अवहम मुश्तर का ख़ानदान संबंधी अन्य वातों का आगे ज़िकर करते हैं।

अलहदा या खुद हासिल की हुई जायदाद ।

(Separate or self aquired property)

दफा ४१८. अलहदा या खुद कमाई हुई जायदाद——नीचे लिखे हुए तरीक़ों मेसें किसी भी तरीक़े से जो जायदाद या धन हासिल किया गयाहो वह जायदाद या धन उस आदमीका अलहदा माना जायगा जिसने कि उसे हालिस किया है और चाहे वह आदमी मुश्तरका ख़ानदानमें रहता हो और मुश्तरकन् रहते हुए हासिल किया हो। अर्थात् वह जायदाद और धन उस आदमी के निजका होगा मुश्तरका ख़ानदान का कोई भी आदमी अपना कोई हक़ उसमें नहीं रखता। नीचे देखो—

(१) जो जायदाद सप्रतिबंधदाय (देखो दफा ४१३); के तौर पर प्राप्त हुई हो अर्थात् जो बाप, दादा, परदादा के अलावा किसी दूसरे आदमी से प्राप्त हुई हो—

(२) दान—अगर बाप प्रेमवश अपने किसी लड़के को मौरूसी मनकूला जायदाद का कुछ थोड़ासा हिस्सा बतौर दान या इनाम के देदे। बंबई और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे नहीं माना देखो—नानाभाई गनपतराव धैर्य्यवान बनाम अचर जवाई 2 Bom 122; 131, 132 इस मुक़द्दमेंमे सब पुत्रोंको दान शराकतमें दिया गयाथा इसलिये जायदाद मुश्तरका मानी गयी; परसोतमरावं तांतिया बनाम जानकीबाई 29 All. 354. और इस किताबकी दफा ४१७—४.

(३) सरकारसे इनाममें मिली हुई जायदाद—जो जायदाद सरकारकी ओरसे किसी मुश्तरका ख़ानदान के एक आदमीको मिली हो तो अगर इनामके पत्रमें यह इरादा न ज़ाहिर किया गया हो कि वह जायदाद सब ख़ानदान वालों के लियें है तो वह जायदाद इनाम पाने वालेकी अलहदा समझी जायगी—कटाना न चैय्यर बनाम राजा शिवगंग 9 M. I. A. 543, 610, महंत गोविंद बनाम सीताराम 21 All. 53; 25 I. A. 195.

(४) जो जायदाद मुश्तरका ख़ानदानके किसी आदमीने, मुश्तरका ख़ानदान की जायदाद की आमदनी के सहायता विना विद्वत्ता प्राप्त करके, सिर्फ अपने उद्योगसे हासिल की हो अलहदा जायदाद होगी, देखो दफा ४२०.

(५) वह मुश्तरका ख़ानदानकी जायदाद जो ख़ानदानसे निकलगयी हो और फिर जिसको मुश्तरका ख़ानदानका कोई आदमी. मुश्तरका ख़ानदानके धनकी सहायता बिना प्राप्त करे।

(६) अलहदा जायदादकी आमदनी और उस आमदनीसे ख़रीदी हुई दूसरी जायदाद भी अलदहा जायदाद है; कृष्णाजी बनाम मोरोमहादेव 15 Bom. 32.

(७) जब कोई जायदाद मुश्तरका ख़ानदकी किसी ऐसे आदमीके पास हो जिस जायदादके सब हिस्सेदार मरचुके हों और वह तनहा मालिक हो, तथा किसी हिस्सेदारकी विधवा जिसे गोद लेनेका अधिकार बाक़ी है ज़िंदा न हो तो वह जायदाद अलहदा समझी जायगी। देखो बच्चो बनाम मानकोरीबाई 31 Bom 378; 34 I. A. 107.

(८) जब किसी मुश्तरका ख़ानदानके किसी आदमीको बटवारामें उसके हिस्सेकी जायदाद मिली हो और उसके लड़के, पोते, परपोते न हों तो वह अलहदा होगी।

नोट—यह नहीं समझ लेना चाहिये कि कोपार्सनरकी हरएक जायदाद कोपार्सनरी है। मुश्तरका ख़ानदानके आदमीकी अपनी अलहदा जायदाद भी होसकती है, और वह जायदाद उसके अधिकारमें रहती है, इस तरहसे छह तरहकी जायदादें जो ऊपर बताई गयी हैं अलहदा जायदादें हैं। अलहदा जायदादको अपनी कमाई हुई जायदाद भी कहसकते हैं, तथा अपनी हासिलकी हुई जायदाद भी उसी अर्थमें है। यह वह जायदाद है कि जिसको कोई हिन्दू मुश्तरका जायदादको हानि पहुंचाये विना प्राप्त करे। ऊपर नम्बर १, २, ३, में जो अलहदा जायदाद बतायी गयी हैं उसके बारेमें यह नहीं कहा जासकता कि मुश्तरका जायदादकी मददसे या ख़र्चेसे प्राप्त कीगयी है ऐसी जायदाद खुद कमाई हुई जायदाद कहलाती है। और जो जायदाद नम्बर ४ में कहींगयी है कि कोपार्सनरकी कमाईका धन है इसके विषयमें हमेशा यह सवाल पैदा होसकता है कि वह जायदाद उसकी अपनी कमाई हुई अलहदा मानी जासकती है या नहीं? ऊपर नम्बर ५ में जो जायदाद कहीगयी है उसके विषयमें भी यही समझना चाहिये। अपनी कमाई हुई जायदाद उस जायदादको कहते हैं जिसे किसी हिन्दूने अपने मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादकी सहायता बिना कमाई हो। ऊपर जायदाद शब्दका अर्थ मनक़ूला और ग़ैर मनक़ूला दोनों जायदादोंसे समझना।

दफा ४१९. अलहदा कमाई——अगर किसी मुश्तरका ख़ानदान के किसी आदमीने ऐसी कोई अलहदा जायदाद प्राप्तकी हो जो उसने अकेले अपने उद्योगसे प्राप्तकी हो और जिसे उसने मुश्तरका ख़ानदानकी जायदाद की सहायता विना प्राप्तकी हो तो फिर उस जायदादकी आमदनी भी उस आदमीकी अलहदा कमाई मानी जायगी–देखो–27 Mad. 228; सोमासुंदरा बनाम गंगा 28 Mad. 386; जगमोहनदास बनाम मंगलदास 10 Bom. 528;

दफा ४२०. विद्वत्ताकी कमाई——किसी ऐसे पेशे या कारबारसे जिसके लिये ख़ास विद्वत्ताकी ज़रूरतहो और उससे जो धन प्राप्त किया जाय, ऐसी आमदनी विद्वत्ता का फल मानी जाती है। अगर मुश्तरका ख़ानदानके ख़र्चेसे वह ख़ास विद्वत्ता न प्राप्त की गयी हो तो वह आमदनी अपनी कमाई हुइ अलहदा जायदाद कहलायेगी। और अगर मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादकी आमदनीसे वह ख़ास विद्वत्ता प्राप्त की गयी हो तो उस विद्वत्ता से कमाई हुई जायदाद अलहदा जायदाद नहीं मानी जायगी लेकिन अगर ख़ानदानके ख़र्चेसे केवल मामूली शिक्षा प्रारंभिक प्राप्त कीगयीहो तो सिर्फ इस कारणसे वह आमदनी मुश्तरका नहीं समझी जायगी। देखो लक्ष्मण बनाम जमुनाबाई 6 Bom. 225; 1 Mad 252; 4 I. A. 109; चलाकूंडा बनाम चलाकूंडा 2 Mad. H. C. 56; बाई मंछा बनाम नरोत्तमदास 6 Bom. H. C. A. C. 1; 10 W. R. 122; कृष्णाजी बनाम मोरो महादेव 15 Bom. 32; लछिमिन कुंवर बनाम देवीप्रसाद 20 All. 435; दुर्गादत्त बनाम गनेशदत्त (1910) 32 All. 305.

इसी लिये यह माना गया है कि—यद्यपि एक वकीलने मुश्तरका जायदाद के ख़र्च से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्तकी परंतु क़ानूनी शिक्षा उसने मुश्तरका जायदाद की सहायता विना प्राप्तकी इस लिये उसके पेशे की अमदनी उस वकील की खुद कमाई हुई जायदाद होगी देखो—लक्ष्मण बनाम जमना बाई 6 Bom 225.

हालमें इलाहाबाद के एक मुक़दमे में यह सवाल उठाकि क्या एक हिन्दू ज्योतषी की आमदनी उसकी खुद कमाई हुई जायदाद है? मामला यहथा कि वह ज्योतषी जब लड़का था तो उसके बापने जो स्वयं ज्योतषी था लड़के को कुछ प्रारंभिक शिक्षा दीथी परंतु यह देखकर कि उसने ज्योतिष शास्त्रकी उच्च शिक्षा प्राप्त कीथी तो माना गया कि उस लड़के ने स्वयं यह शिक्षा प्राप्त कीथी इस लिये यह भी माना गया कि-ऐसी सूरत में उस ज्योतषी

की आमदनी उसकी खुद कमाई हुई अलहदा जायदाद है देखो—दुर्गा दत्त बनाम गनेश दत्त (1910) 32 All. 305.

बंबई हाईकोर्ट के, लक्ष्मण बनाम जमुना बाई (6 Bom 225) वाले मुक़द्दमें में जज मेल्विल् साहेबने कहा है कि—" जो वचन हमारे सामने पेश किये गये हैं उनसे हमारी रायमें हिन्दूलॉके अनुसार यह सिद्ध होता है कि अगर मुश्तरका ख़ानदान के ख़र्चेसे या उस समय जबकि ख़ानदान के ख़र्चसे किसी आदमी का भरणपोषण होता हो ऐसी दशामें विद्वत्ता प्राप्तकी गयी हो तो विद्वत्ता का फल बांटा जासकता हैं लेकिन अगर वह विद्वत्ता किसी ऐसे आदमी के ख़र्च से प्राप्त की गयी हो जो मुश्तका ख़ानदान के बाहरका है तो उस विद्वत्ता का फल बांटा नहीं जासकता परंतु फिर भी यह सवाल बाक़ी रहताहै कि उन वचनोंमें जो मेरे सामने पेशहैं 'विद्वत्ता' शब्दसे क्या मतलब समझना चाहिये, अर्थात् इस समयमें इस शब्दसे साधारण प्रारंभिक शिक्षा समझी जाय या किसी ख़ास पेशेकी ख़ास शिक्षा ; हमारी राय यह है कि अगर हम 'विद्वत्ता' शब्दका अर्थ साधारण शिक्षा न मानकर ख़ास तौरकी विद्वत्ता माने तो यह हिन्दू शास्त्रों और आधुनिक हिन्दू समाजके विरुद्ध नहीं होगा " देखो दफा ४१८.

नोट—यह बात अन्य फैसलोंमें मानी गयी है कि साधारण शिक्षासे ख़ास शिक्षा अलग है। अगर ख़ास शिक्षा (विद्वत्ता) दूसरे तरहसे हो तो उसकी आय अलहदा समझी जायगी.

दफा ४२१- बीमाका रुपया——(१) **बीमा**-जब कोई आदमी अपने बीमेके रुपया के लिये अपनी अलहदा आमदनीसे बीमें (Insurance) की क़िस्त देता हो तो वह रुपया उसकी अलहदा जायदाद होगी, देखो—राजाम्भा बनाम रामकृष्ण नैय्या 29 Mad 121.

(२) **क़ब्जेसे निकलगयी हुई मौरूसी जायदादकी पुनः प्राप्ति**-कितनेही मामलोंमें ऐसा होता है कि किसी मुस्तरका ख़ानदानके लोग अनुचितरीतिसे अपनी मुश्तरका जायदादसे वेदख़ल करदिये जाते हैं या बहुत दिनोंतक उनको उस मुश्तरका जायदादपर दख़ल नहीं मिलता और ऐसी जायदादको पीछे किसी समय उस मुश्तरका ख़ानदानका कोई आदमी मुश्तरका संपत्तिकी सहायता विना पुनः प्राप्त करलेता है। ऐसे मामलोंमें अगर बापने वह जायदाद पुनः प्राप्त करली हो तो वह जायदाद चाहे वह मनकूला हो या ग़ैर मनकूला उसको वह अपनी अलहदा या अपनी कमाई हुई जायदाद मानता है परंतु यदि ख़ानदानके किसी दूसरे आदमीने ऐसी जायदाद प्राप्तकी हो तो अगर वह जायदाद मनकूला हो तो वह उसकी अलहदा या खुद कमाई हुई जायदाद मानीजायगी। लेकिन अगर जायदाद ग़ैर मनकूला हो तो वह आदमी उस जायदादका चौथाई ¼ भाग पुनः प्राप्त करनेके एवज़में इनामके तौरपर लेगा, और बाक़ी जायदाद पुनः प्राप्त करनेवाले पुरुषके सहित सब कोपार्सनरोंमें बराबर बांट दीजायगी; देखो-बाजावा बनाम त्रंबक (1909) 34 Bom 106 ; 10 Bom 528 विशालाक्षी बनाम अन्नासामा 5 Mad. H C. 150 ; विश्वेश्वर बनाम सीतलचन्द्र 6 W.R. 69 ; श्यामनरायन बनाम रघुवीर दयाल 3 Cal. 508 ; बुलाकी बनाम कोर्ट आफ वार्डस 14 W. R. 34 ; 4 Mad. 250, 259.

यह पूर्व्वोक्त क़ायदा सिर्फ ऐसी मुश्तरका जायदादमें लागू होता है जो पहिले मुश्तरका ख़ानदानसे निकल गयी हो लेकिन पीछे एक कोपार्सनरने मुश्तरका ख़ानदानकी सहायता विना एक ग़ैर आदमीसे जो मुश्तरका ख़ानदानके विरुद्ध उस जायदादपर क़ाबिज़ था पुनः प्राप्तकी हो। यह क़ायदा और किसी तरह के मामलेसे लागू नहीं होगा।

एक मुक़द्दमेंमें मुश्तरका ख़ानदानकी कुछ जायदाद उस ख़ानदानकी एक शाखाके एक आदमीको किसी समझौतेके अनुसार देदी गयी थी, और पीछे ख़ानदानकी एक दूसरी शाखाके एक आदमीने अपने रुपयासे उस जायदादको पुनः प्राप्त करलिया तो वह जायदाद उस प्राप्त करनेवाले आदमीकी खुद कमाई हुई जायदाद मानी गयी और उसके भाईका उस जायदादमें कुछ भी हिस्सा नहीं माना गया। इस मुक़द्दमेंमें भाईकी तरफसे यह कहा गया था कि जायदादका एक चौथाई $\frac{1}{4}$ भाग पुनः प्राप्त करनेवाले भाईको देदिया जाय और बाक़ी जायदाद फिर दोनों भाइयोंमें बराबर बांट दीजाय परंतु यह नहीं माना गया-देखो-34 Bom 106.

दफा ४२२. मुश्तरका जायदादके मामलोंमें अदालतका अनुमान———

जब कोई हिन्दू यह कहकर, किसी जायदाद के क़ब्ज़ा पानेका दावा करे कि वह जायदाद मेरी कमाई हुई है और अलहदा है, और मुद्दालेह उस जायदादको मुश्तरका बतलाये। अथवा जब कोई हिन्दू यह कहकर कि जायदाद मुश्तरका है जायदाद के बटवारेका दावा करे और मुद्दालेह उसे अपनी कमाई हुई जायदाद कहे तो ऐसी सूरत में यह सवाल उठता है कि सावित करनेका बोझा किसपक्ष पर है? इस विषय के मुख्य मुख्य नियम नीचे लिखे हैं तथा इस किताबकी दफा ३९७ भी देखो.

(१) जब तक इस के खिलाफ सावित न किया जाय तबतक यही माना जायगा कि हरएक हिन्दू ख़ानदान, खानपान, पूजापाठ, और जायदाद में मुश्तरका है। इस के खिलाफ सुबूतका बोझा उस पक्ष पर है जो उसे मुश्तरका न बताता हो—नीलकृष्ण बनाम वीरचन्द्र 12 M.I.A. 523, 540; नरागुंटी बनाम वैंगामा 9. M.I.A. 66; 4 M.I.A.137,168.

मुश्तरका ख़ानदानके लोगोंका अलहदा अलहदा रहना और अलहदा अलहदा खानपान करना इस बातकी कोई दलील नहीं होगी कि वह लोग मुश्तरका नहीं हैं अर्थात् ऐसा होनेपर भी वह मुश्तरका माने जायंगे। देखो गनेशदत्त बनाम ज़ीवाच (1903) 31 Cal. 262; 31 I. A. 10; 31 Mad. 482.

महर्षि बृहस्पति ने कहा है—जो भाई एकसाथ रहते और खातेपीतेहों उनके घरमें पूर्वजों, देवताओं, और ब्राह्मणोंकी एकही पूजा सबके लिये काफी होगी, परंतु जिस ख़ानदान के लोग अलहदा अलहदा रहतेहों तो उन सबके घरमें अलहदा अलहदा पूजा होना चाहिये।

(२) जब किसी मुक़द्दमेंमें यह सावित किया गया हो कि कोई हिन्दू ख़ानदान किसी समय मुश्तरका था तो जबतक कि यह सावित न किया जाय कि बटवारा होचुका है तबतक क़ानूनमें यही माना जायगा कि वह ख़ानदान अबतक मुश्तरका है; चौथा बनाम मिहीलाल 11 M. I. A. 369; प्रीतकुंवर बनाम महादेव 22 Cal. 85; 21 I. A. 134.

(३) अगर कोई कोपार्सनर अपने दूसरे कोपार्सनरोंसे अलग होजाय तो यह मान लेनेका कोई सबब नहीं है कि दूसरे कोपार्सनर मुश्तरका ही बने रहे अर्थात् यह माना जासकता है कि एक आदमीके अलग होतेही सब लोग अलग होगये थे। बालाबकस बनाम रुखमाबाई 30 Cal. 725; 30 I. A. 130.

(४) किसी ख़ानदानके मुश्तरका होनेसेही यह अनुमान नहीं कर लिया जासकता कि उस ख़ानदानके क़ब्ज़ेमें कोई मुश्तरका या कोई भी जायदाद है अर्थात् विना किसी जायदाद के रखने पर भी ख़ानदान मुश्तरका होसकता है। मूलजी बनाम गोकुलदास 8 Bom. 154; तुलसीदास बनाम प्रेमजी 13 Bom. 61; द्वारिकाप्रसाद बनाम जमनादास 13 Bom. L. R. 133; रामकिशुन बनाम डुंड़ामल 33 All. 677.

परंतु जब किसी मुक़द्दमेंमें यह सावित किया गया हो या मंजूर किया गया हो कि कोई हिन्दू खानदान एकसाथ रहता है और एकसाथ खातापीता है और उसके क़व्ज़ेमें जायदाद भी मुश्तरका है तो क़ानून यही अनुमान करेगा कि उस खानदानके क़व्ज़ेकी सब जायदाद मुश्तरका है। ऐसे खानदानका कोई एक आदमी अगर खानदानकी जायदादका एक टुकड़ा अपनी अलग जायदाद बताये तो इस बातके सावित करनेका वोझ उसी पक्षपर होगा चाहे वह जायदाद उसी के नामसेही खरीदी गयी हो या रसीदें मौजूद हों तोभी अलहदा जायदाद नहीं मानली जायगी ; देखो -12 Beng L. R. (P. C.) 317.

लेकिन अगर मुस्तरका खानदान के एक आदमी ‘ महेश ’ के नाम पर कोई जायदाद हो, और यह भी मालूम हो कि उस खानदानके दूसरे लोगोंने अपने रुपयासे अपनी कोई अलग जायदाद कमाई हो, और वे खानदान के लोगोंसे विना सलाह किये उसका प्रबंध करते हों और महेश के विषयमें भी खानदानने दुनियाको यह दिखाया हो कि महेश उस जायदाद का अलग अकेला मालिक है, तो उस शकलमें यह अनुमान करना कि जायदाद मुश्तरका है कमज़ोर होजायगा। और फिर उस जायदादको मुश्तरका सावित करनेका वोझ उन लोगोंपर है जो उसे मुश्तरका बयान करते हों ; देखो—धरमदास बनाम श्यामासुंदरी 3 M. I. A. 229, 240 ; गोपीकृष्ण बनाम गंगाप्रसाद 6 M. I. A. 53 ; 10 M. I. A. 403, 411, 412 ; 13 M. I. A. 542 ; 5 Cal. L. R. 477 ; 6 I. A. 233, 236 ; 18 All. 176 ; अतरसिंह बनाम ठाकुरसिंह (1908) 35 I. A. 296 ; 35 Cal. 1039.

ऐसा मानो कि अ, और उसके दो पुत्र क, और ख, मुश्तरका खानदानकी हैसियत से रहते हैं यह सावित है कि सन १८९५ में बापके हाथमें मौरूसी जायदादका बहुत कुछ भाग था सन् १८९ में बापने एक ग़ैरमनकूला जायदाद अपने नामसे खरीदी और वसीयतसे उसने यह कहकर कि यह खरीदी हुई जायदाद उसकी कमाईकी है उस बापने क, को देदी। इस मामलेमें अनुमान यही है कि बापने मौरूसी जायदादकी आमदनीसे वह जायदाद खरीदी थी इस लिये वह खरीदी हुई जायदाद भी मुश्तरका है। वह मुश्तरका नहीं है इस बात के सावित करनेका वोझ क, पर है ; देखो—लालबहादुर बनाम कन्हैय्यालाल (1907) 29 All. 244 ; 34 I. A. 65 वसीयतनामामें बापका यह लिखना कि वह जायदाद उसकी खुद कमाई की थी यह काफी नहीं है और न वह वतौर गवाही के हैं यानी ऐसा लिख देनेसे कोई असर नहीं होगा; देखो दफा ३९७.

(५) जब किसी मुक़द्दमेंमें यह सावित किया गयाहो या स्वीकार किया गयाहो कि वटवारा हो चुका है, तो यह बात कि जायदादका एक हिस्सा अब भी मुश्तरका है, इस बात के सावित करनेका वोझा उसी पक्षपर है जो मुश्तरका बयान करताहो अर्थात् वटवारा हो जानेके बाद यह नहीं माना जायगा कि फिरभी कोई जायदाद मुश्तरका रहगयी थी देखो—विनायक बनाम दत्तो 25 Bom. 367 .

(६) जब किसी मुक़द्दमेंमें यह सावित किया गया हो या स्वीकार किया गया हो कि मुश्तरका जायदादका कुछ वटवारा होचुका है तो अनुमान यही किया जायगा कि जायदाद का पूरा वटवारा हो चुका है ; देखो—वैद्यनाथ बनाम एय्यासामी 32 Mad. 191.

एक हिन्दू अपने पुत्र और पौत्रोंसहित मुश्तरका रहता है उसने दानके तौरपर अपनी जायदाद पौत्र को देदी दानपत्रमें उसने वह जायदाद अपनी कमाई हुई बतायी थी और दानपत्रमें उसके पुत्रके भी हस्ताक्षर थे यह सावित किया गया था कि पुत्रको दानपत्रका मतलब मालूम था जब कि उसने हस्ताक्षर किये थे इसपर अदालतने यही अनुमान किया

कि वह जायदाद उस हिन्दू की अपनी कमाई हुई थी; देखो—कल्यानजी बनाम वेजनजी 32 Bom: 512.

दफा ४२३. अलहदा जायदादपर अधिकार——कोई आदमी चाहे मुश्तरका ख़ानदानमें रहता हो मगर वह अपनी अलहदा जायदाद भी रख सकता है और ऐसी जायदाद उस आदमी के निजकी होगी दूसरे किसी हिस्सेदारको उसमें पैदाइशसे कोई हक़ नहीं होगा और अगर ऐसी जायदाद जो अलहदाहो वह मुश्तरका ख़ानदानमें रहनेपर भी वह आदमी उसे बेंचसकता है (6 W. R. 71); और इनाममें देसकता है या वसीयत के ज़रिये जिसको जी चाहे देसकता है (20 All 267; 25, All. 54; 24 Mad. 229; 10 Mad. 251; 28 Mad. 336; 10 W. R. 287; 20 W. R. 137; 1 All. 394; 12 M. I. A. 1, 39; 9 M. I. A. 96; 8 Bom. H C. O. C. 196); और अगर वह विना किसी वसीयत के मरजाए तो वह जायदाद उसके वारिसोंको उत्तराधिकारमें मिलती हैं (9 M. I. A. 543, 613).

यह निश्चित तौरपर मानागया है कि जिस किसी बापके पास अलहदा जायदाद हो उस जायदादको बाप विना पूंछे अपनी औलादके जैसा उसके जीमें आये करसकता है यानी उस जायदादको बेंच सकता हैं (6 W. R. 71). दान करसकता है या जिसको जी चाहे देसकता है; लड़के, पोते, परपोते अपनी पैदाइशसे उस जायदादमें कोई हक़ नहीं रखते। मगर बापके मरनेपर उसकी सब जायदाद जब लड़कोंके पास आवेगी तो उसवक्त वह जायदाद मौरूसी होजाएगी और मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादमें शामिल होजाएगी (1 All 394).

दफा ४२४. मुश्तरका कारबार————

(अ) कोपार्सनरोंके कारोबारका वर्णन।

(१) हिन्दूलॉ में कारबार एक चीज़ है जो वरासतमें मिलसकता है। जब कोई हिन्दू मुश्तरका ख़ानदानका कोई कारबार छोड़कर मरजाता है तो वरासतमें आनेवाली दूसरी जायदादोंकी तरहपर वह कारबार भी उसके वारिसोंको मिलता है। अगर वह आदमी कोई लड़का, पोता या परपोता छोड़कर मरा है तो वही संतान उस कारवारके पानेका हक़ रखती है। उस संतानके हाथमें वह कारबार मुश्तरका ख़ानदानका कारवार बनजाता है। और जिस फर्म या दूकानमें वह संतान शरीक होते हैं, वह मुश्तरका ख़ानदानका फर्म या दूकान कहलाती है। मुश्तरका ख़ानदानके कारबारमें जो शराकत लड़कों, पोतों या परपोतोंकी होती है वह शराकत कंट्राक्टसे बनाई हुयी (कंपिनी या दूकान आदि) साधारण हिस्सेदारी (Partnership) नहीं है बल्कि वह मुश्तरका ख़ानदानकी भागीदारी है जो क़ानूनके असरसे स्वयं पैदा होती है। मुश्तरका ख़ानदानके फर्ममें जितने कोपार्सनर शरीक ह उन सबोंके हक़ और क़रज़े और ज़िम्मेदारियोंका विचार कंट्राक्ट एक्ट नम्बर ९ सन १८७२ ई० के अनुसारही नहीं हो सकता बल्कि इसके साथ साथ हिन्दूलॉ के सिद्धांतोंका भी ख्याल किया जाएगा; देखो—रामलाल बनाम लक्ष्मीचन्द 1 Bom H. C. li. मुश्तरका ख़ानदानके कारबारकी हिस्सेदारी और मामूली हिस्सेदारी (Partnership) जो अकसर कंपिनियों और दूकानोंमें हुआ करती हैं इन दोनोंमें क्या फरक़ है यह फरक़ नीचे बताते हैं देखो—

१—मुश्तरका ख़ानदानकी हिस्सेदारी किसीएक कोपार्सनके मरजानेसे टूट नहीं जाती और साधारण हिस्सेदारी टूट जाती है। देखो—सांवलबाई बनाम सोमेश्वर 5 Bom 38; 14 Bom 194.

२—जब कोई आदमी मुश्तरका ख़ानदानमें रहता हो और उस ख़ानदानका कोई मुश्तरका कारबार चलता हो ऐसी हालतमें अगर वह अलहदा होजाय और मुश्तरका ख़ानदानसे संबंध तोड़ दे तो वह आदमी पिछले मुनाफा और नुक़सानका हिसाब कुछ भी नहीं मांग सकता मगर साधारण हिस्सेदारीमें जैसा कि कंपिनियों या साझेदारोंमें हुआ करती है बराबर पीछला हिसाब मांगसकता है।

३—मुश्तरका ख़ानदानके मेनेजर (प्रबंधक) को यह माना हुआ अधिकार प्राप्त है कि वह मुश्तरका ख़ानदानके कारबारके लाभके लिये क़र्ज़ लेसकता है, और उस ख़ानदानकी जायदादको रेहन करसकता है (5 Cal 792 ; 26 Bom 206 ; 6 C. W. N. 429). और ऐसे क़र्ज़ अगर उस ख़ानदानके कारबारके लिये, लिये गये हों तो उस क़र्ज़की देनदार मुश्तरका जायदाद है जिसमें नाबालिग़ कोपार्सनरोंका हिस्सा भी शामिल रहेगा। परंतु ऐसा अधिकार सिर्फ मेनेजरको ही होगा दूसरे कोपार्सनरको नहीं होगा (23 Mad 597). परंतु साधारण हिस्सेदारीमें साझेके कारबारके लिये कोई भी हिस्सेदार या साझीदार क़रज़ा नहीं लेसकता है और उसके देनदार अन्य सब हिस्सेदार नहीं होते हैं, देखो-कंट्राक्ट एक्टकी दफा २५१ एक्ट नम्बर ९ सन १८७२ ई०

४—साधारण हिस्सेदारीमें साझेके कारबारका क़रज़ा चुकानेके लिये साझीदारका सिर्फ हिस्साही नहीं लियाजायगा बल्कि उसकी दूसरी अलहदा जायदाद भी लीजायगी (अगर वह साझेदारी रजिस्टरी न हो) लेकिन जो क़र्ज़ मुश्तरका ख़ानदानका मेनेजर उस ख़ानदानके कारोबारके वास्ते लेता है तो उसके अदा करनेके लिये मुश्तरका ख़ानदानकी कुलजायदाद और उस मेनेजरकी दूसरी अलहदा जायदाद भी ज़िम्मेदार है और अगर ऐसी सूरत हो कि ज़ाहिरा क़रज़ा लेनेवाला चाहे मेनेजरही हो पर असलमें दूसरे कोपार्सनर भी शामिल हों या उनके व्यवहार या चलनसे यह समझा जासके कि वे शामिल थे या जिस क़रज़ेको उन्होंने पीछे स्वीकार करलिया हो तो उन सब कोपार्सनरोंकी अलहदा जायदाद भी उस क़र्ज़ेके अदा करनेकी ज़िम्मेदार समझीजायगी देखो-चाला मैय्या बनाम वरादय्या 22 Mad. 166 ; समलभाई बनाम सोमेश्वर 5 Bom 38 ; सकराभाई बनाम मगनलाल 26 Bom. 206 ; 29 Cal. 583 ; 9 Bom. L. R. 1289.

५—साधारण साझीदारीमें जब कोई साझीदार नाबालिग़ हो तो साझेदारीके क़रज़े के लिये तो उस नाबालिग़का हिस्साही ज़िम्मेदार है उसकी अलहदा जायदाद ज़िम्मेदार नहीं है। मगर यदि उसने बालिग़ होनेपर साझीदारी स्वीकार करली हो तो फिर उसकी दूसरी अलहदा जायदाद भी उस क़र्ज़ेके अदा करनेके लिये जो उसकी नाबालिग़ीमें लियागया है ज़िम्मेदार होगी। देखो-कांट्राक्ट एक्टकी दफा २४७, २४८ एक्ट नंबर ९ सन १९७२.

यही ऊपरका नियम नाबालिग़ कोपार्सनरोंके लिये भी है अर्थात् मुश्तरका ख़ानदानका मेनेजर मुश्तरका कारबारके लिये नाबालिग़ कोपार्सनरके हिस्सेसहित मुश्तरका जायदादको रेहन रख सकता है (34 Bom 72 ; 35 Bom 692). ऐसी सूरतमें मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादमें जो नाबालिग़ कोपार्सनरका हिस्सा है, उतनाही ज़िम्मेदार होगा। लेकिन अगर उस नाबालिग़ कोपार्सनरने बालिग़ होनेपर उस मुश्तरका ख़ानदानके कारबारमें अपना साझा स्वीकार करलिया हो तो फिर उसकी दूसरी अलहदा जायदाद भी उस क़र्ज़ेके अदा करनेके लिये ज़िम्मेदार होगी देखो-विश्वंभर बनाम शिवनरायन 29 All. 166 ; विश्वंभर बनाम फतेहलाल 29 All 176 ; 3 Cal 738 ; 26 Cal. 349 ; 26 Mad 214.

(२) मुश्तरका ख़ानदानके कारोबारका मेनेजर मुश्तरका ख़ानदानकी ओरसे किसी

ग़ैर आदमीको अपना साझीदार बनासकता है; देखो-रामलाल बनाम लक्ष्मीचन्द 1 Bom. H. C. app. li. जब मेनेजर ऐसी कोई साझीदारी ग़ैर आदमीके साथ करे तो उसका फैसला यानी जो कुछ झगड़े उस साझीदारोमें हों कांट्रक्ट एक्ट नं० ९ सन १८७२ के अनुसार होंगे क्योंकि वह कारोवार एक ग़ैर आदमीके शरीक होतेही साधारण साझीदारी या कंपनी का कारबार बनजाता है। ऐसे कारबारमें मेनेजरके, या मुश्तरका ख़ानदानके किसी दूसरे आदमीके, या उस ग़ैर आदमीके मरतेही क़ानूनन् शराकत टूटजाती है; देखो-सुखानन्द बनाम सुखानन्द 28 Mad 344.

३— मुश्तरका ख़ानदान का कोई आदमी अगर कोई कारोवार करता हो तो इससे यह अनुमान नहीं किया जा सकता है कि उसका कारबार अवश्यही मुश्तरका ख़ानदान का कारोवार है; देखो—वादीलाल बनाम शाह खुशाल 27 Bom 157 ; 14 Bom 189 ; 40 Cal. 523-

नोट—(१) ऊपर कहा गया है कि मुश्तरका ख़ानदानका मेनेजर मुश्तरका ख़ानदानके लिये जो क़रज़ लेता है उसके अदा करनेके लिये नावालिग़ कोपार्सनरका हिस्साभी पाबंद है। यह बात योग्यहै और ऐसाही होना चाहिये था क्योंकि अगर ऐसा न होता तो होसकता हैकि बालिग़ होनेपर उन क़रज़ोंके देनेसे इनकार करदेता तो फिर ऐसी सूरतमें मेनेजरको कोई आदमी क़रज़ा नहीं देता और इसलिये मुश्तरका ख़ानदानका कारोवार बरबाद हो जाता। (२) ऊपर यहभी कहा जाचुका है कि मेनेजर के लिये हुए जिस क़रज़ेमें अन्य कोपार्सनर शरीक नहों या उन्होने उसे स्वीकार नकिया हो तो उस क़रज़े के अदा करने के लिये मुश्तरका ख़ानदान की जायदाद का उनका हिस्साही पाबंद होता है उनकी अलहदा जायदाद नहीं पाबंद होती। इसका कारण यह है कि मेनेजर का अधिकार मुश्तरका जायदादके अंदर ही रखा गया है। क़ानून—कोपार्सनरकी अलहदा जायदादके विषयमें, कोपार्सनरको मेनेजर से अलग मानता हैं।

(४) जब कोई विधवा अपने पतिके कारोबारके लाभके लिये कोई क़रज़ाले तो वह क़रज़ा उस विधवाके मरनेके बाद भी उस कारोबारसे वसूल हो सकता है चाहे विधवाने क़रज़े के एवज़में कारोवारको रेहन नहीं रखा हो। देखो—सकराभाई बनाम मगललाल 26 Bom. 206.

(क) कोपार्सनरोंके अधिकारका वर्णन।

(१) सब कोपार्सनरोंके लाभों और क़ब्ज़ेकी एकता-मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादमें किसी भी एक कोपार्सनरका कोई ख़ास हक़ या कोई ख़ास अलहदालाभ नहीं हो सकता और न उस जायदादके किसी एक टुकड़ेपर उसका अलहदा क़बज़ा हो सकता है देखो-26 Bom 141, 144. प्रिवीकौन्सिलके जज़ोंने कहा हैकि " कोपार्सनरी जायदादमें ख़ानदानके सबलोगों का लाभ और क़ब्ज़ा एकसा होता है " देखो—9 M. I. A. 543, 615.

(२) आमदनीका हिस्सा—मिताक्षरालॉ के अनुसार मुश्तरका ख़ानदान का कोई आदमी किसी भी समय यह नहीं कह सकता कि मुश्तरका ख़ानदान की जायदाद में उसका कितना हिस्सा है। उसका हिस्सा सिर्फ बटवारा होनेसे ही मालूम हो सकता है; देखो—एप्यो बियर बनाम रामा सुबारयन 11 M. I. A. 75, 89. जबकि मुश्तरका रहने की सूरतमें कोई आदमी मुश्तरका जायदाद के किसी हिस्से का अलहदा हक़दार नहीं है तो इसी तरह वह मुश्तरका जायदादकी आमदनी के भी किसी हिस्सेका अलहदा हक़दार नहीं है; देखो—23 Bom 144. मुश्तरका ख़ानदान की जायदादकी सब आमदनी सब के साझे के

कोषमें लाई जायगी और वहींसे मुश्तरका ख़ानदानके सब लोगों की ज़रूरत के अनुसार उसका ख़र्च होगा; देखो--11 M. I. A. 75, 89.

(३) मुश्तरका क़ब्ज़ा रखना, और मुश्तरका लाभ उठाना--हरएक कोपार्सनर मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादके मुश्तरका क़ब्ज़े और मुश्तरका लाभ उठानेका हक़दार है। अगर कोई कोपार्सनर ज़बरदस्ती मुश्तरका क़ब्ज़े और मुश्तरका लाभ उठानेसे बंचित रखा जाय तो वह कोपार्सनर अदालतमें इस बातका दावा दायर करसकता है कि वह मुश्तरका रहने पाये और कुल उसके लाभ उठाने पावे। वह बटवारा करालेनेके लिये मजबूर नहीं किया जासकता और न है। इस बातकी कोई वजेह नहीं है कि क्यों एक हिन्दू कोपार्सनर जो कि मुश्तरका हकोंसे बंचित रखा गया हो, दूसरे कोपार्सनरोंके कहनेसे तथा अपनी मरज़ीके ख़िलाफ बटवारा करानेका दावा करने और मुश्तरका ख़ानदानको तोड़ देनेके लिये बाध्य किया जाय; देखो-नरानभाई बनाम रनछोड़ 26 Bom 141; रामचन्द्र बनाम रघुनाथ 20 Bom 467. जब कोई कोपार्सनर मुश्तरका क़ब्ज़ेसे बंचित रखागया होतो ऐसे मामलेमें ऐसी ड़िकरी होना उचित है कि उसके मुश्तरका क़ब्ज़ेका हक़ क़रार दिया जाय लेकिन इसके सिवाय उस ड़िकरीमें यह भी होना चाहिये कि उसको वह क़ब्ज़ा दिला दिया जाय। सिर्फ मुश्तरका क़ब्ज़ेका हक़ क़रार देनाही काफी नहीं होगा क्योंकि यह उस कोपार्सनरको अपनी मरज़ीके ख़िलाफ बटवाराका दावा करनेसे बचा नहीं सकता इस लिये क़ब्ज़ा भी दिला देनेकी ड़िकरी अवश्य होना चाहिये; देखो-26 Bom 141, 145. जब किसी कोपार्सनरको उसके दूसरे कोपार्सनर मुश्तरका जायदाद या उसके किसी हिस्सेके काममें लाने या लाभ उठानेसे बंचित रखें, तो अदालत उन कोपार्सनरोंको ऐसा करनेसे रोक सकती है।

उदाहरण--(१) ऐसा मानो कि 'महेश' और 'शंकर' एक मुश्तरका ख़ानदानके मेम्बर हैं। महेश घरके किसी ऐसे दरवाज़े या सीढ़ीको काममें लानेसे 'शंकर' को रोकता है जो शंकरके कमरेमें जानेका एक मात्र रास्ता है। महेशका यह काम मानो शंकरको बेदख़ल करना है। अदालत उसको ऐसा करनेसे रोक सकती है कि जिससे शंकर उस दरवाज़े या सीढ़ीको अपने काममें लासके; 19 Mad 269; 29 Cal 500.

(२) ऐसा मानो कि--'महेश' और 'शंकर' एक मुश्तरका ख़ानदानके मेम्बर हैं उनकी एक दूकान कलकत्तेमें है, शंकर दूकानमें घुसकर वही खाता देखना चाहता है और दूकानके कारबारमें भाग लेना चाहता है परन्तु महेश उसको रोकता है। अदालत महेशको ऐसा करनेसे रोक सकती है; देखो-गनपति बनाम अन्नाजी 23 Bom 144.

(४) अनधिकारके काम--दूसरे कोपार्सनरोंकी मंजूरी बिना, किसी कोपार्सनरको यह अधिकार नहीं है कि वह मुश्तरका ख़ानदानकी किसी ज़मीनपर या उसके किसी हिस्सेपर कोई मकान बनावे या ऐसा काम करे जिससे उस जायदादकी हालत बदल जाय। और न उसको कोई ऐसा काम करनेका अधिकार है कि जिससे मुश्तरका लाभ उठानेमें बाधा पड़े। अगर वह ऐसा करे तो अदालतके हुक्मसे रोका जासकता है; देखो--शिवप्रसाद बनाम लीलासिंह 12 Beng L. R. 188; गुरुदास बनाम विजय 1 Beng L.R. A. C. 108; 6 Bom. H. C. A. C. 54; 12 All. 436; 18 All 115.

अगर कोपार्सनरके किसी कामसे जायदादकी हालत बहुत तबदील नहो मसलन उसने सिर्फ एक दीवाल बनाई कि जिससे जायदादका मुश्तरका लाभ उठानेमें कोई बाधा नहीं पड़ती तो अदालत उसे रद्द नहीं करदेगी; विश्वंभर बनाम राजाराम 3 Beng L.R. 67.

(५) ज़बरदस्ती बटवारा कराना--मुश्तरका ख़ानदानके हरएक बालिग़ कोपार्सनरको

अधिकार है कि वह मुश्तरका जायदादका बटवारा अपनी मरज़ीसे करा ले। परन्तु कोई बालिग़ लड़का अपने बापसे उससमय बटवारा नहीं करा सकता जब कि बटवारा चाहनेवाले लड़केका बाप अपने बाप (लड़केका दादा) या भाइयों (लड़केका चाचा) के साथ कोपार्सनर हो और वे ज़िंदाहों अर्थात् लड़केका दादा या चाचा ज़िंदाहों तथा कोपार्सनर हों।

(६) हिसाब किताब देखनेका अधिकार--बंगाल हाईकोर्टने यह माना है कि मुश्तरका रहनेकी सूरतमें भी हरएक कोपार्सनर मुश्तरका जायदाद संबंधी हिसाब किताब देख सकता है तथा मांग सकता है जिससे कि वह जानसके कि मुश्तरका जायदादकी वास्तविक दशा क्या है; देखो--अभयचन्द्र बनाम प्यारी मोहन 5 Beng. L. R. 347.

(७) मुश्तरका लाभका अलहदा कर देना—कोई कोपार्सनर अपने मुश्तरका ख़ानदान की जायदादके लाभको नतो वसीयत से और न दानके तौरसे अलहदा कर सकता है। बंबई और मद्रास प्रांत के सिवाय अन्य प्रांतोंमें वह उसे बेंचभी नहीं सकता। अर्थात् उक्त दोनों प्रांतों के सिवाय किसी प्रांतमें मुश्तरका ख़ानदान की जायदाद या उसका मुनाफ़ा आदिका इंतक़ाल नहीं किया जा सकता।

(८) सरवाइवरशिप का हक़--जब कोई कोपार्सनर मुश्तरका जायदाद का बटवारा होनेसे पहिले मरजाय तो जायदाद का उसका मुश्तरका हिस्सा उसके वारिसों को उत्तराधिकार के तौर पर नहीं मिलेगा बल्कि सरवाइवरशिप (दफा ५५८), केद्वारा पीछे जीते रहनेवाले दूसरे कोपार्सनरों को मिलेगा; 9 M. I. A. 543, 615.

(९) मेनेजर--जो कोपार्सनर मेनेजर के तौरपर काम करता है उसे मुश्तरका जायदादकी व्यवस्था के संबंधमें कुछ ख़ास अधिकार होतें हैं जो दूसरे कोपार्सनरको नहीं होतें देखो--दफा ४२५.

(१०) बापके अधिकार ख़ास हैं—मुश्तरका जायदाद की व्यवस्था के संबंधमें बापके कुछख़ास अधिकार होते हैं जो दूसरे कोपार्सनर को नहीं होते।

नोट—जब मुश्तरका हिन्दू ख़ानदान के लोगोंमें, मुश्तरका जायदादके विषयमें कोई झगड़ा हो तो अदालत को चाहिये कि वह मुश्तरका जायदाद के फिज़ूल ख़र्च या ग़ैर क़ानूनी उपयोग के रोकने के लिये या ऐसे कामके रोकने के लिये कि जिससे कोई कोपार्सनर मुश्तरका लाभ लेनेसे वंचित होरहाहो हुक्म इमतनाईजारी करे जैसाकि 19 Bom 269 कें केसमें है।

अकसर देखा गया है कि मुश्तरका ख़ानदानके लोग बिना बटवारा हुए भी अपनी सहूलियतके लिये मुश्तरका जायदादको अपने अलग अलग क़ब्ज़ेमें रखते हैं और उससे लाभ उठाते हैं मगर यह प्राइवेट तौरका इंतज़ाम है इस लिंये अगर वह चाहें तो दूसरी तरह भी बदल सकते हैं। मगर वह मुकम्मिल या किसी तरहका बटवारा नहीं समझा जायगा; देखो—12 Beng. L. R. 188, 195.

दफा ४२५. मेनेजरके अधिकार——(१) मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादका इंतज़ाम आमतौरसे बाप या घरका कोई दूसरा बड़ा करता है। मुश्तरका ख़ानदानके मेनेजरको 'कर्ता' कहते हैं, हरसूरतोंमें बाप मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादका कुदरती मेनेजर होता है और नाबालिग़ लड़कोंके होनेकी सूरतमें बाप अवश्यही उस जायदादका मेनेजर होता है; देखो--सूर्यवंशी कुंवर बनाम शिवप्रसाद 5 Cal. 148, 165; 6 I. A. 88.

हिन्दूसमाजमें मुश्तरका और बिना बटा हुआ ख़ानदानका होना एक साधारण बात है। बिना बटा हुआ ख़ानदान सिर्फ जायदादहीमें नहीं बल्कि खानपान और पूजनमें भी मुश्तरका

होता है, इस लिये न सिर्फ मुश्तरका जायदादकाही इंतज़ाम बल्कि उनके इकट्ठे खानपान और पूजन आदिका प्रबंध भी ख़ानदानके मेम्बरोंमें होता है या उनकी ओरसे अधिकार प्राप्त मेनेजर करता है; देखो--श्रीवरदाप्रताप बनाम बरजोक्रिस्टो 1 Mad 69,81; 3 I.A.154,191.

जबतक कि एक ख़ानदानके लोग मुश्तरका रहें तबतक घरका बड़ा पुरुषही मुश्तरका जायदादके प्रबन्ध करनेका अधिकारी है। और इस जायदादमें दान पुण्यकी जायदाद भी शामिल है; देखो--थंडावरोपा बनाम शुनमुगन (1908) 32 Mad 167, 169. लेकिन घरका बड़ा पुरुष अपने प्रबन्धका अधिकार अगर वह चाहे तो छोड़ सकता है और उसकी जगह घरका कोई छोटा पुरुष मेनेजर (प्रबन्धक) नियुक्त होसकता है; 29 Cal 797.

यद्यपि जन्मसेही पुत्र मौरूसी जायदादका हक़दार अपने पिताके समानही होजाता है तो भी पिताको यह अधिकार है कि अपने पैतृक संबंधके कारण और घरके मुखिया तथा मेनेजरकी हैसियतसे ख़ानदानकी जायदादका प्रबंध ख़ानदानके लाभके लिये जैसा मुनासिब समझे करे। इसलिये पुत्रको यह अधिकार नहीं है कि ख़ानदानकी जायदादके किसी ख़ास हिस्सेपर अपने पिताकी मरज़ीके खिलाफ क़ब्ज़ा करे, यदि ऐसा करे तो पिता उस पुत्रके क़ब्ज़ा निकाल दिये जानेका दावा करसकता है, देखो-बलदेवदास बनाम श्यामलाल 1 All. 77. अगर पुत्र मुश्तरका जायदादमें बापका प्रबंध पसंद न करता हो तो वह बटवारा करा सकता है प्रबंधमें बापके खिलाफ कुछ नहीं करसकता है। मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादके मेनेजरको, मेनेजर होनेके कारण उस ख़ानदानके अन्य लोगोंकी अपेक्षा कोई विशेष मालिकाना अधिकार या जायदादमें दूसरोंसे अधिक लाभ उठानेका अधिकार प्राप्त नहीं होता। अगर मेनेजरका कुछ भी अधिक अधिकार है तो यह है कि-वह ख़ानदानके नाबालिग़ोंके हिस्सेसहित ख़ानदानकी सब जायदादका हिन्दूलॉ के अनुसार प्रबंध और इंतक़ाल करसकता है; देखो-नुन्ना बनाम चिदारा वोईना 26 Mad 214, 221,

(२) आमदनीपर मेनेजर का अधिकार--ख़ानदानके मुखियाकी हैसियतके मेनेजरको आमदनी और खर्चपर पूरा अधिकार है और जो कुछ खर्च करके बचत रहे उसका भी वही अपनेपास रखनेवाला होता है। जबतक कि वह ख़ानदानके कामोंके लिये जायदादकी आमदनी ख़र्च करता है तबतक वह एक तनख्वाहदार एजेन्ट या ट्रस्टीकी तरह कम खर्च करनेके लिये या रुपया बचानेके लिये मजबूर नहीं हैं। एजेन्ट और ट्रस्टी मजबूर हैं कि वह कम खर्च करें तथा रुपया बचावें। ख़ानदानके मेम्बर जितना खर्च होना मुनासिब समझते हैं अगर मेनेजर उससे अधिक खर्च करता है तो इसका इलाज और कुछ नहीं है सिवाय बटवारा करा लेनेके; देखो--भवानी बनाम जगरनाथ (1909) 13 Cal. W. N. 309; ताराचन्द बनाम रविराम 3 Mad. H, C. 177.

अगर मेनेजरने ख़ानदानके दूसरे लोगोंके हिस्से के रुपये खुद खर्च करडाले हों या ऐसे काममें खर्च किये हों जिससे मुश्तरका ख़ानदानका कुछ संबंध नहो तो मेनेजर रुपये का देनदार होगा। यह रुपया उसकी अलहदा जायदादसे वसूल होगा देखो--अभयचन्द्र बनाम प्यारी मोहन (1870) 5 Beng. L. R. 347, 349.

ऊपर जो ख़ानदानके कामोंका ज़िकर कियागयाहै यह काम हैं जैसे कोपार्सनरों और उनके बालबच्चोंका भरण पोषण करना, उनको पढ़ाना लिखाना तथा उनके विवाह या यज्ञोपवीत करना, और श्राद्धोंमें ख़र्च करना तथा दूसरे धार्मिक कृत्योंमें भी खर्च करना। अगर किसी कोपार्सनरका परिवार ज्यादा बड़ा है और दूसरोंका छोटा है तो यह बात कभी नहीं सुनी

जायगी कि अमुक कोपार्सनरके परिवारमें ज्यादा ख़र्चा हुआ और अमुकमें कम । और न यह बात वटवाराके समय सुनी जायगी । कारण यह है कि मुश्तरका ख़ानदानमें सब बराबर समझे जाते हैं; 5 Beng L. R. 347, 349.

नोट—मुश्तरका ख़ानदानके मेनेजरकी हैसियत इन्डियन् कांट्राक्ट एक्ट सन १८७२ ; के चेप्टर १० के अनुसार नहीं मानीगयी—देखो–मोहमद बनाम राधेराम (1900) 22 All 307, 317.

दफा ४२६. मेनेजरको वटवाराके समय हिसाब देनेकी ज़िम्मेदारी——

जब कोई मुक़द्दमा मुश्तरका जायदादके वटवारेका अदालतमें दायर कियाजाय और मुश्तरका ख़ानदानके मेनेजरसे पिछला हिसाब मांगाजाय तो मेनेजर पिछला हिसाब समझानेका ज़िम्मेदार नहीं मानागया है । मेनेजर सिर्फ यह बतानेका पाबंद है कि अभीतक कितना रुपया ख़र्च होगया तथा इस समय कितना रुपया बाक़ी है । मेनेजरसे ऐसा हिसाब नहीं मांगाजायगा कि उसे किफायतका खूब ख्याल रखकर बड़ी परवाहीके साथ रुपया ख़र्च करना चाहिये था । परंतु मेनेजर उस रुपयाके देनेका ज़िम्मेदार है जो उसने अपने कामोंमें या दूसरे ऐसे कामोंमें जिनसे मुश्तरका ख़ानदानका कुछ संबंध नहीं है ख़र्च कियाहो अर्थात् अगर जालसाज़ी या अनुचित रीतिसे निजके कामोंमें ख़र्च नहीं किया तो कोई भी कोपार्सनर मेनेजरसे तफसीलवार हिसाब पिछला नहीं मांग सकता है । मेनेजरसे कोपार्सनर सिर्फ उस वक्तका हिसाब मांगसकता है कि जिसवक्त वटवारा चाहागया हो यानी वटवारा चाहे जानेके समय जो हिसाब मौजूद है सिर्फ उसे मांगसकता है पिछला नहीं । देखो—बालकृष्ण बनाम मुथूसामी 32 Mad. 271 ; नरायन बनाम नाथाजी (1903) 28 Bom. 201, 208 ; दामोदरदास बनाम उत्तमराम 17 Bom 271.

अगर कोपार्सनरोंके और मेनेजरके दरमियान कोई ख़ास शर्तनामा होचुका हो तो उस समय मेनेजर बतौर एजेन्टके हिसाब देनेका ज़िम्मेदार होगा यानी पिछला हिसाब भी देनेका पाबंद होगा; 22 Mad. 470 ; 26 I. A. 167.

बंगालस्कूल—उन स्थानोंमें जहांपर बंगास्कूल मानाजाता है वहांपर विना वटवारा कराये भी कोपार्सनर मेनेजरसे हिसाब मांगसकताहै इसबातके देखनेके लिये कि उसने अभीतक क्या किया है मगर जहांपर मिताक्षरा मानाजाता है वहांपर नहीं 5 Beng L. R. 347.

दफा ४२७. मेनेजरका अधिकार मुश्तरका ख़ानदानके लिये क़रज़ा लेनेका—

(१) मुश्तरका ख़ानदानके कारोबारके मेनेजरको खुद बखुद यह अधिकार प्राप्त है कि वह ख़ानदानके कारोबारके साधारण कामोंके लिये क़रज़ा लेसकता है 5 Cal. 792.

जब ऐसे क़रज़े लिये गये हों तो सब कोपार्सनर चाहे वह बालिग़ हों (22 Mad. 166 ; 5 Bom 38) ; चाहे नाबालिग़ हों (29 All 176 ; 26 Mad 214 ; 3 Cal 738.) ; अपने हिस्सेकी हद्दतक उन क़रज़ोंके देनदार हैं । लेकिन अगर वह कोपार्सनर उनक़रज़ोंके लेनेमें खुदभी शरीक रहे हों, अथवा उनके बर्तावसे यह समझा जासकता हो कि वह शरीक रहे होंगे; या थे, या उन्होने उन क़रज़ोंको उसवक्त या पीछे मंजूर करलिया हो, तो वह कोपार्सनर ज़ाती तौरसे भी ज़िम्मेदार हैं और उनकी दुसरी जायदाद भी ज़िम्मेदार है । अगर नाबालिग़ कोपार्सनरोंने बालिग़ होनेपर उन क़रज़ोंको स्वीकार करलिया हो तो वह भी ज़ाती तौरपर उन क़रज़ोंके अदा करनेके ज़िम्मेदार हैं ।

(२) चाहे किसी हिन्दूमुश्तरका ख़ानदानका कारोबार कुछ भी न हो तो भी मेनेजर

ख़ानदानके साधारण कामोंके लिये क़रज़ा लेसकता है और उसके लिये सब कोपार्सनर वैसा ही ज़िम्मेदार हैं जैसा कि ऊपर नं० १ में बतायागया है ; देखो—गरीबउल्ला बनाम खलकसिंह 25 All 407, 414, 415 ; 30 I. A. 165 ; द्वारिकानाथ बनाम बेशी 9 Cal. W. N. 379 ; 22 Mad 166.

(३) जब मेनेजर ख़ानदानकी ज़रूरतें बताकर किसीसे क़रज़ाले और क़रज़ देनेवाला मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादमें उस ख़ानदानके सब मेम्बरोंके हिस्सेको अपने क़रज़े का देनदार तथा ज़िम्मेदार बनाये तो जबतक कि वह अर्थात् क़रज़ा देनेवाला यह साबित न करदे कि उस क़रज़की वास्तविक में ज़रूरतथी, या यह कि उसने उचित जांच करके वैसी ज़रूरत मालूम कर लीथी, या यह कि-उससे ऐसा कहा गया था कि जिससे वैसी ज़रूरत मालूम पड़ सकती होतो उसे मुश्तरका ख़ानदानकी कुल जायदादपर डिकरी नहीं दी जायगी; देखो-सोहरू पद्मनाथ बनाम नारायणराव 18 Bom. 520 ; 21 Bom 808; 5 Cal 321.

कलकत्ता और इलाहाबाद हाईकोर्टने माना हैकि यही क़ायदा जो ऊपर कहागयाहै मुश्तरका खानदान के कारोबार के वास्ते जो क़रज़ा लिया जायगा उस में भी लागू होगा; देखो-नगेन्द्र बनाम अमरचन्द्र 7 Cal. W. N. 725 ; गनपतराय बनाम मुन्नीलाल (1912) 34 All 135. किंतु बंबई हाईकोर्टने इसके बिल्कुल बरख़िलाफ़ माना है अर्थात् बंबई हाईकोर्टने माना कि क़रज़ा देनेवालेको इस बात के पूंछने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क़रज़ किसी वास्तविक ज़रूरतके लिये लिया जाता है या नहीं इत्यादि, हरतरहपर उस के क़रज़ की ज़िम्मेदार मुश्तरका जायदाद होगी ; देखो—रघुनाथजी बनाम दि बेंकआफ बंबई (1909) 34Bom.72; शंका बनाम दि बेंक ऑफ बरमा (1912)35 Mad.692, 694-696.

उदाहरण--मुश्तरका ख़ानदानके प्रबंध करने वाले तीन भाइयोंने मुश्तका ख़ानदानके कामके लिये महाजनसे क़रज लिया, दो भाई मरगये, महाजनने तीसरेभाई और उन दोनों भाइयोंकी संतानपर उस क़रज़ेके पानेका दावा किया। ख़ानदानकी कुल जायदाद उस क़रज़ेकी देनदार है उस तीसरे भाईकी ज़ात और दूसरी जायदाद भी ज़िम्मेदार है परंतु उन दोनों भाइयोंकी संतान ज़िम्मेदार नहींहै क्योंकि वह क़रज़ा लेनेमें खुद शरीकनथे देखो-22 Mad. 169. अगर किसी मेनेजरने अपनी ज़ाती ज़िम्मेदारीपर क़रज़ा लिया हो और उस रुपयाको ख़ानदान के कामोंमें खर्च किया हो तो उस सूरतमें ख़ानदानकी कुल जायदाद ज़िम्मेदार है; देखो--अघोरनाथ बनाम ग्रीशचन्द्र 20 Cal. 18.

दफ़ा ४२८. मुश्तरका ख़ानदानके कारोबारके मेनेजरके अधिकार——ख़ानदानके कारोबारके वास्ते क़रज़ लेनेके अधिकारके अलावा मेनेजरको यह भी अधिकार है कि वह कंट्राक्ट करे, रसीदें दे, और कारबारके संबंधमें सब तरहके मामलोंका फैसला करे । ऐसे सर्वव्यापी अधिकार के बिना कारबारका चलना असंभव है; देखो--किशुनप्रसाद बनाम हरनरायनसिंह (1911) 33 All. 272 ; 38 I. A. 45. मुश्तरका ख़ानदानके कारोबारके प्रबंधके मेनेजर या मेनेजरोंने अपने नामसे कारबार संबंधी कंट्राक्ट किये हों, तो सवाल यह पैदा होता है कि उन कंट्राक्टोंके विषयमें अदालतमें दावा करने के समय अर्ज़ी दावा (Plaint) में मुद्दईकी जगहपर सिर्फ प्रबंधक मेनेजर या मेनेजरोंका नाम लिखा जाय या ख़ानदानके अन्य मेम्बरोंकेभी नाम लिखे जायें ।इस बारेमें प्रिवीकौन्सिलकी यह राय हुई है कि दूसरे मेम्बरोंके नाम भी लिखे जाना ज़रूरी होगा; देखो--किशुनप्रसाद बनाम हरनारायनसिंह 33 All. 272 ; 38 I. A. 45.

दफा ४२९. मेनेजरके द्वारा मुश्तरका जायदादका इन्तक़ाल किया जाना— हिन्दू मुश्तरका खानदानके मेनेजर को अधिकार है कि मुश्तरका खानदानकी जायदाद को वह रेहन रख सकता है, और बेंचसकता है इस इन्तकालसे बालिग़ और नाबालिग़ दोनों कोपार्सनरोंका लाभ और उनकी जायदाद पाबंद होगी मगर शर्त यह है कि—

(१) अगर कोपार्सनर बालिग़ हैं तो रेहन या बिक्रीके समय उनकी मंजूरी होना ज़रूरी है चाहे वह मंजूरी प्रत्यक्ष लीगयी हो या प्रकारांतरसे लीगयी हो; देखो मिलर बनाम रंगनाथ 12 Cal. 389; गरीबउल्ला बनाम खलकसिंह 25 All. 407, 415; 30 I. A. 165, 169.

(२) अगर कोपार्सनर नाबालिग़ हैं तो रेहन या बिक्री उस समय ठीक मानी जायगी जब वह रुपया खानदानके व्यापार या खानदानकी क़ानूनी ज़रूरतों (दफा ४३०). के लिये लिया गया हो ऐसी सूरतमें नाबालिग़ कोपार्सनरकी मुश्तरका जायदाद पाबंद होगी; देखो- हनूमानप्रसाद बनाम मुसम्मात बबुई 6 M. I. A. 393; 21 W. R. 186; 21 All. 71, 83; 25 I. A. 183.

खानदानकी ज़रूरतोंके लिये जब मेनेजर मुश्तरका जायदाद का इन्तक़ाल करे और उसने बालिग़ कोपार्सनरोंकी रज़ामंदी नली हो तो भी उनकी रज़ामंदी उस समय समझी जायगी जब कि खानदानी ज़रूरत बहुत सख्त हो और मेनेजरको जायदादके इन्तकाल के समय उन कोपार्सनरोंकी मंजूरी हासिल करनेका सुभीता और समय नहो; देखो—छोटीराम बनाम नरायनदास 11 Bom. 605; 12 Cal. 389, 399; 29 Cal. 797.

जब कि मुश्तरका खानदान के व्यापारके क़रज़ अदा करनेके लिये जायदादका इन्तक़ाल किया गया होतो उसमेंभी कोपार्सनरोंकी रज़ामंदी समझी जायगी जैसा कि ऊपर कहागया है; देखो—श्यामसुंदर बनाम अचनकुंवर 21 All. 71, 83; 25 I. A. 183; बिमोला बनाम मोहन 5 Cal. 792; छोटेराम बनाम नरायनदास 11 Bom. 605.

उदाहरण—उपरोक्त छोटेराम वाले मुक़द्दमेके वाक़ियात यह थे-' महेश ' और शंकर दोनो सगे भाई मुश्तरका खानदानमें रहते हैं, महेश परदेश चलागया, शंकरके सिपुर्द खानदानका व्यापार और प्रबंध था, महेशकी ग़ैरहाज़िरीमें और उसकी रज़ामंदीके बिना खानदानके कारोबार के लिये और अपनी बहन के विवाह के खर्च के लिये शंकरने मुश्तरका जायदादका एक मकान बेंचडाला क्योंकि यह बेंचना क़ानूनन् जायज़ था इसलिये महेश के ऊपर यह बिक्री लागू पड़ेगी अर्थात् महेश उस बैनामाका पाबंद होगा। यह समझा जायगा कि महेश भी यही चाहता था कि शंकर मेनेजरकी हैसियतसे खानदानकी जरूरतों के लिये जो मुनासिब समझे करे। रामलाल बनाम लखमीचन्द 1 Bom. H. C. App li. के मुक़द्दमेमें बंबई हाईकोर्टने कहा कि मेनेजरके मुश्तरका खानदानी व्यापार चलानेके अधिकार में, व्यापारके साधारण कामोंके लिये मुश्तरका खानदानकी जायदादको रेहन करनेका अधिकार भी अवश्य बिना दिये हुये भी माना जायगा। श्यामसुंदर बनाम अछन कुंवर 21 All. 71 वाले मुक़द्दमेमें प्रिवीकौंसिलने कहा कि—मुश्तरका खानदानके व्यापारके मेनेजरने, घरके दूसरे मेम्बरोंकी रज़ामंदी नलेकर खासकर जब उस खानदानमें नाबालिग़ मेम्बर भी हैं कोई जायदाद रेहन रखी हो तो उसका यह रेहन रखना जायज़ था या नहीं इस बातके जांचनेके लिये केवल यह जानना चाहिये कि वह मुश्तरका जायदाद के क़रज़ चुकानेके लिये रेहन रखी गयी थी या नहीं? जायदादके इन्तक़ाल के समय जो बालिग़ कोपार्सनर मौजूद हों उनकी रज़ामंदी लेना परमावश्यक है मगर उन बालिग़ कोपार्सनरोंकी रज़ामंदी लेना इतना आवश्यक नहीं है जो परदेश चलेगये हों।

जब कि ख़ानदानकी ज़रूरतों के लिये इन्तक़ाल न किया गया हो तो कोई कोपार्सनर उस इंतक़ाल का पाबंद नहीं होगा; देखो--35 Mad. 177 ; अगर रेहननामा या बैनामा या किसी इन्तक़ालके काग़ज़पर बालिग़ कोपार्सनरोंने दस्तख़त कर दिये हों तो वह उनकी मंज़ूरी समझी जायगी ; देखो--गंगाबाई बनाम वामनाजी 2 Bom. H. C. 30 ; 35 Mad 177. जब कि ख़ानदानकी ज़रूरत काफ़ी नहो और न बालिग़ कोपार्सनरोंकी रज़ामंदी हो तो मेनेजर मुश्तरका जायदादका इन्तक़ाल नहीं करसकता ।

दफ़ा ४३०. मुश्तरका ख़ानदानकी क़ानूनी ज़रूरतें————

मुश्तरका ख़ानदानकी क़ानूनी ज़रूरतें यह होती हैं ।

(क) (१) सरकारी मालगुज़ारी देना, और मुश्तरका ख़ानदानकी जायदाद के ऊपर जो क़रज़े देनेहों उनको अदा करना; देखो--25 All 407, 414-415 ; 30 I. A. 165 ; नाथू बनाम कुंदन 33 All. 242 ; 29 Cal. 797.

(२) कोपार्सनरों और उनके बालबच्चोंका भरण पोषण करना ; देखो—मकुंदी बनाम सरवसुख 6 All. 417, 421.

(३) मर्द कोपार्सनरोंके विवाहके ख़र्च और उनके लड़कोंके भी ; देखो-सुंदराबाई बनाम शिवनरायन 32 Bom. 81 ; भागीरथी बनाम जोखू 32 All. 575 ; गोपाल कृष्णनम् बनाम वेंकटरासा (1914) 37 Mad. 273 ; 27 Mad. 206 ; 34 Mad 422.

(४) कोपार्सनरोंकी लड़कियोंके विवाहके ख़र्च; देखो—11 Bom 605 ; 23 Mad 512 ; 26 Mad 497. ; 35 Mad 728 ; 36 All. 158.

(५) अंतेष्ठी क्रियाके ख़र्च और ख़ानदानके अन्य मज़हबी ख़र्च; देखो-नाथूराम बनाम सोमाछगन 14 Bom. 562 ; लालागनपति बनाम टूरन 16 W. R. 52.

(६) जायदादको फिर प्राप्त करने या उसके बचानेके लिये ज़रूरी मुक़द्दमोंका ख़र्च देखो-मिलर बनाम रंगनाथ 12 Cal. 389.

(७) मुश्तरका ख़ानदानके मुखियाको किसी संगीन फ़ौजदारी मुक़द्दमेंसे बचानेका ख़र्च; देखो-बेनीराम बनाम रामसिंह 1912, 34 All. 4-8.

बेनीराम बनाम रामसिंहके मुक़द्दमेंमें बाप ताज़ीरात हिन्दकी दफ़ा 467 और 471 के अनुसार सेशन सिपुर्द हुआ था इस मुक़द्दमेके ख़र्चके लिये बापने मुश्तरका ख़ानदानकी जायदाद रेहनकी थी । पीछे उसके एक लड़केने इसपर आपत्तिकी अदालतने माना कि लड़के, और पोतोंकी जायदाद भी उस ख़र्चकी ज़िम्मेदार है मुक़द्दमा ख़ारिज करदिया ।

(ख) हिन्दूख़ानदानकी मुश्तरका जायदादके रेहन-रखनेके विषयमें मेनेजरके अधिकार पर प्रिवीकौंसिलने, हनूमानप्रसाद बनाम मुसम्मात बंबुई 6M.I.A.393. केमुक़द्दमेंमें विचार कियाथा । उस मुक़द्दमेंमें सवाल यह था कि 'नाबालिग़ वारिसकी माताका अधिकार बहैसियत मेनेजर या वलीके क्या है' लेकिन उस मुक़द्दमेंमें जो सिद्धांत निश्चित हुए वह नीचे लिखे लोगोंसे भी लागू होते हैं—

(१) मुश्तरका ख़ानदानके उस मेनेजरसे जो नाबालिग़ कोपार्सनरकी ओरसे काम कररहा हो; देखो-सुरेन्द्रो बनाम नन्दन 21 W. R. 196.

(२) उन विधवाओंसे और उन महदूद हक़ रखनेवाले वारिसोंसे जिन्हें उत्तराधिकारमें जायदाद मिली हो—

(३) धर्म खातेकी जायदादके मेनेजरसे—

(४) पागलोंकी जायदादके मेनेजरसे–देखो–गौरीनाथ बनाम कलक्टर आफ मौनगिर 7 W. R. 5; कांतीचन्द्र बनाम विश्वेश्वर 25 Cal. 585.

उक्त हनूमान प्रसादवाले मुक़द्दमेमें प्रिवीकौंसिलके जजोंने कहा कि—नाबालिग़की जायदादमें करज़ेका बोझा डालनेके लिये मेनेजरका अधिकार हिन्दूलॉ के अनुसार सीमाबद्ध है, सिर्फ़ ज़रूरतके वक्त या जायदादको लाभ पहुंचानेके लिये ही उस अधिकारका काममें लाया जाना उचित है अन्यथा नहीं। वह क़रज़ा ऐसी सूरतमें लियागया हो कि अगर उसकी जगह पर दूसरा कोई भी विचार वान आदमी होता तो वह भी उस ज़रूरतके लिये क़रज़ा ज़रूर लेता, क़रज़ा सिर्फ ज़रूरतके लिये लियागया हो, और अगर मेनेजरका इन्तज़ाम ख़राब है और क़रज़ा देनेवालेने नेकनियतीसे वह क़रज़ा दिया है तो वह क़रज़ा जायज़ होगा। क़रज़ेके बारेमें यह बातें ज्यादा ख्यालकी जायेंगी यानी, क्या जायदाद किसी ख़ास दबावमें आगयी थी? क्या जायदादपरसे कोई बड़ा ख़तरा हटाया गया था? क्या जायदादको कोई लाभ पहुंचाया गया था? अगर यह सब बातें उस क़रज़ेमें पायी जाती हों या कोई भी पायी जाती हो तो क़रज़ा जायज़ माना जायगा उक्त हनूमान प्रसादका केस रेहनके बारेमें था मगर यही सब बातें बेंचनेसे भी लागू होती हैं; देखो–मदनठाकुर बनाम कंटोलाल 14 Beng L. R. 187, 199; 1 I. A. 321, 334. और यही बातें आमतौरसे कुल क़रज़ेसे लागू होंगी।

नोट—उत्तराधिकारके प्रकरण ९।१० में जो औरतोंकी क़ानूनी ज़रूरतें बताई गयीं हैं वह भी देखो—दफा ६०२; ६७७.

दफा ४३१. मुश्तरका ख़ानदानकी ज़रूरतोंका बारसुबूत—(१) जब किसी मुश्तरका हिन्दू ख़ानदानका हिन्दू मेनेजर कोई जायदाद बेंचे या रेहनरखे तो ख़रीदनेवाले या रेहन रखनेवालेका यह कर्तव्य है कि वह ख़ानदानी ज़रूरतकी अच्छी तरहसे जांचकरे जिस के लिये जायदाद बेंची या रेहनरखी जाती है। ख़रीदार या जिसके पास रेहन रखागया हो उसे यह साबित करना होगा कि वास्तवमें ख़ानदानी ज़रूरत थी और जायज़ थी, या यह कि उसने अच्छी तरहसे सब उपायों द्वारा उचित जांच कर ली थी कि ज़रूरत है और जायज़ ज़रूरत है।

(२) अगर ख़रीदार या जिसके पास रेहन रखागया हो वह यह साबित कर दे कि ख़ानदानी ज़रूरत थी, और जायज़ ज़रूरत थी, तो चाहे मेनेजरके ख़राब इन्तज़ामसेही वह ज़रूरत पैदा हुई हो तो भी जायदादका इन्तक़ाल (रेहन, या बिक्री) जायज़ मानाजायगा। लेकिन अगर उस बद इन्तज़ामीमें ख़रीदार या जिसके पास रेहन रखागया हो वह भी शरीक रहा हो तो इन्तक़ाल नाजायज़ मानाजायगा।

(३) अगर ख़रीदार या जिसके पास रेहन रखा गया हो जायज़ ज़रूरत साबित न करसके मगर यह साबित करदे कि उसने पूरी तौरपर और सब तरहसे उस ज़रूरतकी जांच करली थी और जो बातें उसके सामने आयीं थीं अगर वह सच होतीं तो दर असल उसका यह समझना कि ज़रूरत जायज़ थी ज़रूर ठीक होता। उस सूरतमें जायदादका इन्तक़ाल जायज़ माना जायगा और अगर ऐसा साबित न होसके तो इन्तक़ाल नाजायज़ माना जायगा। देखो–सुरेन्द्रो बनाम नन्दन 21 W. R. 196.

(४) कोई भी ख़रीदार या जिसके पास रेहन रखा गया हो इस बातके जांच करनेके लिये पाबंद नहीं होगा कि जो रुपया उससे जायज़ ज़रूरतके लिये लिया गया है दर असल उसी काममें ख़र्च किया गया है या नहीं। अगर ख़रीदार या जिसके पास रेहन रखा गया है ख़ुद भी उस ख़ानदानके इन्तज़ाममें शरीक हो तो उसे यह भी अदालतमें साबित करना पड़ेगा कि दर असल वह रुपया उसी काममें ख़र्च किया गयाहै जिस कामके लिये वह लियागया था; देखो--हनूमानप्रसाद बनाम मुसम्मात बबुर्द 6 M. I. A. 393; सुरेन्द्रो बनाम नन्दन 21 W. R. 196; बंशीधर बनाम बिंदेश्वरी 10 M. I. A. 454, 471; दालीबाई बनाम गोपीबाई 26 Bom 433; कन्हैय्यालाल बनाम मुन्नाबीबी 20 All 135; मदन ठाकुर बनाम कंतूलाल 14 Beng L. R. 187, 199; 1 I. A. 321.

(५) मुश्तरका ख़ानदानके व्यापार या कारोबारके मेनेजरनेजो क़रज़ ख़ानदानके फर्मके नामसे लिया हो उससे भी पूर्व्वोक्त क़ायदे लागू होंगे या नहीं होंगे इस विषयमें मतभेद है। देखो—बैनामामें अगर ख़ानदानी फर्मकी ज़रूरत लिखी हो तो ऐसा लिखा जाना इस बातका क़तई सुबूत नहीं होगा कि दर असल ज़रूरत थी, जबतक कि वह ज़रूरत दूसरे गवाहों या दूसरी तरहसे साबित न कीजाय (राजलक्ष्मी देवी बनाम गोकुलचन्द्र 3 Beng. L. R. (P. C.) 57; 13 M. I. A. 209; लालाबृजलाल बनाम इन्दुकुवर 16 Bom L. R. 352. (P. C.). इसीतरहसे अगर बैनामामें ज़रूरत नहीं लिखी हो तो इसबातका सुबूत भी नहीं होगा कि दर असल ज़रूरत नहीं थी। यह बात दूसरी तरहसे और दूसरे गवाहोंसे साबित की जासकती है। उमेशचन्द्र बनाम दिगंबर 3 W. R. 154.

जब कि मेनेजरको कमसूदपर क़रज़ा मिलसकता हो और उसने ज़्यादा सूदपर क़रज़ा लिया हो तो अदालत उसी शरहसे सूद दिलायेगी जिस क़दर कि कम सूदपर मिल सकताथा; देखो-हरिनाथ बनाम रणधीरसिंह 18 Cal 311; 18 I. A. 1.

जब कि अदालतने गार्डियन् एन्ड वार्ड्स एक्ट सन १८९० ई० की दफा २८ और २९ के अनुसार किसी नाबालिग़की अलहदा जायदादके वलीको उस जायदादके रेहन रखने या बेंचनेका अधिकार दिया हो तो ख़रीदार या रेहन रखनेवालेको किसी जायज़ ज़रूरतकी जांच करनेकी कोई ज़रूरत नहीं है वह इन्तक़ाल जायज़ होगा; देखो-गंगाप्रसाद बनाम महारानी बीबी 11 Cal 379, 383, 384; 12 I. A. 47, 50. गार्डियन् एन्ड वार्ड्स एक्टके अनुसार नाबालिग़की अलहदा जायदादका मेनेजर मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादमें जिसमें उस नाबालिग़का भी हिस्साहो वली नहीं नियत होसकता, क्योंकि मिताक्षरालॉके अनुसार वह मुश्तरका जायदाद किसी एक आदमीकी नहीं है; देखो-25 All 407:; 30 I.A. 165.

दफा ४३२. पंचायत करनेके बारेमें मेनेजरका अधिकार——मुश्तरका ख़ानदानकी जायदाद संबंधी झगड़ोंमें मेनेजरको पंचायत करनेका अधिकार है; देखो—जगन्नाथ बनाम मन्नूलाल 16 All 231. इलाहाबादके एक मुक़द्दमेंमें यह माना गया कि बापने अपने कोपार्सनरोंसे जायदादके बटवाराके संबंधमें समझौता (:Compromise) किया वह समझौता उस बापके लड़कोंको मानना पड़ेगा; देखो-पीतमसिंह बनाम उजागरसिंह 1 All 651.

दफा ४३३: मेनेजर द्वारा क़रज़ेका स्वीकार किया जाना——हिन्दू मुश्तरका ख़ानदानके ऊपर अगर कोई क़रज़ा हो और उस क़रज़ेमें तमादी न हुई हो तो मेनेजरको अधिकार है कि वह उस क़रज़ेको मंजूर करे या उसका सूद अदा करे ताकि उसकी क़ानूनी मियाद और बढ़ जाय मगर मेनेजरको यह अधिकार कभी नहीं है कि जो क़रज़ा तमादी होगया

हो उसे पीछे मंजूर करले या उसका सूद देदे ताकि उसकी नालिश होसके; देखो—भास्कर बनाम बीजालाल 17 Bom 512; दिनकर बनाम अप्पाजी 20 Bom 155; चिन्नाया बनाम गुरूनाथम् 5 Mad 169; दलीपसिंह बनाम कुंदनलाल (1913) 35 All 207.

दफ़ा ४३४. अनेक कोपार्सनरोंमें किसी एकका अलहदा दावा करना——

हिन्दूमुश्तरका जायदादमें सबी कोपार्सनरोंका लाभ बराबर मानागया है इसलिये मुश्तरका ख़ानदानकी जायदाद और मुश्तरका ख़ानदानके कारोबारके संबंधमें अदालतमें कोई दावा दायर करनेमें सबी कोपार्सनरोंका मुद्दई होना ज़रूरी है। सिर्फ एक कोपार्सनर ख़ानदानकी तरफसे अकेला दावा नहीं करसकता और दूसरे कोपार्सनर अगर उस दावामें शरीक होनेसे इनकार करें तो उनको उस मुक़द्दमेमें मुद्दालेह बनाना चाहिये जैसे कोई एक कोपार्सनर अकेले किसीके बेदख़ल करनेका दावा नहीं करसकता है; देखो-बालकृष्ण बनाम मोरूकृष्ण 21 Bom 154. अथवा मुश्तरका ख़ानदानकी किसी जायदादपर क़ब्ज़ा पानेका दावा नहीं करसकता है-देखो-बालकृष्ण बनाम म्युनिसिपेलेंटी आफ महद 10 Bom 32. या मुश्तरका ख़ानदानका क़र्ज़ा वसूल करनेका दावा नहीं करसकता है देखो-कालिदास बनाम नाथू 7 Bom 217. या मुश्तरका ख़ानदानके किसी कंट्राक्टके तोड़ दिये जानेका और उसके हर्जेका दावा नहीं करसकता है; देखो अलागप्पा बनाम वेलियन 8 Mad 33.

लेकिन जब किसी कोपार्सनरने अपने नामसे मुश्तरका ख़ानदानकी तरफसे कोई कंट्राक्ट किया हो तो कलकत्ता, बंबई, और इलाहाबादके हाईकोर्टोंके फैसलोंके अनुसार वह दूसरे कोपार्सनरोंको शरीक किये बिना अकेले दावा करसकता है मगर शर्त यह है कि कंट्राक्ट करते समय उसने यह न प्रकट किया हो कि मैं मुश्तरका ख़ानदानकी तरफसे काम करताहूं। अगर प्रकट करदिया हो तो वह अलहदा दावा नहीं करसकता, देखो-बेशी बनाम सोदिस्तलाल 7 Cal 739; जागाभाई बनाम रुस्तमजी 9 Bom 311; अनन्तराम बनाम चन्नूलाल 25 All 378; गोपालदास बनाम बद्रीनाथ 27 All. 361; दुर्गाप्रसाद बनाम दामोदरदास (1909) 32 All. 183.

जब कोई कोपार्सनर ख़ानदानकी तरफसे अलहदा दावा करे तो कांट्राक्ट एक्ट सन १८७२ की दफा २३० के अनुसार ऐसा मानाजायगा कि वह सबकी तरफसे एजेन्ट था। परंतु मदरास हाईकोर्टकी राय है कि सब कोपार्सनर मुक़द्दमेंमें शरीक किये जायेंगे इसका कारण यहहै कि सबी कोपार्सनर उस कांट्रक्टसे लाभ उठाते हैं; देखो-सीशन बनाम वीरा 32 Mad 284; किशुन प्रसाद बनाम हरनरायनसिंह 33 All 272; 38 I. A. 45.

नाबालिग़ कोपार्सनर—मुश्तरका ख़ानदानके कारोबार संबंधी अगर कोई मुक़द्दमा हो तो अदालतमें उसे दायर करनेमें नाबालिग़ कोपार्सनरोंका शरीक होना ज़रूरी नहीं माना गया; देखो-लछिमन बनाम शिवा 26 Cal 349; अनन्तराम बनाम चन्नूलाल 25 All.378 लालजी बनाम केशवजी (1913) 37 Bom 340.

दफ़ा ४३५. मेनेजरका अदालतमें दावा करना—(१) हिन्दूमुश्तरका ख़ानदानका मेनेजर मुश्तरका ख़ानदानकी तरफसे बिना दूसरे कोपार्सनरोंके शरीक किये अदालतमें दावा दायर करसकता है या नहीं इसबातपर बड़ा मतभेद है दोनों तरहकी नजीरें देखिये—(नीचेके केसोंमें मानागया है कि मेनेजरको अधिकार नहीं है—काट्टुशेली बनाम वेलोटिल 3 Mad 234; हरी गोपाल बनाम गोकुलदास 12 Bom. 158; 23 Mad 190; 21

Bom 154;) नीचेके केसोंमें मानागया कि उसे अधिकार था—अरुणच्छला बनाम विथियालिंग 6 Mad 27; 17 Bom.; 122.

(२) यह मानागया है कि मुश्तरका खानदानकी ग़ैर मनकूला जायदादके संबंधमें जो अदालतमें दावा किये जायेंगे उनको सिर्फ मेनेजर नहीं करसकता यानी वह अपने नामसे अकेला नहीं करसकता बल्कि दूसरे कोपार्सनरोंको भी मुद्दई बनाना ज़रूरी होगा देखो-किशुनप्रसाद बनाम हर नारायनसिंह 33 All. 272-277; 38 I. A. 45, 52.

(३) इलाहाबाद और मदरास हाईकोर्टकी राय यह है कि हिन्दूमुश्तरका ख़ानदानके मेनेजरके पास अगर कोई चीज़ रेहनकी गयी हो तो उसके संबंधमें मेनेजर अलहदा दावा करसकता है दूसरे कोपार्सनरोंको दावामें शरीक करनेकी ज़रूरत नहीं है; देखो—हरीलाल बनाम मुनमनकुंवर (1912) 34 All. 549; मदनलाल बनाम किशुनसिंह (1912) 34 All. 572; 35 Mad 685; शिवशंकर बनाम जाधोकुंवर (1914) 41 I A. 216, 220;

(४) कलकत्ता हाईकोर्टकी राय— इलाहाबाद और मदरासके विरुद्ध है यानी यह माना है कि अकेले मेनेजर नालिश नहीं करसकता बल्कि सब कोपार्सनरोंको शरीक होना ज़रूरी होगा-देखो—देवीप्रसाद बनाम धरमजीत (1914) 41 Cal. 727. बंबई हाईकोर्टकी राय भी यही है देखो—काशीनाथ बनाम चिमनाजी 30 Bom. 477; 34 Bom. 354; 12 Bom. L. R. 811.

(५) प्रिवीकौंसिलकी रायमें जब कि मुश्तरका खानदानकी तरफसे मेनेजरको कारोबारके कंट्राक्ट अपने नामसे करनेका अधिकार प्राप्त है तो ऐसे कारबारमें, जैसे रुपया कालेनदेन मेनेजर स्वयं अपने नामसे दावा करसकता है दूसरे कोपार्सनरोंको शरीक करनेकी ज़रूरत नहीं है—देखो—किशुनप्रसाद बनाम हरनारायणसिंह (1911) 33 All. 272; 38 I. A. 45; 29 All. 311.

नोट—ज़ाबतादीवानी सन १९०८ आरडर ३४ रूल नम्बर १ के अनुसार यह बात मानीगयी है कि " जिनका रेहनसे संबंध हो वह सब फरीक़ बनाये जावें " इसबारेमें इलाहाबाद: और मदरास हाईकोर्टकी यह राय है कि चुंकि मेनेजर सब कोपार्सनरोंकी तरफसे होता है इसलिये दूसरे कोपार्सनरोंको मुक़द्मेमें शरीक करनेकी ज़रूरत नहीं है परंतु कलकत्ता और बंबईकी हाईकोर्ट उक्त ज़ाबतादीवानीके शब्दोंको दृढ़तासे मानती हैं यानी जहांतक संबंध हो सबको फरीक़ बनाना चाहिये।

सलगप्पा बनाम वेल्लियन 18 Mad. 33-36 वाले मुक़द्में में मदरास हाईकोर्टने कहा कि—जो लोग मेनेजरके साथ लाभमें शरीक हैं उनको (दूसरे कोपार्सनर) विना शामिल किये मेनेजर दावा नहीं कर सकता । और किशुनप्रसाद बनाम हरनारायणसिंह 33 All. 272, 38; I. A. 45. वाले हालके मुक़द्मेमें प्रिवीकौंसिलने मदरास हाईकोर्टकी राय नहीं मानी कहा कि मदरास हाईकोर्ट जितनी दूर जाती है वहांतक जाना ठीक नहीं है ।

(६) अगर दो या दोसे ज़्यादा मेनेजर हों, और उन सबके नाम से कंट्राक्ट लिया गया हो तो वह सब मुद्दई बनाये जावेंगे; देखो—6 Cal. 815; 33 All. 272-278.

दफा ४३६. दौरान मुक़द्मेमें कोपार्सनरोंका फरीक़ बनायाजाना और मियाद— अगर कोई मुक़द्दमा अदालतमें एक या कुछ कोपार्सनरोंने दाखिल किया हो और अदालतकी रायमें सब कोपार्सनरोंको मुद्दई बनाया जाना ज़रूरी समझपड़े तो अदालत अपने अधिकारसे अथवा किसी मुद्दई या मुद्दालेहके अर्ज़ करनेपर बाक़ीके सब कोपार्सनरोंको फरीक़ बनाये जानेका हुकुम दे सकती है। लेकिन अगर दूसरे कोपार्सनरोंके मुद्दई बनाये जानेतक उनके

संबंधमें वह मुक़द्दमा यदि तमादी होगया हो तो वह कुलमुक़द्दमा डिस्मिस् यानी ख़ारिज किया जायगा ; देखो--कालिदास बनाम नाथू 7 Bom 217 ; 32 Mad 284 ; और देखो क़ानून मियाद सन १९०८ की दफा २२.

ऊपर कही हुई क़ानून मियाद सन १९०८ की दफा २२ का मतलब यह है कि "अदालतमें नालिश दायर कर देनेके पश्चात् उसी नालिशमें कोई मुद्दई या मुद्दालेह क़ायम किया जाय या ज़्यादा किया जाय तो उसकी निस्बत नालिशका दायर होना उस वक्तसे माना जायगा जिस वक्तसे कि नया मुद्दई या मुद्दालेह बनाया गया है, मगर शर्त यह है कि जब कोई मुद्दई या मुद्दालेह मरजाय और नालिश उसके क़ायम मुक़ाम वारिसकी तरफसे दायर है तो उस नालिशका दायर होना उसी वक्तसे शुमार किया जावेगा जब कि पहिले दफा दायर हुई थी" जो मुक़द्दमा सब कोपार्सनरोंको मिलकर दायर करना चाहिये था उसे अगर सिर्फ मेनेजरने दायर किया हो तो ऐसे मामलेसे ऊपरका क़ायदा सबका सब लागू नहीं होता। बम्बई हाईकोर्टकी रायके अनुसार ऐसे मामलेमें तीन सवालोंपर विचार करना निहायत ज़रूरी है--

(१) क्या जो कोपार्सनर मुद्दई नहीं बनाये गये वह सब बालिग़ हैं ?

(२) क्या उन्होंने (बालिग़ कोपार्सनर) इस दावाके दायर किये जानेमें रज़ामंदी दीथी ?

(३) क्या मुद्दालेहने मुक़द्दमेंके आरंभमें ऐसा उज़ुर किया था कि अमुक कोपार्सनर मुद्दई बनाये जावें ?

अगर वे कोपार्सनर जो मुद्दई नहीं बनाये गये बालिग़ हों और उन्होंने दावा दायर किया जाना मंजूर किया हो और अगर मुद्दालेहने मुक़द्दमेंके आरंभमें यह उज़ुरपेश किया हो कि वे मुद्दई बनाये जावें ऐसी सूरतमें मुद्दालेहकी उज़ुरदारीपर वे सब कोपार्सनर मुद्दई बनाये जायेंगे। क्योंकि इस बातसे मुद्दालेहका यह खटका मिट जायगा कि कहीं मेनेजरने उनकी मरज़ीके बिना तो दावा दायर नहीं किया। लेकिन अगर मुद्दालेहने मुक़द्दमेंके आरंभमें कोई एतराज़ न किया हो तो समझा जायगा कि-उसने उन कोपार्सनरोंका मुद्दई न बनाया जाना स्वीकार करलिया था। और चाहे तमादी भी होगयी हो तो भी अदालत दूसरे कोपार्सनरोंको मुद्दई बना सकती है। अर्थात् अदालतको ऐसा अधिकार प्राप्त है; देखो-गुरुबाया बनाम दत्तात्रेय 28 Bom. 11; हरी गोपाल बनाम गोकुलदास 12 Bom. 158. इमदाद अदमद बनाम तपेश्वरी नारायण (1910) 37 I.All. 60. इलाहाबाद हाईकोर्टने भी यही बात मानी है देखो—तपेश्वरी बनाम रुद्रनारायण 26 All. 528.

बंबई हाईकोर्टकी उक्त नज़ीर (28 Bom 11). सिर्फ उसी मामलेसे लागू होती है जिसमें दूसरे कोपार्सनर बालिग़ हों नाबालिग़ कोपार्सनरोंके मामलेमें लागू नहीं होती क्योंकि नाबालिग़ रज़ामंदी नहीं देसकता--लेकिन फिर भी कलकत्ता हाईकोर्टने हालके एक मुक़द्दमेंमें तमादी होजानेपर भी एक नाबालिग़ कोपार्सनरको मुद्दई बनाया देखो--ठाकुर मनी बनाम दायीरानी 33 Cal 1079 ; यह मुक़द्दमा खानदानी जायदादके रेहन नामाकी मंसूख़ीका था ।

उदाहरण --'महेश' और 'शंकर' एक मुश्तरका ख़ानदानके मेम्बर हैं उस ख़ानदानका एक मकान बंबईमें है गणेश उस मकानमें रहता है। महेश यह कहकर कि गणेशको उस मकानमें रहनेका अधिकार नहीं है, गणेशसे क़ब्ज़ा पानेका दावा करता है यह दावा महेशने अकेले किया अर्थात् शंकरको शामिल नहीं किया। दावा अदालतमें पहिली जनवरी सन १९११ ई० को दायर कियागया इस दावा दायर करनेकी क़ानूनी मियाद आख़िरी पहिली अगस्त सन १९११ ई० थी, यानी क़ानून मियादके अनुसार पहिली अगस्त १९११ तक दावा

दायर होजाना ज़रूरी था पीछे तमादी होजाती थी। अब जो दावा ता० पहिली जनवरी १९११ को दायर कियागयाथा उसकी पहली पेशी अदालतमें तारीख़ पहली सितंबर सन १९११ ई० को हुई। उस दिन गणेश मुद्दालहने अदालतमें अर्ज़ किया कि इस केसमें शंकरको भी मुद्दई बनाना चाहिये। ऐसे मामलेमें स्पष्ट है कि शंकरको भी मुद्दई बनाना चाहिये। ऐसा मानो कि अदालतने शंकरको मुद्दई बनाया तो गोया पहिली सितंबर सन १९११ ई० कोही शंकरके संबंधमें मुक़द्दमा शुरू हुआ (लिमीटेशन एक्ट सन १९०८ की दफा २२). अर्थात् शंकर क़ानूनी मियादके खतम होनेके बाद मुद्दई बनायागया ऐसी सूरतमें कुल मुक़द्दमा अवश्य ख़ारिज किया जायगा यानी महेशने जो मुक़द्दमा मियादके अंदर दायर कियाथा वहभी ख़ारिज होजायगा। नतीजा यह हुआ कि ऐसी सूरतमें शंकरको मुद्दई बनानेसे कोई लाभ नहीं होगा इसी लिये कोर्ट शंकरको विना मुद्दई बनाये मुक़द्दमा ख़ारिज करसकती है।

अब ऐसा मानो कि ऊपर कहे हुए उदाहरणमें महेश ख़ानदान का मेनेजर हो और शंकर बालिग़ हो ऐसी सूरतमें गणेश के एतराज़ करनेपर अदालत शंकर को फरीक़ बनायगी मगर तमादी होनेपर भी मुक़द्दमा ख़ारिज नहीं कर देगी यानी मुक़द्दमा अदालत में सुना जायगा।

दफा ४३७. सब कोपार्सनरोंका मुद्दई बनाया जाना——ऊपर कही हुई बातों से (दफा ४३६); स्पष्ट है कि दूसरे कोपार्सनरोंका फरीक़ मुक़द्दमा वनाये जाने का सवाल क़ानून मियादकी क़ैदके कारण इतना आवश्यक हो गया है। अगर क़ानून मियाद की दफा २२ वीं न होती तो इस प्रश्नके विचार की इतनी आवश्यकता नथी क्योंकि दौरान मुक़द्दमें में किसी समय वह फरीक़ बनाये जासकते थे। क़ानून मियादकी दफा २२ की इतनी कड़ी शर्तोंसे और इसके संबंधकी नज़ीरोंके मतभेदके कारण उचित यही है कि जब किसी हिन्दू मुश्तरका ख़ानदान की तरफसे कोई दावा दायर किया जाय तो सब कोपार्सनरोंको चाहे वह बालिग़ हों और चाहे नाबालिग़ हों मुद्दई बनाये जायं। अगर उनमेंसे कोई मुद्दई बननेसे इनकार करे तो वह मुद्दालेह बनाया जाय। अबतक इस विषयमें जो कुछ निश्चित हो चुका है वह यह है कि मुश्तरका ख़ानदान के कारबारमें (जैसे रुपयाका लेनदेन) जिसको कि ख़ानदानका कोई एक या ज़्यादा आदमी मेनेजर या मेनेजरोंकी हैसियत से करते हों और उनको अपने नामसे कंट्राक्ट करनेका अधिकार हो तो ऐसी सूरतमें मेनेजर कंट्राक्टोंके विषयमें अकेले अपने नामसे अदालतमें दावा दायर करसकता है। परंतु इसमें भी दो या दोसे ज़्यादा मेनेजर अगर हों और कंट्राक्ट सबने मिलकर किया हो तो वह सब मुद्दई बनाये जायँगे नहीं तो क़ानून मियादकी २२ वीं दफा लागू पड़ेगी; देखो—रामसेवक बनाम रामलाल 6 Cal. 815.

नोट—क़ानून मियादके डरसे ध्यान रखना कि जब कोई नालिश मुश्तरका ख़ानदानकी तरफसे दायर करना हो तो सब फ़रीक़ ख़ानदान वालोंको मुद्दई बनालेना और जो इनकार करे उसे मुद्दालेह बनाना—

दफा ४३८. सब कोपार्सनरोंका मुद्दालेह बनाया जाना——जब किसी आदमीको मुश्तरका ख़ानदानके किसी आदमी (कोपार्सनर) पर दीवानी अदालतमें क़रज़े या दूसरी क़िस्मका दावा करनाहो; जिस माललेका बोझ मुश्तरका ख़ानदान पर हो तो मुद्दई को चाहिये कि उस ख़ानदानके सब आदमियोंको मुदालेह बनाये अगर किसी एकको बनायेगा तो अकेले उसी एकपर डिकरी होगी, और उस डिकरीको मुद्दई सारी मुश्तरका जायदाद पर जारी नहीं करा सकेगा, जिस एक आदमीके ऊपर डिकरी होगी उसीके हिस्सेपर जारी

करा सकता है। अगर मुश्तरका खानदानमें कोई नाबालिग हों तो उन्हे भी मुद्दालेह बनाना चाहिये क्योंकि मिताक्षरालॉ के अनुसार कोपार्सनर अपनी पैदाइशसे पैतृक जायदादमें हिस्सेदार होजाते हैं। जब नाबालिग, मुद्दालेह बनाया जाय या बनाये जायें तो उनका वली क़रार दिया जायगा देखो इस किताबका प्रकरण ५.

दफा ४३९. मेनेजरपर डिकरी——(१) सारे मुश्तरका खानदानकी तरफसे काम करनेवाले मेनेजर पर अगर किसी क़र्ज़ेकी डिकरी हुई हो और वह क़र्ज़ उस मेनेजरने खानदान या खानदानके कारोबारके लिये लियाहो तो सारी मुश्तरका जायदादपर डिकरी जारी की जासकेगी चाहे मुश्तरका खानदान के अन्य आदमी उस मुक़द्दमे में मुद्दालेह नभी बनाये गये हों; देखो—दौलतराम बनाम मेहरचन्द 15 Cal. 70; 14 I. A. 187; शिवप्रसाद बनाम राजकुमार 20 Cal. 453; बल्देव बनाम मुबारक 29 Cal. 583; कुंजन बनाम सिद्धा 22 Mad461; हरी बनाम जैराम 14 Bom.597; भाना बनाम चिंडू 21 Bom.616; काशीनाथ बनाम चिमनाजी 30 Bom. 477; सखाराम बनाम देवजी 23 Bom. 372; शिवशंकर बनाम जाडाकुंवर 41 I. A. 216; 36 All. 383; 33 All. 71.

(२) परंतु अगर अकेले मेनेजरकी ज़ातपर डिकरी हुई हो और वह क़र्ज़ चाहे मेनेजरने खानदानके लिये या खानदानके कारबारके लिये लिया हो तो भी वह डिकरी सारी मुश्तरका जायदादपर जारी नहीं हो सकेगी सिर्फ मेनेजरके हिस्से जायदादपर जारी होगी; देखो—गुरुवप्पा बनाम भिम्मा 10 Mad. 316.

उदाहरण—महेश, शंकर, और गणेश एक हिन्दूमुश्तरका खानदानके मेम्बर हैं। इनमें महेश और शंकर दोनों मेनेजर हैं, इन दोनोंने खानदानकी ज़रूरतोंके लिये वरुणसे पांच हज़ार रुपया क़र्ज़लिया। वरुणने महेश और शंकर दोनों मेनेजरोंपर दावा किया और अदालतसे उनके ऊपर मेनेजरकी हैसियतसे डिकरी प्राप्तकी तो यद्यपि गणेश उस मुक़द्दमेंमें मुद्दालेह नहीं बनाया गया था तथा वह नाबालिग भी था तोभी वह डिकरी सारी मुश्तरका खानदानकी जायदादपर जारीकी जासकेगी। इसी तरहका एक केस देखो—बल्देव बनाम मुबारक 29 Cal. 583; दौलतराम बनाम मेहरचन्द 15 Cal 70; 14 I. A. 187.

अब ऐसा मानो कि-कंट्राक्टके मामलेमें फरीक़ होनेके कारण वरुणको महेश, और शंकरकी ज़ातपर भी डिकरी मिलसकती है. ऐसी डिकरी वह महेश और शंकरकी अलहदा जायदादपर भी जारी करासकता है परंतु गणेशकी ज़ातपर डिकरी कभी नहीं पासकता चाहे गणेश बालिग भी होता क्योंकि गणेश उस कंट्राक्टमें शरीक न था।

(३) हालमें एक मुक़द्दमा इस क़िस्मका हुआ है कि जिसमें मुश्तरका खानदानके मेनेजरपर एक ग़ैर मनकूला जायदादके बैबातकी डिकरी हुई, उस मुक़द्दमेमें दूसरे कोपार्सनरोंने अदालतमें यह उज़ुर पेश किया कि चूंकि वे उस मुक़द्दमेंमें मुद्दालेह नहीं बनाये गये थे इसलिये मुश्तरका खानदानकी जायदादका उनका हिस्सा उस डिकरीका पाबंद नहीं होना चाहिये। प्रिवीकौंसिलके जजोंने यह रायदी कि-वह पाबंद हैं यद्यपि फरीक़ नहीं बनाये गये थे। जजोंने फरमाया कि "हिन्दुस्थानी नज़ीरोंको देखते हुये और जिनसे हमारा मतभेद नहीं है इसबातमें कोई संदेह नहीं मालूम होता कि बैबातके मुक़द्दमे सहित कितनेही मामलोंमें मुश्तरका खानदानके मेनेजर खानदानकी तरफसे ऐसी पूरी तरहसे काम करते हैं कि उससे सारे खानदानका पाबंद होना समझाजाता है वर्तमान मुक़द्दमेमें भी यही सिद्धांत लागू होना चाहिये इस मामलेमें ऐसा समझनेका कोई कारण नहीं है कि मेनेजरोंने खानदानके लिये काम

नहीं किया" ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी एक्ट सन १८८२ की दफा ८५ और ज़ावतादीवानी आरडर ३४ रूल १ का कोई प्रश्न इस मामलेमें नहीं उठता क्योंकि रेहन रखनेवालेको रेहन रखते समय इस बातकी सूचना कोई नहीं मिली थी कि मुद्दईकाभी हक़ उसमें शामिल है; देखो शिवशंकर बनाम जाधोकुंवर 41 I. A. 216 ; 36 All 383 ; 33 All 71.

दफा ४४० बापके ज़ाती क़रज़ेकी डिकरी———मुश्तरका ख़ानदानके मेनेजरके ज़ाती क़रज़ेकी डिकरी, ख़ानदानके दूसरे लोगोंको पाबंद नहीं करती । लेकिन अगर मेनेजर बाप हो तो उसके ज़ाती क़रज़ेकी डिकरीके पाबंद उसके लड़के पोते, परपोते, भी होते हैं मगर वह सिर्फ मुश्तरका जायदादके अपने हिस्सेतक पाबंद मानेगये हैं । यह बात इसलिये क़ानूनमें मानीगयी है कि हिन्दूधर्मशास्त्रानुसार पुत्र और पौत्र अपने पिता और पितामहके क़रज़ देनेके पाबंद मानेगये हैं मगर शर्त यही है कि वह क़रज़ जायज़ ज़रूरतके लिये लिया गया हो । यह क़ायदा प्रपौत्र और प्रपितामह या अन्य किसी कुटुम्बीके दरमियानमें लागू नहीं होता ।

दफा ४४१. बापका किसी नाबालिग़के दावामें समझौता करलेना—हिन्दू नाबालिग़का बाप मुश्तरका हिन्दू ख़ानदानका मेम्बर और मेनेजर है, किसी नालिश करनेकी ग़रज़से वह उस नाबालिग़का वली बनायागया तो ऐसी सूरतमें ज़ावतादीवानी सन १९०८ आरडर ३२ रूल ७ लागू पड़ेगा अर्थात् वह अदालतकी मंजूरीके बिना उस मुक़द्दमेंमें कोई तसफ़ीया (समझौता) नहीं करसकता । अगर उसने बिना अदालतकी मंजूरी प्राप्त किये समझौता (Concentdecree) करलिया हो या कोई एकतरफा अपने ऊपर डिकरी करवाली हो तो उसका नाबालिग़ पाबंद नहीं मानाजायगा, ऐसा समझौता रद्द करदिया जायगा देखो-गनेशा बनाम तुलजा राम 36 Mad 295 ; 40 I. A. 132.

उक्त ज़ावतादीवानीके रूल ७ का मतलब यह है कि " कोई रिश्तेदार या वली दौरान मुक़द्दमा, इसबातका अधिकारी नहीं होगा कि बिला मंजूरी अदालतके नाबालिग़की तरफसे कोई इक़रार करे या सुलहनामा, या समझौता उस मुक़द्दमेंमें करे जिसमें कि वह बहैसियत वली या हितैषीके नियुक्त हो "

मुश्तरका जायदादका इन्तक़ाल ।

दफा ४४२. मुश्तरका जायदादका इन्तक़ाल कौन करसकता है——— नीचे लिखे हुए आदमी मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादका इन्तक़ाल करसकते हैं और इन्हीका किया हुआ इन्तक़ाल जायज़ माना जायगा.

(१) जिस ख़ानदानमें सब बालिग़ कोपार्सनर हों और सब बालिग़ कोपार्सनर मिल कर जब जायदादका इन्तक़ाल करें, देखो—महाबीरप्रसाद बनाम रामयाद 12 Beng. L. R. 90, 94.

(२) मुश्तरका ख़ानदानका मेनेजर सिर्फ उन सूरतोंमें जिनका ज़िकर इस किताबकी दफा ४२९ में किया गया है ।

(३) वाप, सिर्फ वहांतक जिस क़दर कि दफा ४४४ में वताया गया है.

(४) वह एक कोपार्सनर जो अन्य कोपार्सनरोंके मरजानेके वाद जीता रहा हो उन सूरतोंमें जिसका ज़िकर दफा ४४५ में किया गया है।

जिस किसी हिन्दू मुश्तरका ख़ानदानमें दो या दोसे ज्यादा कोपार्सनर हों तो कोई भी कोपार्सनर अन्य कोपार्सनरोंसे अधिकार पाये विना मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादका इन्तक़ाल नहीं करसकता अगर करे तो दूसरे कोपार्सनर उसके पावंद नहीं होंगे और वह इन्तक़ाल भी नाजायज़ माना जायगा देखो-गुरूवय्या वनाम थिम्मा 10 Mad 316; शिवप्रसाद वनाम साहेवलाल 20 Cal 453-461; कृष्णा वनाम कृष्णसामी 23 Mad 597, 600.

दफा ४४३. नावालिग़ होनेकी सूरतमें मुश्तरका जायदाद कैसे ख़रीदीजाय—

ऊपर यह कहा जाचुका है कि जहांपर दूसरे नावालिग़ कोपार्सनर हों, मेनेजर मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादको नतो वेंच सकता है और न रेहन करसकता है और न किसी तरहका इन्तक़ाल करसकता है सिवाय उन सूरतोंके जब कि ख़ानदानी जायज़ ज़रूरतें हों देखो दफा ४३०; ४३१. अगर मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादकी विक्री विना ख़ानदानी ज़रूरतके कीगयी है तो उस विक्रीको नावालिग़ कोपार्सनर जव वह वालिग़ होंगे मंसूख़ करादेंगे इस तरहकी विक्रीमें ख़रीदारके लिये जोखिम है। अकसर ऐसा होता है कि जहांपर मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादमें नावालिग़ोंका भी हिस्सा होता है तो ख़रीदार इस ड़रसे जायदादका पूरा दाम वाज़ारी भावसे देना नहीं चाहता जवतक कि मेनेजर अदालतसे नावालिग़ोंकी तरफसे जायदाद वेंचनेकी मंजूरी न लेवे। ऐसे मामलेमें जहां नावालिग़ कोपार्सनर हों मेनेजरको अदालतसे मंजूरी प्राप्त करलेना ज़रूर चाहिये.

अगर वेंची जानेवाली जायदाद हाईकोर्टके 'ओरीजिनल् जुरिस्ड़िक्‌शन्' के अन्दर हो तो मेनेजरको चाहिये कि अदालतसे प्रार्थना करे कि वह उसे वली नावालिग़ोंका वनादे और उस जायदादके वेंचे जानेकी मंजूरी दे जिसमें नावालिग़ोंका हिस्सा है; देखो—25 Bom 353; 19 Bom 96; 16 Bom 634.

अदालतकी मंजूरी लेनेसे जायदादके ख़रीदारकी पूरी रक्षा होती है। अगर अदालतकी मंजूरी लेली गयी हो तो चाहे पीछेसे यह भी मालूम होजाय कि कोई जायज़ ज़रूरत विक्रीकी न थी तो भी वह विक्री रद्द नहीं की जायगी मगर शर्त यह है कि ख़रीदारने कोई जाल साज़ी, या वेइमानी आदि न की हो; देखो—गंगाप्रसाद वनाम महारानीवीवी 11 Cal 379, 383-384; 12 I. A. 47, 50.

गार्जियन एन्ड़ वार्ड्स एक्ट सन १८९० ई० इस मामलेमें लागू नहीं होता क्योंकि इस क़ानूनके अनुसार नावालिग़की ख़ुद अलहदा जायदादके लिये ही वली मुक़र्रर होसकता है लेकिन मुश्तरका जायदादमें नावालिग़को कोपार्सनरका हिस्सा उसकी अलहदा जायदाद नहीं है; 25 All 407, 416; 30 I. A. 165, 170; 33 Mad 139.

जब कि वेंची जानेवाली जायदाद हाईकोर्टके 'ओरीजिनल जुरिस्ड़िक्‌शनमें' नहो तो ख़रीदारको चाहिये कि मेनेजरसे कहें कि दूसरी अदालतसे जो मजाज़ मंजूरी देनेका रखती हो वेंचनेकी मंजूरी प्राप्तकरे और अगर किसी सववसे ख़रीदार अदालतकी मंजूरीको मुनासिव न समझता हो तो उसे चाहिये कि विक्रीकी ज़रूरतोंकी अच्छीतरहसे और सव उपायोंसे ठीक जांच करले जो एक समझदारको योग्यरीतिसे करना चाहिये।

दफा ४४४. बापके द्वारा मुश्तरका जायदादका इन्तक़ाल———मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादके इन्तक़ाल करनेमें बापकी हैसियतसे बापको ऐसे ख़ास अधिकार प्राप्त हैं जो किसी दूसरे कोपार्सनरको प्राप्त नहीं है वह अधिकार यह हैं—

(१) बाप, इस किताबकी दफा ७९९; ४१८-२; में लिखी हुई हद्दतक पैतृक मनकूला जायदादको दान करसकता है.

(२) बाप, पैतृक मनकूला और ग़ैर मनकूला जायदादको अपने पुत्रों और पौत्रोंके हिस्से सहित अपने ज़ाती क़रज़ेके अदा करनेके लिये बेंच सकता है और रेहन करसकता है बशर्तेकि वह क़रज़ा जायज़ हो; देखो दफा ४४८.

(३) बाप, ख़ानदानके देवताके लिये पैतृक ग़ैर मनकूला जायदादका बहुत थोड़ासा भाग देवताके पूजन आदिके ख़र्चके लिये अलहदा करसकता है देखो-रघुनाथ बनाम गोविंद 8 All. 76. यह निजका धर्मादा कहलाता है देखो दफा ८२३.

ऊपर कही हुई सूरतोंके सिवाय मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादमें बापके भी वही अधिकार हैं जो मेनेजरके होते हैं अर्थात् जब उसके पुत्र बालिग़ हों तो उनकी मरज़ी बिना या अगर नाबालिग़ हों तो जायज़ ज़रूरत बिना वह मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादका इन्तक़ाल नहीं करसकता; देखो-चिन्नैय्या बनाम पेरूमल 13 Mad. 51; 16 Mad 84; बाला बनाम बालाजी 22 Bom. 825; 26 Bom. 163, 27 Mad. 162.

दफा ४४५. बचे हुए कोपार्सनरके द्वारा मुश्तरका जायदादका इन्तक़ाल—अगर किसी मुश्तरका ख़ानदानमें आख़िरी आदमी जीवित रहगया हो और उसके कोई लड़के, पोते, परपोते न हों तो वह अकेला मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादका बतौर अपनी अलहदा जायदादके मालिक होता है। उसे उस जायदादके बेंच देने या रेहन करदेनेका बिना किसी कानूनी ज़रूरतके भी पूरा अधिकार है वह उस जायदादको दानके द्वारा अथवा वसीयतके द्वारा देसकता है; देखो 6 M. I. A. 309; 3 Bom. H. C. A. C. 6.

अगर उस बचे हुये आदमीके जिसने अपनी जायदादको बेंच दियाहो, पीछे कोई लड़का पैदा होजाय तो वह लड़का अपने बापके किये हुए उस इन्तक़ालको मंसूख़ नहीं करासकता जो उसके पैदा होनेसे पहिले कियागया था; अगर उस आदमीने मुश्तरका जायदादका इन्तक़ाल बज़रिये वसीयत नामाके किया हो तो यह साफ नहीं है। पहिले यह सिद्धांत समझ लोकि वसीयतका असर और हक़ उस वक्तसे पैदा होता है जब वसीयत करनेवाला मरे। इसलिये दूसरा कोई कोपार्सनर अगर वसीयत करनेके पीछे, तथा वसीयत करनेवालेके मरनेसे पहिले पैदा होगया—या गोद लियागया तब वह वसीयत जहांतक कि उसमें मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादका संबंध रखागया रद्द होजायगा। और वह मुश्तरका जायदाद सरवाइवरशिप (दफा ५५८); के हक़के द्वारा पीछे पैदा हुये या गोदलिये गये कोपार्सनरके पास चली जायगी। इसका नतीजा यह होता है कि जहांपर आख़िरी मुश्तरका ख़ानदानका आदमी, मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादको बज़रिये वसीयतके इन्तक़ाल किया हो तो वह वसीयतनामा, वसीयत करनेवाले आदमीके वसीयतकी तारीख़के पश्चात् लड़का पैदा होनेसे या गोद लेनेसे, या दूसरे मरे हुए कोपार्सनरकी किसी विधवाके गोद लेनेसे जो गोद वसीयत करनेवालेके पहिले लियागया हो, या उसके मरनेके बाद लड़का पैदा होनेसे, या मरेहुए कोपार्सनरके लड़का पैदा होनेसे, रद्द होजायगा और बे असर होजायगा देखो-बच्चो बनाम मनकोरीबाई 31 Bom 378; 34 I. A. 107; 12 Bom 105; 8 Mad 89.

उदाहरण—ऐसा मानो कि महेश, शंकर, और रमाशंकर तीन हिन्दूभाई मुश्तरका हिन्दूख़ानदानके मेम्बर हैं और मिताक्षरा लॉके पावंद हैं । शंकर और रमाशंकर महेशकी ज़िंदगीमें मरगये अब महेश अकेला मुश्तरका ख़ानदानका आख़िरी कोपार्सनर हुआ । महेश एक वसीयतके ज़रियेसे रामदत्त को मुश्तरका ख़ानदानकी जायदाद देकर मरगया उसने एक विधवा और एक लड़की छोड़ी, महेशकी विधवा जब कि महेश मराथा गर्भवती थी पीछे उसके एक लड़का पैदा हुआ तो वही लड़का सरवाइवर शिपके द्वारा उस सब जायदादका मालिक होगा जो रामदत्तको वसीयतके ज़रियेसे दीगयी थी । रामदत्तको कुछ भी नहीं मिलेगा, और अगर वसीयतके बाद और बापके मरनेसे पहिले लड़का पैदा होजाता तोभी यही सूरत रहती । इसी क़िस्मका मुक़द्दमा देखो--हनुमंत बनाम भीमाचार्य्य 12 Bom. 105, 109, 110.

मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादके लाभ अर्थात् मुनाफ़ेका इन्तक़ाल ।

दफा. ४४६. मुश्तरका जायदाद का दान या वसीयतद्वारा दान करना——जिन प्रांतोंमें कि मिताक्षरालॉ माना जाता है वहांपर कोई भी कोपार्सनर मुश्तरका ख़ानदान की जायदाद के मुश्तरका लाभ को न तो दानकेद्वारा और न वसीयत के द्वारा किसीको दे सकता है; देखो—बाबा बनाम टिम्मा 7 Mad, 357 ; पुन्नूसामी बनाम थाथा 9 Mad 273 ; रामअन्ना बनाम वेंकट 11 Mad.246 ; रोहाला बनाम पुलीकर 27 Mad.162,166; ऊदाराम बनाम रानू 11 Bom. H. C. 76 ; विंद्रावनदास बनाम जमनाबाई 12 Bom. H. C. 229 ; काल्लू बनाम बारसू 19 Bom. 803; विटलाबुहन बनाम यामेनअन्ना 8 Mad. H. C. 6 ; लक्ष्मण बनाम रामचन्द्र 5 Bom. 48 ; 7 I. A, 181 ; 29 Bom. 351.

हालका एक मुक़द्दमा देखो—मोतीलालके क़ब्ज़ेमें मौरूसी जायदाद थी उसने बालकृष्ण को गोद लिया उसी समय उसने एक बसीयत लिखा जिसमें यह भी लिखा कि “श्रीउत्तरनारायणजी के मंदिरमें दीपक जलानेके लिये २०)रु० वार्षिक दिया जाया करे” कुछ दिन बाद वह मरगया दत्तक पुत्रने रु० देना बंद कर दिया तब मंदिरके मेनेजरने तीन वर्षके बक़ाया की नालिशकी अदालतने वसीयत के आधारपर दावा डिकरी किया अपीलमें फैसला बहाल रहा, दत्तक पुत्रने बंबई हाईकोर्टमें अपीलकी अपीलांटकी तरफसे बंबई हाईकोर्टके सुप्रसिद्ध वकील पं० पद्मनाभ भास्कर सिंगणेने बहसमें कहा कि मुश्तरका हिन्दू परिवारका कोई कोपार्सनर वसीयत नहीं करसकता इस मामलेमें जब मोतीलालने बालकृष्णको गोद लेलिया तो वह दत्तकपुत्र कोपार्सनर होगया ऐसी दशामें वसीयत करनेका हक़ही नहीं रहा हाईकोर्टने यह बात मानी और अपील ड़िकरी किया मंदिरके मेनेजरका दावा खारिज हुआ—देखो बालकृष्ण मोतीराम गूजर बनाम श्रीउत्तरनारायणदेव 21 Bom. L. R. 225;

अगर किसी कोपार्सनर के पास उनकी कोई दूसरी अलहदा जायदाद है तो वह उसे अपनी मरज़ी के अनुसार जिसको जी चाहे दे सकता है; देखो दफा ४१८ ; ४१९.

दफा ४४७. मुश्तरका जायदाद का बेंचना या रेहन करना——(१) बंबई और मदरासप्रांत में जैसा कि मिताक्षराका अर्थ माना गया है उसके अनुसार उक्त दोनों प्रांतोंमें हरएक कोपार्सनर मुश्तरका खानदानकी जायदादका मुश्तरका लाभ, दूसरे कोपार्सनरोंके विना पूछे क़ीमत के बदलेमें बेंच सकता है, रेहन कर सकता है और किसी दूसरे तरीक़ेपर भी इन्तक़ाल कर सकता है; देखो—तुकाराम बनाम रामचन्द्र 6 Bom. H. C. A. C. 247; वासुदेव बनाम बैंकटेश 10 Bom. H. C. 139; फकीरापा बनाम चानप 10 Bom. H. C. 162; एथ्यागरी बनाम एथ्यागरी 25 Mad. 690, 703; लक्ष्मण बनाम रामचन्द्र 5 Bom. 48-61; 7 I. A. 181, 195; सूर्य्यवंशीकुंवर बनाम शिवप्रसाद 5 Cal 148, 166; 6 I. A. 88, 101, 102; बालगोविंददास बनाम नारायजलाल 15 All 339, 351; 20 I. A. 116, 125.

(२) बंगाल और संयुक्तप्रांतमें जैसा कि मिताक्षरालॉ का अर्थ माना गया है उसके अनुसार उक्त दोनों प्रांतोंमें कोई भी कोपार्सनर मुश्तरका खानदानकी जायदादके मुश्तरका लाभको विना दूसरे कोपार्सनरोंकी मंजूरीके क़ामतके बदलेमें किसी तरहका इन्तक़ाल नहीं करसकता; देखो—माधोप्रसाद बनाम मेहरवानसिंह 18 Cal, 157; 17 I. A. 194; सदावर्तप्रसाद बनाम फूलवास 3 Beng L. R. F. B. R. 31; काली शंकर बनाम नबावसिंह 31 All. 507; बालगोविंददास बनाम नरायन लाल 15 All. 339-351; 20 I. A. 116-125; औरं देखो मोहम्मद बनाम मिथ्थूलाल 31 All. 783; चन्द्रा बनाम दंपति 16 All 369.

मगर बाप या दादा मुश्तरका खानदानकी जायदादका इन्तक़ाल करसकता है देखो दफा ४४८. मिताक्षरालॉका दृढ़ सिद्धांत है कि हरएक कोपार्सनर मुश्तरका खानदानकी सम्पूर्ण जायदादमें मालिकाना अपना हक़ रखता है इसलिये कोई एक कोपार्सनर विना दूसरे कोपार्सनरोंकी मंजूरीके मुश्तरका खानदानकी जायदादकी किसी आमदनीको इन्तक़ाल नहीं करसकता। मिताक्षरालॉका यह सिद्धांत दृढ़ताके साथ बंगाल और संयुक्तप्रांतमें माना जाता है, लेकिन बम्बई और मदरास प्रांतोंमें मिताक्षरालॉका उक्त दृढ़ सिद्धांत मुश्तरका खानदानकी जायदादके इन्तक़ालके संबंधमें मुलायमियतके साथ वर्तावमें लाया जाता है।

दफा ४४८. जब बापने अपना क़र्ज़ा चुकानेके लिये जायदादका इन्तक़ाल कियाहो——उन सब प्रांतोंमें जिनमें कि मिताक्षरालॉ माना जाता है, अगर किसी हिन्दू मुश्तरका खानदानका फैलाव सिर्फ बाप और उसके लड़कोंहीतक हो तो बाप अपने निजके क़र्ज़े या पहिलेके क़र्ज़ोंके लिये मुश्तरका खानदानकी जायदादका अपना हिस्सा और अपने लड़कोंकाभी हिस्सा दोनों बेंच सकता है और रेहन करसकता है। अगर वह क़र्ज़ किसी अनुचित या क़ानूनन नाजायज़ कामके लिये, लिये गये हों तो नहीं करसकता। यही क़ायदा उस मुश्तरका खानदानसे भी लागू होगा जो दादा और पोताके दरमियान बनाहो, कारण यह है कि हिन्दूधर्म शास्त्रोंमें कहा गया है कि लड़का अपने बाप और दादाके क़र्ज़ोंके अदा करनेका पाबंद और जिम्मेदार है तथा उन क़र्ज़ोंकी जिम्मेदार मुश्तरका जायदाद रहती है। मतलब यह है कि जब किसी परिवारमें सिर्फ बाप और उसके लड़के हों, या दादा और उसके पोते हों, या बाप और उसके लड़के, पोते हों तो ऐसी सूरतमें बाप और दादा अपने लड़कों और पोतोंका हिस्सा तथा अपना हिस्सा बेंच सकता है, रेहन करसकता है। लड़कों और पोतोंकी मंजूरीकी ज़रूरत नहीं होगी।

उदाहरण—(१) ऐसा मानो कि जय और विजय दो हिन्दूभाई हैं मुश्तरका खानदानके मेम्बर हैं और संयुक्त प्रांतोंमें रहते हैं जहांपर मिताक्षरालॉ दृढ़ताके साथ मानाजाता है यानी वहांपर कोई कोपार्सनर विना दूसरे कोपार्सनरोंकी मंजूरीके मुश्तरका जायदादका कोई अपना हिस्सा या मुनाफा नहीं वेंचसकता और न रेहन करसकता है जैसा कि दफा ४४७ में बताया है। फ़र्ज़ करो कि मुश्तरका खानदानमें बाप और उसके दो लड़के हैं, अर्थात् राम बाप है और उसके लव, तथा कुश दो लड़के हैं, ऐसी सूरतमें रामने खास करज़ेके अदा करनेके लिये अथवा पहिलेके क़रज़ेके चुकानेके लिये क़ीमतके बदलेमें मुश्तरका जायदादका अपना और अपने दोनों लड़कोंका हिस्सा विना मंजूरी लड़कोंके वरुण नामक आदमीके हाथ वेंच दिया तो अब लव और कुश उस बिक्रीके पावंद हैं बशर्तेकि वेंचा जाना क़ानूनन नाजायज़ न हो। लड़के वरुणसे यह कहकर जायदाद पीछा नहीं पासकते कि बापको हमारे हिस्से के वेंचनेका अधिकार न था। और अगर ऐसी सूरत होती कि दादाने अपना हिस्सा तथा अपने पोतेका हिस्सा विना पूंछे पोतेके वेंच देता तोभी जायज़ होता।

(२) वंबई और मदरास प्रांतमें जहांपर मिताक्षरालॉ के उक्त वाक्यका अर्थ सख्तीसे नहीं मानाजाता वहांपर हरएक कोपार्सनर मुश्तरका खानदानकी जायदादका अपना हिस्सा विना मंजूरी दूसरे कोपार्सनरोंके क़ीमतके बदले वेंच सकता है और बाप अपने क़र्ज़े तथा क़र्ज़ोंके लिये जो नाजायज़ न हों अपने लड़कोंके हिस्से सहित अपना हिस्सा मुश्तरका जायदादका वेंच सकता है। अगर क़ानूनन नाजायज़ कामोंके लिये वेंचागया हो तो वह बिक्री नाजायज़ मानीजायगी।

नोट—इलाहाबाद और बंगाल हाईकोर्टके तथा वंबई और मदरास हाईकोर्टके दरमियान सिर्फ फरक़ यह है कि उपरोक्त पूर्वके दोनों हाईकोर्टोंमें मुश्तरका जायदादको एक मेम्बर नहीं वेंचसकता और न रेहन करसकता है जबतक कि सब मेम्बर जिनका हिस्सा मुश्तरका जायदादमें हैं मंजूर न करलें अथवा सबके सब मेम्बर उस बैनामा या रेहन नामामें शामिल न हों। एवं उपरोक्त आख़िरी दोनों हाईकोर्टोंमें मुश्तरका ख़ानदानका हरएक मेम्बर अपना हिस्सा विना दूसरे मेम्बरोंकी मंजूरीके भी इन्तक़ाल करसकता है बाक़ी बातें सब हाईकोर्टोंकी एकसां हैं। आख़िरी दोनों हाईकोर्टोंने ख़रीदारके लाभपर ज्यादा ध्यान दिया है तथा पहिलेवालोंने जायदादकी रक्षापर। "क़ीमतके बदले" ऐसा कहनेसे मतलब यह है कि रुपया लेकर जायदाद दीगयी हो वसीयत या दान आदि के तरीक़ेसे नहीं।

दफा ४४९. अदालतकी डिकरीसे मुश्तरका जायदादका कुर्क़ और नीलाम होना——शामिल शरीक हिन्दू परिवारमें रहनेवाले किसी आदमीके ऊपर अगर कोई डिकरी अदालतसे होजाय, तो यह बात साफ है कि सब प्रांतोंमें जहांपर कि मिताक्षरालॉ माना गया है, जिसके ऊपर डिकरी हो उसकी ज़िंदगीमें मुश्तरका खानदानकी जायदाद अदालतसे कुर्क़ कराई जासकती है और नीलाम होसकती हैं; देखो—दीनदयाल बनाम जगदीप नरायन 3 Cal. 198; 4 I. A. 247; ऊदाराम बनाम रानू 11 Bom. H. C. 76;

अगर कोई डिकरी क़रज़दारकी ज़िंदगीमें अदालतसे होजाय और उस डिकरीमें क़रज़दारकी ज़िंदगीमें मुश्तरका खानदानकी जायदादका उसका हिस्सा कुर्क़ न कराया गयाहो बल्कि क़रज़दारके मरने के बाद कुर्क़ कराया गया हो तो फिर उस डिकरीमें मुश्तरका खानदानकी जायदाद कुर्क़ नहीं होसकती और न नीलाम होसकती है। देखो—सूर्य्यवंशीकुंवर बनाम शिवप्रसाद 5 Cal. 148-174; 6 I. A. 88-109; विठ्ठलदास बनाम नन्दकिशोर 23 All. 109; अगर बापपर डिकरीहो और बापकी ज़िंदगीमें मुश्तरका जायदाद कुर्क़ नहीं कराई

गयी हो तो बापके मरनेपर बापकी छोड़ी हुई मुश्तरका जायदाद जब उसके लड़कोंके पास आवेगी तो उस डिकरीमें वह मुश्तरका जायदाद बापके मरनेके बाद भी अदालतसे कुर्क़ और नीलाम होसकेगी। कारण यह है कि बापके क़रज़ेके देनेके पावंद और ज़िम्मेदार लड़के माने गये हैं इतनाही नहीं वलिक बापके क़र्ज़ेके लिये लड़कोंकी जायदादभी कुर्क़ और नीलाम होसकती है डिकरी चाहे सिर्फ बाप के नामपर हो। अगर बापके ऊपर किसी ऐसे क़रज़े की डिकरी होगयी है जो क़ानूनन नाजायज़ था तो उस सूरतमें बाप के मरनेके बाद नतो बापकी मुश्तरका जायदादही पावंद है और न लड़कोंकी जायदाद अर्थात् ऐसी डिकरीमें मुश्तरका जायदादका कोई हिस्सा कुर्क़ नहीं होसकता और न नीलाम होसकता है। यही क़ायदा दादा और पोतेके बीचमें होगा।

उदाहरण--जय, और विजय दोनों मुश्तरका खानदानके मेम्बर हैं दोनों भाई हैं। तथा मिताक्षरावालोंको मानते हैं। लक्ष्मणको एक डिकरी अदालतसे जयके ऊपर मिली, लक्ष्मणनें उस डिकरीमें जयका हिस्सा जो मुश्तरका जायदादमें था कुर्क़ कराया, कुर्क होनेके बाद और नीलाम होनेसे पहिले जय मरगया तो ऐसी सूरतमें वह कुर्क़ किया हुआ हिस्सा नीलाम होसकता है। और अगर जायदादकी कुर्क़ीके पहिले मरजाता तो पीछे जयका हिस्सा जो मुश्तरका खानदानकी जायदाद में था डिकरी में कुर्क़ नहीं होसकता और न नीलाम हो सकता। कारण यह है कि जय के मरतेही उसका हिस्सा सरवाइवरशिपके हक़के अनुसार उसके भाई विजयको मिलजाता और उस वक्त वह जायदाद विजयकी हो जाती।

दफा ४५०. मुश्तरका जायदादके ख़रीदारके हक़——(१)—जब किसी आदमीने मुश्तरका खानदान के किसी आदमीका मुश्तरका जायदादका हिस्सा अदालतकी किसी डिकरीके नीलाममें ख़रीद कियाहो, इससे ख़रीदारको यह हक़ प्राप्त नहीं है कि मुश्तरका जायदादके किसी ख़ास हिस्सेको अपने क़ब्ज़ेमें रखे। देखो--ऊदाराम बनाम रानू 11 Bom. H, C. 76; पांडुरंग बनाम भास्कर 11 Bom. H. C. 72; पालानी बनाम मासाकोरम् 20 Mad. 243; एक मुक़द्दमेंमें ख़रीदारने जायदादपर क़ब्ज़ा कर लिया था और बादमें उसे इन्तक़ाल भी कर दिया था देखो--पटैल बनाम हुक्मचन्द्र 10 Bom. 363.

जब किसी आदमीने मुश्तरका जायदादका हिस्सा अदालतके नीलाममें ख़रीद किया हो तो वह जायदादपर क़ब्ज़ा नहीं करसकता वलिक वह अदालतमें मुश्तरका जायदादके बटवारा करापानेका दावा करसकता है, बटवारा होनेके बाद ख़रीदार अपने ख़रीदे हुए हिस्सेपर क़ब्ज़ा व दख़ल करेगा, बटवारा करानेमें अगर कोई कोपार्सनर राज़ी न हों तो ख़रीदार उसे या उन सबको मजबूर करसकता है और बटवारा करासकता है; देखो——दनिदयाल बनाम जगदीप नरायन 3 Cal 198; 4 I. A. 247; 10 Cal. 626; 11 I. A. 26.

मुश्तरका जायदादके ख़रीदारके लिये सिर्फ एकही तरीक़ा है कि वह मुश्तरका जायदादका हिस्सा ख़रीद करनेके बाद अदालतमें बटवारा करापानेका दावा सब कोपार्सनरोंके मुक़ाबिलेमें दायर करे और बटवारा होनेपर अपने ख़रीदे हुए हिस्सेके अनुसार जायदादपर दख़ल करे; देखो—पाण्डुरंग बनाम भास्कार 11 Bom. H. C. 72; 8 Mad. H. C. 6.

(२) बंबईहाईकोर्टके अनुसार मानागया हैकि जब किसी आदमीने मुख़तलिफ़ मुश्तरका जायदादमेंसे किसी जायदादका कोई हिस्सा ख़रीद किया हो तो ख़रीदारको सिर्फ उसी जायदादके बटवारा करापानेका दावा नहीं करना होगा जिसमें उसका ख़रीदा हुआ हिस्सा

शामिल है बल्कि कुल जितनी जायदाद मुश्तरका खानदानकी है सबका बटवारा करापानेकी नालिश कराना होगा और अगर सब कोपार्सनर इसबातपर राज़ी हों तो ख़रीदार सिर्फ उतनीही जायदादका बटवारा करायेगा; देखो-ऊदाराम बनाम रानू 11 Bom. H. C. 76; मुरारराव बनाम सीताराम 23 Bom 184; शिवमुर टापा बनाम वीरप्पा 24 Bom 128.

इलाहाबाद हाईकोर्टके अनुसार यह मानागया है कि जब किसी आदमीने मुख़्तलिफ मुश्तरका जायदादमेंसे किसी अलहदा जायदादका कोई हिस्सा ख़रीद किया हो तो ख़रीदार बिना कोपार्सनरोंकी मंजूरीके सिर्फ उसी ख़रीदी हुई जायदादके बटवारा करापानेका दावा करसकता है; देखो—राममोहन बनाम मूलचन्द 28 All 39.

मदरास और कलकत्ता हाईकोर्टमें यह मानागया है कि इस क़िस्मके ख़रीदारको सब मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादका बटवारा कराना योग्य होगा देखो--वेंकटराम बनाम मीरा 13 Mad 275; पलानी बनाम मासा 20 Mad 243; कुंवर हसमत बनाम सुंदरदास 11 Cal 396-399. यह बात सब हाईकोर्टोंमें मानीगयी है कि अगर कोई कोपार्सनर यह चाहे कि ख़रीदारके ख़रीदे हुए हिस्सेका बटवारा कराकर उसे अलग करदे तो हरएक कोपार्सनरका अधिकार है कि वह सिर्फ उसी जायदादके बटवारा करादेनेका दावा करसकता है जिसमें ख़रीदारका ख़रीदा हुआ हिस्सा शामिल है न कि सब मुश्तरका जायदादका; देखो-सुब्रह्मण्य बनाम पद्मनाभ 19 Mad 267; रामचरन बनाम अजोध्या 28 All 50.

(३) यह बात सब जगह मानीगयी है कि ख़रीदार बटवारा करापानेका दावा उस आदमीकी ज़िंदगीमें और उसके मरनेके बाद भी करसकता है जिसका हिस्सा उसने ख़रीद किया था, पय्यागिरि बनाम पय्यागिरि 25 Mad 690; इसीतरहपर जब ख़रीदार मरजाय तो उसके वारिस भी बटवारा करापानेका दावा करसकते हैं।

(४) अगर किसी आदमीने मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादका कोई हिस्सा किसी कोपार्सनरसे ख़रीद करलिया हो, और ख़रीदनेकी तारीख़के पश्चात् और ख़रीदारके बटवाराका मुक़द्दमा अदालतमें दाख़िल करनेसे पहिले कोई दूसरा कोपार्सनर उस ख़ानदानमें पैदा होजावे, या मरजावे तो उस ख़रीदारको कितनी जायदाद मिलेगी? यह बात बड़े झगड़ेकी है क्योंकि हिन्दुस्थानके हाईकोर्टोंका इस प्रश्नपर मतभेद है। मतभेद नीचे देखो—

बंबई हाईकोर्ट—बंबई हाईकोर्टके मतके अनुसार यह तय हुआ है कि ख़रीदनेकी तारीख़के बाद जब कोई दूसरा कोपार्सनर मुश्तरका ख़ानदानमें पैदा होजावे तो ख़रीदारको ख़रीदे हुए हिस्सेसे कमती हिस्सा मिलेगा यानी बटवाराका मुक़द्दमा दायर करनेके समय उस आदमीका जितना हिस्सा होगा उतना ख़रीदारको मिलेगा-जितना हिस्सा ख़रीदा था उतना नहीं मिलेगा। और अगर ख़रीद करनेकी तारीख़के बाद कोई कोपार्सनर मरजावे तो ख़रीदारको ज्यादा हिस्सा नहीं मिलेगा बल्कि उसे उतनाही हिस्सा मिलेगा जितना कि उसने ख़रीद किया था; देखो-गुरलिंगप्पा बनाम ननदाय। 21 Bom 797. ऐसा मानो कि-मुश्तरका जायदादके बेंचनेके समय बाप और उसके दो लड़के थे, और बटवाराकी नालिश करनेके समय ४ लड़के और पैदा होगये थे अब बंबई हाईकोर्टके अनुसार ख़रीदारको $\frac{१}{३}$ हिस्सा नहीं मिलेगा बल्कि $\frac{१}{६}$ हिस्सा मिलेगा और अगर उपरोक्त तीनोंमेंसे कोई मरजाता तो ख़रीदारको ज्यादा हिस्सा नहीं मिलता बल्कि $\frac{१}{३}$ हिस्साही मिलता।

मदरास हाईकोर्ट--मदरास हाईकोर्टके फुल बिंचके फैसलेके अनुसार ख़रीदारको हमेशा उतनाही हिस्सा मिलेगा जितना उसने ख़रीद किया था यानी जिस कोपार्सनरसे उसने

जितना हिस्सा ख़रीद किया था उतनाही हमेशा मिलेगा चाहे ख़रीदनेके पश्चात् कोई दूसरा कोपार्सनर पैदा होजावे अथवा मरजावे-देखो-चिन्नूपिलाई बनाम कालीमुट्टू 35 Mad 47.

उदाहरण--अ, क, ख, ग, घ, यह पांच हिन्दूभाई हैं और मुश्तरका ख़ानदानमें रहते हैं। अ, ने अपना हक़ रामके हाथ बेंच दिया उसके बाद अ, के एक लड़का पैदा होगया, लड़का पैदा होनेके बाद रामने बटवारा करा पानेका दावा किया अब देखो मदरास हाईकोर्टके फैसलेके अनुसार रामको १/५ हिस्सा मिलेगा और बम्बईहाईकोर्टके फैसलेके अनुसार १/६ मिलेगा। अ, क, ख, यह तीनों मुश्तरका ख़ानदानके मेम्बर हैं अ, ने अपना हक़ रामके हाथ बेंच दिया उसके बाद क, मर गया, पीछे रामने अ, और ख, पर बटवारा करा पानेका दावा किया तो अब रामको आधा हिस्सा नहीं मिलेगा बल्कि १/३ मिलेगा। क्योंकि किसी हिस्सेदारका हक़ ख़रीद लेनेसे राम कोपार्सनर नहीं होजायगा। क, का हिस्सा उसके मरनेपर अ, और ख, को जायगा जो उसके कोपार्सनर हैं सबब यह है कि सरवाइवरशिप् इनमें लागू था अपना हक़ बेंच देनेसे कोपार्सनरपनेका हक़ नहीं चला जाता इसीतरह अगर क, और ख, दोनों मर-जाते तो उन दोनोंका हक़ सरवाइवर शिपूके अनुसार अकेले अ, को मिलजाता-रामको नहीं

नोट—मदरास हाईकोर्टमें भी कोपार्सनरके मरनेसे इसीतरहका फैसला होगा जैसा ऊपर उदाहरणके आख़ीरमें बताया गया है। जो नियम जायदादके बैनामासे लागू किये गये हैं वही नियम रेहननामासे भी लागू होंगे।

अगर किसी ख़रीदारने मुश्तरका ख़ानदानके किसी मेम्बरसे उसका हिस्सा ख़रीद किया हो, और किसी तरहसे ख़रीदारने उस मुश्तरका जायदादपर अपना क़ब्ज़ा व दख़ल कर लिया हो चाहे उस क़ब्ज़ा व दख़लमें दूसरे कोपार्सनरोंका हिस्सा भी शामिल हो जिसे उसने नहीं ख़रीदा था, तो ऐसी सूरतमें कोई भी कोपार्सनर अदालत फौजदारीके द्वारा उस ख़रीदारको जायदादसे बेदख़ल नहीं कर सकेगा और न अदालत दीवानीमें उसके बेदख़ल किये जानेका दावा करसकेगा। अब बड़ी मुशकिल यह समझमें आती है कि ऐसी सूरतमें दूसरे हिस्सेदारोंको क्या करना चाहिये? इसका उपाय सिर्फ एकही है कि दूसरे कोपार्सनरोंको अपनी तरफसे बटवारा करा पानेका दावा अदालतमें करना चाहिये यह दावा सब कोपार्सनर मिलकर अथवा एक भी करसकता है। और कोपार्सनर इस क़िस्मका दावा भी करसकते हैं कि "क़रार दिया जाय कि ख़रीदारके साथ जायदादके उपभोग करनेका हक़ दूसरे कोपार्सनरोंको है" देखो--महाबलाय बनाम टिमाया 12 Bom. H. C. 138; बावाजी बनाम वासुदेव 1 Bom 95; कल्लापा बनाम वेंकटेश 2 Bom 676; 5 Bom 493.

जो जायदाद ख़रीद की गयी हो अगर उसपर किसी क़रज़का बोझा ख़रीद करनेसे पहिलेका है तो वह बोझा ख़रीद करनेपर भी बना रहेगा यानी उस क़रज़ेका ज़िम्मेदार ख़रीदार होगा; देखो-11 Bom. H. C. 76; नरायन बनाम नाथाजी (1904) 28 Bom 201.

दफा ४५१. मुश्तरका जायदादका हिस्सा जिस आदमीका बिक गया हो उसकी स्थिति——जब किसी कोपार्सनरका बिना बटा हुआ हिस्सा मुश्तरका जायदादका बेंच दिया गयाहो लेकिन ख़रीदार या दूसरे कोपार्सनरोंके द्वारा बटवारा न हुआहो तो उस बिक्रीसे कोपार्सनरकी हैसियतमें कोई फरक़ नहीं पड़ता, तथा दूसरे कोपार्सनरके मरनेपर सरवाइवरशिपके अनुसार उसका हक़ बना रहता है-देखो, 21 Bom 797, 803.

दफा ४५२. अगर कोपार्सनर अपना हिस्सा छोड़दे——मदरास हाईकोर्ट की राय यह है कि कोपार्सनर मुश्तरका जायदादमें अपना हिस्सा किसी एक या ज्यादा कोपार्स-

नरों के हक़में या सब कोपार्सनरों के लिये छोड़ सकता है; देखो—पेडैय्या बनाम रामलिंगम् 11 Mad. 406 ; 25 Mad. 149-156 ; अप्पा बनाम रांगा 6 Mad. 71.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की राय यह है कि–कोपार्सनर सब कोपार्सनरों के हक़में अपना हिस्सा छोड़ सकता है, लेकिन अगर वह एक या ज्यादा कोपार्सनरों के हक़में छोड़े तो सब कोपार्सनर उससे लाभउठायेंगे अर्थात् जिसको वह हिस्सा दिया गया है सिर्फ वही उससे लाभ नहीं उठायेगा बल्कि सब कोपार्सनर उठायेंगे; देखो–चन्द्र बनाम दंपति 16 All. 369.

(१) एक बापके जय, और विजय, दो पुत्रहैं। जयका पुत्र वसु, और विजयका पुत्र अत्रि, है। जय, ने मुश्तरका जायदादमें अपना हिस्सा अपने बाप के हक़में छोड़ दिया यानी दे दिया तो जय के पुत्र वसु सहित सब कोपार्सनर उससे लाभ उठावेंगे यह राय बंबई हाईकोर्ट की है (6 Bom L. R. 925, 947 ; 9 Bom. L. R, 595 ; 33 Bom 267 ; 1 Mad. 812 ; 5. A. 61.)

(२) अ, क, ख, ग, चारभाई मुश्तरका ख़ानदान में हैं अ, क, मुश्तरका ख़ानदान की जायदाद् में अपना हिस्सा अकेले ख, के हक़में देदिया पीछे ख, बटवारा का दावा ग, के ऊपर करता है ऐसे मामले में मदरास हाईकोर्ट का मत है कि ख, तीन चौथाई $\frac{३}{४}$ हिस्सा पाने का हक़दार होगा। तथा ग, $\frac{१}{४}$ एक चौथाई पावेगा। परंतु इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा माना है कि भलेही अ, और क, ने अपने हिस्से ख, को दे दिये हों किंतु ख, और ग, उस जायदाद का बराबर लाभ उठायेंगे यानी आधी जायदाद ख, को तथा आधी जायदाद ग, को मिलेंगी।

मदरास हाईकोर्ट की उक्तराय का आधार महर्षि मनु का वचन मालूम होता है क्योंकि मनुस्मृतिमें कहा गया है कि—

भातृणां यस्तु ने हेत धनं शक्तः स्वकर्मणा
स निर्भाज्यः स्वकादेशा त्किञ्चिद्दत्त्वोपजीवनम् । मनु ९–२०७

मतलब यह है कि अगर किसी भाईकी अगल कमाई अपने पेशेसे हो और वह जायदादमें अपना हिस्सा न चाहता हो तो जायदाद का उसका हिस्सा ले लिया जायगा और उसे उसके बदले में कुछ दे दिया जायगा जिससे उसके पुत्र कालांतरमें कोई विवाद न करसकें। इसी आशय पर मदरास के हाईकोर्ट की राय हुई है कि यदि सब कोपार्सनरों के हक़में अपना हिस्सा छोड़ा जा सकता है तो कोई वजेह नहीं है कि वह अकेले किसी ऐसे कोपार्सनर के हक़में न छोड़ सके जिसको कि सचमुच वैसी मदद की ज़रूरत है।

दफा ४५३. दिवालिया कोपार्सनर——जिस मुश्तरका ख़ानदानमें मिताक्षरालॉ माना जाता है यदि उसका कोई कोपार्सनर अदालतसे दिवालिया ठहराया जाय तो मुश्तरका ख़ानदान का उसका हिस्सा आफिशल एसाइनी के क़ब्ज़े में चला जायगा; देखो—नुन्न बनाम चिड़ाराभोइना 26 Mad. 214-223; अगर दिवालेकी काररवाई के दर मियानमें वह कोपार्सनर मर जाय तो दूसरे कोपार्सनर सरबाइवर शिप् के द्वारा उसके हिस्से के हक़दार नहीं होंगे; फकीरचन्द बनाम मोतीचन्द 7 Bóm 438.

ऐसा मानो कि जय और उसका पुत्र विजय मुश्तरका ख़ानदान में हैं, जय दिवालिया होगया और उसके मरने के बाद आफीशल एसाइनी ने जय का हिस्सा बेंच दिया जो मुश्तरका ख़ानदान में था। विजय ने इस बातपर उज्जुर किया कि जय के मरने के बाद मुश्तरका ख़ानदान की जायदाद का उसके हिस्सा परसे आफीशल एसाइनी का हक़ जाता रहा

और सरवाइवर शिपद्वारा विजय का हक़ उसपर क़ायम होगया। परंतु बंबई हाईकोर्टने विजय की यह बात नहीं मानी देखो ऊपर की नज़ीर 7 Bom 438.

दफ़ा ४५४. मुश्तरका ख़ानदान के फ़र्म का दिवाला——जब मुश्तरका ख़ानदान के फ़र्मका दिवाला हो जाय तो नावालिग़ कोपार्सनरोंके हिस्से सहित सब कोपार्सनरोंके हिस्सोंपर आफिशल एसाइनीका हक़ क़ायम हो जायगा 26 Mad 214, 14. Bom 189.

मुश्तरका जायदादका इन्तक़ाल मंसूख़ कराना।

दफ़ा ४५५. दानका मंसूख़ कराना——मिताक्षराके अनुसार कोई कोपार्सनर नतो मुश्तरका जायदादके अपने हिस्सेको, या अपने लाभको दान कर सकता है और न किसीको देसकता है यदि कोई ऐसी लिखा पढ़ीकी गयी हो तो दूसरे कोपार्सनरोंके एतराज़ करनेपर अदालतसे बिल्कुल मंसूख़ कर दीजायगी। परंतु बाप, पैतृक मनक़ूला जायदाद का दान कहांतक कर सकता है या किसी देवता के लिये कहांतक दान कर सकता है यह बात इस किताबकी दफ़ा ४१८-२; ७९९; में बतायी गयी है।

दफ़ा ४५६. विक्री और रेहनका मंसूख़ करना——बंबई और मदरास प्रांतमें जिस तरहसे कि मिताक्षरालॉका अर्थ माना गया है उसके अनुसार यदि मुश्तरका ख़ानदान का कोई कोपार्सनर अपने हिस्सेसे ज़्यादा मुश्तरका जायदादका कोई भाग बेंचदे या रेहन करदे या किसी दूसरी तरहसे इन्तक़ाल करदे तो दूसरे कोपार्सनरोंके उज्जुर करनेपर वह विक्री या रेहन या इन्तक़ाल केवल उसी एक बेंचनेवाले कोपार्सनर के हिस्सेतक लागू समझा जायगा। अर्थात् जिस क़दर कि बेंचनेवाले कोपार्सनरका हिस्सा होगा उसका इन्तक़ाल जायज़ माना जायगा और जिस क़दर कि उसने दूसरे कोपार्सनरोंका ज़्यादा हिस्सा बेंच, या रेहन या इन्तक़ाल कर दिया है वह नाजायज़ माना जायगा । इसका कारण यह है कि हरएक कोपार्सनर अपने हिस्सेको बेंच या रेहन या इन्तक़ाल करसकता है। देखो—श्रीपति चिन्ना बनाम श्रीपतिसूर्य्य 5 Mad. 196; माराप्पा बनाम रंगसामी 23 Mad. 89.

(२) बंगाल और संयुक्त प्रांतमें मिताक्षरालॉ माननेवाले मुश्तरका ख़ानदानका कोई कोपार्सनर मुश्तरका जायदादको या उसका कोई हिस्सा अपने हिस्सेसे ज़्यादा बेंचदे या रेहन करदे या किसी दूसरी तरहसे इन्तक़ाल करदे, अथवा केवल अपनाही हिस्सा दूसरे कोपार्सनरोंकी रज़ामंदी के विना बेंचदे या रेहन करदे या किसी दूसरी तरहसे इन्तक़ाल करदे तो ऐसी सूरतमें वह सब विक्री, या रेहन, और इन्तक़ाल अदालतसे मंसूख़ होजायगा। लेकिन अगर वह बेंचनेवाला कोपार्सनर पिता या पितामह हो और उसने जायदादका इन्तक़ाल उस क़रज़े के चुकानेके लिये किया हो जिसका ज़िकर इस किताबकी दफ़ा ४४८ में किया गया है तो वैसा इंतक़ाल जायज़ माना जायगा कारण यह है कि बंगाल और संयुक्तप्रांतमें कोपार्सनर मुश्तरका ख़ानदानके अपने हिस्सेकाभी इन्तक़ाल दूसरे कोपार्सनरोंकी विना मंजूरी नहीं कर सकता इसी लिये ऊपर कही हुई विक्री या रेहन या इन्तक़ाल सब मंसूख़ होजाता है।

जब मुश्तरका ख़ानदानका कोई आदमी इन्तकालके मंसूख़ करा दिये जानेकी अदालतमें प्रार्थना करे तो अदालतको यह ज़रूरी नहीं हैकि वह वैसाही करे जैसा कि उसने चाहाहै बल्कि अदालतको अधिकार हैकि जैसा उसकी रायमें उचित समझपड़े किसी शर्तकेसाथ उसको मंसूख़ करे; देखो-मोधू बनाम गुलबर 9 W.R. 511; हनुमान बनाम बाबूकृष्ण 8 Beng. L.R. 358; तेजपाल बनाम गंगा 25 All 59; मसलन् अदालत यह कहसकती है कि—इन्तक़ाल करनेवाला अपने हिस्सेमेंसे वह रक़म उस आदमीको अदा करता रहे जिसके नाम इन्तक़ाल किया गया है और जिसके बदलेमें रक़म लीगयी है; देखो—महावीरप्रसाद बनाम रामयाद 12 Beng. L. R. 90; जमुना बनाम गंगा 19 Cal. 401; इससे स्पष्ट है कि बंबई और मदरास तथा बंगाल और संयुक्तप्रांत में इस आख़िरी अंशमें क़ानूनके अर्थमें मतभेद नहीं है प्रायः सब जगहपर यही है। हरहालतमें वह आदमी जिसके नाम इन्तक़ाल किया गया इन्तक़ाल करनेवालेके हिस्सेका हक़दार होता है; देखो—दीनदयाल बनाम जगदीप नरायन 3 Cal. 198-208; 4 I. A. 247-255.

उदाहरण—(१) जय और विजय दो हिन्दूभाई मुश्तरका ख़ानदानमें हैं और कलकत्तेमें रहते हैं उनके खानदानमें मिताक्षरालॉ माना जाता है, जय ख़ानदानका मेनेजर है उसने जायज़ ज़रूरतके लिये ३०००) रु० महेशसे लेकर ख़ानदानकी जायदाद उसके पास रेहन कर दी। रेहनमें विजयकी मंजूरी नहीं ली गयी थी। पीछे विजयने अदालतमें रेहन मंसूख़ किये जानेका दावा जय और महेशपर किया अदालतको मालूम हुआ कि जयने जायज़ ज़रूरत बताकर महेशसे क़रज़ा लिया था और महेशने उसकी बातपर विश्वास करके वह क़रज़ा दिया था ऐसी सूरतमें रेहन मंसूख करते हुए अदालतने यह हुक्म दिया कि जायदादमें आधा हिस्सा जयका रहे और आधा विजयका, परन्तु जय अपने आधे हिस्सामेंसे महेशका कुल क़रज़ा सूद सहित बराबर अदा करता रहे। इसतरहका फैसला बंगाल और संयुक्तप्रांतमें मिताक्षरालॉके अनुसार होगा। अगर रेहन करनेके बाद जय मरजावे तो महेशका रु० मारा जायगा उसे कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि सरवाइवरशिपके द्वारा जयकी जायदाद विजयके पास चली जायगी और विजय उसका पूरा मालिक होजायगा परन्तु महेशके क़रज़का ज़िम्मेदार नहीं रहेगा-देखो—माधोप्रसाद बनाम मेहरबानसिंह 18 Cal 157; 17 I. A. 194.

(२) ऊपरके उदाहरणको ध्यानमें रखकर पुनः विचार करो जय और विजय दोनों मिताक्षरा माननेवाले हैं, जय मुश्तरका खानदानकी जायदाद विजयकी बिना मंजूरी महेशको बेंच दी, विजय उस बिक्रीकी मंसूखीके लिये जय और महेशपर दावा करता है, यह साबित है कि जयने बिक्रीका रुपया जायदादके किसी जायज़ क़रज़ेके चुकानेमें अदा किया था ऐसे मामलेमें बंगाल और संयुक्तप्रांतके अंतर्गत अदालत बिक्री मंसूख करदेगी मगर साथही यह भी हुक्म देसकती है कि महेश बतौर सादे करज़ेके अपना रुपया वसूल करे। लेकिन अगर जयने वह बिक्रीका रुपया खास अपने क़रज़ेके चुकानेमें अदा किया हो या मुश्तरका खानदानके किसी काममें जो जायज़ और ज़रूरी हों न लगाया हो तो महेशको सादे क़रज़ेकी तरहपर भी वसूल करनेका अधिकार नहीं रहेगा यानी सब रुपया मारा जायगा।

नोट—ख़रीदारको चाहिये कि अच्छीतरहसे और सब तरहसे मुश्तरका ख़ानदानी ज़रूरत जायज़को मालूम करके रुपया दे और ख़बर रखे कि वह रुपया ख़ानदानी जायज़ काममें ख़र्चा होगा वरना बड़े झगड़ेमें फंसना पड़ेगा-ऊपरके उदाहरण देखो—अगर इन्तक़ाल करनेवाला बाप हो तो उसके बेटोंको पाबंद होना पड़ेगा। बंबई और मदरासकी बात बिल्कुल साफ ऊपर कही जाचुकी है।

दफा ४५७. मुश्तरका जायदादके इन्तक़ाल होजानेपर कौन उज़र करसकता है— जब कि कोई कोपार्सनर अपने अधिकारसे ज़्यादा या हिस्सेसे ज़्यादा मुश्तरका जायदादका इन्तक़ाल करे तो कोई भी दूसरा कोपार्सनर जो इन्तक़ालके समय मौजूद हो अदालतमें प्रार्थना करके उस इन्तक़ालको मंसूख़ करासकता है, उसके सिवाय कोई भी कोपार्सनर जो इन्तक़ालके समय गर्भमें हो वह भी पैदा होनेके बाद उस इन्तक़ालको मंसूख़ करासकता है इसका कारण यह है कि हिन्दूलॉके अनुसार गर्भवाले पुत्रके अधिकार भी बहुतसी सूरतोंमें वही हैं जो जन्में हुए पुत्रके होते हैं; देखो-सवापा थीं बनाम सोमासुंदरम् 16 Mad. 76; रामअन्ना बनाम वेंकटा 11 Mad 246 (दानका केस है); गिरधारीलाल बनाम कान्तूलाल 14 Beng. L. R. 187, 11 I. A. 321.

(१) उक्त 11 Mad. 246 में तय हुआ हैं कि जय, जो मिताक्षरालॉ का माननेवाला है कोई पैतृक जायदाद विजयको दान करदी दानके समय जयका कोई पुत्र नहीं था लेकिन दानकी तारीख़से दो मासके बाद एक पुत्र पैदा हुआ उस पुत्रके उज़ुर करनेपर अदालतने इस दानको मंसूख़ करादिया क्योंकि दानके समय वह लड़का गर्भमें था। चूंकि यह दानका मामला था इसलिये सबका सब मंसूख़ करदिया गया न कि पुत्रके हिस्सेतक।

(२) मदरास प्रांतमें जैसा कि मिताक्षरालॉ का अर्थ मानाजाता है जय उसका माननेवाला है बिना किसी जायज़ ज़रूरतके उसने कोई पैतृक जायदाद विजयको बेंच दी इस विक्री के समय जो पुत्र जयका गर्भमें था उसके पैदा होनेके बाद उसके उज़ुर करनेपर यह विक्री सिर्फ़ पुत्रके हिस्सेतक मंसूख़ करदी जायगी सबकी सब नहीं यानी बापके हिस्सेकी विक्री मंसूख़ नहीं होगी-इस क़िस्मका फैसला 16 Mad 76 में कियागया है।

(३) जय और उसका पुत्र विजय मिताक्षरालॉ माननेवाले हैं मुश्तरका ख़ानदानमें रहते हैं, जयने कोई पैतृक जायदाद विजयके हिस्से सहित और बिना मंज़ूरी उसके एक जायज़ करज़ा अदा करनेके लिये महेशके हाथ बेंच दी यह विक्री सर्वथा जायज़ मानीजायगी विजय उस विक्रीपर कोई उज़ुर नहीं करसकता क्योंकि बापका क़रज़ा अदा करनेके लिये यह विक्री की गयी थी-इस क़िस्मका फैसला देखो 4 Beng L.R. 187; 11 I. A. 321.

दफा ४५८. जायज़ इन्तक़ालके समय यदि गर्भमेंभी पुत्र नहोतो हक़ नहीं है— जायज़ इन्तक़ाल के समय यानी जिस समय मुश्तरका ख़ानदान की किसी जायदाद का इन्तक़ाल किया गया हो वह पुत्र उस समय नतो गर्भमेंहो और न जन्मा हो तो वह पीछे पैदा होकर उस इन्तक़ाल के मंसूख़ करापानेका दावा नहीं करसकरता; देखो-राजाराम बनाम लक्ष्मण 8 W. R. 16-21; भोलानाथ बनाम कारतिक 34 Cal. 372; 33 All. 283.

लेकिन जो इन्तक़ाल नाजायज़ हो अर्थात् बिना जायज़ ज़रूरत के या जो उसवक्त पुत्र मौजूदहों उनकी रज़ामंदीके बिना किया गया हो तो वह इन्तक़ाल, पीछे उन पुत्रोंके उज़ुर करनेपर और उस पुत्रके भी उज़ुर करनेपर जो पीछेसे पैदा हुआ है मंसूख़ किया जायगा लेकिन अगर इन्तक़ाल के वक्त जो पुत्र मौजूद थे उन्होने उस इन्तक़ाल को मंजूरकर लिया हो या पीछेसे मंजूर करलिया हो तो मंसूख़ नहीं किया जायगा देखो-33 All 654.

(१) जय, मिताक्षरालॉका माननेवाला है उसने एक पैतृक जायदाद महेशको बेंचदी, विक्रीके समय जयका कोई पुत्र नतो मौजूद था और न गर्भमें था तथा विक्री बिना जायज़ ज़रूरतके की गयी थी परन्तु फिर भी वह विक्री ज़ायज़ है मंसूख़ नहीं की ज़ासकेगी क्योंकि

ज़रूरत जायज़ या नाजायज़का सवाल उसीवक्त पैदा होता है जब दूसरे कोपार्सनर भी मौजूद हों अगर बिक्रीके दो वर्षके बाद कोई पुत्र जयके पैदाहो तो वह उस बिक्रीको नाजायज़ नहीं ठहरा सकता।

नोट--ऊपरके उदाहरणमें बिक्रीका मतलब यह है कि जायदादका इन्तक़ालपूरी तरहसे नहुआहो मसलन् विक्रीका सिर्फ इक़रार हुआ हो और इक़रार के बाद कोई पुत्र पैदाहो तो मिताक्षरालॉके अनुसार बंगाल और संयुक्तप्रांतमें वह बिक्री सबकी सब मंसूख़ होजायगी मगर बंबई और मदरास प्रांतमें पुत्रके हिस्सेतक मंसूख होगी यानी पुत्रका हिस्साही सिर्फ बरी करदिया जायगा; देखो--पुनाम वाला बनाम सुंदरप्पा एय्यर 20 Mad 354 और देखो ट्रान्सफ़र आफ़ प्रापरटी एक्ट १८८२ कीधारा ५४.

(२) जयका एक लड़का विजयहै, जयने पैतृक जायदाद विजयकी रज़ामंदी बिना किसी जायज़ ज़रूरतके लिये महेशके हाथ बेंच दी, बेंचनेकी तारीख़से दो वर्षके बाद जयके एक और पुत्र पैदा हुआ बिक्री नाजायज़ थी इसलिये पीछेसे पैदा हुए लड़केके उज़ुर करनेपर बंगाल और संयुक्त प्रांतमें सबकी सब बिक्री, और बंबई तथा मदरासमें सिर्फ पैदा हुए लड़केके हिस्सेतक मंसूख़ करदी जायगी। लेकिन अगर वह बिक्री विजयकी रज़ामंदीसे हुई थी तब वह लड़का कोई उज़ुर नहीं करसकता क्योंकि माना जायगा कि वह बिक्री जायज़ थी और अगर उस लड़केको गर्भमें आनेके पश्चात् या पैदा होनेके पश्चात् विजयने रज़ामंदी दी हो तो उस लड़केका हक़ नष्ट नहीं होता—इसी क़िस्मका केस देखो 33 All. 654; 11 W. R. 480.

(३) जय और उसका पुत्र विजय, तथा जयके चाचाका पुत्र राम मुश्तरका ख़ानदान में हैं, विजयकी नाबालिगीमें जय और रामने मुश्तरका जायदाद आपसमें बांटली अर्थात् जय ने कुछ जायदाद रामको देदी इसके पश्चात् जयके दो पुत्र शंकर और सेवक पैदा हुए तीनों भाईयों (विजय, शंकर, सेवक) ने उस जायदादके वापिस पानेका दावा जय और राम पर किया जो जयने रामको दी थी। तीनों भाइयोंने कहा कि यद्यपि जयने रामको अपने चाचाका दत्तकपुत्र मानकर वह जायदाद दी थी परंतु वह दत्तक जायज़ नहीं था इसलिये रामको खानदानकी किसी जायदादपर कोई हक़ नहीं है (यह साफ है कि अगर दत्तक दर असल नाजायज़ है तो उसको इस तरहपर जायदादका देना भी नाजायज़ है) इसलिये विजय, शंकर, और सेवक तीनों अदालतमें प्रार्थना करके जायदाद वापिस ले सकते हैं—देखो-रामकिशोर बनाम जैनारायन 40 Cal 966; 40 I.A. 213.

दावाकीमियाद--मिताक्षरालॉ माननेवाले बापने जिस पैतृक जायदादका इन्तक़ाल किया हो उसपर उसका पुत्र बारह वर्षके अंदर उज़ुर करसकता है और यह मियाद उससमयसे शुरू होगी जब कि उस आदमीने जिसके नाम इन्तक़ाल किया गया है जायदादपर क़ब्ज़ा किया हो। देखो लिमीटेशन एक्ट नं० ९ सन १९०८ ई०.

दफा ४५९. जायदादके इन्तक़ालके बाद यदि दत्तक लियागया हो——
मुश्तरका जायदादके इन्तक़ालके पश्चात् जो दत्तकपुत्र लियागया हो वह उस इन्तक़ालको जो जायज़ हो रद्द नहीं करासकता मगर नाजायज़को करासकता है; देखो-सूदानन्द बनाम सूर्य्यमणि 11 W. R. 436; रामभट्ट बनाम लक्ष्मिमण 5 Bom 630.

दफा ४६०. माके गर्भमें रहते हुए पुत्रके अधिकार——हिन्दूलॉ के अनुसार गर्भमें जो पुत्र हो उसको भी बहुत कुछ वही अधिकार प्राप्त हैं जो जन्मे हुए पुत्रको हैं। गर्भमें चाहे लड़का हो या लड़की उनके जीवित पैदा होनेपर वे वरासतके अधिकारी हैं। गर्भमें जो पुत्र हो वह बटवाराके समय जायदादमें हिस्सा पानेका भी अधिकारी मानागया

है। गर्भमें उस पुत्रके रहते समय यदि उसका बाप वसीयतद्वारा किसीको जायदाद दे दी हो या दे गया हो तो वह पुत्र पैदा होनेपर सरवाइवर शिप द्वारा उस जायदादको वापिस ले सकता है जिसतरहसे जीवितपुत्र पिताकी मृत्युके बाद सरवाइवर शिपसे उसकी जायदाद पाता है। उसीतरह वह पुत्रभी जो गर्भमें हो जायदाद पायेगा। पुत्रके सरवाइवर शिप का अधिकार रद्द करनेके लिये बाप किसी तीसरे आदमीको मुश्तरका जायदाद नहीं दे सकता चाहे वह पुत्र मौजूद हो या गर्भमें हो। जायदादके जिस इन्तकालपर जीवितपुत्र अदालतमें उज़ुर करसकता उसी तरह वह पुत्रभी करसकता है जो इन्तकालके समय गर्भमें हो। सिर्फ एक ऐसी सूरत है जिसमें हिन्दूलॉ गर्भमें रहनेवाले पुत्रको मौजूद नहीं मानता वह सूरत दत्तकपुत्रके संबंधमें है क्योंकि आदमी अपनी स्त्रीके गर्भवती होनेपर भी दत्तकपुत्र ले सकता है पीछे चाहे गर्भसे पुत्रही उत्पन्न हो। देखो-हनूमंत बनाम रामचन्द्र 12 Bom 105; और देखो दफा १०५.

दायभाग लॉ।

दायभाग लॉके अनुसार कोपार्सनर और कोपार्सनरी जायदाद।

दफा ४६१. **दायभाग लॉके अनुसार मुश्तरका ख़ानदानकी ख़ास पहिचान**—कोपार्सनर और कोपार्सनरी जायदादके संबंधमें दायभाग लॉ—मिताक्षरा लॉसे बिल्कुल भिन्न है, परंतु जहां दायभागमें कुछ नहीं कहागया वहांपर जहांतक संभव है मिताक्षरालॉ ही माना जाता है क्योंकि बंगालमें भी मिताक्षरालॉ का प्रमाण सबसे ऊंचे दर्जेका मानाजाता है, जहांपर मिताक्षरा और दायभागमें मतभेद होता है वहींपर सिर्फ दायभागलॉ बंगालमें मानाजाता है; देखो—कलक्टर आफ मदुरा बनाम मोटोराम लिंग 12 M. I. A. 397-405; भगवानदीन बनाम मैनाबाई 11 M. I A. 487-507; अक्षय बनाम हरीदास 35 Cal. 721.

पैतृक संपत्तिमें पिता और पुत्रोंके अधिकारके संबंधमें दायभागके सिवाय दो और भी ग्रन्थ हैं जो बंगालमें मान्य है १-दायतत्व २-दायक्रम संग्रह; दायतत्वके कर्ता हैं पंडित रघुनन्दन जो सोलहवीं शताब्दीमें हुए और दायक्रम संग्रहके कर्ता हैं श्रीकृष्ण तत्वालंकार जो अठारहवीं शताब्दीमें हुए यह दोनों ग्रन्थ बरासतसे संबंध रखते हैं देखो दफा २३-५.

दफा ४६२. **लड़के अपनी पैदाइशसे कोई हक़ नहीं प्राप्त करते**——मिताक्षरालॉ के अनुसार प्रत्येक पुत्र कुल पैतृक जायदादमें अपनी पैदाइशसे बापके साथ बराबर का हक़ प्राप्त करलेता है, और बापके मरनेके बाद लड़का सरवाइवरशिपके अनुसार बापकी छोड़ी हुई जायदाद लेता है न कि उसके वारिसकी तरह। दायभागलॉ के अनुसार लड़के पैतृक जायदादमें अपनी पैदाइशसे कोई भी हक़ नहीं प्राप्त करते, उनका हक़ बापके मरनेके पश्चात् पैदा होता है बापके मरनेपर लड़के उतनीही जायदाद पाते हैं जितनी कि बाप छोड़

गया हो चाहे वह जायदाद मौरूसी हो या उसकी अलहदा कमाईकी हो इस स्कूलमें लड़के सरवाइवरशिपके अनुसार बापकी जायदाद नहीं पाते बल्कि वह बतौर वारिसके पाते हैं। बाप और लड़कोंके बीचमें कोपार्सनरी नहीं होती। हिन्दूलॉ के कुछ लेखकोंकी राय है कि बाप और लड़के पैतृक जायदादमें मुश्तरका हक़ प्राप्त करते हैं और इसलिये वह कोपार्सनरीकी हक़दारीके भीतर आसकते हैं मगर यह बात पूरे तौरसे तय नहीं हुई है कि कहांतक यह बात माननीय होगी।

दफा ४६३. पैतृक जायदादके इन्तक़ाल करनेमें बापको पूरा अधिकार है—जब दायभागलॉ में यह बात मानीगयी है कि लड़के अपनी पैदाइशसे पैतृक जायदादमें कोई हक़ नहीं प्राप्त करसकते इसीलिये कुल पैतृक जायदादको बाप अपनी मरज़ीके अनुसार बेंच सकता है, रेहन करसकता है, दान करसकता है, वसीयत करसकता है, और दूसरे तरीक़ोंसे भी दे सकता है चाहे वह जायदाद मनकूला हो या ग़ैर मनकूला हो। मौरूसी जायदादमें बापके वैसाही अधिकार होते हैं जैसे उसको अपनी अलहदा जायदादमें देखो-रामकिशोर बनाम भुवनमयी (1859) Beng. S. D. A. 229 , 250—251 ; देवेन्द्र बनाम बृजेन्द्र 17 Cal. 886 यही क़ायदा वहांपर भी लागू होगा जहांपर जेठे लड़केका हक़ जायदाद पानेका मानागया हो देखो-उदय बनाम जादोलाल 5 Cal 113 ; नरायन बनाम लोकनाथ 7 Cal 461 मिताक्षरालामें बापके अधिकार मौरूसी जायदादके इन्तक़ालमें महदूद रखे गये हैं देखो इस किताबकी दफा ४४४.

दफा ४६४. लडके बापसे बटवारा नहीं करासकते और न हिसाब मांग सकते हैं———दायभागलॉमें लड़कोंका कोई हक़ उनकी पैदाइशसे मौरूसी जायदादमें नहीं होता इसलिये उस जायदादका बटवारा भी लड़के बापसे नहीं करासकते और न उस जायदादके इन्तज़ाम करनेका हिसाब तलब करसकते हैं। बाप जायदादका तनहा पूरा मालिक होता है और ऐसा मानाजाता है कि वह उसकी ख़ास जायदाद है, उसे अधिकार है कि जैसा इन्तज़ाम चाहे करे; देखो-दायभागलॉ चेप्टर १ दफा ११-३१-३८-४४-५० ; चेप्टर २ दफा ८. मिताक्षरालॉ में ऐसा नहीं होता उसमें लड़के बटवारा करासकते है तथा हिसाब देख सकते है देखो इस किताबकी दफा ४१०

दफा ४६५. दायभागलॉके अनुसार पैतृक संपत्ति कौन है———यह बात दोनों स्कूलोंमें मानीगयी है कि बाप दादा, परदादासे मिली हुई जायदाद पैतृक जायदाद होती है मगर मिताक्षराके अनुसार पैतृक जायदादमें लड़का अपनी पैदाइशसे हक़ प्राप्त करलेता है दायभागलॉ में नहीं होता।

दफा ४६६. दायभागके अनुसार कोपार्सनर—मिताक्षरालॉमें कोपार्सनरीकी बुनियाद पुत्रका उत्पन्न होना है यानी पुत्रपैदा होतेही कोपार्सनरी शुरू होजाती है देखो दफा ३८९ लेकिन दायभागलॉमें बापके मरनेके बादसे कोपार्सनरीकी बुनियाद पड़तीहै जबतक बाप जीवितहै कोपार्सनरी नहीं समझीजाती मरनेके बाद कोपार्सनरी होनेपर मृतपिताके पुत्र उसके वारिस बनकर उसकी पैतृक और अलहदा जायदाद आपसमें कोपार्सनरकी तरह रखतेहै। इन पुत्रों अर्थात् कोपार्सनरोंमेंसे किसीके मरनेपर उसके वारिस उसके हिस्सेके पानेके अधिकारी होते हैं और उसकी जगह कोपार्सनरीकी हिस्सेदारीमें शरीक होजाते हैं इस स्कूलमें पुत्र, लड़कियां विधवा या विधवायें भी वारिस होसकती हैं इससे साफ है कि दायभागमें स्त्रियां भी अपने बाप या

पतिकी वारिस बनकर कोपार्सनरीमें शरीक होजाती हैं, परंतु मिताक्षरालॉ में कोई स्त्री कोपार्सनरीमें नहीं शरीक होसकती । दायभागलॉ में कोपार्सनरी स्त्रीसे शुरू नहीं होती, तथा स्त्रियां आपसमें कोपार्सनर नहीं होतीं बल्कि वारिस तरीके कोपार्सनरीमें शामिल रहती हैं ।

(१) देखो, दायभाग माननेवाला विजय अपने तीन पुत्र मुकुंद, कुमुद और अनन्तको छोड़कर मरगया यह तीनों भाई अपने बापके वारिस और आपसमें कोपार्सनर हैं पीछे मुकुंद एक विधवा छोड़कर मरगया तथा कुमुद एक लड़की छोड़कर मरगया यह विधवा और लड़की अनन्तके साथ कोपार्सनर होंगी–

(२) दायभागका माननेवाला विजय बिना वसीयत किये मरगया उसने अपना एक पुत्र, और एक पोता जिसका बाप मरगया है, और एक परपोता जिसका बाप और दादा मरगया था छोड़ा यह सब विजयके वारिस होकर उसकी जायदादमें कोपार्सनर होंगे । परपोतेका लड़का कोपार्सनरीमें नहीं शामिल होगा ।

(३) दायभागके अनुसार कोपार्सनरी भाइयों, चाचाओं, भतीजों, या चाचाओंके पुत्रों आदिमें होती है मगर वह बाप और बेटे, तथा दादा और पोते, इसीतरह परदादा और परपोतेके बीचमें नहीं होती देखो—

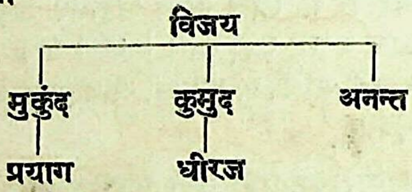

विचारकरो अगर विजय मरजाय मुकुंद, कुमुद, अनन्तको छोड़कर, तो वह तीनों वारिस हैं तथा आपसमें कोपार्सनर हैं । अगर प्रयागको छोड़कर मुकुंद और धीरजको छोड़कर कुमुद मरजाय तो उससमय अनन्त प्रयाग, और धीरज आपसमें कोपार्सनर हैं । अगर मुकुंद, कुमुद अनन्त, प्रयाग, तथा धीरज सब जीवित हों तो प्रयाग और धीरज कोपार्सनर नहीं होंगे । अगर कोपार्सनरीकी हालतमें प्रयागको छोड़कर मुकुंद मरजाय तो प्रयाग अपने बापका वारिस होगा और कोपार्सनरीमें शामिल होजायगा ।

नोट—मुसलमान, पारसी, ईसाई आदिमें दोभाई आपसमें कोएयर (Co heir) अर्थात् समान अधिकार प्राप्त उत्तराधिकारी होते हैं परन्तु दो हिन्दूभाई आपसमें कोपार्सनर होते हैं ।

दफा ४६७. दायभागलॉकी कोपार्सनरी जायदाद——मिताक्षरालॉमें जितनी क़िस्मकी जायदाद कोपार्सनरी जायदादमें शामिल मानी गयी है वही दायभागलॉमें भी मानी गयी है देखो इस किताबकी दफा ४१७.

दफा ४६८. दायभागमें हरएक कोपार्सनर अपना हिस्सा लेता है——— मिताक्षरालॉकी कोपार्सनरीमें सब कोपार्सनरोंका मालिकाना अधिकार एकसमान मिला हुआ रहता है अर्थात् मुश्तरका ख़ानदानका कोई आदमी अपने हिस्सेकी तादाद नहीं बतासकता क्योंकि दूसरे कोपार्सनरोंके मरने या पैदा होनेसे उसके हिस्सेकी तादाद बढ़ घट सकती है बटवारा होनेके बाद हिस्सेकी तादाद मालूम होसकती है बीचमें नहीं ।

दायभागमें मालिकाना अधिकारकी नहीं बल्कि क़ब्ज़ेके अधिकारकी एकता है अर्थात् हरएक कोपार्सनरका हिस्सा निश्चित रहता है किसी दूसरे कोपार्सनरके मरने या पैदा होनेसे बढ़ता घटता नहीं, बटवाराके पहिले यह बात मालूम रहती है कि किस कोपार्सनरका कितना हिस्सा है पिताके मरनेके बाद पुत्रोंका क़ब्ज़ा जायदादपर एकसां होता है क़ब्ज़ा एकसां

होनेकी हालतमें कोई दोपुत्र यह नहीं कहसकते कि दो आधे हिस्सोंमें अमुक आधा हिस्सा हमारा है (हिस्साकी तादाद निश्चित रहेगी मगर जायदादके क़ब्ज़ेमें नहीं) ऐसा वह वटवाराके वादही कहसकते हैं। दायभागमें मुश्तरका कब्ज़ा तोड़नेका नाम वटवारा है और मिताक्षरामें मुश्तरका अधिकार तोड़नेका नाम वटवारा है।

दफा ४६९. दायभागमें सरवाइवरशिप्——दायभागलॉमें सरवाइवरशिपका हक़ नहीं होता जैसा कि मिताक्षरामें होता है देखो दफा ५५८-१. इस स्कूलमें अपने हिस्सेपर कोपार्सनरका पूरा अधिकार होता है।

दफा ४७०. कोपार्सनरका पूरा अधिकार——दायभागलॉमें हरएक कोपार्सनर अपने हिस्सेको विना पूंछे दूसरे कोपार्सनरोंके इन्तकाल करसकता है यानी बेंचसकता है, रेहन करसकता है, दान करसकता है, वसीयत या और जो जीचाहे करसकता है मगर मिताक्षरालॉमें ऐसा नहीं होसकता देखो-कैवलराम वनाम रामहरी 4 Beng. Sel. R. 196.

दफा ४७१. अदालतकी डिकरीका असर——जब किसी दायभागलॉ माननेवाले कोपार्सनरपर क़रज़ेकी अदालतसे डिकरी हो उसमें उसका हिस्सा जिसने नीलाममें ख़रीद किया हो वह ख़रीदार उस कोपार्सनरकी जगहपर अधिकार प्राप्त करलेता है मगर मिताक्षरालॉमें ऐसा नहीं होता देखो 10 Cal 244.

इसीतरहपर हरएक कोपार्सनर अपना हिस्सा किसी दूसरे आदमीको पट्टापर भी देसकता है और पट्टा लेनेवाला उसकी जगह कोपार्सनर बनजाता है जैसा कि ख़रीदार; देखो रामदेवल वनाम मित्रजीत 17 W. R. 420; मेक्डानल्ड़ वनाम लालाशिव 21 W.R. 17.

दफा ४७२. मेनेजर दायभागलॉका——मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादके मेनेजरके अधिकार दायभाग और मिताक्षरालॉमें एक समान हैं; देखो-32 Mad 271-274.

दफा ४७३. कोपार्सनरी जायदादका लाभ——दायभागलॉका कोई कोपार्सनर जिसतरहपर चाहे अपने हिस्सेको काममें लावे। देखो ईश्वरचन्द्र वनाम नन्दकुमार 8 W. R. 239. रामदुबल वनाम मित्रजीत 17 W. R. 420. लेकिन वह ऐसा कोई काम नहीं करसकता कि जिससे कोपार्सनरी जायदादको हानि पहुंचे (13 W.R.322) या जिससे दूसरे कोपार्सनरोंके अधिकारमें फरक़पड़े मसलन् वह किसी मुश्तरका खेतका कोई एक हिस्सा सिर्फ अपने लाभके लिये नहीं जोतसकता (20 W.R.168); अगर उसका हिस्सा उस खेतमें अलग बता दिया गया हो तो वह ऐसा करसकता है (18 Cal 10, 21; 17 I. A. 110, 120).

दफा ४७४. बटवारा करानेका अधिकार——मिताक्षरालॉकी तरह दायभागलॉमें भी हरएक बालिग़ कोपार्सनर वटवारा करानेका दावा करसकताहै देखो 6 M. I. A. 526.

दफा ४७५. कोपार्सनरी जायदादमें अदालतका ख्याल——मुश्तरका ख़ानदान और मुश्तरका जायदादके विषयमें अदालत जो कुछ ख्याल करके मान सकती है वह अधिकांश मिताक्षरालॉ और दायभागलॉ दोनोंमें एकही है। लेकिन दायभागलॉमें यह नहीं ख्याल किया जासकता कि वापने अपने पुत्रके नामसे जो जायदाद ख़रीदी वह मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादमें शामिल है अर्थात् वह शामिल नहीं मानी जायगी क्योंकि इसस्कूलमें वाप और वेटेके दरमियान मुश्तरका ख़ानदान नहीं होता, ऐसे मामलेमें वह जायदाद वापकी थी या वेटेकी इसमें वार सुबूत उस पक्षपर होगा जो यह बयान करता हो कि यह जायदाद वापकी है; देखो-सारदा वनाम महानन्द 31 Cal 448.

पैतृक ऋण
अर्थात्
मौरूसी क़रज़ा।

सातवां-प्रकरण।

दफा ४७६. पुत्रका कर्तव्य और ज़िम्मेदारी——जब कोई हिन्दू पुत्र या पौत्र अपने बाप या दादासे अलग न हुआ हो तो हिन्दूलॉ के अनुसार उस पुत्र और पौत्र का कर्तव्य है कि अपने बाप या दादाका लिया हुआ क़र्ज़ा अदा करे। देखो-नारदस्मृति; कोलब्रुकडाइजिस्ट Vol 1, P. 267, 334; फकीरचन्द बनाम दयाराम 25 All. 67; मगर शर्त यह है कि वह क़र्ज़ा अनुचित और बेक़ानूनी कामोंके लिये न लियागया हो देखो-कोलब्रुकडाइजिस्ट P. 300; और यह कि उस क़र्ज़ेकी तमादी न हो गयी हो, सुब्रह्मण्य ऐय्यर बनाम गोपाल ऐय्यर 30 Mad. 308.

हिन्दूधर्म शास्त्रानुसार हिन्दू पुरुष और उसका बाप तथा उसका दादा और परदादा ये चारों एकही आत्मा भिन्न भिन्न चार शरीरमें माने जाते हैं इस सिद्धांतके अनुसार परदादाके क़र्ज़ेका पाबंद परपोता होना चाहिये परंतु लिमिटेशन् एक्ट के [illegible] क़ायदेके अनुसार परदादाके क़र्ज़ेकी देनदारी परपोतेपर नहीं पड़ती। बापका क़र्ज़ा अनुचित है सिर्फ इस कारण कोई पुत्र बापका क़र्ज़ा अदा करनेकी ज़िम्मेदारीसे छूट सकता है लेकिन वह जायदाद पर किसी विवादको ड़ालकर नहीं छूट सकता। मतलब यह है कि चाहे जायदाद मौरूसी हो या क़र्ज़ लेनेवालेकी खुद कमाई हुई हो दोनोंही हालतोंमें उसका क़र्ज़ा पुत्रको पाबंद करता, देखो-हनूमानप्रसाद पांड़े बनाम मुनराजकुमारी 6 Mad. I. A. 393; 10 W. R. C.R.P. 81; 1 I.A. 321; 14 B.L.R. 187-197; 22 W.R.C.R. 56-58.

मिताक्षराके अनुसार कोपार्सनरी जायदादमें बाप और बेटेका यद्यपि एकसांही हक़ होता है परंतु बाप उस जायदादकी आमदनीमेंसे अपना ज़ाती क़र्ज़ा चुका सकता है और जायदादपर उस क़र्ज़ेका बोझ ड़ाल सकता है, और जायदादका या उसके किसी हिस्सेका इन्तक़ाल करके अपने बेटों या पोतोंको चाहे वे बालिग़ हों या नाबालिग़ पाबंद कर सकता है। लेकिन भतीजेको पाबंद नहीं कर सकता; देखो गंगूलू बनाम अंचाबापूलू 4 Mad. 73; रामरतन बनाम लक्ष्मणदास (1908) 30 All. 460; फूलचन्द बनाम मानसिंह 4 All. 309; 9 Cal. 495; 12 C. L. R. 292-297; परिमनदास बनाम मह्लमह 24 Cal. 672; परंतु शर्त यह है कि वह क़र्ज़ा जायदादके इन्तक़ालसे पहले लिया गयाहो इसपर फैसले देखो—29 Mad. 200; चन्द्रदेवसिंह बनाम माताप्रसाद 31 All. 176; कालीशंकर बनाम नबाबसिंह ibid (1909) 507; 35 Bom. 169; 12 Bom. L. R. 910; 20 Cal. 328; 34 Cal. 735; 11 C. W. N. 613; 27 Cal. 762; 6 Cal. 135; 7 C. L. R. 97; 5 Cal. 855; 6 C. L. R. 470; 15 All 75-80; 13 C. W.N. 9.

अगर क़र्ज़ा अनुचित और बेक़ानूनी कामोंके लिये लिया गया हो तो उसके ज़िम्मेदार पुत्र और पौत्र नहीं होते देखो—6 Mad, I. A. 393; 18 W. R. C. R. 81; 8 Cal. 517; 10 C. L. R. 489; 8 Bom. 481; 15 B. L. R. 264; 23 W. R. C. R. 365; 3 Cal. 1; 4 Mad 1; 4 Mad. 73; 9 Mad. 343; 2 Bom. 494-498; 5 Bom. 621; 6 Bom. 520; 2 Bom. L. R. 59; 3 All. 125; 11 Cal. 396; 5 C. L. R. 224; 2 Cal. 438; 6 Mad. 400; 2 C. W. N. 603; 12 C. L. R. 104; 1 Bom. 262; 25 W. R. C. R. 311.

बाबुआना—बाबुआना (Grant) के तौरसे जो जायदाद मिलीहो उससे भी यह नियम लागू होता है देखो—दुर्गादत्तसिंह बनाम रामेश्वर सिंह बहादुर (महाराज); (1909) 36 I. A. 176; 36 Cal. 943; 13 C. W. N. 1013; 11 B. L. R. 901.

बापका क़र्ज़ा बेटे, चाहे मंजूर करें या न करें वे पाबंद अवश्य माने जायगें देखो—फूलचन्द बनाम मानसिंह (1882) 4 All. 309; बापका क़र्ज़ा चुकाने के लिये बेटोंको जायदाद का इन्तक़ाल करनाही पड़ेगा इसलिये पिता अपनी ज़िंदगीमें अपने ज़ाती क़र्ज़े के लिये कोपार्सनरी जायदादके इन्तक़ाल करनेका अधिकार रखता है मानो वह अपने बेटोंकी तरफ़से इन्तक़ाल करता है इस लिये बाप कोपार्सनरी जायदादका इन्तक़ाल इस ढ़ंगसे नहीं कर सकता कि उसके बेटेका हक़ भी पाबंद होजाय अर्थात् बेटेका हक़ जब किसी ड़िकरीमें कुर्क़ होगया हो तो बाप उसे इन्तक़ाल नहीं कर सकता—सुबरागा बनाम नागाअप्पा 33 Bom. 264; 10 Bom. L. R. 1206.

बापने क़र्ज़ बेक़ानूनी और अनुचित कामोंके लिये लिया यह बात पुत्रको साबित करना होगा और यह भी साबित करना होगा कि ख़रीदारको या क़र्ज़ा देनेवालेको यह बात मालूम थी या वह जांच करके मालूम कर सकता था कि वह क़र्ज़ा अनुचित कामोंके लिये लिया गया था; देखो-गिरधारीलाल बनाम कांतोलाल 1 I. A. 321; 14 B. L. R. 187; 22 W. R. C. R. 56; 6 I. A. 88; 5 Cal. 148-171; 4 Cal. L.R. 226-238; 16 Mad. 99; 5. N. W. P. 89; 24 Bom. 343; 1 Bom. L. R. 839; 31 All. 599; 6 Mad. 400; 15 I. A. 99; 15 Cal. 717; 24 W. R. C. R. 231; 25 W. R. C. R. 185.

पुत्र ऐसा सुबूत उस समय भी पेशकर सकता है जब कि रुपया किसी तीसरेसे लेकर कोई क़र्ज़ा बापने अदा किया हो; देखो—महाराजसिंह बनाम बलवंतसिंह 28 All. 508;

केवल इस क़दर साबित कर देना काफी नहीं होगा कि बाप फिजूल खर्च और ऐय्याश था, बल्कि उसे स्पष्टरीतिसे साबित करना पड़ेगा—30 All. 156; 8 All. 231; 6 All. 193; 23 W. R. C. R. 260; 15 I. A. 99; 15 Cal 717; 20 Bom. 534; 14 Bom. 320; 8 Mad. 75; 21 All. 238; 6 Bom. 520.

बापके क़र्ज़ा लेनेके समय जो पुत्र पैदा नहीं हुआ वह उस रेहनपर कुछ आपत्ति नहीं कर सकता जो उस क़र्ज़ेके अदा करनेके लिये किया जाय—भोलानाथ खत्री बनाम कार्तिक कृष्णदास खत्री 34 Cal. 372; 11 C. W. N. 462.

जब पुत्र यह साबित करे कि क़र्ज़ेका कोई भाग अनुचित तथा बेक़ानूनी कामके लिये बापने लिया था तो बाक़ी क़र्ज़ेके लिये जायदाद ज़िम्मेदार रहेगी—देखो ऊपरकी नज़ीरें।

दफ़ा ४७७, क़र्ज़ा देनेवालेका कर्तव्य—रुपया देनेवाला महाजन अपने रुपयेके लिये वह आदमी जिसकेपास बापने जायदादका इन्तक़ाल किया हो उस जायदादपर क़ब्ज़ा-

पानेके लिये या दावा करे तो इन दोनोंको यह साबित करना होगा कि क़र्ज़ा पहलेका था या यह कि उन्होने खूबहीः उचित जांच करके नेकनियतीसे यह विश्वास कर लिया था कि क़र्ज़ा पहलेका है. देखो–8 Mad. 75; 5 Mad 337; 6 Mad. 400; 13 Mad. 51; 26 Bom. 326; 3 Bom. L. R. 898; 5 N. W. P. H. C. 89; 28 All. 508.

मगर इन दोनोंको यह साबित करनेकी ज़रूरत नहीं हैं कि क़र्ज़ा क़ानूनी ज़रूरतसे लिया गया था या नहीं, लेकिन यदि साबित करें तो और भी अच्छी बात होगी–30 All. 156; 24 All. 459; 28 All. 508.

नीलाममें जायदादके ख़रीदारको यह साबित करनेकी ज़रूरत नहीं है कि ख़रीदनेसे पहले उसने कुछ जांचकी थी या नहीं; देखो–15 I. A. 99; 15 Cal. 717.

दफ़ा ४७८. अनुचित कामों के क़र्ज़का पुत्र ज़िम्मेदार नहीं है——

याज्ञवल्क्य स्मृति ऋणदान प्रकरणमें याज्ञवल्क्य कहते हैं कि—

सुराकामद्यूतकृतं दण्ड शुल्कावशिष्टकम्
वृथादानं तथैवेह पुत्रोदद्यान्नपैतृकम् । याज्ञवल्क्य १–४७.

अर्थात्—शराव पीनेके लिये, कामेच्छासे विषय भोग करनेके लिये, जुवॉ खेलनेके लिये, और जुरमानेका या महसूलका जो रुपया देना बाक़ी हो, या वृथादान या धूर्त, वंदीजन, पलहवान, कुवैद्य, कपटी, शठ, चाट, चारण तथा चोरके देनेका जो इक़रार किया हो, बापके किये हुए ऐसे क़र्ज़ोंके देनेका ज़िम्मेदार पुत्र नहीं है । धूर्त आदिकोंके देनेके लिये पिताका इक़रार पुत्रोंके लिये निश्चित निष्फल होता है. यही बात शातातपने कहीहै—

धूर्ते बंदिनि मल्लेच कुवैद्ये कितवे शठे
चाट चारण चौरेषु दत्तंभवति निष्फलम् । शातातप.

अनुचित काम कौनसे हैं इसका वर्णन बृहस्पतिने इस प्रकार किया है—बापने जो क़र्ज़ शराव पीनेके लिये या जुंवाँ खेलनेके लिये लिये हों या बदलापाये बिना किसी लिखतद्वारा अपने ऊपर क़र्ज़ा मान लिया हो या कामान्ध होकर या क्रोधान्ध होकर क़र्ज़ा लिया हो या उस रक़म के लिये जिसका ज़ामिन् बाप हुआ हो, या जुरमाना, या महसूलकी रक़म के लिये; या उनका बक़ाया अदा करनेके लिये, पुत्र पाबंद नहीं है। मि० कोलब्रुक कहते हैं कि जो रुपया बापने रिश्वत में देनेका वादा किया हो या उसका कोई हिस्सा बाक़ी हो तो वह पुत्रकी ज़िम्मेदारीसे भिन्न है इस रिश्वतके मामलेपर दिवाकर बनाम नर जनार्दन पाटंकर (1822) 2 Borr. 194–200; का मुक़द्दमा देखो । स्ट्रेन्ज Vol. 1. P. 167 में कहते हैं कि खिलौने, या अनावश्यक सुखोपभोगकी वस्तुयें जो बापने देने कहीं हों उनकाभी ज़िम्मेदार पुत्र नहीं होता। नीचे साफ तौरसे वर्तमान क़ानून के अनुसार अर्थ और उसका फल समझिये—

ऊपर जो यह कहा गया है कि जिस रक़म के लिये बापने ज़मानत की हो उसके लिये पुत्र पाबंद नहीं है इसमें ज़मानत इसतरह की समझना चाहिये कि जैसे किसी से अदालत की हाज़िरी के लिये, या शांतिबनाये रखनेके लिये या नेक चलन रहनेके लिये ज़मानत ली जाती है; देखो कोल ब्रुक़डाइ जिस्ट Vol 1. P. 246; परन्तु जब बापने किसी क़र्ज़ की जमानत की हो तो कई मुक़द्दमोंमें पुत्र उस ज़मानत के क़र्ज़ के पाबंद माने गये हैं देखो—28 Mad 377;

26 All 611; 23 Bom. 454, 11 Mad 373; 13 C. W. N. 9; लेकिन साथही यह भी माना गया है कि जब बापने ज़ामिन् होनेके बदलेमें कोई रक़म पायी हो या उसका बदला किसी दूसरे रूपमें पायाहो तभी पुत्र उस ज़मानत के पावंद हो सकते हैं अन्यथा नहीं हो सकते देखो-नरायन बनाम वेंकटा चार्य नरायन चार्य 28 Bom 408; 6 Bom. L.R. 434; यह ध्यान रहे कि इस मामलेमें पुत्र और पौत्र दोनों समान हैं जो पुत्रके लिये क़ायदा लागू होगा वही पौत्रके लिये ।

कोई फौजदारी अपराध या जाल या और कोई ऐसा काम, जो काम बापको एक भले और प्रतिष्ठित आदमी की हैसियतसे नहीं करना चाहिये था, अगर वह करे और उससे कोई क़र्ज़ पैदा हो तो पुत्र उसके पावंद नहीं होंगे । जैसे बापने यदि कोई माल चुराया हो और उसे ख़र्च भी कर ड़ाला हो ऐसे मालके वारेमें जो डिकरी रुपया दिला दिये जानेकी दीवानी अदालत से हो उस डिकरीके देनदार पुत्र नहीं होंगे देखो-दुरबार खचार बनाम खचर हारसुर (1908) 32 Bom. 348 ; 10 Bom, L. R, 297; या--

जोमाल बापने अनधिकारसे ख़र्च करलिया हो उसके रुपये के दिला दिये जानेकी जो डिकरी दीवानी अदालतसे हो ऐसी डिकरी के देनदार पुत्र नहीं होंगे । देखो—परेमनदास बनाम मट्टू महतों 24 Cal 672. परंतु यह बात उस मामलेमें लागू नहीं होगी कि जिसमे बापने किसीका रुपया अनधिकारसे दवा रखा हो देखो—महावीर प्रसाद बनाम वासुदेवसिंह 6 All 234; चन्द्रसेन बनाम गंगाराम 2 All 899; 27 Mad 71; 28 All 718; (बापने यदि हिसाव नदियाहो तो देखो—16 Mad 99; 31 Mad 161.) और अगर बाप पर किसी आदमीने पिछले मुनाफेकी ड़िकरी प्राप्त की हो कि जिसकी ग़ैर मनक़ूला जायदाद बापने अनधिकारसे अपने क़ब्ज़े में रख छोड़ी थी तो उस ड़िक़रीके भी पुत्र पावंद होंगे देखो—गुरूनाथम् चट्टी बनाम राघ वेलूचट्टी 31 Mad. 472. और इसी तरहपर पुत्र उस मुक़द्दमें के ख़र्चके भी पावंद होंगे जो बापसे दिलाया गया हो मगर फौजदारी मामलोंसे संबंध न रखता हो देखो--11 C. W. N. 163; 14 C. W. N, 659; 33 All 472.

दफा ४७९. सूददिया जायगा——पुत्र और पौत्र अपने बाप या दादाके क़र्ज़के सूद देनेका भी पावंद हैं । सूद कितना देना चाहिये यह बात अदालत निश्चित करेगी । दाम दुपट का क़ानून, जो इस किताबकी दफा ७८० से ७८८ प्रकरण १५ में बताया गया है जहांपर नहीं लागू किया गया वहां वह किसी तरहसे भी लागू नहीं होगा देखो--2 C. W. N. 603 ; लक्ष्मणदास बनाम खुन्नूलाल 19 All 26; 31 Bom- 354 में माना गया है कि जब क़र्ज़ की ज़िम्मेदारी मानली गयी हो तो उसके सूदकी ज़िम्मेदारी भी उसीके साथ मानली जायगी ।

दफा ४८०. बापका अधिकार——बापको जो अधिकार प्राप्त हैं उसे ख़ानदानका कोई दूसरा आदमी, बापकी ग़ैर हाज़िरीमें भी काममें नहीं ला सकता देखो--हरी प्रेमजी बनाम हुकुमचन्द 10 Bom. 363; यह माना गया है कि अगर बाप दिवालिया हो जाय तो फिर आफीशल्-एसाइनी को वही अधिकार प्राप्त हो जाता है जो बापको है देखो--फकीरचन्द मोतीचन्द बनाम मोतीचन्द हरखचन्द 7 Bom. 438; 19 Mad 74.

पहले के क़र्ज़को अदा करने के लिये या किसी क़ानूनी ज़रूरत के लियेही बाप मुश्तरका जायदादका इन्तक़ाल या उसे पावंद कर सकता है देखो-चिन्नाया बनाम पीरूमल 13 Mad 51 ; परंतु और किसी मतलबके लिये नहीं यदि करेतो उस जायदादका नीलाम

या रेहन रद्द किया जा सकता है देखो--रामदयाल, बनाम आयोध्या प्रसाद 28 All 328 ; वीरकिशोरसिंह बनाम हरबल्लभी नरायनसिंह 7 W. R.C. R. 502; 31 All 176.

दफा ४८१. पहलेके क़र्ज़ोंके लिये रेहन——पहलेके क़र्ज़के लिये अगर रेहन न किया गया हो तो बंगाल हाईकोर्टने उस रेहनकी पाबंदी बापके हक़ तक मानी है देखो—पहलेके क़र्ज़के लिये रेहन नथा 5 Cal 855 ; 6 C. L. R. 473 ; 6 Cal 135 ; 6 C. L. R. 97-100 ; 8 Cal 131 ; 9 C. L. R. 417 ; 20 Cal 328 ; 24 All 459 ; 9 All 493 ; 21 Mad 28 ; 10 Cal 528 ; 34 Cal 735 ; 11 C. W. N. 613 ; 34 Cal 184 ; 11 C. W. N. 294; 29 Mad 484 ; रेहनकी पाबंदी बापके हक़तक मानी गयी—34 Cal 735 ; 11 C. W. N. 613 ; 29 Cal 328.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की राय बंगाल हाईकोर्टके विरुद्ध हैं देखो—चन्द्रदेव सिंह बनाम माताप्रसाद 31 All 176 ; काली शंकर बनाम नवाबसिंह (1909) 31 All 507 ; मोहम्मद मिर्ज़ा मिलुल्लाह बनाम मिठ्ठूलाल (1911) 33 All 783 ;

इस विषयमें मि० ट्रीवेलियन कहते हैं कि-इलाहाबाद हाईकोर्टकी राय ठीक है क्योंकि मुश्तरका खानदानकी जायदादमें कोई कोपार्सनर अपना कोई हिस्सा निश्चित नहीं करसकता लेकिन बंबई और मदरास प्रांतमें ऐसा होसकता है इसलिये बापका हक़ उस रेहनके क़र्ज़का पाबंद मानाजाता है। यद्यपि यह क़र्ज़ा पुत्र और पौत्रके संबंधमें (unsecured.) अर्थात् ज़मानत रहित है तोभी पुत्र और पौत्र देनेके पाबंद होंगे और इसकी डिकरी कोपार्सनरी जायदादसे वसूलकी जायगी। जो जायदाद रेहन हो उससे भी वसूलकी जासकेगी; देखो--दत्तात्रेय बनाम विष्णु (1911) 36 Bom 68 ; 13 Bom L. R. 1161 ; चिंतामणिराव बनाम काशिनाथ 1889 Bom.320. किंतु शर्त यहहै कि (unsecured) अर्थात् ज़मानत रहित क़र्ज़के संबंधमें जो तमादीका नियम है, लागू होगा देखो—सूरज प्रसाद बनाम गुलाबचन्द (1900) 27 Cal 762 इस नज़ीरसे इन नज़ीरोंमें फरक़ है 34 Cal 184 ; 11 C. W. N. 294 ; 12 C. W. N. 9 ; 29 All 544 ;

इससे मतलब यह निकला कि पहलेके क़र्ज़के लिये रेहन, और उसी वक्तके क़र्ज़के बदलेमें रेहन, इन दोनो रेहनोंके वसूलीके दावामें कोई फरक़ नहीं है लेकिन इनमें तमादीकी शर्तोंका ध्यान रखना ज़रूर होगा। और उस जायदादका प्रश्न भी इससे अलग है जिसकी काररवाई दावासे पूर्व करदी गयी हो।

चिदम्बरा मुदालिया बनाम कूथापेरूमल (1903) 27 Mad 326-328 में कहा गया है कि पहलेके क़र्ज़के रेहन और उसीवक्त लिये हुए क़र्ज़के बदलेमें रेहन इन दोनोंमें कोई विशेष भेद मानना बहुत कठिन है क्योंकि दोनोंही सूरतोंमें पुत्र और पौत्र उन क़र्ज़ोंके देनदार हैं सिर्फ यह अंतर है कि बापने कोई जायदाद रेहन करके क़र्ज़ा लिया हो तो वह जायदाद ही उस क़र्ज़की पाबंद होगी पुत्र और पौत्र नहीं होंगे-देखो-गंगाप्रसाद बनाम शिवदयालसिंह 9 C. L. R. 417 ; 31 All 176.

अगर बापने कोई जायदाद बेंची हो लेकिन वह विक्री किसी पुराने क़र्ज़ के बारेमें न हो, और किसी बे क़ानूनी या दुराचारके ग़रज़से न हो, तो पुत्र उस विक्रीका रुपया अदा किये बिना उस विक्रीको मंसूख़ नहीं करासकते ऐसी विक्रीका रुपया एक प्रकारका क़र्ज़ है इसलिये वह पुत्रोंको देनाही पड़ता है-देखो-हसमतराय बनाम सुंदरदास 11 Cal 346 ; 4 B. L. R. A. C. 15 ; 12 W. R. C. R.447.

कई पुराने मुक़द्दमोंमें यह मानागया था कि अगर रेहनके पहलेका क़र्ज़ा ख़ानदानी ज़रूरतके लिये न लियागया हो तो महाजनको कोई हक़ नहीं है कि वह उसे कोपार्सनरी जायदादसे वसूल करसके देखो—हनुमानकामत बनाम दौलत मंदिर 10 Cal 528 ; लालसिंह बनाम देवनारायणसिंह 8 All. 279 ; अरुणाचलचट्टी बनाम मुनिसामी मुदाली 7 Mad 39

जब कि बापने कुलमुश्तरका जायदाद या सिर्फ़ अपना हिस्सा रेहन या बय या कोई इन्तक़ाल किया हो तो इस बारेमें जो कोई प्रश्न उठेगा उसका विचार रेहन या बय या इन्तक़ालके फरीक़ोंके कामों तथा उस मुक़द्दमेंकी सूरतपर निर्भर होता है; देखो-शंभूनाथ पाण्ड़े बनाम गुलाबसिंह 14 I. A. 77-83 ; 14 Cal 572-579.

अगर ऐसा मामला हो कि बापने मौरूसी जायदाद किसी पुराने क़र्ज़ेके देनेके लिये नहीं बेंची तो भी जबतक पुत्र यह साबित न करे कि वह रुपया किसी बे क़ानूनी या बुरे कामोंके मतलबके लिये बापने लिया था और उन्हीं कामोंमें खर्च किया तबतक उस बैनामाको ख़ारिज नहीं करासकते अर्थात् ऐसा साबित करनेपर बिना रुपया वापिस दिये ख़ारिज करासकते हैं; देखो—हसमतराय कुंवर बनाम सुंदरदास 11 Cal 396 ; नाथूलाल चौधरी बनाम चादीसाही 4 B. L. R. A. C. 15 ; 12 W. R. C. R. 447.

जब बापने सिर्फ़ अपना हिस्सा या कुल मुश्तरका जायदाद इन्तक़ाल किया हो और कोई यह कहता हो कि यह इन्तक़ाल नाजायज़ है तो इस प्रश्नका फैसला इन्तक़ालकी दस्तावेज़के शब्दोंहीसे नहीं करदिया जायगा बल्कि उस इन्तक़ालके दूसरे चारो तरफके संबंधोंको देखकर भी कियाजायगा और इसके साबित करनेका बार सुबूत उस पक्षकार पर है जो दावा करता हो—देखो नरायनराव दामोदर बनाम बालकृष्ण Bom. P. J. 1881. P. 293,

प्रिवीकौन्सिलका आख़ीर फैसला—भूपसिंह मुद्दालेह नं० १ के लड़के और पोते मिताक्षराके मुश्तरका हिन्दूख़ानदानमें रहते थे, भूपसिंह ख़ानदानका मुखिया था उसने सन १८८२ में मुश्तरका ख़ानदानकी जायदाद मौज़ा ' पंदात ' का एक बिस्वा हिस्सा च्यूरनसिंहके पास रेहन करदिया सन १८८३ में। उसी जायदादको २००) रु० पर उसने भागीरथीके पास फिर रेहन करदिया सन १८८४ में। उसने फिर वही जायदाद साहू रामचन्द्र मुद्दईके पास रेहनकी सन १८९२ में। साहू रामचन्द्रने रेहनकी नालिश करके बापपर डिकरी प्राप्त करली, पहलेके रेहननामोंका रु० अदा करके अपने हक़में उन्हे इन्तक़ाल करालिया। सन १९१० में भागीरथके रेहन नामेकी नालिशकी गयी इस रेहननामें लिखा था " मैंने अपनी ज़रूरतसे क़र्ज़ा लिया " दावामें कहागया कि भूपसिंहने क़ानूनी ज़रूरतसे रु० लिया था, सबजजने क़ानूनी ज़रूरत साबित न होनेसे दावा डिस्मिस् किया, इलाहाबादमें अपील हुयी किंतु वहां भी अपील डिस्मिस् हुआ। प्रिवीकौन्सिलमें जब यह मामला पेश हुआ जजोंने निम्न लिखित नतीजे निकाले—

१—मिताक्षरालॉ के हिन्दू संम्मिलित परिवारके मेम्बरोंके द्वारा जो जायदाद पैदा की गयी हो वह दानमें नहीं दी जासकती और न वह रेहन या विक्रीकी जासकती है जबतक कि सब मेम्बरोंकी मंजूरी न होजाय—

२—बाप, मेनेजर और मुखियाकी हैसियतसे मुश्तरका जायदादको अपनी स्थिति सुधारने या परिवारकी ज़रूरतके लिये इन्तक़ाल करसकता है इसके सिवाय उसे कोई अधिकार रेहन करने या बेंच देनेका नहीं है किंतु मौरूसी क़र्ज़ा यानी पैतृक ऋणमें ऐसा हक़ बना रहता है (अब प्रश्न यह है कि पैतृक ऋण कौन है ? देखो ' नोट ') जो क़र्ज़ा बापने पैतृक जायदाद रेहन करके लिया हो वह पैतृक ऋण नहीं है लेकिन अगर ऐसा क़र्ज़ा ख़ानदानकी

ज़रूरतके लिये लिया गया हो तो है। पैतृक ऋणके रेहन नामेको जायज़ साबित करनेके लिये केवल पहलेका क़र्ज़ा होनाही ज़रूरी नहीं है बल्कि यह भी साबित करना चाहिये कि वास्तवमें वह क़र्ज़ा लियागयां था।

३--मिताक्षराके अनुसार पुत्र और पौत्रपर अपने बाप और दादाके संबंधमें जो धार्मिक कर्तव्य मानेगये हैं कि वे उनका क़र्ज़ा चुकावें, बाप और दादाकी ज़िंदगीमें क़र्ज़े उन्हे पाबंद नहीं करते।

४—ऐसे रेहनके मामलेमें जहां क़ानूनी ज़रूरत बयानकी जाती हो तो बार सुबूत उसपर होगा जिसके हक़की रक्षा उस ज़रूरत बयान करनेसे होती हो; देखो—साहू रामचन्द्र बनाम भूपसिंह (1917) 19 Bom. L. R. 498; 31 All 176.

नोट—जबसे यह फैसला प्रिवीकौन्सिलका हुआ सब जगह माना जानेलगा है कि बापने यदि कोई क़र्ज़ा प्रामेसरी नोट या सादी दस्तावेज़ या दूसरी तरहसे लिया हो जिसमें जायदाद रेहन नहीं कीगयी, पीछे उस क़र्ज़के चुकानेके लिये बापने मुश्तरका जायदाद रेहन करदी ऐसी सूरतमें वह क़र्ज़ा मौरूसी क़र्ज़ा (पैतृक ऋण) मानाजायगा, रेहन नामा जायज़ होगा, पुत्र ज़िम्मेदार होंगे। किंतु यदि बापने पहलेही मुश्तरका जायदाद रेहन करके क़र्ज़ा लिया हो तो वह पैतृक ऋण नहीं मानाजायगा। यही बात दादा और पोतेके बीच समझना। मुश्तरका ख़ानदानके बाप या दादाको क़र्ज़ा देते समय महाजनको इस नज़ीरसे सचेत रहना चाहिये।

दफा ४८२. जब लड़के फरीक़ नबनाये गये हों तो क्या पाबंदी है?——मुश्तरका जायदादको जब बापने रेहन करदिया हो और उस रेहन नामाके अनुसार अदालतसे डिकरी होगयी हो मगर उस मुक़द्दमेंमें लड़के फरीक़ न बनाये गये हों तो भी उस डिकरीके लड़के पाबंद होसकते हैं किंतु इसमें मतभेद है।

ट्रान्सफर आव् प्रापर्टी (क़ानून इन्तक़ाल जायदाद) एक्ट नं० ४ सन १८८२ ई० के अनुसार जब रेहनका कोई दावा कियाजाय तो मानागया है कि उस दावासे वही फरीक़ पाबंद होंगे जो उसमें दरअसल फरीक़ बनाये गये हों-इसपर मतभेद है। मिताक्षरालॉ माननेवाले कुटुम्बके बापने मुश्तरका ख़ानदानकी जायदाद रेहन करदी हो, वह रेहन, और मुश्तरका ख़ानदानके मेनेजरकी हैसियतसे जो रेहनकी गयी हो, इन दोनोंका दर्जा बराबर है। उपरोक्त एक्ट नं० ४ सन १८८२ के पास होनेसे पहले यह मानाजाता था कि बापकी रेहन की हुई जायदादके रेहन नामेके अनुसार जो डिकरी अदालतसे हो जाय और चाहे उसमें लड़के जो बापके शरीक रहते थे फरीक़ न भी बनाये जाय तो भी लड़के उस डिकरीके पाबंद मानेजायंगे क्योंकि बाप कुटुम्बके मुखियाकी तौरपर मानागया है-देखो-4 Mad. 1; S. C. (1885) 9 Mad 343; 5 Mad 251; 6 Bom 520; 9 Cal. L. R. 350; 4 Mad 111; 14 I. A. 187; 15 Cal 70; 2 All. 746; 3 All 72; 3 All.191 3 All 443; 11 Cal. L. R. 263.

उपरोक्त क़ानून इन्तक़ाल जायदादकी दफा ८५ में कहागया है कि जो जायदाद रेहन रखीगयी हो उसमें जितने आदमियोंका हक़ हो वे सब उस रेहन के मुक़द्दमेंमें फरीक़ बनाये जायंगे मगर शर्त यह है कि मुद्दईको यह माल्रूम हो कि उस जायदादमें उन लोगोंका भी हक़ है। इसपर बंगाल हाईकोर्टने माना कि जब मुद्दईको यह माल्रूम हो कि उस जायदादमें हक़ रखनेवाले कुछ और लोग भी हैं लेकिन उसने मुक़द्दमेंमें उनको फरीक़ नबनाया हो तो उन लोगोंको अर्थात् पुत्रोंको अधिकार है कि वे उस मुक़द्दमेंकी डिकरी अपने ऊपरसे ख़ारिज करा दें देखो—सूरजप्रसाद लाला बनाम गुलाबचन्द 28 Cal 517; 5 C. W. N. 640; 27 Cal 724; 4 C.W.N.701; इसबात का बार सुबूत पुत्रोंपर है देखो-रामनाथराय बनाम

लक्ष्मणराय 21 All.193 इलाहाबाद हाईकोर्टकी राय, उक्त बंगाल हाईकोर्टकी रायके विरुद्ध कुछ मुक़द्दमोंमें रही है जैसे-बलवंतसिंह बनाम अनन्तसिंह (1910) 33 All 7 लेकिन एक और मुक़द्दमेंमें इलाहाबाद हाईकोर्टने बंगालके हाईकोर्टकी रायके अनुसार अपनी राय प्रकाशकी है देखो-रामप्रसाद बनाम मनमोहन 30 All 257 ;

बंगाल हाईकोर्टकी रायका यह मतलब है कि जब मुक़द्दमेंमें पुत्र फरीक़ बनाये जानेसे छूट गये हों तो वह डिकरी महज़ इस वजेहसे ख़ारिज नहीं होजायगी बल्कि मुद्दईको पुत्रोंके विरुद्ध नया दावा करना होगा और इस नये दावेसे वह क़र्ज़ा कोपार्सनरी जायदादके नीलामसे वसूल किया जासकता है-देखो धर्मसिंह बनाम अंगनलाल 21 All 301 ; लछिमनदास बनाम ड़ाल्लू 22 All 394 ; रामसिंह बनाम सोभाराम 29 All 544; 28 Cal 517; 5 C. W. N. 640 ; 24 All 211.

मदरास और बंबई हाईकोर्टकी यह राह है कि इस विषयमें जो क़ानून है वह ट्रान्सफर आफ प्रापरटी एक्ट नं० ४ सन १८८२ ई० के पास होनेसे नहीं बदल गया देखो-21 Mad. 222 ; 22 Mad. 207 ; 34 Bom. 354 ; 12 Bom. L R. 219 ; 12 Bom. L. R. 811 ; 12 Bom. L. R. 940.

मुहम्मद असकरी बनाम राधेरामसिंह 22 All. 307 ; वाले मामलेमें अदालतने माना कि जब कोई मुक़द्दमा बाबत रेहन या किसी कंट्राक्टके मुश्तरका ख़ानदानके मेनेजरपर दायर किया गया हो तो उसकी डिकरी होजानेके पश्चात् वे सब मेम्बर पाबंद होंगे जिनका कि हक़ उस जायदादमें था और एकही हैसियत रखते थे। अर्थात् ऐसी डिकरी होजानेपर फिर ड़िकरीदारको दूसरे मेम्बरोंपर दावा करनेकी ज़रूरत नहीं हैं।

क़ानून ज़ाबता दीवानी एक्ट नं० ५ सन १९०८ आरड़र नं० ३४ के रूल नं० १ में कहा गया है कि—' इस क़ानूनकी शर्तोंका ख्याल रखते हुए यह ज़रूरी है कि वह सब लोग जो किसी रेहनकी जायदादम हक़ रखते हों उस रेहन के दावेमें फरीक़ बनाये जायें ' इस क़ानूनके आरड़र ३४ से वे सब मुशकिलें जो क़ानून इन्तक़ाल जायदाद एक्ट नं० ४ सन १८८२ ई० की दफा २५ वीं के अनुसार पैदा होती हैं साफ तौरसे तय नहीं होगयीं, यह बात मानी गयी है कि मुश्तरका ख़ानदानके जो लोग इनफिक़ाक़ रेहन (रेहनसे छुटानेका हक़) रखते हों वे सब रेहन के मुक़द्दमेंमें फरीक़ बनाये जायंगे।

जब बापके किये हुए रेहननामें के मुक़द्दमेंमें लड़के फरीक़ न बनाये गये हों तो लड़कों के लिये सिर्फ एकही मौक़ा उस डिकरीमें उज़ुरदारी करनेका रहता है यातो वे उज़ुरदारी उस डिकरीके इजरा होनेपर करें या नया मुक़द्दमा डिकरीकी मंसूख़ीका दायर करें। मतलब यह है कि अगर लड़के उस रेहन के दावेमें फरीक़ बनाये जाते तो जो कुछ वे जबाब उस वक्त लगाते वही जबाब वे उस समय भी लगा सकते हैं जब कि वे फरीक़ न बनाये गये हों और उस डिकरीका इजरा उनके लाभके विरुद्ध किया गया हो इससे ज्यादा पुत्रोंके लिये उज़ुरदारीका मौक़ा कोई नहीं है। देखो—8 Mad. 376 ; 33 Cal. 676 ; 21 All 356; इस आख़िरी केसमें माना गया कि जब पुत्र, बापका स्थानापन्न (Representative) बनाकर दावा किया गया हो तो पुत्रोंकी उज़ुरदारीका मौक़ा नष्ट होजाता है—

ऐसी डिकरीकी उज़ुरदारीमें या नया मुक़द्दमा उस डिकरीकी मंसूख़ीके लिये दायर करनेमें जिसमें लड़के फरीक़ न बनाये गये हों, वे (पुत्र) अदालतको दिखला सकते हैं और साबित कर सकते हैं कि जिस क़र्ज़ेके सम्बंधमें रेहन नामा लिखा गया था वह क़र्ज़ा वे क़ानूनी और बुरे कामों के लिये लिया गया था—देखो रामकृष्ण बनाम विनायक नरायन

34 Bom. 354 ; 12 Bom, L. R. 219 ; मातादीन बनाम गयादीन 31 All. 599 ; लड़के इन्फिकाक़ रेहन (जायदादको रेहनसे छुटाना) करा सकते हैं-देखो-4 Mad. 1-69 ; 8 Bom. 481 ; 21 Mad. 222 ; मगर ऐसे दावेमें सिर्फ यह उज़ुरदारी काफी नहीं होगी कि हम उस मुक़द्दमेंमें फरीक़ नहीं बनाये गये थे—देखो-लालसिंह बनाम पुलंदरसिंह 28 All. 182 ; देवीसिंह बनाम जैराम 25 All. 214 ; केहरी सिंह बनाम चुन्नीलाल 33 All. 436.

जो लड़का रेहनकी ड़िकरी होजानेके बाद पैदा हुआ हो उसको इन्फिकाक़ रेहनका हक़ नहीं पैदा होगा देखो–22 Mad. 372.

कुछ मुक़द्दमोंमें यह कहा गया कि बापके विरुद्ध रेहनकी डिकरी हो या सादे क़र्ज़की हो और उस मुक़द्दमेंमें पुत्र फरीक़ न बनाये गये हों और जायदाद उस डिकरीसे नीलाम होगयीहो तो दोनोंही प्रकार (रेहन और सादे क़र्ज़े) की ड़िकरियोंमें पुत्रोंको सिर्फ यही एक उपाय बाक़ी रहता है कि वे यह दिखलायें कि वास्तवमें कोई ऐसा क़र्ज़ा नहीं था कि जिससे नीलाम जायज़ समझा जाय देखो 21 Mad. 222 ; 11 Mad. 64 ; 27 All. 16.

रेहनके मुक़द्दमें के समय जो लड़का बापके शरीक न रहाहो उसे भी रेहनसे जायदाद छुटानेके दावा करनेका अधिकार प्राप्त है देखो—त्र्यंबक बालकृष्ण बनाम नरायण दामोदर दाभोलकर 8 Bom.481.

जब कि पुत्र रेहनके मुक़द्दमेंमें फरीक़हों तो वह किसी दूसरे मुक़द्दमेंमें यह प्रश्न नहीं उठा सकते कि रेहन या नीलाम जायज़ नहीं था। बापपर जो दावा किया जाय उसमें यदि पुत्र फरीक़ न बनाये जायें तो महाजनको अधिकार है कि वह पुत्रोंपर अलग दावा दायर करे देखो—रामसिंह बनाम शोभाराम (1907) 29 All. 544 ; धर्मसिंह बनाम अंगनलाल (1899) 21 All. 301 ; आर्यबुद्र बनाम ड़ोरासामी (1888) 11 Mad. 413.

नोट—बापके किये हुए रेहनके दावेमें जहांतक होसके सब पुत्रोंको चाहे वे बापके शरीक रहते हों या न रहते हों या नवजात (एक दिनका बच्चा भी) हों, फरीक़ बना देना चाहिये। और उन लोगोंको भी फरीक़ बनाना इतनाही ज़रूरी है जो किसी क़िस्मका हक़ रेहनकी जायदादमें रखते हों।

दफा ४८३. नीलामसे पुत्रके हक़का चला जाना——(१) बापके विरुद्ध जो डिकरी हुई हो उसके अनुसार कोपार्सनरी जायदादके नीलाम हो जानेपर पुत्रोंका हक़ भी चला जाता है देखो—मदन थाकुर बनाम कंटूलाल 1 I.A. 321 ; 14 B. L. R.187; 22 W. R. C. R. 56 ; 13 I. A. 1 ; 13 Cal. 21 ; 15 I. A. 99 ; 15 Cal. 717 ; 16 I. A. 1 ; 12 Mad. 142 ; 17 Bom. 718 ; 8 Cal, 617 ; 10 C. L. R. 489 ; 23 Cal. 262 ; 6 All. 234 ; 5 Cal. L. R. 36.

मातादीन बनाम गंगादीन 31 All. 599 ; में माना गया कि सिर्फ दो हालतोंमें हक़ नहीं चला जाता, वह दोनों हालतें यह हैं-

(१) जब कि पुत्रोंके हक़ न बेंचे गये हों। या

(२) जब कि पुत्र यह साबित करें कि बापने क़र्ज़ा बेक़ानूनी या बुरे कामोंके लिये लिया था और महाजन, ख़रीदार या दूसरा ख़रीदार जांच करनेहीसे यह मालूम कर सकता था कि वह क़र्ज़ा बे क़ानूनी था और बुरे कामोंके लियेही लिया गया था देखो—जुहारमल बनाम एकनाथ 24 Bom. 343 ; 1 Bom. L. R. 839 ; 16 Mad. 99.

पुत्र उस क़र्ज़के वास्तविक (दर असल क़र्ज़ा नहीं लिया गया यानी दस्तावेज़ किसी अन्य कारणसे लिखी गयी थी या रुपया दिखलाकर फिर वापिस लेलिया गया इत्यादि) होने और न होनेका झगड़ा भी उठा सकते हैं देखो—13 I. A. 1-18 ; 13 Cal. 21.

(२) नीलामसे हक़ नहीं मारा गया—हालका एक मुक़द्दमा देखो-हनूमानदास रामदयाल बनाम वल्लभदास 20 Bom. L. R. 472 ; (1918) मुद्दालेह नं० ६ और ७ ने सन १९०४ में मुद्दालेह नं० ५ से कुछ रक़म दिलापानेका दावा किया था जिसकी डिकरी उन्हे प्राप्त होगयी किंतु उस समय मुद्दालेह नं० ५ के एक लड़का ४ वर्षका था जो इस हाल के मुक़द्दमेंमें मुद्दई है। उक्त ड़िकरीमें अदालतके बाज़ाबिता नीलामके द्वारा मुद्दालेह नं० ५ के दो मकानें नीलाम होगये जिन्हे मुद्दालेह नं० १ से ४ ने ख़रीद किया। सन १९१५ में मुदालेह नं ५ के लड़केने दावा किया कि जो नीलाम मौरूसी मकानोंका होचुका है उनमें आधा हिस्सा मेरा क़रार दिया जाय क्योंकि वह हिस्सा ख़रीदार मुद्दालेह नं०१ से ४ के पास नहीं गया और मालिकाना·दख़ल दिलाया जाय। मुद्दालेह नं० १ से ४ ने यह उज्जुर किया कि अदालतके नीलामसे लड़केका हक़ ख़रीदारके पास चला गया अब वह दावा नहीं करसकता अदालतने माना कि लड़केका हिस्सा अदालतके नीलामसे ख़रीदारके पास नहीं गया. लड़का उससे लेकता है, मुद्दालेहकी उज्जुरदारी ऐसे मामलेमें नहीं मानी जायगी जहां किसी कोपार्सनरने ख़रीदारके विरुद्ध दावा किया हो।

प्रिवीकौन्सिलका मुक़द्दमा भी देखो जिसमें एक हिन्दू शामिल शरीक परिवारका बाप छत्रपति मिताक्षरालॉके प्रभुत्वमें रहता था, वेनीमाधवने छत्रपतिपर नालिश करके सादे क़र्ज़की डिकरी प्राप्त करली, छत्रपतिके पुत्रोंने वेनीमाधवपर दावा किया कि उनका हिस्सा डिकरीसे वरी करदिया जाय किंतु यह दावा अनायास ड़िस्मिस् होगया। वेनीमाधवने कुल मौरूसी जायदाद: नीलाम कराई और खुद ख़रीद लिया, नीलामकी मंजूरी अदालतने इन शब्दोंमें दी "Right. title and interest of the Judgment debtor" मदिउनका हक़, स्वत्व, तथा अधिकार ख़रीदारको दियागया, अपीलमें एक प्रश्न ज़रूरी मानागया कि अदालतके नीलामसे क्या चलागया? सब जजने यह माना था कि छत्रपतिका विना बटा हुआ हिस्सा चलागया, हाईकोर्टने यह माना कि सब जायदाद चली गयी जिसपर कि छत्रपति इन्तक़ालका हक़ रखता था प्रिवीकौन्सिलमें खूब बहस होकर यह तय हुआ कि मुश्तरका हिन्दू ख़ानदानके बापपर जो डिकरी हो और उसमें बापका हक़, स्वत्व, तथा अधिकार नीलाम होजाय तो यही समझा. जायगा कि केवल बापकाही हिस्सा जो मौरूसी जायदादमें था जातारहा दूसरेका नहीं देखो-श्रीपतिसिंह दुगार बनाम महाराजा, सर पी. के. टगोर (1916. P.C.) 19 Bom. L.R. 290 और देखो दफा ४८८

दफा ४८४. रुपयेकी डिकरी——सिर्फ रुपयाके क़र्ज़के बारेमें जो डिकरी बाप पर हो उसके द्वारा बापकी ज़िंदगीमें सब कोपार्सनरी जायदाद नीलामकी जासकती है देखो-हरीराम बनाम विश्वनाथसिंह 22 All 408 ; यह मामला रेहनके क़र्ज़का था जिसमें दावेकी रक़म अनिश्चित थी; 16 I. A. 1 ; 12 Mad 142 ; 20 Cal 328 ; 9 Cal 389 ; 12 Cal. L.R. 494 ; 1 Bom. 262 ; 5 Cal 855 ; 6 Cal. L.R. 473 ; 5 N.W. P. 89 मगर शर्त यह है कि वह क़र्ज़ा बे क़ानूनी न हो और बुरे कामोंकी ग़रज़से न लिया गया हो। ख़ानदानके कामोंके लिये लिया गया था या नहीं इस बातका कोई प्रश्न नहीं उठता उक्त डिकरीके पाबंद पुत्र भी होंगे चाहे पुत्र उस मुक़द्दमेंमें फरीक़ बनाये गये हों या न बनाये गये हों देखो-1 I. A. 321 ; 14 B. L. R. 187 ; 22 W.R.C.R.56-59 ; 9 Mad

343-345-349 ; 13 I. A. 1 ; 13 Cal 21 ; 6 I. A. 88 ; 5 Cal 148-171 ; 5 Cal. L. R. 226-238 ; 15 I. A. 99 ; 15 Cal 717 ; 16 I. A. 1 ; 12 Mad 142 ; 27 All 16 ; 25 All 57 ; 23 Mad 292 ; 16 Mad 99 ; 11 Mad 64 ; 12 Mad 309 ; 9 Cal 452 ; 12 C. L. R. 47 ; 36 Bom 68 ; 13 Bom. L. R. 1161 ; 28 All 288 ;

लेकिन अगर पुत्र उस मुक़द्दमेंमें फरीक़ न बनाये गये हों तो वह किसी दूसरे मुक़द्दमेंमें जो उनपर हो उस क़र्ज़ेकी पावंदीपर आपत्ति करसकते हैं देखो—22 Mad 49 ; 4 Mad 320 ; 24 Bom. 135 ; 11 Bom 37 ; 27 All 16 ; या क़ानून ज़ावता दीवानी एक्ट नं० ५ सन १९०८ ई० आरडर २१ रूल ५७ के अनुसार इजरा डिकरीमें उज़ुरदारी करें। उक्तरूल ५७ इसप्रकार है:—'अगर कोई जायदाद इजरा डिकरीसे कुर्क हुई हो मगर डिकरीदारके क़सूरकी बजेहसे अदालत इजरा दरख़ास्तकी निस्वत आगे कोई कारवाई न करसके तो अदालतको लाज़िम होगा कि इजराकी दरख्वास्त नामंजूर करे या उचित कारवाईके वास्ते आगेकी किसी तारीख़तक मुलतवीरखे और इजराकी उक्त दरख्वास्तकी नामंजूरीपर कुर्की रद्द होजायगी' इस विषयमें फैसले भी देखो—शिवराम बनाम सखाराम 33 Bom. 39 ; 10 Bom. L. R. 39 ; 20 Bom 385 ; 12 All 209 ; 1 Mad 358.

इलाहाबाद हाईकोर्टने दो मुक़द्दमोंमेंसे एकमें यह कहा कि जब नीलाम न हुआ हो तो पुत्र उस डिकरीपर केवल इस कारणसेही आपत्ति करसकते हैं कि वे उस मुक़द्दमेंमें फरीक़ नहीं बनाये गये थे, लेकिन दूसरे मुक़द्दमेंमें उसी हाईकोर्टने कहा कि पुत्रोंके फरीक़ बनाये जाने या न बनाये जानेमें कुछ भेद नहीं है। देखो—रामदयाल बनाम दुर्गासिंह 12 All 209 ; 9 All 142 ; करणसिंह बनाम भूपसिंह (1904) 27 All 16.

दफा ४८५. बे क़ायदा नीलामसे पुत्रोंका हक़ रक्षित रहता है——— जिसके पास बापने रेहन रखा हो उस आदमीने अगर क़ानून इन्तक़ाल जायदाद एक्ट नं० ४ सन १८८२ ई० की दफा ९९ के विरुद्ध, क़र्ज़ेकी डिकरीमें जायदाद नीलाम कराली हो या नीलाम दूसरी तरहसे बे क़ायदा हो तो पुत्रोंका हक़ नहीं जाता देखो—22 Mad 372 ;

दफा ४८६. बापके मरनेके बाद इजरा डिकरी——बापके मरनेके बाद पुत्रोंके हाथमें जो कोपार्सनरी जायदाद हो उसके विरुद्ध डिकरीदार डिकरी इजरा करासकता है— इस विषयमें ज़ावता दीवानी एक्ट ५ सन १९०८ की दफा ५०-५२-५३ देखो। नीचे इन दफाओंका वर्णन किया गया है—

दफा ४८७. क़ानूनी प्रतिनिधि——इस विषयपर क़ानून ज़ावता दीवानी एक्ट ५ सन १९०८ की कुछ दफायें इसप्रकार हैं.

दफा ५० (१) अगर वह आदमी जिसपर डिकरी हुई हो डिकरीकी तामील होनेसे पहले मरजाय तो डिकरीदारको अख़्त्यार है कि उस आदमीके क़ानूनी प्रतिनिधि अर्थात् उसके क़ायम मुक़ामपर डिकरी जारी होनेकी दरख्वास्त, डिकरी देनेवाली अदालतमें करे।

(२) अगर उस प्रतिनिधिके नाम डिकरी जारी कराई जाय तो उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ उतनीही होगी जितनी कि मरनेवालेकी जायदाद उसके हाथमें आई हो और वह खर्च न कीगयी हो। प्रतिनिधिकी ज़िम्मेदारी कितनी है यह मालूम करनेके लिये डिकरी इजरा करनेवाली अदालतको अधिकारहै कि अपनी मरज़ीसे या डिकरीदारकी दरख्वास्तपर उस प्रतिनिधिसे हिसाबके ऐसे काग़ज़ात ज़बरदस्ती दाख़िल कराये जो अदालतको मुनासिब मालूम हों।

दफा ५२ (१) मरनेवालेका क़ानूनी प्रतिनिधि होनेकी हैसियतसे अगर किसी आदमी-पर डिकरी हुई हो और वह डिकरी मरनेवालेकी जायदादसे नक़द रुपया दिलानेके वास्ते हो तो इजरा डिकरी उस जायदादकी कुर्क़ी और नीलामके ज़रियेसे होसकती है।

(२) अगर ऐसी कोई जायदाद उस क़ानूनी प्रतिनिधिके हाथमें बाक़ी न रहे और वह अदालतके इतमीनानके लिये यह साबित न करसके कि उसने मरनेवालेकी जायदादको जो उसके क़ब्ज़ेमें आई उचितरीतिसे ख़र्च किया है तो उसपर उतनीही जायदादकी बावत डिकरी जारी होसकती है जिसकी निस्वत वह पूर्व्वोक्तरीतिसे अदालतका इतमीनान न करा सका था और वह डिकरी उसपर उसीतरह जारी होगी कि मानो वह उसीकी ज़ात ख़ास-पर हुई है।

दफा ५३-पूर्व्वोक्त दफा ५० और ५२ के मतलबोंके लिये जो जायदाद किसी आदमीके बेटे या दूसरी औलादके क़ब्ज़ेमें इस तरहपर आये कि उस जायदादपर हिन्दूलॉके अनुसार मरनेवालेके क़र्ज़का बोझ हो तो समझा जायगा कि वह जायदाद मरनेवालेकी वही जायदाद है जो उसके बेटे या दूसरी औलादके क़ब्ज़ेमें उसके क़ानूनी प्रतिनिधिकी हैसियतसे आयी है। इस विषयपर भी देखो-शंकरनाथ पण्डित बनाम मदनमोहनदास 14 C W. N. 298.

पहली जनवरी सन १९०९ ई० के पहले जैसा क़ानूनथा उसके अनुसार पुत्र उस जायदादकी कुर्क़ीपर आपत्ति कर सकताथा जो उसके बापकी ज़िंदगीमें सादे क़र्ज़ की हुई हो, देखो-प्यारेलाल सिंह वनाम कुंजीलाल 16 All 449 ; 11 All 302 ; 28 All 51 ; 32 Mad 429 ; 16 Mad 99 ; 11 Mad 413 ; 13 Mad 265 ; 5 Mad 232 ; 6 C. W. N. 223 ; 28 Cal 517.

काली कृष्ण सरकार बनाम रघुनाथदेव (1903) 31 Cal 224 ; लेकिन जब बापके जीवन कालमें उस डिकरी की इजरासे कुर्क़ी न हुई हो. (चाहे इजरा हो भी गयी हो) ; तो मदरास और इलाहाबाद हाईकोर्टो की रायमें और बंगाल के भी कुछ फ़ैसलोंके अनुसार पुत्र पर नये सिरेसे दावा करना होगा देखो—इसी पैरा की नज़ीरें।

बंबई हाईकोर्ट और बंगाल हाईकोर्ट के फुलबेंचकी यह राय हुई कि ऐसी डिकरी पुत्रोंके विरुद्ध जारी की जा सकती है नये सिरेसे मुक़द्दमे की ज़रूरत नहीं है देखो—28 Bom. 383 ; 6 Bom. L. R. 344 ; 20 Bom. 385 ; 34 Cal 642 ; 11 C.W. N. 593.

रेहनकी डिकरी का इजराभी इसी तरहपर होगा. देखो—20 Cal 895. अगर डिकरी का बोझ कोपार्सनरी जायदाद परहो तो बापके मरनेके बाद इजराकी कारर्वाई उसके पुत्रोंके विरुद्ध हो सकती है देखो—7 Mad 339 ; 4 Mad 1.

दफा ४८८. पुत्रोंका हक़ कब चला जाता है ?——बापके विरुद्ध जो डिकरी हुई हो उसके इजराके नीलामसे सिर्फ बापका ही विना बटा हुआ हक़ चला जाता है या सारे ख़ानदानका विना बटा हुआ हक़ चला जाता है ? इस प्रश्नका फैसला इजराकी कारर्वाई पर निर्भर है। अदालत सिर्फ यह देखेगी कि वास्तवमें क्या बेंचागया और ख़रीदारने उसको क्या समझकर ख़रीदा-देखो—14 I. A. 84 ; 10 Mad 241 ; 14 I. A. 77 , 83 ; 14 Cal 572 ; 31 I. A. 1 ; 27 Mad 131 ; 8 C. W. N. 180 ; 8 Cal 898 ; 10 C. L. R. 505 ; 12 Bom. 691. इस प्रश्नमें क़ानून और वास्तविक घटनायें दोनों मिली रहती हैं देखो--नीचेके मुक़द्दमोंमें माना गया कि केवल बापका हक़ नीलाम सेचला गया 4 I. A. 247 ; 3 Cal 198 ; 1 C. L. R. 49 ; 14 I. A. 77 ; 14 Cal 572 ;

11 I. A. 26 ; 10 Cal 626 ; 9 All 672 ; 14 I. A. 84 ; 10 Mad 241 ; 8 Bom 489 ; 15 Bom 87 ; 23 Cal 262 ; 2 All 800 ; 2 All 899 ; 7 C. L. R. 218 ; 5 Cal 425 ; 5C. L. R. 112; अब देखिये नीचेके मुक़द्दमोंमें यह माना गया कि नीलामसे लड़कोंका हक़ भी चला जाता है 15 I. A. 99 ; 15 Cal 717 ; 16 I. A. 1 ; 12 Mad 142 ; 17 I. A. 11 ; 17 Cal 584 ; 17 Bom 718 ; 29 Mad 484 ; 11 Mad 64 ; 11 Bom 42 ; 6 Bom. 520 ; देखो दफा ४८४-२

नोट--डिकरीदार का यह कर्तव्य है कि कुर्क़ी और नीलामके हुक्ममें या नीलामके सर्टीफिकट (क़िवाला) में यह देखले कि उसमें जायदाद संबंधी मदियून का हक़ साफ साफ लिखा है या नहीं।

दफा ४८९. बारसुबूत—वारसुबूत के विषयमें मतभेद है, प्रश्न यह है कि जायदाद के नीलामसे जायदाद परसे बेटों काभी हक़ चला जाना माना जावे या केवल बापका हक़ चलाजाना माना जावे-देखो--14 All 191 ; 14 All 179 ; 12 All 99 ; 15 Bom 87 ; मनोहर बनाम बलवंत (1901) 3 Bom. L. R. 97. माना गया है कि इस विषयमें बारसुबूत उस पक्षकार पर है जो नीलामका समर्थन करता हो देखो-हज़ाहिरा बनाम माईजी मदन ईसवजी Bom. P. J. 1875. P. 97.

दफा ४९० ख़रीदारका कर्तव्य——नीलामके ख़रीदार का केवल यह कर्तव्य है कि वह यह देखे कि डिकरी बाप परहुई है और जो जायदाद नीलाम की जाती है वह उस डिकरीके अनुसार नीलाम होना चाहिये, जब ख़रीदार इतना करले और ठीक मूल्यदेकर नेकनीयतसे ख़रीदले तो पुत्रोंका यह अधिकार नहीं है कि पीछेसे उसमें हस्तक्षेप कर सकें और जायदादके ख़रीदारसे वापिस लेसकें देखो—1 I. A. 321 ; 14 B. L. R. 187 ; 22 W. R. C. R. 56 ; 6 All 234 ; 15 I. A. 99 ; 15 Cal 317 ; 4 Mad 96 ; 2 Cal. 213 ; 25 W. R. C. R. 421 : 25 W. R. C. R. 148 ; 23 W. R. C. R. 260 ; 1 S. W. R. C. R. 55.

नानोमी बबुआसिन बनाम मदनमोहन (1885) 13 I. A. 1-18 ; 13 Cal 21 36 ; 15 I. A. 99. ; 15 Cal 370 इन मुक़द्दमोंमें कहा गया कि अगर बापका क़र्ज़ा ऐसा था कि जिससे नीलाम जायज़ हो सकता था तो ऐसी सूरतमें बाप उस जायदादको चाहे स्वयं बेंचदेता या महाजन दावा करके नीलाम करवाता। ऐसे मामलेमें पुत्र यदि कुछ आपत्ति करें तो वे यही कह सकते हैं कि नीलाम या इजरा की काररवाईमें वे फ़रीक़ नहीं थे इसलिये उनके अपने मुक़द्दमेमें बाप के उस क़र्ज़े के जायज़ या नाजायज़ होनेका प्रश्न उठाने की इजाज़त दी जाय, यदि उन्हे ऐसा हक़ मिले तो भी वे जबतक यह साबित न करदें कि क़र्ज़ा ऐसा नहींथा जिससे नीलाम जायज़ समझा जाय तबतक उन्हें कुछ लाभ नहीं होगा। जिस लिखतके अनुसार जायदाद ख़रीदार के क़ब्ज़े में गयी हो उससे अगर यह ठीक न मालूम होता हो कि सारी जायदादसे उस लिखतका संबंध है या केवल बापकी कोपार्सनरी जायदादके हिस्सेसे तो ऐसे मामलेमें बेटोंका फ़रीक़ न बनाया जाना अवश्य ध्यान देने योग्य होगा लेकिन जब ख़रीदारने सारी जायदादका खूब भाव ताव करके और ठीक दाम देकर नेकनियतीसे जायदाद ख़रीद की हो तो ख़रीदार उसी बिनापर अपने हक़की रक्षा कर सकता है जिस बिनापर वह नीलाम जिसके इजराका विरोध पुत्रोंने किया हो जायज़ समझा जाता।

दफा ४९१. पुत्रोंपर डिकरी——बापकी ज़िंदगीमें जब पुत्रोंको फरीक़ बनाकर

उनपर डिकरी होजाय तो उससे कोपार्सनरी जायदाद पावंद हो जाती है मगर शर्त यह है कि पुत्रोंपर डिकरी तभी होगी जबकि बापने वह क़र्ज़ा किसी बेक़ानूनी और बुरे कामोंके लिये न लियाहो देखो--22 Mad 49 ; 8 Cal 517 ; 10 C. W. R. 489.

मतलब यह है कि जब बापके क़र्ज़े की नालिशमें पुत्र भी फरीक़ बना दिये गये हों और उनके मुक़ाबिलेमें डिकरी हो जाय तो उससमय कुल मुश्तरका जायदाद पावंद हो जाती है फिर बेटों को कोई मौक़ा उज़ुर करनेका बाक़ी नहीं रहता। जहांपर कोपार्सनरी जायदाद डिकरीसे पावंद नहो वहांपर बाप अपनी ज़ातख़ाससे उस क़र्ज़ेके चुकानेका पावंद मानागया है।

दफा ४९२. पुत्रोंपर बापके क़र्ज़ेकी साधारण ज़िम्मेदारी——बाप और दादाके क़र्ज़े जिनका बोझ जायदाद पर न पड़ा हो पुत्र और पौत्रको आवश्यक है कि वे क़र्ज़े वह मुश्तरका जायदादसे चुकादें जिसमें कि उनका हिस्सा भी शामिल है और जिस जायदादमें बाप और दादा हिस्सा रखते थे मगर शर्त यह है कि वे क़र्ज़े बेक़ानूनी या बुरे कामोंके लिये नलिये गये हों देखो—1 I.A. 321; 14 B.L.R. 187; 22 W.R.C.R. 56; 5 Cal 855; 6 C. L. R. 473 ; 27 Mad. 243 ; 11 Bom. H. C. 76 ; 17 Mad. 268 ; 4 Mad. 1 ; 9 Cal. 389 ; 12 C. L. R. 494 ; 5 Mad. 61 ; 6 Mad. 293 ; 9 I.A. 128 ; 6 Mad 1 ; 29 Mad. 484.

(२) हर्जानेका दावा—गोपालभट्ट अपने नाबालिग़ भतीजे गणेश और चिन्तामणिके साथ मुश्तरका रहता था उसने एक वसीयतके द्वारा मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादका ट्रस्टी काशीनाथको नियत किया। काशीनाथपर यह दावा किया गया कि उसकी बेहद बदइन्तज़ामीके सबबसे जायदादको नुक़सान पहुंचा है, १४४०३=) ७ की डिकरी काशिनाथपर हुई इस डिकरीका रु० वसूल करनेके लिये सताराकी अदालतमें डिकरी भेजी गयी। वहांपर काशीनाथ और उसके लड़के हनुमन्त और नारायणके हक़ सहित मौरूसी जायदाद कुर्क कीगयी, हनुमन्त और नारायणने उज़ुर किया कि हमारा हिस्सा बरी करदिया जाय। हाईकोर्टने कहा कि अदालत दीवानीके नियम भंग करनेसे बापपर जो डिकरी ट्रस्टी की हैसियतसे हो उसका विचार हिन्दूलॉके असदव्यवहार और बे क़ानूनी क़र्ज़ोंके अनुसार नहीं किया जासकता, इस लिये लड़के ऐसी डिकरीके पाबंद हैं; देखो—हनुमन्त काशीनाथ जोशी बनाम गणेश अन्नाजी (1918) 21 Bom. L. R. 435-448.

दफा ४९३. बापकी ज़िंदगीमें पुत्र कहांतक ज़िम्मेदार हैं———बापके जीवनकालमें लड़के अपने बापके क़र्ज़ेके लिये मुश्तरका जायदादके अपने हिस्सेतक ज़िम्मेदार हैं और बापकी जायदाद जो उनके हाथमें आयी हो वह भी ज़िम्मेदार है अर्थात् बापने दुनियांसे संबंध छोड़कर संन्यास या साधुता अङ्गीकार कर ली हो या इतने दिनोंतक लापता होगया हो जिससे वह मरा हुआ समझा जासकता हो और समझा भी जाता हो। इन दोनों संबंधोंसे जो जायदाद बापके हिस्सेकी लड़कोंके पास आये वह भी ज़िम्मेदार होगी। विष्णुस्मृतिमें कहा गया है कि बीस वर्षतक लापता रहनेपर वह मरा हुआ माना जायगा, और देखो कोलब्रुक डाइजेस्ट Vol. 1, P. 266. और देखो क़ानून शहादत एक्ट नं० १ सन १८७२ की दफा १०७-१०८ इस किताबकी दफा ४९४.

दफा ४९४. ज़िंदा है या मरगया———जब किसी मामलेमें ऐसा प्रश्न उठे कि अमुक आदमी (या स्त्री) मरगया या जीवित है और किस पक्षकारपर बारसुबूत है, इस

विषयमें देखो क़ानून शहादत दूसरा एडीशन, छपा हुआ सन १९०२ ई० एक्ट नं० १ सन १८७२ ई० की दफा १०७ और १०८, उपरोक्त दफायें इस प्रकार हैं—

दफा १०७–' जब कि यह प्रश्न उठे कि अमुक आदमी जीवित है या मरगया और यह साबित किया जाता हो कि वह तीस वर्षके अंदर जीवित था तो बारसुबूत उस पक्षकारपर होगा जो उसका मरजाना बयान करता हो ।'

दफा १०८–' बशर्ते कि जब, यह प्रश्न उठे कि अमुक आदमी जीवित है या मरगया, और यह साबित हो कि उसके जीवित रहनेका समाचार अगर वह आदमी जीवित होता तो स्वभावतः जिन लोगोंके पास आसकता था सात वर्षतक नहीं आया, तो बारसुबूत उस पक्षकारपर होगा जो कहता हो कि वह जीवित है ।'

दफा ४९५. पुत्रोंपर नालिश करनेकी मियाद——क़ानून मियाद एक्ट नं० ९ सन १९०८ आरटिकल १२० के अनुसार पुत्रोंपर बापके क़र्ज़ेका दावा करनेके लिये छः (६) वर्षकी मियाद मानी गयी है और यह मियाद उस समयसे शुरू होगी जब कि महाजनको क़र्ज़के दावा करनेका हक़ पैदा हुआ हो; देखो–महाराजसिंह बनाम बलवंतसिंह 28 All. 508; 23 All. 206 ; 16 Mad. 99 ; 17 Mad. 122.

ध्यान रखना चाहिये कि जब बापको क़र्ज़ा देनेवाले महाजनका हक़ पुत्रोंपर दावा करनेका बापकी ज़िंदगीमें पैदा होजाय तो बापके मरजानेसे मियादमें कुछ भी फरक़ नहीं पड़ेगा; देखो—23 Mad. 292 ; 22 Mad. 49 ; 16 Mad. 99 ; उक्त क़ानून मियादका आर्टिकल १२० इस प्रकार है:—

'ऐसा दावा जिसके लिये इस क़ानूनमें कोई मियाद नियत नहीं की गयी ६ छः वर्षकी मानी जायगी और यह मियाद उस वक्तसे शुरू होगी जब कि नालिश करनेका हक़ पैदा होजाय।'

नोट—क़ानून मियादमें यह १२० आर्टिकल सिर्फ उसवक्त काममें लाया जाता है. जब कि किसी मुक़द्दमेंकी मियाद स्पष्टरीतिसे उस क़ानूनमें न बतायी गई हो, जब अदालतका पुरे तौरसे इत्मीनान होजाय कि जिस मुक़द्दमेमें यह आर्टिकल लागू किये जानेकी प्रार्थना की जाती है उस मुक़द्दमेके बारेमें क़ानून मियादमें कोई निश्चित मियाद नहीं बतायी गयी तब वह इसके अनुसार मियाद मानलेगी । इस आर्टिकलमें एक बारीक बात यह ध्यानमें रखने योग्य है कि इसके अनुसार मियाद उस वक्तसे शुरू होती है जब कि वादीका हक़ नालिश करनेका पैदा हो जाय न कि बिनाय मुखासमत (cause of action) पैदा होनेसे ।

दफा ४९६. क़र्ज़े जिनका बोझ जायदादपर नहीं पड़ता——बापके कियेहुए सादे कंट्राक्ट (मुआहिदा), चाहे वह ज़बानी या किसी लिखतद्वारा किये गये हों उनका बोझा मुश्तरका खानदानकी जायदादपर नहीं पड़ता और न बापकी अलहदा पैदा की हुई जायदादमें पड़ता है अर्थात् ऐसे क़र्ज़ेसे दोनों क़िस्मकी जायदाद कुर्क और नीलाम नहीं होसकती । और जब कि लड़का या कोई वारिस जिसे बापके या पूर्वजके मरनेपर जायदाद मिली हो उस जायदादका इन्तक़ाल करदे तो बापके क़र्ज़ेका डिकरीदार उस आदमीके विरुद्ध दावा नहीं करसकता जिसके नाम इन्तक़ाल किया गया हो, मगर शर्त यह है कि जब वह आदमी जिसके नाम इन्तक़ाल किया गया है यह बात जानता हो कि क़र्ज़के मारनेके लियेही यह इन्तक़ाल किया जाता है या यह जानता हो कि डिकरीदारका हक़ मारनेके लिये किया गया है तो ऐसी सूरतमें लड़कों और वारिसोंके विरुद्ध डिकरीदारका हक़ डिकरी वसूल करनेके लिये सिर्फ उनकी ज़ातसे पैदा होगा–देखो–ज़बरदस्तखां बनाम इन्द्रमन, आगरा हाई-

कोर्ट फुलबेंच रिपोर्ट 1903. P. 71 ; 2 W. R. C. R. 296 ; 9 Bom. H C. 116 ; 4 Mad. H. C. 84 ; 4 Cal. 897 ; 4 C. L.R. 193 ; 11 I. A. 164 ; 6 All. 560.

दफा ४९७. बापके क़र्ज़का बोझा पुत्रकी जायदादपर नहीं पड़ता—वापका क़र्ज़ा पुत्रकी अलहदा जायदादसे कदापि वसूल नहीं किया जासकता और न पुत्रकी उस जायदादसे वसूल किया जासकता है जो वापने नेकनियतीसे पुरस्कार (इनाम) में दी हो चाहे वह मुश्तरका जायदादका कोई हिस्सा भी हो, वापके क़र्ज़का डिकरीदार सिर्फ मुश्तरका खानदानकी जायदादसे और उस जायदादसे जो वापके मरनेके पश्चात् पुत्रोंको मिली हो क़र्ज़ा वसूल करसकता है--देखो—4 Mad. 1 ; 4 Mad. 21-45 ; 8 Bom. 220 ; 8 Bom. 309 ; 25 W. R. C. R. 202 ; 10 Bom. H. C. 361 ; 11 Bom. H. C. 76 ; 13 Bom. 653 ; 12 W. R. C. R. 41 ; 3 Mad 42.

बापके क़र्ज़का डिकरीदार उस जायदादसे भी अपनी डिकरी वसूल नहीं करसकता जो बाप और पुत्रोंके बीचमें नेकनीयतीसे बटवारा होनानेपर पुत्रोंके हिस्सेमें आयी हो। देखो—बटवारेसे पहलेके क़र्ज़से इसका संबंध नहीं होगा, 24 Mad. 555.

कृष्णासामी वनाम रामसामी एय्यर 22 Mad. 519 में माना गया कि अगर बटवारा वापके क़र्ज़के मारनेकी नियतसे किया गया हो तो डिकरीदार वसूल कर सकता है।

वंगाल स्कूल—वंगाल स्कूलमें वापकी ज़िंदगीमें पुत्रोंका कोई हक़ मौरूसी जायदादमें नहीं होता इस लिये बापके उचित और अनुचित सब तरहके क़र्ज़ जिनका दावा किया जा सकता हो मौरूसी जायदादसे वसूल किये जासकते हैं और बापके मरनेपर उसकी छोड़ी हुई मौरूसी जायदाद और अलहदाकी जायदाद जो पुत्रों के क़ब्ज़ेमें आवे दोनोंसे यह क़र्ज़ा वसूल किया जासकता है।

दफा ४९८. पैतृकऋण देना जायदादही पर निर्भर नहीं है—हिन्दूधर्म शास्त्रानुसार अपने बाप, दादा, और परदादाके क़र्ज़का अदा करना पुत्र, पौत्र, और प्रपौत्रका धार्मिक कर्तव्यकर्म माना गया है जिस तरहसे कि अन्य धार्मिक कृत्योंके पूरा करनेकी ज़िम्मेदारी है उसी तरहपर पैतृकऋणके चुका देनेकी मानी गयी है। देखो—याज्ञवल्क्य २-९२ और नारद १-३-४ कहते हैं—

ऋणलेख्यकृतन्देयं पुरुषैस्त्रिभिरेव च
आधिस्तु भुज्यते तावद्यावत्तन्नप्रदीयते। याज्ञ० २-९२.
क्रमादव्याहृतं प्राप्तं पुत्रैर्यन्नर्णमुद्धृतम्
दद्युः पैतामहं पौत्रास्तच्चतुर्थान्निवर्तते। नारद--विवाद १ अ० ३-४.

याज्ञवल्क्य कहते हैं कि किसी लिखतके द्वारा जो क़र्ज़ा लिया गया हो वह तीन पीढ़ीतक चुकाया जायगा और जो क़र्ज़ा जायदाद रेहन करके लिया गया हो तो जबतक वह चुकाया न जाय तबतक जायदाद धनीके पास रहेगी। नारद कहते हैं कि बापका क़र्ज़ा क्रमसे पुत्रादिकोंपर प्राप्त होता है यानी पुत्र यदि वह क़र्ज़ा न देसकें तो पौत्र देवें और यदि वे भी न देसकें तो प्रपौत्र देवें मगर चौथी पीढ़ीको वह क़र्ज़ा पाबंद नहीं करता।

यह बात अभी हिन्दुओंमें बहुत कुछ प्रचलित है, क्योंकि जब कोई हिन्दू गयाश्राद्ध करनेके लिये जाता है तो वह जानेसे पहले अपने पैतृक ऋणको चुका देता है। शास्त्रकार

कहते हैं कि यदि वह पैतृकऋण चुकाये बिना गयामें श्राद्ध करे तो पितरोंकी मुक्ति नहीं होती। अंगरेजी क़ानूनसे बढ़कर हिन्दूधर्मशास्त्रोंने पैतृकऋण चुकानेकी आज्ञा दी है, अंगरेजी क़ानूनमें तो सिर्फ बाप और दादाके क़र्ज़ा चुकानेकी ज़िम्मेदारी पुत्र और पौत्रकी मुश्तरका जायदादके हिस्सेतक मानी गयीहै। मगर धर्मशास्त्रोंमें इससे बहुत ज्यादा मानी गयी है उन्होंने बाप, दादा, और परदादाके क़र्ज़ेकी ज़िम्मेदारी जायदाद और उनकी संतानकी ज़ात पर मानी है तथा यह उपदेश किया गयाहै कि बिना पैतृकऋण चुकाये पितरोंकी मुक्ति नहीं होती और ऐसा करना पुत्र, पौत्र, और प्रपौत्र पर परमावश्यक धर्म है। इस विषयपर और भी देखो—डबल्यु. मैकनाटन हिन्दूलॉ 2 Vol.P.284; कोलब्रुक डाइजेस्ट 1 Vol.P.270; तथा Act No. 5 of 1881 की दफा 101-105.

दफा ४९९. दूसरे हिस्सेदार जिम्मेदार नहीं होंगे—पुत्र और पौत्रके सिवाय मुश्तरका ख़ानदानके दूसरे कोपार्सनरोंपर क़र्ज़ा चुकानेकी ज़िम्मेदारी नहीं है जिन्हें सरवाइवरशिपके अनुसार हक़ प्राप्त होता हो–देखो–जब कि हिस्सा बेच दिया गया हो 3 Mad. 145; जहांपर कि न बट सकनेवाली जायदा हो 29 Mad. 453; 32 Mad 429; 30 Mad. 454.

यदि कोई नाजायज़ तौरसे किसीके मरनेपर उसकी जायदादपर क़ब्ज़ा दख़ल करले तो उस जायदादसे मृत पुरुषके क़र्ज़े वसूल किये जासकते हैं–देखो–3 Mad. 359; 7Mad. 586; 4 Cal. 342; 3 C. L. R. 154;4Cal. 508; 35 Cal. 276; 12C. W.N.237.

पट्टेसे मिली हुई ज़मीनमें, जिसपर क़र्ज़ेकी डिकरीकी इजरा नहीं होसकती, उपरोक्त नियम कोई भी लागू नहीं होंगे–देखो–9 I. A. 104; 6 Bom. 211; 7 Mad. 85; 10 Cal. 677; 15 I. A. 19; 15 Cal. 471; 15 Bom. 13; 25 Cal. 276; 12 C. W, N. 237.

दफा ५००. कर्ज़ा न चुकानेमें धर्मशास्त्र का मत——— १–नारदस्मृति प्रथम विवादपद अध्याय ३ श्लोक ९–१०

कोटिशतेतुसंपूर्णे जायतेतस्यवेश्मनि
ऋणसंशोधनार्थाय दासो जन्मनि जन्मनि
तपस्वी वाग्निहोत्रीवा ऋणवान् म्रियते यदि
तपश्चैवाग्निहोत्रंच तत्सर्वं धनिनां धनम्

नारद कहते हैं कि ऋणलिया हुआ और दान दिया हुआ न देनेसे सौ करोड़ तक बढ़ता है, सौकरोड़ पूरा होनेपर वह ऋण चुकानेके लिये धनीके घर अनेक जन्मतक दास होकर क़र्ज़ा लेनेवाले या दान देनेवालेको रहना पड़ताहै। यदि तपस्वी अथवा अग्निहोत्री बिना ऋण चुकाये मरजाय तो तपस्वीके तप और अग्निहोत्रीके अग्निहोत्रका फल धनीको मिलताहै।

नोट—'दान दिया हुआ' इससे मतलब यह है कि दान तो दिया मगर दानकी वस्तु दान लेनेवालेको नहीं दी या उसे उस काम में नहीं लगाया जिसके लिये दान किया था।

बेक़ानूनी या बुरे कामोंके वास्ते बापके लिये हुए क़र्ज़ोंके उदाहरण ।

दफा ५०१. बेक़ानूनी या बुरे कामोंके लिये बापके क़र्ज़———निम्नलिखित बापके क़र्ज़ोंके अदा करनेके लिये पुत्र मजबूर नहीं किये जासकते और ऐसे क़र्ज़ोंकी डिकरी अदालतसे उनपर नहीं होसकती । यह ध्यान रहे कि जिस प्रकारके क़र्ज़ बाप के लिये हुए पुत्रोंको मजबूर नहीं करते, वैसाही दादाके लिये हुए क़र्ज़ पौत्रोंको मजबूर नहीं करते यानी बाप और दादाके क़र्ज़ोंमें कोई फरक़ नहीं है दोनों एकही तरहके माने जाते हैं ।

(१) जो क़र्ज़ा शराब पीनेके लिये लिया गया हो ।

(२) खेल, तमाशों, या जुवा खेलने आदिके कामोंके लिये या शर्तलगानेके लिये या ऐसे कामोंमें जो नुक़सान होगया हो उसके अदा करनेके लिये ।

(३) ऐसे इक़रारसे जो बिना बदलाव का हो अर्थात् बापने किसीको १००) देनेका वचन दिया मगर उसके बदलेमें कुछ नहीं लिया ।

(४) कामेच्छा पूर्ण करनेके लिये या रंडीबाजी आदिके लिये ।

(५) ऐसे कामों के लिये, जो काम किसी शुद्ध चरित्रको घृणित कर देने वाले हो- देखो—28 All. I. L. R. 508; All. W. N. (1906) 117; 3. A. L. J- 274; मेनहिन्दूला P. 378; कोलब्रुकडाइजेस्ट Vol. 1 P. 247; 300, 305, 311.

(६) जो क़र्ज़ा बापने बुरे कामोंके लिये लियाहो उनके देनेका पुत्र ज़िम्मेदार नहीं है- देखो—3 Bom. L. R. 647; 23 Suth. 260; 25 Suth. 421; 2 C.213 25 Suth. 311; 5 Cal. 148; 6 I. A. 88; 8 All. I. L. R. 231; 7 N. W. P. 110.

(७) मिताक्षरा और दायभाग दोनों स्कूलोंमें यह माना गया है कि जब बापके मरनेपर उसकी जायदाद पुत्रोंके हाथमें आजावे और उसवक्त बापकी जायदादसे क़र्ज़ा वसूल करनेके लिये कोई ऐसे दावा करे कि मैंने पुत्रोंके बापके हाथ इतनी कीमतकी शराब बेंची थी जिसका वह जिम्मेदार था तो ऐसा दावा खारिज होजायगा देखो—2 P. W. R. (1909); 24 P. R. (1909); 1 Indian cases 13; P. L. R. 1908.

(८) ऐक मामलेमें बुरे कामोंके वास्ते लिये हुए बापके क़र्ज़ दिला पानेका दावा पुत्रोंके विरुद्ध किया गया था उसमें कहा गया कि ऐसे क़र्ज़के बारेमें पुत्रोंकी जिम्मेदारी अनुचित जिम्मेदारीहै इस लिये ऐसे क़र्ज़का कोई लड़का जिम्मेदार नहीं है देखो S.C. 151; सिलेक्ट केस (1878) 8 No. 14; 1 C. P. L. R. 43.

(९) एक हिन्दू बापने बहैसियत अपने अज्ञान लड़केके वलीके, उसकी तरफ़से यह दावा कियाथा कि दत्तक जायज़ क़रार दियाजावे । अदालतने दत्तक ख़ारिज करदिया और कहा कि दत्तक झूठाथा तथा बापने जानबूझकर ऐसा दावा कियाहै और यहभी हुक्म दिया कि गवर्नमेन्टका ख़र्चा जो इस मुक़द्दमेंमें पड़ाहो बाप (मुद्दई) अदाकरे । इस मुक़द्दमेंमें ख़र्चा अदाकरनेकी जो बात है वह जुरमानेके तौरपर है क्योंकि बापको दत्तकके झूठे होनेकी बात पह-

लेसे मालूम थी ऐसे खर्चके देनेके लिये पुत्र ज़िम्मेदार नहीं मानेगये देखो-20 M. L. J. 89 ; 6 M. L. T. 308.

(१०) इस मुक़द्दमेंमें, खेतमें पानी जानेके रास्तेको बापने रोक दिया था यद्यपि यह काम बे क़ानूनी नहीं था फिर भी बेइन्साफी (wrongful) का ज़रूर था अदालतने उस आदमीकी नुक़सानकी डिकरी बापपर की जिसे पानी रोक देनेसे नुक़सान हुआथा। कहागया कि पुत्र ऐसी ज़िम्मेदारीके जवाबदार नहीं हैं जो उनके बापने बेइन्साफीसे किया । बापके मरनेके बाद जब जायदाद पुत्रोंके हाथमें आयी तब उस डिकरीका असर नहीं रहेगा देखो--32 B. 348 ; 10 Bom. L. R. 297.

(११) कोई कंट्राक्ट जो बापने कियाहो उससे हिन्दूलॉ के अनुसार हमेशाकी ज़िम्मेदारी नहीं पैदा होती यानी वह कंट्राक्ट पुत्रोंको पाबंद नहीं करसकता पुत्र सिर्फ़ बापके क़र्ज़ के देनेके ज़िम्मेदार हैं। बापके किये हुए हरएक कंट्राक्टसे पुत्र पाबंद नहीं होजाते और जब बापने कोई ऐसा कंट्राक्ट किया हो जिससे हमेशाके लिये रुपया देनेकी ज़िम्मेदारी पैदा होती हो तो जब उसकी जायदाद उसके प्रपौत्रके हाथमें आजावेगी तो उस कंट्राक्टका असर टूट जावेगा इसीतरहपर पुत्रोंके संबंधमें भी लागू होगा, तथा पौत्रोंसे भी ; देखो—6 Bom L. R. 642.

(१२) नीचेके मुक़द्दमोंमें यह सूरतथी कि बाप ख़ज़ानची था । उसने कुछ रुपया दग़ाबाजीसे चुराया। अदालतने उस रुपयेके वसूल करनेकी डिकरी बापपर करदी, मानागया कि पुत्र डिकरीके ज़िम्मेदार नहीं हैं और यही सूरत उस समय भी होगी जब बापने कोई रुपया किसी अपराध करनेके लिये क़र्ज़ लिया हो; देखो-27 M. 71; 6 All 234; 24 Cal. 672.

(१३) बापने कुछ जायदाद चुराई और पीछे ईसाई होगया या दूसरे मज़हबमें चला गया पीछे अदालतने उतने रुपयेकी डिकरी बापपर की जितनी क़ीमतकी जायदाद उसने चुराई थी, डिकरीके इजरामें जब मुश्तरका जायदाद सब कुर्क़ हुई तब पुत्रोंने अलग: दावा दायर किया कि डिकरी ख़ारिज करदी जाय । अदालतने कहा कि बापने बुरे कामोंके लिये जो क़र्ज़ा लियाहो वह पुत्रोंसे नहीं दिलाया जासकता इसलिये कुल मुश्तरका जायदाद कुर्क़ी और नीलामके योग्य नहीं है; देखो-No 128 of 1879 civil.

(१४) ऐसे क़र्ज़े जैसे बापने किसीके नेक चलन रहने या शांति बनाये रखनेके लिये ज़मानतकी हो (मुचलका आदि) उनके देनेके लिये पुत्र ज़िम्मेदार नहीं हैं देखो-28 M.377 इस केसमें कहागया है कि बाप और पुत्र शामिल रहते हों और बापके मरनेपर वह जायदाद पुत्रोंके हाथमें आजाय तो उस जायदादपरसे बापके ऐसे सब क़र्ज़ोंका बोझ हट जाता है जो बापने मुचलका आदिकी तरहपर किये हों।

बापके लिये हुए क़ानूनी क़र्ज़ोंके उदाहरण।

दफा ५०२. बापके लियेहुए क़ानूनी क़र्ज़े—ज़िन क़र्ज़ोंका ज़िक्र नीचे किया गया है उनके लिये पुत्र और पौत्र पाबंद होंगे:-

(१) बापने अपने बापके श्राद्ध करनेके लिये जो क़र्ज़ लियाहो, चाहे पुत्र बालिग़ या नाबालिग़ हों या कोई पौत्र जो अपने बापके मरनेपर पैदा हुआ हो सब उस क़र्ज़के पाबंद हैं देखो 6 W. R. 34 ; 11 W. R. 52 ; मेकनाटन हिन्दूलॉ Vol 2 Ch. 11 P. 296 ;

हिन्दूलॉ के अनुसार पौत्र अपने बापकी माता (दादी) की अन्तेष्टी क्रियाके खर्चके लिये ज़िम्मेदार नहीं मानागया देखो 7 M. L. T, 263; 5 Indian Cases 55.

(२) मुश्तरका खानदानके लोगोंकी शादीके लिये जो छोटे हों, और बाप जो क़र्ज़ा अपने पुत्रोंके विवाहोंके लिये उचित लेवे मगर शर्त यह है कि मुश्तरका जायदादकी आमदनी विवाहके खर्चके लिये काफी न हो; देखो-(1910) M. W. N. 649 ; 8Indian cases 195 ; 9 M. L. T- 26 ; 20 M. L. J. 855 ; 9 Bom L. R. 1366 ; 32 B. 81 ; 6 Indian cases 465 ; 32 All 575 ; 15 N. C. C. R. 159; 7 M. L. T. 384 ; 27 Mad 206.

(३) बेटियोंकी शादीके लिये बापका क़र्ज़ा चाहे बाप ब्राह्मण हो या दूसरे किसी भी वर्णका हो क़ानूनी क़र्ज़ा मानागया है; देखो-8 Indian cases 854; 32 T. L. R. 74 ; 1 C. 289 ; 25 W. R. 235 ; 3 I. A. 72 ; 16 W. R. 52 ; 7 Beng. Sel. R. 513 ; 14 Mad 316 ; 26 N. 505.

8 M.L. J. 105 में कहागया कि हिन्दू बापपर अपनी बेटियोंकी शादी करना क़ानूनी फ़र्ज़ नहीं है बलिक सभ्यताका है और इसी तरहसे ब्याही हुई बेटियोंकी परवरिश करना भी है। एक मामलेमें माताने अपनी बेटीका विवाह करदिया पीछे उसके बापपर विवाहके खर्चा पानेका दावा किया अदालतने कहा कि बापपर धार्मिक फ़र्ज़ है कि वह बेटीका विवाह करे मगर क़ानूनी नहीं है देखो 26 Mad 505 ; यही बात मदरासके हालके एक मुक़द्दमेंमें मानी गयी देखो 8 Indian. cases 854.

भाई—भाई पर क़ानूनी फर्ज़ है कि वह अपने शामिल शरीक मृतभाईकी बेटीका विवाह करे। यदि वह इनकार करदे और बेटीकी विधवा माता किसी तरहसे उसका विवाह करदे पीछे वह विधवा माता अपने पतिके भाई पर उस विवाहके खर्च पानेका दावा करसकती है जो कुछ कि उसकी बेटीके विवाहमें पड़ाहो देखो-23 Mad 512; 16 W. R. 52 ; 6 C. 36 ; 6 C. L. R. 429.

(४) ख़नदान की इज्जत को बचाये रखनेके लिये जो क़र्ज़ हो वह ऐसा है मानो विवाह के खर्चके लिये लिया गया है, देखो-No. 63 of 1886 Civil.

(५) जो क़र्ज़ा ख़नदानके लाभके लिये लेकर किसी व्यापारमें लगाया गया हो या व्यापार करनेके लिये लिया गया हो; देखो-No. 67 of 1873 Civil.

(६) किसी शराबी या नशेबाज़काक़र्ज़ा जब कि वह नशेकी हालतमें न हो और शांत बुद्धिहो तथा उसने व्यापारके लिये या रक्षा करनेके लिये लिया हो देखो-No. 44 of 1872 Civil.

(७) हिन्दू ज़िमीदार का क़र्ज़ा, जो व्यापारमें लगानेके लिये लिया गया हो देखो-No. 77 of 1876 Civil ; No. 53 of 1869 Civil ; No. 11 of 1871 Civil ; No. 77 of 1876 Civil ; No. 98 of 1879 Civil ; No. 78 of 1879 Civil ; 87 P. R. 1887 ; 93 P. R. 1888 ; 152 P. R. 1888.

(८) बापने अपनी और अपने नाबालिग़ पुत्रोंकी तरफ़से जिनका कि वह वली था मुश्तरका जायदादकी किसी ज़मीन की ज़मानतपर चौदह वर्षकी लिखत करदी, इसकी रजिस्टरी नहीं हुई थी, मानागया कि ख़ानदानके लाभके लिये ऐसी लिखत जायज़ मानी जायगी देखो–5 Indian Cases 762 ; 7 M. L. T. 92.

(९) मुश्तरकाख़ानदानके बापको जब कोई रुपया किसी दूसरे आदमीके देनेके लिये मिला हो और वह उसे ख़र्च कर डाले, और उसने यह रुपया ख़ानदान वालोंके लाभके लिये ख़र्च किया हो जिस ख़ानदानमें बाप मेनेजर की हैसियत रखता था तो यही माना जासकेगा कि बापने दीवानी क़ानूनके अनुसार विश्वासघात किया मगर फौजदारी क़ानूनके अनुसार नहीं, इसलिये साथ रहनेवाले उसके पुत्र ऐसे रुपयेके अदा करनेके ज़िम्मेदार हैं. पुत्रोंके हिस्सेकी जायदाद ज़िम्मेदार होगी देखो–31 Mad 161 ; 17 M. L. J. 613 ; 3 M. L. T. 353 ; 31 Mad 472.

(१०) जो क़र्ज़ा बापने लिया हो उसकी ज़िम्मेदारी पुत्रोंपर है क्योंकि बाप पुत्रोंका एजेन्ट है पुत्रोंकी ज़िम्मेदारी उसी वक्त पैदा हो जातीहै जबकि बापपर वह पैदा होती है और अगर बाप पीछेसे कोई रक़म बुरे इरादेसे अनुचित ख़र्च करदे चाहे वह ऐसा करनेसे फौजदारी क़ानूनसे अपराधीकी हैसियतसे ज़िम्मेदार होगया हो तो भी पुत्र उसके देनेके पाबंद हैं देखो—19 M. L. J. 759.

(११) मिताक्षरालॉ के अनुसार पुत्र ऐसी डिकरीके पाबंद माने गये हैं जो उनके बाप पर किसी हक़दारके वासलात की बाक़ी की हुई हो यानी यदि बापने किसी हक़दार की जायदाद दबा लीहो और उसका मुनाफा लिया हो, पीछे हक़दारके दावा करने पर मुनाफा वापिस करनेकी डिकरी बापपर हो जाय तो वह पुत्रोंके हिस्से जायदादसे वसूलकी जासकेगी देखो—5 C. L. J. 80; 11 C. W. N. 163.

(१२) गवर्नमेन्टकी मालगुज़ारी चुकानेके लिये जो क़र्ज़ा बापने लिया हो देखो—1 W- R. 96 मेकनाटन हिन्दूला Vol 2 P- 293.

(१३) जो क़र्ज़ा बापने कुटुम्बके ख़र्चके लिये, अपनी आमदनीका ज़रिया ठीक करने के लिये लियाहो देखो 2 B. 666.

(१४) ख़ानदानकी क़ानूनी ज़रूरतोंके लिये–देखो इस किताबकी दफा ४३०

(१५) जब बापने किसीके साथ कोई इक़रार ऐसा किया हो कि जिसके सबबसे दीवानी और फौजदारी ज़िम्मेदारी होजाती हों यानी दीवानी क़ानूनके अनुसार तो उस इक़रारके पूरे करनेकी ज़िम्मेदारी पैदा होगयी हो, और फौजदारी क़ानून के अनुसार वह इक़रार अपराध समझा जासकता हो, और बाप उस फौजदारी अपराधसे बचनेके लिये तीसरे आदमीसे प्रामेसरी नोट (रुक्का) लिखकर क़र्ज़ा लिया हो तो ऐसी सूरतमें पुत्र उस क़र्ज़के ज़िम्मेदार हैं, पुत्र ऐसा कहकर कि हमारे बापने फौजदारी अपराधकी धमकीके असरसे वह रुक्का लिखा था इस लिये वह नाजायज़ है अपना बचाव नहीं कर सकते देखो—28 All 718 ; 3 A. L. J. 506 ; A. W. N. 1906. P. 222.

(१६) बापने किसीके क़र्ज़ा चुका देनेकी ज़मानत करली हो–इसमें मतभेद है—

बंबई—बंबई हाईकोर्टके अनुसार पुत्र अपने बापकी ज़मानतका क़र्ज़ा देनेके लिये मौरूसी जायदादतक पाबंद माना गया है। एक मामलेमें बापने अनाज देनेकी ज़मानत की, अदालतने कहा कि बापके पास जो मौरूसी जायदाद थी वह कुल ज़िम्मेदार है और जब बापके मरनेपर वह जायदाद पुत्रोंके हाथमें आवे तो उस जायदादतक पुत्रभी ज़िम्मेदार होंगे

देखो. 22 Bom. 454; मगर पौत्र अपने दादाकी ज़मानतका पाबंद नहीं होगा जबतक कि दादाने उस ज़मानतके बदलेमें कोई चीज़ न पायीहो 28 Bom. 408; ट्रिवेलियन फैमिली लॉ P. 308; ट्रिवेलियन का कहना है कि पुत्र और पौत्रमें कुछ फरक़ नहीं है।

इलाहाबाद—इलाहाबाद हाईकोर्टमें महाराजा आफ बनारस बनाम रामकुमार मिसिर 26 All. 611 वाले मुक़द्मेमें कहा कि शामिलशरीक हिन्दू कुटुम्बमें, किसी पट्टेका रुपया देनेकी ज़मानत यदि बापनेकी हो तो उस लिखतके अनुसार बापपर पूरी तौरसे ज़िम्मेदारी पैदा हो जानेपर पुत्र भी मौरूसी जायदाद अपने हिस्सेतक पाबंद माने गये हैं।

मदरास—अगर ऐसा मुक़दमा (जैसा कि इलाहाबादका था) मदरास हाईकोर्टमें हो तो वहां भी ऐसाही होगा देखो 28 Mad 377; 11 Mad 373.

मध्यभारत--मध्यभारत और पंजाबमें भी बापकी ज़मानतके क़र्ज़में पुत्र ज़िम्मेदार माने गये हैं; 1 N. L. R. 173; No. 60 of 1886 Civil.

कलकत्ता--कलकत्ता हाईकोर्टको इस विषयमें अभीतक संदेह है 4 M. L. T. 429; 13 C. W. N. 9; 1 Indian Cases 153 वाले मुक़द्मोंमें जजोंने कहा कि हम मदरास, इलाहाबाद और बंबई हाईकोर्टकी रायके विरुद्ध कोई सिद्धांत निश्चित नहीं करना चाहते मगर हमारी राय यह है कि उक्त हाईकोर्टोंके फैसले, इस विषयके शास्त्रोंमें कहे हुए श्लोकोंके अर्थानुसार विचारने योग्य हैं। यह ऊपरका मुक़दमा रेहनका था इसमें बापने कहा था कि अगर महाजन रेहन रखी हुयी जायदादपर क़ब्ज़ा न पासके या उसका किराया न वसूल करसके तो हमारे खानदानकी अमुक जायदादसे वह क़र्ज़, हरजाना सहित वसूल किया जाय ६ वर्षके बाद उस रेहन रखी हुई जायदादसे बेदखल होनेपर महाजनने पुत्रोंपर बापके इक़रारके अनुसार क़र्ज़ और हरजानेके वसूल करनेकी नालिश की, परंतु अदालतने उसकी डिकरी नहीं दी--

बटवारा ।

आठवाँ-प्रकरण

नोट--यह बात स्मरण रखिये कि बटवारा हमेशा मुश्तरका जायदादमें होता है। मुश्तरका जायदाद मुश्तरका ख़ानदानमें होती है (देखो प्रकरण ६); जो जायदाद मुश्तरका नहीं है उसमें बटवारा नहीं होता। बटवारेमें मिताक्षरा और दायभागलॉ में बहुत भेद नहीं है जहां कहीं दोनोंमें मतभेद पड़ता है उसे उसी जगहपर स्पष्ट करदिया है। जहां दायभागलॉ का उल्लेख नहीं है। वहां समझ लेना कि मिताक्षरालॉ ही मानाजाता है। जो लोग जायदादमें अपना हिस्सा नहीं रखते केवल भरण पोषणके पानेका अधिकार रखते हैं (देखो दफा ६५१—६६२) ; उनका हिस्सा बटवारेमें नहीं होता। बटवारेका यह प्रकरण आठ भागोंमें विभक्त है; जैसे-

(१) बटवारेके साधारण नियम ५०३ से ५१२ (२) स्त्रियोंका अधिकार ५१३ से ५२० (३) कोपार्सनरोंके हिस्सोंके निश्चित करनेका क़ायदा ५२१ से ५२५ (४) बटवारेकी जायदाद ५२६ से ५२७ (५) अलहदगी और बटवारा ५२८ से ५४० (६) बटवारेके क़ानून की कुछ ज़रूरी दफाएं ५४१ से ५५१ (७) बटे हुए कुटुम्बियोंका फिर शामिल होजाना-५५२ (८) बटवारा न होसकनेवाली जायदादका उत्तराधिकार ५५३ से ५५७.

(१) बटवारेके साधारण नियम ।

दफा ५०३. बटवारा क्या है ?——हिन्दू धर्म शास्त्रोंमें कहागया है कि मुश्तरका ख़ानदान बटवारा होजानेसे जब सब लोग अलग अलग रहने लगते हैं तो धर्मकी वृद्धि होती है इसका मतलब यह है कि अलग अलग रहनेसे सब लोग अलग अलग पंचयज्ञ करेंगे जिससे धर्मकी वृद्धि होगी इसलिये बटवारा होना धर्मसंगत है। मनु कहते हैं कि-

एवं सहवसे युर्वा पृथग्वा धर्मकाम्यया
पृथग्विवर्धते धर्म स्तस्माद्धर्म्यापृथक्रिया ९-१११

भाइयोंको उचित है कि इकट्ठे रहें अथवा धर्मकी वृद्धिकी इच्छासे धनबाँट करके अलग अलग निवास करें। अलग अलग रहनेसे धर्म वृद्धि होती है।

बटवारे, को धर्मशास्त्रमें 'दायविभाग' कहते हैं। मुश्तरका जायदाद दो तरहकी होती है; एक तो मुश्तरका ख़ानदानकी जायदाद और दूसरी वह जायदाद जो खुदकमाई हुई हो और मुश्तरकामें शामिल होसकती हो, देखो दफा ४१९ ; जितने क़िस्मकी मुश्तरका जायदाद है उसका बटवारा होसकता है, और ज़ो नहीं है उसका उसके मालिकके जीवनकालमें बिना मरज़ी उसके बटवारा नहीं होसकता.

हिन्दूलॉका यह सिद्धांत है कि बटवारा वह वस्तु है कि जिसके होजानेसे मुश्तरका ख़ानदानके आदमी एक दूसरेसे अलग होजाते हैं और फिर वे कोपार्सनर नहीं रहते तथा सरवाइवरशिपका हक टूट जाता है।

मिताक्षरास्कूलके अनुसार मुश्तरका ख़ानदानके लोगोंकी अलहदगी दो तरहसे होती है, एक तो हक़का बटवारा दूसरा जायदादका बटवारा। हक़का बटवारा उसे कहते हैं जिसमें सब कोपार्सनरोंके हिस्से निश्चित करके उसका मुनाफा भी अलग अलग करदिया जाय और ऐसा होजानेके बाद सब कोपार्सनर टेनेन्ट इन् कामन (Tenent in Common) देखो दफा ५५८) के तौरपर अपने हिस्सेपर क़ाबिज़ रहते हैं जायदादके बटवारेमें जायदाद नाप जोखकरके सबका हिस्सा अलग अलग करदिया जाता है और सरवाइवरशिप ' का हक़ टूट जाता है। सरवाइवरशिपका हक़ देखो दफा ५५८.

दायभाग स्कूलके अनुसार बटवारा यह है कि कोपार्सनरोंके हिस्सेके अनुसार जायदाद उनमें बांट दीजाय क्योंकि दायभागमें हरएक कोपार्सनरके हिस्से निश्चित रहतेहैं। दफा ४६८.

दफा ५०४. बटवारा करवानेका कौन हक़दार है ?——आम क़ायदा यह है कि किसी जायदादमें जिन लोगोंका हिस्सा हो बटवारा करा सकते हैं—देखो शंकरबख्श बनाम हरदेवबख्श 16 I. A. 71 ; 16 Cal 397 ; सेक्रेटरी आफ स्टेट बनाम कामाक्षीबाई साहबा 7 M.I.A. 476-537 ; 4 W.R.P.C. 42-45 ; विधवाओंके लिये 24 Mad 441.

बंबईको छोड़कर अन्यत्र ऐसा क़ायदा है कि अगर किसी कोपार्सनरी जायदादके हिस्सेदारोंने आपसमें बटवारा न करनेका इक़रार करलिया हो तो इस इक़रारसे सिर्फ वही हिस्सेदार पाबंद किये जायेंगे जिन्होंने ऐसा किया है—देखो श्रीमोहन. ठाकुर बनाम मेकरीगोर 28 Cal. 769 ; 3 C. W. N. 126 ; राजेन्द्रदत्त बनाम श्यामचन्द्रमित्र 6 Cal. 106 ; 12 C. W. N. 793 ; 28 Cal 769 ; सुबरैय्याटउकर बनाम राजाराम टउकर 25 Mad. 585 , मगर उनके उत्तराधिकारी ऐसे इक़रारके पाबंद नहीं होंगे और न वे लोग होंगे जिन्हें वे जायदाद दे गये हों (वसीयत या दानके द्वारा). देखो अनाथनाथ देव बनाम मकिनतोश 8 B. L.R. 60 ; आनन्द चन्द्रघोष बनाम प्राणकिस्टो दत्त 3 B. L. R. O. C. 14 ; 11 W. R. O. C. 19 ; 36 Bom. 53 ; 13 Bom. L. R. 963.

बंबईमें मानागया है कि अगर ऐसा इक़रार करभी लियागया हो तो वह पाबंद नहीं करता देखो-रामलिंगा बनाम विरूपाक्षी 7 Bom. 538.

वसीयतनामेंमें शर्त-अगर कोई अपने वसीयत नामेमें यह शर्त रखे कि मेरे मरनेके बाद जायदादका बटवारा न हो तो इस शर्तका कुछभी असर न होगा। क्योंकि दानके साथ ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई जासकती। देखो-मकुंदलाल शाह बनाम गनेशचन्द्रशाह 1 Cal 104 ; राय किशोरीदास बनाम देवेन्द्रनाथ सरकार 15 I.A. 37 ; 15 Cal 409 ; और देखो Act No. 10 of 1865 S. S. 125.

इसी तरह जायदादका मालिक अपनी ज़िंदगीमें अपने वारिसोंसे यह मुआहिदा नहीं करसकता कि मेरे मरनेके बाद जायदादका बटवारा न हो या बटवारा न किया जाय देखो-राजेन्द्रदत्त बनाम श्यामचन्द्रमित्र (1880) 6 Cal 106.

किसी रवाजके अनुसार या सरकारसे मिले हुए दानको किसी शर्तके अनुसार जायदाद ऐसी होसकती है कि जिसका बटवारा नहीं होसकता देखो—विनायक बनाम गोपाल 30 I. A. 77 ; 27 Bom 353 ; 7 C. W. N. 409 ; 5 Bom. L. R. 408. और देखो दफा ३० से ३५ रवाज तथा दफा ५२६,

बटवारेसे अदालत इनकार नहीं करेगी-नाबालिग़के मामलेको छोड़कर और किसी मामलेमें अदालतको यह अधिकार नहीं है कि बटवारेकी आज्ञा देनेसे इनकार करे देखो-सै-

लाम बनाम चिन्नामल 24 Mad 441 ; लाड़े बनाम सदाशिव 6 Bom. L. R. 35.हरएक कोपार्सनरको अधिकार है कि मुश्तरका ख़ानदानसे अलग होजाय लेकिन वह मुश्तरका ख़ानदानके दूसरे लोगोंको उनकी मरज़ीके ख़िलाफ बटवारा करालेनेको मजबूर नहीं करसकता देखो-मंजनाथ बनाम नारायन 5 Mad 362.

मिताक्षरास्कूल—मिताक्षरास्कूलके अनुसार हरएक बालिग़ कोपार्सनर ज़बरदस्ती मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादका बटवारा करासकता है लेकिन शर्त यह है कि पिताके जीवित रहते दादा और पोतेमें या पिता और दादाके जीवित रहते पर दादा और परपोतेके दरमियान बटवारा नहीं होसकता-देखो-विशनचन्द्रराय बनाम असमेदाकुंवर 11 I. A. 164 ; 6 All 560 ; इसके विरुद्ध देखो जुगुलकिशोर बनाम शिव सहाय 5 All. 430 ; 16 Bom. 29 ; इस विषयमें मनु कहते हैं किः—

ऊर्ध्वं पितुश्च मातुश्च समेत्य भ्रातरः समम्
भजेरन्पैतृकं रिक्थ मनीशास्ते हिजीवतोः ९-१०४

सब भाई अपने मातापिताकी मृत्यु होनेपर मौरूसी धनको बराबर बांट लें, किंतु उनके जीवित रहनेपर धन बांटनेका पुत्रोंको अधिकार नहीं है, मगर अब यह बात दायभाग स्कूलको छोड़कर अन्यत्र नहीं मानीजाती–माना यह गया है कि वे लोग जो मुश्तरका जायदादमें अपना हक़ रखते हैं हरवक्त अपने अपने हिस्सेका बटवारा करासकते हैं बटवारेके समय सिर्फ उनको अपनी रिश्तेदारीसे अपना हक़ निश्चित करना पड़ेगा–देखो–भट्टाचार्य्यका हिन्दूलॉ 2 ed P. 322 ; मिताक्षरास्कूलमें कोई स्त्री बटवारा ख़ुद नहीं करासकती ।

दायभागस्कूल--दायभागस्कूलमें हरएक बालिग़ कोपार्सनर चाहे वह स्त्री हो या पुरुष कोपार्सनरी जायदादका बटवारा ज़बरदस्ती करासकता है देखो दफा ४६८ ; नज़ीर देखो–31 Cal 214 ; 8 C. W. N. 11.

दफा ५०५. बेटे पोते और परपोतेके बटवारेका हक़———मिताक्षरास्कूलके अनुसार लड़का मुश्तरका जायदाद चाहे वह मनकूला या ग़ैर मनकूला हो बापसे बटवारा करासकता है देखो--जगमोहनदास मंगलदास बनाम मंगलदास नाथूभाई 10 Bom 528 ; सूर्यवंशी कुंवरि बनाम शिवप्रसादसिंह 6 I. A. 88--100 ; 5 Cal 148 ; 4 C. L. R. 226 ; 16 Bom 29 ; राजारामतिवारी बनाम लक्ष्मणप्रसाद 1867 B. L. R. F. B. 731 ; 8 W. R. C. R. 15-20 ; लालजीतसिंह बनाम राजकुमारसिंह 12 B. L. R. 373 ; 20 W. R. C. R. 336 ; 18 Mad 179 ; 1 All 159 ; 12 Bom 280 ; 16 Bom. 29 ; 7 Bom L. R. 232 ; 18 Mad 179.

परन्तु वह अपने दादासे बापके मरनेके पश्चात् और परदादासे बाप और दादाके मरनेके पश्चात् बटवारा करासकता है 1 Mad. H. C. 77 ; यह भी माना गया है कि अगर बाप और दादा दोनों ज़िंदा हों और उनके हाथसे जायदाद ख़राब हो रही हो तब लड़का बटवारा करासकता है देखो-रामेश्वरप्रसादसिंह बनाम लक्ष्मीप्रसादसिंह 31 Cal 111.

बेटा अपने बापसे तभी बटवारा करासकता है जब बाप अपने बाप (दादा) या भाइयों तथा दूसरे कोपार्सनरोंके शामिल शरीक न रहता हो । अगर रहता हो तो बेटा अपने बापसे बटवारा नहीं करासकता देखो 6 All 560-574 ; 11 I. A. 164-179 ; 16 Bom 26. 7 Bom. L. R. 232; मगर इलाहाबाद हाईकोर्ट कीराय इससे सहमत नहीं है देखो जुगुल किशोर बनाम शिवसहाय 5 All 430.

पुत्र—अगर मुश्तरका ख़ानदानमें केवल बाप और उसके लड़के हों तो प्रत्येक बालिग़ लड़का मुश्तरका जायदादका बटवारा बापसे करासकता है देखो-सूर्यवंशीकुंवर बनाम शिव. प्रसाद 5 Cal 148; 6 I. A. 88; 10 Bom. 528; 1 All 159.

पौत्र-अगर मुश्तरका ख़ानदानमें केवल दादा और पोता मौजूद हैं तो पोता मुश्तरका जायदादका बटवारा अपने दादासे करासकता है देखोः—1 Mad. H. C. 77; 12 Beng L. R. 373.

प्रपौत्र-अगर मुश्तरका ख़ानदानमें केवल परदादा और परपोता मौजूद है तो परपोता मुश्तरका जायदादका बटवारा परदादासे करासकता है देखो-वेस्ट ऐन्ड बुहलरका हिन्दूलॉ P. 672.

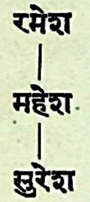

उदाहरण— (१) एक मुश्तरका हिन्दू ख़ानदानमें रमेश, महेश, और सुरेश रहते हैं, सुरेशका बाप महेश और दादा रमेश है। सुरेशने मौरूसी मुश्तरका जायदादके बटवारेका दावा अपने बाप महेश और दादा रमेशपर किया। अब प्रश्न यह है कि क्या सुरेश बटवारेका ऐसा दावा करसकता है? देखो बंबई हाईकोर्टके अनुसार ऐसा दावा नहीं होसकता क्योंकि सुरेशका बाप महेश जिंदा है और वे दोनों शामिल शरीक रहते हैं मगर इलाहाबाद हाईकोर्टके अनुसार सुरेश ऐसा दावा करसकताहै। इलाहाबाद हाईकोर्टने यह माना कि पोतेका हक़ उसकी पैदाइशसे मुश्तरका जायदादमें जब था तो वह अपना हिस्सा बटा पानेके लिये मजबूर करसकता है। इसीरायको मदरास हाईकोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्टने भी पसंद किया है देखो 18 Mad 179-183; 31 Cal 111-128.

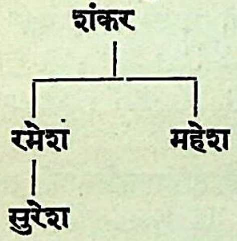

(२) मुश्तरका ख़ानदानमें शंकर पहिले मरगया अब रमेश और उसका लड़का सुरेश तथा भाई महेश रहते हैं। सुरेशने मौरूसी मुश्तरका जायदादके बटवारेका दावा अपने बाप रमेश और अपने चाचा महेशपर किया। अब प्रश्न यह है कि क्या ऐसा दावा होसकता है? बम्बई हाईकोर्टके अनुसार सुरेश ऐसा दावा नहीं करसकता क्योंकि उसका बाप रमेश अपने भाई महेशके साथ मुश्तरका रहता है इलाहाबाद हाईकोर्टके अनुसार सुरेश ऐसा दावा कर सकता है देखो सरताज बनाम देवराज 10 All 272; 15 I. A. 51.

दफा ५०६. स्त्रियोंके परस्पर बटवारा——जब दो या दोसे ज़्यादा स्त्रियां किसी जायदादकी मुश्तरकन् मालिक हों जैसे विधवायें या बेटियां जो उत्तराधिकारके अनुसार मालिक हुई हैं (दफा ६०४; ६०५). तो उनमेंसे हरएक बटवारा करासकती है-सुंदर बनाम पार्वती 16 I. A. 186; 12 All 51; 11 Mad 304; 33 All 443; 24 Mad 441; 3 Mad. H. C. 424. लेकिन इस बटवारेसे सरवाइवरशिप (दफा ५५८) के हक़पर कुछ असर नहीं पड़ेगा देखो 4 I. A. 212; 8 C. W. N. 658; 6 B. L. R. 134; 31 Bom. 360. तथा यह बटवारा इसतरहसे करना योग्य होगा कि रिवर्ज़नरके हक़पर कोई बुरा असर न पड़े-पालकुंवर बनाम पंवासकुंवर 8 C. W. N. 658; 9 Cal 580.

स्त्रियोंका इसतरहका बटवारा सिर्फ दायभागस्कूलमें होता है मिताक्षरास्कूलमें ऐसा तभी होगा जब कि पिता या पतिने अपनी अलग कमाई हुई कोई जायदाद छोड़ी हो या पिता

या पतिके मरनेके बाद कोई कोपार्सनर जीवित न रहा हो या शायद ऐसे मामलेमें भी जिसमें कि बटवारा करते समय पत्नियोंको भी हिस्सा दिया गया हो।

जब कि विधवा या लड़की बटवारा करानेकी हक़दार हो तो उसके हिस्सेका ख़रीदार भी वैसाही अधिकार रखता है देखो-जानकीनाथ मुखोपाध्याय बनाम मथुरानाथ मुखोपाध्याय 9 Cal 580; 12 Cal. L. R. 215.

जब कि हिन्दू विधवा बटवारेकी हक़दार हो और यह भय हो कि वह अपने हिस्सेकी जायदाद ख़राब करडालेगी तो अदालत बटवारेकी डिकरी देते समय कोई ऐसा प्रबंध अवश्य करदेगी कि जिससे जायदादकी रक्षा होवे तथा रिवर्ज़नरोंके हक़में नुक़सान न पहुंचे- देखो—दुर्गानाथ प्रमाणिक बनाम चिंतामणिदासी 31 Cal 214; 8 C. W. N. 11; 9 Cal 580; 12 Cal. L. R. 215.

जब कोई विधवा बटवारेका दावा करे तो अदालतको अधिकार है कि वह दावेको सुननेसे इनकार करदे और अगर वह चाहे तो सुने-देखो—महदेयीकुंवर बनाम हरखनरायन 9 Cal 244 P. 250; 2 Cal 262.

नोट—अदालत बहुत करके विधवाके दावेको नहीं सुनेगी और ख़ासकर पुत्र रहित विधवाके दावेको बिल्कुल नहीं सुनेगी। बनारसस्कूलमें विधवा, लड़की, मां दादी और परदादी बटवारा नहीं करासक्तीं और जिस स्कूलमें ऐसा माना गया है वहां एक थोड़ेसे हिस्साके ख्यालसे प्रायः अदालत बटवारेसे इनकार करदेती है।

दफ़ा ५०७. नाबालिग़ कोपार्सनर——जब कोई कोपार्सनर नाबालिग़ हो और यह देखा जाय कि जायदादके मुश्तरका रहनेसे उसका नुक़सान होता है मसलन् इस तरह कि दूसरे कोपार्सनर जायदाद ख़राब करते हों या नाबालिग़के विरुद्ध अपना कोई हक़ क़ायम करते हों या उसके पालन पोषणका ख़र्चा देनेसे इनकार करते हों या और किसी सूरतमें जब कि बटवारेमेंही नाबालिग़का फायदा देखा जाता हो तो उसकी तरफसे बटवारेका दावा उसके बापके विरुद्ध भी किया जासकता है। देखो-8 Cal 537; 10 C. L. R. 402; 19 Bom. 99; 12 Mad 401; 25 W. R. C. R. 497; भोलानाथ बनाम घासीराम 29 All 373.

अगर यह सूरतें कोई नहीं जैसा कि ऊपर कही गयी हैं तो नाबालिग़की तरफसे बटवारेका दावा नहीं किया जासकता देखो-34 I. A. 107; 31 Bom 373.

अगर बटवारेका दावा करनेके बाद बाप मरजाय तो नाबालिग़ पुत्रकी ओरसे उस दावेको आगे चलानेमें भी यही ऊपरका सिद्धान्त लागू होगा-देखो--पारवती बनाम मुंजकरंथ 5 Mad. H. C. 193. लेकिन अगर उस दावाको आगे नहीं चलानेसे जायदादमें नाबालिग़के हक़पर कोई बुरा असर न पड़ता हो तो दावा आगे नहीं चलाया जायगा।

साधारणतः हिन्दू मुश्तरका ख़ानदानके नाबालिग़का लाभ इसीमें है कि उसका हिस्सा अलग न किया जाय इससे यह स्पष्ट है कि बटवारेमें नाबालिग़का लाभ नहीं है क्योंकि जायदादके मुश्तरका बने रहनेसेही उसकी ज्यादा आमदनी होती है और इसतरह अधिक लाभ होता है बटवारा करदेनेपर आमदनी घटनेसे अवश्य हानि है इसके सिवाय नाबालिग़के लिये मिताक्षराके अनुसार एक यह हानि भी है कि बटवारेके बाद नाबालिग़ सरवाइवरशिपका लाभ खोदेता है। देखो-कामाक्षी अम्मल बनाम चिदम्बरारेड्डी 3 Mad. H. C. Rep 94.

नाबालिग़की तरफसे बटवारा करानेकी जो ख़ास शर्तें ऊपर बयान की गयी हैं उनके

मौजूद होनेसे नाबालिग़के वलीको यह अधिकार है कि बटवारा करे 36 I.A.71; 31 All. 412; 13 C.W.N. 983; 11 Bom.L.R.978. जगन्नाथ बनाम मानूलाल 16All.231. के मामलेमें माना गया कि वली पंचायतसे भी नाबालिग़की तरफसे बटवारा करा सकताहै।

जब कि पंचायतसे या समझौतेसे या कलक्टर साहेबकी आज्ञासे बटवारा होगया हो तो नाबालिग़ भी उसका पाबंद है और उस आज्ञाके अनुसार वह बटवारा करा सकता है मगर शर्त यह है कि उस बटवारेका नाबालिग़पर कोई बुरा असर न पड़ता हो और वह बटवारा उचित हो और बटवारेके समय नाबालिग़का कोई प्रतिनिधि मौजूद हो और वह प्रतिनिधि भी ऐसा हो जो नेकनीयतीसे नाबालिग़के लाभके लिये ही काम करता हो। नीचे नज़ीरें देखो—जब पंचायतसे बटवारा हुआ हो-रामनारायण प्रमानिक बनाम श्रीमती दोसी 1 W. R. C. R.281; जब समझौतेसे-10 W. R. C. R. 273; 8 B. L. R. 363; जब कलक्टर साहेबकी आज्ञासे-हरीप्रसादझा बनाम मदनमोहन ठाकुर 8 B.L.R. Ap.72; 17 W. R, C. R. 217; 29 All. 37; नाबालिग़का कोई प्रतिनिधि बटवारेके समय होना चाहिये--लालबहादुरसिंह बनाम शिशुपालसिंह 14 All. 498; कृष्णाबाई बनाम खंगौड़ा 18 Bom. 197; प्रतिनिधि अज्ञानकाही लाभ देखे—कालीशंकर बनाम देवेन्द्रोनाथ 23 W. R. C. R. 68; 19 Bom- 593; 2 Mad. H. C. 182; 29 Mad. 62.

दफा ५०८. बटवारेके बाद लड़केका पैदा होना—मिताक्षराके माननेवाले किसी कुटुम्बमें जब बाप और बेटोंके परस्पर बटवारा होजाय और उसके बाद उस बापके फिर पुत्र उत्पन्न हो तो यह पुत्र अपने भाइयोंकी जायदादमेंसे कोई हिस्सा नहीं पावेगा यानी जायदादका बटवारा फिर नहीं होगा देखो—4 Mad. H. C. 307; 33 Bom. 267; 10 Bom. L. R. 778; 1 Bom. L. R. 123; और देखो दफा ६०३-३.

(१) परंतु यदि बटवारेके समय वह पुत्र माके गर्भमें रहा हो तो अवश्य बटवारा होगा-मीनाक्षी बनाम वीरअप्पा 8 Mad. 89.

बटवारेके समय गर्भस्थित पुत्रको हिस्सा मिलेगा इस विषयमें लघुहारीतस्मृति देखो-

ये जाता येपिचा जाता येच गर्भेव्यवस्थिताः
वृत्तिंतेऽपिहिकाङ्क्षंति वृत्तिदानं न सिध्यति श्लो० ११५

जो मनुष्य पैदा हुए हैं या जो नहीं पैदा हुए या जो गर्भमें स्थित हैं वे सब निजवृत्तिकी कांक्षा करतेहैं इस लिये मौरूसी जायदाद किसीके बांट लेने या दान कर देनेसे उनका हक़ नहीं चला जाता। और देखो-याज्ञवल्क्यका वचन—

'विभक्तेषु सुतो जातः सवर्णायां विभागभाक्'

सवर्णा स्त्रीमें पैदा हुआ पुत्र जो बटवारेके बाद जन्मे वह फिरसे अपने हिस्से का बटवारा करा सकताहै यही बात हिन्दूलॉमें भी मानी गयीहै कि जो लड़का बटवारा होजानेके पश्चात् पैदा हो मगर बटवारेके समय गर्भमें हो वह अपने हिस्सेके पानेका अधिकारी वैसाही है जैसा कि बटवारेके समय उसके मौजूद होनेकी सूरतमें होता इस लिये अगर बटवारेमें उस गर्भस्थित लड़केका हिस्सा रक्षित न रखा गया हो तो वह पैदा होनेपर फिर उस जायदादका बटवारा करा सकता है और अपना हिस्सा लेकता है देखो-4 Mad. H. C. 307; 12 Bom. 105, 108, 109.

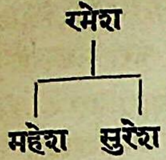

उदाहरण—(१) रमेश और उसके दो लड़के महेश और सुरेश तीनों मुश्तरका खानदानमें रहते हैं बाप और दोनों बेटोंके दरमियान मौरूसी जायदादका बटवारा हो गया उस समय रमेशकी स्त्री गर्भवती थी और यह बात घरके सब लोगों को मालूम थी ऐसी सूरतमें कुल जायदाद चार बराबर भागोंमें बटना चाहिये यानी रमेश और उसके दो पुत्र जीवित तथा एक वह पुत्र जो गर्भमें है। जायदादका प्रत्येक ¼ हिस्सा जीवित हिस्सेदार लेंगे और एक चौथाई हिस्सा गर्भस्थित पुत्रके लिये रक्षित रखा जायगा। अगर पुत्र पैदा हुआ तो वह अपना हिस्सा लेगा और अगर लड़की पैदा हुई तो वह हिस्सा फिर तीनोंको बांट दिया जायगा यानी रमेश और उसके दोनों पुत्रोंको। गर्भस्थित पुत्रके अधिकार देखो दफा ४६०.

(२) अगर बापने बटवारेके समय अपना हिस्सा लियाहो उसके बाद यदि पुत्र पैदा हुआ हो मगर बटवारेके समय गर्भमें न हो वह पुत्र अपने बापकी सब जायदादका अकेला मालिक होगा अर्थात् बटवारेके समय जो जायदाद उसके बापको मिली हो और जो जायदाद उसके बापके पास बटवारेसे पहिले हो या पीछेसे कमाई गई हो वह सब उस पुत्रको मिलेगी देखो कालिदास बनाम कृष्ण 2 Beng. L.R. F. B. 103-118; नवलसिंह बनाम भगवानसिंह 4 All. 427 ; 23 Bom. 636.

मनु कहते हैं कि—ऊर्ध्वं विभागाज्जातस्तु पित्र्यमेव धनं हरेत् ९-२१६.

बटवारेके बाद जो लड़का पैदा हो वह अपने बापके सब धनको पाता है। और देखो-

अनीशः पूर्वजः पित्रोभ्रातुर्भागे विभक्तजः
पुत्रैः सह विभक्तेन पित्रायत्स्वयमर्जितम्
विभक्तजस्य तत्सर्वं मनीशाः पूर्वजाः स्मृताः। बृ० शाता०

बिना बटवारा किये पुत्र, पिताकी जायदाद नहीं पासकता, बटवारेके बाद जन्मे पुत्रको पिताकी सब जायदाद मिलती है। उसमें बटे हुए पुत्रोंका हक़ नहीं हैं।

बटवारेसे मिली हुई जायदाद और अपनी सब संपत्तिको यदि बापने ख़र्च कर दिया हो, उसने अपने पुत्रके लिये कुछ न छोड़ा हो जो बटवारेके बाद पैदा हुआ है तो ऐसी सूरतमें उसे कुछ नहीं मिलेगा देखो-शिवाजीराव बनाम बसंतराव 33 Bom. 267.

अगर बाप बटवाराहोने के बाद कुछ लड़कोंसे तो अलग और कुछ लड़कों के साथ मुश्तरका रहता हो पीछे कोई पुत्र पैदाहोवे तो वे सब पुत्र जिनके साथ बाप रहताथा बराबर हिस्सेसे जायदाद बांट लेंगे।

यदि बापने बटवारेके समय अपना हिस्सा नहीं लिया और बिना हिस्सा लिये सब लड़कोंसे अलहदा होगया उसके बाद पुत्र पैदा हुआ तो वह मुश्तरका जायदादका फिरसे बटवारा करायेगा और अपना हिस्सा वह सिर्फ उसी जायदादमें नहीं बटायेगा जो पहिलेके बटवारेके समय थी बल्कि वह उस कुल जायदादमें भी अपना हिस्सा बटायेगा जो उस जायदादकी मददसे दूसरी और कोई जायदाद पैदा की गयी हो-देखो 20 Mad 75 ; W. Mac Hindu Law Vol 1 P. 47.

अगर पिताके मरनेपर भाइयोंमें बटवारा हुआ हो और पीछें माके गर्भसे कोई लड़का पैदा होजाय अथवा यदि कोई भाई अपनी स्त्रीको गर्भवती छोड़कर मरगया हो और बटवारेके

पीछे उसके लड़का पैदा होजाय तो दोनो सूरतोंमें फिरसे बटवारा होगा और जन्मे हुए लड़कोंको हिस्सा मिलेगा-याज्ञवल्क्यने कहा है कि—' दृश्याद्वा तद्विभागः स्या दाय व्यय विशोधितात् ' दायभागे। ऐसी सूरतमें बटवारेके समय जो जायदाद हो और पीछे जो उसकी मददसे पैदा कीगयी दोनोंमें उन्हें हिस्सा मिलेगा। इसीलिये मिताक्षराकार कहते हैं कि जब ऐसा मौक़ा उपस्थित हो तब बटवारा करनेवालोंको चाहिये कि गर्भके प्रसवका इन्तज़ार करके बटवारा करें देखो—— ' अथ भ्रातॄणां दायविभागो यश्चानपत्याः स्त्रियस्तासामा पुत्रलाभात् गृहीतगर्भणा माप्रसवात्प्रतीक्षण मितियोजनीयम्–मिताक्षरा।

दफा ५०९. दत्तकपुत्र——दत्तकपुत्र और दत्तकपुत्रका पुत्र, तथा पौत्र, भी बटवारा करापानेका मुश्तरका जायदादमें उतनाही हक़ रखताहै जितना कि औरस पुत्र और उसका पुत्र तथा पौत्र रखता है। 4 Cal 425 ; 1 Mad. H. C. 45 ; 7 Mad 253.

दफा ५१० अनौरसपुत्र—(१)यह बात सब हाईकोर्टोंने मानी है कि द्विजों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) में अनौरस पुत्र न तो उत्तराधिकारमें जायदाद पावेगा और न बटवारेमें हिस्सा पावेगा। वह सिर्फ रोटी कपड़ेके पानेका अधिकारी है-देखो बुशानसिंह बनाम बलवंत सिंह 22 All. 191 ; 27 I. A. 51 ; 7 M. I. A. 18.

(२) शूद्रोंमें दासीपुत्रका कुछ अधिकार यद्यपि शास्त्रोंमें माना गया है मगर क़ानूनमें चाहे मिताक्षरालॉ या चाहे दायभागलॉ का मामला हो दोनोमें उसका सिर्फ रोटी कपड़ा पानेका हक़ स्वीकार कियागया है–देखो–रामसरन बनाम टेकचन्द 28 Cal 194 ; 1 Cal. 1 कृपाल बनाम सुकरमनी 19 Cal.91.

बंबई, मदरास, और इलाहाबाद हाईकोर्टके अनुसार मानागया है कि जो औरत किसी आदमीके पास सिर्फ उसीके लिये हमेशा बहुत दिनोंसे रहती हो उसके अनौरस पुत्रका कुछ हक़ उत्तराधिकारकी जायदादमें और बटवारेमें है–देखो—1 Bom. 110 ; साधू बनाम बैजा 4 Bom 37 ; 7 Mad. 407 ; 12 Mad 72; सरस्वती बनाम मानू 2 All 134 हरगोविंद बनाम धर्मसिंह 6 All. 329.

अनौरस पुत्रका कोई हक़ अपनी पैदाइशसे मौरूसी जायदादमें नहीं होता देखो—जोगेन्द्रो बनाम नित्यानन्द 18 Cal. 151—155 ; 17 I. A. 128; 28 Cal. 194--294.

अनौरस पुत्र बापसे भी मौरूसी जायदादका बटवारा नहीं करासकता-देखो-साधू बनाम बैजा 4 Bom. 37—44.

बाप अपनी ज़िंदगीमें अगर चाहे तो मौरूसी जायदादमें औरस पुत्रोंके बराबर अनौरस पुत्रको हिस्सा देदे मगर वह ज्यादा नहीं दे सकता-देखो–23 Mad 16 ; अनौरस पुत्र अपने बापके मरनेपर, बापके दूसरे औरस पुत्रोंपर जायदादके बटवारेका दावा नहीं करसकता और न बापके किसी कोपार्सनरपर बटवारेका दावा करसकता है देखो–4 Bom. 37; 12 Mad. 401 ; 25 Mad 429 ; 27 Mad 32 ; 10 Mad 334.

यह बात साफ तौरसे निश्चित नहीं हुई कि औरस भाइयोंके साथ अनौरस पुत्रका बटवारेमें कितना हिस्सा मिलेगा, मगर जो कुछ तय हुआ है उसके लिये देखो--इस किताबकी दफा ६०३.

दफ़ा ५११. ग़ैर हाज़िरकोपार्सनर——ग़ैर हाज़िर कोपार्सनरके हक़पर बटवारेका क्या असर पड़ताहै इस विषयमें सर तामस स्ट्रेन्जने अपने हिन्दूलॉके Vol. 1 P. 206-207 में कहा है कि इस विषयमें विदेशमें गये हुये ग़ैर हाज़िर कोपार्सनरकी भी वही हालत है जो नाबालिग़की है। बटवारेके समय उसकी भी रज़ामंदी नहीं ली जासकती इसलिये बटवारा उसकी ग़ैर हाज़िरीमें होगा। जैसे क़ानून किसी नाबालिग़के बालिग़ होनेतक उसके हिस्सेकी रक्षा करताहै उसी तरह उस ग़ैर हाज़िरकोपार्सनके लौटनेतक उसके हिस्सेकी रक्षा करता है। 'विदेश' का मतलब उन स्थानोंसे है जहांपर जल्द ख़बर नहीं पहुंच सकती जैसे पहाड़पर जाना, किसी बड़े जंगलमें जाना आदि-देखो-कोलब्रुककी डाईजेस्ट ii Vol. P. 29.

दफ़ा ५१२. हिस्से का ख़रीदार बटवारा करा सकता है——जब किसी कोपार्सनरका हिस्सा कुर्कीके नीलाममें किसी ग़ैर आदमीने ख़रीदा हो तो ख़रीदारको अधिकार है कि वह उस हिस्सेका बटवारा कराले, या कोपार्सनरने खुद मुन्तक़िल कर दिया हो (जहांपर ऐसा इन्तक़ाल जायज़ माना गया हो) तो ख़रीदारको बटवारे का वही अधिकार है जो कोपार्सनरको था। ख़रीदार उस हिस्सेके अलग करानेका अधिकारी है जिसे उसने ख़रीदा था, देखो-विपिनविहारी बनाम लाल मोहन चट्टोपाध्याय 12 Cal. 209; 9 Cal 580; 12. C. L. R. 215; 7 Mad 588; 11 Bom. H. C. 72; 22 W. R. C. R. 116; 20 W. R. C. R. 170; 18 W. R. C. R. 23.

अगर ख़रीदार ने कोपार्सनरोंके रहनेवाले घरका हिस्सा ख़रीद किया हो तो वह हिस्सा दूसरे कोपार्सनरोंके हाथ उसको अवश्य बेच देना होगा, इस बातके लिये ख़रीदार बाध्य किया जायगा-देखो-Act No. 4 of 1893 दफ़ा 4.

यदि किसी कोपार्सनरने मुश्तरका जायदादमेंका अपना हिस्सा किसी दूसरे आदमीके नाम दान कर दिया हो तो मिताक्षरालॉ जहां तक लागू होता है वहां पर ऐसा दान नाजायज़ समझा जायगा इसलिये दान लेनेवाला बटवारा नहीं करा सकता-देखो—बाबा बनाम टिम्मा 7 Mad. 357.

यह माना गया है कि जब किसी ख़रीदारने रज़ामंदीसे किसी कोपार्सनरका हिस्सा उसकी मुश्तरका जायदादमें ख़रीद किया हो तो वह बंबई और मदरास प्रांतमें ख़रीदे हुए हिस्सेके बटापानेका दावा कर सकता है मगर बंगाल और संयुक्त प्रांतमें जैसा कि मिताक्षराका अर्थ माना जाता है उसके अनुसार कोई कोपार्सनर विना मंजूरी दूसरे सब कोपार्सनरोंकी मुश्तरका जायदादका अपना हिस्सा बेच नहीं सकता इसलिये ख़रीदारके बटवारा करापानेका हक़ ऐसी जायदादमें अनिश्चित है।

(२) स्त्रियोंका अधिकार।

दफ़ा ५१३. बटवारेके समय पत्नीका अधिकार—पत्नीसे मतलब यह है कि जिसका पति जीवित हो-इस विषयमें याज्ञवल्क्य कहते हैं कि—

यदि कुर्यात्समानंशान् पत्न्यः कार्याः समांशिकाः
नदत्तं स्त्रीधनं यासां भर्त्रावा श्वशुरेण वा-व्यव० ११५

यदा स्वेच्छयापिता सर्वानेवसुतान् समविभागिनः करोति तदा पत्न्यश्च पुत्रसमांशभाजः कर्तव्याः यासां पत्नीनां भर्त्रा श्वशुरेणवा स्त्रीधनं नदत्तं । दत्तेपु स्त्रीधने अर्द्धांश वक्ष्यति दत्तेत्वर्धं प्रकल्पयेत् इति मिताक्षरा--

जव पिता अपनी इच्छासे पुत्रोंको समान भाग करके जायदाद वांटता हो तो अपनी उन पत्नियोंको भी पुत्रोंके बराबर हिस्सा दे जिन्हे पति या श्वशुरने स्त्रीधन न दिया हो । यदि दिया हो तो पुत्रके हिस्सेसे आधा हिस्सा देवे । मगर हिन्दूलॉके अनुसार पिताकी इच्छा नहीं मानी जाती, उपरोक्त वचनका जैसा कि अर्थ स्कूलोंमें माना जाता है उसके अनुसार माना गया है कि—

दक्षिण हिन्दुस्थानको छोड़कर अन्यत्र मिताक्षरालॉका यह नियम है कि जव बाप और बेटोंके परस्पर बटबारा हो तब एक पुत्रके हिस्सेके बराबर बापकी पत्नी (माता या सौतेली माता) को भी एक हिस्सा मिलेगा, यह हिस्सा उसके भरण पोषणके बदलेमें मिलेगा-देखो-दामोदर मिसिर बनाम सनाबुटी मिसराइन 8 Cal 537; 10 Cal. L. R. 401; दुलार कुंवर बनाम द्वारिकानाथ मिसिर 32 Cal 234; 9 C. W. N. 270; सुमिरन ठाकुर बनाम चन्द्रमणि मिसिर 8 Cal 17; 9 C. L. R. 415; महावीर प्रसाद बनाम रामयादसिंह 12 B. L. R. 90-99; 20 W. R. C. R. 192; ललजीत सिंह बनाम राजकुमार सिंह 12 B. L. R. 373; 20 W. R. C. R. 387; प्रसिद्ध नारायन सिंह बनाम हनूमान सहाय 5 Cal 845; 5 C. L. R. 576; 31 Bom. 44.

अगर बापकी पत्नी (माता या सौतेली माता) को उसके पति (बाप) या ससुर ने कोई अलहदा जायदाद दे दी हो तो बाप और बेटोंके परस्पर बटवारेके समय बापकी उस पत्नीको जायदादका इतना हिस्सा बटवारेमें दिया जायगा कि जो पहिले मिली हुई अलहदा जायदादमें मिलकर एक पुत्रके हिस्सेके बराबर बनजाय-देखो जैरामनाथ बनाम नाथू श्यामजी 31 Bom. 54; 8 Bom L.R. 632; 12 B.L.R. 90; 20 W.R C R. 192, 196.

यदि उसके पास एक लड़के के हिस्सेके बराबर या ज्यादा जायदाद पहिलेसे है तो बटवारेमें हिस्सा नहीं मिलेगा । नीचे उदाहरण देखो —

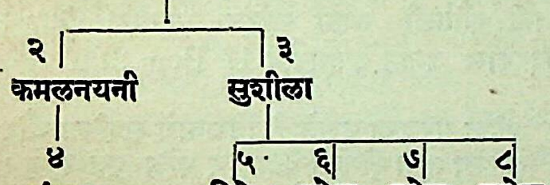

(१) महेशके दो स्त्रियां है कमलनयनी और सुशीला, कमलनयनी के एक पुत्र शंकर और सुशीलाके चार पुत्र हैं । शंकरने मौरूसी मुश्तरका जायदादके बटा पानेका दावा महेश अपने बापपर किया । ऐसी सूरतमें जायदाद आठ बराबर भागोंमें बंटेगी हरएक हिस्सेदार $\frac{1}{८}$ हिस्सा लेगा । महेशकी दोनों स्त्रियां एक लड़केके बराबर हिस्सा पायेंगी-देखो दुलारकुंवर बनाम द्वारिकानाथ 32 Cal. 234.

(२) अब ऐसा मानो कि महेशकी दो स्त्रियां हैं, सुशीला सिर्फ गणेश अपने एक पुत्रको छोड़कर मरगयी, पीछे गणेशने बटवारेका दावा बापपर किया । ऐसी सूरतमें जायदाद पांच बराबर भागोंमें वांटी जायगी । हरएक पांचवां हिस्सा लेगा । अब यह मानो कि सुशीला के पास पतिकी दीहुई १००) सालके मुनाफेकी जायदाद पहिलेसे है और इस पांचवें हिस्से

की आमदनी २००) रु० सालकी समझी जाती है तो ऐसी सूरतमें उसे ५ वें हिस्सेकी आधी जायदाद मिलेगी । जायदादकी दूसरी तरहकी क़ीमतका भी ख्याल किया जायगा ; देखो— 31 Bom. 54. पत्नीस्वयं बटवारा नहीं करा सकती ।

दायभाग स्कूल—दायभाग स्कूलमें यह प्रश्न उठताही नहीं क्योंकि वहांपर बाप अपनी पैदाकी हुई और मौरूसी जायदादका भी पूरा अकेला मालिक होता है । मगर जहां कहीं कभी कभी बाप और पुत्रोंके परस्पर बटवारा हुआ है वहांपर यह माना गया है कि बापकी जो पत्नियां पुत्रहीन हों उन्हे एक पुत्रके हिस्सेके बराबर हरएकको हिस्सा दिया जाय । परंतु यदि किसी पत्नी के पास स्त्रीधन की संपत्ति हो तो उसे एक पुत्र के हिस्सेसे आधा हिस्सा दिया जाय ।

दफा ५१४. बटवारेके समय माका हिस्सा——दक्षिणभारतमें यद्यपि यह कहा जाता है कि मा या सौतेली मा को बटवारेमें हिस्सा देनेका रवाज उठगया है तो भी यह नियम है कि जब बेटोंमें या बेटों और पोतोंके परस्पर कोपार्सनरी जायदादका बटवारा हो तो विधवा माता या सौतेली माताको भरण पोषणके खर्चके बदले एक पुत्र के हिस्सेके बराबर हिस्सा दिया जायगा ; देखो--8 Cal. 649 ; 11 C. L. R. 186 ; 31 Cal. 1065 ; 8 C. W. N. 763 ; 7 Cal. 191 ; 3 All. 118 ; 27 Cal. 551 ; 31 I. A. 10 ; 31 Cal. 262 ; 6 B.L.R. 1 ; 16 I. A. 115 ; 4 Cal. 756; 5 Cal.845 ; 12 Cal. 165 ; 10Cal. 1017 ; 3 All 88 ; 12 B.L.R.385 ; 17 Bom.271 ; 2 Bom. 494.

इस विषयमें याज्ञवल्क्य कहतेहैं कि 'पितुरूर्ध्वं विभजतां माताप्यंशं समंहरेत्-व्यव०' १२३ पिताके मरजानेपर भाइयोंके बटवारे के समय माताको एक पुत्रके हिस्सेके बराबर हिस्सा मिलेगा, उदाहरण देखो—

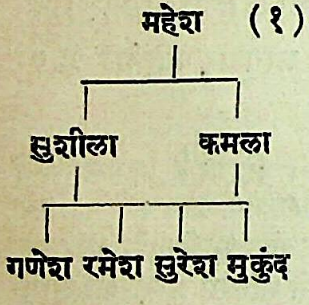

(१) महेशकी दो स्त्रियां हैं, सुशीला और कमला । कमला एक पुत्र मुकुंदको छोड़कर मरगयी । दूसरीके तीन पुत्रहैं । मुकुंदने अपने बाप महेशके मरनेपर मुश्तरका जायदादके बटापानेका दावा अपनी सौतेली मा और सौतेले तीनों भाइयोंपर किया । ऐसी सूरतमें जायदाद पांच बराबर हिस्सोंमे बाँटी जायगी । हरएक पांचवॉ हिस्सा लेगा यानी सौतेली माता सहित बटवारा होगा । देखो-——दामोदरदास बनाम उत्तमराम 17 Bom 271.

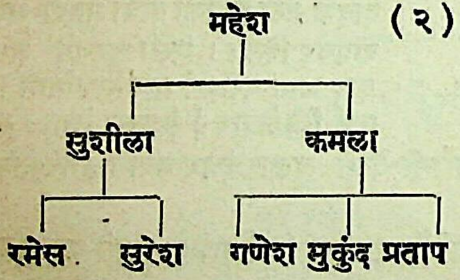

(२) महेश मरगया उसने दो विधवायें सुशीला और कमला तथा दोनोसे पैदा हुए पांच पुत्र छोड़े । अब दो माताएं और पांच पुत्र जीवित रहे पांचों पुत्रोंके परस्पर बटवारा हुआ तो कुल मुश्तरका जायदाद पहिले पांच बराबर भागों में पुत्रोंके हिसाबसे बाँटी जायेगी । पीछे रमेश और सुरेशको जितना हिस्सा मिलेगा वह उनकी विधवा माता सहित तीन बराबर हिस्सोंमें बंटेगा और इसी तरहपर कमलाके तीनपुत्रोंको जितना हिस्सा मिलेगा उसके सहित चार बराबर भागोंमें बांटा जायगा इस तरहपर बटवारा होगा, क्योंकि नियम यह है कि माता अपने एक

पुत्रके हिस्सेके बराबर हिस्सा पायेगी अर्थात् रमेश और सुरेशको $\frac{२}{५}$ हिस्सा उनकी माताके सहित मिला। इसमें हरएक $\frac{२}{५}$ हिस्सेका $\frac{१}{३}$ हिस्सा लेंगे; यानी हरएक $\frac{२}{१५}$ हिस्सा पायेगा। इसी प्रकार तीन भाइयोंको हिस्सा उनकी विधवा माता कमलाके सहित $\frac{३}{५}$ मिला। इसमेंसे हरएक $\frac{३}{५}$ हिस्सेमेंसे $\frac{१}{४}$ हिस्सा पावेंगे यानी हरएकको $\frac{३}{२०}$ हिस्सा मिलेगा। इस तरहसे सुशीला $\frac{२}{१५}$ और कमला $\frac{३}{२०}$ हिस्सा पावेगी।

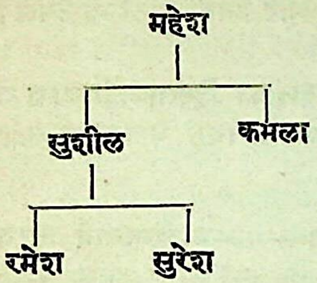

(३) महेश दो विधवाएं और दो पुत्र छोड़कर मरा कमलाके कोई पुत्र नहीं है। रमेशने सुरेशपर बटवारेकी नालिश की उसमें सुशीला और सौतेली मा कमलाको प्रतिवादी बनाया। ऐसी सूरतमें जायदाद चार बराबर हिस्सोंमें वंटेगी हरएक विधवा और पुत्र $\frac{१}{४}$ हिस्सा पावेंगे। यहांपर कमलाके कोई पुत्र नहींहैं इसलिये ऐसा हुआ।

नोट—माता स्वयं बटवारा नहीं करासकती देखो—गणेशदत्त बनाम जेवाच 31 Cal 262 ; 31 I. A. 10—15 के मुक़द्दमेंमें मानागया है कि यदि बटवारेमें माताका हिस्सा रक्षित न रखागया हो तो इस वजहसे बटवारा नाजायज़ नहीं होजायगा। माके हिस्सेका क़ायदा सिर्फ उसी समय लागू होगा जब कि बटवारा आमतौरसे हो अर्थात् अगर किसी अजनवी आदमीकी दरख़ास्त पर बटवारा हो तो उस सूरतमें ऐसा नहीं होगा यानी उस बटवारेमें सिर्फ अजनवी आदमीका उतना हिस्सा अलग करदिया जायगा जितना कि उसने ख़रीदा हो या नीलाममें लियाहो देखो 20 Cal 682.

अगर जायदाद बेटोंने मौरूसी जायदादकी सहायता विना स्वयं कमाई हो तो उसमें माका हिस्सा नहीं होता।

बंगालको छोड़कर अन्यत्र सब जगहपर यह नियम है कि पुत्रहीना विधवा माताको उसके सौतेले पुत्रोंके परस्पर बटवारा होनेके समय जायदादका एक पुत्रके बराबर हिस्सा दियाजायगा देखो 8 Cal 537 ; 10 C. L. R. 401 यह मिथिला केस है। यह स्पष्ट है कि जायदादका वह हिस्सा जो विधवामाताको दियाजायगा वह उसके भरण पोषणके लिये काफी होना चाहिये। यह ध्यान रहे कि जब बटवारा समाप्त होजायगा तभीसे अपने अपने हिस्सेकी मिलकियत पैदा होगी न कि उसके पहिलेसे—शिवदयाल तिवारी बनाम जदुनाथ तिवारी 9 W. R. 61 ; 12 Cal 96. माताके पास स्त्रीधन होनेसे पत्नीके विषयमें कहा हुआ नियम लागू होगा देखो दफा ५१३.

दायभाग—दायभाग स्कूलमें जब भिन्न भिन्न माताओंके पुत्रोंके परस्पर बटवारा हो तो प्रत्येक माताको उसके एक पुत्रके हिस्सेके बराबर हिस्सा मिलेगा; 16 Cal 758 में मानागया है कि पुत्र रहित सौतेली माको सौतेले पुत्रोंके साथ जायदादमें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। पति वसीयतनामेके द्वारा या ज़बानी या दूसरे आदमियोंसे कहकर ऐसी व्यवस्था कर सकता है कि बटवारेके समय उसकी स्त्रीको कोई हिस्सा न मिले क्योंकि पतिको जायदादपर पूर्ण अधिकार प्राप्त रहता है।

दफा ५१५. बटवारेके समय दादीका हिस्सा——अपने पोतोंके बीचमें बटवारा होनेके समय विधवा दादी एक पोतेके हिस्सेके बराबर हिस्सा पानेका अधिकार रखती है-देखो—सरोदादासी बनाम भुवनमोहन 15 Cal 202 ; 9 W. R. C. R. 61 ; 31 Cal

1065; 12 W. R. C. R. 409; परंतु पोतों और परपोतोंके बीचमें बटवारा होनेके समय उसे एक पोतेके हिस्सेके बराबर हिस्सा मिलेगा-31 Cal 1065.

जिस दादीकेभिन्न भिन्न पुत्रोंके पुत्र हों ऐसे पोतोंके परस्पर बटवारा होनेके समय दादीको हिस्सा मिलनेका यह नियम है कि यदि वे सब पोते जायदादका बराबर हिस्सा पाते तो उस एक हिस्सेके बराबर दादीको हिस्सा मिलेगा हालांकि पोतोंको जो हिस्सा मिलेगा वह इस बातपर निर्भर है कि वह अपने अपने बापके कितने पुत्र हैं और उनकी माता भी उनसे हिस्सा बटानेके लिये जीवित है या नहीं.

संयुक्तप्रांतमें पोतोंके परस्पर बटवारा होनेके समय दादीका हिस्सा नहीं माना गया है देखो—राधा बनाम बचामन (1880) 3 All 118; शिवनारायन बनाम जानकीप्रसाद (1912) 34 All. 505. दादी बटवारा नहीं करासकती.

दफा ५१६. बटवारेके समय परदादीका हिस्सा———हिन्दूलॉमें बटवाराके समय विधवा परदादीका हिस्सा नहीं माना गया, परंतु यदि कोई माने तो वही सूरत होगी जो मा और दादीके अधिकारमें होती है जैसा कि ऊपर कहा गया है।

दफा ५१७. बटवारेके हिस्सेमें स्त्रीधनका मुजरा होना———विधवाको हिस्सा देते समय यह देख लिया जायगा कि उसको उसके पति या ससुरसे कोई जायदाद आदि मिली थी या नहीं। यदि मिली हो तो उतनी जायदादका मूल्य कम करके उसे हिस्सा दिया जायगा-देखो—किशोरी मोहनघोष बनाम मनीमोहनघोष 12 Cal 165; जदुनाथ देव सरकार बनाम ब्रजनाथ देव सरकार 12 B. L. R. 385.

देखो याज्ञवल्क्यके श्लोक १२३ व्यव० का टीका करते हुए मिताक्षराकार कहते हैं-

पितुरूर्ध्वं पितुः प्रयाणादूर्ध्वं विभजतां मातापि स्वपुत्रांशसमं अंशं हरेत्
यदि स्त्रीधनं न दत्तम्। दत्ते त्वर्धांशहारिणीति वक्ष्येत्।

पिताके मरनेपर बटवारेमें माता भी एक पुत्रके हिस्सेके बराबर हिस्सा पायेगी अगर उसे कोई स्त्रीधन न दिया गया हो। दिया गया हो तो आधा हिस्सा पायेगी। हिन्दूलॉमें 'अपि' शब्दसे यह अर्थ निकाला गया कि माता, दादी, परदादी भी इसी प्रकार हिस्सा पायेंगी। 'अर्द्धांश' शब्दका व्यापक अर्थ यह माना गया कि उसे इतना हिस्सा बटवारेमें दिया जाय जो उसका स्त्रीधन मिलाकर एक पुत्रके हिस्सेके बराबर होजाय.

भरणपोषणका खर्च देते समय भी इस बातका ध्यान रखा जायगा। लेकिन यदि विधवाको कोई जायदाद अपने किसी पुत्रसे उत्तराधिकारमें मिली हो तो वह जायदाद बटवारेके समय हिसाबमें शुमार नहीं की जायगी-3 Cal 149; 36 Cal 75; 12 C. W. N. 1002.

यदि कोई ख़ास तौरसे इक़रार न किया गया हो तो सधवा या विधवाको बटवारेके समय जो हिस्सा मिलेगा उसमें उसके लाभका अधिकार सीमाबद्ध रहेगा दायभाग और मिताक्षरालॉ दोनोंमें यह बात ऐसेही मानी गयी है। अर्थात् वह हिस्सा जो बटवारेमें मिलता है उस स्त्रीके स्त्रीधनके वारिस नहीं पाते और न वह स्त्री उस हिस्सेको वसीयतके द्वारा किसीको देसकती है 11 C. W. N. 89. उस स्त्रीके मरनेपर वह हिस्सा उसके बेटों और पोतोंको या उनके वारिसोंको वापिस मिल जाता है कई मामलोंमें इस प्रश्नपर वादविवाद

हुआ है—देखो—देवीमंगलप्रसादसिंह बनाम महादेवप्रसादसिंह (P. C.) 16 C. W. N. 409 ; 14 Bom. L. R. 220 ; 39 Cal 87 ; 15 C. W. N. 945-952.

दफा ५१८. कौन स्त्री बटवारेमें हिस्सा नहीं पाती——कोई स्त्री जो कोपार्सनर नहीं है वह बटवारेके समय हिस्सा नहीं पाती सिवाय मा दादी और कहींपर परदादीके।

वहन—याज्ञवल्क्यने कहा है कि--

असंस्कृतास्तु संस्कार्या भ्रातृभिः पूर्वसंस्कृतैः
भगिन्यश्च निजादंशा द्त्वांशंतु तुरीयकम्–व्यव० १२४.

भाई अपनी बहनोंके संस्कार अपने अपने हिस्सोंसे चौथाई देकर करें मिताक्षराने टीकामें यह कहा है कि भाई, बहनोंको हिस्सा दें.उसमेंसे संस्कार किये जायें यानी बहनोंकी शादी करनेके लिये यह चौथाई हिस्सा नहीं बल्कि वरासतन् मिलता है ऐसा मतलब मिताक्षराका है। मनुस्मृतिके प्रसिद्ध और आदि टीकाकार मेधातिथि कहते हैं कि बहनका हिस्सा ऐसे निश्चित किया जायगा कि यदि वह लड़का होती तो उस सूरतमें जितना हिस्सा उसे मिलता उसका चौथाई मिलना चाहिये। मगर आजकल यह बात मानी नहीं जाती। यद्यपि प्राचीन शास्त्रकारोंने बहनका चौथाई हिस्सा पानेका अधिकार माना है परंतु आजकल बटवारेमें बहन हिस्सा नहीं पाती–देखो–8 Cal 537 ; 10 C. L. R. 401 ; बटवारेके समय विवाहतक उसके भरणपोषणका और विवाहके समय उसके ख़र्चेका प्रबंध खानदानी जायदादमेंसे किया जाता है देखो दफा ६०२-३.

दफा ५१९. बिक्रीका असर हक़पर—जायदादपर किसीका अपने भरणपोषणका हक़ नहीं होता परंतु जायदादके बिकतेही उस जायदादपर वैसा हक़ पैदा होजाता है चाहे वह जायदाद बटवारेसे पहिले बिके या बटवारेके समय--देखो--बिलासो बनाम दीनानाथ 3 All 88 ; 27 Cal 551 ; 4 C. W. N. 764 ; दीनदयाललाल बनाम जगदीपनरायनसिंह 4 I. A. 247 ; 3 Cal 198 ; 27 Cal 77 ; 4 C. W. N. 254.

जब किसी कारणसे किसीका भरणपोषणका हक़ मरा गया हो तो वह बटवारेके समय भी हिस्सा पानेका हक़दार नहीं रहेगा–सेलन बनाम चिन्नामल 24 Mad. 441 ; परंतु एक मुक़द्दमेंमें कहा गया कि व्यभिचारके दोषसे ऐसा हक़ नहीं मारा जायगा--देखो--मनीराम कोलीटा बनाम केरीकोलीटानी 7 I. A. 115 ; 5 Cal 776. 6 C. L. R. 322.

दफा ५२०. अधिकार कब काममें लाया जायगा——जबतक कि बटवारा या अलगाव न होजाय तबतक कोई सधवा या विधवा अपना हिस्सा नहीं मांग सकती–सुंदरबहू बनाम मनोहरलाल उपाध्याय 10 C.L.R. 79; तथा स्ट्रेन्ज हिन्दूलॉ Vol. 1 P. 188-189

अगर जायदादके मुनाफेका एक हिस्सा उसके भरणपोषणके लिये नियत किया जा चुका हो तो भी वह बटवारे या अलगाव होनेसे पहिले हिस्सा नहीं मांग सकती। बटवारा मुकम्मिल होजानेसे पहिले वह इन्तक़ालका हक़ भी नहीं रखती। जब बटवारा होगया हो तो फौरन ही वह अपने हिस्सेका दावा करसकती है–देखो–रामजोशी बनाम लक्ष्मीबाई 1 Bom. H. C. 189.

मा फरीक़ बनाई जायगी–जब बेटा बापपर दावा करे तो बापके साथ उसकी स्त्री भी फरीक़ मुक़द्दमा बनाई जायगी–ललजीतसिंह बनाम राजकुमारसिंह 2 B. L. R. 373–

383 ; 20 W. R. C. R. 336-340. पुत्रोंके परस्पर अगर बटवारेका दावा हो तो भी उनकी मा फरीक़ मुक़द्दमा बनाई जायगी। बटवारेके समय माका हिस्सा अगर अलग न किया गया हो तो उससे बटवारा नाजायज़ नहीं होता-गनेशदत्तठाकुर बनाम जीवाचठकुराइन 31 I. A. 15 ; 31 Cal 262 ; 8 C. W. N. 146 ; 6 Bom. L. R. 1. मा अपना हिस्सा अलग न किया ज़ाना मंजूर करसकती है वह किसी ख़ास पुत्र या पौत्रके साथ रहसकती है.

(३) कोपार्सनरोंके हिस्सोंके निश्चित करनेका क़ायदा ।

दफा ५२१. हिस्सोंके निश्चित करनेके सिद्धांत—

ख़ानदान मुश्तरकामें बटवारेके समय सब कोपार्सनरोंके हिस्से नीचे लिखे नियमोंके अनुसार निश्चित किये जाते हैं—

(१) बाप और बेटोंके परस्पर बटवारा होनेके समय हरएक बेटा बापके हिस्सेके बराबर हिस्सा पाता है उदाहरणके लिये जैसे कि तीन बेटे हों और बाप हो तो जायदाद चार बराबर हिस्सोंमें बटेगी । याज्ञवल्क्य कहते हैं—

> भूर्यापितामहोपात्ता निबंधोद्रव्यमेवच
> बत्रस्यात्सदृशं स्वाम्यं पितुः पुत्रस्य चैवहि—व्यव० १२०

मौरूसी जायदादमें पिता और पुत्र मिलकर बराबर हिस्सा बांट लेंगे । इस बातपर ध्यान रखना चाहिये कि मिताक्षराने कहा है कि पिता अपने बापसे यदि अलग होगया हो तो फिर पोतेका हक़ दादाकी जायदादमें नहीं रहता ।

(२) जब मुश्तरका ख़ानदानमें भाइयोंके परस्पर बटवारा हो तो हरएक भाई बराबर हिस्सा पावेगा । देखो याज्ञवल्क्य—

> विभजेरन् सुताः पित्रोरूर्ध्वं रिक्थमृणं समम्—व्यव० ११७

पिताके मरनेपर भाई उसकी जायदाद और क़र्ज़ा परस्पर बराबर हिस्सेमें बांट लेवें ।

(३) हरएक शाखा परस्टिर्पस (per Stirpes) हिस्सा पाती है, परंतु हरएक शाखाके मेम्बरोंको पर केपिटा (per Capita) हिस्सा मिलता है । दोनों शब्दोंका अर्थ देखो दफा ५५८। बेटे चाहे एकही मा के हों और चाहे भिन्न भिन्न माताओंके हों दोनोमें यही नियम लागू होताहै. देखो-मंजनाथ बनाम नारायण 5 Mad 362 ; । और देखो याज्ञवल्क्य-

> अनेक पितृकाणान्तु पितृतो भाग कल्पना—व्यव० १२०

मुश्तरका जायदादमें अनेक पिताओंवाले पुत्रोंका विभाग उनके पिताओंके दर्जेके अनुसार होता है यानी परस्टिर्पस (per Stirpes) पीछे परकेपिटा (per Capita) इन दोनों शब्दोंका अर्थ देखो दफा ५५८.

(४) कोई कोपार्सनर अगर पुत्र छोड़कर मरजाय तो उस कोपार्सनरके हिस्सेका अधिकारी उसका पुत्र होता है मगर शर्त यह है कि वह पुत्र कोपार्सनरीकी सीमाके अंदर हो-कोपार्सनरी देखो दफा ३९६.

उदाहरण—(१) अ, नामका एक पुरुष अपना एक पुत्र क, और दो पोते ख १, और ख २, तथा तीन परपोते झ १, झ २, झ ३, और एक नगड़पोता ठ, छोड़कर मरगया—नीचे वंशवृक्ष देखो——

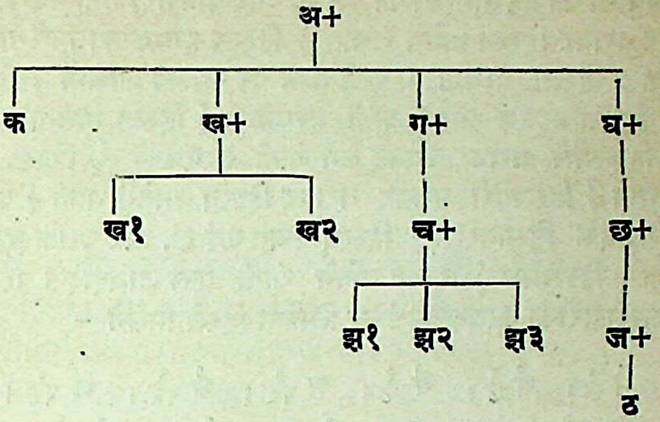

इस वंशवृक्षमें + यह निशान जिनमें लगा है वे सब मरचुके हैं। इस मुश्तरका खानदानमें मूल परुष अ, है और उसके चार पुत्रोंकी उनकी संतानों सहित चार भिन्न भिन्न शाखाएं हैं। अ, के मरनेके पहिले ख, ग, च, घ, छ, ज, मरचुके थे। घ, की शाखाका एक मात्र जीवित वारिस ठ, मूलपुरुष अ, से चौथी पीढ़ीसे बाहरहै। इसलिये वह कोपार्सनरीकी सीमाके भीतर नहीं है। वटवारेके वक्त मुश्तरका जायदाद ऐसी शकलमें सिर्फ तीन शाखाओंमें तक़सीम होगी और वह (per Stirpes) बंटेगी अर्थात् क, को एक तिहाई हिस्सा मिलेगा, और दूसरे तिहाई हिस्सेको ख, के पुत्र ख १, और ख२, आपसमें बराबर बांटलेंगे यानी उन दोनोंमेंसे हर एकको जायदादका छठवां हिस्सा मिलेगा, और तीसरे तिहाई हिस्सेको ग, केपोते झ १, झ २, झ ३, आपसमें बराबर बांटलेंगे अर्थात् उनमेंसे हरएकको जायदादका नवाँ हिस्सा मिलेगा। यानी सब हिस्से दारोंको जायदादमें निम्न लिखित हिस्से मिलेंगे——

क $\frac{१}{३}$; ख१, $\frac{१}{६}$; ख२, $\frac{१}{६}$; झ१, $\frac{१}{९}$; झ२, $\frac{१}{९}$; झ३, $\frac{१}{९}$.

(२) अ, मरा और उसने चार पोते ग, घ, च, और छ को और नौ परपोते छोड़े नीचेके वंशवृक्षमें दिखाया गया है- + यह निशान जिनमें लगा है वे सब मरचुके हैं।

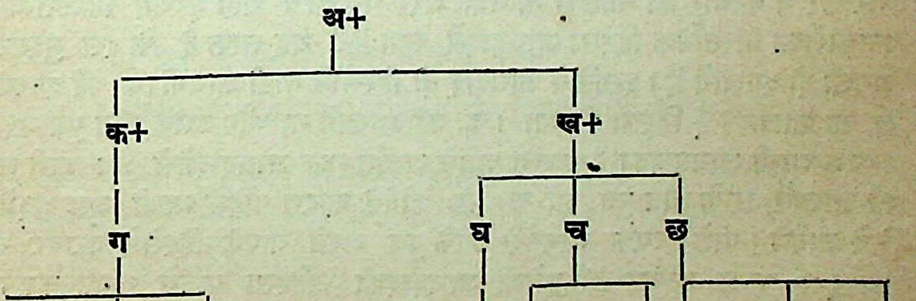

सब कोपार्सनर बटवारा चाहते हैं और एक दूसरेसे अलहदा हो जाना चाहते हैं। इस मुश्तरका खानदानमें दो शाखायें अ, के पुत्रोंकी हैं। इसलिये मुश्तरका जायदाद दो भागोंमें पहिले तक़सीम कर दी जायगी यानी क, और ख, की शाखामें। क, की शाखामें $\frac{१}{२}$ और ख, की शाखामें $\frac{१}{२}$। अब क, की शाखामें क, का पुत्र ग, और पौत्र ग१, ग२, ग३, में चारों क, के $\frac{१}{२}$ के हिस्सेमें बराबर बराबर हिस्सा पावेंगे अर्थात् $\frac{१}{४}$ हिस्सा हरएक को मिलेगा यानी कुल जायदादमेंसे हरएक $\frac{१}{८}$ हिस्सा पायेगा। इसी तरह पर ख, की शाखामें उसके पुत्र घ, च, छ, तीनो $\frac{१}{२}$ का $\frac{१}{३}$ हिस्सा हरएक पावेंगे यानी हरएकको $\frac{१}{६}$ हिस्सा मिलेगा। घ, और घ१, दोनों मिलकर $\frac{१}{६}$ के हिस्सेमेंसे बराबर बराबर लेंगे यानी हरएकको $\frac{१}{१२}$ हिस्सा मिलेगा। च और च१, च२, ये तीनों $\frac{१}{६}$ हिस्सेमेंसे बराबर बराबर हिस्सा पावेंगे यानी $\frac{१}{६}$ के हिस्सेमेंसे तो $\frac{१}{३}$ और कुल जायदादके हिसाबसे $\frac{१}{१८}$ हिस्सा पावेंगे एवं छ, और उसके पुत्र छ१, छ२, छ३, ये चारों हरएक $\frac{१}{६}$ हिस्सेमेंसे $\frac{१}{४}$ हिस्सा पावेंगे यानी कुल जायदादके हिसाबसे $\frac{१}{२४}$ हिस्सा पावेंगे। सब हिस्सेदारोंको जायदादमें निम्न लिखित हिस्से मिलेंगे--

ग $\frac{१}{८}$; ग^{१} $\frac{१}{८}$; ग^{२} $\frac{१}{८}$; ग^{३} $\frac{१}{८}$; घ $\frac{१}{१२}$; घ^{१} $\frac{१}{१२}$; च $\frac{१}{१८}$; च^{१} $\frac{१}{१८}$;
च^{२} $\frac{१}{१८}$; छ $\frac{१}{२४}$; छ^{१} $\frac{१}{२४}$; छ^{२} $\frac{१}{२४}$; छ^{३} $\frac{१}{२४}$

(३) अ, नामका एक हिन्दू जो मदरास स्कूल आव् हिन्दूलॉके प्रभुत्वमें रहता था अपने पोते ग, और सात परपोते छोड़कर मरगया, वंशवृक्ष देखो --

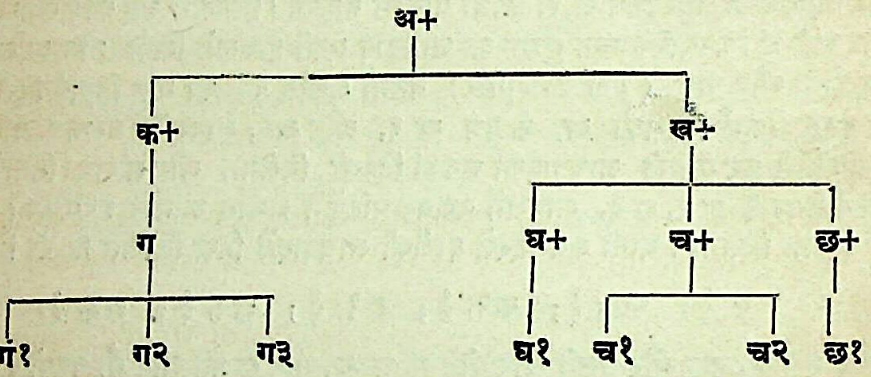

+ यह निशान जिनमें लगा है वे सब मरचुके हैं। अब देखिये ग१, ग२, च१, च२, और छ१ ने बटवारे की नालिश ग, ग३, घ१, पर की। यहां परयह निश्चित करना है कि पक्षकारोंका वास्तविक हिस्सा जायदादमें क्या है? यह साफ है कि इस मुश्तरका खानदानकी दो शाखायें हैं। इसलिये जायदाद दो हिस्सोंमें बांटी जायगी। क, की शाखाको $\frac{१}{२}$ और ख, की शाखाको $\frac{१}{२}$ हिस्सा मिलेगा। क, की शाखामें ग, और उसके तीन पुत्र ग१, ग२, ग३, हरएक आधी जायदादका $\frac{१}{४}$ हिस्सा पावेंगे अर्थात् कुल जायदादमेंसे $\frac{१}{८}$। इसी तरह पर ख, की शाखामें उसके तीन पुत्र घ, च, छ, होनेके कारण पहिले आधी जायदादमें तीन भाग किये जावेंगे। पीछे हरएक भागमेंसे उनके पुत्र अपने बापके हिस्सेमें बराबर बराबर लेंगे अर्थात् घ, च, छ, हरएक $\frac{१}{२}$ हिस्सेकी जायदादका $\frac{१}{३}$ हिस्सा पावेंगे यानी कुल जायदादका $\frac{१}{६}$ हिस्सा। घ१ पावेगा $\frac{१}{६}$; च१ और च२ हरएक $\frac{१}{६}$ का आधा आधा हिस्सा पावेंगे, यानी हरएक $\frac{१}{१२}$। और छ१, पायेगा $\frac{१}{६}$.

ऊपरके पांचों वादियों ने (ग१; ग२; च१; च२; छ१.) अपना अपना हिस्सा लेकर मुश्तरका खानदानको छोड़ दिया। पहिलेकी तरहपर ग, ग३, और घ१, मुश्तरका रहने लगे इनके हिस्से निम्न लिखित थे —ग, $\frac{१}{८}$; ग३, $\frac{१}{८}$; घ१, $\frac{१}{६}$

इसके पश्चात् ग, मरा। तब उसके पुत्र ग३, ने घ१, पर अपने बापका हिस्सा मिलनेकी नालिश की जो हिस्सा उसके बापका मुश्तरका खानदानी जायदादमें था। ग३, का हिस्सा उसके बापके मरनेके समय जायदादमे $\frac{१}{८}$ था और बापका $\frac{१}{८}$ था। बापके मरनेपर उसका हिस्सा $\frac{१}{८}$ उसके पुत्र ग३ को पहुंचा इसलिये अब ग३ अपने हिस्से $\frac{१}{८}$ का और अपने बापके हिस्से $\frac{१}{८}$ का दोनोंका हक़दार होगया यानी उसका हिस्सा अब $\frac{१}{४}$ होगया और घ१, का पहिलेका हिस्सा जैसा था वैसा बनारहा यानी $\frac{१}{६}$। देखो मंजनाथ बनाम नारायण 5 Mad 362.

दफा ५२२. क्या बाप कमती ज़्यादा बटवारा कर सकता है?—— मिताक्षराके अनुसार बापको अधिकार है कि अपनी पैदा की हुई जायदाद जिसे चाहे देदे कोई दूसरा उज़ुर नहीं कर सकता-देखो दफा ४१८ से ४२४

इस विषयमें मि० मेन अपने हिन्दूलॉ 7 ed. P. 665 में कहते हैं कि "बापके पास जो जायदाद चाहे वह उसकी खुद कमाई हो और चाहे ऐसी कोई दूसरी जायदाद हो जिसमें पुत्रोंका हक़ उनकी पैदाइशसे नहीं पैदा होता। दोनों क़िस्मकी जायदाद मिताक्षरा और बंगाल स्कूलके अनुसार बापको अधिकार है कि जिसे चाहे देदे। यही बात बटवारेके मामलेमें लागू होगी यानी उसे ऐसा अधिकार है कि जिस पुत्रको चाहे कम और जिसको चाहे ज़्यादा हिस्सा दे, आपसमें एक दूसरेके इक़रार जायज़ माने जावेंगे जिनमें कमती ज़्यादा हिस्सा दिया गया हो, अगर बाप ऐसा करना नहीं चाहे तो वह इनामके तौरपर भी किसी पुत्रको या दूसरेको जायदाद दे सकताहै.।" इसतरहका कम और ज़्यादा बटवारा कुछ ख़ास सूरतोंके सिवाय बाक़ी सब जगह पर वर्जित किया है. देखो कोलब्रूक डायजिस्ट Vol. II P. 540-541; मेकनाटन हिन्दूलॉ Vol II P. 147; स्मृति चन्द्रिका २—१

मिताक्षराके अनुसार मौरूसी जायदादका बटवारा बिना मरज़ी लड़कोंके जब पिता करे तो हिन्दूलॉके अनुसार पिता ऐसा कर सकता है और वह बटवारा पुत्रोंको पाबंद करेगा देखो-2 Mad 317; मगर दूसरे किसी कोपार्सनरको बिना मरज़ी उसके वह बटवारेके लिये मजबूर नहीं करसकता-देखो वेस्ट एण्ड बुहलर हिन्दूलॉ P. 666. अगर बापने अपनी इच्छाके बटवारेमें बेटोंको कुछ कम ज़्यादा हिस्सा दिया हो तो ऐसा समझा जासकता है कि वह घरेलू प्रबंध है और किसी हद्दतक लड़के उसके पाबंद हो सकते हैं देखो-बीजराज बनाम शिवदीन 35 All. 337; इस विषयमें नारद कहते हैं कि —

व्याधितः कुपितश्चैव विषयासक्त मानसः
अन्यथा शास्त्रकारीच न विभागो पिता प्रभुः। नारद.

रोग ग्रस्त होनेसे, या क्रोधसे या किसी मतलब या दुर्व्यसनसे या शास्त्रको न जाननेवाला बाप मौरूसी जायदाद बांटनेका अधिकारी नहीं है। प्रायः यही बात मानी जाती है।

दफा ५२३. बटवारेके पहिले अपना हिस्सा रेहन करना——मुश्तरका जायदादके किसी ख़ास हिस्सेको कोई कोपार्सनर दूसरे कोपार्सनरके पास रेहन करदे और पीछे बटवारा होनेके समय वह ख़ास हिस्सा (जो रेहन कियागया था) दूसरे कोपार्सनरके हिस्से

में चला जाय तो वह आदमी जिसके पास वह ख़ास हिस्सा रेहन रखागया था, केवल उस जायदादपर दावा करसकता है जो रेहन करनेवाले कोपार्सनरके हिस्सेमें आई हो। मगर शर्त यह है कि बटवारा अनुचित रीतिसे न किया गया हो और कोई जाल फरेब भी न हो–देखो–मथिया बनाम अप्पाजी (1910) 34 Mad 175 ; बैजनाथ बनाम रामूदीन (1873) 1. I. A. 106 ; हेमचन्द्र बनाम थाको मनी (1893) 20 Cal. 533 ; साहेबजादा बनाम हिल्स (1907) 35 Cal 388 ; अमोलक बनाम चन्दन (1902) 24 All 483 ; लक्ष्मण बनाम गोपाल 23 Bom. 385.

इसी तरहसे जब किसी कोपार्सनरने जायदादका कोई ख़ास हिस्सा बेंच दिया हो यारेहन करदिया हो तो उचित यही है कि बटवारेके समय जहांतक संभव होसके जायदादका वह ख़ास हिस्सा ख़रीदार या उस आदमीको कि जिसके पास वह हिस्सा रेहन रखागया था दियाजाय, ऐसा करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि रेहन रखनेवाले या बेंचनेवाले कोपार्सनरने जितना रुपया पाया था उसीके अनुसार और उस कोपार्सनरके हिस्सेकी मालियतके अंदर जायदाद दी जायगी–देखो–ऊदाराम बनाम रानू (1875) 11 Bom. H. C. 76 ; पाण्डुरंग बनाम भास्कर (1874) 11 Bom H. C. 72 ; ऐय्यागारी बनाम ऐय्यागारी (1902) 25 Mad 690—718.

दफा ५२४. कुछ कोपार्सनर बटवारा करें और कुछ शरीक रहें——यदि जायदादके कुछ भागका बटवारा कियाजाय और कुछ भागका न कियाजाय ; या कुछ कोपार्सनर कुल जायदादका बटवारा करलें और कुछ शामिल शरीक बने रहें, इन दोनों सूरतोंमें पीछे उस बाक़ी जायदादका बटवारा करते समय या बाक़ी रहेहुए मुश्तरका कोपार्सनरोंके परस्पर बटवारा होनेके समय उसी हिसाबसे बटवारा होगा जैसा कि पूरी जायदादका एक साथही कियाजाता हो। यह अवश्य है कि पीछेसे होनेवाले इस बटवारेके समयतक जो कोपार्सनर मरगये हों या जो नये पैदा हुए हों उनका ख्याल रखते हुए बटवारा किया जायगा 5 Nad 362.

काठियावाड़ चिमड़ीके ‘ झालागिरासियों ’ के विषयमें देखो–पृथ्वीसिंहजी बनाम उम्मेदसिंहजी (1904) 6 Bom. L. R. 98.

‘ ढंढूका ’ ताल्लूकाके ‘खरद’के चुदासामागिरासियोंके विषयमें देखो–माल्लूभाई बनाम सूरसंगजी (1905) 7 Bom. L. R. 821.

दफा ५२५. भिन्नभिन्न माताओंके पुत्र——यदि कोई ख़ानदानी रसम विरुद्ध न हो तो भिन्न भिन्न माताओंके पुत्र बराबर हिस्सा पातेहैं—देखो, सुब्रह्मण्य पण्डा चोका टालाधार बनाम शिवसुब्रह्मण्यपिले 17 Mad 316–327.

जब बेटियोंके पुत्र या गोत्रज सपिण्ड (परंतु उनकी संतान नहीं) वारिस होते हैं तो बटवारेके समय परकेपिटा (Per Capita दफा ५५८) हिस्सा पाते हैं 17 Bom. 303.

हरएक बालिग़ कोपार्सनर इस बातकी व्यवस्था करसकता है कि उसके मरनेके बाद उसका हिस्सा उसकी संतानमें कैसे बांटा जाय और किस किसको मिले। मगर शर्त यह है कि उसके ऐसा करनेसे किसीकी वरासतमें फरक़ न पड़े और किसी ऐसे आदमीको हिस्सा न दियाजाय जो उस समय पैदा न हुआहो।

(४) बटवारेकी जायदाद।

दफा ५२६. किस चीज़का बटवारा होसकता है और किसका नहीं ?——

(१)–सिर्फ मनकूला और ग़ैरमनकूला कोपार्सनरी जायदादकाही बटवारा होसकता है कोपार्सनर इस वातपर ज़ोर दे सकते हैं कि खानदानकी सब जायदाद जो बांटी जा सकती हो बांटीजाय।

(२)–पट्टेकी जायदाद—पट्टेपर मिली हुई जायदाद चाहे वह साधारण हो} या सरकारसे पट्टेपर मिली हो बांटी जासकती है—दत्तात्रेय विट्ठल बनाम महादाजी 16 Bom 528.

(३)–असामियोंके कब्ज़ेकी ज़मीन–नाप जोखकर या लगान बांटकर उस भूमिका भी बटवारा होसकता है जो असामियोंके क़ब्ज़ेमें हो देखो–उप्पाला राघव चारलू बनाम उप्पाला रामानुज चारलू 26 Mad 78 ; 11 C. W. N. 397.

(४)–ख़ानदानके रहनेका मकान–कोपार्सनर या उसके हिस्सेका खरीदार इस वातपर जोर दे सकता है कि खानदानके रहनेका मकान भी बांटा जाय लेकिन खरीदार जो कोपार्सनर न हो तो उसे अपना हिस्सा दूसरे कोपार्सनरके हाथ बेंच देना होगा देखो Act No. 4 of 1893 S. 4; मकानके साथ यदि कोई अहाता लगा हो तो चाहे उसमें आमसड़क भी गयी हो तो भी वह अहाता बांटा जा सकताहै–देखो–रामप्रसाद नरायनतिवारी बनाम कोर्ट आफ् वार्ड्स 21 W. R. C. R. 152.

अहसानउल्ला बनाम काली किंकर कुर (1884) 10 Cal. 675. वाले मुक़द्दमेंमें अदालतने कहा है कि " बटवारेका सिद्धांत यही है कि जो जायदाद उसके आंतरिक मूल्यको नष्ट किये विना बांटी जासकती हो वह अवश्य बांटी जाय किंतु यदि बांटनेसे वह आंतरिक मूल्य नष्ट होता हो तब उसके हिस्सेके बराबर कोपार्सनरको रुपया दियाजायगा। "

(५)–जिस जायदादका बटवारा नहीं होता–जिस जायदादमें प्राचीन और न बदलनेवाले रवाजके अनुसार यह नियम हो कि समग्र जायदाद एकही वारिसको मिले और वही उसको भोगे और वह बांटी न जाय तो वह बांटी नहीं जासकेगी, 11 I.A. 1; 13 B. L.R.165; 14 M. I. A. 570 ; 24 Mad 562 ; 4 Bom. 494 ; 7 I. A. 162. जिस जायदादमें ऐसा रवाजहो वह कोपार्सनरी जायदाद नहींहै और इसलिये उसका बटवारा नहींहो सकता।

अगर किसीने अहदनामा किया हो कि वह अमुक जायदादका बटवारा न करेंगे तो यह काम व्यर्थ है क्योंकि उसके पाबंद दूसरे लोग या उनकी संतान भी नहीं होगी।

अगर कोई जायदाद सरकारसे इस शर्तके साथ मिली हो कि उसका बटवारा न हो सकेगा तो वह बांटी नहीं जासकती। ऐसी जायदादका विचार सरकारकी शर्तोंपरसे और मामलेकी सब बातोंपरसे किया जायगा–देखो, शंभुशिब ऐय्यर हिन्दूलॉ P. 461

दफा ५२७. जो जायदाद स्वाभाविक तरहपर नहीं बट सकती——इस विषयमें मनु कहते हैं कि—

बस्त्रपत्रमलंकारं कृतान्नमुदकं स्त्रियः
योगक्षेमं प्रचारंच न विभाज्यं प्रचक्षते। मनु. ९–२१९.

मिताक्षराने मनुके उपरोक्त श्लोकको उद्धृत करके कहा है कि, कपड़े, वाहन, ज़ेवर, पका हुआ अन्न, उदक (कुंवा, बावडी, तालाव आदि) दासी, योगक्षेम और प्रचार ये विभाग करने योग्य बुद्धि मानोंने नहीं बताया। इस वचनकी पावंदी कहांतक बटवारेमें कीजाती है ? नीचे देखो —

वस्त्र–कपड़ोंके बारेमें मिताक्षराने कहा है कि इस्तेमाली कपड़े जिसके जो हों वह उसके पास रहें और जो दूसरे कपड़े हैं वह बांट लिये जाय। मगर शर्त यह है कि जहांपर कपड़े टुकड़े किये बिना नहीं वंट सकते हों, और टुकड़े करनेसे वह ख़राब या बेकार हो जासकते हों तो ऐसा नहीं किया जायगा। वह किसी एक कोपार्सनरको देकर उसका बदला दूसरी चीज़में डाल दिया जायगा या नक़द क़ीमत उससे दिला दी जायगी।

पत्र–सवारी जैसे घोड़ा, पालकी, गाड़ी, रथ, मोटर आदि। ये जिसके इस्तेमालमें रहते हों उसीके पास रहने दिये जायें। मगर उसकी क़ीमतका ख्याल करके सब हिस्सेदारोंमें उसका बदला या तो किसी दूसरी चीज़ या रुपयामें दिला दिया जाय। अगर कोई सवारी तिजारतके लिये ख़ास है तो वह सामान्य वस्तुकी तरह समझी जायगी और उसकी क़ीमत सबको बांट दी जायगी।

अलंकार–ज़ेवर, जिसके अंगपर हो वह उसीके पास रहने दिया जाय। यहांपर उस ज़ेवरसे मतलब है जो साधारणतः इस्तेमाल किया जाता हो। अगर कोई ऐसा ज़ेवर है जो कभी कभी किसी ख़ास समयमें काममें लाया जाता है वह सबको बांटा जायगा, यह बात मानली गयी है कि घरमें जो लोग होते हैं वह क़रीब क़रीब बराबर क़ीमतका गहना पहने रहते हैं।

कृतान्न–पका हुआ अन्न जैसे लड्डू, मिठाई, आदि। इनका बटवारा असभ्य है। माना गया है कि यह चीज़ें रोज़ानाके खाने पीनेके ख़र्चके लिये बनाई जाती हैं इसलिये नहीं बांटना चाहिये, इनकी क़ीमत भी ज़्यादा नहीं होती, भोज्य पदार्थका बटवारा सभ्यसमाजमें तुच्छ समझा जाता है। 'कृतान्न' शब्दसे चावल, मूंग, तिल, यव, गेहूं आदिका भी बोध हो सकता है। यदि यह ज़्यादा हों या इसका व्यापारही किया जाता हो तो बांटे जायेंगे।

उदक–कुंवा, बावड़ी, तालाव आदि, यदि हिस्सेदारोंकी संख्याके अनुसार उनके हिस्सोंमें बराबर बांटे न जासकते हों तो उनकी बिक्री करके क़ीमत बांटना उचित नहीं है। ऐसा प्रबंध करदेना चाहिये कि उन्हें सब हिस्सेदार किसी क्रमसे भोगसकें।

स्त्री–दासी, बापके पासकी रखेली औरत, आजकल यह रवाज नहीं रहा। मदरास प्रांतमें देवदासियां मन्दिरोंमें होती हैं। मगर उनका बटवारा नहीं होसकता है।

योगक्षेम–' योगक्षेम ' शब्द दो शब्दोंके योगसे बना है 'योग' और ' क्षेम '। मिताक्षराने इन दोनों शब्दोंका अर्थ अलग अलग किया है देखो–

योग–योगशब्देनालब्धलाभकारणं श्रौतस्मार्ताग्निसाध्यंमिष्टं कर्म लक्ष्यते—

क्षेम–क्षेमशब्देन लब्धपरिरक्षणहेतुभूतं बहिर्वेदिदानतडागारामनिर्माणादि पूर्तं कर्म लक्ष्यते—मिताक्षरा०

' योग ' शब्दका मतलब यह है कि अलभ्य वस्तुके लाभका जो कारण श्रौत, स्मार्त अग्निमें जो होनेवाला यज्ञरूपकर्म। और ' क्षेम ' शब्दका अर्थ यह है कि प्राप्त हुएकी रक्षाका जो कारण जैसे वेदीके बाहरका दान, तालाव, या बाग आदि लगवानेके कामका पूरा करना। अर्थात् जो धन या जायदाद यज्ञ आदि व तालाब, कुंवा, बाग आदिके निर्माण करनेके मतलबसे

या मज़हबी कामके किसी मतलबसे (जैसे देवमन्दिर आदि) अलग करदी गयी हो या सिर्फ नामज़द करदी गयी हो या संकल्प करदी गयी हो उस धन या जायदादके हिस्से होना नहीं चाहिये, तथा हिस्सेदारोंमें वह धन या जायदाद तक़सीम नहीं होगी। माना गया है कि ऐसे किसी कामके लिये जो सम्पत्ति निकाल दी जाती है वह वास्तवमें पब्लिक की होजाती है और उससे सर्व साधारणको लाभ पहुंच सकता है चाहे वह सम्पत्ति किसी एकही आदमीके पास रहे। मगर वह ख़ैरातकी सम्पत्ति मानी जायगी.

प्रचार-मकान, खेत, बाग, या मन्दिरका रास्ता, या रास्ता—मिताक्षराने इनको विभागके अयोग्य बताया है मगर अब उसका मतलब यह लगाया जाता है कि अगर किसी तरहसे संभव होसके तो विभाग करदिया जाय और अगर असंभव हो तो ऐसा प्रबंध करदिया जाय कि जिसमें सब हिस्सेदारोंके लाभमें नुक़सान न पड़ताहो या किसी एकको देकर उसकी क़ीमत सबको दिला दीजाय। सबका सारांश हिन्दूलॉमें यह माना गया है कि-

पशु, या घरका कोई साज सामान, और इसी प्रकारकी अन्य जायदाद जो स्वभावतः टुकड़े करके नहीं बांटी जासकती, किसी एक कोपार्सनरको उसके हिस्सेमें दी जा सकती है और उसके बराबर दूसरे प्रकारकी कोई जायदाद उसके हिस्सेमें कम करके दूसरे कोपार्सनरोंमें बांटी जा सकती है या नक़द रुपया ले देकर यह हिसाब बराबर किया जासकता है। परंतु यदि ऐसी कोई जायदाद इस तरहकी हो कि एकही कोपार्सनरको उसे देदेना उचित न हो जैसे सड़क, कुंवा, पुल, तालाब आदि; तब ऐसी सूरतमें यह ज़रूरी होगा कि उतनी जायदाद मुश्तरका बनी रहे; देखो-गोविंद अन्नाजी बोधानी बनाम त्र्यंबक गोविंद धानेश्वर(1910) 12 Bom. L.R. 363. कई सूरतोंमें यह ज़रूरी होगाकि जायदाद बेंचकर उसका मूल्य बांटा जाय देखो-Act No. 4 of 1893 S. 2.

देवस्थान-देवस्थान आदि पूजाके स्थान, और ऐसी जायदाद जो किसी देवमूर्ति या अन्य प्रकारके धर्मकार्य्यके लिये अलहदा करदी गयी हो टुकड़े करके बांटी नहीं जासकती- देखो—आनन्दमयी चौधरानी बनाम बैकुंठनाथराय 8 W. R. C. R. 193 ; गौतम इन्सूटीटियूशन् 28-46; सेक्रेड बुक्स आफ दी ईस्ट Vol ii P. 306 ; राजेन्द्रदत्त बनाम श्यामचन्द्र मित्र 6 Cal 106 ; और देखो-भट्टाचार्यका लॉ आफ ज्वाइन्ट हिन्दू फेमली P. 450-451.

जब किसी जायदादपर किसी धर्मखातेके ख़र्चका बोझ पड़ा हो वह जायदाद बांटी जासकती है परंतु उस ख़र्चका बोझ जायदादके हिस्सोंके अनुसार बना रहेगा 8 M. I. A. 66 ; 4 Cal 56 ; 2 C. L. R. 310.

जो जायदाद किसी ख़ास काममें आया करती हो जैसे पूजाका दालान, यज्ञकी वेदी, कुलदेवताकी जगह, बटवारेसे वंचित नहीं रहसकती परंतु यदि अदालत सब हालतोंका विचार करके यह ख्याल करे कि उस जायदादको किसी एक हिस्सेदारको देदेना उचित होगा तो वह उसे देदेगी और उसका मूल्य उस हिस्सेदारसे लेलेगी जो उसके हिस्सेसे ज्यादा है- 3 Cal 514 ; देवस्थानके बारेमें इस किताबका प्रकरण १७ देखिये।

(५) अलहदगी और बटवारा ।

दफा ५२८. अलहदगी कैसे होती है——मिताक्षराके अनुसार बाप अपने पुत्रोंकी मरज़ीसे या उनकी मरज़ीके विरुद्ध जायदादका बटवारा कर सकता है–कंठासामी बनाम डोराई सामी ऐय्यर 2 Mad 317; मिताक्षराके अनुसार बापको यद्यपि स्वयं बटवारा कर देनेका अधिकार है परंतु इसके सिवाय भी मुश्तरका ख़ानदानके कोपार्सनर मुश्तरका ख़ानदानमें बने रह कर भी अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा करनेके बाद वे या तो 'टेनेन्टस् इन कामन्'—(Tenants in Common दफा ५५८ देखो) हो जातेहैं या अलग अलग हिस्सोंके मालिककी हैसियतसे रहते हैं या उनकी स्थितिमें कोई और ऐसा परिवर्तन हो सकता है जो मुश्तरका ख़ानदानके मेम्बरोंकी हैसियतके विरुद्ध न हो । ऐसी अलहदगी अदालतकी आज्ञा या महकमें मालकी आज्ञासे भी हो सकती है।

सब कोपार्सनर शरीक होंगे--आपसके समझौतेसे जो अलगाव या बटवारा हो उसमें सब कोपार्सनर शरीक रहेंगे। नाबालिग़ कोपार्सनरोंकी तरफसे उनके वली शरीक रहेंगे।

नापजोख कर बटवारेकी ज़रूरत नहीं है—चाहे किसी जायदादमें नाप जोख कर बटवारा न हुआ हो तो भी उसके कोपार्सनर अलग हो सकते हैं–देखो–पार्वती बनाम नौनिहालसिंह (1909) 36 I. A. 71; 31 All 412 ; 13 C. W. N. 983 ; 11 Bom. L. R. 878 ; 30 I. A. 139 ; 30 Cal 738 ; 7 C. W. N. 578 ; 5 Bom. L. R. 461 ; 11 M. I. A. 75 ; 8 W. R. P. C. 1 ; 13 M. I. A. 497 ; 6 Bom. L. R. 202 ; 14 W. R. P. C. 33 ; 1 I. A. 55 ; 13 B. L. R. 235 ; 31 W. R. C. R. 214 ; 6 W. R. C. R. 139 ; 7 W. R. C. R. 488 ; 8 W. R. C. R. 116 ; 1 N. W. P. 75 ; 3 N. W. P. 108 ; 25 W. R. C. R. 97.

जिस जायदादका बटवारा नहीं हो सकता उसके संबंधमें कोपार्सनर भी अलहदा नहीं हो सकते। मुकम्मिल अलगाव हो जानेपर मिताक्षरालॉके अनुसार सरवाइवरशिप (देखो दफा ५५८) का हक़ चला जाताहै और सब कोपार्सनर उस जायदादके ज्वाइन्ट टेनेन्टस् (Joint tenants दफा ५५८.) नहीं रहते, बल्कि टेनेन्टस् इन कामन् (Tenants in Common देखो दफा ५५८.) हो जाते हैं।

ऐसी कोई सूरत हो सकती है कि ख़ानदानके सब लोग अलग हो जायें, मगर साथ ही आपसमें समझौता करके सुभीतेके लिये पूरी जायदादको या उसके कुछ हिस्सेको, सब कोपार्सनरोंके हिस्से निश्चित करके मुश्तरका बनी रहने दें–देखो, पटनीमल बनाम मनोहरलाल 5 Bom. Sel.R.340 ; ऐसी सूरतमें भी सब कोपार्सनर टेनेन्टस् इन कामन् (Tenants in Common दफा ५५८.) होंगे और मुश्तरका ख़ानदानके साथ जो बातें लगी होती हैं टूट जावेंगी–देखो– 3 Mad. H. C. 289 ; 13 M. I. A. 113 ; 12 W. R. P. C. 40 ; 26 I. A. 167. अगर कोई ज़ायज़ इक़रार नामा न हो तो वह जायदाद पीछे से नाप जोखकर बांटी जा सकती है और बंटापानेके लिये कोपार्सनर ज़ोर दे सकते हैं–6 Bom. L. R. 35 ; 25 Mad 585.

35 Bom. 75 ; 12 Bom. L. R. 936 में मानागया है कि जिस दस्तावेज़के अनुसार जायदादके मालिकान, जायदादको बांटें उसे बटवारेका दस्तावेज़ कहते हैं। मगर बिन

कोई दस्तावेज लिखे बिना बटवारा होसकता है देखो--रांवनप्रसाद बनाम राधाबीबी 4 M. I. A. 137 ; 7 W. R. P. C. 35-37 ; 18 Cal. 302 ; 34 Cal. 72.

हिस्सेकी बिक्री--मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादमें जब कोई हिस्सेदार अपना हक़ दूसरे कोपार्सनरके हाथ बेंच देता है तो इससे बेंचनेवालेका अलगाव मानाजाता है-देखो--बालकृष्ण त्र्यंबक तंडुलकर बनाम सावित्रीबाई 3 Bom. 54 ; 6 Mad 71.

दफा ५२९. अलहदगीका सुबूत——अलहदगीके सुबूत निम्नलिखित होसकते हैं

(१) कोई ऐसा काम या ऐसी बात जिससे अलहदगीका इरादा ज़ाहिर होता हो–देखो–जीवाबाई बनाम कृष्णाजी 6 Bom. L. R. 351.

(२) एक साथ रहने सहनेका त्याग–गणेशदत्त ठाकुर बनाम जीवाच: ठकुराइन 31 I-A,10; 31 Cal.262; 8 C.W.N.146; 6 Bom. L.R.1; 25 W. R. C. R. 355.

(३) जायदादके किसी हिस्सेपर अलग क़ब्ज़ा करलेना--मुरारी विठोजी बनाम मुकुंद शिवजी 15Bom.201; 10Bom.H.C.444; 23W.R.C.R.395; 18W.R.C.R.210.

(४) जायदादके मुनाफेके किसी हिस्सेका अलग भोगना--5 All 532.

(५) मोहकमें मालके काग़ज़ातमें अलग अलग हिस्सा लिखा होना--रामलाल बनाम देवीदत्त 10 All.490; 30 I.A.1; 30 Cal. 231; 5 Bom. L. R. 103; 1 All. 437.

(६) बिक्रीके रुपयोंमें अलग हिस्से तक़सीम करनेका इक़रार करना–रामकिशुनसिंह बनाम शिवनन्दनसिंह 23 W. R. C. R. 412.

(७) मुश्तरका ख़ानदानके लोगोंसे अलग होकर दूसरोंसे कोई व्यवहार करना या अन्य ऐसे काम जो ख़ानदानके मुश्तरका रहनेकी हालतके विरुद्ध हों, या किसी समय घटी या मुनाफेका जमा ख़र्च अलग अलग होजाना आदि। ऊपरकी यह सब बातें अलहदगीका काफी सुबूत उस वक्ततक नहीं होंगी जबतक कि यह साबित न कियाजाय कि अलहगीका इरादा भी उन कामोंमें शामिल था परंतु ये सब बातें उस दर्जेतक सुबूत ज़रूर हैं कि जिनसे यह मानलिया जासकता है कि अलहदगी होगयी।

अगर कोई आदमी मुश्तरका ख़ानदानसे मुकम्मिल अलग होजाय पीछे मुश्तरका ख़ानदानके किसी रिश्तेदारकी परवरिश और उसके लड़के, लड़कियोंका विवाह आदि करे और अपना काम भी उनसे कराता रहे इत्यादि सब बातें वैसेही करे जैसे कि मुश्तरका रहनेमें होतीं तो इससे अलहदगीमें कोई बाधा नहीं पड़ती देखो—जगनकुंवर बनाम रघुनन्दनलाल शाहू 10 W. R. C. R. 128.

जहांपर ज़ाहिरा मुश्तरका ख़ानदानका कारोबार भिन्नभिन्न स्थानोंमें चलता हो और साल भरमें या किसी वक्त हिसाब किताब करके हिस्सेदारोंके नामसे अलग अलग ख़र्च और मुनाफेका जमाख़र्च होजाता हो तो वे सब अलहदा समझे जायेंगे, चाहे भोजन साथही करते हों और एकही घरमें रहते हों और एकही कारोबारमें सबलोग काम करते हों जमाख़र्च हरसाल होना ज़रूरी नहींहै, चाहे जब ऐसा जमाख़र्च होजाय, असर एकही रखेगा.

दफा ५३०. अधूरा बटवारा——आपसमें समझौता करके ऐसा किया जासकता है कि अलगाव या बटवारेमें कुछ कोपार्सनर शरीक हों और कुछ नहीं, परंतु शरीक न होनेवाले कोपार्सनरोंकी स्थितिमें इस अधूरे बटवारे या अलगावका कुछ असर नहीं पड़ेगा–देखो रावनप्रसाद बनाम राधाबीबी 4 M. I. A. 137 ; 7 W. R. P. C. 35-37 ; 25 Mad.

149 ; 2 Mad 317-324 ; 5 Cal 474 ; 18 Bom. 611 ; 35 Bom. 293 ; 13 Bom. L. R. 287 ; 35 Cal 961; 12 C. W. N. 127; 37 I.A.161; 22All.415.

इसी प्रकार आपसमें समझौता करके जायदादका कुछ भाग बांटा जासकताहै और कुछ नहीं। बची हुई जायदाद जब चाहें पीछे बांटलें-18 Mad. 418 ; 14 C. W. N. 221. अधूरे बटवारेसे आम तौरसे पहिले ऐसा समझा जासकता है कि सब कोपार्सनर अलग होगये देखो—32 Mad. 191 ; मगर 2 Mad. H. C. 325 में मानागया कि ऐसे समझे जानेका प्रतिवाद भी किया जासकता है।

दूरी भगवंतलू बनाम टाड़ेपात्री वीर अवधानलू (1909) 33 Mad.246 में यह बात मानीगयी कि अधूरा बटवारा ज़बरदस्ती नहीं कराया जासकता।

बटवारेका मुक़द्दमा दायर हो जानेपरभी यदि वादी और प्रतिवादी राज़ी हों तो जायदाद या कोपार्सनरोंके संबंधमें अधूरा बटवारा होसकता है अर्थात् दोनों फ़रीक़ोंके राज़ी होनेपर अर्ज़ीदावामें जितनी मुश्तरका जायदाद चाहें रखें और जितनी चाहें न रखें यह अधिकार प्राप्त है देखो—चन्द्रशेखर बनाम कुंदनलाल 31 All 3 ; बाक़ी जायदाद पीछे बंट सकती है। अदालत अधूरा बटवारा कभी नहीं करेगी वह। बंट सकनेवाली जायदाद की नाप जोख करके ठीक बटवारा करेगी।

दफा ५३१. बटवारेसे जो जायदाद छूट गयी हो——जब कोपार्सनरी जायदादका कोई हिस्सा अकस्मात् या ग़लतीसे या जाल, फरेबसे बटवारेमें शामिल किया जानेसे रहगया हो तो उसका बटवारा कोपार्सनरोंमें पीछेसे भी किया जासकता है और हरएक कोपार्सनर उसका ज़बरदस्ती बटवारा करासकता है-देखो-योगेन्द्रोनाथराय बनाम बालादेवदास 35 Cal 961; 12 C.W.N. 127; 13 C.W. 309; 1 All 545; 10 Bom.H.C.444.

अन्योन्यापहृतं द्रव्यं विभक्ते यत्तु दृश्यते
तत्पुनस्ते समैरंशैर्विभजेरन्निति स्थितिः-याज्ञवल्क्य-व्यव० १२६

मिताक्षराकार कहते है कि बटवारा किये पीछे जो धन भाईयोंमें परस्पर चुराया हुआ देख पड़े उसको वे समान भागोंमें फिर बांट लेवें। बल्कि मनुने तो यह कहाहै कि अगर बड़ा भाई चुराये तो उसे फिर हिस्सा न मिले और राजा उसे दण्ड देवे-देखो मनु—

यो जेष्ठो बिनिकुर्वीत लोभात् भ्रातॄन्यवीयसः
सो जेष्ठः स्याद भागश्च नियंतव्यश्चराजभिः। मनु ९-२१३

बटवारा होनेके बाद जब यह मालूम हो कि कोई जायदाद जो किसी कोपार्सनरके हिस्सेमें पड़ चुकी है वह कोपार्सनरी जायदादकी नहीं है या उस जायदादपर किसी जायज़ ख़र्चका बोझ है तो वह कोपार्सनर जिसके हिस्सेमें वह जायदाद पड़ी हो फिरसे बटवारा करानेका अधिकार रखता है या कमसेकम वह यह करसकता है कि दूसरे हिस्सेदारोंसे उस जायदादके बदलेमें रुपया या दूसरी जायदाद लेवे-देखो-मारुती बनाम रामा 21 Bom. 333 ; लक्ष्मण बनाम गोपाल 23 Bom. 385.

दफा ५३२. बटवारेमें इरादेका प्रश्न——जब कोई कुटुम्ब बटवारा करके अलग अलग होजानेका इरादा करले बस वही हिन्दूलॉके अनुसार जायदादका बटवारा निश्चित सम-

झा जायगा-देखो-रामप्रसादसिंह बनाम लक्षपति कुंवर 30 I. A. 1 ; 30 Cal 23-253 ; 7 C. W. N. 162 ; 5 Bom. L. R. 103.

कुटुम्बके लोगोंने यदि कोई दस्तावेज़ लिखकर या कोई ऐसे काम करके दिखा दियाहो कि वे आपसमें बटवारा करके मुश्तरका ख़ानदानकी स्थिति बदलना चाहते हैं तो इससे उनके बटवारेकी नीयत मानली जायगी देखो—दुर्गाप्रसाद बनाम कुंदनकुंवर 1 I. A. 55 ; 13 B. L. R. 235-239 ; 30 Cal 738-750 ; 7 C. W. N. 578 ; 21 W. R. C. R. 214 ; 30 I. A. 139-147.

कोपार्सनर लोग मोहकमे मालमें या लैन्ड रजिस्ट्रेशन एक्ट नं०7(B.C.)1876 के अनुसार जो कोई दरख़ास्त आदिदें और उनमें मुश्तरका जायदादके हिस्सोंमें अपने अपने भागकी तशरीह करें परंतु बटवारेकी कोई नीयत ज़ाहिर न हो तो इससे मुश्तरका ख़ानदान बंटा हुआ नहीं समझा जायगा हां अलगावके विषयमें यह शहादत होसकती है. देखो—फुलझरी कुंवर का मामला 8 B. L. R. 385 ; 17 W. R. C. R. 102 ; 8 B. L. R. 396 का नोट ; 14 W. R. C. R. 31 ; 1 All 437 ; 7Cal 369.

मोहकमे मालके काग़ज़ातमें अलग अलग हिस्सा दिखाया गया हो तो इससे बटवारेकी नीयतका सुबूत नहीं होगा बल्कि अलगाव समझा जासकता है देखो 10 All 490.

जब कोपार्सनर आपसमें यह नीयत करलें कि वे जायदादके हिस्सोंको अलग अलग भोगेंगे तो चाहे नाप जोख कर जायदादका बटवारा न भी हुआ हो और चाहे वे उनहिस्सोंको अलग अलग भोगने भी नहीं लगे हों तो भी यह मान लिया जायगा कि उन सबका बटवारा हो गया-देखो-11 Mad. I. A. 75-90 ; 8 W. R. P. C. 1 ; 30 I. A. 136 ; 30 Cal 738 ; 13 M. I. A. 113 ; 21 W. R. C. R. 214 ; 17 I. A. 194 ; 18 Cal 157 ; 12 Cal 96.

छोटे भाईके भरण पोषणके लिये जो जायदाद आपसमें समझौता करके अलग कर दी गयी हो वह बटवारेसे अलग नहीं समझी जायगी देखो-20 Mad 256 ; जायदादके हिस्सोंको अलग अलग भोगनेकी नीयत करनेके बाद यदि सब फ़रीक़ क़ानूनके अनुसार फिर मुश्तरका रहने लगें तो जायदाद फिर मुश्तरका समझी जायगी इस सूरतके सिवाय और किसी सूरतमें उनका वह अलग जायदाद भोगनेका निश्चय नहीं बदल सकता यानी बटा हुआ ख़ानदान समझा जायगा । जब बटवारेका केवल इक़रार नामा ही लिखा गया हो तो उससे बटवारा हो गया ऐसा नहीं समझा जायगा-4 Bom. 157.

दफा ५३३. हिस्सेका ख़रीदार———जब किसी मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादका कोई हिस्सा किसी दूसरेने ख़रीद किया हो या नीलाममें लिया हो जो कोपार्सनर न हो तो अगर वह क़ानूनी मियादके अंदर दावा करके बटवारा न कराले तो उसका हिस्सा चला जायगा । यानी पीछे वह दावा नहीं कर सकता. 10 Bom. H. C. 444. यह बात भी स्पष्ट है कि जिस कोपार्सनरका हिस्सा उसने ख़रीद किया हो अगर वह दावा करनेकी मियादके अंदर मरजाय तो फिर ख़रीदारका हिस्सा चला जायगा या नहीं-देखो दफा ४५०

कोपार्सनरी जायदादमें किसी एक कोपार्सनरके हिस्सेके ख़रीदारको यह अधिकार है कि वह केवल उतने हिस्सेके बटवारेके लिये दावा दायर करे ; परंतु शर्त यह है कि ख़रीदारको वह हिस्सा ख़रीदना जायज़ रहा हो और यह कि उस हिस्सेका बटवारा करनेसे बाक़ी जायदादको हानि न पहुंचती हो—देखो हरी कृष्ण चौधरी बनाम वेंकट लक्ष्मीनरायन 34

Mad 402; लेकिन हरएक कोपार्सनरको यह अधिकार है कि कोपार्सनरी जायदादमें अपना हिस्सा निश्चित कराये और बटवारा कराये किसी कोपार्सनरके दावेमें यह नहीं देखा जायगा कि जायदादको नुक़सान पहुंचता है या नहीं देखो-23 Bom. 184; 24 Bom. 128; 28 All 89; 34 Mad 269; 11 Cal 396.

कोपार्सनरके हिस्सेके ख़रीदारपर कोई भी दूसरा कोपार्सनर उतने हिस्सेके बटवारा हो जानेका दावा कर सकता है—28 All 50; 16 Mad 98; 19 Mad 267.

जब कोपार्सनरी जायदादके किसी हिस्सेपर उस हिस्सेके ख़रीदारका किसी तरहसे क़ब्ज़ा हो जाय तो फिर उसका क़ब्ज़ा बना रहेगा और बाक़ी जायदादके हानि लाभका ख्याल नहीं किया जायगा देखो—15 Mad 234.

दफ़ा ५३४. धर्मच्युत हो जानेसे कोपार्सनर नहीं रहता--मुसलमान, या ईसाई हो जानेसे मुश्तरका ख़ानदानका हिन्दू, कोपार्सनरीसे अलहदा हो जाता है देखो-गोविंद कृष्ण नरायन बनाम अब्दुल क़यूम् 25 All. 564-573; 29 All 487.

दफ़ा ५३५. बटवारेकी डिक्री———बटवारेकी डिकरीका वही असर होता है जो बटवारेके इक़रार नामेका होता है देखो-तेज प्रतापसिंह बनाम चम्पाकली कुंवरि 12 Cal 96; 4 Bom. 157; बटवारेकी डिकरी या किसी ऐसे मुक़द्दमेकी डिकरी जिसमें जायदादकी अलहदगीका या पंचायतद्वारा अलहदा करनेका उद्देश हो अलहदा हो जानेका असर रखती है. 19 Mad 290; 20 Mad 490; 5 I. A. 228; 4 Cal 434; 12 W. R. C. R. 510; थोडे फरक़के साथ देखो 35 Cal 961; 12 C. W. N. 127.

डिकरीके अनुसार हिस्सा मिलनेमें कुछ देर हो तो इससे अलहदगीमें कुछ फरक़ नहीं पड़ता—लक्ष्मणदारकू बनाम नरायन लक्ष्मण 24 Bom. 182. ऐसा माना गया है कि अपील फैसल होनेतक डिकरी अलहदगी पैदा नहीं करती लेकिन यदि अपीलका फैसला होनेसे पहिले फरीक़ स्वयं अलाहदा हो जायं तो डिकरीका वही असर होगा—6 Bom. 113; 5 I. A. 228; 4 Cal 434.

बंगाल स्कूलके एक मुक़द्दमेमें बटवारेकी डिकरी होनेपर भी सब फरीक़ मुश्तरका रहेते रहे, तो माना गया कि अलहदगी नहीं हुई-देखो-प्राण किशुन मित्र बनाम रामसुंदरी दासी (1842) Fulton 410; 4 Bom. 157.

किसी डिकरी के नीलामके द्वारा अगर मुश्तरका जायदाद का कोई हिस्सा नीलाम हो जाय तो उससे अलहदगी नहीं होती—29 Cal 797; माना गया है कि अदालतके हुक्मसे मुश्तरका ख़ानदान अलहदा नहीं किया जा सकता, जबतक कि कोपार्सनर अलहदा नहो जायें या न चाहें।

दफ़ा ५३६. बटवारेका दावा—जो आदमी बटवारा करापानेका अधिकारी और कोपार्सनरीकी सीमा के भीतर है वही बटवारा करा सकता है देखो दफा ३९६ से ४१२.

मियाद--जबकिसी कोपार्सनरको मालूमहो कि वह कोपार्सनरीसे अलग किया गया है, उस तारीख़से बारह वर्षके अंदर बटवारे का दावा करनेकी मियाद है। देखो--Act No. 9 of 1908 Sched 1; Art 27; 5 Cal 938; 11 Mad 380.

बटवारेके मुक़द्दमेमें जो प्रश्न तय कर दिये गये हों उनका फिर विचार उन्हीं फरीक़ों के किसी दूसरे मुक़द्दमेमें नहीं हो सकता। उसमें 'रेसजुडीकेटा' लागू होगा देखो--परसो-

तमराव वनाम राधाबाई 32 All. 469; ज़ाबता दीवानीकी दफा ११ देखो। इसका सारांश यह है कि जिस बातका एक दफ़ा फैसला होगया उसका फिर फैसला नहीं किया जाता इसीका नाम है 'रेसजुडी केटा।' इस शब्दकी व्याख्या यदि की जाय तो एक भारी पुस्तक बन जाय, अंगरेज़ीमें इसकी व्याख्यामें कई भिन्न भिन्न पुस्तकें बनगयी हैं।

फरीक़--वटवारेके दावेमें जितने आदमी हिस्सा पानेके अधिकारी हों वे सब और पत्नी, मा, दादी, कहींपर परदादी, बिना बटे हुए हिस्सोंके खरीदार, या उन हिस्सोंको अपने पास रेहन रखनेवाले ये सब वटवारेके मुक़द्दमेमें फरीक़ बनाये जायेंगे-देखो ज़ाबता दीवानी सन 1908 Order 1 Rules 3 , 4.

दफ़ा ५३७. बटवारेकी जायदाद--जब बटवारेका दावा दायर किया जाय तो उससें बटवारा होने योग्य संपूर्ण जायदाद शामिल कर देना आवश्यक होगा, देखो-- ज़ाबता दीवानी 1908 Sched 1 Order ii Rule.1; 11Cal.396; 23 Bom. 144; 11 Bom. H. C. 69; 7 Bom. H. C. A. C. 46 ; 12 Cal. 566 ; 6 B. L. R. 134 ; 9 C. L. R. 170 ; 5 Mad. H. C. 419 ; 24 Bom. 128 ; 12 Bom. H. C. 148.

एक तरहकी ऐसी नज़ीरें हैं कि जिनमें कुल कोपार्सनरी जायदाद दावामें शामिल न करनेके कारण मुक़द्दमा डिसमिस कर दिया गया देखो. 14 Cal 122 ; 8 C. L. R. 367 ; 12 Cal 566 ; लेकिन उचित यह है कि जब ऐसी आपत्ति की जाय कि सब जायदाद दावामें नहीं शामिल की गयी तो अदालत मुद्दईको अर्ज़ीदावा बदलने और उसमें कुल जायदाद शामिल करनेकी आज्ञा दे 14 Cal. 835 ; बटवारेका दावा दायर होनेपर पहिले अदालत यह देखेगी कि मुद्दई ऐसा दावा कर सकताहै या नहीं और जायदाद पानेका हक़दार है या नहीं-देखो 38 Cal 681.

मुद्दालेह इस बातपर जोर दे सकता है कि बटवारेके अर्ज़ीदावामें मुद्दईने जो जायदाद मुश्तरका शामिल नहीं की वह भी शामिल कीजाय—24 Bom.128; 1 Bom.L.R.620

दफ़ा ५३८. भिन्नभिन्न इलाक़ोंकी जायदाद——बटवारेकी जायदाद किसी एक ही अदालतकी हद्द बंदीके अख्त्यारमें न हो तो भी वह सब जायदाद एकही मुक़द्दमेमें शामिल की जायगी लेकिन अगर कोई ऐसी जायदाद हो जो ब्रिटिश इन्डियामें न हो तो वह उस दावामें नहीं शामिल की जायगी हरीनरायन ब्रह्म वनाम गणपतराव दाजी 7 Bom. 272 ; 25W.R.353; 15W.R.C.R.111; 22Bom.922; 18 Bom. 389; 23 Bom. 597.

जब कोपार्सनरी जायदाद भिन्नभिन्न अदालतोंके इलाक़ेके अंदर हो तो बटवारेका दावा उनमेंसे किसी अदालतमें किया जासकता है—3 Mad. H. C.376 ; पंचानन मल्लिक वनाम शिवचन्द्र मल्लिक 14 Cal 835 ; 22 Bom. 922 ; 4 Bom.482; 6B.L.R.134.

अगर कोई ऐसी जायदाद हो कि जिसमें कोपार्सनरोंके हक़ किसी ग़ैर आदमीने ख़रीद करलिये हों और वह ग़ैर आदमी तथा कोपार्सनर मिलकर उसे शामिल शरीक रखते हों तो ऐसी जायदादके बटवारेका दावा अलग उसी अदालतमें करना चाहिये जिसके इलाक़ेमें वह जायदाद हो—पुरुषोत्तम बनाम आत्माराम जनार्दन 23 Bom. 597 ; 1 Bom. L.R.76;

किसी कोपार्सनरकी अलहदा जायदादके लिये बाहरी आदमीको अलहदा दावा दायर करना पड़ेगा-लक्ष्मीनरायन वनाम जानकीदास 23 All 216.

दफ़ा ५३९. मुनाफ़ेके हिसाबका दावा———मु का ख़ानदानका कोई आदमी

जब ख़ानदानकी जायदादको भोगनेसे वंचित करदिया गया हो तो उसको अपनी अलहदगीके समयतकका साधारण हिसाब लेनेका अधिकार है-देखो-कृष्णा बनाम सब्बाना 7 Mad. 564; 19 Bom 532 ; 5 Bom 589 ; 7 I. A. 38 ; 6 C. L R. 153 ; और देखो-ज़ाबता-दीवानी 1908 Order 20 rule 12.

अगर किसी कोपार्सनरको जायदादके कुछ हिस्सोंके भोगनेमें बाधा पड़ी हो तो वह उतने दिनोंतकका हिसाब लेसकता है-देखो दफा ४२४ (क).

मरम्मत आदि-अगर पहिलेसे कोई स्पष्ट समझौता न होगया हो तो कोपार्सनरी जायदादकी मरम्मत आदिमें किसी कोपार्सनरने अपने पाससे जो कुछ ख़र्च किया हो वह ख़र्च उसे नहीं मिलसकता--1 Mad. H. C. 309 ;

दफा ५४०. मुश्तरका ख़ानदानका क़र्ज़ आदि—मुश्तरका जायदादपर जो कुछ क़र्ज़ हो, और बटवारा करनेवाले भाइयोंके बापका जो कुछ क़र्ज़ हो, और भरण पोषणका जो ख़र्च जायदादपर पड़ता हो, कुटुम्बियोंकी लड़कियोंके विवाह का जो ख़र्च हो और वह अलग अलग हिस्सोंमेंसे न दिया जा सकता हो; और धर्मकृत्य संबंधी जो ख़र्च ख़ानदानके ज़िम्मे हों, यह सब क़र्ज़ और ख़र्च बटवारेके समय जायदादमेंसे अलग किया जायगा अर्थात् अलग अलग हिस्सोंमेंसे दिये जानेका प्रबंध नहीं किया जायगा। और बटवारेमें सब प्रकारकी कोपार्सनरी जायदाद और वह जायदाद भी जो कोपार्सनरी जायदादकी मददसे ख़रीदी गयी हो या पैदा-की गयी हो बटवारेमें शामिल की जायगी।

मुश्तरका जायदादका क़र्ज़ और बापका क़र्ज़ जायदासे अलग किया जायगा देखो--ताराचन्द बनाम रीवराम 3 Mad. H. C. 177 ; लक्ष्मणदादा नायक बनाम रामचन्द्रदादा नायक 1 Bom 561 ;

5 Bom. 589-595 में माना गया कि किसी कोपार्सनरको उसके ख़र्चके लिये पहिले जो रुपया मिल चुका हो उसका हिसाब नहीं लिया जायगा।

जायदादके किसी हिस्सेको अपना मानकर किसी कोपार्सनरने अगर उसे बेंच दिया हो तो जहांतक मुमकिन हो उतना हिस्सा ख़रीदारको दिया जाना चाहिये। अगर ऐसा मुमकिन न हो तो ख़रीदार उसी कोपार्सनर की ज़ातसे हरजाना पानेका हक़दार होगा-देखो. 25 Mad. 690-718-719.

जब किसी कोपार्सनरने मुश्तरका जायदादके किसी ख़ास हिस्सेपर अपना निजका रुपया लगाया हो या और तरहसे उस हिस्सेकी तरक्की की हो तो उचित यही है कि वह हिस्सा उसीको दिया जाय। मगर शर्त यह है कि वह उसका हिस्सा उसके उचित हिस्सेसे अधिक न हो। एक मुक़द्दमेमें एक कोपार्सनरने मुश्तरका ख़ानदानकी ज़मीनपर एक मकान अपने निजके रुपयेसे बनवा लिया था अदालतने यह फैसला किया कि प्रत्येक कोपार्सनर उस मकानमें तथा उस ज़मीन में कि जिसपर वह मकान बनाया गया है हिस्सा पानेका हक़दार है-देखो-विठ्ठोबा बाबा बनाम हरीबा बाबा 6 Bom. H. C. A. C. 54.

नोट—मुश्तरका ख़ानदानमें, अलहदगी यानी अलगाव और बटवारा इनका ठीक ठीक निश्चय होना प्रत्येक मुक़द्दमेंकी शहादतपर निर्भर है। यदि बंट जानेकी नीयत और उनके कामोंसे उस नीयतका सुबूत मिलता हो तो ऐसी अलहदगी बटवारेका असर रखती है। इस तरहका अलगाव या बटवारा हो जानेसे मुश्तरका कुटुम्ब नहीं रहता चाहे कुछ जायदाद मुश्तरका भी रहगयी हो। पीछे हरएक मेम्बर नये मुश्तरका ख़ानदानका मूल पुरुष बन जाता हैं, सरवाइवरशिप् टूट जाता है, उसकी जायदाद उतराधिकारके क्रमसे चलती है।

(६) बटवारा (Partition) के क़ानूनकी कुछ ज़रूरी दफ़ाएं।

अदालतके द्वारा जो बटवारे होते हैं वे सब क़ानून बटवारा यानी पार्टीशन् एक्ट नं० ४ सन१८९३ की नीचे लिखी दफ़ाओंके अनुसार किये जातेहैं। परंतु जहां कहीं किसी ग़ैरमनक़ूला जायदादके बटवारेके विषयमें कोई स्थानिक क़ानून हो और वह जायदाद सरकारको मालगुज़ारी देती हो तो उससे नीचेकी दफ़ायें लागू नहीं होंगी–

दफ़ा ५४१. बटवारेके बजाय बिक्री——(उक्त क़ानून बटवाराकी दफ़ा२) "जब बटवारेके किसी मुक़द्दमेमें, जो अगर इस क़ानूनके जारी होनेसे पहिले दायर कियाजाता तो उसमें बटवारेकी डिकरी होजाती, अदालत यह देखे कि मुक़द्दमे संबंधी जायदाद इस क़िस्मकी है कि तक़सीम उचित रीतिसे और सुभीतेसे नहीं होसकती या जायदादके हिस्सेदारोंकी संख्याके ख्यालसे या किसी दूसरी ख़ास वजेहसे ऐसी तक़सीम न हो सकती हो और अदालतकी यह राय हो कि तक़सीम करनेके बजाय जायदाद बेंचकर उसका दाम हिस्सेदारोंको बांट देना ज्यादा लाभकारी होगा तब अदालत अगर मुनासिब समझे तो किसी ऐसे हिस्सेदारकी दरख़ास्तपर जो स्वयं या मजमूई तौरसे जायदादके एक या ज्यादा हिस्सेमें हक़ रखता हो, यह हुक्म देगी कि जायदाद बेंचकर उसका दाम बांट दियाजाय" 4 Bom.103.

दफ़ा ५४२. जब हिस्सेदार ख़रीदनेको तैय्यार हों——(उक्त क़ानून बटवाराकी दफ़ा ३.) (१) अगर किसी मुक़द्दमेमें, जिसमें ऊपर लिखी हुई दूसरी दफ़ाके अनुसार अदालतसे बिक्रीकी आज्ञा देनेकी प्रार्थना की गयी हो, कोई दूसरा हिस्सेदार ऐसी प्रार्थना करनेवाले या करनेवालोंका हिस्सा या हिस्से मूल्य देकर ख़रीद लेनेकी मंज़ूरी मांगे, तो अदालत जिस रीतिसे मुनासिब समझे उस हिस्से या हिस्सोंका मूल्य मालूम करायेगी, और उसी मूल्यपर उस हिस्सेदारके हाथ बेंच देगी और इस संबंधमें जो कुछ हिदायतें ज़रूरी और उचित समझे करेगी।

(२) इसी दफ़ाके अंक १ के अनुसार जब दो या ज्यादा हिस्सेदार उस तरहपर अलग अलग ख़रीदनेकी मंज़ूरी मांगें तो जो हिस्सेदार अदालतके लगाये हुए दामसे ज्यादा दाम देगा उसीके हाथ हिस्से या हिस्सोंकी बिक्री होगी।

(३) अगर अदालतके लगाये हुए दामपर ख़रीदारीकी इच्छा करनेवाला हिस्सेदार उस हिस्से या हिस्सोंको न ख़रीदना चाहे तो उसको दरख़ास्त का सब ख़र्चा (अगर कोई हो) देना पडेगा।

दफ़ा ५४३. रहनेके मकानके हिस्सेके बटवाराका दावा—(उक्त क़ानून बटवारा की दफ़ा ४.) (१) जब मुश्तरका ख़ानदानके रहनेके मकानका एक हिस्सा किसी ऐसे आदमीको मुन्तक़िल कियागया हो जो उस मुश्तरका ख़ानदानका आदमी नहीं है, और वह आदमी उस हिस्सेके बटवारेका दावा करे, और उस मुश्तरका ख़ानदानका कोई हिस्सेदार उस हिस्सेके ख़रीदनेको तैय्यार हो, तो अदालत जैसे मुनासिब समझे उस हिस्सेका दाम लगायेगी

और उसे उस हिस्सेदारके हाथ बेंच देनेकी आज्ञा देगी और उस संबंधमें जो ज़रूरी और उचित हिदायतें हों करेगी।

(२) ऊपर कहे हुए इसी दफाके अंक १ के अनुसार जब मुश्तरका ख़ानदानके दो या ज़्यादा हिस्सेदार अलग अलग उस हिस्सेके ख़रीदनेको तैय्यार हों तो अदालत वही कारर-वाई करेगी जो दफा ३ के अंक २ में कहीगयी है।

दफा ५४४. अयोग्य फरीक़ोंका स्थानापन्न—(उक्त क़ानून बटवाराकी दफा ५.) जब किसी बटवारेके मुक़द्दमेमें कोई आदमी जो अयोग्य फरीक़की तरफसे उस मुक़द्दमेमें अधिकार प्राप्त स्थानापन्न हो, उस अयोग्य फरीक़की ओरसे बिक्रीकी दरख़ास्त करे या ख़रीदनेको तैय्यार हो और मंजूरी मांगे तो अदालत उसकी दरख़ास्त तभी मंजूर करेगी जब कि वह यह देखेगी कि वह बिक्री या ख़रीद उस अयोग्य फरीक़के लिये लाभकारी होगी।

दफा ५४५. नीलाममें निश्चित मूल्य और हिस्सेदारकी बोली—(उक्त क़ानून बटवाराकी दफा ६) (१) दफा २ के अनुसार जो नीलाम होगा उसमें मूल्य निश्चित रहेगा, और वह मूल्य अदालत समय समयपर जैसा मुनासिब समझे निश्चित करेगी।

(२) ऐसे हरएक नीलाममें हरएक हिस्सेदारको यह अधिकार है कि बोली बोले और डिपाज़िटका रुपया अदा न करे या मूल्यका रुपया या उसका कोई हिस्सा उसी वक्त अदा करनेके बजाय, जैसा कि अदालत उचित समझे उस हिस्सेदार के किसी हिसाबमें काट ले।

नोट—'निश्चितमूल्य' यह वह मूल्य है जो अदालत निश्चित करती है और जिससे कमपर वह जायदाद नीलाम नहीं होसकती।

(३) अगर दो या ज़्यादा आदमी जिनमेंसे एक उस जायदादका हिस्सेदार हो नीलामके समय बराबर बराबर बोली बोलकर एकही दाम दें तो वह बोली हिस्सेदारकी बोली समझी जायगी।

दफा ५४६. बिक्रीका ज़ाबता——(उक्त क़ानून बटवाराकी दफा ७) ऊपरकी दफाओंमें कही हुई सूरतोंके सिवाय जब किसी दूसरी सूरतमें इस एक्टके अनुसार जायदादके बेंचनेका हुक्म हो तो जहांतक मुमकिन होगा नीचे लिखा ज़ाबता काममें लायाजायगा—

(क) अगर वह जायदाद कलकत्ता, बंबई, और मदरासके ओरीजिनल ज़ुरिसडिक्शन् की किसी डिकरी या हुक्मके अनुसार या लोअर बरमाकी चीफ कोर्टकी डिकरी या हुक्मके अनुसार बेंची जाय तो उसमें वही ज़ाबता काममें लायाजायगा जो उस अदालतका रजिस्ट-रार ओरीजिनेल सिविल ज़ुरिस्डिकशन्के अनुसार किसी जायदादके बेंचनेमें काममें लाता हो।

(ख) अगर वह जायदाद किसी दूसरी अदालतकी डिकरी या हुक्मके अनुसार बेंची जाय तो उसमें वह ज़ाबता काममें लायाजायगा जो हाईकोर्ट समय समयपर निश्चित करे और जबतक ऐसा ज़ाबता निश्चित न कियाजाय तो ज़ाबतादीवानी एक्ट नं० ५ सन १९०८ का वह क़ायदा काममें लाया जायगा जिसके अनुसार साधारण डिकरीकी कुर्कीमें नीलाम होता है।

दफा ५४७. डिकरी——(उक्त क़ानून बटवाराकी दफा ८) इस क़ानूनकी दफा २-३ और ४ के अनुसार अदालत डिकरीका जो हुक्म देगी वह ज़ाबतादीवानीकी दफा २ के अनुसार समझा जायगा।

दफ़ा ५४८. आधा बटवारा आधी बिक्री——(उक्त क़ानून बटवाराकी दफ़ा ९) बटवारेके किसी मुक़द्दमेमें अगर अदालत मुनासिब समझे तो जिस जायदादके संबंधमें वह मुक़द्दमा दायर हुआ हो उसके एक हिस्सेके लिये बटवारेकी डिकरी दे और बाक़ी हिस्सेके लिय क़ानूनके अनुसार बिक्रीकी आज्ञा दे ।

दफ़ा ५४९. इस क़ानूनसे पहिलेके मुक़द्दमें——(उक्त क़ानून बटवाराकी दफ़ा १०) यह क़ानून उन सब मुक़द्दमोंसे लागू होगा जो इसके जारी होनेसे पहिले दायर किये गये हों और इसके जारी होनेके वक्त चलरहे हों, लेकिन जिन मुक़द्दमोंका अदालत फैसला कर चुकी है उनसे यह क़ानून लागू नहीं होगा ।

दफ़ा ५५०. सरकारी मालगुज़ारी देनेवाली जायदादका बटवारा——सरकारी मालगुज़ारी देनेवाली जायदादके बटवारेकी डिकरी दीवानी अदालत दे सकती है परंतु उस डिकरीकी तामील नहीं करा सकती-देखो, मेहरबान रावत बनाम विहारीलाल 23 Cal 679 ; दत्तात्रेय विट्ठल बनाम महादाजी परशुराम 16 Bom. 528 ; 8 C. L. R. 367 ; 11 Bom. 662 ; 7 Cal 153.

लेकिन अगर वह डिकरी इस शर्तसे की जाय कि बटवारा या उस जायदादका कोई हिस्सा अलग करने पर भी सरकारी मालगुज़ारी विना बंटी हुई दी जायगी तो कलेक्टर उस जायदादका बटवारा या उस जायदादका कोई हिस्सा अलग करदेगा उसकी यह काररवाई ज़ाबतादीवानी एक्ट नं० ५ सन १९०८ की दफ़ा ५४ के अनुसार होगी ।

अगर सरकारी मालगुज़ारी वांटकर अलग अदा करनेकी प्रार्थना न की जाय तो अदालत दीवानी ऊपर कही हुई अपनी डिकरीकी तामील करा सकती है-देखो-योगेश्वरी देवी बनाम कैलाशचन्द्रलहरी 24 Cal 725 ; 1 C. W. N. 374.

गुजरातकी ताल्लुकेदारी जायदादके बटवारेकी दरख़ास्त बंबई हाईकोर्टके सिवाय अन्य कोई दीवानी अदालत नहीं सुन सकती-Act 6 of 1888 S. 21.

दफ़ा ५५१. मालगुज़ारीके क़ानून——सरकारी मालगुज़ारी अदा करनेवाली जायदादोंके संबंधमें निम्न लिखित क़ानून हैं--

(१) अजमेरके वास्ते-रिजोल्यूशन नं० 2 सन 1877.

(२) संयुक्त प्रांतके वास्ते-एक्ट नं० 3 N. W. P 1901 की दफ़ा 105 से 140 तक और दफ़ा 203 ; जगन्नाथ बनाम त्रिवेनी 31 All 41.

(३) मध्यप्रदेशके वास्ते-एक्ट नं० 18 सन 1881 की दफ़ा 136 जिसका संशोधन हुआ है एक्ट नं० 16 सन 1889 की दफ़ा 26.

(४) बंबईके वास्ते-एक्ट नं० 10 सन 1876 ; एक्ट नं० 5 बंबई कौंसल 1879 ; की दफ़ा 113 ; 114 ; एक्ट नं० 6 सन 1888.

(५) मदरासके वास्ते-मदरास रिजोल्यूशन नं० 2 सन 1803.

(६) बंगालके वास्ते-रिजोल्यूशन नं० 8 सन 1793 और नं० 7 सन 1822 ; एक्ट नं० 5 सन 1897.

(७) आसामके वास्ते-रिजोल्यूशन नं० 1 सन 1886 की दफ़ा 96-121 और दफ़ा 154.

(८) पंजाबके वास्ते-एक्ट नं० 17 सन 1887 की दफ़ा 112 से 135 और दफ़ा 158.

(७) बंटे हुए कुटुम्बियोंका फिर शामिल शरीक होजाना ।

दफा ५५२. फिर शामिल हो जाना——मुश्तरका ख़ानदानके बटवारा करनेवाले सब लोग या उसमेंसे कुछ फरीक़ बटवारा हो जानेके बाद फिर एकमें शरीक हो सकते हैं और उनके इस तरहपर शामिल होनेसे फिर मुश्तरका ख़ानदान बन जासकता है। उस ख़ानदानकी वही हैसियत होगी जो बटवारा करनेके पहिले थी-देखो-बालाबकसलाडूराम बनाम रुखमाबाई 30 I. A. 130; 30 Cal 725; 7 C. W. N. 642; 5 Bom. L. R. 469; 10 M. I. A. 403; 4 W. R. P. C. 11; 3 Bom. H. C. A. C. 69; 4 Bom. H. C. O. C. 150; 35 Cal 721; 19 Cal 634; 5 W. R. C. R. 249; 33 Mad 165.

सिर्फ इकट्ठे रहने या एक साथ जायदादके भोगनेसे एकमें शामिल होना नहीं समझा जायगा बल्कि शामिल होनेवाले सब कुटुम्बियोंका जायदादका मालिकाना हक़ फिर एक हो जाना चाहिये-37 Cal 703; 7 W. R. C. R. 35; 5 Bom. L. R. 461.

बंटे हुए कुटुम्बियोंकी संतान भी अगर चाहे तो फिर एकमें शामिल हो सकती है परंतु उन संतानोका एकमें शामिल होना हिन्दूलॉके अभिप्रायके अंदर नहीं है और न उनके एकमें शामिल होनेसे वरासतमें कुछ असर पड़ेगा—10 Cal L. R. 161.

मिताक्षराके अनुसार नीचे लिखे सिर्फ तीन प्रकारके कुटुम्बी ही फिर एकमें शामिल हो सकते हैं। इस विषयमें बृहस्पति कहते हैं कि—

विभक्तो यः पुनः पित्रा माता वैकत्र संस्थितः
पितृव्येणाथवा प्रीत्या स तत्संसृष्ट उच्यते——

(१) पिता और पुत्र
(२) भाई और भाई
(३) चाचा और भतीजे—33 Cal 371; 10 C. W. N. 236.

स्मृति चन्द्रिका, दायभाग, वीरमित्रोदय, और मयूख इनकी भी यहीं राय है। परंतु मिथिला स्कूलमें कोई भी मुश्तरका ख़ानदानका मेम्बर एकमें शामिल हो सकता है। नाबालिग़की तरफसे एकमें शामिल होनेका इक़रार नहीं किया जासकता—देखो—30 I. A. 130; 5 Bom. L. R. 469; 30 Cal 725.

सुबूत—जब बंटकर फिर कोई शामिल हो जावे तो बार सुबूत उसके ऊपर होगा जो कहे कि फिर शामिल होगये थे—देखो-गोपालचन्द दाधोदिया बनाम कनीराम दाधोदिया 7 W. R. C. R. 35.

(८) बटवारा न हो सकनेवाली जायदादका उत्तराधिकार ।

दफा ५५३. ज्येष्ठका हक़ सब जायदाद पानेका—जिस जायदाद का बटवारा नहीं हो सकता अर्थात् ऐसी जायदाद कि जिसका वारिस ख़ानदानका सिर्फ एक ही आदमी होता है उस जायदाद का उत्तराधिकार रवाज के अनुसार या दानपत्र की या किसी लिखत की शर्तों के अनुसार होता है—देखो-वेंकट नृसिंह अप्पाराव बनाम कोर्ट आफ वार्डस् 7 I. A. 38 ; 6 C. L. R. 153 ; 24 Mad 613 ; जायदाद की वरासत हिन्दूलॉके उत्तराधिकारके साधारण. नियमानुसार होगी या 'प्राइमोजे निचर' (Primogeniture देखो दफा ५५७) के नियम के अनुसार । इस प्रश्न का निर्णय प्रत्येक मुक़द्दमें में उसकी शहादत के अनुसार होगा । देखो-मल्लिकार्जुन महाराज बनाम दुर्गा महाराज 17 I. A. 134–144 ; 13 Mad 406 ; 32 I. A. 261–269 ; 28 Mad 508–515 ; 10 C. W. N. 95-106 ; 7 Bom L. R. 907 .

प्राइमोजेनिचर (दफा ५५७) ; उत्तराधिकार का वह नियम है कि जिस के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र ही अपने पिताकी जायदाद का वारिस होता है दूसरे पुत्र वारिस नहीं होते। किसी ख़ास रवाज के अनुसार एक ही वारिसको जायदाद के मिलने के नियम पर—बंगाल रिजोल्यूशन् एक्ट नं० १९ सन १७९३ का कोई असर नहीं पड़ता-देखो-वीर प्रतापशाही बनाम राजेन्द्र प्रतापशाही 12 M. I. A. 1 ; 9 W. R. P. C. 15 ; 29 I. A. 178 ; 29 Cal 828 ; 7 C. W. N. 57 ; 4 Bom. L. R. 664.

मदरास रिजोल्यूशन २५ सन १८०२का असर नहीं पड़ता जो साधारण सनद से जायदाद दीगयी हो । मगर सनद की शर्तों और रवाज के अनुसार इसका बिचार होगा-देखो-काची कलियाना रें गप्पा कलका थोला उदयार बनाम काची यूवारें गप्पा कलका थोला उदयार (1905) 32 I. A. 261–269 ; 28 Mad 508 ; 10 C. W. N. 95-106 ; 7 Bom. L. R. 907 ; 8 I. A. 99 ; 3 Mad 290 ; 17 I. A. 134 ; 13 Mad 406 ; 7 I. A. 38 ; 14 B. L. R. 115.

दफा ५५४. न बट सकने वालीजायदाद के नियम———जिस जायदाद का बटवारा नहीं हो सकता, उसके उत्तराधिकार का नियम हिन्दूलॉसे अवश्य ही भिन्न है परंतु ख़ानदान का यदि कोई विशेष रवाज न हो तो उत्तराधिकार का क्रम हिन्दूलॉके अनुसार होगा देखो—23 I. A. 128 ; 19 Mad 451 ; 16 Mad 11 ; 17 I. A. 128 ; 18 Cal 151–154 ; 9 M. I. A. 543 ; 2 W. R. P. C. 31.

मिताक्षराके अनुसार न बट सकने वाली मौरूसी जायदाद का उत्तराधिकारी वही आदमी होगा जों कोपार्सनर होता यदि वह जायदाद बंट सकती-देखो-योगेन्द्र भूपति हरी चन्दन महा पात्र राजा बनाम नित्यानन्द मान सिंह 17 I. A. 128–131 ; 18 Cal 151 ; 31 Cal 224.

अलहदगी—न बट सकनेवाली जायदाद में यदि कोई कहे कि अमुक पुरुष अलहदा

रहता था इस वजह से वह अधिकारी नहीं है तो ऐसा सवाल ऐसी जायदाद में कभी पैदा ही नहीं होसकता क्यों कि जायदाद एक ही आदमी के पास रहेगी तो अलहदगी किसकी होगी। वहां ज्येष्ठ का प्रश्न या किसी रवाज का प्रश्न उठा करता है—देखो मशहूर केस—लिलतेश्वर सिंह बनाम रमेश्वर सिंह (1909) 36 Cal. 481; 13 C. W. N. 838. ऐसी जायदाद का उत्तराधिकार हमेशा; सरवाइवरशिप (दफा ५५८); के नियमानुसार होता है।

न बट सकनेवाली मौरूसी जायदाद जो मिताक्षरा लॉके प्रभुत्व में हो उसका क़ाबिज़ मालिक मरजाय और कोई पुरुष संतान न छोड़े तथा मुश्तरका खानदान हो तो उसकी भिन्न शाखा का पुरुष वारिस होगा, विधवा या पिछले मालिक की लड़कियां वारिस नहीं होंगी—चिंतामणि सिंह चौधरी बनाम नवलखो कुंवर 2 I. A. 263; 1 Cal 153; 24 W. R. C. R. 255; 11 I. A. 149; 7 All. 1. ऐसी जायदाद के क़ाबिज़ की ज़िंदगी में उसके वारिस का हक़ केवल 'स्पेस् सकूसेशन्' (Spes successionis) होताहै अर्थात् केवल उत्तराधिकारी होनेकी आशा मात्र रहती है अधिक नहीं और उसके इस तरह के हक़का इन्तक़ाल नहीं हो सकता है-देखो-ललितेश्वर सिंह बनाम रामेश्वर सिंह 36 Cal. 481.

दफा ५५५. स्त्रियोंका वारिस होना——यदि कोई खास रवाज न हो तो मिताक्षरा लॉसे शासित होनेवाली न बट सकनेवाली मौरूसी जायदाद की वारिस स्त्रियां नहीं हो सकतीं, मगर शर्त यह है कि वह जायदाद पिछले पूरे मालिक की ख़ुद प्राप्त की हुई न हो, और अगर पिछले मालिक के कोई पुरुष वारिस ही नहीं हो तो स्त्रियां वारिस हो सकती हैं; देखो-हिरन्नाथ कुंवर बनाम रामनरायन सिंह 9 B. L. R. 274; 17 W. R. C. R. 316.

जब कि न बट सकनेवाली जायदाद ऐसी जायदाद हो जो अलग ख़ुद कमाई गयी हो तो उस जायदाद से वही नियम लागू होता है जो अलग कमाई हुई जायदाद के लिये नियतहै (देखो दफा ४१८से४२३)और स्त्रियां उसी प्रकार उस जायदाद की वारिस हो सकती हैं जैसे कि वे बटवारा हो सकनेवाली जायदाद की होतीं-देखो जहांपर गवर्नमेन्टने कोई जायदाद किसी कुटुम्ब को इनाम के तौर पर दी हो-रामनन्दन सिंह बनाम जानकी कुंवर 29 I. A. 178; 29 Cal 828; 7 C. W. N. 57.

कट म्मानाच्चियर बनाम राजा शिवगंगासन 9 M. I. A. 543; 2 W. R. P. C. 31 वाले मुक़द्दमेमें यह माना गया कि जबतक कि कोई ख़ास रवाज अचल साबित न की जाय तबतक स्त्रियां न बट सकनेवाली जायदादकी बरासतसे वंचित नहीं रखी जा सकतीं. इससे यह स्पष्ट है कि यदि कोई पुरुष संतान न हो तो विधवा आदि वारिसहो सकती हैं देखो 5 I. A. 61; 1 Mad. 312; 5 I. A. 149; 4 Cal 190;

दफा ५५६. मिताक्षराकी ज्येष्ठ लाइन—मिताक्षरालॉ द्वारा शासित न बट सकनेवाली जायदाद जब उत्तराधिकार के क्रममें उतरती है तो खूनके लिहाज़ से सबसे नज़दीकी कोपार्सनरको नहीं मिलती बल्के ज्येष्ठ लाइनके सबसे नज़दीकी कोपार्सनर को मिलतीहै। देखो 32 I. A. 261; 28 Mad 508; 10 C. W. N. 95; 7 Bom. L. R. 907; 4 Mad 250; 16 Mad 11; 23 I. A. 128; 19 Mad 451; 11 I. A. 51; 10 Cal 511; 20 I. A. 77; 20 Cal 649.

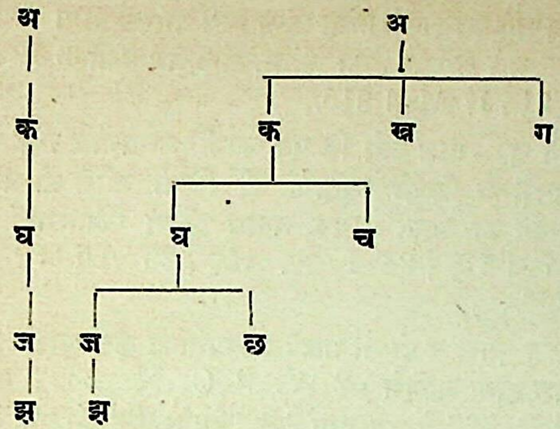

इस उदाहरणमें झ, को छोड़कर वाक़ी सव कोपार्सनर हैं न वट सकनेवाली मौरूसी जायदाद इस वक्त अ, के पास है अ, के तीन पुत्र, दो पौत्र, और दो प्रपौत्र तथा एक प्रपौत्रका पुत्र मौजूद है। अ, की ज्येष्ठ लाइनमें क, घ, ज, झ, हैं।

(१) अ, मरा तो सव जायदाद अकेले क, को मिलेगी इसमें संदेह नहीं है। मगर ऐसा मानो कि क, पहिले मरा पीछे अ, मरातो फिर जायदाद घ, उसके पातेको मिलेगी जो सव पोतोंमें ज्येष्ठ है, अगर क, घ, दोनों पहिले मर गये पीछे अ, मरा तो सव जाजदाद उसके ज्येष्ठ प्रपौत्र ज, को मिलेगी।

(२) यदि क, घ, ज पहिले मरगये पीछे अ, मरा तो अव ज्येष्ठ लाइनके हिसाव से तो सव जायदाद झ, को मिलना चाहिये मगर आजतक कोई मुक़द्दमा ऐसा देखनेमें नहीं आया कि जिसमें, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्रके मरनेके वाद प्रपितामह अपने प्रपौत्रके पुत्रको छोड़कर मरा हो और उनके बीचमें ऐसा झगड़ा पैदा हुआ हो। मिताक्षरालॉ के अनुसार ऐसी कोई जायदादही नहीं है कि जो एकही किसी वारिसकी ख़ास संतान में रहे इसलिये माना यह गया है कि जव ऐसी हालत हो तो ख, को सव जायदाद मिलेगी क्योंकि सवसे नज़दीका कोपार्सनर वही है। मिताक्षरामें दो वातें कही गयीहैं ज्येष्ठलाइन और कोपार्सनर। अ,के जीते झ, कोपार्सनर न था, अ, मरा तव झ कोपार्सनर हो सकताथा अगर उसका वाप, दादा या परदादा ज़िंदा होता। वह सूरत भी इस उदारहणमें नहीं है इसलिये जायदाद ख, को मिलगी।

दफा ५५७. 'प्राइमोजेनिचर' का नियम—अगर कोई ख़ास नियम या रवाज वाधक न हो तो न वट सकनेवाली जायदादका उत्तराधिकार 'प्राइमोजेनिचर' के नियमके अनुसार होता है अर्थात् एकही दर्जेके लोगोंमें ज्येष्ठ ही उत्तराधिकारी सव जायदादका होता है; देखो—ईश्वरीसिंह वनाम वल्देवसिंह 11 I. A, 135—145 ; 10 Cal. 792—805 ; भवानी गुलाम वनाम देवराज कुंवारी (1883) 5 All 542 ; 17 Mad. 316—325.

कुछ ख़ानदानोंमें 'प्राइमोजेनिचर' का नियम नहीं बल्कि और दूसरी वजेह ज्येष्ठ के चुनेजाने की होती है–11 I. A, 51 ; 29 I. A. 62 ; 29 Cal. 343 ; 4 B. L.R. 472.

अवध—अवधके ताल्लुके दारोंकेविषयमें देखो—देवीवख्शसिंह वनाम चन्द्रभानसिंह (1910) 37 I. A. 168 ; 32 All 599 ; 14 C. W. N. 1010 ; 12 Bom. L. R. 1015 ; अवधके रईसों (तालुक़दारों) मेंप्रायः यह रवाज अवभी जारी है यदि इसके विरुद्ध सावित हो जाय तो दूसरी वात है।

खूनकी नज़दीकी—मिताक्षरालॉ के अनुसार एकही दर्जेके लोगोंमें खून के लिहाज़से नज़दीकी रिश्तेदार होनेकी वजेहसेही कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता जैसे सगे छोटे भाईके होते सौतेला वड़ा भाई चुना जायगा 11 Mad 316 ; वंगाल स्कूलमें माना गया है

कि पिछले मालिकके निकटस्थ कुटुम्बियोंमें जो सबसे ज्येष्ठ होगा वही वारिस होगा अर्थात् ज्येष्ठ सौतेले भाईके होते भी सगा छोटा भाई वारिस होगा बंगालकी नज़ीर देखो-3 B. L. R. P. C. 13 ; 12. W. R. P. C. 21 ; 17 Mad 316.

ज्येष्ठपुत्र—अगर किसी ख़ानदानमें यह रवाज नहो कि पुत्र अपनी माताओंके छोटे बड़े होनेके लिहाज़से वारिसहों तो उस ख़ानदानमें पिछले मालिक की किसी स्त्रीसे भी जन्मा ज्येष्ठपुत्र वारिस होगा--देखो--रामासामी का माया नायक बनाम सुंदरा लिंगासामी 17 Mad 422 ; 26 I. A. 55 ; 22 Mad 515 ; 28 I. A. 100 ; 23 All 369 , 5 C. W. N. 602 ; 12 B. L. R. 396.

माना गया है कि यदि कोई रवाज ख़ास न हो तो माकी जातपांतका कुछ असर इस सिद्धांतमें नहीं पड़ता (परंतु पुत्र जायज़ होना चाहिये) 2 W. R. C. R. 232; और देखो मेन हिन्दूलॉ 7 ed की दफा 541 P. 733 में कहागया हैकि "प्रिवीकौन्सिलने एक प्रश्न यह फैसला करनेसे छोड़दिया कि अनुचित कुटुम्ब और जातिकी स्त्रियोंसे पैदा हुए पुत्रोंमें कौन वारिस होगा ? आजकल दूसरी जातिकी स्त्रीसे तो विवाह कभी होताही नहीं यह रवाज बहुत दिनोंसे प्रचलित है यदि कोई पुत्र ऐसे विवाहसे पैदा हो तो वह अनौरस पुत्र होगा और उसे बरासतमें अधिकार नहीं होगा इसलिये यह प्रश्न वृथा है। मगर जब विवाह अपनी क़ौममें भिन्नभिन्न ख़ानदानोंकी लड़कियोंसे हुआहो और जायज़ हो उनसे पैदा हुए पुत्रोंमें यह प्रश्न ज़रूर उठताहै-मदरासमें इसी तरहका एक मामलापैदा हुआ उसमें दोपुत्र दोमाताओंसे पैदा हुए थे। बापकी पहिली स्त्री निःसन्तान पहिले मरचुकी थी- पीछेकी स्त्रियोंके ये दोनों पुत्र थे, इनमें जो छोटा बेटा था उसकी माकी शादी बड़े बेटेकी मासे पहिले हुई थी--हाईकोर्टने माना कि छोटा बेटा वारिस है क्योंकि उसकी मा ऊंचे दर्जेकी बेटी है यानी ज्येष्ठ पुत्रकी मा एक रियायाकी लड़की है और छोटे बेटेकी मा एक ज़िमीदारकी लड़की है " देखो 26 I. A. 555 S. C. ; 22 Mad 515.

ज्येष्ठ पुत्रकी लाइन-ऐसे ज्येष्ठ पुत्रकी मृत्युके बाद जब कि जायदादका वह मालिक बनगया होतो उस जायदादकी बरासत उसी ज्येष्ठ पुत्रकी ज्येष्ठ लाइनमें रहेगी। लेकिन यदि ज्येष्ठ पुत्र जायदादके मालिक होनेसे पहिलेही मरजाय तो फिर उसका पुत्र वारिस होगा या मरनेवालेका भाई, इस प्रश्नका स्पष्ट निर्णय अभीतक नहीं हुआ-देखो-मेनहिन्दूलॉ 7 ed P. 736.

अनौरस पुत्र—यदि ज्येष्ठ पुत्रके नज़दीकी रिश्तेदार न हों बहुत दूरके हों और उसके पिताका एक अनौरस पुत्र हो तो ऐसा माना जासकता है कि दूसरे बहुत दूरके रिश्तेदारोंके होते वह अनौरसपुत्र ज्येष्ठ पुत्रका वारिस होगा 17 I. A. 128 ; 18 Cal 151.

बटवारा होसकनेवाली जायदादमें जिस तरह हरएक पुरुष मालिकसे नया कुटुम्ब बनता है उसी तरह न बट सकनेवाली जायदादके पुरुष मालिकमें भी बनता है--23 I. A. 128 ; 19 Mad 451.

रिक्थाधिकार
अर्थात्
उत्तराधिकार ।

नवाँ--प्रकरण ।

अव हम सर्वसाधारणके समझनेके लिये एक ज़रूरी विषय ' रिक्थाधिकार ' को लिखते हैं । रिक्थाधिकार को आजकल लोग उत्तराधिकार अकसर कहते हैं यद्यपि उत्तराधिकार शब्द मिताक्षरालॉमें अशुद्ध है किंतु प्रचलित होनेके कारण हमने उत्तराधिकार ही शब्दका प्रयोग किया है । उत्तराधिकारका अर्थ है ' वरासत ' वरासत हिन्दुओंके वटे हुए ख़ानदानमें होती है । प्राचीन हिन्दूधर्मशास्त्रोंके देखनेसे मालूम होता है कि पहिले हिन्दुओंका ख़ानदान शामिल शरीक रहा करता था । जो ख़ानदान वटा न हो उसे मुश्तरका ख़ानदान अथवा शामिल शरीक परिवार कहते हैं (देखो प्रकरण छठवाँ) यही हालत खानपान और धार्मिक कामोमें थी । खानपान मुश्तरका और धार्मिक कृत्यें भी मुश्तरकन् होती थीं । अग्निहोत्र, श्राद्ध आदिमें भी इस वातका प्रमाण मिलता है । सवसे पहिले हिन्दू परिवार शामिल शरीक रहताथा । पीछेसे वटवाराकी चाल पैदा हुई और जवसे बटवारेका रवाज चला तभीसे वरासत यानी उत्तराधिकारकी पैदाइश हुई क्योंकि वरासत हमेशा वटे हुए परिवारमें होती है शामिल शरीक ख़ानदानमें नहीं होती । उत्तराधिकारके विषयके शुरू करनेसे पहिले यह वात ज़रूरी मालूम पड़ती है कि जो पारिभाषिक शब्द प्रायः इस विषयमें आवें उनकी सूची प्रथम दी जाय दफा ५५८ में कुछ ऐसे शब्दोंकी सूची दी है । यह नवां प्रकरण निम्न लिखित ९ भागोमें विभक्त है—

(१) साधारण नियम दफा ५५८ से ५७२ (२) मिताक्षरालॉके अनुसार मर्दोंका उत्तराधिकार दफा ५७३ से ६०२ (३) सपिण्डोंमें वरासत मिलनेका क्रम दफा ६०३ से ६३० (४) समानोदकोंमें वरासत मिलनेका क्रम दफा ६३१ से ६३२ (५) वन्धुओंमें वरासत मिलनेका क्रम दफा ६३३ से ६४१ (६) क़ानूनी वारिस न होनेपर उत्तराधिकार दफा ६४२ (७) औरतोंकी वरासत दफा ६४३ से ६४९ (८) मौरूसी ज़मीन आदिकी वरासत दफा ६५० (९) उत्तराधिकारसे वंचित वारिस दफा ६५१ से ६६२.

(१) साधारण नियम ।

दफा ५५८. पारिभाषिक शब्दोंकी सुची——

(१) सरवाइवरशिप-(Survivorship) यह शब्द 'सरवाइव' से बनाहै । 'सरवाइव' का अर्थ है पश्चात् जीवन, अति जीवन, और अवशिष्ट । यह शब्द जब वरासतमें शामिल होजाता है तो उसे ' सरवाइवरशिप ' कहते हैं उस वक्त इसका अर्थ होताहै ' शेषाधिकार, जीवित रहनेवाले वारिस का हक़ ' इसे यों समझिये कि, जब एकसे ज़्यादा आदमी या औरतें किसी जायदादमें सरवाइवरशिप के हक़के साथ हिस्सा रखती हों तो उनमेंसे एकके मरनेपर उसकी जायदादका वह हिस्सा जिसमें सर वाइवरशिपका हक़ शामिल था उसके वारिसको नहीं मिलेगा वल्कि दूसरे जीवित हिस्सेदारोंको वरावरमिलेगा । एवं जब एकके सिवाय

सब हिस्सेदार मरजायेंगे तो वह एकही हिस्सेदार सब जायदादका अकेला मालिक होगा।

उदाहरण—राम, कृष्ण, और शिव तीनो सगे भाई हैं तथा तीनोकी स्त्रियाँ हैं। तीनों को एक जायदाद मिली जिसमें सरवाइवरशिपका हक़ शामिल था। राम मर गया तो अब रामकी जायदाद में का वह हिस्सा जिसमें सरवाइवरशिप का हक़ शामिल था उसकी विधवा को नहीं मिलेगा वल्कि कृष्ण, और शिवको बरावर मिल जायगा। पीछे कृष्ण मरा तो इसी तरहपर उसकी विधवा को जायदाद नहीं मिली वल्कि उसकी जायदाद का मालिक शिव अकेला हुआ। अब शिव अवशिष्ट रहने की वजेहसे यानी पश्चात् जीवन के सववसे कुल जायदाद का अकेला वारिस हो गया। ऐसे हक़ को 'सरवाइवरशिप्' कहते हैं। दफा ५६१ भी देखो।

(२) रिवर्ज़नर-वारिस—'रिवर्ज़ नर-वारिस' (Reversioner) का अर्थ है 'प्रत्यावृत्याधिकारी, परावर्तनाधिकारी, और पुनरागमनाधिकारी। इस शब्दका उपयोग ऐसी जगहपर किया जाताहै जैसे-जब किसी आदमीने अपनी जायदाद, या उसका कोई हिस्सा किसी दूसरे आदमी के नाम निश्चित समय तक के लिये अपने क़ब्ज़ेसे निकाल कर उसके क़ब्ज़ेमें देदिया हो, तो उस समयके गुज़र जानेपर वह जायदाद मालिक के पास आती है। इसी तरहपर जब कोई जायदाद विधवाको उसकी ज़िंदगी भरके लिये वरासतमें मिली हो तो वह जायदाद विधवाके मर जानेपर मालिक असली यानी उसके पतिको पहिले पहुंचती है और फिर पति के वारिस को जाती है। वह वारिस जो पतिके संवंधसे पैदा होता है 'रिवर्ज़नर' वारिस कहलाता है इसी तरहपर दूसरी सब बातें समझिये 'भावी वारिस' 'भविष्य में होनेवाला वारिस' जो वारिस उसके मरनेके पश्चात् होनेवाला हो जिसके क़ब्जेमें संपत्ति है रिवर्ज़नर वारिस कहलाता है।

(३) टेनेन्ट इन् कामन्–(Tenant in common) क़ाविज़ शरीक, असामियान मुश्तर्क; जब एक या एकसे ज़्यादा लोग किसी हक़में शामिलहों और उस हक़में सरवाइवरशिप् का क़ायदा लागू न होता होतो ऐसे हक़में जो लोग शरीक हैं वे टेनेन्ट इन् कामन् कहलाते हैं।

(४) ज्वाइन्ट टेनेन्ट—(Joint tenant) क़ाविज़ मुश्तर्क, अर्थात् जव किसी हक़में कई लोग शरीक हों और वे सब सरवाइवरशिपके क़ायदेके साथ हक़ रखते हों तो वे लोग जो इस तरहपर शरीक हैं ज्वाइन्ट टेनेन्ट कहलाते हैं।

(५) पर केपिटा—(Per Capita) यह शब्द लेटिन भाषा का है जिसका अर्थ है 'व्यक्तिगत' इसका व्यवहार अधिकतर वटवारे में किया जाता हैं वहां पर इसका अर्थ होता है 'शिर पीछे वटवारा' या 'आदमी पीछे वटवारा'; या व्यक्तिगत; ऐसा बटवारा उस सूरतमें होता है जवकि अनेक लोग एक ही रिश्ते और हक़से किसी जायदादमें हिस्सा रखते हों; जैसे 'क' अपने तीन पुत्रोंको छोड़कर मरा तो यह तीनों पुत्र बापकी जायदादमें बरावर के हिस्सेदार होंगे क्योंकि वे एक ही रिश्ते और हक़से जायदादमें हिस्सा रखते हैं ऐसे वटवारेको 'परकेपिटा' यानी व्यक्तिगत कहते हैं।

(२) पर स्ट्रिपेस्—(Pers tripes) यह शब्द लेटिन भाषाका है। इसका अर्थ वटवारे में होता है 'लाट पीछे वटवारा' जैसे 'क' के दो पुत्र हैं 'ख' और 'ग'। तथा 'ख' के भी दो पुत्र हैं। 'ख' पहले मरा और उसने अपने दोनों पुत्र छोड़े; 'क' मरा। अव 'क' की जायदाद पहले (परकेपिटाके अनुसार) दो हिस्सों में बटेगी उसमेंसे एक हिस्सा

'ग' को मिलेगा; और दूसरे एक हिस्सेमें परस्टिर्पेस के अनुसार 'ख' के दोनों पुत्र वरावर वरावर हिस्सा पावेंगे क्योंकि इन दोनों पुत्रोंका 'लाट पीछे वटवारा' होगा। 'ख' के दोनों पुत्र अपने वापके 'लाट' के अनुसार वरावर हिस्सा पावेंगें।

(७) लेटर्स आव् एडमिनिस्ट्रेशन—(Letters of administration) इसका अर्थ है-'चिट्ठियात अहतमाम' यानी जायदादके वारिसको उस जायदाद पर अधिकार करनेकी जो आज्ञा (सनद) अदालतसे मिलती है उसे 'लेटर्स आव् एडमिनिस्ट्रेन कहते हैं।

(८) रिश्तेदार अर्थात् संबंधियोंकी संज्ञा।

१	पुत्र	लड़का	
२	पौत्र	पोता	लड़केका लड़का
३	प्रपौत्र	परपोता	लड़केके लड़केका लड़का
४	पितृ	पिता = वाप	
५	पितामह	दादा	वापका वाप
६	प्रपितामह	परदादा	वापके वापका वाप
७	मातृ	मा = माता	
८	पितामही	दादी	वापकी मा = पितामहकी स्त्री
९	प्रपितामही	परदादी	वापके वापकी मा = प्रपितामहकी स्त्री
१०	मातामह	नाना	मा का वाप
११	प्रमातामह	परनाना	माके वापका वाप = नानाका वाप
१२	वृद्ध प्रमातामह	नगड़ नाना	माके वापके वापका बाप = परनानाका वाप
१३	मातामही	नानी	माकी माता = नानाकी स्त्री
१४	प्रमातामही	परनानी	माके वापकी मा = परनानाकी स्त्री
१५	वृद्ध प्रमातामही	नगड़नानी	माके वापके वापकी मा=नगड़नानाकी स्त्री
१६	पुत्री=दुहितृ	लड़की = वेटी	
१७	दौहित्र	दोहिता = नाती	लड़कीका लड़का
१८	मातुल	मामा	माका भाई = नानाका लड़का
१९	भ्राता	भाई	
२०	भ्रातृपुत्र	भतीजा	भाईका लड़का
२१	भगिनी	वहन	
२२	भागिनेय	भानजा	वहनका लड़का
२३	मातृष्वसृसुत	मौसीका लड़का	माकी वहनका लड़का
२४	पितृष्वसा	वुवा	वापकी वहन
२५	पितृष्वसृसुत	वुवाका लड़का	वापकी वहनका लड़का
२६	सहोदर	सगा	जो एकही गर्भसे पैदा हुए हों
२७	भिन्नोदर	सौतेला	जो एक गर्भसे नहीं पैदा हुए
२८	पितृभ्रातृ-सुत	चाचाका लड़का	वापके भाईका लड़का
२९	पितृव्य	चाचा, काका, ताऊ	वापका भाई

दफा ५५९. उत्तराधिकार कैसी जायदादमें होता है?——यह बहुत ज़रूरी बात है इसको हमेशा ध्यानमें रखकर उत्तराधिकार यानी वरासतके सवालपर विचार करना चाहिये। अगर इस बातको भूलकर, विचार कीजियेगा तो भारी ग़लती होजायेगी। जब कभी उत्तराधिकारकी बात आप विचार करें तो सबसे पहिले यह सोच लेना कि–, सबसे आख़िरी मर्द मालिकके क़ब्जेमें जो जायदाद बिल्कुल अलहदा हो उसी जायदादके संबंधमें उत्तराधिकारका क़ानून लागू होगा; मुश्तरका जायदादमें नहीं; अर्थात् बटे हुए हिन्दू खानदानमें जब जायदाद किसी आख़िरी मर्द मालिकके पास रहती है और उस जायदादमें किसी दूसरे का हिस्सा मुश्तरक नहीं रहता तो उस आख़िरी मर्द मालिकके मरनेके बाद उसकी जायदाद जिस आदमी या औरतको पहुंचती है वह मरे हुए मालिकका उत्तराधिकारी होता है। यानी सबसे आख़िरी मालिकके पास जो जायदाद उसके क़ब्ज़ेमें सबसे अलहदा रही हो सिर्फ उसीपर वरासतका क़ानून लागू पड़ेगा।

दफा ५६०. वरासत दो तरहसे निश्चित की जातीहै——इस किताबके प्रथम प्रकरणमें स्कूलोंका विषय बयान किया गयाहै। उसमें दो बड़े स्कूलहैं। एक मिताक्षरा स्कूल और दूसरा दायभाग स्कूल। दायभाग स्कूल सिर्फ बंगालमें माना जाताहै और बाक़ी सब जगहोंमें मिताक्षरा स्कूलका प्रभुत्व है। इन्हीं स्कूलोंके अनुसार समस्त हिन्दुस्थानमें दो तरहकी वरासत का होना निश्चित किया गया है–एक मिताक्षरा स्कूलके अनुसार और दूसरा दायभाग स्कूलके अनुसार। इन दोनों क़ायदोंमें फरक़ यह है कि मिताक्षरा स्कूल खून के रिश्तेसे वरासत क़ायम करता है और दायभाग स्कूल धार्मिक कृत्योंके, यानी मज़हबी रसूमातके संबंधसे इस तरहपर दोनों स्कूलोंके सिद्धांत आपसमें विरुद्ध हैं। इसी सबबसे वरासत दो तरहसे निश्चित की जाती है।

मिताक्षरा स्कूलके अनुसार वरासत पाने का हक़दार, परिवारकी रिश्तेदारीसे निश्चित किया जायगा; देखो लल्लूभाई बनाम काशीबाई 5 Bom. 110, 121; 7 I.A. 212, 234.

दायभाग स्कूलके अनुसार वरासत पानेका हक़दार वह माना गया है जो मरे हुए आदमीको धार्मिककृत्यद्वारा लाभ पहुंचानेका ज़्यादा अधिकारी हो; देखो--जितेन्द्रमोहन बनाम गजेन्द्रमोहन 9 B. L. R. 377, 394;

दफा ५६१. मिताक्षरालॉके अनुसार जायदाद कैसे पहुंचती है?——मिताक्षरालॉके अनुसार जब किसीको जायदाद मिलती है तो वह दो सूरतोंमेंसे कोई एक होती है। मिताक्षरालॉमें जायदाद दो सूरतोंसे पहुंचना माना गया है–एक तो 'सक्सेशन' और दूसरा सरवाइवरशिप। 'सक्सेशन' का अर्थ है सिलसिला, जानशीनी, अनुक्रम, परंपरा, आनुपूर्व, उत्तराधिकारिता, दायभाग। और 'सरवाइवरशिप' का अर्थ है कि--हिन्दूपरिवारमें मुश्तरका जायदादके हिस्सेदारके मरनेके बाद जो हिस्सेदार जीवितरहता जाय उन्हींमें जायदाद चली जायगी देखो दफा ५५८। इन्हीं दोनों सूरतोंसे मिताक्षरालॉमें जायदादका वरासतन् पहुंचना माना गया है। 'सरवाइवरशिप' कातरीक़ा मुश्तरका परिवारकी जायदादके लिये लागू होता है और 'सक्सेशन' का तरीक़ा उस जायदादके लिये लागू होता है जिसपर कि आख़िरी मालिक बिल्कुल अलहदा क़ब्ज़ा रखता हो।

उदाहरण--जय और विजय दोनों भाई हैं और शामिल शरीक परिवारके मेम्बर हैं तथा मिताक्षरालॉके प्रभुत्वमें रहते हैं। जय, मरा और उसने भाई विजय, को और अपनी

विधवा स्त्री तुलसीको छोड़ा। अब जय का हिस्सा बज़रिये हक़ ' सरवाइवरशिप ' के विजय को मिलेगा, उसकी विधवा तुलसी को नहीं मिलेगा। मगर तुलसीको सिर्फ रोटी कपड़ा मिलनेका हक़ रहेगा। लेकिन अगर जय और विजय दोनों अलहदा होते तो जयकी जायदाद उसके मरनेपर उसकी विधवा तुलसीको मिलती और तुलसी, बतौर वारिस के जायदादकी मालिकिन होती विजय, नहीं होता। यह माना गया है कि विधवा ऐसी सूरतमें भाई के बनिस्बत नज़दीकी वारिस है।

दफा ५६२. दायभागलॉके अनुसार जायदाद कैसे पहुंचती है——दायभागलॉके अनुसार जायदाद सिर्फ एकही तरीक़ेसे पहुंचती है। वह तरीक़ा ' सक्सेशन है-देखो दफा ५६१ ' दायभाग मुश्तरका परिवारकी जायदादके बारेमें भी ' सरवाइवर शिप दफा ५५८ ' का तरीक़ा नहीं मानता। तात्पर्य यह है कि मिताक्षरालॉके अंदर मुश्तरका ख़ानदानका हरएक मेम्बर मुश्तरका जायदादमें सिर्फ शामिल शरीक हक़ रखता है और दायभागलॉके अंदर मुश्तरका ख़ानदानका हरएक मेम्बर अपने हिस्सेका अलहदा अलहदा मालिक होता है। इसी सबबसे उसके मरनेपर उसका वारिस उसकी मुश्तरका जायदादके हिस्सेका उसी तरह मालिक होजाता है मानो जायदादके उतने हिस्सेका वह (मरनेवाला) अलहदा मालिक था।

उदाहरण—जय और विजय दोनों भाई हैं और मुश्तरका परिवारके मेम्बर हैं तथा दायभागलॉके प्रभुत्वमें रहते हैं। जय मरगया और उसने अपने भाई विजय और अपनी विधवा तुलसीको छोड़ा। ऐसी सूरतमें जयका हिस्सा जो मुश्तरका जायदादमें था वह उसकी विधवाको बतौर वारिसके ठीक उसी तरहपर मिल जायगा मानो वह दोनों अलहदा रहते थे। अर्थात् दायभागलॉके अनुसार मुश्तरका ख़ानदानके हरएक मेम्बरके मरनेपर उनके वारिस जायदाद पाते हैं जितने हिस्सेका मरनेवाला अपनी ज़िंदगीमें मालिक था। यह माना गया है कि भाईकी बनिस्बत विधवा नज़दीकी वारिस होती है।

दफा ५६३. वारिस किस तरह निश्चित करना चाहिये——जब किसी जायदादका वारिस निश्चित करना हो तो पहिले यह मालूम करो कि उस जायदादका आख़िरी पूरे अधिकार रखनेवाला मालिक कौन था। जब यह मालूम हो जाय तो उस आख़िरी पूरे अधिकार रखनेवाले मालिकका वारिस अब जो कोई हो वही जायदाद पानेका हक़दार है। आख़िरी पूरा मालिक वह है (चाहे-मर्द हो या औरत) जिसके क़ब्ज़ेमें जायदाद सबसे पीछे संपूर्ण अधिकारोंसहित और अलहदा रही हो। जैसे—

उदाहरण—मंगल, और अतुल दो भाई हैं। इनकी मा का नाम है सुभद्रा और मंगलकी स्त्रीका नाम चन्द्रमुखी है। चाचा (बापका भाई) का नाम बलवंत है। मंगल मरा और उसने अपनी विधवा चन्द्रमुखी भाई अतुल, मा सुभद्रा और चाचा बलवंतको छोड़ा। मगर-मंगल आख़िरी पूरा मालिक उस जायदादका था जो उसके क़ब्ज़ेमें अलहदा थी इस वजहसे उसकी विधवा चन्द्रमुखी बतौर वारिसके पतिकी जायदाद लेगी, लेकिन विधवा उस जायदादकी पूरी मालकिन नहीं है, इसी लिये इस जायदादका वारिस निश्चित करनेके लिये विधवासे गिनती नहीं की जायगी। विधवाके मरने पर जायदादका जो आख़िरी पूरा मालिक मंगल था उसके दूसरे वारिसको मिलेगी। यानी उसकी मा सुभद्रा वारिस है उसको मिलेगी। मा भी जायदादकी पूरी मालकिन नहीं होगी इसलिये माके मरनेपर जायदाद माके वारिसको नहीं मिलेगी। अब वारिस फिर उसी तरहपर तलाश किया जायगा कि जायदादका

आख़िरी पूरा मालिक कौनथा ? जायदादका आख़िरी पूरा मालिक मंगल था तो अब माके मरनेमर मंगलके दूसरे वारिसको मिलेगी । मंगलका अब वारिस उसका भाई अतुल है । तो अतुलको जायदाद मिली, अतुल मर्द होनेके सबबसे संपूर्ण अधिकारों सहित जायदादको पाता है वह जायदादका पूरा मालिक हो गया और इसलिये अतुलके मरनेपर जायदाद अतुलके वारिसको मिलेगी न कि मंगलके वारिसको । क्योंकि अब जायदादका आख़िरी पूरा मालिक अतुल था । अगर अतुलके कोई लड़का वग़ैरा हुआ तो वह उसका वारिस होगा और अगर लड़का न हुआ तो विधवा वारिस होगी, विधवाके मरनेपर वारिस फिर उसी तरहपर तलाश किया जायगा क्योंकि विधवाको महदूद अधिकार जायदादमें था । अब अगर अतुलका वारिस उसका चाचा बलवंत होगा तो उसे मिल जायगी, और चाचाके मरनेपर चाचाके वारिसोंको जायदाद मिलेगी क्योंकि चाचा मर्द होनेकी वजहसे संपूर्ण अधिकारोंसहित जायदाद लेता है ।

दफा ५६४. मर्द, जायदादका पूरा मालिक होता है——जिस जायदादका वारिस कोई मर्द होता है तो वह संपूर्ण अधिकारोंके साथ जायदाद लेता है इसलिये वह जायदादका पूरा मालिक होता है और उसीसे अगला वारिस निश्चित कियाजाता है ।

जब कोई जायदाद बतौर वारिसके किसी 'औरत' को मिलती है तो वह उस जायदादपर महदूद हक़ रखती है यानी वह उस जायदादकी पूरी मालकिन नहीं मानी जाती (बंबई और मदरासके सिवाय) और इसीलिये आगेका वारिस निश्चित करनेके लिये उस औरतसे गिनती नहीं की जायगी बल्कि आख़िरी पूरे मालिकसे की जायगी । जब कोई औरत ऐसी जायदाद जो उसने बतौर वारिसके किसी मर्दसे पायी हो छोड़कर मरजाय, तो वह जायदाद चाहे उस औरतने किसी मर्दसे या किसी औरतसे पाई हो, उस औरतके वारिसको नहीं मिलेगी बल्कि जिस मर्दसे वह जायदाद चली है उस मर्दके दूसरे वारिसको मिलेगी । मगर औरतका स्त्रीधन औरतके वारिसको मिलेगा ।

बंबई प्रांतमें कुछ औरतें ऐसी मानीगयी हैं जो जायदादको पूरे अधिकारोंसहित लेती हैं इसी सबबसे उनके मरनेपर जायदाद उनके वारिसोंको मिलती है । औरतका स्त्रीधन उसके वारिसको ही मिलता है । देखो प्रकरण ११ में दफा ६८२ ; ६८३ ; ६८६.

दफा ५६५. बंगाल, बनारस, और मिथिला स्कूलमें कितनी औरतें वारिस मानीगयी हैं ?——बंगाल, बनारस, और मिथिला स्कूलके अनुसार सिर्फ पांच औरतें मर्दकी जायदादकी वारिस मानी गई हैं । मदरास स्कूलमें इससे कुछ ज़्यादा औरतें और बंबई स्कूलमें उससे भी ज़्यादा औरतें वारिस मानी गयी हैं । मदरास और बंबई स्कूलकी औरतोंका वर्णन देखो (दफा ६४० ; ६४१) वह पांच औरतें जिनका ऊपर ज़िकर कियागया है यह हैं—(१) विधवा (२) लड़की (३) मा (४) बापकी मा (दादी) (५) पितामहकी मा (परदादी)

बंगाल, बनारस, और मिथिला स्कूलमें 'बहन' वारिस नहीं मानीगयी, लेकिन मदरास और बंबई स्कूलमें वह वारिस होती हैं । बंबई और मदरास प्रांतको छोड़कर बाकी सब स्कूलोंमें सिर्फ ऊपर बताई हुई पांच औरतें वारिस होती हैं ।

दफा ५६६. उत्तराधिकारकी जायदादमें औरतोंका हक़ महदूद रहता है——जब औरतको जायदाद किसी मर्दसे, या किसी औरतसे बतौर वारिसके मिलती है तो उसका अधिकार उस जायदादपर महदूद रहताहै । इसीलिये जब कोई हिन्दू बटे हुए परिवारका एक

भाई और अपनी विधवाको छोड़कर मरजायतो उसकी विधवा बतौर वारिसके उसकी जायदाद पायेगी, भाई नहीं पायेगा। मगर विधवाका अधिकार उस जायदादपर महदूद (मर्य्यादा युक्त, संकुचित) रहेगा। यानी विधवाको सिर्फ जायदादकी आमदनीके ख़र्च करनेका अधिकारहै मगर वह जायदादको रेहन करदेने, वेंचदेने, या किसीको दान करदेने आदिका अधिकार सिवाय उन सूरतोंके कि जिनका ज़िकर इस हिन्दूलॉके अंदर दफा ६०२ में है, नहीं है। विधवाके मरनेपर वह जायदाद उसके वारिसको नहीं मिलेगी बल्कि उसके पतिके वारिसको मिलेगी यानी भाईको मिलेगी। यह याद रखनाकि विधवाको जब कोई जायदाद किसीके वारिस होनेकी वजहसे मिलेगी तो उस जायदादमें उसके पूरे अधिकार नहीं होंगे। इसी तरहपर हिन्दूओंकी हरएक औरत (विधवा लड़की, मा, दादी, परदादी) का अधिकार उस जायदादमें महदूद रहता है जो उसे उत्तराधिकारमें मिलती है।

मर्द, चाहे किसी मर्दका, या किसी औरतका वारिस हो उसे जायदाद मालिकाना तौरसे अर्थात् संपूर्ण अधिकारोंसहित मिलती है इसी लिये मर्दको जब कोई जायदाद उत्तराधिकारमें मिलेगी तो उस जायदादपर उसका पूरा अधिकार रहता है। और पूरा अधिकार रहनेकी वजहसे वारिस उस मर्दसे निश्चित किया जाता है।

नोट-बंबई और मदरास प्रांतमें कुछ औरतें पूरे अधिकारके साथ जायदाद लेती हैं देखो दफा ६४०-६४१.

दफा ५६७. वरासतका हक़ फ़ौरन पहुंच जाता है——एक हिन्दू मर्दके मरनेपर जो आदमी उसका नज़दीकी वारिस होता है उसकी छोड़ी हुई जायदादके पानेका फ़ौरन हक़दार होजाता है। वारिसाना हक़ उसी वक्तसे मिलजाना शुमार कियाजायगा जिस वक्त कि जायदादका मालिक मरगया हो। वारिसाना हक़ किसी सूरतमें भी, उससे ज़्यादा नज़दीकी वारिसकी पैदाइशकी उम्मैदमें नहीं ठहर सकता। जहां कि ऐसी पैदाइशका होना मालिक जायदादके मरनेके समय अंदाज़ नहीं किया जासकता हो। और जब एक दफा किसी हिन्दू आदमीकी जायदाद उसके मरनेपर उसके नज़दीकी वारिसको मिलगयी तो फिर वह उससे नहीं लौट सकती, मगर शर्त यह है कि जब कोई उससे नज़दीकी वारिस जिसका अंदाज़ मालिक जायदादके मरनेके समय किया जासकता था पैदा होजाय, अथवा मरे हुए उस आदमीके लिये अगर कोई लड़का गोद लेलिया जाय तो फिर जायदाद लौटकर इन आख़ीरमें कहे हुए वारिसोंको मिलजायगी; देखो-नीलकमल बनाम जोतेंद्रो (1881) 7 Cal. 178, 188; कालिदास बनाम कृष्ण 2Beng L. R. F. B. 103; नृसिंह बनाम वीरभद्र (1893) 17 Mad 287; गोवर्द्धनदास बनाम बाई रामकुंवर (1902) 26 Bom 449, 467.

उदाहरण-ललित,अपना एक अंधा बेटा,और एक भतीजा छोड़कर मरगया।लड़का अंधा होनेकी वजहसे हिन्दूलॉके अनुसार उत्तराधिकारको प्राप्त नहीं होता। इसलिये ललितकी सब जायदाद उसके भतीजेको मिली। अंधे बेटेने ब्याह किया और उसके एक लड़का 'अमृत' पैदा हुआ। भतीजेसे अमृत, ललितका नज़दीकी वारिसहै, इसलिये कि ललितका अमृत पोता है। अमृत भतीजेसे जायदाद वापिस मांगता है मगर वह जायदादके पानेका हक़दार नहीं है क्योंकि ललितके मरतेही उसकी जायदाद भतीजेको उत्तराधिकारके अनुसार प्राप्त होगयी थी। ऐसी सूरतमें दो बातें पैदा होती हैं; पहिली यह कि अगर ललितके मरनेके समय अमृतकी पैदाइशका अनुमान किया जासकता था तो जायदाद भतीजेसे वापिस मिलेगी, दूसरी यह कि अगर ऐसा अनुमान उसवक्त नहीं किया जासकता था तो नहीं मिलेगी।

दफा ५६८. बेटा, पोता, परपोताका इकट्ठा हक़दार होना——एक बेटा, और

एक पोता जिसका बाप मरगया है, और एक परपोता जिसका कि बाप और दादा दोनों मरगये हैं, यह सब मिलकर अपनी पैतृक संपत्तिके इकदम वारिस होजाते हैं जो पैतृक संपत्ति अलहदा और बिला किसीकी शिरकतके कमाई गयी हो। सिवाय ऐसी सूरतके और जगहपर ऐसा हक़ इकदम प्राप्त नहीं होता; देखो-मारूदार्जा बनाम दुराईसांनी 30 Mad 348.

प्रथम उदाहरण—

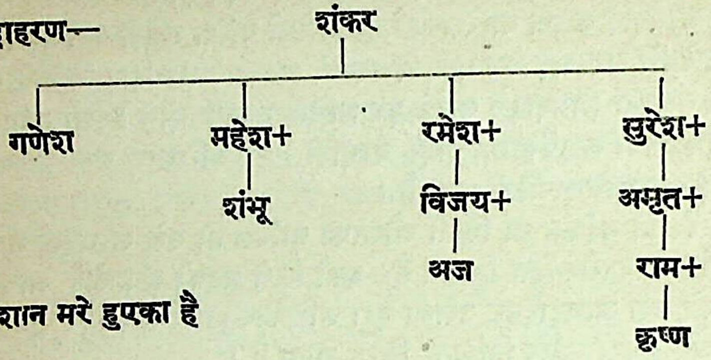

+यह निशान मरे हुएका है

शंकर एक हिन्दूहै। उसके एक बेटा 'गणेश' और एक पोता 'शंभू' और एक परपोता 'अज' और एक परपोतेका बेटा 'कृष्ण' है। महेश, रमेश विजय, सुरेश, अमृत, और राम मरचुके हैं उसके बाद शंकर मरा तो जायदादकी तक़सीम कैसे होगी ?

अगर शंकरके वारिस जायदाद तक़सीम कराना चाहें तो होसकतीहै। अब देखिये शंकरकी जायदाद तीन बराबर हिस्सोंमें तक़सीम होगी। गणेश, शंभू, और अज तीनों एकएक हिस्सा लेंगे। गणेश अकेला सब जायदाद नहीं लेसकता, शंभू अपने बाप महेशका हिस्सा लेगा, अज अपने दादा रमेशका हिस्सा लेगा, मगर कृष्णको कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि कृष्ण दोनों तरफसे मिलाकर शंकरसे चौथी पीढ़ीके बाहर निकल जाता है। स्थानापन्न होकर हिस्सा बटानेका अधिकार चौथी पीढ़ीके बाहरवालेको नहीं है।

दूसरा-उदाहरण—

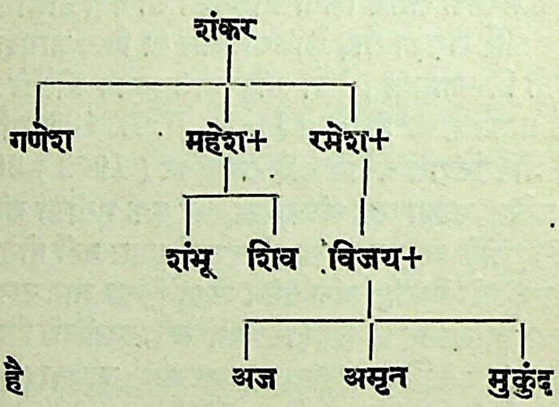

+यह निशान मरे हुएका है

शंकर एक हिन्दू मरगया। उसने एक बेटा गणेश, दो पोते शंभू और शिव, और तीन परपोते अज, अमृत, मुकुंदको छोड़ा।

शंकरके वारिस, अगर उसकी जायदाद तक़सीम कराना चाहें तो जायदाद पहिले तीन बराबर हिस्सोंमें बाटी जायगी। उसमेंसे एक हिस्सा गणेशको मिलेगा, एक हिस्सेमें शंभू और शिवको हिस्सा मिलेगा, और एक हिस्सेमें अज, अमृत, मुकुंदको हिस्सा मिलेगा।

यानी गणेश अपने बापकी, शंभू और शिव अपने दादाकी, अज, अमृत, मुकुंद अपने परदादाकी जायदादका भाग पावेंगे और उस भागमें सब लड़के बराबरके हिस्सेदार होंगे, एक हिस्सा जायदादका गणेशको मिलेगा जिसमें वह अकेला मालिक है और एक हिस्सा जो शंभू और शिवको मिलेगा उसमें यह दोनों बराबरके हिस्सेदार होंगे एवं अज, अमृत, मुकुंद अपने परदादाके हिस्सेमें बराबरके हिस्सेदार होंगे। अगर गणेशके एक लड़का होता तो दोनों मिलकर तिहाई हिस्सा लेते और उस लड़केकी मौरूसी जायदाद गणेशके हाथमें होती जिसके ऊपर लड़केका हक़ उसकी पैदाइशसे होजाता।

तीसरा उदाहरण—

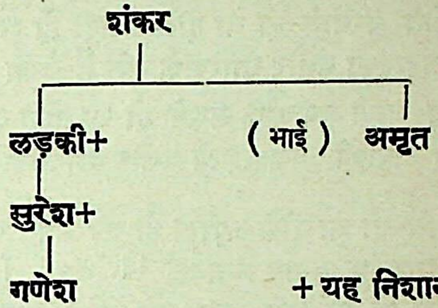

+ यह निशान मृत पुरुषोंका है।

शंकर हिन्दू है और उसके पास बिला शिरकतकी जायदाद है। शंकर मरा और उसने अपने नवासेके लड़के गणेश, को और भाई अमृत, को छोड़ा। सुरेश जो शंकरका नवासा यानी दौहित्र होता है वह शंकरके मरनेसे पहिले मरगया था और लड़की भी मर चुकी थी। अब देखिये हिन्दूलॉके अनुसार शंकरकी जायदाद उसका भाई अमृत पायेगा गणेश नहीं पायेगा। अगर सुरेश जीता होता जब कि शंकर मरा था तो अमृतसे पहिले वह जायदाद पाता क्योंकि वह नावासा होनेकी वजहसे भाईके पहिले जायदाद पाता है। मगर वह शंकरसे पहिले मरगया इस सबबसे उसको जायदाद प्राप्त नहीं हुई थी। यहांपर गणेश अपने बाप सुरेशके स्थानापन्न होकर उसके हक़को नहीं ले सकता और न उसके द्वारा जायदादका मालिक बन सकता है। हिन्दूलॉके अनुसार ठीक वारिस वही आदमी है जो पिछले मालिकके मरनेके समय सबसे नज़दीकी वारिस होता है और कोई भी आदमी किसी ऐसे दूसरे आदमीके द्वारा जायदाद पानेका हक़दार नहीं बन सकता जिसने कि खुदही जायदाद नहीं पायी। यही सिद्धांत यहांपर लागू किया गया है क्योंकि सुरेशकी ज़िंदगीमें शंकरकी जायदाद उसे नहीं मिली थी; इसी सबबसे गणेशका हक़ मारा गया।

दफा ५६९. उत्तराधिकारका हक़ किसीको नहीं दिया जा सकता——

उत्तराधिकारका हक़ जबतक उसे प्राप्त न हो ऐसा माना जायगा कि मानो उसे वह हक़ प्राप्तही नहीं है, यानी वह हक़ हासिलशुदा नहीं होता। इसी लिये उत्तराधिकारके हक़का क़ानूनी जायज़ इन्तक़ाल नहीं होसकता अर्थात् इस हक़को कोई मर्द या औरत रेहन या बय या और किसी तरहपर इन्तक़ाल नहीं करसकती और न किसी को दे सकती है; देखो—ट्रांसफर आफ प्रापरटी एक्ट की दफा ६ सन १८८२ ई० यह दफा इस प्रकार है—

“अगर कोई आदमी अपने उत्तराधिकारके हक़के प्राप्त होनेके पहिले किसी दूसरे आदमी के साथ उस हक़के बारेमें कोई शर्त या मुआहिदा करले तो वह शर्त या मुआहिदा जब उसे ऐसा हक़ प्राप्त होगा पाबंद नहीं कर सकेगा।” और देखो—बहादुर सिंह बनाम मोहर सिंह (1901) 24 Cal. 94; 29 I. A. 1.

दफा ५७०. मिताक्षरास्कूलमें सरवाइवरशिपचार वारिसोंमें होता है—आमतौर पर मिताक्षरास्कूलके अनुसार अगर दो या दोसे ज़्यादा आदमी उत्तराधिकारी हों तो वह जायदादको बतौर क़ाबिज़शरीकके लेतेहैं यानी सरवाइवरशिप (देखो दफा ५५८); का हक़ नहीं रहता। मगर चार तरहके ऐसे वारिस होते हैं जो इस तरहपर जायदादको नहीं लेते, बल्कि वह सरवाइवरशिप (देखो दफा ५५८); के हक़के साथ जायदाद पाते हैं। यह ध्यान रखना कि सिवाय चार क़िस्मके वारिसोंके जो नीचे बताये गये हैं और जितनी क़िस्मके वारिस होते हैं वह जायदादको उत्तराधिकारमें सरवाइवरशिपके हक़के साथ नहीं लेते। चार क़िस्मके वारिस यह हैं—

(२) बेटे, पोते, परपोते-दो या दोसे ज़्यादा हों अपने पैतृक पूर्वजोंकी अलहदा तथा खुद कमाई हुई जायदादको बतौर वारिसके लेते हैं-देखो ; 18 Cal. 151, 17 I. A. 128.

(२) नेवासा-यानी लड़कीके लड़के दो या दोसे ज़्यादा हों और जो मुश्तरका ख़ानदानमें रहते हों, अपने नानाकी जायदादको बतौर वारिसके लेते हैं; देखो--25 Mad. 678 ; 29 I. A. 156.

(३) विधवायें-दो या दोसे ज़्यादा हों जो अपने पतिकी जायदादको बतौर वारिसके पाती हैं; देखो-भगवानदीन बनाम मैनाबाई 11 Mad. I. A. 487.

(४) लड़कियें-दो या दोसे ज़्यादा जो अपने बापकी जायदादकी वारिस होती हैं; देखो-वेंकायाम्मा बनाम वेंकटरामैनअम्मा (1902) 25 Mad. 678, 29 I. A. 156. बंबई और मदरास प्रांतको छोड़कर बाक़ी सब जगह मिताक्षरास्कूलके अंदर ऊपरका क़ायदा लागू होगा। बंबई और मदरास प्रांतमें इसलिये नहीं होगा कि वहांपर लड़कियें पूरे अधिकारके साथ बापकी जायदाद पाती हैं देखो-विथप्पा बनाम सावित्री (1910) 34 Bom 510.

नोट—ऊपर बताये हुए चार क़िस्मके वारिस ' सरवाइवरशिप ' के हक़के साथ उत्तराधिकारमें जायदाद पाते हैं ' सरवाइवरशिप ' का विशेष विवरण देखो (दफा ५५८); चार क़िस्मके वारिस यानी, बेटे-पोते-परपोते नेवासा, विधवाएं, और लडकियां, इनको छोड़कर बाक़ी सब रिश्तेदार उत्तराधिकारकी जायदादको बिना ' सरवाइवर शिप ' के हक़के लेते हैं अर्थात् उनमें ऐसा नहीं होता कि मुश्तरका जायदादके हिस्सेदारोंके मरजानेके बाद जो बाक़ी रहता जाय उन्हींमें जायदाद चली जाय। बल्कि उनके वारिसोंको जायदाद मिलजाती है।

उदाहरण —(१) एक हिन्दू जिसके पास अलहदा जायदाद थी अपने दो लड़के नल, और नील, को छोड़कर मरगया। पश्चात् नल, अपनी विधवा विदुषीको छोड़कर मरगया। मिताक्षरा स्कूलके अनुसार नल और नील इकट्ठे सरवाइवरशिप (देखो दफा ५५८); के हक़के साथ उत्तराधिकारी थे इसलिये अगर नल जायदादका बिना बटवारा किये मरजाय तो सरवाइवर शिप (देखो दफा ५५८); के हक़के अनुसार उसका हिस्सा उसके भाई नील को मिल जायगा उसकी विधवा विदुषीको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर नल और नीलके बीचमें उस जायदादका बटवारा हो गया था तो उसका बटा हुआ हिस्सा उसकी वारिस विधवाको मिलेगा यानी विदुषीको मिलेगा। ऐसा मानो कि नल और नील ने बटवारा नहीं किया और नल एक बेटा, या पोता, या परपोता, छोड़कर मरा है तो अब नलका बिना बटा हुआ हिस्सा उसके भाई नीलको नहीं मिलेगा बल्कि उसके लड़के या पोते या परपोतेको मिल जायगा। इस जगहपर यह सिद्धांत लागू होगा कि लड़के, पोते, परपोतेका ' सरवाइवर शिप ' का हक़ बमुक़ाबिले भाईके ज़्यादा होता है (देखो दफा ४०१)

(२) एक हिन्दू दो ' नेवासा ' यानी लड़कीके लड़के, छोड़कर मरगया। जिनके नाम हैं महेश और गणेश। यह दोनों मुश्तरका ख़ानदानमें रहते हैं। दोनों नेवासे नानाकी जाय-

दाद काविज़ मुश्तरक यानी सरवाइवरशिप (देखो दफा ५५८); के हक़के साथ लेंगे। महेश अपनी विधवाको छोड़कर मरगया। अव जायदादमेंका वह हिस्सा जिसपर महेश सरवाइवरशिप (देखो दफा५५८); के हक़के साथ काविज़ था उसकी विधवाको नहीं मिलेगा,वल्कि उसके भाई गणेशको मिलेगा। अगर दोनों नेवासे मुश्तरका खानदानमें रहते न होते तो सरवाइवरशिपका हक़ लागू नहीं पड़ता और उस सूरतमें महेशके मरनेपर उसकी विधवाको वतौर वारिसके उसकी जायदाद मिलजाती।

(३) एक हिन्दू अपनी दो विधवाएं चन्द्रमुखी, और सावित्रीको छोड़कर मरगया। दोनों विधवाएं 'सरवाइवरशिप' (देखो दफा ५५८); के हक़के साथ इकट्ठी वारिस होंगी और चन्द्रमुखीके मरनेपर उसका अविभाजित हिस्सा सावित्रीको मिलेगा। यही सूरत तव होगी जव सावित्री पहिले मरजाय तो उसका हिस्सा चन्द्रमुखीको मिलेगा।

(४) एक हिन्दू दो लड़कियां प्रमदा और प्रफुल्लको छोड़कर मरगया। दोनों लड़कियां वापकी जायदादपर 'सरवाइवरशिप' के हक़के साथ वारिस होंगी। प्रमदाके मरनेपर उसका जायदादमेका अविभाजित हिस्सा प्रफुल्लको मिलेगा और अगर प्रफुल्ल पहिले मरजायगी तो उसका हिस्सा प्रमदाको मिल जायगा। अव देखिये इस विषयमें वंवई प्रांतमें क्या फरक़ पड़ता है। वंवई प्रांतमें प्रमदा और प्रफुल्ल जायदादको अलहदा अलहदा लेंगी और यहांपर 'सरवाइवरशिप' का हक़ नहीं होता इसलिये प्रमदाके मरनेपर उसका हिस्सा उसके वारिसको चला जायगा, यानी अगर प्रमदा एक लड़की छोड़कर मरे तो उसका हिस्सा वजाय उसकी वहन प्रफुल्लके, उसकी वारिस लड़कीको मिलेगा।

दफा ५७१. दायभागस्कूलमें सरवाइवरशिप दो वारिसोंमें होता है——

दायभागस्कूलके अनुसार 'सरवाइवरशिप' दो वारिसोंमें होता है, विधवा और लड़कियोंमें–विधवा और लड़कियां जायदाद उत्तराधिकारमें क़ाविज मुश्तरक और सरवाइवरशिप के हक़के साथ लेती हैं। इन दो वारिसोंको छोड़कर वाक़ी जितने वारिस इस स्कूलके अनुसार जायदाद लेतेहैं वह सव अलहदा अलहदा लेते हैं उनमें 'सरवाइवरशिप' का हक़ नहीं रहता।

उदाहरण—एक हिन्दू जिसके पास अलहदा जायदाद थी दो लड़के जय और विजय को छोड़कर मरगया। जय अपनी विधवा गंगाको छोड़कर मरा। इस स्कूलके अनुसार जय और विजय दोनों भाई अपने वापके क़ाविज़ शरीक उत्तराधिकारी थे यानी सरवाइवरशिपका हक़ नहीं था। इसलिये जयके मरनेपर जयकी वारिस उसकी विधवा गंगा होगई और जयकी जायदादमेंका उसका हिस्सा गंगाको मिला। विजयको नहीं मिलेगा। मिताक्षरा स्कूलके अनुसार विधवाको नहीं मिलेगा (देखो ५७४-१)

नोट—इस किताबकी दफा ५७४-३, ४ में जो सूरतें उन उदाहरणोंमें दी गयी है वही दायभाग स्कूलमें भी मानी गयी हैं।

दफा ५७२. किन वारिसोंमें सरवाइवरशिप नहीं लागू होता——

ऊपर कही हुई दफा ५७०; ५७१ के सिवाय दोनों स्कूलोंके अंदर सरवाइवरशिप दूसरे वारिसोंके उत्तराधिकारके हक़के साथ नहीं लागू होता। अर्थात् चार वारिस जो इस किताबकी दफा ५७० में वताये गये हैं मिताक्षरा स्कूलके अनुसार। और दो वारिस जो इस किताबकी दफा ५७१ में वताये गये हैं दायभाग स्कूलके अनुसार, सरवाइवरशिपके हक़के साथ जायदाद लेते हैं; वाक़ी वारिस इसतरहपर नहीं लेते। अर्थात् जिस उत्तराधिकारमें सरवाइवरशिप का हक़ शामिल नहीं होगा तो उस वारिस के मरनेके वाद जायदाद उसके वारिसको जायेगी।

उदाहरण—एक हिन्दू, अमृत और विजय नामक दो भाई छोड़कर मरगया। दोनों भाई उसकी छोड़ी हुई जायदादको इकट्ठा लेंगे। ऐसा मानो कि अमृत एक विधवा छोड़कर मरगया तो उसकी विधवा बतौर वारिसके पतिकी छोड़ी हुई जायदाद लेगी, उसके भाई विजयको नहीं मिलेगी। यही क़ायदा चाचा और भतीजोंके साथ लागू होगा तथा और दूसरे वारिसोंके साथ भी यही क़ायदा माना जायगा।

(२) मर्दोंका उत्तराधिकार
मिताक्षरालॉ के अनुसार।

दफा ५७३. स्कूलोंके सबबसे उत्तराधिकार एकसाँ नहीं है——पहिले बता-चुके हैं कि हिन्दुस्थानभरमें दो बड़े स्कूलोंका प्रभुत्व मानागया है। स्कूलका अर्थ धर्मशास्त्र है (देखो प्रकरण १) मिताक्षरा और दायभाग यह दो बड़े स्कूल हैं। दायभागसे मिताक्षरास्कूल अधिक बड़ा है; क्योंकि दायभाग सिर्फ बंगालमें मानाजाता है और मिताक्षरास्कूल बंगालको छोड़कर बाक़ी समस्त भारतमें मानाजाता है। उत्तराधिकारके लिये जो कुछ कि क़ायदे मिताक्षरामें लिखे गये हैं वह बनारस, मिथिला, बंबई और मदरासस्कूलमें माने जाते हैं, क्योंकि यह सब मिताक्षरास्कूलके टुकड़े हैं, मगर जो जो क़ायदे इन प्रांतोंमें उत्तराधिकारके बारेमें प्रचलित हो रहे हैं वह सब एकही तरहपर नहींहैं, यानी कहीं कहीं उनमें भेद पड़गया है। यह भेद इसलिये पड़गया कि मिताक्षराके साथ साथ दूसरे ग्रन्थ भी कहीं कहीं मानलिये गये हैं।

बनारस, और मिथिला स्कूलमें मिताक्षराका प्रभुत्व पूरा पूरा मानागया है। क्योंकि इन दोनों स्कूलोंमें सिर्फ पांच औरतें वारिस मानीगयी हैं यानी (१) विधवा (२) लड़की (३) मा (४) दादी (५) परदादी। इस सिद्धांतपर कि कोई भी औरत जो मिताक्षरामें वारिस नहीं बताई गयी उसे इन दो स्कूलोंमें वारिस नहीं मानागया। यद्यपि बंगालमें भी पांचही औरतें वारिस बताई गयी हैं मगर वहांपर दायभागका प्रभुत्व है।

बंबई और मदरास स्कूलमें भी मिताक्षरामें कही हुई पांच औरतें वारिस मानीगयी है लेकिन बंबई और मदरास स्कूल इनके अलावा कुछ थोड़ीसी दूसरी औरतोंको भी वारिस मानता है (देखो दफा ६४०; ६४१) बंबई स्कूलमें, मदरासस्कूलसे भी अधिक औरतें वारिस मानीगयी हैं।

नतीजा यह है कि उत्तराधिकारका क्रम जैसा कि मिताक्षरामें लिखा हुआ है बिलकुल उसी तरहसे बंबई, गुजरात, और उत्तरीय कोकनमें नहीं मानाजाता। कारण यह है कि इन जगहोंपर नीलकण्ठ भट्टाचार्य्यके बनाये हुए ग्रंथ, व्यवहार मयूखकी प्रधानता थोड़ेसे बिषयोंमें जहां कि मिताक्षरासे वह भिन्न है मानली गयी है।

दफा ५७४. मिताक्षरालॉ के अनुसार जायदाद किसके पास जायगी ?——मिताक्षरालॉ के अनुसार किसी मर्द हिन्दूके मरनेपर उसकी जायदाद किसके पास जायगी इस बातके निश्चय करनेके लिये नीचे लिखी हुई बातोंको ध्यानमें रखना चाहिये—

(१) जब कोई आदमी अपनी मौतके समय मुश्तरका अर्थात् अविभाजित परिवारका

मेम्बर हो तथा उसके क़ब्ज़ेमें मुश्तरका जायदाद हो तो उसका हिस्सा ‘ सरवाइवरशिप ’ के हक़के साथ उसके मुश्तरका हिस्सेदारोंको मिलेगा ।

(२) जब कोई आदमी अपनी मौतकेसमय शामिल शरीक ख़ानदानमें हो और अगर वह खुद कमाई हुई अलहदा जायदाद छोड़गया हो तो ऐसी जायदाद उसके वारिसको उत्तराधिकारके क्रमके अनुसार मिलेगी उसके मुश्तरका हिस्सेदारको नहीं मिलेगी । और जो जायदाद उसने मुश्तरका छोड़ी अर्थात् जिसपर वह मुश्तरका हक़ रखता था वह मुश्तरका हिस्सेदारको मिलेगी । अलहदा कमाई हुई और उसे अलहदा मिली हुई जायदाद उसके वारिसको मिलेगी; देखो-पेरियासामी बनाम पेरियासामी 1 Mad 312, 5 I. A. 61.

(३) जब कोई आदमी अपनी मौतके समय अपने दूसरे मुश्तरका हिस्सेदारोंसे अलहदा हो, और जायदादपर अलहदा क़ब्ज़ा रखता हो तो उसकी तमाम जायदाद चाहे किसी तरहसे भी उसे प्राप्त हुई हो वह उत्तराधिकारके क्रमके अनुसार उसके वारिसको मिलेगी देखो-दुर्गाप्रसाद बनाम दुर्गाकुंवरि 4 Cal. 190, 202, 5 I. A.149.

(४) जब कोई आदमी अपनी मौतके समय मुश्तरका ख़ानदानमें अकेला हो, यानी उसके दूसरे हिस्सेदार मरचुके हों, तो तमाम जायदाद यानी मुश्तरका जायदाद मिलाकर उसे मिल जायगी जो उसका वारिस होगा अर्थात् तमाम जायदाद उत्तराधिकारके क्रमसे उसके वारिसको मिलजायगी; देखो-6 M. I. A. 309.

(५) जब कोई आदमी मुश्तरका ख़ानदानसे अलहदा होगया हो और पीछे वह फिर उसी खानदानमें शामिल होगया हो और मुश्तरकाकी दशामें मराहो तो. उसकी जायदाद इस क़िताबके प्रकरण ६ के अनुसार उसके वारिसको मिलेगी ।

उदाहरण--राम और लक्ष्मण दोनों भाई मुश्तरका हिस्सेदार हैं । राम अपनी विधवा स्त्रीको छोड़कर मरगया और रामने अपनी खुद कमाई हुई जायदाद भी छोड़ी और थोड़ीसी जायदाद जो उसको उत्तराधिकारमें मिली थी जिसपर राम क़ानूनके अनुसार अलहदा मालिक था उसे भी छोड़ा । देखिये मुश्तरका जायदादमेंका हिस्सा तो उसके भाई लक्ष्मणको मिलेगा जो रामका मुश्तरका हिस्सेदार है, लेकिन रामकी खुद कमाई हुई और उत्तराधिकारमें मिली हुई अलहदा जायदाद उसकी विधवाको बतौर वारिसके मिलेगी ।

दफा ५७५. कौनसी जायदाद उत्तराधिकारके योग्य है——मिताक्षरालॉके अनुसारमर्द हिन्दूके मर जानेपर नीचे लिखी हुई जायदाद ‘ मृतपुरुष ’ के वारिसको उत्तराधिकारके अनुसार मिलेगी ।

(१) मरनेवालेकी खुद कमाई और अलहदा जायदाद, चाहे वह मरनेके समय शामिल शरीक परिवारमें क्यों न हो उसके वारिसको उत्तराधिकारके क्रमानुसार मिलेगी ।

(२) सब शामिल शरीक यानी मुश्तरका जायदाद, जिसका कि मरनेवाला अपनी मौतके समय अकेला ही जीता हिस्सेदार था अर्थात् दूसरे हिस्सेदार सब उसकी ज़िंदगीमें मर चुके थे, उत्तराधिकारके क्रमानुसार उसके वारिसको मिलेगी ।

(३) मृतपुपुरुषकी सब जायदाद, चाहे किसी तरहसे वह प्राप्त की गयी हो जब कि मृतपुरुष अपनी मौतके समय अलहदा हो गया हो तो उसकी सब जायदाद उत्तराधिकारके क्रमानुसार उसके वारिसको मिलेगी ।

नोट--स्मरण रख़ना कि ऊपर बताई हुई तीन तरहकी जायदादमें ही उत्तराधिकारका क़ानून लागू होगा दूसरीमें नहीं । खुद कमाई हुई, और ऊत्तराधिकारमें मिली हुई जो क़ानूनन ऊसकी अलहदा समझी जाती हो, और मुश्तरका जायदादका बटा हुआ हिस्सा इन क़िस्मोंमेंसे कोई एक क़िस्म होगी तो उस जायदादका वारिस वह होगा जो मृतपुरुषका ऊत्तराधिकारके अनुसार वारिस क़रार दिया गया हो ।

दफा ५७६. मिताक्षरालॉके अनुसार उत्तराधिकारका सिद्धांत——मिताक्षरा स्कूलमें वरासतके क्रमका प्रधान सिद्धांत खूनकी नज़दीकी रिश्तेदारी मानीगयी है। इसपर नज़ीरे देखो—पारोट बापालाल बनाम महता हरीलाल (1894) 19 Bom 631; बाबालाल बनाम ननकूराम (1895) 22 Cal.339; सुब्बासिंह बनाम सरफराज़ (1896) 19 All 215; सुबरामनया बनाम शिवा (1894) 17 Mad. 316 ; अप्पा नदाई बनाम बागूवाली (1909) 33 Mad 439, 444 ; चिन्नासामी बनाम कुंजूपिल्लाई (1912) 35 Mad 152.

बंगालस्कूल अर्थात् दायभागस्कूलमें वरासतके क्रमका प्रधान सिद्धांत पितृ और मातृ वंशके पूर्वजोंको आत्मिक लाभ पहुंचानेकी बुनियादपर निर्भर मानागया है; देखो-गुरू गोविंद बनाम अ नन्दलाल 5 Beng L. R. 15.

दफा ५७७. मिताक्षरा, मनुके वचनानुसार उत्तराधिकार क़ायम करता है——

अनन्तरः सपिण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत्
अत ऊर्ध्वं सकुल्यःस्या दाचार्य्यः शिष्य एवच । मनु ९-१८७

कुल्लूकभट्ट—ने इस श्लोककी टीकामें लिखा है कि "सपिण्डमध्यात्संनिकृष्टतरो यःसपिण्डः पुमान् स्त्री वा तस्य मृतधनं भवति" सपिण्डोंके मध्यमें जो बहुत समीपी सपिण्ड पुरुष अथवा स्त्री होवे उसे मृतपुरुषका धन मिलता है और जब ऐसा वारिस न हो तो सपिण्डकी संतानमें और उसके भी न होनेपर समानोदकोंको और ,पीछे आचार्य्य तथा शिष्यको जायदाद मिलेगी। इस श्लोकमें कहागया है कि 'सबसे नज़दीकी सपिण्डको उत्तराधिकार मिलता है' यह शब्द मिताक्षरालॉ के वरासतके क्रमका मूल है।

दफा ५७८. उत्तराधिकार किस क्रमसे चलता है———हिन्दुओंके यहां उत्तराधिकार, उस जायदादका जो इस किताबकी दफा ५६५ में बतायागया है, पहिले सपिण्डमें होता है, यानी सबसे पहिले सपिण्ड जायदाद पाता है, सपिण्डके न होनेपर 'समानोदक' और समानोदकके न होनेपर बन्धु जायदाद पातेहैं। बंधुके न होनेपर आचार्य और शिष्यका हक़ है। सपिण्डका विषय नीचे देखिये—

दफा ५७९. सपिण्ड शब्दका अर्थ——इस किताबकी दफा ४७ में 'सपिण्ड' शब्दका अर्थ विस्तारसे कहागया है। वही अर्थ यहांपर भी समझिये। सारांश यह है कि जिसका शरीर अपने शरीरके साथ एक हो उसे सपिण्ड कहते हैं।

दफा ५८०. दोतरहके सपिण्ड——सपिण्ड दो तरहके होते हैं, एक 'गोत्रज सपिण्ड' दूसरा 'भिन्नगोत्रजसपिण्ड'। 'गोत्रजसपिण्ड' से यह मतलब है कि अपने गोत्रका हो और सपिण्ड हो, तथा 'भिन्नगोत्रजसपिण्ड' से यह मतलब है कि अपने गोत्रका न हो और सपिण्ड हो। गोत्रका फैलाव बहुत बड़ा है; मगर सपिण्डका फैलाव उसी हद्दतक है जहांतक कि शरीरके अवयवोंका संबंध मिलता हो। 'भिन्नगोत्रजसपिण्ड' को बन्धु कहते हैं-देखो दफा ४७.

दफा ५८१. मिताक्षराके अनुसार गोत्रजसपिण्ड और भिन्नगोत्रजसपिण्ड——दफा ४७ में बताया जा चुका है कि 'गोत्रज सपिण्ड' और भिन्न गोत्रज सपिण्ड' कौन रिश्तेदार होते हैं। दफा ५८० में बताया गया कि 'भिन्न गोत्रज-सपिण्डको' बंधु कहते हैं इस विषयमें देखो दफा ५९०; ६३३-६३४. मिताक्षरामें गोत्रज सपिण्ड और भिन्न गोत्रज सपिण्ड दोनों शरीरके संबंधसे माने गये हैं। नीचेका नकशा देखो और ध्यान पूर्वक विचार करो।

[मिताक्षराके सपिण्डोंका नक़शा]

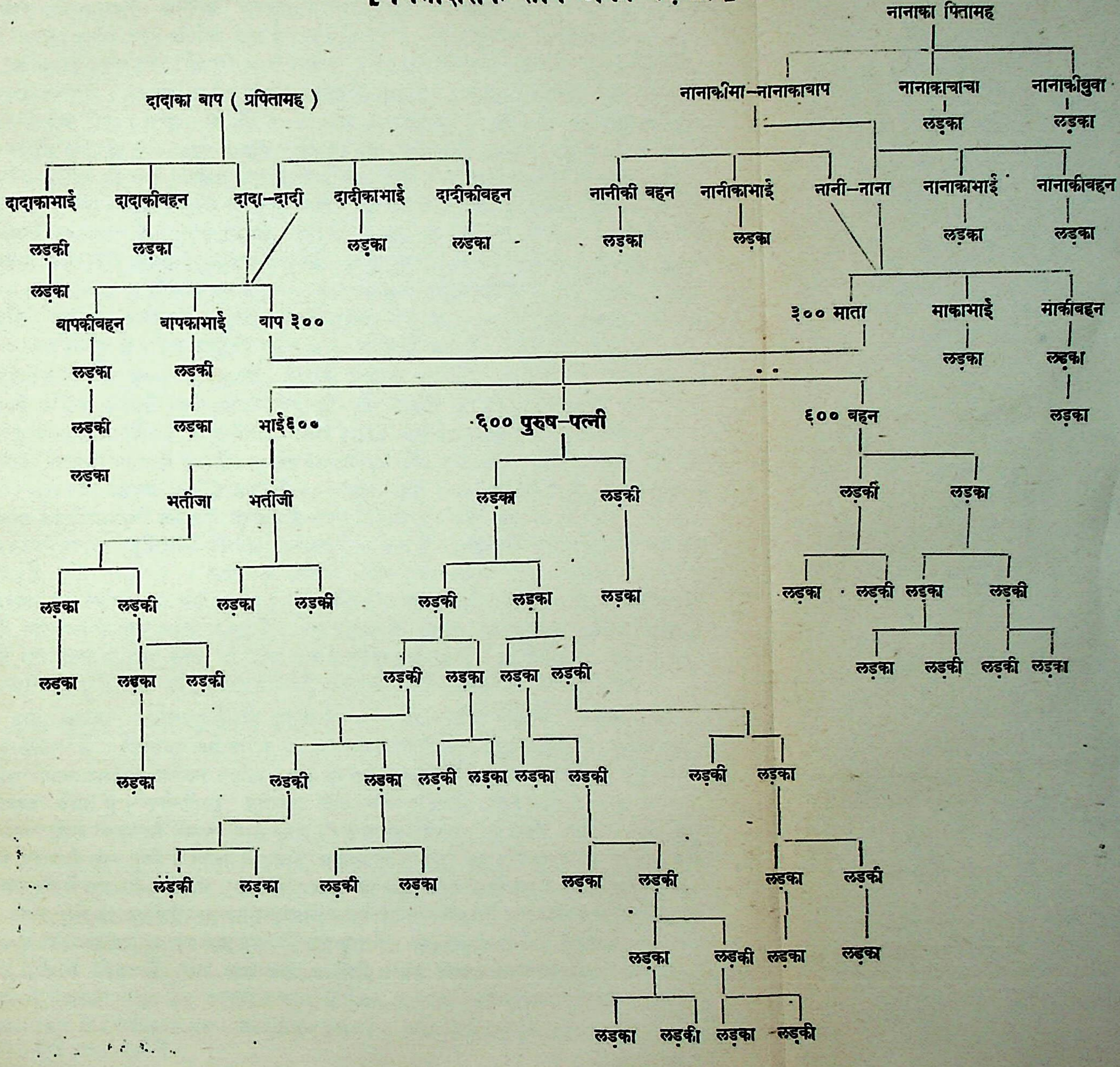
नानाका पितामह
नानाकीमा–नानाकाबाप
नानाकाचाचा
नानाकीबुवा
लड़का
लड़का
दादाका बाप (प्रपितामह)
दादाकाभाई
दादाकीबहन
दादा–दादी
दादीकाभाई
दादीकीबहन
नानीकी बहन
नानीकाभाई
नानी–नाना
नानाकाभाई
नानाकीबहन
लड़की
लड़का
लड़का
लड़का
लड़का
लड़का
लड़का
लड़का
लड़का
बापकीबहन
बापकाभाई
बाप ३००
३०० माता
माकाभाई
माकीबहन
लड़का
लड़की
लड़का
लड़का
लड़की
लड़का
लड़का
लड़का
भाई६००
६०० पुरुष–पत्नी
६०० बहन
भतीजा
भतीजी
लड़का
लड़की
लड़की
लड़का
लड़का
लड़की
लड़का
लड़की
लड़की
लड़का
लड़की
लड़का
लड़की
लड़का
लड़का
लड़का
लड़की
लड़की
लड़का
लड़का
लड़का
लड़की
लड़का
लड़का
लड़की
लड़का
लड़की
लड़की
लड़का
लड़का
लड़की
लड़का
लड़की
लड़का
लड़का
लड़की
लड़की
लड़का
लड़की
लड़का
लड़की
लड़का
लड़का
लड़की
लड़का
लड़की
लड़का
लड़की
लड़का
लड़का
लड़का
लड़की
लड़का
लड़की

ऊपरका नक़शा जे. आर. घारपुरे हिन्दूलॉ सन १९१० से उद्धृत किया गया है इससे मिताक्षराके अनुसार ' सपिण्ड ' अच्छी तरहसे समझमें आ जावेगा। आप कल्पना कीजिये कि आपका शरीर ६०० अंशोंसे बना है। अव विचारिये कि यह अंश आये कहांसे ? उत्तर है कि आपके माता और पितासे आये अर्थात् ३०० अंश माताके शरीरसे और ३०० अंश पिताके शरीरसे। माताका शरीर भी ६०० अंशोंसे वना है। इसीप्रकार माताके शरीरमें ३०० अंश माताके पिता (नाना) से और ३०० अंश माताकी मा (नानी) के शरीरसे आये हैं, तो आपके शरीरमें १५० अंश नानीके शरीरसे और १५० अंश नानाके शरीरसे आये हैं। नानीका शरीर भी ६०० अंशोंसे बना है, नानीके शरीरमें ३०० अंश नानीकी माताके शरीरसे और ३०० अंश नानीके पिताके शरीरसे आये हैं तो परिणाम यह हुआ कि नानीकी माताके शरीरसे ७५ अंश और नानीके पिताके शरीरसे ७५ अंश आपके शरीरमें आये हैं। इसी तरह जितना ऊपर चले जाइये वेशुमार संबंध होता चला जायगा। अब देखिये आपके पिताका शरीर ६०० अंशोंसे बना है। पिताके शरीरमें ३०० अंश आपकी दादीसे और ३०० अंश आपके दादाके शरीरसे आये हैं, तो आपके शरीरमें आपकी दादीके शरीरके १५० अंश और दादाके शरीरके १५० अंश मौजूद हैं। एवं दादीका शरीर ६०० अंशोंसे बना है। दादीके शरीरमें ३०० अंश दादीकी मासे और ३०० अंश दादीके पिताके शरीरसे आये हैं, तो परिणाम यह हुआ कि आपके शरीरमें दादीकी माके शरीरसे ७५ अंश और दादीके पिताके शरीरसे ७५ अंश आये हैं। इसी तरहपर जितना आप विचार करते जायेंगे संबंध मिलता और फैलता जायगा। नीचेकी लाइनमें भी यही क्रम है ; अर्थात आपके पुत्र और लड़कीके शरीरमें आपके शरीरके ३०० अंश और आपकी पत्नीके शरीरके ३०० अंश कुल ६०० अंश मौजूद हैं। आगे जितनी संतान बढ़ती जायगी उतनाही ऊपरवाले माता पिताके शरीरोंके अंश घटते जायेंगे। अंशोंके सिद्धांतसे तमाम दुनियांके लोगोंका संबंध हो सकता है। इसीलिये आचार्योंने नियम कर दिया है, देखो दफा ५१ । यहां एक बातपर और ध्यान रखिये कि नक़शेमें आपको दो शाखाएं देख पड़ेंगी, एक मर्द शाखा दूसरी स्त्रीकी शाखा। मर्द शाखामें गोत्र नहीं बदलता और स्त्रीशाखामें गोत्र बदल जाता है। मर्द शाखाको सगोत्र या गोत्रज सपिण्ड कहते हैं और स्त्री शाखाको भिन्न गोत्र या भिन्न गोत्रज सपिण्ड कहते हैं। भिन्न गोत्रज सपिण्ड बन्धु कहलाते हैं, देखो दफा ६३३ । इस नक़शेके समझनेके लिये नीचेकी दफा ५८२ पढ़िये।

दफा ५८२. सपिण्ड किसे कहते हैं——जो एकही पिण्डमें शामिल होते हों वह सपिण्ड हैं। पिण्डका अर्थ शरीर है, जो एकही शरीरमें शामिल होते होंवे सपिण्ड हैं। यानी जिनके शरीरके अवयव (अंश) एक हों वह सपिण्ड हैं। ऐसे सपिण्डको पूर्ण-पिण्ड सपिण्ड कहते हैं। पूर्ण-पिण्ड, ऊपरकी तीन और नीचेकी तीन पुश्तोंमें होता है। इस तरहपर जिस आदमीसे गिनना शुरू करते हो उसे भी मिलादो तो सात पुश्त हो जायेंगी। जैसे ऊपरकी तीन पुश्तें हैं पिता, पितामह, प्रपितामह (बाप, दादा, परदादा) एवं नीचेकी तीन पुश्तें हैं पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र (लड़का, पोता, परपोता) इन छःमें जब मालिकको मिलादो तो सात पुश्तें हो जाती हैं, इन सात पुश्तोंमें ' पूर्ण पिण्ड ' होता है। क्योंकि मालिकसे शरीर संबंधी अवयवोंके द्वारा सब एक दूसरेसे बंधे हुए हैं। मालिकके शरीरके अवयव पुत्र, पौत्र और प्रपौत्रमें मौजूद हैं तथा मालिकके शरीरमें उसके पिता, पितामह और प्रपितामहके शरीरके अवयव मौजूद हैं। इसलिये सब मिलकर शरीरके अवयवरूप बंधनसे एक पूर्ण पिण्ड बनता है। प्रपौत्रका पुत्र (परपोतेका लड़का) तथा प्रपितामहका पिता (परदादाका बाप) पूर्ण पिण्ड नहीं है।

याज्ञवल्क्यकी टीका मिताक्षरामें विज्ञानेश्वरने सपिण्ड शब्दको श्राद्धके आधार पर प्रयोग नहीं किया, बल्कि अवयव सम्बन्ध परही प्रयोग किया है। क्योंकि उन्होंने विवाह संबंधमें जो सपिण्डकी व्याख्या की है (देखो दफा ४६ से ४८); उसमें श्राद्धकी कोई बात नहीं कही, पर रक्तका अथवा अवयवका सम्बन्ध कहा है, इसी आधार पर सपिण्ड बताया गया है। उस जगहपर सपिण्ड ऐसे अर्थमें शामिल है जहांपर पिण्डदानकी क्रिया हो ही नहीं सकती। तात्पर्य्य यह है कि उनका दिया हुआ पिण्ड शास्त्रानुसार उसे पहुंच नहीं सकता। यह सपिण्ड मालिकसे सीधी लाइनका होता है मगर इनके अतिरिक्त और भी रिश्तेदार सपिण्ड होते हैं। उनका पूर्ण पिण्ड उनके अनुसार चलता है।

विज्ञानेश्वरके कहनेका तात्पर्य्य यह है कि सपिण्डका सम्बन्ध तब होता है जब दो आदमियोंके बीचमें शरीरके अंगोंका सम्बन्ध एक दूसरेमें हो। शरीरके अंगोंके सम्बन्धसे जब सपिण्ड जोड़ा जायगा तो उसका फैलाव होजाता है क्योंकि हरएक शरीरमें पिता और माताके अंगोंके अंश लड़केमें आते हैं। इसी सबबसे और ऊपर कहे हुए सिद्धान्तके अनुसार वह कहते हैं, कि हर आदमी अपने बाप और माकी तरफवाले पूर्वजों और चाचाओं मामाओं, फूफियों तथा मौसियोंका सपिण्ड है। इसीतरहपर इन आदमियोंकी स्त्रियां और पति भी सपिण्ड हैं। अर्थात् चाचा और चाची, मामा और मामी, फूफा और फूफी, मौसा और मौसी सब सपिण्ड हैं। पति और पत्नी आपसमें इसलिये सपिण्ड हैं कि वह दोनों मिलकर एक शरीर आरम्भ करते हैं। भाइयोंकी स्त्रियां भी आपसमें सपिण्ड हैं क्योंकि उनसे जो लड़के पैदा होते हैं वह अपने पूर्व्वजोंके शरीरके अंश रखते हैं।

अगर इसी तरहपर सिलसिला सपिण्डका माना जाय तो तमाम दुनियां एक न एकसे सम्बन्ध रखती हुई मिल जावेगी और सब लोग किसी न किसी तरहसे सपिण्डमें शामिल होजायेंगे। इसलिये आचार्योंने नियम करदिया है कि—

पञ्चमात्सप्तमादूर्ध्वं मातृतः पितृतस्तथा ।
मातृतो मातुः सन्ताने पञ्चमादूर्ध्वं, पितृतः सन्ताने
सप्तमादूर्ध्वं सापिण्ड्यं निवर्तत इति । याज्ञवल्क्ये—५३.

सपिण्डता–माताकी तरफ पांचवीं और पिताकी तरफ सातवीं पीढ़ीमें निवृत्त होजाती है अर्थात् माके सम्बन्धसे पांचवीं पीढ़ीमें और बापकी तरफ बापके सम्बन्धसे सातवीं पीढ़ीमें सपिण्डता निवृत्त होजाती है। आगेके सम्बन्धको सपिण्ड नहीं कह सकते। यही नियम माना गया है। इस वजहसे बापसे लेकर छःपूर्वपुरुष और लड़केसे लेकर छःउत्तरपुरुष और उस आदमीको जोड़कर सात पीढ़ी शुमार की जायंगी। सात पीढ़ीकी गणना अपनेको मिलाकर शुमार करना चाहिये अर्थात् वह खुद भी सात पीढ़ीके अन्दर एक पीढ़ी है। एवं मातासे लेकर पांच पीढ़ी गिनना–देखो–घारपुरे हिन्दूलॉ पेज ३०९ और मेन हिन्दूलॉकी दफा ५१०.

दफा ५८३. बापसे सातवीं मासे पांचवीं पीढ़ीके बाद सपिण्ड नहीं रहता—

यह बात प्रायः सभी आचार्य्योंने मानी है कि बापकी तरफसे सातवीं पीढ़ी और माकी तरफसे पांचवी पीढ़ीके पश्चात् सपिण्ड नहीं रहता अर्थात् अपनेको लेकर बापकी शाखामें सातवीं पीढ़ीतक और इसी तरहपर अपनेको लेकर माकी शाखामें पांचवीं पीढ़ीतक सपिण्डता रहती है,पश्चात् नहीं रहती। सात पीढ़ी और पांच पीढ़ीके सपिण्ड देखो इस किताबकी दफा ५८४ और प्रमाण देखो दफा ५१.

दफ़ा ५८४. सात दर्जेके सपिण्डोंका नक़शा——धर्मशास्त्रके अनुसार सपिण्डका नक़शा देखो—

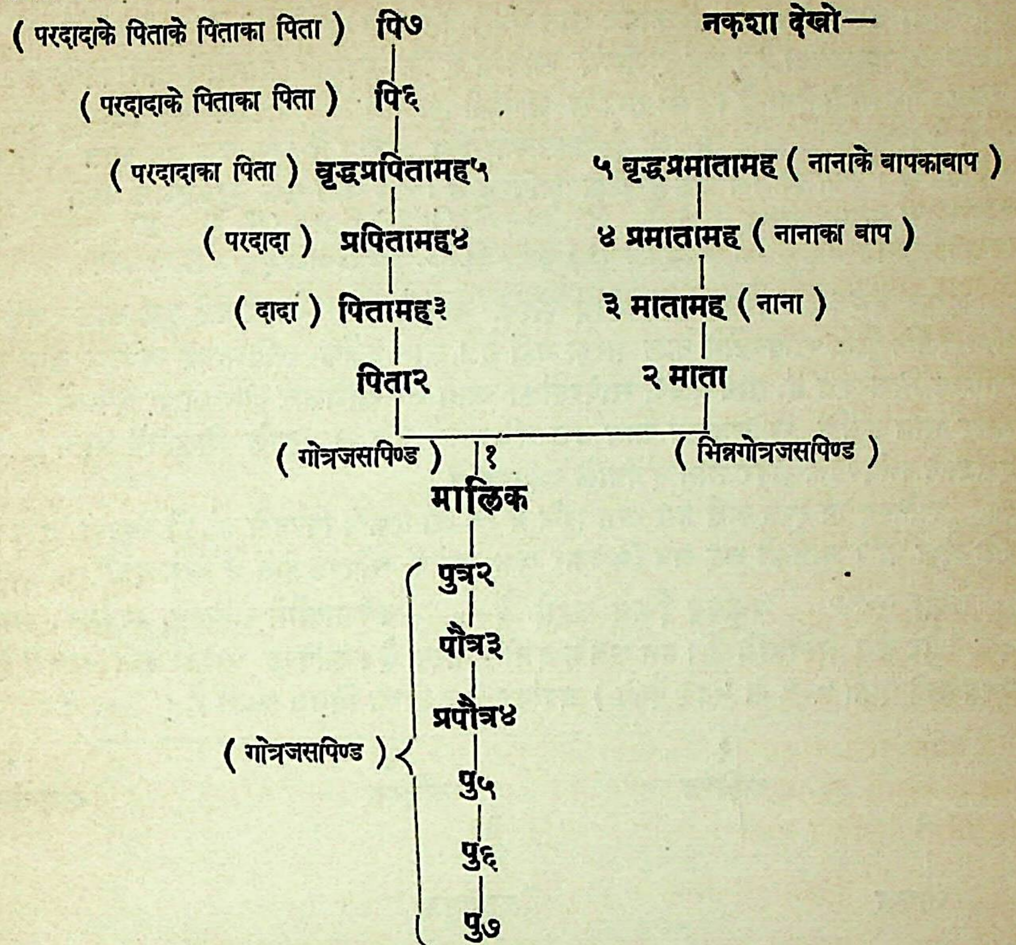
(परदादाके पिताके पिताका पिता) पि७
(परदादाके पिताका पिता) पि६
(परदादाका पिता) वृद्धप्रपितामह५
५ वृद्धप्रमातामह (नानाके बापकाबाप)
(परदादा) प्रपितामह४
४ प्रमातामह (नानाका बाप)
(दादा) पितामह३
३ मातामह (नाना)
पिता२
२ माता
(गोत्रजसपिण्ड) १
(भिन्नगोत्रजसपिण्ड)
मालिक
पुत्र२
पौत्र३
प्रपौत्र४
(गोत्रजसपिण्ड)
पु५
पु६
पु७

देखो—मालिक नं० १ अपनेको, या जिस आदमीका सपिण्ड मिलाना चाहते हो उसे समझो। मालिक नं० १ की दो शाखायें ऊपर गयी हैं और एक नीचे । ऊपरकी पितावाली शाखामें सपिण्ड सातवें नम्बरमें ख़तम होजाता है अर्थात् सात नम्बर जहांपर दियागया है वहांतक सपिण्ड है। 'पि' से मतलब है पिता यानी न० ५ का पिता ६; और न० ६ का पिता ७ है। इस तरहपर पिताकी शाखामें सपिण्ड सात पीढ़ीतक ऊपर जाताहै। अब देखिये माताकी शाखा, इस शाखामें सपिण्ड पांचवें नम्बरमें ख़तम होजाता है यानी मातृपक्षमें माता नाना, परनाना,और परनानाका बाप(नगड़नाना) चार हुए और मालिकको मिला दो तो पांच हो जाते हैं। इस तरहपर मालिकको मिलाकर मातापक्षमें सपिण्ड पांचवीं पीढ़ीमें समाप्त हो जाता है। नीचेकी शाखा देखिये—मालिकसे लेकर सातवीं पीढ़ीमें सपिण्ड समाप्त होजाता है। 'पु' से मतलब पुत्र है, यानी न०४का पुत्र५ और न०५का पुत्र ६, एवं न० ६का पुत्र न०७ है। मालिकको हर शाखामें एक पीढ़ी मानकर शामिल करना चाहिये।

दफ़ा ५८५. पिण्डदान और जलदानके सपिण्ड——पिण्डदान और जलदान हर आदमी अपने बाप, दादा, और परदादाको करता है, एवं नाना, परनाना तथा नगड़नाना (परनानाका बाप) को करता है, अर्थात् ऊपरकी शाखामें पितृपक्षमें तीन तथा मातृपक्षमें तीन पीढ़ियोंतक पिण्ड और पानी देता है। इसी तरहसे हर आदमी अपने लड़के,

पोते, परपोतेसे पिण्ड और पानी पाता है। ऊपरकी शाखामें तीन और नीचेकी शाखामें तीन तथा उस आदमीको मिलाकर सात पीढ़ी होजाती हैं और दोनों शाखाओंका वह बराबरका सपिण्ड होता है। यह इसलिये सपिण्ड है कि ऊपरकी शाखामें तीन पिढ़ियोंको वह पिण्ड और पानी देता है। इसी तरहसे नीचेकी शाखामें तीन पीढ़ीसे वह पिण्ड और पानी लेता है। वह ऊपर और नीचेकी दोनों शाखाओंको जोड़ता है। अतएव वह सात पीढ़ियोंका सपिण्ड है। तथा इनमेंसे एक दूसरेके सपिण्ड हैं। यह बात एक मुक़द्दमेंमें मानी गयी है; देखो–गुरू बनाम अनन्द 5 B. L. R. 39; S. C. 13 Suth (F. B.) 49; अमृत बनाम लच्छीनरायन 2 B. L. R. (F. B.) 34; S. C. 10 Suth (F. B.) 76.

दफा ५८६. दोनों सपिण्डोंमें फरक़ नहीं है——ऊपर कहे हुए सात दर्जेके और तीन दर्जेके दोनों सपिण्डोंमें कुछ फरक़ नहीं है। सात दर्जेके सपिण्डकी अपेक्षा तीन दर्जेके सपिण्ड निकटस्थ हैं, तीन दर्जेके सपिण्डोंका काम उत्तराधिकार और श्राद्ध तर्पणमें आता है, मगर सात दर्जेके सपिण्डोंका काम उत्तराधिकारमें और सम्बन्धके मिलानेमें आता है। सात दर्जेवाले सपिण्डके अंदर तीन दर्जेवाले सपिण्ड हैं।

सपिण्ड शब्दका अर्थ हम बता चुके हैं कि जो एकही पिण्डसे बने हों अथवा एक शरीरके अंश पाये जाते हों वह सब मिलकर एक दूसरेके सपिण्ड होते हैं देखो दफा ५७९.

दफा ५८७. सकुल्य किसे कहते हैं——धर्मशास्त्रोंमें सपिण्ड, सकुल्य, समानोदक, और बंधु माने गये हैं। इन सबके दर्जोंमें फरक़ है। सपिण्ड पहिले कहा गया है (इस पुस्तककी दफा ५७९ से ५८६ देखो) यहांपर सकुल्यका विषय कहते हैं।

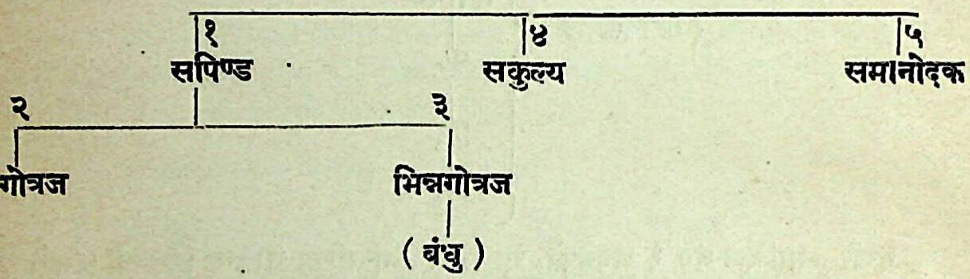

(१) नम्बर १ सपिण्ड है जिसका वर्णन इस किताबकी दफा ५७९ से ५८६ में देखो.

(२) नम्बर २ गोत्रज सपिण्डका वर्णन देखो दफा ५८०.

(३) नम्बर ३ भिन्नगोत्रज सपिण्डका वर्णन देखो दफा ५८०; ५९०; ६३३; ६३९ गोत्रज सपिण्ड उसे कहते हैं जो अपने गोत्रका न हो। ऐसा संबंधी एक स्त्रीके संबंधसे पैदा होताहै और जो संबंधी किसी स्त्रीके संबंधसे मिलता हो उसे 'बंधु' कहतेहैं।

(४) नम्बर ४ सकुल्यका वर्णन देखो आगेके नकशेमें.

(५) नम्बर ५ समानोदका वर्णन देखो दफा ५८८; ५८९.

जहांपर तीन पीढ़ियोंका सपिण्ड समाप्त होता है वहांसे लेकर और सातवीं पीढ़ीके सपिण्डतक ऊपरकी शाखामें। इसी तरहपर नीचेकी शाखामें जहांपर तीन पीढ़ियोंका सपिण्ड समाप्त होता है वहांसे लेकर सात पीढ़ीके सपिण्डतक और उनके संबंधी जिनका दिया हुआ पिण्ड मालिकको अथवा मालिकके पूर्वपुरुषोंको जिन्हें मालिक देसकता था नहीं देसकते।

सकुल्य ऐसे सपिण्डको कहते हैं जिसका दिया हुआ पिण्ड मालिकको या मालिकके बाप, दादा, परदादाको न पहुँचता हो। वह सब सकुल्य एक दूसरेके हैं। जैसे भतीजेके बेटेका बेटा, परपोतेका बेटा, परदादाका बाप, और परदादाका भाई इत्यादि सकुल्य होते हैं।

सकुल्यका रिश्ता कोई ज़रूरी रिश्ता नहीं मानागया है, इसीसे अनेक धर्मग्रंथोंमें इसका उल्लेख नहीं मिलता है। सपिण्ड और समानोदक तथा बंधुका उल्लेख अधिकतासे मिलता है। यह बात तय नहीं मालूम होती कि सकुल्यका फैलाव कहांतक होना चाहिये, मगर पिण्डके रिश्तेसे हम सकुल्यका नक़शा नीचे देते हैं। सब मिलकर १५ सकुल्य होतेहैं। नम्बर१६ तक सपिण्ड है और नं० १७ से ३१ तक सकुल्य दिखलायेगये हैं।

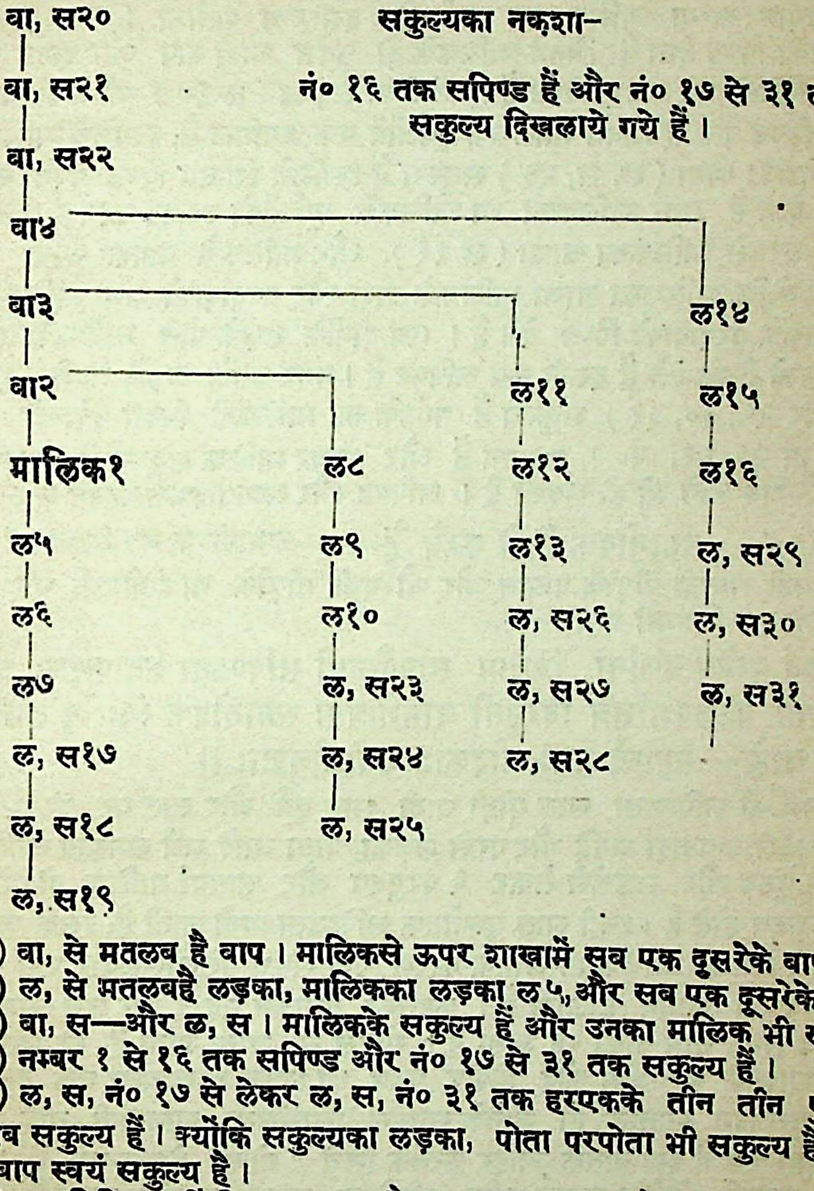

सकुल्यका नक़शा—

नं० १६ तक सपिण्ड हैं और नं० १७ से ३१ तक सकुल्य दिखलाये गये हैं।

वा, स२०
वा, स२१
वा, स२२
वा४
वा३
वा२
मालिक१
ल५
ल६
ल७
ल, स१७
ल, स१८
ल, स१९
ल८
ल९
ल१०
ल, स२३
ल, स२४
ल, स२५
ल११
ल१२
ल१३
ल, स२६
ल, स२७
ल, स२८
ल१४
ल१५
ल१६
ल, स२९
ल, स३०
ल, स३१

(१) वा, से मतलब है बाप। मालिकसे ऊपर शाखामें सब एक दूसरेके बाप हैं।

(२) ल, से मतलबहै लड़का, मालिकका लड़का ल५, और सब एक दूसरेके लड़का हैं।

(३) वा, स—और ल, स। मालिकके सकुल्य हैं और उनका मालिक भी सकुल्य है।

(४) नम्बर १ से १६ तक सपिण्ड और नं० १७ से ३१ तक सकुल्य हैं।

(५) ल, स, नं० १७ से लेकर ल, स, नं० ३१ तक हरएकके तीन तीन पुश्त आगे फैलाकर सब सकुल्य हैं। क्योंकि सकुल्यका लड़का, पोता परपोता भी सकुल्य है इसलिये कि उनका बाप स्वयं सकुल्य है।

(६) यह निश्चित नहीं कि सकुल्यका फैलाव इतनाही होता है या इससे अधिक।

मालिक सात सपिण्डोंके बीचका आदमी है; यानी वह बीचका सपिण्ड है। वह अपने बेटे, पोते, परपोतेका सपिण्ड इसलिये होता है कि वह मालिकको पिण्ड देते हैं तथा उसके सपिण्ड हैं। कारण उनसे उसको पिण्ड मिलता है (देखो ल, ५, ६, ७). परंतु मालिकके परपोतेका लड़का (ल, स, १७). सपिण्ड नहीं है, वह मालिकके सकुल्य हैं; क्योंकि वह अपने बाप, दादा, परदादाका ही सपिण्ड है और उन्हींको पिण्ड देता है और वह उससे

पिण्ड पाते हैं। वह मालिकको पिण्ड नहीं देता और न मालिक उससे पिण्ड पाताहै। इसलिये परपोतेका बेटा सकुल्य है और जब वह स्वयं सकुल्य है तो उसकी औलाद नं० १८, १९ और उनका वंश तीन पुश्ततक सब सकुल्य है। नं० ८ मालिकका भाई है, मालिक स्वयं अपने भाईसे पिण्ड नहीं पाता, बल्कि उस पिण्डके फायदे में शरीक होता है जिसको मर्द अपने पूर्वजों बाप, दादा, परदादाको देता है। यह तीन पूर्व्वज वही हैं जिनके लिये पिण्डदान करना मालिक पर फ़र्ज़ है, इसी तरह भतीजा (ल ९) भी अपने तीन पूर्वजोंको पिण्ड देता है जिनमें मालिकके दो पूर्वज यानी बाप और दादा शामिल हैं, इसलिये मालिकके यह सब सपिण्ड हैं। भतीजेका लड़का (ल १०) भी अपने बाप, दादा, परदादाको पिण्ड देता है जिनमें मालिकके पूर्वजोंमें एक शामिल है; इसलिये मालिका सपिण्ड है मगर भतीजेका पोता (ल, स, २३) सकुल्य है इसलिये कि वह पिण्ड अपने बाप, दादा, परदादाको देता है; मगर मालिकको या मालिकके पूर्वजोंको उसका फायदा कुछ नहीं पहुंचता। इसी तरहसे मालिकका चाचा (ल ११). और मालिकके बापका चाचा (ल १४) सपिण्ड है क्योंकि मालिकका चाचा मालिकके दादा और परदादाको, तथा मालिकके बापका चाचा मालिकके परदादाको पिण्ड देते हैं। एवं दोनोंके लड़के पोते मालिकके पूर्वज दादा और परदादाको पिण्ड देते हैं इससे सब सपिण्ड है। मगर उनके लड़के यानी (ल, स, २६, २७, २८, और २९, ३०, ३१) सकुल्य हैं क्योंकि वह मालिकके किसी पूर्वजको पिण्ड नही देते। (वा, स २२, २१, २०) सकुल्य हैं और इनका मालिक सकुल्य है। इसी तरहपर सकुल्यका फैलाव आगे भी हो सकता है।· सपिण्ड और समानोदकके बीचमें सकुल्य होते हैं।

दफा ५८८. समानोदक किसे कहते हैं——समानोदक वह रिश्तेदार कहे जाते हैं जो मालिकसे सातवीं पीढ़ीके पश्चात् और चौदहवीं पीढ़ीके या इक्कीसवीं पीढ़ीके भीतर होते हैं। देखो इस विषयमें प्रमाण—

सर्व्वे षामेव वर्णानां विज्ञेया साप्तपौरुषी सपिण्डता ततःपश्चात् समानोदक धर्मता। ततः कालवशात्तत्र विस्मृतौ नामगोत्रतः समानोदक संज्ञा तु तावन्मात्रापि नश्यति॥ ब्राह्मे—सप्तोर्ध्वं त्रयः सोदकाः, ततोगोत्रजाः॥

सब वर्णोंकी सपिण्डता सात पीढ़ी यानी सात पूर्व और सात पर पुरुषमें समाप्त हो जाती है। पूर्वसे बापदादा आदि और परसे लड़का, पोता आदि अर्थ समझना चाहिये, बापसे लेकर ६ पूर्व पुरुष और लडकेसे लेकर ६ परपुरुष और सातवां मालिक दोनोंमें शामिल होकर सात पुरुष होते हैं। इन्ही सात पुरुषोंतक सपिण्डता मानी जाती है; इसके बाद समानोदक संज्ञा है। समयके अधिक हो जानेके कारण जब संबंध सिलसिलेवार याद नहीं रहता तब समानोदक भी समाप्त होजाता है। कहनेका प्रयोजन यह है कि जब समानोदक भी नहीं रहा तब सिर्फ गोत्र बाकी रह जाता है। गोत्रसे यह जाना जाता है कि किसी समयमें एकही वंशशाखाके पूर्व्वजोंमें कोई विशेष पुरुष था जिसका सम्बन्ध एक दूसरेसे चला आता है। बहुत दिन व्यतीत हो जानेके सबबसे सिलसिला ख़ानदानी याद नहीं रहा; सिर्फ ख़ानदान एक है इस बातके ज़ाहिर करनेके लिये 'गोत्र' केवल याद है। आचार्य्य कहते हैं कि सातवीं पीढ़ीके पश्चात् तीन पीढ़ीतक समानोदक संज्ञा रहती है। मगर इस वचनके विरुद्ध अनेक वचन हैं जिनसे यह अर्थ निकलता है कि समानोदकता सात पुरुषोंके बाद होती है और सात पीढ़ी तक होती है तथा इससे भी अधिक होती है।

"सपिण्डा भावेऽसपिण्डा स्तत्रापि सोदकाः आचतुर्दशात्"।

दत्तक मीमांसा—सपिण्डके अभावमें असपिण्ड, और असपिण्डके अभावमें समानोदक होता है जो चौदह पीढीतक रहता है। दूसरे पेजका नकशा देखो—दफा ५८९.

दफा ५८९. सपिण्डों और समानोदकोंका नक़्शा——

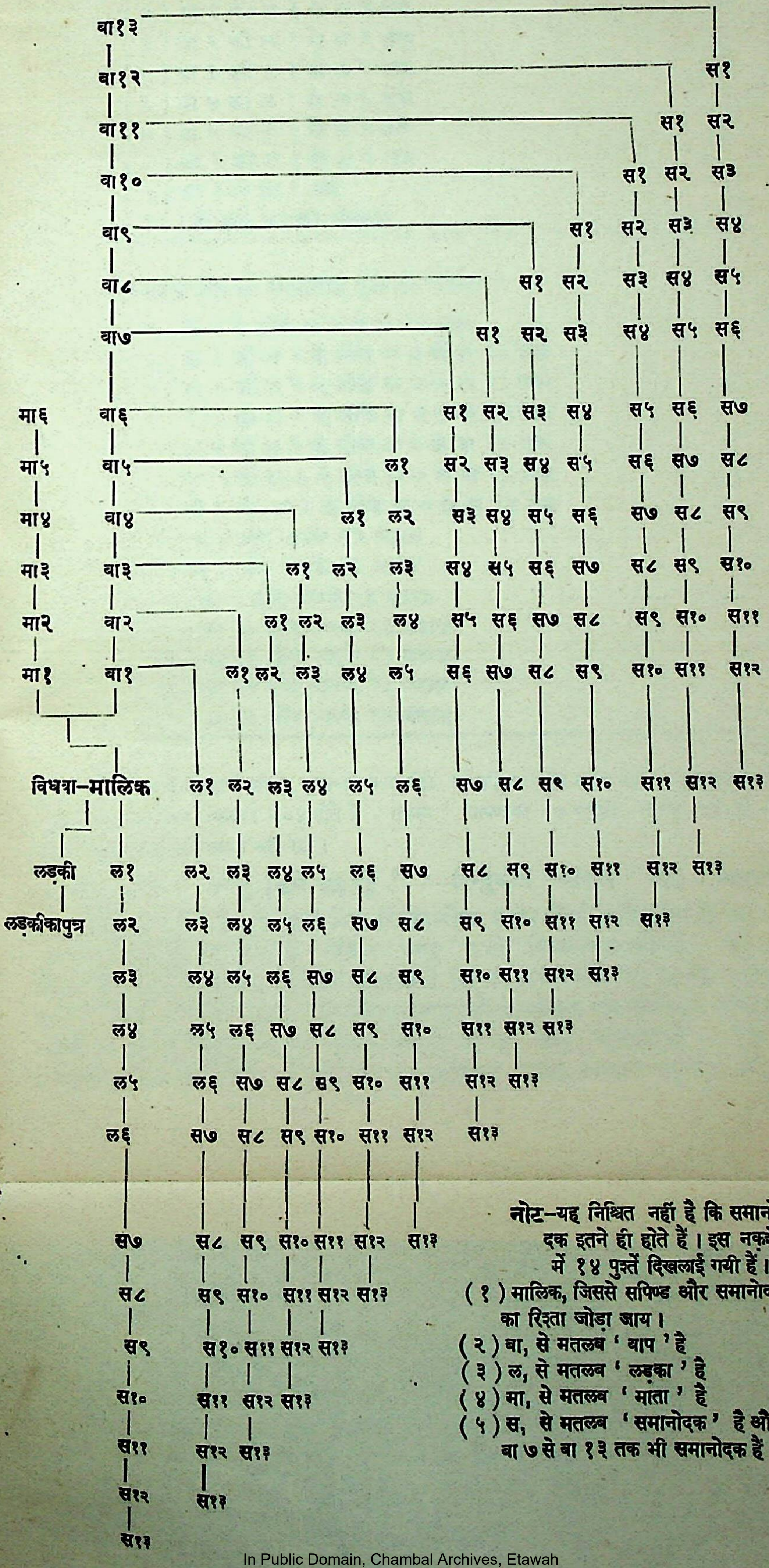
बा१३
बा१२ स१
बा११ स१ स२
बा१० स१ स२ स३
बा९ स१ स२ स३ स४
बा८ स१ स२ स३ स४ स५
बा७ स१ स२ स३ स४ स५ स६
मा६ बा६ स१ स२ स३ स४ स५ स६ स७
मा५ बा५ ल१ स२ स३ स४ स५ स६ स७ स८
मा४ बा४ ल१ ल२ स३ स४ स५ स६ स७ स८ स९
मा३ बा३ ल१ ल२ ल३ स४ स५ स६ स७ स८ स९ स१०
मा२ बा२ ल१ ल२ ल३ ल४ स५ स६ स७ स८ स९ स१० स११
मा१ बा१ ल१ ल२ ल३ ल४ ल५ स६ स७ स८ स९ स१० स११ स१२
विधवा—मालिक ल१ ल२ ल३ ल४ ल५ ल६ स७ स८ स९ स१० स११ स१२ स१३
लड़की ल१ ल२ ल३ ल४ ल५ ल६ स७ स८ स९ स१० स११ स१२ स१३
लड़कीकापुत्र ल२ ल३ ल४ ल५ ल६ स७ स८ स९ स१० स११ स१२ स१३
ल३ ल४ ल५ ल६ स७ स८ स९ स१० स११ स१२ स१३
ल४ ल५ ल६ स७ स८ स९ स१० स११ स१२ स१३
ल५ ल६ स७ स८ स९ स१० स११ स१२ स१३
ल६ स७ स८ स९ स१० स११ स१२ स१३
स७ स८ स९ स१० स११ स१२ स१३
स८ स९ स१० स११ स१२ स१३
स९ स१० स११ स१२ स१३
स१० स११ स१२ स१३
स११ स१२ स१३
स१२ स१३
स१३

नोट—यह निश्चित नहीं है कि समानोदक इतने ही होते हैं। इस नक़्शे में १४ पुश्तें दिखलाई गयी हैं।

(१) मालिक, जिससे सपिण्ड और समानोदक का रिश्ता जोड़ा जाय।

(२) बा, से मतलब 'बाप' है

(३) ल, से मतलब 'लड़का' है

(४) मा, से मतलब 'माता' है

(५) स, से मतलब 'समानोदक' है और बा ७ से बा १३ तक भी समानोदक हैं।

सपिण्ड़ सत्तावन होते हैं देखिये—

(१) ल १ से ल ६ तक	६
(२) वा १ से वा ६ तक	६
(३) वा १ की ल १ से ल ६ तक	६
(४) वा २ की ल १ से ल ६ तक	६
(५) वा ३ की ल १ से ल ६ तक	६
(६) वा ४ की ल १ से ल ६ तक	६
(७) वा ५ की ल १ से ल ६ तक	६
(८) वा ६ की ल १ से ल ६ तक	६
(९) मा १ से मा ६ तक	६
(१०) विधवा, लड़की, दोहिता	३
	५७

समानोदक एक सौ सैंतालीस होते हैं; देखिये—

(१) ल ६ के नीचे स ७ से स १३ तक	७
(२) वा १ की ल ६ के नीचे स ७ से स १३ तक	७
(३) वा २ की ल ६ के नीचे स ७ से स १३ तक	७
(४) वा ३ की ल ६ के नीचे स ७ से स १३ तक	७
(५) वा ४ की ल ६ के नीचे स ७ से स १३ तक	७
(६) वा ५ की ल ६ के नीचे स ७ से स १३ तक	७
(७) वा ६ की, ल ६ के नीचे स ७ से स १३ तक	७
(८) वा ७ और उसके १३ वंशज	१४
(९) वा ८ और उसके १३ वंशज	१४
(१०) वा ९ और उसके १३ वंशज	१४
(११) वा १० और उसके १३ वंशज	१४
(१२) वा ११ और उसके १३ वंशज	१४
(१३) वा १२ और उसके १३ वंशज	१४
(१४) वा १३ और उसके १३ वंशज	१४
	१४७

नोट—उत्तराधिकारमें पलिले सापिण्ड़ और पीछे समानोदक और उनके पीछे बन्धु वारिस होते हैं। सपिण्ड और समानोदक मिलकर २०४ होते हैं ' सकुल्य ' सापिण्डकी ५७ पीढीके अंतर्गत होते हैं। इसीसे उत्तराधिकारमें सकुल्यकी ज़रुरत नहीं रही।

दफा ५९०. बन्धु किसे कहतेहैं ?——हिन्दुओंमें ' सपिण्ड ' और ' समानोदक ' मर्द संबंधी रिश्तेदार होते हैं यानी जिन रिश्तेदारोंका संबंध सिर्फ मर्दसे होता है वह सपिण्ड और समानोदकके अंदर होते हैं। लेकिन ' बन्धु ' यानी ' भिन्नगोत्रजसपिण्ड ' स्त्री संबंधी रिश्तेदार होते हैं। यह वह रिश्तेदार कहलाते हैं जिनका संबंध एक या एकसे ज्यादा स्त्री द्वारा होता है। हरएक ' बन्धु ' का संबंध मृतपुरुषसे कमसेकम एक स्त्री द्वारा ज़रूरही होना चाहिये, कई एक स्त्रियों द्वारा जो संबंध होता है वह भी ' बन्धु ' कहलाते हैं। ' बंधु ' ऐसे रिश्तेदार कहे जाते हैं जैसे—बुवाका लड़का, मौसीका लड़का, मामाका लड़का, आदि। बुवा

का लड़का, बापकी बहनका लड़का है। यहांपर बापकी बहन (स्त्री) द्वारा लड़केके साथ संबंध है। मौसीका लड़का, माकी बहनका लड़का है यहांपर मा और माकी बहन, दो स्त्रियों द्वारा लड़केके साथ संबंध है। मामाका लड़का, माके भाईका लड़का है यहांपर मा; के द्वारा लड़केके साथ संबंध है इत्यादि। जहांपर 'बन्धु' शब्द आवे समझ लेना चाहिये कि किसी एक या कई एक स्त्रियोंके द्वारा संबंध जुड़ेगा। बन्धुओंको उत्तराधिकार संपिण्ड और समानोदकोंके पश्चात् प्राप्त होता है। बन्धुओंका विवरण इस कितावकी दफा ६३३ से ६४१ तक देखो।

दफा ५९१. गोत्रजसपिण्ड और भिन्नगोत्रजसपिण्डमें क्या भेद है?—मिताक्षराने सपिण्डको दो भागोंमें तक़सीम किया है 'गोत्रज सपिण्ड और 'भिन्न गोत्रजसपिण्ड' (देखो दफा ५८० से ५८३ ; ५९०) गोत्रजसपिण्ड वह सपिण्ड हैं जो मृतपुरुषके ख़ानदान अर्थात् गोत्रके होते हैं। भिन्न गोत्रजसपिण्ड वह सपिण्ड हैं जो 'मृतपुरुषके गोत्रके नहीं होते यानी दूसरे गोत्रके होते हैं। गोत्रजसपिण्ड सब मर्द संबंधी रिश्तेदार होते हैं। वह सिर्फ पुरुषके संबंधसे संपिण्डमें शामिल होते हैं जैसे पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, और पिता, पितामह, प्रपितामह, और भ्राता, भ्रातृपुत्र आदि। भिन्न गोत्रज सपिण्ड सब स्त्री संबंधी रिश्तेदार होते हैं (दफा ५९०); यानी वह पुरुष जो एक या अनेक स्त्रियोंके संबंधसे मृतपुरुषसे जुड़े हुए थे जैसे—भांजा, दोहिता, आदि। भिन्नगोत्रजसपिण्डको मिताक्षरालॉ में 'बन्धु' कहा गया है और वह प्रायः 'बन्धु' के नामसे प्रसिद्ध हैं।

दफा ५९२. उत्तराधिकारमें सपिण्ड शब्दका संकेत अर्थ मानागया है——गोत्रजसपिण्ड दो भागोंमें बंटा है एक 'सपिण्ड' दूसरा 'समानोदक।' समानोदकमें गोत्र एकही रहता है। मिताक्षरालॉ में 'सपिण्ड' शब्दका अर्थ दो तरहसे कियागया है। एक अर्थ विस्तृत है दूसरा संकेत है। जहांपर सपिण्ड शब्दका विस्तृत अर्थ कियाजाता है वहांपर मृत पुरुषके वह सब रिश्तेदार शामिल हैं जो उसके खूनके द्वारा परंपरा संबंध रखते हैं। और जहांपर संकेत अर्थ कियाजाताहै वहांपर मृतपुरुषकी सात पीढ़ीतक जो उसके खूनके संबंधसे रिश्तेदारहैं मानेजातेहैं। उत्तराधिकारमें जो सपिण्ड शब्दका प्रयोग कियागयाहै वह संकेत अर्थमें कियागया है। यानी वरासतके कामके लिये सपिण्ड शब्दके अर्थका फैलाव सिर्फ मृतपुरुषकी सात पीढ़ीतक मानागयाहै; ज्यादा नहीं मानागया। इसलिये स्मरण रखना चाहिये कि जहांपर इस विषयमें सपिण्ड शब्द आवे उसका मतलब संकेत अर्थसे करना योग्य होगा।

दफा ५९३. तीन क़िस्मके वारिस जायदाद पातेहैं——मिताक्षरालॉ के अनुसार तीन क़िस्मके वारिस मानेगये हैं जो जायदाद पानेके अधिकार हैं; (१) सपिण्ड (२) समानोदक (३) बन्धु। यह सब यथाक्रम जायदाद पाते हैं यानी——

सबसे पहिले सपिण्ड जायदाद पायेगा और उसके बाद समानोदक। उसके पश्चात् बन्धु पायेगा; अर्थात् जब सपिण्डमें कोई न हो तब समानोदक जायदाद पाते हैं, और जब समानोदकोंमें कोई न हो तब बन्धु अधिकारी होते हैं।

दफा ५९४. सपिण्ड——मिताक्षरालॉ के अनुसार एक आदमीके सपिण्ड ५७ होते हैं। नीचे दफा ५९५ का नक़शा देखिये—

स्त्रीविवाह होनेसे सपिण्डमें दाखिल होजाती है। मगर लड़कीका लड़का गोत्रजसपिण्ड नहीं है; वह भिन्न गोत्रजसपिण्ड है। उत्तराधिकारके कामके लिये वह गोत्रज सपिण्डोंके साथ रखागया है।

दफा ५९५. सत्तावन दर्जेके सपिण्डोंका नकशा——

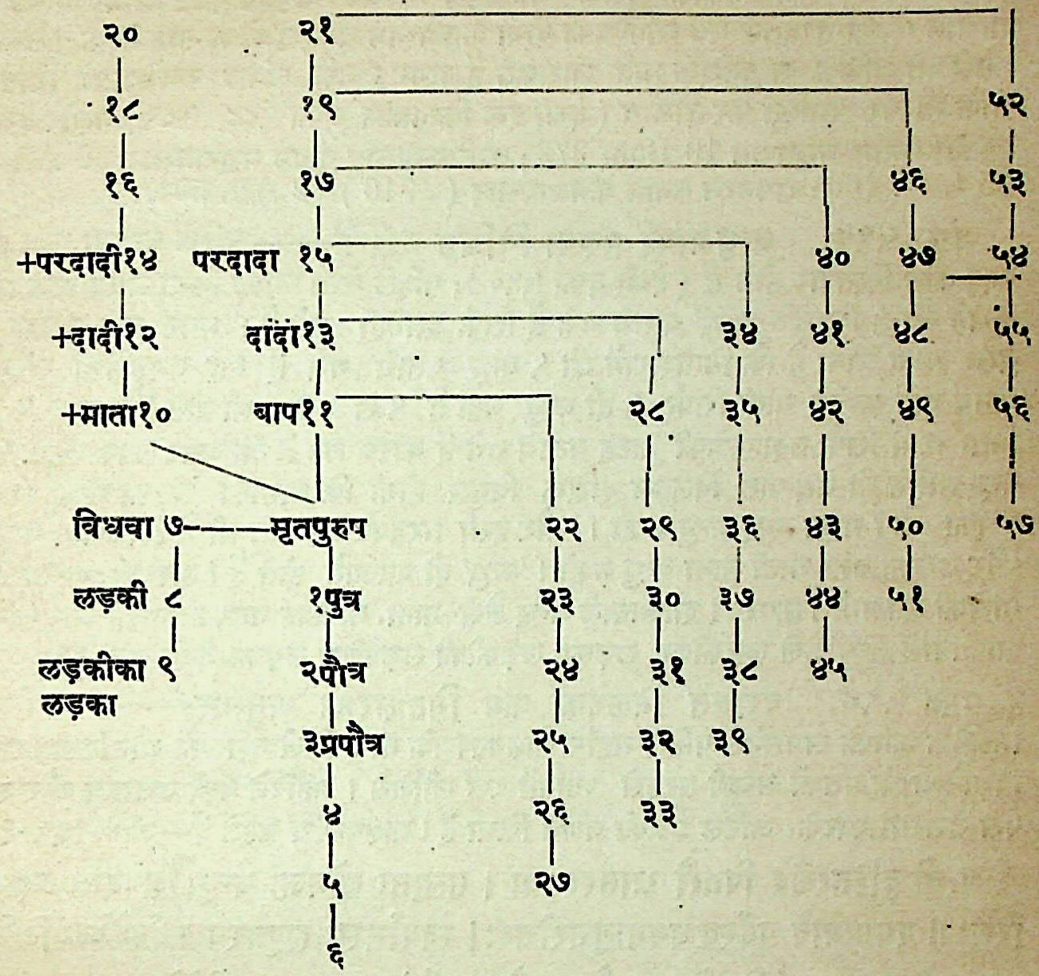
२० २१
१८ १९ ५२
१६ १७ ४६ ५३
+परदादी१४ परदादा १५ ४० ४७ ५४
+दादी१२ दादा१३ ३४ ४१ ४८ ५५
+माता१० बाप११ २८ ३५ ४२ ४९ ५६
विधवा ७ मृतपुरुष २२ २९ ३६ ४३ ५० ५७
लड़की ८ १पुत्र २३ ३० ३७ ४४ ५१
लड़कीका ९ लड़का २पौत्र २४ ३१ ३८ ४५
३प्रपौत्र २५ ३२ ३९
४ २६ ३३
५ २७
६

(१) नं० १ से ६ तक पहिलेका दूसरा लड़का है

(२) नं० ७ मृतपुरुषकी स्त्रीविधवा, नं. ८ लड़की, नं. ९ दोहिता है

(३) नं० १० मा और इसी तरहसे उस लाइनमें ऊपरतक सब माताएं हैं

(४) नं ११ बाप और ऊपरकी लाइनमें सब पिता हैं

(५) नं० ११ बापकी नीचेकी लाइनमें सब पहिलेके दूसरे लड़के हैं एवं ऊपरकी लाइनमें न० २१ तक समझ लेना सब मिलकर ५७ होते हैं–

शुमार—(१) छः पुश्त नीचेतक मर्द शाखामें मर्दको, दर्जे नीचेतक—छः ६

(२) छः पुश्त ऊपरकी बापकी शाखामें मर्द यानी, बाप, दादा, परदादा एवं ऊपर छः पुश्ततक और उनमेंसे पहिलेवाले तीन पुश्ततककी स्त्रियां (+ इस निशानवाली) और उनके ऊपरकी तीन स्त्रियां बहुत करके मानीजाती हैं। १२

(३) ऊपरकी शाखावाले बाप आदिकोंकी ६ पुश्तोंके हरएकमें छःछः पुश्तोंतक मर्द ३६

(४) विधवास्त्री, लड़की, लड़कीका लड़का। ३

५७

दफा ५९६. समानोदकोंकी संख्या निश्चित नहीं है——जैसा कि ऊपर

बताया गया है, सपिण्डकी रिश्तेदारी मृतपुरुषसे उसको मिलाकर सात पीढ़ीतक फैलती है। और मृतपुरुषको मिलाकर उसके आठवें दर्जेसे लेकर चौदहवें दर्जेतक और हरएक उस शाखामें एकसे तेरहतक एवं सपिण्डकी दोनों शाखाओंमें तेरह दर्जेतक समानोदक फैलता है। इससे भी अधिक समानोदक माने जासकते हैं अगर खूनसे संबंध रखनेवाली रिश्तेदारी साफ तौरपर साबित कर दीजाय (देखो इस किताबकी दफा ५८८; ५८९) नज़ीर देखो— देवकोरे बनाम अमृतराम 10 Bom 372 ; कालिकाप्रसाद बनाम मथुराप्रसाद 30 All 510 35 I. A. 166 ; रामवरन बनाम कमलाप्रसाद (1910) 32 All. 594.

दफा ५९७. बन्धुओंकी संख्या निश्चित नहीं हैं——पहिले बताया गया है कि बन्धु कौन रिश्तेदार होते हैं (देखो दफा ५९०); पहिले ऐसा ख्याल किया जाता हैकि मिताक्षरामें जो ९ क़िस्मके 'बन्धु' बताये गये हैं सिर्फ इतनेही होते हैं। मगर अब उसका अर्थ ऐसा माना जाता है कि मिताक्षरामें जो ९ बन्धु बताये गये हैं वह बन्धुओंकी संख्याको ख़तम नहीं करदेते यानी सिर्फ ९ ही बन्धु नहीं है ९ से ज्यादा भी होते हैं। यह ९ बन्धु मिताक्षरामें सिर्फ उदाहरणकी तरह बताये गये हैं कारण यह है कि अगर आप सिर्फ ९ ही बन्धु मानेंगे तो यह बात बिल्कुल बुद्धिके विरुद्ध होगी कि मामाका लड़का बन्धु हो और उसका बाप मामा खुद बन्धु न हो। और इसी तरहपर यह बात भी है कि मामा बन्धु हो और उसका बाप यानी नाना बन्धु न हो। 'बन्धु' दो शाखामें होते हैं। ऊपरकी शाखामें और नीचेकी शाखामें। ऊपरकी शाखावाले बन्धु जैसे—नाना, नानाका बाप, इत्यादि, और नीचेकी शाखावाले बन्धु जैसे लड़कीका लड़का, लड़कीकी लड़कीका लड़का देखो दफा ६३८.

दफा ५९८. वरासत मिलनेका क्रम मिताक्षराके अनुसार——उत्तराधिकार मिलनेके क्रमको समझनेसे पहिले महर्षि याज्ञवल्क्यके नीचे लिखे श्लोकको और मिताक्षराकार विज्ञानेश्वरके मतको अच्छी तरहसे ध्यानमें रख लीजिये। महर्षिने बड़ी उत्तमता और संक्षेपसे उत्तराधिकारके जटिल प्रश्नको वर्णन किया है। याज्ञवल्क्य कहते हैं—व्य०-१३५-१३६.

पत्नी दुहितरश्चैव पितरौ भ्रातरस्तथा। तत्सुता गोत्रजा बन्धुः शिष्यःस ब्रह्मचारिणः॥ एषामभावे पूर्वस्य धनभागुत्तरोत्तरः। स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य सर्ववर्णेष्वयंविधिः॥

मरेहुए अपुत्र (जिसके पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र न हों) पुरुषका धन नीचेके क्रमानुसार पहिलेके न होनेपर दूसरेको मिलता है। क्रम यह है विधवा, लड़की, नेवासा, माता, पिता, भाई, भतीजा, गोत्रज, बन्धु, शिष्य, और ब्रह्मचारी।

मिताक्षराका यह नियम है कि जब एकही दर्जेके दो किस्मके वारिस हों तो जायदाद सबसे पहिले सहोदर (सगे) को मिलेगी और उसके न होनेपर भिन्नोदर (सौतेले) को मिलेगी। भाई, भतीजे आदिमें यह नियम सर्वत्र लागू रहता है।

मिताक्षरामें बताये हुए इस क्रमको बनारस, मिथिला, और मदरासस्कूलने पूरा पूरा स्वीकार किया है (देखो दफा ५९९); मगर भतीजेके लड़केके बारेमें भेद है, इन स्कूलोंने भतीजेके पुत्रका दर्जा दादी और दादासे पहिले माना है। और हालमें एक फैसला प्रिवी कौन्सिलसे ऐसा होगया है कि जिसमें भतीजेके पुत्रका दर्जा दादीसे पहिले स्वीकार किया गया देखो—बुद्धासिंह बनाम ललतूसिंह (1912) 34 All 663 ; इस नज़ीरका विवरण देखो दफा ६२५। इस नज़ीरमें बहुत छानबीन की गयी है और यह भी तय कर दिया गया है कि हरएक पूर्वजकी लाइनमें तीन दर्जेतक जायदाद मिलेगी, यानी पूर्वजके लड़के, पोते, परपोतेतक। नक़शा देखो—दफा ६२४.

दफा ५९९. बनारस, मिथिला, और मदरास स्कूलमें वरासत मिलनेका क्रम—बनारस, मिथिला और मदरासप्रांतमें उत्तराधिकार नीचे लिखे क्रमके अनुसार पहिले कहे हुए वारिसके न होनेपर दूसरे वारिसको मिलता है।

वरासतके क्रमका नं०	वारिस
१—३	लड़का, पोता, परपोता
४	विधवा (मृतपुरुषकी स्त्री)
५	लड़की
	(१) बिनव्याही लड़की (क्वारी)
	(२) व्याही लड़की जो ग़रीब हो
	(३) व्याही लड़की जो धनवान हो
६	लड़कीका लड़का (नेवासा दौहित्र)
७	माता
८	बाप
९	भाई
	(१) सहोदर भाई (सगा)
	(२) भिन्नोदर भाई (सौतेला)
१०	भाईका लड़का
	(१) सहोदर भाईका लड़का (सगे भाईका)
	(२) भिन्नोदर भाईका लड़का (सौतेले भाईका)
११	भाईके लड़केका लड़का (भतीजेका पुत्र) नोट—देखो नीचे
१२	वापकी मा (दादी)
१३	वापका बाप (दादा—पितामह)
१४	वापका भाई (चाचा)
	(१) वापका सहोदर भाई (सगा)
	(२) बापका भिन्नोदर भाई (सौतेला)
१५	वापके भाईका लड़का (चाचाका पुत्र)
	(१) बापके सहोदर भाईका लड़का (सगा)
	(२) वापके भिन्नोदर भाईका लड़का (सौतेला)
१६	वापके भाईका पोता
१७	बापके वापकी मा (दादाकी मा—पितामहकी मा)
१८	बापके बापका वाप (परदादा—प्रपितामह)
	(क्रम समाप्त न समझना उदाहररणार्थ बताया गया है)
	इसी क्रमसे ऊपरके पूर्वज और उनकी संतान वारिस होगी। देखो नक़शा दफा ६२४

नोट—भाईके लड़केके लड़केकी, इलाहाबाद हाईकोर्टके अनुसार यह जगह है, मगर मदरासके कुछ फैसलोंके अनुसार वह चाचाके वेटोंके पीछे माना गया है। वंबईमें उसकी जगह निश्चित नहीं, इसीसे ' वापके भाईके लड़केके लड़के, को ऊपर नहीं बताया गया।

दफा ६००. गुजरात, बंबई द्वीप, और उत्तरीय कोकनमें वरासत मिलनेका क्रम— गुजरात, बंबई द्वीप, और उत्तरीय कोकनमें वरासत मिलनेका क्रम, नीचे लिखे अनुसार है। अर्थात् पहिले कहे हुए वारिसके न होनेपर दूसरे वारिसको उत्तराधिकार मिलता है।

वरासतके क्रमका नं.	वारिस
१—३	लड़का, पोता, परपोता
४	विधवा (मृतपुरुषकी स्त्री)
५	लड़की
	(१) बिनब्याही लड़की (क्वारी)
	(२) ब्याही लड़की जो ग़रीब हो
	(३) ब्याही लड़की जो धनवान हो
६	लड़कीका लड़का (नेवासा–दौहित्र)
७	बाप
८	माता
९	सहोदरभाई (सगा)
१०	सहोदरभाईका लड़का (सगे भाईका)
११	सहोदरभाईके लड़केका लड़का—देखो, नीचे नोट
१२	बापकी माता (दादी)
१३	बहन
१४	लड़केकी विधवा
१५	लड़केके लड़केकी विधवा (पोतेकी)
१६	परपोतेकी विधवा
१७	सौतेली मा
१८	सहोदरभाईकी विधवा
१९	सहोदरभाईके लड़केकी विधवा
२०	पितामह (दादा) और सौतेलाभाई
२१	बापकी माता (दादी)
२२	सोतेले भाईका लड़का
२३	बापके भाईका लड़का
२४	बापकी सौतेली मा
२५	सौतेले भाईकी विधवा
२६	बापके भाईकी विधवा (चाचाकी विधवा)
२७	सौतेले भाईके लड़केकी विधवा
२८	बापके भाईके लड़केकी विधवा (चाचाके पुत्रकी विधवा)
२९	पितामहकी मा
३०	प्रपितामह

नोट—बंबई प्रांतमें इसकी जगह निश्चित नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्टने इसकी यह जगह मानी है। मदरासके फैसलोंके अनुसार चाचाके बेटोंके पीछे इसका हक़ माना गया है।

दफा ६०१. बंबई प्रांतके दूसरे हिस्सोंमें वरासत मिलनेका क्रम——

बंबई द्वीप, गुजरात, और उत्तरीय कोकनको छोड़कर बाक़ी बंबई प्रांतके दूसरे हिस्सोंमें वरासत मिलनेका क्रम, नीचे लिखे अनुसार है। अर्थात् पहिले कहे हुए वारिसके न होनेपर उत्तराधिकार दूसरे वारिसको मिलता है।

वरासतके क्रमका नं०	वारिस
१--३	लड़का, पोता, परपोता
४	विधवा (मृतपुरुषकी स्त्री)
५	लड़की (१) बिनब्याही लड़की (क्वारी) (२) ब्याही लड़की जो ग़रीव हो (३) ब्याही लड़की जो धनवान हो
६	लड़कीका लड़का (नेवासा=दौहित्र)
७	माता
८	वाप
९	भाई (१) सहोदर भाई (सगा) (२) भिन्नोदरभाई (सौतेला)
१०	भाईका लड़का (भतीजा) (१) सहोदर भाईका लड़का (सगे भाईका पुत्र) (२) भिन्नोदर भाईका लड़का (सौतेले भाईका पुत्र)
११	भाईके लड़केका लड़का-(देखो नीचे नोट)
१२	वापकी मा (दादी)
१३	वहन
१४	लड़केकी विधवा
१५	पोतेकी विधवा
१६	परपोतेकी विधघा
१७	सौतेली मा
१८	भाईकी विधवा
१९	भाईके लड़केकी विधवा
२०	पितामह (दादा)
२१	बापका भाई (चाचा)
२२	बापके भाईका लड़का
२३	वापकी सौतेली मा
२४	बापके भाईकी विधवा (चाचाकी विधवा)
२५	बापके भाईके लड़केकी विधवा
२६	पितामहकी मा
२७	प्रपितामह

नोट--भतीजेके लड़केका स्थान निश्चित नहीं है मगर इलाहाबाद हाईकोर्टने इसका यही स्थानमाना है।

दफा ६०२. औरतोंकी क़ानूनी ज़रूरतें——हरएक औरत (दफा ६४३) जिसे जायदादमें पूरा हक़ प्राप्त नहीं है, मगर उसे वह महदूद हक़के साथ सिर्फ़ ज़िंदगी भरके लिये मिली है, उस जायदादको नीचे लिखी हुई क़ानूनी ज़रूरतोंके लिये इन्तक़ाल कर सकती है यानी गिरवी रख सकतीहै बेच सकतीहै और दान या बख़शीशमें भी दे सकतीहै।

क़ानूनी जरूरतें वह हैं कि जिनके होनेपर जायदादका इन्तक़ाल हो सकताहै। और ऐसे इन्तक़ालका रिवर्ज़नर वारिस (देखो दफा ५५८) पाबंद होगा।

१—धार्मिक कृत्योंके लिये—

(१) अंत्येष्टि कर्म, यानी मरनेके पश्चात् क्रियाकर्म और दूसरे कर्मोंके ख़र्चके लिये भी; देखो—दलेल कुंवर बनाम अंबिका प्रसाद 25 All. 226. जैसे लड़केकी जायदाद मा की क्रिया कर्म करनेके लिये काममें लाई जासकती है--वृजभूषणदास बनाम पार्वतीवाई 9 Bom. L. R. 1187.

(२) गयाक्षेत्रमें श्राद्ध करनेका ख़र्च तथा उसके सफरका ख़र्च, और पंढरपुरमें श्राद्ध करनेका ख़र्च तथा उसके सफरका ख़र्च। मगर यह सब ख़र्च उस औरतके ख़ानदानकी हैसियत और उसकी स्थितिके अनुसार तथा जायदादके अनुसार होना चाहिये। ऐसा न होनेपर वह इन्तक़ाल ठीक नहीं माना जायगा।

मिस्टर मांडलीक कहते हैं कि अनेक हिन्दूलॉके ग्रन्थकारोंने काशी (बनारस) की यात्राका ख़र्च क़ानूनी ज़रूतोंमें नहीं बताया, मगर यह उनकी ग़लती है। मांडलीकका कहना है कि काशीयात्रा करना प्रत्येक हिन्दूका मुख्य धार्मिक कर्तव्य कर्म है; इसलिये इस यात्राका ख़र्च भी क़ानूनी ज़रूरत मानना चाहिये। देखो-मत्स्य पुराण, अग्निपुराण मदनपारिजातका तीर्थ प्रत्याम्नाय प्रकरण, काशी खण्ड और नारायणभट्टका त्रिस्थली सेतु।

अगर कोई औरत गया श्राद्ध करके बिरादरी या ब्राह्मण भोजन करानेके लिये जायदादका इन्तक़ाल करे तो वह क़ानूनी ज़रूरत नहींहै; देखो-मखन बनाम गायन 30 All.255.

(३) उन लोगोंके धार्मिक कृत्योंका ख़र्च, जिनके करनेके लिये आख़िरी मालिक पाबंद था। जैसे माकी अंत्येष्टि क्रिया और श्राद्ध। देखो-श्रीमोहनझा बनाम वृजविहारी मिश्र 36 Cal. 753; वृजभूषणादास बनाम पार्वतीवाई 7 Bom L. R. 1187.

(४) आख़िरी मालिकके क़रज़े देनेके लिये। लेकिन अगर वह क़रज़े दुराचार यानी असद् व्यवहारके लिये लिये गये हों तो उनके अदा करनेके लिये नहीं। यदि जायज़ क़रज़े क़ानून मियादके बाहर भी हों या किसी दूसरे क़ानूनसे वे न दिलाये जा सकते हों तो इस बारेमें कोई रुकावट नहीं पड़ेगी; देखो-चिम्मनजी बनाम दिनकर 11 Bom. 320; कंडप्पा बनाम सव्वा 13Mad.189;21Cal.190; कंडासामीबनाम राजगोपालसामी 7M.L.J.363.

अगर आख़िरी मालिकके क़रज़ोंके बारेमें उसकी जायदाद ' इन्सालवेंट ' हो जाय तब किसी औरतको किसी करज़ेके अदा करनेका अधिकार नहीं है, और अगर कोई धोखा देकर रुपया औरतसे वसूल कर लेगा तो उसे वह रुपया लौटा देना पड़ेगा।

२—दानके लिये—

विधवा, अपनी लड़कीके विवाह कालमें लड़कीके पतिको, और लड़कीके द्विरागमनमें लड़कीको जायदादमेंसे उचित दान दे सकती है। ' उचित ' से मतलब है कि-ख़ानदानकी हैसियत, और स्थिति, और जादादकी हैसियतके अनुसार होना चाहिये, किसीके हक़ मारनेकी ग़रज़से नहीं।

विवाह कालमें जायदाद देनेकी नज़ीर देखो-राम वनाम वेंगी दुसामी 22 Mad 113. द्विरागमन अर्थात् गवनेमें जायदाद देनेकी नज़ीर देखो-चूड़ामणि वनाम गोपीशाह 37 Cal.1.

मिस्टर घारपुरेके हिन्दूलॉके अनुसार क़ानूनी ज़रूरतें यह भी मानी गयी हैं-(१) धार्मिक पूजाके लिये देव मंदिर वनवाना, (२) तालाव आदि वनवाना (३) देव मूर्तिपर चढ़ाना और ब्राह्मणोंको दान देना मगर थोड़ा। देखो-घारपुरे हिन्दूलॉ दूसरा एडीशन पेज २५० नज़ीर देखो-जगजोवन वनाम देवशंकर 1 Bom. 394.

३—भरण—पोषण यानी रोटी कपड़ेके लिये (गुज़ारा)—अपने खाने पनिके लिये, और उनके खानेपीनेके लिये जिन्हे आख़िरी मालिक देनेका पावंद था। देखो-सदाशिव वनाम धाकूवाई 5 Bom 450, 460.

आख़िरी मालिक जिनको खाना पीना देनेके लिये पावंद था वह यह हैं जैसे-मा, दादी, क्वारी लड़की, क्वारी वहन, आदि।

आख़री मालिकपर लड़केकी विधवा, पोतेकी विधवा, परपोतेकी विधवा आदिको खाना पीना देनेके लिये क़ानूनी पावंदी नहीं है किन्तु वह सदाचार और सद्व्यवहारके अनुसार पावंद है, अब देखिये आख़िरी मालिक तो सदाचारसे पावंद है मगर जब उसके मरनेके वाद उसकी जायदाद दूसरे वारिसको चली जायगी तो वह वारिस जिसके पास जायदाद है क़ानूनी पावंद हो जायगा। इसलिये जब आख़िरी मालिकके मरनेपर उसकी जायदादकी वारिस कोई भी औरत हो वह बेटे, पोते, परपोतेकी विधवाको भी रोटी, कपड़ा देनेके लिये क़ानूनी पावंद है।

४—लड़कियोंके विवाहके लिये—

उन लड़कियोंके विवाहके लिये जायदाद इन्तक़ाल की जासकेगी जिन लड़कियोंके विवाह करनेके लिये आख़िरी मालिक पाबंद था जैसे-वहन, लड़की, लड़केकी लड़की, पोतेकी लड़की, परपोतेकी लड़की, इत्यादि-देखो-देवी दयाल वनाम भानु प्रताप 33 Cal 433; मखन, वनाम गयन 33 All. 255; गनपति वनाम तुलसीराम 36 Bom 88.

५—गवर्नमेन्टकी मालगुज़ारीके लिये—

अगर पहिले किसी आदमीकी बदइन्तज़ामी और ग़फलतकी वजहसे सरकारी मालगुज़ारी वाक़ी रहगयी हो और उस मालगुज़ारीके अदा करनेके लिये औरतने करज़ा लिया हो या जायदादका इन्तक़ाल किया हो तो दोनो जायज़ होंगे। लेकिन जब यह बात औरतने जान वूझकर की हो या करज़ा देनेवाला या मोल लेनेवाला इस वदइन्तज़ामीका कारण हो तो वह इन्तक़ाल रद्द हो जायगा; देखो-जीवन वनाम वृजलाल 30 Cal 550, 30 I. A. 81; श्रीमोहन वनाम वृजबिहारी 36 Cal 753.

६—ज़रूरी मुक़द्दमेसे जायदाद बचानेके लिये—जब कोई ऐसा ख़ास मुक़द्दमा दायर होजाय जिससे जायदाद नष्ट होसकती हो और उसकी पैरवीका ख़र्च निहायत ज़रूरी हो, तो उस ख़र्चके लियें जायदादका इन्तक़ाल जायज़ होगा, मगर हर हालतमें यह ज़रूरी है कि ऐसे ख़र्चके लिये जायदादका इन्तक़ाल उस वक्त जायज़ माना जायगा जब यह सावित हो कि सिवाय इस तरीक़ेके और कोई तरीक़ा वाक़ी न था; देखो-अमजद अली बनाम मनीराम 12 Cal 52; इन्द्रकुंवर बनाम ललताप्रसाद 4 All 552; भीमारद्दी बनाम भास्कर 6 Bom. L. R. 628.

७—जायदादकी मरम्मतके ख़र्चके लिये—औरतें जायदादकी ज़रूरी मरम्मत करा-

नेके लिये क़रज़ा ले सकती हैं और जायदादका इन्तक़ाल करसकती हैं। यह क़रज़ा जो मरम्मतके लिये लिया जायगा वह रिवर्ज़नर वारिस (देखो दफा ५५८) को पाबंद करेगा मगर जब ऐसा क़रज़ा उस मरम्मतके लिये लिया गया हो जो 'ज़रूरी' है अर्थात् जिस मरम्मतके बिना जायदादकी स्थिति क़ायम नहीं रहसकती, कोई औरत जायदादकी उन्नतिके लिये या उसको अच्छा बनानेके लिये क़रज़ा नहीं लेसकती और न इन्तक़ाल करसकती है ; देखो-हरीमोहन बनाम गनेशचन्द्र 10 Cal 823; गनप्पा बनाम सूबीसन्ना 10 Bom L. R. 927.

८--डिकरीके अदा करनेके लिये—जब जायदादपर कोई ऐसी डिकरी अदालतसे होगयी हो जिसकी वजहसे क़ानूनन् जायदाद नीलाम होसकती हो तो उस डिकरीके अदा करनेके लिये जायदादका इन्तक़ाल किया जासकता है, अगर उस इन्तक़ालसे लाभ हो।

जहांपर डिकरीकी मालियतसे ज़्यादा क़ीमतकी जायदाद बेंच दीगयी हो या रेहन कर दीगयी हो तो वह इन्तक़ाल जायज़ नहीं माना जासकेगा। यही सूरत उस वक्त भी लागू होगी जब ज़्यादा क़ीमतकी जायदाद डिकरीके मतालबे की अपेक्षा कममें वेंची गयी हो या रेहन कीगयी हो।

९--आख़िरी मालिककी वरासतका सार्टीफिकट लेनेके लिये—आख़िरी मालिककी वरासतका सार्टीफिकट लेनेका ख़र्च और (Letters of administration देखो दफा ५५८) चिठ्ठियात एहतमामका ख़र्च क़ानूनी ज़रूरत माना गया है; देखो--श्रीमोहन बनाम वृज-बिहारी 36 Cal 753.

नोट—इस दफामें 'आख़िरी मालिक' से यह मतलब है कि जो मर्द पूरे अधिकारों सहित जायदादपर क़ब्ज़ा रखता हो, और जिसके मरनेपर जायदाद उसके वारिसको पहुंची हो देखो दफा ५५९ ; ५६३ ५६४; 'इन्तक़ाल' से यह मतलब है कि गिरवी रखना, वेंच डालना, दानमें देना, पुरस्कार देना,या अपने क़ब्ज़ेसे बाहर कर देना। यह बात हमेशा स्मरण रखना चाहिये कि औरत अपने किसी फ़ायदेके लिये जायदादका इन्तक़ाल नहीं करसकती और न क़रज़ा ले सकती है जिससे कि रिवर्ज़नर वारिस (देखो दफा ५५८) पावंद होजाय। यह दफा उन सब औरतोंसे लागू है जिन्हें जायदाद उनकी ज़िन्दगी भरके लिये महदूद अधिकारोंसहित मिली हो, जैसे-१ विधवा, २ लड़की ३ मा ४ दादी ५ परदादी। वंबई प्रांतमें औरतें उत्तराधिकारमें पूरे अधिकारोंसहित मर्दसे जायदाद पाती हैं और इसीसे उनके मरनेके पश्चात् उनके वारिसोंको वह जायदाद मिलजाती है, इसी सबबसे उन्हें मर्दसे पाई हुई जायदादपर 'इन्तक़ाल' करनेका अधिकार प्राप्त है उनके लिये इस दफासे कुछ भी ज़रूरत नहीं है। क़ानूनी ज़रूरतोंके विषयमें और देखो दफा ४३०; ४३१; ६७७; ७०२; ७०६; ७०७.

(३) सपिण्डोंमें वरासत मिलनेका क्रम।

सपिण्ड नीचेलिखे क्रमानुसार उत्तराधिकारी होते हैं।

दफा ६०३. लड़के, पोते, परपोतेकी वरासत——(१) अलहदा जायदादके वारिस होते हैं-लड़का, पोता, पारपोता, यह तीनो मिलकर इकठ्ठे मृतपुरुषकी अलहदा या ख़ुद कमाई हुई जायदादके वारिस होते हैं। यानी एक लड़का, एकपोता जिसका बाप मर-

गया है, और एक परपोता जिसका बाप और दादा दोनों मरगये हैं यह तीनों मिलकर मरनेवालेकी ऊपर कही हुई जायदादके मालिक होते हैं; देखो-मारूदावी बनाम डोराईसामी 30 Mad 348. लड़कोंके विषयमें और देखो-2 Mad. 182 ; 5 W. R. P. C. 114.

(२) इकट्ठे जायदाद लेते हैं —लड़के, पोते, परपोते बापकी जायदादको व्यक्तिगत नहीं लेते बल्के अपने बाप, और दादाके स्थानापन्न होकर उनका हिस्सा लेते हैं। देखो-

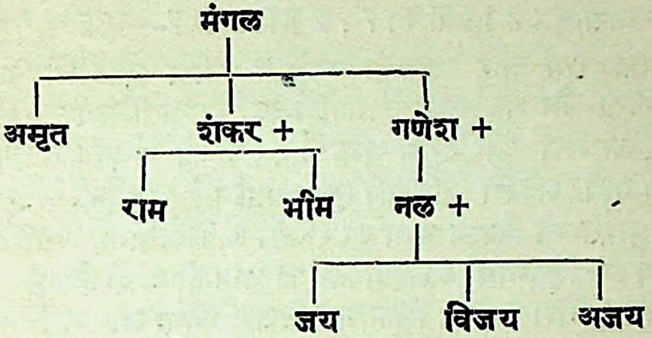

+ निशान मरे हुएका है।

मंगल मरा और उसने एक लड़का 'अमृत' दो पोते 'राम और भीम' तथा तीन परपोते जय, विजय, और अजयको छोड़ा। ऊपरके बताये हुए सिद्धांतके अनुसार मंगलकी जायदाद पहिले तीन बराबर हिस्सोंमें बांटी जायगी उनमेंसे एक हिस्सा उसका लड़का 'अमृत' लेगा दूसरा हिसा उसके पोते दोनों मिलकर लेंगे। इसी प्रकार तीसरा हिस्सा उसके परपोते तीनों मिलकर लेंगे। और अगर परपोतेका बेटा होता तो उसे हक़ नहीं मिलता। इसतरहके बटवारेका नाम अंगरेजीमें 'परस्टिरिपस' है (Per stirpes) और व्यक्तिगत सब लेते तो बापकी जायदादमें ६ हिस्से होजाते ऐसे बटवारेको अंगरेजीमें 'परकेपिटा' (Per capita) कहते है। लड़के, पोते, परपोते हमेशा बापकी छोड़ी हुई जायदादको 'परस्टिरिपस' लेते है यानी व्यक्तिगत नहीं लेते। इन दोनो शब्दोंके लिये देखो दफा ५५८.

(३) बटवारा होनेके बाद जब लड़का पैदा हो-अगर बाप और लड़कोंके बीचमें बटहोजाय और उसके बाद बापके एक लड़का पैदा होजाय तो वह लड़का अपने बापकी वह सब जायदाद पायेगा जो बापको बटवारेमें मिली है। और इस जायदादके सिवाय वह लड़का अपने बापकी उस सब जायदादका भी अकेला मालिक होगा जो बापकी अलहदा और कोई जायदाद हो, या उसके बापने बटवारा होनेके बाद जो जायदाद कमाई हो। अर्थात् बटवारा होजानेके बाद जब लड़का पैदा होजाय तो वही बापकी सब जायदादका मालिक होता है क्योंकि बापकी ज़िंदगीमें लड़का जब अलहदा होजाता है तो पीछे बापकी जायदादका वारिस नहीं मानाजाता; देखो—नवलसिंह बनाम भगवानसिंह 4 All. 427. और देखो दफा ५०८.

उदाहरण —गणेशके दो लड़के जय और विजयहै। यह तीनों शामिल शरीक रहतेहैं। जय और बिजय अपने बाप गणेशसे अलहदा होगये। उसके बाद गणेशके एक लड़का तीसरा 'महेश' पैदा हुआ वह लड़का और बाप शामिल रहनेलगे अब गणेश मरा तो उसकी सब जायदाद महेशको अकेले मिलेगी। जय और विजयको नहीं मिलेगी। चाहे बापके पास मरते समय अलहदा, या खुद कमाई हुई या मुश्तरका हिस्सावाली जायदाद हो।

(४) शामिलशरीक और बटेहुए लड़के-जहांपर कि एक बाप और दो माताओंके लड़के

होते हैं तो अकसर यह होता है कि पहिली औरतके लड़के बापसे बटवारा करके अलहदा होजाते हैं। और बाप दूसरी स्त्री और उसके लड़कोंके साथ रहता है ऐसी हालतमें अगर बाप खुद कमाई हुई जायदाद छोड़कर मरे तो उसकी दूसरी स्त्रीके लड़के और उनकी औलाद उसकी सब जायदाद पानेके अधिकारी होंगे और जो लड़के पहिले बटवारा करचुके हैं वह और उनकी औलाद नहीं पायेगी; चाहे वह जायदाद बापको बटवारा करनेके पहिले या पीछे प्राप्त हुई हो। अर्थात् बटे हुए लडकोंका हक़ बापकी खुद कमाई हुई जायदादपर कुछ नहीं है; देखो-नाना बनाम रामचन्द्र 32 Mad 377; 2 Mad 182—185.

उदाहरण—शंकरके राम और कृष्ण दो लड़के हैं। तीनों मुश्तरका रहते हैं। रामने शंकरसे बटवारा कर लिया और मुश्तरका जायदादमेंका अपना हिस्सा अलहदा करके उस पर क़ाबिज़ होगया। शंकर मरा और उसने राम, और कृष्णको छोड़ा अब कृष्ण जो बापके साथ शामिल रहता था वही अकेला शंकरकी खुद कमाई हुई जायदाद, और उस जायदादका जो बापके पास मुश्तरका हिस्सा बचा था सबका मालिक होगा, रामको नहीं मिलेगी क्योंकि पहिले वह बापकी ज़िंदगीमें अलहदा होचुका था। दो शादी होनेकी वजहसे कोई फ़रक़ इस जगहपर नहीं पड़ता। यहांपर सिर्फ यह विचार किया जायगा कि जो पुत्र बापसे अलहदा होगये हैं वह बापकी खुद कमाई हुई जायदादके पानेके हक़ दार नहीं हैं। अगर किसी बापने अपने लड़केको या लड़कोंको अलहदा करदिया हो और पैतृक सम्पत्ति यानी मौरूसी जायदादका हिस्सा न दिया हो और बाप दूसरे लड़कोंके साथ रहनेकी हालतमें मरगया हो तो मौरूसी जायदादमें अलहदा किये हुए लड़के अपना हिस्सा बटा सकते हैं; क्योंकि उनका हिस्सा बापकी ज़िंदगीमें था और उस वक्त भी वह अगर चाहते तो बटा लेते मगर बापकी खुद कमाई हुई जायदादके वह वारिस नहीं होंगे। बल्कि उस जायदादके वह लड़के वारिस होंगे जो बापके साथ मुश्तरका रहते थे।

(५) अनौरस पुत्र—हिन्दुस्थानके सब हाईकोर्टोंके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्योंमें अनौरस पुत्र (जो असली लड़का न हो) का उत्तराधिकार बापकी जायदादमें कुछ नहीं है। वह सिर्फ अपने बापकी जायदादमें रोटी, कपड़ा पानेका अधिकारी है; देखो—रोशनसिंह बनाम बलवंतसिंह 22 All. 191; 27 I. A. 51; चोटूरया बनाम साहब पुरहूलाल 7 M. I. A. 18; दफा ४०३, ५१०, ५३२ भी देखो.

अनौरसपुत्र—वह पुत्र कहलाताहै जो विवाहिता स्त्रीसे न पैदा हो। कलकत्ता हाईकोर्टके अनुसार चाहे मुक़द्दमा मिताक्षरालॉका हो या दायभागलॉका हो, शूद्र क़ौमका अनौरसपुत्र भी बापकी जायदादमें कुछ हक़ नहीं रखता। उसे बापकी वरासत नहीं मिलती वह सिर्फ अपने बापकी जायदादमें रोटी कपड़ा पानेका अधिकारी है।

बंबई मदरास और इलाहाबाद हाईकोर्टके अनुसार शूद्रक़ौमका अनौरसपुत्र अपने बापकी वरासतके हिस्सेका हक़दार है, बशर्ते कि उसकी मा केवल उसके बापहीके पास रहती हो और व्यभिचारसे वह पुत्र पैदा न हुआ हो। ऐसा होनेपरभी वह अनौरसपुत्र उत्तराधिकारके पूरे अधिकार नहीं रखता। यह पूरी तौरसे मानागया है कि जहांपर कोई बाप औरसपुत्र और अनौरसपुत्रको छोड़कर मरजाय तो अनौरस पुत्रको, औरस पुत्रसे आधा हिस्सा मिलेगा, और जहांपर औरसपुत्र न हो लेकिन विधवा, लड़की या लड़कीका लड़का हो तो अनौरसपुत्र आधा हिस्सा पायेगा और दूसरा आधा हिस्सा विधवा, लड़की या लड़कीके लड़केको मिलेगा। अगर विधवा, लड़की, या लड़कीका लड़का न हो तो अनौरसपुत्र सब जायदाद पायेगा देखो-शेषगिरि बनाम गिरेवा 14 Bom. 282; राही बनाम गोविंद 1 Bom. 97;

सादू बनाम वाइजा 4 Bom 37; रामकाली बनाम जम्मा 30 All 508 ; मीनाक्षी बनाम अप्पाकुटी (1909) 33 Mad 226 ; अन्नाय्यान बनाम चिन्नन 33 Mad 366

ऊपर यह बतायागया कि अनौरसपुत्रको औरसपुत्रके हिस्सेसे आधा हिस्सा मिलता है मगर इस 'आधे' का मतलब इस जगहपर क्या होना चाहिये इस बातपर मतभेद है। देखिये; मेन और सरकार हिन्दूलॉ के अनुसार तो अनौरसपुत्र उस हिस्सेका आधा हिस्सा लेता है जितना कि उसे औरसपुत्र होनेकी सूरतमें मिलता यानी अनौरसपुत्रको एक चौथाई $\frac{१}{४}$ हिस्सा मिलेगा और तीन चौथाई हिस्सा $\frac{३}{४}$ औरसपुत्रको मिलेगा। ऐसा माना कि एक आदमी दो पुत्र छोड़कर मरगया जिनमेंसे एक औरस और एक अनौरस है। अगर दोनों पुत्र औरस होते तो आधा, आधा हिस्सा मिलता। अनौरस होनेकी वजेहसे आधेका आधा हिस्सा मिला, यही शकल उस सूरतमें लागू होगी जब कोई एकसे ज़्यादा औरसपुत्र और अनौरस पुत्र छोड़कर मरजाय; यानी जितना हिस्सा औरसको मिलेगा उसका आधा अनौरसको मगर 'आधा' उपरोक्त रीतिसे शुमार कियाजायगा।

मदरास हाईकोर्टके अनुसार यह माना गया है कि जितना हिस्सा औरस पुत्रको मिलेगा उस हिस्सेका आधा अनौरस पुत्र पायेगा अर्थात् दोतिहाई औरस पुत्र और एक तिहाई अनौरस पुत्र; देखो-चिल्लाममाल बनाम रंगनाथं (19 0) 34 Mad 277.

उदाहरण—बजरंगदास शूद्र क़ौमका है, उसके पास तीन लाख रुपया है और वह शिवलाल एक औरसपुत्र तथा बिहारी एक अनौरस पुत्रको छोड़कर मर गया। अब देखिये मदरास हाईकोर्टके अनुसार तो दो तिहाई शिवलाल और एक तिहाई बिहारी पायेगा यानी दो लाख रु० शिवलाल और एक लाख बिहारी पायेगा। मगर मिस्टर मेनसाहेब और सरकार हिन्दूलॉके अनुसार ऐसा हिस्सा नहीं होगा। उनके अनुसार शिवलाल औरस पुत्र तीन हिस्सा पायेगा और बिहारी एक हिस्सा अर्थात् सवादो लाख रु० शिवलालको और पच्छत्तर हज़ार बिहारीको मिलेंगे। यह आख़िरी हिस्सा इस सिद्धांतपर किया गया है कि अगर बिहारी औरस पुत्र होता तो दोनोको डेढ़, डेढ़ लाख रु० मिलता। मगर वह अनौरस पुत्र है इस लिये जितना उसे औरस होनेकी सूरतमें मिलता उसका आधा हिस्सा अनौरस होनेपर मिलेगा यानी ड़ेढ लाखका आधा पच्छत्तर हज़ार रु०।

(६) अनौरस और औरस पुत्रोंमें सरवाइवर शिप—यह ध्यान रखना कि औरसपुत्र और अनौरसपुत्र अपने बापकी जायदादको मुश्तरका और सरवाइवरशिपके हक़ (देखो दफा ५५८). के साथ ठीक उसी तरहसे लेते हैं जिस तरह कि औरसपुत्र लेते हैं। इसलिये अगर एक शूद्र एक औरसपुत्र, और एक अनौरस पुत्रको छोड़कर मर जाय और उसके पीछे औरस पुत्र भी बिना बटवारा किये मर जाय तो औरस पुत्रकी जायदादका हिस्सा अनौरस पुत्रको मिलेगा; देखो—18 Cal. 151, 17 I. A. 128.

(७) अनौरस पुत्रका हक़ उसकी औरस औलादको मिलता है-शूद्र कौममें बापकी जायदादमें अनौरस पुत्रका हक़ कोई ज़ाती हक़ नहीं माना गया। वह हक़ उस अनौरस पुत्रके मरनेपर उसकी औरस औलादको मिलेगा। ऐसा मानो कि जैसे-देवीदास एक शूद्र है और उसके कालीदास एक औरस पुत्र और चरनदास एक अनौरस पुत्र है। चरनदास अपने बापसे पहिले सेवादास नामक एक औरसपुत्रको छोड़कर मरगया। पीछे देवीदास मरा तो अब सेवादासको सिर्फ उतनाही हिस्सा मिलेगा जितना कि उसके बाप चरनदासके ज़िंदा होनेपर उसको मिलता। इसी तरहपर अगर सेवाराम भी एक औरस पुत्रको छोड़कर

बापसे पहिले या पीछे और देवीदासके पहिले मर गया होता तो चरनदासके पौत्रको उतनाही हिस्सा मिलता जितना कि उसके पितामहका था ।

अगर अनौरसपुत्र कोई अनौरसपुत्र छोड़कर बापकी ज़िंदगीमें मरजाय तो अभीतक यह निश्चित नहींहै कि उसको हिस्सा मिलेगा या नहीं।जैसे अगर चरणदास एक अनौरसपुत्र छोड़कर बापकी ज़िंदगीमें मरजाता तो उस पुत्रको हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा अभीतक निश्चित नहीं है; देखो-रामलिंग बनाम पवादाई 25 Mad 519. इस विषयमें धर्मशास्त्रकारोंके वचनोंसे प्रतीत होता है कि अनौरसपुत्रके अनौरसपुत्रको शूद्रोंमें भी भाग नहीं मिलेगा । एवं उसके पोते और परतोतेसे भी समझना चाहिये ।

(८) अनौरसपुत्रको उत्तराधिकार नहीं मिलता-अनौरसपुत्र सिर्फ अपने बापकी जायदादमें हिस्सा पाता है वह अपने भाई बंदोंकी जायदादका उत्तराधिकारी कभी नहीं होसकता अर्थात बापके सिवाय उसे किसीभी अन्य रिश्तेदारका उत्तराधिकार प्राप्त नहीं होसकता; देखो--स्वामी शंकर बनाम राजेसर 21 All 99.

उदाहरण--एक शूद्र अषने एक औरसपुत्र कालीदास और एक औरसपुत्र चरनदास को छोड़कर मरगया वह दोनों बापकी जायदाद शामिलशरीक और सरवाइवरशिपके हक़ (दफा ५५८); के साथ लेंगे, अगर दोनों आपसमें बटवारा करालें तो कालीदासके मरनेपर उसकी जायदाद उसके वारिसको मिलेगी, चरनदासको नहीं मिलेगी, क्योंकि वह उसका वारिस नहीं है । और अगर ऐसा मानो कि बटवारा नहीं हुआ तो कालिदास औरसपुत्रकी जायदाद सरवाइवरशिपके हक़के अनुसार चरनदासको मिलेगी । यह ध्यान रखना कि चरनदास अनौरसपुत्र सिर्फ उतनी जायदाद पायेगा जो बापसे कालिदासको मिली होगी । और जो जायदाद कालिदासकी खुद कमाई है या और कोई दूसरी है वह कालिदासके वारिसको मिलेगी अनौरसपुत्र चरनदासको हरगिज़ नहीं मिलेगी क्योंकि वह उसका वारिस नहीं है ।

(९) द्विजोंमें अनौरसपुत्रका कोई हक़ नहींहै । दासीपुत्र-यह बात हम पहिले बता चुके हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्योंमें अनौरसपुत्रका बापकी जायदादमें कोई अधिकार किसी तरहका नहीं है। वह बापका उत्तराधिकारी नहीं है और न वह बटवारा करासकता है। शूद्रोंके अनौरसपुत्रके बारेमें हिन्दूधर्म शास्त्रोंमें यह माना गया है कि अगर वह ' दासीपुत्र ' हो यानी ' दासी ' का लड़का हो तो वरासत और बटवारेमें कुछ अधिकार रखता है । कलकत्ता हाईकोर्टने 'दासी' शब्दका अर्थ यह किया है ' जो औरत ख़रीदी गयी हो ' और चूंकि सन् १८४३ ई० में दासीका होना बंद कर दिया गया है इसलिये अब दासी नहीं होती इस सबबसे कोई भी आदमी दासीपुत्र नहीं होसकता । नतीजा यह निकला कि चाहे मिताक्षरालॉ या दायभागलॉका केस हो कलकत्ता हाईकोर्टके अनुसार सन १८४३ ई० से जब कि दासी होना बंद कर दिया गया है तबसे कोई भी 'अनौरसपुत्र' दासीपुत्र नहीं कहा जासकता इससे उसे वरासतमें और बटवारेमें किसी हिस्सेके लेनेका भी हक़ नहीं है सिर्फ वह बापकी जायदादमें रोटी कपड़ा पानेका अधिकार है; देखो--रामसरन बनाम टेकचन्द (1900) 28 Cal.194 ; नरायन बनाम रखल 1 Cal.1 ; क्रिपाल बनाम सुकरमनी 19 Cal. 91.

बंबई, मदरास, और इलाहाबादकी हाईकोर्टोंने यह माना है कि यद्यपि 'दासी' शब्दका अर्थ ख़रीदी गयी औरतसे है मगर इस अर्थमें उस औरतका भी समावेश होसकता है कि जो किसी आदमीके पास सिर्फ उसीके लिये बराबर रही हो, तो ऐसी औरतका लड़का इनकोर्टोंके अनुसार वरासत और बटवारामें कुछ हक़ रखता है जैसा कि ऊपर बताया गया है ।

(१०) अनौरस पुत्र बटवारा नहीं करा सकता-अनौरस पुत्र अपने बापसे मौरूसी जायदादका

बटवारा नहीं करा सकता क्योंकि उसे पैदाइशसे हक़ नहीं पैदा होता। बापको अधिकार है कि अगर वह चाहे तो उसे आधा हिस्सा दे। मगर आधेसे ज्यादा बापका अधिकार भी देनेका नहीं है। देखो दफा ४०३; ५२२.

दफा ६०४. विधवाकी वरासत——(१) कब हक़ होताहै? पुत्र, पौत्र, प्रपौत्रके न होनेपर मृतपुरुषकी जायदाद उसकी विधवा स्त्रीको मिलती है। बृहस्पतिने कहा है कि—

आम्नाये स्मृति तन्त्रेच लोकाचारे च सूरिभिः
शरीरार्द्धंस्मृता जाया पुण्या पुण्यफले समा।
यस्य नोपरताभार्या देहार्द्धं तस्य जीवति
जीवत्यर्द्धे शरीरेऽर्थं कथमन्यः समाप्नुयात्।
सकुल्यैर्विद्यमानैस्तु पितृमातृसनाभिभिः
असुतस्य प्रमीतस्य पत्नीतद्भागहारिणी। बृहस्पति.

बृहस्पति कहते हैं कि–यह बात वेद, स्मृति, तंत्र और लोकाचारमें भी मानीजाती है कि पुण्य और पापके फलकी स्त्री बराबरकी हिस्सेदार है, क्योंकि वह पुरुषका आधा शरीर है। जिस मृतपुरुषकी विधवास्त्री जीती होतो मानो उस पुरुषका आधा अङ्ग जीता है, और जबआधा अंग जीता है तो उसे छोड़कर मृतपुरुषकी जायदाद कैसे दूसरेको दीजासकती है। नतीजा यह हुआ कि–सकुल्योंके तथा माता पिता और भाइयोंके मौजूद होनेपर भी अपुत्र पुरुषकी जायदाद् उसकी विधवा लेगी। 'अपुत्र मृतपुरुष' से यह मतलब है कि जिसके पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र न हों और ऐसी हालतमें वह मरा हो।

याज्ञवल्क्यनेभी विधवाको पुत्र, पौत्र, और प्रपौत्रके पश्चात् मृतपुरुषके धनका वारिस माना है [पत्नी दुहितरश्चैव पितरौ भ्रातरस्तथा, तत्सुता गोत्रजा बन्धु शिष्यः सब्रह्मचारिणः अनेन पूर्वं पूर्वस्याभावे पर परस्याधिकारं वदन् सर्वेभ्यः पूर्वं पत्न्या एव धनाधिकार मभिधत्ते] विष्णुने भी यही बात मानी है; देखो (अपुत्रस्य धनं पत्न्याभिगामि) अपुत्रका अर्थात् जिसके पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र न हों उसके धनको पहिले उसकी विधवा लेती है। बिलकुल इसीप्रकार क़ानूनमें मानागया है। नीचे देखो–

(२) विधवाकी मिलकियत–लड़के, पोते, परपोतेके न होनेपर पतिकी छोड़ी हुई जायदाद विधवाको महदूद हक़ोंके साथ मिलती है। विधवाके मरनेपर वह जायदाद विधवाके वारिसोंको नहीं मिलेगी, बल्कि उसके पतिके वारिसोंको मिलेगी; इस किताबकी दफा ५६३ देखो; भगवानदीन बनाम मैनाबाई 11 M. I. A. 487.

विधवाको जो जायदाद पतिसे मिलेगी उस जायदादमें वह सिर्फ उसके मुनाफेके पानेकी हक़दार है. चन्द क़ानूनी सूरतोंके सिवाय विधवाको जायदादके इन्तक़ाल करनेका कोई अधिकार नहीं है। मगर उसे यह अधिकार है कि वह अगर चाहे तो सिर्फ अपनी ज़िंदगी भरके लिये जायदादमें जो उसे हक़ है रेहन, या बय करदे, यानी गिरवी रखदे, या बेंच डाले। जायदादके मुनाफेपर विधवाको पूरा अधिकार है। उसे अपनी मरज़ीके अनुसार वह काममें लासकती है। विधवाके उत्तराधिकार संबंधमें कुछ नज़ीरें देखिये–9 M. I. A. 543-611;

2 W. R. P. C. 31-39 ; 5 I. A. 61 ; 1 Mad. 312 ; 2 C. L. R. 81 ; 5 I. A 149 ; 4 Cal 190 ; 3 C. L. R. 31-40 ; 13 M. I A. 113 ; 3 B. L. R. P.C.41; 12 W.R.P.C.40; 13M I.A. 497; 6 B. L. R. 202 ; 14 W.R.P.C. 33; 3Mad. H. C.289; 2 M. I. A. 331; 5 W. R. P.C. 131; 3 M. W.P. 74; जैनियोंके लिये देखो-6 N. W. P. 382. S. C. ; 5 I. A. 87 ; 1 All. 688.

(३) बदचलन विधवा—बदचलन विधवा अपने पतिकी जायदादके पानेका हक़ नहीं रखती और अगर एक दफा उसे हक़ प्राप्त होजाय तो फिर बदचलनीकी वजेहसे जायदाद उससे वापिस नहीं लीजासकती। अर्थात् जब बदचलनीकी दशामें उसे पतिकी जायदाद मिलनेका मौक़ा प्राप्त हुआ हो तो उसे जायदाद नहीं मिलेगी और अगर जायदाद मिलजानेके पीछे वह बदचलन होजाय तो उससे बदचलनीकी वजहसे जायदाद नहीं लौटाई जायगी देखो-मनीराम बनाम केरी कोलीटानी 5 Cal. 776, 7 I. A. 115. सैलाम बनाम चिन्नामल 24 Mad. 441 ; गंगाधर बनाम एल्लू (1912) 36 Bom 138. 2 All. 271.

(४) विधवाका पुनर्विवाह-जब किसी विधवाको पतिकी जायदाद प्राप्त होगयी हो और उसके बाद वह अपना दूसरा विवाह करले तो वह जायदाद जो पहिले पतिके मरनेपर उसे मिली है वह विधवासे छीन लीजायगी और वह जायदाद उसके पहिले मृत पतिके वारिसको मिलजायगी; देखो-रसूलजहांन बनाम रामसरन 22 Cal. 589.

विधवा पुनर्विवाह करनेसे अपनी वरासतको खो देतीहै इसे 'हारीतने' भी कहा है देखो:-

भार्य्याऽव्यभिचारिणी यावद्यावच्च नियमेस्थिता:
तावत्तस्या भवेद्द्रव्य मन्यथास्याद्विलुप्यते । हारीतस्मृति.

हारीत कहते हैं कि, जबतक भार्या अपने नियमोंमें स्थित रहे और ब्रह्मचारिणी बनी रहे तबतक पतिकी जायदादका उपभोग करे, ऐसी न रहनेसे जायदाद छीन लीजायगी।

(५) बे धर्म विधवा-जब किसी विधवाको पतिकी जायदाद वरासतमें मिली हो उसके बाद अगर वह अपने धर्ममें न रहे, यानी हिन्दू न रहे, तो इस बातसे प्रायः उसके अधिकारमें फरक़ नहीं पड़ेगा; देखो—हिन्दू विधवाओंका पुनर्विवाह करनेका क़ानून ; एक्ट १५ सन १८५६ ई० की दफा २ ; मातुंगिनी बनाम रामरतन 19 Cal. 289.

(६) विधवा माकी हैसियत नष्ट नहीं करेगी-विधवा बदचलनीकी वजहसे तो पतिकी जायदाद वरासतमें नहीं पाती, मगर वह अपने पहिले पतिके लड़कोंकी माकी हैसियत नहीं खो देती; इसलिये वह पतिकी विधवाकी हैसियतसे तो पतिकी जायदाद कभी नहीं पायेगी; मगर वह माकी हैसियतसे अपने उन पुत्रोंकी जायदादके पानेका हक़ रखती है जो पहिले पतिसे पैदा हुए हों, देखो चामरहारू बनाम काशी 29 Bom 388 ; वासापा बनाम रायाबा 29 Bom. 91 ; लक्ष्मण बनाम सेवा 28 Mad. 425.

जहांपर विधवाके दूसरी शादी करनेका रवाज है वहांपर अगर कोई विधवा पतिकी जायदादके वारिस बनजानेके बाद दूसरी शादी करले तोभी जायदाद उससे छिन जायगी। इस विषयपर इलाहाबाद हाईकोर्टकी यह राय है कि विधवासे जायदाद ज़रूर छीन लीजायेगी; देखो--मूला बनाम परताप (1910) 32 All. 489. दूसरे हाईकोर्टोंकी राय कुछ विरुद्ध है।

एक्ट नम्बर १५ सन १८५६ ई० की धारा २ के अनुसार विधवा दूसरी शादी करलेनेसे अपने पहिले पतिकी जायदादमेंसे रोटी कपड़ा पानेकी मुस्तहक नहीं रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्टने मजाधर बनाम कौंसिल्ला (1908) 31 All. 161 में यह माना कि जहांपर विधवा अपनी क़ौमकी रसमके अनुसार दूसरी शादी करसकती है और उस क़ौममें दूसरी करना नाजायज़ नहीं मानाजाता तो विधवा ऐसी सूरतमें अपने रोटी कपड़ेके पानेका हक़ पहिले पतिकी जायदादमें रखती है।

(७) दो या ज्यादा विधवायें—जब कोई पति मरजाय और दो या दोसे अधिक विधवायें छोड़े तो वह सब विधवायें पतिकी जायदाद मुश्तरकन् और सरवाइवरशिपके हक़के साथ (देखो दफा ५५८). हासिल करती हैं । ऐसा मानो कि एक हिन्दू अपनी तीन विधवायें गंगा, जमुना और तुलसी, को छोड़कर मरगया। तीनो विधवायें मुश्तरकन् और सरवाइवरशिपके हक़के साथ पतिकी जायदाद लेंगीं। और तीनों विधवाएं पतिकी जायदादकी आमदनीका बराबर हिस्सा लेनेका हक़ रखती हैं। उन तीनोंमेंसे जब एक विधवा मर जायगी तो उसका हिस्सा बाक़ी दो विधवाओंको मिलेगा इसी तरहपर जब दूसरी विधवा मरेगी तो उसका भी हिस्सा तीसरी विधवाको मिलेगा । और जब आख़िरी विधवा मर जायगी तो जायदाद उसके पतिके वारिसको मिलेगी। बिधवाएं पतिकी जायदादका बटवारा नहीं करासकतीं जिससे कि दूसरी विधवाका सरवाइवरशिपका हक़ मारा जाय। विधवायें, अगर आपसमें जायदादका बटवारा करलें कि जिससे उनको बराबर मुनाफा मिलनेमें सहूलियत रहे तो कर सकती हैं परंतु अगर आपसी बटवारेसे किसी तरहका नुक़सान दूसरे वारिसको पहुंचता हो तो वह नहीं कर सकेंगी, देखो दफा ५०६।

जब किसी शामिल शरीक विधवाको जायदादका मुनाफा न मिलता हो (चाहे वह जिसके पास इंतजाममें जायदाद है खा जाता हो या दूसरी विधवाएं न देती हों या और किसी तरहसे न मिलता हो) तो वह विधवा जिसे मुनाफा नहीं मिलता अदालतमें इस बात की नालिश करे और अदालतको यह मालूम हो कि विधवाको जायदादका मुनाफा दिलानेके लिये उसके पतिसे पाई हुई जायदादका बटवारा करना ही योग्य होगा तो अदालत ऐसी डिकरी कर सकती है कि वह विधवा जायदाद पर अलहदा क़ब्ज़ा रखे और उसका मुनाफा अलहदा हासिल करे लेकिन ऐसी डिकरीसे ' सरवाइवरशिप ' का हक़ नहीं टूट जायगा यह बात प्रिवी कौंसिल ने भी मानी है; देखो-भगवान दीन बनाम मेमाबाई 11 M. I. A. 489; नीलमनी बनाम बधामनी 1 Mad. 290; 4 I. A. 212; 34 All 189.

एक हालके मुक़द्दमेंमें जहांपर कि बिधवाने अपने पतिकी छोड़ी हुई जायदादपर अलहदा क़ब्ज़ा रखनेके लिये अदालतमें नालिश की थी प्रिवीकौन्सिल ने वादीके अलहदा क़ब्ज़ा पानेके हक़को मानते हुए यह फरमाया कि ' ऐसा मानलेना कि मुश्तरका जायदाद बट नहीं सकती यह ग़ैर मुमकिन है ' देखो—सुंदर बनाम पारवती 12 All 51, 16 I. A. 186. इस मुक़द्दमेंमें प्रिवी कौन्सिलकी जो यह राय है कि ' मुश्तरका जायदाद बट सकती है ' इसका मतलब यह है कि जायदाद सहूलियतके लिये और अलहदा अलहदा मुनाफा हासिल करनेके लिये बांटी जा सकती है मगर किसी सूरतमें भी ऐसा बटवारा नहीं हो सकता जिससे सरवाइवरशिपका हक़ टूट जाय।

जहांपर कि एक हिन्दू एकही विधवा छोड़कर मर जाय तो वह विधवा अपने उस हक़को जो उसे अपनी ज़िंदगी भरके लिये पतिकी छोड़ी हुई जायदादमें मिला है रेहन कर सकती है और बेंच सकती है। लेकिन विधवा जायदादको कहीं रेहन नहीं कर सकती और

न बेंच सकती है सिवाय उन चन्द सूरतोंके जो क़ानूनमें बताई गयी हैं। देखो दफा ७०६. ध्यान रहे कि विधवा अपने हक़को रेहन या बय तो कर सकती है मगर जायदादको नहीं। इसे साफ तौरपर यों समझिये कि विधवा जायदादके मुनाफेको सिर्फ अपनी ज़िंदगी भरके लिये रेहन और बय कर सकती है। और अगर क़ानूनी सूरतोंके सिवाय जायदादका रेहन या बय करदे तो वह रेहन या बय उस वारिसको पाबंद नहीं करेगा जो विधवाके मरनेके बाद उसके पतिका वारिस होगा। ऐसा मानो कि एक आदमी एक विधवा और एक भाई छोड़कर मरगया विधवा जायदादकी वारिस हुई और उसने जायदादको विना क़ानूनी ज़रूरतके किसीके पास रेहन या बय कर दिया तो वह रेहन या बय सिर्फ विधवाकी ज़िंदगी भरके लिये पाबंद करेगा मगर जब विधवा मर जायगी और जायदाद उसके पतिके भाईको वरासतन् पहुंचेगी तो रेहन या बय उसके भाईको पाबंद नहीं करेगा।

(८) सरवाइवरशिपका हक़ नहीं मारा जायगा––जहां कोई हिन्दू दो या दोसे ज़्यादा विधवाएं छोड़कर मर जाय तो सब विधवाओंका पतिकी जायादादपर मुश्तरका और सरवाइवरशिप (दफा ५५८) के हक़के साथ क़ब्ज़ा होता है। उन विधवाओंमेंसे हरएक अपना मुश्तरका हिस्सा अपनी ज़िंदगी भरके लिये रेहन कर सकती है और बेंच सकती है। इसी तरह हरएक विधवा अपनी जायदादकी आमदनी जो उसे उसके अलहदा हिस्सेसे मिलती है चाहे वह हिस्सा–अदालतकी डिकरीसे अथवा आपसमें अलहदा कर लिया गया हो रेहन कर सकती है और बेंच सकती है। लेकिन ऐसा इन्तक़ाल, चाहे वह रेहन या बय या किसी अन्य तरहसे भी किया गया हो उस विधवाकी ज़िंदगीतक जायज़ रहेगा जिसने कि उसे किया हो। उस विधवाके मरजानेके बाद उसका किया हुआ इन्तक़ाल रद्द हो जायगा और उसका हिस्सा दूसरी विधवाको मिल जायगा। अर्थात् विधवा जायदादका ऐसा इन्तक़ाल नहीं कर सकती जो दूसरी विधवाके सरवाइवरशिपके हक़में बाधा पहुंचाये।

(९)—विधवाका इन्तक़ाल कब जायज़ होगा––जहांपर दोसे ज़्यादा विधवाएं पतिकी जायदादपर क़ाबिज हों और उनमेंसे एक विधवा सब विधवाओंकी मंज़ूरीसे जायदादका इन्तक़ाल करदे तो वह इन्तक़ाल उन सब विधवाओंको ज़िंदगी भरके लिये पाबंद करेगा। ज़्यादा नहीं। सब विधवाओंके मरनेके बाद जब जायदाद उनके वारिसको पहुंचेगी उस वक़्त उस वारिसको विधवाओंका किया हुआ इन्तक़ाल पाबंद नहीं करेगा; देखो–हरीनरायन बनाम सिताई 31 Bom. 560; दुर्गादत्त बनाम गीता (1911) 33 All 443, 449.

जब दो या दोसे अधिक विधवाएं पतिकी जायदादमें वारिसाना क़ब्ज़ा रखती हों और हरएक विधवा अपने अपने अलहदा हिस्सेकी मालकिन हो चाहे वह अदालतसे या आपसके बटवारेसे अलहदा क़ब्ज़ा जायदादपर रखती हो। उनमेंसे किसी विधवाने क़ानूनी ज़रूरतके लिये अपनी वह जायदाद जिसपर कि वह अलहदा क़ाबिज़ है विना मंज़ूरी सब विधवाओंके इन्तक़ाल करदे तो ऐसी सूरतमें वह इन्तक़ाल सिर्फ उसकी ज़िंदगीभरके लिये उसकी अलहदाकी जायदादको पाबंद करेगा ज़्यादा नहीं। और जब वह विधवा मरजायगी तब उसका हिस्सा दूसरी विधवाको चला जायगा और इन्तक़ाल रद्द समझा जायगा; देखो–– वदाली बनाम कोटीपाली (1902) 26 Mad 334; (1906) 30 Mad 3.

(१०) विधवाका रोटी कपड़ा पानेका हक़—जब विधवा अपने पतिकी छोड़ी हुई जायदादकी वारिस नहीं होती अर्थात् जब विधवाको पतिकी जायदांद नहीं मिलती तो फिर विधवाका सिर्फ रोटी, कपड़ेके पानेका हक़ बाक़ी रहजाता है। रोटी, कपड़ेके हक़को भरण-पोषण, गुज़ारा, या नाननफ़क़ा, कहते हैं। विधवाके गुज़ारेका हक़, पतिकी अलहदा

जायदादमें, और उस जायदादमें भी जिस जायदादका उसका पति मरते समय मुश्तरकन् हिस्सेदार था रहता है। मतलब यह है कि ऊपर कही हुई दोनों किस्मोंकी जायदादपर विधवाका हक़ गुज़ारा पानेका रहता है। नज़ीरें देखो —

(१) पतिकी छोड़ी हुई अलहदा जायदादपर विधवाका हक़ गुज़ारा पानेका है। यशवंतराव बनाम काशीबाई 12 Bom 26 ; 28.

(२) उस जायदादपर जिस जायदादका उसका पति मरते समय मुश्तरकन् हिस्सेदार था ; देवीप्रसाद बनाम गुणवंती 22 Cal 410 ; ज्ञानती बनाम अलामेलू 27 Mad 45 ; बेचा बनाम मदीना 23 All 86 ; आधीबाई बनाम कृष्णदास 11 Bom 199.

चाहे विधवा बिना किसी उचित सबबके अपने पतिकी ज़िंदगीमें उससे अलहदा रही हो और जब उसका पति मरा हो तब भी पतिसे अलहदा रहती हो तो भी विधवा अपने गुज़ारा पानेकी मुस्तहक़ है। यह गुज़ारा उसके पतिकी जायदादमेंसे मिलेगा जो उसके पतिने छोड़ी हो चाहे वह अलहदा हो या मुश्तरका हो ; देखो--31 Mad. 338.

(११) विधवाका मुनाफेपर हक़--जब किसी विधवाको कोई जायदाद वरासतमें मिली हो तो उस जायदादके मुनाफेपर विधवाका पूरा अधिकार होता है। विधवाके मरनेपर वरासतसे मिली हुई जायदाद उस पुरुषके वारिसको चली जायगी जिससे कि उसने पायी है, मगर यदि विधवाने उस जायदादके मुनाफेसे कोई दूसरी मनकूला या ग़ैरमनकूला जायदाद ख़रीदकी हो या नक़द छोड़ा हो जिसपर कि उसका पूरा अधिकार माना गया है वह जायदाद और नक़द सब विधवाके उत्तराधिकारीको मिलेगा।

उदाहरण—रामदेवी विधवाको एक जायदाद पतिसे ग़ैरमनकूला वरासतमें मिली, विधवाने उस जायदादके मुनाफेसे २ मकान और एक गांव ख़रीद किया तथा उसके पास पांच हजार रु० नक़द भी जमा होगया। विधवाने इस अपनी जायदादको किसी दूसरे आदमीको पुण्य करदिया औ पीछे मरगयी और उसने एक लड़की छोड़ी। अब पतिसे पाई हुई जायदाद तो उस लड़कीको मिली मगर दोनों मकान व एक गांव और नक़द सब विधवाके दिये हुए दानाधिकारीको मिलेगा--अगर उस विधवाने अपनी ज़िंदगीमें कुछ भी न किया हो तो सब लड़कीको मिलेगा।

(१२) विधवा कब जायदादका इन्तक़ाल करसकती है--जब किसी विधवाको या विधवाओंको उत्तराधिकारमें पतिकी जायदाद उनकी ज़िंदगी भरके लिये मिली हो तो वह ऊपर कहेहुए क़ायदोंकी पाबंदीके साथ क़ानूनी जरूरतोंके लिये जो इस किताबकी दफा ६०२ ५०६ में बताई गयी हैं जायदादका इन्तक़ाल करसकती हैं।

दफा ६०५. **लड़कीकी वरासत**———(१) कब हक़ होता है--लड़के, पोते, परपोते, और विधवाके न होनेपर लड़कीको उत्तराधिकार मिलता है।

"पत्नी दुहितरश्चैव पितरौ भ्रातरस्तथा" याज्ञवल्क्य २–१३५

तस्मादपुत्रस्य (पुत्र, पौत्र, प्रपौत्ररहितस्य) स्वर्यातस्य विभक्तस्यासंसृष्टिनः परिणीता स्त्री संयता सकलमेव धनं गृह्णातीति स्थितम्। तद्भावे 'दुहितरः'। मिताक्षरा

बृहस्पति—भर्तुर्धनहरी पत्नी तां विना दुहिता स्मृता। अङ्गादङ्गात्संभवति

पुत्रवद् दुहितानृणाम् । बृहद्विष्णुस्मृति— अपुत्रधनं पत्न्याभिगामि, तद्भावे दुहितृगामि १७-५ । नारद—यथैवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहितासमा तस्यामात्मनि जीवन्त्या कथमन्योहरेद्धनम् १३-४९ ।

भावार्थ--याज्ञवल्क्य, मिताक्षरा, बृहस्पति, बृहद्विष्णु, और नारदके वचनोंसे लड़कीका हक़ बापकी जायदादमें है। मगर जब मृतपुरुषके, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, और विधवा मरचुकी हो।

विधवाके पश्चात् लड़कीका हक़ बापकी जायदाद पानेमें माना गया है, यही बात क़ानूनमें भी मानी गयी है कि अपुत्र पुरुषकी जायदाद विधवाके मरनेपर लड़कीको मिलेगी।

(२) जबतक सब विधवाएं न मरजायें--कोई लड़का, पोता, परपोता जीवित रहेगातो विधवाको जायदाद नहीं मिलेगी और जबतक विधवा ज़िंदा रहेगी तबतक लड़कीको नहीं मिलेगी। अगर कोई आदमी अनेक विधवायें छोड़कर मरा हो तो जबतक वह सब विधवायें मर न जायेंगी तबतक लड़कीको या लड़कियोंको कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी सब विधवाओंके मरजानेपर बापकी जायदाद लड़कियोंको मिलती है देखो--प्राणजीवनदास तुलसीदास बनाम देवकुंवरबाई (1859) 1 Bom. H. C. 130.

(३) लड़कियोंमें विभाग-पराशरजी कहतेहैं कि "अपुत्रस्य मृतस्य कुमारी रिक्थं गृह्णीयात् तद्भावे चोढ़ा। अर्थात् मृतपुरुषका धन पहिले कुमारी लड़की (जिसका ब्याह नहीं हुआ) लेवे, और उसके न होनेपर विवाहिता लड़की लेवे। क़ानूनमें भी ऐसाही माना गया है। फ़रक़ यह है कि पराशरने पहले हक़ क्वांरी लड़कीका और दूसरा ब्याहीका रखा है, क़ानूनमें ब्याही लड़कीमें भी भेद डाला गया है।

बापकी जायदाद पहिले बिन ब्याही लड़कीको मिलेगी, उसके पीछे उस लड़कीका हक़ होगा जिसका ब्याह होगया है लेकिन ग़रीब (खाने पीनेकी तंगी) है, और सबसे पीछे उस लड़कीका हक़ होगा जिसका ब्याह होगया है और धनवान है; देखो--जमुनाबाई बनाम खिमजी 14 Bom 113; टटवा बनाम बसवा 23 Bom 229; अवधकुमारी बनाम चन्द्राबाई 2 All 561; डन्नो बनाम डरबो 4 All 243.

(१) बिन ब्याही लड़की (क्वांरी)
(२) ब्याही और ग़रीब (ससुरालवालोंकी ग़रीबी)
(३) ब्याही और आसूदा (ससुरालवालोंका धनवान होना)

पहिले दर्जेकी लड़कीके होते हुए, दूसरे दर्जेकी लड़की, और दूसरे दर्जेकी लड़कीके होते हुए तीसरे दर्जेकी लड़कीका हक़ न होगा।

(४) जब एकही दर्जेकी अनेक लड़कियां हों--जब किसी मृतपुरुषके दो या दोसे ज्यादा लड़कियां एकही दर्जेकी हों तो वह सब बापकी जायदाद सरवाइवरशिपके हक़के साथ (देखो दफा ५५८) विधवाओंकी तरह लेती हैं; देखो--अमृतलाल बनाम रजनीकांत (1875) 2 I. A. 113, 126; 15 Beng L. R. 10, 24.

जब बापकी जायदाद एकही दर्जेकी कई एक लड़कियोंको मिली हो तो उनमेंसे हरएक अपने उस लाभको जो लड़कीको जायदादमें सिर्फ उसकी ज़िंदगी भरतकके लिये मिला है रेहन करसकती है, बेंच सकती है, मगर शर्त यह है कि उस रेहन या बेंचनेसे दूसरी लड़कियोंके सरवाइवरशिपके हक़में कोई बाधा न पड़ती हो; देखो--23 Mad 504.

लड़कियां अपने बापसे पाई जायदादमें अपने, अपने हिस्सेमें अलहदा अलहदा प्रबन्ध

करसकती हैं मगर शर्त यह है कि वह प्रबन्ध ऐसा होना चाहिये कि जिससे उसके बादके वारिस (भावी वारिस) के हक़ोंमें किसी तरहकी बाधा न पड़े और कोई नुक़सान न पैदा हो; देखो-कैलास बनाम काशी 24 Cal. 339.

(५) बंगाल, बनारस, और मिथिला स्कूलमें---बंगाल, बनारस और मिथिला स्कूलके अनुसार जब किसी लड़कीको बापकी जायदाद उत्तराधिकारमें मिली हो तो उस जायदादमें लड़कीका महदूद हक़ रहता है; यानी वह जायदाद लड़कीकी ज़िंदगी भरके लिये मिलती है और लड़कीके मरनेके बाद वह जायदाद लड़कीके वारिसको नहीं मिलती, बल्कि उसके बापके दूसरे वारिसको मिलती है ; देखो—छोटेलाल बनाम चुन्नूलाल 4 Cal. 744; 6 I. A. 15; मुट्टू बनाम डोरासिंह 3 Mad. 290 ; 8 I. A. 99.

ऊपरके चारों स्कूलोंके अंतर्गत अगर बापकी जायदाद किसी बिनब्याही लड़कीको मिलगयी हो, और उसके पश्चात् उस लड़कीका विवाह होगया हो तो भी लड़कीको उत्तराकारकी जायदादपर हीनहयाती (ज़िंदगीभर) हक़ रहेगा और उसकेमरनेपर जायदाद उसके बापके दूसरे वारिसको जायगी। अगर लड़कीने मरनेके समय एक लड़का छोड़ा तो उस लड़केको जायदाद बहैसियत उसके नानाके वारिसके मिलेगी, लड़कीके वारिसकी हैसियतसे नहीं; देखो मेनहिन्दूलॉ की दफा ६१२.

(६) बंबई स्कूलमें---बंबई प्रांतमें ऊपर कहे हुए पैरा ४, ५ के क़ायदे लड़कियोंके लिये लागू नहीं पड़ते। बंबई प्रांतमें बापकी जायदाद जब कोई लड़की उत्तराधिकारमें पाती है तो उसे उस जायदादपर पूरे हक़ होते हैं। अनेक लड़कियोंके होनेपर हरएक लड़कीको बापकी जायदादमें उसके हिस्सेके अनुसार पूरा हक़ होता है और वह उसे मानिन्द अपनी अलहदा जायदादके रखती है, और लड़कीके मरनेपर वह जायदाद (बापसे वरासतन् पाई हुई) उसके बापके दूसरे वारिसको नहीं मिलेगी, बल्कि लड़कीके वारिसको मिलेगी, जैसे उसका स्त्रीधन होता है; देखो--भागीरथीबाई बनाम कंनूजीराव 11 Bom. 285 ; गुलप्पा बनाम तैय्यब 31 Bom 453 ; विथ्थापा बनाम सावित्री 34 Bom 510.

उदाहरण—महेशके दो लड़कियें शारदा और सरस्वती हैं। शारदाके एक लड़की कमला और सरस्वतीके एक लड़की माधुरी है। महेश मरा।

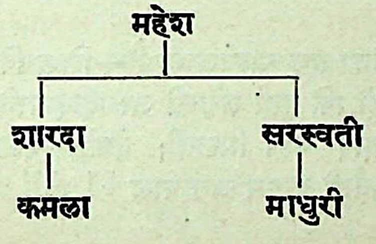

महेशके मरनेपर उसकी जायदाद दोनों लड़कियां लेंगी। बंबई प्रांतमें दोनों लड़कियें बापसे पाई हुई जायदादपर आधे आधे हिस्सेकी पूरी मालिकिन होगयीं और इसीलिये उनके मरनेपर जायदाद उनके वारिसको मिलेगी। पैरा ५ में कहे हुए स्कूलोंमें दोनों लड़कियां सरवाइवरशिपके हक़के साथ बापकी जायदाद लेती हैं और एक लड़कीके मरनेपर दूसरी लड़की उसकी जायदादकी वारिस होती है और दोनोंके मरनेपर वह जायदाद किसी लड़कीके वारिसको नहीं मिलती बल्कि उसके बापके वारिसको मिलती है। बंबईमें यही विचित्र बात है कि यहांपर दोनों लड़कियां बापकी जायदाद सरवाइवरशिपके हक़के साथ नहीं लेतीं; इसी

कारणसे हरएक लड़की अपने हिस्सेके अनुसार जायदादपर पूरा मालिकाना क़ब्ज़ा करलेती है; मानो वह उतने हिस्सेकी असली मालिक होगयी। इसीलिये इस प्रांतमें हरएक लड़की अपना हिस्सा बिला किसी रोकके रेहनकर सकती है, बेंच सकती है और जैसा जीमें आये कर सकती है जिस तरहपर स्त्रीधनमें उसका अधिकार है उसी तरहपर बापसे पाई हुई जायदादपर होजाता है। यही कारण है कि उस लड़कीके मरनेपर जायदाद लड़कीके वारिसको मिलती है, बापके वारिसको नहीं। देखो जब महेश मरा तो दोनों लड़कियें उसकी छोड़ी हुई जायदादपर आधे आधे हिस्सेकी पूरी वारिस होंगी। पीछे शारदा मरीतो शारदाका आधा हिस्सा उसकी लड़की कमलाको मिला, एवं सरस्वतीके मरनेपर उसका हिस्सा माधुरीको मिला।

नोट—यह स्मरण रखना चाहिये कि बंबई स्कूलको छोड़कर बाक़ी सब स्कूलोंमें लड़कियां सरवाइवरशिपके हक़के साथ बापकी जायदाद लेती हैं और अपना हक़ उस जायदादमें महदूद रखती हैं। वह जायदादको रेहन या बय नहीं करसकतीं क्योंकि उन्हे अपने जीवन भरके लिये जायदाद मिली है, बंबईमें इसके विरुद्ध है।

(७) दुश्चरित्रता—दुश्चरित्रताका दोष लड़कीको जायदादमें हिस्सा पानेके लिये कोई रोक नहीं करेगा; देखो—आधअप्पा बनाम रुद्रव 4 Bom 104; कोजी आढ्ढ बनाम लक्ष्मी 5 Mad. 149; 156.

लेकिन जहांपर एक ऐसी लड़की यानी दुश्चरित्राबिनब्याही हो और दूसरी ब्याही सच्चरित्रा हो तो जायदादके पानेका हक़ सच्चरित्रा ब्याही लड़की को होगा। दुश्चरित्राबिनब्याही लड़की का हक़ माराजायगा और अगर एकही लड़की है जो दुश्चरित्रा है तो उसे जायदादमें हिस्सा मिलेगा; देखो—तारा बनाम कृष्णा (1907) 31 Bom. 495.

यह स्मरण रखना कि मिताक्षरामें सिर्फ विधवाही एक ऐसी औरत है कि जिसका दुश्चरित्र होनेके सबबसे जायदाद पानेका हक़ मारा जाता है; देखो–वेदामल बनाम वेदानयाग 31 Mad. 100.

(८) नाजायज़ लड़की—जो लड़की, सवर्णकी विवाही हुई स्त्रीसे नहीं पैदा हुई, यानी अनौरसा है वह चाहे शूद्रकी भी हो लेकिन अपने बापकी जायदाद पानेका हक़ बिलकुल नहीं रखती; देखो—भिखिया बनाम बाबू (1908) 32 Bom 562 लेकिन अनौरसा लड़की, अपनी माकी जायदाद पानेका हक़ रखती है; देखो–अरुणागिरि बनाम रंगनायकी 21 Mad. 40.

(९) रवाजसे लड़कीका हक़ चलाजाता है—जिस किसी प्रांतमें अथवा जिस किसी घरानेमें ऐसा ख़ास रवाज हो कि वहां लड़की जायदाद पानेका हक़ नहीं रखती तो लड़कीको उत्तराधिकारमें जायदाद नहीं मिलती; देखो—बजरंगी बनाम मनोकर्णिका 30 All. 1; 35 I. A. 1; पार्वती बनाम चन्द्रपाल 31 All 457, 36 I. A. 125; और देखो नीचे पैरा १४.

(१०) लड़की कब जायदाद इन्तक़ाल करसकती है?—जब किसी लड़कीको या लड़कियोंको बापसे उत्तराधिकारमें (बंबई प्रांतको छोड़कर) उनकी ज़िंदगी भरके लिये जायदाद मिली हो तो वह ऊपर बताये हुए क़ायदोंकी पाबंदीके साथ क़ानूनी ज़रूरतोंके लिये जो इस किताबकी दफा ६०२; ७०६ में बताई गयी हैं जायदादका इन्तक़ाल कर सकती हैं। बंबई प्रांतमें लड़की पूरी मालिक मानी गयी है इसलिये उसे क़ानूनी ज़रूरतोंकी ज़रूरत नहीं है।

(११) क्वांरी लड़कीका जब विवाह होजाय—जब किसी क्वांरी लड़कीको बापकी जाय-

दाद उत्तराधिकारमें मिली हो और उसके बाद उस लड़कीका विवाह होजाय तो वह जायदाद लड़कीके साथ ससुरालमें जाती है और उसके मरनेपर सरवाइशिपके हक़के अनुसार दूसरी लड़कीको मिलेगी (अगर कोई हो) यदि एकही लड़की है तो पीछे उसके बापके दूसरे वारिसको मिलेगी। लड़कीके पति या ससुर आदिको नहीं मिलेगी। लड़कीके लड़केका हक़ जायदाद मिलनेके लिये नानासे मानागया है और जब एक दफा लड़कीके लड़केको जायदाद मिलजावे तो वह उस जायदादका पूरा मालिक होजाता है. इसलिये उस लड़केके मरने लड़केके वारिसको जायदाद मिलेगी ; यानी उसवक्त नानाके ख़ानदानसे निकलकर नेवासाके ख़ानदानमें आजायेगी।

(१२) क्वारी लड़कीका बदचलन होना—जब कोई क्वारी लड़की क्वारेपनमे बदचलन होजाय और वेश्याकी तरहपर रहने लगे तो वह लड़की न तो क्वारी रहती है और न ब्याही। अगर वह लड़की ऐसी न हो गयी हो कि उसका हक़ क़ानूनन् मारा गया हो तो उसे दूसरी शुद्धचरित्रा क्वारी लड़कियों, और सब ब्याही लड़कियोंके पश्चात् बापकी जायदाद मिलेगी; देखो-तारा बनाम कृष्णा (1907) 31 Bom. 495 at P. 510 ; 9 Bom. L. R.774, देखो ट्रिवेलियन हिन्दूलॉ पेज ३७२.

(१३) तीन क़िस्मकी लड़कियोंमें जायदादका मिलना-जब कोई आदमी तीन क़िस्मकी लड़कियोंको छोड़कर मरजाय तो सरवाइवरशिपके हक़के साथ (देखो दफा ५५८). क्रमसे बापकी जायदाद लड़कियोंको मिलेगी। तीन क़िस्मकी लड़कियोंसे मतलब यह है, १ क्वारी, २ ब्याही ग़रीब ३ ब्याही अमीर।

बापकी जायदाद लड़कियोंको सरवाइवरशिपके हक़के साथ मिलती है; मगर लड़कियोंमें सबसे पहिले क्वारी लड़की जायदाद पावेगी, अगर क्वारी लड़कियोंमें एक मरजाय तो उसका हिस्सा बाक़ी क्वारी लड़कियोंको मिलेगा, और जब आख़िरी क्वारी लड़की मरजायगी तब वह जायदाद ब्याही और ग़रीब लड़कियोंको मिलेगी, इनमें भी वही क्रम रहेगा कि एकके मरनेपर उसका हिस्सा दूसरी ग़रीब लड़कियोंको मिलजायगा और जब आख़िरी ब्याही और गरीब लड़की मरजायगी, तब जायदाद ब्याही और अमीर लड़कियोंको मिलेगी। वह भी इसी तरहसे मालिक होंगी; यानी एकके मरनेपर बाक़ी लड़कियां उसके हिस्सेको लेंगी और जब आख़िरी ब्याही अमीर लड़की मरजायगी तो फिर वह जायदाद उसके बापके दूसरे वारिसको मिलेगी।

अगर कोई लड़की अपना लड़का छोड़कर या सब क़िस्मकी लड़कियां लड़के छोड़कर मरी हों तो जबतक तीनों क़िस्मकी सब लड़कियां न मर जावेंगी तब तक लड़कीके लड़केको या लड़कोंको जायदाद नहीं मिलेगी।

उदाहरण—(१)

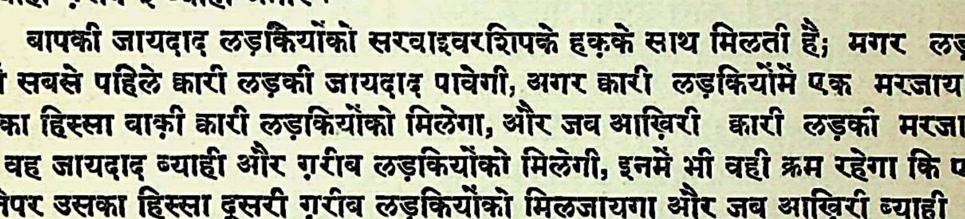

विजयके तीन क़िस्मकी दो दो लड़कियां हैं। यानी दो क्वारी दो ब्याही-ग़रीब और दो ब्याही अमीर। इन छः लड़कियोंको छोड़कर विजय मरगया अब सरवाइवरशिपके हक़के

साथ सबसे पहिले क्वारी लड़कियां जायदाद पावेंगी, दोनो क्वारी लड़कियोंको पहिले जायदाद मिलेगी, यानी विद्या और प्रभाको । जब इन दोनोंमेसे एक मर जायगी तो दूसरी लड़की उसका हिस्सा लेगी । ऐसा मानो कि पहिले विद्या मरगयी तो उसका हिस्सा प्रभाको मिलेगा उससमय प्रभा पूरी जायदादाकी मालिकिन हो जायगी । और जब दूसरी क्वारी लड़की भी मरजायगी । यानी प्रभाके मरनेपर जायदाद ब्याही और ग़रीब लड़कियोंको मिलेगी । इनमें भी सरवाइवरशिपका हक़ लागू रहेगा और जब वह दोनों लड़कियां मर जायेंगी तब जायदाद ब्याही और अमीर लड़कियोंको मिलेगी । इनमें भी सरवाइवर शिप रहेगा इसलिये जब आख़िरी लड़की मरेगी तब लड़कीके लड़केका या लड़कोंका हक़ जायदाद पानेका पैदा होगा । लड़कीके जीते जी नहीं होगा ।

(२) ऐसा मानो कि विजय दो क्वारी लड़कियोंको छोड़कर मरगया उसके मरनेके बाद एकका विवाह होगया और वह कुछ दिनोंके बाद मरगयी, मगर दूसरी लड़कीका विवाह नहीं हुआ था । तो अब सरवाइवरशिपके हक़के अनुसार उस ब्याही हुई लड़कीके मरनेपर उसका हिस्सा क्वारी लड़कीको मिलेगा और उस वक्त वह अकेली अपनी ज़िंदगी भर जायदादपर क़ाबिज़ रहेगी । जब वह मरेगी तब दूसरी ब्याही-ग़रीब लड़कियां (अगर कोई हों) जायदाद पावेंगी । उनके बाद ब्याही और अमीर लड़कियां । अगर ब्याही लड़की एक लड़का छोड़कर मरगयी हो तो क्वारी लड़कीके जीतेजी वह जायदाद नहीं पावेगा ।

(३) ऐसा मानो कि विजय दो क्वारी लड़कियोंको छोड़कर मरगया । उसके मरनेपर एकका विवाह होगया । क्वारी लड़की पहिले मरगयी । अब उसका हिस्सा सरवाइवरशिपके अनुसार ब्याही लड़कीको मिलेगा । नजीरें देखो—दौलत कुंवर बनाम बरमादेवसहाय (1874) 14 B. L. R. 246 note; 22 W. R. C. R. 54; देखो कहमनचियर बनाम डोरासिंहटेवर (1871) 6 M. H. C. 330, 332; दुलारी बनाम मूलचन्द 32 All. 314 और देखो-मिस्टर मेनके हिन्दूलॉकी दफा 557; ट्रिवेलियन हिन्दूलॉका पेज 372; 38 All 111 (1916) यदुवंशीकुंवर बनाम महिपालसिंह वाले मामलेमें यह वाक़ियात थे-एक बटे हुए ख़ानदानका हिन्दू मरा । उसने अपनी विधवा और चार लड़कियां छोड़ीं इनमेसे एक क्वारी थी तीन विवाहिता । विधवाके मरनेपर क्वारी लड़कीने तीन विवाहिता लड़कियोंपर अपने बापकी जायदाद दिलापानेका दावा किया । मगर दौरान मुक़द्दमेमें वह क्वारी लड़की मरगयी । पीछे तीनों लड़कियोंने दरख़ास्त दी कि अब हम वारिस उस जायदादकी हैं । अदालतने मुक़द्दमा ख़ारिज कर दिया । इसके फैसलेके कुल पढ़नेसे यह ज़ाहिर होता है कि अदालतने सबसे पहिले क्वारी लड़कीका हक़ बापकी जायदादमें माना पीछे प्रतिवादिनियोंका ।

(१४) अवध और पंजाब प्रांतमें लड़की और नेवासेका हक़ नहीं माना गया-पंजाब प्रांतकी कई एक जातियोंमें माना गया है कि मर्दसंबंधी रिश्तेदारके मुक़ाबिलेमें स्त्रीसंबंधी रिश्तेदारोंका हक़ वरासतमें जायदाद पानेका नहीं है । यानी उनमें लड़की, या लड़कीका लड़का वरासतमें जायदाद नहीं पा सकता-देखो पंजाब कस्टम 72 और देखो पंजाब कस्टमरीलॉ II, 80; III 48.

अवधप्रांतके प्रायः क्षत्रिय तालुक़ेदारों ओर ज़मींदारोंमें लड़की और लड़कीके लड़कोंका हक़ उत्तराधिकारकी जायदादमें नहीं माना जाता । इस विषयमें मिस्टर मेन साहेब कहते हैं कि " बहुतसी अवधप्रांतकी अपीलें जो प्रिवी कौंसिलमें मेरी तजवीज़में आयी हैं उनमें गांवके वाजिबुल अर्ज़से ज़ाहिर हुआहै कि जायदाद चाहे वह मौरूसी हो या खुदकमाई

हुई हो, लड़की और लड़कीके बच्चोंका हक़ उस जायदादमें नहींहै, और एक सुरक्युलर नम्वरी ४२ सन १८६४ चीफ कमिश्नरसाहेब बहादुर अवधका इसी मतलबका है कि इस (अवध) प्रांतके ऊंचे कुलवाले क्षत्रियोंमें ऊपर कहा हुई रवाज प्रचलित है।" देखो मेन हिन्दूलॉकी दफा५६१ जिन मुक़द्दमोंमें रवाजके आधारपर लड़की और लड़कीके लड़कोंका हक़ उत्तराधिकारकी जायदादमें नहीं मानागया वह नीचे लिखे हैं-देखो-वजरंगीसिंह बनाम मनोकर्णिका-वख्शसिंह (1907) 35. I. A. 1; 30 All. 1; 12 C. W. N. 74; 9 Bom L. R. 1348; नानाजी उत्पत भाऊ बनाम सुंदरावाई (1874) 11 Bom H. C. 249 (पंढरपुरके 'उत्पात्त' नामक परिवारमें). प्रागजीवन दयाराम बनाम रेखावाई (1881) 5 Bom. 482; वीराभाई अजूभाई बनाम हिराबाबाई (1903) 30 I. A. 234; 236; 27 Bom 492, 498; 7 C. W. N. 716, 718, 719 (चुदासामागमेटे गरासिया कौममें). मुसम्मात पार्वतीकुंवर बनाम चन्द्रपाल कुंवर रानी (1909) 36 I. A. 125; 31 All 457; 13 C. W. N. 1073; 11 Bom. L. R. 890 (चौहान राजपूत अवधप्रांतमे). गोहल गरासिया नामक कौममें कोई रवाज मुकर्रर नहींहै, रंछोड़दास विट्ठलदास बनाम रावलनाथूबाई केसाभाई (1895) 21 Bom 110.

दफा ६०६. लड़की के लड़के की वरासत (नेवासा—दोहिता—दौहित्र)——कव हक़ होता है?—(१) लड़के, पोते, परपोते, विधवा, और लड़कियों के न होनेपर दौहित्र यानी लड़की के लड़के को उत्तराधिकार में जायदाद मिलेगी।

याज्ञवल्क्यने साफ तौरसे दौहित्रको नहीं कहा 'पत्नी दुहितरश्चैव पितरौ भ्रातरस्तथा' २—१३५. इस श्लोकमें दुहितरःके आगे 'च' का अक्षर है; इस अक्षरसे मिताक्षराकार विज्ञानेश्वर ऐसा अर्थ निकालते हैं कि "च" शब्दात्दुहितृभावे दौहित्राः धनभाक्‌। 'च' के कहनेसे मतलब यह है कि लड़की के न होनेपर लड़कीका लड़काधन पानेका अधिकारी होगा। विष्णु भी यही कहते है 'अपुत्र पौत्र संताने दौहित्रधनमाप्नुयुः' अपुत्र (पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र न होनेपर) पुरुषका धन उसके पुत्र, पौत्र आदि संतान न होनेपर दौहित्र को मिलेगा। मनुजी कहते हैं—

दौहित्रोह्यखिलं रिक्थमपुत्रस्य पितुर्हरेत्
सएव दद्यात् द्वौ पिण्डौ पित्रे माता महायच। ९-१३२

जिसके पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र नहींहैं ऐसे बापका सब धन उसकी लड़कीका लड़का लेवे वही अपने पिता और नानाको दो पिण्ड दे। नतीजा यहहै कि पहिले पुत्रिका पुत्रका रवाज था (देखो ८२-३; ८३) और उसवक्त वह पुत्र, पौत्र, प्रपौत्रके पश्चात् ही धन पानेका अधिकारी होजाता था। यही बात अवतक चली आतीहै। उत्तराधिकारमें दौहित्रका दर्जा पहिलेकी रीतिके अनुसार रखागया है मगर अब वह नानाका लड़का नहीं कहलाता बल्कि अपने बापका लड़का कहलाता है। देखो दफा ६२४ का नक्शा।

(२) क़ानूनमें लड़कीका लड़का कब वारिस होगा?—जबतक सब लड़कियां जो वारिस होनेके लायक़ हैं और जायदाद पानेका हक़ रखती हैं मर न जायें, तबतक लड़कीका लड़का नानाकी जायदाद पानेका अधिकारी नहीं होगा; देखो-वैजनाथ बनाम महावीर 1 All. 608; शांतकुमार बनाम देवसरन 8 All. 365.

लड़कीका लड़का असलमें तो 'वन्धु' यानी भिन्नगोत्रज सपिण्ड है; क्योंकि उसका रिश्ता मृतपुरुषसे एक स्त्रीके द्वारा है। लेकिन वह गोत्रज सपिण्डोंके साथ जायदाद पाता है। कारण यह है कि हिन्दूधर्म शास्त्रोंमें ऐसा मानागया है; देखो श्रीनिवास बनाम डंडायू डापानी 12 Mad. 411.

(३) लड़कीका लड़का माका वारिस बनकर नानाकी जायदाद नहीं लेता-हिन्दूलॉ में उत्तराधिकारके विषयमें लड़कीके लड़केका ख़ास स्थान रखागया है, यद्यपि वह भिन्न गोत्रज सपिण्ड यानी बंधु है परंतु वह मृतपुरुषके बाप और अन्य सपिण्डोंसे पहिले जायदाद पानेका अधिकारी मानागया है। कारण यह है कि प्राचीन रीति यह थी कि जिस हिन्दूके लड़का नहीं होता था वह अपनी लड़कीको शौनकके वचनानुसार कन्यादान करके उससे पैदा हुए पुत्रको अपना पुत्र बनालेता था शौनकका वचन यह है—

अभ्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्या मलंकृताम्
यस्यां यो जायते पुत्रो सभे पुत्रो भवेदिति।

इस वचनके अनुसार प्राचीन रीति थी (देखो दफा ८२-३; ८३). इस तरहके लड़केको 'पुत्रिकापुत्र' कहते हैं। इस लड़केके दर्जेको याज्ञवल्क्य बौधायन, देवल, और बृहस्पतिने औरस पुत्रसे दूसरा दर्जा माना है (देखो दफा ९०). अब यह रवाज बंद होगया है मगर लड़कीके लड़केका स्थान उत्तराधिकारमें ज्यौंका त्यौं रहा। और अब भी उसका स्थान पुत्र, पौत्र, प्रपौत्रके नीचेही मानागया है। आप ख्याल करेंगे कि विधवा, और लड़कीकी वरासतके भी नीचे कहना चाहिये था उत्तर यह है कि विधवा और लड़की तो सिर्फ ज़िंदगी भरके लिये बीचमें आजाती हैं और महदूद अधिकार रखती हैं। प्राचीन रीति और अंगरेजी क़ानूनमें सिर्फ यह फरक़ पड़गया है कि पहिले वह लड़का जो शौनकके वचनानुसार नानाका लड़का बन जाया करता था, अब वह अपने बापका माना जाता है। शौनकके वचनके अनुसार विवाह नहीं माना जाता। उत्तराधिकारमें वह नानाके पौत्र (पोते) की तरह माना जाता है; देखो—27Mad 300 ; 311 ; 312.

लड़कीका लड़का अपनी माका वारिस बनकर जायदाद नहीं पाता, बल्कि वह अपने नानाका वारिस बनकर नानासे जायदाद पाता है।

(४) नानाकी जायदादमें पूरा हक़ रखता है-जिसतरहपर कि विधवा, लड़की जायदादमें महदूद हक़ रखतीहै उस तरहपर लड़कीका लड़का नानासे पाई हुई जायदादमें महदूद हक़ नहीं रखता। वह उस जायदादका पूरा मालिक होजाता है। इसीलिये जब कोई ज़ायदाद नानाकी, किसी नेवासेको मिली हो तो फिर उस नेवासेके मरनेके बाद वह जायदाद उसके वारिसको जायगी, नानाके वारिसको नहीं मिलेगी।

(५) जब एकसे ज्यादा लड़कियोंके लड़के हों—जब किसीके दो या दोसे ज्यादा लड़कियोंके अनेक लड़के हों तो वह सब लड़के नानाकी जायदाद बराबर हिस्सेमें पावेंगे। अर्थात् जब अनेक लड़कियोंके अनेक पुत्र हों तो वह सब पुत्र नानाकी जायदादमें बराबर हिस्सा लेंगे।

उदाहरण—'महेशदत्त'के दो लड़कियां हैं उमा और गार्गी। उमाके दो लड़के और गार्गीके तीन लड़के हैं। दोनों लड़कियां मर गयीं। पीछे महेशदत्त मरा तो अब उसकी जायदाद पांच बराबर हिस्सोंमें बांटी जायगी। हरएक लड़कीका लड़का एकएक हिस्सा पायेगा।

(६) जब एकही लड़कीके एकसे ज़्यादा लड़के हों—जब किसी आदमीके एकही लड़की हो और उस लड़कीके अनेक लड़के हों और वह सब मुश्तरका ख़ानदानमें रहते हों तो वह सब नानाकी जायदादको मुश्तरका और सरवाइवरशिपके हक़के साथ (देखो दफा ५५८) लेंगे। देखो-वेंकयामा बनाम वेंकटरामनै अम्मा 25 Mad.678;29 I.A. 156.

जब कई एक लड़के जुदी जुदी लड़कियोंके हों तो वह पहिले नानाकी सब जायदाद शामिल शरीक लेंगे और फिर उन्हें अख़्त्यारहै कि अपना अपना हिस्सा बंटालेवें; क्योंकि दो भिन्न लड़कियोंके लड़कोंमें मुश्तरकन हिस्सेदारी नहीं होसकती; देखो-27 Mad. 382,385.

उदाहरण—'महेशदत्त' अपनी लड़की उमाको छोड़कर मरगया। उमाके दो लड़के हैं जय और विजय। महेशदत्तके मरनेपर उसकी जायदाद उसकी लड़की उमाको मिली, उमाके मरनेपर वह जायदाद जय और विजयको वतौर माके वारिसके नहीं मिलेगी, बल्कि नानाके वारिसके मिलेगी। अब अगर जय और विजय दोनों शामिल शरीक ख़ानदानमें रहते हैं तो जो जायदाद उन्हें नानाकी मिलेगी वह भी मुश्तरका ख़ानदानकी जायदादमें शामिल होजायगी और उन दोनोंमेंसे एकके मरनेपर दूसरेके पास सरवाइवरशिपके हक़के अनुसार चली जायगी। ऐसा मानों कि अगर जय एक विधवा छोड़कर मरे तो वह जायदाद विधवाको नहीं मिलेगी, बल्कि विजयको मिलेगी जो उसका जीता हुआ मुश्तरकन् हिस्सेदार है।

अगर जय और विजयके दरमियान बटवारा होगया होता तो जायदाद दोनोंको आधी आधी मिलती; उसवक्त सरवाइवरशिपका हक़ नहीं लागू पड़ता।

नोट—(१) यह याद रखना कि जब जायदाद किसी मर्दके पास आती है तो पूरे अधिकारों सहित आती है; उसे रेहन, वग़ैराका सब अधिकार होता है। बंबई प्रान्तमें कुछ औरतें ऐसी मानी गयी हैं जिन्हें जायदाद पूरे अधिकारोंसहित प्राप्त होती है। देखो दफा ६४४; ६४५; ६८३.

(२) अगर नेवासा एक लड़का छोड़कर अपने नानासे पहिले मरजायतो उस लड़केको जायदाद नहीं मिलेगी।

दफा ६०७. माताकी वरासत——(१) कब हक़ होता है ?—लड़के, पोते, परपोते, विधवा, लड़की और लड़कीके लड़केके न होनेपर माताको जायदाद मिलती है।

याज्ञवल्क्य—पत्नी दुहितरश्चैव पितरौ भ्रातरस्तथा। २-१३५

अपुत्र (जिसके लड़के, पोते, परपोते न हों) पुरुषका धन उसकी विधवा, लड़की, और 'च' लड़कीके लड़केके न होनेपर माता पिताको मिलेगा। इस जगहपर 'पितरौ' पदहै, इसकी व्याख्या मिताक्षराकार यों करते हैं—

तद्भावे पितरौ मातापितरौ धनभाजौ, यद्यपि युगपदधिकरणवचनतायां द्वन्द्वस्मरणात् तदपवादत्त्वादेक शेषस्य धनग्रहणे पित्रोः क्रमो न प्रतीयते तथापि विग्रहवाक्ये मातृशब्दस्य पूर्वनिपातादेकशेषभावपक्षे च मातापितराविति मातृशब्दस्य पूर्वं श्रवणात् पाठक्रमादेवार्थक्रमावगमाद्धनसम्बन्धेऽपि क्रमापेक्षायां प्रतीतक्रमानुरोधेनैव प्रथमं माता धनभाक् तद्भावे पितेति गम्यते।

भावार्थ—'तद्भावे पितरौ' के कहनेसे यह मतलब है कि दौहित्रके अभावमें माता, पिता धनके भागी होते हैं। यद्यपि 'युगपदधिकरणवचनता' एकबार अनेक अर्थोंके कहनेमें 'द्वन्द्व' नामक समास होता है एक शेष द्वन्द्व समासका अपवाद है। इस लिये 'माता च पिता च पितरौ' करनेसे क्रमका निर्देश होजाता है, माताका पहिले पिताका पीछे। इस

समासमें माता शब्दका पूर्व निपात है और माता शब्द पहिले सुना जानेसे पढ़नेके क्रमसेही अर्थका क्रम जाना जाता है इसी लिये धनके सम्बंधमें भी पहिले माताही धन पानेकी भागिनी होती है, उसके अभावमें पिता। मनुजीने कहा है--

अनपत्यस्य पुत्रस्य मातादायमवाप्नुयात् । मातर्यपि च वृत्तायां पितुर्माता-हरेद्धनम् ९-२१७। बृहस्पति-भ्रातासुतविहीनस्य तनयस्य मृतस्य च। मातारिक्थ-हरीज्ञेया भ्राता वा तदनुज्ञया।

इन वचनोंसे यह सिद्ध होता है कि पितासे पहिले माता धन पानेकी अधिकारिणी है।

(२) माताको उत्तराधिकार मिलेगा -पितासे पहिले माता मिताक्षरा स्कूलमें धन पानेकी भागिनी मानी गयी है। देखो--अनन्दी बनाम हरी 33 Bom 404; 11 Bom. L. R. 641; 4 I. A. 1; 1 Mad 174; 14 Bom 605.

(३) महदूद अधिकार--विधवा की तरह माता भी अपने लड़केकी जायदादमें महदूद अधिकार रखती है, माताके मरनेपर वह जायदाद उसके वारिसोंको नहीं मिलेगी, बल्कि लड़केके वारिसको मिलेगी। देखो-व्रजभूषणदास बनाम बाई पार्वती 32 Bom 26; जलेसुर बनाम अग्गुर 9 Cal. 725.

(४) बदचलनी और पुनर्विवाह--अगर माता उसवक्त बदचलन होगयी है जब उसे लड़केकी जायदाद मिलनेका मौका आया है, तो इस वजहसे माता उत्तराधिकारसे ख़ारिज नहीं कीजायगी और इसी तरहपर जब उसे जायदाद लड़केकी मिल गयी हो, उसके बाद वह अपना पुनर्विवाह करले तो भी मातासे जायदाद नहीं हटाई जायगी, अर्थात् दोनों सूरतोंमें माताको जायदाद मिलेगी; देखो--कोजीयाडू बनाम लक्ष्मी 5 Mad 149; वेदामल बनाम वेदानैयाया 31 Mad 100; डालसिंह बनाम दिनी 32 All 155; बल्देव बनाम मथुरा 33 All 702; यह सब बदचलनीके संबंधी मामले हैं। पुनर्विवाहके विषयकी नज़ीर देखो-बासाप्पा बनाम रायाबा 29 Bom 91.

(५) सौतेली माता—सौतेली माता सौतेले लड़केकी वारिस कभी नहीं हो सकती इसलिये कि वह सौतेले बेटेकी जायदाद कभी नहीं पाती। देखो-रामानन्द बनाम स्वर्गियानी 16 All 221; रामासामी बनाम नारासाम्मा 8 Mad 133; टहलदाई बनाम गयाप्रसाद 37 Cal 214; सेथाई बनाम नाचियर 37 Mad 286.

बंबईप्रांतमें सौतेली माता सौतेले लड़केकी वारिस मानी गयी है। क्योंकि वहांपर सगोत्र सपिण्ड मानी गयी है; देखो—केशरबाई बनाम बालव 4 Bom 188; रख्खूबाई बनाम जोलिकाबाई 19 Bom 707; और देखो इस किताबकी दफा ६००; ६०१।

(६) गोदलेनेवाली माता-माताके अर्थमें गोदलेनेवाली माता भी शामिल है। इसी लिये मिताक्षरालॉके अनुसार गोदलेनेवाली मा गोदलेनेवाले बापसे पहिले दत्तकपुत्रकी जायदाद पाती है देखो-नन्दी बनाम हरी 33 Bom 404.

(७) जायदादका इन्तक़ाल-जब किसी माताको लड़केकी वरासतमें जायदाद उसकी ज़िंदगी भरके लिये मिली होतो वह यानी माता, क़ानूनी ज़रूरतोंके सिवाय जो इस किताबकी बकी दफा ६०२-६०६ में बताई गयी हैं जायदादको कहीं रेहन या बय या किसी तरहका इन्तक़ाल नहीं कर सकती। माताको जायदादमें जो कुछ मुनाफा मिले वह उसका धन है अर्थात् जायदादके मुनाफासे यदि कोई दूसरी जायदाद वह खरीद करले या नक़द छोड़कर

मरजावे तो वह जायदाद, जो लड़केसे वरासतमें मिली थीं लड़केके वारिसको मिलेगी, मगर मुनाफेसे जो जायदाद ख़रीदी गयी थी वह माताके वारिसको मिलेगी। माताका हक़ मुनाफेपर पूरा है। उसके जीमें जैसा आये वह करसकती है।

(८) मयूखलॉ-उन केसोंमें जहांपर मयूखलॉ प्रधानतासे माना जाता है मा से पहिले बाप, लड़केकी जायदादका वारिस होता है; देखो-ख़ुदाभाई बनाम बाहधर 6 Bom. 541.

मयूखमें यह कहागया है कि दौहित्रके अभावमें पिता और पिताके अभावमें माता धन पाती है। इस बातकी पुष्टि कात्यायनने भी की है। देखो-

अपुत्रस्यार्थं कुलजा पत्नी दुहितरोपिवा, तद्भावे पितामाता भ्राता पुत्राःप्रकीर्तिताः।

नारदाने यों कहा है कि--

'अपुत्रधनं पत्न्यभिगामि, तद्भावे दुहितृगामि तद्भावे दौहित्रगामि तद्भावे पितृगामि तद्भावे मातृगामि तद्भावे भ्रातृगामि तद्भावे भ्रातृपुत्रगामि तद्भावे सकुल्यगामि।'

यद्यपि कुछ आचार्य्योंने मातासे पहिले पिताका हक़ स्वीकार किया है मगर वह सिर्फ जहांपर मयूखका स्वामित्व है वहांपर मानाजाता है (देखो ५७३; ५७७; ५७८) मयूखकी प्रधानता महाराष्ट्र यानी बंबई स्कूलमें मानीजाती है। देखो दफा २३.

दफा ६०८. बापकी वरासत——(१) लड़के, पोते, परपोते, विधवा, लड़की, लड़की का लड़का, और माताके न होनेपर बापको उत्तराधिकारमें लड़केकी जायदाद मिलेगी।

याज्ञवल्क्य—'पत्नी दुहितरश्चैव पितरौ भ्रातरस्तथा' २-१३५

मिताक्षरामें 'पितरौ' का अर्थ करनेमें द्वंद्व समास कियागयाहै, इसलिये माताके पश्चात् पिताका भाग आता है (देखो दफा ६०७) मयूख जहांपर मानाजाता है उसे छोड़कर बाक़ी सब जगहोंपर माताके पश्चात् बापका हक़ उत्तराधिकारमें मानागया है। (देखो दफा ६२४)

(२) बाप, पूरे अधिकारों सहित जायदाद लेता है। और उसके मरनेपर उसके वारिसको जायदाद मिलती है। जब किसी मर्दको जायदाद मिलती है तो पूरे अधिकारोंसहित मिलती है (देखो दफा ५६४)

(३) महाराष्ट्र प्रांत यानी बंबई स्कूलमें जहां मयूखकी प्रधानता मानीजाती है मातासे पहिले बापको जायदाद मिलती है (देखो दफा ५७३; ५७७; ५७८ तथा दफा २३).

दफा ६०९. भाईकी वरासत——(१) लड़के, पोते, परपोते, विधवा, लड़की, लड़कीका लड़का, माता और पिताके न होनेपर भाईको उत्तराधिकारमें जायदाद मिलेगी।

याज्ञवल्क्य—'पत्नी दहितरश्चैव पितरौ भ्रातरस्तथा' २—१३५

मिताक्षरा—'पित्राभावे भ्रातरोधनभाजः' तथा—'भ्रातृष्वपि सोदराः प्रथमं गृन्हीयुः भिन्नोदराणां मात्रा विप्रकर्षात्'

पिताके न होनेपर भाइयोंको धन मिलेगा, भाइयोंमें पहिले सहोदरभाई (जो एकही मासे पैदा हुए हों) और सहोदरके न होनेपर भिन्नोदरभाई (सौतेलाभाई) को धन मिलेगा देखो 2 W. R. C. R. 123.

(२) पहिले सहोदर (सगे) भाईका हक़ होगा और उसके न होनेपर सौतेले भाईका। देखो--ठाकुर अनन्तसिंह बनाम ठाकुर दुर्गासिंह (1910) 37 I. A. 191.

(३) भाइयोंमें सरवाइवरशिपका हक़ नहीं लागू पड़ता इसलिये जब दो या दोसे ज्यादा भाई हों तो वह सब जायदादको अपने अपने हिस्सेके अनुसार लेते हैं; यानी अगर वह चाहें तो बटवारा करालें और जब उनमेंसे एक भाई मरेगा तो उसका हिस्सा उसके वारिसको मिलेगा। जैसे जय, और विजय दो भाई हैं। इनको उत्तराधिकारमें भाईकी जायदाद मिली। अगर वह चाहें तो बटवारा करालें। और जब बटवारा होजायगा तो हरएक भाईका हिस्सा। उसकी औलाद या उसके वारिसको मिलेगा। अगर सरवाइवरशिपका हक़ होता तो बटवारा नहीं होसकता। सरवाइवरशिपका हक़ मिताक्षराके अनुसार सिर्फ चार वारिसोंमें लागू मानागया है (देखो दफा ५७०)

(४) भाईका हक़ जायदादमें पूरा होता है; वह जायदाद पूरे अधिकारों सहित लेता है (देखो दफा ५६४)

(५) जहांपर 'मयूख' मानाजाता है (देखो दफा २३;५७३; ५७७; ५७८.) उन केसोंमें सौतेला भाई पितामहके साथ हिस्सा लेता है।

दफा ६१० भाईके लड़केकी वरासत——(१) लड़के, पोते, परपोते, विधवा लड़की, लड़कीका लड़का, माता, पिता, और भाइयोंके न होनेपर भाईके लड़केको उत्तराधिकारमें जायदाद मिलती है।

जैसा कि क्रम मिताक्षरा के अनुसार ऊपर भाईकी वरासतमें बताया गया है कि पहिले 'सगे' को और उसके न होनेपर 'सौतेले' को जायदाद मिलती है उसी क्रमसे भाईके लड़कोंको भी हक़ प्राप्त होता है; देखो-

'भ्रातृणामप्यभावे तत्पुत्राः पितृक्रमेण धनभाजः' मिताक्षरा २-१३५

(२) सगे भाईके लड़के पहिले जायदाद पानेके अधिकारी हैं। उनके न होनेपर सौतेले भाई जायदाद पावेंगे।

(३) भाईके लड़के जायदादको सब बराबर हिस्सेमें लेते हैं। जैसे-मृतपुरुषके जय और विजय दो भाई थे। जयके एक लड़का और विजयके तीन लड़के मौजूद हैं और जय, विजय मरचुके हैं तो मृतपुरुषकी जायदाद चार बराबर हिस्सोंमें बांटी जायगी और हरएक भाईका लड़का एक एक हिस्सा पावेगा। अर्थात् भाइयोंके लड़के जायदाद व्यक्तिगत लेते हैं। अंगरेज़ीमें इसे 'परकेपिटा' कहते हैं। देखो-दफा ५५८.

(४) भाईके लड़कोंका हक़ जायदादमें पूरा होता है (देखो-दफा५६४)

(५) जहांपर मयूखकी प्रधानता मानीजाती है (दफा २३ देखो.) उन केसोंमें सौतेले भाईके लड़केका हक़, बापके भाईके पीछे मानागया है (देखो मुल्ला हिन्दूलॉ का पेज ३६) और—चंडिका बनाम मुन्नाकुंवर 24 All. 273, 29 I. A. 70.

दफा ६११. भाईके पोतेकी वरसात——(१) यह निश्चित है कि भाईके पोतेकी यानी भाईके लड़केके लड़केकी वरासत, पुत्र-पौत्र-प्रपौत्र, विधवा, लड़की, नेवासा, माता, पिता, भाई, और भाईके लड़केके बाद होती है। मगर इसमें संशय है कि उसकी जगह कौनसी है। मिताक्षरामें भाईके लड़केका लड़का साफ शब्दोंमें नहीं कहागया; इसीलिये अर्थकी खींच तान पड़गयी। देखो-दफा ६२५.

(२) मिताक्षरामें कहागया है कि—

'भ्रातॄणामप्यभावे तत्पुत्राः'

और आगे चलकर यह कहागया है कि—

'भ्रातृपुत्राणामप्यभावे गोत्रजा धनभाजः'

अर्थात् 'भाइयोंके अभावमें उनके पुत्र' और 'भाईके पुत्रोंके अभावमें गोत्रज धन पाते हैं।' यहांपर भाईके लड़केका लड़का छूटगया यानी साफ तौरपर नहीं कहागया। इस विषय पर बड़ा विवाद है। देखो दफा ५९९; ६२३; ६२४; ६२५.

(३) इलाहाबाद हाईकोर्टने भाईके लड़केके लड़केका हक़, भाईके लड़केके पीछेही स्वीकार किया है; अर्थात् भाईका पोता, भाईके लड़केके न होनेपर जायदाद पानेका अधिकारी मानागया है; देखो—कल्याणराय बनाम रामचन्द्र (1901) 24 All. 128.

बिल्कुल इसी क़िस्मका एक बहुत बड़ा मुक़द्दमा हालमें इलाहाबाद हाईकोर्टसे फैसल हुआहै और प्रिवीकौन्सिलमें वह फैसला बहाल रहा। इस मुक़द्दमेंके वाक़ियात यहथे कि वादी परदादा का पोता था और प्रतिवादी दादाका परपोता था। मुक़द्दमा उत्तराधिकारका था। फैसलोंमें बहुत छानबीन करके मानागया कि मिताक्षरालॉ के अनुसार पितामहकी तीन पीढ़ियां प्रपितामह और उसकी औलादसे पहिले वारिस होती हैं एवं पितामहका प्रपौत्र प्रपितामहके पौत्रसे पहिले जायदाद पानेका अधिकारी है; देखो—बुधासिंह बनाम ललतूसिंह 34 All. 663. इस मुक़द्दमेका ज्यादा खुलासा हाल अलहदा दियागया है; देखो दफा ६२५ इस केससे यह नतीजा निकला कि भाईका पोता, भाईके लड़केके पश्चात् वारिस होता है।

(४) मदरास हाईकोर्टने भाईके पोतेसे पहिले दादीका हक़ स्वीकार किया है; अर्थात् भाईके लड़केके बाद दादीको जायदाद पहुंचती है (देखो नक़शा दफा ६२७) इस फरक़का कारण देखो दफा ६३०.

(५) बंबई हाईकोर्टको छोड़कर सगा, सौतेलेसे पहिले जायदाद पाता है। यह क़ायदा आम मानागया है। मगर बंबई हाईकोर्टके अनुसार मिताक्षरा और मयूख दोनोके केसोंमें सहोदरको सौतेलेसे प्रधानता देनेका क़ायदा भाई और भाईके लड़कोंके लिये ही महदूद कियागया है और दूसरी भिन्नशाखाओंके रिश्तेदारोंके लिये नहीं; जैसे चाचा, चाचाके लड़के, वग़ैरा; देखो–सामंत बनाम अमरा 6 Bom. 394, 397; 24 Bom. 317.

इलाहाबाद हाईकोर्टके अनुसार सौतेलेसे सहोदरकी प्रधानता सब भिन्नशाखाओंके सब रिश्तेदारोंके लिये लागू की गई है। इलाहाबादके केसोंके 'प्रपितामहके सहोदर भाईके पोते' को 'प्रपितामहके सौतेले भाईके पोते' से प्रधानता दी गयी है 19 All. 215.

(६) भाईके पोतेको जब जायदाद मिलती है तो पूरे अधिकारोंके साथ मिलती है। उसमें सरवाइवरशिपका हक़ लागू नहीं होता (देखो दफा ५६४; ५७०; ५७२) तथा सबको बराबर हिस्सा मिलता है।

दफा ६१२. बापकी मा (दादी) की वरासत——(१) लड़के, पोते, परपोते, विधवा, लड़की, नेवासा, माता, पिता, भाई, भाईके लड़के, भाईके पोतेके न होनेपर बापकी माता यानी दादीको जायदाद मिलेगी। मिताक्षरामें कहागया है कि 'भ्रातृपुत्राणामप्यभावे गोत्रजा धनभाजः, गोत्रजाः पितामही सपिण्डाः समानोदकाश्च। तत्र

पितामही प्रथमंधनभाक् ' अर्थात् भाईके लड़कों और पोतोंके अभावमें गोत्रज धन पाते हैं, गोत्रजोंमें पितामही (दादी) और सपिण्ड (देखो ५८२) और समानोदक (दफा ५९६) शामिल हैं। इनमें सबसे पहिले पितामही जायदाद पावेगी।

(२) दादीको उत्तराधिकारमें जायदाद महदूद हक़के साथ मिलती है (देखो दफा ५६६) और उस जायदादको वह सिवाय क़ानूनी ज़रूरतोंके जो इस किताबकी दफा ६०२ ७०६. में बताई गयी हैं इन्तक़ाल नहीं कर सकती। मगर उसे जायदादके मुनाफेपर और मुनाफेकी बचतपर पूरा अधिकार प्राप्त है। अगर कोई दादी जायदादके मुनाफेसे दूसरी जायदाद खरीद करे या नक़द जमाकरे तो उस जायदादपर और रुपयेपर दादीका पूरा अधिकार होगा ; यानी दादीके मरनेपर वह जायदाद जो वरासतमें मिली थी पोतेके रिवर्ज़नर वारिस (देखो दफा ५५८). को जायगी और जो जायदाद उसने मुनाफेकी बचतसे ख़रीदकी है या नक़द छोड़ी है उस (दादी) के वारिसको मिलेगी।

दफा ६१३. बापके बापकी वरासत (पितामह—दादा)———(१) लड़के, पोते, परपोते, विधवा, लड़की, नेवासा, माता, पिता, भाई, भाईके लड़के, भाईके पोते, बापकी माताके न होनेपर उत्तराधिकारमें पितामहको जायदाद मिलेगी।

मिताक्षरामें कहागया है कि–' पितामह्याश्चाभावे समानगोत्रजः सपिण्डाः पितामहादयो धनभाजः ' पितामही (दादी) के अभावमें समान गोत्रज सपिण्ड पितामह (दादा) आदि धन पाते हैं। आदिसे मतलब यह है कि पहिलेके न होनेपर दूसरा।

(२) पितामह (दादा) जायदादको पूरे अधिकारोंके साथ लेताहै (देखो दफा ५६४)

दफा ६१४. बापका भाई (पितृव्य—चाचा—काका—ताऊ)——(१) लड़के, पोते, परपोते, विधवा, लड़की, नेवासा, माता, पिता, भाई, भाईके लड़के, भाईकेपोते, दादी, और दादाके न होनेपर उत्तराधिकारमें चाचाको जायदाद मिलेगी। मिताक्षरामें कहा गया है कि ' तत्रच पितृसंतानाभावे पितामही पितामह पितृव्यास्तत्पुत्राश्च क्रमेणधनभाजः ' पिताकी संतानके अभावमें दादी, दादा और चाचा तथा उनके लड़के क्रमसे जायदाद पाते हैं। इस जगहपर ' पितृव्य ' से मतलब ' चाचा ' है। संस्कृतमें बापके भाईके लिये यह ख़ास शब्द नियत है मगर दूसरे रिश्तेदारोंके संबंधमें ऐसा नहीं है (देखो दफा ५५८)

(२) चाचा जायदादको पूरे अधिकारसे लेता है (देखो दफा ५६४) तथा सरवाइवरशिपका हक़ लागू नहीं होता (देखो दफा ५५८;५६०;५६२) जायदाद बराबर हिस्सोंमें मिलेगी और बंबई हाईकोर्टको छोड़कर यह मानागया है कि सौतेलेसे पहिले सहोदरका हक़ होता है (देखो दफा ६११-५) चाचा चाहे सहोदर हो या सौतेला हो हमेशा बापके सहोदर भाईके लड़केसे पहिले जायदाद पाता है।

दफा ६१५. बापके भाईके लड़केकी वरासत (चाचाका लड़का)–(१) लड़के—पोते परपोते, विधवा, लड़की, नेवासा, माता, पिता, भाई, भाईके लड़के, भाईके पोते, दादी, दादा, और चाचाके न होनेपर उत्तराधिकारमें चाचाके लड़केको जायदाद मिलेगी।

मिताक्षरामें कहा गया है कि ' पितृव्यास्तत्पुत्राश्च क्रमेणधनभाजः ' चाचा और चाचाके लड़के क्रमसे धन पाते हैं। इस लिये चाचाओंके न होनेपर चाचाका लड़का या लड़के जायदाद पाते हैं। पहिले सहोदरको पीछे सौतेलेको हक़ प्राप्त होता है (देखो दफा ६११-५) बंबई हाईकोर्ट ऐसा नहीं मानती—

(२) चाचाके लड़के बराबर हिस्सा पावेंगे, तथा जायदादको पूरे अधिकारके साथ लेंगे (देखो ५६४) सरवाइवरशिपलागू नहीं पड़ेगा।

दफा ६१६. बापके भाइके पोतेकी वरासत (चाचाका पोता)—(१) इलाहाबाद हाईकोर्टके अनुसार चाचाका पोता, चाचाके लड़केके बाद और पितामहकी माता (परदादी) से पहिले उत्तराधिकारमें जायदाद पाता है। यानी क्रम यह है—लड़के-पोते-परपोते, विधवा, लड़की, नेवासा, माता, पिता, भाई, भाईके लड़के, भाईके पोते, दादी, दादा, चाचा, चाचाके लड़कोंके न होनेपर चाचाके पोते उत्तराधिकारमें जायदाद पाते हैं।

मिताक्षरामें साफ नहीं कहा गया मगर जो सिद्धांत ऊपर भाईके पोतेकी वरासत (दफा ६११) में मानागया उसके अनुसार चाचाके पोतेकी जगह यही है। मिताक्षरामें 'पितृव्यास्तत्पुत्राश्च' यहांपर 'च' से मतलब यह लिया गया है कि 'उनके लड़के' यानी चाचा और उसके लड़के तथा उनके लड़के। देखो दफा ६२५.

(२) चाचाके पोते बराबर हिस्सा पावेंगे, तथा जायदाद पूरे अधिकारोंके साथ लेंगे (देखो दफा ५६४) सरवाइवरशिप लागू नहीं पड़ेगा।

दफा ६१७. परदादीकी वरासत (बापके बापकी मा—पितामहकी मा)—(१) लड़के-पोते-परपोते, विधवा, लड़की, नेवासा, माता, पिता, भाई, भाईके लड़के, भाईके पोते, दादी, दादा, चाचा, चाचाके लड़के, और चाचाके पोतोंके न होनेपर परदादीको उत्तराधिकारमें जायदाद मिलतीहै। मिताक्षरामें कहागयाहै कि 'पितामह सन्तानाभावे प्रपितामही' दादाकी संतान न होनेपर परदादीको जायदाद मिलती है। इस लिये परदादीका हक़ परदादासे पहिले मानागया।

परदादीको जायदाद महदूद अधिकारों सहित सिर्फ उसकी ज़िंदगीभरके लिये मिलती है। इसीलिये उसको सिवाय क़ानूनी ज़रूरतोंके जो इस किताबकी दफा ६०२; ७०६ में बताई गयी हैं जायदादका इन्तक़ाल नहीं कर सकती। मिताक्षरास्कूलमें औरतोंका हक़ महदूद होता है (देखो दफा ५६६).

दफा ६१८. परदादाकी वरासत (प्रपितामह)——(१) लड़के-पोते-परपोते, विधवा, लड़की, नेवासा, माता, पिता, भाई, भाईके लड़के, भाईके पोते, दादी, दादा, चाचा, चाचाके लड़के, चाचाके पोते और परदादीके न होनेपर उत्तराधिकारकी जायदाद परदादाको मिलेगी। मिताक्षरामें कहा गया है कि 'पितामह संतानाभावे प्रपितामही प्रपितामहस्तत्पुत्राः' परदादीके अभावमें परदादा हक़दार है। यानी परदादीके पश्चात् परदादा वारिस होगा।

(२) परदादा जायदादका पूरा मालिक होगा (देखो दफा ५६४)

दफा ६१९. दादाके भाईकी वरासत (पितामहका भाई—बापके बापका भाई)——(१) लड़के, पोते, परपोते, विधवा, लड़की, नेवासा, माता, पिता, भाई, भाईके लड़के, भाईके पोते, दादी, दादा, चाचा, चाचाके लड़के, चाचाके पोते परदादी और परदादाके न होनेपर उत्तराधिकारमें जायदाद, दादाके भाईको मिलेगी।

जो वचन मिताक्षराका ऊपर परदादाकी वरासतमें कहा गया है उसके अनुसार माना

गया है कि प्रपितामहके न होनेपर उनके पुत्र अधिकारी होंगे। इसलिये परदादाके पश्चात् दादाके भाई उत्तराधिकारी हैं।

(२) दादाका भाई जायदादका पूरा मालिक होगा (देखो दफा ५६४) और सब हिस्सा बराबर लेगें सरवाइवरशिप नहीं लागू होगा (देखो दफा ५५८; ५५०; ५६२)

दफा ६२०. दादाके भतीजेकी वरासत (पितामहके भाईका लड़का)—— (१) लड़के, पोते, परपोते, विधवा, लड़की, नेवासा, माता, पिता, भाई, भाईके लड़के, भाईके पोते, दादी, दादा, चाचा, चाचाके लड़के, चाचाके पोते, परदादी, परदादा और दादाके भाईके न होनेपर दादाके भतीजे उत्तराधिकारकी जायदाद पाते हैं। मिताक्षरामें कहा गया है कि—

'पितामह संतानाभावे प्रपितामही प्रपितामह स्तत्पुत्रा स्तत्सूनवः'

परदादाके न होनेपर, दादाका भाई, और उसके भी न होनेपर उसके लड़के यानी 'दादाके भतीजे' जायदाद पावेंगे। इनका हक़ वैसाही होगा जैसा 'दादाके भाईकी वरासत' का है। ऊपर देखो।

दफा ६२१. दादाके भाईके पोतेकी वरासत (पिता महके भाईका पौत्र)— (१) जैसाकि ऊपर दफा ६११; ६१६ में कहा गया है उसीके अनुसार दादाके भाईके पोतेकी जगह यह है। यानी वह, लड़के, पोते, परपोते, विधवा, लड़की, नेवासा, माता, पिता, भाई, भाईके लड़के, भाईके पोते, दादी, दादा, चाचा, चाचाके लड़के, चाचाके पोते, परदादी, परदादा, दादाके भाई, और दादाके भतीजेके नहोपर जायदाद पाता है।

मिताक्षरामें साफ नहीं कहा गया मगर जो सिद्धांत ऊपर दफा ६११; ६१६ में माना गया है उसके अनुसार दादाके भाईका पोता मृतपुरुषके परपोतेके लड़केसे पहिले वारिस होता है। देखो नक़शा दफा ६२४; यानी नं० २१ दादाके भाईके पोतेका स्थान है और नं २२ परपोतेके लड़केका।

(२) दादाके भाईके पोते अपना सब हक़ वैसाही रखते हैं जैसा कि ऊपर दफा ६१९ में कहा गया है।

(३) वारिसोंकी लिस्ट जो मिताक्षरामें दी गयी है इस जगहसे यानी नम्बर २१ (देखो नक़शा दफा ६२४) से समाप्त हो जाती है। इन वारिसोंके बारेमें तो साफ साफ कहा गया है परंतु भाईके पोते, चाचाके पोते, और दादाके भाईके पोतेके विषयमें कुछ नहीं कहा गया। आगेके वारिसोंके बारेमें मिताक्षराकार विज्ञानेश्वर जीने यह वचन दिया है—'एवमासप्तमात्समानगोत्राणां सपिण्डानां धनग्रहणं वेदितव्यम्' इसीतरहसे समान गोत्रमें सात दर्जे उपर सपिण्ड धन पानेके अधिकारी हैं। यानी जितने सपिण्ड बाक़ी रह गये वह सब इसी क्रमसे जायदाद पावेंगे। देखो दफा ६२४.

दफा ६२२. दूसरे सपिण्ड वारिस——ऊपर बताये हुए वारिसोंके सिवाय जो सपिण्ड बाक़ी रह गये वह नीचेके क़ायदेके अनुसार वारिस होते हैं–

(१) नज़दीकी सपिण्डका हक़ दूरके सपिण्डसे पहिले होता है।

(२) भिन्न शाखाओंके रिश्तेदारोंमें भी सौतेलेसे सहोदर पहिले जायदाद पाते हैं मगर बंबई प्रांतमें यह क़ायदा नहीं माना गया। वहांपर यह माना गया है कि–मिताक्षरा और मयूख दोनों केसोंमें सहोदरको सौतेलेसे प्रधानता देनेका क़ायदा भाई और भाईके लड़कों

के लिये ही महदूद हैं और दूसरी भिन्न शाखाओंके रिश्तेदारोंके लिये नहीं, जैसे चाचा, या चाचाके लड़के आदि वारिस होनेवाले सपिण्डों की संख्या जो मिताक्षरामें साफ़ तौरपर नहीं बताये गये २२ से ५७ तक होतीहै (देखो नक़शा दफा ६२४) मिताक्षरोंमें कहागयाहै कि-

> ' इत्येवमासप्तमात्समानगोत्राणां सपिण्डानां धनग्रहणं
> वेदितव्यम् तेषामभावे समानोदकानां धनसम्बन्धः '

इसी तरहपर ऊपरके सात समान गोत्रवाले सपिण्डों में जायदाद चली जायगी और जब सपिण्ड भी कोई नहीं होवें तो उस समय समानोदकोंमें जायदाद जायेगी ; इसी वचनके आधार पर २२ से ५७ पीढ़ीतक सपिण्डोंका दर्जा मानकर जायदाद पानेके वह अधिकारी क्रमसे माने गये हैं । दफा ६२४ देखो ।

नोट--ऊपर यह बताया गया है कि सहोदरका हक़ सौतेलेसें पहिले होता है ; मगर ऐसा क्रम क्यों है ? इस सवालका जवाब सरल नहीं; क्योंकि जिन सिद्धांतों पर यह क्रम सपिण्डों के लिये लागू किया गया है वह आपसमें एक दूसरेसे ज़ाहिरा विरोधी हैं यह बात बतायी गई है कि नज़दीकी सपिण्ड दूरके सपिण्डसे पहिले जायदाद पाता है अब सवाल यह होगा कि ' नज़दीकी सपिण्ड कौनहैं ? और कौन सपिण्ड किस सपिण्डसे नज़दीकी होता है ? इस बातका निर्णय भिन्न भिन्न सिद्धांतों के अनुसार किया गया है इसलिये जिस जगहपर जो स्कूल माना जाता हो उसके अनुसार नज़दीकी सपिण्ड ध्यानमें रखना । वह सिद्धांत जो नज़दीकी और दूरके सपिण्ड में फरक़ डालतें हैं उनका उल्लेख हम क्रमसे नीचे करते हैं ।

दफा ६२३. सपिण्डोंकी वरासतका पहला सिद्धांत---प्रोफेसर सर्वाधिकारी, डाक्टर जाली, मिस्टर मेन और डाक्टर जोगेद्रोनाथ भट्टाचार्य्य के अनुसार पहला सिद्धांत यह है ; इन सबोंने यह माना है कि हरएक भिन्न शाखाकी लाइन तीन पीढ़ियोंमें ठहर जाती है । तीन पीढ़ियोंमें ठहर जानेका जो सिद्धांत बताया गया उसको इस तरहपर समझिये कि पहिली प्रधान लाइन नीचेकी तरफ़ तीन पीढ़ीतक जाती है ; पीछे ऊपर प्रधान लाइनमें पहिली पीढ़ीकी भिन्नशाखामें (बापकी) तीन पीढ़ीतक । और दूसरी पीढ़ी की भिन्न शाखामें तीन पीढ़ी तक एवं तीसरी पीढ़ी की भिन्न शाखामें तीन पीढ़ीतक जाती है ; इस तरहपर तीन पीढ़ी चारों तरफ़से समाप्त हो जाती हैं ; इसके पश्चात् फिर वही क्रम वरासत का प्रधान लाइनसे शुरू होता है, यानी प्रधान लाइनमें नीचेकी तरफ़ चौथी, पांचवी और छठवीं पीढ़ीतक, और पीछे ऊपरकी प्रधान लाइनकी पहिली पीढ़ीमें चौथी, पांचवी, छठवी पीढ़ीतक; और दूसरी पीढ़ीमें चौथी, पांचवी, छठवीं पीढ़ीतक; एवं तीसरी पीढ़ी की चौथी, पांचवीं, छठवीं पीढ़ीतक जाती है ; उसके बाद इसी तरहपर ऊपरकी प्रधान शाखा और भिन्न शाखाओंमें जाकर सत्तावन पीढ़ीमें समाप्त हो जाती है ; (नक़शा देखो दफा ६२४)

(१) मृतपुरुषकी नीचेकी शाखामें पहिली तीन पीढ़ी, पुत्र[१], पौत्र[२], प्रपौत्र[३].

(२) विधवा[४], लड़की[५], लड़कीका[६] लड़का.

(३) माँ[७], बाप[८] और उनकी भिन्नशाखावाली लाइनमें पहिली तीन पीढ़ी यानी पुत्र[९], पौत्र[१०], प्रपौत्र[११].

(४) बापकी[१२] मा, बापका बाप[१३], (पितामह) और उनकी पहिली तीन पीढ़ी यानी पुत्र[१४], पौत्र[१५], प्रपौत्र[१६].

(५) पितामह^{१७}की मा, पितामह^{१८}का बाप, और उनकी तीन पीढ़ी यानी पुत्र^{१९}, पौत्र^{२०}, प्रपौत्र^{२१}.

(६) मृतपुरुषके नीचेकी शाखामें पिछली तीन पीढ़ी यानी प्रपौत्र^{२२}का पुत्र, प्रपौत्र^{२३}का पौत्र, प्रपौत्र^{२४}का प्रपौत्र.

(७) बापकी शाखामें पिछली तीन पीढ़ी यानी—प्रपौत्र^{२५}का पुत्र, प्रपौत्र^{२६}का पौत्र, प्रपौत्र^{२७}का प्रपौत्र.

(८) पितामहकी शाखामें पिछली तीन पीढ़ी यानी—प्रपौत्र^{२८}का पुत्र, प्रपौत्र^{२९}का पौत्र, प्रपौत्रों^{३०}का प्रपौत्र.

(९) प्रपितामहकी शाखामें पिछली तीन पीढ़ी यानी—प्रपौत्र^{३१}का पुत्र, प्रपौत्र^{३२}का पौत्र, प्रपौत्र^{३३}का प्रपौत्र.

(१०) प्रपितामह^{३४}की मा, प्रपितामह^{३५}का बाप, और उनकी पहिली तीन पीढ़ी यानी उनके पुत्र^{३६}, पौत्र^{३७}, प्रपौत्र^{३८}.

(११) प्रपितामहके बाप^{३९}की मा, प्रपितामह^{४०}का पितामह, और उनकी पहिली तीन पीढ़ी यानी उनके पुत्र^{४१}, पौत्र^{४२}, प्रपौत्र^{४३}.

१२) प्रपितामहके पितामह^{४४}की मा, प्रपितामहके पितामह^{४५}का बाप, और उनकी पहली तीन पीढ़ी यानी उनके पुत्र^{४६}, पौत्र^{४७}, प्रपौत्र^{४८}.

(१३) प्रपितामहके बापकी शाखामें पिछली तीन पीढ़ी यानी उनके प्रपौत्रके पुत्र^{४९} प्रपौत्रके^{५०} पौत्र, प्रपौत्रके^{५१} प्रपौत्र.

(१४) प्रपितामहके पितामहकी शाखामें पिछली तीन पीढ़ी यानी उनके प्रपौत्रके^{५२} पुत्र, प्रपौत्रके^{५३} पौत्र, प्रपौत्रके^{५४} प्रपौत्र.

(१५) प्रपितामहके प्रपितामहकी शाखामें पिछली तीन पीढ़ी यानी उनके प्रपौत्रके^{५५} पुत्र, प्रपौत्रके^{५६} पौत्र, प्रपौत्रके^{५७} प्रपौत्र.

नोट--ऊपरके क्रमसे ५७ सपिण्डोंमें पहलेके न होनेपर दूसरेको संपत्ति मिलेगी।

दफा ६२४. पहिले सिद्धांतका नक़्शा———वरासत किस क्रमसे मिलती है इस बारेमें दफा ५९९ और ६२३ पहले पढ़ लीजिये, पीछे नीचेके क्रमको विचारो। प्रोफेसर सर्वाधिकारी, डाक्टर जोगेन्द्रनाथ भट्टाचार्य, डाक्टर जाली, और मिस्टर मेनसाहेबके सिद्धांतानुसार सपिण्डोंके दर्जोंका नक़्शा नीचे देखो। इस नक़्शेमें जिस क्रमसे नम्बर दिये गये हैं उसी क्रमसे उत्तराधिकारकी जायदाद पानेके लिये वारिस होते हैं।

नक़्शेमें जो नम्बर दिये गये हैं वे उत्तराधिकारमें जायदाद पानेका क्रम बतानेके लिये दिये गयेहैं। नम्बर १,२,३,में जो कोष्ट लगाया गया है वह इस मतलबसे है कि वे तीनों इकट्ठे जायदाद पाते हैं अर्थात् पौत्र जिसका पिता मरचुका है और प्रपौत्र जिसका पिता और पितामह मरचुकाहै मृतपुरुषकी जायदाद तीनों इकट्ठे (पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र,) लेते हैं। इस नक़्शेके नम्बरोंपर ध्यान रखना, नम्बरके क्रमसे मृतपुरुषका उत्तराधिकारी निश्चित कीजीये।

प्रायः आजकल यही क्रम माना जाता है।

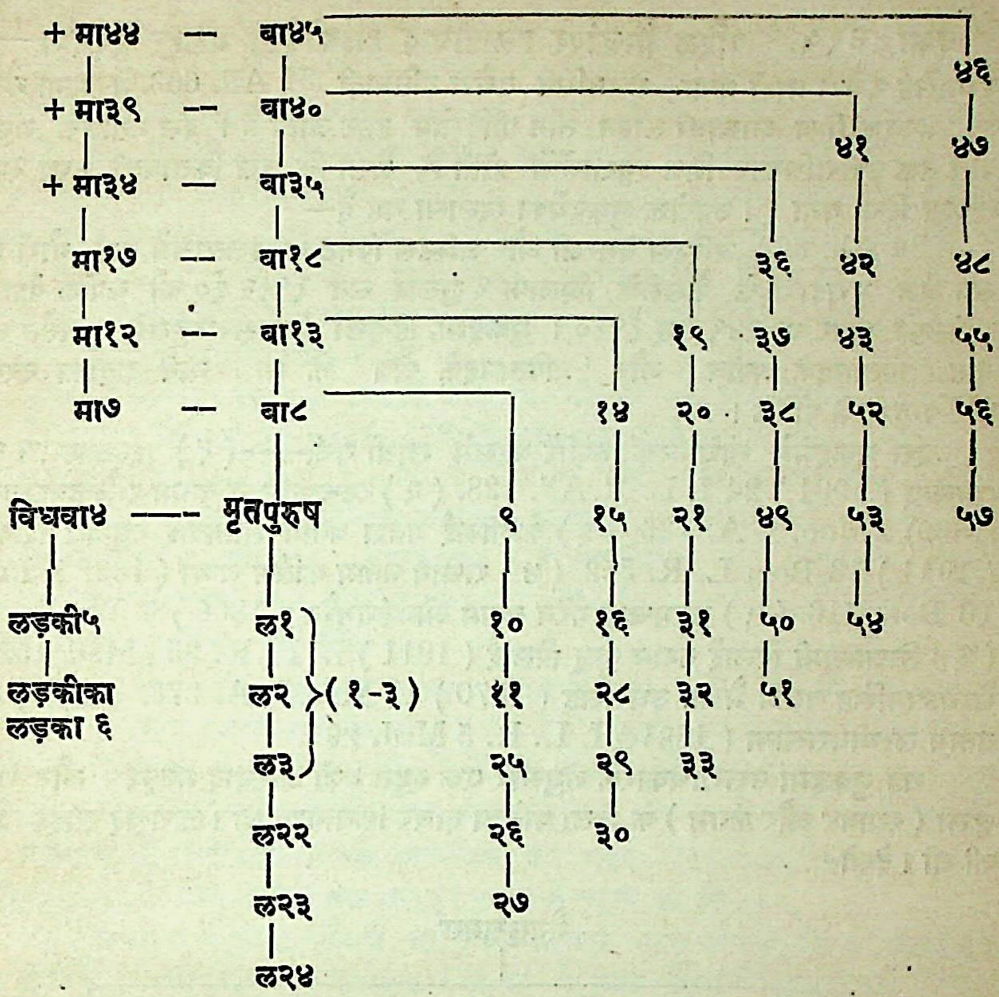
+ मा४४
बा४५
४६
+ मा३९
बा४०
४१
४७
+ मा३४
बा३५
मा१७
बा१८
३६
४२
४८
मा१२
बा१३
१९
३७
४३
५५
मा७
बा८
१४
२०
३८
५२
५६
विधवा४
मृतपुरुष
९
१५
२१
४९
५३
५७
लड़की५
ल१
१०
१६
३१
५०
५४
लड़कीका लड़का ६
ल२
(१-३)
११
२८
३२
५१
ल३
२५
२९
३३
ल२२
२६
३०
ल२३
२७
ल२४

+ पूरी तौरपर यह निश्चित नहीं है कि नं० ३४, ३९, ४४ सपिण्ड हैं। बहुत करके तो माने जाते हैं और मानना चाहिये।

(१) मृतपुरुष—वह है जो पुरुष जायदादका आख़िरी पूरा मालिक था.

(२) ‘ ल ’ से मतलब लड़के से है। ‘ बा ’ से बाप और ‘ मा ’ से माता.

(३) मृतपुरुषकी नीचेकी लाइन ‘ ल१ ’ से शुरू होकर सीधी ‘ ल २४ ’ तक गयी है। और ऊपरकी प्रधान लाइन ‘ बा ८ ’ से शुरू होकर सीधी ‘ बा ४५ ’ तक। ऊपरकी प्रधान लाइनमें हरएकके बराबर जो ‘ मा ’ हैं वह उनकी पत्नियां हैं जैसे ‘ बा ८ ’ की पत्नी ‘ मा ७ ’ है। इसी तरह समझो।

(४) ऊपरकी प्रधान लाइनमें जो शाखायें लटकी हुई हैं हरएककी ‘ भिन्नशाखा ’ हैं। प्रधानशाखा ‘ मृतपुरुषके ऊपर और नीचे सीधी लाइनकी है; बाक़ी सब ‘ भिन्न-शाखा ’ कहलाती हैं।

दफा ६२९. पहिले सिद्धांपर इलाहाबाद हाईकोर्टका मशहूर मुक़द्दमा—बुधासिंह वग़ैरा वादी बनाम ललतूसिंह वग़ैरा प्रतिवादी 34 All. 663. में माना गया है कि 'हरएक भिन्न शाखाकी लाइन तीन पीढ़ियोंमें ठहर जाती है।' इस नतीजेके अनुसार पोते तक उत्तराधिकार भिन्न शाखाओंमें होता है, जैसा कि इस किताबकी दफा ६२४ में नक़शा दिया गया है। उपरोक्त मुक़द्दमेका खुलासा यह है—

34 All. 663. जस्टिस बेनरजी और जस्टिस पिगट के इजलासमें बाबू गौरी शंकर सब जज मुरादाबादके फैसलेके खिलाफ ६ जुलाई सन् १९१२ ई० को अपील पेश हुआ अपीलका नम्बर था २४९ सन् १९१०। मुक़द्दमा, हिन्दूलॉ मिताक्षरास्कूलके अंगर्तत दरमियान 'पितामहके प्रपौत्र' और 'प्रपितामहके पौत्र' के था। याने दादाका परपोता, और परदादाके पोतेके।

इस मुक़द्दमेमें नीचे लिखी नज़ीरें बहसमें लायी गयीं——(१) कल्याणराय बनाम रामचन्द्र (1901) 24 I. L. R. All. 128. (२) रटचपुतीदत्त बनाम राजेन्द्रनरायनराय (1839) 2 Moo. I. A. 133. (३) काशीबाई गनेश बनाम सीताबाई रघुनाथ शिवराम- (1911) 13 Bom L. R. 552. (४) राचाव बनाम कलिंग अप्पा (1892) I.L.R. 16 Bom 716. (५) करमचन्द गरैन बनाम ऑगडंगगुरैन (1866) 6 W. R. 158. (६) चिन्नासामी पिलाई बनाम कुंजू पिलाई (1911) I. L. R. 35; Mad 152. (७) भैय्यारामसिंह बनाम भैय्या उधरसिंह (1870) 13 Moo. I. A. 373. (८) सूर्य्यभुक्त बनाम लक्ष्मीगरासामा (1881) I. L. R. 5 Mad. 291.

यह मुक़द्दमा उत्तराधिकारके अनुसार एक बहुत बड़ी जायदाद मनकूला और ग़ैरमनकूला (स्थावर और जंगम) के दिला पानेका दायर कियागया था। जायदाद साहेब सहाय की थी। देखो-

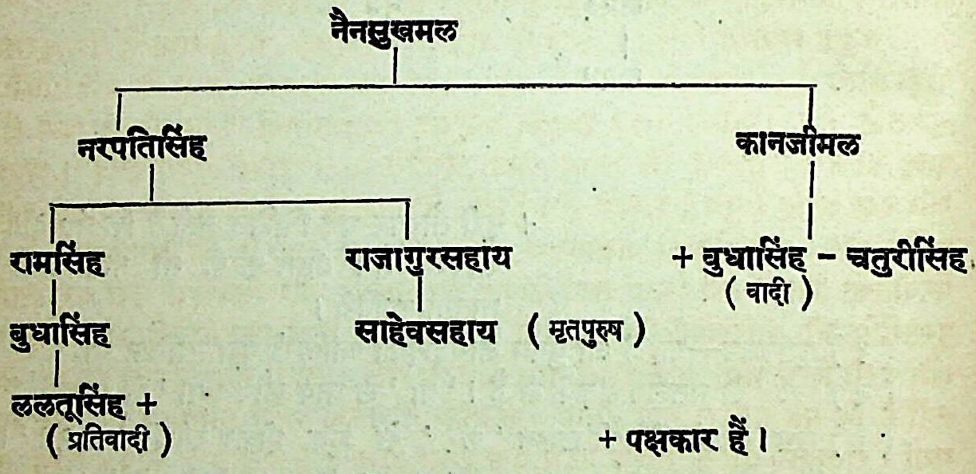

इस मुक़द्दमेमें वादी साहेब सहायके परदादाका पोता था और प्रतिवादी साहेब सहायके दादाका परपोता। प्रारंभिक अदालतमें यानी मुरादाबाद (यू. पी.) में दावा डिसमिस होगया अर्थात् वादीके खिलाफ फैसला हुआ। इसीलिये वादीने इलाहाबाद हाईकोर्टमें अपिल दायरकी थी।

वादी अपीलांट की तरफसे आनरेबल डाक्टर सुंदरलाल और आनरेबल पं० मोतीलाल नहरूने बहस की कि—

"प्रारंभिक अदालतने जो यह नतीजा निकालाहै कि 'दादाका परपोता परदादाके पोतेसे पहिले वारिस होता है, यह हिन्दूलॉ के विरुद्ध है । याज्ञवल्क्यके अ० २—१३५, १३६ का अर्थ मंडलीकने अपने अनुवादके २२०, ३७७, ३७८ और ३८० से ३८४ पेजतक ठीक तौरपर बताया है। मिताक्षराकी जिन पंक्तियोंपर विचार करना है वह मांडलीकके चेपटर २ सेक्शन ४ प्लेसिटा १, ७, और सेक्शन ५ प्लेसिटा १, ४, ५ में है । याज्ञवल्क्यके ऊपर कहेहुए श्लोकमें जो (अपुत्रस्य) शब्द आया है उसका अर्थ है——जिसके कोई मर्द औलाद न हो (तत्सुता) का अर्थ यह है " उनके लड़के " न कि उनकी औलाद और (संतान) का अर्थ उस औलादसे है जो वरासतकी हक़दार है और जो पहिले कही गयी है । 'परपोता' कहीं भी नहीं कहागया "

वादीके वकीलोंकी वहस इन ग्रन्थोंके आधारपर थी–जी. सी. घोष हिन्दूलॉ 125,127 ; वेस्ट और बुहलर हिन्दूलॉ 124. 114, 116; जे. एन. भट्टाचार्य्य हिन्दूलॉ 448 ; यस, सी, सरकार व्यवस्था चन्द्रिका Vol. 1, 178, 183, 204 ; आर. सर्वाधिकारी हिन्दूलॉ आफ़ इनहेरीटेन्स 423, 435 ; मदनपारिजात सीताराम शास्त्रीका अनुवादित 22 ; जी, सी, सरकार हिन्दूलॉ चौथा एडीशन 290 ; रूमसे चार्ट आफ इनहेरीटेन्स 43 ; मेगनाटन हिन्दूलॉ 28 ; कोलब्रूक्स डाइजेस्ट आफ हिन्दूलॉ Vol II. 542 (pl.) 417 ; वीरमित्रोदय मि० सेटलोरका अनुवाद 420. 423 तक ।

प्रारंभिक अदालतने, कल्याणराय बनाम रामचन्द्र 24 All. 128 को मानकर इस केसका फैसला किया । मगर इस केससे (24 All 128) कोई आम सिद्धांत नहीं निकलता । वह जी.सी. सरकारके हिन्दूलॉके पेज 288 में विचार कियागयाहै । इसका क़ानून पूरे तौरपर चिंतामणि बनाम कंजूपिलाईके केसमें बहस कियागया था । और वह फैसला वादीके पक्षमेंहै।

प्रतिवादी रिस्पान्डेन्टकी तरफसे आनरेबल पं० मदन मोहन मालवीय और डाक्टर सतीशचन्द्रबनरजी, और डाक्टर तेज बहादुर सपरू ने बहस की कि—

मनुके अध्याय ९–१८६, १८७ में यह आम क़ायदा माना गया है कि वरासतमें तीन पीढ़ी होती हैं । याज्ञवल्क्य अ० २–१३५, १३६ का अनुवाद जैसा कि मांडलीकने किया है ग़लत है, (च) और (एव) शब्दका अनुवाद बिल्कुल नहीं किया और श्लोकमें जो (तथा) शब्द था उसे 'भ्रातरौ' के साथ लाना चाहिये था । सबसे मुख्य शब्द (अपुत्रस्य) है और इस जगह (पुत्र) शब्दके अर्थमें पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र शामिल हैं; इस बातसे कोई इनकार नहीं करता । मांडलीकका याज्ञवल्क्य २२२ देखो । यह सही है कि मिताक्षरामें साफ तौरपर परपोतेका ज़िकर नहीं किया गया लेकिन इस भूलको 'वीर मित्रोदय' पूरी कर देताहै, पुरानी पुस्तकोंमें जो वारिसोंकी लिस्ट पायी जाती है वह मुकम्मिल नहीं है सिर्फ उदाहरणार्थ है । और इसी लिये अगर कोई ख़ास वारिस उनमें नहीं बताया गया हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह वारिस नहीं होता । लड़कीके लड़केके बारेमें याज्ञवल्क्यमें कुछ नहीं बताया गया । संस्कृतमें बापके भाईके लिये एक ख़ास शब्द है (पितृव्य) लेकिन ऐसा कोई दूसरा शब्द दादाके भाई और परदादाके भाईके बतानेके लिये नहीं है और यही बात है कि उन ग्रन्थोंमें खुलासा नहीं है ।

सपिण्डकी रिश्तेदारी सातवीं डिगरीमें समाप्त हो जाती है और मिताक्षरामें ऊपरकी तरफ सात पीढ़ी तक बताई गई है तथा मनुस्मृति ५–६०; जे. सी. घोष हिन्दूलॉ ४१, ५७, ५८, ६५, ६६, ७८, ९७, १६९, १७०, १८३, १८४; जे. सी. घोषने देवल और पराशरके बचनोंको जितना बताया है उससे यह मालूम होता है कि नीचे तीन पीढ़ी तक शरीरकी

एकता रहती है अगर अपीलांट वादीकी बहसको माना जाय तो परपोता सगोत्र सपिण्ड भी नहीं होगा। याज्ञवल्क्यको सारी वरासत एकही श्लोकमें बताना थी और इसलिये वह (तत्सुता) को औलादके अर्थमें लाये हैं। मिताक्षरा (पितृ संतान) शब्दको पिताकी लाइन बतानेके लिये काममें लाये हैं, (संतान) का अर्थ राघव बनाम कलिंग अप्पा (1822) I. L. R. 16 Bom 716. में 'एक दूसरेका सम्बन्ध' का अर्थ लगाया गया है। मांडलीकके प्रमाण जो कि पेज ३६० (सुवोधिनी) और पेज ३६४ (वीर मित्रोदय) में कहे गये हैं वह दोनों ग़लत हैं। मांडलीकने यह विचार करनेमें ग़लतीकी है कि सिर्फ दश वारिस बताये गये हैं। मांडलीकसे हेरिंगटनका सिद्धांत ठीक है यद्यपि उसे चौथी पुश्तमें ठहर जाना चाहिये था, सात पुश्ततक नहीं जाना चाहिये था।

प्रतिवादी रिस्पाण्डेन्टके वकीलोंने जो अपीलमें बहसकी उसका सारांश यह था कि (तत्सुता) का अर्थ परपोतेतक मानना चाहिये। एवं (पितृसंतान) (संतति) (सूनु) शब्दोंके अर्थ देखनेके लिये शब्दकल्पद्रुम पेज २२९२; मिस्टर विलियमस् संस्कृत इंगलिश डिकशनेरी पेज १०५७, १११८; अमरकोश अ० २-७; कोलब्रुकका ट्रांसलेशन पेज १७५ का हवाला दिया गया है।

प्रतिवादीके वकीलोंने अपनी बहसमें जिन नज़ीरों और जिन ग्रन्थोंका हवाला दिया यह हैं—

रघपुटीदत्त बनाम राजेन्द्रनरायनराय (1839) 2 Moo. I. A. 132, 157; भैय्या-रामसिंह बनाम भैय्या उधरसिंह (1870) 13 Moo. I. A. 373, 392, 393; करमचन्द बनाम उदंगुरैन (1866) 6 W. R. 158; औरिया कुंवर बनाम राजूनेसुकुल (1870) 14 W. R. 208; काशीबाई बनाम सीताबाई (1911) 13 Bom. L. R. 552, 557; राधेसिंह बनाम झूलेसिंह (1855) S. D. A. Bengal 384; 399; और नये लेखकों-की रायें प्रतिवादीके पक्षको मज़बूत करती हैं देखो—सर्वाधिकारी हिन्दूलॉ इन्हेरीटेन्स 654, 656; यस. सी. सरकार व्यवस्था चन्द्रिका Vol. 1, P. 183; जी. एन्. भट्टाचार्य हिन्दूलॉ 447 से 478 तक; जे. सी. घोष हिन्दूलॉ 126, 146; मि. मेन हिन्दूलॉ 477; (1868) 12 Moo. I. A. 448; मि. सेटलोरका अनुवादित दायभाग पेज 57; सर एय्यरका अपरार्क पेज 41.

हाईकोर्टने इस फैसलेमें प्रायः सब बातोंपर विचार करते हुए अपनी तजवीज़के आखीरमें फरमाया कि—"अगर आजकलके वकीलोंको मेरी राय स्वीकार हो तो मुझे मि० सर्वाधिकारी की स्कीम जो सिर्फ मिताक्षराके अनुसार मानी जातीहै, मि. हेरिंगटनकी स्कीमसे ज्यादा पसंद है। मुझे इस स्कीममें कोई ऐसा एतराज़ नहीं देख पड़ताहै जिसमें कि मैं उस स्कीमको जिसे अंगरेज जजोंने विचारा है पसंद न करूं। मैं बग़ैर किसी तरहकी शंकाके इन दोनों स्कीमोंको मांडलीककी स्कीमसे ज्यादा पसंद करताहूं। जिन्होने मांडलीककी स्कीम मानी है ऐसे योग्य लेखकोंकी और जजोंकी प्रशंसा करते हुए कहता हूं कि यह स्कीम (पुत्र) और (संतान) के यथार्थ शब्दोंपर निर्भर है। इन शब्दोंको अगर किताबके साथ पढ़ा जाय तो इनका मतलब बदल जायेगा। हिन्दुओंका आम सिद्धांत यह है कि—वरासत सबसे पासके सपिण्डको पहुंचेगी। इस सिद्धांतको मांडलीककी स्कीमसे धक्का पहुंचेगा इसलिये मैं इस अपीलको मय खर्चाके डिसमिस् करता हूं."

नतीजा यह निकला कि—मिताक्षरालॉ के अनुसार पितामहकी तीन पीढ़ियां, प्रपितामह और उसकी औलादसे पहिले वारिस होती हैं। यानी पितामहका प्रपौत्र, प्रपितामहके पौत्रसे पहिले जायदाद पानेका अधिकारी है। इसीलिये ऊपरकी प्रधान लाइनमें तीन पीढ़ीतक वरासत चलकर ठहर जाती है जैसा कि ऊपरके नक़शे दफा ६२४ में दियागया है।

दफ़ा ६२६. सपिण्डोंकी वरासतका दूसरा सिद्धांत——मदरास हाईकोर्टके फैसले, सुरैय्या बनाम लक्ष्मीनरासामा (1881) 5 Mad 291 ; चिन्नासामी बनाम कुंजू (1910) 35 Mad. 152 और मांडलीक हिन्दूलॉ पेज 378 के अनुसार यह मानागया है हरएक भिन्नशाखाकी लाइन दो पीढ़ीके बाद ठहर जाती है। दो पीढ़ीके बाद ठहर जानेका यह मतलब समझिये कि पहिली प्रधान लाइनमें नीचेकी तरफ तीन पीढ़ीतक जाती है। पीछे ऊपरकी प्रधान लाइनमें पहिली पीढ़ीकी भिन्नशाखामें (बापकी) दो पीढ़ीतक, इसी तरहपर ऊपरकी प्रधान शाखामें ६ पीढ़ीतक दो, दो, पीढ़ी। पश्चात् प्रधान लाइनमें नीचेकी तरफ चौथी, पांचवीं और छठवीं पीढ़ीतक। उसके बाद ऊपरकी प्रधान लाइनमें पिताकी लाइनकी भिन्न शाखामें तीसरी, चौथी, पांचवीं और छठवीं पीढ़ीतक। इसी तरहपर प्रधान लाइनकी भिन्नशाखामें अंततक चार, चार पीढ़ीमें चलकर ५७ पीढ़ीमें समाप्त होजातीहै। इस सिद्धांतके अनुसार जायदाद पानेका क्रम, यह होगा। देखो—

(१) मृतपुरुषकी नीचेकी शाखामें पहिली तीन पीढ़ी यानी, पुत्र[१], पौत्र[२], प्रपौत्र[३].

(२) विधवा[४], लड़की[५], लड़कीका[६] लड़का.

(३) माँ[७], बाप[८]. और उनकी भिन्नशाखावाली लाइनमें पहिली दो पीढ़ी यानी उनके पुत्र[९], पौत्र[१०].

(४) बापकी[११] मा, बापका[१२] बाप, और उनकी पहिली दो पीढ़ी यानी उसके पुत्र[१३] पौत्र[१४].

(५) पितामहकी[१५] मा, पितामहका[१६] बाप, और उनकी दो पहिली पीढ़ी यानी उनके पुत्र[१७], पौत्र[१८].

(६) प्रपितामहकी[१९] मा, प्रपितामहका[२०] बाप, और उनकी पहिली दो पीढ़ी यानी उनके पुत्र[२१] और पौत्र[२२].

(७) प्रपितामहके[२३] बापकी मा, प्रपितामहका[२४] पितामह, और उनकी पहिली दो पीढ़ी यानी उनके पुत्र[२५], पौत्र[२६].

(८) प्रपितामहके पितामहकी[२७] मा, प्रपितामहके[२८] प्रपितामह, और उनकी पहिली दो पीढ़ी यानी उनके पुत्र[२९], पौत्र[३०].

(९) मृतपुरुषकी नीचेकी शाखामें पिछली तीन पीढ़ी यानी प्रपौत्रका[३१] पुत्र, प्रपौत्रका[३२] पौत्र, प्रपौत्रका[३३] प्रपौत्र.

(१०) बापकी शाखामें पिछली चार पीढ़ी यानी उसके प्रपौत्र[३४], प्रपौत्रका[३५] पुत्र, प्रपौत्रका[३६] पौत्र, प्रपौत्रका[३७] प्रपौत्र.

(११) पितामहकी शाखामें पिछली चार पीढ़ी यानी उसके प्रपौत्र[३८], प्रपौत्रका[३९] पुत्र, प्रपौत्रका[४०] पौत्र, प्रपौत्रका[४१] प्रपौत्र.

(१२) प्रपितामहकी शाखामें पिछली चार पीढ़ी यानी उसके प्रपौत्र[४२], प्रपौत्रका[४३] पुत्र, प्रपौत्रका[४४] पौत्र, प्रपौत्रका[४५] प्रपौत्र.

(१३) प्रपितामहके बापकी शाखामें पिछली चार पीढ़ी यानी उसके प्रपौत्र[४६], प्रपौत्रका[४७] पुत्र, प्रपौत्रका[४८] पौत्र, प्रपौत्रका[४९] प्रपौत्र.

(१४) प्रपितामहके पितामहकी शाखामें पिछली चार पीढ़ी यानी उसके प्रपौत्र[५०], प्रपौत्रका[५१]पुत्र, प्रपौत्रके[५२] पौत्र, प्रपौत्रके[५३]प्रपौत्र.

(१५) प्रपितामहके प्रपितामहकी शाखामें पिछली चार पीढ़ी यानी उसके प्रपौत्र[५४]-प्रपौत्रकेपुत्र[५५], प्रपौत्रके पौत्र[५६], प्रपौत्रके प्रपौत्र[५७].

इस सिद्धांतमें यह मानागया कि बापके भाई (चाचा) का लड़का, बमुकाबिले भाईके

पोतेके नज़दीकी वारिस होता है क्योंकि यह मानागया है कि दूसरी पीढ़ीवाले हमेशः तीसरी पीढ़ीवालोंसे पहिले वारिस होते हैं। देखो यहांपर भाईका पोता तीसरी पीढ़ीमें है और चाच का बेटा दूसरी पीढ़ीमें, इसलिये भाईके पोतेसे पहिले वारिस होजाता है। इस सिद्धांतके अनुसार नीचेका नक़शा देखो-

दफा ६२७. दूसरे सिद्धांतका नक़शा——मदरास हाईकोर्ट और मि० मांडलीकके सिद्धांतानुसार।

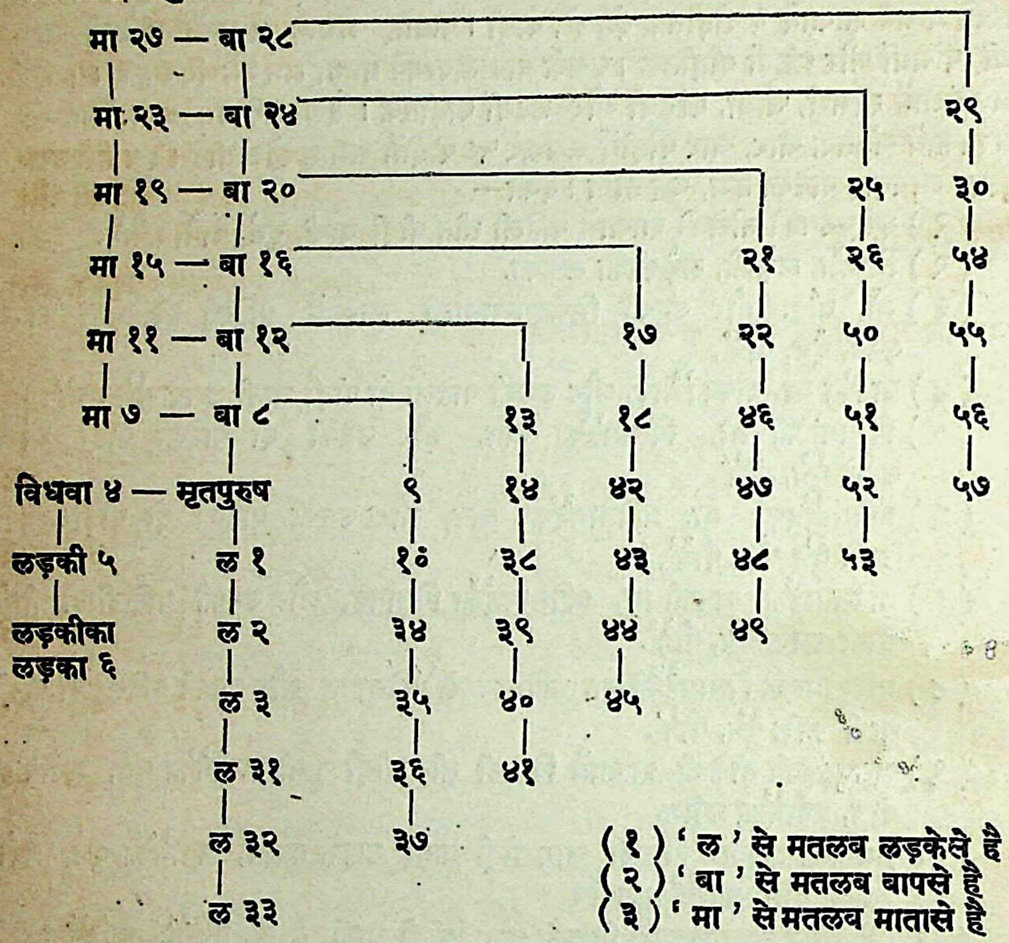
मा २७ — बा २८
२९
मा २३ — बा २४
मा १९ — बा २०
२५
३०
मा १५ — बा १६
२१
२६
५४
मा ११ — बा १२
१७
२२
५०
५५
मा ७ — बा ८
१३
१८
४६
५१
५६
विधवा ४ — मृतपुरुष
९
१४
४२
४७
५२
५७
लड़की ५
ल १
१०
३८
४३
४८
५३
लड़कीका लड़का ६
ल २
३४
३९
४४
४९
ल ३
३५
४०
४५
ल ३१
३६
४१
ल ३२
३७
ल ३३

(१) 'ल' से मतलब लड़केसे है
(२) 'बा' से मतलब बापसे है
(३) 'मा' से मतलब मातासे है

दफा ६२८. सपिण्डोंकी वरासतका तीसरा सिद्धांत——तीसरा सिद्धांत मि० हेरिंगटन् साहेबके अनुसार है। यह सिद्धांत रटचिपुटीदत्त बनाम राजेन्द्र (1839) 2 M. I. A. 133, 149, 161 के मुक़द्दमेंमें मानागया था कि हरएक लाइन छठवीं पीढ़ीतक बिला किसी रोक टोकके चली जायगी। मगर इस मुक़द्दमेंमें मिस्टर हेरिंगटन साहेबकी तजवीजसे यह नहीं मालूम होता कि प्रपौत्रके पुत्र, पौत्र, प्रपौत्रका स्थान उत्तराधिकारमें कहां हैं। इतना ज़रूर मालूम होता है कि बापकी छठवीं पीढ़ीवाला यानी बापके प्रपौत्रका प्रपौत्र, दादी और पितामहसे पहिले वारिस होता है। अगर ऐसी बात है तो मृतपुरुषकी छठवीं पीढ़ीतकको भी उससे पहिले जायदाद मिलना चाहिये; यानी उसके प्रपौत्रके पुत्र,पौत्र, प्रपौत्रको इन सबका हक़ दादीसे पहिले होना चाहिये।

मि० हेरिंगटन साहेबके सिद्धांतानुसार वरासतका क्रम यह होगा।

(१) मृतपुरुषकी नीचेकी शाखामें पहिली तीन पीढ़ी यानी, उसके पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र.

(२) विधवा^{४}, लड़की^{५}, लड़कीका^{६} लड़का.

(३) माँ^{७}, बाप^{८}, और उसकी छः$^{९-१४}$ पीढ़ी.

(४) मृतपुरुषकी नीचेकी लाइनमें पिछली तीन$^{१५-१७}$ पीढ़ी.

(५) बापकी^{१८} मा, पितामह^{१९}, और उसकी छः$^{२०-२५}$ पीढ़ी.

(६) पितामहकी^{२६} मा, पितामहका^{२७} बाप, और उस$^{२८-३३}$ की छः पीढ़ी.

(७) प्रपितामहकी^{३४} मा, प्रपितामहका^{३५} बाप, और उस$^{३६-४१}$ की छः पीढ़ी.

(८) प्रपितामहके बापकी^{४२} मा, प्रपितामहका^{४३} पितामह, और$^{४४-४९}$ उसकी छः पीढ़ी.

(९) प्रपितामहके पितामहकी मा, प्रपितामहका^{५१} प्रपितामह, और$^{५२-५७}$ उसकी छः पीढ़ी.

देखो-वेस्ट और वुहलर साहेबका हिन्दूलॉ तीसरा एडीशन पेज १२४; १२५.

मि० हेरिंगटन साहेबके सिद्धांतके अनुसार बापकी नीचेकी छठवीं पीढ़ीको पाहिले उत्तराधिकारमें जायदाद मिलतीहै। यह बात इलाहाबाद हाईकोर्टने पूर्णतया स्वीकार नहीं की और जहांतक मालूम होता है किसी हाईकोर्टमें यह राय अब स्वीकार नहीं कीजाती।

दफा ६२९. तीसरे सिद्धांतका नक़्शा——मिस्टर हेरिंगटन साहेबके सिद्धांतके अनुसार। किंतु आजकल यह माना नहीं जाता।

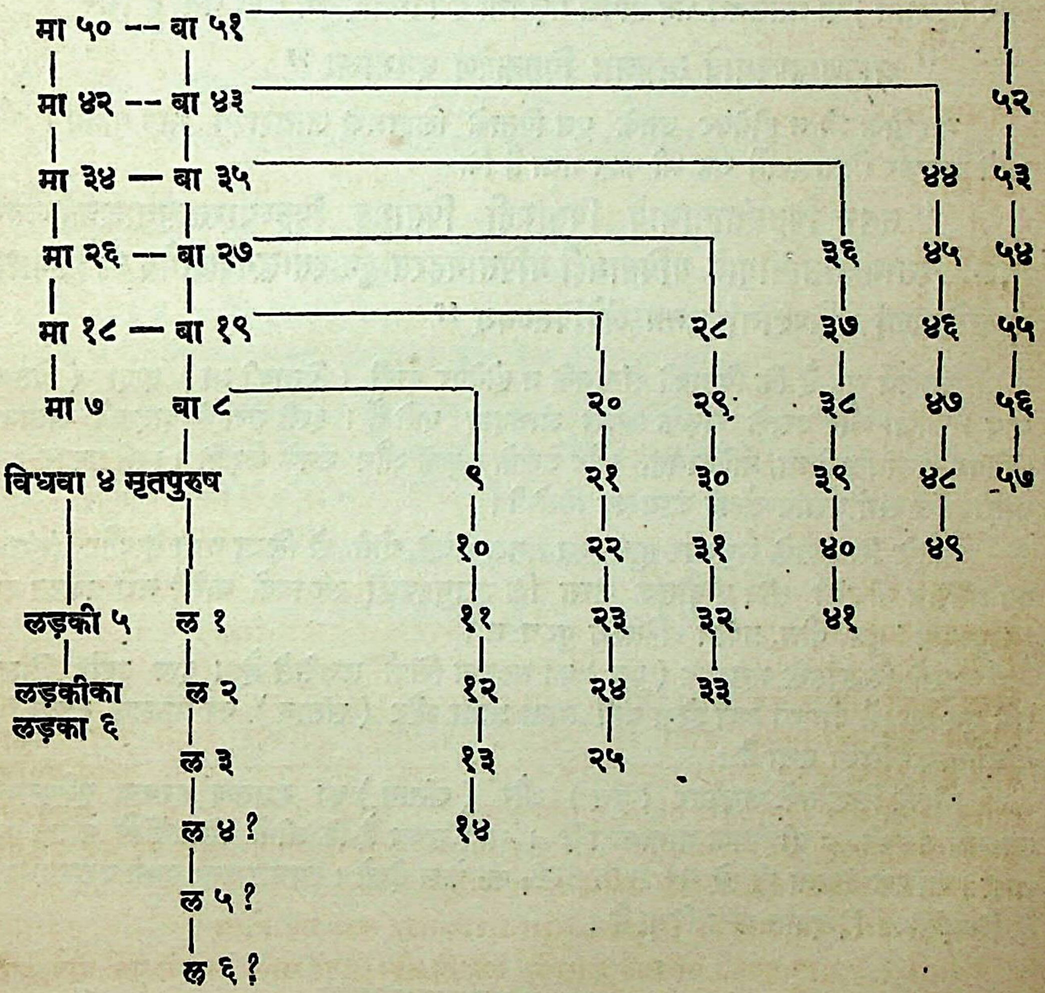
मा ५० -- बा ५१
मा ४२ -- बा ४३
मा ३४ — बा ३५
मा २६ -- बा २७
मा १८ — बा १९
मा ७
बा ८
विधवा ४ मृतपुरुष
लड़की ५
लड़कीका लड़का ६
ल १
ल २
ल ३
ल ४ ?
ल ५ ?
ल ६ ?
९
१०
११
१२
१३
१४
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४४
४५
४६
४७
४८
४९
५२
५३
५४
५५
५६
५७

(१) '?' यह निशान निश्चित नहींहै, मुमकिनहै कि नं० १५, १६, १७ का स्थान हो।
(२) 'ल' से मतलब 'लड़का' और 'वा' से 'बाप' और 'मा' से 'माता' है

नोट—यह मिस्टर हेरिंगटन् साहेबका सिद्धांत उपरोक्त 2 M. I. A. 133, 149, 161 में मानागया था जिससे यह नतीजा निकला कि हरएक भिन्नशाखाकी लाइन सीधी छः पीढ़ीतक चली जायगी, जैसा कि ऊपरके नक़शेसे मालूम होगा।

दफा ६३०. तीनों सिद्धांतोंका फरक़——उत्तराधिकार तीन सिद्धांतोंके अनुसार विभक्त किया गयाहै, (देखो६२३से६२९)। इनमेंसे पहिला सिद्धांत प्रोफेसर सर्वाधिकारी डाक्टर जाली, मिस्टर मेनसाहेब और डाक्टर जोगेन्द्रनाथ भट्टाचार्यके अनुसार है, इस सिद्धांतको जैसा कि इस किताबकी दफा ६२३,६२४ में बताया गयाहै इसीको जस्टिस बनरजी और जस्टिस पिगटने मिस्टर हेरिंगटनकी स्कीमको पसंद करते हुए प्रोफेसर सर्वाधिकारीके क्रमको माना है (देखो दफा ६२५). इस सिद्धांतके अनुसार भाईका पोता चाचाके बेटेसे पहिले वारिस होगा और जायदाद पायेगा। अब प्रायः यही सिद्धांत माना जाता है।

ऊपर कहे हुए जो तीनों सिद्धांतोंमें फरक़ है वह मिताक्षरामें (पुत्र) के अर्थ में भेद पड़ जानेसे यानी एक जगहपर (पुत्र) के मतलबमें भेद होनेपर और दूसरी जगह (पुत्र) और (संतान) के मतलबमें भेद होनेसे पड़गया है। मिताक्षरामें कहा गया है कि-

"भ्रातृणामप्यभावे तत्पुत्राः पितृक्रमेण धनभाजः"

भाइयोंके भी न होनेपर उनके पुत्र पिताके लिहाजसे जायदादमें भाग पावेंगे। और आगे चलकर मिताक्षरामें यह भी कहा गया है कि--

"तत्रच पितृसंतानाभावे पितामही पितामह पितृव्यास्तत्पुत्राश्चक्रमेणधनभाजः पितामहसंतानाभावे प्रपितामही प्रपितामहस्तत्पुत्रास्तत्सूनवश्चेत्येव मा सप्तमात्समानगोत्राणां सपिण्डानां धनग्रहणंवेदितव्यम्"

मतलब यह है कि पिताकी संतानके न होनेपर दादी (पिताकी मा) दादा (पिताका बाप) चाचा और उसके लड़के क्रमसे जायदाद पाते हैं। इसी तरहसे दादाकी संतान न होनेपर पितामहकी मा, प्रपितामह, और उसके लड़के और उनके लड़के। इसी प्रकार सात पीढ़ीपर्यंत सगोत्रसपिण्डोंको जायदाद मिलेगी।

पहिले सिद्धांतके अनुसार (पुत्र) का मतलब बेटे, पोते, से लिया गया है और (संतान) का मतलब नीचेकी तीन पीढ़ीतक जैसा कि मृतपुरुषकी संतानके बारेमें अर्थ किया गया 'अपुत्रस्य' पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र रहितस्य पुरुषस्य।

दूसरे सिद्धांतके अनुसार (पुत्र) का मतलब सिर्फ लड़केसे है। इस दूसरे सिद्धांतमें पुत्र शब्दमें पौत्रका अर्थ होना नहीं माना जाता और (संतान) का मतलब नीचेकी दो पीढ़ीतकका लिया गया है।

तीसरे सिद्धांतके अनुसार (पुत्र) और (संतान) का मतलब हरएक पूर्वपुरुषकी लाइनमें उसकी छः पीढ़ीतक मानागया है। यही सबब है कि तीनों सिद्धांतोंमें फरक़ पड़गया। अधिक देखना हो तो 34 All. 663; का केस देखो। साधारणतः हमने उत्तराधिकार के सिद्धांतोंका दिग्दर्शन करा दिया है।

(४) समानोदकोंमें वरासत मिलनेका क्रम।

समानोदक नीचे लिखे क्रमानुसार उत्तराधिकारी होते हैं।

दफा ६३१. समानोदकोंमें उत्तराधिकारका क्रम—किसी सपिण्डके न होनेपर वरासत 'समानोदक' को मिलेगी—(देखो दफा ५८८;५९३) समानोदकोंमें भी वही क्रम माना जावेगा जैसा कि :सपिण्डमें माना गया है, यानी नज़दीकी समानोदक दूरके समानोदकसे पहिले वारिस होनेका अधिकार रखता है। अर्थात् नज़दीकी कुटुम्बी समानोदकका हक़ दूरके कुटुम्बी समानोदकसे पहिले होगा. और नज़दीकी कुटुम्बी समानोदकमें नज़दीकी रिश्तेदारका हक़ पहिले होगा। देखो, नक़शा दफा ६२४.

समानोदक किसे कहते हैं यह बात इस किताबकी दफा ५८८ में बताई गयी है। मिताक्षरामें समानोदकके लिये कहा गया है कि—

'तेषामभावे समानोदकानां धनसंबन्धः तेच सपिण्डानामुपरिसप्तवेदितव्याः'

सपिण्डके अभावमें समानोदक जायदाद पावेंगे, वह सात सपिण्डोंके ऊपरसे शुमार किये जाते हैं।

नीचेके नक़शेमें जो क्रम बताया गया है उसी क्रमके अनुसार मृतपुरुषकी जायदाद मिलेगी। यह क्रम केवल ५७ डिगरीतक ठीक समझना। समानोदकोंका फैलाव चौदह डिगरीतक हमने नक़शेमें ज़ाहिर कियाहै मगर यह निश्चित नहींहैं कि समानोदक इतनेही होतेहैं। चौदह दर्जेके पश्चात् समानोदक वारिसका कोई केस हमे नहीं मिला.

नम्बर ५७ तकके वारिसोंका क्रम दफा ६२४ में ठीक बतायागया है आगेके नम्बरोंका क्रम भी उसी प्रकार समझ लिये। जो सिद्धांत ५७ पीढ़ीके क्रम निश्चित करनेमें मानागया है वही समानोदकोंमें समझना, सिद्धांत देखो ६२३-६२५.

दफा ६३२. समानोदकोंका नक़शा है देखो इस किताबके पेज ४१८ (क) में।

(५) बन्धुओंमें वरासत मिलनेका क्रम ।

अव हम उत्तराधिकारमें बन्धुओंके वरासत पानेका विषय वर्णन करते हैं। बन्धुओंका क्रम पेंचीदा है। दफा ५८१ के नक़शेके सिद्धांतको ध्यानमें रखिये। मिताक्षराने जो सिद्धांत सपिण्ड निश्चित करनेमें माना है वही बन्धुओंमें भी माना है। सापिण्ड और बन्धुमें कोई भेद नहीं है क्योंकि दोनोका संवंध शारीरिक संबंधके द्वारा पैदा होता है, भिन्न गोत्र होनेसे शारीरिक संवधमें कोई वाधा नहीं पड़ती। बन्धुओंका यह विषय पढ़नेसे पहले तीन वातोंपर अवश्य ध्यान रखना (१) सपिण्डके सिद्धान्तोंको स्मरण रखते हुए आप यह विचार करें कि माता-पिताके शरीरके अंश पुत्र, पौत्र और प्रपौत्रमें क्रमसे कमती होते जाते हैं; यानी ऐसा मानो कि पुत्रका शरीर ६०० अंशोंसे वना है तो ३०० अंश माताके शरीरसे और ३०० अंश पिताके शरीरसे आये एवं पौत्रके शरीरमें, दादी-दादाके शरीरके अंश डेढ़, डेढ़सौ आये, तथा प्रपौत्रके शरीरमें परदादी-परदादाके शरीरके अंश पचहत्तर, पचहत्तर आये। इससे यह वात स्पष्ट हो गयी कि पुत्रके शरीरमें माता-पिताके शरीरके अंश सवसे ज्यादा हैं। अव यह विचार कीजिये कि पुत्रमें यदि माता-पिताके शरीरके अंश सवसे ज्यादा हैं तो लड़कीमें भी उतने ही अंश हैं। क्योंकि पुत्र और लड़की एक ही माता-पितासे जन्मे हैं अर्थात् लड़कीके शरीरमें भी माता-पिता के शरीरके अंश तीन, तीनसौ मौजूद हैं एवं लड़कीकी लड़कीके शरीरमें डेढ़, डेढ़सौ अंश और लड़की की बेटीकी लड़कीके शरीरमें पचहत्तर पचहत्तर अंश मौजूद हैं। लड़कियोंकी लाइनकी संतान वन्धुओंके अन्तर्गत है। नतीजा यह निकला कि जिस सिद्धांतसे पुत्रकी लाइनमें सगोत्रज सपिण्ड निश्चित किया जाता है उसी सिद्धांतसे लड़कीकी लाइनमें भिन्नगोत्रज सपिण्ड निश्चित किया जाता है। भिन्नगोत्रज सपिण्डको वन्धु कहते हैं। वन्धुकी गणना कहांसे और कैसे की जाय, यह प्रश्न अव साफ होगया कि जहांसे और जैसे सपिण्डकी गणना की जाय उसी तरह वन्धुकी भी। देखिये, सपिण्डमें सवसे पहले पुत्रको गिनते हैं, वन्धुमें सवसे पहले लड़कीके लड़केको गिनते हैं। लड़कीका लड़का यद्यपि वन्धु है, और वन्धुकी हैसियतसे उसका यही स्थान है किंतु आचार्योंके ख़ास वचनोंके अनुसार उसे सपिण्डके साथ वारिस मान लिया है देखो दफा ६०६; ६२४. इस लिये अव सवसे पहले पुत्रकी लड़कीका लड़का वन्धु माना जाता है। सपिण्डमें पौत्रका दर्जा दूसरा है, वन्धुमें पौत्रकी लड़की के लड़केका दर्जा दूसरा है। मिताक्षरामें जिन वन्धुओंका नाम लिया गया है वे उदाहरणकी तौरपर कहे गये हैं देखो दफा ५९७. (२) प्रपौत्रकी वात परभी विचार कर लीजिये। सपिण्डमें प्रपौत्र शामिल है किंतु वन्धुमें नहीं। ऐसा क्यों हुआ ? उत्तर यह है कि प्रपौत्र पूर्ण पिण्डकी हद्द है, वह खुद सपिण्डमें शामिल है, किंतु उसकी संतान नहीं। इसलिये जव प्रपौत्रकी संतान नहीं शामिल हो सकती तो वंधुका संवंध ही नहीं पैदा होगा दफा ३९९ के २-४ सिद्धांतको देख लीजिये। सपिण्डमें प्रपौत्रके पुत्रसे पहले विधवा, लड़की, लड़कीका लड़का, और माता क्रमसे वारिस मानी गयी हैं। इनमें किसीसे भी वन्धु नहीं वन सकता क्योंकि विधवा तो पुत्र और लड़कीका शरीर वनाती है और स्त्री-पुरुष दोनो मिलकर शरीर पैदा करते हैं, लडकी और लड़कीके लड़केकी बात ऊपर कह चुके हैं। मातासे वन्धु इसलिये नहीं वन सकता कि माता और पिता दोनोंके शरीरसे मृतपुरुषका शरीर वना है जिसके संवंधसे वन्धुका विचार किया जाता है। अपने और अपनी वहनके शरीरमें माता-पिताके शरीरिक अंशोंकी समानता है इसलिये पुत्रकी लाइनके वाद जव ऊपरकी लाइनमें वन्धु विचार किया जायगा तो वहनका पुत्र तीसरा वंधु होगा, इसी प्रकार समझिये। (३) वन्धुओंके वरासत पानेका क्रम ६३७; ६३८; ६३९. दफामें कहा गया है य - ध्यान रखना कि वन्धुओंकी संख्या १२३ में समाप्त नहीं होजाती लेकिन हम देखते हैं कि वहुतेरे लोगोंका जायदाद पानेका हक़ क़ानूनन पैदा होजाता है किंतु वें अपना हक़ नहीं समझते ऐसी दशामें दूसरे लोग जो उनेक मुक़ाविलेमें हक़ नहीं रखते जायदादपर काबिज़ होजाते हैं या उसे लावारिसीमें सरकार ज़ब्त कर लेती है सपिंडकी हैसियतसे ५७ और समानोदककी हैसियतसे १४७ तथा वन्धुकी हैसियतसें १२३ यानी कुल ३२७ वारिस तो इस ग्रन्थमें स्पष्ट वताये गयेहैं देखो दफा ६२४; ६३२; ६३८-६३९! फिर भी वारिसोंकी संख्या समाप्त नहींहै।

दफा ६३२. समानोदकोंके उत्तराधिकारका नक़शा—

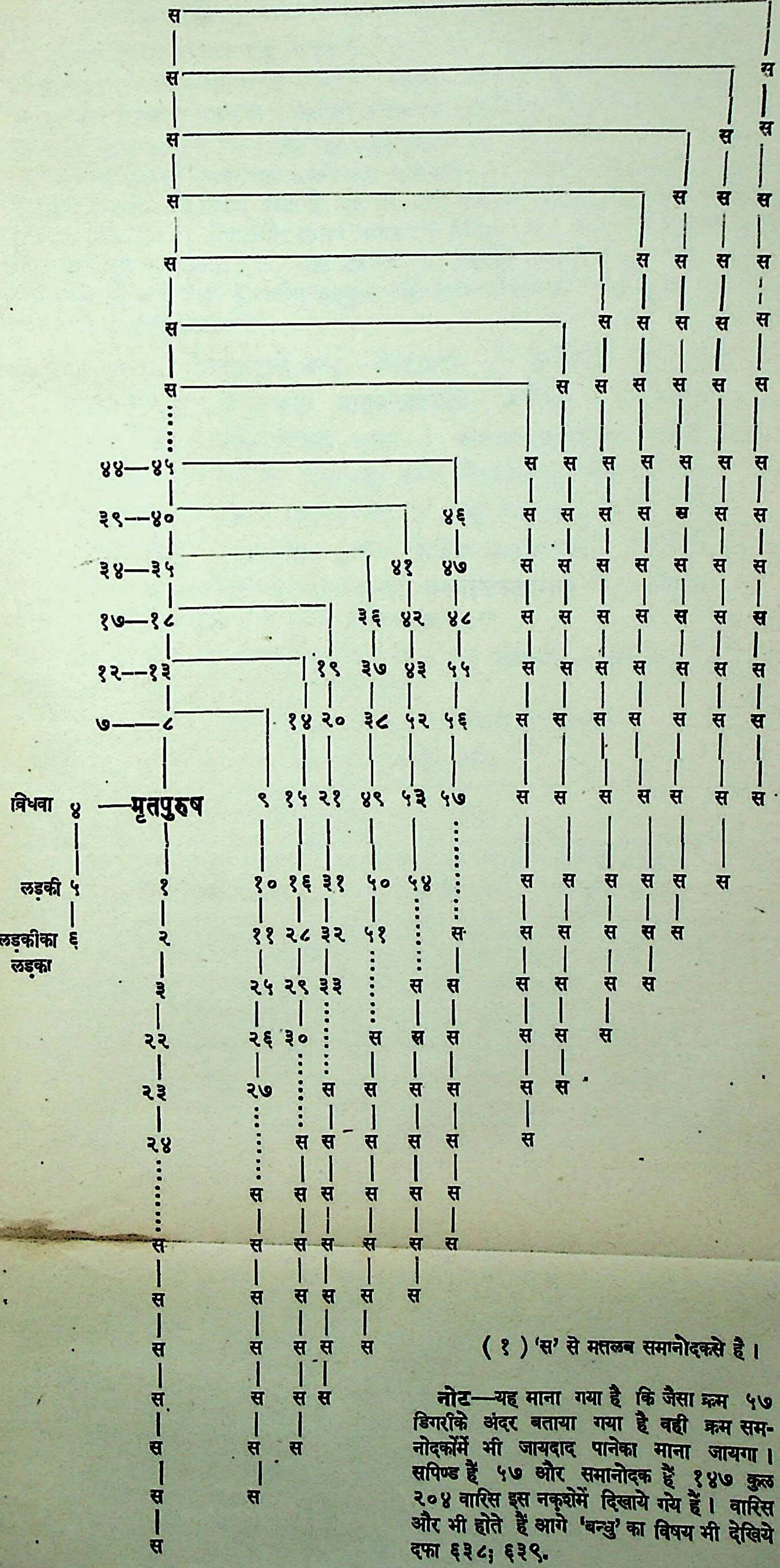
४४—४५
३९—४०
३४—३५
१७—१८
१२—१३
७—८
विधवा ४
मृतपुरुष
लड़की ५
लड़कीका लड़का ६
१
२
३
२२
२३
२४
४६ ४७ ४८ ५५ ५६ ५७
४१ ४२ ४३ ५२ ५३ ५४
३६ ३७ ३८ ४९ ५० ५१
१९ २० २१ ३१ ३२ ३३
१४ १५ १६ २८ २९ ३०
९ १० ११ २५ २६ २७
स

(१) 'स' से मतलब समानोदकसे है ।

नोट—यह माना गया है कि जैसा क्रम ५७ डिगरीके अंदर बताया गया है वही क्रम समनोदकोंमें भी जायदाद पानेका माना जायगा। सपिण्ड हैं ५७ और समानोदक हैं १४७ कुल २०४ वारिस इस नक़शेमें दिखाये गये हैं। वारिस और भी होते हैं आगे 'बन्धु' का विषय भी देखिये दफा ६३८; ६३९.

ज़रूरी बात–प्रिवीकौन्सिलने समानोदकोंको जायदाद पानेका हक़ नीचेके मुक़द्दमेमें नहीं माना, अब सब हाईकोर्टें इस नज़ीरको मानती हैं; देखो रामचन्द्र मार्तण्ड बनाम विनायक वेंकटेश 42 I. L. R. Cal 884-422.

दफा ६३३. बन्धु किसे कहते हैं——मिताक्षरामें कहा गया है कि—

'भिन्नगोत्राणां सपिण्डानांबन्धु शब्देन गृहणात्'

भिन्नगोत्र सपिण्डोंको बन्धु कहते हैं। बन्धु और भिन्नगोत्र सपिण्डमें फरक नहीं है (दफा ५८१). बन्धु, स्त्रीसंबंधी रिश्तेदार होते हैं केवल मर्द संबंधी रिश्तेदार नहीं होते, 'बन्धु' वह रिश्तेदार कहलाते हैं जिनका संबंध एक या एकसे ज़्यादा स्त्रियोंके द्वारा होता हो। बन्धु किसे कहते हैं? देखो इस किताबकी दफा ५९०; ५९१.

हरएक बन्धुको मृतपुरुषका कमसे कम एक स्त्री द्वारा ज़रूर ही संबंध होना चाहिये, दो स्त्रियोंके द्वारा जो संबंध होता है वह भी बन्धु कहलाते हैं; देखो—कृष्णा बनाम वेंकटराम 29 Mad 115; वेंकटगिरि बनाम चंद्ररू 23 Mad 123; पारोट बापालाल बनाम महता हरीलाल 19 Bom 631. और जहांपर दो स्त्रियोंसे ज़्यादाके द्वारा संबंध जुड़ता हो तो उसे भी बन्धु कहते हैं अर्थात् मृतपुरुष और जिस रिश्तेदारके बीचमें कोई पूर्वज स्त्री हो तो वह भी बन्धु कहलायेगा।

दफा ६३४. मिताक्षराके बन्धु—मिताक्षरा—"बन्धवश्च त्रिविधाः आत्मबन्धवः पितृ बन्धवो मातृबन्धवश्चेति। यथोक्रम्। आत्मपितृष्वस्तुः पुत्रा आत्ममातृष्वस्तुः सुताः। आत्ममातुलपुत्राश्च विज्ञेयाह्यात्मबान्धवाः॥ पितुः पितृष्वस्तुः पुत्राः पितुर्मातृष्वसुः सुताः। पितुर्मातुलपुत्राश्च विज्ञेयाः पितृबान्धवाः॥ मातुः पितृष्वसुः पुत्रा मातुर्मातृष्वसुः सुताः। मातुर्मातुल पुत्राश्च विज्ञेया मातृबान्धवाः॥ इति॥ तत्र चान्तरङ्गत्वात्प्रथममात्मबन्धवो धनभाजस्तदभावे पितृबन्धवस्तदभावे मातृबन्धव इति क्रमो वेदितव्यम॥"

मिताक्षरामें बन्धु तीन तरहके माने गये हैं—(१) आत्मबन्धु—अपने बन्धु (२) पितृबन्धु—बापके बन्धु (३) मातृबन्धु—माके बन्धु.

इन तीनों बन्धुओंमें हरएकके अंदर तीन, तीन रिश्तेदार हैं। जैसे—

मिताक्षरामें कहेहुए बन्धु।

संख्या	नाम बन्धु	मिताक्षरामें कहेहुए ९ बन्धु यह हैं—	
१	आत्मबन्धु	१-पितृष्वसुः पुत्राः	बापकी बहनके लड़के— बुवाके लड़के
२		२-मातृष्वसुः सुताः	माकी बहनके लड़के — मौसीके लड़के
३		३-मातुल पुत्राः	माके भाईके लड़के — मामाके लड़के
४	पितृबन्धु	१-पितुः पितृष्वसुःपुत्राः	पितामहकी बहनके लड़के—दादाकी बहनके लड़के
५		२-पितुर्मातृष्वसुः सुताः	पिताकी माकी बहनके लड़के
६		३-पितुर्मातुल पुत्राः	पिताकी माके भाईके लड़के
७	मातृबन्धु	१-मातुः पितृष्वसुः पुत्राः	माके बापकी बहनके लड़के— नानाकी बहनके पुत्र
८		२-मातुर्मातुष्वसुःसुताः	माकी माकी बहनके लड़के — नानीकी बहनके पुत्र
९		३-मातुर्मातुलपुत्राः	माकी माके भाईके लड़के— नानीके भाईके पुत्र

पहिले ऐसा ख्याल किया जाता था कि मिताक्षरामें जो ९ क़िस्मके बन्धु बताये गये हैं सिर्फ इतनेही होते हैं। मगर अब उसका अर्थ ऐसा माना जाता है कि मिताक्षरामें जो बन्धु बताये गये हैं वह बन्धुओंकी तायदादको ख़तम नहीं कर देते; यानी सिर्फ ९ ही बन्धु नहीं हैं। ९ से ज्यादा भी होते हैं। यह ९ बन्धु मिताक्षरामें जो बताये गये हैं वह केवल उदाहरणकी तरहपर बताये गये हैं। देखो दफा ५९७.

दफा ६३५. बन्धुओंके क्रमके सिद्धांत-----(१) मिताक्षरामें बताये हुए तीन क़िस्मके बन्धुओंमेंसे पहले आत्मबन्धु वारिस होंगे और उनके न होनेपर पितृबन्धु और उनके भी न होनेपर मातृबन्धु। देखो 19 Mad. 405; 33 I. A. 83; 28 Bom. 453.

(२) जब कभी मिताक्षरामें कहे हुए एकही दर्जेके कई एक बन्धु जीवित हों तो जिस बन्धुका नाम पहले लिया गया है वह पहले वारिस होगा देखो—33 Mad. 439.

(३) मिताक्षरामें बताये हुए बन्धुओंके अलावा अदालत ने जिन बन्धुओंको अधिक माना है उनके बीचमें यह सिद्धांत लागू होगा कि बापके संबंधसे जो बन्धु होते हैं वे माताके संबंधवाले बन्धुओंसे पहले जायदाद पावें। देखो 18 Mad. 193; 20 Mad. 342.

(४) ऊपरके नियमोंको मानते हुए यह सिद्धांत मानागया है कि नज़दीकी लाइनवाला बन्धु, दूरकी लाइनवाले बन्धुसे पहले वारिस होता है। देखो 20 Mad 342; 29 Mad. 115.

(५) ऊपरके नियमोंको मानते हुए जहांपर कि ऐसे दो बन्धु हों जो एकही पूर्व पुरुष द्वारा मृतपुरुषसे संबंध रखते हों वहांपर यह सिद्धांत माना जायगा कि पासके दर्जेवाला बन्धु, दूरके दर्जेवाले बन्धुसे पहले वारिस होगा। देखो-5 Bom 597.

(६) ऊपरके सब नियमोंको मानते हुए जहांपर एक ही पूर्वपुरुषके संबंधसे एकही दर्जेके दो या ज्यादा बन्धु हों वहांपर यह सिद्धांत माना जायगा कि जिस बन्धुका संबंध मृतपुरुषसे एक स्त्रीके द्वारा है वह पहले वारिस होगा, बमुक़ाबिले उस बंधुके जिसका संबंध दो स्त्रियों या ज्यादासे है। देखो-30 Mad 406; 33 Mad 439.

(७) यह सिद्धांत मानागया है कि परिवारकी लड़कियोंके पुत्र पहले वारिस होंगे उनके न होनेपर परिवारकी लड़कियोंके लड़कोंके लड़के वारिस होंगे और उनके भी न होनेपर परिवारकी लड़कियोंकी लड़कियोंके पुत्र वारिस होंगें। देखो दफा ६३८; ६३९.

(८) उक्त नं० ७ के अनुसार यह मानागया है कि पहले आत्मबन्धु वारिस होंगे पीछे पितृबन्धु और उसके पीछे मातृबन्धु वारिस होंगे। एक ही दर्जेके अनेक वारिसोंमें जिसका नाम पहले कहागया है वह वारिस होंगे।

दफा ६३६. बन्धुओंका सामान्य सिद्धांत बंगाल स्कूलके अनुसार——आम तौरपर बन्धुओंके लिये जो सिद्धांत माना गया है वह यह है कि पितृपक्षके सात पूर्वजोंके हरएककी पांच डिगरीतक, और इसीतरहपर मातृपक्षके पांच पूर्वजोंके हरएककी पांच डिगरीतक जो स्त्रीद्वारा रिश्तेदार होते हैं वह सब बन्धु कहलाते हैं। इसका कारण यह है हैं कि—याज्ञवल्क्यने कहा है कि—

'पञ्चमात्सप्तमादूर्ध्वं मातृतः पितृतस्तथाः' (देखो दफा ५१)

इसी आधारसे अदालतोंमें ऊपरका सिद्धांत मानकर बन्धुओंका फैलाव किया गया है।

दफा ६३७. बंगालस्कूलके अनुसार कलकत्ता हाईकोर्टकी राय—कलकत्ता हाईकोर्टने, उम्मेद बहादुर बनाम उदयचन्द (1880) 6 Cal. 119; के मुकद्दमेंमें यह क़रार दिया कि 'सपिण्डता एक दूसरेमें होना चाहिये।' इसका नतीजा यह निकाला गया कि पितृपक्षमें पांच डिगरीतकके पूर्वज लिये गये, सात डिगरीतकके नहीं। अगर हम कलकत्ता हाईकोर्टके अनुसार बन्धुओंको निश्चित करना चाहें तो हरएक बन्धु नीचे लिखे हुए आदमियोंके पांच डिगरीके अंदर किसी स्त्रीद्वारा संबंध रखनेवाला होना चाहिये।

(१) मृतपुरुष.

(२) मृतपुरुषके पितृपक्षके पूर्वज पांच डिगरीमें, यानी चार पूर्वज बाप, दादा, परदादा, नगड़दादा.

(३) मृतपुरुषके बापके मातृपक्षके पूर्वज पांच डिगरीके अंदर यानी दादीकाबाप, दादीकादादा, दादीकापरदादा.

(४) मातृपक्षके पूर्वज पांच डिगरीमें, यानी नाना, परनाना, नगड़नाना.

(५) मृतपुरुषकी माके मातृपक्षके पूर्वज पांच डिगरीतक यानी नानीकाबाप और उसकादादा.

नीचे दिया हुआ नक़शा देखो। इस नक़शेमें सब पांच डिगरियोंमें हैं मगर नम्बर ७ 'बापकी माका परदादा' छठवीं डिगरीमे हैं। इसकी गणना करनेमें दादी नम्बर २ का शुमार नहीं किया गया इस लिये उसे भी पांच डिगरीके अंदर माना है।

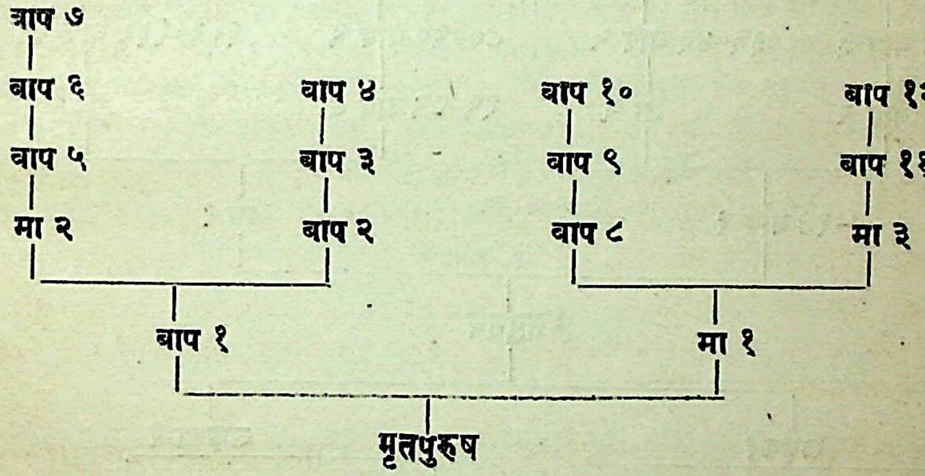

कलकत्ता हाईकोर्टकी रायके अनुसार ऊपर बताये हुए आदमियोंकी पांच डिगरीतककी औलादमेंसे मृतपुरुषके स्त्री द्वारा रिश्तेदार सबही बन्धु नहीं होते बल्कि इस हाईकोर्टमें यह मानागया है कि कोई आदमी बन्धु नहीं होसकता जबतक कि मृतपुरुष· उसके नानाकी या उसके बापके नानाकी या उसकी माके नानाकी लाइनमें न हो। इस सिद्धांतके अनुसार हर सूरतमें नीचे बताये हुए रिश्तेदार यद्यपि पांच पीढ़ीके अंदर हैं मगर बन्धु नहीं माने जायेंगे—जैसे—(१) लड़कीकी लड़कीके लड़केका लड़का (२) लड़कीके लड़केके लड़केका लड़का।

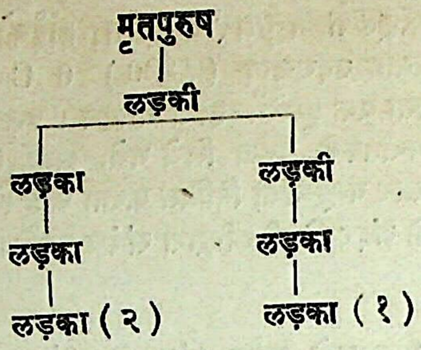
मृतपुरुष
लड़की
लड़का
लड़की
लड़का
लड़का
लड़का (२)
लड़का (१)

ऊपरके नक़शेमें जहांपर मृतपुरुष लिखा है उस स्थानको मृतपुरुष या मृतपुरुषकी लाइनमें किसी पूर्वजको मानो । नम्बर १ और २ के नाना या उसके बापके नाना या उनकी माके नानाका ' मृतपुरुष ' का स्थान नहीं होसकता; अर्थात् ' मृतपुरुष ' नम्बर १ और २ का नाना, या उसके बापका नाना, या उनकी माका नाना, नहीं है और न उनकी लाइनमें है; इसी लिये नम्बर १ और २ मृतपुरुषके बन्धु नहीं हैं ।

कलकत्ता हाईकोर्टकी पेंचीदा रायका सारांश हमने ऊपर बताया । अब आगे इसी रायके अनुसार बन्धुओंको फैलाकर समझाते हैं ।

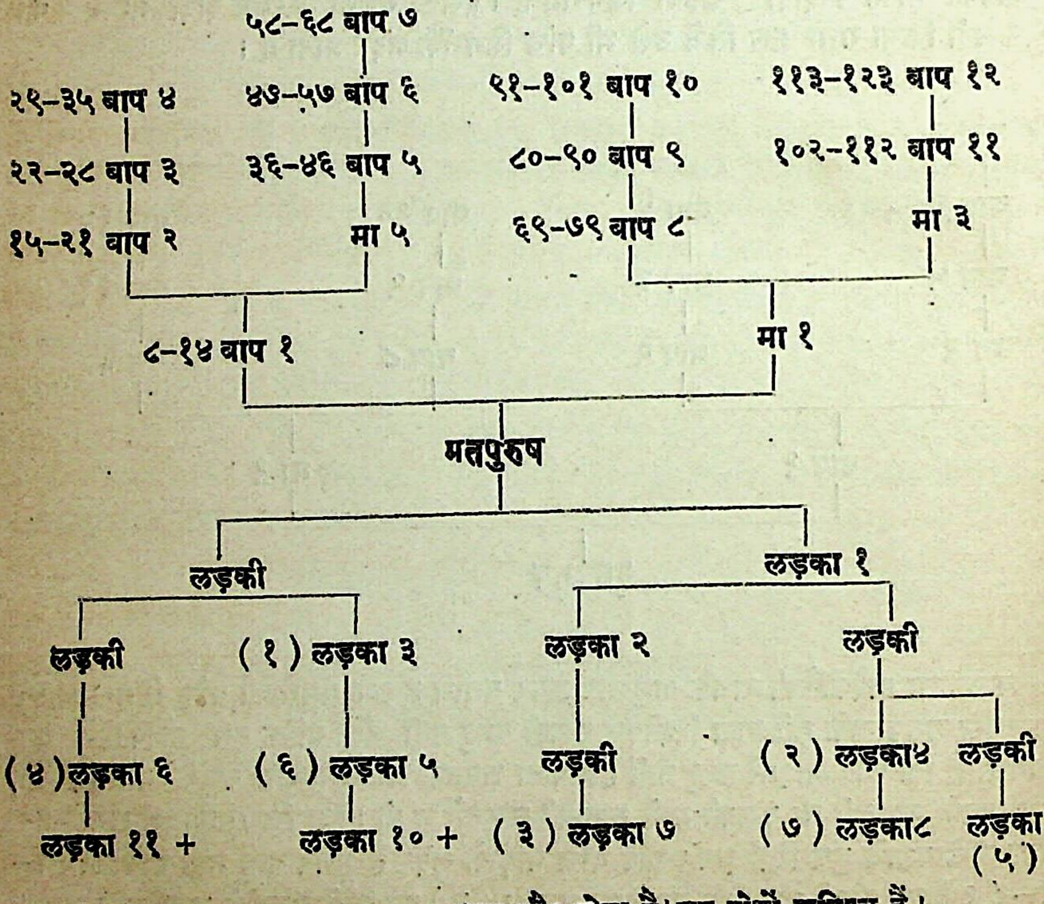
५८–६८ बाप ७
२९–३५ बाप ४
४७–५७ बाप ६
९१–१०१ बाप १०
११३–१२३ बाप १२
२२–२८ बाप ३
३६–४६ बाप ५
८०–९० बाप ९
१०२–११२ बाप ११
१५–२१ बाप २
मा ५
६९–७९ बाप ८
मा ३
८–१४ बाप १
मा १
मतपुरुष
लड़की
लड़का १
लड़की
(१) लड़का ३
लड़का २
लड़की
(४)लड़का ६
(६) लड़का ५
लड़की
(२) लड़का४
लड़की
लड़का ११ +
लड़का १० +
(३) लड़का ७
(७) लड़का८
लड़का९
(५)

(१) नम्बर १, २ मृतपुरुषका लड़का और पोता है। यह दोनों सपिण्ड हैं।

(२) नं० ३ लड़कीका लड़का, नं० ४ लड़केकी लड़कीका लड़का, नं० ५ लड़कीके लड़केका लड़का, नं० ६ लड़कीकी लड़कीका लड़का है।

(३) नं० ७ मृतपुरुषके पोतेकी लड़कीका लड़का, नं० ८ लड़केके लड़कीके लड़केका लड़का, नं० ९ लड़केकी लड़कीकी लड़कीका लड़का है

(४) नं०१० +लड़कीके, लड़केके लड़केका लड़का, और नं० ११ +लड़कीकी लड़कीके लड़केका लड़का है। यह दोनों बन्धु नहीं हैं क्योंकि इनमें वही क़ायदा लागू पड़ता है जो ऊपर कहा गया है।

(५) ऊपर नं० १ और २ सपिण्ड हैं तथा नं० १० और ११ बन्धु नहीं मानेजाते। इसलिये इनचारोंको छोड़कर बाक़ी सात रिश्तेदार मृतपुरुषके बन्धु हैं, अर्थात् नं० ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९. यह सात बन्धु हैं देखो जिनमें कोष्ठ (   )बना हुआ है।

(६) जिस तरहपर कि ऊपर कहे हुए (कोष्ठके नं० ३ से ९ तक) सात रिश्तेदार मृतपुरुषके बन्धु बताये गयेहैं उसी तरहपर मृतपुरुषके बापकी पितृपक्षवाली लाइन (दाहने तरफ नं० १ से ४ देखो) में चारों पूर्वजोंमेंसे हरएकके यह सात (नीचेकी शाखाके कोष्ठके नं० ३ से ९ तक) रिश्तेदार मृतपुरुषके बन्धु होंगे इस तरहपर चारों पूर्वजोंके द्वारा २८ बन्धु होंगे। अर्थात् कोष्ठके नं० ३ से ९ तक सात बन्धु नीचेकी शाखामें बताये गये, अब ऊपरकी शाखामें देखो नं० १ बापका स्थान है। बाप और बापके तीन पूर्वज मिलाकर ४ हुए, इनके प्रत्येकके सात सात रिश्तेदार जो नीचेकी शाखामें कोष्ठमें बताये गये हैं जोड़नेसे २८ हुए। इस २८ में नीचेके ७ बन्धु और जोड़ दो तो ३५ होंगे यही क्रम बापके बायें तरफ ८–१४ के रूपमें ३५ बन्धुतक दिखाया गया है।

(७) इसीतरहपर मृतपुरुषके बाक़ीके सब पूर्वजोंमेंसे (दाहिने तरफ ५ से १२) हरएक पूर्वजके, इन सात रिश्तेदारोंके अलावा, उनके बेटे पोते परपोते और परपोतेके लड़के भी मृतपुरुषके बन्धु होंगे। एवं इन सब पूर्वजोंमेंसे हरएकके ११ रिश्तेदार मृतपुरुषके बन्धु होंगे इसलिये कुलबन्धु इन आठ पूर्वजोंके द्वारा ८८ होंगे। अर्थात दाहिने तरफके नं० ५ से १२ तक ८ पूर्वज (३ पितृपक्षके और ५ मातृपक्षके) हैं। इन प्रत्येकके ११ रिश्तेदार और मिलाओ तो ८८ हुए। इन ८८ में पहलेके ३५ बन्धु भी जोड़ो तो १२३ बन्धु होते हैं। यही क्रम ३६–४६ के रूपमें बायें तरफ नक़शेमें दिखाया गया है।

मृतपुरुषके कुल बन्धु यह होते हैं–

१—मतपुरुषकी औलादमेंसे	७
२—उसके पिताके पितृपक्षके चार पूर्वजों द्वारा	२८
३—उसके दूसरे पूर्वजों द्वारा	८८
	१२३

नोट--लड़कीका लड़का यद्यपि बन्धु है मगर वह वरासतमें मासे पहिले अधिकारी है।

नाना—ऊपरकी शाखावाले बन्धुओंमें नानाका बन्धु होना सबने स्वीकार किया है और अदालतमें नानाके बन्धु माने जानेके बारेमें फैसले भी हुए हैं। मगर यह नहीं समझ लेना चाहिये कि ऊपरवाली शाखामें सिर्फ नानाही बन्धु होगा; बल्कि अपने नानाके सिवाय बापका नाना और मा का नाना भी बन्धु माना गया है।

ऊपर जो १२३ बन्धु कलकत्ता हाईकोर्टके अनुसार बताये गये हैं वह तीन क़िस्मके हैं यानी आत्मबन्धु, पितृबन्धु और मातृबन्धु।

(१) आत्मबन्धु–वह हैं जो अपनी, अपने बापकी, दादाकी, नानाकी औलादमे बन्धु होते हैं यानी अपने, और नम्बर १, २ तथा नम्बर ८ की औलादमें जो बन्धु होते हैं।

(२) पितृबन्धु—पितृपक्षके बाक़ीके पूर्वजोंकी औलादमें जो बन्धु होते हैं यानी नं० ३, ४, ५, ६, ७ वाले पूर्वजोंकी औलादमें जो बन्धु होते हैं।

(३) मातृबन्धु—माताकी तरफके बाक़ीके पूर्वजोंकी औलादमें जो बन्धु होते हैं यानी नं० ९ से १२ तककी औलादमें जो बन्धु होते हैं।

दफा ६३८. मिताक्षरा स्कूलके अनुसार बन्धु——यह ध्यान रखना कि मिताक्षरामें जो ९ बन्धु बताये गये हैं वे उदाहरणकी तरहपर माने जाते हैं (देखो दफा ५९७;६३४) मिताक्षरालॉ और मयूख लॉ के बन्धुओंमें अन्तर नहीं है देखो 19 Bom 631; मृतपुरुष के बन्धु तीन तरहके होते हैं अर्थात् (१) परिवारकी लड़कियोंके लड़के; (२) परिवारकी लड़कियोंके लड़कोंके लड़के; (३) परिवारकी लड़कियोंकी लड़कियोंके लड़के। ये तीनों तरहके बन्धु दफा ६३५-७, ८ के अनुसार जायदाद पाते हैं। उक्त तीन तरहके बन्धु इस प्रकार समझिये—

तीन तरहके बन्धु	मृतपुरुषकी शाखा	पिताकी शाखा	पितामहकी शाखा
१ परिवारकी लड़कियों के लड़के	१—लड़कीके लड़के २—पुत्रकी लड़कीके लड़के ३—पौत्रकी लड़कीके लड़के	एवं	एवं
२ परिवारकी लड़कियोंके लड़कोंके लड़के	१—लड़कियोंके लड़कोंके लड़के २—लड़कोंकी लड़कियोंके लड़कोंके लड़के	एवं	एवं
३ परिवारकी लड़कियोंकी लड़कियोंके लड़के	१—लड़कियोंकी लड़कियोंके लड़के २—लड़कोंकी लड़कियोंकी लड़कियोंके लड़के	एवं	एवं

इसी सिद्धांतके अनुसार दफा ६३९ के चारो नक़शे देखिये। मिताक्षरालॉके अनुसार डाक्टर जोगेन्द्रनाथ भट्टाचार्यने अपने हिन्दुलॉके दूसरे एडीशन पेज ४६०-४६२ में तथा पं० राजकुमार सर्वाधिकारीने अपने हिन्दूलॉ आव् इनहेरीटेन्सके पेज ७०७, ७१२, (a), (b), में बन्धुओंके रिक्थाधिकारका जो क्रम माना है नीचे लिखता हूं। यही क्रम सर अर्नेस्ट जान ट्रीवेलियन, डी. सी. यल. ने अपने हिन्दूलॉके दूसरे एडीशन पेज ३८२-३८४ में और सी. यस. रामकृष्ण बी. ए. बी. यल. ने अपने हिन्दूलॉ जिल्द २ सन १९१३ ई० पेज १६२-१६५ में माना है। मि० जान डी. मेनने अपने हिन्दूलॉ सातवां एडीशन पेज ६८२-६९६ तक बन्धुओंकी व्याख्या क़ीहै। गंभीर विचार करनेके बाद वे भट्टाचार्यके मतके विरुद्ध नहीं जाते। और भी देखिये मुट्टूसामी बनाम मुट्टूकुमारासामी 16 Mad. 23 में माना गया कि मिताक्षरामें जो बन्धुओंकी लिस्ट दी है अपूर्ण है लेकिन बन्धुओंकी जो लिस्ट उक्त दोनों (डाक्टर जोगेन्द्रनाथ भट्टाचार्य और पं० राजकुमार सर्वाधिकारी) लेखकोंने दी है वह बहुत कुछ माननीय और पूर्ण है। यही बात 23 I. A. 83; 19 Mad. 405; में मानी गयी। उक्त भट्टाचार्य और सर्वाधिकारीके मतानुसार बन्धुओंके उत्तराधिकार पानेका क्रम इस प्रकार है। इस क्रम के साथ ६३९ दफाके नक़शोंको देखो। बन्धुओंका क्रम नीचे १२३ तक बताया गया है।

[आत्मबन्धु]

(परिवारकी लड़कियोंके लड़के)

(१) लड़केकी लड़कीका लड़का
(२) लड़केके लड़केकी लड़कीका लड़का
(३) बहनका लड़का 20 All. 191; 9 All 467; 14 M. I. A 187; 10 B. L. R. (P. C.) 7; 6 Mad. H. C. 278; (सौतेली बहनका पुत्र वारिस होनेका हक़ रखता है देखो 15 Mad. 300; 2 M. L. J. 89; बहन का प्रपौत्र बन्धु नहीं होता देखो—2 Bom. L. R. 842.,)
(४) भाईकी लड़कीका लड़का 10 B. L. R. 341; 18 W. R. C. R. 331.
(५) भाईके लड़केकी लड़कीका लड़का
(६) बापके बापकी लड़कीका लड़का 37 Cal. 214; 14 C. W. N. 443.
(७) बापके बापके लड़केकी लड़कीका लड़का
(८) बापके बापके पोतेकी लड़कीका लड़का

(परिवारकी लड़कियोंके लड़कोंके लड़के-)

(९) लड़कीके लड़केका लड़का 30 Mad. 406; 11 Mad. 287; 17 All 523;
(१०) लड़केकी लड़कीके लड़केका लड़का

नोट—पं० राजकुमार सर्वाधिकारी यह स्थान पोतेकी लड़कीके पोतेका बताते हैं देखो, सर्वाधिकारी हिन्दूलॉ आव् इनहेरीटेन्स पेज ७१४.

(११) बापकी लड़कीके लड़केका लड़का 20 Mad. 342.
(१२) भाईकी लड़कीके लड़केका लड़का
(१३) बापके, बापकी लड़कीके लड़केका लड़का
(१४) बापके बापके लड़केकी लड़कीके लड़केका लड़का

नोट—इस जगहपर उक्त दोनो लेखक आगेके नं० ४९, ५०, ५१, ५२ को शामिल करते हैं।

(परिवारकी लड़कियोंकी लड़कियोंकें लड़के-)

(१५) लड़कीकी लड़कीका लड़का 30 Mad. 406; 31 All. 454; 32 All. 640; 7 Indian cases 292; 7 A.L. J. 776; 7 A. L. J. 557; 17 M. L. J. 285.
(१६) लड़केकी लड़कीकी लड़कीका लड़का
(१७) बापकी लड़कीकी लड़कीका लड़का 6 Cal. 119; 9 C.L.R. 500.
(१८) बापके लड़केकी (भाई). लड़कीकी लड़कीका लड़का
(१९) पितामहकी लड़कीकी लड़कीका लड़का 19 Bom. 631; 23 Mad. 123; 29 Mad. 115.
(२०) पितामहके लड़केकी लड़कीकी लड़कीका लड़का

नोट-पं०राजकुमार सर्वाधिकारी यहस्थान आगेके नं० ५३, ५४, ५५, ५६ को देतें हैं इनका कौन स्थान होना चाहिये यह कहना कठिनहै किंतु आत्मबन्धुके बीचमें न होना चाहिये ऊपर नं० २० परिवारकी लड़कियों और लड़कियोंकी लड़कियोंके संबधसे आत्मबन्धु बताये गये हैं अबहम नीचे माताकी तरफसे आत्मबन्धु कहते हैं।

[माकी तरफसे आत्मबन्धु]

(२१) माका बाप (नाना) 15 Mad. 421.

(२२) माका भाई (मामा) 23 I.A. 83; 19 Mad. 405 ; 12M.I.A. 448 ; 466; 467 ; 1 B.L.R. (P.C) 44, 52, 53 ; 10 W.R. (P.C.) 31, 34 ; 26 Bom. 710; 4 Bom. L.R. 527 ; 13 Mad. 10 ; 5 Bom. 597.

(२३) माके भाईका (मामा) लड़का 20 Mad. 342.

(२४) माके भाईके (मामा). लड़केका लड़का

(२५) माके बापका बाप (नानाका बाप-प्रमातामह). 11 Mad. 287.

(२६) माके बापका भाई

(२७) माके बापके भाईका लड़का

(२८) माके बापके भाईके लड़केका लड़का 5 Mad, 69

(२९) माके पितामहका बाप (वृद्ध प्रमातामह)

(३०) माके पितामहका भाई

(३१) माके पितामहके भाईका लड़का

(३२) माके पितामहके भाईके लड़केका लड़का

(परिवारकी लड़कियोंके लड़के)

(३३) माकी बहनका लड़का 22 W. R. C. R. 264; 28 Bom 453 ; 6 Bom L. R. 460 ; 5 Bom. 597 ; 33 Mad 439.

(३४) नानाके लड़केकी लड़कीका लड़का

(३५) नानाके लड़केके लड़केकी लड़कीका लड़का

(३६) नानाके परपोतेका लड़का

(३७) नानाके बापके परपोतेका लड़का

(३८) नानाके दादाके परपोतेका लड़का

(परिवारकी लड़कियोंके लड़कोंके लड़के—)

(३९) माकी बहनके लड़केका लड़का 9 Mad. L. R. 1129.

(४०) माके भाईकी लड़कीके लड़केका लड़का

(परिवारकी लड़कियोंकी लड़कियोंके लड़के-)

(४१) माकी बहनकी लड़कीका लड़का

(४२) माके भाईकी लड़कीकी लड़कीका लड़का

[पितृ बन्धु]

(परिवारकी लड़कियोंके लड़के-)

(४३) प्रपितामहकी लड़कीका लड़का 23 I. A. 83 ; 19 Nad 405 ; 16 Mad 23 ; 29 Mad 615.

(४४) प्रपितामहके लड़केकी लड़कीका लड़का 2 Mad. H. C. 346.

(४५) प्रपितामहके लड़केके लड़केकी लड़कीका लड़का

(४६) वृद्ध प्रपितामहकी लड़कीका लड़का

(४७) वृद्ध प्रपितामहके लड़केकी लड़कीका लड़का

(४८) वृद्ध प्रपितामहके पौत्रकी लड़कीका लड़का 17 Cal 518.

परिवारकी लड़कियोंके लड़कोंके लड़के-

(४९) प्रपितामहकी लड़कीके लड़केका लड़का 12 Mad 155; 28 Bom. 453.
(५०) प्रपितामहके लड़केकी लड़कीके लड़केका लड़का
(५१) वृद्धप्रपितामहकी लड़कीके लड़केका लड़का
(५२) वृद्धप्रपितामहके लड़केकी लड़कीके लड़केका लड़का

(परिवारकी लड़कियोंकी लड़कियोंके लड़के)

(५३) प्रपितामहकी लड़कीकी लड़कीका लड़का
(५४) प्रपितामहके लड़केकी लड़कीकी लड़कीका लड़का
(५५) वृद्धप्रपितामहकी लड़कीकी लड़कीका लड़का
(५६) वृद्धप्रपितामहके लड़केकी लड़कीकी लड़कीका लड़का

[नीचे ऐसे पितृबन्धु देखो जिनका मृतपुरुष पिताकी तरफसे आत्मबन्धु हैं]

(परिवारकी लड़कियोंके लड़के-)

(५७) बापके नानाका लड़का
(५८) बापके नानाका पोता
(५९) बापके नानाका परपोता
(६०) बापके नानाके बापका लड़का
(६१) बापके नानाके बापका पोता
(६२) बापके नानाके बापका परपोता
(६३) बापके नानाके पितामहका लड़का
(६४) बापके नानाके पितामहका पोता
(६५) बापके नानाके पितामहका परपोता
(६६) बापके नानाकी लड़कीका लड़का
(६७) बापके नानाके लड़केकी लड़की लड़का
(६८) बापके नानाके पोतेकी लड़कीका लड़का
(६९) बापके नानाके बापकी लड़कीका लड़का
(७०) बापके नानाके बापके लड़केकी लड़कीका लड़का
(७१) बापके नानाके बापके पोतेकी लड़कीका लड़का
(७२) बापके नानाके पितामहकी लड़कीका लड़का
(७३) बापके नानाके पितामहके लड़केकी लड़कीका लड़का
(७४) बापके नानाके पितामहके पोतेकी लड़कीका लड़का

(परिवारकी लड़कियोंके लड़कोंके लड़के—)

(७५) बापके नानाके परपोतेका लड़का
(७६) बापके नानाके बापके परपोतेका लड़का
(७७) बापके नानाके दादाके परपोतेका लड़का
(७८) बापके नानाकी लड़कीका पोता
(७९) बापके नानाके लड़केकी लड़कीका पोता
(८०) बापके नानाके बापकी लड़कीका पोता
(८१) बापके नानाके बापके लड़केकी लड़कीका पोता

(परिवारकी लड़कियोंकी लड़कियोंके लड़के--)

(८२) बापके नानाकी लड़कीकी लड़कीका लड़का

(८३) बापके नानाके लड़केकी लड़कीकी लड़कीका लड़का
(८४) बापके नानाके बापकी लड़कीकी लड़कीका लड़का
(८५) बापके नानाके बापके लड़केकी लड़कीकी लड़कीका लड़का

[मातृबन्धु]

(परिवारकी लड़कियोंके लड़के)

(८६) नानाके बापकी लड़कीका लड़का
(८७) नानाके बापके लड़केकी लड़कीका लड़का
(८८) नानाके बापके पोतेकी लड़कीका लड़का
(८९) नानाके दादाकी लड़कीका लड़का
(९०) नानाके दादाके लड़केकी लड़कीका लड़का
(९१) नानाके दादाके पोतेकी लड़कीका लड़का

(परिवारकी लड़कियोंके लड़कोंके लड़के—)

(९२) नानाके बापकी लड़कीका पोता
(९३) नानाके बापके लड़केकी लड़कीका पोता
(९४) नानाके दादाकी लड़कीका पोता
(९५) नानाके दादाके लड़केकी लड़कीका पोता

(परिवारकी लड़कियोंकी लड़कियोंके लड़के—)

(९६) नानाके बापकी लड़कीकी लड़कीका लड़का
(९७) नानाके बापके लड़केकी लड़कीकी लड़कीका लड़का
(९८) नानाके दादाकी लड़कीकी लड़कीका लड़का
(९९) नानाके दादाके लड़केकी लड़कीकी लड़कीका लड़का

[ऐसे मातृबंधु देखो जिनका मृतपुरुष पिताकी तरफसे पितृबन्धु है]

(परिवारकी लड़कियोंके लड़के—)

(१००) माका नाना
(१०१) माके नानाका लड़का
(१०२) माके नानाका पोता
(१०३) माके नानाका परपोता
(१०४) माके नानाका बाप
(१०५) माके नानाके बापका लड़का
(१०६) माके नानाके बापका पोता
(१०७) माके नानाके बापका परपोता
(१०८) माके नानाकी लड़कीका लड़का
(१०९) माके नानाके लड़केकी लड़कीका लड़का
(११०) माके नानाके पोतेकी लड़कीका लड़का
(१११) माके नानाके बापकी लड़कीका लड़का
(११२) माके नानाके बापके लड़केकी लड़कीका लड़का
(११३) माके नानाके बापके पोतेकी लड़कीका लड़का

(११४) माके नानाके परपोतेका लड़का
(११५) मामाके नानाके बापके परपोतेका लड़का

(परिवारकी लड़कियोंके लड़कोंके लड़के–)

(११६) माके नानाकी लड़कीका पोता
(११७) माके नानाके लड़केकी लड़कीका पोता
(११८) माके नानाके बापकी लड़कीका पोता
(११९) माके नानाके बापके लड़केकी लड़कीका पोता

(परिवारकी लड़कियोंकी लड़कियोंके लड़के—)

(१२०) माके नानाकी लड़कीकी लड़कीका लड़का
(१२१) माके नानाके लड़केकी लड़कीकी लड़कीका लड़का
(१२२) माके नानाके बापकी लड़कीकी लड़कीका लड़का
(१२३) माके नानाके बापके लड़केकी लड़कीकी लड़कीका लड़का

ऊपर नम्बर १ से नं० ४२ तक आत्मबन्धु, और नं० ४३ से नं० ८५ तक पितृबन्धु तथा नं० ८६ से नं० १२३ तक मातृबन्धु बताये गये हैं। जहांपर पं० राजकुमार सर्वाधिकारीके मतमें कुछ भेद पड़ता है उसका संकेत उसी जगह कर दिया गया है। उपरोक्त १२३ बन्धुओंका रिश्ता जल्द समझमें आनेके लिये चार नक़शे दिये हैं–देखो दफा ६३९.

ऊपर जो बन्धुओंके नम्बर दिये गये हैं उन्हे नक़शोंसे इसप्रकार मिलान कीजिये।

नम्बर १ से नं० २० तक नक़शा नं० १ में देखो
नम्बर २१ से नं० ४२ तक नक़शा नं० २ में देखो
नम्बर ४३ से नं० ५६ तक नक़शा नं० १ में देखो
नम्बर ५७ से नं० ८५ तक नक़शा नं० ३ में देखो
नम्बर ८६ से नं० ९९ तक नक़शा नं० २ में देखो
नम्बर १०० से नं० १२३ तक नक़शा नं० ४ में देखो

दफा ६३९. बन्धुओंके नक़शे मिताक्षरालॉके अनुसार—ऊपर दफा ६३८ में जो १२३ बन्धुओंका वर्णन किया गया है उनके रिश्ते समझनेके लिये चार नक़शे नीचे दिये गये हैं। नक़शोंमें 'पु' अक्षरसे पुत्र–लड़का समझना और 'ल' अक्षरसे लड़की–पुत्री समझना। ये नक़शे सी. यस. रामकृष्ण हिन्दूलॉ जिल्द २ सन १९१२ ई० पेज १६३–१६५ से उद्धृत किये गये हैं। इन नक़शोंके देखनेका क़ायदा सरल है। नक़शोंमें जो नम्बर दिये गये हैं वे दफा ६३८ के बन्धुओंके नम्बरके अनुसार हैं। नक़शोंके मिलान करनेमें शब्दोंसे सावधान रहिये। शब्दके अर्थपर विचार करके मिलान कीजिये; अर्थात् किसी जगहपर बाप कहा गया है और किसी जगहपर पिता, एवं पुत्र और लड़का, इत्यादि ऐसे स्थानोंपर शब्दका भेद पड़ जाता है किंतु अर्थका नहीं। इसलिये अर्थ समझकर विचार कीजिये। आप यदि चाहें तो दफा ६३८ में कहे हुए बन्धुको पहले देखकर पीछे नक़शा देखें अथवा पहले नक़शेसे नम्बर देखकर पीछे उसी नम्बरमें बन्धुको देखें। ज्यादा अच्छा यह होगा कि जिस बन्धुके बारेमें आपको देखना हो पहले दफा ६३८ में पता लगाइये। पीछे जब उसका नम्बर मालूम होजाय तो उसी दफाके नीचे यह देखो कि यह नम्बर किस नम्बरके नक़शेमें है। पीछे उस नम्बरका नक़शा देखिये तो जल्द मालूम हो जायगा।

मिताक्षरालॉ के अनुसार ।

नक़शा नं० १ बापकी तरफसे आत्मबन्धु और कुछ पितृबन्धु ।

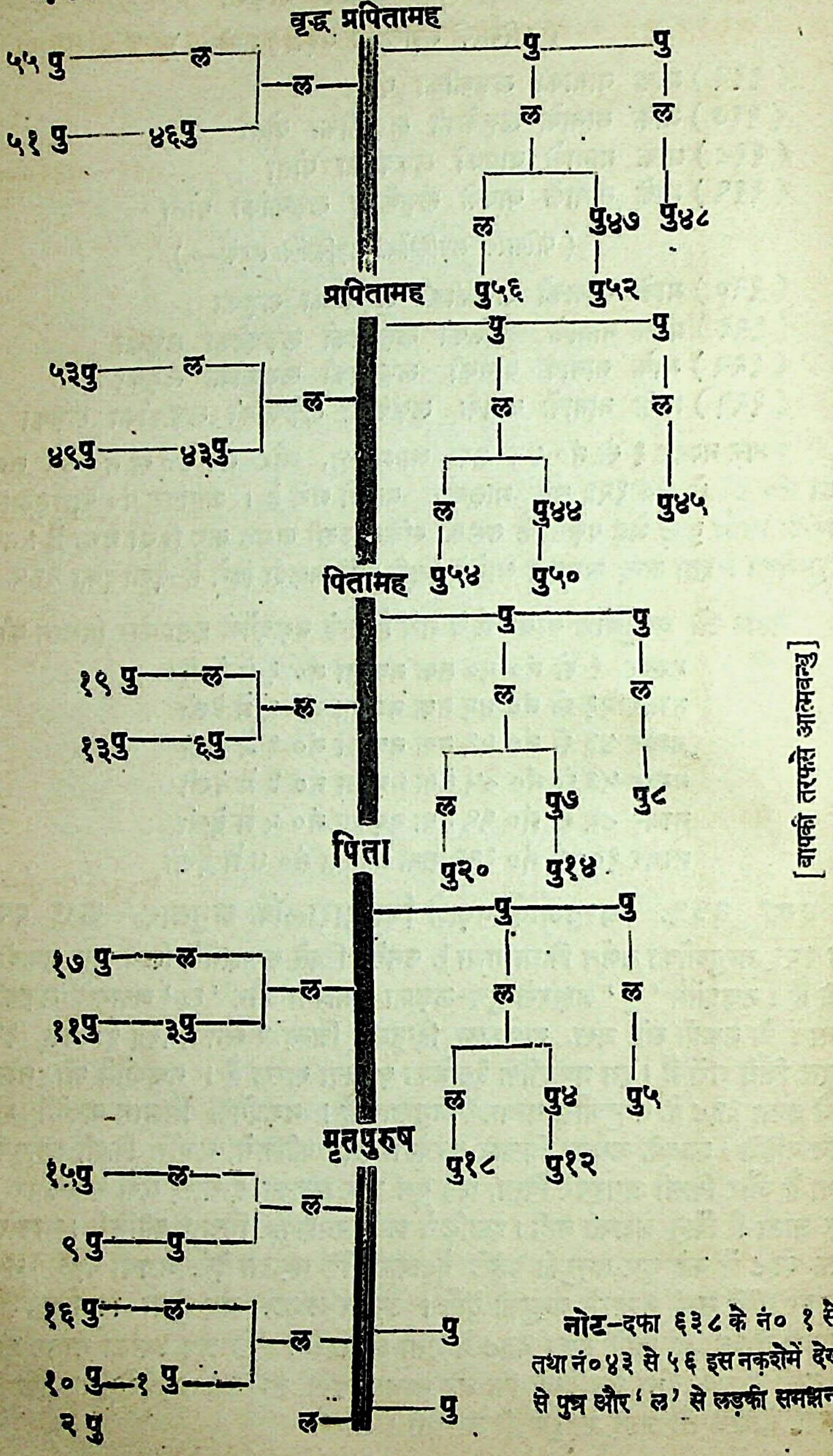
वृद्ध प्रपितामह
५५ पु
ल
ल
५१ पु
४६पु
पु
पु
ल
ल
ल
पु४७
पु४८
पु५६
पु५२
प्रपितामह
५३पु
ल
ल
४९पु
४३पु
पु
पु
ल
ल
ल
पु४४
पु४५
पु५४
पु५०
पितामह
१९ पु
ल
ल
१३पु
६पु
पु
पु
ल
ल
ल
पु७
पु८
पु२०
पु१४
बापकी तरफसे आत्मबन्धु
पिता
१७ पु
ल
ल
११पु
३पु
पु
पु
ल
ल
ल
पु४
पु५
पु१८
पु१२
मृतपुरुष
१५पु
ल
ल
९ पु
पु
१६ पु
ल
ल
१० पु
१ पु
२ पु
ल
पु
पु

नोट—दफा ६३८ के नं० १ से २० तथा नं० ४३ से ५६ इस नक़शेमें देखो 'पु' से पुत्र और 'ल' से लड़की समझना ।

मिताक्षरालॉके अनुसार

नक़शा नं० २ माताकी तरफसे आत्मबन्धु और कुछ मातृबन्धु

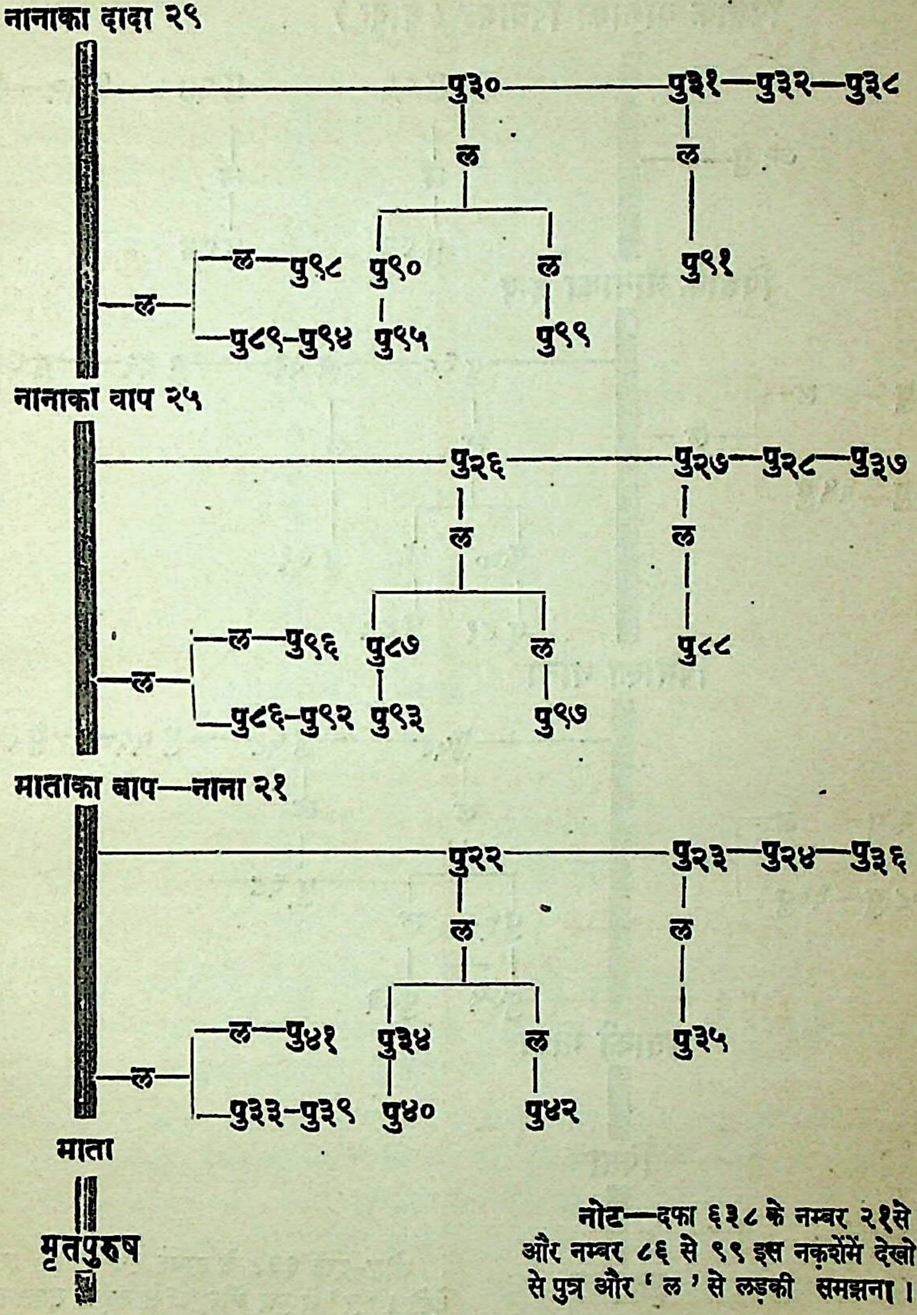
नानाका दादा २९
पु३०
पु३१—पु३२—पु३८
ल
ल
ल—पु९८
पु९०
ल
पु९१
ल
पु८९-पु९४
पु९५
पु९९
नानाका बाप २५
पु२६
पु२७—पु२८—पु३७
ल
ल
ल—पु९६
पु८७
ल
पु८८
ल
पु८६-पु९२
पु९३
पु९७
माताका बाप—नाना २१
पु२२
पु२३—पु२४—पु३६
ल
ल
ल—पु४१
पु३४
ल
पु३५
ल
पु३३-पु३९
पु४०
पु४२
माता
मृतपुरुष

नोट—दफा ६३८ के नम्बर २१से ४२ और नम्बर ८६ से ९९ इस नक़शेमें देखो 'पु' से पुत्र और 'ल' से लड़की समझना।

मिताक्षरालॉ के अनुसार

नक़शा नं० ३ पितृबन्धु अर्थात् बापके बन्धु।

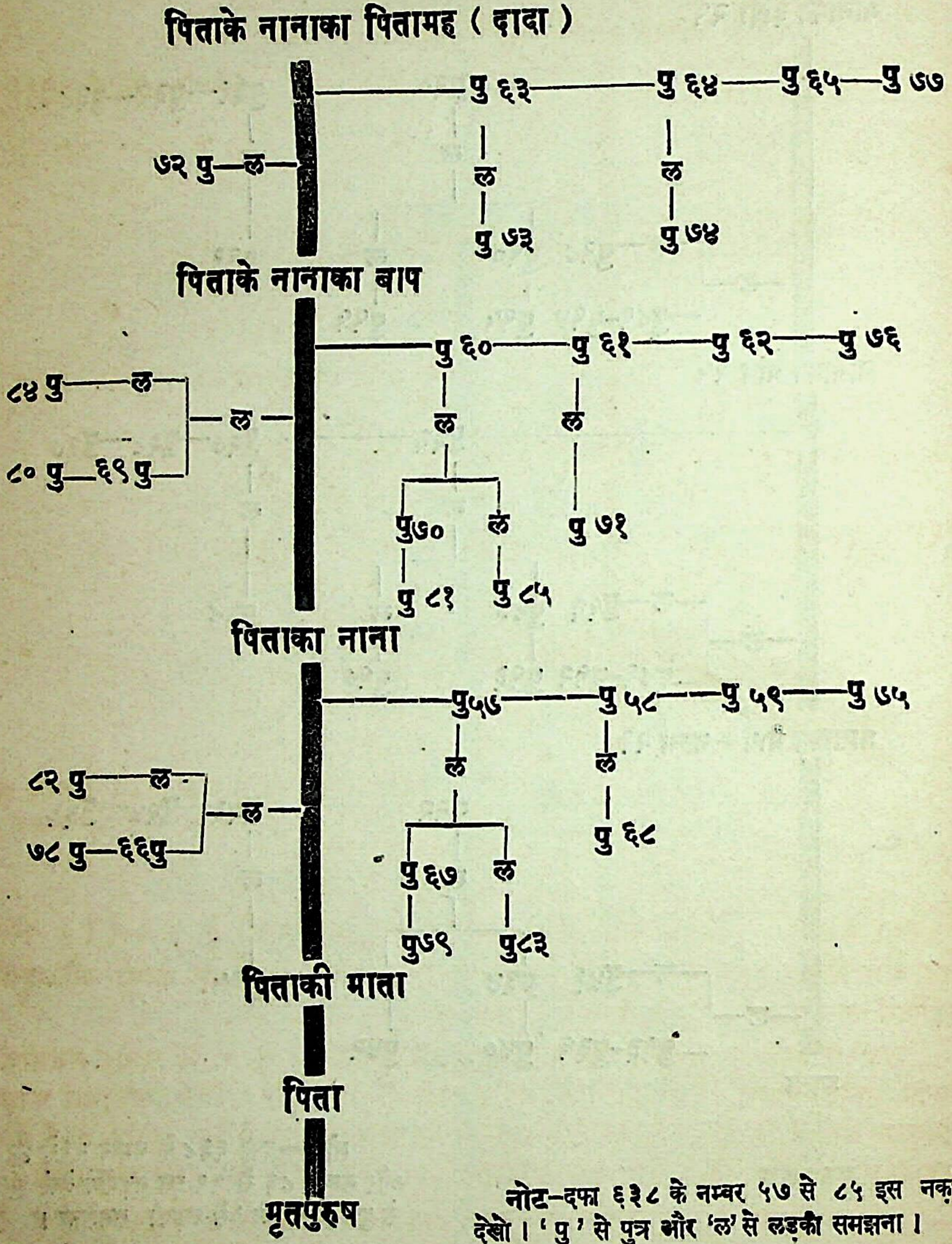
पिताके नानाका पितामह (दादा)
पु ६३
पु ६४
पु ६५
पु ७७
७२ पु
ल
ल
ल
पु ७३
पु ७४
पिताके नानाका बाप
पु ६०
पु ६१
पु ६२
पु ७६
८४ पु
ल
ल
८० पु
६९ पु
ल
ल
पु७०
ल
पु ७१
पु ८१
पु ८५
पिताका नाना
पु५७
पु ५८
पु ५९
पु ७५
८२ पु
ल
ल
७८ पु
६६पु
ल
ल
पु ६८
पु६७
ल
पु७९
पु८३
पिताकी माता
पिता
मृतपुरुष

नोट—दफा ६३८ के नम्बर ५७ से ८५ इस नक़शेमें देखो। 'पु' से पुत्र और 'ल' से लड़की समझना।

मिताक्षरालॉके अनुसार।

नक़्शा नं० ४ मातृबन्धु अर्थात् माताके बन्धु।

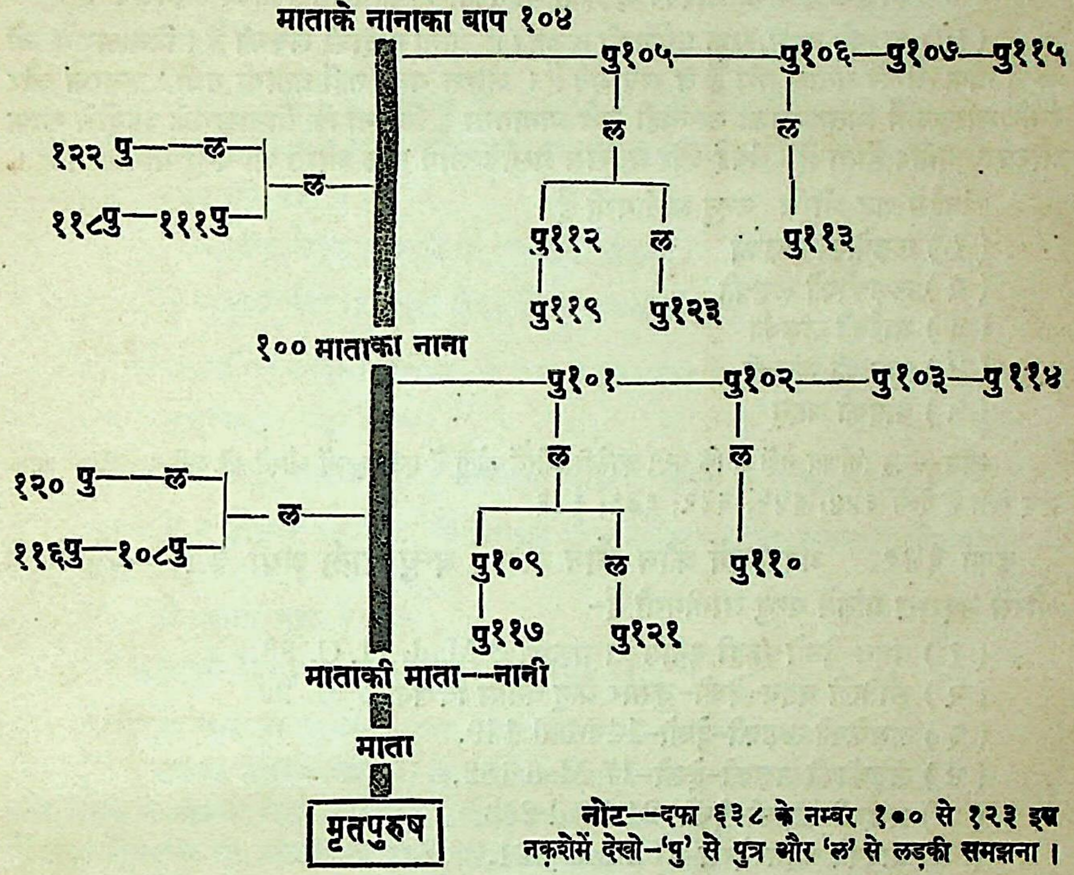
माताके नानाका बाप १०४
पु१०५
पु१०६
पु१०७
पु११५
ल
ल
१२२ पु
ल
ल
११८पु
१११पु
पु११२
ल
पु११३
पु११९
पु१२३
१०० माताका नाना
पु१०१
पु१०२
पु१०३
पु११४
ल
ल
१२० पु
ल
ल
११६पु
१०८पु
पु१०९
ल
पु११०
पु११७
पु१२१
माताकी माता--नानी
माता
मृतपुरुष

नोट--दफा ६३८ के नम्बर १०० से १२३ इस नक़शेमें देखो--'पु' से पुत्र और 'ल' से लड़की समझना।

दफा ६४०. बंबईमें कौन कौन औरतें बन्धु मानीगयी हैं——(१) मि० वेस्ट, और मिस्टर बुहलरके अनुसार मृतपुरुषकी भिन्नशाखावालोंकी और उनकी औलादकी लड़कियें सात पुश्ततक बंधु मानीगयी हैं जैसे—

लड़केकी लड़की ; देखो—वनीलाल बनाम पारजाराम 20 Bom 173 और लड़कीकी लड़की, भाईकी लड़की; देखो-माधोराम बनाम दावी 21 Bom 739, 744; लाल्लूभाई बनाम मानकुंवर बाई 2 Bom 388, 446; तुलजाराम बनाम मथुरादास 5 Bom 662, 672; और बहनकी लड़की; देखो-वेस्ट और बुहलर हिन्दूलॉ पेज 137, 496, 498; यह बन्धु होती हैं।

(२) बन्धुओंमें वारिस होनेका क्रम इनके क़रीबकी रिश्तेदारीके अनुसार होता है लेकिन मिताक्षरामें जो ९ बन्धु बताये गये हैं उनके पहिले वारिस होनेका हक़ नहीं खोजाता, अर्थात् जबतक मिताक्षराके ९ बन्धु ज़िंदा रहेंगे तबतक यह औरतें जायदाद नहीं पासकतीं।

(३) बापकी बहन--मयूखके अनुसार बापकी बहन गोत्रज़ सपिण्ड है, और सब गोत्रज़

सपिण्डोंके पीछे और बन्धुओंके पहिले उसको वारिस होनेका अधिकार होता है। यह बात साफ तौरसे तय नहीं मालूम होती कि बंबई प्रांतमें मिताक्षराका जैसा अर्थ लगाया जाता है उसके अनुसार वह गोत्रजसपिण्ड है या नहीं।

(४) ऊपर नम्बर १ में लड़केकी लड़की, और लड़कीकी लड़की, यह दोनों अपनी औलादकी लड़कियां हैं तथा भाईकी लड़की, वहनकी लड़की भिन्नशाखाकी लड़कियां हैं।

(५) बापकी बहन, एक पूर्वजकी लड़की है यानी दादाकी लड़की है। मिताक्षरामें जो बन्धु ठीक तौरसे बताये गये हैं वे सब मर्द हैं। औरत बन्धु नहीं बतायी गयी। बनारस और मिथिलास्कूलमें मिताक्षराका उतनाही अर्थ मानागया है जितना कि मिताक्षराके शब्दोंसे साफ तौरपर ज़ाहिर होता है। बंबई और मदरास प्रेसीडेन्सीमें कुछ औरतें भी बन्धु मानीगयी हैं।

बंबईमें यह औरतें बन्धु मानीगयी हैं।

(१) लड़केकी लड़की
(२) लड़कीकी लड़की
(३) भाईकी लड़की
(४) बहनकी लड़की
(५) बापकी बहन

नोट--यह निश्चित नहीं है कि बन्धु इतनेही औरतें होती हैं इस स्कूलमें औरतें पूरे अधिकारसहित जायदाद लेती हैं देखो ६४४; ६४५; ६८२; ६८३; ६८६,

दफा ६४१. मदरासमें कौन कौन औरतें बन्धु मानी गयी हैं?--नीचे लिखी औरतें मदरास प्रांतमें बन्धु मानीगयी हैं-

(१) बहन-देखो-कुट्टी बनाम राधाकृष्ण 8 Mad. H. C. 88.
(२) सौतेली बहन-देखो-कुमार वेलू बनाम विराना 5 M. 29
(३) लड़केकी लड़की-देखो-14 Mad 149.
(४) लड़कीकी लड़की-देखो-17 Mad 182.
(५) भाईकी लड़की-देखो-21 Mad 263.
(६) बापकी बहन-देखो-15 Mad 421.

यह ऊपर कही हुयी औरतें मृतपुरुषके नज़दीकी रिश्तेदारीके क्रमसे वारिस होती हैं। लेकिन सब मर्द-बन्धुओंके पीछे इन औरतोंका हक़ पैदा होता है; देखो-वेंकटनरसिंभ बनाम वेंकटपुरुषोत्तम (1908) 31 Mad 321 और देखो प्रकरण ११.

---

(६) क़ानूनी वारिस न होनेपर उत्तराधिकार।

दफा ६४२. जब कोई वारिस न हो तो जायदाद कहां जायगी?—याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि किसी वारिसके न होनेपर जायदाद शिष्य, और ब्रह्मचारीको मिलेगी देखो—

(१) पत्नी दुहितरश्चैव पितरौ भ्रातरस्तथा
तत्सुतागोत्रजाबन्धुः शिष्यः सब्रह्मचारिणः। २-१३५

मिताक्षरामें कहा गया है कि—"बन्धूनामभावे आचार्यः। तद्भावे शिष्यः" बन्धुओंके अभावमें आचार्य्य और उसके अभावमें शिष्यको जायदाद मिलेगी।

(२) गौतमजी कहते हैं कि "श्रोत्रिया ब्राह्मण स्यानपत्यस्य रिक्थं भजेरन्" अनपत्य पुरुषकी जायदाद वेदपाठी ब्राह्मणको मिलेगी।

(३) मनुजी ने कहा है कि "सर्वेषामप्यभावेतु ब्राह्मणारिक्थ भागिनः। त्रैविद्याः शुचयो दांतास्तथा धर्मो न हीयते" ९-१८८ सब वारिसोंके अभावमें वेदत्रयीके ज्ञाता, शुद्ध, और इन्द्रियोंके दमन करनेवाले ब्राह्मण जायदाद पानेके अधिकारी होते हैं।

(४) नारदजीने कहा है कि—

ब्राह्मणार्थस्य तन्नाशे दायादश्चेन्न कश्चन
ब्राह्मणस्यैव दातव्य मेनस्वी स्यान्नृपोऽन्यथा।

जब बिला वारिस ब्राह्मण मरजाय तो उसकी जायदाद ब्राह्मण ही को राजा देवे।

(५) वृहद्विष्णुने कहा है कि-

"तद्भावे सहाध्यायिगामि, तदभावे ब्राह्मण धनवर्ज्यं राजागामि"

सकुल्यके न होनेपर सहपीठी, और उसके भी न होनेपर ब्राह्मणके धनको छोड़कर राजा जायदादका वारिस होता है १७-१२

(६) बौधायनने कहा है कि-

"तदभावे पिताचार्य्योऽन्तेवास्यृत्विग्वा हरेत्"

सकुल्यके अभावमें आचार्य, पिता, शिष्यको जायदाद मिलेगी प्रश्न १ अ० ५-११७

(१) सबका मतलब यह है। कि जहांपर मृतपुरुषके कोई रिश्तेदार नहीं होते तो गुरू और उनके न होनेपर चेला जायदाद लेता है गुरूसे मतलब है कि जो उस ख़ानदानका हो जिसका मृतपुरुष था, और चेला उसी पाठशालाका होना चाहिये जिसका मृतपुरुष था।

(२) जब कोई व्यापारी आदमी व्यापार करनेकी ग़रजसे दूसरे देशको गया हो और वहांपर मरजाय तथा उसके ख़ानदानमें या अन्य कोई भी वारिस न हो तो उस व्यापारी आदमीकी जायदाद उस आदमीको मिलेगी जो उसके व्यापारमें शरीक रहा हो। देखो-गिरधारी बनाम बंगाल गवर्नमेन्ट 12 Moo I. A. 457, 465; S.C. 1 B. L. R. (P.C.) 44; S. C. 10. Suth (P. C.) 82.

(३) हिन्दू धर्म शास्त्रोंमें कहागया है कि जब किसी पुरुषके कोई भी वारिस नहो तो ब्राह्मणकी जायदादको छोड़कर लावारिसकी जायदाद राजा लेवे। देखो मनुने कहा है कि-

अहार्यं ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्यमिति स्थितिः
इतरेषांतु वर्णानां सर्वाभावे हरेन्नृपः। ९-१८९

इस क़िस्मका कोई फैसला नहीं मिला कि जिसमें लावारिसकी जायदाद गुरू या चेला को मिली हो। यद्यपि आचार्य्योंकी यह राय है मगर यह राय एक मुक़द्दमेमें नहीं मानीगयी देखो-कलक्टर आफ मसुलीपटम बनाम कावाली वेंकट 8 M. I. A. 500; S.C. 2 Suth

(P. C.) 59 इस मुक़द्दमेमें सरकारने दावा किया था जो जायदाद एक ब्राह्मणकी थी, सरकारने बलिहाज़ लावारसी एक ब्राह्मण विधवाके मुक़ाबिलेमें दावा किया था ।

(४) लावारिस जायदादका मालिक सरकार होती है—जब किसी आदमीके मरनेपर उसका कोई वारिस न हो तो उसकी जायदादकी मालिक सरकार होती है यह माना हुआ सिद्धांत है । एवं इस सिद्धांतके अनुसार लावारिसकी जायदाद सरकारको पहुंचती है ज़िमीदारको नहीं पहुंचती यानी ज़िमीदार उसका मालिक नहीं होसकता । जब किसी ज़िमीदारने अपनी ज़िमीदारीका कोई हिस्सा किसी दूसरे आदमीको या औरतको इस अधिकारके साथ अलहदा दे दिया हो कि उसे जायदादके वेचनेका भी अधिकार है और वह आदमी उस जायदादका अकेला संपूर्ण अधिकारोंसहित मालिक होगया होतो उस आदमीके लावारिस मरनेपर ज़िमीदार या उसके क़ायम मुक़ाम उसकी जायदादको नहीं पासकते वह सरकारमें जायेगी । देखो-सोनन्द बनाम मिरज़ा 3 I. A. 92 ; S. C. 25 Suth 239.

उदाहरण—मानसिंह, दस गावोंका ज़िमींदार है । उसने एक गांव धीरसिंहको इस शर्तके साथ दे दिया कि वह उसकी मातहतीमें रहेगा मगर धीरसिंहको उस गांवके वेचने वग़ैराका सब अधिकार प्राप्त रहेगा । धीरसिंह मरगया और उसके कोई वारिस नहीं है; अर्थात् सपिण्ड, समानोदक, और बन्धुओंमें कोई नहीं है । तो अब धीरसिंहकी उस ज़िमींदारीको जो लावारिसी है सरकार लेगी ज़िमीदारको नहीं मिलेगी । और ऐसी ही सूरत तब होगी जब धीरसिंहकी औलाद होनेपर जायदाद उसकी औलादमें चली गयी हो और आख़िरी जायदादका मालिक लावारिस मरगया हो ।

मानसिंहने, एक बाग़ और एक मकान शिवभजन काछीको देदिया । शिवभजन काछी लावारिस मरगया । तो अब बाग़ और मकान जिसका कि शिवभजनकाछी अपनी ज़िंदगीमें अकेला संपूर्ण अधिकारों सहित मालिक था ज़िमींदारको नहीं मिलेगा बल्कि सरकार लेगी । यह सिद्धांत ऐसी सूरतसे संबंध नहीं रखता जहांपर कि कोई बाग या ज़मीन ज़िमींदारने किसीको ख़िदमती दी हो या दूसरी किसी ख़ास शर्तके आधारपर दी हो ।

साधूकी जायदाद ।

साधूसे मतलब उस आदमीसे है जिसने दुनियांसे अपनेको अलहदा कर लिया हो और किसी वर्णाश्रममें न रहा हो । जब कोई साधू किसी मठ, या कुटी, या गद्दीमें रहेता हो और उसका मालिक हो, तो उस साधूके मरनेके बाद उस मठ, या कुटी, या गद्दीमें लगी हुई जायदादका उत्तराधिकार मठ, कुटी. या गद्दीके रवाजके अनुसार होगा । कोई आदमी साधू या फक़ीर उस वक्त तक नहीं माना जायेगा जब तक कि वह दुनियांके सब आरामोंसे अलहदा न हो गया हो और दरहक़ीकत दुनियांके मुक़ाबिलेमें मर न गया हो । अगर कोई आदमी असलियतमें साधू हो जाय तो वह दुनियांकी दृष्टिमें मर जाता है और ऐसी सूरतमें उसकी सब जायदाद उसके क़ानूनी वारिसको फौरन मिल जाती है । और अगर वह किसी मठ या कुटी या गद्दीमें दाख़िल हो गया हो तो उस साधूसे फिर उस जायदादसे कुछ सरोकार नहीं रहता जिसपर वह साधू होनेसे पहिले क़ाबिज़ था-देखो दफा ६६०.

अगर कोई पूरा पूरा साधू नहीं हुआ या उसने अपना लगाव दुनियांसे नहीं तोड़ा, और वह दुनियांकी दृष्टिमें दुनियांसे अलहदा नहीं हुआ तो इस क़िस्मका साधू चाहे जिस नामसे वह कहा जाता हो ऐसा है कि मानो उसने मज़हबी कोई उपाधि धारण की है । ऐसी सूरतमें वह अपनी जायदादसे अलहदा नहीं समझा जायगा और न उसके वारिस उसकी

जायदाद पावेगें। उसकी सब जायदाद उसीके क़ब्ज़ेमें रहेगी। देखो–2 W. Macn. 101; मधुवन बनाम हरी S. D. of 1852, 1089; अमीना बनाम राधाविनोद S. D. of 1856, 596; खुदीराम बनाम रूखिनी 15 Suth 197; जगन्नाथ बनाम विद्यानन्द 1 B. L. R. (A. C. J.) 114; S. C. 10 Suth. 172; दुखराम बनाम लक्ष्मण 4 Cal 954.

शास्त्रोंमें माना गया है कि शूद्र कौंमका कोई आदमी साधू या संन्यासी नहीं हो सकता इसीलिये उसकी जायदादका उत्तराधिकार हमेशा क़ानूनके अनुसार होगा जबतक कि कोई सुबूत आम, या ख़ास रवाजका न पेश किया जाये। मतलब यह है कि जब कोई शूद्र कौमका आदमी साधू होगया हो तो सावित करना चाहिये कि उसके ख़ानदानमें या उसके ख़ास कुटुंबमें ऐसा रवाज है कि साधू होनेपर उसकी जायदाद वारिसको मिल जाती है। देखो–धर्मपूरम पंडा समाधी बनाम वीरा पांडियाम 22 Mad 302. 18 Indian Cases 474; 'स्त्री' के संसार त्यागनेके विषयमे देखो दफा ७११.

संन्यासी या यती।

किसी संन्यासी या यतीके मरनेके पश्चात् उसकी जायदाद उसके योग्य शिष्य या चेलेको मिलेगी देखो–4 C. 954; 4 C. L. R. 49; 4 C. 954; 1 All. 539; 21 W. R. 340; 10 W. R. 172. 'योग्य शिष्य' अगर ऐसे दो शिष्य हों एक तो ऐसा हो जो मृत संन्यासी या यतीके साथ रहा है और उसकी सेवा सुश्रूषा आदि करता रहा है और अपने गुरुके गुण प्राप्त कर चुका है दूसरा अजनवी है किंतु उसमें भी समान गुण हैं वहांपर यह नियम लागू होगा कि अजनबीसे पहले जायदाद साथ रहनेवाले शिष्यको मिलेगी देखो 4 Cal 543. यह नियम किसी महंतके चेलेसे कुछ भी संबंध नहीं रखेगा देखो 14 C. W. N. 191.

अगर किसी संन्यासी या यतिका योग्य शिष्य अपने गुरूको छोड़कर किसी दूसरे स्थानमें चलागया हो और वह वहींपर इधर उधर भ्रमण करता रहा हो, तथा उसने अपने सब कर्तव्य जो गुरु और शिष्यके मध्यमें होना चाहिये तोड़दिये हों या वेष बदल दिया हो तो उसे अपने गुरुकी जायदाद उत्तराधिकारमें नहीं मिलेगी; वह उस संन्यासी या यतिका वारिस नहीं हो सकेगा। देखो–4 N. W. P. 101; मानागया है कि कोई शिष्य किसी संन्यासी या यतिका वारिस नहीं होसकता जबतक कि वह 'विरजहवन'· न करे देखो–2 Indian Cases 385; 14 C. W. N. 191.

शिष्य या चेला–जब कोई आदमी संन्यासी या यति या गोसांई पंथके अंदर आना चाहता है तो उसे कुछ साधारण कृत्य करना होंगे जैसे शिरके बाल घुटाना, स्नान करना, उस पंथके कपड़े पहनना, और नया नाम रखना। तब वह आदमी उस पंथकी परीक्षाके अंदर आता है। जब वह एक या दो वर्ष अपनेको वैसा बनाले और उस पंथकी सब रसमोंको पूरा करले और मूलमंत्र द्वारा 'बिरजहवन' आदि करले तो समझा जायगा कि वह आदमी पूर्ण शिष्य या चेला होगया। जबतक पूर्ण शिष्य नहीं हुआ तबतक वह आदमी अपने परिवारमें लौट सकता है, पूर्ण होजानेके पश्चात् प्रायः लौटना नहीं होता। यह भी मानागया है कि अगर किसी महंत या गुरू या चेला आदिने किसी दूसरी तरहसे केवल नामकी उपाधि मात्र प्राप्त करली हो और वह सब कृत्ये जो उस पंथके लिये आवश्यकथे न किये हों तो सिर्फ नामकी उपाधि मात्रसे वह महंत या गुरू या चेला आदि नहीं माना जायगा देखो 2 Ind. Cases 385.

गोसांई—: 29 All 109; 3 All. L. J. 717 में मानागया कि यदि किसी गोसांईके

चेलेने, चेला होनेके पश्चात् एक वर्षतक 'ज्योति' की उपासना की हो तब वह सत्शिष्य माना जासकता है। अगर ऐसा न किया हो तो उसे उत्तराधिकारमें जायदाद नहीं मिलेगी। गोसांईकी जायदादका उत्तराधिकार पूर्णतया हिन्दूलॉसे नहीं निश्चित कियाजाता बल्कि गोसांइयोंकी भाईबंदीके निश्चित रवाज परसे निश्चित कियाजाता है 16 All 191; 21 I. A. 17.

जो गोसांई स्वयं और अपने कुटुम्बको दुनियांके धंधोंके द्वारा भरण पोषण करता हो और उसका संबंध किसी मठ या मंदिरसे न हो तो ऐसा समझा जायगा कि वह एक विशेष दर्जेका आदमी है उसकी वरासत उसके ख़ानदानके रवाजके अनुसार होगी देखो 1878 Select Case Part8 No 38. गोसांई और गोस्वामीमें कुछ भेद है किंतु यदि दोनों दुनियांके धंधोंसे भरण पोषण करते होंतो एकसां हालत होगी।

भिखमंगे-भिखमंगोंसे मतलब उन लोगोंसे है जो ज़ाहिरा दुनियांसे विरक्त देख पड़ते हैं और असलमें भीख मांगना उनका पेशा है। भीखकी आमदनीसे वे अपने परिवारका भरण पोषण करते हैं। कभी कभी आत्मिक उपदेश भी वे करते हैं। ऐसे भिखमंगे साधू या किसी मज़हबके उपदेष्टा या गुरू या चेले नहीं समझे जासकते चाहे वे किसी वेषमें हों और चाहे जो नाम रखलिया हो। ऐसे भिखमंगोंकी जायदादका उत्तराधिकार बहुत करके हिन्दूलॉ के अनुसार होगा जैसे दूसरे लोगोंका होता है; यहि कोई खास रवाज न साबित किया जाता हो। देखो स्ट्रेन्ज हिन्दूलॉ २६७. इसी विषयमें और देखो दफा ६६०.

नोट—महंत, गद्दीधर, किसी अखाडे या किसी मज़हबके गुरू, मंदिरके या मठके अधिष्ठाता आदिके लिये विस्तारसे देखिये इस किताबका प्रकरण १७.

---

(७) औरतोंकी वरासत।

दफा ६४३. बंगाल, बनारस, मिथिलास्कूलमे पांच औरतें वारिस मानी गयी हैं———बंगाल, बनारस, और मिथिला स्कूलका यह माना हुआ सिद्धांत है कि कोई भी औरत एक मर्दकी जायदाद बतौर वारिसके नहीं ले सकती, जब तक कि वह पूरे तौरपर वारिस शास्त्रोंमे न बताई गई हो। नतीजा यह है कि बंगाल, बनारस, और मिथिला स्कूलमें सिर्फ पांच औरतें पूरे तौरपर वारिस बताई गई हैं। वह पांच औरतें यह हैं——

(१) विधवा
(२) लड़की
(३) मा
(४) बापकी मा (दादी)
(५) पितामहकी मा (परदादी)

इन पांच औरतोंके सिवाय और कोई औरत पूरे तौरपर धर्मशास्त्रोंमें नहीं बताई गयी इसी लिये इनको छोड़कर दूसरी कोई औरत वारिस नहीं मानी जाती।

मिताक्षरामें वरासतके सिलसिलेमें जिन जिन वारिसोंका नाम बताया गया है वह बापके चाचाके लड़केपर समाप्त होजाता है। आगेके वारिसोंके लिये मिताक्षरा यह कहता है कि—

" एवं आसप्तमात्समान गोत्राणां, सपिण्डानां धनग्रहणं वेदितव्यम्,
तेषामभावे समानोदकानां धनसम्बन्धः "

बाक़ीके सपिण्डोंकी वरासतके बारेमें इसी तरहपर सात पूर्व पुरुषोंतक समझ लेन और जब सपिण्डोका अभाव हो तो उस वक्त वरासत समानोदकों को मिलेगी। समानोदकोंके न होनेपर बन्धुओंको (देखो दफा ५९२)

मिताक्षरामें सबसे पिछली जो पूर्वज स्त्रियें हैं यानी-प्रपितामहकी मा, प्रपितामहकी दादी, प्रपितामहकी परदादी। इन औरतोंको पूरे तौरपर वारिस नहीं बताया। इसी लिये बंगाल बनारस, और मिथिला स्कूलमें यह तीन औरतें वारिस नहीं मानी जातीं।

दफा ६४४. बंबई और मदरास स्कूलमें अधिक औरतें वारिस मानी गयी हैं।

यह सिद्धांत कि औरतें जो शास्त्रोंमें पूरे तौरपर वारिस बताई गई हैं वही जायदाद पावेंगी, यह बात बंबई और मदरास स्कूलमें नहीं मानी गयी है।

(१) बम्बई स्कूलमें, ऊपर बताई हुई दफा ६४० में पांच स्त्रियोंके अलावा कुछ अधिक स्त्रियां वारिस मानी गयी हैं। सबब यह है कि वहांपर मनुके ९-१८७ श्लोकपर आधार माना गया है। देखो—

अनन्तरः सपिण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत्
अतउर्द्ध्वं सकुल्यः स्यादाचार्य्यः शिष्य एवच। ९-१८७

इस श्लोकका अर्थ ' सर विलियम जोन्स ' साहेबने ऐसा किया है कि वरासत नज़दीकी सपिण्डको मिलेगी चाहे वह मर्द हो या औरत। यह अर्थ कुल्लूकभट्टके टीकासे निकाला गया है। देखो—' यः सपिण्डः पुमान् स्त्री वा तस्य मृतधनं भवति ' बंबईमें गोत्रज सपिण्ड स्त्रियोंको प्रिवीकौंसिलने वारिस माना है रवाजके आधापर। देखो-लालू भाई बनाम काशीबाई 5 Bom 110 ; 7 I. A. 212. 237.

(२) मदरास स्कूलमें कुछ औरतें बन्धु या भिन्न गोत्र सपिण्ड मानी गयी हैं इस बुनियादपर कि मनुके ऊपरके वचनमें 'सपिण्ड' शब्दमें स्त्रियां भी शामिल मालूम होती हैं। देखो बालम्मा बनाम पल्लइया 18 Mad 168, 170. दफा ६८२; ६८३; ६८६ देखो

दफा ६४५. बंबईप्रांतमें कौन स्त्रियां वारिस होती हैं—बंबई प्रांतमें ऊपर कही हुई दफा ६४०; ६४४ की पांच स्त्रियोंके अलावा नीचे लिखी स्त्रियां भी वारिस मानी गयी हैं—

(१)—बहन, चाहे वह सगी हो या सौतेली, बंबईमें बहन एक विशेष वचनके अनुसार जायदाद पाती है, अपने भाईके घरानेमें पैदा होनेकी वजहसे वह गोत्रज सपिण्ड भी मानी जाती है। देखो केसरबाई बनाम वल्लन 4 Bom 188 ;

बंबईप्रांतमें दादीके न होनेपर बहन वारिस होती है, सगी बहनके न होनेपर सौतेली बहन वारिस होगी। बहन भाईसे पहिले जायदाद नहीं पाती क्योंकि भाईका लड़का दादीसे पहिले वारिस होता है। देखो—मूलजी बनाम कृष्णदास 24 Bom 563. भाईकी विधवाके पहले और सौतेली माके पहिले बहन जायदाद पानेका अधिकार रखती है।

मयूखलॉके अनुसार सगी बहन सौतेले भाईसे पहिले जायदाद पाती है, क्योंकि मयूखलॉके अनुसार सौतेला भाई पितामहके साथ जायदाद पानेका अधिकारी होता है। सौतेली बहन चाचासे पहिले जायदाद पाती है, देखो-टीकम बनाम नाथा 36 Bom 120.

मद्रास प्रांतमें यद्यपि बहन वारिस मानी गयी है मगर वह एक बन्धुकी हैसियतसे वारिस समझी जाती है। बंगाल, बनारस, मिथिलामें बहन वारिस नहीं मानी जाती।

(२) मृतपुरुषके मरनेसे पहिले जो गोत्रज सपिण्ड मर चुके हैं उन सबकी विधवाएं यानी सपिण्ड और समानोदक दोनोंकी विधवायें वारिस होंगीं। लेकिन बन्धु या भिन्न गोत्रज सपिण्डकी विधवायें नहीं। वल्लभदास बनाम सकरबाई 25 Bom 281. इस तरह-पर लड़का, बाप, भाई, भतीजा, चाचा, चाचाका बेटा आदि मृतपुरुषके गोत्रज सपिण्ड होते हैं; इसी लिये बंबईके फैसलोंके अनुसार, लड़केकी विधवा, बापकी विधवा यानी सौतेली मा, भाईकी विधवा, भाईके लड़केकी विधवा, चाचाकी विधवा, सगे चाचाके लड़केकी विधवा यह सब गोत्रज सपिण्ड मानी गयी हैं। इसीसे जायदाद पानेकी अधिकारी हैं। यह विधवायें सगोत्र सपिण्ड होनेकी वजहसे बन्धुओंसे पहिले जायदाद पाती हैं। यहांपर जो स्त्रियां वारिस बताई गयी हैं वह उदाहरणार्थ हैं। इनके अलावा और भी होती हैं मगर वह सब बन्धुओंसे पहिले जायदाद पाती हैं। गोत्रज सपिण्डकी विधवायें सिर्फ बंबईप्रांतमें वारिस मानी गयी हैं दूसरी जगहपर नहीं। इस किताबकी दफा ६४४ में जो स्त्रियां बताई गयीं है वह भी वारिस होती हैं। प्रकरण ११ मे विस्तारसे देखो।

दफा ६४६. गोत्रजसपिण्ड और सगोत्रसपिण्डमें क्या फरक़ है ?——गोत्रजसपिण्ड और सगोत्रसपिण्डमें यह फरक़ है कि गोत्रजसपिण्ड उसे कहते हैं कि जो मृतपुरुषके घराने यानी गोत्रमें पैदा हुए हों। और सगोत्रसपिण्ड वह कहलाते हैं जो विवाहके द्वारा मृतपुरुषके गोत्रमें आते हैं; जैसे बहन आदि गोत्रजसपिण्ड हैं, क्योंकि वह मृतपुरुषके गोत्रमें पैदा हुई है, और चाची सगोत्रसपिण्ड है। क्योंकि उसका संबंध विवाहके द्वारा मृतपुरुषके गोत्रसे हुआ है, यही फरक़ इन दोनोंमें हैं। इसी तरहपर सब रिश्तेदारोंको समझलेना।

दफा ६४७. बंबई प्रांतमें गोत्रजसपिण्डोंकी विधवायें वारिस होती हैं।——गोत्रजसपिण्डोंकी विधवाओंकी वरासतका क्रम नीचे लिखे क्रमके अनुसार होता है। मगर गोत्रजसपिण्डकी कोई भी विधवा बहनसे पहिले जायदाद नहीं पाती। इस बातको मानते हुए गोत्रजसपिण्डकी विधवायें अपने पतियोंके क्रमानुसार वारिस होती हैं। लेकिन इन विधवाओंका वारिस होनेका हक़ उसवक्ततक नहीं पैदा होता जबतक कि उनके पतियोंकी शाखावाले मर्द गोत्रजसपिण्ड न मरजायें। गोत्रजसपिण्डोंकी विधवाओंका हक़ इसप्रकार माना गयाहै—

गोत्रज सपिण्डोंकी विधवाओंके वरासत पानेका क्रम			
१	लड़का	१३	लड़केकी विधवा
२	पोता	१४	पोतेकी विधवा
३	परपोता	१५	परपोतेकी विधवा
४	मृतपुरुषकी विधवा		
५	लड़की		
६	लड़कीका लड़का		
७	मा		
८	बाप	१६	बापकी विधवा=मृतपुरुषकी सौतेली मा
९	भाई	१७	भाईकी विधवा
१०	भाईका लड़का	१८	भाईके लड़केकी विधवा
११	दादी		
१२	बहन		

दफा ६४८. विधवाओंका क्रम पतियोंके अनुसार होगा--ऊपर दफा ६४७ में नम्बर १८ के बाद अर्थात् जब इन मेसे कोई वारिस न हो तो उसके बाद दादा वारिस होता है और उसके बाद दादा की लाइन के पुरुष वारिस होते हैं, इस दादा की लाइन में चाचा, चाचा का लड़का, यह सब गोत्रजसपिण्ड हैं इस लिये अगर इन तीनोंमेंसे कोई न हो तो इनकी विधवायें अपने पतियों के क्रमसे जायदाद पायेंगी जैसे-

(१९) दादा (२०) चाचा (बापका भाई) (२१) चाचा का लड़का (२२) बापकी सौतेली मा (विधवा) (२३) चाचा की विधवा (२४) चाचा के बेटेकी विधवा।

जैसा कि क्रम ऊपर बताया गया है इसी प्रकार परदादा की लाइन में भी समझ लेना। मगर बंबई प्रांतमें भाई के पोतेकी तथा चाचा के पोते की कौनसी जगह है, वह किसके बाद और किससे पहिले वारिस होने का हक़ रखते हैं यह बात निश्चित नहीं है परंतु हर सूरतमें भाई का पोता, भाई की विधवासे पहिले वारिस होगा और इसी तरह पर चाचा का पोता चाचा की विधवासे पहिले वारिस होगा; क्योंकि यह बात मानी गयी है कि 'विधवाओंके वारिस होने का हक़ उस वक्त तक नहीं पैदा होगा जबतक कि उनके पतियों की शाखावाले मर्द गोत्रजसपिण्ड न मरगये हों'। देखो--काशीबाई बनाम मोरेश्वर (1911) 35 Bom 389; सीताराम बनाम चिंतामणि 24 All. 472.

दफा ६४९. मदरास प्रांतमें गोत्रज सपिण्डों की विधवायें वारिस नहीं मानी जातीं----इस किताबकी दफा ६४३ में जो पांच औरतें बताई गयी हैं उनके सिवाय दफा ६४१ में जो औरतें बताई गई हैं वह सब मदरास प्रांतमें वारिस नहीं मानी गयीं। देखो-कना कम्मल बनाम असन्त माथी 37 Mad 293.

---

(८) मौरूसी ज़मीन आदिका उत्तराधिकार।

दफा ६५०. मौरूसी ज़मीन आदि का उत्तराधिकार------हिन्दूलॉ संबंधी उत्तराधिकार समाप्त करनेके पश्चात् यह ज़रूरी मालूम होता है कि देहाती काश्तकारों के लाभके लिये, मौरूसी ज़मीन आदिका उत्तराधिकार भी संक्षेपसे बता दिया जाय। 'आदि' से मतलब असामी साक़ितुलमिल्कियत और असामी दख़ीलकार तथा असामी ग़ैर दख़ीलकार के हक़ रखनेवाली ज़मीनसे है। इन तीनोंका जो हक़ काश्तकारी की ज़मीन में पैदा हो जाता है उस ज़मीनके हक़ का उत्तराधिकार निम्न लिखित एक ही तरह पर कानून के अनुसार माना गया है। असामियों की ज़मीन के हक़के उत्तराधिकार का जो क्रम नीचे बताया गया है वह समस्त भारत से संबंध नहीं रखता; इसका संबंध केवल संयुक्त प्रांतसे है। क़ानून लगान एक्ट नं० २ सन १९०१ ई० की दफा २२ (टेनेन्सी एक्ट N. W. P. No 2 of 1901. S. 22.) के अनुसार आजकल असामियों की ज़मीनके हक़ का उत्तराधिकार होता है। उत्तराधिकारमें वारिस का क्रम बतानेसे पहले उपरोक्त तीनों क़िस्मके असामियों की हक़दारी समझ लेना चाहिये--

असामी साक़ितुल्‌मिल्कियत——हर मालिक जिसकी मिल्कियतके मालिकाना हक़ चाहे वह किसी मोहालमें हो या चाहे मोहालके किसी हिस्सेमें या उसकी ख़ास ज़मीनके रक़बे में हो, मुन्तक़िल हो जाय तो वह अपनी सीरका और उस ज़मीन का कि जिसकी काश्त इन्तक़ाल की तारीख़ पर बराबर १२ सालसे करता रहा हो असामी हक़दार दख़ीलकार हो जायगा। ऐसे असामीको असामी साक़ितुल्‌मिल्कियत कहते हैं। हक़ का इन्तक़ाल चाहे अदालती नीलाम के द्वारा या अपनी इच्छासे या उस मोहालमें अपने हिस्सेदारोंके बदलाव से हुआ हो असामी साक़ितुल्‌मिल्कियतको यह हक़ प्राप्त हो जाता है कि ग़ैरदख़ीलकार असामी की अपेक्षा वह उस ज़मीनका लगान एक रुपयामें चार आना कम अदा करे।

उदाहरण--एक आदमी एक गांव का ज़िमीदार है वह अपनी ज़मींदारी की ६ बीघा ज़मीन पर अपने लिये काश्त करता है। उसे काश्त करते बराबर १२ साल हो गये। पश्चात् उस ज़िमीदार ने अपना गांव बेचडाला। बयनामे में इस ६ बीघा ज़मीन के बारेमें कोई ज़िकर न था। अब यह ६ बीघा ज़मीन पहले के ज़िमीदार की साक़ितुल्‌मिल्कियत कहलायेगी। गांवका ख़रीदार, पहलेके ज़िमीदार को इस ज़मीनसे बेदख़ल नहीं कर सकता। पहलेके ज़िमीदार को इस ६ बीघा ज़मीनके इन्तक़ाल करने का हक़ प्राप्त है तथा वह ग़ैरदख़ीलकार असामी की अपेक्षा एक रुपयामें चार आना कम लगान देगा।

असामी दख़ीलकार (मौरूसी काश्तकार)——असामी दख़ीलकार वह असामी है जिसको एक ही ज़मीन पर बराबर १२ वर्ष तक क़ब्ज़ा रखने के कारण उस ज़मीनमें दख़ीलकारीका हक़ हासिल हो जाता है। मगर शर्त यह है कि ऐसी ज़मीनमें कोई असामी दख़ीलकारीका हक़ हासिल नहीं कर सकेगा अगर—

(क) उसने वह ज़मीन रजिस्टरी किये हुए पट्टेके द्वारा सात वर्षसे कम मुद्दतके लिये पट्टेपर न ली हो; या—
(ख) वह ठेकेदार हो; या—
(ग) असामी शिकमी हो।

दख़ील कारीका हक़ नीचे लिखी ज़मीनोंपर भी हासिल नहीं होगा—

(क) सीरकी ज़मीनमें या—
(ख) ऐसी ज़मीनमें जो किसी फौजी पड़ावका हिस्सा हो या—
(ग) किसी ऐसी ज़मीनका हिस्सा हो जो सार्वजनिक कामके लिये हासिल की गयी हो या—
(घ) सार्वजनिक उपयोगिताकी कोई जगह हो।

मगर यह भी शर्त है कि १२ वर्षकी मुद्दत गिननेमें वह समय जिसमें वह ज़मीन असामी शिकमीको दी गयी हो या दूसरी तरहसे इन्तक़ाल किया गया हो जोड़ा नहीं जायगा किंतु उसका क़ब्ज़ा बराबर जारी समझा जायगा।

उदाहरण—(१) 'क' एक आदमी ग़ैरदख़ीलकार है। उसने एकही ज़मीनमें बराबर ५ वर्षतक खेती की। फिर दो वर्षके लिये शिकमीको देदी और फिर उससे वापिस लेकर खुद ५ वर्षतक बराबर खेती की। तो यद्यपि यह सब मुद्दत मिलाकर १२ वर्ष हुई; फिर भी उसे दख़ीलकारी (मौरूसी) का हक़ हासिल नहीं होगा। जब वह खुद और दो वर्षतक खेती करे तब उसे उस ज़मीनपर दख़ीलकारी (मौरूसी) का हक़ प्राप्त होगा।

(२) ‘ क ’ एक ग़ैर दख़ीलकार आसामी है। उसने एकही ज़मीनपर बराबर ४ वर्ष खेती की। फिर क़ानूनके अनुसार एक वर्षके लिये शिकमी असामीको देदी। फिर उससे वापिस लेकर २ वर्ष खुद खेती की। अब यहां क़ानूनकी आज्ञा यह है कि ग़ैर. दख़ीलकार असामी अपनी ज़मीन सिर्फ एक वर्षके लिये शिकमी असामी को देसकता है और एक वर्ष पूरा होनेके बाद फिर तीन वर्षतक उस ज़मीनको नहीं दे सकता। इस आज्ञाका उल्लंघन करके ‘ क ’ ने दोही वर्षके बाद फिर वह ज़मीन एक वर्षके लिये शिकमी असामीको देदी। उसके बाद फिर उससे वापिस लेकर खुद ४ वर्ष तक खेतीकी यह सब मुद्दत मिलाकर १२ वर्ष हुई परंतु ‘ क ’ ने जो दूसरी बार शिकमी असामीको एक वर्षके लिये ज़मीन दी वह क़ानूनके विरुद्ध थी इसलिये वह एक वर्ष, १२ वर्षकी मुद्दतमेंसे निकाल दियाजायगा। अब ‘ क ’ और एक वर्षतक उस ज़मीनपर खेतीकरे तब उसे दख़ीलकारी (मौरूसी) का हक़ हासिलहो।

असामी ग़ैरदख़ीलकार——वे असामी जो अपनी ज़मीनपर हमेशा क़ब्ज़ा रखनेके हक़दार हैं, तथा वे असामी जिनकी लगानकी शरह हमेशाके लिये निश्चित होचुकी है (असामी शरह मुऐयन) और असामी साक़ितुल्मिल्कियत और असामी दख़ीलकार (मौरूसी काश्तकार) को छोड़कर बाक़ी जितने क़िस्मके असामी होते हैं वे सब असामी ग़ैरदख़ीलकार कहलाते हैं। इनमें शिकमी और सीरके शिकमी असामी तथा ठेकेदार भी शामिल हैं।

नोटः—यह ध्यान रखना चाहिये कि साक़ितुल्मिल्कियतके क़िस्मकी ज़मीन पहलेके ज़िमीदारको ही प्राप्त होती है। और असामी दख़ीलकार की ज़मीन प्रायः ऐसे लोगोंके पास होती हैं जिन्होने ज़िमीदारसे पहले जोतनेके लिये खेत लिये और जोतते हुए १२ वर्ष गुज़र गये। अब उस ज़मीन पर उनका मौरूसी हक़ प्राप्त हो गया जबतक वे जोतते और लगान देते रहेंगे ज़िमीदार बेदख़ल नहीं करा सकेगा। ग़ैर दख़ीलकारका यह हक़ है कि जिस ज़मीनको जोतते १२ वर्ष नहीं हुए जैसे किसीने ४ वर्षके पट्टेपर मालिकसे एक ज़मीन जोतनेके लिये ली और एक वर्ष जोतनेके बाद वह मरगया तो अब ३ वर्षके जोतनेका हक़ उसके वारिसको प्राप्त रहेगा। यही ग़ैर दख़ीलकारका हक़ कहलाता है। नीचे साक़ितुल्मिल्कियत और मौरूसी हक़की काश्त तथा ग़ैरदख़ीलकारीकी काश्तका उत्तराधिकार वर्णन किया गया है इन तीनोंका उत्तराधिकार एकसा होता हैं।

असामी साक़ितुल्मिल्कियत, असामी दख़ीलकार. और असामी ग़ैर दख़ीलकारकी ज़मीनके हक़की वरासतका क्रम।

तीनों असामियोंकी वरासत——क़ानून लगान एक्ट नं० २ सन १९०१ ई० (संयुक्त-प्रांत) की दफा २२ के अनुसार तीनों क़िस्मके असामियोंकी ज़मीनके हक़की वरासत इस प्रकार है--

" जब कोई असामी साक़ितुल्मिल्कियत या असामी दख़ीलकार या असामी ग़ैरदख़ीलकार (ठेकेदारको छोड़कर) मर जाय तो उसकी हक़ीयतकी वरासत नीचे लिखे क्रमके अनुसार होगी—

(क) मृतपुरुषके नीचेके मर्द वारिसोंके सिलसिलेमें मर्द संतान (अर्थात पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र).

(ख) अगर ऐसी संतान न हो तो मृतपुरुकी विधवा, अपने मरनेतक या दूसरा विवाह करलेने तक।

(ग) अगर पूर्वोक्त वारिस और विधवा भी न हो तो मृतपुरुषका भाई, जो एक ही बापसे जन्मा हो जिसका कि मृतपुरुष पुत्र था।

अगर ऊपर कहे हुए कोई वारिस न हों तो--

(घ) मृतपुरुकी लड़कीका लड़का; और

(च) अगर लड़कीका लड़का भी न हो तो मृतपुरुषकी भिन्न शाखाके मर्द रिश्तेदारोंकी मर्द संतान।

मगर शर्त यह है कि अगर लड़कीका लड़का या भिन्न शाखाका रिश्तेदार मृतपुरुषकी मौतके समय उसकी हकीयतकी खेती करनेमें शरीक न रहा हो तो वह मृतपुरुषका वारिस नहीं होगा।"

नोट—उत्तराधिकारका क्रम ऊपर बता दिया गया यहांपर यह बात ध्यानमें रखना चाहिये कि लड़कीके लड़के और भिन्न शाखा (देखो दफा ६२४) के रिश्तेदारोंके लिये यह शर्त कि उसकी मौतके समय खेतीमें शरीक होना ज़रूरी है लागू होगी किंतु, पुत्र पौत्र, प्रपौत्र, विधवा, और भाईसे लागू नहीं होगी। ज़मीनकी वरासतके विषयमें जो कुछ इस ६५० दफामें कहा गया है वह सब मिस्टर यम. एल. अगरवाला एन. डब्ल्यू. पी. टेनन्सी एक्ट नम्बर २ सन १९०१ ई० संस्करण छठवांकी दफा २२ के अनुसार है।

—ठेकेदार—जिसने कि असली मालिकसे उसके मालिकाना हक़का पट्टा लेलिया हो या ज़िमीदारने किसी ख़ास तरहके क़ब्ज़ेपर ज़मीनदे दीहो, ठेकेदार समझा जायगा 29 I.C. 649. **—असामी नहीं है**—माफीदार असामी नहीं है। जिसके क़ब्ज़ेमें कोई ऐसी ज़मीनका टुकड़ा हो जिसपर वृक्ष लगे हों और वह उन वृक्षोंके नीचे खेती करता हो तो वह असामी नहीं है। एक मामलेमें (U. D. Vol. II. P. 416). एक आदमीने जिसके क़ब्ज़ेमें एक ऐसी ही वृक्षवाली ज़मीन (बाग़) थी उस ज़मीनपर पेड़ोंके किनारे जगह जगह पर उसने खेती की। उस आदमीके वारिस, क़ानून लगान एक्ट नं० २ सन १९०१ की दफा २२ के अनुसार उस खेतीकी ज़मीनके वारिस नहीं हैं, बल्कि वे बेदख़ल किये जासकते हैं; उनका अधिकार सिर्फ उतनी ही ज़मीनपर रहेगा जितनी पेड़ोंके नीचे है।

—साझीदार——अगर दो या ज्यादा आदमियोंने कोई ज़मीन साझेदारीमें ली हो और उनमें एक बिला वारिस मरजाय तो उसका हिस्सा दूसरा या दूसरे साझीदार पावेंगे यदि उसने अपनी विधवा छोड़ी हो तो वह पतिका हिस्सा पायेगी, अगर कई विधवाएं हों तो वे सरवाइवरशिपके हक (देखो दफा ५५८). के साथ पतिका हिस्सा लेंगी देखो–P.R. 1891 ; No; 9;**—बे क़ानूनी इन्तक़ालका फल**——अगर कोई असामी अपनी ज़मीनका इन्तक़ाल बे क़ानूनी ढंगसे करदे तो जिस आदमीके नाम इन्तक़ाल कियागया है वह यदि उस ज़मीनपर १२ वर्षसे ज़्यादा क़ाबिज़ रहा हो और ज़िमीदारने इसपर कोई आपत्ति न की हो तो इस आदमीके मरनेके बाद उक्त असामीका वारिस अर्थात् उसके पुत्र आदि उस ज़मीनके वारिस नहीं माने जायंगे चाहे वह यह उज्र पेश करते हों कि वह इन्तक़ाल बे क़ानूनी था देखो U. D. Vol 2, P. 249 ;**—वरासत**—ऊपर (क) में कहागया है कि 'मर्द वारि-

लोंके सिलसिलेमें मर्द संतान ' इसका अर्थ है पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र । प्रपौत्रका पुत्र वारिस नहीं होगा । केवल औरस संतान वारिस होती है किंतु एक शूद्रके मामलेमें मानागया कि उसके औरसपुत्र न होनेपर अनौरस पुत्र वारिस है देखो 5 A. L. J. 629 ; दत्तकपुत्र और औरसपुत्रका दर्जा समान है । सब पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र बराबर हिस्सा पाते हैं । जैसे एक आदमी एक पुत्र और दो पौत्र जिनका बाप मरगया है, और तीन प्रपौत्र जिनका बाप और दादा मरगया है, छोड़कर मरगया । अर्थात् ६ वारिस छोड़े । ऐसे मामलेमें इलाहाबाद हाईकोर्टने माना कि यहांपर हिन्दूलॉ के अनुसार उन्हे हिस्सा नहीं मिलेगा बल्कि सबको बराबर हिस्सा मिलेगा यानी जायदाद ६ बराबर हिस्सोंमें बटकर प्रत्येक वारिसको एक एक हिस्सा मिलेगा । देखो 5 A.L.J. 77 ; 30 All. 128——कोई शिष्य या चेला अपने गुरुकी दख़ीलकारी या ग़ैर दख़ीलकारी ज़मीनका वारिस नहीं होसकता 29 I. C. 407 ; B. R. 8 of 1904 ; 5 N. W. 55.——यदि किसीके दो पुत्र हों और उनमेंसे एक परदेश चलागया हो और दूसरा जो घरमें रहा हो सिर्फ उसीका नाम क़ागज़ात मालेमें दर्ज हो तो इस सबबसे परदेश चले जानेवाले भाईका हक़ नहीं माराजायगा, यदि वह मरजाय तो उसकी विधवाको हक़ मिलेगा देखो U. D. Vol. 2 , P. 16.

—भाई—मृतपुरुषके पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र और विधवाके न होनेपर वारिस होताहै । रवाज के अनुसार सगाभाई पहले वारिस होगा सौतेला पीछे किन्तु इस क़ानून (एक्ट नं० २ सन १९०१ एन. डबल्यू. पी.) के अनुसार सगे और सौतेले दोनों बराबर हिस्सा लेंगे । एक मामलेमें तीन भाई एक ज़मीनके असामी थे परंतु उनका चौथा भाई नहीं था, उन तीनों भाइयोंमें एकके मरनेपर बाक़ी दोनों भाई और वह चौथा भाई भी वारिस मानागया देखो—U. D. Vol 2 P. 211.

नोट—क़ानून लगान एक्ट नं० २ सन १९०१ ई० की दफा २२ के मतलबके लिये दत्तक गयाहुआ भाई, क्या भाई मानाजायगा ? दत्तकके मामलेमें तीन सूरतें होती हैं जैसे अ, नामक एक मौरूसीकाश्तरका है उसके क, और ख, दो लड़के हैं उसने एक लड़का ख, दत्तक देदिया । पीछे वह मरा. तो प्रश्न यह है कि अ, की ज़मीन केवल क,को मिलेगी या उस लड़केको भी जो दत्तक देदिया गया था ? अथवा ख, जब दत्तक चलागया तो उसे दत्तक पिताकी मौरूसी ज़मीन वरासतमें मिली और उसने खुद भी ऐसी ज़मीनकी हक़दारी प्राप्तकी पीछे बिना औलादके मरगया तो अब प्रश्न यह है कि क्या क, उसका भाई मानाजाय ? अथवा ख, के दत्तक चले जानेके बाद क, ने किसी ज़मीनपर मौरूसी हक़ प्राप्त किया और बिना वारिसके मरगया तो अब प्रश्न यह हैं कि क्या ख, उसका भाई मानाजाय ? सबका उत्तर यह है कि इस क़ानूनकी दफा २२ के लिये, दत्तक गयाहुआ भाई, भाई नहीं मानाजायगा क्योंकि हिन्दूलॉ का सिद्धांत है कि जब लड़का दत्तक चलाजाता है तो असली ख़ानदानमें उसकी क़ानूनी मृत्यु होजाती है उसके वे सब हक़ टूट जाते हैं जो असली ख़ानदानमें रहनेकी हालतमें उसे प्राप्त थे । इस क़ानूनकी दफा २२ में जहांपर कोई शर्त हिन्दूलॉसे भिन्न नहीं है वहांपर हिन्दुलॉ का सिद्धांत पूरा पूरा मानागया है जैसे दत्तक पुत्रका औरसके बराबर हक़दार मानाजाना । हालके एक मामलेमें इलाहाबाद हाईकोर्टने माना है कि दत्तक गयाहुआ भाई, इस दफा २२ के भाईके हक़को खो देता है ।

लड़कीका लड़का———नेवासा उसी सूरतमें वारिस होगा जब वह मृतपुरुषके मौत के समय उसकी काश्तमें शरीक रहा हो । यही बात भिन्न शाखाके रिश्तेदारोंके लियेभी समझिये (भिन्नशाखाके लिये देखो दफा ६२४). लड़कीका लड़का यदि काश्तमें शरीक भी रहा हो तो भी वह भाईसे पहले वारिस नहीं होगा चाहे भाई काश्तमें शरीक न भी रहा हो । देखो U. D. Vol. 1. Part 5. P. 29. ———काश्तकी शिरकत———B. R. 1. of 1907

में मानागया कि ८ या ९ वर्षका कोई बालक या अंधे आदमी या पागलके विषयमें यह नहीं कहा जासकता कि वह मृतपुरुषकी खेती करनेमें शरीक रहा था। किंतु U. D. Vol 2 P. 52. में मानागया कि १४ वर्षका लड़का काश्तमें हिस्सा लेसकता है इसलिये वह वारिस होसकेगा।

—मृतपुरुषके साथ केवल रहने सहनेसेही यह नहीं समझाजायगा कि वह उसकी ज़मीनमें भी हिस्सेदार है। काश्तकी शिरकत मृतपुरुषके साथ होना चाहिये, विधवाके साथ शिरकत करनेसे कुछ फायदा नहीं होगा। ऐसा वारिस जो मृतपुरुषकी खेतीके कामोंमें शरीक रहा हो जो कुछ मृतपुरुष करता था उसीमें वह भी लगा रहता हो तथा उसकी मौतके समय भी वह वारिस वैसाही करता रहा हो, तो वह काश्तमें हिस्सेदार समझाजायगा देखो, 29 I. C. 22; U. D. Vol. 1. Part 2. P. 44.

—मृतपुरुषकी काश्तकी ज़मनिमेंसे किसी एक ज़मीनमें जो वारिस हिस्सा रखता हो तो समझा जायगा कि वह सब ज़मीनमें हिस्सा रखता है। जैसे किसीके ४ खेत हैं और उसने २ खेत शिकमीको देदिये बाक़ी दोमें खुद खेती करने लगा किसी वारिसने दो खेतोंकी खेती करनेमें उसे मदद दी, तो समझाजायगा कि वह वारिस चारो खेतोंमें शरीक था 4 Rev. And Cr. L. I. 147.

—कोई आदमी बाहर चलागया और अपनी ज़मीन किसी रिश्तेके भाईके सिपुर्द करगया जिसने उसे जोता तो मानागया कि वह ज़मीनमें हिस्सेदार है U.D. Vol. 1 Part 2 P. 88 किसी नाबालिग़का वली यदि किसी ज़मीनकी देखरेख करता हो तो वह हिस्सेदार नहीं माना जायगा; देखो 32 I. C. 915.

—अगर कोई आदमी नौकरीपर है तो जो वारिस उसकी ज़मीनका इन्तज़ाम करता है उसका हिस्सेदार मानाजायगा देखो U. D. Vol. 2. P. 437.

—यदि किसीने अपनी ज़मीन अपने भिन्नशाखाके रिश्तेदारको शिकमीपर देदी हो और जितना लगान वह अदा करता था उससे ज्यादा शिकमीसे लिया हो तो यह नहीं मानाजायगा कि वह रिश्तेदार शिकमी उसकी ज़मनिका हिस्सेदारहै 4 Rev. and, Cr. L.J. 88.

—जब किसी लड़कीने ज़मीनपर खुद दख़ीलकारीका हक़ प्राप्त किया हो तो उसके बिना संतान मरनेपर उसका भाई या भिन्नशाखाके रिश्तेदार जो काश्तमें शरीक रहे हों वारिस होते हैं देखो–B. R. 5 of 1912; 5 Rev. and, Cr. L. J. 230.

—मुश्तरका ख़ानदानके किसी आदमीने अगर कोई ज़मीन ज़िमींदारसे खेतीके वास्ते ली हो और उस आदमीका नाम बहैसियत असामीके दर्ज हो तो वही आदमी असामी माना जायगा उसके मरनेपर उसकी ज़मीनका उत्तराधिकार क़ानून लगानकी दफा २२ के अनुसार होगा, हिन्दूलॉ के मुश्तरका ख़ानदानकी तरह इस ज़मीनका उत्तराधिकार नहीं होगा। क्योंकि यह ज़मीन मुश्तरका ख़ानदानकी नहीं समझी जाती देखो–U. D. Vol II P. 557.

—कोई आदमी चाहे वह अकेला किसी ज़मीनका असामी हो या भाइयोंके साथ काश्तमें शरीक हो दोनों सूरतोंमें उसकी विधवा वारिस होगी देखो B. R. 13. of 1912.

—अगर कोई ज़मीन वरासतमें किसी ऐसे पूर्वज या पूर्वजोंसे प्राप्त हुईहो जो मुश्तरका हिन्दूख़ानदानके थे तो वह ज़मीन मुश्तरका ख़ानदानकी जायदाद समझी जायगी चाहे उस ज़मीनपर नाम एकही आदमीका दर्ज हो B. R. 13 of 1912. किंतु हालमें बोर्ड और इला-

हाबाद हाईकोर्टकी राय संदेह जनक है जहांतक मालूम होता है सरवाइवरशिप (दफा ५५८). का हक़ ज़मीनकी वरासतमें लागू नहीं होगा।

—जब किसी विधवाको बहैसियत अपने पतिके वारिसके ज़मीन मिली हो और विधवाके मरनेपर जो उस ज़मीनके पानेका हक़ रखता हो अर्थात् रिवर्ज़नर वारिस (देखो दफा ५५८). उसे विधवा अपने जीतेजी उस ज़मीनको दे दे तो यहांपर यह प्रश्न उठता है कि क्या विधवा अपनी ज़िंदगीमें अपना हक़ छोड़ सकती है? और क्या वह रिवर्ज़नर वारिस (दफा ५५८). उस ज़मीनका दख़ीलकार असामी होसकता है? इलाहाबाद तथा मदरास हाईकोर्टने माना कि विधवा अपना हक़ नहीं छोड़ सकती यदि ऐसा करे तो वह आदमी जिसे ज़मीन दीगयी है शिकमी काश्तकारकी हैसियत रखेगा देखो 6. All 116 (F. B.; 3 A. W. N. 243; 6 All. 288. किंतु कलकत्ता हाईकोर्टने यह माना कि विधवा अपना हक़ छोड़ सकती है इस रायका समर्थन प्रिवी कौन्सिलने भी किया देखो 10 Cal. 1012. यह प्रश्न अभीतक निश्चित रूपसे तय नहीं हुआ किंतु आजकल प्रायः इलाहाबाद हाईकोर्टकी राय मानी जाती है इसी आधारपर यह भी मानागया है कि असामी दख़ीलकार अपने दख़ीलकारीके हक़को किसी दूसरेको दे नहीं सकता।

—अगर कोई असामी फसलीसनके अंदर मर जाय तो चाहे उस ज़मीनमें उसका हक़ दख़ीलकारी रहा हो या न रहा हो, उसकी ज़मीन और तैय्यार फसल उसके वारिसोंको मिलेगी (ऐसी हालतमें वारिस हिन्दूलॉके अनुसार माना गया है) अगर ज़िमीदार उन्हे अपना असामी नहीं रखना चाहता हो तो उन्हे वह क़ानूनके अनुसार वे दख़ल कर सकता है देखो U. D. Vol 2 P. 247.

—यौंतो ग़ैरदख़ीलकारी ज़मीनका उत्तराधिकार भी इसी क़ानूनकी दफा २२ के अनुसार होता है परंतु ज़िमींदारको अख़त्यार है कि वह ज़मीनका ऐसा पट्टा लिख दे जिस्मे ज़मीनके उत्तराधिकारका कोई ख़ास क्रम लिखा हो तो ऐसा पट्टा दोनों पक्षकारोंको पाबंद करेगा U. D. Vol. 1 Part 4 P. 89.

नोट—ऊपर हमने असामियोंकी ज़मीनके उत्तराधिकारका क्रम संक्षेपसे वतला दिया अधिक देखना हों तो देखो—क़ानून लगान, यन, डवल्यू, पी. एक्ट नं० २ सन १९०१ पर मिस्टर, यम, एल. अगरवालाकी टीका सन् १९१९ ई० छठवां संस्तरण पेज १३६ से १५०.

(९) उत्तराधिकारसे बंचित वारिस।

दफा ६५१. व्यभिचारिणी विधवा——(१) धर्मशास्त्र और फैसलोंका संक्षिप्त मत—स्मृति चन्द्रिका (११-२-२६) और वीरमित्रोदय (३-२-३) में कहा गया है कि हिन्दू विधवाके लिये उत्तराधिकारके द्वारा पतिकी जायदाद पानेके बारेमें ज़रूरी शर्त यह है कि विधवा सच्चरित्र हो यानी व्यभिचारिणी न हो। मिताक्षरा और मयूख भी यही बात कहते हैं किंतु दूसरे वारिससे व्यभिचारकी शर्त लागू न होगी। विधवाकी पवित्रता या सच्चरित्रताका अर्थ वारिस होनेके मतलवके लिये केवल इतना लिया जायगा कि उसने कभी

अपने शरीरसे व्यभिचार नहीं किया मनसे चाहे किया हो। देखो 17 Indian; Cases 83; 16 C. W. N. 964. कात्यायन कहते हैं कि—

‘ पत्नीपत्युर्धनहरी या स्यादभिचारिणी ’

पत्नी अपने पतिका धन तब लेगी जब कि वह व्यभिचारिणी न हो। मद्रास और बंबईकी हाईकोर्टोंने माना है कि जिस समय विधवाको जायदाद पहुंचनेका हक़ पैदा हुआ हो उस समय वह व्यभिचारिणी न हो देखो-कोर्जायाड्डू बनाम लक्ष्मी 5 Mad 149. बंबई हाईकोर्टकी यह राय हैकि यदि पतिके जीतेजी स्त्रीपर व्यभिचारका दोष लगाया गया हो, और पतिने माफकर दियाहो पीछे वह सच्चरित्र होगयी होतो विधवाका हक़ नहीं मारा जायगा 13 B. L.R. 1038; 36 Bom 138; बंगाल और इलाहाबाद हाईकोर्ट यह मानते हैं कि वारिस होनेके समय यदि विधवा व्यभिचारिणी हैतो उसे जायदाद नहीं मिलेगी। पंजाबमें जब कि स्त्री बालिग़ हो और किसी रिश्तेदारके साथ रहती हो, अथवा उसके लड़के मौजूद हों, तो उसे पुरुष संबंधी कुटुम्बियोंके विरुद्ध पतिकी जायदाद नहीं मिलेगी---34 P. R. 1893; 74 P. R. 1893.

(२) अदालती फैसले—व्यभिचारिणी विधवा अपने पतिकी जायदादके वारिस होनेका हक़ नहीं रखती देखो-केरीकोलीटानी बनाम मोनीराम कोलिटा (1873) 13 B. L. R 1—11; 19 W. R. C. R. 367; लेकिन अगर विधवा व्यभिचारिणी होनेसे पहले जायदादकी मालिक होचुकी हो और जायदादपर चाहे उसका क़ब्ज़ा न हुआ होतो पीछे व्यभिचारिणी होजानेके कारण उसका हक़ नहीं माराजायगा-7 I. A. 115; 5 Cal 776; 6 C. L. R. 322; 13 B. L. R. 1; 19 W. R. C. R. 367; 4 Bom. H. C.A C. 25; 2 All. 150; 24 Mad 441; भवानी बनाम महताबकुंवर 2 All 171.

जब अपनी स्त्रीका व्यभिचार पतिने माफ करदिया हो तो फिर वह व्यभिचार विधवाकी वरासतमें बाधक नहीं होता देखो-गंगाधर बनाम एल्लू (1911) 36 Bom. 138; 13 Bom. L. R. 1038; (व्यभिचारको जाननेपर उसके विरुद्ध कुछ नहीं करना भी ‘ माफ ’ करदेना समझा जासकता है)

भारतके जिन भागोमें मिताक्षरालॉ मानाजाता है कमसेकम मद्रास और बंबई प्रांतमें विधवाही एक ऐसी वारिस है जो व्यभिचारके कारण उत्तराधिकारसे वंचित रक्खीजाती है। तारा बनाम कृष्ण (1907) Bom. 495—502; 9 Bom. L. R. 774; 4 Bom. 104; 5 Nad 149; 3 Nad 100; 26 Mad 509; 1 All 46; 2 N.W. P. 361; 32 All 155; 5 Nad 149; 33 All 702 (लड़की, माता, दादी, आदि नहीं)

स्मृतिचन्द्रिका मद्रासमें अधिकमान्य है और वीरमित्रोदय बनारस स्कूलमें यह दोनोंही केवल सती स्त्रीको उत्तराधिकारणी मानते हैं लेकिन मिताक्षरा और मयूख बेटीके उत्तराधिकारके विषयमें ऐसी शर्त नहीं लगाते—देखो 4 Bom. 104-110, 111; इसलिये बंबई और मद्रासमें तो यह प्रश्न साफ होगयाहै देखो कोजीआड्डू बनाम लक्ष्मी (1882) Mad 149.

बंगालस्कूलमें विधवा और अन्य स्त्री वारिसेंभी उस व्यभिचारके कारण जो उन्होंने वारिस होनेसे पहले कियाहो उत्तराधिकारसे वंचित होजाती हैं-देखो—रामनाथ कुलापतरो बनाम दुर्गासुंदरी देवी 4 Cal 550-554; 32 Cal 871; 9 C. W. N. 1003; 22 Cal 347; 13 B. L. R. 1; 19 W. R. C. R. 367—393; परंतु व्यभिचारके कारण स्त्रीधनकी वरासतका हक़ नहीं माराजाता देखो-गंगाजाटी बनाम घसीटा 1 All 46;

नगेन्द्र नन्दिनीदासी बनाम विनयकृष्णदेव 30 Cal 521 ; 7 C. W. N. 121; 26 Mad. 509. शास्त्री जी.सी. सरकार इसपर विवाद करते हैं, देखो उनका हिन्दूलॉ-3 ed. P. 333.

दफा ६५२. विधवाका पुनर्विवाह—एक्ट नं० 15 of 1856 S.S.2 के अनुसार हिन्दू विधवा दूसरा विवाह करसकती है। उपरोक्त एक्टकी दफा २ में कहागया है कि-

(दफा २) अपने पतिकी जायदादमें विधवा भरण पोषणके तौरपर जो हक़ रखती हो या अपने पतिके उत्तराधिकारियोंकी वारिस होनेका जो हक़ रखती हो (22 Bom. 321.) या किसी वसीयतनामेके अनुसार किसी जायदादपर सीमावद्ध अधिकार रखती हो और उस वसीयतमें उसको पुनर्विवाहकी आज्ञा न दीगयी हो तो विधवाका पुनर्विवाह होतेही ऊपर कहेहुए उसके सब हक़ोंका अंत इस प्रकार होजायगा कि मानो वह मरगयी और उसके पतिके वारिस या दूसरे लोग जो विधवाके मरनेपर जायदादके वारिस होते, जायदादके वारिस होजायेंगे।

—पुनर्विवाहके पहले उस विधवाने हिन्दूधर्म चाहे छोड़ा हो या न छोड़ा हो दोनोंही सूरतोंमें एक्ट नं० १५ सन १८५६ की दफा २ लागू होगी; देखो-मतंगिनी गुप्त बनाम रामरतन राय (1891) 19 Cal 289; 3 W. R. C. R. 206.

पुनर्विवाह होजानेके वाद विधवा अपने पहिले पतिके पुत्र और अन्य उत्तराधिकारियोंकी वारिस होसकती है-अकोला बनाम बौरियानी 2 B. L. R. 199 ; 11 W. R. C. R. 82 ; 29 Bom 91 ; 6 Bom. L. R. 779 ; 26 Bom 388 ; 4 Bom. L. R. 737 ; 28 Mad 425.

हिन्दुओंकी जिन जातियोंमें विधवा विवाहका रवाज है उन जातियोंकी विधवायें भी पुनर्विवाह करके अपने पूर्वोक्त हक़ खो देती हैं या नहीं, इस विषयमें मतभेद है। इलाहाबाद हाईकोर्टने कहाहै कि-ऐसी विधवाओंका हक़ नहीं नष्ट होता। देखो-खुदू बनाम दुर्गाप्रसाद 29 All 122 ; हरसरनदास बनाम नन्दी 11 All 330; रंजीत बनाम राधारानी 20 All 476; गजाधर बनाम कौंसिल्या 31 All 161 ; मूला बनाम प्रताप (1910) 32 All 489 ; किंतु मदरास, कलकत्ता, और बंबई हाईकोर्टोंकी राय इसके विरुद्धहै। वे कहते हैंकि हक़ नष्ट होजाता है। देखो-22 Cal 589 ; 14 C.W.N. 346; 1 Mad 226 ; 22 Bom. 321.

पुनर्विवाह करनेवाली विधवा दूसरे पतिकी उसी तरह वारिस होसकतीहै जैसे कि अपने पहले पतिकी होसकती थी-देखो एक्ट नं० १५ सन १९५६ दफा ५; और देखो दफा ७२८.

दफा ६५३. शारीरिक अयोग्यता——[१] यह विषय विवादास्पद है, इसलिये पहले धर्मशास्त्रकारोंके मत देख लीजिये--

(१) अनंशौक्लीव पतितौ जात्यन्धबधिरौतथा
उन्मत्तजड़मूकाश्च येचकेचिन्निरिन्द्रियाः।
सर्वेषामपितुन्याय्यं दातुंशक्त्यामनीषिणा
ग्रासाच्छादन मत्यन्तं पतितो ह्यददद्भवेत्। मनु ९-२०१, २०२.

(२) क्लीवो थपतितस्तज्जः पङ्गुरुन्मत्तको जड़ः
अन्धोऽचिकित्स्यरोगाद्या भर्तव्याः स्युर्निरंशकाः।

औरसाः क्षेत्रजास्त्वेषां निर्दोषाभागहारिणः
सुताश्चैषां प्रभर्तव्या यावद्वैभर्तृसात्कृताः ।
अपुत्रायोषितश्चैषां भर्तव्याः साधुवृत्तयः
निर्वास्या व्यभिचारिण्यः प्रतिकूलास्तथैवच। याज्ञ०अ०२ श्लो.१४०-१४२

(३) पतित क्लीवा चिकित्स्यरोग विकलास्त्व भाग-
हारिणः । रिक्थग्राहि भिस्तेभर्तव्याः । तेषां
चौरसाः पुत्रा भागहारिणः । नतुपतितस्य, पतनीये
कर्मणि कृते त्वनन्तरोत्पन्नाः—वृहद्विष्णु १५ अ० ३३, ३५

(४) सवर्णापुत्रोऽप्यन्यायवृत्तो नलभेतैकेषांजड़
क्लीवौ भर्तव्यावपत्यंजड़स्यभागार्हम्—गौतम २९ अ० ९

(५) अनंशास्त्वाश्रमान्तरगताः । क्लीवोन्मत्तपतिताश्च ।
भरणं क्लीवोन्मत्तानाम्—वसिष्ठ १७ अ० ४८

(६) अतीतव्यवहारान्ग्रासाच्छादनैर्विभृयुः । अन्ध
जड़क्लीव व्यसनि व्याधितादींश्च । अकर्मिणः ।
पतित तज्जात वर्ज्यम्—बौधायन २ प्रश्न २ अ० ४४

(७) पितृद्विट्पतितः षण्ढो यश्चस्यादौ पपातिकः
औरसा अपिनैतेंशं लभेरन्क्षेत्रजाः कुतः
दीर्घतीव्रामयग्रस्ता जड़ोन्मत्तान्ध पङ्गवः
भर्तव्याःस्युः कुलेनैते तत्पुत्रास्त्वंश भागिनः। नारद, १३ विवाद २१-२२

भावार्थ—(१) मनु (अ० ९ श्लो० २०१, २०२) कहते हैं कि-नपुंसक, पतित, जन्मान्ध, बहरा, उन्मत्त, जड़, गूंगा और इन्द्रियहीन जैसे पंगुवा आदि ये सब उत्तराधिकारमें अपना हक़ नहीं पाते ; सिर्फ अन्न वस्त्रके पानेका अधिकार रखते हैं । उनके हिस्सेकी जायदाद जिसे मिले उसको चाहिये कि नपुंसकादि लोगोंको उनके जीवन भर अन्न और वस्त्र देवे ।

(२) याज्ञवल्क्य (अ० २ श्लो० १४०-१४२) कहते हैं कि, नपुंसक, पतित, पतितके पुत्र, लंगड़ा, उन्मत्त, जड़, अन्धा, असाध्य रोगी आदिको निर्वाह योग्य भोजन वस्त्र आदि देना चाहिये, मगर वे जायदाद में हक़ नहीं पावेंगे । नपुंसकादिके औरसपुत्र अथवा क्षेत्रज पुत्र यदि निर्दोष होंगे तो वे हक़ पावेंगे, इनकी कुमारी कन्याओंको विवाह होनेतक पालन करना चाहिये, और पुत्रहीन स्त्रियोंको यदि वे सती हों तो उनका जन्मभर पालन करना चाहिये और व्यभिचारी होनेसे घरसे निकाल देनेके योग्य हैं ।

(३) वृहद्विष्णु (अ०१५ श्लो०३३-३५) कहते हैं कि-पतित, नपुंसक, असाध्य रोगी और अंधा आदि बिकलेन्द्रिय मनुष्य पैतृक धनमें भाग नहीं पाते, किंतु उनका धन जो पावेगा वही उनका पालन करेगा। इनके औरसपुत्र पितामहके धनमें भाग पावेंगे, मगर पतित होजानेके पश्चात् जो पुत्र पैदा होंवे धनमें भाग नहीं पावेंगे।

(४) गौतम (अ० २९ श्लो० ९) कहते हैं -ऐसा भी मत है कि सवर्णास्त्रीका पुत्र भी यदि कुमार्गी हो तो पैतृकधनमें भाग नहीं पावेगा। जड़ और नपुंसकको हक़ नहीं मिलेगा। इनके भागका पानेवाला इनका पालन करेगा। इसी तरहसे जड़ आदिका पुत्र धनमें भाग पानेका अधिकारी नहीं है।

(५) वसिष्ठ (अ० १७ सू०४६-४८) कहते हैं कि गृहस्थसे वानप्रस्थ अथवा संन्यासी होजानेवाले पुरुष पिताके धनमें भाग नहीं पावेंगे। नपुंसक, उन्मत्त, और पतित भी भाग नहीं पावेंगे, भागलेनेवालेको नपुंसक आदिकोंका पालन करना पड़ेगा।

(६) बौधायन (प्रश्न २ अ० २ श्लो० ४३-४६) कहते हैं कि—जो लोग व्यवहारके योग्य नहीं हैं उनको सिर्फ भोजन वस्त्र देकर पालन करे। अंधा, जड़, नपुंसक, व्यसनी, असाध्य रोगी तथा कर्मरहितका भी पालन करना उचित है। पतित और पतितसे उत्पन्न संतानको धनमें भाग नहीं देना चाहिये।

(७) नारद (विवादपाद १३ श्लो० २१-२२) कहते हैं कि-पिताका बैरी, पतित, नपुंसक, और उत्पात करनेवाला, ये सब औरस पुत्र होनेपरभी पिताके धनमें भाग नहीं पाते तो क्षेत्रज कैसे पावेगा; अर्थात् उसे नहीं मिलेगा। असाध्य रोगी, जड़, उन्मत्त, अन्धा, और पंगुवा को धनमें भाग नहीं मिलेगा; सिर्फ उन्हे पालन करना पड़ेगा। मगर इनके पुत्रोंको हक़ मिलेगा यदि वे योग्य हों।

[२] कई शारीरिक अयोग्यताओंके कारण हिन्दू वरासत या कोपार्सनरीसे वंचित होजाता है। वे शारीरिक अयोग्यतायें यह हैं--

१--नामर्दी—देखो भट्टाचार्यका लॉ आफ ज्वाइन्ट फैमिली P. 405-406; हद्दर्जेकी मूर्खता—1 Mad. H. C. 214; ट्रिवेलियन हिन्दूलॉ P. 354.

२--जन्मान्ध—मुरारजी गोकुलदास, बनाम पार्वतीबाई 1 Bom. 177; 2 Bom. H. C. 5;; उमाबाई बनाम भाऊपदमनजी 1 Bom. 557; 14 B. L. R. 273; 23 W. R. C. R. 78; 2 B. L. R. F. B. 103; 11 W. R. A. O. J. 11; 20 Bom. L. R. 38.

३—बहरा या गूंगा—मदनगोपाल लाल बनाम खिकिंड़ा कुंवर 18 I.A. 9; 18 Cal. 341; 11 I.A.20; 6 All 322; 4 Bom. H.C.A.C. 135; 1 B.L.R.A. C.117; 11 W. R. A. O. J. 19; Ben. S.D. A. 1860 P. 661.

४—अङ्गहीनता और बुद्धिहीनता--मिताक्षरा और दायभागका यही मत है—लंगड़ापन अर्थात् चल सकनेके योग्य न होना—भट्टाचार्य हिन्दूलॉ 2 ed P. 350; 26 Mad. 133; स्फटिकचन्द्रचटरजी बनाम जगत मोहिनी 22 W. R. C. R. 348.

५—पागलपन—रामसुन्दरराय बनाम रामसहायभगत 8 Cal. 919.

६—पागलपन चाहे वह जन्मका न हो—रामसहाय भुक्कट बनाम लालजीसहाय 8 Cal. 149; 9 C L. R. 457; 9 N. L. R. 198; 18 W. R. C. R. 305; 10 Cal.

639; 5 All 509; 13 M. I. A. 519; 6 B. L. R. 509; 15 W. R. P. C. 1; 7. W. R. C. R. 5; 1 Bom. 177.

७—पागलपन यदि असाध्य हो-द्वारिकानाथ बैसाक बनाम महेन्द्रनाथ बैसाक 9 B.L. R. 198; 18 W. R. C. R. 305; 5. All 509.

अगर किसीका हक़ उसके जन्मसेही जायदादमें पैदा होगया हो तो वह हक़ मारा नहीं जाता, बशर्तेकि उसके बाद वह पागल हुआ हो-देखो—त्रिवेनी सहाय बनाम मोहम्मद उमर 28 All 247; वृजभूषणलाल बनाम विच्चन देवी 9 B. L. R. 204 का नोट; 14 W. R. C. R. 329; 14 M. 289; अगर वारिस होनेके बाद पागल होगया हो तो भी उसका हक़ नहीं मारा जाता—9 B. L. R. 198; 18 W.R.C.R. 305; 5 All. 509.

पागलपनके स्पष्ट प्रमाण होनेपरही कोई पुरुष या स्त्री वरासतसे वंचितकी जासकती है। केवल बुद्धिकी कमज़ोरीके कारण, या स्वयं अपनी जायदादका प्रबंध करनेकी योग्यता न होनेके कारणसे ही कोई हिन्दू वरासतसे वंचित नहीं किया जासकता-देखो-सुरती बनाम नरायनदास (1890) 12 All 530.

उत्तराधिकारसे वंचित होनेके उपरोक्त नियम स्त्री और पुरुष दोनोंसे समान लागू होते हैं-देखो-बाकूबाई बनाम मानचाबाई 2 Bom, H. C. 5.

८—प्राचीन शास्त्रोंके अनुसार असाध्य रोगवाले आदमी उत्तराधिकारसे वंचित किये जासकते हैं, परंतु वर्तमान क़ानून केवल असाध्य और बहुत बढ़े हुए कुष्ठके रोगीको वरासतसे वंचित करता है। देखो-अनन्त बनाम रमाबाई-1 Bom. 554; जनार्दन पाण्डुरंग बनाम गोपाल 5 Bom. H. C. A. C. J. 145; 1 Mad. S. D. A. 239; 11 W. R. C. R. 535; 22 I. A. 94; 22 Cal 843; 5 Ben. Sel. R. 315.

रनछोड़नरायन बनाम आजोबाई 9 Bom. L. R. 114 में मानागया है कि-जिसे साधारण कुष्ठ हो और आराम होनेवाला हो वह वंचित नहीं रहेगा। यहांपर यह बात कही जासकती हैं कि-क्यों न प्राचीन शास्त्रोंकी आज्ञा मान कर सभी असाध्य रोगियोंको वरासतसे वंचित किया जाय? परंतु जैसाकि भट्टाचार्य अपने लॉ आफ ज्वाइन्टफैमिलीके P. 407 में कहते हैं कि-यह साबित करना बहुत कठिन है कि कौन रोग असाध्य है जो दवासे नहीं अच्छा हो सकता; देखो-ईश्वर चन्द्रसेन बनाम रानीदासी (1865) 2 W. R. C. R. 125. प्राचीन समयमें और भी कई ऐसे कारण मानेजाते थे कि जिनकी वजेहसे हिन्दू वरासत और बटवारेसे वंचित किया जाता था; लेकिन यह अयोग्यता प्रायश्चित्तसे मिट जाती थी, अब कोई अदालत उन कारणोंसे किसी हिन्दूको उत्तराधिकार या बटवारेसे वंचित नहीं करती; लेकिन फिर भी कई मामलोंमे वैसे अयोग्य वारिसके लिये प्रायश्चित्त आवश्यक मनागया है। देखो—11 W. R. C. R. 535; 6 Ben. Sel. R. 62; 2 Ben. Sel. R. 108.

प्राचीनकालमें बापका कोई शत्रू वरासत या बटवारेसे वंचित किया जाता था-भोलानाथ राय बनाम सावित्री 6 Ben. Sel. R. 62; परंतु वर्तमान क़ानून इसे नहीं मानता देखो-कालिकाप्रसाद बनाम बद्री 3 N. W. P, 267; मनु ने तो यहांतक कहा है कि जाल करने या धोखा देनेवाला कोपार्सनर बटवारेके समय अपने हिस्सेसे वंचित किया जासकता है, परंतु अब ऐसा नहीं होता; अब तो केवल उसको उस जायदादका बटवारा करालेना पड़ता है जो उसने अपने दूसरे कोपार्सनरोंको वंचित रखनेके लिये जाल या धोखेसे अलहदा करली हो देखो—3 N.W.P.H.C. 267; स्ट्रेन्जहिन्दूलॉ P. 232.

दफा ६५४. अयोग्यताका असर——जब कोई वारिस अयोग्य मान लिया जाय तो मृतपुरुषका उस अयोग्यके बादवाला वारिस इसतरहपर वारिस होताहै कि मानो वह अयोग्य वारिस मरगया 1 B. L. R. A. C. 117; 11 W. R. A. O. J. 19; 13 M. I. A. 519; 6 B. L. R. 509; 15 W. R. P. C. 1.

अयोग्य वारिसका पुत्र वारिस हो सकता है परंतु वह अपने पिताके पुत्र होनेकी हैसियतसे वारिस नहीं होता बल्कि मरनेवालेका वारिस होनेकी हैसियतसे वारिस होता है—देखो—1 B. L. R. A. C. 117; 11 W. R. A. O. J. 19 का नोट.

उदाहरण—अज, मरा और उसने अपनी बहनका पुत्र वारिस छोड़ा; मगर वह पुत्र अंधा है और उसके एक पुत्र मुकुंद है तो मुकुंद, अजका वारिस नहीं होगा (ध्यान रहे कि बहनका पुत्र बन्धु होता है और बन्धुके न होनेपर दूसरे वारिसको जायदाद चली जाती है)

दफा ६५५. अयोग्यता चली जानेपर——अगर किसी पुरुष या स्त्रीको एकबार जायदाद मिलनेका हक़ पैदा होगया हो तो पीछे होनेवाली किसी अयोग्यताके सबबसे वह जायदाद उसके क़ब्ज़ेसे नहीं हटाई जासकती—देखो—अवलख भगत बनाम भीखीमहदू 22 Cal 864; त्रिवेनीसहाय बनाम मोहम्मद उमर 28 All 547; 14 Mad 289; 5 All 509; 17 I. A. 173; 18 Cal 111.

जिस अयोग्यताके कारण वारिस जायदादसे वंचित रखा गया हो, और उस अयोग्य वारिसके बादका वारिस उस जायदादपर क़ाबिज़ होगया हो और पीछे अयोग्य वारिसकी वह अयोग्यता जाती रहे तो ऐसी सूरतमें वह जायदाद पानेका अधिकारी नहीं होता, यानी उसके बादवाले वारिससे जायदाद नहीं छीनी जायगी; देखो—देवकिशन बनाम बुद्धिप्रकाश 5 All. 509.

ऐसी सूरतमें यदि अयोग्य वारिसके कोई पुत्र उस समय पैदा हुआ हो जब कि उसके बादवाला वारिस जायदादपर क़ाबिज़ हो चुका हो तो भी जायदाद उस बादवाले वारिससे नहीं छीनी जायगी देखो —कालिदास बनाम कृष्णचन्द्रदास (1869) B. L. R. F. B. 103; 11 W. R. A. O. J. 11; 1 B. L. R. A. C. 117; 11 W. R. A. O. J. 19 का नोट; 5 All 509; 6 Bom. 616; 32 Bom. 455; 10 B. L. R. 559.

उदाहरण—एक आदमी मरा और उसने एक लड़का गूंगा और अपनी विधवाको छोड़ा। ऐसी दशामें गूंगे पुत्रको वरासत नहीं मिलेगी। बल्कि विधवाको मिलेगी, यदि विधवाके जीवन कालमें पुत्रका गूंगापन चला जाय और वह बिलकुल अच्छा होजाय तो भी पुत्र, विधवासे जायदाद नहीं छीन सकता; विधवाके मरनेपर पुत्रका हक़ जायदादके पानेका पैदा होगा, चाहे बापके भाई मौजूद भी हों। अब दूसरी तरहसे इसे यों समझिये कि—एक आदमी मरा और उसने एक अंधा लड़का तथा एक भाई छोड़ा। ऐसी दशामें भाई जायदादका वारिस होगा। यदि अंधापन उसका अपने चाचाकी ज़िंदगीमें चला जाय और वह बिलकुल अच्छा होजाय तो वह चाचासे जायदाद नहीं छीन सकता। अब चाचा यदि अपना पुत्र छोड़कर मरे तो फिर वह जायदाद चाचाके पुत्रको इसलिये मिलेगी क्योंकि चाचा अपने जीवन कालमें उस जायदाद पर पूरे मालिककी हैसियतसे क़ब्ज़ा रखता था, और यदि चाचा बिना क़िसी दूसरे वारिसको छोड़े मर जाय तो जायदाद उसे मिलेगी जो अंधेपनसे अच्छा हुआहै; मगर उसे अपने बापके वारिसकी हैसियतसे नहीं मिलेगी बल्कि बापके भाईके वारिसकी हैसियतसे मिलेगी।

दफा ६५६. स्त्रीधन——जिन शारीरिक अयोग्यताओंके कारण स्त्री, किसी पुरुषकी बारिस होनेसे वंचित रखी जाती है उन्ही अयोग्यताओंके कारण वह किसी स्त्रीके स्त्रीधनकी वारिस होनेसे वंचित होसकती है या नहीं इसविषयमें मतभेद है। क्योंकि—शास्त्रमें सिर्फ पुरुषके बारिस होनेके बारेमें ज़िकर किया गया है स्त्रीके बारेमें नहीं। इसविषयमें शास्त्री जी. सी. सरकार अपने हिन्दूलॉ 3 ed. P. 333 में कहते हैं कि दोनों हालतोंमें कुछ भेद नहीं मानना चाहिये। कोई व्याही लड़की जिसका पुत्र गूंगा हो बंगाल स्कूलमें स्त्रीधन जायदादकी वारिस हो सकती है या नहीं इस प्रश्नका विचार चारुचन्द्रपाल बनाम नवसुंदरीदासी (1891) 18 Cal 327 के मुक़द्दमेमें किया गया और यह निश्चय किया गया कि वह वारिस होसकती है, क्योंकि यह साबित नहीं किया जासका कि उसके पुत्रका गूंगापन असाध्य है अर्थात् किसी भी दवासे आराम होनेके योग्य नहीं है।

दफा ६५७ बंबईमें अयोग्य पुरुषकी स्त्री——बंबईस्कूलमें अयोग्य हिन्दू पुरुषकी स्त्री या विधवा अपने पतिके द्वारा या दूसरी तरह वारिस होसकती है मगर शर्त यही है कि वह खुद अयोग्य न हो देखो-गंगू बनाम चन्द्रभागाबाई 32 Bom. 275; 10 Bom. L. R. 149; अयोग्य पुरुषकी विधवा अपने पति या अपने पुत्रकी भी वारिस होसकती है। देखो—मेकनाटन हिन्दूलॉ 2 ed. P. 130.

दफा ६५८. हत्यारा वारिस——कोई आदमी उस आदमीकी जायदादका वारिस नहीं होसकता जिसकी हत्यामें वह शरीक रहाहो-देखो-31 Mad 100; 27 Mad 591; 32 Bom- 275; 12 Bom. L. R. 149.

वेदाम्मल बनाम वेदानायगा मुदालियर (1907) 31 Mad 100 में यह बातथी कि पुत्रकी वारिस माता हुई थी। जिसपर क़तलका अभियोग लगाया गयाथा। मगर वह अदालत फौजदारीसे बरी होगयी। मगर दीवानीके मामलोंमें विशेषकर उत्तराधिकारमें यह नहीं कहा जासकता कि अदालत फौजदारीमें उसका अपराध प्रमाणित नही हुआ, इसलिये वह वारिस होनेके योग्य है।

बापका दुश्मन—मदरास हाईकोर्टने माना है कि बापसे दुश्मनी रखनेवाला पुत्र उत्तराधिकारसे वंचित कर दियाजावेगा। देखो 27 Mad 591; 14 M. L. J. 297; इलाहाबाद हाईकोर्टकी यह राय है कि जो पुत्र अपने पिता के प्रति दुश्मनीके काम अमलमें लाया हो या पितासे ऐसी दुश्मनी रखता हो जिससे पिताके प्राणोंका भय हो तो यह बातें पुत्रको, बापका वारिस होनेसे वंचित करनेका आधार होसकती हैं। देखो 3 N. W. P. 267; 7 Ben. Sel. R. 62; Ben. S. D. A. (1848) P. 320.

दफा ६५९. धर्म या जातिसे च्युत——जातिच्युत होने या धर्म त्याग देनेसे कोई पुरुष या स्त्री वरासतसे च्युत नहीं की जासकती। देखो-23 Mad 171; एक्ट नम्बर 21 of 1850; 2 N. W. P. 446; 1 Agra 90; 1 Bom 559; 3 W. R. C. R. 206; 1 Indian Jur. N. S. 236; 38 I. A. 87; 33 All 356; 15 C. W. N. 545; 13 Bom. L. R. 427; 29 All 487.

इसका मतलब यह है कि जब कोई जातिच्युत वारिस उत्तराधिकारसे वंचित किया जाता है तो वह जाति च्युत होनेके कारण नहीं बल्कि क़ानूनमें माने हुए दूसरे दोषके कारण जो उसके जातिच्युत होनेके साथ लगाहै, जैसे विधवा व्यभिचारके कारण जातिच्युत हुई

हो और वरासतसे वंचित रखी गयी हो, तो यहां उसका वरासतसे वंचित रखाजाना उसके जातिच्युत होनेके कारण नहीं है बल्कि उसके व्यभिचारके दोषके कारण है।

धर्मच्युत होनेके बारेमें मिस्टर मेन अपनी हिन्दूलॉके पेज 804 की दफा 593 में एक मुक़द्दमेका हवाला देते हैं जिसके वाक़ियात यह थे-' रतनसिंह और उसका पुत्र दौलतसिंह दोनों मुश्तरका ख़ानदानमें रहते थे। रतनसिंह मुसलमान होगया। पीछे वे दोनों मरगये। दौलतसिंह एक विधवा और कुछ लड़कियां छोड़गया, और रतनसिंह एक विधवा और लड़कीका लड़का ख़ैराती छोड़गया। दोनो विधवाओंके मरनेके बाद ख़ैराती और दौलतसिंहकी लड़कियोंके परस्पर जायदादके लिये तकरार हुई। अंतमें इनका सुलहनामा होगया जिसके अनुसार लड़कियोंने कुल जायदादका आधेसे ज्यादा हिस्सा पाया।'

दफ़ा ६६०. संसार त्याग-----जिस आदमीकी बाबत साफ तौरसे यह साबित कर दिया जाय कि उसने सब सांसारिक कामोंको त्यागदिया है; अर्थात् साधू, संन्यासी, या ब्रह्मचारी होगयाहै, तो वह वरासतसे वंचित रखाजाताहै। देखो-तिलकचन्द्र बनाम श्यामाचरण प्रकाश 1 W. R. C. R. 209 ; ऐसा आदमी यदि फिर सांसारिक कामोंमें शरीक होजाय तो वह फिर वरासत पानेका अधिकारी होजायगा, मगर शर्त यह है कि--उसकी जायदादपर उसके बादवाले वारिसका क़ब्ज़ा न होगया हो। यदि हो गया होगा तो फिर वह उससे जायदाद नहीं छीनसकता।

रामकृष्ण हिन्दूलॉ Part 2 P. 214 में कहा है कि वह आदमी जिसने कि संसारके सब कामोंको छोड़दिया हो, और संन्यासी या नित्य-ब्रह्मचारी होगया हो, उसे उत्तराधिकार का हक़ नहीं मिलता। जिसने संसार बिलकुल नहीं छोड़दियाहै और जो फ़क़ीर या साधुसंत होगया है इनमे भेद सिर्फ यही है कि जिसने संसारको बिलकुल नहीं त्यागा है, चित्तमें विराग आनेसे घरमें या दूसरी जगहपर कोई झोपड़ी या मठी बनाकर भजन करता है और अपने ज़रूरी कामोंको कभी कभी करता रहताहै वह उत्तराधिकारके हक़से वंचित नहीं रखा जासकता। यदि कोई हिन्दू फक़ीर या साधुसंत भी होगया, किंतु उसने संसारको बिलकुल नहीं त्यागा बल्कि पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र भी पैदा होगये हैं तो यह बात मानीजायगी कि वह कानूनी फक़ीर या साधूसंत नहीं हुआ और इसलिये एक मुक़द्दमेमें ऐसी ही सूरत होनेसे अपने भतीजेकी जायदादका वारिस हुआ-93 P. R. 1898 ; पूरे फक़ीर या साधूसंतको अपनी पैतृकसंपत्तिमें कुछ अधिकार नहीं है 1 P. R. 1868.

साधारणतः यह बात मानली जायगी कि जब बहुत दिन फ़क़ीर या साधूसंत हुए व्यतीत होचुके हों, देशाटन करता हो, घरसे तथा जायदादसे संबंध न रखता हो, सांसारिक क़ामोंको न करता हो, तो ऐसा आदमी क़ानूनी फक़ीर या साधूसंत है।

11 Indian. Cases. 373; 106 P. R. 1911 के मामलेमें जगरांवका एक अगरवाल बनियां जो ' सुथरा फक़ीर ' होगया था, मानागया कि उसने संसारको बिलकुल छोड़ दिया और अपनी मौरूसी जायदादके हक़ त्याग दिये। इस नज़ीरमें यह भी कहागया है कि जो पक्षकार यह बयान करे कि उसने संसार नहीं छोड़ा तो साबित करनेका बोझ उसी पक्षकारकी गरदनपर है।

लेकिन एक वैरागी साधू जिसने संसारको न छोड़ा हो कुटुम्बमें जायदादका हक़ पानेसे वंचित नहीं होसकता यदि कोई रवाज इसके विरुद्ध साबिन न हो। देखो-24 P. R. 1880 ; ऐसे मामलेमें उचित विचार्य विषय (तनक़ीह) यह है कि 'क्या अमुक आदमी फक़ीर

या साधू होजानेपर संसारके छोड़ देनेका इरादा करता था'? और क्या उसने संसार छोड़दिया ?' इसके सावित करनेका बोझ जो बयान करे कि 'मैंने संसारको नहीं छोड़ा' उसीपर होगा—7 P. R. 1892.

कोई हिन्दू बैरागी होजानेपर भी जायदादपर अगर अपना क़ब्ज़ा बनाये रखना चाहे या अपने हक़की जायदादमें अपना स्वत्व स्वीकार करता रहे तो उसके उत्तराधिकारके स्वत्व नहीं नष्ट होंगे। देखो—10 W. R. 172; 1 B. L. R. A. C. 114; 1 W. R. 209; 15 W. R. 197; 1878 Select case. Part 8 No 39; 1879 Select case P. 8 No. 40; और देखो इस किताबकी दफा ६४२.

दफा ६६१. बारसुबूत——जो पक्षकार वारिसको अयोग्य बयान करता हो उसी पर बार सुबूत रहेगा-देखो-रामविजय बहादुरसिंह बनाम जगतपालसिंह 17 I. A. 173; *18 Cal 111*; जब किसी पक्षकारकी तरफसे यह कहाजाता हो कि अमुक पुरुष, किसी असाध्य रोग, या अपनी दूसरी अयोग्यताके कारण जायदादका वारिस होनेसे वंचित रखाजाय तो उस पक्षकारको बहुत मज़बूत सुबूत इस बातका देना होगा कि जिस समय उसे जायदाद मिलनेका हक़ पैदा हुआहै वह वैसी बीमारी या अयोग्यता रखता था देखो–9–O. C. 352; 18 W. R. 375; 22 W. R. 348; 21 W. R. 249; 2 W. R. 125; विधवाके विषयमें देखो–1 B. H. C. 66.

दफा ६६२. वारिस अपना हक़ छोड़ सकता है——जब किसी वारिसको जायदाद पानेका हक़ पैदा होजाय या पैदा होनेवाला हो दोनो सूरतोंमें वह अपना हक़ छोड़ सकता है। देखो—गोसांई टीकमजी बनाम पुरुषोत्तमलालजी 3 Agra 238.

रिवर्ज़नर और उनके अधिकार।

दसवां—प्रकरण।

इस प्रकरणमें उन उत्तराधिकारियोंके अधिकारका वर्णन किया गया है जो किसी विधवा या किसी सीमावद्ध वारिसके पश्चात् उस जायदादके वारिस होनेवाले हैं कि जो जायदाद इस समय विधवा या दूसरे सीमावद्ध वारिसके क़ब्ज़ेमें हैं 'सीमावद्ध' शब्दसे यह मतलव है कि जब जायदाद किसीको सिर्फ़ उसकी ज़िंदगी भरके लिये मिली हो और उसका अधिकार जायदादके इन्तक़ाल का न हो, वह केवल उसके मुनाफे के पानेका अधिकारी हो, तो वह वारिस सीमावद्ध कहलाता है जैसे विधवा को जायदाद उसके जीवन भरके लिये मिली तो वह सीमावद्ध वारिस कहलायेगी। यह ध्यान रखना चाहिये कि वंबई और मदरास प्रांतमें कुछ औरतें पूरे अधिकारके साथ जायदाद पाती हैं, वह सीमावद्ध नहीं हैं। इसके पढ़नेके पहिले यह अवश्य जान लेना चाहिये कि 'रिवर्ज़नर' किसे कहते हैं, तथा वारिस कैसे निश्चित करना चाहिये। १—रिवर्ज़नरके लिये-देखो दफा ५५८. २.-वारिस कैसे निश्चित करना चाहिये-देखो दफा ५६३.

दफा ६६२. जायदादमें रिवर्ज़नरका स्वार्थ——विधवा या किसी सीमावद्ध स्त्री का क़ब्ज़ा जायदादपरसे तभी समाप्त होजाता है जब कि वह मरजाय या उसने संसार त्याग दिया हो। इसके पहिले रिवर्ज़नर कौन होगा यह जानना कठिन है। विधवा या दूसरी स्त्री जबतक न मरे या संसार त्याग न करे तबतक उसके पतिके या उस मर्दके जिससे दूसरी स्त्रीको जायदाद मिली है, वारिस जायदाद पानेका दावा नहीं करसकता। देखो—7 I. A. 115-154; 5 Cal 776; 6. C. L. R. 322 at P. 332, 333.

जबतक विधवा या दूसरी स्त्री ज़िंदा रहेगी तबतक रिवर्ज़नरका जायदादमें कोई स्वार्थ नहीं रहेगा सिर्फ वारिस होनेकी आशामात्र रहेगी। किसी सीमावद्ध स्त्रीके जीवनकालमें, यह नहीं कहा जासकता कि उसके मरनेके वाद जायदाद किसको मिलेगी क्योंकि उसवक्त जायदादका मालिक वही होगा जो उस स्त्रीके मरनेके समय जीवितहो और जो पिछले मर्द मालिकका वारिस होता अगर वह स्त्री वीचमें न होती; देखो-29 Mad 390-391.

कोई रिवर्ज़नर ऐसा दावा अदालतमें नहीं करसकता कि उसके वारिस होनेका हक़ पहिले मानलियाजाय; देखो-काथामानचैएर बनाम डोरासिंग टिवर 2 I.A. 169; 15 B. L.R. 83; 23 W.R.C.R. 314. और देखो स्पेसीफिक् रिलीफ एक्ट 1 0f 1877. S.S.42; श्यामा सुंदरी चौधरानी बनाम जमुना चौधरानी 24 W.R C.R. 86; 9 W.R.C.R.460.

अगर विधवाका पति कोई जायदाद रेहन करगया हो तो विधवाके जीवनकालमें रिवर्ज़नर वारिसका हक़ उस जायदादपर इतना भी नहीं मानाजायगा कि वह उसको रेहनसे छुटाले; देखो—30 All 497, ट्रान्सफर आफ प्रापरटी एक्ट IV 1882 S.S. 91.

वारिस होनेकी आशामात्रसे रिवर्ज़नरका जो कुछ भी हक़ जायदादमें समझा जासके उसको वह रिवर्ज़नर किसी दूसरेके हाथ इंतक़ाल नहीं करसकता-देखो-ट्रान्सफर आफ प्रापरटी एक्ट IV. 1882. S. S. 6. (a); 32 Mad 206; 29 Mad 120; 29 Mad 390—399; 32 All 88; जगन्नाथ बनाम दिवरू 31 All 53; 29 Cal 355; 6 C. W. N. 395; श्यामसुंदरलाल बनाम अचनकुंवर 25 I. A. 183; 21 All 71; 2 C. W. N. 729; 17 All 125; 25 Cal 778; 10C.L.R. 61-65; 6 C.L.R. 528; 33 All 414.

रिवर्ज़नर अपना हक़ छोड़ भी नहीं सकता ; देखो—30 Bom 201 ; और किसी डिकरीसे उसका वह हक़ कुर्क़ भी नहीं होसकता ; देखो ज़ाबतादीवानी सन् 1908 S. S. 60 दिवाला होजानेपर आफिशियल एसाइनी या दिवालिया अदालतके हाथमें वह हक़ नहीं जासकता ; देखो बाबू अन्नाजी बनाम रतोजी-21 Bom 319 ; इन्सालवेन्सी बंबईका एक्ट 3 of 1909. S. S. 52 ; प्राविन्शियल इन्सालवेन्सी एक्ट 3 of 1907 S. S. 2 (e).

रिवर्ज़नर अपने आशामात्र स्वार्थको तक़सीम नहीं करासकता; जैसे श्यामाकुंवर विधवाके मरनेके बाद शिवदत्त वारिस होनेकी आशा रखता है; मगर शिवदत्तका जो स्वार्थ जायदादमें है, उसमें वह किसीको अपना शरीक नहीं करसकता-30 Mad 486.

अगर कोई रिवर्ज़नर चाहे तो किसी वसीयतनामेके अनुसार विधवाको जायदादकी वारिस मानसकता है-31 Mad. 474 ; परंतु उसके ऐसा करनेसे यह ज़रूरी नहीं है, कि उसके पीछेवाले रिवर्ज़नर भी इस बातके माननेके लिये पाबंद हों, देखो—रामशंकरलाल बनाम गनेशप्रसाद 29 All. 451 ; 30 All. 406.

जबकि कई रिवर्ज़नर हों और क्रमसे एकके बाद दूसरा वारिस होनेवाला हो तो वारिस होनेका अधिकार वे आपसमें एक दूसरेसे नहीं पाते; बल्कि उनमेंसे हरएक आख़िरी पूरे मालिकके वारिसकी हैसियतसे जायदाद पाता है; 28 Mad. 57 ; भगवन्ता बनाम सुखी 22 All. 33; 32 Cal. 62 ; शिवशंकरलाल बनाम सोनीराम (1909) 32 All. 33-41.

किसी सीमाबद्ध स्त्रीकी जायदादके वारिस होनेका अधिकार रिवर्ज़नरोंके आपसमें कोई निजकी चीज़ नहीं मानी जायगी; अर्थात् उनमेंसे हरएक, एक दूसरेसे स्वतंत्र ऐसा अधिकार रखता है । इस लिये यदि कोई सीमाबद्ध स्त्री जायदादका इन्तक़ाल करे और उस इन्तक़ालको कोई एक रिवर्ज़नर मान ले तो अकेला वही रिवर्ज़नर उसका पाबंद होगा; दूसरे रिवर्ज़नर कदापि नहीं होंगे; चाहे वे उस रिवर्ज़नर के वारिस ही क्यों न हों, अर्थात् ऐसे मामलेमें बापकी मानी हुई बातका पाबंद उसका पुत्र नहीं होगा; देखो—बहादुर सिंह बनाम मनोहरसिंह (1901) 29 I. A. 1 ; 24 All. 94 ; 6 C. W. N. 169 ; 4 Bom. L. R. 233 ; 28 Mad. 57.

दफा ६६४. सीमाबद्ध स्त्रीके इन्तक़ालकी मंसूख़ीका दावा——यदि सीमाबद्ध स्त्री मालिक अपने अधिकारसे जायदादका इन्तक़ाल कर दे तो रिवर्ज़नर उस इन्तक़ालको नाजायज़ क़रार दिला सकते हैं, परंतु वह इन्तक़ाल स्वयं नाजायज़ नहीं है; देखो—विजयगोपाल मुकरजी बनाम कृष्णमहिषी देवी 34 I. A. 87 ; 34 Cal 329 ; 11 C. W. N. 424 ; 9 Bom. L. R. 602 ; 41 C. W. N. 106.

ऐसे इन्तक़ालको रिवर्ज़नर चाहे मान ले और चाहे न माने, मगर वह इन्तक़ालके ख़ारिजकर दिये जानेका दावा नहीं करसकता, अर्थात् उसे चाहिये कि पहिले इन्तक़ालको नाजायज़ साबित करे, पीछे अदालत उसे रद कर देगी । मतलब यह है कि इन्तक़ाल नाजायज़ साबित करके ख़ारिज करा सकता है ; देखो—25 Cal. 1 ; 1. C. W. N. 433 ; 30 Cal. 990 ; 34 Cal 329 ; 11 C. W. N. 424 ; 33 Cal 257.

उदाहरण—(१) ' अज ' ने अपने मरनेके समय एक विधवा और एक लड़की तथा लड़कीका लड़का छोड़ा । विधवा जायदादकी वारिस हुई । उसने कुछ जायदाद बिना-क़ानूनी ज़रूरतके बेच दी ; लड़की दावा करसकती है कि इन्तक़ाल नाजायज़ है इसलिये रद कर दिया जाय ।

(२) 'अज' मरा उसने एक लड़की और अपने भाई शिवको छोड़ा । लड़की जायदाद

की वारिस हुई। उसने जायदादका इन्तक़ाल किया, तो शिव आपत्ति कर सकता है। मगर जब किसीने एक लड़की विन ब्याही, एक ब्याही ग़रीब, एक ब्याही अमीर और एक भाई (या दूसरा नज़दीकी वारिस) छोड़ाहो, तो जायदाद पहिले विनब्याही लड़कीको मिलेगी। यदि उसने कोई जायदाद क़ानूनी ज़रूरतसे इन्तक़ाल करदीहो तो दूसरी ब्याही ग़रीब लड़की ऐसा दावा करसकती है कि इन्तक़ाल नाजायज़ है। यदि वह न करे तो ब्याही लड़की अमीर करसकती है। यदि वह भी न करे, तो भाई करसकताहै। मगर किसी लड़कीके लड़का पैदा हो जानेकी सूरतमें वही लड़का नज़दीकी वारिस होजायगा और उसे जायदाद मिलजायगी।

दफा ६६५. जायदादको बरबादीसे रोकनेका दावा———यद्यपि जायदाद में रिवर्ज़नरका केवल इतनाही स्वार्थ होता है कि वह उस जायदादके मिलनेकी आशा रखता है; फिर भी उसको यह अधिकार है कि-जायदादको बरबाद होने और नुक़सान पहुंचनेसे बचानेके लिये विधवा या दूसरी सीमाबद्ध मालिक के या उनके स्थानापन्नोंके रोके जानेका दावा करे; और वह अदालतसे यह भी क़रार दिलासकता है कि जो इन्तक़ाल किया गया है या जिस अनधिकार कामसे जायदादको या रिवर्ज़नरको नुक़सान पहुंचा हो, या पहुंचनेका अंदेशा हो, वह इंतक़ाल या काम नाजायज़ है। देखो—एसाइनीके रोके जानेके विषयमें 3 Mad H. C. 116-119; जायदादके नुक़सानके विषयमें 2 I. A. 169-191; 15 B. L. R. 83-119; 23 W.R. C R. 314; 29 All 239; 13 C.L.R. 418; 10 B. L. R. 1; 34 Cal 853; 22 Cal 354; 5 All 532; 8 All 646.

यह ध्यान रहे कि जब विधवाने या किसी सीमाबद्ध स्त्रीने जायदादका ऐसा इन्तक़ाल किया हो जो उसके रिवर्ज़नरोंको पाबंद न करता हो, तो उस इन्तक़ालको रिवर्ज़नर उस स्त्रीके जीवनकालमें मंसूख़ नहीं करा सकता; क्योंकि वह उस स्त्रीकी ज़िंदगीभर जायज़ माना जायगा, पीछे नहीं; अर्थात् मंसूख़ तो होजायगा, मगर वह मंसूखी स्त्रीके मरनेके बाद समझी जायगी; देखो—10 Cal. 1003.

जब जायदादमें कोई नुक़सान पहुंच रहा हो और वह स्त्री जो क़ाबिज़ है नुक़सानके रोकनेका कोई काम न करती हो, तो रिवर्ज़नर नुक़सान रोके जानेका दावा कर सकता है। ऐसे दावेके लिये यह ज़रूरी है कि रिवर्ज़नरोंके नुक़सान पहुंचनेका पूरा अंदेशा हो।

जब विधवाने जायदादमें केवल अपने स्वार्थका इन्तक़ाल किया हो, तो उसमें रिवर्ज़नर हस्तक्षेप नहीं करसकता; स्वार्थ विधवाकी ज़िंदगीतक रहेगा। लेकिन अगर रिवर्ज़नरोंको उससे नुक़सान पहुंचता हो, तो दावा करके बंद करासकतेहैं। रिवर्ज़नरको जो दावा करनेका अधिकार दिया गया है वह इस सबबसे नहीं कि उसका आशा मात्र स्वार्थ है, बल्कि इस ख्यालसे दिया गया है कि इन्तक़ाल मंसूख़ करानेमें जो शहादत दरकार है वह देर होनेके सबबसे कहीं नष्ट न हो जाय; क्योंकि जब इन्तक़ाल हालहीमें किया गया है तो उस समय काफी शहादत मिलसकती है; देखो—अविनाशचन्द्र मजूमदार बनाम हरीनाथ शाह 32 Cal 62; 9 C. W. N. 25; 6 Cal. 198; 6 C. L. R. 588; 29 Mad. 390; 13 B. L. R. 222; दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा अधिकार रिवर्ज़नरको न दिया जाता, तो संभव था कि जायदाद इतनी ख़राब होजाती कि पीछे रिवर्ज़नरके कामकी ही न रहती; देखो—7 W. R. C. R. 119.

दफा ६६६. रिवर्ज़नरके दावा करनेपर अदालत कब डिकरी देगी——सीमाबद्ध स्त्री मालिककी जायदादके संबंधमें रिवर्ज़नरके किसी प्रकारका दावा करनेपर अदा-

लत जैसा मुनासिब समझेगी वैसा हुक्म या डिकरी देगी; देखो-स्पेसिफिक् रिलीफ एक्ट 1 of 1877 S. S. 42; 11 B. L. R. 171; 19 I. A. 133.

जब कोई रिवर्ज़नर यह दावा करे कि विधवाने जो जायदादका इन्तक़ाल किया है वह विधवाकी मौतके बाद ख़ारिज़ कर दिया जाय, तो ऐसी सूरतमें, जबतक विधवा इन्तक़ाल की जायज़ और ख़ास ज़रूरत साबित न करे, अदालत रिवर्ज़नरके दावेको मंज़ूर कर लेगी; देखो---ईश्वरीदत्त कुंवर बनाम हंसवता कुंवर 10 I. A. 150; 10 Cal 324.

जब विधवाने थोड़ी रक़मके लिये जायदादका कोई हिस्सा रेहन किया हो, जिसे वह अपनी ज़िंदगीमें अदा कर सकती हो, तो ऐसी सूरतमें अगर रिवर्ज़नर उस रेहनके इन्तक़ालको ख़ारिज करा देनेका दावा करे, तो मुमकिन है कि अदालत उसे न माने; देखो—5 C. W. N. 445. कल्याणसिंह बनाम सांवलसिंह 7 All. 163 के मुक़द्मेमें विधवा एक वसीयत नामके अनुसार जायदाद अपने काममें लायी थी। रिवर्ज़नरने उस इन्तक़ालको मंसूख़ करा पानेका दावा किया। अदालतने दावा मंज़ूर करके डिकरी दी। माना गया कि इन्तक़ाल नाजायज़ है। लेकिन " बिहारीलाल मोहरवार बनाम माधोलाल शिरगयावाल 13 B. L. R. 222; 21 W. R. C. R. 430 " वाले मुक़द्मेमें विधवाने जायदादका जो इन्तक़ाल किया था उसका असर विधवाकी मौतके बाद होनेवाला था; इस लिये अदालतने रिवर्ज़नरको डिकरी नहीं दी। इसका सबब यह मालूम होता है कि जब विधवाके इन्तक़ालका असर उसके मरनेपर होगा, और विधवाके मरते ही वह सब जायदाद उत्तराधिकारके अनुसार रिवर्ज़नरोंके पास चली जायगी तब उस वक्त विधवाके इन्तक़ालमें ज़ोर बाक़ी न रहेगा; और दूसरी बात यह भी होसकती है कि वह आदमी जिसके हक़में इन्तक़ाल किया गया है, विधवाके मरनेपर रिवर्ज़नरके मुक़ाबिलेमें उसके अमल करा पाने का दावा करे, तो वह दावा महज़ इस वजहसे भी ख़ारिज हो जायेगा कि मुद्दई अपना दावा साबित नहीं करसका। ऐसा दावा रिवर्ज़नर क़ानून मियादके अनुसार उस समय कर सकता है कि जब उसे हक़ जायदाद मिलनेका पैदा होगया हो और कोई उसके हक़में दख़ल दे। अगर किसी विधवाने नाजायज़ दत्तक लिया हो जिससे रिवर्ज़नरका स्वार्थ मारा जाता हो, तो रिवर्ज़नर विधवाकी ज़िंदगीमें उसे मंसूख़ करा सकता है;

दफा ६६७. रिवर्ज़नरके दावा करनेकी मियाद——कोई हिन्दू स्त्री जो किसी जायदादका इन्तक़ाल करे उस इन्तक़ालकी मंसूख़ीका दावा रिवर्ज़नर बारह वर्षके अंदर कर कसता है और यह मियाद इन्तक़ालकी तारीख़से शुरू होगी देखो—लिमीटेशन एक्ट 9 of 1908 sched. 1 art. 125. मगर हिन्दू सीमाबद्ध स्त्रीके मरनेके बाद जायदादपर क़ब्ज़ा दिलापानेके दावेका उक्त बारह वर्षकी मियादसे कुछ संबंध नहीं है; अर्थात् रिवर्ज़नर उस स्त्रीके मरनेके बाद जायदादपर क़ब्ज़ा दिलापानेका दावा, मरनेकी तारीख़से बारह वर्षके अंदर करसकता है 12 C. W. N. 857, मिसरबा बनाम गिरिजानन्दन तिवारी। पहिले रिवर्ज़नरके पश्चात् वाले रिवर्ज़नरोंको क़ानून मियाद पाबंद नहीं करता; मगर जब वह पहिले दर्जेके रिवर्ज़नर होजायेंगे, तो उस वक्तसे ६ वर्षके अंदर उन्हें दावा करना चाहिये।

उदाहरण—' अज ' अपनी एक विधवा, अपने भाई शिव और भतीजे विष्णुको छोड़कर मरगया। ' अज ' के मरनेके समय लड़का, लड़कीका लड़का, माता, और पिता जीवित न थे। पतिकी जायदाद विधवाको मिली उसने बिना क़ानूनी ज़रूरतके पतिकी जायदादका एक हिस्सा कुबेरके हाथ १ जनवरी सन १८८० में बेच डाला। शिव इस इन्तक़ालको बारह

वर्षके अंदर रद करा पानेका दावा कर कसता है । मगर उसने दावा न किया और कुल मियाद बीत गयी और उसके बाद वह १ जनवरी सन १९०० को मरगया। इस वक्त जायदाद विधवाके पास थी । अब विष्णु जो अपने बाप शिवके समयमें दूसरा रिवर्ज़नर था, यानी शिवके बाद जायदाद पानेका हक़ रखता था, शिवके मरनेसे पहिला रिवर्ज़नर होगया इस लिये अब वह ता० १ जनवरी सन १९०० से ६ वर्षके अंदर विधवाके किये हुए इंतक़ालको रद करा पानेका दावा दायर कर सकता है । शिवकी ज़िंदगीमें विष्णुको क़ानून मियाद पाबंद नहीं करता था ।

दफ़ा ६६८. रिवर्ज़नरके दावा करनेका अधिकार——रिवर्ज़नर, किसी सीमाबद्ध स्त्री या किसी दूसरेके किये हुए इन्तक़ालकी मंसूख़ीका दावा उस स्त्रीकी ज़िंदगीमें ही करनेके लिये मजबूर नहीं है (मगर कर सकता है)। जब वह जायदादका हक़दार हो जाय तब क़ब्ज़ा पानेका दावा करना ज़रूरी है । ; देखो-जोगेन्द्रनाथ बनरजी बनाम राजेन्द्रनाथ हलदार 7 W. R. C. R. 357.

दफ़ा ६६९. जायदादके संबंधमें ग़फ़लत——जब कोई सीमाबद्धमालिक जायदादके संबंधमें ग़फ़लत करे या उस जायदादपर किसीका नाजायज़ क़ब्ज़ा हो जानेदे, तो रिवर्ज़नर दावा कर सकता है; देखो-राधामोहन बनाम रामदास 3 B. L. R. A. C. 362; 24 W. R. C. R. 86; 21 W. R. C. R. 444; चन्द्रकुमार गंगोली बनाम राजकिशन बनरजी 14 W.R.C.R. 322; आदिदेव नारायणसिंह बनाम दुखहरणसिंह 5 All 532.

जायदादके हक़के संबंधमें अगर कोई संदेह हो और सीमाबद्ध मालिक उस संदेहको दावा करके निवृत्त करानेसे इनकार करे या ग़फ़लत करे, तो रिवर्ज़नर कुछ सूरतोंमें खुद वैसा दावा करके हक़ साफ़ करा सकता है, और संदेह अगर कोई हो तो उसे मिटवा सकता है; देखो-सूर्यवंशी कुंवर बनाम महीपतसिंह 7 B. L. R. 669; 16 W. R. C. R. 18.

दफ़ा ६७०. सीमाबद्ध मालिकको बेदख़ल करनेका हक़——नाजायज़ इन्तक़ाल होनेकी वजहसे रिवर्ज़नरको साधारणतः यह अधिकार नहीं है कि वह सीमाबद्ध मालिकको जायदादसे बेदख़ल करदे । लेकिन अगर सीमाबद्ध मालिकने कोई ऐसा काम किया हो, जिससे जायदाद हमेशाके लिये ज़ब्त हो सकती हो या इसी तरहपर और कोई बात पैदा हो सकती हो, तो बेदख़ल करा सकता है। देखो-6 W. R. C. R. 222; किशनी बनाम ख्यालीराम 2 N. W. P. 424; 8 W. R. C. R. 155.

झूठे दत्तक लेनेके उद्योगसे जायदाद ज़ब्त नहीं होती और न इस सबबसे अदालत रिसीवर मुक़र्रर कर सकती है-1 W. R. C, R. 256.

जब किसी सीमाबद्ध मालिकने जायदादका ऐसा नुक़सान किया हो, कि जिससे मालूम होता हो कि वह इंतज़ाम करनेके नाक़ाबिल है, तो केवल ऐसी सूरतमें या इस सूरतमें कि जायदादको नुक़सानसे बचाना ज़रूरी है या जब कि वह स्त्री जायदादपर क़ब्ज़ा करनेसे इनकार करती हो, तो अदालतको अधिकार है कि रिवर्ज़नरके दावा करनेपर उस जायदादके इंतज़ामके वास्ते कोई रिसीवर या मेनेजर नियत करे; देखो-आदि देव नरायन सिंह बनाम दुखहरणसिंह 5 All. 532; 24 W. R. C. R. 86; 13 Mad. 390; अगर अदालत जायदादका फ़ायदा देखे, तो रिवर्ज़नरको ही मेनेजर या रिसीवर नियत करदे और उसे हुक्म दे कि वह जायदादकी कुल आमदनी विधवा या सीमाबद्ध मालिकको बराबर देतारहे देखो-महारानी बनाम नन्दलाल मिसिर 1 B. L. R. A. C. 27; 10 W. R. C. R. 73; 17 W. R. C. R. 11; 5 All. 532.

जब विधवाने जायदादको अपने हाथसे निकल जाने दिया हो या क़ब्ज़ा करनेमें ग़फ़लतकी हो, तो भी ऐसा ही इंतजाम किया जासकता है।

दफ़ा ६७१. रिवर्ज़नरके पीछेवाले रिवर्ज़नर——पहिलेके रिवर्ज़नरने अगर सीमावद्ध मालिकके किये हुए किसी इंतक़ालके विरुद्ध उस इन्तक़ालकी मंसूख़ीका दावा किया हो और उसको अदालतसे डिकरी न मिली हो तो उस रिवर्ज़नरके पीछे होनेवाले रिवर्ज़नर फिर वैसा ही दावा करनेसे रोके नहीं जासकते। आगे यह बात अदालतकी मरज़ीपर है कि दावेको माने या न माने; देखो—22 All. 382; 27 Mad. 588; 29 Mad 390.

जायदादके इन्तक़ालकी मंसूख़ी और जायदादके नुक़सान रोकनेका दावा, अगर पहिला रिवर्ज़नर विधवासे मिल जानेके कारण या उस इन्तक़ालको मंजूर करलेनेके कारण या तमादीहो जानेकी वजहसे या अपना और अपने रिवर्ज़नरका हक़ छोड़ देनेकी वजहसे करनेसे इनकार करे, तो दूरका रिवर्ज़नर दावा करसकता है; देखो--बख़तावर बनाम भगवाना (1910) 32 All. 176; झूला बनाम कांताप्रसाद 9 All; 441; 4 All, 16; 2 All 41; 10 Bom H.C. 351; 8 Cal. L. R. 381; 32 Cal 62; 28 Mad 7; 6 All 428.

अगर किसी सीमावद्ध स्त्रीका रिवर्ज़नर भी सीमावद्ध अधिकार वाला होतो उसके वादवाला रिवर्ज़नर अगर चाहे तो दावा करसकता है। कलकत्ता और मदरास हाईकोर्टकी यही रायहै; देखो-32 Cal 62; 15 All 132; 13 Mad 195. 15 Mad 422; 33 Mad 410.

लेकिन इलाहाबाद हाइकोर्ट इस रायको नहीं मानती। उसकी राय यह है कि सीमावद्ध रिवर्ज़नरके वादवाला रिवर्ज़नर उसी सूरतमें दावा कर सकता है जबकि सीमावद्ध रिवर्ज़नर और स्त्री मालिक दोनों आपसमें मिलगये हों; देखो-ईश्वर नरायण बनाम जानकी 15 All. 132; 6 All. 428; 6 All. 431. इलाहाबाद हाईकोर्टमें जजोंकी राय यह हुई कि इस तरहका दावा यानी दत्तक ख़ारिज करा पानेका दावा या विधवाके किसी और ऐसे कामोका दावा कि जिस कामसे रिवर्ज़नरको नुक़सान पहुंचनेवाला हो, यद्यपि प्रथम रिवर्ज़नरके पीछेवाले रिवर्ज़नर भी दायर कर सकते हैं तो भी साधारणतः पहिले रिवर्ज़नरको दावा दायर करना चाहिये। हमारी राय यह है कि बहुत दूरका रिवर्ज़नर भी दावा दायर करसकता है अगर उसके पहिलेवाले सब रिवर्ज़नर विधवा या सीमावद्ध मालिकसे मिलगये हों या उसकी कार्रवाईमें हस्तक्षेप न करते हों। हमारी रायमें "भीखाजी अप्पाजी बनाम जगन्नाथ विठ्ठल 10 Bom. H. C. 351" वाले मुक़द्दमेमें निश्चित किया हुआ सिद्धांत बिल्कुल ठीक है। यह कोई क़ानून नहीं है कि हर एक आदमी चाहे कितनी भी दूरका रिवर्ज़नर हो ऐसा दावा करे। दावा करनेका अधिकार सीमावद्ध होना चाहिये। अगर बहुतही पासवाला रिवर्ज़नर काफी वजहके बिना दावा करनेसे इनकार करे या अपने किसी कामसे वह वैसा दावा करनेके अयोग्य हो या विधवासे मिलगया हो या विधवाकी नाजायज़ कार्रवाई उसने मंजूर करली हो, तब उसके वादवाला रिवर्ज़नर दावा करनेका अधिकारी होगा; देखो-गुलाबसिंह कुंवर बनाम राव करनसिंह 14 M. I. A. 176-193; 10 B. L. R.1-8. दूरके रिवर्ज़नरके ऐसा दावा करनेपर अदालत अपने अधिकारसे यह विचार करेगी कि मुद्दईको ऐसा दावा करनेका अधिकार देना चाहिये या नहीं; और यह मुमकिन है कि अदालत उसके पहिलेके रिवर्ज़नर या रिवर्ज़नरोंको मुक़द्दमेमें फरीक़ बनावे 8 I.A. 14-22; 6 Cal 764; 8 Cal L. R. 381, to 386.

नोट—जब दूरके रिवर्ज़नरको ऐसा दावा करना हो तो उसे चाहिये कि पहिलेके सब रिवर्ज़नरोंको मुद्दालेह बनावे और दावेमें वह सब बातें बतादे कि जिनसे उसे ऐसा करना पड़ा, वह यदि ऐसा न करेगा तो संभव है कि मुक़द्दमा ख़ारिज हो जाय——

निःसंतान हिन्दू विधवाने नाजायज़ तौरसे कोई जायदाद बेच दीहो और उसके बाद का रिवर्ज़नर उस विक्रीके ख़ारिज करानेका दावा करनेमें देर करे, तो इससे यह नहीं समझा जायगा कि उसने वह विक्री मंजूर करली थी। अगर मंजूर की भी हो तो यह मंजूरी ऐसी होना चाहिये, कि जिसके कारण वह रिवर्ज़नर उस विक्रीपर कोई आपत्ति करनेका अधिकारी न रहगया हो। ऐसी सूरतमें उसके बादका रिवर्ज़नर अदालतमें दावा करके उस विक्रीको मंसूख़ करा सकेगा; देखो—6 All 431-434; 4 N. W. P. 83.

दफा ६७२. रिवर्ज़नरके बादवाले रिवर्ज़नरके दावाकी मियाद——पहिले रिवर्ज़नरके दावा करनेमें क़ानून मियादकी पाबंदी होसकती है यानी उसमें तमादी होसकती है परंतु उस तमादी होजानेसे दूसरे रिवर्ज़नरके दावामें तमादी नहीं होती देखो—32 Cal 62; 9 C. W. N. 25; 4 Bom L. R. 893; 12 C. W. N. 857-859.

रिवर्ज़नरके पश्चात्वाले रिवर्ज़नरको जिस दिन वैसा दावा करनेका अधिकार प्राप्त हो उस तारीख़से ६ वर्षतक उसे दावा कर देना चाहिये पीछे तमादी होजायगी लिमीटेशन एक्ट 9 of 1908-120; 32 Cal 473.

अगर दूसरा रिवर्ज़नर उस समय नाबालिग़ हो जब उसे वैसा दावा करनेका अधिकार प्राप्त हुआ है तो वह नाबालिग़ रिवर्ज़नर क़ानून मियादकी दफा ६ का लाभ उठा सकता है यानी बालिग़ होनेकी तारीख़से तीन वर्षके अंदर वैसा दावा दायर करसकता है यही बात पहिले वाले रिवर्ज़नरसे भी लागू होगी–28 Mad. 57; 22 All. 33; 32 Cal 62.

दफा ६७३. रिवर्ज़नर कब आपत्ति कर सकता है——जब कोई विधवा या दूसरी सीमाबद्ध स्त्री मालिक जायदादकी रक्षाका उचित प्रबंध न करे तो उसके बादवाला रिवर्ज़नर, या अगर वह इसमें आपत्ति न करे या न करसकता होतो उसके भी बादवाला रिवर्ज़नर उन सब कामोंपर आपत्ति कर सकता है जो काम उसकी वरासतमें बाधक होते हों, वह उसी तरहपर आपत्ति कर सकता है जैसे कि वह स्वयं उस जायदादका वारिस होनेकी सूरतमें करता। जैसे पिछले मर्द मालिकके वसीयत नामेपर या उसके वारिसके किसी कामपर आपत्ति कर सकता है–वैकुंठनाथराय बनाम गिरीशचन्द्र मुकरजी 15 W. R. C. R. 96; यह माना गया है कि हिन्दू विधवाके मौतके बाद जो रिवर्ज़नर जायदादका हक़दार हो वह इस बातका दावा कर सकता है कि विधवाके पतिकी जायदादका उचित प्रबंध किया जाय–29 Cal 260; 6 C. W. N. 267.

दफा ६७४. रिवर्ज़नरके अधिकार——सीमाबद्ध मालिकके मरनेपर उस जायदादके पानेका अधिकारी सीमाबद्ध मालिकका वारिस नहीं होगा बल्कि पिछले पूरे मर्द मालिकका वारिस होगा–वरासतका सरटीफिकट अदालतसे प्राप्त करनेके क्या नियमहैं इस विषयमें देखो–अविनाशचन्द्रपाल बनाम प्रबोधचन्द्रपाल (1911) 15 C. W. N. 1018.

अगर पहिला रिवर्ज़नर किसी कारण अपना हक़ छोड़दे तो उसके बादवाला रिवर्ज़नर जायदादका मालिक होगा–गोसांई टीकमजी बनाम पुरुषोत्तम लालजी 3 Agra 238.

रिवर्ज़नर जब जायदादका मालिक हो जाता है तो वह सीमाबद्ध पहिले मालिकके नियम विरुद्ध सब कामोंपर आपत्ति कर सकता है। सीमाबद्ध मालिकके मरनेके समय जो जायदाद जिस हालतमे थी उसी हालतमें वह जायदाद पानेका अधिकारी है। विधवाके किसी नियम विरुद्ध जायदादका पट्टा आदि देनेके कारण अगर किसी दूसरे आदमीने जायदादमें तरक़्क़ी की हो तो रिवर्ज़नर उसका बदला देनेका ज़िम्मेदार नहीं है वह पट्टेदारसे ज्योंकी त्यों जायदाद छीन लेगा–इस विषयमें नज़ीर देखो–व्रजभूषण बनाम दयाराम 32 Bom. 32.

दफा ६७५. क़ब्ज़ा पानेकी नालिशकी मियाद-----यह साफ बात है कि सीमावद्ध स्त्री मालिकके मरनेके बाद रिवर्ज़नर जायदादपर क़ब्ज़ा दिला पानेकी नालिश बारह वर्षतक कर सकताहै। अर्थात् अगर उस स्त्रीके मरनेके बाद जायदादपर ऐसे शख़्शका क़ब्ज़ा होगया हो जो जायज़ वारिस नहीं है या उस स्त्रीके मरनेके बाद जायदादका कोई इन्तक़ाल भी हो चुका है या उस जायदादपर कोई ऐसा आदमी क़ाविज़ है जिसका क़ब्ज़ा बारह वर्षका हो चुका है तो भी विधवाके मरनेकी तारीख़से बारह वर्षके अंदर जायज़ रिवर्ज़नर जायदादपर क़ब्ज़ा दिलापानेका दावा कर सकता है। देखो-सीमावद्ध स्त्रीके मरनेपर दावा करना-लिमिटेशन एक्ट 9 of 1908 Sched 1 art 141; 26 I A. 71; 23 Bom. 725; 14 Bom. 482; 34 Cal 329; 18 Bom. 216; 19 All 357; 14 All 156; 25 All. 435; 23 All. 448; 20 All 42; 26 Mad 143; ऐसे आदमीका क़ब्ज़ा जो जायज़, वारिस नहीं हैं आदि—(1904) 8 C. W. N. 535.

यह क़ायदा क़ानून मियादका उस स्त्रीसे भी लागू होगा जो एक स्त्रीके मरनेके बाद रिवर्ज़नर हो-रामदेयी बनाम अबू जाफ़र 27 All 494; तथा उस व्यक्तिसे भी लागू होगा जो दो स्त्रियोंके पश्चात्का रिवर्ज़नर हो-25 All 435; 13 Mad 512; 14 Bom. 512.

अगर किसी विधवाने जायदादका इन्तक़ाल कर दिया हो और वह जायदाद दूसरेके क़ब्ज़ेमें हो तो जिस समय विधवा मरे उसी वक्त रिवर्ज़नर जायदाद पानेका दावा कर सकता है-हनूमान प्रसाद सिंह बनाम भगवतीप्रसाद 19 All 357;

दफा ६७६. इन्तक़ालके जायज़ और नाजायज़ होनेका सुबूत--(१) सीमावद्ध स्त्री मालिकके किये हुए इन्तक़ालके जायज़ या नाजायज़ होनेका सवाल जब किसी मुक़द्दमेमें उठे तो उस आदमीको जिसके हक़में इन्तक़ाल किया गया है साबित करना होगा कि क़ानूनी ज़रूरतके लिये वह इन्तक़ाल किया गया है या उसने नेक नियतीसे इस विषयमें जांचकी थी, और समझदार आदमीकी तरहपर वह यह जान कर संतुष्ट होगया था कि वास्तवमें ऐसी ज़रूरत थी देखो-धरमचद लाल वनाम भवानी मिसराइन 24 I.A 183; 25 Cal 189; 1 C. W. N. 697; महेशर वख़्शसिंह बनाम रतनसिंह 23 I. A. 57; 23 Cal 266; 19 W. R. C. R. 79; 19 I. A. 196; 14 All 436; 6 Bom. L. R. 628; 15 C. W. N. 793.

यदि उसने ईमानदारीसे ठीक जांच करली हो तो इन्तक़ालसे पहिलेके बुरे इंतज़ामका असर उसपर कुछ नहीं पड़ेगा, और इस बातका भी कुछ असर नहीं पड़ेगा कि वह क़ानूनी ज़रूरत विधवाके बुरे कामसे पैदा हुई थी या नहीं-6 M. I. A. 393.

अगर उसने ऐसी ठीक जांच करली होतो यह देखनेकी कुछ भी ज़रूरत नहीं है कि जो रुपया उसने दिया वह उस क़ानूनी ज़रूरतमें लगाया गया था या नहीं और न यह मालूम करना उसका कामहै कि जो रुपया उसने दिया वह सबका सब या कुछ उसी ज़रूरतके लिये लिया गया था- 24 All 547; 9 W. R. C. R. 501; 6 M. I. A. 393.

ऐसे इन्तक़ालके झगड़ेमें प्रत्येक ख़रीदार या रेहन रखनेवालेको यह साबित करना होगा कि स्त्रीने अपने अधिकारों तथा मामलेकी सब हालतों और उस इन्तक़ालका जो परिणाम होगा उसको भी भली भांति समझकर इन्तक़ालका दस्तावेज़ लिखा था और जिस क़ानूनी ज़रूरतसे उसने इन्तक़ाल किया था वह ज़रूरत कहां तक थी इसका मालूम करलेना भी उसे साबित करना पड़ेगा; देखो-कामेश्वरप्रसाद बनाम रणबहादुरसिंह 8 I. A. 8; 6 Cal 843; 19 I. A. 1; 19 Cal 249; 5 Bom. 450, 35 Cal 420;

नोट--इस विषयमें और देखो इस किताबकी दफा-४३१ तथा ज़रूरतोंके बारेमें देखो दफा ४३०; ६०२

(२) परदानशीन औरत—ख़रीदार या रेहन रखनेवालेको क़ानूनी ज़रूरतके सवालके सिवाय, यह स्पष्ट है कि परदानशीन स्त्री किसी इन्तक़ालसे भी उस वक्त तक पावंद नहीं समझी जायगी जबतक कि साफ साफ यह साबित न किया जाय कि वह स्त्री तमाम हालतोंसे पूरी तरहसे वाक़िफ थी, और यह कि उसकी परदानशीनीकी हालतका अनुचित लाभ नहीं लिया गया था, और यह कि उसके सलाहकारोंपर दवाव या किसी तरहका असर नहीं डाला गया वे स्वतंत्र थे—8 I. A, 39 ; 7 Cal. 245 ; 29 I. A. 132 ; 29 Cal. 664 ; 35 Cal. 420 ; 31 Bom. 165 ; 17 All. 125 ; 37 Cal. 526; 14 C. W. N.974.

यह साबित करनेका बोझ ख़रीदारपर है कि हिन्दू विधवाने किसी जायदादको ऐसी ख़ास हालतोंमें बेंचा जब कि विधवा बिना मंजूरी पतिके वारिसोंके क़ानूनी ज़रूरत के लिये बेच सकती थी—4 Bom. 462.

ऐसी सूरतमें जब कि पति ज़्यादा सूदपर क़रज़ाले कर मरगया हो और विधवाने कम सूदपर क़रज़ालेकर उसे अदाकर दिया हो तो भी कम सूदके क़रज़ा देनेवालेको यह साबित करना पड़ेगा कि उसने क़ानूनी ज़रूरतके लिये क़रज़ा लिया था और जो बातें ऊपर बतायी गयी हैं सब साबित करना होंगी। दूसरे पक्षको यह साबित करने की ज़रूरत नहीं हैं कि पति जो जायदाद छोड़ गयाथा उसमेसे क़र्ज़ा चुकाया जासकताथा-231.A.57;23Cal.266

इन्तक़ालके वाद यदि अधिक समयतक उसपर आपत्ति न की जाय तो इस सबबसे वह व्यक्ति कोई लाभ नहीं उठा सकता है कि जिसके ज़िम्मे सुबूत दर असल डाला गया है हां यह होसकता है कि उतने दिन बीतनेके कारण यदि कुछ कम सुबूत हो जाय तो अदालत इस बातपर विचार करेगी और यह भी होसकता है कि उतने दिनोतक चुप रहनेके कारण अदालत उनकी मंजूरी होना अनुमान करे 38 Cal. 721.

दफा ६७७. जब क़ानूनी ज़रूरतका कुछ हिस्सा साबित किया जाय——

जब क़ानूनी ज़रूरतका कुछ हिस्सा साबित किया जाय और यह विदित हो कि उस आदमीको जिसे इन्तक़ाल किया गया यह मालूम था या वह जांच करके यह मालूम कर-सकता था कि ज़रूरतसे ज्यादा रुपया लिया गयाहै तब वह कम रक़म जिसकी वास्तवमें ज़रूरत थी देकर जायदाद छुटाली जायगी—25 All. 330 ; 33 Cal. 1079 ; 34 I. A. 72 ; 29 All. 331 ; 9 Bom. L. R. 591 ; 13 W. R. C. R. 457 ; 27 All. 494.

या अगर जायदाद बेंच दीगयी हो तो वही रक़म सूद सहित देकर बिक्री ख़ारिज कर दीजायगी और यदि इस बीचमें इन्तक़ालवाला उस जायदादपर क़ाबिज़ रहा हो तो उतने दिनका मुनाफा उसमे मुजरा दिया जायगा-डिपुटी कमिश्नर आफ खीरी बनाम खानजनसिंह 34 I. A. 72 ; 29 All. 331 ; 11 C. W. N. 474 ; 9 Bom. L. R.591.

" हरी किशुन भगत बनाम बजरंग सहायसिंह 13 C. W. N. 544-549 के मुक़द्दमेंमे कहा गया है कि प्रिवी कौंसिलने डिपुटी कमिशनर खीरी बनाम खजनसिंह 34 I. A. 72 ; 29 All. 331 ; 11 C. W. N. 474 ; 9 Bom. L. R. 591 के मामलोमें यह माना है कि क़ानूनी ज़रूरत साबित न होनेसे अगर विधवाकी बेंची हुई जायदादका कुछ हिस्सेका बेंचना नाजायज़ साबित हो तो कुल बिक्री रद कर दीजायगी और जितने दिनोंतक ख़रीदार क़ाबिज़ रहा हो उतने दिनोके मुनाफेका उसे हिसाब देना होगा "

" मि० ट्रिवेलियन् कहते हैं कि प्रिवी कौंसिलने उक्त नियम सर्व व्यापी नहीं मान लिया है एक दूसरे मामलेमें अर्थात् फेलाराम बनाम बगलानन्द बनर्जी 14 C. W. N. 895-896 में कहा कि अगर विधवा इस बातकी पावंदकी जाय कि क़ानूनी ज़रूरतके लिये जितनी

रक़म दरकार हो सिर्फ उतनेही रक़मकी जायदाद बेंचे तो एकतो ऐसा होना असंभव है और दूसरे जायदादपर भी इसका बुरा असर पड़सकता है, मुमकिन है कि जायदादमें उतनी रक़मके लिये भाग अलहदा न किया जासकता हो, हमारीरायमें प्रिवीकौन्सिलने ऐसा व्यापक सिद्धांत नहीं माना है, जायदादकी विक्री सबकी सब रद की जाय या नहीं इसके विचारमें केवल यह देखना चाहिये कि वह विक्री उचित और जायदादके लाभके लिये हुई या नहीं; देखो फूलचन्दलाल बनाम रघुवंश 9 W. R. C. R. 107;

एक मुक़द्दमेमें इन्तक़ालका पूरा मतालबा क़ानूनी ज़रूरत सावित नहीं हुआ मगर फिरभी अदालतने माना कि मुद्दई पूरा मतालबा अदा करके विक्री ख़ारिज करा सकता है—11 B. L. R. 416; 20 W. R. C. R. 187; 2 W. R. C. R. 107-109. क़ानूनी ज़रूरतोंके लिये देखो दफा ४३०; ६०२.

दफा ६७८. इन्तक़ालके ख़ारिज होनेपर क़र्ज़की अदायगी——जब इन्तक़ाल अदालतसे ख़ारिज किया जाय तो कभी कभी ऐसा होसकता है कि रिवर्ज़नरसे उतनी रक़म अदा कराई जाय जितनीसे कि जायदादको फायदा पहुंचाहो, विधवाके पास रेहनका रुपया अदा करनेके लायक रक़महो फिर भी वह यदि जायदाद बेंचकर रक़म अदाकरे तो रिवर्ज़नर रेहनका रुपया अदा करके विक्री ख़ारिज करासकता है-मोहमद शमशुल मोलवी बनाम सेवकराम 2 I.A. 7; 14 B.L.R. 226; 22 W.R.C.R 409; 5 Bom. 450.

अगर विधवाने पतिकी जायदाद बढ़ानेके उद्देशसे दूसरी जायदाद ख़रीदनेको क़रज़ लिया हो तो रिवर्ज़नर उस क़रज़को अदा करके वह जायदाद लेसकता है। यदि ख़रीदारने जायदादकी उन्नतिके लिये उसपर कुछ रक़म ख़र्चकीहो और रिवर्ज़नरको यह बात मालूम हो तो विक्री रद होनेपर रिवर्ज़नर वह रक़म ख़रीदारको अदा करेगा लेकिन जो रक़म ख़रीदारने मरमतमें ख़र्चकीहो उसके लेनेका या अपनी बनायी हुई किसी इमारतके गिरा देनेका दावा ख़रीदार नहीं करसकता—देखो-उदयसिंह बनाम फूलचन्द 5 N. W. P. 197; 6 C. L. R. 140; 21 Bom. 749; 9 Bom. L. R. 1181.

दफा ६७९. सरकारका अधिकार——आख़िरी पूरे मालिकका कोई वारिस न होनेपर किसी स्त्रीकी ज़िंदगीमें या उसके मरनेके बाद सरकार आख़िरी वारिसकी हैसियतसे जब उस जायदादकी वारिस होतीहै तो वह सीमाबद्ध स्त्रीके सब अधिकारी कामोंपर आपत्ति करसकती है मतलब यह है कि सरकारके वही सब अधिकार होते हैं जो रिवर्ज़नरके होते हैं देखो—8 M. I. A. 529.

दफा ६८०. सीमाबद्ध मालिकके कामोंपर कौन आपत्ति करसकता है——सीमाबद्धमालिकके कामोंपर आपत्ति करनेका अधिकार या तो रिवर्ज़नरको होता है या उस आदमीको जिसने कुर्कीमें जायदाद ख़रीदकर जायदादके सब स्वत्व प्राप्त करलिये हों—रामकिशुन सरकार बनाम ज़हरुल्हक़ चौधरी W. R 1864; C. R. 351; व्रजकिशोरीदासी बनाम श्रीनाथबोस 9 W. R. C. R. 463.

दफा ६८१. विचाराधीन मुक़द्दमे——किसी विचाराधीन मुक़द्दमेमें सीमाबद्ध मालिकके मरजानेपर उसकी जगह रिवर्ज़नर लेता है 33 All. 15; 23 Cal. 636; 23 Cal. 454.

वरासतसे मिली हुई जायदादपर स्त्रियोंका अधिकार ।

ग्यारहवाँ-प्रकरण ।

दफा ६८२. वारिसकी हैसियतसे स्त्रियोंका अधिकार महदूद है——

१) सिवाय उन सूरतोंके जो इस किताबकी दफा ६४०; ६४१ में कही गयी हैं, वरासतसे मिली हुई जायदादपर किसी हिन्दू ' स्त्री ' का पूरा अधिकार नहीं होता; चाहे वह जायदाद उस स्त्रीको किसी पुरुषसे मिली हो अथवा किसी स्त्रीसे । पूरा अधिकार न होनेका अर्थ यह है कि-जब किसी स्त्रीको, पुरुष या स्त्रीके मरनेके बाद वारिसकी हैसियतसे मृत (पुरुष, या स्त्री) की जायदाद उत्तराधिकारके द्वारा मिली हो तो उसपर उस स्त्रीका वैसा अधिकार नहीं होता जैसा कि उस जायदादके पूरे मालिक कोथा: यानी वह स्त्री अपनी मरज़ीसे उस जायदादका दान नहीं कर सकती, बेच नहीं सकती, रेहन नहीं कर सकती और न किसी दूसरी तरहसे इन्तक़ाल कर सकती है । मगर वह क़ानूनी जरूरतोंके लिये ऐसा कर सकती है, देखो दफा ६०२. यह बात हिन्दूलॉके सभी लिखने वालोंने मानी है कि वरासतसे पाई हुई जायदादका इन्तक़ाल कोई स्त्री नहीं कर सकती; कारण यह है कि स्त्रीसे वरासतकी कोई नयी शाखा नहीं निकलती, इसी लिये स्त्रीके मरनेके बाद जायदाद उस आदमीके पास चली जाती है जो पिछले आख़िरी पूरे मालिकका वारिस होता, अगर वह स्त्री बीचमें न होती । नज़ीरें देखो-बनारस स्कूल जहां लागू किया गया था-शिवशंकरलाल बनाम देवीसहाय (1903) 30 I. A. 202 ; 25 All. 468 ; 7 C. W. N. 831 ; 22 All. 353 ; शिवप्रताप बहादुरसिंह बनाम इलाहाबादबैंक 30 I. A. 209 ; 25 All. 476 ; 7 C. W. N. 840 ; 5 Bom. L. R. 833 ; छोटेलाल बनाम चुन्नूलाल 6 I. A. 15 ; 4 Cal 744 ; 3 C. L. R. 465 ; 14 B. L. R. 235 ; 11 M. I. A. 139. मदरास स्कूल जहांपर लागू किया गया था-वेंकट रामकृष्णराव बनाम भुजंगराव 19 Mad 107; 19 Mad 110 ; 3 Nad. H. C. 312 ; 29 Mad 358 । बंगाल स्कूल जहांपर लागू किया गया था-प्राणकृष्ण बनाम नवमनीदासी 5 Cal 222; हरिदयालसिंह शर्म्मा बनाम श्रीशचन्द्र मुकरजी 17 Cal. 911 ; भुवनमोहन बनर्जी बनाम मदन मोहनसिंह । 1 Shome's L. R. C. R. 3 ; । बंबई स्कूलमें स्त्रियां पूरी मालिक होती हैं ।

(२) जब किसी स्त्रीके पास कोई जायदाद या धन, स्त्रीधनके तौरपर हो, तो वह जायदाद या धन उस स्त्रीके मरनेपर जब दूसरी किसी स्त्रीके पास वरासतमें जायगा तो उस वक्त वह जायदाद या धन स्त्रीधन नहीं रहेगा । वरासतसे पायी हुई जायदादकी शर्तें उसमें लागू होंगी । 30 I.A. 202 ; 25 All 468; 5 Bom. L.R. 828; 17 Cal. 911.

(३) मिताक्षरास्कूलमें जब कोई जायदाद वरासतमें किसी-विधवा स्त्री, बेटी, माँ, दादी, और परदादीको मिलती है तो उसमें इनका महदूद हक़ होता है; यानी यह जायदादमें पूरे मालिकाना अधिकार नहीं रखतीं । मगर बंबईस्कूलमें यह बात नहीं मानी जाती । वहांपर दूसरा क़ायदा लागू किया गया है । इस विषयपर नज़ीरें बहुत हैं-विधवाके अधिकार महदूद होनेमें-भगवानदीन दुबे बनाम मैना बीबी 11 M. I. A. 487 ; 9 W. R. (P. C.)

23 ; मनीराम बनाम केरीकोलीटानी 7 I. A. 115, 154 ; 5 Cal. 776 ; 6 Cal. L. R. 322 ; । लड़कीके अधिकार महदूद होनेमें-छोटेलाल बनाम छुन्नीलाल 6 I. A. 15 ; 4 Cal 744 ; 3 Cal L. R. 465 ; 14 B. L. R. 246. माके अधिकार महदूद होनेमे-बंबईमें भी मा और दादीका अधिकार महदूद रखा गया है. बंबईस्कूलकी नज़ीरें देखो-व्रजभूषणदास द्वारिकादास बनाम पार्वतीबाई (1907) 32 Bom 2 ; 9 Bom. L. R. 1187 ; 21 Bom 739, 744 ; । मदरास स्कूलमें-8 Mad. H. C, 88 ; । बनारसस्कूलमें-जलेसर कुंवर बनाम उगुरराय 9 Cal 725 ; 12 C.L.R. 460 ; । मिथिलास्कूलमें-जैसा कि बनारस स्कूलमें कहा गया है । बंगालस्कूलमें-(1908) 36 Cal. 75 ; 12 C.W.N. 1002.

(४) जब किसी स्त्रीको उत्तराधिकारमें आखिरी पूरे मालिककी खुद कमाई हुई जायदाद मिलती है तो उसपर भी उस स्त्रीका महदूद अधिकार रहता है जैसा कि ऊपर कहा गया है । देखो—नामा सिवैय्याचट्टी बनाम सिवागमी (1863) 1 Mad. H. C. 374.

(५) इनामके तौरसे मिली हुई किसी क़िस्मकी जायदाद जो बंबई और मदरासप्रांतमें होती है, चाहे वह विधवाके नामसे हो, तो भी उसका उसमें पूरा अधिकार नहीं रहता ।

(६) जायदादके अधिकारकी सूरत नहीं बदल सकती—अर्थात्

कोई स्त्री जिसे महदूद अधिकार प्राप्त हैं, वह अपने अधिकारको जो उसे जायदादमें प्राप्त हैं, नहीं बदल सकती; यानी वह जिस हैसियतसे जायदादकी वारिस हुई है उस हैसियतको नहीं बदल सकती । देखो-श्यामलाल मित्र बनाम अमरेन्द्रनाथ (1895) 23 Cal 460.

इसीतरहपर बेटी भी जायदादमें ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिससे उसके बाद होनेवाले वारिसके हक़ोंमें कोई तब्दीली आजावे । 3 Mad. H. C. 312 ; कैलाशचन्द्र-चक्रवती बनाम काशीचन्द्र चक्रवती-24 Cal 339 ; (1903) 25 All.546; 23 Mad 504.

अगर कोई स्त्री जिसे महदूद अधिकार प्राप्त हैं जायदादको उस वारिसकी मंजूरीके साथ जो उसके मरनेके बाद वारिस होनेवालाहै किसी दूसरेको इन्तक़ाल करदे तो ऐसाभी वह नहीं कर सकती । देखो-13 Mad L.J. 323; हेमचन्द्र बनाम शरणमयीदेवी 22 Cal.354; 30 Mad 201 ; हरगवन मगन बनाम वैजनाथदास (1909) 32 All 88; 31 Mad 474.

और अगर किसी स्त्रीके पीछे होनेवाले वारिसने उस जायदादके बदलेमें योग्य क़ीमत या कोई चीज़ लेकर इन्तक़ाल कर देनेकी मंजूरी दी होतो उस सूरतमें उस होनेवाले वारिसको अपनी मंजूरीका पाबंद होना पड़ेगा और स्त्रीका इन्तक़ाल सही रहेगा । देखो—2 C.W. N. 132 ; 10 Bom. L.R. 210 और देखो दफा ७०८; ७०९.

सरकारके बंदोबस्त करनेसे विधवाका अधिकार नहीं बदलेगा और अगर उस बंदोबस्त में कोई ख़ास तौरका हुक्म दिया गया हो तो दूसरी बात है 30 All 490.

दफा ६८३. बंबई प्रांतमें वरासतसे मिली हुई जायदादपर स्त्रियोंके अधिकार—

(१) बंबईप्रांतमें जहांपर मिताक्षरा या जहांपर मयूखका प्राधान्य है, वहां किसी पुरुष या स्त्रीसे किसी स्त्रीको वरासतमें मिली हुई जायदाद उस वारिसकी अपनी जायदाद होती है; परंतु यह बात विधवा, मा, और लड़केकी विधवा, तथा गोत्रजसपिण्डोंकी विधवाओंके लिये नहीं है । उस जायदादपर उक्त स्त्रियोंका अधिकार उतनाही होताहै जितना कि उनके पतिका जीवनकालमें होता है; यानी अगर किसी स्त्रीको उत्तराधिकारसे उसवक्त जायदाद मिली हो जब कि उसका पति ज़िन्दा है (जैसे मा) तो जितना अधिकार उनके पतिका देखरेख (Control) करनेमें होता सिर्फ उतनाही अधिकार उक्त स्त्रियोंको जायदादमें प्राप्त रहता है; वह पूरी मालिक नहीं समझी जातीं 30 Bom. 229; 7 Bom. L. R. 936.

(२) ज़व एकही दर्जेके अनेक वारिस हों तो उनमें सरवाइवरशिप्का हक़ लागू नहीं पड़ेगा।

(३) बंबई हाईकोर्टके फुल बेंचने, गांधी मगनलाल मोतीचन्द बनाम यादवबाई 24 Bom. 192; 1 Bom. L. R. 574 के मामलेमें यह माना कि गुजरात प्रांतमें अपनी क्वारी पोती की जायदाद मनकूला और ग़ैरमनकूलाकी वारिस जब दादी होती है तो वह उस जायदाद की पूरी मालिक होती है; क्योंकि वह दादी बहैसिथत दादीके वारिस होती है नकि दादा की विधवा की हैसियतसे इस लिये उस दादी के मरनेके बाद जायदाद दादी के वारिसको मिलेगी, न कि पोतीके वारिसको।

मिस्टर मेनसाहेबने अपने हिन्दूलॉके सातवें एडीशन पेज ८२६, ८२७ में यह ज़ाहिर किया है, कि जुडीशलकमेटीने उक्त फुल बेंचकी रायको, शिवशंकरलाल बनाम देवीसहाय 30 I. A. 202; 25 All. 468 और लालशिव प्रतापसिंह बहादुर बनाम इलाहाबादबैंकके मामलेमें रद्द कर दिया। परंतु उनका ऐसा समझना ठीक नहीं है, क्योंकि बंबई का यह फैसला बंबई प्रांतके ख़ास क़ानूनके आधारपर किया गया है; इस क़ानूनके अनुसार दादी बहैसियत दादीके वारिस होती है, न कि बहैसियत दादाकी विधवाके। मिताक्षरालॉके अनुसार भी यही बातहै। इस लिये गोत्रजसपिण्डकी विधवाओंकी तरह दादीके हक़ महदूद नहीं होते। बलिक बंबईके लॉके अनुसार दादी स्वयं गोत्रजसपिण्ड मानी जाती है; इस लिये उस क़ानूनके अनुसार बहनों और भतीजियोंकी तरह वह भी जायदादकी पूरी मालकिन होतीहै।

बंबईमें लड़की उत्तराधिकारसे पायी हुई जायदादकी पूरी मालकिन होती है। इसपर उक्त जुडीशल कमेटीके फैसलेका कोई असर नहीं पड़ता (30 Bom. 229). इस लिये माके विषयमें भी ऐसाही समझना चाहिये।

यह माना गया है कि जो स्त्रियां आख़िरी पूरे मालिकके ख़ानदानमें विवाहके संबंधसे मेम्बर नहीं हुई हैं वह सब जब उत्तराधिकारसे जायदाद पाती हैं तो पूरे अधिकारसे पाती हैं—32 Bom. 26; 9 B L R 1187.

बंबई प्रांतमें स्त्रियां आम तौरपर जायदादकी पूरी मालिक होती हैं और जिन स्त्रियोंका हक़ सिर्फ अपनी परवरिश पानेका जायदादपर होता है वह इसमें शामिल नहीं हैं, जैसे विधवा, मा, भिन्नशाखाके सपिण्ड आदि।

जब कोई स्त्री बहैसियत विधवा, या मा या गोत्रजसपिण्डकी स्त्रीके वारिस होती है तो जायदादमें उसका अधिकार सीमाबद्ध होता है देखो—गजाधर भट्ट बनाम चन्द्रभागाबाई 17 Bom 690; तुलजाराम मुरारजी बनाम मथुरादास 5 Bom 662.

दफा ६८४. क्वारी लड़की——क्वारी बेटी जो जायदाद उत्तराधिकारमें अपनी मासे पाती है वह उस बेटीके मरनेके बाद (ख़ासकर मद्रास प्रांतमें) उस जायदादका उत्तराधिकार एक ख़ास क़ायदेके अनुसार होता है उस क़ायदेके अनुसार बेटी अपनी मा की तरह उस जायदादकी पूरी मालिक होतीहै-देखो—2 Mad. L. J. 149; 19 Mad. 107, 109; 24 Bom. 192. मगर इसके खिलाफ एक नज़ीर है–32 Mad. 521; 19 Mad. 110.

मिताक्षराके जिस नियमके अनुसार यह क़ायदा बना है उसके अनुसार स्त्रीधनकी जायदादपर उस (बेटी) का अधिकार भी वैसाही होता है जैसा अन्य स्त्रियोंका।

दफा ६८५. जैन विधवा——सरावगी अगरवालकी पुत्रहीना विधवाको अपनी संप्रदायके रवाजके अनुसार अपने मृतपतिकी जायदादमें अन्य हिन्दू विधवाकी अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त हैं अर्थात् वह अपने पतिकी कमाई हुई जायदादकी पूरी मालिक

होती है। शिवसिंहराय बनाम दाखो 6 N. W. P. 382; 5 I. A. 87, 1 All. 688, शंभूनाथ बनाम ज्ञानचन्द्र 16 All. 379, हरिनामप्रसाद बनाम माडिलदास 27 Cal. 379. किंतु मौरूसी जायदादके विषयमें उसका वही अधिकार होता है जो हिन्दू विधवाका होताहै।

दफा ६८६. मनकूला जायदादपर विधवाका कैसा अधिकार है ?-——बंगाल और बनारस स्कूलके अनुसार मनकूला जायदादपर जो किसी स्त्रीको उत्तराधिकारमें मिले जैसे विधवाका या अन्य किसी सीबमाद्ध अधिकार रखनेवाले वारिसका वैसाही अधिकार होता है जैसा कि ग़ैरमनकूला जायदादपर होता है। दक्षिणहिन्दुस्थानके विषयमें मदरास हाईकोर्टकी राय भी ऐसीही है दुर्गानाथ प्रमाणिक बनाम चिंतामणीदासी 31 Cal. 214; 11 M. I. A. 139; 8 Mad. 290, 304.

—इस विषयमें बंबईका लॉ कुछ निश्चित नहीं है, मगर यह स्पष्ट है कि बंबईप्रांतके जिन ज़िलोंमें मिताक्षरा प्रधान माना जाता है उनमें विधवाका अधिकार बंगाल या बनारस स्कूलकी विधवासे अधिक नहीं है। 32 Bom. 59; 9 Bom. L. R. 305; 17 Bom. 690.

—यह भी स्पष्ट है कि जिन प्रांतोंमें मयूख प्रधान मानाजाता है उनमें भी विधवा अपने पतिसे उत्तराधिकारमें मिले हुए माल मनकूलाको वसीयत द्वारा किसीको नहीं दे सकती। देखो--छम्मनलाल मगनलाल शाह बनाम डोशी गणेश मोतीचन्द 28 Bom. 453; 6 Bom. L. R. 460, 17 Bom. 690; 21 Bom. 170; विधवाके मरनेके बाद वह मनकूला जायदाद उसके वारिसको नहीं मिलेगी और न वे उस जायदादसे विधवा का क़र्ज़ चुका सकते हैं देखो 16 Bom. 233.

यदि विधवाको अपने पतिसे वसीयतद्वारा कोई अधिकार मिलाहो तो वह उस अधिकारको काममें ला सकती है; देखो—मोतीलाल बनाम रत्तीराम 21 Bom. 170.

—पतिसे पाये हुए माल मनकूलापर विधवाके पूर्ण अधिकारका उल्लेख मयूखमें स्पष्ट और निश्चितरूपसे नहीं किया गया है (32 Bom. 59; 9 Mad. L. R. 1305.) परंतु कई अदालतोंकी नज़ीरें हैं कि मयूखके अनुसार विधवा या अन्य कोई भी स्त्री जो माल मनकूलाकी वारिस हो अपने जीवनकालमें उस मालको जैसे चाहे देसकती है अर्थात् (Dispose) ख़र्च करसकती हैं। लक्ष्मीबाई बनाम लक्ष्मण मोरोबा 4 Bom. H. C. O. C: 250-162; 11 Bom, 285; बलवंतराव बनाम परसोत्तम 9 Bom H. C. 99-111 तुलजाराम मुरारजी बनाम मथुरादास 5 Bom. 662; दामोदर मौधौजी बनाम परमानन्द दास 7 Bom. 155-163; और देखो—1 Bom. H. C. 56.

मयूखकी इसी बातके संबंधमें मिस्टर मेनने अपने हिन्दूलॉकी दफा २५७ पेज ३२२ और पेज ८५० में कहा है कि—"हिन्दू गृहस्थका मुखिया साधारणतः जिन आवश्यक और उचित मतलबों या कामोंके लिये कोई ख़र्च करता है बस उतनेही सीमातक स्त्रीका अधिकार मनकूला जायदादके ख़र्च करनेका समझना चाहिये" कितनेही सूरतोंमें माल मनकूला इस तरहका होसकता है कि उसे दूसरी शकलमें तब्दील किये बिना (बेचे बिना) उसका लाभ विधवा नहीं उठा सकती ऐसी सूरतोंमें विधवा उसे बेंच सकती है, और दूसरी शकलमें तब्दील कर सकती है परंतु मूलधन विधवाको ज्यों का त्यों बनाये रखना पड़ेगा। हां यदि उस मनकूला जायदादकी आमदनी उसके भरणपोषणके लिये सामान्यतः काफी न हो तो वह उस माल मनकूलाके मूल धनको ख़र्च भी करसकती है, धार्मिक कामोंके लिये भी वह उसका एक उचित भाग ख़र्चकर सकती है। नृसिंह बनाम वेंकटाद्रि 8 Mad.. 290; गदाधरभट्ट बनाम चन्द्रभागाबाई 17 Bom. 690-703-704.

मिथिलास्कूलके अनुसार वह विधवा जिसके संतान न हो, ग़ैरमनक़ूला जायदादको रेहन, बय नहीं करसकती परंतु जब विधवाको अपने पतिसे उत्तराधिकारमें मनक़ूला जायदाद मिली हो तो उसपर विधवाका पूर्ण अधिकार है उसे वह जिस तरहपर चाहे इन्तक़ाल करे या किसीको देदे यानी अपनी मरज़ीके अनुसार इन्तक़ाल करसकती है देखो-विरजिन कुंवर बनाम लक्ष्मीनारायन महता 10 Cal. 392 ; 5 W. R. C. R. 141.

दफा ६८७. वसीयत ज़बानी जायज़ है लिखित नहीं——–जिस जगह स्त्रीको यह अधिकार है कि वह उत्तराधिकारमें मिली हुई जायदादको ज़बानी वसीयत द्वारा किसीको दे दे, वहां भी उसे यह अधिकार नहीं है कि वह लिखित वसीयत द्वारा किसीको देजाय। विधवा, पतिकी ग़ैरमनक़ूला जायदादको, उचित क़र्ज़के चुकानेके लिये भी उस जायदादका इन्तक़ाल नहीं कर सकती है (5 Bom. L. R. 314) अगर ज़बानी वसीयतसे वह जायदाद किसीको न दे गयी हो तो उसके मरनेके वाद, उसके बादके वारिसको वह जायदाद मिलेगी।

यह संदेह हो सकता है कि ज़बानी वसीयत तो जायज़ माना जाय और अगर वह लिखित वसीयत कर जाय तो नाजायज़ क्यों हो जायगा हम इस विषयको विस्तारसे दूसरी जगह कहेंगे यहांपर यही समझ लीजिये कि क़ानूनकी एक विचित्र बात है। यह स्पष्ट है कि बंगाल और बनारस स्कूलमें ऐसा नहीं होता।

दफा ६८८. बटवारासे मिलीहुई जायदाद———बटवारा करानेमें जब कोई जायदाद मा या दादीको मिली हो तो उसमें उनका कैसा हक़है इस बातके लिये देखो प्रकरण ८.

दफा ६८९. जायदादपर स्त्रीके अधिकारकी समस्या——–अदालतोंमें इस बात. पर बड़ा वादविवाद हुआ है कि विधवा या किसी दूसरी सीमाबद्ध उत्तराधिकारिणी स्त्रीको मिली हुई जायदादमें उस विधवा या स्त्रीका स्वार्थ (Interest) या हक़ किस प्रकारका समझना चाहिये। माना यही गया है कि सारी जायदाद विधवा या दूसरी सीमाबद्ध उत्तराधिकारिणी स्त्रीको पूरी तरह प्राप्त है (22 Bom. 984); वही उस जायदादकी प्रतिनिधि या मालिक है देखो—भालानहाना बनाम प्रभूहरी 2 Bom. 67, 73, 74; (1909) 36 I. A. 138 ; 31 All. 497 ; 13 C. W. N. 1117 ; 11 Bom. L. R. 911.

उसके अधिकारमें उस जायदादका पूरा क़ब्ज़ा और उसकी कुल आमदनी भी है, जायदादकी आमदनीको वह जैसे चाहे ख़र्च करे कोई उससे उसका हिसाब नहीं मांग सकता परंतु वह उस जायदादके शरीर (मूल) को नष्ट नहीं करसकती और न जायदादका किसी तरहका इन्तक़ाल करसकती है सिवाय उस सूरतके जब कि (Necessities दफा ६०२) उचित ज़रूरतोंके लिये ऐसा करे, या अपने पश्चात्के होनेवाले वारिसकी उचित मंजूरी (देखो दफा ६८२-६ तथा ७०८) को प्राप्त करके इन्तक़ाल करे। जायदादके लाभके लिये या उचित ज़रूरतोंके लिये (देखो दफा ६०२; ६७७) जो कुछ ख़र्च हो वह जायदादसे लिया जायगा। स्त्री मालिक, के जीवनकालमें दूसरे किसी काभी स्वार्थ उस जायदादमें नहीं होता। समस्त वादविवादका सार यह निकला कि जायदादमें ऊपर कही हुई विधवा या स्त्री मालिकका स्वार्थ यानी अधिकार उस आदमीसे कुछ अधिक है जिसे कोई जायदाद इस शर्तसे मिली हो किं वह उसे अपनी ज़िंदगीभर केवल भोगे।

दफा ६९०. विधवाका क़र्ज़ा रिवर्ज़नरको पाबंद नहीं करता————विधवा और मुश्तरका हिन्दू ख़ानदानके मेनेजरकी स्थितिमें यह भेद है कि मेनेजर दूसरे

कोपार्सनरोंकी मंजूरी विना कुछ नहीं करसकता और विधवा स्वयं अपने अधिकारसे करसकती है जहांतक कि क़ानूनने उसे करनेकी इजाज़त दी है, 11 Bom. 320, 324.

अगर विधवा किसीके किसी प्रकारके हक़को या अपने ज़िम्मे किसीके क़र्ज़ेको स्वीकार करले तो वर्तमान लिमीटेशन लॉ नं० ९ सन १९०८ की दफा १९ के अनुसार रिवर्ज़नर अर्थात् विधवाके पश्चात् जायदादका वारिस होनेवाला पाबंद नहीं होता—32 All. 33.

दफा ६९१. विधवाके कामोंमें दख़ल—जब तक कि यह न दिखाया जाय कि विधवा जिस ढंगसे जायदादके साथ व्यवहार करती है उससे जायदाद नष्ट होजानेका भय है या वैसा भय होगया है या रिवर्ज़नर तक जायदाद पहुंचनेमें भय पैदा होगया है तब तक अदालत विधवाके कामोंमें दख़ल न देगी—देखो—6 M. I. A. 433.

विधवाके बाद वारिस होनेवाला वैसा दख़ल देनेकी प्रार्थना करे तो उसे दिखलाना होगा कि विधवाके किसी कामसे जायदादके बरबाद होनेका भय है और यह कि यदि अदालत मनाहीका हुक्म न देगी तो विधवाके कामसे, विधवाके बाद वारिस होनेवालोंका नुक़सान होजानेका भय है। सिर्फ यह दिखाना काफी नहीं है कि विधवाने कोई ऐसा दान किया है या जायदाद इसतरह अलगकी है जो क़ानूनसे वर्जित है-हरीदासदत्त बनाम रामगुनमनीदासी 2 Taylor and Bell 279; 6 M. I. A. 433.

बटवारासे जो जायदाद मनकूला विधवाको मिली हो यदि उसके बरबाद होनेका भय हो तो अदालत रिवर्ज़नरोंके स्वार्थकी रक्षाके हेतुसे उस जायदादके विषयमें कुछ प्रबंध कर सकती है—(1903) 31 Cal. 214; 8 C. W. N. 11.

एक मामलेमें विधवा एक रक़मकी हक़दार हुई बंबई हाईकोर्टने रिवर्ज़नरोंके रक्षाके ख्य़ालसे उस रक़मको सुरक्षित कर दिया देखो-गंभीरमल बनाम हमीरमल 21 Bom. 747.

परंतु इसीतरहके एक दूसरे मामलेमें कलकत्ता हाईकोर्टने यह माना कि जबतक यह साबित न किया जाय कि विधवा उस रक़मको ख़राब कर देगी तबतक विधवा इस बातकी ज़मानत देनेके लिये बाध्य नहीं है कि वह उस रक़मको नष्ट नहीं करेगी—देखो-विन्दवसनी दासी बनाम बलीचन्द सन्त 1 W. R. C. R. 125.

अदालत ऐसी रक़मको किसी उचित रीतिसे लगा देनेके लिये विधवाको हिदायत करसकती है देखो-मृड़ालिनी दासी बनाम अविनाशचन्द्रदत्त (1910) 14 C. W. N. 1024.

लार्ड जिफर्ड ने काशीनाथ बैसाक बनाम हर सुंदरी दासीके मामलेमें माना है कि अपने मृतपतिकी जायदाद मनकूला और ग़ैर मनकूला दोनोंपर विधवाका अबाध्य अधिकार होता है-ऐसी आमदनी किसी दूसरे आदमीके पास जमाकीहो या उस बचतसे कोई दूसरी जायदाद ख़रीदी हो तो ऐसी रक़म या जायदादपर विधवा और दूसरी स्त्रीका पूर्ण अधिकार रहता है यानी वह अपने किसी भी काममें उस रक़म या जायदादको ख़र्च कर सकती है और उसे रेहन या बय भी कर सकती है और जिसे वह देना चाहे दे सकती है। देखो-सुरजी मनी दासी बनाम दीनबंधु मलिक 9 M. I. A. 123; पन्नालाल बनाम बामासुंदरीदासी 6 B. L. R. 732; सौदामिनीदासी बनाम एडमिनिस्ट्रेटर जनरल आफ बंगाल 20 I. A. 12; 20 Cal. 433; ईश्वरी दत्तकुंवर बनाम हंसवती 10 I. A. 150-158; 10 Cal 324; 13 C. L. R. 418-424; सामीनाथ पिलाई बनाम मानिक कसामी पिलाई 22 Mad 356; 4 B. L. R. O. C. 1, 40, 42; 12 W. R. O. C. J. 13, 28, 29.

—अगर जायदादकी आमदनीको किसी काममें लगा दिया हो और उससे जो लाभ

होगा वह, और लगी हुई आमदनी, सब उस वक्त जायदादका इज़ाफा माना जायगा जब यह न साबित हो सकता हो कि विधवा या दूसरी स्त्री ने वह काम अपने निजके लाभके लिये किया था। इज़ाफा क़रार पानेपर रिवर्ज़नर वारिस उसका मालिक होगा-देखो-14 I.A. 63; 14 Cal 387; 14 B. L. R. 159; 25 Mad 351—360.

अपने पतिकी जायदादपर क़र्ज़ लेकर उस रुपयासे जो जायदाद विधवा ख़रीदे उसका हक़दार पतिका वारिस होगा मगर शर्त यह है कि वह ऐसा क़र्ज़ अदा करनेका भी ज़िम्मेदार होगा-औदीसिंह बनाम फूलचन्द 5 N. W. P. 197.

—यदि विधवा जायदादकी आमदनी इस नीयतसे किसी काममें लगा दे कि वह काम जायदादका भाग समझा जाय तो फिर वह उन्हीं हालतोंमें उसे व्यवहारमें ला सकती है जिन हालतोंमें कि वह असली जायदादको ला सकती है 10 I. A. 150; 10 Cal. 324.

अगर जायदादकी आमदनी विधवाने इस ढंगसे किसी काममें लगाई हो जिससे यह मालूम होता हो कि उसकी यह नीयत नहीं थी कि वह लगाई हुई रक़म उसके पतिकी जायदादका भाग समझी जाय बल्कि विधवाकी यह नीयत हो कि वह उस जायदादको अपने काममें लावेगी ऐसी सूरतमें विधवा उस रक़मको अपनी ज़िंदगीभर तकही अपने काममें लासकती है अगर वह अपनी ज़िंदगीमें उसे काममें न लावे (किसीको न दे या वसीयत न करे) तो वह विधवाके बाद विधवाके वारिसको नहीं मिलेगी बल्कि उसके पतिकी जायदादमें इज़ाफा समझी जायगी और पतिके वारिसको मिलेगी देखो-अनन्दचन्द्र मण्डल बनाम नीलमनी 9 Cal 758; 10 I. A. 150; 10 Cal 324; 13 C. L. R. 418; श्रीधर चट्टोपाध्याय बनाम कालीपद चक्रवर्ती (1911) 16 C. W. N. 106.

जायदादकी जो आमदनी सीमाबद्ध स्त्री मालिक अपने मरते समयतक अपने काममें न लाई हो वह उसके बाद उसके स्त्रीधनके वारिसको नहीं मिलेगी बल्कि रिवर्ज़नरको मिलेगी 10 Bom 478; 5 Cal 512; 4 C. R. R. 511, 423.

जब किसी दस्तावेज़ या वसीयत नामाके द्वारा हिन्दू विधवाको इस बातका पूरा अधिकार दिया गया हो कि वह मुनाफेको अपने काममें लावे तो मुनाफेकी जितनी रक़म उसके मरनेके समयतक उसके काममें आनेसे बच गयी हो वह विधवाके वारिसको मिलेगी।

दफा ६९२. एकसे अधिक विधवाएं——जहांपर एकसे अधिक विधवायें हों ऐसे मामलेमें जायदादके प्रबंधकी अधिकारिणी बड़ी विधवा होगी अर्थात् पहिले व्याही हुई विधवा होगी-जिजोई अम्बाबाई साहबा बनाम कामाक्षीबाई साहेबा 3 M. H. C. 424.—अधिक विधवाएं उस जायदादको अलग अलग भोगनेके लिये आपसमें बांट सकती हैं मगर शर्त यह है कि उनके पश्चात् होनेवाले वारिसके हक़में किसी तरहकी हानि न पहुंचती हो 29 Bom 346; 7 Bom. L. R. 238.

दफा ६९३. जायदादमें इज़ाफा——जब कोई सीमाबद्ध स्त्री मालिक, जायदादमें इज़ाफा इस नीयतसे करे कि वह इज़ाफा जायदादका भाग समझा जाय तो वह इज़ाफा चाहे उस रक़मसे किया गया हो जिसपर स्त्रीका पूरा अधिकार था, उस स्त्रीके मरने पर जायदादके वारिसको मिलेगा न कि स्त्रीके वारिसको। अगर कोई मकान जायदादकी ज़मीनपर बनाया जाय तो उसके विषयमें यही माना जायगा कि वह जायदादका एक भाग समझा जानेकी नीयतसे बनाया गया था देखो-वेंकट नरासिंभ अप्पाराव बहादुर (राजा) बनाम वेंकट पुरुशोथामा जगन्नाढा गोपालाराव बहादुर (राजा सुरेनानी) (1908) 31 Mad 321; फकीरा ड़ोबी बनाम गोपीलाल 6 C. L. R. 66.

दफा ६९४. जायदादकी आमदनीपर अधिकार——जायदादकी जो आमदनी विधवा या दूसरी सीमाबद्ध स्त्री मालिकके हाथमें जमा होगी अर्थात् जब किसी सीमाबद्ध स्त्रीको जायदाद उसके गुज़ारेके लिये या ज़िन्दगीभरके लिये मिली हो और उस जायदादकी आमदनीकी बचत चाहे विधवा या दूसरी स्त्री ने अपने पास रखी हो या ऐसी आमदनी किसी दूसरे आदमीके पास जमाकी हो या उस बचतसे कोई दूसरी जायदाद ख़रीदी हो तो ऐसी रक़म या जायदादपर विधवा और दूसरी स्त्रीका पूर्ण अधिकार रहता है। यानी वह अपने किसी भी काममें उस रक़म या जायदादको ख़र्च कर सकती है और उसे रेहन या बय भी कर सकती है और जिसे वह देना चाहे दे सकती है। देखो–दफा ६९१.

दफा ६९५. भरण पोषणके ख़र्चसे बची हुई रक़म——भरण पोषणके ख़र्चसे कुछ रक़म बचाकर यदि विधवा किसी काममें लगावे तो वह उसकी स्त्रीधनकी जायदाद है और उसके मरनेके बाद उसके वारिसको मिलेगी–देखो 28 Mad 1.

दफा ६९६. विधवाकी ख़रीदी जायदाद——यह ख़्याल कर लेनेका कोई कारण नहीं हैकि अपने पतिके मृत्युके बाद हिन्दू विधवाने जो जायदाद ख़रीदी हो वह ज़रूर ही उसके पतिकी जायदादका भाग मानी जाय–26 1. A. 226 ; 26 Cal 871.

दफा ६९७. पट्टे——विधवा या दूसरी स्त्री सीमाबद्ध मालिक वरासतसे पायी हुई जायदादका पट्टा दे सकती है और इसी तरह जायदादके प्रबंध संबंधी दूसरे काम भी कर सकती है मगर यह मानागया है कि यदि ऐसी किसी स्त्रीने अपने अधिकारसे अधिक पट्टे सदाके लिये दिये हों या लम्बी मुद्दतके लिये दिये हों तो वह सब उसके मरनेपर रद्द हो जावेंगे और रिवर्ज़नर वारिस उन्हें रद्द करा सकता है। देखो——सदाई नायक बनाम सेराईनायक (1901) 28 Cal 532 ; 5 C. W. N. 270 ; विजयगोपालमुकरजी बनाम नीलरतनमुकरजी (1903) 30 Cal 990 ; 7 C. W. N. 864 ; S. C. on appeal विजयगोपाल मुकरजी बनाम कृष्णमहिषी देवी श्रीमती (1907) 34 I. A. 87 ; 34 Cal 329 ; 11 C. W. N. 424 ; 8 Bom L R 602.

परंतु वह पट्टे वैसी हालतोंमें दिये गये हों कि जिन हालतोंमें उस स्त्री मालिकका किया हुआ जायदादका इन्तक़ाल जायज़ समझा जा सकता है तो रिवर्ज़नर वारिस उसे रद्द नहीं करा सकता। या किसी ख़ास मामलेमें जब कि वह पट्टे जायदादके अच्छे इंतज़ामके ख़्यालसे मुनासिब समझे जासकते हों या जायदादके लाभके लिये समझे जा सकते हों तो रिवर्ज़नर वारिस उन्हे रद्द नहीं करा सकता। देखो शंकरनाथ मुकरजी बनाम विजय गोपाल मुकरजी (1908) 13 C.W.N. 201 ; दयामनी देवी बनाम श्रीनिवासकुंडू (1906) 33 Cal 284.

यह माना गया है कि पट्टे चाहेभी किसी तरह के हों उस स्त्री मालिक की ज़िंदगीभर तक चलेंगे जिसने पट्टे दियेहों देखो–मोहनकुंवर बनाम जोरामनसिंह Marsh 166 (मार्शल्स रिपोर्ट हाईकोर्ट आफ बंगाल १८६२); 9. W. R C. R. 598 ऐसे पट्टों के रद करनेका दावा सीमाबद्ध स्त्री मालिक के मरनेसे बारह १२ वर्ष के अंदर किया जा सकता है; देखो 34 I. A. 87; 34 Cal 329; 11 C. W. N. 424; 9 Bom L. R. 602.

खान——हिन्दू विधवा या दूसरी सीमाबद्ध स्त्री खान खोदकर उसका लाभ अपने काममें ला सकती है, मगर शर्त यह है कि वह उस खानको ख़ाली न कर डाले देखो–22 Mad 126.

दफा ६९८. सीमाबद्ध स्त्री मालिककी ज़िंदगीभरके लिये जायदादका इन्तक़ाल——एक हिन्दू विधवा या दूसरी सीमाबद्ध स्त्री मालिक जायदाद को, या यदि वह शिर-

कतमें मालिक हो तो जायदादमें के अपने स्वार्थ को अपनी ज़िन्दगी भरके लिये इन्तकाल कर सकती है। देखो-(विधवा) रामाकल वनाम रामासामी 22 M.d 522, हनूमान प्रसाद सिंह वनाम भगवतीप्रसाद 19 All 357. (दूसरी सीमावद्ध स्त्री मालिक) काली-अम्मल वनाम अम्मा कान्नूअम्मल 23 Mad 504. (शिराकतमें जानकीनाथ मुखोपाध्याय वनाम मथुरानाथ मुखोपाध्याय 9 Cal 580; 12 C. L. R. 15; हरीनरायन वनाम विटे 31 Bom 560; 9 Bom L. R. 1049; 23 Mad 504.

यदि उसने सारी जायदादका इन्तक़ाल किया हो और यह इतन्क़ाल ज़रूरतों के लिये या दूसरी ग़रज़से किया गया हो, तो रिवर्ज़नर वारिस उसके पावंद समझे जायेंगे, और अगर क़ानूनन् इन्तक़ालके समय वैसी ज़रूरत न हो तो वह इन्तक़ाल उस स्त्रीकी ज़िन्दगी भरतक के लिये ही समझा जायगा उस स्त्री के मरतेही मंसूख हो जायगा। देखो-26 Mad 334 26 Mad 143; मुन्नालाल चौधरी वनाम गजराजसिंह 17 Cal 246; रामचन्द्र मंकेश्वर वनाम भीमराव रावजी 1 Bom 577; 6 Bon H. C. A. C 270; प्रागदास वनाम हरीकृष्ण 1 All 503;—यदि विधवाकी हैसियतसे उसने वह जायदाद विरासत में पायी हो तो उसका किया हुआ वैसा इन्तक़ाल विधवा के पुनर्विवाह तक जायज़ माना जायगा। देखो-1 Bom L. R. 201.

जव किसी इन्तज़ाममें यह शर्त रखी गयी हो कि विधवा जायदादका इन्तक़ाल न करे तो उसमें भी यही नियम लागू होगा, चाहे उस इन्तज़ाम में साफ तौरसे यह न कहा गया हो कि विधवा अपनी ज़िन्दगीभर जायदाद का इन्तक़ाल न करे। देखो-कोई समझौता इन्तक़ालकी हद्द तक पहुंच सकता है और नहीं भी पहुंच सकता यह सब बातें हर मामले की सुरतों पर निर्भर हैं 33 Mad. 473.

दफा ६९९. डिकरी द्वारा कुर्की—सीमावद्ध मालिक के निजका लाभ भी डिकरी द्वारा कुर्क और वेचा जा सकता है। देखो-एक्ट नं. 5 सन 1908 ई० की दफा 60.

जब किसी विधवा का हक़ वेच दिया गया हो तो उसका मूल्य उसके वारिसों को दिया जायगा;। देखो-28 Cal 155; 5 C W. N. 242.

दफा ७००. विधवा आदि कब जायदाद का इन्तक़ाल कर सकती हैं?—क़ानूनी ज़रूरतों के लिये (देखो दफा ६०२-६०६) जो ऐसे कारणोंसे अनायास आपड़ी हों जिनपर कुछ वश नहीं चल सकता था ऐसी सूरतमें कोई विधवा या सीमावद्ध दूसरी स्त्री मालिक जायदाद का इन्तक़ाल कर सकती है और उस जायदाद पर उस ज़रूरत के खर्च का बोझा डाल सकती है रिवर्ज़नर उसके पावंद होंगे। कलक्टर आफ मसूरिपाटम बनाम कवेली वैंकट नराइनप्पा 8. M. I. A. 529; 2. W. R. P. C. 61; 10 B. L. R. 1; 5 Bom H. C. A. C. 217; हफीज़ुन्निशा बेगम वनाम राधाविनोद मिश्र Ben. S. D A. (1856) P. 595; इस केसमें हमेशाका पट्टाथा। 14 C. W. N. 895.

लेकिन अगर जायदादकी आमदनी उक्त ज़रूरतके पूरी करनेके लिये काफी हो तो रिवर्ज़नर वारिस पावंद नहीं होंगे-देखो-रवनेश्वरप्रसाद सिंह वनाम चण्डीप्रसादसिंह (1911) 38 Cal 721; काली नरायनराय वनाम रामकुमारचन्द्र. W. R. 1864 C. R. 14; विधवा या कोई दूसरी स्त्री मालिक वसीयतनामाके द्वारा जायदादका इन्तक़ाल नहीं कर सकती—विश्वनाथ वनाम नरायन (1908) 5 Bom L. R. 314 संसारिक दूसरे कामोंकी अपेक्षा कृत, धार्मिक, या दान संबंधी या अपने पतिकी आत्माको शांति पहुंचानेके मतलवोंके लिये जायदादके खर्च करनेका अधिक अधिकार विधवाको प्राप्त है।

दफा ७०१. ख़रीदार या रेहन रखननेवालेके कर्तव्य तथा बारसुबूत—हनूमानप्रसाद पाण्डे बनाम मनराजकुंवरि (6 M. I. A. 393) के मामलेमें और दूसरे मुक़दमोंमें जो सिद्धांत निश्चित हुए हैं कि "ज़रूरत" क्या होती है यानी ज़रूरतमें कितनी रक़म शामिल है. और बच्चे (नाबालिग़) वारिसके मेनेजरसे व्यवहार करनेवाले के क्या कर्तव्य हैं तथा बारसुबूतका बोझ किसपर है वही सिद्धांत विधवाओं और सीमाबद्ध स्त्रीसे भी लागू होंगे देखो-19 I. A. 196 ; 14 All. 420 ; 23 Cal. 766.

दफा ७०२. ज़रूरतका दबाव—-जबतक ज़रूरत वास्तवमें न पैदा होजाय तबतक विधवा या दूसरी सीमाबद्ध स्त्री मालिक रुपया क़र्ज़ नहीं लेसकती; देखो—मुल्लाकाल बनाम मादाचट्टी 6 Mad. Jur 261 ; और देखो मिस्टर मेनका हिन्दूलॉ ७ एडीशन ६३४. रुपया किसीसे क़र्ज़ लेनेके लिये स्पष्ट ज़रूरत और ज़रूरतका दबाव वास्तविक होना चाहिये; देखो-धर्मचन्द्रलाल बनाम भवानी मिसराइन 24 I. A, 183 ; 25 Cal, 189 ; 1 C. W, N, 697 ; बैजनाथ प्रसाद बनाम विसनविहारी सहायसिंह 19 W.R.C.R. 79

ज़रूरतका दबाव अवश्य बाहरसे होना चाहिये केवल "जायदादको और भी उत्तम बनानेकी इच्छा" इस तरहकी ज़रूरत जायज़ नहीं समझी जाती। मगर जायदादको बचाये रखनेकी ज़रूरत ऐसी ज़रूरत मानी गयी है कि जिसपर क़रज़ लिया जा सके। क़ानूनी ज़रूरत नहो और फिर भी जायदादके फायदेके लिये क़र्ज़ लिया गया हो, मसलन् विधवाके हिस्सेदारने क़र्ज़ लेकर विधवाके हिस्सेकी सरकारी मालगुज़ारी चुकाई हो तो ऐसी सूरतमें भी विधवाकी जायदादका इन्तक़ाल. नहीं माना जायगा; देखो—उपेन्द्रलाल मुकरजी बनाम गिरीन्द्रनाथ मुकरजी 25 Cal. 565 ; 2 C. W. N. 425 ; अपने पतिकी ज़िंदगीमें विधवाने जो क़र्ज़ चुकाये हों उनके लिये भी जायदादका इन्तक़ाल नहीं जायज़ माना जायगा; देखो—हेमन्त बहादुर बनाम भवानी कुंवर 30 All. 352 ; 33 All 342 ; 13 Bom. L. R. 354.

विधवाने किसी घरू समझौतेकी वजेहसे पतिसे पायी हुई जायदादका कोई भाग छोड़ दिया हो तो विधवाके मरनेपर उसके रिवर्ज़नर इस बातके पाबंद नहीं होंगे, उन्हें विधवाके मरनेपर वह जायदाद भी मिलेगी मगर शर्त यह है कि वह रिवर्ज़नर वारिस उस समय पैदा होगये हों और कभी उस जायदादके छोड़ देनेकी मंज़ूरी न दी हो; देखो—आसाराम सथानी बनाम चराडीचरणमुकरजी 13 C. W. N. 147.

दफा ७०३. संपूर्ण जायदादके इन्तक़ालका अधिकार——हरएक सीमाबद्ध मालिकको क़ानूनी ज़रूरतोंके लिये (दफा ६०२-७०६). संपूर्ण जायदादके इन्तक़ाल करनेका अधिकार प्राप्त है। एक पतिकी दो विधवाओंके होनेमें या अधिक होनेमें आपसमें बटवारा होनेपर उनमेंसे एकको जो हिस्सा मिले, क़ानूनी ज़रूरत के लिये वह अपने उस संपूर्ण हिस्सेका इन्तक़ाल करसकती है; देखो—ठाकुरमनी सिंह बनाम दायीरानी कुंवर 33 Cal. 1079. बिना क़ानूनी ज़रूरतके कोई विधवा आदि उस जायदादका भी इन्तक़ाल नहीं करसकती जो उसे अपने भरण पोषणके लिये मिली हो।

दफा ७०४. ख़ानदानी कारोबार——ख़ानदानके पूर्वजोंका कारबार जो विधवा को विरासतमें मिला हो उसके लिये भी विधवा जायदादका इन्तक़ाल विधवाकी हैसियतसे उन्हीं कैदोंके साथ करसकती है जो विधवा द्वारा जायदादका इन्तक़ाल किये जानेके लिये मुक़र्रर हैं। ऐसे मामलेमें अगर कोई कहे कि विधवाने कारोबारके मेनेजरकी हैसियतसे

दूसरे फरीक़ोंकी मंजूरी विना जायदादके इन्तक़ालका अधिकार काममें लाई है; तव यह साबित करना होगा कि वह इन्तक़ाल कारोबारका क़र्ज़ चुकानेके लिये ज़रूरी था, और इस बातका बारसुबूत उसपक्षपर होगा जिसने उस जायदादपर क़र्ज़ा दिया हो; देखो-श्यामसुंदरलाल बनाम अचनकुंवर 25 I. A. 183; 21 All. 71; 2 C. W. N. 729.

दफा ७०५. एक पतिकी दो विधवाएं——एक पतिकी दो विधवाओंमेंसे एक विधवा दूसरी विधवाके हिस्से, और अपने पश्चात् होनेवाले वारिसके हक़का अगर इन्तक़ाल करदे तो यह ज़रूरी नहीं है कि वह इन्तक़ाल अवश्यही नाजायज़ हो जाय; 30 Mad. 3.

दफा ७०६. क़ानूनी ज़रूरतें कौन हैं ?——जायदादका इन्तक़ाल करनेके लिये नीचे लिखी ज़रूरतें क़ानूनी ज़रूरतें हैं ऐसी ज़रूरतें होनेपर इन्तक़ाल जायज़ होगा। (१) धार्मिक कृत्यें--अपने पति या दूसरे पूरे मालिकका क्रिया कर्म, श्राद्ध, और वार्षिक रसूम अदा करना क़ानूनी ज़रूरतें हैं; देखो-मोतीराम कुंवर बनाम गोपालसाह 11 B. L. R. 416; 20 W. R. C. R. 187; लक्ष्मीनारायण बनाम दासू 11 Mad. 288; चुस्मनलाल बनाम गनपतिलाल 16 W. R. C. R. 52; जन्मेजय बनाम रूसोमयी 1 B. L. R. 418; ततैय्या बनाम रामकृष्णम्मा 34 Mad. 288.

और अन्य ऐसे धार्मिक कृत्योंका करना कि जिनका करना पीछले पूरे मालिकपर लाज़िमी था जैसे उसकी मा का श्राद्ध 11 B. L. R. 418; 10 W. R. C. R. 309.

तीर्थयात्रा—अपने पतिकी आत्माके लाभके वास्ते विधवा तीर्थयात्राके लिये या गयामें श्राद्ध करनेके लिये जो ख़र्च करे वह क़ानूनी ज़रूरत है; देखो-मोहमद अशरफ बनाम ब्रजेसरीदासी 11 B. L. R. 118; 19 W. R. C. R. 426; 11 B. L. R. 416; 20 W. R. C. R. 187; तारिणीप्रसाद चटरजी बनाम भोलानाथ मुकरजी 21 Cal 190; गनपत बनाम तुलसीराम 36 Bom. 88; 13 Bom. L. R. 860; 2 C. L. R. 474.

यह मानागया है कि कोई स्त्री अपनी आत्माके लाभके लिये तीर्थयात्रामें जो ख़र्च करे वह क़ानूनी ज़रूरत नहीं है; देखो-हरीमोहन अधिकारी बनाम अलकमणिदासी 1 W. R. C. R. 252; हरीकृष्ण भगत बनाम बजरंगसहायसिंह 13 C. W. N. 544, 547 (चाहे यह यात्रा भी उसीके पतिके लाभके लिये हो तो भी क़ानूनी ज़रूरत नहीं मानी गयी; 5 Mad 552.)

तीर्थयात्रासे लौटकर ब्राह्मण भोजन करानेके लिये जो ख़र्च हो वह क़ानूनी ज़रूरत नहीं है इस लिये वह इस कामके वास्ते जायदादका इंतक़ाल नहीं कर सकती; देखो--माखनलाल बनाम ज्ञानसिंह (1910) 33 All. 255.

दान—पुराने मुक़द्दमोंमें यह जायज़ मानागया था कि पतिकी जायदादका थोड़ासा हिस्सा विधवा ब्राह्मणोंको या किसी देवमूर्तिको दान कर सकती है देखो-जगजीवन नाथोजी बनाम देवशंकर काशीराम Borr. 394; कपूर भवानी बनाम सेबक राम शिवशंकर 1 Borr 405; रामकवलसिंह बनाम रामकिशोरदास 22 Cal 506; और देखो हालके एक मुक़द्दमेंमें भी जायदादका थोडासा हिस्सा दान किया गया वह जायज़ माना गया, ततैय्या बनाम रामकृष्ण अम्मा (1910) 34 Mad 288; परंतु आजकल प्रायः सभी मामलोंमें दान जायज़ नहीं माना जाता क्योंकि ऐसा दान विधवाके लाभके लिये समझा जाता है देखो-कार्तिकचन्द्र बनाम गौरमोहनराय 1 W. R. C. R. 48.

यह स्पष्ट है कि अगर जायदादका बहुतसा हिस्सा किसी देवमूर्तिके लिये दान किया जाय तो अवश्य नाजायज़ होगा; देखो-चूड़ामणीदासी बनाम वैद्यनाथ नायक 32 Cal 473;

राम कवलसिंह बनाम राम किशोरदास 22 Cal 506; त्र्यंबक आचार्य्य बनाम महादेवरामजी 6 Bom. H. C. O. C. 1; और यह भी माना गया है कि अगर रिवर्ज़नरकी मंजूरीसे किया गया हो तो जायज़ है देखो-व्रजनाथ बनाम मोतीलाल 3 B. L.R O. C. 92.

तालाबखोदाना, कुवा बनवाना आदि यद्यपि अच्छे काम हैं परंतु यह क़ानूनी ज़रूरतें नहीं मानी गयी इसीसे जायदादका इन्तक़ाल इन बातोंमें नाजायज़ होगा।

(२) क़र्ज़ा अदाकरना—पिछले पूरे मालिकके क़र्ज़ अदाकरना क़ानूनी ज़रूरत है इसी तरहपर उसकी डिकरीके अदाकरनेके लिये भी; देखो-देवी दयाल साह बनाम भानुप्रतापसिंह 31 Cal 433; 8 C. W. N. 408; जयंती बनाम अलामेलू 27 Mad 45; लक्ष्मण रामचन्द्र जोशी बनाम सत्यभामाबाई 2 Bom 494; महेश्वरबकससिंह बनाम रतनसिंह 23 I. A. 57; 23 Cal 766; फेलाराम बनाम बगलानन्द (1910) 14 C. W. N. 895; 11 Bom 325; [उस मालिकके ऐसे क़र्ज़ जिनके अदाकरनेके लिये कोई दूसरी व्यवस्था न हो 7 W. R. C. R. 450.]

आख़िरी पूरे मालिकके क़र्ज़ोंके देनेके लिये विधवा या कोई स्त्री मजबूर नहीं की जासकती कि वह उस जायदादकी आमदनीसे देवे यानी जायदादकी आमदनीसे अदाकरना या न करना उसकी इच्छापर निर्भर है-देखो-रामासामीचट्टी बनाम मांगकरासू 18 Mad 113.

जो क़र्ज़ क़ानून मियादसे या किसी दूसरे क़ानूनसे तमादी हो गये हों उनके अदाकरनेके लिये विधवा जायदादका इन्तक़ाल कर सकती है क्योंकि मृतका क़र्ज़ा अदाकरना धार्मिक कर्तव्य है; देखो-चिमनाजी गोविन्द बनाम दिनकर 11 Bom 320; कांड़प्पा बनाम सुब्बा 13 Mad 189; 21 Cal 190; भाऊबाबाजी बनाम गोपालमहीपति 11 Bom 325. जो क़र्ज़ बुरे कामोंके वास्ते लिये गये हों उनके लिये वह जायदादका इन्तक़ाल उसी सूरतमें कर सकती है जब कि अदालत मज़बूर करे। क़र्ज़ अदा करनेमें सब लेनदारोंके साथ एकसां बर्ताव होना चाहिये, उनमेंसे किसी एकके साथ ख़ास रियायत नहीं होना चाहिये; देखो-रंगील बनाम विनायक विष्णु 11 Bom 666.

क़र्ज़ अदा करनेके लिये यह ज़रूरी नहीं है कि लेनदार अदालतमें दावा करके जब दवाव डालें तभी क़र्ज़ अदा किये जायें केहरिसिंह बनाम रूपसिंह 3 N. W. P. 4). लेकिन फिर भी किसी तरहका दवाव ज़रूर ही होना चाहिये।

(३) सरकारी मालगुज़ारी आदि—सरकारी मालगुज़ारी अदा करनेके लिये या ऐसा सरकारी देन चुकानेके लिये जिसके न चुकानेसे जायदाद ख़तरेमें पड़ती हो क़ानूनी ज़रूरत है; देखो-श्रीमोहनझा बनाम ब्रजविहारी मिश्र 36 Cal 753; मेकनाटन हिन्दूलॉ 2 Vol. 293. किसी सरकारी डिकरीके चुकानेके वास्ते चाहे वह डिकरी उस स्त्री पर ही हुई हो क़ानूनी जरूरत है-36 I. A. 138; 31 All 497; 11 Bom. L. R. 911.

(४) ख़र्च—ज़रूरी मुक़द्दमेंका वाजबी ख़र्च क़ानूनी ज़रूरत है 6 Bom. L. R. 628. ऐसे मुक़द्दमेंका ख़र्च जो जायदादको फिर हासिल करनेके लिये या जायदादकी रक्षाके लिये या अपने हक़की रक्षाके लिये दायर किया गया हो क़ानूनी ज़रूरत है। करीमुद्दीन मुंशी बनाम गोविन्द कृष्ण नरायन 36 I. A. 138; 31 All 497; 13 C. W. N. 1117; 11 Bom. L. R. 911; 31 Cal 433; अमजद अली बनाम मनीराम 12 Call 52. और दूसरे ज़रूरी क़ानूनी ख़र्च जैसे वरासतकी सार्टिफिकटका हासिल करना क़ानूनी ज़रूरत है; देखो-36 Cal 753.

किसी स्त्रीका व्यर्थ मुक़द्दमेंबाज़ीके लिये जो ख़र्च पड़े वह क़ानूनी ज़रूरत हरगिज़ नहीं है और उसमें वह जायदादका इन्तक़ाल नहीं कर सकती-देखो-4 All 532.

(५) मरम्मत आदिके ख़र्च—जायदादकी रक्षा और उसके बचाये रखनेके लिये जो ख़र्च हो क़ानूनी ख़र्च है-देखो-सुर्यप्रसाद बनाम कृष्णप्रताप बहादुर साहेब 1 N. W. P. 46. मरम्मतका ख़र्च या दूसरे ज़रूरी ख़र्चोंके लिये जो जायदादके लाभके लिये हों 10 Cal 823.

यह मानागया है कि यद्यपि सड़क का कर (Road cess). पब्लिक् डिमान्डस् रिकवरी एक्ट के अनुसार देना लाज़मी है इसके न देनेसे स्त्रीपर जो क़र्ज़ हो जाय उसके अदाकरनेके लिये वह जायदाद नहीं बेच सकती; देखो-श्रीमोहनझा बनाम ब्रजबिहारी मिश्र 36 Cal 753 ; परंतु आमतौरसे ऐसी राय है कि ऐसा नहीं होना चाहिये ।

(६) स्त्रीके भरण पोषणका ख़र्च—अपने भरण पोषणके ख़र्चके लिये (अगर आमदनी जायदादकी काफी न हो) या ऐसे धार्मिक रसूमके ख़र्चके लिये जिनका करना उस स्त्रीका परमकर्तव्य है; देखो-5 Bom 450 ; 12 Cal 52 ; 5 N. W. P. 197.

ख़ानदानके आश्रितोंका भरण पोषण—अपने ख़ानदानके उन आश्रितोंके भरण पोषणके लिये जिनका भरण पोषण उसके पति या पिछले पूरे मालिकपर क़ानूनन और सामाजिक नियमसे लाज़मी था और उनके विवाहके लिये या दूसरे ज़रूरी धार्मिक कामोंके लिये जो ख़र्च हो क़ानूनी ज़रूरत है-देवी दयाल साह बनाम भानुप्रतापसिंह 31 Cal 433 ; गनपति बनाम तुलसीराम 13 Bom. L. R. 860 ; 7 Ben. Sel. R 513 ; 18 All 574.

यह बात सभी ख़र्चोंसे लागू होगी कि जो कुछ ख़र्च किया जायगा ख़ानदानकी हैसियत और जायदादकी हैसियतका ख्याल करके उचित तादादमें ख़र्च किया जायगा; दुरिहारराय बनाम दलसंहारसिंह 2 W. R. C R. 367.

पतिके पौत्रोंके भरणपोषणके लिये; देखो—चिम्मनलाल बनाम गनपतिलाल 16 W. C. R. 52 ; इसमें माना गया है कि पितामह अपने पौत्रोंके लिये यद्यपि क़ानूनी पाबंद नहीं है परंतु वह सामाजिक नियमसे पाबंद है । श्री मोहनझा बनाम ब्रजविहारी (36 Call 753) में माके श्राद्धके लिये जायदाद बेचना जायज़ माना गया है ।

(७) बेटीका ब्याह—अपनी बेटीके ब्याहके लिये जो ख़र्च हो क़ानूनी ज़रूरत है; देखो—मक्खनलाल बनाम ज्ञानसिंह (1910) 33 All 255 ; या ख़ानदानकी दूसरी लड़कियोंके विवाहके लिये जिनके लिये पति या पिछला पूरा मालिक मजबूर था ।

बेटेकी बेटीके विवाहके लिये विधवाने जो क़र्ज़ा लिया उसके विषयमें अदालतकी यह राय हुई कि विधवाके मरनेके बाद रिवर्ज़नर उस क़र्ज़ेके देनदार होंगे चाहे वह क़र्ज़ जायदादपर न लिया गया हो; देखो—6 Cal 36 ; 6 C. L R. 229.

ब्याहके समय बेटीको दान—मिताक्षरालॉके अनुसार चलनेवाले पुरुषकी विधवा अपनी बेटीके विवाहके समय पतिकी जायदादका कुछ हिस्सा बेटीको दान कर सकती है मगर शर्त यह है कि वह हिस्सा जायदादके अनुसार उचित तादादमें हो, देखो—चूड़ामणि शाह बनाम गोपी 37 Cal 1-8 ; 13 C. W. N. 994-999 ; रामसामी एय्यर बनाम वेंगडुसामी एय्यर 22 Mad 113 [यह भी माना गया है कि वह दान जायदादकी एक चौथाईसे ज़्यादा न होना चाहिये-] बंगाल स्कूलमें भी ऐसाही अधिकार स्वीकार किया गयाहै, वहांपर बेटीको दान देना धर्मकृत्य माना गयाहै बेटीको ऐसा दान दुरागमन (गौना) के समयभी दिया जा सकता है देखो—37 Cal 1 ; 13 C. W. N. 994 ; ब्याहके समय दामादको भी ऐसा दान दिया जा सकता है 22 Mad 113 में जायज़ माना गया है । इसी संबंधमें और देखो-इस किताबकी दफा ६०२; ४३० ; ६७७ ; ७०२.

दफा ७०७. कहांतक अधिकार काममें लाये जा सकते हैं ?———मुश्तरका

खानदानके मेनेजरकी तरह, विधवाको भी उसके अधिकारोंके काममें लानेकी उचित शक्ति प्राप्त होना ज़रूरी है, शर्त यह है कि वह अपने पीछे होनेवाले वारिसके लाभका उचित ख्याल रखे जैसा कि 11 Bom 320, 324 ; 18 Bom 534 में कहा गया है।

यह माना गया है कि किसी रेहननामाकी मियाद पूरी होनेसे पहिले यदि विधवा जायदादको बेंचकर उसे छुड़ाले तो वह बिक्री जायज़ होगी।

अगर जायदाद रेहन करनेकी अपेक्षा उसके बेचनेमें लाभ हो तो विधवा उसके रेहन करनेके लिये मजबूर नहीं है, और न अपनी ज़ाती जिम्मेदारीपर क़र्ज़ लेनेके लिये मजबूर है; देखो-31 Mad 153 ; 9 W. R. C. R. 107; 26 Cal 820 ; 3 C. W. N. 470.

विधवाके लिये अकसर यह असंभव होता है कि वह जायदादका ठीक उतनाही हिस्सा बेचे जितनी रक़मकी उसे ज़रूरत है अगर इस सिलसिलेमें वह ज़रूरतसे ज्यादा हिस्साभी बेचडाले तो भी बिक्री जायज़ मानी जायगी; देखो-कमिक्षा प्रसादराय बनाम जगदम्बा दासी 5 B. L. R. 508-520 ; फेलारामराय बनाम वगलानन्द बनरजी 14 C. W. N. 895 ; विधवा जायदाद रेहन करके उतना क़र्ज़ लेसकती है जितना कि उसे क़ानूनी ज़रूरतके लिये आवश्यक है ; देखो-ललित पाण्डे बनाम श्रीधर देवनरायनसिंह 5 B. L. R. 176. एक मुक़द्दमेमें दत्तक पुत्रकी वली विधवाने, वलीकी हैसियतसे जायदादका इन्तक़ाल किया पीछे दत्तक नाजायज़ हो गया तो माना गया कि दत्तक नाजायज़ होनेकी वजेहसे जायदादके इन्तक़ालपर कोई असर नहीं पड़ता अर्थात् इन्तक़ाल जायज़ है; देखो-14 Cal 401.

दफा ७०८. इन्तक़ालके लिये रिवर्ज़नरोंकी मंजूरी———अगर कोई स्त्री जो किसी शर्तबंद जायदादकी मालिकहो तो वह उस जायदादमें अपना सम्पूर्ण हक़ या उसका कोई भी भाग बेचे और यह बिक्री किसी क़ानूनी ज़रूरतके लिये नहो तो भी इस बिक्रीसे उस विधवाके सारे हक़का इन्तक़ाल हो जाता है मगर शर्त यह है कि बिक्रीके समय या बिक्रीके बाद उन सब लोगोंकी मंजूरी हो गयीहो जो उसके बाद रिवर्ज़नर हो सकें हों; देखो-21 Mad 128 में मदरास हाईकोर्टने कहा कि किसी जायदादके किसी भागका बेचा जाना अच्छी बात नहीं है ; मगर 32 Mad 206 में इसके विरुद्ध फैसला हुआ तथा 31 Mad 366-370 ; 35 I. A. 1 ; 30 All. 1 ; 25 Bom 129. भी देखो।

बिक्रीके समय या बिक्रीके पश्चात् रिवर्ज़नर वारिसकी मंजूरी होजानेसे वह इंतक़ाल जायज़ मानागया देखो-बजरंगीसिंह बनाम मनिकर्णिकाबख्श सिंह 35 I.A. 1; 30 All. 1; 9 Bom. L. R. 1348 ; 17 Cal. 896 ; 34 Bom. 165 ; 10 Cal. 1102.

अगर उस स्त्रीके बादकी वारिस भी कोई सीमाबद्ध अधिकारकी स्त्री हो तो उस स्त्रीकी और उसके बादके वारिसकी भी मंजूरी लेना ज़रूरी होगा—जैसे किसी विधवाके मरनेके बाद लड़की वारिस होनेवाली है जिसके एक लड़का है तो इन्तक़ाल के बारेमें लड़की और उसके लड़केकी भी मंजूरी ज़रूरी होगी। सिर्फ स्त्री रिवर्ज़नरकी मंजूरी इन्तक़ालके जायज़ करनेके लिये काफी नहीं होगी; देखो-गुलाबसिंह बनाम राव करन सिंह 14 M.I.A. 176 ; 10 B. L. R. 1 ; विपिन विहारी कुंडू बनाम दुर्गाचरण बनरजी 35 Cal. 1086 ; बंबई स्कूलमें यह बात ज़रूरी नहीं है क्योंकि वहां रिवर्ज़नरका अधिकार भिन्न है हरएक स्त्री पूरे मालिककी तरह अपना हक़ पाती है।

आमतौरसे यह सिद्धांत मानागया है कि रिवर्ज़नरकी मंजूरी मिलजानेसे प्रथम तो यह फायदा होताहै कि बिक्रीके लिये क़ानूनी ज़रूरतका प्रमाण होजाताहै और दूसरे वह पीछेसे कोई झगड़ा नहीं करसकता; देखो विनायक बनाम गोविन्द 25 Bom. 129; पिल्लू बनाम बाब्राजी

34 Bom. 165; 11 Bom. L. R. 1291; और देखो-क़ानूनशहादतकी दफा ११५ जिसका सारांश यह है कि "जब किसी आदमीने अपने बयान या किसी दूसरी तरहसे समझ बूझकर दूसरे किसीको किसी चीज़की निस्बत यह ज्ञान करा दिया हो, या ऐसा करने दिया हो कि, वह ठीक है और उसी भरोसेपर वह काम किया गया हो तो फिर वह और उसका क़ायममुक़ाम पाबंद होजाता है इत्यादि।" ऐसा मानो कि किसी स्त्रीने कोई दस्तावेज़ लिखी जिसका असर रिवर्ज़नरके विरुद्ध है मगर रिवर्ज़नरने बहैसियत गवाहके उसपर अपनी गवाही करदी तो फिर वह और उसके क़ायम मुक़ाम इस दफाके असरसे कभी कोई झगड़ा नहीं करसकते, जो कुछ दस्तावेजमें लिखा होगा उनको मंजूर समझा जायगा।

दफा ७०९ मंज़ूरी देनेका तरीक़ा——मंज़ूरी देनेका तरीक़ा कुछ नहीं है, चाहे जिस तरहसे मंज़ूरी दीगयी हो, मंज़ूरी दस्तख़त करके, या दस्तावेज़पर दस्तख़त करके, दी जासकती है (13 C. W. N. 931). या बिक्रीके बाद उसके मालूम होनेपर किसी तरहका एतराज़ न करनेसे मंज़ूरी समझी जासकती है; देखो--महेशचन्द्र बोस बनाम उग्रकान्त बनरजी 24 W. R. C. R. 127; सब हालतोंको जानकर जब मंज़ूरी दीगयी हो तभी वह मंज़ूरी, मंज़ूरी समझी जायगी-श्यामसुंदरलाल बनाम अचनकुंवर 25 I. A. 183; 21 All. 71; 2 C. W. N. 729-733; मंज़ूरी सब दोषोंसे रहित होना चाहिये यानी उसमें कोई ऐसा धोका या ग़लती न हो कि जिससे बिक्री वग़ैरा नाजायज़ होजाय, और मंज़ूरी नेकनियती तथा बिना किसी दबावके दीगयी हो; देखो--कोलंड़िया शुलागन बनाम वेदामंथू शुलागन 19 Mad 337 इसकेसमें जायदादका इन्तक़ाल रिवर्ज़नर को नुक़सान पहुचाने की ग़रज़से किया गया था। परदानशीन औरत की मंज़ूरीमें इसबातका स्पष्ट सुबूत होना चाहिये कि उस स्त्रीने सब हालातों और अपने अधिकारोंको समझ कर वह मंज़ूरी दीथी। तथा उसकी परदानशीनी की हालत की वजेहेसे उसे किसी तरहका धोका नहीं दिया गया हो; देखो भगवतदयाल सिंह बनाम देवीदयालशाह 35 I. A. 48; 35 Cal. 220; 10 Bom. L. R. 230; अगर कोई एतराज़ करनेसे चूक जाय मगर असलमें उसने मंज़ूरी न दी हो तो वह मंज़ूरीका देना नहीं समझा जायगा।

एक जायदाद जो सब रिवर्ज़नरोंकी मंज़ूरीसे बिक चुकी हो तो पीछे पैदा होनेवाले वारिस उसपर कोई झगड़ा नहीं करसकते, जैसे—किसी विधवाके लड़की और देवर (पतिका भाई) मौजूद हैं, विधवाने जायदादका इन्तक़ाल करते समय दोनोंकी मंज़ूरी योग्य रीतिसे लेलीथी, पीछे लड़कीके लड़का पैदा होगया तो अब वह नेवासा इस इन्तक़ाल पर कोई बाधा नहीं करसकता--इसी तरहपर अगर विधवाने पीछेसे कोई लड़का गोद लिया होता तो वह भी इसका पाबंद होता; देखो—25 Bom. 129; 3 W. R. C. R. 14.

दफा ७१०. अगर कोई स्त्री जायदादका अपना हक़ रिवर्ज़नरको देदे—— विधवा या दूसरी सीमाबद्ध स्त्री मालिक हर समय अपनी सारी जायदाद या उसका कोई हिस्सा अपने बादके होनेवाले वारिसको दे सकती है और वह उसी समयसे जायदादका पूरा मालिक हो जाता है; देखो-31 Mad 366; गंगाप्रसाद बनाम शंभूनाथ 22 W. R. C. R. 393; यह भी माना गयाहै कि प्रत्येक स्त्री मालिक अपने बादके होनेवाली किसी स्त्री रिवर्ज़नरको भी जायदाद दे सकती है; भूपालराम बनाम लक्ष्मी कुंवर 11 All 253; रूपराम बनाम रेवती 32 All 582; जब कोई स्त्री रिवर्ज़नरको जायदाद दे तो सब रिवर्ज़नरोंको देना चाहिये जो उस समय मौजूद हों और जिनको उस स्त्रीके मरनेपर जायदाद पानेका

हक़ हो, अगर उनमेंसे किसी एक रिवर्ज़नरको जायदाद दी गयी हो तो योग्य नहीं समझा जायगा; हेमचन्द्र बनाम स्वर्णमयी देवी 22 Cal 355; 12 C. W. N. 49.

अपने रिवर्ज़नरोंकी मंजूरीसे, उस रिवर्ज़नरके बादके रिवर्ज़नरको भी जायदाद दी जासकती है 1 W. R. C. R. 98; अगर कुछ शर्तें लगाकर रिवर्ज़नरको जायदाद दी गयी हो तो देना नाजायज़ होगा लेकिन अगर वह शर्तें ऐसी हों कि उस जायदादके खुद वारिस होनेपर रिवर्ज़नरके साथ लगी रहतीं तो देना जायज़ होगा 30 Mad 145.

देनेके समय अगर ऐसा समझौता हुआ हो कि रिवर्ज़नर जायदाद लेकर उसका कुछ हिस्सा फिर उस बिधवाको दान कर दे जिससे विधवाके अधिकार उसमें अधिक हो जायें तो यह देना नाजायज़ होगा 22 Cal 354; 14 C. W. N. 226; 31 Mad 446; 31 Mad 366; लेकिन अगर यह समझौता हो कि उस छोड़ी हुई जायदादमेंसे सिर्फ रोटी कपड़ा उस विधवाको मिलता रहे तो नाजायज़ नहीं होगा, देखो वही नज़ीर 31 Mad 446; तथा यह भी मानागया है कि अगर ऐसा समझौता होजाय कि छोड़ी हुई जायदादमेंसे कुछ हिस्सा किसी दूसरेको दे दिया जायगा तो भी नाजायज़ नहीं होगा।

दफा ७११. संसार त्यागनेवाली स्त्रीका हक़ चला जाता है—जब विधवा या कोई दूसरी स्त्री मालिक संसार त्याग दे (साधू, संन्यासिनी आदि) तो उसी समय रिवर्ज़नरको सब जायदाद मिल जाती है; देखो Ben. S. D. A. (1856) P. 595.

दफा ७१२. वसीयतके अनुसार अधिकार——जब कोई हिन्दू विधवा या दूसरा सीमाबद्ध वारिस वसीयतके अनुसार जायदादका वारिस होता है तो उसके अधिकार वसीयतकी शर्तोंके साथ होते हैं; देखो—चन्द्रमनी दासी बनाम हरीदास मित्र 5 C. L. R. 557; अगर वसीयतमें सिर्फ उसे जायदाद दे दीगयी हो और कोई अधिकार न बताया गया हो तो फिर उसके अधिकार वही होंगे जो क़ानूनमें लिखे हैं।

दफा ७१३. अदालतसे मिला हुआ अधिकार——अगर किसी स्त्री मालिकको जायदादके इन्तक़ालकी इजाज़त प्रोबेट एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन् एक्टकी दफा ९० के अनुसार मिला हो तो चाहे क़ानूनी ज़रूरत हो या न हो और चाहे रिवर्ज़नर से मंजूरी ली गयी हो या न लीगयी हो, जायदाद पानेवाला उसका पूरा मालिक होजाता है तथा कोई झगड़ा नहीं रहता; देखो—कामाक्षानाथ बनाम हरीचरनसेन 26 Cal. 607.

दफा ७१४. वह क़र्ज़े जो जायदादपर न लिये गये हों——क़ानूनी ज़रूरतोंके लिये विधवाने जो क़र्ज़ लिया हो और वह जायदादपर कोई दस्तावेज़ लिखकर न लिया गया हो तो उस क़र्ज़ेके ज़िम्मेदार रिवर्ज़नर होंगे या नहीं इसमें मतभेद है। परंतु जो क़र्ज़ ख़ानदानके कारोबारके वास्ते लिया गया हो उसके ज़िम्मेदार रिवर्ज़नर अवश्य होंगे। इस विषयमें सबकी राय एक है कि जो क़र्ज़ा विधवाने ख़ानदानी कारोबारके लिये लिया हो उसके देनेके रिवर्ज़नर ज़िम्मेदार होंगे—26 Bom. 206; 3 Bom. L. R. 738.

इलाहाबाद हाईकोर्टने रिवर्ज़नरोंको ज़िम्मेदार नहीं माना देखो-धीरजसिंह बनाम मंगाराम 19 All. 300; श्यामनन्द बनाम हरलाल 18 All. 471; कल्लू बनाम फैयाज़ अलीखां 30 All.394; मदरास हाईकोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्टकी फुल बेंचने रिवर्ज़नरको ज़िम्मेदार माना है देखो-33 Mad. 492; 34 Mad. 188; 10 Cal. 823; 6 Cal. 36,

हालमें कलकत्ता हाईकोर्टकी राय पहिलेसे ख़िलाफ़ होगयी है; उसने अब यह माना कि रिवर्ज़नर ज़िम्मेदार नहीं है—देखो—गिरीबाबा दासी बनाम श्रीनाथचन्द्र सिंह 12 C. W. N. 769 ; प्रसन्नकुमार नन्दी बनाम उमेदुर राजा चौधरी 13 C. W N. 353.

बंबई हाईकोर्टने एक मामलेमें रिवर्ज़नरोंको ज़िम्मेदार नहीं माना; देखो-गड़जप्पा देसाई बनाम अप्पाजी जीवनराव 3 Bom. 237 ; लेकिन हालके एक मुक़द्दमेंमें बंबई हाईकोर्टकी फुल बैंचने ज़िम्मेदार माना 26 Bom 206 ; 3 Bom. L. R. 738.

दफा ७१५. अदालतके फैसलेसे जायदादकी पाबंदी——(१) किसी विधवा या दूसरी सीमावद्ध स्त्री मालिककी जायदादके संबंधमें अगर कोई क़ानूनी या दूसरी कारवाई की जाय उसमें वह विधवा या कोई स्त्री अपनी जायदादकी तरफसे पूरे तौरपर पैरवी करनेवाली समझी जायगी। अर्थात् ऐसा मानो कि किसी स्त्रीकी जायदादपर जिसे सिर्फ जीवन भरका अधिकार है कोई नालिश मालगुजारी या लगान क़रार देनेके लिये की गयी हो और उस स्त्रीने योग्यरीतिसे पैरवी की हो तो उस फैसलेके पाबंद उसके रिवर्ज़नर भी होंगे।

(२) जो डिकरी पिछले पूरे मालिकपर हुई हो तो स्त्रीके पास जायदाद चली जाने पर भी उस जायदादपर वह डिकरी जारी की जासकती है और जायदाद कुर्क व नीलाम हो सकती है; देखो-नाथा हरी बनाम जामनी 8 Bom. H. C. A. C. 37 ; 5 Mad 5.

(३) अगर किसी दौरान मुक़द्दमेमें कोई हिन्दू मुद्दालेह मरजाय, और उसकी जगहपर उसका वारिस चाहे वह स्त्री हो या मर्द, वारिस बनाया गया हो और उस वारिसके मुक़ाबिलेमें डिकरी हुई हो, तो वह डिकरी सिर्फ पहलेके असली मुद्दालेहकी छोड़ी हुई जायदाद तकही पाबंद करेगी वारिसकी ज़ात या दूसरी जायदाद पाबंद नहीं हो सकेगी।

दफा ७१६. जायदादके वापिस लेनेका दावा——अगर जायदादका कोई हिस्सा दूसरोंके हाथमें चला गया हो उसे वापिस लेनेके लिये विधवा या दूसरी सीमावद्ध स्त्री अदालतसे वापिस ले सकती है। अगर वह ऐसा दावा न करे और जान बूझकर या बिना जाने उस जायदादको अपने क़ब्ज़ेमें न ले तो उसके मरनेपर उसके रिवर्ज़नर, अथवा रिवर्ज़नरके रिवर्ज़नर भी अदालतसे वापिस ले सकते हैं; देखो—21 W. R. C. R. 444; 14 W. R. C. R. 322.

दफा ७१७. रिवर्ज़नर डिकरीके पाबंद होंगे——(१) जब कोई डिकरी सीमावद्ध स्त्री मालिकपर हुई हो तो रिवर्ज़नर उसके पाबंद होंगे, लेकिन अगर यह साबित किया जाय कि उस मुक़द्दमेमें हक़ीयतका विचार पूरी तरहपर नहीं किया गया था, या किसी ख़ास वजेहसे उस डिकरीपर उज्र किया जा सके तो पाबंद नहीं होंगे; देखो-9 M. I. A. 543 ; 11 I. A. 197 ; 11 Cal 186 ; 20 I. A. 183 ; 21 Cal 8 ; मदन मोहनलाल बनाम अकबरखां 28 All 241; 19 All 357 ; 8 All 429 ; 1 All 282.

(२) अगर किसी सीमावद्ध स्त्रीके ज़ाती मामलेमें कोई अदालती फैसला हुआ हो तो उसके रिवर्ज़नर पाबंद नहीं होंगे; वृजलाल बनाम जीवनकृष्ण 26 Cal. 285 ; अगर स्त्री कोई क़ानून विरुद्ध काम करे तो उसके रिवर्ज़नर पाबंद नहीं होंगे ; देखो 15 C. W. N. 357.

(३) अगर जायदादके फायदेके लिये उसने कोई काम कियाहो तो जायदाद ज़िम्मेदार होगी; देखो-लालजीसहाय बनाम गोवर्द्धनझा 15 C. W. N. 359.

(४) अगर स्त्रीने मिलकर किसीसे जायदाद पर डिकरी करालीहो तो वह डिकरी नाजायज़ होजायगी रिवर्ज़नर उसके पाबंद नहीं होंगे ; देखो 11 Bom. 119.

दफा ७१८. समझौता——इलाहाबाद हाईकोर्टने माना है कि अदालतमें बाक़ायदा मुक़द्दमा चलानेके बाद जो डिकरी हुई हो उसीके पाबंद रिवर्ज़नर हैं, लेकिन वह किसी समझौतेके पाबंद नहीं होंगे, डिकरीके बाद समझौता हुआ हो तो भी पाबंद नहीं होंगे; देखो-महादेवी बनाम बलदेव 30 All 75; गोविंद कृष्णनरायन बनाम खुन्नीलाल 29 All 487. संतकुमार बनाम देवसरन 8 All 365; रामस्वरूप बनाम रामदेयी 29 All 239; 10 C; L. R. 337; 5 Bom. L. R. 885; (मगर क़ानूनी ज़रूरतकी बुनियादपर समझौता होसकता है) मदरास हाईकोर्टने यह मानाहै कि जब स्त्रीको यह निश्चय हो कि दावा सच्चे और उचित क़र्ज़ेकी बुनियादपर किया गया है तो वह स्त्री उस मुक़द्दमेंमें जवाबदावा लगानेके लिये मजबूर नहीं है 30 Mad. 3; 17 Mad. L. J. 160.

बंगाल हाईकोर्टने यह मानाहै कि विधवा उस जायदादके संबंधमें जिसका मुक़द्दमा चल रहाहै समझौता करसकती है और उसको फैसलेके ख़िलाफ अपील करनेका अधिकार है; देखो तारणीचरण गंगोली बनाम वाटसन 3 B.L.R.A.C. 437; 12 W.R.C.R. 413-417. लेकिन अगर बिना ज़रूरतके समझौता किया हो जिससे जायदादका इन्तक़ाल होजाय, या वह समझौता रिवर्ज़नरोंके लिये मुफ़ीद न हो तो रिवर्ज़नर उसके पाबंद नहीं होंगे-14 W. R.C.R. 146; 33 Mad 473; अगर स्त्रीने सिर्फ अपने आरामके लिये किया हो तो भी वही सूरत होगी-(6 C. L. R. 76.)-यह माना गया है कि स्त्रीने अगर अपने ज़ाती हक़के बारेमें कोई समझौता किया हो तो उसपर कोई रिवर्ज़नर उज्र नहीं करसकता है।

दफा ७१९. रिवर्ज़नरको फ़रीक़ बनाया जाना——मिस्टर मेन अपने हिन्दू-लॉके पेज ८६३ दफा ६४१ के नोट Y में कहते हैं कि मुक़द्दमेंमें स्त्रीके साथ उसके रिवर्ज़नरोंको भी फरीक़ मुक़द्दमा बना लेना अच्छा होगा, ताकि पीछे वह कोई उज्र न करसकें और उस फैसलेके पाबंद होजायें, इस बातपर ट्रिवेलियन हिन्दूलॉ पेज ४७६ में विरोध किया गयाहै उसमें कहा गयाहै कि रिवर्ज़नरोंको फरीक़ बनानेकी कोई वजह नहीं है क्योंकि रिवर्ज़नरोंके हक़पर कोई असर उस फैसलेका नहीं पड़ता।

दफा ७२०. मुक़द्दमेंका ख़र्च——जो मुक़द्दमा किसी सीमाबद्ध स्त्री-मालिकने चलायाहो या उसपर किसी दूसरेने चलायाहो दोनों मुक़द्दमोंके ख़र्चकी ज़िम्मेदार उसकी जायदाद होगी; देखो—चन्द्रकुमार राय गनेशचन्द्र 13 Cal. 283; 6 Cal. 479; 8 C.L.R.1.

दफा ७२१. डिकरीमें नीलाम——विधवा, या दूसरी सीमाबद्ध स्त्री मालिकपर डिकरी होनेसे जो जायदादका नीलाम होतो उस नीलामसे उस स्त्रीके ज़िंदगीभरका हक़ही नीलाम हो सकता है ज़्यादा नहीं यानी ख़रीदार नीलामको उस स्त्रीके मरनेपर जायदाद छोड़ देना पड़ेगी, उस वक्त उस जायदादके मालिक रिवर्ज़नर होजायेगे; देखो-11 M. I.A. 241; 8 W.R. (P. C.) 17; 26 Cal. 285; 17 Mad. 208; 15 B. L. R. 142; 16 Cal. 511.

जो क़र्ज़ किसी स्त्रीने अपनी ज़ाती ज़िम्मेदारीपर लिया हो और वह क़ानूनी ज़रूरतके लिये भी लिया गया हो तो उस क़र्ज़ेकी डिकरीमें उस स्त्रीका ज़िंदगीभरका हक़ही नीलाम होसकता है और बेचा जासकता है ज़्यादा नहीं; देखो-कल्लू बनाम फैय्याज़ अलीखां 30

All. 394; अगर किसी स्त्रीने ऐसी अनेक डिकरीयोंके अदा करनेके लिये जायदादका इन्तक़ाल किया हो जिनमेंसे कुछ क़ानूनी ज़रूरतके लिये क़र्ज़ा लिया गया था तो अदालत जायदादके ख़रीदारके हक़में कुछ भी दख़ल नहीं देगी यानी जायज़ माना जायगा; देखो-बरदाकांत बनाम जतेन्द्रनरायन 22 Cal. 974; सरकारी मालगुज़ारीके बक़ायाकी डिकरीमें अगर स्त्रीकी जायदाद नीलाम होतो उस नीलामसे कुल हक़का इन्तक़ाल होजाताहै; यानी ख़रीदार पूरा मालिक होजाता है रिवर्ज़नरका हक़ नहीं रहता, यही बात जायदाद बेंच देनेमें होती है; देखो देवीदास चौधरी बनाम विप्रचरण घोशाल 22 Cal.641; 11 C.W.N. 821.

भरण-पोषण ।

बारहवाँ-प्रकरण ।

दफ़ा ७२२. कौन लोग भरण पोषणका ख़र्च पानेके अधिकारी हैं——— नीचे लिखे हुए लोग भरणपोषणके ख़र्चपानेके अधिकारी माने गये हैं- (१) पुत्र-पिताका कर्तव्यहै कि वह अपने अज्ञान बालकोंकी परवरिश करे इसलिये पिता अपने अज्ञान बालकोंके भरण पोषणके ख़र्चका पाबंद मानागया है परंतु बालिग़ पुत्रोंका नहीं। अज्ञान बालकोंकीपर वरिशकी पाबंदी: पिताकी ज़ात ख़ास पर है; देखो-11 Mad 91; 4 Beng. L. R. App 23; 2 Bom. 46. 350, 351.

मिताक्षरालॉके कुटुम्बमें जब लड़का बालिग़ हो तो वह मौरूसी जायदादसे अपना भरण पोषण ले सकता है पिताकी ज़ात, ख़ाससे नहीं। और जहांपर न बट सकनेवाली जायदाद हो या प्राइमोजेनिचर (देखो दफा ५५७). की हो वहांपर बालिग़ लड़के अपने भरण पोषणका ख़र्च उस जायदादसे ले सकते हैं—देखो-12 Bom. H.C.94; 2 Bom. 346; 24 Mad 147; 27. I.A. 157; पौत्र और प्रपौत्रके विषयमें भी यही क़ायदा लागू माना जायगा।

(२) अनौरस पुत्र—हिन्दू बाप अपने अनौरस पुत्रोंके भरणपोषणका ख़र्च देनेके लिये पाबंद है; देखो-धाना बनाम गेरेली 32 Cal 479; 8 Mad 325; मगर बापके मरते ही अनौरस पुत्रोंके भरण पोषणका ख़र्च मिलना बंद होजायगा क्योंकि बापकी जायदाद उसके वारिसोंके पास चली जायगी: तथा वे अनौरस पुत्र उस जायदादमें कुछ हक़ नहीं रखते; देखो दफा ४०३. और अनौरस पुत्रकी संतानको कोई ऐसा हक़ नहीं होगा। उदाहरणके लिये जैसे अ, नामका एक हिन्दू मरा और उसने क, एक अनौरस पुत्र छोड़ा पीछे क, अपना एक औरस पुत्र छोड़कर मरगया जिसका नाम ख, है। अब ख, किसी तरहसे भी अ, की जायदाद मेंसे भरण पोषणका ख़र्च नहीं पासकता। क, अपने जीवनकालमें ऐसा हक़ पानेका अधिकारी था।; यदि किसी स्त्रीके गर्भसे पतिके जीतेजी व्यभिचार द्वारा लड़का पैदा हुआ हो, या ऐसी स्त्रीसे पैदा हुआ हो जो एकही आदमीके पास न रहती हो या मा हिन्दू न हो और बाप हिन्दू हो, या बाप हिन्दू न हो मा हिन्दू हो, तो ऐसे पुत्रोंका हक़ कुछ नहीं है देखो—12 M. I. A. 203-220; 1 Bom. 97; 1 Mad 306; 34 Mad 68.

अनौरस पुत्रोंके भरण पोषण पानेका हक़ सिर्फ साधारण रोटी कपड़ेका होताहै जो उनके गुज़ारेके लिये उपयुक्त हो; ख़ानदानकी हैसियत या दूसरी बातोंपर ध्यान नहीं दिया जयगा। अनौरस लड़कीके भरण पोषणका हक़ हिन्दूलॉमें नहीं मानागया-देखो-18 Bom. 177,183.

(३) लड़की—बिनब्याही लड़कियोंके भरणपोषणके ख़र्चका पाबंद पिता है, और यदि पिता मरजाय तो वे पिताकी जायदादसे ऐसा ख़र्च ले सकती हैं-देखो-बाई मंगल बनाम बाई रुकमिनि 23 Bom. 291; 6 All 632; विवाह होनेके बाद लड़की पतिके कुटुम्बकी हो जाती है; उस समय वह अपने पतिसे या पतिकी जायदादसे अपना भरण पोषण पासकती है; देखो दफा ७२३.

(४) पत्नी (जिसका पति जीवित हो) देखो दफा ७२३

(५) बिठलाई हुई औरत--बिठलाई हुई औरतका कोई हक़ भरण पोषणके पानेका नहीं होता क्योंकि उसे पुरुष जिस समय चाहे छोड़ सकता है किंतु जो हिन्दू स्त्री किसी हिन्दू पुरुषके पास सिर्फ उसीके लिये जन्म भरतक रही हो उसके भरण पोषणका हक़ उस पुरुषकी जायदादपर रहता है; देखो दफा ७३३.

(६) विधवा—देखो दफा ७२५ से ७२९

(७) माता—देखो दफा ७२६

(८) पुत्रवधू—देखो दफा ७२६

(९) बिन ब्याही बहन—बिन ब्याही बहनका जबतक विवाह न हो भाई उसके भरण-पोषणके खर्चका पाबंद है। यदि बापकी जायदाद उसे उत्तराधिकारमें किसी प्रकारसे मिली हो तो उससे वह अपना वैसा खर्च लेगी।

(१०) उत्तराधिकारसे वंचित वारिस--देखो दफा ६५१ से ६६२.

(११) सौतेली माता--सौतेला पुत्र अपनी सौतेली माताके भरण पोषणका खर्च देनेके लिये ज़ात ख़ाससे पाबंद नहीं है; हां यदि उसने बापकी जायदाद पायी हो तो वह सौतेली माता उस जायदादसे अपना वैसा खर्च ले सकती है; देखो—9 Bom 279, 5 Bom 99.

दफा ७२३. पत्नीके भरणपोषणका खर्च——हिन्दू धर्मशास्त्रोंका मत है कि विवाहिता स्त्री जो सब प्रकारसे योग्य हो, पतिकी अर्द्धाङ्गिनी होती है, और उससे उत्पन्न संतान पतिको और पतिके पितरोंको तृप्त करती है तथा पिण्डदान और जलदान देनेका अधिकार रखती है इसलिये पत्नी की सब प्रकार रक्षा करना पतिका कर्तव्य माना गया है। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि—

लोकानंत्यंदिवः प्राप्तिः पुत्रपौत्र प्रपौत्रकैः
यस्मात्तस्मात्स्त्रियः सेव्याः कर्तव्याश्चसुरक्षिताः। आचा० ७८
आज्ञा संपादनीदक्षां वीरसूं प्रियवादिनीम्
त्यजन्दाप्यस्तृतीयांश मद्रव्योभरणंस्त्रियः। अचा० ७६

जिससे, पुत्र पौत्र और प्रपौत्रसे वंशका बिस्तार और अंतमें स्वर्गकी प्राप्ति होती है उसका मूल स्त्री है इसीलये स्त्रीका सेवन करना तथा उसकी सबतरहसे हमेशा रक्षा करना चाहिये। यह भी कहा है कि जो पुरुष, आज्ञाकारिणी, चतुरा, पुत्रवती, मधुर भाषिणी स्त्रीको त्याग देता है उसको राजा दण्ड दे और पतिके धनमेंसे तीसरा भाग निकाल कर उस स्त्रीको दे, यदि पति निर्धन हो तो स्त्रीको भरण पोषणका खर्च दिलावे।

अपने पतिसे, पत्नीको भोजन, वस्त्र, रहनेका स्थान, और अपनी हैसियतके अनुसार धार्मिक और अन्य कर्तव्य कर्मोका खर्च पानेका अधिकार है-देखो—सिधिगप्पा बनाम सिदावा 2 Bom 624-628; S. C. 2 Bom 634; नित्यकिशोरीदासी बनाम जोगेंद्रनाथ मल्लिक 5 I. A. 55. अपने ससुरकी जायदादमेंसे अपने भरण पोषणका खर्च पानेका अधिकार स्त्रीको हो सकता है। परंतु जबतक अपने पतिकी कोई जायदाद दूसरे कुटुम्बियोंके हाथमें न हो तबतक वह उन कुटुम्बियोंसे भरण पोषण पानेका कोई अधिकार नहीं रखती; देखो- रमाबाई बनाम त्र्यंबक गनेश देसाई 9 Bom. H. C. 283 पति अपनी स्त्रीको अन्य वैवाहिक हक़ भलेही न दे परंतु उसके भरण पोषणका खर्च अवश्य देना होगा लेकिन यदि स्त्री व्यभिचारिणी हो तो नहीं दिया जायगा—देखो मनु कहते हैं कि—

एतदेवबिधिंकर्य्या द्योषित्सु पतितास्वपि
वस्त्रान्नपानं देयंतु बसेयुश्चगृहांन्तिके। मनु ११-१८९

पतित स्त्रियोंमें भी यही विधि करे "पतितस्योदकंकार्यं" अर्थात् पतितको, सिर्फ अन्न वस्त्र देना योग्य है, इसी तरहपर पतित स्त्रियोंको अन्न वस्त्र दे और उन्हे अपने घरके समीप रखे। आशय यह है कि व्यभिचारिणी होने पर भी अन्न वस्त्र देना योग्य बताया गया है यह सदाचार और सदव्यवहार पर निर्भर है, क़ानून पर नहीं।

स्त्रीके भरणपोषणका ख़र्च मिलना पतिके पास कोई जायदाद होने या न होनेपर निर्भर नहीं है, पति ऐसा ख़र्च देनेके लिये अपनी ज़ात खाससे पाबंद है-देखो नर्बदाबाई बनाम महादेव नरायन 5 Bom. 99, 103; (1902) 27 Mad. 45—48.

दीवानी अदालतमें ऐसे निर्धन पतिपर यदि स्त्री अपने भरणपोषणका दावा करे जो पति न तो कुछ कमाता हो और न उसके पास कुछ जायदाद हो तो कुछ लाभ नहीं होगा। परंतु ज़ाबता फौजदारी बाब ३६ के अनुसार स्त्री अपने निर्धन पतिको इस बातपर बाध्य करसकती है कि वह मेहनत, मज़दूरी करके उसका भरणपोषण करे। स्त्री पतिकी तनख्वाहसे या दूसरी आमदनीसे भी अपने भरण पोषणका ख़र्च लेसकती है।

हिन्दुधर्मसे च्युत—पतिके हिन्दूधर्म त्याग देनेपर भी उसपर स्त्रीके भरणपोषणके ख़र्च पानेका हक़ बना रहता है; देखो 4 Mad. H. C. App. III.

वैवाहिक संबंध टूटना--नेटिव कनूवर्टस्स मैरेज डिसोल्यूशन् एक्ट १८६६ नं २१ की दफा २८ के अनुसार जिस स्त्रीका वैवाहिक संबंध तोड़ दिया गया हो वह भी अपने पतिसे भरणपोषणके ख़र्च पानेका अधिकार रखती है, अर्थात् स्त्री यदि ईसाई होजाय तो भी हिन्दू पतिसे भरणपोषणका ख़र्च उस वक्त तक पासकती है जब तक कि वह अपना दूसरा विवाह न करले।

वरासतसे वंचित पति--जब पति किसी अयोग्यताके सबबसे उत्तराधिकारसे वंचित कर दिया गया हो (देखो ६५३ से ६५५) और उसकी स्त्री पतिव्रता हो यानी व्यभिचारिणी न हो तो वह जायदादके उस हिस्सेसे अपने भरणपोषणका ख़र्च पायेगी जो उसके पतिको मिला, यही राय मिताक्षरा, दायभाग, व्यवहारमयूख तथा स्मृतिचन्द्रिका की है। यदि पति मरजाय और उसके पुत्र वारिस हों, तो माताकी हैसियतसे उसको भरणपोषण पुत्रोंसे मिलेगा; देखो दफा ६२६.

स्थान—स्त्रीके भरणपोषणका स्थान आमतौरसे उसके पतिका घर है-देखो-सीतानाथ मुकरजी बनाम हेमवती देवी 24 W. R. C. R. 377; 1 Mad. H. C. 375-परंतु यदि पति बिनाकारण उसको अपने साथ न रहने दे। स्वयं या उस स्त्रीका अलग रहनाही उचित हो तो वह अलग रहकर भरणपोषणका ख़र्च लेगी-देखो—9 W. R. C. R. 475; 12 Bom. L. R. 373; 6 B. L. R. App. 85; 14 W. R. C. R. 451; 19 Cal. 84; 2 Bom. 634; इसके सिवाय दूसरी किसी सूरतमें स्त्री अलग रहकर भरणपोषणके पानेका अधिकार नहीं रखती देखो—4 C. W. N. 488.

अधिकार छोड़ना--स्त्री, अपने भरणपोषणके ख़र्च पानेके हक़से पतिको मुक्त नहीं करसकती, यानी वह स्वयं अपना ऐसा अधिकार नहीं छोड़ सकती, परंतु यदि पति और पत्नीने आपसमें किसी समझौतेसे भरणपोषणके ख़र्चकी रक़म निश्चित करली हो, और यदि वह उचित हो, तो अदालत ऐसे समझौतेको मान लेगी-5 Bom. 92, 103, 107.

हक़का नष्ट हो जाना—जो स्त्री विनाकारण अपने पतिको छोड़ दे तो उसके भरण पोषणका हक़ नष्ट हो जाता है देखो—मुरामयालीरंगरामा बनाम रामपाली ब्रह्माजी 31 Mad 338 ; 1 Mad H. C. 375 ; या उसके साथ (पति) रहनेसे इनकार करे तो भी उसका ऐसा हक़ नष्ट हो जाता है देखो—6 W. R. C. R. 116 ; 9 W. R. C. R. 475 ; तथा व्यभिचारिणी होनेसे भी नष्ट हो जाता है, राजा पृथ्वीसिंह बनाम राजकुंवर (1873) I. A. Sup Vol. P. 203-210 ; 12 B. L. R. 238 , 247 ; 20 W. R. C. R. 21 ; 1 Mad. H. C. 372 ; 19 Mad 6 ; यदि स्त्रीने भरण पोषणके ख़र्च पानेकी डिकरी भी प्राप्त कर लीहो, या आपसका समझौता हो गया होतो भी व्यभिचारिणी स्त्रीका हक़ नष्ट हो जाता है देखो-नव गोपालराय बनाम अमृतमयीदासी 24 W. R. C. R 428 ;26Bom. 707; जातिच्युत होनेसे किसी स्त्रीका हक़ नष्ट नहीं होता Act No 21 of 1850 महारानी विक्टूरिया बनाम मरीमुट्टू 4 Mad. 243.

दफ़ा ७२४. पत्नीके भरण पोषणके ख़र्चेकी रक़म——वह स्त्री जिसका पति ज़िंदाहो उसके भरण पोषणके ख़र्चेकी तादाद उसके पतिकी हैसियत और उसकी जायदाद और उसके ज़िम्मेके दूसरे ख़र्चोंका ख्याल करके नियत की जायेगी। पतिने वसीयतमें या दूसरी तरह अगर यह बता दिया हो कि उसकी स्त्रीको भरण पोषणके लिये ख़र्चेकी अमुक तादाद दी जायतो अदालत पतिकी इसरायका ख्याल करेगी परंतु केवल पतिकी रायपरसे इस वारेमें फैसला नहीं हो सकता; देखो--12 C.W.N. 808.

याज्ञवल्क्यने स्त्रीके भरणपोषणके ख़र्चके लिये पतिकी जायदादकी एक तिहाई जायदाद मुक़र्रकी है देखो याज्ञ० श्लो० ७६ और वंबई हाईकोर्टने इसरायको माना है देखो—रामाबाई बनाम त्र्यंबक गनेश देसाई 9 Bom. H. C. 283 ; मगर कोई अदालत इस नियमकी पावंद नहीं है जैसा उसे उचित समझ पड़े रक़म निश्चित करेगी—अदालत भरणपोषणका ख़र्च देते-समय, ऐसे दावा करनेवालेके चालचलन काभी ख्याल करेगी।

दफ़ा ७२५. विधवाके भरणपोषणका ख़र्च——जो विधवा अपने पतिकी किसी जायदादकी वारिस न हो, तो चाहे उसका कोई पुत्र हो या न हो, उसे अधिकार है कि उस जायदादमेंसे अपने भरण पोषणका ख़र्च लेवे जिसमें उसके पतिका हक़ मालिक या कोपार्सनरके तौरपर था; या यदि पति वरासतसे वंचित न किया जाता तो उस जायदादमें उसका वैसा हक़ होता ; देखो-शिवदेयी बनाम दुर्गाप्रसाद 4 N.W.P. 63; 11 Cal. 492-494 ; विंदा चौधराइन बनाम राधिका चौधराइन 11 Cal. 492-494 ; 5 Bom. 99 ; 8 B. L. R. 225 ; 3 M.I.A. 229-243 ; 6 W.R.P.C. 43-45 ; गुलाब कुंवर बनाम कलक्टर आफ बनारस 4. M.I.A. 246-258 ; 7 W.R.P.C. 47 ; 22 Cal. 410 ; बेचा बनाम मोथिना 23 All 86 ; 2 Bom. 573 ; 27 Mad 45; 11 Bom. 199; 15 Bom 234; 5 Mad. H.C. 150; 7 Mad H.C. 226; 12 Bom. H.C. 79; 9 Bom H.C.283 ; 4 N.W.P. 63 ; 7 N.W.P. 261 ; 1 Agra 106 ; 9 W.R.C.R; 61 ; 24 W.R. C. R. 474 ; 29 Bom. 85 ; यही नियम उस जायदादसे भी लागू होगा जिसका बटवारा नहीं हो सकता।

यदि राजद्रोहके कारण सरकारने पतिकी जायदाद ज़ब्त करली हो तो उस जायदादसे विधवा भरणपोषणका ख़र्च पानेका अधिकार नहीं रखती ; देखो-गंगाबाईबनाम हाग 2 Ind. Jur. N. S. 124. परंतु यदि उसके पुत्रोंके या पतिके दूसरे वारिसोंके राजद्रोहसे जायदाद

ज़ब्त कीगयी हो तो विधवा अपने भरणपोषणका ख़र्च उस जायदादमेंसे पायेगी-4 M.I.A. 246; 7 W. P. C. 47; 1 Cal. 365-373-374.

उदाहरण—(१) अज नामक एक मनुष्य जो मिताक्षरालॉके प्रभुत्वमें रहता था अपनी एक विधवा और पुत्र छोड़कर मरगया। अजकी कुछ जायदाद अलहदा थी, पुत्रने अपने बापकी सब जायदाद ली। अब अगर पुत्र बापकी विधवाको भरणपोषणका ख़र्च न दे तो वह पतिकी जायदादसे लेसकती है।

(२) अज और उसका बाप शिव दोनों मिताक्षरा स्कूलके मुश्तरका ख़ानदानमें रहते हैं। अज मरा और उसने एक विधवा छोड़ी। अजका जो हिस्सा मौरूसी जायदादमें था वह शिवको पहुंचा, अजकी विधवा अपने ससुरसे भरणपोषणके पानेका अधिकार रखती है यदि ससुर इनकार करे तो वह पतिके हिस्सेकी जायदादमेंसे लेसकती है; देखो-27 Mad. 45.

दफा ७२६. विधवा माता और पुत्रवधू—याज्ञवल्क्य कहते हैं कि--

पितृमातृ सुतभ्रातृ श्वश्रू श्वसुर मातुलैः
हीनानस्याद्विना भर्त्रा गर्हणीयान्यथा भवेत् । आचा० ८६

पतिके मरनेपर स्त्री, पिता, माता, पुत्र, भाई, सास, ससुर, मामा इनके साथ रहे; अकेली न रहे; क्योंकि अकेली रहनेसे निन्दा होती है। तात्पर्य यह है कि जिसके साथ वह रहेगी उसीपर उसके भरणपोषणका ख़र्च भी पड़ेगा, किंतु क़ानूनमें माना गया है कि——

विधवा माता अपने पुत्रसे और पुत्रके मरनेके बाद उसकी जायदादसे अपने भरण पोषणका ख़र्च पानेका हक़ रखती है। मगर सौतेली माता अपने सौतेले पुत्रसे वैसा ख़र्च नहीं लेसकती; वह पतिकी जायदादमेंसे पायेगी-इस विषयमें मनु कहते हैं कि-

न माता न पिता न स्त्री न पुत्रस्त्यागमर्हति
त्यजन्नपतितानेता न्राज्ञा दण्ड्यः शतानिषट् । मनु ८-३८९

माता, पिता, स्त्री, पुत्र, पतित होनेपर भी त्यागनेके योग्य नहीं हैं; ऐसा करनेवाला राजासे छः सौ पण दण्डपायेगा। और देखो-9 Bom. 279; 2 Bom. 573-582.

इसी तरहपर पुत्रवधू अपने ससुरसे और ससुरके मरनेके बाद उसकी जायदादसे भरणपोषणका ख़र्च पानेका हक़ रखतीहै.। यह हक़ उसका सदाचार और सद्व्यवहारके अनुसार है, मगर जब ससुर मरजाय और उसकी जायदाद उसके दूसरे लड़कों या किसी वारिसके पास चली जाय तब पुत्रवधूका हक़ क़ानूनी होजायेगा और वह ससुरकी जायदादमेंसे अपना वह ख़र्च लेलेगी 11 All 194; सदाचार और सद्व्यवहारके अनुसार जो ज़िम्मेदारी होती है उसके अनुसार ससुरका कर्तव्य है कि अपनी बहूका भरणपोषण करे मगर ससुरके मरतेही बहूका वह हक़ क़ानूनी होजाता है; यानी ससुरकी जायदादका वारिस जो कोई हो उसे बहूका ख़र्च देना पड़ेगा क्योंकि जायदाद ज़िम्मेदार होगी।

बंबईमें यह माना गया है कि बाप सद्व्यवहारके अनुसार अपनी विधवा लड़कियोंके भरणपोषणके ख़र्चका ज़िम्मेदार है; जिनके पास गुज़ारा करने योग्य कोई जायदाद न हो मगर बापके मरनेपर दूसरे वारिस ज़िम्मेदार नहीं होंगे; देखो 23 Bom. 291 मगर 28 Cal 278-288 में कहागया कि ऐसी लड़कियां दूसरे वारिससे भी अपना वैसा ख़र्च ले सकती हैं। यानी उस समय बापकी जायदादसे ख़र्च मिलेगा न कि दूसरे वारिससे।

पुत्रवधूका हक़ ससुरके सिवाय पतिके अन्य कुटुम्बियोंपर कुछ नहीं है जब तक कि

उन कुटुम्बियोंके हाथमें उसके पतिकी कोई जायदाद न हो या वह उनका कोपार्सनर न रहा हो-देखो—गंगाबाई बनाम सीताराम 1 All. 170-174-177; 2 B. L. A. C. 15-35; 9 W. R. C. R. 413-422; 9 Bom. H. C. 233; 5 Mad. H. C. 150; 2 Bom. 573; 2 Bom. 632; 7 Bom. 127; 8 Bom. 15; 9 Bom. 279; 5 Bom. H. C. A. C, 130.

जब पति या उसकी शाखा कुटुम्बसे अलग होगई हो तो पतिके रिश्तेदारोंमें स्त्रीका भरणपोषण पानेका हक़ सिर्फ उन रिश्तेदारोंपर होगा जो उसके पतिकी पुरुष लाइनमें ऊपरकी पीढ़ियोंमें हों या स्वयं उस स्त्रीकी पुरुष संतानमें हों। यदि मौरूसी जायदाद नीलाम होगयी हो और वह नीलाम ऐसा हो कि जिसका पाबंद स्त्रीका पति भी होता तो फिर उस स्त्रीको अपने ससुर या दूसरे कोपार्सनरोंसे भरण पोषणका ख़र्च पानेका अधिकार नहीं रहता-गंगाबाई बनाम सीताराम 1 All 170-177. कोई वारिस या दूसरा आदमी जो जायदादपर क़ब्ज़ा रखता हो विधवाको भरणपोषणका ख़र्च देनेका ज़िम्मेदार हो सकता है परंतु वह उन लोगोंके प्रति ज़िम्मेदार नहीं होगा जिन्होंने विधवाको वैसा ख़र्च देनेका कंट्राक्ट किया हो-देखो-रामासायी पैयन बनाम मीनाक्षी अम्मल 2 Mad H. C. 409.

दफ़ा ७२७. विधवाका निवास स्थान——यदि कोई ख़ास बात विरुद्ध न पड़ती हो तो विधवा अपने पतिके रहनेके घरमें रहनेका हक़ रखती है। यदि वह मकान बेच दिया जाय तो वह बिक्री विधवाके रहनेके हक़पर कुछ भी असर नहीं रखेगी, और उस मकानका ख़रीदार विधवाको उस मकानसे निकाल नहीं सकेगा; देखो 6 Mad 130; 1 All 262; 3 All 353; अगर ख़रीदारको ख़रीदते समय यह मालूम हो कि विधवा उसमें रहती है तो अवश्य ही वह विधवाको उस मकानसे नहीं निकाल सकता; मगर शर्त यह है कि अगर कुटुम्बका दूसरा कोई उचित स्थान हो और उसमें विधवाका रहना उचित और योग्य हो तो विधवा उसे छोड़ सकती है 7 Bom. 282. आम तौरसे विधवाको यह हक़ है कि वह अपने पतिके रहनेके घरमें रहे-देखो-वेंकट अम्मल बनाम अनडप्पा चेटी 6 Mad 130; 13 Bom. 101; यह माना गया है कि विधवाको कोई पतिके घरसे निकाल नहीं सकता देखो-दिलसुखराम महासुखराम बनाम लल्लुभाई मोतीचन्द 7 Bom. 282; 6 Mad 130; 1 All 262. 3 All 353; 6 Bom. 567.

उस सूरतमें जब कि किसी ऐसी डिकरीके कारण जिसकी पाबंद वह स्त्री भी हो, किसी ख़रीदारने उस घरको ख़रीद लिया हो या जबकि वह घर ऐसे क़र्ज़की डिकरीमें बिका हो जो ख़ानदानकी ज़रूरतोंके वास्ते लिया गया था तो विधवाको वह घर छोड़ना पड़ेगा—27 Mad 45; 17 Bom. 398; 4 N. W. P. 153; 2 All 141.

विधवाको, पतिके घरमें रहनेका हक़ ख़ास उसके शरीरसे संबंध रखता है और यह हक़ किसी ऐसी डिकरीसे जिसकी पाबंद विधवा न हो कुर्क नहीं हो सकता-31 Mad 500.

बालिग़ विधवा अपने पतिके रिश्तेदारोंके साथ रहनेके लिये पाबंद नहीं है और यदि वह व्यभिचारिणी न हो तो पतिका घर छोड़कर अपने मा बापके घर जा रहनेसे उसके भरण-पोषणका हक़ मारा नहीं जाता-देखो-पृथ्वीसिंह बनाम राजकुंवर (1873) 1 A. Sup 203; 12 B. L. R. 238; 20 W. R. C. R. 21; 6 I. A. 114; 3 Bom. 415-421; 3 Bom. 372; 31 Mad 338; 28 Cal 278-287; 5 C. W. N. 297-299; 29 Cal 557; 6 C. W. N. 530; 14 Bom 490; 5 Mad. H. C. 150; 6 W. R. C. R. 37; 3 I. A. 154; 1 Mad 69.

अगर पति ख़ास तौरसे यह हिदायत कर गया हो कि विधवाको भरणपोषणका ख़र्च तभीतक दिया जाय जबतक कि वह पतिके घरमें रहे तो विधवाको पतिके घरमें ही रहना होगा; यदि किसी उचित कारणसे वहां रहना उचित न हो तो और बात है-देखो-मूलजीभाई शंकर बनाम बाई उजाम 13 Bom. 218; 15 Bom. 236; 12 B. L. R. 238; 20 W. R. C. R. 21; 6 I. A. 114; 3 Bom 415; 14 Bom. 490; रहना उचित न होनेकी सूरतमें देखो—12 C. W. N. 808. जब कुटुम्बकी जायदाद इतनी छोटी हो कि जिससे विधवाके अलग रहनेपर उसके भरणपोषणका ख़र्च न दिया जा सकता हो तो अदालत विधवाको अलग ख़र्च नहीं दिलायेगी या अगर दिलाये भी तो विधवाके अलग घरका किराया या दूसरा ख़र्च नहीं दिलायेगी-देखो-कस्तूरबाई बनाम शिवाजीराम 3 Bom 372; 22 Bom 52; रामचन्द्र विष्णुबापट बनाम सगुन्नाबाई 4 Bom 261.

दफा ७२८. विधवाके हक़का नष्ट होना—दूसरा विवाह कर लेनेपर पतिकी जायदादमें विधवाका भरणपोषणका हक़ नष्ट हो जाता है-देखो-हिन्दू विडो रिमेरेज एक्ट १५ सन १८५६ की दफा २ और देखो इस किताबकी दफा ६५२. इलाहाबाद हाईकोर्टने यह माना कि जिस क़ौममें पुनर्विवाहकी रसम जायज़ मानी जाती हो उस क़ौममें विधवाका भरणपोषणका ख़र्च पानेका हक़ पहिले पतिकी जायदादमें बना रहता है-देखो गजाधर बनाम कौसिल्ला 31 All 161. व्यभिचार करनेसे विधवाका भरणपोषणके पानेका हक़ नष्ट होजाता है देखो—17 Mad 392; 7 Bom 84; 9 Bom 108; 17 Cal 674; दौलत कुंवरि बनाम मेघूतिवारी 15 All 382; 5 Mad H. C. 150; 7 I. A. 115-151; 5 Cal 776-786; 6 Cal L.R. 322; 13 B.L.R. 1-72-73; 19 W.R.C.R. 367-405; 2 Mad H.C. 337, 4 Mad. H.C. 183. याज्ञवल्क्य इस विषयमें कहते हैं कि—

अपुत्र योषितश्चैषां भर्तव्याः साधु वृत्तयः
निर्वास्या व्यभिचारिण्यः प्रतिकूलास्तथैवच । दाय० १४२

एषां क्लीवादीनामपुत्राः पत्न्यः साधुवृत्तयः सदाचाराश्चेद्भर्तव्याः भरणीयाः । व्यभिचारिण्यस्तु निर्वास्याः । प्रतिकूलास्तथैवच निर्वास्याभवन्ति भरणीया श्चाव्यभिचारिण्यश्चेत् । नपुनः प्रातिकूल्य मात्रेण भरणमपि न कर्तव्यम् ।

मिताक्षराकार कहते हैं कि-इन नपुंसक आदिकोंकी जो स्त्रियां साधु वृत्तिवाली हों (सदाचार और पवित्र) उन्हें भरणपोषण देना योग्य है और जो व्यभिचारिणी हों अथवा सदाचारसे विरुद्ध आचरण करती हों तो उनको घरसे निकाल दे, यानी जो व्यभिचारिणी न हों वह पालन करने योग्य हैं । यदि कोई स्त्री जो व्यभिचारिणी न हो और सदाचारकी प्रतिकूलता भी न करती हो मगर किसी दूसरी वजहसे उससे और उस पुरुषसे जिसपर उसके भरणपोषणका हक़ है परस्पर बिगाड़ हो तो विधवाका वह हक़ नष्ट नहीं होगा ।

अगर किसी समझौते या डिकरीसे ऐसा हक़ उसे दिया गया हो तो भी व्यभिचारसे नष्ट हो जाता है । लेकिन अगर वसीयतके द्वारा वैसा हक़ मिला हो और उस वसीयतमें व्यभिचारके कारण हक़ वर्जित न किया गया हो तो स्त्रीके भरणपोषणका हक़ नहीं मारा जायगा देखो—17 Mad 392; 9 Bom. 108; 15 All 382; 34 Bom 278; अगर भरणपोषणके सिवाय किसी और चीज़के दावेके बदलेमें समझौता करके भरणपोषणके

ख़र्च देनेका इक़रार किया गया हो और उसमें व्यभिचारसे वर्जित होनेकी कोई शर्त न हो तो भी भरणपोषणका हक़ मारा नहीं जाता; भूपसिंह बनाम लक्ष्मणकुंवर 26 All 321.

दफा ७२९. विधवाके भरण पोषणके ख़र्चकी रक़म——विधवाके लिये भरण पोषणकी रक़म निश्चित करते हुए विधवाकी उचित ज़रूरतोंका ख्याल करना चाहिये।

धार्मिक कृत्य जैसे दान, दक्षिणा और अन्य धार्मिक कृत्य जिनका करना रवाजके अनुसार उसका कर्तव्य है, और विधवा तथा उसके ख़ानदानकी हैसियत, और जायदादके ख्यालसे भोजन, वस्त्र और रहनेके मकानका ख़र्च आदि-देखो-सुंदरजी डूमजी बनाम दहीबाई 29 Bom 316; 5 I. A. 55; 22 Cal 410-418; 12 All 558; 25 W. R. C. R. 474; 25 All 266; 9 C. W. N. 651; 2 All 407.

हिन्दू धर्म शास्त्रोंके अनुसार यद्यपि विधवाको सब सांसारिक भोग रोगोंको त्याग करके रहनेकी आज्ञा है परन्तु अदालत इसका ख्याल नहीं करेगी; लेकिन इसके साथही वह यह भी नहीं मानेगी कि विधवाको उसी शानशौकतसे रहनेके लिये ख़र्चा दिया जाय कि जिस तरह वह अपने पतिकी ज़िंदगीमें रहती थी-देखो-हरी मोहनराय बनाम मयन तारा 25 W.R.C.R. 474-476; वाइसनी बनाम रूपसिंह 12 All. 558; 4 N.W.P. 63; 4 W.R.C R. 65; अपने बापके घरमें रहनेसे भरणपोषणके ख़र्चकी जो बचत हो उसका हिसाब नहीं लगाया जायगा-देखो-25 W.A.C.A. 474-476. ऊपर कहागया है कि भरणपोषणके ख़र्चकी रक़म निश्चित करते समय जायदादकी कमी या ज़्यादतीका ख्याल किया जायगा, परन्तु केवल जायदादके ज़्यादा होनेके सबबसे यह ज़रूरी नहीं हैं कि ख़र्च भी विधवाको ज़्यादाही दिया जाय; बल्कि ख़र्च मांगनेवालेकी हैसियत, चालचलनका भी ख्याल किया जायगा; क्योंकि संभव है कि इस ख्यालसे ख़र्च कम देना ही अदालतको उचित जान पड़े इसी तरहपर ख़र्चकी रक़म मांगनेवालेकी केवल ज़रूरतोंकाही ख्याल करके ख़र्चकी रक़म निश्चित नहीं की जायगी-देखो-9 B. L. R. 377-413; 18 W. R. C. R. 359-373; 6 W. R. C. R. 286.

दफा ७३०. अन्य लोगोंके भरणपोषणके ख़र्चकी रक़म——पत्नी और विधवाके अलावा दूसरे लोगोंके भरणपोषणके ख़र्च पानेकी प्रार्थनापर अदालत जब उनके ख़र्चकी रक़म निश्चित करने लगेगी तब वह उपरोक्त दफा ७२९ में कही हुई बातोंका ख्याल करलेगी-अर्थात् अन्यलोगोंसे भी वे बातें लागू समझी गयी हैं; देखो-21 All 232.

दफा ७३१. भूखे मरनेसे बचानेका ख़र्च——भूखे मरनेसे बचानेका ख़र्च भी एकप्रकारका भरणपोषणका ख़र्च है और यह ख़र्च उस स्त्री या विधवाको दिया ज़ाना चाहिये कि जिसने व्यभिचार त्याग दिया हो। जिस स्त्री या विधवाने व्यभिचार त्याग दिया हो और फिर नेकचलन बन-गयी हो उसको भूखे मरनेसे बचानेका ख़र्च पानेका अधिकार है या नहीं? इस बातका अभीतक निर्णय नहीं हुआ। बंबई हाईकोर्टने होनम्मा बनाम टिमन्नाभट्ट (1877) 1 Bom 559 में स्त्रीका ऐसा अधिकार माना है। परंतु बालू बनाम गंगा (1882) 7 Bom 84 में नहीं माना। हालके एक मुक़द्दमेमें बंबई हाइकोर्टने कहा कि "पुराने हिन्दूशास्त्रोंसे मालूम होता है कि हिन्दू स्त्रीको उसका पति बिलकुलही नहीं छोड़ दे सकता। यदि स्त्री व्यभिचारिणी है, तो भी पति उसको घरमें रोक कर रखे और उसको जीवन क़ायम रखनेके लिये भोजन और वस्त्र देवे। इसके सिवाय उस स्त्रीका और कोई हक़ नहीं है। परंतु यदि स्त्री पश्चात्ताप करे नेकचलन बन जाय और प्रायश्चित्त आदि करके शुद्ध

होजाय तो उसको सब प्रकारसे सामाजिक और वैवाहिक हक़ फिर प्राप्त होनेका अधिकार है। लेकिन अगर उसने किसी नीच जातिके पुरुषसे व्यभिचार किया हो तो प्रायश्चित्त करने पर भी वह भरणपोषणका ख़र्च सिर्फ़ जीवन रखनेके लिये और रहनेके स्थानके सिवाय और कुछ नहीं पासकती" देखो-पाराभी बनाम महादेवी 34 Bom 273-283; 12 Bom. L. R. 196-200. मदरासि हाईकोर्टकी राय है कि वैसी स्त्री भूखी मरनेसे बचनेका ख़र्च भी नहीं पासकती—(17 Mad 392); इसी अदालतने पहिलेके एक मुक़द्दमेमें यह भी कहा था कि इस प्रश्नका अभीतक कुछ निर्णय नहीं हुआ; देखो 5 Mad H. C. 150; बंगाल हाईकोर्टने रमानाथ बमाम रजनीमणि दासी (1890) 17 Cal 674-679 में यह राय प्रकटकी कि उस स्त्रीको सिर्फ़ जीवन निर्वाहके लिये ख़र्च देना चाहिये। प्राचीन कई शास्त्र और नज़ीरें भी ख़र्च देनेके ही पक्षमें हैं। इसलिंये उचित यही है कि ऐसी स्त्रीको जीवन रखनेके लिये ख़र्चा दिया जाय-देखो स्ट्रेन्ज हिन्दूलॉ Vol I. P. 172, 175. Vol II. P. 39; कोलब्रूक डाइजेस्ट Vol II. P. 423-425; और देखो याज्ञवल्क्य—

हृताधिकारां मलिनां पिण्डमात्रोपजीविनीम्
परिभूता मधः शय्यां वासये द्व्यभिचारिणीम्। विवाह० ७०

या व्यभिचरति तां हृताधिकारां भृत्यभरणादि अधिकाररहितां। मलिनां अञ्जनाभ्यंञ्जन शुभ्रवस्त्राभरणाशून्याम् पिण्डमात्रोपजीविनीम् प्राणयात्रामात्र भोजनाम्। धिक्कारादिभिः परिभूतां भूतलशायनीं स्ववेश्मन्येववासयेत् वैराग्य जननार्थं नपुनः शुद्ध्यर्थम्। मिताक्षरा।

जो स्त्री व्यभिचारिणीहो उससे भरणपोषणका अधिकार छीनले। साफ कपड़े ज़ेवर तथा भोगरागकी जो चीज़ें हैं उसे नहीं दे; सिर्फ़ भूखे मरनेसे बचानेके लिये भोजन दे, और धिक्कार आदिसे उसे अपमानित करे, सोनेके लिये चारपाई आदि न दे, ज़मीनपर उसे सुलाये और अपने घरके क़रीब रहनेका स्थान दे, ये सब बातें उसे वैराग्य उत्पन्न करानेवाली हैं शुद्ध करनेवाली नहीं हैं।

यदि स्त्री व्यभिचार न त्यागे तो उसे प्राणनिर्वाहका भी ख़र्च नहीं मिल सकेगा। परंतु यदि उसे पहिले अदालतकी डिकरीसे ख़र्च मिलनेका हक़ पैदा हो गया हो तो व्यभिचार करनेपरभी वह ख़र्च बंद नहीं किया जायेगा-देखो-कंडासामी पिलाई बनाम मुरूगम्मल 19 Mad 6; 17 Cal 674-679; 15 All 382; 2 Mad. H. C. 337; 34 Bom. 278.; 12 Bom. L. R. 196; 1 Bom. 559.

दफ़ा ७३२. बारसुबूत——जब किसी जायदादपर विधवाके भरणपोषणके ख़र्चका बोझ हो और विधवा अलग रहकर ख़र्च मांगती हो तो इनकार करनेवाले दूसरे फरीक़को यह साबित करना होगा कि हालत ऐसी है कि जिसमें विधवा अलग रहकर ख़र्च पानेका अधिकार नहीं रखती-देखो—साबूसद्दीक़ बनाम ऐशाबाई 30 I. A. 127; 27 Bom. 485; 7 C. W. N. 665; मसलन् दूसरा फरीक़ यह दिखला सकता है कि, विधवा व्यभिचारके उद्देशसे अपने पतिके घरसे अलग रहना चाहती है; देखो—3 Bom. 372-381. या यह कि जायदाद बहुत छोटी है इसलिये अलग ख़र्च नहीं दिया जासकता या यह कि विधवाके पास भरणपोषणका दूसरा ज़रिया मौजूद है; देखो- 14 Bom. 490;

दफा ७३३. बिठलाई हुई स्त्रीका भरण पोषण——किसी हिन्दू पुरुषके मरनेके समयतक उसकी बिठलाई हुई स्त्री (रखेली स्त्री) यदि उसके साथ रहे और सिर्फ उसीके लिये रही हो तो चाहे उसकी कोई संतान हो या न हो वह स्त्री उस हिन्दू पुरुषकी निजकी या मौरूसी जायदादमेंसे अपने भरणपोषणका ख़र्च लेनेका अधिकार रखती है—देखो-निगनेधी बनाम लक्ष्मावा 26 Bom. 163; 3 Bom. L. R. 647; रामानरसू बनाम बचामा
23 Mad. 282-291; 12 Bom. 26; खेमकर बनाम उमाशंकर 10 Bom
381; 12 Bom. H. C. 229.

यदि बिठलाई हुई स्त्रीने व्यभिचार किया हो तो उसका हक़ मारा जायगा
राव बनाम काशीबाई 12 Bom. 26; वह स्त्री कि जिससे किसी हिन्दूक
संसर्ग और संभोग हुआ हो या वह स्त्री (जिसका पति जीवित हो)
हिन्दूका संसर्ग और संभोग क़ानून विरुद्ध हुआ हो, ऐसी स्त्रियां भरणपोषण
कार नहीं रखतीं (क़ानून विरुद्ध संभोग वह कहलाता है कि जिस स्त्रीका
उसके साथ व्यभिचार) देखो-सिकी बनाम वेंकटसामी 8 Mad. H. C. 1
H. C. 381; बिठलाई हुई स्त्री जो त्याग करदी गयी हो उसका कुछ
Mad. 282; नारद कहते हैं—

अन्यत्रब्राह्मणात्किंतु राजाधर्मपरायणाः
तत्स्त्रीणां जीवनं दद्यादेष दायविधिः स्मृतः ।

ब्राह्मणको छोड़कर, यदि किसी दूसरे जातिके पुरुषके पास कोई स्त्री
सिर्फ उसीके लिये रही हो तो राजा उसे भरणपोषण दे; अर्थात् उस हिन्दू
दिलावे । इस विषयमें और देखो-दफा ७२२-५

दफा ७३४. भरण पोषण मांगनेवालेके पास जायदाद
जब स्त्री, या विधवा, या दूसरा कोई आदमी जो भरणपोषणका ख़र्च पाने
कोई अपनी ऐसी जायदाद रखता हो कि जिसकी आमदनीसे उसका भरण
हो सकता हो तो वह अपने भरणपोषणका ख़र्च पानेका हक़ काममें नहीं
सिद्धेश्वरीदासी बनाम जनार्दन सरकार 29 Cal. 557-576; 6 C. W.
चन्द्रभागाबाई बनाम काशीनाथ विठ्ठल 2 Bom. H. C. 323; 4 N. W.
573; 33 Bom. 50; 10 Bom. L. R. 770; 14 Bom. 490.

भरणपोषणके ख़र्चकी रक़म निश्चित करते समय अदालत वैसा ख़र्च
अगर कोई जायदाद हो तो उसको भी हिसाबमें रखेगी—महेश प्रतापसिंह
सिंह 21 All. 232; गहने, या दूसरी कोई ऐसी जायदाद कि जिससे कोई
अदालत हिसाबमें नहीं लेगी—शिवदेयी बनाम दुर्गाप्रसाद 4 N. W. P.
638; अगर पहिले कभी भरणपोषणका कुछ ख़र्च मिला हो तो चाहे वह
हो तो भी हिसाबमें लिया जायगा-देखो जितेन्द्रमोहन टैगोर बनाम गणेन्द्रमोह
I. A. Sup. Vol. 47 at P. 82; 9 B. L. R. 377-413; 18 W. R.
सावित्रीबाई बनाम लक्ष्मीबाई (1878) 2 Bom. 573.

विधवा सिर्फ पतिके हिस्सेसे पायेगी—अगर पतिकी अपनी कमाईकी अलग जायदाद उसकी विधवाके भरणपोषणके ख़र्चके लिये काफी हो तो विधवा अपने पतिकी उस जायदादमेंसे जो कोपार्सनरकी शिराकतमें हैं अपने भरणपोषणका ख़र्च नहीं लेसकती यह

हा उसका
दिनोंतक ऐसा
के बादसे गिनी

जिस डिकरीमें
। जिस डिकरी
दादका इन्तक़ाल
भी वह जायदाद
ज़ात पर नहीं

स्त्री, या विधवा,
नाम सामीनाथा-
से भरणपोषणका
क़ानून इन्तक़ाल
होसकता । हां,
33 Mad. 80.
जायदादकी वह
करीसे कुर्क नहीं
या है कि भरण-
होता है कि यदि
में कहागया; देखो

-(१) कोई भी
रे तो उस जाय-
सकता है; परंतु
हो तो नहीं मारा
326; 17 Mad
किया गया हो
नेपर भी हक़ नहीं

ख़र्च जिनको

राय इलाहाबाद हाईकोर्टने शिवदेयी बनाम दुर्गाप्रसाद (1872) 4 N. W. P. 63-72 के
मुक़द्दमेमें प्रकट की थी परंतु अपनी इस रायका कोई कारण नहीं बताया। मुश्तरका जाय-
दादमें पतिका जितना हिस्सा हो उसीकी आमदनीसे विधवाको ख़र्च दिया जायगा-महादराव
केशव तिलक बनाम गंगाबाई 2 Bom. 639; 11 Bom. 199; 27 Mad 45-59;
4 N. W. P. 63-73; अगर वह आमदनी विधवाके ख़र्चके लिये काफी न हो तो वह
[illegible] चकर उसके भरणपोषणका प्रबंध किया जायगा।
थी कि इस प्र
हाईकोर्टने रमान. **विधवाकी अन्त्येष्टीका ख़र्च**——जिस जायदादमेंसे विधवाको भर-
प्रकटकी कि उस दिया जाता हो उसी जायदादमेंसे विधवाकी अन्त्येष्टी (मरनेका और उसके
और नज़ीरें भी ख क्रियाका सब ख़र्च दिया जायगा; देखो—रतनचन्द बनाम जौहरचन्द
के लिये ख़र्चा दि ; सदाशिव भास्कर जोशी बनाम धाकूबाई 5 Bom. 450; वैद्यनाथ
कोलब्रूक डाइजेस्ट यासामी ऐय्यर 32 Mad. 191.
ह **ख़र्चकी रक़ममें अदालतका कर्तव्य**——अगर दोनों पक्षकार
प क़म निश्चित न करसकें तो अदालत उस समय रक़म निश्चित करेगी; देखो
ाम अमृतमयी दासी 24 W. R. C. R. 428; मील्लू बनाम फूलचन्द
या व्य . 223; (New edition 298); 9 B. L. R. 11-28; अदालतकी
मलिनां क़ममें सिवाय किसी ख़ास कारणके प्रिवीकौन्सिल भी दख़ल नहीं देगी-देखो
विनिम् 97; 1 B. L. R. P. C. 1; 10 W. R. P. C. 17. 25; 5 I. A. 55;
28 Mad. 508; 10 C. W. N. 95; 7 Bom. L. R. 907.
भूतलश ख़र्च दिये जानेकी आज्ञा देनेके लिये अदालतको उचित यही हैकि वह उस
थेम्। नी ख़ास जायदादपर डाले-देखो—मंशा देवी बनाम जीवनमल 6 All.
जो स्त्री व्यभि 83; 12 Bom. H. C. 229; या इतनी नक़द रक़म अलग कर दे कि
भोगरागकी जो ची ख़र्च दिया जासके या अगर ज़रूरत हो तो जायदादका कोई हिस्सा
आदिसे उसे अपमा जमा करादे-कुछ सूरतोंमें अगर मुनासिब हो तो उस ख़र्चके लिये
अपने घरके क़रीब देनाही अदालत काफी समझ लेगी। अदालत जो ख़र्च मुक़र्रर करे
करनेवाली नहीं हैं और मकानका भाड़ा दोनोंके लिये होगा; देखो 6 All. 617-620; जाय-
यदि स्त्री व्यभि कोई हिस्सा ख़र्चके लिये अलहदा न करके कोई सालाना रक़म मुक़र्रर
यदि उसे पहिले अ होगा यह बात 2 All. 777 में मानी गयी है।
करनेपरभी वह ख बनाम दत्तात्रेय (1900) 24 Bom. 386-389; 2 Bom. L. R.
19 Mad 6; 17 मेमें अदालतने कहा कि "भरणपोषणके ख़र्च देनेकी डिकरीमें अदालतको
278.; 12 Bom. खने चाहिये कि भविष्यमें जैसी ज़रूरत पड़े अदालत अपनी उस डिकरीमें
दफा ७३२. ।" परंतु इसपर मि० ट्रीवेलियनका कहना है कि ऐसी डिकरीमें बारबार
बोझ हो और विधव नेका भय है। भरणपोषणके ख़र्चकी जो रक़म डिकरीमें मुक़र्रर कीजाय
यह साबित करना उसका बदलना ज़रूरी हो तो दूसरी डिकरीके द्वारा बदली जासकती है।
अधिकार नहीं रह. **ख़र्च घटाया और बढ़ाया जा सकता है**——अगर पत्नी, या
7 C. W. धवा, व्यभिचारिणी हो जाय तो उसके भरणपोषणका ख़र्च बंद किया जासकता है।
अगर भरणपोषणका ख़र्च लेने और देनेवालोंकी हालत पहिलेकी अपेक्षा कम हो जाय तो
ख़र्चकी मुक़र्ररकी हुई रक़ममें कमी की जासकती है। अगर डिकरीमें कोई ख़ास व्यवस्था न
हो तो कुर्क़ीकी कार्रवाईमें भरणपोषणके ख़र्चकी रक़म न तो बंद की जासकती है और न

कमकी जा सकती है। अगर अन्न महंगा होगया हो या खानेपीनेके सामान महंगे होगये हों, या पति धनवान होगया हो तो ख़र्चकी रक़म बढ़ाई जासकती है-देखो-वंगरुअम्मल बनाम विजयमाची रेड्डीयर 22 Mad. 175; 9 W. R. C. R. 152; जब कि ग़रीबीकी हालत ख़र्च देनेवालेके किसी क़सूरसे नहीं बल्कि दैवी कारणसे उपस्थित होगयी हो तो ख़र्चकी मुक़र्रर रक़म घटाई जासकती है-राजेन्द्रनाथ राय बनाम पुतूसुंदरी दासी 5 Cal. L. R. 18; 5 W. R. P. C. 98. प्रत्येक वर्ष देते रहनेकेलिये भरणपोषणकी जो डिकरी हो उसका रुपया इजरा डिकरीकी कारग्वाईके द्वारा वसूल किया जासकता है। जितने दिनोंतक ऐसा ख़र्च दिया गया हो तमादीके ख्यालसे उस डिकरीकी मियाद उतने दिनोंके बादसे गिनी जायगी-देखो--19 Cal 139; 38 Cal. 13; 12 Bom. 65.

वेंकन्ना बनाम ऐतमा 12 Mad. 183 के मुक़द्दमेमें माना गया कि जिस डिकरीमें केवल भरणपोषणका हक़ मानागया हो उस डिकरीका इजरा नहीं होसकता। जिस डिकरी में भरणपोषणका हक़ किसी ऐसी जायदादमें माना गया हो कि जिस जायदादका इन्तक़ाल होगया हो और जिस आदमीके हक़में इन्तक़ाल हुआ हो उसके पाससे भी वह जायदाद निकल गयी हो तो फिर उस डिकरीका इजरा उस आदमीकी ज़ात पर नहीं हो सकता जिसके मुक़ाबिलेमें डिकरी हुई थी। देखो—5 All. 389;

दफ़ा ७३८. हक़का इन्तक़ाल नहीं होसकता——(१) कोई स्त्री, या विधवा, अपने भरणपोषणके हक़का इन्तक़ाल नहीं करसकती-अन्नपूर्णी नाचियर बनाम सामीनाथा-चिट्टियर 34 Mad. 7--9 में माना गया कि आपसके इक़रार या डिकरीसे भरणपोषणका जो ख़र्च निश्चित हुआ हो उसका इन्तक़ाल होसकता है, परंतु ध्यान रहे कि क़ानून इन्तक़ाल जायदाद एक्ट नं० ४ सन १८८२ की दफ़ा ६ (d) के अनुसार नहीं होसकता। हां, भरणपोषणका जो ख़र्चा बक़ायेमें पड़ाहो उसका इन्तक़ाल होना संभव है 33 Mad. 80.

(२) कुर्क़ी नहीं होसकती-भरणपोषण पानेका हक़ या ग़ैरमनक़ूला जायदादकी वह आमदनी जो भरणपोषणके लिये मुक़र्रर कीगयी हो किसी अदालती डिकरीसे कुर्क नहीं होसकती—देखो ज़ाबता दीवानी १९०८ की दफ़ा ६० इस दफ़ामें कहा गया है कि भरण-पोषणका हक़ आगेका कुर्क़ नहीं किया जासकता। इसका यह अर्थ भी होता है कि यदि ऐसे ख़र्चका रुपया जमा हो तो कुर्क़ होसकता है जैसा कि 33 Mad. 80 में कहागया; देखो 11 Bom. 228; 38 Cal. 13.

दफ़ा ७३९. जायदादके इन्तक़ालसे हक़का मारा जाना——(१) कोई भी हिन्दू जो हक़ मारनेकी नीयत न रखता हो अपनी जायदादका इन्तक़ाल करे तो उस जायदादमें क़ानूनन् जो लोग भरणपोषणका हक़ रखते हैं उनका वह हक़ मारा जासकता है; परंतु वह हक़ यदि पहिलेसे किसी इक़रार या डिकरीके द्वारा निश्चित हो चुका हो तो नहीं मारा जायगा; देखो 27 Cal 194; 27 Mad 45; 15 Cal 292; 22 All 326; 17 Mad 268; लेकिन अगर वह इन्तक़ाल केवल किसीके हक़ मारनेकी नीयतसे ही किया गया हो और जायदादका ख़रीदार भी उस नीयतसे परिचित हो तो इन्तक़ाल हो जानेपर भी हक़ नहीं मारा जायगा-देखो 12 Mad 334; 23 Bom 342.

(२) दान या वसीयत—अपनी विधवा और उन लोगोंके भरणपोषणका ख़र्च जिनको वैसा ख़र्च देनेके लिये वह क़ानूनन् पाबंद है, उन ख़र्चोंके योग्य उचित जायदाद अलग करके ही हरएक हिन्दू अपनी जायदाद दान या वसीयतके द्वारा किसीको देसकता है, बिना उचित प्रबंध किये नहीं देसकता-देखो-देवेन्द्रकुमार राय चौधरी बनाम ब्रजेन्द्र कुमार राय 17 Cal. 886; 15 Cal 292; 8 Bom. H. C. A. C. 98; 12 Mad 490; 10 Cal 638.

कोई हिन्दू वसीयतके द्वारा अपनी स्त्रीको भरणपोषणके हक़से वंचित नहीं रख सकता देखो 12 C. W. M. 808; और न अपनी सब जायदाद, विधवाके भरणपोषणका ख़र्च दिये बिना वसीयत या दानके द्वारा किसीको देसकता है। 2 All 315; 23 All 86; 5 Bom. 99; 15 Cal 292; 2 Bom. L. R. 1082.

दफ़ा ७४०. जायदादपर भरणपोषणके ख़र्चका बोझ——(१) क़र्ज़ा पहिले चुकाया जायगा—पति या ख़ानदानके ज़िम्मे जो क़र्ज़ हो उसके चुकानेके बाद ही स्त्री, या विधवाको भरणपोषणका ख़र्च दिया जासकता है। किसी डिकरी या इक़रारनामेसे भरण-पोषणका जो ख़र्च किसी जायदादपर डाला गया हो तो वह ख़र्च पहिले अदा करना या क़र्ज़ पहिले अदा करना, इसका निश्चय अभी तक नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्टने श्याम-लाल बनाम बन्ना 4 All 296-300 और गुरदयाल बनाम कौशिल्या 5 All 367 इन दो मुक़द्दमोंमें यह माना कि क़र्ज़ पहिले चुकाया जायगा। इसपर मि० ट्रेवेलियन अपने हिन्दू-लॉके पेज ५० में कहते हैं कि डिकरीके द्वारा भरणपोषणका जो ख़र्च किसी जायदादके ज़िम्मे डाला जाय उसका वही दर्जा है जो रेहनकाहै और वह उस जायदादपर पड़नेवाले पीछेके सब ख़र्चों और क़र्ज़ोंसे पहिले अदा किया जायगा-देखो-27 Cal 194; 2 Bom. 494.

इक़रारनामेसे भरणपोषणका जो ख़र्च जायदादके ज़िम्मे पड़ा हो वह भी इक़रार करने-वाले या उसके प्रतिनिधिके ज़िम्मेके क़र्ज़ोंके पहिले चुका या जायगा; मगर शर्त यहहै कि इक़-रारनामेमें लेनदारोंके हक़में कोई धोखा न दिया गया हो और यह कि वह इक़रारनामा क़ानून इन्तक़ाल जायदाद एक्ट नं० ४ सन १८८२ की दफ़ा ५८-५९ की शर्तोंके अनुसार हो। वसीयतके द्वारा भरणपोषणका जो ख़र्च जायदादपर डाला गया हो वह ख़र्च वसीयत करनेवालेके क़र्ज़ेसे पहिले अदा नहीं किया जासकता।

(२) जायदादपर भरणपोषणके ख़र्चका बोझ कब नहीं है?—पतिकी जायदाद चाहे मौरूसी हो या खुदकमाई हुई हो, उसपर स्त्री, या विधवाके भरणपोषणके ख़र्चका बोझ एक प्रकार अवश्य ही है परंतु पूर्णरूपसे नहीं है, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं है कि अगर वह जाय-दाद किसीने ख़रीद ली हो तो उसका कोई हिस्सा उस ख़रीदारको स्त्री, या विधवाके ख़र्चके लिये छोड़ देना पड़े-देखो-हेमाङ्गिनीदासी बनाम केदारनाथ चौधरी 16 I.A. 115; 16 Cal 758; 5 Bom 99; 12 Mad 260; और देखो-24 All 160; 15 Cal 292; 4 All 296; 22 All 326; 12 Mad 260; 27 Mad 45; 6 Mad 130.

यदि डिकरी या इक़रारमें या वसीयतसे वैसा ख़र्च जायदादपर डाला गया हो तो वह जायदादको निश्चित रूपसे पाबंद कर देता है; देखो-महालक्ष्माअम्मा बनाम वेंकटरत्नअम्मा 6 Mad 83; 17 Mad 268; 12 Bom. L. R. 1075; 12 Bom. H. C. 69-75; 20 W. R. C. R. 126; 23 Bom 342; 6 I. A 114; 5 Bom 415. भरणपोषणका ख़र्च पानेवाले दूसरे अधिकारियोंके विषयमेंभी यही सब बातें लागू होंगी।

दफ़ा ७४१. मुश्तरका ख़ानदानपर भरणपोषकी डिकरी——जब किसी मुश्तरका ख़ानदानपर भरणपोषणकी डिकरीकी जायतो उस ख़ानदानके सब शरीक मेम्बर उस डिकरीके पाबंद होंगे चाहे वह उस मुक़द्दमेमें फरीक़ रहेहों या न रहेहों-देखो-मीनाक्षी बनाम चिन्नअप्पा 24 Mad 689; 30 Mad 324 परंतु यदि बापके विरुद्ध या मुश्तरका ख़ानदानके किसी मेम्बरकी ज़ात ख़ासके विरुद्ध डिकरी हुई हो तो उस डिकरीका वही पाबंद होगा दूसरा नहीं 10 Mad 283; सिर्फ़ ज़ात ख़ासपर डिकरी होनेसे जायदादपर बोझ नहीं पड़ता है।

दफा ७४२. विधवाका वसीयतपर आपत्ति करना——विधवा अपने पतिके वसीयत नामेपर सिर्फ उतनी ही दूरतक आपत्ति कर सकती है जहांतक कि उसका संबंध उसके भरणपोषणके हक़से हो, 11 Cal 492; 12 C. W. N. 808. परंतु अपने बेटेके वसीयत नामेपर वैसी आपत्ति नहीं कर सकती 4 C. W. N. 602.

दफा ७४३. जायदादका इन्तक़ाल——कोई ख़रीदार जब पूरा दाम देकर कोई जायदाद ख़रीदे तो वह उस जायदादके ज़िम्मे पड़े हुए भरणपोषणके ख़र्चका देनदार है या नहीं? इस बातपर अदालतोंमें बड़ा विवाद होचुका है। इस विषयमें क़ानून इन्तक़ाल जायदाद एक्ट नं० ४ सन् १८८२ दफा ३९ का ध्यान रखना चाहिये। नज़ीरोंमें भी उसीका समर्थन किया जाचुका है 2 Bom. 494; 12 B. L. R. 1075.

उक्त ३९ वीं दफा इस प्रकार है—"जब किसी ग़ैरमनकूला जायदादके मुनाफ़ेसे कोई आदमी भरणपोषणका ख़र्च या विवाहका ख़र्च पानेका अधिकारी हो और उसके ऐसे अधिकारके मारने की नीयतसे जायदादका इन्तक़ाल कियागया हो और यहबात ख़रीदारको मालूम हो तो वह ख़रदिार उन ख़र्चोंके देनेका पाबंद होगा; परंतु अगर ख़रीदारने पूरा दाम दिया हो और उसको किसीके ख़र्च पानेकी सूचना न हो, तो वह ज़िम्मेदार नहीं होगा।"

उदाहरण--जय नामके एक हिन्दूने इन्द्रपुर नामका गांव अपनी विधवा-भावज रत्नमयीको उसके भरणपोषणके लिये उसके नाम मुन्तक़िल कर दिया, और यह इक़रार किया कि अगर इन्द्रपुर रत्नमयीके क़ब्ज़ेमेंसे जाता रहे तो जय दूसरे गांवमें, जो गांव रत्नमयी को पसंद हो उतनीही ज़मीन उसको दे देगा। परंतु जयने वे दूसरे गांव गणेशके हाथ बेच दिये। गणेशने नेक नीयतसे उन्हें ख़रीद लिया और पूरा दाम दे दिया। जय और रत्नमयीके बीचके उस इक़रारकी ख़बर गणेशको कुछ न थी। रत्नमयी इन्द्रपुरसे बेदख़ल होगयी। ऐसी सूरतमें गणेशके ख़रीदे हुए गांवोंपर उसका कुछ दावा नहीं चलसकता।

(१) जिस डिकरीके द्वारा भरणपोषणका ख़र्च किसी जायदादपर डाला गया हो तो उसका पाबंद उस जायदादका ख़रीदार अवश्य होगा-देखो-कुलोदाप्रसाद बनाम जगेश्वर कुंवर 27 C.l. 194; 2 Bom. 494; परंतु यदि उस जायदाद पर कोई ऐसा क़र्ज़ा हो जिसका भरणपोषणके ख़र्चसे पहिले अदा किया जाना हिन्दूलॉके अनुसार ज़रूरी हो, या जिस क़र्ज़की पाबंद विधवा हो, ऐसी डिकरीके नीलामका ख़रीदार भरणपोषणका ख़र्च देनेके लिये पाबंद नहीं है-देखो—श्यामलाल बनाम बाना 4 All. 296; 5 All. 367.

जिस जायदादपर किसीके भरणपोषणका ख़र्च स्पष्ट रूपसे डाला गया हो वह जायदाद उस ख़र्चकी पाबंद होगी। अगर भरणपोषणका ख़र्च देने योग्य वारिसोंके हाथमें दूसरी कोई जायदाद भी हो तो वही जायदाद कि जिसपर उसका बोझ डाला गया है ख़र्च देनेकी पाबंद रहेगी दूसरी जायदाद नहीं होगी—देखो 4 All. 296-300.

(२) भरणपोषणके ख़र्च देनेका जो इक़रार क़ानून इन्तक़ाल जायदाद एक्ट नं. ४ सन १८८२ की दफा ५८-५९ में कही हुई रेहनकी शर्तोंके अनुसार किया गयाहो उसका ख़रीदार पाबंद होगा। अगर वैसे इक़रारके बाद भरणपोषण पानेवालेका क़ब्ज़ा जायदादपर होगया हो, पीछे वह बेंच दीगयी हो तोभी ख़रीदार पाबंद होगा। ख़रीदार अन्यप्रकारके इक़रार नामोंका पाबंद होसकता है अगर ख़रीदनेसे पहिले उसे उन इक़रारोंकी बात मालूम रहीहो।

(३) जब कि भरणपोषणका ख़र्च न तो किसी अदालती डिकरीसे और न किसी ऐसे इक़रारनामेसे जो रेहनके समान असर रखता हो जायदादपर डाला गया हो तो उस जायदादका ख़रीदार सिर्फ उस सूरतमें पाबंद होगा जब कि ज़ायदादका इन्तक़ाल किसीके

भरणपोषणके हक़के मारने की नीयतसे किया गया हो और ख़रीदारको उस नीयतकी ख़बर हो-देखो क़ानून इन्तक़ाल की दफा ३९ और देखो—2 Bom. 494; 10 C.W.N. 1074.

(४) परंतु जब ऐसी नीयतसे इन्तक़ाल न किया गया हो, या अगर ऐसी नीयतसे किया भी गया हो, मगर ख़रीदारको उस नीयतकी ख़बर न हो, या जायदादपर ख़र्चा डाला ही न गया हो तो ऐसी सूरतोंमें ख़रीदार भरणपोषणके ख़र्च देनेका ज़िम्मेदार नहीं हैं। ऐसे ख़रीदारकी नेकनीयतीका भी विचार अवश्य किया जायगा, उस जायदादपर किसीका भरण-पोषणका दावा है या नहीं और उसकी सूचना ख़रीदारको मिली हो या न मिली हो दोनों सूरतोंमें इस तरहकी जायदादका ख़रीदार भरणपोषणके ख़र्चका ज़िम्मेदार नहीं होगा—देखो—2 Bom. 494; 22 All. 326; 24 All. 160; 4 All. 296; 11 Cal. 102; 2 Mad. 126; 27 Cal. 551; 7 C. W. N. 764.

पहिलेके कई मुक़द्दमोंमें यह माना गया कि अगर नेकनीयत रखनेवाले ख़रीदारको उस जायदादपर किसीके भरणपोषणका दावा रहनेकी ख़बर न हो तो वह बेशक उसका पाबंद नहीं होगा; लेकिन साथही यह भी माना गया है कि अगर ख़रीदारको भरणपोषणके दावा होनेकी ख़बर हो या कमसे कम उसे यह मालूम हो कि ऐसा दावा होना संभव है और यह भी मालूम हो कि जो जायदाद मैं ख़रीद रहा हूं उसके मेरे हाथमें आजानेसे उस दावापर बुरा असर पड़ेगा तो वह पाबंद है--देखो—भगवतीदासी बनाम कनीलालमित्र 8 B. L. R. 225; 17 W. R. C. R. 433; 18 Bom. 679; 12 Bom. H. C. 69; 25 W. R. C. R. 100; 2 Agra 42; 12 Mad. 260-272; 12 Mad. 334; 12 Bom. L. R. 1075; 2 Bom. 494-517. या वह यह जानता हो कि मेरी ख़रीदी हुई जायदादकी सहायता बिना वह दावा पूरा नहीं किया जासकता तो ख़रीदार उस दावेका पाबंद हो जायगा--देखो 12 Mad. 260-269.

ऐसा भी कहा गया है कि जब विधवा अपने भरणपोषणके लिये वारिसोंके विरुद्ध सब उपाय करके हारगयी हो, या यह बात अच्छी तरहसे साबित करदे कि बेंची हुई जायदादके सिवाय और दूसरी कोई भी जायदाद भरणपोषणका ख़र्च देनेके लिये वारिसोंके हाथमें नहीं है तभी वह उस जायदादके ख़रीदारसे भरणपोषणका ख़र्च पासती है-देखो—अमीरनी नरायण कुमारी बनाम शोनामाली 1 Cal. 365; 2 Agra 134; 25 W.R.C.R. 100; परंतु इस काररवाईमें जो असुविधायेंहैं उन्हें बंबई हाईकोर्टने स्पष्ट करदिया है-2 Bom. 494.

भरतपुरस्टेट बनाम गोपालदेयी 24 All. 160 में कहा गया कि विधवाका भरण-पोषण पानेका हक़ जायदादपर उस समयतक अनिश्चित है जबतक कि उसके ऐसे ख़र्च पानेकी डिकरी जायदादपर न हो जाय या उस जायदादके संबंधमें कोई इक़रार न हो जाय पूर्वजोंके ज़िम्मेका क़र्ज़, पुत्रोंके यज्ञोपवीत, कन्याओंके विवाह आदि ऐसे काम हैं जिनके ख़र्च अदा करनेके पाबंद जायदादके वारिस हिन्दूलॉके अनुसार हुआ करते हैं; परंतु कोई नेकनीयत ख़रीदार इनका पाबंद नहीं होसकता—12 Bom. H. C. 69.

अपने जीवित पतिकी जायदादके ख़रीदारपर स्त्रीका अपने भरणपोषणके पानेका कोई हक़ नहीं है, परंतु अपने मृतपतिकी जायदादके ख़रीदारपर विधवाका अपने भरणपोषणके पानेका हक़ उपरोक्त सूरतोंके अनुसार होता है 12 Bom. H. C. 69-78.

दफा ७४४. दौरान मुक़द्दमेमें जायदादका इन्तक़ाल———भरणपोषणके दावेके मुक़द्दमेके दौरानमें अगर जायदादका इन्तक़ाल किया जाय तो भरणपोपणके हक़पर ऐसे इन्तक़ालका कुछ असर नहीं पड़ता-देखो—जायदाद इन्तक़ालका क़ानून एक्ट नं. ४ सन १८८२की दफा-५२; 27 Cal. 77; 4 C.W.N. 254; 27 Cal. 551; 4 C.W.N. 764.

हां अगर वह इन्तक़ाल किसी ऐसे क़र्ज़के अदा करनेके लिये किया गया हो जिसका अदा करना भरणपोषणका ख़र्च देनेसे पहिले ज़रूरी हो तो बेशक उस इन्तक़ालका पावंद वह फरीक़ भी होगा जिसने भरणपोषणके पानेका दावा किया हो-देखो—थिमक्काभट्ट वनाम कृष्णतंत्री 29 Mad. 508; अगर भरणपोषणका ख़र्च किसी ख़ास ज़ायदादपर डालनेका दावा न किया गया हो तो सबी जायदादपर उसका असर रहेगा; देखो—19 Mad. 271.

भरणपोषणके मुक़द्दमेके दौरानमें अगर सिर्फ दिखानेके लिये ज़रासी जायदाद छोड़कर वाक़ी सव इन्तक़ाल करदीगयी हो, और जो जायदाद छोड़ दीगयी हो उससे वह ख़र्च निकलही न सकता हो तो ऐसी सूरतमें ख़रीदार ज़िम्मेदार समझा जा सकता है।

दफ़ा ७४५. विधवाके क़ब्ज़ेकी जायदाद——जिस जायदादपर विधवाके भरणपोषणके ख़र्चका बोझहो और वह विधवाके क़ब्ज़ेमेंहो, और यह बात वारिस और ख़रीदारको मालूम होतो वह उस विधवाके ख़र्चका उचित प्रबंध किये विना उस जायदादको विधवाके क़ब्ज़ेसे नहीं ले सकता-देखो-18 Bom. 452; 8 Bom. H.C.A.C. 98; विधवाका क़ब्ज़ा होना ही इस बातका प्रमाण है कि उस जायदादपर उसके भरणपोषणके ख़र्चका बोझ है।

दफ़ा ७४६. जायदादकी बिक्रीके समयपर विधवाका हक़——जो जायदाद विधवाके भरणपोषणके ख़र्चकी ज़िम्मेदार हो उसकी बिक्रीके रुपयेपर भी विधवाका वही हक़ बना रहता; देखो 6 Mad 130; 2 Agra 134; 2 Bom 494.

अगर अपने पास रेहन रखी हुई कोई जायदाद, कोई वारिस भरणपोषणके ख़र्चके लिये देदे और पीछे वह जायदाद रेहन करनेवाला छुटा लेजाय तो उससे मिले हुए रुपये पर विधवाका हक़ होगा, देखो-गंभीरमल वनाम हमीरमल 21 Bom 747.

दफ़ा ७४७. भरणपोषणके दावाका हक़ कब पैदा होता है?——ज्योंही भरणपोषणका उचित ख़र्च देना रोक दिया जाय उसी समय उस ख़र्चके पानेका दावा करनेका अधिकार प्राप्त हो जाता है। 'ख़र्च देना रोक दिया गया है' यह बात इस तरहपर साबित की जासकती है कि वारिसोंने ख़र्च देनेसे इनकार किया तथा अन्य प्रकारसे भी यह बात साबित की जासकती है-देखो-मल्लिकार्जुनप्रसाद नैडू वनाम दुर्गाप्रसाद नैडू 17 Mad 362; 21 I. A. 151; 24 Mad 147; 5 C. W. N. 74; 2 Bom L. R. 945; 18 Mad 403; 17 Bom 45; 36 Bom 131; 13 Bom. L. R. 1023; 6 I. A. 114.

पीछेका ख़र्च वारिसके पास बाकी पड़ा है और वह हीला हवाला करता है या नहीं देता तो यह सूरतभी ख़र्च रोके जानेका प्रमाण है—देखो—21 I. A. 151; ऊपरकी नज़ीरें देखो। भरणपोषणका ख़र्च पानेका हक़ रखनेवाला अगर पहिले अपना भरणपोषण न मांगे और पीछे अपनी ग़रीबीके कारण उसको मांगना पड़े तो उसके ख़र्च पहिले न मांगनेका, और क़ानून मियादका भी कोई विरुद्ध असर नहीं पड़ेगा-देखो-सिद्धेश्वरीदासी वनाम जनार्दन सरकार 29 Cal 557; 6 C. W. N. 530; 4 Mad. H. C. 137.

दफ़ा ७४८. भरणपोषणका दावा——विधवा अपने भरणपोषणका ख़र्च पानेके लिये उन लोगोंपर दावा कर सकती है जो उस जायदादपर क़ाबिज़ हों कि जिससे विधवाको वह ख़र्च मिलना चाहिये, और वह यह भी दावा कर सकती है कि वे लोग उसके भरणपोषणका ख़र्च देनेकी ज़मानत दें, या उस जायदादपर उसके ख़र्चाका बोझ डाला जाय, और वह अदालतसे इस हुक्मके भी दिलाये जानेकी प्रार्थना कर सकती है कि वे लोग उस जायदादको न तो ख़राब करें और न इन्तक़ाल करें-देखो-12 Mad 260; 11 Cal 492.

भरणपोषणका ख़र्च जो बाक़ी हो उसके दिला पानेके लिये भी वह दावा कर सकती है या वह पिछला ख़र्च पाने और आगेके लिये ख़र्चका बोझ जायदादपर डाले जाने दोनोंका एक साथ दावा कर सकती है-पृर्थ्वीसिंह राजा बनाम राजकुंवर (1873) I A. Sup 203 ; 12 B.L.R. 238 ; 20 W.R.C.R. 21 ; 2 Mad. H.C. 36 ; 24 All 160.

भरणपोषणका पिछला ख़र्च अदालत दिला सकती है परंतु यह बिधवाके हक़के तौर पर नहीं, बलिक आदलतकी मरज़ी पर निर्भर है-देखो-रघुवंशकुंवरि बनाम भगवंत 21 All 183 ; अगर अदालत यह देखे कि पिछले ख़र्चका दावा करनेके समयतक दावा करनेवालेको अपने भरणपोषणके लिये कुछ ख़र्च नहीं करना पड़ा तो अदालत पिछला ख़र्च दिलानेसे इनकार कर सकती है। जिस जायदादपर विधवाके भरणपोषणके ख़र्चका बोझ हो उस जायदादपर क़ब्ज़ा पानेका दावा विधवा नहीं कर सकती।

नोट—ऊपर जितनी बातें विधवाके अधिकारके संबंधमें कही गयी हैं वेहीं उस स्त्रीसे भी लागू होंगी जो अपने पतिसे अलग रहकर भरणपोषणके ख़र्चके पानेका हक़ रखती हो। और उन लोगोंसे भी लागू होंगी जो भरणपोषणके पानेके अधिकार माने गये हैं।

दफा ७४९. फरीक़ मुक़द्दमा——जो जायदाद विधवाके ख़र्चकी ज़िम्मेदार हो वह जितने वारिसोंके क़ब्ज़ेमें हो उन सबपर या उनमेंसे किसी एकपर विधवा भरणपोषणके ख़र्च पानेका दावा कर सकती है 4 Bom. H. C. A.C. 73 ; 9 B.L.R. 11-27.

जबकि विधवाके ख़र्चका बोझ किसी जायदादपर इक़रारनामे या अदालती ड़िकरीके द्वारा डाला गया हो तो उस जायदादके किसी भी हिस्सेका कोई भी क़ाबिज़ उस ख़र्चका देनदार होगा। यह ज़रूर है कि वह आदमी वह ख़र्च देकर दूसरे हिस्सेदारोंसे उनके हिस्सेके अनुसार वसूल करले। सारांश यह कि फरीक़ वे सब लोग बनाये जायेंगे जो भरणपोषणके ख़र्च देनेके ज़िम्मेदार हैं या ऐसे ख़र्चकी ज़िम्मेदार जायदाद जिनके क़ब्ज़ेमें है।

दफा ७५०. भरणपोषणके दावेमें तमादी——क़ानून मियाद एक्ट नं० ९ सन १९०८ भाग १ दफा १२८ के अनुसार, भरणपोषणके ख़र्चके बक़ायाका दावा बारह वर्षके अंदर होना चाहिये। इससे स्पष्टहै कि भरणपोषणके ख़र्चकी रक़म उतनीही वसूलकी जासकती है जो बारह वर्षकी बाक़ीहो, ज्यादाकी नहींहो देखो-7 Mad. H.C 226; 2 Mad H.C. 36.

भरणपोषणका ख़र्च पहिले पहल मांगनेके बारेमें क़ानून मियादके अनुसार कोई बाधा नहीं पड़ती; वह हरसमय मांगा जासकता है। मगर जब एक दफा ऐसा ख़र्च मांगा गया हो और उसके देनेसे इनकार कर दिया गया हो तो इनकार करनेकी तारीख़से बारह वर्षके अंदर वह दावा अवश्य अदालतमें दाख़िल कर देना ज़रूरी है, क्योंकि यदि ऐसा न किया गया तो फिर तमादीहो जायगी देखो उक्त क़ानून मियाद Arts. 129-132 ; 5 Bom 68.

दफा ७५१. फौजदारी अदालतमें भरणपोषणका दावा——ज़ाबता फौजदारी एक्ट नं० ५ सन १८९८ के चेपटर ३६ के अनुसार अपने भरणपोषणका ख़र्च वसूल करनेके लिये हिन्दू स्त्री फौजदारी अदालतमें अपने पतिपर दावा कर सकती है। मजिस्ट्रेटका हुक्म दीवानी अदालतके अधिकारमें बाधा नहीं डालता-देखो-30 Mad 400.

स्त्री-धन।

तेरहवाँ-प्रकरण।

हिन्दूलॉमें 'स्त्रीधन' का प्रकरण भी कुछ कठिन है। स्त्रीधनका वारिस कौन है? इस बातके जाननेके लिये पहिले यह निश्चित करना होगा कि वह धन स्त्रीको कब और किस समय मिला था, तथा स्कूलके प्रकरणमें कहे हुए स्कूलोंमें मान्य ग्रन्थोंकी उस धनके बारेमें क्या राय है, स्त्री संतानवाली है या संतानरहित, संतानरहित स्त्रीके स्त्रीधनकी वरासत और भी मुशकिल है। जबतक पिछले प्रकरणोंका ज्ञान प्राप्त न हो तबतक स्त्रीधन ठीक समझमें नहीं आसकेगा, इस लिये पाठकोंको चाहिये कि पिछले प्रकरण और स्कूलोंमें मान्य ग्रन्थोंके मतभेदको भली भांति जानलें फिर उन्हे स्त्रीधनके समझनेमें दिक़त न होगी। यह प्रकरण दो भागोंमें विभक्त किया गया है-(१) स्त्रीधन; दफा ६५२ से ७६१ तक और (२) स्त्रीधनकी वरासत दफा ७६२ से ७७२.

(१) स्त्री-धन।

दफा ७५२. स्त्रीधन शब्दका अर्थ—'स्त्रीधन' शब्दकी उत्पत्ति मिताक्षरामें यों है।

'स्त्रीधनशब्दश्च योगिको न पारिभाषिकः योगसंबंधे परिभाषाया अयुक्तत्वात्'

स्त्रीधन शब्द योगिक है; 'स्त्री' और 'धन' इन दो शब्दोंके योगसे स्त्रीधन शब्दकी उत्पत्ति है। शब्द कल्द्रुमके पेज ४४० में स्त्रीधन शब्दका अर्थ स्पष्ट किया गया है। 'स्त्रीधन' नपुंसकलिंग है। देखो शब्द कल्पद्रुम—

'स्त्रिया-धनम्, स्त्रीधनम् स्त्रीस्वत्वास्पदीभूतधनम्'

षष्ठीतत्पुरुष समास करनेसे 'स्त्रीधन' शब्दका अर्थ होगा स्त्रीका धन। जिस धनमें स्त्रीका पूरा अधिकार हो वह स्त्रीधन है यही अर्थ मिताक्षरा भी मानता है।

धन शब्दसे स्थावर और जंगम जायदादका बोध होता है। स्त्रीके पास दो तरहका धन रहता है एक तो ऐसा धन जिसमें उसे पूरा अधिकार जैसे रेहन करने या बेच देने आदिका प्राप्त रहता है वही स्त्रीधन कहलाता है; और दूसरा वह धन जिसमें स्त्रीका पूरा अधिकार नहीं रहता सिर्फ वह अपने जीवनभर उस जायदादकी मालिक रहती है और उसे रेहन या बय नहीं करसकती जैसे पतिसे पाई हुई उत्तराधिकारके द्वारा जायदाद। इस लिये स्त्रीके पास जो जायदाद हो वह दो तरहपर तक़सीमकी जासकती है—

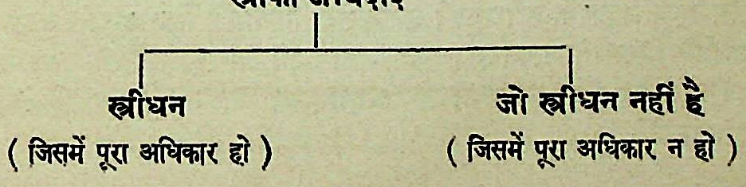

दायभागमें जीमूतवाहनने इस शब्दका अर्थ यह कियाहै कि अपने पतिके अधिकारसे बाहर स्त्रीके पास जो धनहो और जिसमें स्त्री स्वतंत्रतापूर्वक किसीको देदेने, या बेंच देने या अपनी मरज़ीके अनुसार काममें लानेकी अधिकारिणीहो वह स्त्रीधन है। देखो दायभाग अ०४-१८।

'स्त्रीधनं यत्र भर्तृतः स्वातन्त्रेणदान बिक्रय भोगान् कर्तु मधिकरोति
च स्त्रीणां स्वातन्त्रेण विनियोज्यं स्त्रीधन मित्यर्थः'

दफ़ा ७५३. स्त्रीधन क्या है——स्त्रीधन क्या है और वह कितने प्रकारका होताहै इस विषयपर स्मृतियोंके बचन देखिये--

अध्यग्न्य ध्यावाहनिकं दत्तं च प्रीति कर्मणि
भर्तृ मातृ पितृ प्राप्तं षड्विधं स्त्रीधनं स्मृतम् । मनु ९-१९४

मनु ६ प्रकारका स्त्रीधन बताते हैं १ अध्यग्नि २ अध्यावाहनिक ३ प्रीति दत्त ४ भर्तृदत्त ५ मातृदत्त और ६ पितृदत्त । आगे दफ़ा ७५५ में इनका बिस्तारसे वर्णन किया गया है। विष्णु और नारदने भी माना है, देखो--

पितृ मातृ सुत भ्रातृ दत्तमध्यग्न्युपागतम्
आधिवेदनिकं बन्धु दत्तं शुल्कान्वाध्येयकमिति । विष्णुः

अध्यग्न्यध्यावाहनिकं भ्रातृ दायस्तथैव च
भ्रातृ मातृ पितृ प्राप्तं षड्बिधं स्त्रीधनं स्मृतम् । नारदः १३-८

कात्यायनने स्त्रीधन वैसाही माना है जैसा कि मनुने, याज्ञवल्क्यने कुछ फरक़के साथ माना है, इसलिये भिन्न भिन्न स्कूलोंमें भिन्न भिन्न तरहका अर्थ करनेसे स्त्रीधन के रूपमें फरक़ पड़गया-याज्ञवल्क्य के अनुसार स्त्रीधन वह है—

पितृ मातृपतिभ्रातृ दत्तमध्यग्न्युपागतम्
आधिवेदनिकाद्यं च स्त्रीधनं परिकीर्तितम् ।
बन्धुदत्तं तथा शुल्क मन्वाधेयकमेवच ।

१ विवाहाग्निके समय जो धन पिता, माता पति, और भाइयोंसे मिले, २ आधिवेदनिक ३ बन्धुओंका दियाहुआ धन ४ शुल्क और ५ अन्वाधेय, इतने प्रकारके स्त्रीधन बताकर 'आद्यं च' का पद दिया है जिसका अर्थ है इत्यादि । मिताक्षरामें कहा है कि—

आद्य शब्देन रिक्थक्रयसंविभाग परिग्रहाधिगम प्राप्तमेतत्
स्त्रीधनं मन्वादिभिरुक्तम् स्त्रीधन शब्दश्च यौगिको न पारिभाषिकः

मिताक्षरामें कहागया है कि जो कुछ भी धन जायज़ तौरसे स्त्रीके क़ब्ज़ेमें हो वह सब स्त्रीधन है, देखो-(1903) 30 I.A. 202-205; 25 All 468-472; 7 C.W.N. 831; 5 Bom. L.R. 828-24 Bom. 192; 19 Mad 110-118.

शुल्क़ और अन्य प्रकारके स्त्रीधनकी वरासतके नियमोंमें मिताक्षराने कुछ भेद रखा है परंतु स्त्रीधन उन्होने भिन्नभिन्न प्रकारका नहीं माना । जो जायदाद किसी पुरुष या स्त्रीसे उत्तराधिकारमें मिली हो उन दोनों प्रकारकी जायदादमें कुछ भेद नहीं माना है-देखो गांधी मगनलाल बनाम जादव 24 Bom 192-217; 1 Bom. L. R. 574.

चाहे स्त्री विवाहिता हो या क्वारी जो कुछ भी धन उसको जायज़ तौरसे प्राप्त हुआ हो वह उसका स्त्रीधन है ; देखो-मिताक्षरा-

‘ पित्रादि दत्तं विवाहात्पूर्वं परतो वा ’

मयूख—मयूख भी मिताक्षराकी भांति स्त्रीधनके भिन्न भिन्न प्रकारोंको नहीं मानता। पुरानी स्मृतियोंमें जितने प्रकारके स्त्रीधन बतायेगये हैं उनके सिवाय मयूखने केवल उत्तराधिकारके उद्देशसे और भी कई प्रकारके स्त्रीधन माने हैं ; देखो-मनीलाल रेवादत्त बनाम रेवाबाई 17 Bom. 758-769 ; 8 Bom. H. C. O. C. 244-260.

प्राचीनधर्मशास्त्र—प्राचीन आचार्योंने स्त्रीधन उस धनको माना है जो स्त्रीको विवाहके समय या विवाहके पश्चात् मिला हो। परंतु स्त्रीधनके रूपका यह पूर्ण वर्णन नहीं होसकता; क्योंकि वर्तमान समयमें लोगोंके आचार विचार और रसम रवाजमें बहुत परिवर्तन होजानेसे स्त्रीको अपना पैदा कियाहुआ धन प्राप्त करनेकी भी कुछ सूरतें निकल आयी हैं, जैसे अपने उद्योगसे कोई काम करके या व्यापार आदिमें अपना रुपया लगाकर स्त्री कुछ धन प्राप्त करसकती है और यह धन उसका स्त्री धन होसकता है।

दफा ७५४. स्त्रीधनका बार सुबूत——अमुक जायदाद स्त्रीधन है या नहीं इस विषयमें बार सुबूत किसके ऊपर होगा इसका कोई ख़ास नियम नहीं है। हां यदि कोई जायदाद जो स्त्रीके कब्ज़ेमें न हो और स्त्री उसे अपना स्त्रीधन बताये तो बार सुबूत अवश्य स्त्रीपर होगा ; देखो—रामविजय बहादुरसिंह बनाम इन्द्रपालसिंह 26 I.A. 226 ; 26 Cal 871; 4 C. W. N. 1 ; 2 Bom. L. R. 1 ; नरायन बनाम कृष्णा 8 Mad 214 ; 8 Cal 545 ; 11 Cal L. R. 41 और देखो मेनहिन्दूलॉ 7 ed P. 590.

दफा ७५५. स्त्रीधन कितने तरहका है——जिस जिस समय स्त्रीने धन प्राप्त किया हो उसीके अनुसार स्त्रीधनके भिन्न भिन्न प्रकार समझे जाते हैं। यौतक और अयौतक ऐसे दो प्रकारके स्त्रीधन कहेगये हैं—

(क) यौतक—वह धन है जो विवाहके समय मिला हो।

(ख) अयौतक—वह धन है जो दूसरे किसी समय मिला हो-दायक्रम संग्रहः।

नीचे लिखी हुई रीतियोंसे स्त्रीको जो धन मिले उसीको शास्त्रोंमें स्त्रीधन कहा है

(१) विवाहके समय प्राप्त धन अर्थात् (यौतक) इसमें निम्न लिखित दो प्रकार शामिलहैं।

(क) अध्यग्निक—यह वह स्त्रीधन है जो ठीक विवाहाग्निके सन्मुख मिले-देखो—

विवाहकाले यत् स्त्रीभ्यो दीयते ह्यग्निसन्निधौ
तदध्यग्नि कृतं सद्भिः स्त्रीधनं परिकीर्तितम्। कात्यायनः
विवाहकाले अग्निसन्निधौयत् पित्रादिदत्तं तदध्यग्नि स्त्रीधनम्।

मनु ९-१९४ कुल्लूकभट्टः और देखो, 13 C. W. N. 994.

(ख) अध्यावाहनिक—यह वह स्त्रीधन है जो विवाहकी बारातके समयमें स्त्रीको मिले या विवाह कृत्योंके अंदर किसी समय मुख्य कृत्यके पहिले या पीछे लेकिन विवाहके उत्सवके अंदर मिले, देखो—

यत् पुनर्लभते नारी नीयमाना पितुर्गृहात्
अध्यावाहनिकं नाम स्त्रीधनं परिकीर्तितम्। कात्यायनः

और देखो-16 W. R. C. R. 115.

जहांपर ऐसा प्रश्न उठे कि जो धन स्त्रीको अमुक रसममें दियागया है वह रसम विवाहमें शामिलही नहीं है तो इस बातका फैसला उस जाति या ज़िलेकी रवाजके अनुसार होगा बिस्टो प्रसाद बनाम राधासुंदरनाथ 16 W. R. C. R. 115.

दायभागके सिवाय और सबका यह मतहै कि विवाहके समय रिश्तेदारों या दूसरे आदमियोंसे जो धन मिला हो वह भी स्त्रीधनमें शामिल है । देखो—कोलब्रुक डाइजेस्ट Chap 8 P. 559-560.

(२) शुल्क—अर्थात् वह द्रव्य जो लड़केवाला लड़कीवालेको लड़कीके लिये देता है। पहिले यह द्रव्य लड़कीके मूल्यके तौरपर उसके पिताको दियाजाता था परंतु जब यह पृथा बर्जित हुई तो पिता यह द्रव्य लड़कीके वास्ते लेता है और दहेजमें लड़कीको दे देता है इस लिये यह धन स्त्रीका स्त्रीधन होजाता है; देखो—

गृहोपस्करवाह्यानां दोह्या भरण कर्मणाम्
मूल्यं लब्धं तु यत् किंचिच्छुल्कं तत् परिकीर्तितम् । कात्यायनः

और देखो घोषहिन्दूलॉ 2 ed P. 314.

वीरमित्रोदयके अनुसार शुल्क वह है जो दुलहन या विवाहिता स्त्रीको उसके घरके असबाव, आभूषण, गायबैल आदिके बदलेमें दियाजाता है।

मदनरत्नमें यह बताया गया है कि घरेलू सामान आदिके मूल्यके तौरपर वरपक्षसे जो धन लियाजाय और जिसके बदलेमें कन्याका विवाह कियाजाय वह शुल्क है । मिताक्षराकार कहते हैं कि---

‘ शुल्कं यद्गृहीत्वाकन्यादीयते ’

शुल्क वह है कि जिसको लेकर कन्याका विवाह कियाजाय परंतु इन दोनों ग्रन्थोंमें जो कुछ कहा है उसका मतलब यही है कि पिता या ऐसाही और कोई कुटुम्बी शुल्कके तौरपर जो द्रव्य लेता है वह इसलिये लेता है कि वह द्रव्य कन्याको देदिया जाय, यदि ऐसा न होता तो शुल्कको स्त्रीधन माननेका कोई कारण न था ।

ब्यास---कहते हैं कि वरके घर वधूके लानेके लिये जो धन दियाजाय वह शुल्क है । मनु शुल्ककी निंदा करते हुए कहते हैं कि यदि ऐसा धन लियाजाय तो वह स्त्रीधन है।

आददीत न शूद्रोऽपि शुल्कं दुहितरं ददन्
शुल्कं हि गृह्णन्कुरुते छन्नं दुहितृबिक्रयम् । मनुः ९-९८

शास्त्रानभिज्ञः शूद्रोऽपि पुत्रीं ददच्छुल्कं न गृह्णीयात् किं पुनः शास्त्रविद्
द्विजातिः यस्माच्छुल्कं गृह्णन्गुप्तं दुहितृ बिक्रयं कुरुते । कुल्लूकः

शास्त्रका न जाननेवाला शूद्र भी लड़की देनेके लिये शुल्कको न ले और जो शास्त्रके जाननेवाले द्विजाति तो ऐसा करी नहीं सकते । जिसने शुल्क लेकर कन्यादी उसने गुप्त रीतिसे मानो कन्याकी बिक्रीकी । मनु यह भी कहते हैं कि पहिले ज़मानेमें सभ्यसमाजमें यह चाल नहींथी और न इस ज़मानेमें है । शुल्ककी तौरपर जो धन पतिके पाससे लड़कीका पिता या माता लेती है वह अपने पास रखनेके उद्देशसे नहीं लेती बल्कि उसे लड़कीको लौटा देती है इसासिये वह धन स्त्रीधनहै अगर लौटाया नहीं जाता तो स्त्रीधन नहीं होता।

जी, सी, सरकारने अपने हिन्दूलॉ के 3 ed. P. 365 में कहा है कि बंगाल और संयुक्त प्रांतमें वरका मूल्य (ठहरौनी) की जो पृथा है उसमें मिलाहुआ द्रव्य स्त्रीधन मानाजाना

चाहिये अर्थात् कन्याकी तरफसे जो धन, लड़का व्याहनेके बदलेमें ठहरौनीका जो धन है वह स्त्रीधन मानना चाहिये। मगर क़ानूनमें इसकी व्यवस्था नहीं की गयी है।

(३) आधिवेदनिक--अर्थात् वह धन जो पति अपना दूसरा विवाह करनेके समय पहिली स्त्रीको हरजानेके तौरपर दे। देखो मिताक्षरा--

आधिवेदनिकं अधिवेदन निमित्तम् अधिविन्न स्त्रियै दद्यादिति।
तथा दायभागे-यच्च द्वितीय स्त्री विवाहार्थिना पूर्वस्त्रियै पारितोषिकं
धनं दत्तं तदाधिवेदनिकम् अधिक स्त्रीलाभार्थत्वात्तस्य।

(४) अन्वाधेयक--अर्थात् वह धन जो किसी स्त्रीको विवाहके पश्चात् अपने या अपने पतिके कुटुम्बियोंसे मिले; देखो मिताक्षरा--

अन्वाधेयकं परिणय नादनुपश्चादाहितं दत्तम् उक्तंच कात्यायनेन
विवाहात् परतोयच्च लब्धं भर्तृकुलात्स्त्रिया, अन्वाधेयंतुतद्द्रव्यं
लब्ध पितृ कुलात्तथेति, स्त्रीधन परिकीर्तित मितिगतेन संबंधः।

और देखो—वसंत कुमारी देवी बनाम कामाक्षा कुमारी देवी 32 I. A. 181; 33 Cal 25; 10 C. W. N. 1; 7 Bom. L. R. 904; राम गोपाल भट्टाचार्य बनाम नरायनचन्द्र बंदोपाध्याय 33 Cal 315; 10 C.W.N. 510; 3 Bom. L.R.201; 28 Cal 311; तथा मनुका वचन देखो ९ अ०१९५ श्लो०; व्यवहार मयूख और स्मृति चन्द्रिका कामत है कि गहने स्त्रीको केवल पहिननेके लिये दिये गये हों वह उसका स्त्रीधन नहीं है।

(५) भरणपोषणके खर्चेके लिये-या उसके बदलेमें जो जायदाद स्त्रीको दी गयी हो वह स्त्रीधन है। देखो देवलका वचन—

बृत्तिराभरणं शुल्कं लाभश्च स्त्रीधनं भवेत्। बृत्तिः ग्रासाच्छादनावशिष्टम्।

देवल कहते हैं कि 'वृत्ति' भरणपोषणके लिये, जो धन मिले वह स्त्रीधन है। दुर्गाकुंवर बनाम तेजोकुंवर 5 W. R. M. A. 53; 1 Mad 166; 28 Mad 1.

परंतु यह माना गया है कि बटवारेके समय जो जायदाद स्त्री या विधवाको मिले वह स्त्रीधन नहीं है। किंतु भरणपोषणके ख़र्चेका मिला हुआ रुपया या जायदादमेंसे जो दूसरी जायदाद ख़रीदी जाय वह भी स्त्रीधन है; देखो-सुब्रह्मण्यमन चट्टी बनाम अरुणाचेलम चट्टी 28 Mad 1; 16 W. R. C. R. 76.

(६) क्वारेपनका धन—विवाहके पहिले क्वारेपनमें जो जायदाद स्त्रीके क़ब्ज़ेमें रही हो चाहे वह किसीकी दानकी हुई हो या किसी तरहसे भी मिली हो स्त्रीधन है। देखो—जोधनाथ सरकार बनाम वसंतकुमार राय चौधरी 11 B.L.R.286; 19W.R.C.R.264.

(७) प्रीतिदत्त--अर्थात् पतिका दिया हुआ पुरस्कार चाहे वह स्थावर हो या जंगम स्त्रीधन है। इस विषयमें नारद कहते हैं कि--

भर्त्रा प्रीतेन यद्दत्तं स्त्रियै तस्मिन् मृतेऽपितत्
सा यथा काम मश्नीयात् दद्याद्वा स्थावराहते। नारदः
भर्तृदत्त विशेषणात् भर्तृदत्तस्थावराद्रते अन्यत्
स्थावरं देयमेव भवति अन्यथा यथेष्टं स्थावरेष्व
प्रीति विरुध्येत्--दायभागे—अ० ४

नारदका कहना है कि स्थावर जायदादको छोड़कर पति सब कुछ देसकता है। यही बात दायभागमें कही गयी है-श्रीकृष्णतर्कालंकारने दायभागपर सुबोधिनी टीकामें स्पष्ट कह दिया है ' स्थावर मात्रेदान निषेधं इत्यर्थः ' मगर अब यह बात क़ानूनमें नहीं मानी जाती। देखो—2 Mad. 333; 8 Cal. L. R. 309; 1 Mad. 281; मु० वधा बनाम विश्वेश्वरदास 6 N. W. P. 279; जो गहने पतिने लेन देन (व्यापार) के मतलबसे या इस उद्देशसे कि उसकी स्त्री उन गहनोंको ख़ास मौक़ोंपर पहिने तो वह स्त्रीधन नहीं हैं। देखो-सरकार हिन्दूलॉ 3 ed. P. 365; 6 N. W. P. 279.

स्त्रीधन प्राप्तिके अन्यमार्ग

(८) वह धन जो भेंटोंके तौरपर कुटुम्बी या इष्टमित्र आदि विवाहके बाद स्त्रीको दें वह भी स्त्रीधन है। बीरमित्रोदय, दायभाग, और स्मृतिचन्द्रिकाने ऐसे धनको स्त्रीधन माना है परंतु उसपर पतिका अधिकार भी माना है; क्योंकि वह भेंटें वास्तवमें पतिके लिये समझी गयी हैं। बनर्जीके हिन्दूलॉ आफ़ मेरेज 2 ed. 275 में कहा है कि आम क़ायदा यही है कि स्त्रीको जो धन उसके कुटुम्बियोंसे मिले-और उसके गहने तथा कपड़े, और दूसरे लोगोंसे जो भेंटें वैवाहिक अग्निके सामने मिलें वही उसका स्त्रीधन है; दूसरे किसी समय जो कुछ भेंटें आदि उसे दूसरे आदमियोंसे मिलें या जो धन स्त्री अपनी मेहनत या बुद्धिसे कमाये वह स्त्रीधन नहीं है।

(९) सरकारसे प्राप्त धन--सरकारी सनदसे जो जायदाद स्त्रीको मिले और उसपर उस स्त्रीका पूरा अधिकार हो वह स्त्रीधन है और वह जायदाद स्त्रीके वारिसोंको मिलेगी-देखो—ब्रजेन्द्र बहादुरसिंह बनाम जानकी कुंवर 5 I. A. 1; 1 C. L. R. 318.

बंबई और मदरास प्रांतमें इस तरहपर इनामकी जायदाद जो किसी विवाहिता स्त्रीको मिले वह भी स्त्रीधन है-देखो--सलेम्मा बनाम लछमना रेडी 21 Mad. 100.

(१०) खुद कमाया धन--जो धन स्त्रीने विवाहसे पहिले या पीछे अपनी दस्तकारी, मेहनत और बुद्धिके द्वारा कमाया हो वह स्त्रीधन है; यह बात बनारस और महाराष्ट्र स्कूलमें मानी गयी है, दूसरी जगह नहीं मानी जाती। मेकनाटन हिन्दूलॉ 2 Vol. P. 241 में कहा है कि जो धन स्त्रीने दस्तकारी जैसे सीना, काढ़ना, चित्रकारी आदिसे पैदा किया हो वह सब स्त्रीधन है। बनर्जी लॉ आफ़ मेरेज 2 ed. P. 309 भी देखो। बनारस और महाराष्ट्रस्कूलके सिवा दूसरे स्कूलोंमें कात्यायनकी बात मानी जाती है।

प्राप्तं शिल्पैस्तुयद्वित्तं प्रीत्याचैवयदन्यतः
भर्तुः स्वाम्यं भवेत्तत्र शेषं तु स्त्रीधनं स्मृतम्। कात्यायनः

दायभाग कहता है कि 'अन्यत इति पितृ मातृ भर्तृ कुलव्यतिरिक्तात् यल्लब्धं शिल्पेन वा यदर्जितं तत्र भर्तुः स्वाम्यं स्वातन्त्र्यम् अनापद्यपि भर्ता ग्रहीतु मर्हति, तेन ख्रियाऽपिधनं न स्त्रीधन मस्वातन्त्र्यात्-दायभागः। कात्यायन और दायभागका कहना है कि पति आपद्कालमें स्त्रीसे वह सब धन जो उसने शिल्प आदिसे, या किसी दूसरे प्रकारसे प्राप्त किया हो लेसकता है; इससे वह स्त्रीधन नहीं है।

(११) उत्तराधिकार आदिका धन—मिताक्षरामें 'आद्यंच' इस पदके कहनेसे यह अर्थ है कि जो धन स्त्रीको वरासतमें या बटवारेमें मिला हो या किसीका धन उसने ज़ब्त कर लिया हो या कहीं पड़ा मिलाहो सब स्त्रीधन है। आगे कहा है कि यदि अन्य किसी

तरहपर जो प्राप्त किया हो वह भी स्त्रीधन है; देखो-8 Bom. H. C. O. C. 244-260, मगर यहांपर यह ध्यान रखना कि ऐसा धन स्त्रीधन नहीं माना जाता; इसमें संदेह है।

वीरमित्रोदय, स्त्रीधनकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि जिस धन या जायदादकी मालिक स्त्री हो वही स्त्रीधन है परंतु वरासतमें मिली हुई जायदाद स्त्रीधनमें शामिल नहीं मानी गयी। मगर बंबईमें वरासतसे मिली हुई जायदाद स्त्रीधन अवश्य मानी जायगी-देखो-भगवानद्विवे बनाम मीनाबाई 11 M. I. A. 487; 9 W. R. P. C. 23; ठाकुर देवी बनाम बालकराम 11 M. I. A. 139; 10 W. R. P. C. 4.

यद्यपि वरासत या बटवारासे मिली हुई जायदादपर बंबई स्कूलके अलावा स्त्रीका पूरा अधिकार नहीं होता मगर उस जायदादकी आमदनीपर पूरा अधिकार होता है इस लिये सब स्कूलोंने यह माना है कि ऐसी जायदादकी आमदनी या उस आमदनीकी बचतसे दूसरी कोई ख़रीदी हुई अथवा रेहन रखीहुई जायदाद सब स्त्रीधनहै; देखो-33Cal.315;10C.W.N.550.

(१२) अपने धनसे ली हुई जायदाद आदि—अपने रुपयासें जो जायदाद स्त्रीने ख़रीदी हो या अपने पूर्ण अधिकारमें आई हुई जायदादको बेचकर ख़रीदी हो या उसके बदलेमें दूसरी ली हो उसपर उस स्त्रीका पूर्ण अधिकार है और वह जायदाद चाहे स्थावर हो या जंगम, वसीयत नामाके द्वारा या दूसरी तरह जैसा उसका जी चाहे देकती है क्योंकि वह स्त्रीधन है; देखो 28 Mad 1; 8 Cal. L. R. 304.

(१३) क़ब्ज़ा मुख़ालिफ़ाना—यानी जो जायदाद बारह वर्षसे ज़्यादा क़ब्ज़ेमें रहनेके कारण उस स्त्रीकी होगई हो उसपर उसका पूरा अधिकार है और वह स्त्रीधन है। ऐसी जायदाद स्त्रीके वारिसोंको मिलेगी-देखो-श्यामकुंवर बनाम दाहकुंवर 29 I. A. 132; 29 Cal 664; 4 Bom L.R. 547; 22 I.A. 25; 22 Cal 445; 25 All 435; 23 All 448; 33 All 312; 10 Bom. L.R. 216; 23 Cal 942; 2 C. W. N. 861.

(१४) सौदायिक—यह वह धन या जायदाद है जो स्त्रीको उसका पति या स्त्रीके कुटुम्बी या पतिके कुटुम्बी विवाहके पहिले या पीछे स्त्रीको दें या उसके नाम लिखजायें। इसमें यदि उसके पतिने कोई भूमि दी हो परंतु स्पष्ट यह न कहा हो कि उस भूमिपर उस स्त्रीका पूरा अधिकार है तो ऐसी भूमिके सिवाय और सब सौदायिक जायदाद या धन, स्त्रीधन है। सौदायिक जायदाद या धनके बदलेमें जो जायदाद हासिलकी जाय वह भी स्त्रीधन है। देखो वेंकट रामराव बनाम बेंकट सुरैय्याराव 2 Mad 333; 8 Cal. L. R.304.

हिन्दू स्त्री अपनी ज़िंदगीमें जायदाद अलग करनेका जितना अधिकार रखती है; उसीके अनुसार अपने बाद भी वह अपने वसीयत नामेके द्वारा काममें लाकती है अर्थात् उसकी ज़िंदगीमें जो सूरत थी मरनेके बाद बदल नहीं जायगी। शास्त्रोंमें इसका वर्णन इसप्रकार है—

ऊढ़याकन्ययावापि पत्युः पितृगृहेथवा
भर्तुः सकाशात् पित्रोर्वा लब्धं सौदायिकं स्मृतम्।
सौदायिकं धनं प्राप्य स्त्रीणां स्वातन्त्र्य मिष्यते
यस्मात्तदा नृश स्यार्थं तैर्दत्तं तत्प्रजीवनम्।
सौदायिके सदा स्त्रीणां स्वातन्त्र्यं परिकीर्तितम्
बिक्रये चैव दानेच यथेष्टं स्थावरे ष्वपि।:कात्यायनः
सुदायसंबन्धिभ्यो लब्धं सौदायिकम्। दायभागे

विवाही हुई कन्याको पतिके घरपर या पिताके घरपर भाई या माता—पितासे जो धन

मिले वह सौदायिकहै। इस धनपर स्त्रीका पूरा अधिकार होताहै। वह चाहे ऐसे धनको बेचदे या दान करदे या जैसा जीमें आवे करे। उसे कोई रोक नहीं सकता ; क्योंकि वह सब स्त्रीधन है। यही बात क़ानूनमें भी मानी गयी है-देखो-भाई या चाचाके पुत्रका दिया हुआ धन स्त्रीधन है-6 Ben. Sel. R. 77 (2 ed. 90); पुत्रका दिया हुआ धन स्त्रीधन है-दुर्गा-कुंवर बनाम तेजकुंवर (1866) 5 W. R. M. R. 53; बापका दिया हुआ धन स्त्रीधन है-मदवाराय्या बनाम तीर्थसामी 1 Mad. 307; पतिका दिया हुआ धन स्त्रधिन है-जीवन पण्डा बनाम सोमा 1 N. W. P. 66; 10 W. R. C. R. 139; 2 Mad. 338; 8 Cal. L. R. 304; 6 N. W. P. 279; भाईका दिया हुआ धन स्त्रीधन है-वसंत कुमारी देवी बनाम कामाक्षा देवी 32 I. A. 181; 33 Cal. 23; 10 C. W. N. 1; 7 Bom. L- R. 904; मुनियां बनाम पूरन 5 All. 310; 1 Cal. 275; इस कलकत्तेके केसमें पतिके बापकी बहनके लड़केने धन दिया था; 30 Bom. 229; 7 Bom.L.R.936.

जब पतिने हिबानामा या वसीयतके द्वारा धन दिया हो--दामोदर माधोजी बनाम परमानन्ददास जीवनदास 7 Bom 155; 11 B. L. R. 286; और जब बापने ऐसा धन दिया हो-19 W. R. C. R. 264.

दफा ७५६. स्त्रीधनके ख़र्च करनेका अधिकार——क्वारेपनमें सिर्फ नाबालिग़ीके कारण जो अयोग्यता होती है उसके सिवाय और कोई रोक क्वारी स्त्रीके लिये अपना स्त्रीधन ख़र्च करनेमें नहीं है; अर्थात् क्वारेपनमें भी उसे स्त्रीधनपर पूरा अधिकार ख़र्च करनेका होताहै। गार्डियनकी हैसियतसे उसके पिता आदि भलेही प्रबंध करें-मगर वे उसका अधिकार रोक नहीं सकते, देखो बनर्जीका लॉ आफ् मेरेज 2 ed. P. 314, 338. ब्याहके बाद भी उसका ऐसाही अधिकार स्त्रीधनपर बना रहता है।

दफा ७५७. स्थावर जायदादका दान——हिन्दू विल्स एक्ट जिन मामलोंसे लागू हो उनके सिवाय और सब मामलोंमें पति जो जायदाद ग़ैरमनकूला अपनी स्त्रीको दानके तौरपर दे मगर स्पष्ट रूपसे यह न कहे कि उस जायदादपर स्त्रीको पूरा अधिकार दिया गया है तो उस जायदादमें स्त्रीका उतनाही अधिकार होता है जितना कि विधवाका होता है; अर्थात् वह जायदाद स्त्रीधन नहीं समझी जायगी—देखो 34 Bom. 349; 12 Bom. L. R. 157; 34 Bom. 287; 24 Cal. 646; 27 All. 364; 19 All. 133; 1 All. 734; 2 Agra 230; 27 Mad. 408; 30 All. 84, 10 All. 495; 30 Bom. 431; 4 Bom. L. R. 555.

परंन्तु अगर इसी तरहसे मनकूला जायदाद दीगयी हो तो यह शर्त लागू नहीं होगी; वह स्त्रीधन समझी जायगी; देखो 2 Mad. 333; 8 Cal. L. R. 304; और न उस जायदादसे लागू होगी जिसपर विधवाने अपने पतिके कुटुम्बियोंसे समझौता करके जायदादपर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया हो; 31 Mad. 179; अगर अधिकार मिल गया हो तो उसमें इन्तक़ालका अधिकार भी समझा जायगा और विधवा उस जायदादको रेहन और बय और दान करसकती है चाहे इन्तक़ालका अधिकार स्पष्ट न भी दिया गया हो; देखो—35 I. A. 17; 30 All. 84; 12 C. W. N. 231; 10 Bom.L. R. 59; 19 All. 133; 5 Cal. 684; 5 C. W. N. 300-303.

हिन्दू विल्स् एक्टके अनुसार ग़ैरमनकूला जायदाद जो अपनी स्त्रीको दीगयी हो वह स्त्रीधन समझी जायगी क्योंकि उसपर स्त्रीका पूरा अधिकार होजाता है।

दफा ७५८. अदालत क्या मानेगी——जब कोई हिन्दू पुरुष अपने कुटुम्बीकी

किसी स्त्रीको कोई जायदाद् वज़रिये वसीयत या दान पत्रके देता है तो उसमें यह ख्याल आमतौरसे शामिल रहता है कि उस स्त्रीको उस जायदादके इन्तक़ालका अधिकार नहीं दिया गया है और अदालत हमेशा इस ख्यालको पहिले मानलेगी—19 All 16; 31 Mad 321; 11 All 296; 11 Bom. 573; 24 Cal 646; यह ध्यान रखना चाहिये कि हिन्दू विल्स एक्टके ज़रियेसे ग़ैर मनकूला जायदाद चाहे अपनी स्त्रीको भी दीजाय तो उससे यही समझा जायगा कि स्त्रीको पूरा अधिकार दिया गया है; अदालत यह बात हमेशा मानेगी; परंतु यदि वसीयत नामेमें वह अधिकार सीमाबद्ध कर दिया गया हो तो दूसरी बात है; देखो—एक्ट नं० २१ सन १८७० ई० की दफा २; और देखो इन्डियन सक्सेशन् एक्ट १० सन् १८६५ की दफा ८२; 24 Cal 646; 1 C. W. N. 578; 33 Mad 91.

दफा ७५९. पतिके अधीन कौन जायदाद है———सौदायिक स्त्रीधन (दफा ७५५-१४) के सिवाय और सब स्त्रीधनके खर्च करनेका अधिकार स्त्रीको अपने पतिकी मंजूरीके अधीन है। ज़बतक पतिकी रज़ामंदी न हो स्त्री वसीयतके द्वारा भी उस जायदादको किसीको नहीं दे सकती देखो; 30 Bom. 229; 7 Bom. L. R. 936. स्मृति चन्द्रिका का कहना है कि केवल सौदायिक स्त्रीधनपर ही स्त्रीका अधिकार स्वाधीन है और अन्य सब प्रकारकी जायदादपर चाहे वह स्त्रीधन भी हो उसे ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है। जो धन स्त्रीने अपनी दस्तकारी, या शारीरिक परिश्रमसे, या विद्याबुद्धिके द्वारा कमाया हो उसका ख़र्च करना पतिकी रज़ामंदीके अधीन है; यानी पतिकी रज़ामंदीके बिना स्त्री उस धन या जायदादका इन्तक़ाल नहीं कर सकती और पति उसे अपने काममें लासकता है।

प्राप्तं शिल्पैस्तु यद्वित्तं प्रीत्याचैव यदन्यतः
भर्तुः स्वाम्यं भवेत्तत्र शेषंतु स्त्रीधनं स्मृतम्। कात्यायनः

जो धन किसी दूसरे आदमीसे मिले या जो धन स्त्री शिल्पकारी या नौकरी आदिसे पैदा करे वह उसके पतिका होता है; इस लिये अगर पतिके जीतेजी स्त्री मरजाय तो वह धन पतिको मिलेगा और पतिके मरनेके बाद उसके वारिसोंको। और अगर स्त्रीके जीतेजी पति मरजाय तो फिर वह स्त्री ऐसे धनकी पूरी मालिक हो जायगी और उस स्त्रीके मरनेपर उस धनके अधिकारी स्त्रीके वारिस होंगे; पतिके वारिस नहीं। 36 Cal. 311; 36 I. A. 1.

दफा ७६०. स्त्रीधनपर पतिका अधिकार———अत्यावश्यकता यानी आपत्ति कालमें ही पति स्त्रीकी रज़ामंदीके बिना भी स्त्रीधनको अपने काममें लासकता है परंतु और किसी समय नहीं। देखो-महिमाचन्द्रराय बनाम दुर्गामनी 23 W. R. C. R. 184; तुकाराम बनाम गुनाजी 8 Bom. H. C. A. C. 129; यही बात विवाद चिन्तामणि और व्यवहार-मयूखमें मानी गयी है तथा स्मृति चन्द्रिकाका ९-२-१४ देखो-6 N. W. P. 279 और 8 Bom. H.C.A.C. 129 में कहागयाहै कि पतिके लेनदारोंको ऐसा अधिकार नहींहै।

आपत्तिकालमें पति जो स्त्रीधन लेले उसे वह पीछे अपनी दशा सुधरनेपर अवश्य लौटा दे-बनर्जीलॉ आफ़ मेरेज 2 ed. P. 315-318; और देखो—

दुर्भिक्षे धर्मकार्ये च व्याधौ संप्रतिरोधके
गृहीतं स्त्रीधनं भर्ता न स्त्रियै दातु मर्हति। मिताक्षरा २-१४७

दुर्भिक्षमें कुटुम्बके भरणपोषणके लिये, अत्यावश्यक धर्म कार्यके लिये, बीमारीके ख़र्चके लिये और किसी ऐसे मुक़द्दमेके ख़र्चके लिये जिसमें क़ैदमें जानेका भय हो पति बिना

मरज़ी स्त्रीके, स्त्रीधन लेसकता है और फिर उसके लौटानेकी ज़रूरत नहीं है। कात्यायनके कहनेका मतलब यह है कि जब पतिकी दशा सुधर जावे तो वह ऐसे धनको स्त्रीको लौटादे; बल्कि ब्याज सहित लौटा देना चाहिये। और देखो देवलका वचन—

पुत्रार्तिहरणेवापि स्त्रीधनं भोक्तुमर्हति (परन्तु)
वृथा दाने च भोगे च स्त्रियैदद्यात् स वृद्धिकम् । देवलः

दफा ७६१. स्त्रीधनपर विधवाका अधिकार——विधवाको अपने स्त्रीधनपर जो वैसा धन यथार्थमें है सब तरहका पूर्ण अधिकार प्राप्त है—वृजेन्द्र बहादुरसिंह बनाम जानकी कुंवर 5 I. A. 1; 1 Cal L. R. 318; और उस जायदादपर जीवनभरका ही अधिकार रहेगा जो उसे उत्तराधिकारमें मिली हो या बटवारेमें मिली हो। मगर बंबई स्कूलमें ऐसा नहीं होगा। वहां पूरा अधिकार ऐसी जायदादमें भी होगा। कुछ मुकद्दमोंमे बंबई स्कूलके अंदर माना गया है कि स्थावर, जंगम दोनों क़िस्मकी जायदाद विधवाका स्त्रीधन होता है, देखो रामकृष्ण हिन्दूलॉमें अच्छा विवेचन किया गया है।

---

(२) स्त्री-धनकी वरासत।

नोट—पुरुषकी वरासतके जो नियम हैं वह स्त्रीधनकी जायदादकी वरासतके नहीं है स्त्रीधनका वारिस वही होगा जो स्त्रीके मरनेपर मौजूद हो अर्थात् स्त्रीके मरनेपरही उसकी जायदादका वारिस होसकता है केवल पैदाइशसे नहीं होसकता, जव किसी पुरुष या स्त्रीको, स्त्रीधनमें हक़ पैदा होता है तो वह हक़ पैदाइशसे प्राप्त नहीं होता जैसा कि हिन्दू मुश्तरका ख़ानदानमें मौरूसी जायदादमें पैदाइशसे होता है यदि किसी स्त्रीके पास कुछ स्त्रीधनकी और कुछ वरासतसे पायी हुई जायदाद हो तो उसके मरनेपर स्त्रीधनकी जायदाद उस स्त्रीके वारिसको मिलेगी; बरासतकी जायदाद पिछले मर्द मालिकके वारिसको मिलेगी।

दफा ७६२. स्त्रीधनकी वरासतका सिद्धांत——स्त्रीको जायदाद या धन जिस जिस तरहसे प्राप्त हुआ हो उसीके अनुसार स्त्रीधनकी वरासत होती है। इस विषयमें भी कुछ शास्त्रोंके वचनोंका आधार लिया जाता है और रिश्तेदारीकी नज़दीकीका ख्याल किया जाता है, कुछ हालतोंमें स्त्री वारिसोंको पहिले माना जाता है।

मिताक्षराने स्त्रीधनकी वरासतमें आत्मिक लाभका सिद्धांत नहीं माना और बंगाल स्कूलमें भी दूरके रिश्तेदारोंके लिये मानाहै; देखो—गंगाजती बनाम घसीटा 1 All 46, 49, 50; दासी बनाम विनयकृष्णदेव 30 Cal 521-527 स्त्रीधन चाहे किसी रूपमें बदल दिया गया हो उसकी वरासत स्त्रीधनके अनुसार होगी।

बिन ब्याही लड़कीके स्त्रीधनकी वरासतका क्रम।

दफा ७६३. क्वारी स्त्रीका स्त्रीधन——कन्याके विषयमें बौधायनने कहाहै कि—

रिक्थं मृतायाः कान्यायाः गृह्णीयुः सोदरास्तदभावे मातुस्तद भावे पितुः ।

कन्याके धनको भाई, माता, पिता क्रमसे लेवें 'रिक्थ' का यहांपर साधारण अर्थ जायदाद है। यह बात सर्व सम्मत है कि बिन ब्याही स्त्रीको चाहे जिस तरहसे धन मिला हो सब स्त्रीधन है, सिवाय उत्तराधिकारकी या बटवारेकी जायदादके; मगर बंबई प्रांतमें ऐसी जायदाद भी स्त्रीधन मानी गयी है, अन्यत्र नहीं।

क़ानूनमें भी यही बातमानी गयी है और कारी स्त्रीकी जायदादके विषयमें भिन्न भिन्न स्कूलोंमें कुछ भेद नहीं है। इसकी वरासतका नियम निम्नलिखित है—

१ सगे भाई

२ माता

३ पिता—देखो-2 Mad L J. 149, 19 Mad 107-109.

४ कारी स्त्रीके बहुत नज़दीकी रिश्तेदार यानी बापके वारिस-देखो-द्वारिकानाथराव बनाम शरदचन्द्रसिंह 15 C. W. N, 1036.

५ माताके नज़दीकी वारिस-मुल्ला हिन्दूलॉ दफा 123 P. 113.

बापके भाईके पुत्र के होते बहन वारिस होती है। और नानीके होते बापकी माकी बहन वारिस होती है-देखो जंगलूबाई बनाम जेठा अप्पाजी मारवाड़ी 32 Bom 409; 10 Bom. L. R. 522; गांधी मगनलाल बनाम जाधव 24 Bom. 192; दादीके विषयमें देखो 1 Bom. L. R. 574; 24 Bom. 192.

बंबई—मिताक्षरा और मयूखके अनुसार बंबई स्कूलमें बापके सगोत्रज सपिण्डके होते बापकी बहन वारिस होती है; देखो-तुकाराम बनाम नरायन 14 Bom. L. R. 89.

बंगाल—बंगाल स्कूलमें मिताक्षरालॉ जिस प्रकारसे माना जाताहै उसके अनुसार चाचा के लड़केकी मौजूदगीमें बहन और बहनका लड़का वारिस होताहै देखो-(1912) 39 Cal 319.

दफा ७६४. भावी वरकी दी हुई भेंटें——सगाईके बाद और विवाहके पहिले यदि कारी स्त्री मरजाय तो वरको वह सब भेंटें वापिस दी जायेंगी जो उसकी तरफसे दी गयी हों और उन भेटोंके संबंधमें वरका या कुमारीके मा, बापका या वर्लीका जो कुछ ख़र्च पड़ा हो वह उन भेटोंमेसे काट लिया जायगा। मिताक्षराकार कहते हैं कि—

> यच्चवाग्दान निमित्तं वरेण संबंधिनां कन्यासम्बन्धिनां
> वोपचारार्थं धनं व्ययीकृतं तत्सर्वं सोदयं सवृद्धिकं कन्या-
> दाता वराय दद्यात्——मिताक्षरा

यदि वाग्दत्ता कन्या विवाह होनेसे पहिले मरजाय तो वरकी तरफसे जो धन दिया गया हो वह कन्याका देनेवाला इस संबंधमें जो ख़र्चा पड़ा हो उसे मुजरा लेकर बाक़ी धन पतिको लौटा दे। और जो धन इस बीचमें कन्याके मातापिता या दूसरे रिश्तेदारोंके द्वारा उसे दिया गया हो वह कन्याके भाई, माता, पिताको क्रमसे दिया जाय यानी उस धनकी वरासत कन्याकी जायदादकी तरहपर होगी। दायक्रमसंग्रह, स्मृतिचन्द्रिका, व्यवहार मयूखका भी यही मत है। और देखो-कोलब्रुककी डाइजेस्ट 3 P. 624; स्ट्रेन्ज हिन्दूलॉ 1 Vol P. 38.

अगर वर न हो तो वह भेंटें किसी दूसरेको नहीं दी जायेंगी। बल्कि कन्याके वारिसोंको मिलेंगी-देखो व्यवस्थादर्पण २-७३३.

विवाहितास्त्रीके स्त्रीधनकी वरासतका क्रम ।

संतानवाली स्त्रीकी जायदादकी वरासत ।

दफा ७६५. मिताक्षराके अनुसार स्त्रीधनकी वरासत——मिताक्षरालोंके अनुसार संतानवाली स्त्रीके स्त्रीधन या स्त्रीधनकी जायदादकी वरासत निम्न लिखित होगी—

[१] शुल्क——ऐसा मालूम होता है कि शुल्कके वारिस पहिले सगे भाई और पीछे माता होती है; परंतु अभीतक यह पूरे तौरसे निश्चय नहीं हुआ कि दोनोमेंसे कौन पहिले वारिस होगा । इस विषयमें गौतमके एक श्लोकका अर्थ करनेमें मतभेद है; वह श्लोक यह है—

‘ भगिनीशुल्कं सोदर्य्याणामूर्ध्वं मातुः ’ । गौतमः

मिताक्षरा और मयूख इस बचनका अर्थ इसप्रकार करते हैं—‘ बहनका शुल्क सगे भाइयोंको मिलेगा ; उनकी मृत्युके पश्चात् माको ’ वीरमित्रोदय, स्मृतिचन्द्रिका, दायभाग और चिंतामणि इसका अर्थ इसप्रकार करते हैं; ‘ बहनका शुल्क सगे भाइयोंको मिलेगा । पश्चात् माके ’ यहांपर ‘ ऊर्ध्वं ’ पदमें झगड़ा है, मिताक्षरा आदि पहिले कहे हुए आचार्योंका कहना है कि भाईके पश्चात् माताको, दूसरोंका कहना है कि माताके पश्चात् भाइयोंको । इसी विषयमें सर गुरुदास बनर्जी कहते हैं कि मिताक्षराका भी यही अभिप्राय है ; क्योंकि वारिसोंमें सबसे पहिले भाइयोंका ही नाम लिया गया है'; देखो हिन्दूलॉ आफ् मेरेज 2 ed P. 365; शास्त्री जी, सरकार और डाक्टर योगेन्द्रोनाथ भट्टाचार्य्यकीभी यही राय है-देखो-सरकारका हिन्दूलॉ 2 ed P. 578. और देखो कनिंग्का हिन्दूलॉ P. 119 कहा है कि यदि माता और भाई दोनोंही न हों तब शुल्कका वारिस कौन होगा इस प्रश्नपर शास्त्रोंमें कुछ नहीं कहागया । ऐसी सूरतमें वह धन अन्य स्त्रीधनके वारिसोंको मिलेगा । शुल्कका क्रम इस प्रकार है---

(१) सगे भाई । (२) मा । (३) पिता । (४) बापके वारिस यानी बापके सपिण्ड, समानोदक, बन्धु ।

[२] यदि स्त्रीके संतान हो तो दूसरे प्रकारके स्त्रीधनकी वरासत निम्न लिखित होगी—

(१) कुमारी लड़की । (२) विवाहिता लड़की जो ग़रीब हो या निःसन्तानहो । (३) विवाहिता लड़की जो अमीर हो या संतानवाली हो । (४) बेटीकी बेटी (५) लड़कीका लड़का (नेवासा दोहिता) (६) पुत्र । (७) पौत्र । (८) सौतेली स्त्रीकी बिन विवाहिता लड़कियां सिर्फ ऊंची जातोंमें ।

नीचे प्रत्येककी व्याख्या देखो ।

(१) कुमारी लड़की-बनर्जीने अपने लॉ आफ़ मेरेज 2 ed P. 342 में कहा है कि-चाहे सगाई होगयी हो या नहीं, कुमारी लड़कियां हक़दार होती हैं । ऐसी लड़कियोंको बराबर हिस्सा मिलेगा ।

(२) विवाहता लड़की जो ग़रीब हो देखो-दानू बनाम दखू 4 All 243; और जो निर्धन हो या निःसन्तान हो-देखो मिताक्षरा और व्यवहार मयूख ।

(३) विवाहिता लड़की जो ख़ुशहाल हो चाहे उसके पुत्र हों या न हों-देखो विनोद कुमारी देवी बनाम प्रधान गोपालसाही ; 2 W. R. C. R. 176-177; 21 Mad 58 ; और वीर मित्रोदय देखो ।

निःसन्तान लड़की, खुशहाल लड़की, और ग़रीब लड़की इन तीनोंके हक़में क्या भेद है इस विषयमें बनर्जी कहते हैं कि 'मेरे ख्य़ालमें विज्ञानेश्वरका अभिप्राय यह है कि ग़रीब लड़की चाहे उसके संतानहो या नहो खुशहाल लड़कीसे पहिला हक़ वरासत पानेका रखती है, चाहे उस खुशहाल लड़कीके संतान हो या न हो। जब दोनों लड़कियां बराबरकी हालतमें हों तो निः सन्तान लड़कीका हक़ पहिले माना जायगा, और अगर दोनों लड़कियां न्यूनाधिक ग़रीब हों तो उनके विषयमें कोई निश्चित नियम नहीं रखा जासकता, अदालत दोनोंकी हालतों पर विचार करके वरासमें स्त्रीधन देगी—देखो बनर्जीका लॉ आफ मेरेज 2 ed 342.

ऐसा मानागया है कि लड़कियोंकी ग़रीबीकी कमी या ज्यादतीके अनुसारही वरासतका फैसला होगा—पोली बनाम नरोत्तम बापू 6 Bom. H.C.A.C. 183 ; 2 All 561.

बंबई हाईकोर्टने एक मुक़द्दमेमें यह विचार्य्य विषय निकाला कि जब दो लड़कियोंमें एक विधवाहो, और दूसरी सधवा,तो क्या विधवाका हक़ केवल इसलिये अधिक मानाजायगा कि वह विधवा होनेकी वजहसे ग़रीबहै ? देखो—2 Bom.H.C. 5; 6 Bom. H.C.A.C.183.

बनर्जी कहते हैं कि जब लड़किकोंकी दशा और सब तरहसे समान हो तो निःसन्तान और विधवा लड़कियोंका हक़ अधिक माना जायगा; देखो बनर्जीलॉ आफ मेरेज 2 ed P.343.

ग़रीब होने या न होनेका ख्य़ाल केवल लड़कियोंकी वरासतके विषयमें ही किया जायगा। बहनों या दूसरी स्त्री वारिसोंके विषयमें ऐसा ख्य़ाल विशेषकर बंबईमें नहीं किया जायगा—भागीरथीबाई बनाम बापा 5 Bom 264 ; मदरासमें यह माना गया है कि स्त्री धनकी वारिस होनेवाली कई लड़कियोंमें यदि एक मरजाय तो उसका हक़ दूसरी जीवित लड़कियोंमें माताकी वारिसकी हैसियतसे बट जाता है—3 Mad. M. C. 312 ; इसपर बनर्जी आपत्ति करते हैं, देखो—लॉ आफ मेरेज 2 ed P. 347.

जो लड़की वेश्या (रंडी) हो गयी हो उसका हक़ सब लड़कियोंके पीछे होगा; देखो— तारा बनाम कृष्णा 31 Bom 495 ; 9 Bom. L. R. 774.

(४) बेटीकी बेटी—सुब्रह्ममानियन चट्टी बनाम अरुणाचलमचट्टी 28 Mad 1 ; और देखो मनु ९-१९३ श्लोक—

यास्तासांस्युर्दुहितर स्तासामपियथार्हतः
मातामह्या धनात्किञ्चित्प्रदेयं प्रीतिपूर्वकम् । मनुः

जब कई एक बेटीकी बेटियां हों तो वह सब आपसमें बराबर हिस्सा पावेंगी, यानी 'पर स्टिरपूस' (Per stirpes) देखो दफा ५५८.

(५) लड़कीका लड़का—मिताक्षरा और व्यवहार-मयूखकी यही रायहै, मगर बनर्जीके लॉ आफ मेरेज 2 ed. P. 356 में कहा गया है कि अगर लड़कीने कोई गोद लिया हो तो वह दत्तक पुत्र इसमें शामिल नहीं है।

(६) पुत्र—करूपाई नाचियर बनाम शंकरनरायनचट्टी 27Mad300; बंगालस्कूलमें लड़कीके लड़केका हक़ पुत्रके पश्चात् माना गया है; देखो दफा ७७०। जहांपर कि पुत्र और दत्तक पुत्र दोनों हों वहांपर स्त्रीधन भी दफा २७०;२७१;२८९ के क़ायदेके अनुसार ही बटेगा।

मिताक्षरामें कहा है कि—" दौहित्राणामभावे पुत्रा गृह्णाति" यानी दौहित्रके अभावमें पुत्र स्त्रीधनके वारिस होंगे। मगर मिताक्षरामें 'पुत्राः' ऐसा शब्द कहागया है इस शब्दसे पुत्रोंके पुत्र जिनका बाप मरगया हो यह अर्थ नहीं समझना। मदरास हाईकोर्टने यह माना कि स्त्रीधनके वारिसोंमें सरवाइवरशिप्का हक़ नहीं होता, चाहे वह मुश्तरका ख़ानदानके

भी मेम्बर हों 27 Mad 300; मगर यह ध्यान रहे कि मदरासमें मिताक्षरा जिस तरहपर माना जाता है उसके अनुसार मुश्तरका खानदान जो क़ाबिज़ शरीक (Tenant in Common) हो जिसमें दूसरे दूरके आदमी भी शरीक हो सकते हैं उनके बीचमें सरवाइवरशिपका हक़ रहता है। देखो-29 I. A. 156; 25 Mad 678; 7 C. W. N. 1-8; 4 Bom. L. R. 657; 9 M. I. A. 543.

(७) पुत्रका पुत्र (पौत्र)—अर्थात् भिन्न भिन्न पुत्रोंके पुत्र——'पर स्टिरिपस्' (Per-stirpes) हिस्सा लेंगे 'पर केपीटा' (Per Capita) नहीं (देखो दफा ५५८.)। अगर किसी लड़केका दत्तक पुत्र हो, तो उसे उतनाही हिस्सा मिलेगा जितना कि उसके दत्तक पिताको मिलता अगर वह जीवित होता-देखो 4 Cal 425; 3 C. L. R. 534.

(८) ऊंची जातियोंमें सौतेली स्त्रीकी बिनविवाहिता लड़की-देखो घारपुरे हिन्दूलॉ 2 ed P. 268 और मिताक्षरा देखो—'अनपत्य हीन जाति स्त्रीधनं तु भिन्नोदरा प्युत्तम जातिय सपत्नी दुहिता गृह्णाति' २-१४५ संतान रहित हीन जातिके स्त्रीधनको भिन्नोदर और उत्तम जातिमें सौतेली स्त्रीकी लड़की ले।

[३] बिना संतानवाली स्त्रीके स्त्रीधनकी वरासतका क्रम निम्न लिखित होता है:—

(१) पति। (२) सौतेला पुत्र। (३) सौतेला पौत्र। (४) सौतेला परपोता
(पौत्रका पुत्र)। (५) दूसरी स्त्री। (६) सौतेली बेटी। (७) सौतेली बेटीका पुत्र।
(८) पतिकी माता। (९) पतिका बाप। (१०) पतिके भाई। (११) पतिके
भाईके पुत्र। (१२) पतिके दूसरे गोत्रज सपिण्ड, पछि समानोदक और बन्धु।

जिस ढंगसे स्त्रीका विवाह हुआ हो उसीपर उसकी जायदादकी वरासतका क़ायदा निर्भर है।

ब्राह्मविवाह—अगर स्त्रीका विवाह ब्राह्मरीतिसे हुआ हो तो स्त्रीकी जायदाद पतिको मिलती है देखो-भाऊ बनाम रघुनाथ 30 Bom. 229; 7 Bom. L. R. 936; भीमाचार्य बनाम रामाचार्य 33 Bom. 452; 11 Bom. 654; उसके बाद मर्दोंकी वरासतके क्रमानुसार पतिके सपिण्ड आदिकोंको स्त्रीधन मिलता है देखो 25 Cal. 354; 8 All. 393.

अदालत पहिले ऐसा मानलेगी कि उस स्त्रीका विवाह ब्राह्मरीतिसे हुआ हैं और यही बात प्रतिष्ठित घरानेके शूद्रोंके विषयमें भी मानेगी देखो--जगन्नाथप्रसाद गुप्त बनाम रनजीतसिंह 25 Cal. 354; 32 Mad. 512 यही क़ायदा मूसाहाजी बनाम अबदुल रहीम हाजी 30 Bom. 197 में लागू किया गया था। उत्तम घरानेके विषयमें देखो--जगन्नाथ रघुनाथ बनाम नारायन 34 Bom. 553; 12 Bom. L. R. 545.

पतिके पश्चात् वरासतके क्रमके विषयमें कुछ मतभेद है—सर जी. डी. बनर्जी मिताक्षराका वह अर्थ मानतेहैं जो कमलाकर भट्टने कियाहै। उसके अनुसार (१) पतिके बाद (२) सौतेला पुत्र, वारिस होता है देखो—13 Mad. 138; और देखो मेनहिन्दूलॉ 7 ed. P. 895. उसके बाद। (३) सौतेला पौत्र-(४) सौतेला प्रपौत्र-देखो-गोजाबाई बनाम शाहाजीराव मोलोजी राजे भोंसले 17 Bom. 114; उसके पश्चात् (५) दूसरी स्त्री-देखो केशरबाई बनाम हंसराज मुरारजी 33 I. A. 176; 30 Bom. 431; 10 C.W.N. 802; 8 B. L. R. 446; पतिके भाईके या पतिके भाईके पुत्रके होते दूसरी स्त्री वारिस मानी गयी-कृष्णाबाई बनाम श्रीपति 30 Bom. 383; 8 Bom. L. R. 12; (६) सौतेली बेटी-सर जी. डी. बनर्जी लॉ ऑफ मेरेज 2 ed. 388 में कहते हैं कि सौतेली बेटीके पुत्रसे पहिले सौतेली बेटीका हक़ है, पीछे (७) सौतेली बेटीका पुत्र--(८) पतिकी माता, (९) पतिका बाप, (१०) पतिके भाई क्रमसे वारिस होते हैं-यह माना गया है कि सगेके बाद सौतेले वारिस

होते हैं-देखो 30 Bom. 607 ; उसके बाद (११) पतिके भाईके पुत्र देखो-बच्चाझा बनाम जगमनझा 12 Cal. 348 ; यह केस मिथिला स्कूलका है । इसके बाद (१२) पतिके दूसरे गोत्रज सपिण्ड, पीछे समानोदक, उसके पीछे बन्धु स्त्रीधनके वारिस होते हैं।

पतिकी बहनके पुत्रोंके होते, पतिके प्रपितामहके प्रपौत्र और उस स्त्रीकी सगी बहनकेपुत्र वारिस नहीं होसकेंगे; देखो 21 Cal. 344 ; (मिथिला). 28 All 345 । पतिके भाईकी लड़कीका लड़का, बहनकी लड़कीके लड़केसे पहिले वारिस होगा 21 Mad. 263.

चम्पत बनाम शिब्बा 8 All. 393 में पतिका दूरका सपिण्ड वारिस माना गया है। यहांतक ब्राह्म विवाहके अनुसार कहा गया। आगे असुर विवाह देखो (दफा ४०-४१)

आसुर विवाह—अगर विवाह आसुर रीतीसे या किसी स्थानिक या खास रीतिसे हुआ होतो निःसंतान स्त्रीका स्त्रीधन उसके मरनेके बाद निम्नलिखित क्रमसे मिलता है—

(१) माता । (२) बाप । (३) बापके वारिस । (४) माताके वारिस ।

यानी पहिले माताको, फिर पिताको, और पीछे पिताके बादके वारिसको मिलता है—यदि पिताके बादका वारिस न हो तो माताके बादके वारिसको मिलेगा देखो 8 Bom. H. C. O. C. 244 ; माना गया है कि बापकी बहनके होते माका भाई वारिस नहीं होता।

नोट—मिताक्षराके अनुसार स्त्रीधनकी वरासतका क्रम ऊपर बताया गया हैं-'शुल्क' प्रायः सभी स्कूलोंमें मिताक्षराके अनुसार ही माना गया है मगर दूसरे क़िस्मके स्त्रीधनमें मत भेद है इसलिये हम भिन्न भिन्न स्कूलोंके अनुसार स्त्रीधनकी वरासतका वर्णन आगे करते हैं।

स्कूलोंके अनुसार स्त्रीधनकी वरासत।

दफा ७६६. बनारस स्कूल——बनारस स्कूल में जैसा कि मिताक्षराका अर्थ स्पष्ट माना जाता है उसके अनुसार स्त्रीधनकी वरासत होती है देखो—दफा ७६५

दफा ७६७. मिथिला स्कूल——मिथिला स्कूलके अनुसार संतानवाली विवाहिता स्त्रीके स्त्रीधनकी वरासत इस प्रकार होती है—

(१) शुल्क-शुल्कको वरासत मिताक्षराके अनुसार होतीहै देखो-दफा ७६५.

(२) विवाहके समयकी भेंटें—(परिनैय्यां) जिसमें घरका असबाब, शीशा कंघी इत्यादि शामिल हैं, लड़कियोंको मिलता है। उनके न होनेपर स्त्रीके पुत्रोंको जैसा कि मिताक्षरामें कहा गया है; देखो-दफा ७३५.

१ क्वारी लड़की ।

२ व्याही ग़रीब या संतानरहित लड़की।

३ व्याही खुशहाल या संतानवाली लड़की।

४ बेटीकी बेटी ।

५ बेटीका बेटा-इत्यादि ।

ऐसा मालूम होताहै कि यह नियम सर्व प्रकारसे 'यौतक' स्त्रीधन (दफा ७५५) से लागू होता है कमसे कम ब्राह्म विवाहकी रीतिसे व्याही हुई स्त्रीके मामलोंसे अवश्य लागू होगा।

(३) दूसरे प्रकारके स्त्रीधन—दूसरी तरहके स्त्रीधनके वारिस पुत्र और कुमारी लड़कियां मिलकर समान भाग लेती हैं और ग़रीब लड़कियांभी कुमारी लड़कियोंकी हैसियतसे वारिस होती हैं, यानी कुमारीके साथ साथ वह भी भाग लेती हैं। लड़कियां न हों तो पुत्र वारिस होते हैं।

विवाद-चिंतामणिके अनुसार पुत्रोंके पहिले लड़कीकी लड़कियां और लड़कीके पुत्र वारिस होते हैं अर्थात् पुत्र, लड़कीके पीछे वारिस होगा।

(४) निःसन्तान स्त्री-निःसन्तान स्त्रीके धनकी वरासत मिताक्षराके अनुसार होती है देखो दफा ७६५ और देखो-बच्चाझा बनाम जगमनझा 12 Cal. 343; केसरबाई बनाम हंसराज मुरारजी 33 I. A. 176; 30 Bom. 431; 10 C. W. N. 802; 21 Cal 344—मदनपारिजातके अनुसार पतिकी दूसरी स्त्रीकी लड़की या दूसरी स्त्रीकी लड़कीका लड़का वारिस होता है। मिथिला-स्कूलमें सौतेली बहनके लड़के वारिस होते हैं देखो-2 Ben. Sel. R. 23-27.

(५) कृत्रिमदत्तक—यदि स्त्रीने कृत्रिमरीतिसे दत्तक लिया हो तो वह पुत्र उसके स्त्रीधनका वारिस होता है। कृत्रिम दत्तक देखो दफा ३०५ से ३११.

दफा ७६८. बंबई स्कूल———बंबई द्वीप, गुजरात और उत्तरीय कोकनमें मयूख प्रधान रूपसे माना जाता है; देखो दफा २३-३ मगर बंबई प्रांतके दूसरे भागोंमें जैसे महाराष्ट्र देश, दक्षिणीय कोकन और उत्तरीय कनारा आदिमें मिताक्षराकी प्रधानता है। मतलब यह है कि जहांपर मयूख माना जाता है वहांपर उसके अनुसार और जहांपर मिताक्षरा माना जाता है वहांपर उसके अनुसार स्त्रीधनकी वरासत होगी। नीचे मयूखलॉके अनुसार स्त्रीधनकी वरासतका वर्णन किया गया है—

मयूखके अनुसार स्त्रीधनकी वरासत इस प्रकार होती है।

(१) शुल्क—शुल्ककी वरासत मिताक्षराके अनुसार होती है देखो दफा ७६५

(२) अन्वाध्येयिक स्त्रीधन—अन्वाध्येयिक स्त्रीधन और प्रीतिदत्त स्त्रीधनके वारिस पुत्र और लड़कियां दोनों साथमें समान लेते हैं। यदि क्वारी लड़कियां न हों तो पुत्र और विवाहिता लड़कियां उसी तरहपर लेती हैं-देखो दयालदास लालदास बनाम सावित्रीबाई 34 Bom. 385; 12 Bom. L. R. 386; सीताबाई बनाम वसंतराव 3 Bom. L. R. 201; 9 Bom 115.

यदि पुत्र और लड़कियां न हों तो पहिले लड़कियोंकी संतान पीछे पुत्रकी संतान वारिस होती है। अपना दूसरा विवाह करलेनेके समय पति जो धन हरजानेके तौरपर पहिली स्त्रीको दे उसकी वरासतका क़ायदा भी यही है; अर्थात् लड़कियों के होते पुत्र वारिस नहीं होंगे।

(३) यौतक स्त्रीधन—यौतक स्त्रीधन सबसे पहिले कुमारी लड़कियोंको मिलता है इसके पश्चात् वरासतका क्रम संभवतः मिताक्षराका है परंतु ऐसा कहा गया है कि आसुर विवाहके समय रिश्तेदार जो कुछ धनदें वह दूसरे रिश्तेदारोंके नरहनेकी सूरतमें उसके पुत्रको मिलेगा।

(४) भर्तृदत्त स्त्रीधन—जो पतिने प्रसन्नतासे या दानमें दिया हो और अन्वाध्येयिक स्त्रीधन नीचेके क्रमके अनुसार मिलेगा—

१—लड़के और क्वारी लड़कियां दोनों साथ साथ आपसमें बराबर हिस्सा पावेंगे देखो 34 Bom. 385; अगर क्वारी न हों तो—

२—लड़के और ब्याही हुई लड़कियां दोनों आपसमें वरावर हिस्सा पावेंगी।
जब लड़के और लड़कियां न हों तो—
३—लड़कीकी लड़की, और लड़कीके लड़के साथमें बराबर पावेंगे-पीछे
४—पौत्र
५—ऊपरके वारिसोंके न होनेपर—
(क) अगर ब्राह्मविवाह हुआ हो और कोई संतान न हो तो शुल्कके सिवाय सब स्त्रीधन उसके पतिको मिलेगा उसके न होनेपर पतिके वारिसोंको।
(ख) अगर आसुर विवाह आदि कोई विवाह हुआ हो तो पहिले माता उसके वाद स्त्रीका वाप, उसके वाद स्त्रीके वापके वारिस पावेंगे।

(५) दूसरे प्रकारके स्त्रीधन—दूसरे प्रकारके स्त्रीधनकी वरासत इस प्रकार होगी—
(१) पुत्र (२) पौत्र (३) प्रपौत्र (४) बेटियां (५) बेटीका बेटा (६) बेटीकी बेटी (७) इनके न होनेपर 'भर्तृदत्त स्त्रीधन' का क्रम माना जाता है।

दूसरे प्रकारसे जो स्त्रीधन प्राप्त हुआ हो वह लड़कियोंके होते भी, पुत्र, पौत्र और प्रपौत्रको मिलेगा–देखो मनीलाल रेवादत्त बनाम रेवाबाई 17 Bom. 759; 8 Bom. H. C. O. C. 244, 260; उनके वाद लड़कियों और उनकी संतानको मिलेगा।

वंबई प्रांतके अंतर्गत गुजरात, उत्तरीय कोकन और वंबई द्वीपमें जहां मयूखका प्राधान्य है उत्तराधिकारमें मिली हुई जिस किसी जायदादपर स्त्रीका पूर्ण अधिकारहो उसकी वरासतका क्रमभी ऊपर लिखे अनुसारही होगा देखो–8 Bom. H.C.O.C.244–260; 11 Bom.285; गांधी मगनलाल बनाम मोतीचन्द 24 Bom.192. 31 Bom. 453; 9 Bom. L.R.334.

वंबई प्रांतके उन भागोंमें जहां मिताक्षरा प्रधानहै जैसे महाराष्ट्र देश, दक्षिणीय कोकन और उत्तरीय कनारामें उत्तराधिकारसे मिले हुए जिस धनपर स्त्रीका पूरा अधिकार होता है वह धन उसके पुत्रोंको नहीं, वल्कि लड़कियोंको मिलता है; देखो–जानकीवाई बनाम सुंदर 14 Bom. 612; 31 Bom. 453; यानी इस प्रकार—

(१) क्वारी लड़की (२) ब्याही लड़की जो ग़रीब हो या संतानरहित हो (३) ब्याही लड़की जो आसूदा हो या संतान वालीहो (४) बेटीकी बेटी और बेटीका बेटा (५) पुत्र (६) पौत्र (७) ऊपरके वारिस न होनेपर 'भर्तृदत्त' धनकी तरह पावेंगे।

निःसन्तान स्त्रीके स्त्रीधनकी वरासत।

(६) निःसंतान स्त्रीके स्त्रीधनकी वरासत—जिस रीतिसे स्त्रीका विवाह हुआ हो उसीपर उसके स्त्रीधनकी वरासत निर्भर है।

(क) ब्राह्म विवाह—

यदि ब्राह्मरीतिसे विवाह हुआ हो और स्त्रीके कोई संतान न हो तो उसके स्त्रीधनका पति वारिस होता है; देखो—जगन्नाथ रघुनाथ बनाम नारायण 34 Bom. 553; 12 Bom. L. R. 545. और यदि पति न हो तो पतिके सपिण्ड उत्तराधिकारके क्रमानुसार वारिस होंगे; देखो—केसरवाई बनाम हंसराज मुरारजी 33 I. A. 176, 197; 30 Bom. 431; 10 C. W. N. 802; 8 Bom. L. R. 446; वच्चूझा बनाम जगमनझा 12 Cal 348; 12 Bom. 505. यह राय मानी दत्त रेवादत्त बनाम रेवाबाई 17 Bom. 758 to 765 के अनुसार है जिसमें कहा गया कि अपने संतानके वारिस होनेकी बात छोड़कर मयूखलॉके अनुसार भिन्न भिन्न प्रकारके स्त्रीधनकी वरासतमें कुछ भेद नहीं

है। स्त्रीको वरासतमें मिली हुई जायदादके विषयमें पहिलेके मुक़द्दमोंमें यह माना गया था कि विवाह चाहे किसी रीतिका हो स्त्रीकी जायदादकी वरासत स्त्रीके मरनेपर इस तरहपर होती है कि मानो वह स्त्री मर्द थी और अपने पिताके एक मात्र पुत्रके तौर पर थी; देखो—12 Bom. 505; 9 Bom. 301; 8 Bom. H. C. O. C. 244;

अपने पतिकी दूसरी विधवा और अपने पतिके भतीजेके होते पतिका पुत्र (दूसरी स्त्रीसे) वारिस होगा; देखो-गोजाबाई बनाम शाहाजीराव मालोजी बाजी भोंसले श्रीमंत 17 Bom.114 और पतिके भाईके पुत्रके पहिले पतिका भाई वारिस होगा–7 Bom.L.R.622.

पतिके भाई या भाईके पुत्रके पहिले पतिकी दूसरी विधवा वारिस होगी देखो–केसरबाई बनाम हंसराज 33 I. A. 176; और 30 Bom. 431; 10 C. W. N. 802.

स्त्रीकी मरी हुई लड़कीकी लड़कीके पहिले पतिके पुत्रकी स्त्री वारिस होती है–नर्मदा बनाम भगवन्तराय 12 Bom.505; सौतेली लड़कीका लड़का, विधवाका वारिस होताहै।

मिताक्षराके अनुसार मयूखमें भी पतिके सातवीं डिगरी तकके सपिण्ड वारिस होते हैं। इस बातका प्रमाण भी मौजूद है कि बेटीका पौत्र और पतिकी बहन भी वारिस होती है। समानोदक भी वारिस होते हैं; यह बात अनिश्चित है; लेकिन सर जी. डी. बनर्जीकी राय है कि वह होंगे, अगर पतिके रिश्तेदार न हों तो उस स्त्रीके अपने रिश्तेदार वारिस होंगे। यह राय मि० वेस्ट और बुहलरकी भी है. बनर्जी इसरायसे सहमत हैं। परंतु यह स्पष्ट नहीं हुआ कि स्त्रीके रिश्तेदार पतिके समानोदकोंसे पहिले वारिस होंगे या पीछे—देखो-बनर्जीलॉ आफ मेरेज P. 378.

माके भाईके होते बापकी बहन और बापकी बहनके पौत्रके होते बापकी बहनका पुत्र वारिस होगा-देखो 9 Bom.301; ब्राह्म विवाहके अनुसार स्त्रीधनकी वरासत इस प्रकारहै।

(१) पति, पतिके न होनेपर पतिके सपिण्ड। (२) पतिका पुत्र (दूसरी स्त्रीसे)
(३) पतिकी दूसरी विधवा। (४) पतिका भाई। (५) पतिके भाईका पुत्र।
(६) पतिके पुत्रकी स्त्री। (७) स्त्रीकी मरी हुई लड़की की लड़की। (८) सौतेली
लड़कीका लड़का (९) सौतेली लड़कीका पौत्र। (१०) पतिकी बहन।(११) स्त्रीके
बापकी बहन। (१२) स्त्रीकी माका भाई। (१३) स्त्रीके बापकी बहनका पुत्र।
(१४) स्त्रीके बापकी बहनका पौत्र।

(ख) आसुर विवाह—

अगर स्त्रीका विवाह आसुर या किसी स्थानिक या ख़ास रीतिसे हुआ हो तो उसका स्त्रीधन पहिले उसकी माताको उसके बाद पतिको और यदि वे दोनो न हों तो उसके पिताके सपिण्डोंको मिलता है। देखो—केशरबाई बनाम हंसराज 33 I.A. 176; 30 Bom. 431; 10 C. W. N. 802; 8 Bom. L. R. 446.

दफ़ा ७६९. मदरास स्कूल———मदरास स्कूलमें स्मृतिचन्द्रिका सर्वोपरि माना जाता है, उसके साथ साथ-पराशर माधव। इन ग्रन्थोंके अलावा सरस्वती-विलास और व्यवहार-निर्णय भी माना जाता है देखो दफा २३-४। स्मृति चन्द्रिकाने 'स्त्रीधन' शब्दको पारिभाषिक मानाहै। किसी रिश्तेदारने या किसी दूसरे आदमीने किसी भी समयमें जो कुछ धन स्त्रीको दिया हो और विवाहाग्निके समय तथा बारातके उत्सवमें जो कुछ धन मिला हो सब स्त्रीधन है। स्त्रीधन चार क़िस्मका माना गया है १ शुल्क, २ यौतक, ३ भर्तृदत्त और अन्वाधेय, ४ दूसरे प्रकारके स्त्रीधन।

स्मृति चन्द्रिकाके अनुसार विवाहित स्त्रीके स्त्रीधनकी बरासत इसप्रकार होती है।

(१) शुल्क—माके होते सगे भाइयोंको मिलताहै शेष मिताक्षराके अनुसार-दफा ७६५.
(२) यौतक—यौतक स्त्रीधन पहिले कारी लड़कियोंको मिलता है उसके पश्चात् मिताक्षराके अनुसार क्रम चलता है देखो दफा ७६५.
(३) भर्तृदत्त और अन्वाध्येयिक—अन्वध्येयिक और भर्तृदत्त स्त्रीधनकी वरासत मयूखके अनुसार होती है भेद सिर्फ यह है कि विधवा-लड़कियां ऐसे धनकी वारिस नहीं होतीं, और गोत्रज सपिण्डोंकी विधवाओंका भी वैसा कोई हक़ नहीं होता जैसा कि बंबईमें होताहै; देखो-थायाअम्मल बनाम अन्नामालाई मुदाली 19 Mad. 35 ; वंडमसेठा बनाम वंडमहालक्ष्मी 4 Mad. H. C. 180.
(४) दूसरे प्रकारके स्त्रीधन—दूसरी तरहके जो स्त्रीधन हैं वह पहिले कारी लड़कियोंको और उन लड़कियोंको जो ग़रीब हों साथमें बराबर मिलता है उसके पश्चात् मिताक्षराके अनुसार वरासत होगी।

मदरासमें गोत्रजसपिण्डोंकी विधवायें वारिस नहीं होतीं इस लिये न तो भाईकी विधवा और न पुत्रकी स्त्री वारिस होसकती है—देखो—19 Mad. 35 ; 4 Mad H. C. 180.

दूसरे प्रकारके स्त्रीधनकी वरासतका क्रम यह है—

(१) कारी लड़कियां और ग़रीब ब्याही लड़कियां बराबर पायेंगी। (२) ब्याही लड़कियां जो अमीर हों। (३) बेटीकी बेटी। (४) बेटीका बेटा। (५) पुत्र। (६) पौत्र इत्यादि।

दफा ७७०. बंगाल स्कूल———बंगाल स्कूलमें जीमूतवाहन कृत दायभागका प्रभुत्व सर्वोपरि माना जाता है ; देखो दफा २३-५ इस स्कूलमें शुल्कके सिवाय संतानवाली विवाहिता स्त्रीके स्त्रीधनकी वरासत निम्नलिखित होती है—

(१) शुल्क—शुल्ककी वरासत मिताक्षराके अनुसार होगी देखो दफा ७६५.
(२) यौतक स्त्रीधन—यौतक स्त्रीधनकी वरासतका क्रम यह है—
  १—वह लड़कियां जिनकी सगाई न हुई हो।
  २—वह लड़कियां जिनकी सगाई हुई हो।
  ३—विवाहिता लड़कियां जिनके संतान हो या होनेकी आशा हो; 18 Cal.327.
  ४—निःसन्तान विधवा लड़कियां और वन्ध्या स्त्री बराबर पायेंगी; दायक्रमसंग्रह ५-७
  ५—पुत्र।
  ६—लड़कीके लड़के मगर इस स्कूलमें बेटीका पौत्र, और बेटीकी बेटी स्त्रीधनकी वारिस नहीं होतीं; देखो 10 W. R.C. R. 488.
  ७—पौत्र।
  ८—प्रपौत्र-(पुत्रके पुत्रका पुत्र)
  ९—सौतेला लड़का।
  १०—पतिकी दूसरी स्त्रीके लड़केका लड़का।
  ११—पतिकी दूसरी स्त्रीकी लड़केके लड़केका पुत्र।
(३) विवाहके पश्चात् स्त्रीको अपने पितासे किसी समय मिले हुए धन (प्रीतिदत्त और अयौतक स्त्रीधन) के उत्तराधिकारका क्रम यह है—
  १—अविवाहिता लड़की; देखो 2 B. L. R.A. C. 144.
  २—पुत्र।

३--वह लड़की जिसके पुत्र हो या होनेवालाहो।
४--बेटीका बेटा।
५—लड़केका लड़का (पौत्र)
६—लड़केके लड़केका लड़का (प्रपौत्र)
७—पतिकी दूसरी स्त्रीका लड़का।
८--पतिकी दूसरी स्त्रीका पौत्र।
९--पतिकी दूसरी स्त्रीका प्रपौत्र।
१०--बन्ध्या लड़की और पुत्रहीना लड़की।

डाक्टर योगेन्द्रनाथ भट्टाचार्य कहते हैं कि यौतक और अयौतक स्त्रीधनके नियम वैसाही हैं जैसा कि प्रीति-दत्तके। सिवाय इसकेकि वह किसी ख़ास सूरतमें बदल न दिया गयाहो। देखो भट्टाचार्य हिन्दूलॉ P. 594.

(४) दूसरे प्रकारके स्त्रीधन—अन्य तरहके स्त्रीधन की वरासत इस प्रकार है-
१—पुत्र और वह लड़की जो क्वारीहो यानी सगाई न हुईहो।
२—ब्याही हुई लड़की जिसके पुत्रहो या होनेवाला हो।
३—पौत्र।
४--बेटीका बेटा।
५—प्रपौत्र।
६—पतिकी दूसरी स्त्रीका लड़का।
७--पतिकी दूसरी स्त्रीका पौत्र।
८--पतिकी दूसरी स्त्रीका प्रपौत्र।
९—बन्ध्या लड़की या पुत्रहीना विधवा लड़की।

दायभागके अनुसार बेटीके बेटेके बाद बन्ध्या और विधवा लड़की वारिस होती है मगर पं० रघुनन्दन मिश्र और पं० श्रीकृष्णतर्कालंकारने बेटीके बेटेके बाद बेटेके पौत्रको रखा है और उन्होंने बेटेके पौत्र आर बन्ध्या तथा विधवा लड़की इनदोनोंके बीचमें पतिकी दूसरी स्त्रीके पुत्र, पौत्र और प्रपौत्रको रखा है यही मत अधिक मान्य है।

निःसन्तान स्त्रीकी जायदादकी वरासत।

जब किसी स्त्रीके अपनी कोई संतान नहो और न सौतेलेपुत्र और न सौतेले पुत्रकी कोई संतानहो तो उस स्त्रीका वारिस उसके माता पिता और उसके भाई तथा पति होता है।

(१) क्वारे पनमें जो अपने माता पितासे किसी स्त्रीको धनमिला हो और फिर अपने पतिके परिवारसे, और ब्याहके बाद अपने पिताके कुटुम्बियोंसे मिलाहो उसकी वरासत इसप्रकार होती है--
(१) भाई सगा। (२) मा। (३) बाप। (४) पति। (५) स्त्रीके चाहे संतानहो या नहो शुल्क की वरासत ऊपर लिखे अनुसार होती है जैसा कि मिताक्षरामें कहा गया है।

(२) दूसरे प्रकारके स्त्रीधनकी वरासत इसप्रकार होती है---
(क) यदि ब्राह्म विवाह स्त्रीका हुआ-होतो-
(१) पति; 16 W.R.C.R. 115. (२) भाई। (३) मा। (४) बाप।
(ख) यदि आसुर विवाह या कोई दूसरा विवाह स्त्रीका हुआ होतो-
(१) मा। (२) बाप। (३) भाई। (४) पति।

(३) इन वारिसोंके वाद सब प्रकारके स्त्रीधनकी वरासत, चाहे विवाह किसी रीतिसे हुआहो निम्न लिखत होती है, वृहस्पति और जीमूतवाहनका यही मत है—

१—पतिका छोटा भाई ; पतिका छोटा भाई वारिस होगा, विधवाके सौतेले भाईसे पहिले देखो–37 Cal 863; 15 C.W.N. 383; 4 C.W.N. 743.

२—पतिके बड़े भाई या छोटे भाईका पुत्र।

३—वहनका बेटा।

४—पतिकी बहनका बेटा।

५—स्त्रीके भाईका बेटा।

६—लड़कीका पति (दामाद)

पतिकी दूसरी स्त्रीके लड़केकी मौजूदगी में पितामहकी लड़कीका लड़का वारिस नहीं होगा; देखो–6 Ben. R. 77 दायभाग स्पष्ट रूपसे दूसरे लोगोंका हक़ स्त्रीधन की वरासतमें नहीं मानता और ऊपर ६ नम्बर तक कहे हुए वारिसोंके सिवाय नीचे लिखे आदमी भी बंगाल स्कूल में स्त्रीधनके वारिस माने गये हैं–

७—स्त्रीका ससुर।

८—पतिका बड़ाभाई।

९—स्त्रीके ससुरका प्रपौत्र।

१०—पतिका पितामह और उसकी संतान।

११—पतिका प्रपितामह और उसकी संतान।

१२—पतिके सकुल्य (दफा ५८७). और समानोदक (दफा ५८८). उसी क्रमसे जैसाकि उत्तराधिकार का क्रम बताया गयाहै।

१३-दायक्रम संग्रहमें इनके पश्चात् समान प्रवर रखे गये हैं। जिसका अर्थ है कि उसके पतिके समानप्रवर 12 Cal. 348.

पं० जगन्नाथने स्त्रीके पिताके कुटुम्बियोंको दस पीढ़ीतक वारिस माना है उनके पश्चात् पतिके समानोदकोंको और पीछे स्त्रीकी माताके कुटुम्बियोंको वारिस माना है मगर उन्होंने समानप्रवरका ज़िकर नहीं किया। देखो–कोलब्रूक डाइजेस्ट Vol 3 P. 623, बनर्जीका लॉ आफ़ मेरेज P. 422, 433.

वृहस्पतिका मत—बंबई हाईकोर्टके एक मामलेमें वृहस्पतिके आधारपर फैसला किया गया अगर वह फैसला बंगाल स्कूलसे लागू कियाजाय तो यदि स्त्रीका ब्राह्मविवाह हुआ होतो उसके पति, पिता, माता और भाईके वाद उसके पतिके वारिस उत्तराधिकारी होंगे और यदि आसुर विवाह हुआ हो तो स्त्रीके पिताके वारिस उत्तराधिकारी होंगे; देखो––33 I.A. 176; 30 Bom. 431; 10 C. W. N. 802; 8 Bom. L. R. 446,

देवदासी वेश्या रंडी और लावारिस स्त्रीधनकी वरासत।

दफ़ा ७७१. देवदासी और वेश्या तथा रंडीका स्त्रीधन—मंदिरोंमें रहनेवाली देवदासी (दक्षिण हिन्दुस्थानमें जो कुमारियां नाचने गानेके लिये देव मंदिरोंमें रहती हैं) और वेश्या या रंडी (रंडीसे मतलब हिन्दू रंडीसे है). तथा वह स्त्री जो व्यभिचारके कारण पतित होगयी हो इनकी जायदादके वरासतके बिषयमें मतभेद है। परंतु अदालतों ने यह

मानाहै कि उनकी अनौरस संतानमें पुत्रोंसे पहिले पुत्रियां वारिस होंगी ; देखो-कामाक्षी बनाम नागराथनम् 5 Mad H. C. 161 ; नरासाना बनाम गंगू 13 Mad 133 ; 21 Mad 40.

स्ट्रेन्जसाहेबने एक यह नियम रखा है कि जिस देवदासीके संतान न हो तो उसकी जायदाद उसके मंदिरको मिलेगी जिसमें वह नाचने गानेके लिये नियुक्त थी। परंतु अगर ऐसा रवाज न हो तो इस नियमके माने जानेका कोई कारण नहीं है बनर्जीने भी यही रायदी है देखो-बनर्जीका लॉ आफ् मेरेज 2 ed. P. 397 , 394.

वेश्या या रंडीकी जायदादके विषयमें एक ख़ास तौरकी मुशकिल है वह दूसरे वारिसोंकी वरासतके संबंधमें नहीं होती। एक तरफ तो यह गया है कि वेश्या या रंडी हो जानेके बाद उसके कुटुम्बियोंसे स्त्रीका संबंध टूट जाता है इस लिये उसके कोई भी कुटुम्बी वारिस नहीं हो सकते; देखो-स्ट्रेन्जमेन्युएल P. 89 Para 363 ; 21 Cal 697 ; तारामनी दोसिया बनाम मोटी बनियानी 7 Ben, Sel. R. 273 ; 13 Mad 133 ; 12 Mad 277 ; 2 Mad. H. C. 196 ; त्रिपुराचरण बनर्जी बनाम हरीमतीदासी 38 Cal 495 ; 15 C. W. N. 807. परंतु दूसरी तरफ यह कहा गया है कि वेश्या या रंडी होनेके बाद स्त्रीका संबंध उसके कुटुम्बियोंसे टूट जाना क़ानून नहीं मानता अर्थात् वेश्या या रंडी होनेके पहिले स्त्रीका जो संबंध उसके बाप या उसके पतिके घरानेसे था वही वेश्या या रंडी होनेके बाद भी बना रहता है; देखो—सुबरया पिलाई बनाम रामासामी पिलाई 23 Mad 171 ; नरायन दास बनाम त्रिलोक तिवारी 29 All 4; यह इलाहाबादका मुकद्दमा 21 Cal 697 से भिन्नहै।

सरामयी बिवा बनाम सेक्रेटरी आफ् स्टेट 25 Cal 254 ; 2 C. W. N. 97 ; 5 Mad. H. C. 161 ; और कनिंगहम् डाइजेस्ट P. 112 में माना गया है कि वेश्या या रंडी हो जानेपर वरासतके साधारण नियमही लागू होंगे ।

नरायनदास बनाम त्रिलोकतिवारी 29 All 4 के मामलेमें मानागया कि पतिका हक़ है और 23 Mad 171 वाले मामलेमें सौतेले पुत्रका हक़ मानागया और 31 Bom 495 वाले मामलेमें बेटीका हक़ मानागया । 25 Cal 254 ; 2 C. W. N. 97 में कहागया है कि ऐसा रवाज भी कहीं कहीं है कि वेश्या या रंडीके वारिस उसके पतित कुटुम्बी होते हैं ।

नाचने गानेका पेशा करनेवाली स्त्री और व्यभिचारका पेशा करनेवाली स्त्री जैसे वेश्या या रंडी ने यदि गोद लिया हो तो उसके विषयमें देखो इस किताबकी दफा ११६.

नोट—वेश्या या रंडीकी जायदादकी वरासतमें सबसे पहिले उसकी लड़की वारिस होगी और अगर लड़की न हो तो उसकी अनौरस नज़दीकी संतान वारिस होना चाहिये यदि संतान न हो तो नज़दीकी पतित कुटुम्बी, पीछे शुद्ध कुटुम्बीका वारिस होना योग्य होगा ।

नट, बेड़िये, आदि क़ौमोमें प्रायः यह रवाज प्रचलित है कि इनलोगोंकी औरतें वेश्या या रंडीका पेशा भी करती हैं इस लिये माना यही जा सकेगा कि उनकी स्त्रियोंके स्त्रीधनका उत्तराधिकार वेश्या या रंडियोंके अनुसार होना चाहिये । अगर कोई रवाज इसके विरुद्ध सावित होतो दूसरी बात है ।

दफा ७७२. अनौरस संतान——अनौरस संतान भी अपनी माकी जायदादकी वारिस होसकती है; देखो--मैनाबाई बनाम उद्दाराम 2 Mad H. C. 196--201 , 21 Mad 40 , परंतु यह नियम विवाहिता स्त्रीकी अनौरस संतानसे लागू नहीं होगा सिर्फ कुमारीकी संतानसे लागू होगा; देखो--34 Bom 553 ; 12 Bom L. R. 545.

दफा ७७३. लावारिस स्त्रीधन——दायक्रम संग्रह २-६ में कहागया है कि ब्राह्मणीके स्त्रीधनका जब कोई वारिस नरहे तोभी राजा उसे न ले । परंतु अब यह बात नहीं मानी जाती जब स्त्रीधनका कोई वारिस न होतो सब तरहके स्त्रीधनकी वारिस सरकार होगी ।

बेनामी का मामला।

चौदहवां-प्रकरण।

दफा ७७४. बेनामी किसे कहते हैं———‘बेनामी’ यह शब्द फारसी भाषा का है तथा दो शब्दोंके योगसे बना है पहला ‘बे’ जिसका अर्थ है बिना, दूसरा ‘नामी’ जिसका अर्थ है नाम, इसतरहपर ‘बेनामी’ का अर्थ हुआ ‘बिना नाम’। बेनामी शब्दसे यह ज़ाहिर कियाजाता है कि किसीने कोई मामला खुद किया मगर किया दूसरेके नामसे अर्थात् अपना नाम उसमें ज़ाहिर नहीं किया। जैसे किसीने कोई जायदाद अपने रुपयेसे अपने लिये ख़रीदी मगर दूसरेके नामसे ख़रीदी ऐसे मामलेको ‘बेनामी’ मामला कहते हैं।

बेनामी मामला दोतरहसे होताहै एकतो अपने रुपयासे अपने लिये कोई जायदाद ख़रीदकी जाय मगर ख़रीदी जाय दूसरे किसीके नामसे, और दूसरा वह हैकि पहले जायदाद ख़रीदी गयी अपने नामसे लेकिन पीछे वह फ़र्ज़ी तौरसे दूसरे किसीके नाम इन्तकाल करदीगयी। ये दोनों क़िस्मके मामले बेनामी मामले कहलाते हैं और वह शख्श जिसके नामसे ख़रीदी गयीहो या मामला हुआ हो ‘बेनामीदार’ कहलाता है। किसी जायदादको किसी फ़र्ज़ी नामसे लेना अर्थात् जो आदमी जायदादका असली मालिक है उसके नामसे न ख़रीद करना इस देशमें बहुत प्रचलित है जितना कि हिन्दुओंमें इस बातका रवाज है उतनाही मुसलमानोंमें है; देखो—मोलवीसैय्यद बनाम मुसम्मातबीबी 13 M. I. A. 232; 346; 247; यह रवाज कुछतो इस अन्धविश्वासके कारण चल पड़ा है कि किसीका नाम बरकतमंद समझाजाता है और किसीका मनहूस और कुछ इसलिये चल पड़ा है कि लोग अपने घरेलू मामलोंको सबके सामने ज़ाहिर होनेसे छिपाते हैं किंतु इसके संबंधमें बहुतसे लेन देन जालसाज़ीके मतलबसे कियेजाते हैं और बहुतसे लेन देन जो कि जालसाज़ीकी ग़रज़से नहीं भी होते वे बादको जालसाज़ीकी काररवाई करनेके लिये काममें लायेजाते हैं। विशेष कर क़र्ज़ेसे पीछा छुटानेके लिये ऐसी कारवाईकी जातीहै ताकि जिस समय लेनदार अपनी डिकरी जारी करावे तो यह जवाब लगाया जासके कि यह जायदाद दूसरेकी है इसलिये कुर्क नहीं होसकती-देखो—मारकीका हिन्दू और मोहमदन लॉ P. 103.

बेनामीका मामला किसी आदमीके द्वारा दूसरेके नामसे जायदाद ख़रीद लेनेहीतक सीमा बद्ध नहीं है, बल्कि अगर कोई आदमी दूसरेके नामसे किसी जायदादका पट्टा लिखा ले, या अपने नामसे किसी जायदादको ख़रीदकर अन्धविश्वासके कारण दूसरेके नाम मुन्तकिल करदे या रेहन रखदे तो इसकोभी बेनामी मामला कहेंगे; मुसलमान भाई इसतरहके बेनामी मामलेको ‘फ़र्ज़ी’ कहते हैं। हिन्दुओंमें यह रवाज प्रचलित न थी इसलिये ऐसे मामलेका धर्मशास्त्रोंमें कहीं उल्लेख नहीं मिलता।

दफा ७७५. असली मालिकके हक़पर विचार———जब कि एक मरतबा कोई मामला बेनामी ज़ाहिर करदिया गयाहो और अगर नीचे लिखे हुए नतीजे न निकलतेहों तो जो कोई उस जायदादका असली मालिक होगा उसीके हक़की बात मानी जायगी यानी असली मालिकको उस जायदादपर पूरा हक़ प्राप्त होजायगा। उपरोक्त नतीजे यह हैं—

(१) अगर नीचे लिखी हुई दफा ७७७-१ का खंडन न होता हो-
(२) अगर बेनामीदारने उस जायदादका इन्तकाल न किया हो देखो ; दफा ७७७-२
(३) अगर बेनामीका मामला असली मालिकके लेन दारोंका रुपया मारनेके लिये कियागया हो, और वह उद्देश पूराहो गया हो, देखो दफा ७७७—३.

कोई क़ानून ऐसा नहीं है जो बेनामी मामलेको मना करता हो । दूसरी तरहपर यों समझिये कि ऐसा मानो कि महेशने एक जायदाद शंकरके नामसे ख़रीदी इसमें कोई अपराध या जुर्म महेशने नहीं किया इसलिये जहांपर कि ऐसा मामला पैदा हो कि महेशने एक जायदाद शंकरके नामसे ख़रीदी और पीछे शंकर कहे कि मैं उस जायदादका असली मालिक हूं तो महेश सिवाय इसके कि वह अदालतमें नालिश करे कि उस जायदादका असली मालिक मैं हूं और शंकरका नाम बेनामीदारकी हैसियतसे है तथा जायदाद मुझे दिला दीजाय; और कुछ नहीं करसकता । यदि यह साबित हो कि वह जायदाद महेशके रुपयेसे लीगयी थी तो अदालत डिकरी देगी और शंकरको हुक्म देगी कि जायदाद महेशको लौटा दो-देखो ठकुराइन बनाम गवर्नमेन्ट 14 M. I. A. 112.

इसी तरहपर अगर जायदाद महेशने शंकरके नामसे ख़रीदीहो और पीछे महेशका लेनदार कुबेर नालिश करके महेशपर अपने क़र्ज़ेकी डिकरी हासिल करले तो ऐसी सूरतमें कुबेर को अधिकार है कि वह यह साबित करे कि जो जायदाद शंकरके नामसे ख़रीदी गयी है उस का असली मालिक महेश है; ऐसा साबित होनेपर कुबेर उस जायदादको कुर्क और नीलाम कराके अपनी डिकरी वसूल करसकता है; देखो—मुसद्दी मोहम्मद बनाम मिर्ज़ा अली 6 M. I.A. 27 गोपी वसुदेव बनाम मार्कण्डेय 3 Bom 30 अब्दुल बनाम मीरमोहम्मद 10 Cal 616 ; 11 I. A. 10.

विश्वासका परिणाम और बच्चोंकी उन्नति—बेनामी मामला 'हिन्दूलॉ' की शाखामें नहीं है, यह केवल विश्वासपर निर्भर है, ऐसे मामलोंमें मुख्य प्रश्न यह होता है कि असलमें रुपया किसका है जिससे जायदाद ख़रीदी गयी-देखो—देसिलवा बनाम देसिलवा 5 Bom L. R. 784 ; रामनरायन बनाम मोहम्मद 26 Cal 227 ; 26 I. A, 38 ; इंगलैन्डमें जब कोई अपने रुपयेसे अपने किसी बच्चे के नामसे जायदाद ख़रीदता है तो वहांके क़ानूनके अनुसार यह मानलिया जाता है कि उस बच्चेकी उन्नति एवं लाभ पहुंचने के लिये ऐसा किया गया और यदि कोई बात विरुद्ध साबित नकी जाय तो वह जायदाद उस बच्चेकी होगी और वही उसका असली मालिक होगा, मगर हिन्दुस्थानमें ऐसा क़ानून नहीं है यहांपर जब कोई अपने रुपयेसे कोई जायदाद ख़रीदता है तो ज़ाहिरा तौरसे यही माना जाता है कि उसने अपने लाभके लिये ख़रीद किया चाहे उसने अपने किसी बच्चे या अजनबी आदमीके नामसे ख़रीद किया हो; देखो गोपी कृष्टो बनाम गंगाप्रसाद 6 M. I. A. 53—79 वाले मामलेमें प्रीवी कौन्सिल के माननीय जजों ने कहा कि 'हिन्दुस्थानमें अपने बच्चोंकी विना किसी उन्नति के उद्देशसे उनके नामसे अकसर जायदादें ख़रीद की जाती हैं और वे सब बेनामी मामले हैं ; देखो—13 M.I.A. 232 , 247 ; 5 Cal. L.R. 477 ; 6 I.A. 233 ; 13 Cal 181 ; 13 I. A. 70 ; 15 W. R. 357.

दफा ७७६. बारसुबूत—जिस मामलेमें जायदाद दूसरे किसीके नामसे ख़रीदी गयी हो और वह (जिसके नामसे ख़रीदी गयी है) अदालतमें दावा करे कि मैं उस जायदादका असली मालिक क़रार दिया जाऊं; ऐसी सूरतमें बहुत भारी बारसुबूत उसीपर होगा कि वह बड़ी मज़बूतीसे साबित करे कि वह जायदादका असली मालिक है, बहुतभारी बार-

सुबूत होनेका कारण यह है कि ऐसा दावा करतेही यह बात ज़ाहिरा ख्यालमें आती है कि वादी असली मालिक नहीं है और जबकि बिक्री की लिखतसे वादी उस जायदादका असली मालिक ज़ाहिर होता है अदालत संदेहके साथ ऐसे मामलेकी जांच करेगी और प्रतिवादीसे ऐसा सुबूत तलब करेगी कि वादीका नाम बेनामी दार है तथा वादी उस जायदादका असली मालिक नहीं है। यद्यपि ऐसे मामलेमें अदालतको भारी संदेह होगा किंतु वह केवल अपने संदेहके ऊपर मुक़द्दमेंका फैसला नहीं करेगी जैसी शहादत, हैसियत, रिश्ता, पक्षकारोंका होगा, और ऐसा करनेका क्या हेतु था, एवं उस समयके और पश्चात्के कामोंसे क्या ज़ाहिर होता है, तथा पक्षकारोंका चलन व्यवहार कैसा है इत्यादि बातोंपर ध्यान करके फैसला करेगी। शहादतके द्वारा जो क़ानूनी विषय पैदा होंगे उनके ऊपर फैसला करेगी। देखो—श्रीमन चंद्र बनाम गोपालचन्द्र 11 M. I. A. 28; अजमत बनाम हर द्वारीमल 13 M.I.A. 395; फैज़ बख्श बनाम फ़कीरुद्दीन 14 I.A. 234; उम्राप्रसाद बनाम गंधर्व 15 Cal 20; 14 I. A. 127; सुलेमान बनाम मेहदीबेगम 25 Cal 473; 25 I. A. 15; निर्मलचन्द बनाम मोहम्मद 26 Cal 11; 25 I. A. 225; 30 All 258; 35 I. A. 104.

जब किसीने ऐसा दावा कियाहो कि अमुक का नाम बेनामी दार है तथा जायदाद उससे वापिस दिला दी जाय, तो वादीको साधारण यह साबित करना पड़ेगा कि प्रतिबादीके नामसे वह जायदाद क्यों ख़रीदी गयी या इन्तक़ाल की गयी तथा उस जायदादमें रुपया मेरा लगा है, प्रतिबादी कानाम केवल बेनामीदार है, और बदलेमें कुछ नहीं लिया गया।

दफा ७७७. कितनी सूरतोंमें बेनामी मामला रद्द नहीं होगा—(१) नीलाममें ख़रीदने या बक़ाया मालगुज़ारी देनेमें—जब कोई जायदाद अदालतकी डिकरीके द्वारा नीलाम हुई और उसे किसीने दूसरेके नामसे ख़रीदा, या सरकारी बक़ाया मालगुज़ारीके अदा करनेके लिये इसी तरहपर किसीने ख़रीदा और बेमानीदार (जिसके नामसे जायदाद ख़रीदी गयी है) को अदालतसे क़िबाला या सदन मिल जाय तो फिर असली ख़रीदार कभी अदालतमें ऐसी नालिश नहीं कर सकता कि अमुकके नाम जो जायदाद ख़रीदी गयी है बेनामी है, और न उस जायदादको वह उससे वापिस ले सकता है।

उदाहरण—'क' ने एक डिकरी अदालतसे एक हज़ार रुपयेकी 'ख' के ऊपर प्राप्तकी इस डिकरीकी इजरासे 'ख' की जायदाद नीलाम हो गयी, 'ग' ने उस जायदादको नीलाममें ख़रीदा मगर ख़रीदा 'घ' के नामसे। 'घ' को अदालतसे ख़रीदनेका सार्टीफिकट (क़िबाला) मिला, अब 'ग' ऐसी नालिश 'घ' के ऊपर कभी नहीं कर सकता कि मैं नीलामका असली ख़रीदार हूं और 'घ' का नाम बेमानी है। ठीक इसी तरहपर यह क़ानून उस सूरतमें भी लागू होता है जहांपर कि सरकारी बक़ाया मालगुज़ारीके अदा करनेके लिये जायदाद नीलामकी जाय यानी ऐसे नीलाममें भी यदि किसीने दूसरेके नामसे जायदाय ख़रीदी हो तो फिर असली ख़रीदार पीछे दावा नहीं कर सकता।

इस विषयमें क़ानून ज़ाबता दीवानी एक्ट नं० ५ सन १९०८ की दफा ६६ का मतलब इसप्रकार है—'अदालत किसी ऐसे मुक़द्दमेंका विचार नहीं करेगी जिसमें मुद्दई इस बयानसे कि मेरी तरफसे अमुक जायदाद, बाक़ायदा अदालतके नीलामके द्वारा ख़रीदी गयी है किसी हक़का दावीदार हो, या ऐसे किसी आदमीकी तरफसे ख़रीदी गयी थी कि जिसके ज़रियेसे वह ऐसा हक़ रखता हो। मगर यह दफा ऐसे दावेको नहीं मना करती जिसमें कहा जाता हो कि ख़रीदारने दग़ाबाज़ी या असली मालिककी बिना रज़ामंदी नीलामका सर्टिफ़िकट प्राप्त किया है, और न यह दफा किसी सालिसके हक़से लागू होगी जिसका उस

जायदादमें कोई हक़ कारवाई करनेका प्राप्त हो ' और देखो-एक्ट नम्बर 11 सन 1859 बंगाल (एक्ट नं० 3 of 1901 की दफा 178 N. W. P.); एक्ट नं 2 सन 1864 की दफा 38 मदरास; इसी विषयके कुछ फैसले भी देखो-कमी ज़ाक बनाम मनोहर 12 Cal 204; सुब्राबीबी बनाम हारालाल 21 Cal 519; 12 Beng. L. R. 317 (P. C.).

(२) बेनामीदारके बेच देनेमें—अगर किसीने कोई जायदाद अपने लिये ख़रीदकी मगर ख़रीदी दूसरेके नामसे और जिसके नामसे ख़रीदी गयी है उसने उस जायदादको बिना इल्म असली मालिकके, क़ीमतके बदलेमें तीसरे आदमीके हाथ बेच दी या रेहन करदी या और किसी तरहपर इन्तक़ाल करदी तो फिर असली मालिक उस तीसरे आदमीसे जायदाद वापिस लेने का अधिकार नहीं रखता, और न वह ऐसादावा करसकताहै कि इन्तक़ाल रद्द कर दिया जाय और जायदाद वापिस दिलाई जाय, मगर शर्त यह है कि अगर ऐसा इन्तक़ाल करते समय उस तीसरे आदमीको वास्तवमें ऐसा नोटिस मिल चुका हो कि दूसरे आदमी (बे नामीदार) का नाम जायदादपर बेनामीदार है, या ऐसा मालूम हो जाना लाज़िमी हो तो ऐसा दावा हो सकता है-देखो-सरजू प्रसाद-बनाम बीरभद्र 20 I. A. 108; 11 Beng. L. R. 46; 22 Cal 909; 22 I. A. 129.

ख़रीदारका फ़र्ज़—जायदाद ख़रीद करते समय ख़रीदारका केवल यही कर्तव्य नहीं है कि वह यह देखले कि जायदादपर नाम किसका चढ़ा है या किसके नामसे ख़रीदी गयी है, बल्कि उसका यह भी आवश्यक कर्तव्य है कि वह इसबातकी जांच करे कि जायदाद वास्तवमें किसके क़ब्ज़ा व दख़लमें है, अगर ख़रीदार ऐसी जांच करके योग्य संतोष प्राप्त करले और यह देखकर कि बेंचनेवालेका नाम भी उसपर दर्जहै ख़रीद करले, तो ख्याल किया जायगा कि उसने अपना कर्तव्य पालन किया और अगर ख़रीदार सिर्फ यह देखकर कि बेचनेवालेका नाम उसपर है ख़रीदले तो अदालत यह मानेगी कि उसने अपना कर्तव्य पालन नहीं किया ऐसी सूरतमें उस जायदादका असली मालिक दोनोंपर दावा कर सकता है कि तीसरे आदमीके हक़में जो इन्तक़ाल किया गया है रद्द कर दिया जाय-देखो-मनचरजी बनाम कोंगसेऊ 6 Bom H.C.O.C.59; 35 Bom. 269; 14 Cal 109. 13 I.A. 160, 165.

उदाहरण—' क ' ने एक जायदाद ' ख ' के नामसे ख़रीदी पीछे ' ख ' ने उस जायदादको ' ग ' के नाम बेच दिया, ' ग ' अपने कर्तव्यका पालन ठीक तौरसे न करके यानी यह कि जायदाद किसके क़ब्ज़े व दख़लमें है इसकी जांच किये बिना ख़रीद करली, ऐसी सूरतमें ' क ' दोनोपर यानी ' ख ' और ' ग ' पर नालिश कर सकता है कि जायदाद मुझे वापिस दिलाई जाय। यह ध्यान रहे कि जब ऐसे दावेसे अदालत जायदाद असली मालिकको पीछा दिलायेगी तो ' ग ' को कोई हक़ नहीं होगा कि वह अपना रुपया जो उसने ' ख ' को दिया था ' क ' से पा सके चाहे तो वह ' ख ' पर दूसरी नालिश करे। और देखो-इस संबंधमें क़ानून जायदाद इन्तक़ाल सन १८८२ की दफा ४१ इस प्रकार है—' जहांपर कि ग़ैर मनकूला जायदादमें अनेक लोग शामिल हों और उनमेंसे किसी एकके इक़रारसे यह बात ज़ाहिर कर दी गयी हो या ज़ाहिर होती हो कि जो ज़ाहिरा मालिक था उसने जायदादको किसी चीज़के बदले इन्तक़ाल कर दिया, तो यह इन्तक़ाल महज़ इस वजहसे रद्द नहीं हो जायगा कि वह ज़ाहिरा मालिक इन्तक़ाल करनेका अधिकारी नहीं था, बशर्ते कि जिसके हक़में इन्तक़ाल किया गया है उसने काफी और योग्य जांच इस बातकी करली हो कि इन्तक़ाल करनेवाला, इन्तक़ाल करनेका अधिकार रखता है, और नेक नीयतसे ख़रीदा हो'

नोट—उपरोक्त दफा ४१ क़ानून इंन्तक़ालका विशेष अंश मुस्तरका जायदादसे लागू है बेनामीदारके इन्तक़ालमें ख़रीदारको इससे अधिक जांच करना चाहिये।

(३) लेनदारोंसे दग़ाबाज़ी करनेमें—जबकि लेनदारोंसे दग़ाबाज़ी करनेकी नीयतसे जायदाद किसी झूठे नामपर रखदी गयी हो या इन्तक़ाल करदी गयी हो, और उस नीयतका वास्तवमें उपयोग किया गया हो तो असली मालिकको अधिकार नहीं है कि बेनामीदारसे जायदाद वापिस ले सके। लेकिन अगर यह देखा जायकि दग़ाबाज़ी की नीयतका उपयोग नहीं किया गया तो असली मालिक अपनी जायदाद बेनामीदारसे वापिस ले सकता है-देखो—35 I. A. 98; 23 Bom. 406 ; 22 Mad 323 ; 33 Cal 967.

उदाहरण— ' क ' बहुत आदमियोंका क़र्ज़दार है लेनदारोंका रुपया मारने और जायदाद बचानेके लिये उसने अपनी जायदाद पांच हज़ार रुपयेपर ' ख ' के नाम इन्तक़ाल करदी। ' ख ' ने ' क ' को रुपया कुछ नहीं दिया सिर्फ बेनामी तौरसे इन्तक़ाल हुआ। इस इन्तक़ाल की नीयत लेनदारोंके साथ दग़ाबाज़ी करनेकी थी। कुछ दिनके बाद ' क ' ने अपने सब लेनदारोंको रुपयेमें चार आने चुकाकर पूरे क़र्ज़ेसे छुटकारा पालिया। उसके बाद ' क ' ने नालिशकी कि ' ख ' का नाम बेनामी क़रार दिया जाय और जायदाद उसके क़ब्ज़े व दख़लसे मुझे दिलादी जाय। देखो यहांपर दग़ाबाज़ीकी नीयतका वास्तवमें उपयोग कियागया क्योंकि जब ' क ' केपास लेनदारोंने जायदाद नहीं देखी इसलिये चार आने लेकर अपने कुल रुपयेसे दस्तबरदार हो गये, ऐसी सूरतमें उपरोक्त सिद्धांत लागू होगा, यानी ' क ' को जायदाद वापिस नहीं मिलेगी और न उसका दावा सुना जायगा। यह स्पष्ट है कि ' क ' और ' ख ' दोनों एकही तरहके गुनहगार हैं; दोनोंने मिलकर लेनदारोंका रुपया मारा; परंतु ' ख ' के क़ब्ज़े व दख़लमें जो जायदाद इस तरहपर है उसमें अदालत कुछ दख़ल नहीं देगी। लेकिन अगर ' क ' दग़ाबाज़ी की नीयतका वास्तवमें उपयोग करनेसे पहले अर्थात् लेनदारोंको रुपया चुकाये जानेसे पहले जबकि लेनदारोंके रुपयेमें क़ानून मियादका कोई झंझट न पड़ताहो ' ख ' पर ऐसी नालिश करता तो वह उससे जायदाद वापिस लेनेका अधिकारी था, अदालत उस समय ' क ' की दग़ाबाज़ी की नीयतके क़सूर पर कोई दण्ड नहीं देगी कि जो उसने एक मरतबा लेनदारोंके साथ केवल दग़ाबाज़ी करनेका ख्याल किया था बल्कि अदालत ' ख ' को हुक्म देगी कि कुल जायदाद ' क ' को लौटादो। मतलब यह है कि जबतक दग़ाबाज़ी की नीयतका वास्तवमें उपयोग न किया जाय तब तक असली मालिकका हक़ जायदाद वापिस पानेका मारा नहीं जाता-देखो—35 I. A. 98-103.

इससंबंधमें इन्डियन ट्रस्ट एक्ट नं. २ सन १८८२ ई० की दफा ८४ भी देखो-इस दफाका मतलब यह है कि ' जहांपर जायदादका मालिक जायदादको दूसरेके हक़में ऐसे ग़ैर क़ानूनी मतलबके लिये इन्तक़ाल करदे जो काममें न लाया जा सकता हो तो जिसके हक़में इन्तक़ाल किया गया है उसे चाहिये कि इन्तक़ाल करनेवालेके लाभके लिये जायदादको अपने पास रखे'

(४) फरेबी डिकरीमें—जब किसी बेनामीदारने असली मालिकके विरुद्ध अदालतमें दावा करके साज़िशी डिकरी इसलिये प्राप्तकी हो कि असली मालिकके लेनदारोंका रुपया मारा जाय तो उस डिकरीका पाबंद असली मालिक होगा।

उदाहरण—' क ' ने एक मकान ' ख ' के नामसे इस मतलबसे ख़रीदा कि वह मकान मेरे लेनदारोंके दावासे रक्षित रहे और खुद उस मकानमें ' ख ' का किरायेदार बनकर रहने लगा, पीछे ' क ' और ' ख ' दोनोंने मिलकर अदालतसे डिकरी प्राप्तकी अर्थात् ' ख ' ने ' क ' पर क़ब्ज़ा पानेका दावा किया और एक तर्फा डिकरी प्राप्त करली ; ऐसी सूरतमें 'क' उस डिकरीका पाबंदहै, अब वह डिकरीको रद्द नहीं करा सकता तथा 'ख' को अधिकारहै कि 'क' को उस मकानसे निकलवादे और मालिकाना क़ब्ज़ा व दख़ल करले-देखो-11 Bom. 708 ; 10 Mad 17 ; ऐसी डिकरीमेंभी 'क' के लेनदार दख़ल दे सकते हैं-3 Bom. 30,

दफा ७७८. असली मालिक पाबंद रहेगा——यदि कोई बात विरुद्ध न हो तो बेनामीदारकी तरफसे नालिश करनेमें, अदालत यह ख्याल करेगी कि–उसने असली मालिकके पूरे अधिकारोंसहित यह नालिशदायरकी है और जो फैसला उस नालिशका होगा उसका पाबंद असली मालिक भी उतनाही होगा अर्थात् ऐसा माना जायगा कि मानो वह नालिश असली मालिकनेकी थी देखो–गोपीनाथ बनाम भगवंत 10 Cal 697–705; 15 Mad 267; 29 Cal 682; 30 All 30; 22 Bom. 672.

उदाहरण—'क' ने एक मकान 'ख' के नामसे खरीद किया, खरीदनेके समय वह मकान 'ग' के क़ब्ज़े व दख़लमें था। 'ख' ने 'ग' पर नालिशकी कि उस मकानका क़ब्ज़ा व दख़ल मुझे दिला मिले (मानलो कि) मुक़द्दमा डिस्मिस् होगया। पीछे 'क' ने इस बयानके साथ 'ग' पर नालिशकी कि मकानका असली मालिक मैं हूं 'ख' का नाम बेनामीदार है, और 'ख' ने अपने मुक़द्दमेंकी पैरवीमें बहुत बेपरवाहीकी तथा मिलकर डिस्मिस् करा लिया इसलिये मकानका क़ब्ज़ा व दख़ल मुझे दिलाया जाय, साबित हुआ कि 'ख' की नालिशका ज्ञान 'क' को था अदालत ऐसी नालिशको नहीं सुनेगी क्योंकि पहलेतो 'ख' की नालिशके फैसलेका पाबंद 'क' है, और दूसरे दावामें रेसज्जुडीकेटा लागू होता है। 'रेसज्जुडीकेटा' का मूल अर्थ यह है कि दीवानी मोहकमेमें फैसलकी हुई बातका दुबारा फैसला नहीं होगा। 'रेसज्जुड़ीकेटा' इसलिये लागू होता है कि ज़ाबता दीवानी सन १९०८ की दफा ११ इससे संबंध रखती है यह दफा सार गर्भित तथा विस्तृत अर्थकी है साधारण समझनेके लिये हम इस दफाका सारांश नीचे देते हैं इसीका नाम है रेसज्जुडीकेटा—

'कोई अदालत किसी ऐसे मुक़द्दमें या विचार्य्यविषयकी तजवीज़ नहीं करेगी जिसमें वह बात स्पष्ट और वास्तविक विचार्यविषय समझी गयीहो, जो बात कि किसी 'पहले मुक़द्दमें' में फरीक़ैन हाल या ऐसे फरीक़ैन कि जिनके द्वारा हालके फरीक़ैन या उनमेंसे कोई एक दावा करते हैं या किसी हक़पर अपना स्वत्वाधिकार क़ायम करते हैं, स्पष्ट और वास्तविक विचार्य विषय समझकर फैसलकी जाचुकी हो—

(१) 'पहला मुक़द्दमा' इससे यह मतलब है कि वह मुक़द्दमा जो वर्तमान मुक़द्दमेसे पहले दायर हुआ हो या न हुआ हो—

(२) ऐसे प्रश्नके उठनेपर कि अमुक अदालत अमुक मुक़द्दमेंकी तजवीज़ करनेका अधिकार रखतीथी या नहीं, इस प्रश्नकी निस्वत अदालत अपीलसे फैसला होगा–

(३) आवश्यक है कि पहले मुक़द्दमेमें यह बात जो ऊपर कही गयी है किसी एक फ़रीक़ने बयानकी हो और दूसरे फरीक़ने स्पष्ट या अर्थवशात् उससे इनकार किया हो या स्वीकार किया हो--

(४) प्रत्येक बात जो उस पहले मुक़द्दमेमें जवाब देने या दावा करनेकी बुनियाद मानी जासकती थी या मानना चाहिये था तो ऐसा समझा जायगा कि वह बात स्पष्ट और वास्तवमें विचार्यविषय थी—

(५) जिस बातका दावा, अर्ज़ीदावामें किया गया हो और वह डिकरीमें स्पष्ट रूपसे नामंजूर करदी गयी हो तो यह बात इस दफाके मतलबके लिये ऐसी समझी जायगी कि मंजूर नहीं हुई—

(६) जिस सूरतमें किसी आम हक़ या किसी ज़ाती हक़के बाबत लोग दावा करते हों चाहे वह दावा वे अपने वास्ते या कुछ लोगोंकी शिरकतमें करते हों, नेकनीयतीसे जब वे अदालतमें नालिश दायर करदें तो वे सब लोग जो उस

हक़से संबंध रखते होंगे इस दफ़ाके मतलबके लिये, नालिश दायर करनेवालोंके ज़रियेसे, दावीदार समझे जायेंगे।

दफ़ा ७७९. बेनामीदारके दावा करनेका हक़—बेनामीदारको अपने नामसे दावा करनेका हक़ दो तरहका होता है, एक तो वह दावा जो किसी कंट्राक्टकी बुनियादपर हो, और दूसरा वह दावा जो हक़के अनुसार ज़मीनके दिलापानेका हो--

(१) कंट्राक्टके दावेके विषयमें यह माना गया है कि बेनामीदारने जो कंट्राक्ट अपने ज़ाहिरा हक़की वजहसे कियाहो उसके संबंधमें वह अपनेही नामसे दावा दायर करसकता है। कारण यह है कि कंट्राक्ट जिन लोगोंके बीचमें हुआ हो वे ही उस कंट्राक्टके पूरा करानेका दावा करसकते हैं इसी सिद्धान्तके अनुसार उक्त बेनामीदारको ही दावा करनेका हक़ प्राप्त है--

उदाहरण--'क' ने 'ख' की जायदाद रेहन करके उसको क़र्ज़ा दिया मगर रेहन कराया 'ग' के नामसे। 'ग' अपनेही नामसे 'ख' पर रेहनके संबंधमें दावा कर सकता है; देखो 24 Cal. 34; सच्चिदानन्द बनाम बाल्लूराम 24 Cal. 644; 21 All. 380.

निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्टस् एक्ट नं. २६ सन १८८१ ई० के अनुसार यह माना गया है कि अगर 'क' प्रामिसरी नोट लिखवाकर 'ख' को क़र्ज़ दे और वह प्रामिसरी नोट 'ग' के नामसे लिखवाया गया हो तो उस नोटके संबंधमें दावा करनेका अधिकार 'ग' को होगा-देखो--रामानुज बनाम सदागोपा 28 Mad. 205; 28 Mad. 244, 253.

(२) हक़के अनुसार ज़मीन दिलापानेके दावाके संबंधमें बहुत मतभेद है। कलकत्ता और मदरास हाईकोर्टोंकी तो यह राय है कि जो आदमी जिस ज़मीनका महज़ बेनामीदार है वह उसका क़ब्ज़ा दिलापानेका दावा नहीं करसकता, देखो—हरी गोविंद बनाम अक्षयकुमार 16 Cal. 364; ईश्वरचन्द्र बनाम गोपालचन्द्र 25 Cal. 98; बरोदासुंदरी बनाम दीनबंधू 25 Cal. 874; 30 Cal. 265; मदरासका केस देखो—30 Mad. 245;। लेकिन इलाहाबाद और बंबई हाईकोर्टोंकी राय है कि वह ऐसा दावा कर सकता है देखो—इलाहाबादके फैसले—नन्दकिशोर बनाम अहमदअता 18 All 69; 21 All 380; 28All. 44; बंबईके फैसले—रावजी बनाम महादेव 22 Bom. 672; 22 Bom. 820.

उदाहरण—'क' ने एक मकान ख़रीदा 'ख' के नामसे, ख़रीदकी तारीख़पर 'ग' उस मकानपर क़ाबिज़ है, 'ख' ने उस मकानका क़ब्ज़ा पानेके लिये 'ग' पर दावा किया, अपने जवाबमें 'ग' ने कहा कि 'ख' उस मकानका असली मालिक नहीं है, सिर्फ बेनामीदार है, अब देखो इलाहाबाद और बंबई हाईकोर्टोंकी नज़ीरोंके अनुसार यद्यपि 'ख' बेनामीदार है तिसपरभी वह दावा करनेका अधिकारी है। लेकिन कलकत्ता और मदरास हाईकोर्टोंकी नज़ीरोंके अनुसार 'ख' ऐसा दावा करनेका अधिकारी नहीं है, बल्कि 'क' है। लेकिन अगर 'ग' ऐसा उज़ुर पेशन करे तो जो डिकरी उस मुक़द्दमेमें होगी वह 'ग' और 'क' दोनोको बराबर पाबंद करेगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट बेनामीदारको अपने नामसे क़ब्ज़ेका दावा करनेका हक़दार इस लिये मानती है कि उसकी रायमें बेनामीदार ज़ाहिरा तौरसे क़ानूनी हक़ रखता है और मुद्दालेह 'ग' को कोई अधिकार नहीं है कि वह यह उज़ुर पेश करे कि मुद्दई 'ख' असली मालिक नहीं है देखो--नन्दकिशोर बनाम अहमदअता (1895) 11 All. 69-76; लेकिन कलकत्ता हाईकोर्टकी राय इसके बिलकुल विरुद्ध है। उसका कहना है कि बेनामीदार वह आदमी है कि जायदाद सिर्फ जिसके नामपर है; मगर उस जायदादमें उसका कोई क़ानूनी हक़ नहीं है देखो—महेन्द्रनाथ बनाम कालीप्रसाद 30 Cal. 265-272.

दाम दुपटका क़ानून ।

पन्द्रहवां--प्रकरण ।

दफ़ा ७८०. **दामदुपट किसे कहते हैं ?**—दामदुपट का क़ानून हिन्दूलॉके क़र्ज़की एक शाखा है । ' दामदुपट ' यह शब्द हिन्दी भाषाके दो शब्दोंके योगसे बना है, एक ' दाम ' दूसरा ' दुपट ' । दामसे मतलब मूलधनसे और दुपटसे मतलब दूने से है यानी मूलधनका दूना । इस दामदुपटके क़ायदेके अनुसार किसी एक वक्तमें मूलधनसे अधिक व्याजकी रक़म नहीं ली जा सकती—देखो—ढूंढू बनाम नरायन 1 Bom. H. C. 47. दामदुपट का क़ानून नया नहीं है बल्कि बहुत पुराना है ; मनु, याज्ञवल्क्य आदिने, व्याज कहांतक लिया जाय इस विषयमें जो नियम बनाया था वह अब भी अंगरेज़ी अदालतोंमें माना जाता है, भेद केवल इतना पड़ गया है कि प्राचीन कालमें सर्वत्र यह नियम माना जाता था अब सर्वत्र नहीं माना जाता । देखो—मनु और याज्ञवल्क्यका मत—

कुसीदवृद्धिर्द्वैगुण्यं नात्येतिसकृदाहृता । मनु ८—१५१
वस्त्र, धान्य,' हिरण्यानां चतुस्त्रिद्विगुणापरा । याज्ञ० २–३९

मनु—कहते हैं कि मूलधनका व्याज, एक समयमें, मूलधनके दूनेसे अधिक नहीं मिलसकता तथा याज्ञवल्क्य कहते हैं कि-वस्त्र, अन्न, और सुवर्ण (धन) इनका व्याज क्रमसे चौगुना, तिगुना और दूनेसे अधिक नहीं हो सकता । अर्थात् कपड़ेके क़र्ज़का व्याज चौगुना, अन्नका तिगुना, और रुपयेके क़र्ज़का व्याज ज़्यादासे ज़्यादा दूना हो सकता है ।

उदाहरण-क़ानूनके अनुसार दामदुपटका उदाहरण ऐसा समझो कि महेशने १०००) रु० शंकरको दो रुपये सैकड़े माहवारी के सूदपर क़र्ज़ा दिया, जब सूदकी रक़म १५००) रु० होगयी तब महेशने शंकरपर २५००) की नालिश की (मूलधन १०००) रु. और सूद १५००) रु०) दाम दुपटके क़ायदेसे महेशको कोई हक़ नहीं है कि वह व्याजकी रक़म मूल धनसे अधिक किसी एक वक्तमें लेसके, महेशको २०००) रु० से ज़्यादा डिकरी अदालत नहीं देगी किंतु यदि महेशने मूलधनका सूद चाहे क़िस्तबंदीसे या फुटकल तौरसे ५००) रु० नालिश करनेसे पहले वसूल कर लिये हों तो ऐसा करनेका वह हक़दार है ।

यद्यपि यह ५००) रु० उसी सूदके पेटे मिला है मतलब यह है कि महेश एक वक्तमें मूलधन की रक़मसे ज़्यादा सूद नहीं पा सकता; थोड़ा थोड़ा करके चाहे मूलधनसे ज़्यादा भी वसूल कर लिया हो तो हर्ज़ नहीं है । नालिशमें मूलधनकी रक़मसे ज़्यादा सूद नहीं पा सकता । यह भी ध्यान रहे कि महेशने एक वक्तमें यदि १००१) रु० बाबत सूदके वसूल किये हों तो ऐसा वह नहीं कर सकता, कारण यह है कि दामदुपट के क़ानूनका मुख्य मतलब यह है कि कोई एक वक्तमें मूलधनसे अधिक व्याजकी रक़म न ले ; अर्थात् भिन्न भिन्न समयमें ले सकताहै मगर हर समयमें शर्त यही रहेगीकि सूदकी रक़म मूलधनसे ज़्यादा न हो।

व्याजके क़ानूनको रद्द करनेवाला एक्ट नं. २८ सन १८५५ ई०में दामदुपट का क़ायदा नहीं माना गया । इस एक्टके अनुसार लेनदारको उस कुल सूदके पानेका हक़ है जो ठहर गयाहो चाहे वह मूलधनसे कितना भी ज़्यादा हो, लेकिन ऐसे मामलोंमें दामदुपटका क़ायदा

खास तौरसे लागू होता है वहांपर लेनदार किसीएक वक्तमें मूलधनकी रक़मसे ज्यादा व्याज नहीं ले सकता देखो—खुशालचंद्र बनाम इब्राहीम 3 Bom. H. C. A. C. 23; 7 Bom. H. C. O. C. 19; 3 Bom 312, 338; 5 Cal 867.

दफा ७८१. कहांपर दामदुपट माना जायगा——दामदुपट का क़ायदा समस्त बंबई प्रांत (प्रेसीडेन्सी) में माना जायगा देखो—नरायण बनाम सतनाजी 9 Bom. H. C. 83, 85; और सिर्फ कलकत्ता शहरमें माना जायगा देखो—नवीन चन्द्र बनाम रमेशचन्द्र 14 Cal 781; लेकिन बंगालके और किसी भागमें नहीं माना जायगा देखो—हितनरायन बनाम रामधनी 9 Cal 871; मदरास प्रांतमें यह क़ायदा नहीं माना जाता देखो—6 Mad. H. C. 400; इसी तरहपर संयुक्तप्रांत, मध्यप्रांत, पंजाब आदि यानी बंबईप्रांत और कलकत्ताशहर छोड़कर हिन्दुस्थानके किसी भागमें यह क़ायदा नहीं माना जाता।

दफा ७८२. दामदुपटमें मियादका क़ानून——दामदुपटके क़ायदेपर क़ानून मियादका कुछ भी असर नहीं पड़ता, क़ानून मियादके अनुसार क़र्ज़ा देनेके बादसे तीन वर्षकी मियाद मानी गयी है और इससे लेनदार तीन वर्षके व्याजका दावा कर सकता है, रक़म चाहे कुछ हो मगर जिन मामलोंसे दामदुपट लागू होता है उनमें कोई लेनदार एक वक्तमें मूलधनकी रक़मसे अधिक व्याज नहीं ले सकता देखो–3 Bom 312, 332; 9 Bom 233.

दफा ७८३. जहांपर मूलधनका कोई भाग अदा किया गया हो——जब कोई क़र्ज़ा क़िस्तबंदीकी शर्तसे लेनेके लिये दियागयाहो और कुछ क़िस्तें उस शर्तके अनुसार अदा भी होचुकी हों, अथवा क़िस्त बंदीसे लेनेके लिये न दियागया हो एक मुश्त लेनेकी शर्तसे दिया गया हो और उसका कुछ हिस्सा अदा कर दिया जाय तो दामदुपटका मूलधन वह रक़म समझी जायगी जिसपर व्याज लगाकर नालिश की गयी हो। देखो—ड़गडूसा बनाम रामचन्द्र (1895) 20 Bom 611; 30 Bom. 452.

उदाहरण—महेशने शंकरको ४००) रु० एक रुपया सैकड़े माहवारीके व्याजपर क़रज़ दिया और शर्त यह थी कि यह रुपया १००) रु० की क़िस्तबंदीसे अदा किया जायगा इसके अनुसार शंकरने तीन क़िस्तें सूद सहित जो उस वक्त तक का था आदा कर दीं, पीछे महेशने शंकरपर १००) रु० आख़िरी क़िस्तका और १२५) व्याजका दोनों जोड़कर २२५) रु० की नालिशकी। दामदुपट के क़ायदेके अनुसार महेश १००) रु० से ज्यादा सूद नहीं पा सकता यही सूरत उस क़र्ज़ेसे लागू होगी जो क़िस्तबंदीसे न दिया गया हो–दोनो में यही देखा जायगा कि मूलधन वह है जिसपर व्याज लगाया गया हो।

दफा ७८४. पीछेके इक़रारसे व्याजका मूलधन होना——प्राचीन क़ायदा भी यही था देखिये मनु (८–१५४, १५५) कहते हैं कि यदि ऋणी, क़र्ज़ा न चुका सके तो धनीको व्याज देकर फिरसे लिखत लिखदे, यदि व्याज भी नदे सके तो मूलधन और व्याज मिलाकर धनीको लिखत करदे ऐसा करनेसे वह व्याज भी मूलधन समझा जायगा श्लोक देखो—

ऋणंदातुमशक्तोयः कर्तुमिच्छेत्पुनः क्रियाम्
सदत्वानिर्जितांवृद्धिं करणंपरिवर्तयेत्। ८–१५४.
अदर्शयित्वातत्रैव हिरण्यं परिवर्तयेत्
यावतीसम्भवेद् वृद्धिस्तावतीं दातुमर्हति। ८–१५५

साकूलाल बनाम बापू (1898) 24 Bom. 305 वाले मामलेमें यही बात मानी गयी है कि किसी पहलेके क़र्ज़ेके बारेमें नया दस्तावेज़ लिखा गया हो जिसमें पिछला मूलधन और उसका व्याज दोनो मिलाकर मूलधन माना गया और उसपर सूद चालू किया गया हो तो दामदुपट के क़ायदेके लिये नयी दस्तावेज़में लिखी रक़म मूलधन मानी जायगी।

दफा ७८५. मुक़द्दमा दायर करनेके पश्चात् दामदुपट लागू नहीं होता——जब किसी क़र्ज़ेकी नालिश अदालतमें दायरकी गयी हो तो उस वक्तसे दामदुपटका क़ायदा लागू नहीं होता अर्थात् यद्यपि कोर्ट इस बातकी पाबंद है कि नालिश दाख़िल करनेकी तारीख़से डिकरीकी तारीख़तक दामदुपटका क़ायदा लागू रखे फिरभी उसे अधिकार है कि लेनदारके ठहरे हुए व्याजके हिसाबसे, नालिशकी तारीख़से डिकरीकी तारीख़ तक उसे मूलधन मानकर उसपर व्याज दिलावे देखो—22 Bom. 86; 37 Bom. 226–338; 40 I. A. 68; 33 Cal. 1269–1276.

क़ानून ज़ाबता दीवानी १९०८की दफा ३४ भी देखो, इसमें कहा गयाहै कि-' जब अदालतने रुपयाकी डिकरी दी हो तो अदालतको अधिकार है कि, उस सूदके अलावा जो नालिश दायर करनेकी तारीख़ तक मूलधनमें शामिल किया जाचुका है, जिस मूलधनकी डिकरी हो उसपर नालिशकी तारीख़से डिकरीतक तथा डिकरीसे अदा होनेतक सूद मजमूयी रक़मपर जो अदालतकी रायमें मुनासिब मालूम हो दिलानेका हुक्म दे। यदि सूदके बारेमें अदालतने कोई हुक्म न दिया हो तो माना जायगा कि उसने सूद नहीं दिलाया '

उदाहरण--महेशने शंकरको १०००) रु० २॥) रु० सैकड़े माहवारीके हिसाबसे क़र्ज़ा दिया, पीछे महेशने २५००) रु० की नालिशकी जिसमें १०००) रु० मूलधन और १५००) रु० व्याजका था। दामदुपटके क़ायदेसे अदालत २०००) रु. से अधिक डिकरी नहीं देगी लेकिन उसे यह अधिकार है कि ज़ाबता दीवानी सन १९०८ ई० की दफा ३४ के अनुसार २०००) रु० पर नालिशकी तारीख़से डिकरीकी तारीख़तक उसी सूदकी शरहसे सूद दिला दे जो पहले ठहरा हुआ था (२॥ रु०), और डिकरीकी कुल रक़मपर भी सूद दिलाये जो उसे मुनासिब मालूम हो। डिकरीके पीछे चाहे जितना व्याज बढ़गया हो उसके वसूल करनेमें दामदुपट लागू नहीं होता क्योंकि डिकरी के पश्चात् यह क़ायदा बंद होजाता है; देखो—(1875) 1 Bom. 73; लालबिहारीदत्त बनाम धाकूमनी (1896) 23 Cal. 899.

दफा ७८६. दामदुपट इन्फ़िकाक़ रेहनसे भी लागू होगा————दामदुपटका क़ायदा न सिर्फ उन क़र्ज़ोंकी नालिशसे लागू होगा जो बिना किसी लिखतके, या प्रामेसरी नोट, या तमस्सुक आदिके द्वारा दिये गये हों बल्कि जब कोई नालिश रेहन रखनेवाले की तरफसे ' इन्फ़िकाक़ रेहन ' (रेहनको छुटाना) की कीजाय तो भी दामदुपट लागू होगा।

दफा ७८७. कौन आदमी दामदुपटका हक़ रखते हैं——(१) कलकत्ता हाईकोर्टके अनुसार, दामदुपटका क़ायदा उस वक्त लागू किया जायगा कि जब क़र्ज़ा देनेवाला और लेनेवाला दोनो हिन्दू हों देखो–उमा बनाम श्रीहरि 1 Cal.W.N.(Short notes) 178; 14 Cal 781; यानी अगर क़र्ज़ादेनेवाला मुसलमान है और लेनेवाला हिन्दू, या ईसाई है लेनेवाला और देनेवाला है हिन्दू उन सूरतोंमें यह क़ायदा नहीं माना जायगा।

(२) बंबई हाईकोर्टके अनुसार यह बात परमावश्यक है कि क़र्ज़ा लेनेवाला हिन्दू हो तभी दामदुपटका क़ायदा लागू पड़ेगा, इसका नतीजा यह होता है कि अगर क़र्ज़ा लेनेवाला मुसलमान हो और देनवाला हिन्दू हो तो लागू नहीं पड़ेगा देखो–3 Bom 131; 18 Bom 227; लेकिन उस वक्त लागू पड़ेगा जब क़र्ज़ा देनेवाला मुसलमान या दूसरी क़ौमका हो

और लेनेवाला हिन्दू; देखो-अलीसाहेब बनाम शिवाजी 21 Bom 85; अगर क़र्ज़ा लेनेके समय क़र्ज़दार हिन्दू हो और पीछे मुसलमान हो जाय तो यह क़ायदा लागू पड़ेगा मगर उस वक्त लागू नहीं पड़ेगा जब कि क़र्ज़ा लेते समय मुसलमान हो और उसने पीछे उस क़र्ज़को किसी हिन्दूके हक़में इन्तक़ाल कर दिया हो ; देखो—हरीलाल बनाम नागर 21 Bom. 38.

जब कि पहला क़र्ज़दार हिन्दू है और व्याजकी रक़म मूलधनसे ज़्यादा बढ़गयी है उसके बाद वह क़र्ज़ किसी मुसलमानपर बदल कर चला गया, तो ऐसी सूरतमें दामदुपटका क़ायदा उसी हद्द तक लागू समझा जायगा जहांतक कि वह क़र्ज़ा हिन्दूके ऊपर था। जिस तारीख़से क़र्ज़ मुसलमानपर मुन्तक़िल होगया उसी वक्तसे दामदुपट टूट जायगा। मुसलमानके पास जिस तारीख़से वह क़र्ज़ आया है मूलधनके दूने रुपये परसे आगेका व्याज शुरू रहेगा यानी जबतक हिन्दू क़र्ज़का ज़िम्मेदार है तबतक मूल धनके दूनेसे अधिक लेनदार नहीं लेसकता था देखो-अलीसाहेब बनाम शिवाजी 21 Bom. 85.

उदाहरण—एक मुसलमान नूरखाँने १२२) रु० किसी व्याजपर हमेश हिन्दूसे क़र्ज़ लिया और अपनी जायदाद उसमें रेहन करदी पीछे नूरखांने अपना हक़ इनफिकाक जायदादका एक हिन्दू शंकरके हाथ वेच दिया। महेशने शंकरपर अपने ५४०) रु० मिलनेका दावा किया इस बयानसे कि १२२) रु० मूलधन और ४१८) रु० बाबत व्याजके जो दावेमें शामिल हैं दिलाये जायें। शंकरने उज़ुर पेश किया कि वह और बादी दोनो हिन्दू हैं दामदुपटका क़ायदा लागू होना चाहिये यानी बादी मूलधनसे दूनी व्याज पानेका अधिकारी है ज़्यादा नहीं। ऐसी सूरतमें यह क़ायदा लागू नहीं होगा क्योंकि प्रथमका क़र्ज़दार मुसलमान नूरखां था इससे महेश कुल दावेकी डिकरी पासकता है।

शंकर एक हिन्दू है उसने ३००) रु० दो रुपये सैकड़े माहवारीके सूदपर नूरखां मुसलमानसे क़र्ज़ा लिया और अपनी जायदाद उसमें रेहन कर दी पीछे शंकरने अपना इनफिकाक का हक़ अल्लाह बख्शके हाथ बेच दिया। नूरखांने अल्लाह बख़्शपर १५००) रु० की नालिश इस बयानके साथ दायरकी कि ३००) रु० मूलधन और १२००) रु० व्याज जो रेहन करनेकी तारीख़से, दावा करनेकी तारीख़ तक होता है दिलाया जाय। ऐसी सूरतमें नूरखां सिर्फ ३००) रु० मूलधन और ३००) रु० व्याजके पानेका हक़दार है ज़्यादा नहीं क्योंकि प्रथमका क़र्ज़दार हिन्दू था यह माना गया है कि अगर नूरखां शंकरपर नालिश करता तो उसे जितना हक़ दामदुपटके क़ायदेके अनुसार उस समय होता उसी क़दर वह डिकरी पानेका उस वक्त भी हक़ रखता है जब कि उसने अपना हक़ अल्लाहबख्शसे हाथ वेंच दिया—21 Bom 85.

दफ़ा ७८८. कैसे क़र्ज़ेमें दामदुट लागू पड़ेगा——दामदुपटका क़ायदा सिर्फ सादे क़र्ज़ेमें ही लागू नहीं होगा बल्कि उस क़र्ज़ेमें भी लागू होगा जिसमें कोई जायदाद मनक़ूला या ग़ैर मनक़ूला (स्थावर, जंगम) रेहनकी गयी हो। देखो-नाथूभाई बनाम मूलचन्द 5 Bom. H.C.A.C. 196 ; नरायण बनाम सत्यवाजी 9 Bom. H. C. 83 ; 24 Bom. 114 ; 6 Bom. H. C. A. C. 90 ; 21 Bom. 85 ; 8 Bom 312.

मगर जब कोई जायदाद क़र्ज़ाके सूदके बदलेमें लेनदार के क़ब्ज़े व दख़लमें देदी गयी हो तो उसकी सूरत कुछ निराली है देखो—

(१) जिस जायदाद का किराया या मुनाफा निश्चित है और दोनोने यह मंजूर कर लिया हो कि लेनदारके व्याजकी ठीक रक़मके बदले या उसकी व्याजके किसी अंशके बदले जायदाद रेहन करनेवाला (धनी) रेहनकी हुई जायदादसे वह किराया या मुनाफा वसूल करलिया करे तो ऐसी सूरतमें दामदुपट लागू होगा देखो-20 Bom. 721 , 22Bom. 86.

(२) जिस जायदादकी आमदनी अनिश्चित है और दोनोंके बीचमें कोई इक़रार नहीं हुआ; ऐसी सूरतमें जिसकेपास वह जायदाद रेहन है, उस जायदादकी आमदनी का हिसाब राहिनको देनेके लिये वह पाबंद है। नतीजा यह हुआकि अगर जायदाद की आमदनी लेनेपर ब्याज मूलधनसे अधिक हो गयाहो तो दामदुपट लागू नहीं होगा ; देखो—5 Bom. H. C. A. C. 196—199.

उदाहरण—(१) महेशने शंकरसे १०००) रु० बीस रुपये सैकड़ा सालाना सूदके हिसाबसे क़र्ज़ लिया और इस क़र्ज़में एक मकान अपना रेहन करके क़ब्ज़ा व दख़ल शंकरको दे दिया। रेहनकी तारीख़से किरायेदार सब शंकरके होगये दोनोंमें यह शर्तथी कि शंकर किराये दारोंसे भाड़ा वसूल कर लिया करे। भाड़ा १५०) रु० सालका था इसलिये यह भी शर्तथी कि ५०) रु० महेश हरसाल ब्याजका अपने पाससे अदा करता रहेगा क्योंकि २००) रु० ब्याजका होताथा। पीछे शंकरने २२००) रु० की नालिश महेशपर इस बयानसे की कि १०००) रु० मूलधन और १२००) रु० ब्याजका जो पिछल गया है दिलाया जाय। इस जगहपर प्रश्न यह है कि क्या शंकर १२००) रु० सूद पानेका हक़दार है? उत्तर यह है कि हरगिज़ नहीं क्योंकि कोई हिसाब करना नहीं था इसलिये दामदुपट लागू होगा और शंकरको मूलधनके दूनेसे ज़्यादा डिकरी नहीं मिलेगी।

(२) अब ऐसा मानोकि शंकर और महेशके बीचमें कोई इक़रार नहीं हुआ कि शंकर ब्याजके बदलेमें भाड़ेकी आमदनी लेगा, और आमदनी भी अनिश्चित है, रेहनके बाद शंकर उसकी आमदनी लेतारहा। आख़ीरमें शंकरने इस बयायसे नालिशकी कि मूलधन १०००) रु० और ब्याजका १२००) रु० कुल २२००) रु० दिलाया जाय। ऐसी सूरतमें दामदुपट लागू नहीं होगा क्योंकि अगर हिसाबके वक्त यह मालूम होकि आमदनी जो वादीको मिलती है उसके मुजरादेनेपर उसका रुपया मूलधनसे ज़्यादा बाक़ी रहता है तब वह २२००) रु० की डिकरी पानेका हक़दार है। विस्तारसे देखो—35 Bom 199 ; 21 Cal. 840.

दान और मृत्युपत्र

अर्थात्

हिबा और वसीयत ।

सोलहवां-प्रकरण ।

दान

दफा ७८९. दान शब्दकी उत्पत्ति और व्याख्या——‘दान’ यह शब्द संस्कृत भाषाका है। संस्कृतके व्याकरणके अनुसार ‘डुदाञ्-दाने’ धातुसे भावमें ‘ल्युट्’ प्रत्यय होकर ‘दान’ शब्दकी सृष्टि हुई है । इसका मूल अर्थ है देना, और जब यह दान शब्द संज्ञावाचक होता है तो इसका अर्थ दान-संग्रह ग्रन्थमे यों किया है—

“परस्वत्वोत्पत्त्यंतो द्रव्यत्यागो दानम्”

अर्थात् धन (स्थावर या जंगम) में अपने सब अधिकार छोड़ देना और वे सब अधिकार दूसरेके पैदा होजाना, यह बात जिसमें हो वह काम ‘दान’ है। दानको उर्दू भाषामें ‘हिबा’ कहते हैं और अंगरेजीमें ‘गिफ्ट’। दान और वसीयतमें यह फरक़ है कि दानका काम पूरा होते ही दान दी हुई संपत्ति परसे दान देनेवालेका सब हक़ चला जाता है। किंतु वसीयतमें नहीं चला जाता ; उसमें उसके जीवनतक बना रहता है, दान बदल नहीं सकता किंतु वसीयत बदल सकती है इत्यादि । दानकी अधिक व्याख्याके लिये देखो-शब्दकल्पद्रुम, और चतुर्वर्ग चिन्तामणिका दान प्रकरण तथा, दान चन्द्रिका, दानमीमांसा, दान कौस्तुभ आदि।

दफा ७९०. धर्मशास्त्रमें चार प्रकारके दान——नारद कहते हैं कि—

अथदेयमदेयंच दत्तंवादत्तमेवच
व्यवहारेषु बिज्ञेयो दानमार्गश्चतुर्विधः ।

प्राचीन हिन्दूलॉमें चार प्रकारके दान माने गये हैं। वे यह हैं (१) देय अर्थात् जो दिया जा सकता हो (२) अदेय, अर्थात् जो न दिया जा सकता हो (३) दत्तं, अर्थात् जायज़ दान (४) अदत्तं; अर्थात् नाजायज़ दान इस संबंधमें याज्ञवल्क्यका वचन इस प्रकार है—

स्वकुटुम्बा बिरोधेन देयंदारसुताद्रते
नान्वयेसति सर्वस्वं यच्चान्यस्मैप्रतिश्रुतम् ।

अपने परिवारके भरण पोषणसे जो धन बचे वह दान करनेके योग्य है और स्त्री, तथा पुत्रादिका दान नहीं हो सकता एवं परिवार वाले मनुष्यको उचित है कि सर्वस्व यानी मौरूसी और निजकी कमाई हुई स्थावर संपत्तिका सब दान न करे और जिसे दान देनेकी प्रतिज्ञा करे उसीको दे। आजकल क़ानूनमें यह बात स्पष्ट रूपसे मानली गयी है कि निजका कमाया

हुआ स्थावर धन जिसका वह अकेला पूर्ण अधिकारों सहित मालिक है सबका सब दान कर सकता है। अदालत उसे जायज़ मानेगी, जंगम संपतिका दान तो जायज़ मानाही जाता है यदि कोई विशेष बात लागू न हो।

दफा ७९१. लिखत नहीं बल्कि क़ब्ज़ा ज़रूरी है—हिन्दूलॉके अनुसार जायज़ दानके लिये किसी प्रकारकी लिखतकी ज़रूरत नहीं है देखो--26. W. R. 53; 3. I. A. 259; 6 M. I. A. 267; 18 W. R. 293; दानके जिन मामलोंसे क़ानून इन्तक़ाल जायदाद लागू नहीं होता वे दान चाहे ज़बानी या लिखतके द्वारा किये गये हों, जायज़ माने जावेंगे- 4.B.H.C.A.C 31; 5.B.H.C.O.C.83; दानके जायज़ बनानेके लिये हिन्दूलॉके अनुसार उस जायदादपर दान लेने वालेका क़ब्ज़ा करा देना ज़रूरी है देखो--4 M. H. C. 460; 4.B.H.C.A.C.31; 18 Bom. 688; 17Bom.486; 20 Cal. 464; 26 Bom. 449; 7 Bom. L. R. 45; 9 Cal. 854.

दफा ७९२. दान देनेका अधिकारी कौन है—(१) हिन्दू अपने अधिकारकी किसी भी जायदादका इन्तक़ाल दान के तौरपर कर सकता है देखो–1 Mad. H. C. 393; या उस जायदादपर किसी दानका बोझाडाल सकता है देखो–7 Mad. 23.

(२) किसी शारीरिक दोषके कारण कोई हिन्दू यदि अपने वरासतका अधिकार काममें लानेसे बंचित किया गया हो तो भी वह अपने हक़की जायदादको दान के तौर पर दे सकता है--श्यामाचरण बनाम रूपदास बैरागी 6. W. R. C. R. 68.

(३) बाप या भाई ज़मीनका दान लड़की या बहनको कर सकता है--एक बापने मौरूसी जायदादका दान अपनी लड़कीको दिया जिसका विवाह हुए ४० वर्ष हो चुकेथे जायज़ माना गया देखो--10 Indian Cases 56; 9 M. L. T. 469; 21 M. L. J. 695; इसी तरहसे भाईने भी अपनी विवाहिता बहनके हक़में दान किया वह भी जायज़ माना गया 17 M. L. J. 528.

(४) बापकी जायदाद, लड़की दान कर सकती है---एक हिन्दू लड़की जो बापके मरनेपर उसकी छोड़ी हुई जायदादकी उत्तराधिकारिणी हुई थी, उस जायदादका कुछ थोडासा भाग उसने बापके श्राद्धके अवसर पर दान कर दिया। लड़कीके पश्चात् वाले वारिस उसे कोई रुकावट नहीं डाल सकते जबकि जायदादका थोड़ासा भाग ऐसे कामोंके लिये बेंचा या दान दिया जाय. 6 Indian Cases 240-242; 8. M.L. T. 74.

(५) विधवा अपनी लड़कीके विवाहमें जायदादका योग्य भाग दान दे सकती है देखो-22. Mad. 113; 8 M. L. J. 170.

(६) कुष्ठी या घृणित रोगसे पीड़ित—6. W. R. 68.

(७) मौरूसी पट्टेदार—पंजाबका एक मुक़द्दमा है जिसमें ज़मीनके एक मौरूसी पट्टेदारने अपने भतीजे और दत्तक पुत्रको वह ज़मीन दान करदी, जायज़ माना गया। यहांपर दान देनेवाले हीके ख़ानदानके वे दोनों थे, और ज़मीनके वारिस होते 18.P.R.1868 Civil

(८) ग़ैर आदमीको दान--एक हिन्दूके सिर्फ एक बिना विवाहिता लड़की थी, दूसरा नज़दीकी वारिस न था। उसने अपनी सब जायदाद एक ग़ैर आदमीको दान करदी शर्त यह रखी कि वह आदमी लड़कीका भरण पोषण करता रहे और उसके विवाहका सब ख़र्च दे, यह दान जायज़ माना गया, यदि कोई रवाज इसके विरुद्ध हो तो दूसरी बात है देखो—71. P. R. 1868.

(९) अंधी औरत--एक बहुत दिनकी अंधी औरतके न तो कोई रिश्तेदार थे और

न मित्र उसने एक लिखतके द्वारा सब जायदाद एक ग़ैरआदमीको देदी, जायज़ माना गया देखो—5 C. P. L. R. 44.

(१०) विधवा अपना स्त्रीधन दान कर सकती है—एक विधवाने अपना स्त्रीधन अपने भाईको दान कर दिया दानकी सब शर्तें पूरी कर दी गयीं, यह ठहराव था कि भाई उसको ज़िंदगी भर परवरिश करेगा, जायज़ माना गया, 1876 Sielect Case Part 8 NO 22.

दफा ७९३. दान देनेका अधिकारी कौन नहीं है—(१) बंबईमें बाप मौरूसी जायदादका दान नहीं कर सकता—कोई हिन्दू बाप बंबईप्रांतमें मुश्तरका मौरूसी ग़ैर मनकूला जायदादका दान नहीं कर सकता जिसमें कि उसके लड़कोंने अपनी पैदाइशसे हक़ प्राप्त करलिया हो–12 Bom. L. R. 910; 8 Indian Cases 625; 27 Mad 228.

(२) विधवा—पतिकी अलहदा जायदादका दान विधवा नहीं कर सकती, एक हिन्दू विधवा जो पतिकी अलहदा जायदादकी उत्तराधिकारिणी हुई थी, वह अपने पीछे होनेवाले वारिसोंकी मंजूरीसे भी दान नहीं कर सकती देखो—32 All 176; :7 All. L. J. 121.

(३) नाबालिग़—जिसकी उमर १८ वर्षसे कम हो ऐसा नाबालिग़ जायदादका दान नहीं कर सकता–17 Indian Case 86.

दफा ७९४. दान लेनेका अधिकारी कौन है—धर्मशास्त्रोंमें इस बातपर अधिक विचार किया गया है कि अमुक पुरुष दान लेनेका अधिकारी और अमुक नहीं। दान लेनेवालेमें कैसे गुण होना चाहिये, और कब तथा कौनसा दान लेनेका अधिकारी कौन है इत्यादि सूक्ष्म बातोंपर बहुत कुछ कहागयाहै किंतु क़ानूनमें अब वह बातें सब नहीं मानीजातीं इस लिये हम केवल वही बात कहते हैं जो वर्तमान हिन्दूलॉके संबंधमें मानी जाती हैं।

दान देते समय, या यदि वसीयत द्वारा दान दिया जाय तो दान देनेवालेकी मृत्युके समय जो आदमी जीवित हो वही दान ले सकता है। यानी दान देते समय जो संतान पैदा न हुई हो उसके नाम भावी दान नहीं दिया जासकता। बच्चे या पागलको भी दान दिया जा सकता है देखो—मेकनाटन हिन्दूलॉ Vol 2, P. 243-244; और 27 Bom. 31; 4 Bom. L. R. 754 में माना गया कि बच्चे और पागलकी तरफसे उसके लिये उसका वली दान ले सकता है।

जब कोई नाबालिग़ दानमें कोई जायदाद पाये या उसका वली उसके लिये कोई जायदाद पाये और उस जायदादके दानके साथ किसी तरहकी शर्त लगी हो तो नाबालिग़ उस शर्तका पाबंद नहीं होगा। किंतु अगर बालिग़ होनेपर और उस शर्तको जानकर वह उस शर्तका विरोध न करे, और जायदाद अपने क़ब्ज़ेमे रखे तो वह उस शर्तका पाबंद होगा; देखो क़ानून इन्तक़ाल जायदाद एक्ट नं. 4 of 1882. S. 127; 20 Mad. 147.

नोट—कोई स्त्री, केवल स्त्री होनेकी वजहसे, दान लेनेसे वंचित नहीं है—

दफा ७९५. क़ब्ज़ा होजाना अत्यावश्यक है—(१) क़ानूनकी दृष्टिमें पूरा दान वह है कि जो ज़बानी या लिखकर, और जायदादमें मालिकाना हक़ त्याग देनेकी नीयत रखकर किया जाय, और दान देनेवालेकी ज़िंदगीमें दान लेनेवालेका क़ब्ज़ा उस दानकी जायदादपर पूरे तौरसे हो जाय; देखो–6 Mad. H. C. 270.

(२) हिन्दूलॉके अनुसार यह आवश्यक है कि दान लेनेवालेका क़ब्ज़ा जहांतक मुमकिन हो दानसे मिली हुई चीज़पर जल्द होजाय–देखो 4 All. 40; 6 Mad. H.C. 194,

(३) जब दान दी हुई भूमि असामियोंके क़ब्ज़ेमें हो तो उस भूमिसंबंधी हक़की लिखत और काग़ज़ात दे देनेसे या असामियोंसे यह कह देनेसे कि वे मालगुज़ारी दान लेनेवालेको दिया करें या असामियोंसे मालगुज़ारी लेकर रसीद देनेसे, दानकी जायदादपर दान लेनेवालेका क़ब्ज़ा समझा जायगा देखो-4 Bom. H.C.31; 5 Bom.H.C.O.C.83.

(४) सिर्फ़ दानपत्रकी रजिस्टरी करा देनेसे दान लेनेवालेका क़ब्ज़ा, जायदादपर नहीं समझा जायगा 20 Cal. 464; 9 Cal 854; 12 C. L. R. 530; 7 Bom 131; लेकिन यह माना गया है कि, रजिस्टरी करानेके बाद अगर दानपत्र दानलेने वालेको दे दिया जाय तो इस बातसे भी क़ब्ज़ा समझा जायगा-बाल मुकुंद बनाम भगवानदास, 16 All 185;

(५) दानको पूरा करनेके लिये दान देनेवालेने अगर अपने करने योग्य जो काम हैं वे सब कर दिये हों तो वह दान महज़ इस बुनियादपर रद्द नहीं हो सकता कि दान की हुई जायदाद दान देनेके समय दान देनेवालेके क़ब्ज़ेमें नहीं थी; देखो-कालीदास मल्लिक बनाम कन्हैया लाल पण्डित 11 I. A. 218; 1 Cal 121; 16 All. 185.

(६) स्वाभाविक प्रेमके कारण अगर कोई चीज़ किसीको देनेका कंट्राक्ट किया गया हो अर्थात् वचन दिया गया हो और उस कंट्राक्टकी रजिस्टरी भी कराली गयी हो तो वचन देनेवाला उस कंट्राक्टका पाबंद होगा-देखो-इन्डियन् कंट्राक्ट एक्ट 9 of 1872 इस क़ानूनके अनुसार वास्तविक नियम यह है कि किसी चीज़ या मूल्यके बदलेमें जो चीज़ देनेका कंट्राक्ट किया जाय वह कंट्राक्ट अवश्य पूरा करना होगा परंतु यहांपर उससे भिन्न केवल यह बात दिखाई गयीहै कि केवल मूल्यके बदलेमेंही नहीं, बल्कि आपसके प्रेमके कारण भी यदि किसीको कोई चीज़ देनेका वचन दियाजाय यानी कंट्राक्ट कियाजाय तो वह अवश्य पूरा करना होगा मगर शर्त यह है कि उस कंट्राक्ट पत्रकी रजिस्टरी ज़रूर होगयी हो।

(७) नाबालिग़की तरफसे उसका वली उसके लिये दान की हुई वस्तुपर क़ब्ज़ा कर सकता है देखो—जैतराम बनाम रामकृष्ण 27 Bom. 31.

(८) अगर दान देने वालाही नाबालिग़का वली हो और देनेके बाद भी जायदाद उसीके क़ब्ज़ेमें रहे तो अदालत यह समझेगी कि उसका वह क़ब्ज़ा नाबालिग़की तरफसे वलीकी हैसियतसे था—3 C. L. R. 247; और 4 Mad. H. C. 406.

(९) जबकि जायदाद पहलेहीसे दान लेनेवालेके क़ब्ज़ेमें हो तो दान देनेवालेका सिर्फ इतनाही कह देना काफी है कि वह जायदाद दान की गयी और दान लेनेवाला उस दानको स्वीकार करले ऐसा दान जायज़ है—7 Bom 452.

(१०) इलाहाबाद हाईकोर्टने कहा कि दान पत्रकी रजिस्टरी कराके, दान लेनेवालेको दे देनेसे दानका पूरा होना समझा जायगा परंतु यह राय उस सूरतमें ठीक नहीं है जबकि दान दी हुई चीज़ दान देनेवालेहीके क़ब्ज़े मेंहो ऐसी सूरतमें दानपत्रके साथसाथ वह चीज़भी दान लेनेवाले के हवाले करना होगी, तभी दान पूरा होना समझा जायगा 27 Bom.31.

(११) जिस तरह क़र्ज़ेकी नालिश करनेके अधिकारका इन्तक़ाल हो सकता है उसी तरह अपने नाम या कामके हक़का भी इन्तक़ाल दान के द्वारा हो सकता है देखो. 7 Mad. 23; 12 Bom. 573.

(१२) ऊपर कहा है कि दानकी चीज़पर दान लेनेवालेका क़ब्ज़ा हो जानेसे ही दान पूरा समझा जाता है इस विषयमें क़ानून इन्तक़ाल जायदाद सन १८८२ की दफा १२३ देखो, जिसका मतलब यह है—(१) अगर ग़ैर मनकूला जायदाद दान दीजाय तो उसके इन्तक़ाल के लिये यह ज़रूरी है कि दानपत्रकी रजिस्ट्री हो, उसपर दानदेनेवालेका या उसकी तरफ़से, हस्ताक्षर किया जाय और उसपर दो गवाहियां हों, केवल क़ब्ज़ा

देदेना, दान पूरा करनेके लिये ज़रूरी नहीं है और न ऐसा करनेसेही दान पूरा समझा जा सकता है। (२) अगर मनक़ूला जायदाद दान दी जाय तो उसका इन्तक़ाल ऊपर लिखे अनुसार रजिस्टरी और हस्ताक्षरसे या केवल क़ब्ज़ा देदेनेसे ही हो सकता है इससे वह दान पूरा माना जायगा।

नोट—क़ानून इन्तक़ालकी उक्त दफा १२३ सब प्रकारके दानोंसे लागू होती है 14 Cal. 446; 23 Bom. 234; 19 Mad. 433; किंतु पंजाबमें इसका असर नहीं पड़ता।

(१३) मिताक्षराके अनुसार दान वह है कि जब दान देनेवाला किसी चीज़ में अपना हक़ छोड़ दे और दान लेनेवालेका हक़ पैदा करा दे उस चीज़को दान लेनेवालेका हक़ तभी पूर्णरूपसे क़ायम होताहै जब कि दान लेनेवाला उस दानको स्वीकार करले नहीं तो नहीं होता। दानका स्वीकार करना तीन तरीक़ोंसे होता है, मनसे, ज़बानसे और शरीरसे। भूमिका दान तभी स्वीकृत समझा जायगा जबकि दान लेनेवाला उसपर थोड़ासा क़ब्ज़ा करले, नहीं तो वह दान, बिक्री, या इन्तक़ाल पूरा नहीं माना जायगा।

(१४) जायदादके मालिक की ज़िंदगीमें उसके दानका स्वीकृत हो जाना आवश्यक है।

दफा ७९६. पतिका दान अपनी पत्नीको—(१) सामान्य सिद्धांत तो यह है कि जब पति अपनी पत्नीको जायदादमें बिना स्पष्ट अधिकार दिये कोई दान कर देता है तो वह जायदाद पत्नीको पूरे अधिकारों सहित नहीं मिलती, उस जायदादमें उसके वही अधिकार रहते हैं जो उत्तराधिकारके द्वारा पतिकी जायदादमें विधवा के होते हैं देखो-35 Cal 896; 38 I. A. 118; इसलिये जब कोई ग़ैरमनक़ूला जायदाद पति अपनी पत्नीको दे तो उसे साफ साफ अधिकार इन्तक़ाल आदिका लिखदेना चाहिये; न लिख देने की सूरतमें उसे पूरा अधिकार दानकी जायदादपर नहीं होगा।

(२) स्त्रीका सीमाबद्ध अधिकार—पतिने पत्नीको जायदादका दान किया किंतु कोई अधिकार स्पष्ट न दिया, माना गया कि पत्नी जीवनभर उस जायदादसे लाभ उठाती रहे इन्तक़ाल करनेका अधिकार नहीं है। 12 M. L. J. 387; 35 Cal. 896; 38. I. A. 118; 9 M. L. J. 157; 5. Bom. L. R. 334; 27 Mad. 498; 5 Cal. 684.

(३) स्त्रीके पूरे अधिकार—एक हिन्दूने अपनी स्त्रीको एक मकान दानमें दिया; दानपत्र इस प्रकार था "मेरा और मेरी संतान तथा रिश्तेदारोंका कोई दावा मकानमें मेरी स्त्री या उसके वारिसोंके विरुद्ध नहीं होगा और अगर कोई मेरा वारिस ऐसा करे तो वह दावा झूठा समझा जावेगा" माना गया कि दान पूरे अधिकारों सहित है. 10 All. 495, 497.

एक हिन्दूने अपनी नवयुवती पत्नीके नाम दानपत्र इस प्रकार लिखा-"तुम मेरी नव युवती पत्नी हो, और तुम्हारे दो पुत्र नाबालिग़ हैं, तुम्हारे ख़ैराती ख़र्च और दोनों नाबालिग़ पुत्रोंके भरण पोषणके ख़र्चके लिये मैं ऊपर लिखा तालुक़ा तुमको दान करता हूं; तुम आजसे उसकी मालकिन हुईं, गवर्नमेन्टकी मालगुज़ारी देनेके पश्चात् जो मुनाफा बचे उससे तुम अपने ख़ैराती ख़र्च, तथा दोनों लड़कोंके भरण पोषणका ख़र्च निर्वाह करो। इसलिये मैं यह दानपत्र लिखे देता हूं।" माना गया कि दान पूरे अधिकारों सहित है। 7 B. L. R. 697; 24 W. R. 397; 16 W. R. 300.

एक पतिने अपनी पत्नीके लिये दानपत्रमें इस प्रकार लिखा "वह सब अधिकार जो मुझे प्राप्त हैं सबके सब तुमको प्राप्त हों" आगे दान पत्रमें यह लिखा था कि मैंने अपनी जायदादपर अपनी स्त्रीका क़ब्ज़ा करा दिया और मैं या मेरे वारिस किसी समय उस जायदादके बारेमें या उसके मुनाफे या क़ीमतके बारेमें कोई दावा नहीं कर सकते; माना गया कि दान पत्र पूरे अधिकारों सहितहै—9 Cal. 830; 13 C. W. R. 109.

(४) स्त्रीका ज़िंदगी भरके लिये अधिकार—एक हिन्दूने अपनी जायदाद अपनी स्त्रीको दान की, माना गया कि दानके द्वारा स्त्रीको पूरे अधिकार नहीं मिले बल्कि उस स्त्रीके ज़िंदगी भरके लिये जायदाद मिली और दान करने वालेके वारिस आपत्ति कर सकते हैं 1 All.734.

एक हिन्दूने कुछ मौज़े अपनी स्त्रीको दानपत्रके द्वारा देदिये, उसमें लिखा कि 'ऊपर लिखे मौज़े जो मुझे इनाममें मिले थे दान करता हूं।' मानागया कि यहदान स्त्रीके जीवनकाल तकके लिये है; देखो–5 C. L. R. 29.

दफा ७९७. दान मुश्तरका खानदानके मेम्बरोंको——— बंबई हाईकोर्टके अनुसार जिस मामलेमें मुश्तरका हिन्दू खानदानके दो भाइयोंको कोई दान दिया गयाहो तो वे दोनों क़ाबिज़ शरीक (Tenant in Common—देखो दफा ५५८) के तरीक़ेसे लेते हैं–और 26 Bom. 455 ; 4. Bom. L. R. 102 वाले मुक़द्दमेमें यह सूरत थी कि दो भाइयोंको दान दियागया उनमेंसे हरएक भाई दानकी जायदादमें अपने हिस्सेके अनुसार, खुद कमाई हुई जायदादकी तरह हक़ प्राप्त करता है और जब उन भाइयोंमेंसे एक मरेगा तो उसका हिस्सा उसके वारिसको मिलेगा, न कि दूसरे भाईको ; क्योंकि सरवाइवरशिप् (देखो दफा ५५८) का हक़ लागू नहीं मानागया और देखो 12 Bom. 122 ; 23 Cal 670.

इलाहाबाद—इलाहाबाद हाईकोर्टने भी यही बात मानी कि–मुश्तरका खानदानके मेम्बरको दानकी जायदादमें, खुद कमाई हुई जायदादकी तरह हक़ प्राप्त होता है। यानी सरवाइवरशिप् नहीं होता 28 All 38 वाले मामलेमें दो भाइयोंको दान दियागया; ऐसा मानो जय और विजयको दान दियागया। जय पहले मरगया। अब प्रश्न यह उठा कि दान किस ढंगकाथा यानी क़ाबिज़ शरीक (Tenant in Common) था अथवा क़ाबिज मुश्तरक (Joint Tenant); मानागया कि क़ाबिज मुश्तरक (Joint Tenant) था ; लेकिन 27 All 310 वाले मुक़द्दमेमें सरकारने मुश्तरका ख़ानदानके तीन मेम्बरोंको एक ग़ैर आदमीकी शिरकतमें इनाम दिया, मानागया कि इनाम क़ाबिज़ शरीक (Tenant in Common) है। इलाहाबाद और बंबई हाईकोर्ट बहुत करके ऐसे दानोंको क़ाबिज़ शरीकही मानती हैं।

मदरास—28 Mad. 363 का मामला देखो इसमें मदरास हाईकोर्टने क़ाबिज़ मुश्तरक (Joint Tenant) माना।

कलकत्ता—बंगालमें कुछ झगड़ा ही नहीं है वहां हरएक मेंबर निश्चित हक़ रखता है इसलिये वहां क़ाबिज़ शरीक (Tenant in Common) मानाजाता है।

दफा ७९८. मृत्युके समय दान———मरनेके समय जो माल मनकूला दानके तौर पर दिया जाय उस दान से क़ानून इन्तकाल जायदाद की दफा १२३ लागू नहीं होती अर्थात् ऐसे दानके लिये दानपत्र लिखना और उसकी रजिस्टरी कराना ज़रूरी नहीं है। दानके पूरा होनेकी जो शर्तें ऊपर बताई गयीं हैं। यानी यहाकिं दान देनेवाला दान दे और लेनेवाला उसे स्वीकार करके उसपर अपना क़ब्ज़ा भी करले तो इन शर्तोंके पूरा होनेसे हिन्दूलॉ मरनेके समयके दानको भी सर्वथा उचित मानता है। देखो—6 Mad. H. C. 270 ; 3. B. L. R. O. C. 113; 12. W. R. O. C. 4 ; किंतु भास्कर पुरुषोत्तम बनाम सरस्वतीबाई (1892) 17 Bom 482 के मामलेमें बापने मरते समय किसीको कुछ मनकूला जायदाद दानकी, परंतु उसके जीवन कालमें दान लेनेवालेका क़ब्ज़ा उसपर नहीं हुआ, बापके मरनेके बाद उसके बेटेने उस दानकी जायदाद पर दान पानेवालेका क़ब्ज़ा करादिया तो अदालतने मानाकि दान पूरा होगया और जायज़ है।

2. B. L. R. O.C. 113 ; 12. W. R. O. C. 4 वाले मामलेमें एक मरनेवाले

हिन्दूने, गवर्नमेन्ट प्रामेसरी नोट अपने लड़के के देनेके लिये इस तरह कहा-" नोट बाहर निकाल लावो और मेरे लड़केको देदो।" उसने उन नोटोंपर न तो अपने दस्तख़त किये और न उसको दस्तख़त करनेके लिये सूचित किया गया था। पीछे जब उससे कहा गया कि नोटोंपर दस्तख़त करदो तब उसने कहा कि " मैं बहुत कमज़ोर हूं मैं कैसे इतने नोटोंपर दस्तख़त कर सकता हूं; जब मुझे थोड़ी ताक़त आजावेगी मैं उनपर दस्तख़त कर दूंगा। तुम किस वास्ते इतने उत्सुक हो रहे हो " हिन्दूलॉके अनुसार यह मृत्यु संन्निकट दान जायज़ है। क्योंकि दो जीवित पुरुषोंके मध्य हिन्दूलॉके अनुसार दान जायज़ माना जाता है; इस कारण उन नोटोंका मूलधन और सूद भी पुत्रको पहुंच चुका नकि सिर्फ नोटोंके काग़ज़। यहांपर यह बात सदैव ध्यान रखने योग्यहै कि गवर्नमेन्ट प्रामेसरी नोट विना इन्तक़ालके दस्तख़त किये भी दानके इसतरीक़ेके अनुसार जबकि वह मृत्यु शय्या परथा और इतना अशक्त था कि दस्तख़त न करसकता था सिर्फ ऐसीही सूरतमें ऐसा दान जायज़ हो सकता है दूसरी सूरतोंमें नोटोंके इन्तक़ालका तरीक़ा यही है कि इन्तक़ालके दस्तख़त ज़रूर ही करना चाहिये, केवल उनके देदेनेसे इन्तक़ाल नहीं समझा जावेगा। इस मामलेमें बापने सिर्फ नोट तो दिये किंतु दस्तख़त नहीं किये। इसके बिरुद्ध 5 Bom. 277; 12. Bom. 573 में कहागयाकि बिना दस्तख़त किये गवर्नमेन्ट प्रामेसरी नोटोंका इन्तक़ाल पूरा नहीं माना जाता है। एक औरत जब कि मृत्यु शय्यापर पड़ीथी उसने दानकी एक लिखत लिखी ऐसी लिखत वसीयत की तरह साबित करना चाहिये और यहभी साबित करना आवश्यक होगा कि वह सब मामलेको जानती थी और उसकी जायदाद उस दानसे क्या हो जायगी यहबात भी उसके ज्ञानमें थी देखो-11 M. I. A. 139; 10 W. R. P. C. 3.

दफा ७९९. दानमें कौन चीज़ नहीं दी जासकती——मिताक्षरा स्कूलके अविभक्त परिवारमें बिना बटा हुआ किसी कोपार्सनरका हिस्सा दानके दारा नहीं दिया जासकता। और मौरूसी जंगम संपत्ति किसी एकही पुत्रको नहीं दी जासकती। किंतु बापको यह अधिकार है कि प्रेमके कारण किसी पुत्रको ऐसी जायदाद मेंसे कुछ थोड़ासा भाग देदे। मौरूसी स्थावर संपत्ति, क़ानूनी ज़रूरतके या उसका कुछ थोड़ासा योग्य हिस्सा लड़कीको देनेके सिवाय दूसरे किसीको नहीं दी जासकती। पतिकी निजकी कमाई हुई अलहदा जायदादको उसकी विधवा दानमें नहीं दे सकती; देखो-6. Ind. Cases 541; 32 All 582; 7 All L. J. 645; 32 All 176; 5 Ind. Cases 270; 7 All. L. J. 121; 5. W. R. P. C. 131; 2 M. I. A. 331; 5 Ind. Cases 283; एक विधवा स्त्रीने अपने पतिकी जायदाद अपनी बहनके लड़केको, रिवर्ज़नर वारिस (देखो दफ़ा ५५८) की मंजूरीसे दान करदी। इलाहाबाद हाईकोर्टने नाजायज़ माना 8 All. L. J. 1318; 34 All 129; 12 Ind. Cases 601; 16 Ind. Cases 337; 10 All L. J. 33; 5 Ind. Cases 270; 7 All L. J. 121; 32 All. 176; 16 Ind Cases 187; 10 All. 407; 14 All. 377; 6 All. 288.

पंजाबमें ज़िला लुधियाना तहसील जगरावं मौज़ा बहमूपुरकी एक विधवाने मौज़ाको 'डुधी' सहित दानकर दिया, यह जायदाद उसके पतिकी मौरूसी ग़ैर मनकूला थी, नाजायज़ माना गया 86 P. W. R. 1911. एक उम्मैदवार वारिसने ऐसी जायदादका दान किया कि जिसके बारेमें उसे आशा थी कि उसके पश्चात् दत्तक पुत्रको वह मिलेगी, नाजायज़ और बेअसर माना गया; 12 Bom. L. R. 910; 8 Ind. Cases 625.

दफ़ा ८००. दानका मंसूख़ होना——हिन्दूलॉके अनुसार जब दान देनेवालेने

वे सब काम कर डाले हों जो जायज़दान देनेके लिये उसके अधिकारमें हों और दानका लाभ भी देदिया हो तो वह दान पूरा माना जायगा और पीछेके वसीयत लिखनेसे मंसूख़ नहीं होगा देखो-23 Bom. 131; 6 Mad. 319. और जबकि दानकी पूरी तकमील नेकनीयतीसे करदी गयी हो तथा लेनदारोंका रुपया मारने या किसी जालसाज़ी आदिके इरादेसे वह दान न किया गयाहो तो वह कभी मंसूख़ नहीं हो सकता हर हालतमें जायज़ है, चाहे वह लेनदारोंके बिरुद्ध भी हो, देखो-6 All. 560; 11 I. A. 164; 23 Cal. 15; 21 I. A. 153; 2 All. 891.

12. Bom. L. R. 910; 8. Ind. Cases 625 वाले मामलेमें माना गया कि हिन्दूलॉका यह बड़ा भारी सिद्धांत है कि जब एक दफा दानदे दिया गया हो तो फिर वह कभी मंसूख़ नहीं होसकता (जब दान एक दफा दे दिया जाय तो फिर दान देनेवाला या उसकी संतान या राजा, या कोई भी दूसरा आदमी मंसूख़ नहीं करसकता यह बात चतुर्वर्ग चिंतामणि ग्रन्थके दान प्रकरणमें विस्तारसे कही है) यह सिद्धांत दानदेने और लेनेवालेके बीचमें माना जाता है लेकिन इसका असर मुश्तरका ख़ानदानकी मौरूसी जायदाद पर नहीं पड़ता इस लिये मुश्तरका ख़ानदानका बाप बिना अपने पुत्रादिकी मंजूरी लिये ख़ानदानकी मौरूसी जायदादको दानमें नहीं देसकता। यहांपर यह ध्यान रखना चाहिये कि कलकत्ता और मदरास हाईकोर्टोंके फैसलोंके अनुसार वह मुश्तरका ख़ानदानकी स्थावर जायदादका थोड़ासा उचित भाग अपनी विवाहिता लड़कियोंको दे सकता है यद्यपि यह बात स्पष्ट रूपसे बंबई और इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं मानते।

मगर ऐसे दान जिनके संबंधोंसे ज़ाहिर होताहो कि कंट्राक्ट नाजायज़ था मंसूख़ हो सकते हैं जैसे किसी ग़लती, जालसाज़ी या ज़बरदस्ती आदि साबित होनेसे मंसूख़ होजाते हैं; देखो-87 P. R. 1866; 1 M. H. C. 393; जिस दानमें वास्तवमें दान देनेवालेके साथ जालसाज़ी की गयीहो अथवा इसी तरहके कोई ऐसे काम किये गयेहों जिन्हे दान देनेवाला दान देनेकेवक्ततक नहीं जानताथा तो ऐसी सूरतमें दान ज़रूर मंसूख़हो जायगा; देखो-15 Bom 549. अगर दान किसी औरतने दियाहो तो साबित करना पड़ेगा कि वह औरत दान देनेके समय अपने सब अधिकार, और दानके संबंधमें क्या करना चाहिये वे सब बातें जानतीथी; देखो-17 All 1; 21 I. A. 148; जब जालसाज़ीके आधारपर कोई दान मंसूख़ करनेके योग्यहो और वह जालसाज़ी ग़लतीसे या अचानक पैदा होगयी थी तो अदालत विचार करेगी कि दान मंसूख़ करने योग है या नहीं; देखो-M. H. C. 393.

जब दानदेनेवालेने, दानलेनेवालेपर यह विश्वास करके दानदिया हो कि दानके बदलेमें वह अमुक काम करेगा और फिर उसने वह काम न किया या बिना पूरा किये छोड़दिया तो दान मंसूख़ होजायगा 5 N. W.P. 5; एक बात और ध्यान रखना चाहिये कि क़ानून इन्तक़ाल जायदाद एक्ट नं० ४ सन १८८२ ई० की वह दफाएं जिनमें कि दानकी मंसूख़ीके विषय का वर्णन है हिन्दूलॉसे लागू नहीं होतीं।

नोट—दान उस समय मंसूख़ हो जायगा जब कि स्पष्ट रूपसे यह साबित हो कि, दानमें जालसाज़ी की गयी है या ज़बरदस्तीकी गयी है या दानदेनेवाला उस जायदादका पूरा मालिक न था या लेनेवाला मौजूद न था या लेनेवालेने दान मंज़ूर नहीं किया या दानकी हुई चीज़परसे दान देनेवालेने अपना क़ब्ज़ा नहीं हटाया या देनेवालेकी मंशादूसरी थी या लेनदारोंका रुपया मारनेकी ग़रज़से दान किया गया या यदि ग़ैरमनकूला जायदादका दान है तो उसकी रजिस्टरी नहीं. कराईगयी, या वे सबबातें जो क़ानूनन् पूरा करना चाहिये था नहीं की गयीं, इत्यादि कारणोंसे अदालत दानको मंसूख़ कर देगीं और अदालत इस बातपर ध्यान नहीं देगी कि जो पक्षकार यह साबित करता हो कि विधिपूर्वक दान नहीं दिया गया या वे सब धर्मकृत्य जो शास्त्रानुसार

जरूरी थे नहीं किये गये या वर्णभेदसे दान अनुचित है या स्त्री दान नहीं ले सकती या पण्डितजीने संकल्प पढ़नेमें ग़लती की थी या दानमें नीच ऊंच कुलका ख्याल नहीं किया गया, या वैसे दानदेनेका पर्व अथवा मुहूर्त नहींथा इत्यादि।

बंबई हाईकोर्टमें इस समय एक दान का मामला पेशहै । प्रपितामहने एक ज़मीनका दान दिया था, दान लेनेवालेकी ४ चार पुश्तें उस दानकी ज़मीनको भोग करते बीत गयीं । पांचवीं पुश्तका पुरुष लावारिस मर गया तब दानदेनेवालेके प्रपौत्रने दावा किया कि ज़मीन दानदेनेवालेके ख़ानदानमें वापिस आना चाहिये जिसका हक़दार मैं हूं । इस मामलेमें कठिन प्रश्न यह उठा है कि क्या दानकी चीज़ दानदेनेवालेके ख़ानदानमें कभी लौट सकती है ? और क्या दानदेनेवालेका उस चीज़पर कोई स्वत्व बना रहता है ? इसका फैसला ग्रन्थ छपने तक नहीं हुआ। इस प्रश्नका निर्णय चतुर्वर्ग चिंतामणिके दान प्रकरणमें किया गया है ।

मृत्युपत्र—वसीयत

दफा ८०१. वसीयतकी व्याख्या——कोई आदमी अपने मरनेके समय अपनी जायदादके विषयमें अपने जो इरादे प्रकट करे और यह कहे कि मेरे मरनेके बाद मेरे यह इरादे इस तरहपर पूरे किये जाएं उसके इस कथनका नाम वसीयत है । इन्डियन् सक्सेशन् एक्ट नं० १० सन १८६५ की दफा ३ में वसीयत शब्दकी व्याख्या इस प्रकारकी गयी है ' वसीयत वह है जिसमें वसीयत करनेवालेका वह इरादा उचित रीतिसे ज़ाहिर कियागया हो कि वह अपने मरनेके पश्चात् अपनी जायदादके संबंधमें क्या चाहता है, और देखो रामकृष्ण हिन्दूलॉ Vol 2 P. 239 तथा 36 Cal 149; 1 Ind. Cas 791; 13 C.W.N. 291 दीन तारिणीदेवी बनाम कृष्ण गोपाल बागची 18 W.R. 359, 366 ट्रिवेलियन हिन्दूलॉ P.500.

दान और वसीयतमें बड़ा भेद है दानकी बावत हम ऊपर कहचुके हैं देखो इस किताबकी दफा ७८९. वसीयतमें वसीयत करनेवालेको हर समय अधिकार रहता है कि, जब उसने कोई वसीयत नामा लिख दिया हो चाहे उसकी रजिस्टरी हुई हो या नहीं, या किसी सरकारी आफिस या अफसरके पास रखदियाहो, मंसूख़ करदे रद्दकर दे वापिस लेकर फाड़डाले नष्ट करदे या जो जीमें आये करे और दूसरा वसीयत नामा लिखे या पूर्वके लिखे हुये वसीयतमें कोई इबारत घटादे या बढ़ादे या किसीका हक़ मिटादे या बढ़ादे और अपने मरनेके समयतक जितने दफा चाहे लिखे । अकसर लोग वसीयतमें यह शर्त लिखते हैं कि 'मुझे इसके परिवर्तन या मंसूख़ करने आदिका अधिकार रहेगा ' इसलिखनेमें कोई ज़ोर नहीं होता यदि नभी लिखाहो तो उसे ऐसा अधिकार क़ानूनन् प्राप्त रहता है । वसीयत करनेवालेके चलन और उसके इर्दगिर्दके हालातका ख्याल करनेसेही बाज़ दफे यह निश्चित करना पड़ता है कि कोई लिखत दानपत्र है या वसीयतनामा ; देखो–17 Bom. 482 ; क्योंकि दान और वसीयतमें बहुत कम फरक़ है ।

वसीयतका ज़िकर हिन्दूधर्म शास्त्रोंमें नहीं पायाजाता । प्राचीन समयमें हिन्दुस्थानमें और अन्य बहुतसे देशोंमें दो जीवित मनुष्योंके परस्पर दानका देना और लेना हुआ करता था । परंतु अब मरनेके बाद भी दान दिया जासकता है और उसीका नाम मृत्यु सन्निकट दान या ' वसीयत ' है । वसीयतका वर्तमान क़ानून हिन्दूधर्म शास्त्रके दानके नियमोंके आधारपर ही बना है, दानके क़ानून और वसीयतके क़ानूनमें भेदहै अंगरेज़ी राज्यकालके आरंभमें वसीयत करनेका अधिकार हिन्दुओंके लिये नहीं मानाजाता था किंतु सन. १८३२ से माना जाने

लगा। बीर प्रतापसाही बनाम राजेन्द्र प्रतापसाही महाराज (1867) 12 M. I. A. 1-38 के मामलेमें प्रिवीकौंसिलने हिन्दुओंके वसीयतके अधिकारको पूर्ण रूपसे स्वीकार करलिया है। वसियतमें स्टाम्प ज़रूरी नहीं है सादे कागज़पर भी वसीयत लिखी जासकती है।

दफ़ा ८०२. दान या वसीयत कौन करसकता है——कोई भी हिन्दू जिसकी मानसिक शक्तियां दुरुस्तहों और जो नाबालिग़ नहो दानके तौरपर सब जायदाद जिसमें वह पूरा अधिकार रखता हो देसकता है और जो जायदाद वह अपने जीवनकालमें इस तरह दे सकता था उसको वसीयतके द्वारा भी देसकता है। न बट सकनेवाली जायदादभी वसीयतके द्वारा दी जासकती है मगर शर्त यह है कि कोई ख़ास रवाज ख़ानदानकी इसके विरुद्ध नहो या जायदादके इन्तक़ालकी मनाही नहो देखो—26 I. A. 83 ; 22 Mad. 383 ; 3. C. W. N. 415 ; 1 Bom. L. R. 277 ; 15 I. A. 51 ; 10 All. 272 ; 13 Mad. 197.

हिन्दू स्त्री अपना स्त्रीधन वसीयतके द्वारा देसकती है मगर कुछ सूरतोंमें उसे अपने पतिकी मंजूरी लेना होगी। जिस जायदादमें स्त्री सीमा बद्ध अधिकार रखती हो उसकी आमदनी या उसकी बचतका रुपया वसीयतके द्वारा नहीं देसकती मगर वह अपने जीवनकालमें उसको जैसे चाहे ख़र्च करसकती है, दानके तौरपर उसे देसकती है।

दफ़ा ८०३. वसीयत लिखनेका क़ायदा——हिन्दू विल्स् एक्ट २१ सन १८७०ई० की दफ़ा २ और इन्डियन् सक्सेशन् एक्टकी दफ़ा ५० के अनुसार वसीयत लिखनेवालेको चाहिये कि नीचे लिखे हुए क़ायदोंके अनुसार वसीयत लिखे। उक्त दफ़ा ५० इसप्रकार है—' फौजी सिपाही जो लाम या वास्तवमें युद्धमें शरीक हो या समुद्री मल्लाह जो समुद्र यात्रा कर रहाहो इनको छोड़कर हरएक वसीयत करनेवालेको आवश्यक है कि वह अपनी वसीयत निम्न लिखित नियमोंके अनुसार लेख बद्ध करे—

(१) वसीयत लिखनेवाला वसीयतपर अपने हस्ताक्षर करे देखो—24 Cal. 784; या वसीयतपर बायें हाथके अंगूठेका या क़लमसे कोई चिन्ह बनाये या उसके कहनेसे उसकी मौजूदगीमें कोई दूसरा आदमी उसपर उसकी तरफ़से हस्ताक्षर करे। निर्मलचन्द्र बंधोपाध्याय बनाम शरदमणिदेवी (1898) 25 Cal. 911; 2 C.W.N. 642 के मुक़द्दमेमें माना गया कि वसीयत नामेपर वसीयत करनेवालेकी मोहर होना भी काफ़ी है।

(२) वसीयत करनेवालेका हस्ताक्षर या चिन्ह या उसकी तरफ़से हस्ताक्षर, वसीयत नामेमें ऐसी जगह होना चाहिये कि जिससे यह मालूम हो कि मरनेवालेका यह इरादा था कि वह लिखत, वसीयतके तौरपर समझी जाय।

(३) वसीयत नामेपर दो या ज़्यादा आदमियोंकी गवाही होना चाहिये परंतु यह गवाह ऐसे हों कि जिन्होंने स्वयं वसीयत करनेवालेको वसीयत नामेपर हस्ताक्षर करते या अपना चिन्ह बनाते या उसकी ओरसे उसकी मौजूदगीमें और उसके कहनेसे किसी दूसरेको हस्ताक्षर करते देखा हो, या वसीयत करनेवालेने उनके सामने अपने हस्ताक्षर या चिन्ह या उस दूसरे आदमीके हस्ताक्षरको स्वीकार किया हो। प्रत्येक गवाह वसीयत करनेवालेके सामने अपनी गवाही करे। यह ज़रूरी नहीं है कि सब गवाह एक ही समय अपनी अपनी गवाहियां करें वसीयतमें किसी प्रकारकी तस्दीक़की भी ज़रूरत नहीं है; देखो-3 N.W.P. 32. इस मामलेमें एक परदानशीन औरत वसीयतकी रजिस्टरीके समय बरांडेमें बैठी थी और अगर वह चाहती तो रजिस्टरारको देखसकती माना गया कि कार्रवाई काफ़ी है 16 Cal 19

गवाह अपने हस्ताक्षर गवाहके तौरपर करे। वसीयत करनेवालेकी तरफ़से हस्ताक्षर करनेवालेका हस्ताक्षर गवाही नहीं माना जायगा; देखो-9 Cal 224 ; 11 C. L. R. 359;

गवाह अवश्य हस्ताक्षर करे, केवल अपना चिन्ह बना देना काफी नहीं है; देखो—11 Cal 429 ; 3 Bom. 382 ; 15 Mad 261 ; गवाह यदि अपने पूरे हस्ताक्षर न करे सिर्फ संक्षिप्त हस्ताक्षर कर दे तो काफी माना जायगा 15 Mad 261 यह ज़रूरी नहीं है कि गवाह वसीयत करनेवालेको हस्ताक्षर करते अपनी आंखसे देखे या यह देखे कि उस काग़ज़पर किसी और गवाहका हस्ताक्षर है या नहीं मगर शर्त यह है कि जिस वक्त गवाह अपने हस्ताक्षर करे उस समय वसीयत करनेवालेका हस्ताक्षर वसीयतपर हो चुका हो और वसीयत करनेवाला गवाहोंको यह समझा दे कि जिस काग़ज़पर वे हस्ताक्षर कर रहे हैं वह उसका वसीयत माना है; देखो—1 Bom. 547 ; 27 Cal 169 ; वसीयत करनेवाला जब हस्ताक्षर करले तो उसके बाद गवाह अपनी गवाही करे पहले न करे; देखो—6 Cal 17 ; 6 C. L R. 303 ; 5 Cal 738 ; 5 C. L. R. 565 ; 3 Bom 382.

अगर वसीयत नामेपर रजिस्टरारने यह लिख दिया हो कि मेरे सामने वसीयत करने वाले ने उस वसीयतका लिखना स्वीकार किया तो यह भी उस वसीयतकी अच्छी तस्दीक़ है–16 Cal 19 ; 11 Cal 429 ; 6 Cal 17 ; वसीयत नामेपर गवाही करनेवाले गवाहोंमेसे ही अगर किसी गवाहके नाम कोई जायदाद दी गयी हो तो वह जायदाद उसे मिलेगी और गवाही जायज़ मानी जायगी; देखो—सक्सेशन् एक्ट नं० १० सन १८६५ की दफा ५४.

दफा ८०४. कैसी लिखतें वसीयत मानी जायंगी——जिन मामलोंसे हिन्दुओं की वसीयतका क़ानून एक्ट नं. २१ सन १८७० ई० जिसका संशोधन प्रोबेट एन्ड एड्मिनिस्ट्रेशन् एक्ट नं० ५ सन १८८१ ई० की दफा १५४ से हो चुका है लागू न हो उनमें इस बातका कुछ ख्याल न किया जायगा कि वसीयतनामा ठीक ढंगसे लिखा गया है या नहीं मगर शर्त यह है कि उस लिखतमें वसीयतकी गयी हो, उसमें किसी प्रकारकी क़ानूनी बंदिशोंकी ज़रूरत नहीं है; देखो–20 Bom. 674 ; 6 Bom. H.C.A.C. 224.

(नीचे लिखी हुयी लिखतें वसीयत नामेंके तौरपर मानी गयी हैं)

(१) जो वसीयत दो या ज्यादा गवाहोंके सामने ज़बानीकी जाय और वह पीछे लिखी जाय, जायज़ मानी गयी है; देखो—25 All 313 ; 11 Bom 89 ; 1 Bom 641 ; 2 Mad. H. C 37.

(२) वह बयान जो मोहकमे मालके किसी कर्म चारीके सामने किया गयाहो और वह उसने लिख लियाहो–कल्याण सिंह बनाम सानौल सिंह 7 All. 163.

(३) ऐसा वसीयत नामा जिसपर वसीयत करनेवालेके हस्ताक्षर न हुएहों–देखो—ताराचन्द वोस बनाम नवीव चन्द्रमित्र 3 W. R. C. R. 138.

(४) वसीयत नामेका मसविदा देखो–जानकी बनाम कल्लूमल 31 All 236.

(५) मोहकमे मालके अधिकारियोंको दीहुयी दरख्वास्तें;देखो-2I.A.7;14B.L.R.226; 22W.R.C.R.409; 24W.R.C.R.395; 3I.A.259; 26W.R.C.R.55.

(६) वाजिबुल् अर्ज़में कियाहुआ इन्दराज 19 All. 16 ; 23 I. A. 97 ; 28 All. 488 ; 10 C. W. N. 730 ; 10 C. W. N. 249.

(७) वैवाहिक दस्तावेज़—36 Cal. 149 ; 13 C. W. N. 291.

(८) मुख़तार नामा—24 W. R. C. R. 395 ; 2 Hay ; 370.

(९) दत्तक विधानके समयका दस्तावेज़—देखो–12 Mad. 490.

(१०) कोई जायदाद किसीको देनेका दस्तावेज़—11 I. A. 135 ; 10 Cal 792 ; 37 I.A. 46; 32 All 227 ; 14 C. W.N. 641 ; 12 Bom. L.R. 409.

ऊपर लिखे दस्तावेज़ वसीयतके तौरपर हैं या नहीं इसकी पहचानके लिये यह देखना

चाहिये कि लिखनेवालेके मरनेकेबाद उनमेंसे कोई लिखत मंसूखकी जासकतीहै या नहीं अगर नहीं की जासकती तो वह वसीयत नामा है और वसीयत मानी जायगी।

दफा ८०५. वसीयत नामेमें अर्थ लगाना——हिन्दू वसीयतनामेके अर्थ लगाने का कोई ख़ास क़ायदा नहीं है, वसीयतनामेंके अर्थ लनानेका सबसे उचित तरीक़ा यह है कि सबसे पहले वसीयतके सब अंशोंपर चाहे वह क़ानूनके अनुसार हों या नहों विचार कियाजाय और यह देखाजाय कि वे वसीयत लिखनेवालेका इरादा ज़ाहिर करते हैं या नहीं और संपूर्ण वसीयतनामा एक साथ पढ़कर यह मालूम कियाजाय कि उस वसीयत नामेके आधारपर जो कोई आदमी या स्त्री जिस हक़का दावा करती हो वह हक़ या दावा उस फरीक़को दिये जानेका इरादा वसीयत करनेवालेका था या नहीं; देखो-10 I. A. 51; 9 Cal. 952; 9 B.L.R.377; 18 W.R.C.R. 359; वसीयत नामेके शब्दोंका वही अर्थ लगाया जायगा जो साधारणतः प्रचलित हो 2 I. A. 256; 24 W. R. 168-169; 16 I. A. 29; 16 Cal. 383.

वसीयत नामेके शब्दों और वाक्योंका अर्थ उदारता पूर्वक लगाना चाहिये चाहे वसीयत नामा बिलकुल अशुद्ध भाषामें लिखाहो; नाम आदि भी ग़लतहों या और किसी तरहसे अशुद्ध हो। यह अशुद्धियां; कुछभी नहीं देखना चाहिये बल्कि मालूम करना चाहिये केवल उस लिखत का स्पष्ट अर्थ। यदि वह लिखत उचित और क़ानूनसे जायज़हो तो वह वसीयतनामेकी लिखत मानी जायगी और उसकी अवश्य तामील होगी; देखो—9 B.L R.377; 18. W. R. C. R. 359.

वसीयतनामेका अर्थ लगानेमें अदालत पहले उसके शब्दोंपर विचार करेगी फिर इर्दगिर्दके हालात पर ध्यान देगी;--6. M. I. A. 226; 4. W. R. P. C. 114; 25 Cal 112-124; फिर यह देखेगी कि जो चीज़ वसीयत द्वारा दी गयी है उसमें लागू होनेवाला क़ानून क्या है; देखो--12. M. I. A. 41; 9. W. R. P. C. 1; 11 Bom 69 74; 25 Bom 279; 13 Bom L. R. 471; और जहांपर अर्थ स्पष्ट नहीं होता वहां अदालत यह देखेगी कि वैसे मामलेमें आम हिन्दुओंकी क्या इच्छा रहा करती है या यह कि इस विषयमें हिन्दुओंके क्या ख्यालात हैं; देखो—34 Bom; 278; 12 Bom. L. R. 196; 35 I. A. 118; 35 Cal. 896; 12 C. W. N. 729; 10 Bom. L. R. 604; 2 I. A. 7; 14 B. L. R. 226; 32 W. R. C. R. 409-410.

अदालत यह मानलेगी कि प्रत्येक हिन्दू अपनी मौरूसी जायदादका अपने ख़ानदानमें ही रहना पसंद करता है। और यह भी मानलेगी कि साधारणतः हिन्दू यह जानता है कि स्त्री किसी जायदादपर वरासतसे पूरा अधिकार नहीं पाती, और न उस सूरतमें वह उस जायदादका इन्तक़ाल कर सकती है; देखो-2 I. A. 7; 14 B. L. R. 226; 22 W. R. C. R. 409-410; इसी तरह अदालत यह भी मानलेगी कि हिन्दुओंके मुश्तरका ख़ानदानमें कोपार्सनरी-(देखो दफा ३९६) होती है; 23 I. A. 37; 23 Cal. 670-679; 32 All 41.

जब कि वसीयतनामेकी भाषा बिल्कुल शुद्ध और स्पष्ट हो तो जैसा उसमें लिखा हो ठीक उसीका अर्थ लिया जायगा हां यदि उस वसीयत नामे में ही कोई ऐसी बात हो कि जिसके ख्यालसे उसकी भाषाका कुछ और अर्थ समझना ज़रूरी हो तो वैसाही अर्थ लगाया जायगा-22. I. A. 119-128; 18 Mad 347-358; 20 Bom 571; वसीयतनामेके स्पष्ट शब्दोंका अर्थ वसीयत करनेवालेके इरादेके अनुमानसे तोड़ा मरोड़ा नहीं जासकता 24 I. A. 76; 24 Cal 834; 1 C. W. N. 387-388.

क़ानूनी शब्दोंका जो क़ानूनी अर्थ है वही लगाया जायगा लेकिन अगर यह देखा जाय कि वसीयत करनेवालेने उन शब्दोंका ग़लत व्यवहार किया है तो वसीयत करनेवालेके इरादेके ख्यालसे उनका अर्थ लगाया जायगा। जब वसीयत नामेके शब्दोंसे कई तरहके अर्थ समझे जासकते हों और वसीयत करनेवालेके चारो तरफके संबंधों और इरादे आदिसे कोई एक बात निश्चित न हो सकती हो तथा भाषा संदेह जनक हो तो ऐसे मामलेमें यही उचित समझा गया है कि ऐसे वसीयतका वह अर्थ माना जायगा जो उस भाषाका जाननेवाला एक अजनबी समझदार आदमी वसीयतको पूरा पढ़कर जो अर्थ समझसके।

दफा ८०६. उत्तराधिकारसे बंचित करना———वसीयतके द्वारा अपनी सब जायदाद किसी ग़ैर आदमीको दे कर हिन्दू अपने वारिसोंके उत्तराधिकारका हक़ मार सकता है; देखो-10 B. L. R. 267; 19 W. R. C. R. 48; 2 M. I. A. 54; 10 W. R. C. R. 287; 1 Mad. H. C. 487; 10 Mad. 251; 3 Bom. H. C. A. C. 6; हिन्दू अपने दत्तक पुत्रको भी उत्तराधिकारसे बंचितकर सकता है और उस पुत्रको भी जो वसीयतके पश्चात् दत्तक लिया गयाहो; देखो—8. Bom. H. C. O. C. 196; 22 Mad 490; 6. Bom H. C. A. C. 224; परंतु वह अपनी स्त्री या भरण पोषणका हक़ रखनेवाले किसी दूसरे मनुष्य या औरतका हक़ वसीयतके द्वारा नहीं मारसकता; देखो—12. C. W. N. 808 किंतु वह ऐसी वसीयत करसकता है कि उसके बाद जायदादके बटवारेमें उसकी स्त्रीको कुछ हिस्सा न मिले; देखो-36 Cal. 75. 319.

हिन्दू अपनी जायदाद जिसको चाहे दान या वसीयतके द्वारा देसकताहै मगर शर्त यह है कि अपनी स्त्री और भरण पोषणका हक़ रखनेवाले दूसरे लोगोंके भरण पोषणके ख़र्चका अलग काफी प्रबंध करके उसने अपनी उस जायदादको उन सबके भरण पोषणके ख़र्चसे मुक्त कर दिया हो। अर्थात् उनका क़ाफी और स्थिर प्रबंध करनेके पश्चात् दे सकता है; देखो-17 Cal. 886; 15 Cal. 292-306; 8 Bom. H. C. A. C. 98; 12 Mad. 490-494; 2. M. I. A. 54-57; 10 Cal. 638.

दफा ८०७. वसीयत और दानके सिद्धांतोंपर टगोर केस——

जतेन्द्र मोहन टगोर बनाम ज्ञानेन्द्र मोहन टगोर (1872) I. A. Sup. Vol. 47; 9, B. L. R. 377; 18 W. R. C. R. 359 यह सबसे बड़ी नज़ीर हिन्दू दान और वसीयतके विषयमें है। इसमें जो सिद्धांत निश्चित किये गये, प्रायः उन्हींके आधार पर हिन्दू दान और वसीयत तथा जायदाद आदि किसीके नाम लिखे जानेके मामलोंका फैसला होताहै इस नज़ीरमें नीचे लिखे सिद्धांत निश्चित किये गये हैं—

(१)————मानलेनाकि वसीयतके द्वारा सारा हक़ दिया गया-

यदि वसीयनमें कोई बात इसके बिरुद्ध नहोतो यहबात मानली जायगी कि जो जायदाद किसी आदमीको वसीयतके दारा दीगयी है उसमें उस आदमीका ठीक उतनाही अधिकार है जितना कि वसीयत करनेवालेका था; देखो-25 I. A. 126; 22 Bom. 833; 2 C. W. N. 417; अगर वसीयतनामेंमें कोईबात इसके विरुद्ध नहो तो जो जायदाद किसी आदमीको वसीयतसे दीगयीहो और यह स्पष्ट ज़ाहिर न किया गयाहो कि वह जायदाद उसको वरासतके तौरपर दीगयी है तो मान लिया जायगा कि वह जायदाद उसको बरासतके तौरपरही दीगयी है; देखो-24. I. A. 76; 24 Cal 834; 33 Cal 1306; 11 C. W. N. 12; 8 M. I. A. 43; 33 Cal. 23.

किसी वसीयतनामे या दानपत्रके किसी अंशसे चाहे यह प्रत्यक्ष मालूमहोकि किसी जायदादमें किसीको पूरा हक़ दिया गया है परंतु संभव है कि उसी वसीयतनामे या दान पत्रके किसी दूसरे अंशसे यह साबित होकि उस जायदादमें उस आदमीको केवल उसकी ज़िंदगी भरतकके लिये हक़ दिया गया है ऐसी सूरतमें ज़िंदगीभरका हक़ माना जायगा; देखो-28 Mad. 386.

(२)————कोई आदमी क़ानून नहीं बदल सकता–

दान या वसीयत या किसी समझौतेसे वरासतके तौरपर जो हक़ किसीको दिया जाय, अगर वह वरासतके क़ानूनके विरुद्ध होतो वह हक़ देना नाजायज़ होगा। कोई आदमी अपनी इच्छा या नीतिके पूरे करनेके उद्देशसे, वरासतके किसी नये ढंगके हक़की सृष्टि नहीं करसकता; देखो--10 I. A. 51 ; 9 Cal. 952 ; 13 C. L. R. 62 ; 16 Cal. 383 ; 15 C.W.N.693; 13 Bom.L.R. 451. 14 Bom. 360; 38 I. A. 112; 38 Cal. 603.

(३)————अनुचित शर्त–

जब दान या वसीयत द्वारा किसी जायदाद में पूरा हक़ देदिया जाय तो उसके साथ कोई ऐसी शर्त नहीं लगाई जासकती जो अनुचित हो और उस जायदादके भोगनेके साथ भी कोई क़ैद नहीं लगाई जासकती। अगर लगाई जाय तो नाजायज़ होगी। बटवारे या इन्तक़ाल जायदाद या किसी दूसरे समझौतेसे भी यही नियम लागू होगा; देखो 4 Mad. H. C. 345 ; 4 All. 518 ; 7 All. 516 ; अगर किसी जायदादके साथ यह मनाही रखी जाय; कि उसका इन्तक़ाल न किया जाय तो यह शर्त नाजायज़ मानी जायगी ; देखो—6 I. A. 182 ; 5 Cal. 438 ; 5 C. L. R. 296 ; 12 I. A. 103 ; 11 Cal. 684 ; 15 I. A. 37 ; 15 Cal. 409 ; 24 Cal. 834.

ब्राह्मणको दान दीहुई जायदादमें यदि ऐसी मनाही रखी जाय कि वह इन्तक़ाल न करे, नाजायज़ होगी; देखो—अनन्त तीर्थ बनाम नागामूथू 4 Mad. 200 ; या यह आज्ञा दीजाय कि जायदाद पानेवाला अमुक जायदादपर क़ब्ज़ा न करे नाजायज़ होगा; देखो—8 Cal.378; 10 C. L. R. 207 ; 13 Bom. 463 ; या यह शर्त रखी जाय कि जायदाद पानेवाला जायदादका बटवारा न करे नाजायज़ होगा; देखो--1 Cal 104 ; 15 I. A. 37 ; 15 Cal. 409 ; 7 Mad 315; या यह शर्त रखी जाय कि जायदाद पानेवालेके ज़िम्मेका क़र्ज़ उस जायदादसे वसूल न हो सके, नाजायज़ होगी; देखो--15 I. A. 37 ; 15 Cal 409 ; या यह कहा जाय कि कुछ ट्रस्टी लोग ख़र्चकी देख भाल रखें, नाजायाज़ होगा;--19 Bom. 647 ; या यह कहा जाय कि जायदादकी आमदनी हमेशा जमा होती रहे नाजायज़ होगा देखो—4 Mad. 124 ; ऐसी सूरतोंमें जायदाद पानेवालेका अधिकार है कि उपर कही हुयी किसी शर्तको न माने क्योंकि दान या वसीयत द्वारा दीहुयी जायदादके साथ उपरोक्त या ऐसी कोई शर्त या क़ैद या मनाही लगाना क़ानूनन् नाजायज़ है।

दान या वसीयतके द्वारा दीहुई जायदादके साथ अगर कोई ऐसी शर्त रखी जाय जो क़नूनसे उचित हो तो जायज़ होगी; देखो—23 W. R. C. R. 236 ; 24 Cal. 646 ; 1 C. W. N. 578 ; 14 B. L. R. 60 ; 1 I. A. 387 ; किंतु इन्डियन् सक्सेशन् एक्ट १० सन १८६५ ई० की दफा ११५ के अनुसार जो शर्त कानूनन् या सदाचारके विरुद्ध हो या जिसका पूरा किया जाना असंभव हो तो नाजायज़ होगी।

(४)————भावी संतानके लिये वसीयत--

दान या वसीयतके द्वारा जिस आदमीको जायदाद दीजाय वह वसीयत करनेवाले

की मौतके समय वास्तवमें या क़ानूनकी दृष्टिमें जीवित हो; देखो 31 Mad. 310; 28 I.A. 152; 28 Cal. 72; 5 C. W. N. 806; 3 Bom. L. R. 803; यह नियम सब हिन्दू वसीयतोंसे बराबर लागू होगा चाहे वे हिन्दूलॉके किसी स्कूलके पाबंद हों और चाहे हिन्दू वसीयत का क़ानून उससे लागू होता हो या न हो देखो—8 Cal. 637; 10 C.L.R. 459; 8 Cal. 378; 10 C.L.R. 207; 9 Bom. 491; यही नियम उस वसीयतनामेसे भी लागू होगा जिसमें लिखा हो कि छोड़ी हुयी जायदाद वसीयत करनेवालेकी मौतके बादही देदी जाय या बीचमें किसी दूसरे आदमीकी मिलकियत समाप्त होजानेपर देदीजाय या कोई ख़ास घटना होनेकी शर्तपर देदीजाय, देखो—10 I. A. 51; 9 Cal. 952; 13 C. L. R. 62; 15 I. A. 149; 16 Cal. 71; 30 Cal. 369; 20 Bom. 450; 16 Bom. 492; यही नियम उस आदमीसे भी लागू होगा जो वसीयतके द्वारा किसी जायदादका मालिक मुक़र्रर किया जाय, देखो--24 I. A. 93; 21 Bom. 709; 25 Cal. 405; 2 C. W. N. 295; 17 Bom. 600; 16 Bom. 492; 18 Bom. 7; इसी तरह वसीयतद्वारा दीहुयी प्रायः सभी जायदादोंसे यह नियम लागू होता है।

एक आदमीने अपनी वसीयतमें लिखा कि यदि मेरा पुत्र मेरे मरनेसे १० वर्षके अंदर व्याह करले तो अमुक जायदाद उसकी स्त्रीको मिले, अदालतने उसकी वसीयतको ठीक माना और कहा कि वसीयत करनेवाले के मरनेके समय वह स्त्री पैदा हो चुकी थी इसलिये उसके नामकी वसीयत जायज़ थी; देखो—नाफरचन्द कुंडू बनाम रतनमाला देवी 15 C. W. N. 66; 39 Cal. 87.

कुटुम्बियोंके समूहको दान—कुटुम्बियोंका कोई ऐसा समूह जिसमें कुछ लोग ऐसे हों कि जो जायदाद पानेके अयोग्य हों तो ऐसे समूहको दान देनेके संबंधमें जो नज़ीरें हैं उनसे कुछ कठिनाई पैदा होगई है। जब कुटुम्बियोंके किसी एक समूहके हक़में कोई जायदाद वसीयतद्वारा दीजाय तो उस समूहके वे ही लोग वह जायदाद पावेंगे जो वसीयत करनेवालेकी मौतके समय उसके पानेके अधिकारी थे। जब कुटुम्बियोंके किसी समूहको दान दिया जाय या वसीयतद्वारा कोई जायदाद दीजाय और उस समूहमें पीछे कुछ ऐसे लोग भी शामिल होजाय जो वह दान या जायदाद पानेके अधिकारी नहीं हैं तो वह दान या जायदाद उन्ही लोगोंको मिलेगी जो उसके लेनेके अधिकारी हैं। देखो--11 I. A. 164; 6 All. 560; 12 Cal. 663; 12 Mad. 393; 38 I. A. 54; 38 Cal. 468; 15 C. W. N. 395; 13 Bom. L. R. 375; 32 Cal. 992, जब कुटुम्बियोंके किसी समूहके नाम वसीयतद्वारा कोई जायदाद दी जाय और वसीयत करनेवालेकी मौतके कुछसमय बाद वह जायदाद उनको मिलनेकी शर्त हो तो उस समय वह जायदाद उन लोगोंको भी मिलेगी जो जायदाद पानेके अधिकारी हैं परंतु वसीयतके समय पैदा नहीं हुए थे; देखो-38 I. A. 54; 38 Cal 468; 32 Cal 992; 38 Cal 188; 15 C. W. N. 113; 24 Cal 646; 12 Cal 663; 29 Mad 412; 4 C. W. N. 671; 4 B. L. R.O. C. 231; 28 Mad 336.

जब किसी वसीयतनामेसे यह मालूम हो कि वसीयत करनेवाले ने कुटुम्बियोंके किसी समूहके नाम जायदाद तो छोड़ी परंतु उसमें जो लोग उस जायदादके पानेके अधिकारी हैं उनको देनेका विचार उसका नहीं था तो ऐसी वसीयत रद्द हो जायगी 22 Bom 533; 15 I. A. 149.

धर्मार्थ वसीयत—कोई भी हिन्दू वसीयत द्वारा किसी देवमूर्तिके लिये, मंदिरके लिये, या निजके या जन साधारणके लाभके लिये, धार्मिक कृत्यों या पूजा पाठके लिये या खैरातके लिये

या ऐसे सार्वजनिक कामोंके लिये कि जिनसे,धर्म, विद्या, व्यापार, स्वास्थ्यरक्षा, या अन्यप्रकारसे जनताको लाभ पहुंचानेका उद्देश हो अपनी जायदाद दे सकता है। जब कोई जायदाद किसी आदमीको दानके तौरपर दी जाय तो यह दान वरासतके क़ानून सन १८६५ की दफा १०१ की शर्तोंसे बरी नहीं होगा देखो–4 Mad 200.

जब कोई जायदाद ऐसे दो आदमियोंको शराकतमें दी जाय कि जिनमेंसे एक उसके पानेका अधिकारी हो और दूसरा न हो, तो जो अधिकारी है वही सब जायदाद पावेगा, देखो—16 I. A. 44 ; 16 Cal 677.

हिन्दूलॉके अनुसार कोई आदमी दूसरेको अपनी ओरसे वसीयत करनेका अधिकार दे सकता है, परंतु शर्त यह है कि जो लोग पैदा न हुए हों, उनके नाम वह दूसरा आदमी भी वसियत न करे 24 I. A. 93 ; 21 Bom 709 ; 1 C. W. N. 366.

यद्यपि हिन्दूलॉका यह नियम है कि दानके समय जो आदमी पैदा न हुआ हो, उसको दान नहीं दिया जासकता, परंतु बंगालमें एक्ट नं० 3 of 1904 और अवधमें सेटेल्डइस्टेट्स् एक्ट नं० २ सन १९०० के द्वारा यह क़ैद कुछ ढीली कर दी गयी है वैसी जायदादोंमें कुछ सूरतोंमें तीन पुश्तोंतक जायदाद दी जा सकती है।

(५)————————उचित उद्देशके लिये ही ट्रस्ट जायज़ है–

ट्रस्टके तौरपर जायदाद उतनेही सीमातक, और उन्हीं उद्देशोंके लिये वसीयतसे दी जासकती है जो क़ानूनके अनुसार हों। जायदाद मनकूला और ग़ैरमनकूला दोनों ट्रस्टके तौरपर छोड़ी जासकती हैं किसी एक आदमी या आदमियोंके हाथमें किसी दूसरे आदमी या आदमियोंके लाभके लिये जायदाद वसीयतसे छोड़ नाही 'ट्रस्ट' कहलाता है। जिन उद्देशोंके वास्ते जायदाद वसीयत द्वारा दी गयी हो उनके पूरा करनेके बाद जो जायदाद बचे वह उस आदमीको मिलेगी जो क़ानूनन् उसका अधिकारी होता अगर वह वसीयत न की गयी होती; 9 B. L. R. 377.

(६)————————————सीमाबद्ध दान–

हिन्दू ऐसी वसीयत कर सकता है कि उसके बाद उसकी जायदाद कोई आदमी अपनी ज़िंदगीभर भोगे, या एक-आदमीके बाद दूसरा; इसतरह पर कई आदमी उस जायदादको भोगें या सीमाबद्ध मुद्दततक कोई आदमी उसे भोगे—10 I. A. 51 ; 9 Cal 952 ; 16 I. A. 29 ; 14 B. L. R. 226 ; 22 W. R. C. R. 409 ; 15 Bom 543 ; 25 Cal 112.

कोई ख़ास घटना घटित होनेकी शर्तपर जो दान वसीयतके द्वारा दिया जाय तो वह जायज़ है; मगर शर्त यही है कि जिसके लिये वह दान दिया गया हो वह वसीयत करनेवालेकी मौतके समय अवश्य जीवित हो। परंतु यदि वह घटना घटित न हो, तो दान पानेवालेका हक़ उस दानमेंसे जाता रहेगा। उदाहरणके लिये देखो––जैसे 'अ' ने वसीयत द्वारा 'ब' को दान दिया और यह शर्त रखी कि अगर 'ब' निःसंतान मर जाय तो वह दान की जायदाद 'स' को मिले ऐसी सूरतमें यदि 'ब' कोई संतान छोड़कर मरे तो 'स' का हक़ दानपरसे जाता रहेगा 34 Mad 250; 6 M.I.A.526; 9 M. I. A. 123.

दफा ८०८. जायदादकी आमदनी जमा होना—मरनेके बाद जायदादकी आमदनी जमा होती रहे ऐसी वसीयत हिन्दू कहांतक कर सकता है यह अभी ठीक निश्चित नहीं हुआ इस विषयमें मतभेद है; अमृतलाल दत्त बनाम स्वर्ण मयी दासी (1897) 24 Cal. 5897 और 1. C. W. N. 345 के मुक़द्दमेंमें कलकत्ता हाईकोर्टके ज़ज मि० जस्टिस्

जेन् किन्सने माना कि उचित सीमाके भीतर हिन्दू ऐसी वसीयत कर सकता है। इस मुक़द्दमेकी अपीलमें यह प्रश्न उठाही नहीं (25 Cal. 662; 27 I.A. 128; 27 Cal. 996;). 25 Cal. 690; के मामलेमें एक जजने यह राय नहीं मानी। ऐसेही वसीयतके एक दूसरे मुक़द्दमेमें कलकत्ता हाईकोर्टके जज मि० जस्टिस् उडरफ़ की राय हुई कि जिसको जायदाददी गयी हो उसकी नाबालिग़ी की मुद्दत तकही आमदनी जमा हो सकती है-9 C. W. N. 1033 ; इस विषयमें मिस्टर मेन अपने हिन्दूलॉ 7 ed. P. 571-346 में कहते हैं कि आमदनी जमा होना जायज़ नहीं है। किंतु हालके एक मुक़द्दमेमें कलकत्ता हाईकोर्टने मिस्टर जस्टिस जेन्किन्स् की पूर्वोक्त रायका समर्थन किया। देखो 34 Cal. 5 ; 11 C. W. N. 65.

नफरचन्द कुंडू बनाम रत्न मालादेवी (1910) 15 C. W. N. 66 के मुक़द्दमेमें पुत्रके विवाहके ख़र्चके लिये आमदनी जमा होनेका प्रश्न था, अदालतने जायज़ माना। इसी तरह बंबईमें १६ वर्षतक जायदादकी आमदनी जमा होनेकी वसीयत जायज़मानी गयी देखो-4 Bom, L. R. 903.

यदि किसीने अपनी जायदाद सार्वजनिक लाभके लिये वसीयतके द्वारा दान कीहो तो वसीयत करनेवाला ऐसी कोई शर्त उसके साथ वसीयतमें नहीं लगा सकता कि उस जायदादका मुनाफा हमेशा जमा होता रहे या किसी सीमारहित मुद्दत तक जमा किया जाय ; देखो-12 I. A. 103 ; 11 Cal. 684 ; 15 I. A. 37 ; 15 Cal. 409 ; 14 Bom. 360 ; 7 C. W. N. 688.

इस विषयमें 'इन्डियन् सक्सेशन् एक्ट नं० १० सन १८६५ की दफा १०४ ; देखो- इसका सारांश यह है-" किसी जायदादका मुनाफा जमा रखनेकी जो शर्त है वह नाजायज़ है और वह जायदाद जिसे दी गयी है वह इस तरहपर अपने काममें लायेगा कि मानो उसमें मुनाफा जमा करनेकी शर्तथी ही नहीं। मगर यह माना गया है कि 'यदि जायदाद ग़ैर मनकूला हो तो वसीयत करने वालेकी मृत्युके समयसे सिर्फ एक वर्षतक का मुनाफा जमा किया जा सकता है। पीछे वह जायदाद और मुनाफा ख़र्च किया जायगा।

उदाहरण—(१) एक आदमीने वसीयतकी कि २००००) रु० के गवर्नमेन्ट प्रामेसरी नोट ख़रीदे जायं और उनका ब्याज २० वर्षतक जमा किया जाय। पीछे, महेश, शंकर और रमाशंकरको बराबर देदिया जाय। ऐसी सूरतमें वसीयत करनेवालेकी मृत्युके समयसे एक वर्षके पश्चात् तीनों आदमी सब रुपया बांट सकतेहैं।

(२) एक आदमीने २००००) रु० शंकरको इस शर्तके साथ वसीयत किया कि वह रुपया शंकरको उस समय दिया जाय जब उसका विवाह होजाय। ऐसी सूरतमें माना गयाकि शंकर वह रुपया वसीयत करनेवालेकी मृत्युके एक वर्षके बाद लेसकता है चाहे उसका विवाह नभी हुआहो।

(३) एक आदमीने वसीयतकी कि सनिगवाँ ग्रामका मुनाफा १० वर्ष तक जमा करके शंकरके बड़े बेटे गणेशको देदिया जाय। वसीयत करनेवालेकी मृत्युके समय गणेश मौजूद था। ऐसी सूरतमें वसीयत करनेवालेकी मृत्युके एक वर्ष बाद गणेशको सनिगवां ग्राम और उसका मुनाफा एक मुश्त पानेका हक़ होजायगा; ९ वर्ष आगेकी शर्त नाजायज़ होगी।

(४) एक आदमीने वसीयतकी कि सनिगवां ग्रामका मुनाफा १० वर्षतक जमा करके शंकरके पुत्रको दिया जाय। वसीयत करनेवालेके मरनेके समय शंकरके पुत्र नथा; इसलिये वसीयत नाजायज़ है।

(५) शंकरने एक वसीयत इस शर्तपरकी कि अठारह वर्षकी उमर होनेपर महेशको यह जायदाद मिले और उसका मुनाफा १८ वर्षतक जमारहे, वसीयतमें यहबात नहीं कही

गयी थी कि महेशकी नाबालिग़ी संबंधी जैसे पढ़ाई, भरणपोषण आदिके खर्च देकर जो रुपया बचे वह जमा रहे। ऐसी सूरतमें शंकरके, मरतेही महेश मालिक होजायगा और उसकी नाबालिग़ीमें जो पढ़ाई आदिका खर्च पड़ेगा उसे मुजराकरके जो मुनाफा बचेगा उसे अठारह वर्ष समाप्त होनेपर देदिया जायगा। यहां १८ वर्षकी मुद्दत क्यों मानी गयी ?–इसका जवाब यह है कि यह मुद्दत नाबालिग़ीकी है ; इस लिये जायज़ होगी। अगर वसीयत नामेमें यह लिखा होता कि 'महेशको १८ वर्षके बाद दिया जाय' तो नाजायज़ था; और अगर यह लिखाहो कि 'नाबालिग़ी समाप्त होनेपर दिया जाय' तो जायज़ होगा। मतलब यहहैकि नाबालिग़ीकी मियादसे एकदिन भी यदि ज्यादा लिखाहो तो वह नाजायज़ होगा।

इन्डियन् सक्सेशन् एक्ट नं०१० सन १८६५की दफा १०१ का सारांश यह है–'जब कोई जायदाद वसीयत द्वारा किसी एक या अधिक आदमियोंको छोड़ी जाय और उसमें यह शर्त रहे कि उस आदमी या उन आदमियोंके मरनेके बाद वह जायदाद किसी दूसरे आदमीको अमुक मुद्दतमें दीजाय, और वह मुद्दत अगर उस दूसरे आदमीकी नाबालिग़ीकी मुद्दतसे ज्यादा हो, तो उसके संबंधकी वसीयत नाजायज़ होगी।

उदाहरण--(१) 'क' को कोई जायदाद वसीयत द्वारा दीगयी और यह शर्त रखी गयी कि 'क' के मरनेके बाद वह जायदाद 'ख' को मिले और 'ख' के मरनेके बाद वह 'ख' के ऐसे पुत्रको मिले जो सबसे पहले २५ वर्षकी उमरका हो, वसीयत करनेवालेके मरनेके बाद 'क' और 'ख' दोनों ज़िंदा थे। अब ऐसा मानो कि 'ख' का वह लड़का जो सबसे पहले २५ वर्षका होगा, वसीयत करनेवालेके मरनेके बाद पैदा हुआ और 'क' और 'ख' दोनोंमेंसे जो सबसे पीछे मरे उसकी मौतकी तारीख़से अठारह वर्षकी मुद्दके पश्चात् वह लड़का २५वर्षका हुआ तो उसके संबंधकी वसीयत नाजायज़ होगी। लेकिन अगर वह लड़का अठारह वर्षकी मुद्दतके अंदर २५वर्षका होजाय तो वसीयत जायज़ होगी।

(२) एक जायदाद वसीयतद्वारा 'क' को दीगयी, और 'क' के बाद 'ख' को मिलनेकी शर्त थी और हिदायत यह थी कि 'ख' के मरनेके बाद वह जायदाद 'ख' के उन पुत्रोंको बांट दीजाय जो उसके मरनेके समय १८ वर्षकेहों या इससे ज्यादा उमर केहों; लेकिन अगर 'ख' की मौतके समय उसका कोई भी लड़का १८ वर्षका नहो तो वह जायदाद 'ग' को मिलेगी। माना गया कि अगर 'ख' के कोई ऐसा पुत्रहो जो 'ख' के मरनेकी तारीख़से अठारह वर्षके अंदर बालिग़ होजाय तो भी वसीयत जायज़ रहेगी। यहांपर वसीयत करनेवालेकी मौतके समय 'ख' का लड़का मौजूद न था।

(३) 'क' ने अपनी जायदाद अपनी नाबालिग़ लड़कियोंके लिये छोड़कर वसीयतमें उस जायदादके ट्रस्टी नियत किये और यह हिदायतकी, कि अगर उसकी कोई लड़की नाबालिग़ीमें ब्याही जाय तो उस लड़कीका जो लड़का १८ वर्षका हो उसको उस लड़कीके हिस्सेकी जायदाद मिले। इसमें यह आवश्यक है कि 'क' की वह लड़की 'क' के मरनेके समय मौजूद हो और उस लड़कीके मरनेसे १८ वर्षके अंदर उसका लड़का १८ वर्षका होजाय तभी उसको अपनी माके हिस्सेकी जायदाद मिलेगी।

दफा ८०९. वसीयतके शब्द और वाक्योंपर विचार——अकसर वसीयतके मामलोंमें शब्द और वाक्योंपर इसलिये ज्यादा गहरा विचार करना पड़ता है कि जिससे वसीयत करनेवालेका मतलब और भाव स्पष्ट हो जाय। जिस किसी जगह कोई ख़ास शब्द या वाक्य आजाता है और वह शब्द या वाक्य ऐसा है, कि जिसका अर्थ दोनो पक्षकार भिन्न भिन्न रूपसे करते हैं, तो अदालतको स्वयं निर्णय करना पड़ता है कि वास्तवमें उसका

अर्थ क्या है। यदि वास्तविक अर्थ समझनेमें उसे स्वयं संदेह उत्पन्न हो तो फिर उस मुक़द्दमेकी सब बातों और इर्द गिर्दके सब मामलोंको ध्यानमें रखकर उन फैसलोंके असरके आधारपर निर्णय करना पड़ता है कि जो फैसले उस तरहके शब्दों या वाक्योंके निर्णय करनेके संबंधमें पहले हो चुके हैं। यदि वैसे फैसले कोई नहीं हैं तो फिर उसी मुक़द्दमेकी सब बातोंके आधारपर निर्णय करना पड़ता है। जिन शब्दों या वाक्योंका उल्लेख जिस अर्थ या भावमें नीचे किया गया है प्रत्येक वैसे मामलेमें नहीं विचार करना चाहिये; क्योंकि ऐसे शब्द और वाक्य ऐसी इबारतके साथ भी लिखे जा सकते हैं कि जिससे उनका अर्थ या भाव बिल्कुल उलटा हो जाए; इसलिये हरएक वसीयतनामेके शब्दों और वाक्यों तथा दर्दगिर्दके सब मामलोंके साथ मतलब लगाना पड़ता है। नीचे कुछ उदाहरण देखो—

(१) 'मालिक'—इसका अर्थ यह मानागया कि वह आदमी या स्त्री जिसे इन्तक़ाल आदिके सब पूरे अधिकार जायदादमें प्राप्त हों; देखो–8 C. L. J. 20; 1 S. L. R. 211; 2 I. A. 7; 14 B. L. R. 226; 11 Bom 69; 14 Bom 1; 9 Bom 491; तथा 24 Cal 834; 24 I. A. 76; 29 All 217; 4 All. L. J. 63; 14 C. W. N. 458.

(२) 'मालिक वख़ुद अख़्त्यार'—2 Ind. Case 474; 31 All. 308; 6 I. L. J. 420 में माना गया कि इस वाक्यसे सब पूरे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं।

(३) 'मालिक जायज़ मिस्ल मेरेके'—12 O. C. 157; 2 Ind Case 924 वालेकेसमें एक आदमीने अपनी स्त्रीको वसीयतमें लिखा कि मेरे मरनेके बाद वह 'मालिक जायज़ मिस्ल मेरेके' हो, माना गया कि उसे पूरे अधिकार प्राप्त होगये।

(४) 'पुत्र पौत्रादिक्रमः'–माना गया कि पूरामालिक और मर्द शाखा में एक के बाद दूसरा उत्तराधिकारी होगा जहां औरतोंका संबंध हो वहां औरतकी वारिस औरतही समझी जायगी देखो–7 Cal. 304, 8 I. A. 46; 10 C. L. R. 349; 5 Cal. 228; 4 C. L. R. 77; 24 Cal. 834; 24 I. A. 76.

(५) 'पुत्र पुत्रादि'–एक वसीयतमें यह शब्द लिखा था माना गया कि बिना किसी शर्तके पूरा मालिक है; देखो—29 Cal. 699; 9 C. W. N. 721.

(६) 'अगर मेरा लड़का मर जाय'—इस वाक्यका अर्थ यह माना गया कि अगर मेरा लड़का नाबालिग़ी में मर जाय—17 Cal. 122; 16 I. A. 166.

(७) 'दख़ीलदार'–इसका अर्थ जायदादको क़ब्ज़ेमें रखनेवाला या मेनेजर लगाया गया 17 Cal. 122; 16 I. A. 166.

(८) 'धर्मार्थ'—यह वाक्य सीमारहित मतलबोंके लिये समझा गया, अनिश्चित, भाव सूचक माना गया 39. P. R. 1908; 185 P. L. R. 1908.

(९) 'परिवार या ख़ानदान'—इसका अर्थ माना गया कि वसीयत करनेवाले या दान करनेवालेकी संतान और उनकी पत्नियां; देखो–4 C. W. N. 671.

(१०) 'नसलन् दर नसलन्'–माना गया कि पूरा मालिक है, 1 M. H. C. 400; 24 Mad. 299.

(११) 'हिस्सा और हिस्सा अलिक'–इस वाक्यसे माना गया कि उसने अपने पोतेको एक तिहाई हिस्सा दिया देखो–5 B. H. C. O. C. 128.

(१२) 'मेरा मकान'—माना गया कि ख़ानदानके रहनेवाला घर 31 Cal. 166.

(१३) 'बच्चे'—इसका अर्थ केवल 'पुत्र' नहीं हो सकता; इसमें लड़की लड़के सब शामिल हैं. देखो–20 Bom. 571.

(१४) 'औलाद या संतान'--इसका अर्थ है पुत्र पौत्रादि, नकि भाई या विधवा I. M. H. C. 400 ; लेकिन 114 P. R. 1900 में कहा गया कि इससे मर्द और औरतकी नसलकी संतान मुराद है।

(१५) ' पुत्रसे पौत्रको '--माना गया कि पूरे अधिकारों सहित मालिक है; देखो-28 Mad. 363 ; 15 M. L. J. 299.

दफा ८१०. हिन्दू वसीयतका क़ानूनी संबंध———लेफ्टिनेन्ट गवर्नर बंगाल के इलाक़ेमें या मदरास और बंबई हाईकोर्टोंके इलाक़ेमें कोई हिन्दू, जैन, सिख या बौद्ध जो तस्दीक़ करे (Attestation) कोई लिखत मंसूख़ करे (Revocation) या किसीका फिरसे हक़ पैदा करे (Revival) या किसी लिखत का स्पष्टी करण करे (Interpretation) या वसीयत और उसके परिशिष्ट (Codicil) का प्रोबेट ले तो इन सबसे ' इन्डियन्सक्सेशन् एक्ट नं० १० सन १८६५ ई० की कई दफाएं हिन्दू विल्स् एक्ट नं० २१ सन १८७० ई० द्वारा लागू होती हैं। देखो-9 Bom. 241.

जो वसीयत और उसका परिशिष्ट उक्त इलाक़ोंके बाहर लिखा गयाहो किंतु उसका संबंध उन इलाक़ोंके अंदरवाली किसी ग़ैर मनक़ूला जायदादसे भी होतो ऐसे वसीयत नामों और परिशिष्टोंसे भी वे दफाएं लागू होती हैं देखो-9 Bom. 491.

हिन्दू विल्स् एक्ट की दफा ३ में कहा है कि " वसीयत करनेवालेका विवाह होजानेसे उसकी की हुई वसीयत या वसीयतका परिशिष्ट रद्द नहीं होता " उस दफाके अनुसार किसी वसीयत करनेवालेको यह अधिकार नहीं है कि वसीयत द्वारा किसीको कोई ऐसी जायदाददे जिसका इन्तक़ाल वह अपनी ज़िंदगीमें नहीं कर सकता था या किसी ऐसे आदमीको भरण-पोषणके हक़से वंचित करे जिसे वह वसीयत द्वारा वंचित नहीं करसकता था। उस दफामें कही हुई कोईबात दत्तक विधानसे या लावारिसोंकी वरासतके क़ानूनसे लागू नहीं होगी और न उस दफाकी किसी बातसे किसी हिन्दू, जैन, सिख, या बौद्ध को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह किसी जायदादमें किसीका ऐसा हक़ पैदा करे जो वह तारीख़ १ सितंबर १८७०ई० अर्थात् हिन्दू विल्स एक्ट के पास होनेसे पहले नहीं कर सकता था।

दफा ८११. वसीयत मुश्तरका ख़ानदानके मेम्बरको———हिन्दू मुश्तरका ख़ानदानमें सरवाइवर शिप (देखो दफा ५५८). का हक़ होता है यदि ऐसे ख़ानदानके किसी मेम्बरको वसीयतके द्वारा जायदाद दीजाय तो प्रश्न यह उठता है कि वे उसे क़ाबिज़ शरीक या क़ाबिज़ मुश्तरक—(Tenants in common or joint tenant देखो दफा ५५८). तरीक़ोंमेंसे कौन तरीक़ेसे लेते हैं। इस बातका वास्तवमें निर्णय वसीयत की लिखत और दूसरी बातोंसे होता है। नीचे इस क़िस्मके कुछ फैसले उदाहरणार्थ-देखो.

(१) एक हिन्दूने वसीयत किया कि मेरी जायदाद मेरी छोटी विधवा और उसके पुत्रको मिले और दोनोंको उस जायदादके बेचने, रेहन करने या इनाम आदिमें देनेका अधिकार प्राप्त होगा। देखो यहांपर दोनो जायदादपर क़ाबिज़ शरीक (Tenants in common दफा ५५८). हैं। प्रत्येक अपने अपने आधे हिस्सेका मालिक होगया इस लिये उन दोनोंके मरनेपर उनका हिस्सा उनके वारिसोंको मिलेगा. यानी विधवाके मरनेपर उसके वारिसको और पुत्रके मरनेपर उसके वारिसको; देखो-23 Cal. 670 ; 23 I. A. 44.

(२) एक हिन्दूने विना हिस्सा बताये अपनी दो विवाहिता बेटियोंके नाम जायदाद

वसीयतकी ऐसे मामलेमें दोनों बेटियां क़ाबिज़ मुश्तरक (Joint tenants दफा ५५८) सरवांईवर शिप् के हक़ के अनुसार जायदाद लेंगी; देखो-गोपी बनाम जलधर 33 All.41.

(३) एक हिन्दूने दानपत्र लिखा जिसके द्वारा मुश्तरका ख़ानदानमे रहनेवाले दो भाइयोंको अपनी जायदाद देदी दोनो भाई इस जायदाद पर क़ाबिज़ शरीक (Tenants in common दफा ५५८) तरीक़ेसे क़ाबिज़ होंगे तथा उनके मरनेके बाद उनके वारिसोंको जायदाद पहुंचेगी देखो-बाई दिवाली बनाम पटेल विचारदास 26 Bom. 445 ; 33 All. 665 ; इसके विरुद्ध भी देखो एक हिन्दू बापने अपने तीन पुत्रोंके नाम वसीयत किया कि अमुक मकान में वे और उनकी संतान हमेशा रहे तथा उसको इस्तेमाल करें मगर किसी को भी उस मकानके बेचने, रेहन करने या दान आदि में देनेका अधिकार कभी प्राप्त नहीं होगा। और दूसरी जायदादके संबंधमें बापने यह आज्ञाकी कि उसकी आमदनी बराबर हिस्सेसे बांटकर वे लेतेरहें और पुत्रोंके मरजाने के पश्चात उनके पुत्रों के दरमियान उसका बटवारा हो सकेगा उनके हिस्सोंके अनुसार । अब उन तीन पुत्रोंमेसे एक पुत्र मरगया उसने एक लड़का और अपनी विधवा छोड़ी। विधवाने उक्त मकानका तीसरा हिस्सा पानेका दावा किया दावा इस बुनियाद पर किया कि तीनों पुत्र उस मकानमें क़ाबिज़ शरीक (Tenants in common दफा ५५८). रहते थे सरवाइवर शिप्का हक़ नहीं रखते थे इस लिये पतिका हिस्सा दिलाया जाय । यह मुक़द्दमा मदरास हाईकोर्टमें जस्टिज् सुब्रह्मण्य ऐय्यरके सामने पेश हुआ, माननीय जजने सब बातोंका बड़ी बारीकीसे विचार कर अंतमें यह फ़ैसला दिया कि वे क़ाबिज़ मुश्तरक (Joint tenant दफा ५५८) थे, सहवाइवर शिप्का हक़ लागू होगा। दावा ख़ारिज किया ; देखो-28 Mad. 363.

दफा ८१२. वसीयतकी मंसूख़ी--जो वसीयतनामा हिन्दूविल्स् एक्ट सन १८७०ई० के अनुसार किया गया हो (देखो दफा ८०३). वह नीचे लिखी सूरतोंके सिवाय अन्य किसी प्रकारसे मंसूख़ नहीं हो सकता-वह सूरतें यह हैं-

(१) वसीयत करने वाले ने पीछे एक दूसरा वसीयत नामा लिख दियाहो-या
(२) कोई ऐसी लिखत लिखी हो जिसके द्वारा पहलेकी वसीयतकी मंसूख़ी की घोषणाकी हो या किसी समाचार पत्र या नोटिस या दूसरी तरहपर अपनी यह मंशा प्रकट कीहो, या
(३) वसीयतनामा जला दिया हो, फाड़ डाला हो, या दूसरी तरहसे नाश कर दिया हो, या
(४) वसीयत करनेवाले की आज्ञासे और उसीके सामने किसी दूसरेके द्वारा वह वसीयतनामा जला दिया गया हो, या फाड़ डाला गयाहो या दूसरी तरहसे नाश कर दिया गया हो।

उपरोक्त कामोंमें वसीयत करनेवाले का वसीयत मंसूख़ कर देनेका इरादा शामिल रहा हो। देखो—इस विषयमें इन्डियन् सक्सेशन् एक्ट १० सन १८६५ की दफा ५७ और हिन्दूविल्स् एक्ट २१ सन १८७० की दफा २; और जिन वसीयतोंसे हिन्दू विल्स् एक्ट २१ सन १८७० लागू नहीं होता वे ज़बानी मंसूख़ हो सकतेहैं । वसीयत मंसूख़ करनेके लिये यह ज़रूरी नहीं है कि वह किसी लिखत के द्वारा मंसूख़ की जाय । अगर वसीयत करने वालेने पहलेके वसीयतको मंसूख़ कर देनेके इरादसे स्पष्ट आज्ञादी हो कि वह वसीयतनामा नाश कर दिया जाय तो भी मंसूख़ हो जायगा ; देखो—3 Cal. 626 ; 4 I. A. 228 245 ; 25 Mad. 678 ; 29 I. A. 158.

नोट-यहांपर लिखी हुई और ज़वानी वसीयत मंसूख़ करनेकी बात कही गयी है वसीयत के होनेसे जिन लोगों का हक़ मारागया हो और वे यह कहते होंकि उसे वसीयत करनेका अधिकार न था या ऐसीबात कहते हों कि जिससे वसीयत करनेवाला वसीयत या वैसी वसीयत नहीं कर सकता था तो दूसरी बात है। उन्हे अपने कथनका स्पष्ट प्रमाण अदालत के विश्वास करादेने योग्य देना होगा तव वसीयत मनसूख़ हो जायगी।

दफा ८१३. इन्डियन् सक्सेशन् एक्ट—इन्डियन् सक्सेशन् एक्ट नं० १० सन १८६५ई०की नीचे लिखी दफाएं हिन्दूविलस् एक्ट नं० २१ सन १८७०ई०(जोकि प्रोवेट और एड्मिनिस्ट्रेशन् एक्ट नं०५ सन १८८१ की दफा १५४ से संशोधित हुआ है) की दफा २के अनुसार हिन्दू वसीयतों से लागू की गयी हैं, वे दफाएं यह हैं ; ४६; ४८; ४९; ५०; ५१; ५५; और ५७ से ७७ तक और ८२; ८३; ८५; तथा ८८ से १०३ तक और १०६ से १७७ तक तथा दफा १८७; इन दफाओंका बिवरण ग्रन्थ बिस्तार के भयसे नहीं दिया है।

अवधके ताल्लुक़ेदार-इन्ड़ियन् सक्शेसन् एक्टकी नीचे लिखी दफाएं अवधके ताल्लुक़ेदारोंकी वसीयत आदिसे लागू होती हैं; वे यह हैं—४९; ५०; ५१; ५४; ५५; ५७ से ७७; ८२; ८३; ८५; और ८८से ९८ तक।

दफा ८१४. मालावार लॉ——मालावार विलस् एक्ट नं० ५ सन १८९८ ई० में उन लोगोंकी वसीयत आदिकी व्यवस्था रखी गयी है जिनसे 'मारूमक्कट्टयम्' या 'अलिया संतान' नामक वरासतका क़ानून लागू होता है-

अलिया संतान--यह एक प्रकारका प्राचीन लॉ है जो दक्षिण कनारा प्रांतमें प्रचलित है। कहते हैं कि इसे 'भूतलपण्ड्या' नामक एक राजाने सन ७७ ई० में जारी किया था इसकी कथा इसप्रकार है, कि उक्त भूतलका मामा उस प्रांतका राजा था उससे कुण्डोदर नामके एक राक्षस ने उसका पुत्र बलिके तौरपर मांगा, परंतु भूतलके मामाने इनकार किया। भूतलकी माताने भूतलकी बलि देना स्वीकार किया राक्षसने प्रसन्न होकर भूतलको उस प्रांतका राजा बना दिया तबसे भूतलने यह नियम जारी किया कि प्रत्येक मनुष्यके उत्तराधिकारी बहनके पुत्र हुआ करें। दक्षिण कनाराके 'तुलू' ज़िमीदार, काश्तकार, मज़दूर और 'बांट' जातिके अधिकांश लोग तथा मुसलमान 'मोपले' भी इसी अलियासंतान लॉ के अनुसार विवाह और उत्तराधिकार मानते हैं इस लॉ के अनुसार जो बिवाह होता है उसे मलाबार मेरेजलॉ कहते हैं कमीशन्के सामने उस प्रांतके सरकारी गवाहोंने नायर आदिकी पृथासे इसे अच्छा बताया है। सगाईके बाद विवाह होता है स्त्री पुरुष दोनोंको एक दूसरेसे तलाक़ (देखो दफा ६१) हासिल करनेका अधिकार है। एकही गोत्रवाले आपसमें विवाह नहीं कर सकते यदि करें तो जाति च्युत हो जाते हैं।

प्रोवेट।

दफा ८१५. प्रोवेट—हिन्दू विलस् एक्ट पास होनेसे पहले किसी हिन्दूका उत्तराधिकारी, प्रोवेट मिल जानेपर भी जायदादका मालिक नहीं बल्कि मेनेजर माना जाता था किंतु एक्ट नं० ५ सन १८८१ ई० की दफा ४ के अनुसार अब यह वसीयत करनेवालेका प्रतिनिधि माना जाता है। नीचे हम, प्रोवेट एन्ड एडमिनिस्ट्रेशन् एक्ट नं० ५सन१८८१ई०की कुछ आवश्यक दफाओंका उल्लेख करते हैं जो वसीयतके प्रोवेट प्राप्त करनेके लिये ज़रूरी हैं—

दफा २४--जब कि वसीयत नामा खोगया हो, या वसीयत करनेवालेकी मृत्युके दिनसे न मिलता हो, या किसी आकस्मिक घटनासे अथवा अनुचित रूपसे नष्ट होगया हो, और वसीयत करनेवालेके किसी कामसे नष्ट न हुआ हो, और उसकी एक नक़ल या मसविदा मौजूद हो तो उस नक़ल या मसविदेका प्रोवेट अदालत उस वक्त तकके लिये मंजूर करेगी जबतक कि असली वसीयत नामा या उसकी ठीक बाज़ाबिता नक़ल पेश न कीजाय।

दफा २५--जब कि वसीयत नामा खो गया हो या नष्ट होगया हो और कोई नक़ल उसकी न हो और न मसविदा रखा गया हो तो अगर उसके अंदरका मतलब शहादतसे साबित कर दिया जाय तो अदालत प्रोवेट मंजूर करेगी।

दफा २६—जब कि वसीयत नामा जिसके द्वारा प्रोवेट लेना है, ऐसे किसीके पास है जो दूसरे प्रांतका निवासी है और उसने देनेसे इनकार कर दिया या देनेके लिये बेपरवाहीकी लेकिन उसकी नक़ल वसीयतकी तामील करनेवालेके पास भेजदी गयी हो और असली वसीयतनामेकी प्रतीक्षा न करके, जायदादके लिये प्रोवेट प्राप्त करना ज़रूरी हो तो इसप्रकारसे भेजी हुयी नक़लसे अदालत वसीयतका सुबूत उस वक्त तकके लिये मानलेगी जब तक कि असली वसीयत नामा या उसकी बाज़ाबिता नक़ल न पेशकी जाय।

दफा ८१६. प्रोवेट मिलनेकी दरख्वास्तमें क्या लिखना चाहिये------

जब वसीयतका प्रोवेट अदालतसे मांगा जाय तो नीचे लिखी बातें प्रोवेट मिलनेकी अर्ज़ीमें लिखना आवश्यक होंगी, इसबारेमें प्रोवेट एक्टकी दफा ६२ इसप्रकार है—

दफा ६२—जबकि प्रोवेट या लेटर्स आव् एड मिनिस्ट्रेशन् (दफा ५५८). अर्थात् जायदाद पर अधिकार मिलनेकी दरख्वास्त की जाय तो अवश्य उसके साथ वसीयत नामा शामिलकरना होगा और वह दरख्वास्त स्पष्ट रूपसे अंगरेज़ी या अदालतकी भाषामें लिखी जायगी तथा वसीयत या इस (प्रोवेट एक्ट) क़ानून की उपरोक्त दफा २४, २५ और २६ में कही हुयी नक़ल, मसविदा या बयान जैसा कि उन दफाओंमें बताया गया है शामिल की जायगी। दरख्वास्तमें नीचे लिखी बातें दर्जकी जायंगी—

(१) वसीयत करनेवालेकी मृत्युका समय (तारीख़ व सन)

(२) यहकि जो लिखत शामिल की गयी है वह उसकी आख़िरी वसीयत है।

(३) यहकि वसीयत बाज़ाबिता लिखी गयी है।

(४) संपत्तिकी तादाद जो दरख्वास्त करनेवालेको उस वसीयतके द्वारा मिलनेको है।

(५) अगर दरख्वास्त प्रोवेटके लिये होतो उसमें यह भी लिखना होगा कि दरख्वास्त करनेवाला ही वह आदमी है जिसका नाम वसीयतमें लिखा है।

(६) अगर दरख्वास्त ज़िला जजकी अदालतमें की जायतो पूर्वोक्त बातोंके सिवाय यह भी लिखना होगा कि वसीयत करनेवाला मरनेके समय उस जजके इलाक़े अख़्त्यारमें स्थायी निवास रखताथा या उसकी कोई जायदाद थी। अगर दरख्वास्त ज़िला डेलीगेटसे की जायतो भी यह लिखना होगा कि मरनेवाला उस डेलीगेट के इलाक़े में रहता था।

नोट—ज़िल डेलीगेट की स्टष्टि संभवतः कहींपर सरकारने नहीं की।

धार्मिक और ख़ैराती धर्मादे।

सत्रहवां-प्रकरण।

नोट—दफ़ा ८१७ में कहे हुए उद्देशोंके लिये जो संस्थायें स्थापित हैं उन्हींसे इस प्रकरण का संबंध है। जब कोई संस्था क़ायम करदे पीछे उसमें चन्दे का धन शामिल होजाय, अथवा चन्देंसे संस्था क़ायम की गयीहो पीछे कोई अपना धन लगादे, इन दोनो सूरतोंमें जिसके हाथमें वह संस्था होगी वह ट्रस्टी या मेनेजर की हैसियत रखता है और उससे ट्रस्टी और मेनेजर के विषयमें कहे हुए सब नियम लागू होते हैं। चन्दा वसूल करके किसी संस्थाके स्थापक के अधिकार ट्रस्टी या मेनेजर से अधिक नहीं होते। मगर अनेक मुक़द्दमें इसके विरुद्ध भी फैसल हुए हैं, यदि किसीने पहले अपने निजके धनसे कोई संस्था क़ायम की पीछे कुछ धन उस संस्था की मददके लिये चन्दे आदिसे प्राप्त होगया तो महज़ इस कारणसे स्थापक का हक़ नहीं माराजायगा हां वह सूरत भिन्न है कि जब संस्था पहले चन्देसे क़ायम की गयीहो, क्योंकि उस संस्थाके जन्मसे ही धर्मादे का क़ानून एक्ट नं० २० सन १८६३ ई० लागू होजाताहै। मंदिरोंके स्थापकों, प्रबंधकों, पुजारियों, शिवायतों तथा मठाधीशों, महंतों और सभी धार्मिक या ख़ैराती संस्थाओंके स्थापकों ट्रस्टियों और मेनेजरों को इस प्रकरणके पढ़नेसे उन्हे अपने कर्तव्य, अधिकारों और क़ानूनी बातोंका अच्छा ज्ञान प्राप्त होजायगा और वे उन भूलोंसे बच सकेंगे जो अनजानपनेसे होजाया करती हैं।

दफ़ा ८१७. धर्मादोंका उद्देश——हिन्दुस्थानमें धार्मिक, ख़ैराती और शिक्षा संबंधी तथा सार्वजनिक-मतलबोंके लिये बहुतसे धर्मादे हैं। उनके उद्देश भी अनेक होते हैं कहीं तो किसी मूर्ति या देवमूर्तिके लिये या किसी मंदिरके लिये या निजके या सार्वजनिक-धार्मिक कृत्यों या पूजाके लिये और कहीं ख़ैराती कामोंके लिये या किसी संप्रदायके या धर्म, शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, सार्वजनिक रक्षाकी उन्नतिके लिये या और किसी कामके लिये जो मनुष्य मात्रके वास्ते लाभकारी हों; या किसी पंथ या संप्रदाय या जमात या संघके लिये लाभकारीहों; देखो-ट्रान्स्फ़र आव् प्रापर्टी एक्ट नं०४ सन १८८२ की दफ़ा ११७.

दफ़ा ८१८. धर्मादा किस तरह क़ायम करना चाहिये—धर्मादेकी सृष्टि दान या वसीयत या और किसी तरह जायदाद का इन्तकाल करके की जासकती है। धर्मादा क़ायम करनेके लिये 'लिखत' कोई बहुत ज़रूरी नहीं है ज़बानी भी धर्मादा क़ायम होसकता है; देखो-मदन लाल बनाम कूनलबीबी 8. W. R. 42; 3 Mad. L. J. 364; जिस मामलेमें हिन्दू विलस् एक्ट सन १८७० ई० लागू होताहो और वसीयतके द्वारा कोई धर्मादा क़ायम किया गया होतो ज़रूर 'वसीयत' लिखतमें होना चाहिये और उसपर कमसे कम दो गवाहोंके हस्ताक्षर भी होना चाहिये। जो हिन्दू कोई धार्मिक या ख़ैराती संस्था स्थापित करना चाहता है वह हिंदूलॉके अनुसार उस संस्थाके स्थापित करनेका हेतु और किस धन या जायदादसे स्थापित करना अभीष्ट है स्पष्ट ज़ाहिर करके स्थापित कर सकता है। इसमें ट्रस्ट लाज़िमी नहीं है किंतु यह लाज़िमीहै कि उस धार्मिक या ख़ैराती संस्थाका साफ साफ स्पष्टी करण किया जाय और उस जायदादका भी जो उसमें लगाई जाय। अगर किसी देवमूर्तिके अर्पण जायदाद की गयी होतो वह जायदाद वास्तमें चढ़ाई नहीं जासकती इस लिये यह ज़रूरी और लाज़िमी है कि एक ट्रस्ट नियत करके जायदाद उसके अधिकारमें दे दीजाय; देखो-12 Bom. 247-263; 25 Cal. 112-127; 9 Cal. W. N. 528.

ट्रस्ट की दस्तावेज़के लिखनेके समय यह ध्यान रखना चाहिये कि उसमें ऐसी मुवहम या अनिश्चित इबारत न लिखी जाय कि जिसका मतलब उस दस्तावेज़के समग्र पढ़ने के पश्चात् सारांशमें संदेहित निकलताहो। जो जायदाद देवमूर्तिके अर्पण की गयी है ऐसी स्पष्ट रीतिसे लिखी गयीहो कि साधारण समझके अनुसार स्पष्ट रूपसे बिना अधिक विचार किये तुरंत उसका अर्थ साफ होजाता हो; ऐसी इबारत ट्रस्टकी दस्तावेज़में लिखना चाहिये। धर्मादेके जायज़ बनानेके लिये ऐसीही साफ इबारत की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि होसकता है कि, लेनदारोंका रुपया मारनेके लिये जालसाज़ी की गयीहो। ट्रस्ट जायज़ माना जाय इस मतलबके लिये बेहद ज़रूरी बात यह है कि दान या वसीयतके द्वारा दानदेनेवाला दान करनेके पश्चात् उस जायदाद परसे वास्तवमें अपने सब मालिकाना अधिकार हटाले और पूरी तौरसे ट्रस्टके हवाले कर दे। उसकी मंशा दान करनेकी थी यानहीं इसका प्रमाण दान करनेवालेके पीछेके कामोंसे ज़ाहिर होगा और विचार किया जायगा। अगर यह सावितहो कि उसने दानकी हुयी जायदाद या उसके किसी हिस्सेको अपने निजके कामोंमें लाया और देवमूर्तिके पूजन आदिके कामोंमें नहीं लाया या यह सावितहो कि वह धर्मादा नहीं चाहता था और उसकी मंशा ऐसी नहीं थी तो देवमूर्तिमें अर्पण की हुई जायदादका दान बे असर होजायगा। परिणाम यह निकलेगा कि दान करनेवालेके विरुद्ध ज़ात ख़ासकी डिकरीमें वह जायदाद कुर्क़ और नीलाम होसकेगी तथा उसपर उत्तराधिकारका हक़ प्राप्त रहेगा; देखो—वाटसन् एन्ड को बनाम रामचन्द्र 18 Cal. 10; कुंवर दुर्गानाथ बनाम रामचन्द्र 2 Cal 341-349, 4 I. A. 52; 4 Cal 56; 12 Mad 387.

ब्रजसुंदरी बनाम लक्ष्मी 20 W. R. 95 (P. C.) वाले मामलेमें प्रिवीकौन्सिलने कहा कि—अगर हिन्दू अपनी निजकी देवमूर्तिके नामसे कोई जायदाद ख़रीदकरे और पूजनके लिये किसी पुजारीको नियुक्त करदे तो जायदाद उस देवमूर्तिकी नहीं हो जायगी बल्कि ख़रीद करनेवालेकी निजकी जायदाद बनी रहेगी।

जायज़ धर्मादा क़ायम करनेके लिये सिर्फ यह ज़रूरी है कि कोइ ख़ास जायदाद ख़ास मतलबके लिये अलहदा कर दीजाय और जब यह मतलब स्पष्ट रूपसे और स्वाभाविकरीतिसे धार्मिक या ख़ैराती हो तो वह ट्रस्ट सिर्फ इस वजहसे नाजायज़ नहीं होजायगा कि वह उस क़ायदेके विरुद्ध है जो क़ायदा 'परपेच्युएटी' (Perpetuaty) की सृष्टिको मना करता है; देखो-9 C. W. N. 528-535; 25 Cal 112-126-127.

परपेच्युएटी—हिन्दूलॉके अनुसार सिवाय धार्मिक और ख़ैराती धर्मादोंके दूसरे किसी काममें कोइ जायदाद हमेशाके लिये नहीं लगाई जासकती; देखो—11 Cal 684; 12 I. A. 103; 1 M. H. C. 400; 2 B. L. R. O. C. 11; 15 Cal 409; 15 I. A. 37; 14 Bom. 360; 'हमेशाके लिये नहीं लगाई जासकती' यही परपेच्युएटीका क़ायदा है किंतु धार्मिक और ख़ैराती कामोंमें यह क़ायदा लागू नहीं होता इससे उनमें हमेशाके लिये जायदाद लगाई जासकती है।

इंगलैन्डका वह क़ानून जो अमानुषी कामोंके लिये दान करना मना करता है ऐसे धर्मादोंसे लागू नहीं होसकता; देखो-11 Bom. H. C. 214.

दफा ८१९. मियाद नहीं हो सकती——धर्मादा जायज़ होनेके लिये यह ज़रूरी है कि वह धार्मिक या ख़ैराती कामोंके लिये हमेशाके वास्ते क़ायम किया गया हो, धर्मादा क़ायम करनेके लिये कोई मियाद नहीं होसकती। महारानी ब्रजसुंदरी देवी बनाम लक्ष्मी कुंवर रानी 15 B.L.R. 176. में कलकत्ता हाईकोर्टके जजोंने एक मूर्तिके संबंधकी जायदादके विषयमें

यही माना कि वह जायदाद हमेशाकेवास्ते उस देव मूर्तिमें नहीं लगी थी इसलिये वह जायदाद धर्मादेमें शामिल नहीं है और धर्मादा नाजायज़ है ।

दफा ८२०. धर्मादा क़ायम करनेवाला—प्रत्येक हिन्दू जो अपने होश, हवास में ठीकहो और नाबालिग़ नहो अपनी मालिकी की जायदादको वसीयत या दानके द्वारा किसी धार्मिक या खैराती कामोंके लिये इन्तक़ाल कर सकता है अर्थात् किसी देवमंदिर आदि बनानेके लिये इन्तक़ाल कर सकता है; देखो--भूपति नाथ बनाम रामलाल 37 Cal. 128; 12 Bom. H. C. 214. ब्राह्मण भोजन या ग़रीबोंके भोजनके लिये इन्तक़ाल कर सकता है--द्वारिकानाथ, बनाम वरोदा 3 Cal. 443 ; 34 Cal. 5 ; 31. Cal. 166. सार्वजनिक हिन्दू धर्म कृत्योंके लिये जैसे श्राद्ध, दुर्गापूजा, लक्ष्मीपूजा, इत्यादि के लिये—प्रफुल्ल बनाम योगेन्द्रनाथ 9 Cal. W. N. 528 ; 6 Bom. 24. विश्व विद्यालय, या किसी विद्यालय पाठशाला या स्कूल के लिये—मनोरमा बनाम काली चरण 31 166 ; औषधालय या अस्पतालके लिये-- 6 Cal. W. N. 321 ; इत्यादि ।

द्वारिकानाथ बनाम बरोदा 4 Cal. 443 ; वाले मामलेमें कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि ' जब किसीने इस प्रकारका दान या खैरात किसी पण्डित को किया हो कि दुर्गा पूजाके साथ प्रादेशिक जनो के सिखाने के लिये या महाभारत या देवी भागवत या अन्य पुराण बांचने के लिये या किसी विशेष मासमें भगवानकी पूजा के लिये, उपकरण यानी सामग्री लेवे, तो ऐसा दान या खैरात यद्यपि जायज़ है किंतु संदेह जनक है ।

इंगलिश लॉ के अनुसार ऐसे काम जो क़ानूनन् जायज़ नहीं माने गये, हिन्दू धार्मिक धर्मादोंमें जायज़ माने जाते हैं जैसे किसी हिन्दूने किसी देवमूर्ति के हक़में या सदावर्तके वास्ते दान किया तो यद्यपि ऐसा दान इंगलिश् लॉ के अनुसार विरुद्ध है तथापि हिन्दूलॉ में जायज़ माना गया है; देखो—14 M. I. A. 289-301--302 ; 12 Bom. H. C. 214.

भूपतिनाथ बनाम रामलाल 37 Cal 128, 136, 137, 141. में कहा गयाकि धार्मिक कामोंमें जो दान किया जाता है वह केवल क़ानूनन् जायज़ ही नहीं माना जाता बल्कि हिन्दू सिद्धांतानुसार वह काम बड़ा सुंदर और प्रशंसनीय भी है ।

धर्मादेके लिये दी हुयी जायदादके मुनाफेसे धर्मादा क़ायम करनेवालेको चाहिये कि अपनेको अवश्य सब तरह अलग करले । इस विषयपर मिस्टर मेन कहते हैं कि “ अगर कोई आदमी अपनी जायदादसे कोई मंदिर बनाये या धर्मादा क़ायम करे और उस जायदाद का प्रबंध अपनेही हाथोंमें रखे तो धर्मादाका इस तरहका ट्रस्ट मुकम्मिल ट्रस्ट नहीं कहा जा सकता जबतक वह आदमी जीवितहै तबतक इस प्रबंधसे भलेही समाजका लाभहो परंतु फिरभी इस प्रबंधका जारी रहना उस एक आदमीकी खुशीपर निर्भर है ।´उस आदमीके मरनेके बाद भी झगड़ा है क्योंकि वह जायदाद वारिसोंके हाथमें या दिवालिया अदालतमें जा सकती है; इसके सिवाय यह भी हो सकता है कि वह आदमी स्वयं जब चाहे उस धर्मादेका ख़र्च कम कर दे या उसे बिलकुल बंद कर दे ” । सारांश यह है कि उस जायदादकी हैसियतमें फरक पड़ेगा अर्थात् वह जायदाद धर्मादेकी नहीं बन जायगी बल्कि धर्मादेमें लगाया जाना मालिककी खुशीपर रहेगा;-देखो मेन हिन्दूलॉ 7 ed. P. 583 ; नोट 15 B. L. R. 176 ; 20 W. R. C. R. 95.

दफा ८२१. सार्वजनिक आरामका हक़———केवल सार्वजनिक आरामके हक़के लिये भी धार्मिक या खैराती धर्मादा क़ायम किया जा सकता है; देखो जगमनी दासी बनाम नीलमणि घोसल 9 Cal 75 ; 11 Cal. L. R. 502 में कहा गया कि बहुतेरे लोग

मरते हुए प्राणीको किसी दरिया या नदी के घाटपर जाकर रखे देते हैं, ऐसे घाटका इस कामके लिये नियुक्त किया जाना या बनवाना भी सार्वजनिक आरामके हक़का धर्मादा है।

दफा ८२२. किसी मुद्दतके बाद धर्मादा क़ायम करना--अगर कोई ऐसा कहे कि मेरी जायदाद अमुक आदमीके जीवन समाप्त होनेके बाद अमुक धर्मादे में लगा दी जाय तो इसमें क़ानूनन् कुछ हर्ज नहीं पड़ता; देखो—30 All. 288.

दफा ८२३. सार्वजनिक और निजके धर्मादे का भेद———धर्मादेके संबंधमें पहले यह समझलेना बहुत ज़रूरी है कि वह सार्वजनिक धर्मादा है अथवा निजका। इन दोनोंमें भेद यह है कि जो सार्वजनिक धर्मादा होता है वह किसी धार्मिक या ख़ैराती कामोंके लिये होता है और उसमें संपूर्ण जन समुदाय का लाभ शामिल रहता है तथा वे सब उससे लाभ उठानेका अधिकार रखते हैं। निजके धर्मादेमें; धर्मादा स्थापन करनेवालेका कुटुम्ब और उसके रिश्तेदार तथा मित्र केवलयही निश्चित संख्याके लोग लाभ उठा सकते हैं और इन्हींके लाभ उसमें शामिल रहते हैं; देखो 23 Bom. 659; 14 M. 1; 15.B.L.R.167.

जब किसी आदमीने कुटुम्बकी देवमूर्तिके हक़में निजका धर्मादा क़ायम किया हो तो वह कुटुम्बकी देवमूर्ति और उसमें लगा हुआ धर्मादा, देवमूर्तिका नित्य विधि पूर्वक पूजन होनेके लिये दूसरे ख़ानदानमें इन्तक़ाल कर सकता है। किंतु ऐसा करनेमें शर्त यह है कि ख़ानदानके सब मेम्बरोंकी सम्मति प्राप्त करली गयी हो और वह इंन्तक़ाल उस देवमूर्तिके पूजन आदिके लाभके लिये ही किया गया हो; देखो-17 Cal 557; 13 C. W. N. 242; निजके धर्मादेमें जो जायदाद लगा दी जाती है चाहे वह किसी देवमूर्तिमें भी लगी हो ख़ानदानके सब मेम्बरोंकी सम्मति होनेसे वह जायदाद फिर ख़ानदानी जायदाद बनाली जासकती है और फिर उसे सब लोग आपसमें बांटले सकते हैं; देखो-2 Cal 341; 4 I. A. 52; 11 Indian. Case 947; 9 Indian. Case 650; 15 C. W. N. 126; 12 C. W. N. 98; 16 C. W. N. 29.

"ख़ानदानके सब लोग" इस कहनेसे यहांपर यह अर्थ है कि ख़ानदानके सब पुरुष, और वे सब स्त्रियां जिनके भरणपोषणका लाभ धर्मादेमें शामिल है देखो-सरकारका हिन्दूलॉ 4 ed. P. 491, 492; जिनके धर्मादेमें यदि ऐसी कोई बदइन्तज़ामी हो जाय तो वह क्षमाकी जासकती है जैसी कि सार्वजनिक धर्मादेमें नहीं की जासकती; देखो-20 M. 398; तथा यह भी ध्यान रहे कि धार्मिक धर्मादेका क़ानून (Act No. 20 of 1863.) निजके धर्मादेसे लागू नहीं होता यही बात 19 Cal 275 वाले मामलेमें मानी गयी। निजके धर्मादेका सामान्य चिन्ह यह है कि-ख़ानदानकी देवमूर्तिके पूजनके लिये कोई ख़र्च ख़ानदानकी जायदादपर डाला गया हो, ऐसी सूरतमें वह ख़ानदानी जायदाद जिसमें देवमूर्तिके पूजनके ख़र्चका बोझा पड़ा है इन्तक़ालकी जासकती है देखो-5 Cal 438; 1 A. 182; लेकिन अगर जायदाद देवमूर्तिके नाम सब तरह अलहदा कर दी गयी हो तो दूसरी सूरत होगी।

दफा ८२४. जायदादपर बोझ———यह ज़रूरी नहीं है कि धर्मादेसे जिस जायदादका संबंध हो उस जायदादपरसे कोई अपना पूरा मालिकाना हक़ मुंतक़िल करदे उस धर्मादेके ख़र्चका बोझ जायदादपर क़ायम किया जासकता है या आमदनीका कोई हिस्सा उस धर्मादेके ख़र्चके लिये नियत किया जासकता है; देखो-8 M. I. A. 66; 6 I. A. 182; 5 Cal. 438; 5 Cal. L. R. 296; 31 I. A. 203; 32 Cal 129; 8 C. W. N. 809; 6 Bom. L. R. 765; 35 Bom 153; 12 Bom. L. R. 584.

जिस जायदादपर इसतरह किसी धर्मादेके ख़र्चका बोझ डाला गया हो, उसके साथ भी वह सब कारवाइयां होसकती हैं जो साधारण जायदादके संबंधमें होसकती हैं; देखो—13 W. R. C. R. 20; 10 W. R, C. R. 299; 2 Hay 160; अर्थात् उस जायदादका बटवारा होसकता है देखो—4 Cal 56; 12 Mad 387-391; किंतु वह जायदाद धर्मादेके ख़र्चके बोझको हमेशा लिये रहतीहै, वह जायदाद बेची, तथा कुर्क, और नीलाम भी की जासकती है—6 I. A. 182; 5 Cal. 438; 5 Cal. L. R. 296; 35 Bom. 153; 12 Bom. L. R. 584.

सत्यनामभारती बनाम शरवनवागी अम्मल 18 Mad 262 वाले मामलेमें यह सूरत थी कि जायदादके कुछ हिस्सेसे एक मठ संबंधी धर्मादेका ख़र्च चलाया जाता था और जायदादका बाक़ी हिस्सा जायदादके मालिक और उसके वारिसोंके गुज़ाराके लिये छोड़ा हुआ था अदालतने फैसला किया कि मालिककी ज़िंदगीतक ही गुज़ारेका ख़र्च दिया जासकता है मालिकके मरनेके पीछे उसके वारिस कुछ नहीं पावेंगे।

दफा ८२५. धर्मादेका निश्चित होना अत्यावश्यक है——धर्मादा किस उद्देशसे है या किस उद्देशके लिये स्थापित किया गयाहै और ठीक ठीक कौनसी तथा कितनी जायदाद और किस क़िस्मकी जायदाद उसके लिये नियतकी गयी है यह सब बातें निश्चित रूपसे धर्मादा क़ायम करनेवालेको सरल और साफ साफ शब्दोंमें ज़रूरही बता देना चाहिये—देखो—इण्डियन् सक्सेशन् एक्ट 20 of 1865. S. 75; तथा हिन्दू विल्स् एक्ट 21 of 1870. ठीक कितनी रक़म उस धर्मादेमें ख़र्चकी जाय अगर यह बात न बताई गयी हो तो कोई हर्ज नहीं होगा, रक़मके बारेमें अदालत यह बात स्वयं निश्चित करेगी कि छोड़ी हुयी जायादादका कितना भाग धर्मादेमें लगाया जाय, तथा उसके लिये एक व्यवस्था बनायेगी देखो-कृष्णारामानी दासी बनाम आनन्द कृष्ण बोस 4 B. L. R. O. C. 231.

यदि धर्मादेकी लिखत या सुबूतसे उपरोक्त बातें निश्चित नहीं होती होगीं तो अनिश्चित होनेके कारण अदालत उस धर्मादेको नाजायज़ कर देगी। नीचे हम निश्चित और अनिश्चित दोनो बातोंके कुछ उदाहरण समझनेके लिये देते हैं।

दफा ८२६. निम्न हालतोंके दान ‘निश्चित’ होनेसे जायज़ माने गये——

(१) ख़ैरात-एक आदमीने वसीयतकी कि ५००) रु० महीना हमारी धर्मशालामें “ख़ैरातके तौरपर” ख़र्च किया जाय अदालतने निश्चित उद्देश मानकर जायज़ क़रार दिया—गोरधनदास बनाम चुन्नीलाल 30 All. 111.

(२) ख़ैरातके कामके लिये दान मुश्तरका मेंबरोंका—बंबईमें एक आदमीने अपने भतीजेकी मंजूरीसे मुश्तरका जायदाद ख़ैरातके कामोंके लिये वसीयत करदी तथा भतीजेको ट्रस्टी भी बनाया माना गया कि वसीयत जायज़ है; देखो—7 Bom. 19; 12 C. L. R. 92; 9 I. A. 86; 14 Cal. 222.

(३) शिक्षाकी संस्था—एक वसीयतमें यह शर्त थी कि “मेरे मरनेके बाद एक लाख रुपयेके गवर्नमेन्ट प्रामेसरी नोट लखनऊके कलक्टरको देदिये जायं, कलक्टर साहब उनका हमेशा सूद लेते रहें और एक विद्यालय या स्कूल मेरे नामसे क़ायम करें, वसीयतमें जो ख़र्च बताये गये हैं करते रहें और अगर वह किसी ख़र्चके बदलनेकी ज़रूरत समझें तो उन्हे अधिकार होगा, जो शिक्षाकी संस्था वह क़ायम करेंगे उसका नाम अवश्य ‘स्कूल’ होना चाहिये और कलक्टर साहबको प्रबंध तथा स्कूलके सब काम करनेका पूर्ण अधिकार प्राप्त रहेगा स्कूलका भवन बनानेके लिये २५००) रु० और उन्हे दे दिये जावें” अदालतने

माना कि इस तरहकी शर्त अनिश्चित या मुबहम नहीं है तथा यह दान ख़ास कामके लिये ख़ास आदमीको किया गया है, यह भी माना कि यह दान गवर्नमेन्टके हाथमें नहीं दिया गया बल्कि लखनऊके कलक्टरको दिया गया है, 'कलक्टर' से डिपुटी कमिश्नर ज़िला लखनऊ समझा जायगा; देखो— 8 Indian case 695.

(४) ग़रीब हिन्दुओंको भोजन—दक्षस्मृतिमें वचन है कि—

“ दीनानाथ विशिष्टेभ्यो दातव्यं भूतिमिच्छता ”

ऐश्वर्यके चाहनेवालोंके लिये उचित है कि वे दीन, अनाथ और सज्जन ग़रीब हिन्दुओंको दान दें। एक आदमीने वसीयतकी कि हमारे घरके दरवाज़ेपर हमारी आमदनीके फंडमेंसे सदाके लिये ग़रीब हिन्दुओंको भोजन कराया जाय, जायज़ माना गया ; 34 Cal. 5.

(५) चिकित्सालय--अस्पताल—एक वसीयत नामेमें, अस्पतालमें रहनेवाले एक आदमीके नाम दान किया गया, माना गया कि यह दान अस्पतालका उत्तम प्रबंध रखने और उसके कामके लिये है इससे जायज़ हैं। सार्वजनिक-चिकित्सालयके नाम जो जायदाद दानकी जाय और लिखतमें स्पष्ट लेख न लिखा गया हो तो माना जायगा कि वह नाजायज़ नहीं है; देखो—6 C. W. N. 321.

(६) ग़रीब रिश्तेदार—एक आदमीने वसीयतमें लिखा कि मैं अपने ट्रस्टियोंको सूचित करता हूं कि वे अपने विचारसे जिसकी रक़म २५०००) रु० से ज़्यादा न हो मेरे ग़रीब रिश्तेदारोंको बांटदें जिनमें मेरे नौकर भी शामिल रहेंगे। माना गया कि यह ख़ैरात है और जायज़ दान है; देखो—31 Cal. 166 ; इस विषयमें 'दक्षस्मृति' में कहा है--

मातापित्रोर्गुरौ मित्रे विनीते चोपकारिणि
दीनानाथ विशिष्टेभ्यो दत्तंच सफलं भवेत् । ३-१६

माता, पिता, गुरु, मित्र, शीलवान, उपकारी पुरुष, दीन, अनाथ, और, सभ्य आदमियों को दान देना सफल है।

(७) सदावर्त—एक वसीयतसे यह मालूम होता था कि वसीयत करनेवालेका यह इरादा था कि किसी निश्चित स्थानपर निश्चित सदावर्त स्थापित किया जाय और अमुक जायदादकी आमदनी ' सदावर्तके ख़र्चके लिये ' काममें लायी जाय, जायज़ माना गया; देखो—17 Bom. 351 ; 14 Bom. 1.

(८) शिवमंदिर या विष्णुमंदिर—एक आदमीने वसीयतकी कि हमारे बैठक खानेके हातेमें किसी उचित स्थानपर और उचित ख़र्चसे एक शिवमंदिर उसकी दूसरी इमारतों और बाग़सहित बनाया जाय, जायज़ माना गया; गोकुलनाथ गुह बनाम ईश्वर लोचनराय 14 Cal. 22 ; इसी तरहका एक मुक़द्दमा और था जिसमें यह हिदायत थी कि मेरी छोड़ी हुयी संपत्तिसे अमुक काम किया जाय अदालतने उसे नाजाज़ माना (4 Cal. 508) ; किंतु यह फैसला इन मुक़द्दमोंमें नहीं माना गया देखो—रामबरन उपाध्याय बनाम पार्वतीबाई 31 Cal. 895; 8 C. W. N. 653; 1 Bom. H. C. 73.

(९) मंदिर—एक आदमीने वसीयतकी कि अमुक मंदिर जो बन रहा था पूरा करा दिया जाय और उसमें देव मूर्तिकी प्रतिष्ठाकी जाय ; देखो मोहरसिंह बनाम हेढ़सिंह (1910) 32 All.337; या ठाकुरजी ऐसे स्थानपर स्थापित किये जायं जहां पर वसीयतकी तामील करनेवाले उचित समझें दोनों जायज़ माने गये; देखो-29Cal.260;6C.W.N.267.

(१०) कालीदेवीकी पूजा—एक आदमीने वसीयतकी कि कालीजीकी मूर्ति स्थापन कीजाय और अमुक लोगोंके हाथमें जो जायदाद दीगयी है उसकी आमदनीकी बचत कालीदेवीकी सेवा और पूजामें ख़र्चकी जाय, जायज़ माना गया; भूपतिनाथ स्मृतितीर्थ बनाम रामलाल मित्र 37 Cal. 128 ; 14 C. W. N. 18.

(११) श्राद्ध—एक आदमीने अपने वसीयतमें ट्रस्टियोंको यह हिदायतकी कि हरसाल मेरे बाप, मा, दादा, परदादा, और मेरे मरनेके बाद मेरी श्राद्धके अवसरपर ब्राह्मण भोजनमें उचित ख़र्च किया जाय और हरसाल ब्राह्मणोंको और पाठशालाओंके पण्डितोंको जो संस्कृतका प्रचार करते हों दुर्गापूजाके अवसरपर उचित भेंटें और दान दिया जाय, एवं हरसाल कार्तिकमासमें महाभारत और अन्य पुराणकी कथा और ईश्वर प्रार्थनाके लिये उचित रक़म ख़र्चकी जाय, इन सब कामोंके करनेसे जो रक़म बचे उससे मेरी जातिकी और ग़रीब ब्राह्मणोंकी लड़कियोंका विवाह कराया जाय। और मेरी जातिके तथा ग़रीब ब्राह्मणोंके और अन्य ऊंची जातियोंके ग़रीबोंके लड़कोंकी शिक्षाके लिये ख़र्च किया जाय जैसा कि ट्रस्टी उचित समझें, जायज़ माना गया; देखो—द्वारिकानाथ बैसाख बनाम बरोदाप्रसाद बैसाख 4 Cal 443 ; 1 C. L. R. 566; 6 Bom 24; इस बंबई वाले मामलेमें वसीयत्त करनेवालेने अपने ट्रस्टियोंको यह हुक्म दिया था कि मेरी कुछ जायदाद बेंचकर रुपया कर लिया जाय और वह रुपया मेरी अन्त्येष्ठि क्रिया तथा मेरी जातिके रवाजके अनुसार ब्राह्मण भोजनमें ख़र्चकर दिया जाय, यह भी ज़ाहिर किया था कि वर्षके किसी ख़ास दिवसमें ब्राह्मण भोजन कराया जाय, जायज़ मानागया, देखो—12 C. W. N. 1083.

(१२) शिवरात्रि-एक आदमीने वसीयतकी कि हरसाल शिवरात्रि की रातको शिवपूजा के लिये इतनी रक़म ख़र्च की जाय, जायज़ माना गया; देखो—12. C. W. N. 1083.

(१३) अन्नक्षेत्र-अन्नक्षेत्र चलानेके लिये दान जायज़ है; देखो-एड्वोकेट जनरल बनाम स्ट्रांगमैन (1905) 6 Bom. L. R. 56 ; एक आदमीने वसीयतकी कि मेरी वसीयतके तालीम करनेवाले जिस धार्मिक या ख़ैराती कामको उचित समझें उसमें ख़र्च करें, जायज़ हुआ; देखो—31 Cal 895 ; 8. C. W. N. 653; 4 Cal. 508; 4 Bom. L. B. 893.

(१४) पूजा-एक आदमीने वसीयतकी कि मेरे अमुक मकानमें पहले मूर्तिकी पूजा होती रहे और उसमें मेरे बालबच्चे भी रहा करें-जायज़ माना गया, देखो—25 Cal. 112.

दफा ८२७. निम्नलिखित हालतोंके दान 'अनिश्चित' होनेसे नाजायज़ माने गये-

(१) धर्म-यदि कोई दान या वसीयत केवल ' धर्म " के लिये किया गया हो और उसमें निश्चित न किया गया हो कि किस मतलबमें वह जायदाद लगाई जाय; नाजायज़ माना जायगा क्योंकि वह अनिश्चित और संदेह जनक है ऐसा दान या वसीयत नहीं करना चाहिये कि " अमुक धन या जायदाद मैने धर्मके लियेदी " कारण यह है कि " धर्म " शब्दका अर्थ अदालती मतलबमें बहुतही संदेह जनक और अनिश्चित है इसी सबबसे अदालतको उसके इन्तज़ाममें असुविधा होती है; देखो-रनछोड़दास बनाम पार्वतीबाई 23 Bom. 725 ; 26 I. A. 71 ; 21 Bom. 646 ; 30 Mad. 340.

धर्मादेका ट्रस्ट अदालतकी निगरानीमें रहता है इस लिये जो जायदाद दान या वसीयतकी जाय, और जिस काम के लिये की जाय वे सब बातें साफ साफ और निश्चित बता देना ज़रूरी है अगर ऐसा नहीं किया गया होगा तो वह धर्मादे का ट्रस्ट रद समझा जायगा और काममें नहीं लाया जा सकेगा। इसी तरहके फैसले प्रिवीकौन्सिलके हैं मगर एक मुक़द्दमेमें मदरास हाईकोर्टके चीफजस्टिस, सर सुब्रह्मण्य ऐय्यर ने कहाकि

" धर्म " शब्दका अर्थ संदेह जनक और अनिश्चित नहीं है बल्कि निश्चित और हिन्दुओंमें बड़े पवित्र भावसे बिख्यात है यह शब्द " पवित्रदान " सूचक है, जस्टिस पेय्यर ने प्रिवी कौन्सिलकी उपरोक्तराय नहीं मानी तथा उसके विरुद्ध यह राय ज़ाहिरकी कि जो दान या वसीयत सिर्फ धर्मके लिये किये गये हैं जायज़ हैं; देखो-30 Mad. 340 ; पीछे इसी हाईकोर्टमें जस्टिस व्हाइट्, सी, ने फिर प्रिवीकौन्सिलकी रायका अनुसरण करके यही माना कि जो दान या वसीयत केवल " धर्म " के लिये किये गये हों नाजायज़ हैं आजकल यही आख़िरी बात मानी जाती है। इस संबंधमें देखो-प्राणनाथ सरस्वतीका हिन्दू-लॉ, धर्मादा प्रकरण P. 18 ; और भी देखो, मोतीबहुबाई बनाम मामूबाई 19 Bom. 647 ; 18 Bom. 136 ; 17 Bom. 351 ; 1 Bom. H. C. 71.

(२) सार्वजनिक या ख़ैरातके लिये-एक वसीयतमें लिखा गया कि मेरी जायदाद किसी लौकिक सार्वजनिक लाभमें या किसी 'ख़ैराती काम' में लगादी जाय, माना गया कि 'अनिश्चित' होनेके कारण ऐसा वसीयत नामा नाजायज़ है क्योंकि सार्वजनिक लाभ और ख़ैराती काम भिन्न भिन्न प्रकारके और अनेक होते हैं; देखो-31 Bom. 583; 9 Bom.L. R. 560.

(३) अच्छे काम या सराकम-मदारास प्रांतमें 'सराकम' होता है ऐसा मालूम होता है कि इसका अर्थ है 'अच्छे काम'। जो जायदाद 'सराकम' या 'अच्छे काम' में लगा देनेके निमित्त दान या वसीयतकी गयी हो, नाजायज़ है; 22 Bom. L. R. 774 में कहा गया कि 'अच्छे कामों' के करने को वसीयत द्वारा जो दान दिया जाय वह अनिश्चित होनेके सबबसे नाजायज़ है क्योंकि अच्छे काम अनेक और अनेक प्रकारके होते हैं।

(४) धर्मादेके लिये--अगर किसी वसीयत में जायदाद केवल 'धर्मादे' कोलिये दानकी गयी होतो अनिश्चित होनेके कारण नाजायज़ होगी 18 Bom. 136.

(५) ख़ास और उचित काम--एक आदमीने यह वसीयतकी कि 'यदि ऊपर बताये हुए सब कामोंके समाप्त होनेपर कोई रुपया या कोई मनकूला जायदाद अधिक तादादमें बाक़ी रहेतो, वसीयत की तामील करनेवालों को आवश्यक होगाकि मेरेलाभके लिये 'किसी ख़ास और उचित कामों में ख़र्च करें' अदालतने मानाकि इस प्रकारकी आज्ञा देना अनिश्चित होनेके कारण नाजायज़ है; देखो- 14 Cal 222.

(६) वसीयत करनेवालेकी पसंद--एक आदमीने वसीयतकी कि मेरे ट्रस्टी किसी ख़ैरात और अच्छे कामोंमें जिसेवे पसंद करें और जो वसीयत करनेवालेकी पसंदके योग्य हो जायदाद लगादें, माना गया कि नाजायज़ है। देखो, 4 Bom.L.R.893; 4 Cal.508; 31Cal. 895; 8. C. W. N. 653; 1 B. H. C. 73.

(७) अपनी संतानके लाभके लिये--एक हिन्दूने ऐसी वसीयतकी कि मेरे कुटुम्बके रहनेवाले घरमें निवास रखाजाय और ज़मीन आदिसे भरण-पोषण होता रहे तथा ख़ानदानकी देव मूर्तिका पूजन होता रहे। उसने अपने लड़कों और उनकी मर्द संतानको देव मूर्तिका 'शिवायत' हमेशाके लिये नियत किया और यह शर्तकी कि बेसब घरमें रहें तथा जायदादसे लाभ उठाते रहें। वसीयतसे यह भी मालूम होता था कि बटवारा, या घरेलू विभाग या कोई इन्तक़ाल किसी जायदादका नहोसके इस लिये जायदाद देवमूर्तिके अर्पण करदी गयी थी, उस हिन्दूने ट्रस्टी भी नियत किये और पीछे उसने वसीयत नामेके परिशिष्टके द्वारा अपने ख़ानदानके मेम्बरोंको अपने मरनेके पश्चात् छोड़ी हुई जायदाद देदीथी। उसके मरनेपर ख़ानदानके मेम्बरोंने ट्रस्टियोंपर दावा किया कि जायदाद हमें दिलादी जाय। अदालत ने मानाकि देवमूर्तिमें लगी हुई जायदाद नाजायज़ है और

बेअसर है क्योंकि उसने अपनी संतानके लाभके लिये सब काम किये असलमें उसने देव मूर्तिके पूजनके लिये कोई जायदाद अर्पण नहीं की; देखो—14. B. L. R. 175; 20 W. R. 95-96; 15 B.L.R. Note 176-178; 15 C.W.N. 126; 5. Ben. Sel. R. 268.

(८) हमारे ठाकुरद्वाराके ठाकुरजीके लिये—यदि कोई हिन्दू ऐसे देवताके अर्पण अपनी जायदाद करे जिस देवताका कोई नाम ही न रखागया हो जैसे किसीने यह वसीयतकी कि मैं इतनी जायदाद 'अपने ठाकुरद्वारेके ठाकुरजी' के पूजन आदिके लिये अर्पण करता हूं, और जिस समय ऐसा वसीयतनामा लिखा गया था या वसीयत करनेवालेके मरनेके समय ठाकुर द्वारा ही न था, और न ठाकुरजी विराजमान थे तो ऐसी सूरतमें अदालत इसे अनिश्चित मानेगी और वसीयत नाजायज़ करेगी; देखो 33 All. 793; 8 I. L. J. 944; 11 Indian case 260; और भी देखो 37 Cal. 128; 33 All. 253; लेकिन अगर किसीने वसीयतके द्वारा एक ट्रस्ट बनाकर अपनी जायदाद ट्रस्टियोंके हवालेकी हो और उसमें यह आज्ञा दी हो कि मेरे मरनेके बाद मेरी माताके नामपर अमुक नामक देवता की मूर्ति स्थापनकी जाय, और मेरी जायदादकी आमदनी की बचत उसके पूजन पाठ आदिके कामोंमें ख़र्चकी जाय तो इस तरहका दान जायज़ माना गयाहै यद्यपि उस मूर्तिका अभिषेक उसके मरनेके पश्चात् पहले पहल होगा; देखो—ऊपरकी दोनों आख़ीर नज़ीरें 37 Cal. 128; 33 All. 253.

दफ़ा ८२८. धर्मदा असली होना चाहिये——जो जायदाद धर्मादेके लिये दी जाय वह सचमुच दी जाय केवल दिखानेके लिये न हो, किसी ख़ास घरानेमें उसके रखे जानेकी शर्त नहीं की जासकती और दान देनेके समय या दान देनेवालेकी मौतके समय, दान लेनेवालेके जीवित रहनेकी जो शर्त हैं उसकीभी पाबंदी करना होगी—14 B. L. R. 175; ख़ैरात और धर्मादेके लिये वह दान ऐसा पूरा पूरा होना चाहिये कि जिससे धर्मादेमें दीहुई जायदाद नाक़ाबिल इन्तक़ाल हो जाय, 2 C. W. N. 154.

जो धर्मादा सिर्फ लेनदारोंसे बचनेके लिये या दूसरोंका रुपया मारनेके लिये किया जाय उसका कुछ असर न होगा, सिर्फ 'देवोत्तर' शब्द या इसी अर्थका कोई दूसरा शब्द जोड़ देनेसे धर्मादा पूरा नहीं समझा जासकता; देखो—श्यामाचरणनन्दी बनाम अभिराम गोस्वामी 33 Cal. 511; 10 C. W. N. 738; धर्मादेका ट्रस्टनामा देखावटी और रद्दी समझा जायगा अगर उसमें कहा हुआ ख़ैराती काम, या ट्रस्ट, कार्यमें परिणत न किया जाय, या जब कि इस बातका कोई सुबूत न हो कि ट्रस्टनामेमें कही हुयी जायदाद धर्मादेमें लगाई गयी है और पक्षकारोंके चालचलनसे अदालतको इस बातका विश्वास होजाय कि वह असली ट्रस्ट नहीं है; देखो—रूपलाल बनाम लक्ष्मीदास 29 Mad. 1; 12 Mad. 387; 15 C. W. N. 126.

लेकिन अगर ट्रस्ट पूर्ण रूपसे ठीक ठीक क़ायम किया गया हो तो वह केवल इस लिये नाजायज़ नहीं होजायगा कि उसकी शर्तें पक्षकारोंने पूरी नहीं कीं; देखो—12 Mad. 387; 30 All. 111; 14 M. I. A. 289-306; 10 B. L. R. 19-33-34; 17 W. R. 41-44; 15 C. W. N. 126; और न वह जायदाद ट्रस्ट क़ायम करनेवालेकी निजकी जायदाद बन सकेगी; देखो—18 W. R. C.R. 472; 23 W. R. C. R. 46; ऐसे मामलेमें सिर्फ यही किया जासकता है कि ट्रस्टकी शर्तें पूरी कराई जायं दूसरा उपाय नहीं है; देखो—11 Cal. L. R. 370; 5 Cal. 700; 6 Cal. L.R. 58; 3 Cal. 563; 2 Cal. L. R. 121; 23 W. R. C, R. 76; 8 Cal. 788.

दफा ८२९. धर्मादेका सुबूत— गों बनाम रामचन्द्रसेन 2 I. A. 52; में कहा गया कि जायदादका धर्मादेके लिये दिया जाना पूर्ण रूपसे साबित करना होगा। और जब कि मरनेवालेने मृत्युके समय सिर्फ ज़बानसे कहकर कोई ट्रस्ट क़ायम किया हो और उसके संबंधमें ऐसी बातें कहीं हों जिनसे यह ठीक मालूम न होता हो कि वह अपने परिवारको अपनी सारी जायदादसे वंचित रखनेका इरादा रखता था या नहीं तो ऐसे मामलेमें अदालत ट्रस्टका मज़बूत सुबूत मांगेगी; देखो—3 W. R.C.R.165; 5 W.R.C.R.82.

जब कोई ज़मीन हमेशाके वास्ते इस तरहपर धर्मादेमें दीगयी हो कि न तो वह बेची जासके और न उससे कभी अलगकी जासके तो ऐसे मामलेमें धर्मादेका पूरा सुबूत देना होगा, देखो—27 Cal. 244; 4 C. W. N. 405.

किसी देवताके नामसे ज़मीन ख़रीद लेना इससे धर्मादा क़ायम नहीं होजाता और जब यह प्रश्न उठे कि धर्मादा सच्चा है या जाली? तो उसके संबंधकी जायदादके साथ धर्मादा क़ायम करनेवाला और उसके वारिस क्या काररवाई करें यह एक आवश्यक और बहुत विचारणीय प्रश्न है। जायदादकी सब आमदनी यदि धर्मादेमें लगाई जाती हो तो वह अवश्य धर्मादाका सुबूत है और उससे यह मालूम होगा कि धर्मादा नेकनीयतसे क़ायम किया गया है—देखो-3. W. R. C. R. 142; 8. W. R. C. R. 42; 15. C. W. N. 126; लेकिन अगर जायदाद की आमदनी का कुछ हिस्सा किसी देवताकी पूजाके लिये ख़र्च किया जाताहो तो यह धर्मादेका पूरा सुबूत नहीं है; देखो-18. W. R. C. R. 399; 2. I A. 52; 2. Cal. 341; यह ध्यानरहे कि यदि धर्मादा क़ायम करनेवाले का इरादा जो किसी प्राचीन लिखतसे स्पष्ट न मालूम होताहो तो इस इरादेके निश्चित करनेमें उपरोक्त बातों का ख्याल किया जायगा—36. I. A.148; 36 C. 1003.

धर्मादेकी शर्तोंका सुबूत—आम तौरसे धर्मादेकी शर्तें धर्मादेकी लिखतसे मालूम होंगी या अगर ज़बानी क़ायम किया गयाहो तो वाक्योंसे मालूम होंगी जो धर्मादा क़ायम करनेवालेने कही थीं, परंतु बहुत समय व्यतीत होजानेके कारण या अन्य किसी कारणसे शर्तें न मालूम होसकतीहों तो वैसेही धर्मादोंमें आम तौरसे जो शर्तें हुआ करती हैं वेही उससे भी लागू समझी जायंगी, उस धर्मादेसे जो काम होतेहों उन कामोंका तरीक़ा ही धर्मादेकी शर्तोंका सुबूत है, देखो—1 W. R. C. R. 108.

दफा ८३०. अदालत व्यवस्था निश्चित करदेगी———वसीयत करनेवालेने धर्मादेके लिये कोई ट्रस्ट क़ायम करनेका स्पष्ट विचारतो प्रकट कियाहो परंतु किस जायदाद मेंसे वह ट्रस्ट चलाया जाय यह न बतायाहो और जब अन्य कारणोंसे यह मालूम करना आवश्यक समझा जाय तो अदालत यह निश्चित करेगी कि उस धर्मादेका इन्तज़ाम कैसे किया जाय; देखो—9. C.W.N.528; तथा 34 I. A. 78; 31Mad. 138; 11 C. W. N. 442; 9 Bom. L. R. 588; 28 Mad. 319.

धर्मादेका जो कुछ इन्तज़ाम अदालत करेगी उसमें इस बातका वह ज़रूर ख्याल रखेगी कि उसी तरहके दूसरे धर्मादे में क्या रवाज प्रचलित है और उस धर्मादेसे संबंध रखनेवाले लोगोंकी हैसियत क्या है। इन्तज़ाम करनेके पहले सर्व प्रथम उस ट्रस्ट की जायदादका हिसाब मालूम करना चाहिये और समझना चाहिये, उस हिसाबकी जांचके परिणाम पर बहुतसी बातें निर्भर हैं, ट्रस्टमें कितना रुपया है जब तक यह बात मालूम नहो तबतक इन्तज़ामका तरीक़ा निश्चित करना असंभव है; देखो-26 I. A. 199; 24 Bom. 50; 4 C. W. N. 23; 2 Bom. L. R. 510; 12 Bom. 247.

अदालतने जो तरीक़ा इन्तज़ामका निश्चित कियाहो, कोई योग्य कारण दिखानेसे उसमें फेर बदल होसकता है; देखो–28 Mad 319; 34. I. A. 78; 31 Mad 138; 11. C. W. N. 442; 5. Bom. L. R. 588.

दफ़ा ८३१. धर्मादा कभी ख़ारिज नहीं होसकता————जो धर्मादा जायज़ तौरसे क़ायम किया गयाहो उसे उसका स्थापक या उसके वारिस फिर ख़ारिज नहीं करा सकते; देखो–14. M. I. A. 289; 10. B. L. R. 19-31; 17. W. R. C. R. 41; धर्मादेका स्थापक सिर्फ इस कारणसे कि ठाकुर जीकी पूजा ठीक ठीक नहीं होती या धर्मादेकी शर्तें पूरी नहीं की जातीं, उस धर्मादेकी जायदाद 'पर कब्ज़ापाने या अपने काममें लानेका अधिकारी नहीं है; देखो–11. W. R. C. R. 443; अधिक देखना होतो देखो चतुर्वर्ग चिंतामणि का दान प्रकरण'।

दफ़ा ८३२. मंदिर और मठ————हिन्दुओंके धर्मादा स्थापित करनेके उद्देशों में बहुधा मंदिर की पूजा या मठकी स्थापना आदि हुआ करते हैं। मंदिर वह कहलाते हैं जिसमें किसी देवताकी पूजा होती है और मठ वह कहलाते हैं जिसमें साधु, सन्यासी परिव्राजक या कोई माहात्मा रहते हैं, कथा वार्ता और धर्मोपदेश होता रहता है, 27M.435.

हिन्दुस्थानमें धार्मिक बुनियाद पर बे शुमार मंदिर या देवस्थान हैं उनमें ज़मीन गांव, नक़दी, सोना, चांदी, जवाहरात आदि बहुत क़िस्मकी जायदादें लगी हैं। आम तौरसे हिन्दू समाजको पारमार्थिक लाभ पहुंचनेके लिये इनकी सृष्टिकी गयी है। या किसी ख़ास संप्रदाय या पंथके लिये स्थापित किये गये हैं इनके अलावा यति, संन्यासी, परिव्राजकोंके लिये ख़ास तौरसे प्राचीन मठ या आश्रम निर्माण किये गये हैं। मंदिर या मठोंके स्थापित करनेसे उद्देश यह है कि धार्मिक ज्ञानकी वृद्धिहो और उनके शिष्य तथा भक्तोंको उस धार्मिक ज्ञानका उपदेश प्राप्त होता रहे तथा वे धार्मिक लाभ उठाते रहें।

मठ—यदि मठमें किसी देवमूर्ति या मूर्तियोंकी स्थापना भी है तो उसका पूजन मठ का मुख्य उद्देश नहीं बल्कि दूसरा है। मठमें दो क़िस्मकी संस्था होती हैं मंदिर और मठ ये दोनो हिन्दुओंके धर्मानुशासन विषयसे जुड़े हुए हैं मठका मुख्याधिष्ठाता महंत या स्वामी या आचार्य आदि नामोंसे कहा जाता है उसका मुख्य कर्तव्य यह है कि संस्थाके अनुसार धर्मानुशासन करे वह स्वयं देवमूर्ति है क्योंकि विज्ञानी पुरुष सब देवमूर्ति माने जाते हैं दोनों क़िस्मके मठोंमें पारमार्थिक ज्ञान दिया जाता है तथा भगवान्‌की स्तुति, पूजन, पाठके लिये तथा जप, तप, यज्ञ, आदिके लिये वे स्थान मुख्य माने जाते हैं।

मंदिर—मंदिरमें देवमूर्ति अवश्य होती है यदि किसी संस्थाकी रवाज विरुद्ध हो तो दूसरी बात है। देवमूर्तिका पूजन मंदिरका मुख्य उद्देश है और जो बातें ऊपर मठ के संबंधमें कहीं गयी हैं लागू होती हैं मूर्तिके पूजन करनेवालेको शिवायत या पुजारी आदि नामोंसे कहते हैं, महंत और शिवायतमें बड़ाभेद है, शिवायत यदि पागल हो जाय तो उसके हक़ छीन लिये जायंगे मगर महंत के नहीं यह बात 27 Mad. 435, 2 Mad. 175; 10 M.d. 375-389 के मामलोंमें तय हुयी है।

दफ़ा ८३३. देवपूजाका धर्मादा——किसी सार्वजनिक या निजकी देवमूर्तिके लिये धर्मादा क़ायम करना हिन्दूलॉमें मान्य है—9 Bom. 169; 9 C. W. N. 529; 13 M. I. A. 270; ध्यान रहे कि धर्मादा उस देवताके लिये है न कि उसकी प्रतिमाके लिये अर्थात् अगर वह प्रतिमा नरहे तो दूसरी प्रतिमा स्थापित कीजासकती है, किंतु धर्मादा नहीं टूटता प्रतिमा न रहने परभी उस देवताकी शक्तिका वास उस स्थानपर रहता है।

दफा ८३४. देवताका मालिकाना हक़——मंदिरकी जायदादपर मंदिरके देवताका मालिकाना हक़ माना जाता है; देखो--8 Bom. 432; 6 C. W. N. 178; 5 Bom. L. R. 932; 13 M. I. A. 270, 13 W. R. P. C. 18-19; हिन्दुओंका प्राचीन सिद्धान्त है कि जब मंदिरमें कोई देवता शास्त्रोक्त विधिपूर्वक प्रतिष्ठित किया जाता है तो वह मंदिर उस देवताका निवास स्थान बन जाता है।

यह देवता केवल अपनी प्रतिमामें ही नहीं रहता बल्कि संपूर्ण मंदिरमें उसका निवास माना जाता है, उस देवताकी प्रतिष्ठा और मर्य्यादा रखनेके लिये मंदिर संबंधी संपूर्ण इमारतमें भक्ति और श्रद्धाके साथ सब धर्म कार्य किये जाते हैं मानो वह मंदिर उस देवताके रहनेका घर है इसी लिये उसे 'देवालय' कहते हैं। देवालयमें थूकना, उसे अपवित्र करना, या उसे तोड़ना फोड़ना या ऐसे कोई काम करना जो उस स्थानमें न करना चाहिये इत्यादि काम शास्त्रोंमें वर्जित किये गये हैं और ऐसा करनेवाले पापके भागी माने गये हैं। इसी लिये जीर्णोद्धार करानेमें बड़ा पुण्य माना गया है यह सब बातें इसी लक्ष्यपर हैं कि उसमें देवताका वास रहता है। देवता अव्यक्त शक्ति है इसी लिये वह किसी मुक़द्दमेमें मुद्दई या मुद्दालेह नहीं बनाया जासकता यह सब काम मंदिरके प्रबंधकके नामसे होते हैं; देखो-28 Mad 319; 34 I.A.78; 31 Mad 138; 11 C.W.N.442; 24 Bom 45.

दफा ८३५. खण्डित या खोई हुयी मूर्ति—अगर मूर्ति, फटजाय, टूटजाय, अङ्ग भङ्ग होजाय, बिगड़ जाय या चोरी चली जाय तो उसकी जगह पर शास्त्रानुसार दूसरी मूर्ति स्थापित की जासकती है। यदि देव मूर्ति किसी अपवित्रतासे भ्रष्ट कर दीगयीहो तो उचित विधानके साथ दूसरी मूर्ति प्रतिष्ठित की जासकती है, यदि ऐसी अपवित्रताहो जो किसी विशेष विधानसे वही मूर्ति शुद्धकी जासकतीहो तो शुद्धकी जासकती है। शिवलिङ्ग देव मूर्तिका स्थानच्युत होना जैसे मंदिरसे बाहर लेजाना कुछ मामलोंमें भ्रष्ट होना माना गया है। जब पहली मूर्ति ज्योंकीत्यों निर्दोष मौजूदहो तो नयी मूर्ति कदापि नहीं बिठाई जासकती।

यदि देव मूर्ति ऐसी प्राचीनहो कि जो ईश्वर या किसी महात्मा, या किसी सुर, या असुर आदिकी स्थापित की हुयी कही जातीहो या घरानेके प्राचीन किसी पूर्वजकी स्थापन की हुयी वर्णनकी जातीहो या जब कि उस मूर्तिका प्राचीन स्थापनकाल अज्ञातहो तो उस मूर्तिके केवल फटजाने, टूटजाने, अङ्ग भङ्ग होजाने, बिगड़ जानेसे उस प्राचीन मूर्तिके स्थान पर नयी मूर्ति नहीं बिठलाई जासकती। अगर प्राचीन देवमूर्ति मरम्मतसे ठीक होसकती हो तोभी नयी मूर्ति नहीं स्थापित की जासकती।

यदि पुरानी देव मूर्ति की जगह नयी मूर्ति बिठलाना सब तरह पर उचितहो किसी तरह पर भी काम न चल सकता होतो विधिवत् शीघ्र बिठलाई जाय क्योंकि शास्त्रका वचन है कि खंडित मूर्तिकी पूजा नहीं होसकती;-देखो-जी, सी, सरकारका हिन्दूलॉ-3 ed. P. 441; 7 C. L. R. 278-281.

जो मूर्ति अभी स्थापित नहीं है उसकी स्थापनाके लिये भी पहले एक ट्रस्ट बनाके उसे मूर्ति स्थापित करनेकी हिदायत की जासकती है, ट्रस्ट ज़बानी या लिखित वसीयत द्वारा क़ायम होसकता है, देखो-37 Cal. 128, 33 All 253.

दफा ८३६. घरेलू धर्मादा——जब कोई जायदाद किसीको बतौर दान या पुरस्कारके दे दी गयी हो और उस दान या पुरस्कारकी वास्तविकता घरेलू किस्मकी हो तो वह धार्मिक धर्मादा नहीं कहा जासकता, उदाहरण-जैसे महेशने धर्मके ख्यालसे कोई जाय-

दाद उमाकांत और उमादत्त कोदी, दोनो ब्राह्मण हैं शर्त यहकी कि वे दोनों जायदादका इन्तक़ाल नहीं कर सकेंगे और उस जायदादसे स्वयं और उनकी संतान तथा उनके वारिस लाभ उठाते रहें। उमाकांत और उमादत्त दोनो उस जायदादको बिना किसीकी शिरकतके प्राप्त करेंगे और उनको अधिकार होगा कि यदि वे चाहें तो जायदादका इन्तक़ाल करदें या जो चाहें करें; देखो-अन्नाथा बनाम नागापथु 4 Mad 200.

गोविंद बनाम गोमती 30 All 288 वाले मामलेमें एक आदमी ने वसीयतकी, वसीयत की कुछ जायदादमें उसने अपना हक़ अपनी ज़िंदगी भरके लिये रक्षित रखा और यह शर्त लिखी कि मेरे मरनेके बाद इस जायदादकी आमदनी मेरी बेटीको उसके जीवन भर मिलती रहे और बेटीके मर जानेके बाद अमुक मंदिरकी सेवामें लगादी जाय, माना गया कि ऐसी शर्तका दान जायज़ है।

मठ।

दफा ८३७. मठ——'मठ' एक धार्मिक स्थान है जहां हिन्दू धर्मकी शिक्षा हुआ करती है उसका एक अध्यक्ष होता है जो यदि ब्राह्मण हो तो महंत, स्वामी, गोस्वामी या संन्यासी कहलता है अगर शूद्र होतो परादसी या जीर कहलाता है कोई धर्मोपदेष्टा अपने शिष्योंको एकत्र कर धर्मोपदेश करता है और वहुतेरे धर्मात्मा धर्म प्रचारार्थ अपनी जायदाद अर्पण कर देते हैं यही 'मठ' की बुनियाद है मठकी जायदादके वारिस उस धर्मोपदेष्टा गुरुके शिष्य नहीं होते बल्कि कोई एक शिष्य जिसको वह अपनी गद्दीपर विठा जाता है वही वारिस होता है मतलब यह है कि वह जायदाद उस गद्दीके साथ लगी रहती है जो गद्दीपर बैठे वही जायदाद पावे; देखो-सनमन्था पंडा बनाम सैलप्पाचट्टी 2 Mad 175-179; यदि मठोंकी उत्पत्तिके विषयमें अधिक देखना हो तो देखो-कैलाशं पिल्ले बनाम नटराज तंविरन (1909) 33 Mad 265; सामंतपंडारो बनाम सिल्लप्पाचिट्टी 2 Mad 175; 10 Mad 375; 27 Mad 435.

मठमें मूर्तियां भी होती हैं लेकिन उनकी पूजाका अलग मामला है मठका उद्देश यह होताहै कि योग्य धर्मोपदेशक एकके बाद दूसरा उचित मान मर्यादाके साथ अपना काम करते रहें। उनको मठकी कुल आमदनीका लाभ मिलताहै मठमें अर्पण की हुई जायदाद संबंधी शर्तोंका मानना या न मानना उनकी इच्छापर निर्भर है इन सब बातोंसे यही सिद्ध होता है कि मठका मुख्य मालिक वहांका आचार्यहै वह केवल-ट्रस्टी नहीं बल्कि असली मालिक होता है; देखो-विद्यापूर्णतीर्थस्वामी बनाम विद्यानिधितीर्थस्वामी 27 Mad. 435; 442, 454, 455.

महंतके पदका और कामका क़ानूनी निर्णय, रसम, रवाजसे तथा शहादत द्वारा साबित किया जायगा, देखो—11 M. I. A. 405; 8 W. R. P. C. 25—26; और देखो इस किताबकी दफा ८३२ 'मंदिर और मठ।'

दफा ८३८. महंतके अधिकार—महंत, स्वामी, गोस्वामी, या कोई मठाधीशका दर्जा और अधिकार शिबायत, पुजारी, या मंदिर अथवा मूर्तिके धर्मादेके मेनेजरसे भिन्न होते हैं। महंत के संबंधमें मदरास हाईकोर्टने यह राय ज़ाहिरकीकि उसकी हैसियत केवल मेनेजर या ट्रस्टीकी नहीं है यद्यपि वह जायदादका इन्तक़ाल आम तौरसे नहीं कर सकता फिरभीवह उस सब आमदनीको जो मठ की जायदादसे प्राप्तहो और जो कुछभी चढ़ावा या दक्षिणा आदि

आये ख़र्च करनेका पूरी तौरसे अकेला अधिकार रखता है। उस धर्मादेमें बंधे हुए जो हैं उनको महंत ज़रूर पूरा करेगा सब खर्चोंके होनेके पश्चात् जो रक़म बचे उसे वह संप्रदाय और सदाचार, सद् व्यवहारानुसार सब ख़र्च कर देनेका पूरा अधिकार रखता है क़ानूनन उससे कोई हिन्दू उस ख़र्च की रक़मका हिसाब नहीं लेसका, देखो—27Mad. 435-455.

अगर महंतको किसीसे इस मतलबके लिये कोई जायदाद मिलीहो कि वह उसे किसी निश्चित समयमें निश्चित किये हुए खैरातके काममें लाये तो महंत उस जायदादका ट्रस्टी है और अगर मठ या मंदिरका कोई रवाज होकि अमुक क़िस्मकी रक़म अमुक ख़ैरात या दूसरे काममेंही ख़र्चकी जाती है तो भी वह इसके लिये ट्रस्टीकी हैसियत रखेगा। अदालत यह ख्याल करेगी कि जो जायदाद किसी ख़ास मतलबके लिये अर्पण करदी गयी है तो महंत उस जायदादकी आमदनी वसूल करके उस ख़ास मतलबके पूरा करनेका ट्रस्टी की हैसियतसे अधिकार रखता है; देखो—33 Mad 265 (F. B.).

दफा ८३९. महंतका आमदनी पर अधिकार——अगर कोई ख़ास रवाज या आज्ञा बाधक नहो तो महंत धर्मादेकी कुल आमदनी के ख़र्च का हिसाब किसीको देनेके लिये बाध्य नही है कोई हिन्दू उससे हिसाब नहीं मांग सकता अदालत उसे हिसाब देनेके लिये हुक्म न देगी लेकिन उसका यह कर्तव्य है कि उस आमदनीसे मठ का उद्देश पूरा करे और फिर जो बचे उसे अपनी इच्छानुसार खर्च करे महंत नतो, लाइफ-टेनेन्ट (Life tenant) है और न ट्रस्टी (Trustee) देखो—33 Mad. 265 ; 10 Mad 375 ; 27 Mad 435 ; 12 Bom H. C. 214 ; 20 W. R. C. R. 471.

मूलधन--मठके मूलधन पर महंतका अधिकार ठीक उतनाही है जितना कि मंदिरके मैनेजरका मंदिरकी जायदाद पर होता है--देखो इस किताबकी दफा ८५८.

दफा ८४०. महंतका पागल होजाना——अगर कोई रवाज बाधक न होतो पागल होजानेकी सूरतमें भी मठाधीश या महंत अपने अधिकारोंसे वंचित नहीं होता; देखो-27 Mad. 435. किंतु मंदिर का शिवायत या पुजारी आदि होजाते हैं।

दफा ८४१. साधु होना ज़रूरी नहीं है——यह ज़रूरी नहीं है कि मठ का मेनेजर भी साधुहो, उसका साधु होना या नहोना ज़रूरी है या नहीं यह बात प्रत्येक मठके रवाज पर निर्भर है-14 Mad 1; इसमें यह भी माना गया कि कई सूरतोंमें मठाधीश विवाहा हुआ आदमी भी होसकताहै, यह सिद्ध है कि धर्मपत्नी और संतान रखनेवाला आदमी मठका महंत या आचार्य होसकता है ऐसी भी किसी किसी धार्मिक संस्थाकी रवाज है। परमहंस परिव्राजकाचार्य रामानुज वैष्णव संप्रदायमें विवाहित और संतानवाले पुरुष, आचार्य होते हैं। दक्षिणके गोसाइयोंमें और अन्यकई स्थानोमें महंत ब्याह करलेनेके कारण अपने हक़ और अधिकारोंसे वंचित नहीं होता; देखो-राम भारती जगरूप भारती गोसाई वनाम सूरज भारती हरिभारती महंत 5 Bom. 683.

दफा ८४२. निजकी जायदाद——मठका महंत अपनी निजकी जायदाद भी रखसकता है और उसकी वह जायदाद मठकी जायदाद नहीं समझी जायगी-26 Mad. 79 ; लेकिन बंबई में ऐसा माना गया है कि मठाधीशके संबंधमें यह समझा जाता है कि उसके कोई निजकी जायदाद नहीं है और जब वह मठके उद्देश पूरा करनेके लिये क़र्ज़ लेता है तो मठकीही जायदाद पर लेता है ; देखो-शंकर भारती स्वामी बनाम वेंकप्पा नायक 9 Bom. 422.

दफा ८४२. महंतकी नियुक्ति और वरासत———महंत या मठाधीश या आचार्य की नियुक्ति हर एक ख़ास संस्था और संप्रदायके रसम रवाजके अनुसार होती है जो हर हालतमें साक्षियोंसे साबित की जायगी; देखो-11 M. I. A. 405; 8. W. R. P. C. 25; 13. I. A. 100; 9 All. 1.; 10 Mad 490; 7 C. W. N. 145; साधारणतः यह माना जाता है कि महंत या मठाधीशके चेलोंमेंसे कोई एक चेला, जिस चेलेको मृत या वह महंत या मठाधीश जिसने गद्दी या मठ आदिके सब काम छोड़ दियेहों बता गयाहो या वसीयत कर गयाहो वही चेला उसके स्थानपर बैठेगा; देखो-गणेशगिरि बनाम उमरावगिरि 1 Ben. Sel. R. 218; 7. C. W. N. 145; 5 W. R. M. A. 57; 15 C. W. N. 1014; मगर शर्त यह है कि उस तरह की नियुक्ति आस पासके उसी तरहके मठ या गद्दीके महंत या मठाधीश मंजूर करतेहों; देखो-रामजीदास महंत बनाम लच्छूदास 7C.W.N.145; Ben.S.D.A.1848.P.253; 11Mad.I.A.405; 11Bom. 514; 30I.A.150; 16.Mad.490; 1All.519;8W.R.P.C.25; 6Ben. Sel.R. 262.

अगर कोई महंत या मठाधीश ज़बानी या वसीयतके द्वारा किसी चेलेको अपनी गद्दी पर नियुक्त न कर गया हो तो उस सूरतमें साधारण नियम यह है कि आस पासके महंतों या मठाधीशोंकी सम्मतिसे कोई व्यक्ति नियुक्त किया जायगा जो सब तरहसे योग्य और उचित हो, देखो गणेशगिरि बनाम उमरावगिरि 1. Ben: Sel.R. 2ed.P.291; 1All.539.

संन्यासियोंमें आम तौरसे मृतगुरु की जायदाद चेलेको उत्तराधिकारमें पानेका हक़ नहीं माना जाता इसलिये गुरुको किसी चेलेकी नियुक्ति स्पष्टकर देना चाहिये किंतु वह नियुक्ति उसके संप्रदायके महंतोंके विरुद्ध नहो। यदि गुरुने किसी चेलेकी नियुक्त न किया हो तो उसकी जायदादका वारिस, दूसरे महतों और संप्रदायके प्रधान प्रधान पुरुषोंके द्वारा चुना जायगा किंतु यह क़ायदा सर्व व्यापक नहीं है क्योंकि कुछ मुक़द्दमोंमें रवाजके अनुसार गुरु संन्यासीका प्रधान चेला गुरुकी जायदादका अधिकारी हुआ जिसे मृत गुरुने नियुक्त नहीं किया था और नवह दूसरे महंतोंके द्वारा चुना गया था मगर तो भी ज़ाहिरातौरसे यह उचित है कि संप्रदायके लोगोंके उचित मंतव्यके विरुद्ध नहो, देखो—रामधन पुरी गोसाईं बनाम दलमरपुरी 14C.W.N.191; गोपालदास बनाम कृपाराम. Ben.S.D.A.1850. P. 250.

नीचेके मुक़द्दमे देखो-साधारण क़ायदा यह माना गया है कि एक प्रदेशमें एकही संप्रदायके अनेक और दूसरे संप्रदायोंके भी अनेक मठ होते हैं वे सब संप्रदायके मत भेदको छोड़कर: आपसमें मिले हुए रहते हैं इन भिन्न भिन्न क़िस्मके संप्रदायोंके प्रत्येक मठोंमें महंत या मुख्याधिष्ठाता होता है और जब उनमें से कोई एक महंत या मुख्याधिष्ठाता मर जाता है तो दूसरे संप्रदायके महंत या मुख्याधिष्ठाता मृत महंत या मुख्याधिष्ठाता का उत्तराधिकारी निर्वाचित करते हैं । जहांतक मुमकिन होगा वे मृतके किसी योग्य चेलेको निर्वाचित करेंगे और अगर इसका कोई भी चेला इस योग्य नहो तो दूसरे संप्रदायके किसी महंतका कोई चेला निर्वाचित किया जायगा। मृतका स्थानापन्न नियुक्त करनेके पश्चात् मृत के संप्रदायानुसार उस चेलेका अभिषेक (टीका) किया जायगा और दूसरी सब रसमें की जायंगी जो उस संप्रदाय या पंथके लिये आवश्यक हैं; देखो-19. W. R. C. R. 215.

10 Mad. 375 वाले मुक़द्दमेमें माना गया कि महंतके अधिकार अपने उत्तराधिकारी निर्वाचित करनेमें सीमाबद्ध हैं क्योंकि वह 'अधिनाम' या 'उपाधि' धारकोंके विरुद्ध नहीं करसकता। योग्य रीतिसे महंतके नियुक्त न करनेकी सूरतमें उस मठके चेलोंको अधिकार है कि उस महंतके पश्चात् जब ऐसा फिर समय आवे तोवे योग्य नियुक्ति होनेके

लिये वाध्य करें मगर ऐसा अधिकार नहीं है कि महंतके नियुक्त किये जाचुकनेपर ऐसा उज़ुर पेशकरें कि उसकी नियुक्ति योग्य रीतिसे नहीं हुयी; देखो—22 Mad. 117.

धर्मादाके क़ायदोंके अनुसार जिस महंतकी नियुक्ति की गयी हो उसे छोड़कर किसी महंतको ऐसा अधिकार नहीं है कि सिर्फ अपनी नियुक्तिके कारण कोई विशेष लाभ प्राप्त कर सकनेके लिये कोई शर्त उसमें जोड़ दे; देखो—27 I. A. 69; 2 Mad. 271; 14 C. W. N. 329, 2 Bom. L. R. 597; 4 I. A. 76; 1 Mad 235; 34 Cal. 828; 11 C. W. N. 782; S C. 35 Cal.226; 12 C.W.N. 323; 3 C.L.R. 112; 5 Mad 89; 15 Mad 389; 7 Mad 337; 19 M. 211.

दफा ८४४. इन्तक़ाल———ख़ास सूरतोंके पैदा होनेके कारण मठाधीश महंत, या मुख्याधिष्ठाता अपने धार्मिक कामों तथा पूजन आदिके अधिकारको अपने ऐसे उत्ताराधिकारीके नाम इन्तक़ाल करसकता है जो सब तरहसे उन धार्मिक कामों और पूजन आदिके करनेके योग्यहो; देखो—मंछाराम वनाम प्राणशंकर 6. Bom. 298; 6. Bom. H.C. 250; 13. C.W.N. 642; 36 Cal. 975; 13 C.W.N. 1084; 15 Mad 183.

इस प्रकारका इन्तक़ाल ऐसा होता है कि मानो मठाधीश या मुख्याधिष्ठाताने अपने अधिकारको छोड़ दिया इससे ज़्यादा इसका और कुछ मतलब नहीं है। यहीराय मिस्टर मेनकी है देखो-मेन हिन्दूलॉ 7 ed. P. 581.

ट्रस्टी, मेनेजर, शिवायत या पुजारी और महंत आदिके कर्तव्य और अधिकार।

दफा ८४५. ट्रस्ट—जायज़ धर्मादा क़ायम करनेके लिये यह ज़रूरी नहीं है कि कोई ट्रस्टी या मेनेजर ज़रूरही मुक़र्रर किया जाय यहबात 25 Cal 112 और 12 Bom 247 वाले मामलोंमें तय होगयी है। लेकिन धर्मादे का जैसा वह काम है उसके लिये कोई ट्रस्टी या मेनेजर या दूसरा कोई प्रबंधक मुक़र्रर करनाही पड़ता है। देवमूर्ति के लिये धर्मादेके तौर पर दी हुयी जायदादका ट्रस्ट मुक़र्रर करना यद्यपि क़ानूनन ज़रूरी नही है परंतु फिरभी कोई आदमी उसकी जायदादके प्रबंध करनेके लिये अवश्य होना चाहिये क्योंकि देवमूर्ति स्वतः जायदादका प्रबंध नहीं कर सकती।

यदि किसीने कोई धर्मादा क़ायम किया तथा उस धर्मादेकी स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि जिसमें ट्रस्टका होना अत्यावश्यक है मगर वह ट्रस्ट बनानेसे पूर्व ऐसी अवस्थामें मर गया कि उसकी ऐसी इच्छा रहनेपर भी उसको कार्यमें परिणत करनेका अवसर न मिला या अधूरा काम छोड़कर मरगया तो ऐसी सूरतमें धर्मादा क़ायम करनेवालेके वारिस या वारिसोंको ट्रस्ट क़ायम कर देने और ट्रस्टका काम पूरा कर देनेका अधिकार है वे मृतके उद्देशानुसार ट्रस्ट वना सकते हैं। कोई आदमी उसके प्रबंधके लिये ज़रूर ही मुक़र्रर करना पड़ता है; देखो-2 I. A. 145; 14 B. L. R. 450.

दफा ८४६. स्त्रियां मेनेजर होसकती हैं———कोई स्त्री केवल स्त्री होनेके कारण धर्मादेकी जायदादका प्रबंध करनेके अयोग्य नहीं है परंतु वह उस धर्मादेके संबंधके धार्मिक

कृत्य शास्त्रानुसार-संपादन नहीं कर सकती; देखो-जानकी देवी बनाम गोपाल आचार्य 10 I. A. 32; 9 Cal 766; 13 C. L. R. 30; 16 W. R. C. R. 282; 19 I. A. 108; 19 Cal 513; 3 Bom. H. C. A. C. 75.

दफ़ा ८४७. धर्मादेके स्थापकका ट्रस्टी होना——जिसने धर्मादा क़ायम किया हो वह अपने धर्मादेका खुद भी ट्रस्टी हो सकता है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि अगर धर्मादेका कोई ट्रस्टी न हो तो धर्मादा क़ायम करनेवाला ज़रूर ही ट्रस्टी माना जाय; देखो—रघुवरदयाल बनाम केशवरामानुजदास 11 All 18; 18 W. R. C. R. 399; यह बात तब होती है जब धर्मादा वसीयतके द्वारा क़ायम न किया गया हो।

दफ़ा ८४८. ख़ानदानी देवमूर्तिको ख़र्च न मिलेगा—— धर्मादेके साथ कोई जायदाद या स्ट्रट न हो तो ख़ानदानकी देवमूर्तिके लिये ख़र्च देनेको ख़ानदानका कोई भी मेम्बर वाध्य नहीं हो सकता; देखो-5 W. R. C. R. 29.

दफ़ा ८४९. शिवायत—जो आदमी किसी धर्मादेके मंदिर या मूर्तिकी पूजा आदिका प्रबंध और देख रेख रखताहै उसे शिवायत या पुजारी कहते हैं शिवायत अपने काम करनेके गुणोंसे होता है और वह उस मंदिरमें लगी हुयी जायदादका प्रबंध करता है जिसका कि वह शिवायत है मंदिरमें लगी हुयी जायदादके संबंधमें वह ट्रस्टीकी हैसियत रखताहै और मंदिरके पूजा पाठ आदिके संबंधमें जो काम करता है वह उसका कर्तव्य कर्म है इस बातमें उसकी हैसियत कुछ ज्यादा होती है।

शिवसूरी बनाम मथुरानाथ 13 M. I. A. 270-273 के मुक़द्दमेमें जुडीशल कमेटी ने कहा कि शिवायतके क़ब्ज़ेमें जो जायदाद रहती है वह क़ानूनी क़ब्ज़ा नहीं हैं वह केवल धार्मिक धर्मादेके मेनेजरकी हैसियतसे काबिज़ रहता है क्योंकि जायदादकी आमदनी देव मूर्तिकी सेवाके लिये अर्पणकी गयी थी इसलिये देवमूर्तिमें लगी हुयी जायदाद, आमदनी, चढ़ावा, सब उस देवमूर्तिका है शिवायतका नहीं है। शिवायत जो कुछ पाता है वह अपने काम करनेके बदलेमें पाता है। धर्मादेकी जायदादमें शिवायतका कोई हक़ नहीं है वह सिर्फ मेनेजरकी उपाधि मात्र रखता है-देखो-शिवेश्वरीदेवी बनाम मथुरानाथ 13 M. I. A. 270; 13 W. R. P. C. 18-19; 5 Bom. L. R. 932.

जायदाद उस देवताकी होती है शिवायतको अधिकार है कि मूर्ति और उसकी जायदाद अपने अधिकारमें रखे। अधिकार संबंधी दावेकी तमादी कब होती है? इस बातके लिये देखो (1910) 15 C. W. N. 36.

दफ़ा ८५०. मूर्तिके चढ़ावेका हक़——मूर्तिपर जो कुछ चढ़ावा चाढ़ता है उसमें शिवायत या पुजारीका क्या हक़ है यह बात चढ़ावाकी क़िस्मपर निर्भर है अगर कोई जल्द नष्टहो जानेवाली खाने पीनेकी चीज़ हो तो उसे अवश्य पुजारी या दूसरा ब्राह्मण लेगा लेकिन अगर मूर्ति प्रसिद्ध एवं प्राचीन है और सार्वजनिक पूजनके लिये स्थापित है और उसपर रुपया या धातुकी चीजें या ऐसा ही कोई स्थायी चढ़ावा चढ़े तो वह उस मंदिर और मंदिरके संबंधके सब कृत्यों और ख़ैरातके ख़र्चके लिये समझा जायगा यानी वह उस मंदिरकी संपत्ति माना जायगा। वह चढ़ावा पुजारी या शिवायतकी निजकी जायदाद नहीं बन सकता। लेकिन अगर धर्मादा स्थापित करनेवालेने इसके विरुद्ध आज्ञादी हो तो दूसरी बात है; देखो--गिरिजानन्द दत्तझा बनाम शैलानन्ददत्तझा 23 Cal. 645.

दफा ८५१. क़ब्ज़ा और प्रबंधका अधिकार————————धर्मादेकी जायदाद के क़ब्ज़े और प्रबंधका अधिकार शिवायत या दूसरे मेनेजरको है; देखो–31. I. A. 203 32 Cal. 129 ; 8. C. W. N. 809.

क़ानून ज़ावता फौजदारी एक्ट नं. ५ सन १८९८ की दफा १४५ की कार्रवाई में अदालत सिर्फ इतना कह सकती है कि किसी मंदिर पर क़ब्ज़ा किसका है किंतु वह अदालत मंदिरके चढ़ावे या पुजारीकी जगह काम करनेके हक़का निर्णय नहीं करसकती ; देखो–38. Cal. 387 ; 29 Mad 237 ; 37 Cal. 578.

शिवायत सिर्फ मेनेजर है लेकिन धर्मादे संबंधी अदालती सब कार्रवाई और मुक़द्दमें आदि उसीके नामसे चलते हैं; देखो–15 B.L.318; 27 Mad. 435; मूर्तिकी जायदाद या धर्मादे के लाभ या रक्षाके लिये जो कुछ ज़रूरी है उसके करनेका शिवायत या पुजारी, या मेनेजर केवल अधिकार ही नहीं रखता बल्कि पाबंद है ; 35 Cal. 691.

दफा ८५२. मेनेजर का ख़र्च और हैसियत————————मेनेज़रने उचित कामोंके लिये मेनेजरकी हैसियतसे जो ख़र्च कियाहो या किसीने उसके पदके पानेके लिये दावा कियाहो और उसकी पैरवीमें मेनेजरने जो कुछ ख़र्च कियाहो वह ख़र्च मेनेजरको या मेनेजरके मरनेके बाद उसके वारिसोंको या अगर मेनेजर वसीयत कर गया होतो उसकी वसीयतके तामील करनेवालोंको, ट्रूस्टकी जायदादसे अदा किया जायगा ; देखो-- 37 I. A. 27 ; 37 Cal. 229 ; 14 C. W. N. 261.

ऐसे रुपयेके पानेके लिये मेनेजरके वारिस या उसकी वसीयतकी तामील करनेवाले जो दावाकरें उसकी मियाद ६ वर्षकी है; देखो–क़ानून मियाद Sch. 1 Art. 120.

हैसियत–जायदादके लिये मेनेजर ट्रूस्टीकी हैसियतमें होता है लेकिन मंदिरकी पूजा आदिके लिये उसकी पुजारी की हैसियत है चाहे और भी कई आदमी पुजारीका काम करते हों; देखो--33. I. A. 139 ; 29 Mad. 283.

दफा ८५३. प्राचीन रवाज क़ायम रहना ज़रूरी है—मेनेजर या ट्रूस्टीका कर्तव्यहै कि धर्मादेकी संस्थाके प्राचीन रवाज बराबर जारी रखे,अगर न रखेतो वह ट्रूस्ट भंग करनेका दोषी होगा और अगर वह जान बूझकर उस रवाजमें कोई ख़ास फेर बदल करे और अदालतसे डिकरी प्राप्त करके मंदिरमें पूजा करने वालोंको बाध्य करे कि वे उस बदले हुये रवाजको माने तो वह और भी ज्यादा दोषी होगा; देखो--35. I. A. 176 ; 12. C. W. N. 946 ; 37 Mad 435 to 455; ऐसा करनेसे मेनेजर या ट्रूस्टी आदि हाईकोर्टके हुक्म इमतनाई के द्वारा रोका जा जकता है देखो–30 Mad. 158.

यदि कोई शिवायत मूर्तिको अपने घरमें प्रतिष्ठित करके पूजा करे और अदालतको यह आवश्यक मालूम होतो अदालत उसे ऐसा करनेको आज्ञा देगी मगर शर्त यह है कि उस मूर्तिका स्थापक इसके विरुद्ध आज्ञा न दे गया हो, 19. W. C. R. 28.

इन्तज़ाम संबंधी कोई काम अगर किसी रवाजके अनुसार होता हो और वह रवाज उचित हो तो वह काम वैसा ही होगा। उदाहरणके लिये जैसे कहीं ऐसी रवाज हो कि मरम्मतका ख़र्च किसी ख़ास फंडमें से दिया जाय तो वह वैसा ही किया जायगा ; देखो--17 Mad 199.

दफा ८५४. बहुमत माना जायगा—ट्रूस्टकी जायदादके इन्तज़ामकी प्रत्येक बातका उचित विचार करनेके पश्चात् अधिकांश ट्रूस्टियोंकी जो रायहो वही मानी जायगी और उस रायके पाबंद न्यूनपक्षके ट्रूस्टीभी होंगे यानी वे कभी ऐसा उज्र नहीं कर सकते कि

उस बातपर हमारी राय नहीं थी इसलिये हम पाबंद नहीं हैं; देखो 6. Mad. 270 ; 34 Mad. 406 ; लेकिन अगर वह बात ट्रूस्टियों के अधिकारके बाहरहो या क़ानून के विरुद्ध हो तो उसका पाबंद कोई ट्रूस्टी न होगा, देखो–30 Mad. 103.

दफा ८५५. आमदनीका ख़र्च——मेनेजर, शिवायत, जायदादकी कुल आमदनी धर्मादेके उद्देशोंके लिये खर्च कर सकता है, देखो—गिरजानन्द दत्तझा बनाम शैलजानन्द दत्तझा (1896) 23 Cal. 645 के मामलेमें दोनो फरीक़ एक मंदिरके ओझा या पुजारी होनेका दावा करतेथे किंतु उनके परस्पर यह निश्चित हुआ कि मंदिरके चढ़ावेका एक भाग दूसरा पक्ष लिया करे अदालतने इस इन्तज़ाम को स्वीकार कर लिया।

दफा ८५६. हिसाब——शिवायत या मेनेजर यां ट्रूस्टसे धर्मादेकी जायदादका और मूर्तिके चढ़ावे या दान आदिका हिसाब लिया जा सकता है; देखो—8 Bom. 432 ; 21. Bom. 247 ; 26 I. A. 199 ; 4 I. W. N. 23 ; 2 Bom. L. R. 516 ; 23 Bom. 659 ; 35 Cal. 226 ; 12 C. W. N. 323.

दफा ८५७. मंदिरके संप्रदाय——हिन्दू मंदिरोंके साथ जो संप्रदाय या अखाड़े लगे होते हैं उनके नियम एकसे नहीं होते, कहां किस समाजके या संप्रदायके क्या नियम हैं? यह मालूम करके उन्हीं नियमोंके अनुसार अदालत सब तरहकी कारवाई करेगी, देखो 1 I. A. 209—228.

दफा ८५८. मेनेजर, शिवायत और महंत आदिके अधिकार————

(१) शिवायत, महंत, या धर्मादेके अन्य मेनेजरको अधिकार है कि–धर्मादेके लाभ और उसकी रक्षाके लिये और विशेषकर उन मुक़द्दमोंसे बचाने के लिये जो उस धर्मादेके विरुद्ध दायर किएजाएं उस धर्मादे की जायदादको काममें लावें, देखो–हुसेन अलीखां बनाम भगवानदास महंत 34 Cal. 249; 11 C. W. N. 261; 35 Cal. 691-698; 12 C. W. N. 550; 557.

(२) उनको अधिकार है कि मूर्तिकी सेवाके लिये जो कुछ भी आवश्यकता हो पूरी करें और धर्मादेकी जायदादके लाभ और रक्षाके लिये वहांतक उद्योग करें जहांतक कि 'एक बच्चा नाबालिग़की जायदादका मेनेजर' कर सकता है, प्रसन्न कुमारी देवी बनाम गुलाबचन्द बाबू 2. I. A. 145; 14 B. L. R. 450; 23 W. R. C. R. 253.

(३) मेनेजरके जो साधारण अधिकार होते हैं वही धर्मादेके मेनेजरके होते हैं। मेनेजर धर्मादेकी जायदादकी ज़मीन रवाजके अनुसार पट्टेपर उठासकता है और उचित समयके लिये पट्टा देसकता है, देखो—13 M. I. A. 270 ; 13 W. R. P. C. 18 ; अगर वह अनुचित मुद्दतके लिये पट्टादे तो वह पट्टा उसी समयतक जारी रहेगा जब तक कि वह मेनेजर बना रहेगा, देखो––अर्द्ध मिसर बनाम जगुरनाथ इन्द्रस्वामी 18 W. R. C. R. 439 ; 20 W. R. C. R. 471.; 19 Bom. 271.

(४) स्थायी पट्टा––जिन सूरतोंमें कि धर्मादेकी जायदादका इन्तक़ाल जायज़ माना जासकता है उन्ही सूरतोंमें महंत या शिवायत या मेनेजर, धर्मादेकी ज़मनिका स्थायी पट्टा देसकता है, देखो—अभिराम गोस्वामी बनाम चरणनन्दी 36 I. A. 148; 36 Cal. 1003; 14 C. W. N. 1; 11 Bom. L. R. 1234; 13 C. W. N. 805 ; 4 Ben. Sel. R. 151 ; 12 W. R. C. R. 299 ; 7 B. L. R. 621 , 15 W. R. C. R. 228; 22 Cal. 989 ; 28 Mad. 391 ; 34 Mad. 535 ; 19 Mad. 485.

यदि अनुचित रीतिसे ऐसा पट्टा दिया गया हो तो ऐसे पट्टेके रद्द किये जानेके दावाकी तमादीके लिये, देखो–क़ानून मियाद एक्ट नं० ९ सन १९०८. दफा १–१३४.

इसमें कहा गया है कि "ट्रस्ट या रेहन की हुयी ग़ैरमनक़ूला जायदाद पर फिर क़ब्ज़ा करनेका दावा या वैसी जायदाद ट्रस्टीने या उस आदमीने जिसके पास रेहनकी हुयी जायदादहो, इन्तक़ाल कर दिया होतो उसपर फिर क़ब्ज़ा पानेका दावा, इन्तक़ाल करनेकी तारीख़से बारह १२ वर्षके अंदर होना चाहिये" इसी विषयमें और भी देखो-अभयराम गोस्वामी बनाम श्यामा चरण नदी (1909) 36 I. A. 148 ; 36 Cal. 1003;

(५) पहलेके कामको रद्द करना--कोई मेनेजर या दूसरा ट्रस्टी अपने अधिकारसे बाहर जो कामकरे वह रद्द किया जासकता है और उस मेनेजर या ट्रस्टी की जगह उसके पश्चात् आनेवाला पदाधिकारी या कोई दूसरा आदमी जो उस ट्रस्टमें कुछ स्वार्थ रखताहो उस कामके रद किये जानेका दावा करसकताहै लेकिन यह दावा क़ानून मियाद का ख्याल रखते हुए किया जायगा; देखो-13. Mad. 277 ; 10 Bom. 34.

अगर मठाधीश अनधिकारसे मठका या मठकी जायदादका इन्तक़ाल करे लेकिन उससे मठकी कोई हानि न होती होतो ऐसा इन्तक़ाल मठाधीश की ज़िंदगीतक या उसके मठाधीश बने रहनेकी मुद्दत तक क़ायम रहेगा; देखो-36. I. A. 148 ; 36. Cal. 1003 ; 14. C. W. N. 1 ; 11. Bom. L. R. 1234 ; 10 Bom. 34.

(६) कोई आदमी जिसका स्वतंत्र कोई हक़ नहीं है और जो सिर्फ उस आदमी की तरफसे काम करता है जिसे धर्माद। दिया गया था किसी तरहका पट्टा देनेका अधिकारी नहीं माना जायगा; देखो--रामदास बनाम महेश्वरदेव मिसिर 7. W. R. C. R. 446.

(७) अगर कोई विदेशी सरकार किसी धर्मादेसे मेनेजर आदिको हटादे तो इससे धर्मादेकी जायदाद पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो ब्रिटिश इन्डियामें हो; देखो-17. Bom. 601 ; 17 Bom. 620.

(८) दावा दायर कर सकता है—महंत, शिवायत, या धर्मादेके अन्य मेनेजरको अधिकार है कि धर्मादेकी रक्षाके लिये या धर्मादेकी जायदाद प्राप्त करनेके लिये या उसके दूसरे लाभके लिये जब ज़रूरीहो अदालतमें दावा दायर करे और उसकी ठीक पैरवीकरे; देखो—शंकमूर्ति मुदालियर बनाम चिदंबरा नादन 17 Mad. 143 ; 31 I. A. 203 ; 32. Cal. 129 ; 8. C. W. N. 809 ; 6 Bom. L. R. 765. अगर मेनेजर नाबालिग होतो उसे क़ानून मियाद सन १९०८ की दफा ६ का लाभ प्राप्त होगा यानी बालिग़ीके बाद भी मियाद मिलेगी । किंतु वे ऐसा दावा नहीं कर सकते कि धर्मादेकी अमुक जायदादमें सिर्फ हक़ निश्चित कर दिया जाय, मगर उसके पानेका दावा कर सकते हैं; 33 Mad. 552; कुछ लोग मंदिरमें पूजा न करने पावें ऐसे दावेके लिये देखो-शंकर लिंगन्ना दान बनाम राजेश्वर दुराई राजा (1908) 35 I. A. 176 ; 31 Mad. 236; 12 C. W. N. 546.

(९) क़र्ज़ और इन्तक़ाल--धर्मादेके मेनेजरको अधिकार है कि धर्मादेकी पूजा पाठ, मंदिर की मरम्मत, या मंदिर संबंधी दूसरे स्थानों की मरम्मत या मुक़द्दमे की पैरवीके लिये और ऐसेही धर्मादेके अन्य उद्देशोंके लिये जो कि उचित और आवश्यक ख़र्च हैं रुपया क़र्ज़ले । अगर रुपया नहीं है तो जितनी ज़रूरतहो उसके अनुसार वह जायदाद बेंचदे, रेहन करदे या दूसरा इन्तक़ाल करदे, इस विषयमें उसका अधिकार ठीक वैसाही है जैसा कि 'एक बच्चा वारिसके मेनेजर' का होता है; देखो-4 I.A. 52; 2 Cal. 341-351; 36 I. A. 148 ; 36 Cal. 1003 ; 14 C. W. N. 1 ; 2 I. A. 145 ; 14 B. L. R. 450 ; 23. W. R. C. R. 253 ; 34 Cal. 249 ; 11 C.W.N. 261 ; 4 I.A. 52 ; 2 Cal 341 ; 24 Cal. 77 ; 25 All. 296 ; 31 Mad. 47 ; 34 Mad. 535.

12. W. R. C. R. 293 में कहा गया कि मेनेजरको उतनाही अधिकार होता है जितना कि सीमाबद्ध स्त्री मालिक का होता है। और जनरंजन बनर्जी बनाम अधूर मनी दासी 13. C. W. N. 805 वाले मामलेमें अदालतने यह माना कि किसी तालाबको पाट कर कोई लाभ उठाना, काफी ज़रूरत नहीं है इस लिये ऐसे मतलबसे यदि इन्तक़ाल किया गयाहो नाजायज़ है। यदि असली मेनेजरने नेकनीयतीसे धर्मादेके उचित लाभके लिये कोई क़र्ज़ लिया होतो वह पहले पहल ज़ाहिरा तौरसे ऐसा माना जायगा कि जैसे मानो अनधिकारी मेनेजरने लिया था, मतलब यह है कि क़र्ज़ बहुत सोच समझकर और धर्मादेके उचित तथा आवश्यक लाभके लिये, जितनी ज़रूरतहो उतनाही नेकनीयतीसे लेना चाहिये।

(१०) ज़ात पाबंद नहीं होगी--अगर मेनेजर ने क़र्ज़ लेकर लिखतमें अपनी ज़ात पाबंद नकी हो तो धर्मादेके क़र्ज़के मामलोंमें उसकी ज़ात पाबंद नहीं होगी; देखो-प्यारे मोहन मुकरजी बनाम नरेन्द्र कृष्ण मुकरजी 5 C. W. N. 273.

(११) आमदनीका रेहन--मंदिर या किसी दूसरे धर्मादेकी संस्थाके अत्यंत आवश्यक कामके लिये जब रुपया क़र्ज़ लेना हो तो कभी कभी धर्मादेकी सालाना आमदनी रेहनकी जासकती है। यहांपर धर्मादेकी आमदनीसे वह आमदनी समझना चाहिये जो धर्मादेकी मूल जायदादकी आमदनीसे भिन्न होतीहै। ऊपर कहे हुए 'अत्यंत आवश्यक' उद्देशके बिना या उसकी सीमासे अधिक कदापि रुपया क़र्ज़ नहीं लिया जायगा नरायन बनाम चिंतामणि5Bom.393.

सार्वजनिक कामोंके लिये सरकार जब धर्मादेकी ज़मीन लेकर उसका निःक्रय (मुआविज़ा) देती है तो उसकी कर्रवाई क्या होगी इसके लिये देखो-कामिनी देवी बनाम प्रमथनाथ मुकरजी 39 Cal. 33. वह उसके मूलधनमें गिना जाता है। ऊपर कहे हुए अत्यंत आवश्यक उद्देशके अतिरिक्त और किसी सूरतमें, महंत या मेनेजर या दूसरा ट्रस्टी धर्मादेकी जायदादका इन्तक़ाल नहीं कर सकता और न उसे रेहन रख सकता है, देखो-36. I. A. 148; 36 Cal. 1003; 27. I. A- 69, 29 Mad 117; 39 Cal. 33.

(१२) बंबई प्रांतकी माफी ज़मीन-बंबईके एक्ट नं. २ सन १८६३ की दफा ८ क्लाज़ ३ में लिखा है कि 'धार्मिक या ख़ैराती संस्थाओंकी ज़मीन जो संपूर्ण रूपसे या कुछ हिस्सेसे माफी हो उसका इन्तक़ाल, नीलाम, या दान आदि किसी प्रकारसे नहीं हो सकता और ऐसी ज़मीनके लिये नज़राना देना होगा' किसीको इन्तक़ालका अधिकार नहीं है, 5. Bom. 393.

(१३) पहलेके मेनेजरका क़र्ज़--पहलेके मेनेजरने जो क़र्ज़ क़ानूनी तौरसे लिया हो और यह क़र्ज़ चाहे धर्मादेकी जायदादपर नभी लिया गया हो, उसके लिये पीछे आनेवाले मेनेजर पर दावा किया जा सकता है, अदालत उस क़र्ज़ की ज़िम्मेदारी धर्मादेकी जायदादपर डालसकती है; देखो—31. Mad. 47.

(१४) बिक्रीकी पाबंदी-पहलेके शिवायत या मठाधीश या मेनेजर पर किसी मुक़द्दमे में जो डिकरी हुयी हो और उस डिकरीमें जाल फरेब कुछ भी नहो तो पीछे आनेवाले शिवायत, मठाधीश और मेनेजर उस डिकरीका पाबंद होगा, प्रसन्न कुमारी देवी बनाम गुलाबचन्द बाबू 2. I. A.145; 14. B. L. R. 450. 23. W. R. C. R. 253. 11. B. L. R. 332. 12. C. W. N. 739.

(१५) जायदादकी कुर्की--ट्रस्टी या मेनेजर पर उसके पदकी हैसियतसे उचितरीतिसे डिकरी हुयीहो उसमें धर्मादेकी जायदाद कुर्ककी जा सकती है और नीलामकी जा सकती है 35. Cal. 691, 12. C, W, N, 550, लेकिन जो डिकरी मेनेजर या ट्रस्टीकी ज़ातपर हुयी हो उसके लिये उस जायदादकी कुर्की या नीलाम नहीं हो सकता, देखो—15. I. A.1. 15. Cal. 329. 6, C, W, N. 663.

इस तरहपर कुर्की और नीलाम होनेपर मेनेजर धर्मादेकी तरफसे मंसूख़ीका उज़ुर या दावा कर सकता है देखो 35 Cal. 364 , 12, C. W, N, 310

दफा ८५९. मुक़द्दमें के फरीक़——29 Mad. 106. में माना गया कि जो लोग किसी सार्वजनिक धर्मादेमें पूजा करतेहों वेभी उस मुक़द्दमेमें फरीक़ यानी पक्षकार बनाये जायंगे जो कोई ट्रूस्टी किसी धर्मादेकी तरफसे किसी तीसरे फरीक़पर दावा दायरकरे। किंतु वे पूजा करनेवाले तभी फरीक़ बनाये जायंगे जबकि अदालत उनका फरीक़ बनाया जाना ट्रूस्टके लाभके लिये उचित समझे। यह ख़ास करके उस मामलेमें अवश्य होना चाहिये जिसमें कि ट्रूस्टीको पहली अदालतकी डिकरीके अनुसार अपना हक़ त्याग देना पड़ाहो देखो 35. I. A 176 ; 31 Mad 236.

दफा ८६०. क़ानूनी कामकी पाबंदी——धर्मादेका शिवायत, महंत, और मेनेजर अपने पहलेके पदाधिकारी के क़ानूनी किये हुये कामोंका अवश्य पावंद होगा लेकिन जो काम जाल या फरेबसे किये गये हों उनके पावंद वे नहीं होंगे देखो 1 B. L. R, 337 , 17, W, R. C. R. 44.

दफा ८६१ दावाकी मुद्दत——धर्मादेकी जिस जायदादका इन्तक़ाल वेक़ानूनी तौरसे किया गया हो उस जायदादपर फिर क़ब्ज़ा पानेके लिये पीछे आनेवाला शिवायत महंत, और मेनेजर दावा कर सकता है ऐसे दावाकी मियाद उस तारीख़से शुरू होगी जिस तारीख़को उस दूसरे मेनेजर आदि ने आपने कामका चार्ज लिया; देखो—13. Mad. 277 ; 13 Mad. 402 ; 23 Mad. 271 ; 4. C. W. N. 329 ; 27. I. A. 69 , 2. Bom. L. R. 597 ; 18 Mad 266 ; 23. Cal. 536 .

दफा ८६२. हक़ मुख़ालिफाना——अगर किसीके क़ब्ज़े व दख़लमें बारह वर्षसे ज्यादा किसी मूर्ति या शिवायत या किसी धर्मादेकी जायदाद रही हो तो उसमें वह मुख़ालिफाना हक़ प्राप्त कर सकता है; देखो—दामोदरदास बनाम लखनदास अधिकारी 37. I. A. 147 ; 37 Cal. 885 ; 14 C. W. N. 889 ; 12. Bom. L. R. 632; 36 Bom 135 ; 13 Bom. L. R. 1169 .

देवोत्तर जायदाद यदि किसीके क़ब्ज़ेमेंहो और बह क़ब्ज़ा कुछ शिवायतोंके मुक़ाबिलेमें मुख़ालिफाना होगया हो तो सब शिवायतोंके मुक़ाबिलेमें मुख़ालिफाना माना जायगा; देखो 13.C.W.N.805. धर्मादेका कोई पदाधिकारी अपनेसे पहले पदाधिकारीके समयके मुख़ालिफाना हक़के विरुद्ध दावा दायर नहीं कर सकता; देखो 31 Mad 47 ; तथा दफा ४१०—१

ट्रूस्ट और धर्मादेकी जायदादके प्रबंध आदिका उत्तराधिकार।

दफा ८६३ शर्तें——धर्मादेकी स्थापनाकी शर्तोंमें अगर यह लिखा हो कि धर्मादेका ट्रूस्ट या इन्तज़ामका अधिकार एकके बाद दूसरे पदाधिकारीको मिलता चला जाय तो यह ज़ायज़ माना जायगा; देखो-सीताप्रसाद बनाम ठाकुरदास 5 C. L. R. 73 ; 27 All 581 ; 9 C. W. N. 914 ; 12 W. R. C. R. 427.

गोसाइयोंमें यह बात मानी गयी है कि, गोसांईके पश्चात् हमेशाके लिये उसके शिष्य

उसके स्थानापन्न होते हैं; देखो-12 Bom. H. C. 214; गोपालचन्द्र चक्रवर्ती बनाम राधारमणदास बाबाजी (1911) 16 C. W. N. 108 के मामलेमें धर्मादेकी एक शर्तमें ऐसा लिखा था कि " शिष्य शिष्यानुक्रमे " इस वाक्यसे यह अर्थ माना गया कि एक शिष्य अपने गुरुभाईका भी उत्तराधिकारी हो सकता है।

रवाज--अगर धर्मादा क़ायम करनेवालेने पदाधिकारियोंके उत्तराधिकारके विषयमें कुछ न लिखा हो और इस बातकी कोई शहादत न हो तो प्रत्येक मामलेमें उस ख़ास संस्थाके रवाजके अनुसार उत्तराधिकारी चुना जायगा; देखो—जानकी देवी श्रीमती बनाम श्रीगोपालाचार्य्य 10 I. A. 32; 9 Cal 766; 13 C. L. R. 30; 11 M. I. A. 405; 8 W. R. P. C. 25; 13 All 256; उत्तराधिकारके ऐसे ही मामलेमें प्रिवीकौन्सिलने कहा कि " जब कि धर्मादेकी शर्तोंमें इस तरहके उत्तराधिकारके विषयमें कुछ न लिखा हो तो कौन आदमी महंतकी हैसियतसे उत्तराधिकारी है, इसका निर्णय उस धर्मादेकी रसम और रवाजके अनुसार होगा, और यह रसम और रवाज, साक्षियोंसे सावित करना होगा तथा वादीको यह दिखाना होगा कि वह रवाजके अनुसार धर्मादेका उत्तराधिकारी होनेका हक़ रखताहै " ऐसाही कई मामलोंमें प्रिवीकौन्सिलने यही राय ज़ाहिरकी है; देखो-13 I. A. 100-105; 9 All 1; 7 C.W.N.145; यही सिद्धांत मंदिरके मेनेजरसेभी लागू होगा तथा मदरासके 'देवस्थानं' आदिसे लागू होगा; देखो-20 I.A.150; 16 Mad.490; 7 Mad.499.

एक मामलेमें घरेलू तौरसे आपसमें यह इन्तज़ाम किया गया था कि बारी बारीसे पदाधिकारी कामकरें और १९ वर्षतक यह इन्तज़ाम जारी रहा अदालतने इसे माना किठीक है; देखो—33 I. A. 139; 29. Mad. 283; 10. C. W. N. 825.

किसी धर्मादेकी क्या रवाज है यहबात उसी तरहके दूसरे धर्मादोंका रवाज देखनेसे मालूम हो सकता है। वल्लभाचार्य्य गोसाईंके मंदिरोंके लिये; देखो—मोहनलालजी बनाम मधुसूदनलालजी (1910) 32 All 461.

दफा ८६४. मेनेजर——अगर कोई अपने धर्मादेकी लिखतमें मेनेजर होनेका पुश्तैनी हक़ क़ायम कर दिया हो तो मेनेजर का पद पुश्तैनी भी हो सकता है यदि लिखत न होतो ऐसा हक़ सावित करना पड़ेगा; देखो--7 Mad. 499; अगर ऐसी व्यवस्था धर्मादे की शर्तोंमेंही की गयी होतो बिल्कुल साफ़ मामला होगा। न करनेकी सूरतमें रवाजसे वह हक़ सावित करना पड़ता है; देखो—11. B.L. R. 86-116; 18.W.R C.R.226-228.

धर्मादेके मेनेजरके पदका उत्तराधिकार क़ायम करनेमें वह नियम लागू होंगे जो टगोर के मामलेमें क़ायम किये गयेथे अर्थात् यह कि उत्तराधिकारके साधारण क़ानून के विरुद्ध उत्तराधिकार का कोई हक़ क़ायम नहीं किया जा सकता, देखो-जितेन्द्र मोहन टगोर बनाम ज्ञानेन्द्र मोहन टगोर 1. A. Sup. Vol. 47. P. 65; तथा देखो-दफा ८०७.

अगर किसी धर्मादेकी मेनेजरीका हक़ किसी हिन्दू मुश्तरका ख़ान्दानको हो और वह ख़ानदान उस धर्मादेसे लाभ न उठाता हो तो उस परिवारका मर्द मुखिया अपने कुटुम्बके बटवारा होनेतक उस हक़का अधिकारी रहेगा; देखो-32Mad.167; 1 Mad. H.C. 415.

देवोत्तर जायदादकी मेनेजरीका हक़ जब किसी मिताक्षरालॉ वाले ख़ानदानको होता है तो उस ख़ानदानका कोईभी आदमी पैदा होते ही शिवायत का अधिकारी हो जाता है; देखो-रामचन्द्र पंडा बनाम रामकृष्ण महापात्र 33 Cal. 507.

स्त्रियां--पुजारीपनके पुश्तैनीपदका उत्तराधिकार मर्दके नहोनेकी सूरतमें स्त्रियोंको मिलता है; देखो-सीताराम भट्ट बनाम सीताराम गणेश 6 Bom. H. C. A. C.250; धर्मादेके

पुश्तैनी स्त्री ट्रूस्टियोंके लिये देखो-27, I. A. 69 ; 23 Mad. 1; 4 C. W.N. 329 2 Bom. L. R. 597 ; 12 Bom. 331 ; 24 Mad. 219.

कोर्ट आव्वार्डस्—इस विषयमें मदरास कोर्ट आव् वार्ड्स् एक्ट नं० १ सन १९०२ की दफा ६३ इस प्रकार है-"अगर कोई कोर्ट आव् वार्डस्का नाबालिग़ किसी मंदिर, मसजिद, धार्मिक संस्था या धर्मादेका पुश्तैनी ट्रूस्टी या मेनेजर हो तो धर्मादेके क़ानून 'रिलिजस् एन्डोमेन्ट एक्ट नं० २० सन १९६३ की दफा २२ वीं का कुछ ख्याल न करके अदालत उस धर्मादे आदिके संबंधमें नाबालिग़के पदके कामको पूरा करानेके लिये जैसा प्रबंध उचित समझे करेगी मगर शर्त यह है कि उस धर्मादेके धार्मिक कामोंके लिये ऐसे लोगोंको नियत करेगी जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं और जहांतक संभव हो अदालतकी देखरेख केवल उस धर्मादेकी जायदादकी रक्षा तकही रहेगी।"

मेनेजरका क़दीमी हक़—मेनेजरका हक़ अथवा मेनेजर नियुक्त करनेका हक़ क़दीमी हक़की हैसियतसे भी प्राप्त हो सकताहै। यानी यदि कई पुश्तोंसे उसीके वंशमें मेनेजरीका हक़ चलाआताहो या ऐसा होकि मेनेजर उसीके वंशसे नियुक्त होता रहाहो तो यहभी एकप्रकारका हक़ प्राप्त हो जाता है। कानूनमें इसे 'प्रस्क्रिप्टिव् राइट' (Prescriptive right) कहते हैं देखो-24. Mad. 219 ; 27. Mad. 192 ; 33. I.A. 139 ; 37 Cal 885.

मेनेजरको अधिकार नहीं है—कोई महंत या धर्मादेका दूसरा प्रधान पुरुष 'उत्तराधिकार' नहीं बदल सकता। और वह उस आदमीकी जगह जो वास्तवमें उत्तराधिकारी है दूसरा उत्तराधिकारी नहीं बना सकता वास्तवमें उत्तराधिकारी वह होजाता है जिसे वह एक दफा उत्तराधिकारी बना चुकाहो; देखो—7. C. W. N. 145 ; 11 M. I. A. 405; 8 W. R. P. C. 25 ; उदाहरण के लिये जैसे एक महंतने अपने चेले रामानन्दको अपना उत्तराधिकारी बनाया अब दोनोंमें वैमनस्य होगया तो महंतजी उसे उत्तराधिकारसे च्युत नहीं कर सकते जब तक कि कोई रवाज विरुद्ध सिद्ध नहो।

दफा ८६५. धर्मादाके स्थापक का हक़————मेनेजर नियत करनेकी कोई बात अगर धर्मादेकी शर्तोंमें नहो, और न रवाजहो, या वह आदमी जो मेनेजर नियुक्त करनेका हक़ रखताहो किंतु उसने नियुक्त न किया हो तो मेनेजर नियुक्त करनेका हक़ फिर धर्मादेके स्थापक या उसके वारिसोंको प्राप्त होता है। देखो—16. I. A. 137 ; 17. Cal. 3 ; 18 All. 227 ; 28 All. 689 ; 32 All. 461 ; 29 All. 663 ; 32 Cal. 129 ; 5. B. L. R. 181 ; 13. W. R. C. R. 396 ; 7 Cal. 304 ; 31. I. A. 203.

ख़ानदानकी जो जायदाद ख़ैरातके कामोंके लिये लगीहो उसके प्रबंधका हक़ आमतौरपर स्थापकके वारिसोंको मिलता है। लेकिन किसी ख़ास सूरतमें सिर्फ एकही वारिसको मिलता है; देखो—34 Mad. 470.

जो आदमी शिवायत नियत किया गयाहो अगर उसका ख़ानदान नष्ट होजाय तो शिवायत नियत करनेका हक़ फिर स्थापकके ख़ानदानमें चला आताहै; 15 C.W.N.126 ; 11 C.L.J-2.

इन्तक़ाल।

दफा ८६६. देवोत्तर जायदादका इन्तक़ाल----(१) हिन्दूलॉका, साधारण नियम यह है कि जो जायदाद देवार्पण या धार्मिक कामके लिये दान कर दी गयी हो वह

जायदाद इन्तक़ाल करने योग्य नहीं है शिवायत या महंतकी हैसियत जायदादके संबंधमें मेनेजरकी है क्योंकि वे उस जायदादके अमानतदार हैं। वे किसी ख़ास ज़रूरी कामोंके लिये जैसे धार्मिक पूजन पाठ जो परमावश्यकहों या मठ या मंदिरकी मरम्मत या किसी झगड़ेलू मुक़द्दमेंबाज़ शत्रुके दायर किये हुए मुक़द्दमेंसे बचनेके लिये, और इसी तरहके दूसरे कामोंके लिये रुपया क़र्ज़ ले सकते हैं। इसप्रकारके क़र्ज़ोंके लेनेका अधिकार, क़र्ज़ा लेनेकी ज़रूरतको देखकर विचार किया जायगा। शिवायत या महंतको क़र्ज़ा लेनेका जो अधिकार दिया गया है वह उसी तरहका है जैसा कि नाबालिग़के लाभके लिये उसका मेनेजर क़र्ज़ा ले; देखो-हनूमान प्रसाद बनाम बबुई मुसम्मात 6 Mad. I. A. 393.

(२) ज़रूरतमें क़र्ज़ा लेनेके अधिकारके अलावा शिवायत या महंत देवोत्तर जायदादका इन्तक़ाल भी कर सकता है उनके इन्तक़ाल करनेका अधिकार सीमावद्ध है। जायज़ ज़रूरतोंके लिये केवल ऐसा हो सकता है, अगर ऐसी ज़रूरत न हो तो वे देवोत्तर जायददको रेहन या बय नहीं कर सकते और इनाम या मुक़र्ररी पट्टा भी नहीं दे सकते देखो— 36 Cal 1003; 36 I. A. 148; 14 Ben. L. R. 450; 2 I. A. 145; 2 Cal 341; 4 I. A. 52; 13 M. I. A. 270; 19 Bom 271; 22 Cal 989; 24 Cal 77; 25 All 296; 33 Cal 507.

(३) नरायन बनाम चिंतामणि (1881) 5 Bom 393; कलक्टर आफ़् थाना बनाम् हरी (1882) 6 Bom 546 इन दोनो मामलोंमें बंबई हाईकोर्टने यह ज़रूरी राय ज़ाहिरकी कि किसी भी ज़रूरतमें धर्मादेकी कुल जायदाद नहीं वेची जासकती और न हमेशाके लिये इन्तक़ालकी जासकती है तथापि उस जायदादकी आमदनी ज़रूरत पड़नेपर रेहनकी जासकती है; देखो-15 Bom 625-635; 19 Bom 271; इलाहाबाद हाईकोर्टने इसके विरुद्ध राय ज़ाहिरकी, कहा कि अगर जायज़ ज़रूरत हो तो कुल जायदादका इन्तक़ाल किया जासकता है; देखो-परसोतमगिरि-बनाम दत्तगिरि (1903) 25 All 296;। मदरास हाईकोर्टने 27 Mad 465 वाले मुक़द्दमेमें बंबई हाईकोर्टके अनुसार राय ज़ाहिरकी मगर उसने 34 Mad 535 में इलाहाबाद हाईकोर्टकी रायके अनुसार अपनी राय बदल दी। अब प्रश्न यह रहता है कि देवोत्तर जायदाद कुल इन्तक़ालकी जासकती है या नहीं? जुड़ीशल कमेटी बंगालने हालके मुक़द्दमेमें, अभिराम बनाम श्यामाचरण (1909) 36 Cal 1003; 36I. A. 148 में कहा कि देवोत्तर जायदादके इन्तक़ाल करनेका अधिकार, शिवायत या महंतका उस ज़रूरतके साथ विचार किया जायगा जिसके कारण इन्तक़ाल किया गया हो, जुडीशल् कमेटीके सामने जो मुक़द्दमा था उसमें महंतने देवोत्तर जायदादका हमेशाके लिये मुक़र्ररी पट्टा दे दिया था अदालतने अपनी राय ज़ाहिर करते हुए कहा कि इस मुक़द्दमेमें दूसरा प्रश्न यह है कि-महंतको, मौज़ाका मुक़र्ररी पट्टा दे देनेका अधिकार था या नहीं? क़ानूनने इतनी बात तय करदी है कि देवोत्तर जायदादका महंत इन्तक़ाल कर सकता है जिस तरहसे नाबालिग़ वारिसके लिये उसका मेनेजर जायज़ ज़रूरत ही में वारिसके लाभके लिये इन्तक़ाल कर सकता है यह अधिकार सीमा बद्ध है; देखो-14 Ben. L. R. 450; 2 I. A. 145; 2 Cal 341; 4 I. A. 52. जब कि दूसरा कोई ज़रिया या सरमाया न हो, मंदिरकी मरम्मत या तकमीलके लिये देवोत्तर जायदाद मुक़र्ररी पट्टेमें दी जासकती है लेकिन इसका आम क़ायदा शिवेश्वरी देवी बनाम मथुरानाथ आचार्य 13 M. I. A. 270 में बताया गया है कि यदि वैसी ज़रूरत न हो तो देवोत्तर जायदाद इन्तक़ाल करनेके अतिरिक्त, भिन्न भिन्न प्रकारकी दूसरी आमदनीसे उसे पूरा किया जाय, ऐसा न करनेसे महंत अपने कर्तव्यसे च्युत समझा जायगा उसका यह कहना मानने योग्य नहीं होगा कि ख़ास

तौरके संबंधोंसे ज़रूरत पैदा होगयी थी, इस मुक़द्दमेंमें पट्टा उचित सावित है इस लिये पट्टा देनेवालेके जीवन कालतक या उसके अधिकारी वने रहनेतक वह जायज़ माना जायगा।

दफा ८६७. बार सुबूत--------जब देवोत्तर जायदादका इन्तक़ाल किया गया हो, तो जायदादके ख़रीदार या जिसके नाम इन्तक़ाल किया गया है उसपर इस बातके सावित करनेका बोझ है कि वह अच्छी तरहसे सावित करे कि वास्तवमें क़ानूनी वैसी ज़रूरत थी, या उसने ठीक ठीक और नेकनीयतीसे वैसी ज़रूरत होनेकी योग्य तलाश करली थी और ख़ुद उसे इतमीनान काफी होगया था कि दरअसल वैसी ज़रूरत है। यानी जिस तरहपर नाबालिग़ वारिसके मेनेजरके द्वारा इन्तक़ाल करनेमें ख़रीदारको सावित करना पड़ता है उसीतरह देवोत्तर जायदादके ख़रीदारको सावित करना पड़ेगा देखो-- 2 Cal 341--351 ; 4 I. A. 52 देखो इस किताबकी दफा ३४२.

दफा ८६८. इन्तक़ालके नियम------अगर कोई रवाज या धर्मादेकी कोई शर्त वाधक नहो तो साधारण नियम यह है कि जिसके क़ब्ज़ेमें धर्मादेकी जायदादहो उसे ऐसा अधिकार नहीं है कि वह अपने प्रबंध, ट्रस्ट, ट्रस्टी या मेनेजरकी नियुक्ति, और मंदिके अन्य धर्मादे तथा कामोंके अधिकारको दूसरे किसीके हक़में इन्तक़ाल करदे देखो-27 I. A. 69.

अगर ऐसा रवाज सावित किया जाता हो कि इन्तक़ाल करनेवालेके आर्थिक लाभके लिये इन्तक़ाल किया जा सकता है तो ऐसा रवाज अदालत नहीं मानेगी, देखो. 4. I. A. 76 ; 1 Mad. 235 ; 4 Mad. 391 ; 6 Mad. 76 ; और अगर ऐसा रवाज सावित किया गया हो कि पूजन विधि वदलनेके लिये इन्तक़ाल किया जा सकता है तोभी नहीं मानेगी-7 Nad. H. C. 32.

नीचेके मुक़द्दमोंमें माना गया कि पूजन विधिका परिवर्तन आम तौरसे इन्तक़ाल के योग्य नहीं है—34 Cal. 818 ; 11 C. W. N. 782 ; 3. W. R. C. R. 152 ; 5 All. 81 ; 16. C. W. N. 129 .

देव सेवाके वास्तविक अभीष्टसे जो इन्तक़ालकी दस्तावेज़ लिखी गयी हो जायज़ मानी जा सकती है; देखो—17. Cal. 557 .

जिस मेनेजरको प्रबंध करते हुए अधिक ज़माना बीत जानेसे प्रबंधका पूरा अधिकार क़ानूनन प्राप्त होगया हो जिसे ' प्रस्क्रिप्टिव्राइट ' कहते हैं. (देखो दफा ८६४) वह अपना अधिकार दूसरे को देदे, जिसे वैसा अधिकार प्राप्त नहीं है तो ऐसा इन्तक़ाल जायज़ माना जायगा; देखो—24 Mad 219.

नोट--इन्तक़ालके मंसूख़ करानेके दावेमें क़ानून मियाद लागू होता है यही वात 1 Mad 337 वाले मामलेमें मानी गयी जबकि धर्मादेके प्रवंध या उसके संबंधी कामोंके हक़का इन्तक़ाल किया जाय तो माना गया है कि सिर्फ उस हक़काही इन्तक़ाल ऐसे ढंगसे करना चाहिये कि जिससे ट्रस्टके उद्देशोंके संपादन करनेमें कोई वाधा उपस्थित नहो ।

दफा ८६९. ख़ानदानकी देवमूर्तिके धर्मादेका परिवर्तन------किसी ख़ानदानकी देवमूर्तिमें लगी हुयी धर्मादेकी जायदाद उतनी चिरस्थायी नहीं होती जितनी कि सार्वजनिक धर्मादेकी होती है। ख़ानदानकी देवमूर्ति और उसमें लगी हुयी धर्मादेकी जायदाद पूजन करनेकी हेतुसे दूसरे ख़ानदानमें तब्दीलकी जासकतीहै मगर शर्त यहहै कि जिस ख़ानदानकी वह देवमूर्ति है उसके सब मेम्बर राज़ीहों; देखो-17 Cal. 557; 13 C.W.N.242.

ख़ानदानके सब मेम्बरोंकी रज़ामंदीसे देवमूर्तिमें लगी हुयी जायदाद किसी ख़ास

जायदादमें बदली जासकती है और सब मेम्बरोंके निजी काममें लायी जासकती है-4 I.A. 52; 2 Cal 341; 16 C. W. N. 29; और देखो दफा ५२७; ८२३; ३९४.

दफा ८७०. कुर्की और नीलाम——निम्न लिखित धर्मादेके अधिकार और धर्मादेकी जायदाद, मठाधीश या मुख्याधिष्ठाताके विरुद्ध अदालतकी किसी डिकरीके द्वारा कुर्क और नीलाम नहीं हो सकता। इस विषयमें देखो—ज़ाबता दीवानी सन १९०८ की दफा ६० इस दफामें कहा गया है कि प्रत्येक हक़ ज़ाती ख़िदमतका कुर्क और नीलाम नहीं होसकता इसवास्ते यह हक़ भी कुर्क और नीलाम नहीं हो सकता।

(१) धर्मादेके प्रबंध करनेका हक़ या ट्रस्टीपन 4 All 81; 7 W.R.C.R. 266.

(२) मंदिरकी सेवा या उसमें लगे हुए दूसरे धर्मादे—राजाराम बनाम गनेश 23 Bom 131; 5 B. L. R. 617; 14 W.R.C. R. 409; 4 All 81.

(३) पूजनका हक़—काली चरणगिरि गोसांई बनाम रंगशी मोहनदास 6 B. L. R. 727; 15 W. R. 339.

(४) देवमूर्तिका चढ़ावा—29 Cal 470; 6 C. W. N. 728.

(५) देवमूर्तिकी सेवासे यदि बहुत ज्यादा आमदनी होती हो मगर वह आमदनी निश्चित न हो-जुगुरनाथराय चौधरी बनाम किशुनप्रसाद 7 W.R.C.R. 266.

नोट—मंदिरके किसी नौकरने यदि अपने काम करनेके बदलेमें कोई जायदाद मंदिरमें या मंदिरकी प्राप्तकी हो जो उसके कब्ज़ेमें हो, उस जायदादकी कुर्की और नीलाममें कोई बाधा नहीं पड़ती।

दफा ८७१. मुश्तरका ख़ानदानमें बटवारा——धर्मादे और धार्मिक कृत्यें कुदरती तौरसे अविभाज्य होती हैं अगर कोई अर्वाचीन रवाज ऐसी हो कि पक्षकार देव मूर्तिका पूजन वारी वारीसे करनेके अधिकारी हैं और धर्मादेकी पाबंदियोंके साथ उन्हे इस्तेमाल करने का भी अधिकार है, जायज़ माना जा सकता है देखो-20 Bom. 495.

बटवारेमें हिस्सेका तरीक़ा-किसी ख़ानदानकी देव मूर्ति या मंदिर या धार्मिक धर्मादेका प्रबंध जब मुश्तरका ख़ानदानके लोगोंके अधिकारमें हो, इस तौरसे बटवारा किया जा सकता है कि हर एक हिस्सेदारके हिस्सेके अनुसार किसी निश्चित समयतक क्रमसे वे देव मूर्तिका पूजनकरें और उसकी जायदादपर क़ाबिज़ रहें, मगर शर्त यह है कि इस क़िस्मका बटवारा तभी हो सकेगा जब कि ऐसा बटवारा बिना किसी क़िस्मकी हानि और धर्मादेके वास्तविक स्वरूप के बिना बदले मुमकिन हो देखो- 34 Mad. 470; 34 Cal. 828; 11 C. W. N. 782; 6 Bom. 298; 14 B.L.R. 166; 22 W. R.C. R. 437; 8 W. R. C. R. 193; 4 Cal. 683; 8 Cal. 807; 10 C. L. R. 439; 6 B. L. R. 352; 15 W. R. C. R. 29.

जब ऐसा मामला अदालतके सामने पेश होगा तो बहुत करके अदालत यह हुक्म देगी कि ख़ानदानके लोग बारी बारीसे देव मूर्ति या मंदिरके पूजनका क्रम आपसमें निश्चित करलें या किसी अन्य प्रकारके क्रम का फैसला करलें या कोई अनुक्रम क़ायम करलें। राजा चित्रसेनकी बड़ी विधवा बनाम राजा चित्रसेनकी छोटी विधवा (1807) 1 Ben. Sel. R. 180 नया संस्तरण P. 239 वाले मुक़द्दमेमें मुश्तरका ख़ानदानकी दो देव मूर्तियां थीं और दोनोंमें अलग अलग जायदाद लगी थी। एक हिस्सेदारने एक देवमूर्ति पर और उसमें लगी हुई जायदाद परभी क़ब्ज़ा कर लिया इसी तरहपर दूसरे हिस्सेदारने दूसरी देवमूर्ति और उसमें लगी हुयी जायदादपर क़ब्ज़ा करलिया, अदालतने इसे उचित माना।

दामोदरदास मानिकलाल बनाम उत्तमलाल मानिकलाल 17 Bom 271-288 वाले बटवारेके मुक़द्दमेमें बंबई हाईकोर्टने खानदानकी देवमूर्तिका पूजन और उसमें लगी हुयी जायदादका प्रबंध खानदानके सबसे बड़े मेम्बरके अधीन कर दिया, यह राय ज़ाहिरकी कि जब वह मेम्बर मरजाय तो ज्यादा हक़ वाले दूसरे मेम्बरको उसका उत्तराधिकार प्राप्त होगा। यद्यपि बंबई हाईकोर्टने ऐसा फैसला मुक़द्दमेके अन्य संबंधोंके कारणसे किया किंतु आम क़ायदा तो यह है कि खानदानके सब मेम्बर बारी बारीसे देवमूर्तिका पूजन और उसकी जायदादका प्रबंध करते हैं, यह क़ायदा प्रायः सब जगहपर माना जाता है ; देखो I4 B. L. R. 166; 22 W. R. C. R. 437 ; भट्टाचार्यका लॉआफ् ज्वाइन्ट हिन्दू फैमिली P. 462 ; 4 Cal. 683 ; 8 Cal 807 ; 10 C. L. R. 439.

नोट—पूजन, यज्ञ, बलिदानका स्थान, देवमूर्तिमें लगी हुयी जायदाद, दूसरी धार्मिकरसमें या पूजन पाठकास्थान ये सब असली रूपको बिगाड़कर बटवारा नहीं की जा सकतीं—देखो इस किताबकी दफा ३९४; ५२७; ८२३.

दावा दायर करनेका हक़ और ट्रस्ट तथा धर्मादेसंबंधी ज़रूरी क़ानूनी बातें।

दफा ८७२. अदालतोंका अधिकार——दीवानी अदालततोंको यह अधिकार है कि वे ऐसे धर्मादोंके इन्तज़ाम करनेका हक़ निश्चित करें और यह निश्चित करें कि उन धर्मादोंमें काम करनेके अधिकारी कौन लोग हैं। उन्हे यह भी अधिकार है कि उन धर्मादोंकी जायदादकी रक्षाके लिये हस्तक्षेप करें, और उनके उद्देशोंका ठीक अर्थ लगावें तथा उन उद्देशोंको क़ायम रखें और साधारणतः उन सब प्रश्नोंका फैसला करें जो उन धर्मादोंके उद्देशोंकी उचित पूर्तिके संबंधमें पैदा हों। देखो ज़ाबता दीवानी सन १९०८ की दफा ९ इस दफाका सारांश यह है कि जिस नालिशमें किसी मिलकियत या किसी हक़का झगड़ा हो चाहे वह हक़ किसी मज़हबी रसम, या रवाजपर निर्भर हो, ऐसी नालिशें दीवानी अदालतमें दायर होंगीं।

पूजा—किसी ख़ास मंदिरमें कौन लोग या किस फिरक़ेके लोग पूजा करनेका हक़ रखते हैं, और कौन लोग पूजा करनेसे वंचित किये जासकते हैं इसके संबंधका दावा अदालतमें दायर होसकता है, ऐसा दावा दीवानी अदालतमें होगा; देखो-35 I. A. 176 ; 31 Mad 236 ; 12 C. W. N. 946 ; और जो मंदिर ब्रिटिश हिन्दुस्थानके बाहर हैं (जैसे रजवाड़ोंमें अनेक मंदिर हैं) उनके संबंधमें अंगरेजी अदालतोंको कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं; देखो-त्र्यंबक बनाम लक्ष्मिमण 20 Bom 495.

पेनशन्—पेनशन्स एक्ट नं० २३ सन १८७१ की दफा ४ इस प्रकार है-' कोई पेनशन् या रुपयाका दान, या मालगुज़ारीकी माफी जो अंगरेजी सरकार ने या पहलेकी किसी सरकारने चाहे किसी ख्यालसे और चाहे कैसे ही दावे या हक़के ऊपरकी हो, उसके संबंधका कोई मामला कोई दीवानी कोर्ट नहीं सुनेगी " मदरासमें माना गया कि धर्मादोंसे इस दफाका कोई संबंध नहीं है; देखो-31 Mad 12; 2 Mad 294; 11 Mad 283; लेकिन बंबई हाईकोर्टने माना कि अवश्य संबंध है; देखो--22 Bom 496 ; 16 Bom 537 ; 8 I. A. 77 ; 5 Bom 408.

दफा ८७३. ट्रस्ट भंग करनेके कारण अदालतमें दावा——(१) किसी भी धर्मादेमें स्वार्थ या लाभ रखनेवाले लोग जैसे पूजा करनेवाले, या किसी देवमूर्तिके उपासक या भक्त या जिसने वह मूर्ति स्थापितकी हो उसके कुटुम्बका कोई भी आदमी हक़ रखता है कि यदि उस धर्मादेके धन या जायदादके संबंधमें ट्रस्टका भंग किया गया हो तो उसके लिये दावा दायर करे या इस बातपर ज़ोर दे कि पूजा ठीक ठीक की जाय या ट्रस्टका काम उचित रीतिसे किया जाय। ट्रस्टका भंग वह कहलाता है कि ट्रस्टकी शर्तोंका या उद्देशका पालन न करना। दावा दायर करनेके अधिकारके विषयमें नज़ीरें देखो

स्वार्थ रखनेवाले या पूजा करनेवाले—24 Cal 418 ; 23 Bom 657 ; 15 Bom 612 ; 12 Bom 247 ; 26 I. A. 199 ; 24 Bom 50.

उपासक, भक्त, या स्थापक—15 Bom. 612 ; कुटुम्बका आदमी—3 Bom. 27 ; 14 Mad. 1.

(२) वे अदालतसे यह भी निर्णय करा सकते हैं कि महंत या शिवायत या धर्मादेके किसी दूसरे मेनेजरने अपने कुप्रबंधके कारण अपनेको उसपदके अयोग्य सिद्ध कर दिया है—6 Cal 11 ; 6 C. L. R. 265 ; 15 Bom 612.

हिसाब—यदि ऊपर कहे हुए दावेमें मुद्दई उस धर्मादेके हिसाबकी जांच किये जानेका भी दावा करे तो उसे ट्रस्टके भंग किये जानेका स्पष्ट प्रमाण देना होगा ; देखो—5 Cal. 700.

दफा ८७४. सार्वजनिक धर्मादेके दावेमें ज़ाबता दीवानीकी दफा ९२ का असर——(१) जब सार्वजनिक धर्मादेके संबंधमें अदालतमें दावा दायर करना हो तो पहले ज़ाबता दीवानी सन १९०८ की दफा ९२ को समझ लेना बहुत ज़रूरी है—उक्त दफा ९२ इस प्रकार है—

दफा ९२—(१) जो ट्रस्ट (अमानत) स्पष्ट रूपसे या उद्देशरूपसे सार्वजनिक ख़ैरात या धार्मिक कामोंके लिये मुक़र्रर किया गया हो, जब उसके नियमोंका भंग होना बयान किया जाय या उस ट्रस्टके प्रबंधके लिये अदालतकी हिदायत आवश्यक समझी जाय तो एडवोकेट जनरल या दो या कई आदमी जो उस ट्रस्टमें स्वार्थ रखते हों और एडवोकेट जनरलकी लिखित रज़ामंदी प्राप्त कर चुके हों तो उस दीवानी अदालतमें कि जिसके इलाक़ेके अंदर वह ट्रस्ट हो या किसी दूसरी अदालतमें जिसको प्रांतीय सरकारने इस बारेमें अधिकार दिया हो, जिसके इलाक़ेके अंदर ट्रस्टका सब या कोई भी भाग हो, नीचे लिखे विषयोंमें डिकरी प्राप्त करनेके लिये नालिश कर सकते हैं चाहे उस नालिशमें कोई भी चीज़ विरोधकी हो या न हो—

(क)—ट्रस्टीकी मौक़ूफी—24. Mad. 418 ; 24 Bom. 45 ; 33 Cal. 789 ; 10. C. W. N. 581.

(ख)—नये ट्रस्टीकी नियुक्ति—26 Mad. 450 ; 22 Mad. 117.

(ग)—हवाले किया जाना किसी जायदादका ट्रस्टीको—

(घ)—हिसाब और तहक़ीक़ातकी तैयारीका हुक्म देना 33 Bom, 387.

(च)—क़रार दिया जाना कि ट्रस्टीकी जायदाद का कितना भाग या कितना हक़ ट्रस्टके किसी ख़ास उद्देशके लिये अलग किया जायगा।

(छ)—इस बातकी आज्ञा देनाकि जायदादका सब या कोई भाग किराये या पट्टेपर दिया जाय या बेच दिया जाय या रेहन रखा जाय या बदल लिया जाय।

(ज)—व्यवस्था (Schme) निश्चित करना 28. Mad. 319.

(झ)—इससे अधिक या दूसरे प्रकारसे प्रार्थीके लिये सुभीता करना जैसा कि मामलेको देखते हुए आवश्यक जानपड़े 25 All. 631; 33 Cal. 789.

(२)—सिवाय इसके जैसा कि धर्मादेके क़ानून सन १८६३ ई० एक्ट २० की दफा १४ में हुक्म है; कोई नालिश ऊपर लिखे किसी विषयके संबंधमें उस वक्त तक दायर नहीं की जायगी जबतक कि उस दफाकी सब शर्तें पालन न की जायं। 8 All.31; 11Cal. 33.

दफा ९२ का उद्देश--पहलेके क़ानून ज़ाबता दीवानी की इसी तरहकी दफा ५३९ का हवाला देते हुए बंगाल हाईकोर्टने, सजेदुर राजा चौधरी बनाम गौर मोहनदास वैष्णव 24 Cal. 418—425 वाले मुक़द्दमेमें कहा कि इस दफा ५३९ का असली उद्देश हमारी रायमें स्पष्ट है कि किसी ट्रस्टमें स्वार्थ रखनेवाले अगर वह सब एकहो जायं तो उस ट्रस्टके भंग करनेके दोषमें किसीभी ट्रस्टीके हटाये जानेका दावा करनेका अधिकार वे लोग हर समय रखते हैं लेकिन जब वह सब आदमी एक नहोसकें तो यह उचित समझा गयाकि उनमेंसे कुछ लोगही यदि वे एडवोकेट जनरल या ज़िलेके कलक्टरकी मंजूरी प्राप्त करलें तो वे दावा दायर कर सकेंगे लेकिन ट्रस्टियोंपर कुछ लोग व्यर्थही दावे दायर न करने लगें इस लिये मंजूरी लेनेकी शर्त रखी गयी है ; जब यह शर्त पूरी कर लीगयी और व्यर्थ दावादायर होनेसे पूरी रक्षा होगयी तो कोई वजेह नहीं है कि इस दफाके अनुसार दायर किये हुए दावोंमें दूसरी रोकटोक लगाई जाय।

पूर्वोक्त विषयोंमेंसे किसी विषयका दावाहो और उसमें ऐसा दावाभी शामिलहो कि ट्रस्टकी कोई अनुचितरीतिसे इन्तक़ाल कीहुई जायदादका क़ब्ज़ाभी दिलाया जाय तो इस दफा ९२ के अनुसार ऐसा दावा समझा जायगा ; देखो-24 Cal. 418 ; 28 All. 112 ; 26 Mad. 450.

(३) सरकारी सहायताके मंदिर—जो मंदिर पूजा पाठके लिये सरकारसे भी आर्थिक सहायता पाताहो उसकी प्रबंधकारिणी कमेटीपर एडवोकेट जनरल सर्व साधारणकी ओरसे यह दावाकर सकते हैं कि वह अपने अमुक कर्तव्योंका उचित रीतिसे पालन करें देखो-33 Bom. 387 , 4 M. I. 191 , 3. A. 32.

(४) किन मामलातसे इस दफाका संबंध नहीं है ?—यह माना जाचुका है कि यह दफा ९२ नीचे लिखे मामलोंसे लागू नहीं होती। वे मामले यह हैं—

(क)—मुद्दई का यहदावा कि मैं ट्रस्टीमानाजाऊं 22 Bom. 496, 33 Cal. 789.

(ख)—मुद्दई का यहदावाकि मैं प्रबंध करनेका अधिकारी हूं और वास्तवमें प्रबंध कर रहाहूं यह बात अदालत क़रारदे—28 Bom. 20.

(ग)—इस बातके क़रार दिये जानेका दावा कि मुद्दईको मठमें मेनेजरकी नियुक्तिका अधिकार प्राप्त है 10 Mad. 375.

(घ)—दोफरीक़ोंके परस्पर यह दावाकि उनमेंसे हरएकको मेनेजरीके कुछ अधिकार प्राप्त हैं 32. Cal. 273.

(च)—यह क़रार दिये जानेका दावा कि ट्रस्ट क़ायम है 25 All. 631.

(छ)—किसी मंदिरके पूजकोंकी ओरसे यह क़रार दिये जानेका दावाकि 'धर्मकर्ता' (मेनेजर) के पदपर अमुक लोगोंकी नियुक्ति नाजायज़ है. 23. Mad. 28.

(ज)—वह दावे जो किसी सार्वजनिक अधिकार क़ायम करनेके लिये नहीं बल्कि इसलिये दायर किये गयेहों कि किसीएक आदमीका हक़ जो भंग किया गया हो बहाल किया जाय 33Cal.789; 10C.W.N.581; 7All.178; 8Cal.32; 11Cal.33 ; 5All.497.

दफा ९२ के अनुसार मुक़द्दमा दायर करनेके जो उद्देश बताये गये हैं उन उद्देशोंके सिवाय जो दावे दायर किये जायं उनके विषयमें यह माना गया है कि वे इस दफाके अन्तर्गत नहीं हैं क्योंकि वे सिर्फ ऐसेही मामले होंगे जो ट्रस्टियोंने ऐसे लोगोंके विरुद्ध दायर किये होंगे जिनका उस ट्रस्टसे कुछ संबंध नहीं है और जो उसके विरोधी हो सकते हैं जैसे वे लोग जिनकेपास ट्रस्टकी किसी जायदादका अनुचित इन्तक़ाल हुआ हो या अनाधिकारसे उस ट्रस्टमें कोई क़ब्ज़ा पा गये हों; देखो—33 Cal.789; 10 C.W.N.581; 21 All.187.

(५) अपील—धर्मादेमें यह आम क़ायदा है कि जो आदमी फरीक़ मुक़द्दमा नहीं है अपील नहीं कर सकता- जान मोहम्मद बनाम नूरुद्दीन 32. Bom. 155.

(६) व्यवस्था—दफा ९२ के अनुसार किसी धर्मादेके संबंधमें जो व्यवस्था निश्चित की गयी हो उसको कार्य्यमें परिणत किये जानेकी दरख्वास्त हर ऐसा आदमी कर सकता है जो उस धर्मादेमें कुछ स्वार्थ रखता हो 28 Mad. 319; 24 Bom.45; 1Bom.L.R.509.

(७) कलक्टरके अधिकार—दफा ९२ के अनुसार जो अधिकार एडवोकेट जनरलको दिये हैं वे प्रेसीडेन्सी शहरों (कलकत्ता, बंबई, मदरास.) के बाहर प्रांतीय सरकार की मंजूरीसे कलक्टर या अन्य कोई आफिसर जिसे सरकार मुक़र्रर करे काममें लायेगा ; देखो-- ज़ावता दीवानी सन १९०८ की दफा ९३.

(८) एडवोकेट जनरल या कलक्टर का कर्तव्य--एडवोकेट जनरल या कलक्टर जब किसी धर्मादेके दावेके दायर किये जानेकी मंजूरी देने लगे तो उनको चाहिये कि मामला खूब समझकर मंजूरीदें वह सिर्फ यही न देखेंकि दावा दायर करनेवाले लोग ट्रस्टमें कुछ स्वार्थ रखते हैं बल्कि यह भी देखलेंकि वह ट्रस्ट वैसाही सार्व जानिक ट्रस्ट है जिसकी बात उपरोक्त दफा ९२ में कही गयी है और इसकी भी अच्छी तरह जांच करलें कि वास्तवमें ट्रस्टका भंग हुआ है ? लेकिन अगर किसी मामलेमें यह देखा जायकि उन्होंने खूब समझकर मंजूरी देनेमें कुछ कसर की है तो यह त्रुटि सिर्फ बे क़ायदगी समझी जायगी । ट्रस्टके संबंधमें कोई ऐसा सार्वजनिक झगड़ा होना चाहिये कि उसमें एडवोकेट जनरल या कलक्टर का हस्तक्षेप यह निर्णय करनेके लिये ज़रूरी हो कि सार्वजानिक हक़के क़ायम किये जानेका दावा दायर किया जाय या नहीं और अगर किया जायतो कौन करे?; देखो-32Cal.8 273-276.

दफा ८७५. ट्रस्टी आदिके हटानेका अधिकार——जब कोई शिवायत महंत ट्रस्टी या मेनेजर ट्रस्टको भंग करके या दूसरी तरह उसट्रस्टके चलानेके अयोग्य सिद्ध हो तो अदालत उसे हटादेगी- देखो एक्ट नं० 20 of 1863. S. 14.

जो ट्रस्टी ठीक ठीक हिसाब नहीं रखता और रुपया खा जाता है या ट्रस्ट की जायदादपर अपना झूठा दावा करता है वह हटा दिया जायगा—देखो-31 Mad. 212.

अगर मेनेजर नेकनीयतीसे ट्रस्टकी किसी जायदादपर दावा करता हो तो महज़ यह कारण उसके हटाये जानेका काफी नहीं माना जायगा; देखो- 24 Mad 243 लेकिन अगर वह उस जायदादको अपनी निजकी जायदाद बताकर काममें लावे तो वह अवश्य हटाया जासकता है देखो; 15 Bom. 612.

किसी ट्रस्टके साथ जो धार्मिक कृत्य करनेका रवाज है यदि उनके किये जानेका यथेष्ट खर्च मौजूद हो और फिरभी वे न किये जायं तो यह बात ट्रस्टके भंग करनेवाली समझी जायगी, देखो- 23 Mad. 298 ; और जब कोई ज़मीन किसीके क़ब्ज़ेमें इसशर्तपर हो कि वह उसमूर्तिकी; कि जिसके साथ वह ज़मीन लगी है पूजा किया करे, यदि वह पूजा न करे तो

वह पूजा करनेके लिये वाध्य किया जा सकता है और इनकार करनेपर हटाया जा सकता है; देखो-11 W. R. C. R. 443.

दफ़ा ८७६ हटाये जानेका कारण------दामोदर भट्टजी बनाम भट्ट भोगीलाल किशुनदास (1896) 22 Bom 493 495 के फैसलेमें कहा है कि " इंगलैन्डमें जब किसी सार्वजनिक ख़ैराती ट्रस्टके ट्रस्टी ग़लतीसे उसट्रस्टका धन ऐसे कामोंमें लगा देते हैं कि जिनमें वह नहीं लगाना चाहिये था तो इंगलैन्डका क़ानून एक सीमा तक उनके मामलोंमें कुछ रियायत अवश्य करता है हमारी रायमें वैसीही रियायत हिन्दुस्थानमें सार्वजानक हिन्दू मंदिरों आदिके मेनेज़रों और पुजारियों और दूसरी तरहके धर्मादोंके मेनेजरों और पुजारियोंके मामलोंमें भी होना चाहिये क्योंकि उन्हें अपनेको उक्त मंदिरों या धर्मादोंके मालिक समझनेकी आदत होगयी है हालांकि क़ानूनमें वे महज़ ट्रस्टी, मेनेजर, शिवायत और पुजारी हैं इसलिये अब पीछेका ख्याल न करके भविष्यमें ऐसी व्यवस्था करना चाहिये कि जिससे मंदिरोंका शासन उचित रीतिसे हो। चिंतामणि वजाजी देव बनाम़ ढुंढू गणेशदेव 15 Bom. 612 के मुक़द्दमेमें जो फैसला हुआ उससे यह सिद्ध होगया कि सार्वजनिक हिन्दू मंदिरोंके मेनेजरों परभी अदालतका पूरा अधिकार है और यदि ज़रूरत हो तो अदालत उन मेनेजरोंको धर्मादेके लाभसे हटा सकती है। किंतु इस फैसले का यह मतलब कभी नहीं है कि हरएक मेनेजर जो अपनेको किसी मंदिर आदिका मालिक समझ बैठे हटा दिया जाय इस तरहके प्रत्येक मामलेका फैसला उस मामलोंके संबंधोंके अनुसार ही होना चाहिये, देखो---- 22 Bom. 493.

जबतक कोई जालसाज़ी या बेईमानी नहो तो महज़ बदचलनी या ग़लती के कारण अदालत मेनेजरको बरख़ास्त नहीं कर देगी, देखो. 21 Bom 556 ; 13 Mad. 6 ; कुछ सूरतोंमें वह देख भालके लिये एक कमेटी स्थापित कर सकती है और उस ट्रस्टके प्रबंधके लिये व्यवस्था निश्चित कर सकती है देखो--21 Bom. 556.

दफ़ा ८७७. हटाये हुए मेनेजरकी जगहपर दूसरा आदमी--- मेनेजर आदिके हटाये जानेके बाद वह आदमी जो नियुक्त करनेका हक़ रखता है, किसी आदमीको मेनेजरके स्थानपर नियुक्त करेगा, अगर ऐसा कोई आदमी नियुक्त करनेका अधिकार रखनेवाला नहो, तो अदालत खुद नियुक्त करेगी और अगर ज़रूरत हो तो ट्रस्ट चलानेकी व्यवस्था भी बना देगी।

दफ़ा ८७८. ख़ैराती और धार्मिक धर्मादोंकी देखरेख तथा ब्यवस्था--- (१) बंगाल--बंगाल रेगूलेशन नं० १९ सन १८१० के अनुसार रेविन्यूबोर्ड और कमिश्नरोंको अधिकार है कि उनसब ज़मीनोंकी देखरेख करें जो मसजिद, हिन्दूमंदिर कालेज, और अन्य धार्मिक या उपकारी उद्देशोंमें लगी हों, और सराय, कटरा, पुल, और अन्य सार्वजनिक इमारतों की भी देखरेख करें और उनके देखरेख की व्यवस्था करें।

मदरास--मदरासे रेगूलेशन नं० ७ सन १८१७ के अनुसार कोर्ट आव् रेविन्यूको, कालेज, और अन्य उपकारी उद्देशोंमें लगे हुए धर्मादा, और सराय, पुल, छत्र और दूसरी सार्वजनिक इमारतोंपर साधारणातः देखरेखका अधिकार प्राप्त है और लावारिस जायदादकी देखरेख काभी अधिकार है।

नोट--ध्यान रहे कि बंगालमें केवल ज़मीनपर और मद्रासमें सबपर अधिकार प्राप्त है। धार्मिक धर्मादोंके विषयमें ऊपरके दोनों रेगूलेशन यद्यपि मंसूख़ हो चुके हैं तोभी इन रेगूलेशनोंके बननेसे पहले जो धर्मादे

नियत हुए और बननेके पीछे हुए उन दोनोंसे यह रेगूलेशन लागू होते हैं 7 Mad. H. C. 117 ; 34 Mad. 375 ; 22 Mad. 223.

ये रेगूलेशन् बोर्ड आफ् रेविन्यूको और बंगालमें कमिशनरोंके बोर्डको भी आज्ञा देते हैं कि वे यह बराबर देखते रहें कि जिन धर्मादोंकी देखरेख वे करते हैं उनकी आमदनी उसी उद्देशके पूरा करनेमें लगाई जारही है जिस उद्देशसे सरकारने या धर्मादा नियत करनेवालेने, धर्मादा स्थापित किया था।

(२) उद्देशके विरुद्ध उपयोग—धर्मादेकी ज़मीन अगर निजके काममें लाई जाती हो या धर्मादा स्थापित करनेवालेके उद्देशके विरुद्ध किसी और काममें लाई जाती हो तो रेविन्यू बोर्ड और कमिश्नरका कर्तव्य है कि इसको रोके। बोर्ड आफ् रेविन्यू और कमिश्नर हर एक ज़िलेमें मानो एजेन्ट हैं, ज़िलेका कलक्टर भी एजेन्टके सदृश्य है। ऐसे एजेन्टोंका कर्तव्य है कि धर्मादोंका सब विवरण मालूम करके रिपोर्ट करें, उनके ट्रस्टियों और मेनेजरोंका नाम, पता परिचय मालूम करें, और धर्मादोंके पदाधिकारियोंके जो पदख़ाली हों उनके दावेदारोंके दावोंका पूरा ज्ञान रखें और पदोंके योग्य जो लोग हों उनके नियुक्त करनेका अधिकार यदि सरकार या सरकारी आफिसरको प्राप्त हों तो उससे उन लोगोंके नियुक्त किये जानेकी शिफारिश करें।

(३) ट्रस्टियोंकी नियुक्ति—जिन धर्मादोंके पदाधिकारियोंके नियुक्त करनेका अधिकार वर्तमान या भूतपूर्व सरकार या किसी सरकारी आफिसरको प्राप्त हो। और यह अधिकार उस सूरतमें प्राप्त हो जब कि कोई आदमी निजके तौरसे उन पदाधिकारियोंको नियुक्त करनेके योग्य नहीं है तो ऐसी सूरतमें उक्त दोनो रेगूलेशनोंने धर्मादोंके ट्रस्टी और मेनेजर और सुपरिंटेन्डेन्ट नियुक्त करनेका अधिकार सरकारको दे रखाहै; देखो—34Mad.375.

(४) निजी हक़की रक्षा—बंगाल रेगूलेशन् १९ सन १८१० दफा १५ और मदरास रेगूलेशन् ७ सन १८१७ दफा २ में निजी हक़की रक्षाके लिये यह व्यवस्था रखी गयी है कि उक्त रेगूलेशनोंकी आड़में जब किसीकी ज़मीन या इमारत धर्मादेमें शामिल होगयी हो या उनको नुक़सान पहुंचा हो तो उनका मालिक अदालतमें दावा करके उनपर फिर अपना क़ब्ज़ा और हर्जाना पासके। रेविन्यू बोर्ड जो व्यवस्था पहले निश्चित कर चुकी हो उसको वह मन माने ढंगसे नहीं बल्कि उचित और काफी कारण होनेपर ही तोड़ सकती है। रेविन्यूबोर्ड अपने देखरेखके हक़को भी छोड़ सकती है—7 Mad H. C. 77.

(५) रेगूलेशनोंका लगाव—आसाम और पश्चिमोत्तर प्रदेशके सिवाय उक्त दोनों रेगूलेशन् अन्य प्रांतोंमें ख़ैराती धर्मादोंसे अब भी लागू होते हैं लेकिन धार्मिक धर्मादेके विषयमें ये रिलीजस् एन्डोमेन्ट एक्ट नं० २० सन १८६३ ई० द्वारा रद्द होगये हैं। वक्त एक्ट नं० २० सन १९६३ प्रेसीडेन्सी टाउन (कलकत्ता, बंबई, मदरास) के अतिरिक्त, और कनारा ज़िला तथा सारे बंबईप्रांतको छोड़कर भारतमें सर्वत्र जारी हैं।

(६) मदरासमें प्रबंधकी व्यवस्था—मदरासप्रांतमें जिन धर्मादोंसे मदरास रेगूलेशन् एक्ट ७ सन १८१७ लागू होता है उनकी देखरेख और प्रबंधका अधिकार मदरास रेबिन्यू बोर्ड, सकौन्सिल् गवर्नर और ज़िला म्युनिसिपल कौन्सिलकी रज़ा मंदीसे, म्युनिसिपल कौन्सिलको दे सकती है ऐसा अधिकार दिये जानेके बाद उक्त कौन्सिलको धर्मादेके संबंधमें वे ही सब अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो रेबिन्यूबोर्डको होते हैं; देखो-म्युनिसिपल एक्ट ४ सन १८८४ दफा २६.

दफा ८७९. धार्मिक धर्मादेका क़ानून—————एक्ट नं० २० सन १८६३ ई० के क़ानूनका उद्देश उसकी भूमिकाहीमें कहा गया है वह यह है कि पूर्वोक्त बंगाल और मदरास रेगूलेशनोंके द्वारा रेविन्यू बोर्डोंके ऊपर जो ज़िम्मेदारी है उसका बोझ नीचे लिखी सीमातक बंगाल और मदरास प्रेसीडेन्सियोंमें हलका किया जाय। बोर्डोंसे नीचेके काम ले लिये गये हैं—

(१) मंदिर, मसजित, और दूसरे धार्मिक कामोंके साथ लगी हुयी ज़मीनकी देखरेख, (२) उन धार्मिक संस्थाओंके चलानेके लिये धर्मादेका कोई भाग अपने क़ब्ज़ेमें लेना (३) उन धार्मिक संस्थाओंकी इमारतोंकी मरम्मत और रक्षा, (४) ट्रस्टियों और मेनेजरोंकी नियुक्ति और (५) ऐसे धार्मिक संस्थाओंके प्रबंध संबंधी अन्य सब काम।

यह क़ानून उन सब सार्वजनिक धार्मिक धर्मादोंसे लागू होता है जिनके चलानेके लिये ज़मीन भूत पूर्व भारत सरकारने या अन्य लोगोंने दी हो और जो रेविन्यू बोर्डकी देखरेखमें चाहे रहे हों या न रहे हों, और जो इस क़ानूनके पास होनेके समय मौजूद हों या पीछे क़ायम हुए हों। यह क़ानून उन धार्मिक धर्मादोंसे भी लागू होता है जो पूर्वोक्त रेगूलेशनोंके जारी रहनेकी सूरतमें उनके अधीन माने जाते थे; देखो–26 Mad 166.

22 Mad 223; 34 Mad 375 वाले मामलोंमें माना गया कि उक्त दोनो रेगूलेशनोंके रद्द होनेके समय जो धार्मिक धर्मादे क़ायम हों या न हों उनसे भी यह एन्डोमेन्ट एक्ट २० सन १८६३ ई० लागू होता है। यह एक्ट भारतमें कहांतक लागू है इस विषयमें इस दफाके ऊपरवाली दफाएं 'रेगूलेशनोंका लगाव' शीर्षकके संबंधमें कह चुके हैं।

चन्देसे स्थापित—यह क़ानून उन धर्मादोंसे भी लागू होता है जो धर्मादे आदि चन्देसे स्थापित किये गये हों; देखो–19 All 104.

निजके ट्रस्टसे लागू नहीं होता–यह एन्डोमेन्ट एक्ट २० सन १८६३ सिर्फ सार्वजनिक ट्रस्टसे लागू होता है निजके ट्रस्टसे नहीं होता; देखो 14 Mad 1; 3 Cal 325; 15 B. L. R. 167; 23 W. R. C. R. 453; 19 Cal 275; लेकिन उन धार्मिक धर्मादोंसे लागू होता है जो सरकारके प्रबंधमें रहे हों या हों।

दफा ८८०. सार्वजनिक धर्मादा——————धार्मिक कामोंके लिये स्थापित किया हुआ सार्वजनिक धर्मादा वह है, जिससे उस ख़ास धर्मके माननेवाले सभी श्रेणियोंके लोग लाभ उठाते हों, ऐसाही ख़ैराती धर्मादा होताहै। जिस समाजका वह धर्मादाहो उस समाजके सब आदमी जो उस धर्मादेका लाभ उठाना चाहें उठा सकते हों। उनमेसे हर एकको हर समय और हर मौसममें उससे लाभ उठानेका समान हक़ प्राप्त हो। धर्मादा क़ायम करने वालेको चाहिये कि किसी ट्रस्टको सार्वजनिक ट्रस्ट बनाते समय यह इरादा ज़रूर प्रकट कर दे कि वह धर्मादा साधारणतः सब लोगोंके लाभके लिये है अथवा किसी एक संप्रदायके जनोंके लाभके लिये स्थापित किया गया है; देखो–14 Mad 1.

सार्वजनिक धर्मादोंके विषयमें धार्मिक धर्मादोंके क़ानून रिलिजस् एन्डोमेन्ट एक्ट नं० २० सन १८६३ ई०की आवश्यक आज्ञाएं।

नोट—एक्ट नं. २० सन १८६३ ई० कहां लागू होता है किन धर्मादोंसे संबंध रखता है इत्यादि बातें इसके पूर्व लिख चुके हैं नीचे इस क़ानूनकी ज़रूरी ज़रूरी कुछ दफाए पाठकोंके ज्ञानके लिये लिखते हैं। आगे जहांपर केवल 'दफा' शब्द मिले उससे एक्ट नं० २० सन १८६३ ई० के क़ानूनकी दफा समझना।

दफा ८८१. धार्मिक ट्रस्टकी जायदादका इन्तकाल——"प्रत्येक मसजिद, मंदिर, या धार्मिक संस्था जो पूर्वोक्त रेगूलेशनों (नं० १९ सन १८१० और नं० ७ सन १८१७) के अधीन हों और जिसका प्रबंध ऐसे ट्रस्टी मेनेजर या सुपरिंटेन्डेन्टके हाथमें हो जिसकी नियुक्ति या नियुक्तिकी मंजूरीका अधिकार न सरकारके हाथमें हो और न किसी सार्वजनिक अफसरके हाथमें हो तो सरकार आज्ञा देगी कि उस मसजिद, मंदिर या धार्मिक संस्थाकी जायदाद जो रेविन्यूबोर्डकी देखरेखमें हो उसका इन्तक़ाल, ट्रस्टी, मेनेजर या सुपरिंटेन्डेन्टको कर दिया जाय"

ट्रस्टी पदका उत्तराधिकार—जिस ट्रस्टी या मेनेजर या सुपरिंटेन्डेन्टको जायदादका इन्तक़ाल किया गया हो, उसके पदके उत्तराधिकारके विषयमें अगर विवाद उपस्थित हो तो उस मसजिद, मंदिर, या धार्मिक संस्थामें स्वार्थ रखनेवाले या उसके ट्रस्टमें स्वार्थ रखनेवाले या उसमें पूजा या सेवा करनेवाले किसी भी आदमीकी दरख्वास्तपर अदालत दीवानी उस वक्त तकके लिये किसीको मेनेजर मुक़र्रर कर देगी जबतक कि कोई दूसरा आदमी दावा दायर करके उस पदपर अपने उत्तराधिकारका हक़ साबित न कर दे; देखो-4 Mad 295; इस व्यवस्थाके अनुसार कलक्टर ट्रस्टी मुक़र्रर कर सकता है; देखो—19 Mad 285; इस व्यवस्थाके अनुसार जो कुछ हुक्म दिया गया हो उसकी अपील नहीं हो सकती किंतु हाईकोर्ट उस हुक्मकी नज़रसानी (Revise) सुनेगी 26 Mad 85.

दफा ८८२. ट्रस्ट आदिका हक़, अधिकार और ज़िम्मेदारी——जिस ट्रस्टी या मेनेजर या सुपरिंटेन्डेन्टको धर्मादेकी जायदादका इन्तक़ाल कियागयाहो उसके हक़ अधिकार और ज़िम्मेदारियां और उसकी नियुक्ति, चुनाव, और बरख़ास्तगीकी शर्तें ठीक वहीं है जो एन्डोमेन्ट एक्ट नं० २० सन १९६३ के पास होनेसे पहले थीं, अगर उस ट्रस्टी आदिके ज़िम्मे धर्मादेका जो पावना होगा उसके वसूल करनेके लिये दावा उक्त एन्डोमेन्ट एक्टके अनुसार किया जायगा। धर्मादेकी इन्तक़ालकी हुयी जायदादकी मालगुज़ारी या किराया, आमदनी वग़ैरा वसूल करनेका जो हक़ रेविन्यूबोर्ड या एजेन्टको था वही ट्रस्टी, मेनेजर, या सुपरिंटेन्डेन्टको जिसे वह जायदाद इन्तक़ालकी गयी हो होता है।

दफा ८८३. कमेटीकी नियुक्ति————एन्डोमेन्ट एक्ट २० सन १८६३ ई० के पास होनेके समय जिस मसजिद, मंदिर या धार्मिक संस्थासे पूर्वोक्त रेगूलेशनोंमेंसे कोई भी रेगूलेशन लागू होता था और जिसके ट्रस्टी, मेनेजर, या सुपरिंटेन्डेन्टकी नियुक्ति या नियुक्तिकी मंजूरीका अधिकार सरकार या सार्वजनिक अफसरके हाथमें था तो ऐसे मसजिद, मंदिर, या धार्मिक संस्थाके लिये प्रान्तीयसरकार तीन या ज्यादा आदमियोंकी कमेटी मुक़र्रर कर देगी और उस कमेटीको वही अधिकार होंगे जो पूर्वोक्त रेगूलेशनोंके अनुसार रेविन्यूबोर्ड और उसके लोकल एजेन्टको प्रात थे; देखो-29 Mad 166.

दफा ८८४. कमेटीके मेम्बर कैसे होना चाहिये———जिस धर्मके मतलबोंके लिये वह मसजिद, मंदिर, या दूसरे धार्मिक धर्मादे स्थापित किये गये हों, उसी धर्मके लोगोंमेंसे कमेटीके मेम्बर नियुक्त किये जायंगे और उनकी नियुक्ति उन लोगोंकी इच्छा मालूम करके होगी जो उस मसजिद, मंदिर, या धर्मादेमें स्वार्थ रखतेहों। कमेटीकी नियुक्तिकी सूचना सरकारी गज़टमें प्रकाशितकी जायगी, उस मसजिद, मंदिर या धर्मादेमें स्वार्थ रखनेवालोंकी राय, मेम्बरोंकी नियुक्तिके विषयमें, प्रान्तीय सरकार यदि चाहे तो चुनाव

द्वारा मालूम करेगी, और यह चुनाव उसी सरकारके बनाये हुए ऐसे नियमोंके अनुसार होगा जो इस क़ानूनके विरुद्ध न हों।

दफा ८८५. मेम्बर स्थायी होगा————एक्ट नं० २० सन १८६३ ई० की दफा ९ के अनुसार पूर्वोक्त कमेटीका हरएक मेम्बर उमर भरके लिये नियुक्त किया जाता है वह बदचलनी या अयोग्यताके कारण हटाया जासकता है लेकिन वह अदालत दीवानीके हुक्मके सिवाय और किसी तरहपर नहीं हटाया जासकता किंतु कोई भी मेम्बर अपनी इच्छासे हर समय अलग हो सकता है।

दफा ८८६. मेम्बरके खाली स्थानकी पूर्ति————उपरोक्त एक्ट नं०२० सन १८६३ की दफा १० इसप्रकार है—पूर्वोक्त कमेटीके किसी मेम्बरकी जगह जब ख़ाली होजाय तो मसजिद, मंदिर, या दूसरे धर्मादेमें स्वार्थ रखनेवाले लोगोंमेंसे एक नया मेम्बर चुनकर उस ख़ाली स्थानकी पूर्तिकी जायगी कमेटीके बाक़ी मेम्बर ख़ाली जगह होनेकी सूचना जहांतक शीघ्र होसके सार्वजनिक तौरसे देंगे और मसजिद, मंदिर या दूसरे धर्मादेमें स्वार्थ रखनेवाले लोगोंमेंसे एक नया मेम्बर चुननेके लिये एक ऐसा दिन मुक़र्रर करेंगे जिसकी मियाद स्थान खाली होनेसे तीन महीनेके अंदर हो। नये मेम्बरका चुनाव प्रान्तीय सरकारके बनाये हुये नियमके अनुसार होगा और उन नियमोंके अनुसार जो आदमी चुना जाय वही उस कमेटीकी ख़ाली जगह भरनेवाला मेम्बर होगा। अगर जगह ख़ाली होनेसे तीन महीनेके अंदर चुनावके द्वारा जगह न भरी जाय तो दीवानी अदालत किसीभी आदमीकी दरख्वास्तपर एक आदमीको उस जगहके भरनेके लिये नियुक्त करेगी या आज्ञा देगी कि कमेटीके बाक़ी मेम्बर उस ख़ाली जगहको शीघ्र भरलें, कमेटीके बाक़ी मेम्बरोंका कर्तव्य होगा कि इस आज्ञाका वे पालन करें अगर न करें तो दीवानी अदालत स्वयं किसी मेम्बरको उस खाली जगहमें नियत कर देगी।

जब मेम्बरोंकी संख्या तीन से कम हो जाय तो वे कमेटीका काम नहीं कर सकते; देखो—साथलवा बनाम मंजनाशेट्टी 34 Mad 1; और जब कमेटीके सभी मेम्बरोंकी जगहें ख़ाली हो जायं तो अदालत एक नयी कमेटी स्थापित करेगी; देखो-4 C. W. N. 527; इस क़ानूनकी दफा १० के अनुसार जो अधिकार अदालतको दिये गये हैं उनकी अपील नहीं होसकती; देखो—14 I. A. 160; 11 Mad 26.

दफा ८८७. कोई मेम्बर ट्रस्टी नहीं होसकता————जिस मसजिद मंदिर या दूसरे धर्मादेके लिये कमेटी स्थापितकी गयी हो उसका कोई भी मेम्बर उस मसजिद, मंदिर या धर्मादेका ट्रस्टी, मेनेजर, या सुपरिंटेन्डेन्ट नहीं हो सकता।

दफा ८८८. कमेटीके अधिकार————जिस धर्मादेकी कमेटी हो उस धर्मादेकी जायदादका इन्तकाल कमेटीके नाम होगा जो जायदाद कि रेविन्यूबोर्डके अधिकारमें हो, उस जायदादकी मालगुज़ारी या किरायेकी वसूलीके विषयमें रेविन्यूबोर्ड, या लोकल एजेन्टको जो जो अधिकारथे वही सब कमेटीको भी प्राप्त होगें। धर्मादेकी कमेटीके अधिकारों और कर्तव्योंकी तफसील उक्त क़ानूनमें नहीं बतायीगयी किंतु उसे धर्मादेकी देखरेख और शासनके साधारणतः सब अधिकार प्राप्त हैं, इन अधिकारोंको काममे लाते हुए कमेटीको सदैव यह देखना चाहिये कि मालगुज़ारी और किराया बराबर वसूलहो रहाहै और उसके लिये सब क़ानूनी उपाय किये जारहे हैं ? इस कर्तव्यके पालनके लिये उन्हे यह देखना चाहिये कि

मेनेजर वसूली आदिके सब काम नेकनीयतीसे कररहे हैं? धर्मादेकी किसी जायदाद का
अपने नाम लिखालेना यद्यपि किसी मेम्बरके लिये उचित नहीं है फिर भी यह क़ानूनके बिल्कुल
विरुद्ध नहीं है; देखो-19 Mad. 395.

देवस्थानं, कमेटीका प्रथम कर्तव्य यह है कि वह देखे कि किस उद्देशसे धर्मादे
स्थापित किये गये हैं उन्हीं उद्देशोंके लिये आमदनी, ख़र्चकी जातीहै और व्यर्थ ख़र्च तो
नहीं होता, ट्रस्टी लोग धर्मादेके जो धार्मिक कृत्य करतेहों उनमें हस्तक्षेप करना कमेटीका
काम नहीं है; देखो-22 Mad. 361.

नया ट्रस्टी जोड़ना (एडीशनल् ट्रस्टी)—मंदिरके प्रबंधकी जो प्रणाली बोर्डने संगठित
करदीहो उसको कमेटी बदल नहीं सकती और जबकि ट्रस्टियोंमेंसे सब या कोई पुश्तैनीहो
(Hereditary Trustee) तो उनमें कोई ट्रस्टी नया जोड़ नहीं सकती । स्वीकृत
व्यवस्थाके अनुसार जितने ट्रस्टी मुक़र्रर किये गयेहों और वे ट्रस्टी चाहे पुश्तैनी नभी होंतो
भी कमेटीको यह अधिकार नहीं है कि विना किसी अच्छे और यथेष्ट कारणके उन
ट्रस्टियोंकी संख्या बढ़ाये ।

नये ट्रस्टी—कमेटी नया ट्रस्टी मुक़र्रर कर सकती है मगर सिर्फ उस सूरतमें जब कि
कोई पुश्तैनी ट्रस्टी नहो, लेकिन कमेटीके अन्य अधिकारोंकी तरह यह अधिकार भी कमेटी
को उचित रीतिसे और नेकनीयतीके साथ काममें लाना होगा। अदालत दीवानी इसकी देखरेख
करसकती है; देखो-दाउद सेवा बनाम हुसेन साहेब 17 Mad. 212.

ट्रस्टियोंकी बर ख़ास्तगी—सिर्फ उचित कारण होनेपरही कमेटी या उसके अधिकांश
मेम्बर, मंदिरके ट्रस्टियों, सुपरिन्टेन्डेन्टोंको बरख़ास्त करनेका या मुअत्तिल करनेका अधिकार
रखते हैं । ऐसी बरख़ास्तगी कमेटीमें विचार पूर्ण जांच होनेके पश्चात् ही होगी; देखो-
4. Mad. H.C. 443 ; 3. Mad. H. C. 334 ; 21 Mad.179 ; कमेटीकी कार्य प्रणाली
उन्ही नियमानुसार होगी जैसा कि और बाक़ायदा सभाओंकी होती है ।

दावा दायर करना—अपने अधिकारोंका पालन करानेके लिये, कमेटी विना किसी
प्रकारकी मंजूरी लिये जब ज़रूरत पड़े दावा दायर करसकती है, लेकिन जायदाद संबंधीदावे
ट्रस्टी या मेनेजर दायर करेंगे-17 Mad 143.

जायदाद का क़ब्ज़ा—धर्मादेकी जायदाद पर क़ब्ज़ा रखनेका हक़ कमेटीको नहीं है
(12. Mad. 336 ;) ; जिस धर्मादेके ट्रस्टियोंको सरकार मुक़र्रर नहीं करती उस धर्मादेके
ट्रस्टी कमेटीके आज्ञाके अधीन नहीं होते-देखो-5 Mad. H.C. 48.

दफा ८८९. आमदनी और ख़र्चका हिसाब———उपरोक्त एक्ट नं०
२० सन १८६३ ई. की दफा १३ इस प्रकार है-हर एक मसजिद, मंदिर, या धार्मिक संस्था
जिससे यह क़ानून लागूहो उसके हर एक ट्रस्टी या मेनेजर और सुपरिंटेन्डेन्ट का यह
कर्तव्य होगा कि उस मसजिद मंदिर या दूसरी धार्मिक संस्थाके धर्मादेकी आमदनी और
ख़र्चका हिसाब किताब बाक़ायदा रखे और हरएक प्रबंध कारिणी कमेटी जो इस क़ानूनके
अनुसार स्थापितकी गयीहो या इस क़ानून द्वारा अधिकार दिये जानेसे प्रबंधका कामकर
रहीहो, उसका कर्तव्य होगा कि प्रत्येक मसजिद मंदिर या दूसरी धार्मिक संस्थाके हर
एक ट्रस्टी मेनेजर और सुपरिंटेन्डेन्टको हुक्मदे कि वह उस आमदनी और ख़र्चका हिसाब
किताब कमसेकम सालमें एक दफे बाक़ायदा पेश करे और ऐसी हर एक प्रबंध कारिणी
वैसा हिसाब किताब स्वयं भी रखेगी । कमेटीके सामने हिसाब न पेश करनेकी सूरतमें ट्रस्टी
हटाया जासकता है देखो-22. Mad. 481.

दफा ८९०. प्रत्येक आदमी कब दावा करसकता है—————उपरोक्त एक्ट नं० २० सन १८६३ ई० की दफा १४ इस प्रकार है--कोई भी आदमी या आदमियों का समूह, जो किसी मसजिद, मंदिर या धार्मिक संस्थामें या उसकी पूजा पाठके किये जानेमें या उसके ट्रस्टमें स्वार्थ रखताहो, बिना उन दूसरे लोगोंसे मिले हुए जो वैसाही स्वार्थ रखतेहों अदालत दीवानीमें मसजिद मंदिर या धार्मिक संस्थाके ट्रस्टियों, मेनेजर या सिपुरिंटेन्डेन्ट पर या इस क़ानूनके अनुसार स्थापितकी हुई कमेटीके मेम्बर पर, ट्रस्ट का भंग या कर्तव्यकी ग़फलत जो ट्रस्टी मेनेजर सुपरिंटेन्डेन्ट या मेम्बर कमेटीने उस ट्रस्टके संबंधमें जो उन्हें सिपुर्द किया गयाहो कीहो, उसके लिये अलग केवल अपने अधिकारसे दावा दायर करसकता है। अदालत दीवानी वैसे ट्रस्टी मेनेजर या सुपरिंटेन्डेन्ट या मेम्बर कमेटीको नामाङ्कित काम पूरा करने (Spesific performance) की आज्ञा देगी और वैसे ट्रस्टी मेनेजर सुपरिंटेन्डेन्ट या मेम्बर कमेटी पर हरजाने और ख़र्चा मुक़द्दमाकी डिकरी देसकती है, और उस ट्रस्टी मेनेजर सुपरिंटेन्डेन्ट या मेम्बर कमेटीके हटाये जानेका हुक्मदे सकती है।

नोट—यदि कमेटी, किसी वैष्णव मंदिरके ट्रस्टी पदपर किसी शैवको नियुक्त करे तो यह कारण ट्रस्ट भंगका नहीं माना जायगा ; देखो-7 Mad. 222 ; और इस दफाके अनुसार दावा करनेवाला मुफ़लिसी मेंभी दावा दायर करसकता है देखो-24 Mad 419.

महज़ समझकी ग़लतीसे जो काम किया गया हो उसके कारण देवस्थान कमेटीका मेम्बर हटाया नहीं जासकता ऐसे पदाधिकारीके हटानेके कारणोंमें यह दिखाना होगा कि उस पदपर उसका बना रहना मंदिरके स्वार्थके विरुद्ध होगा (22 Mad. 361) ; ऊपरकी दफा १४ में जिन दावोंका ज़िकर किया गया है उनके सिवाय और किसी तरहके दावोंसे उक्त एक्ट लागू नहीं होता--देखो नीचे लिखे हुए उदाहरण--

(दावे जिनसे एक्ट नं० २० सन १८६३ ई० लागू नहीं होता)

(क) मंदिरके प्रबंधके हक़में बटवारेका दावा (3 M. H. C. 198).

(ख) मंदिरके धर्मकर्ता और उस मंदिरके पूजकका दावा जो वह देवस्थानके मृत मेनेजरके वारिसपर इस लिये करे कि देवस्थानके धनमें उस मेनेजरके ट्रस्टभंग करने और स्वयं रुपया खा जानेके कारण जो कमी हुयी उसे पूरा करे (4 Mad. H. C. 2).

(ग) किसीका यह दावा कि अमुक महंत हटाया जाय और उसकी जगहपर मैं नियुक्त किया जाऊं (22 W. R. C. R. 364).

(घ) मंदिरके किसी पदाधिकारीका दावा जो कहताहो कि मैं अनुचित रीतिसे नौकरी परसे छुटाया गया हूं (4 Mad. H. C. 112).

(च) ट्रस्टकी जायदाद जिसको इन्तक़ालकी गयी हो चाहे वह इन्तक़ाल ट्रस्ट भंग करके किया गया हो उसे पुनः प्राप्त करनेका दावा; देखो—(4 Mad. 157 ; 6 Mad. 54 ; 22 Mad. 223).

(छ) ट्रस्टके द्वारा जो नामांङ्कित जायदाद किसीको दीगयी हो उसकी प्राप्तिका दावा (4 N. W. P. 155) ;

(ज) ट्रस्ट भंग किये जानेकी विना पर जायदादके क़ब्ज़ेका दावा (2 N. W. P. 420).

दफा ८९१. कैसे लाभके लिये दावा किया जा सकता है—— उपरोक्त एक्ट नं० २० सन १८६३ ई० की दफा १५ इस प्रकार है——दफा १४ के अनुसार जिस स्वार्थके लिये दावा किया जासकता है यह ज़रूरी नहीं है कि वह स्वार्थ धनसे संबंध रखता हो या वह सीधा (डाइरेक्ट) हो या ऐसा हो कि जिसके कारण ट्रस्टकी देखरेख और प्रबंधमें भाग लेनेका हक़ मुद्दईको हासिल हो। कोई भी आदमी जो किसी मसजिद मंदिर या धार्मिक संस्थामें उपस्थित रहा करताहो या वहांसे मिलनेवाली भिक्षा प्राप्त करता रहाहो वही ऐसा आदमीहै कि जिसको दफा १४ के अनुसार दावा करनेका हक़ प्राप्तहै। इस क़ानूनके अनुसार जो दावे या कार्रवाइयां कीजाएं उनमें अदालतको अधिकार है कि मत भेदका निर्णय पंचायत (Arbitration) से कराले—26 Mad. 361; 19 Mad. 498.

दावा दायर करनेकी इजाज़त—इस क़ानूनकी दफा १८ जो सन १८७० के एक्ट नं० ७ से संशोधित हुयी है उसका मतलब यह है कि इस क़ानूनके अनुसार अदालतसे इजाज़त लिये बिना कोई दावा दायर नहीं किया जासकता। इजाज़तकी दरख्वास्त देनेपर अदालत यह बिचार करेगी कि प्रत्यक्ष में कोई ऐसी बातें मौजूद हैं जिनके ख्यालसे इजाज़त दीजाय अगर अदालतकी रायमें ट्रस्टके लाभके लिये दावा दायर किया गया है और किसी फ़रीक़का कुछ दोष नहीं है तो वह ट्रस्टकी जायदादसे मुक़द्दमेका खर्चा जो उचित समझे दिलायेगी (22 W. R. C. R. 22). ध्यान रहे कि दावा दायर करनेकी इजाज़त वह स्वयं या उसका वकील मांग सकता है, तथा यदि अदालत उचित समझे तो दूसरे फ़रीक़के नाम नोटिस भी न देवे और जिस बातकी इजाज़त मांगी गयी हो ठीक उसीका दावा दायर होसकता है दूसरेका नहीं। इजाज़तकी दरख्वास्तकी मंजूरी या नामंजूरीके हुक्मकी अपील नहीं होसकती किंतु जो दावे हाईकोर्टमें सीधे दायर होसकते हैं उनमें इजाज़त मांगनेकी ज़रूरत नहीं है।

दफा ८९२. अदालत ट्रस्टका हिसाब मांग सकती है—— उपरोक्त एक्ट नं० २० सन १८६३ ई० की दफा १९ इस प्रकार है—दावा दायर करनेकी इजाज़त देनेसे पहले, या अगर इजाज़त दी गयी हो तो दावा दायर किये जानेसे पहले या किसीवक्त जब कि दावा चल रहा हो, अदालत ट्रस्टी मेनेजर सुपरिंटेन्डेन्ट या मेम्बर कमेटीको हुक्म दे सकती है कि वह ट्रस्टका हिसाब या उसका कोई भी अंश जो अदालत मुनासिब समझे पेश करे।

दफा ८९३. सामाजिक या धार्मिक उद्देशोंके धर्मादे—— उपरोक्त एक्ट नं० २० सन १८६३ ई० की दफा २१ इस प्रकार है—किसी मामलेमें कि जिसमें कोई ज़मीन या दूसरी जायदाद किसी ऐसी संस्थाके चलानेके लिये दी गयी हो कि जिसका कुछ भाग धार्मिक और कुछ भाग सामाजिक उद्देशका हो या उस संस्था संबंधी कोई धर्मादा जिसका कुछ भाग धार्मिक और कुछ भाग सामाजिक उद्देशके लिये खर्च किया जाता हो, ऐसे मामलोंमें रेविन्यूबोर्ड उस जायदादके ट्रस्टी, मेनेजर, सुपरिंटेन्डेन्ट या इस क़ानूनके अनुसार मुक़र्रकी हुयी प्रबंधकारिणी कमेटीको उस ट्रस्टकी जायदाद इन्तक़ाल करते समय यह निश्चय करेगी कि सामाजिक उद्देशके खर्चके लिये कितनी ज़मीन या दूसरी जायदाद बोर्डकी देख रेखमें रहे और कितनी ट्रस्टी, मेनेजर, सुपरिंटेन्डेन्ट या कमेटीके देख रेखमें रहे और यह भी निश्चय करेगी कि ट्रस्टी मेनेजर सुपरिंटेन्डेन्ट या कमेटीकी देखरेखमें दी हुयी ज़मीन या दूसरी जायदादसे सालाना कितनी रक़म बोर्डको या लोकल एजेन्टको सामाजिक उद्देशके

खर्चके लिये दी जाया करेगी। ऐसे प्रत्येक मामलेमें जो ज़मीन या दूसरी जायदाद मुन्तकिलकी गयी हो उसीसे इस क़ानूनकी आज्ञा लागू होगी।

दफा ८९४. सरकार अपने हाथमें नहीं रखेगी——उपरोक्त एक्ट नं० २० सन १८६३ ई० की दफा २२ इस प्रकार है--इस क़ानूनमें जो आज्ञा दी गयी है उसके सिवाय और किसी सूरतमें भारत सरकार या उसके किसी अफसरके लिये यह लाज़िम न होगा कि मसजिद मन्दिर या दूसरी धार्मिक संस्थाकी असली जायदाद या उसके चलानेके लिये दीहुयी ज़मीन या दूसरी जायदादकी देखरेख करनेका ज़िम्माले, या मसजिद मन्दिर या दूसरी धार्मिक संस्थाके लिये दी हुयी जायदाद अपने कब्ज़ेमें ले या उसके प्रवंधमें भाग ले या ट्रस्टी मेनेजर सुपरिंटेन्डेन्ट नियत करे या किसी तरह भी उससे संबंध रखे।

ख़ैराती जायदाद--ख़ैराती धर्मादेकी जायदाद, ख़ैराती धर्मादेके सरकारी ख़ज़ानचीके सिपुर्दकी जासकती है लेकिन वह महज़ ख़ज़ानचीकी हैसियतसे उसका प्रवंध नहीं करेगा. देखो-एक्ट नं० ७ सन १८९० ई०।

नोट—ऐसी कोई संस्था यादि कहींपर क़ायम हो जिसका स्पष्ट नाम इस प्रकरणमें न बताया गया हो मगर वह संस्था इस किताबकी दफा ८१७ में कहेहुएं मतलबों या किसी एक मतलबके लिये क़ायम हो अथवा उक्त दफाके किसी मतलब और अन्य किसी मतलबके लिये भी क़ायम हो तो जहांतक उसमें दफा ८१७ के उद्देशोंका संबंध है वहांतक उस संस्थाके साथ इस प्रकरणमें कहेहुए नियम लागू होंगे।

इति।

मिलनेका पता--चन्द्रशेखर शुक्ल-
मु० पो०-सनगवाँ (Sangawan.)
ज़िला-कानपूर.

राम कहानी ।

ग्रन्थ तो समाप्त हो गया अब केवल अपने सन्तोषके लिये कुछ आत्मपरिचय भी दे देना मुनासिब जान पड़ता है । ग्रन्थ कर्ता कान्यकुब्ज ब्राह्मण भरद्वाजगोत्री भवदत्तका शुक्ल दिवाकरके वंशमें है । पूर्वजोंका निवासस्थान ज़िला उन्नाव टेढ़ा नामक ग्राम था ; किन्तु मेरा और मेरे पिताका जन्म ज़िला कानपुरमें सनगवां नामक ग्राममें हुआ मुझे अपने पूर्वजोंकी छः पीढ़ीके ऊपरका स्मरण नहीं है; यह विवरण मैं बंबईमें लिख रहा हूं इस लिये उस संबंधमें यहां अधिक जाननेका साधन भी नहीं है । वंश वृक्ष नीचे देखिये ग्रंथकर्ताको मिलाकर पितृपक्षमें छह पीढ़ी और इसीतरह मातृपक्षमें पांच पीढ़ी दिखाई गयी हैं, नीचेकी पीढ़ीमें ग्रन्थकारका पुत्र महेशदत्त दिखाया गया है--

ग्रन्थकारका वंशवृक्ष ।

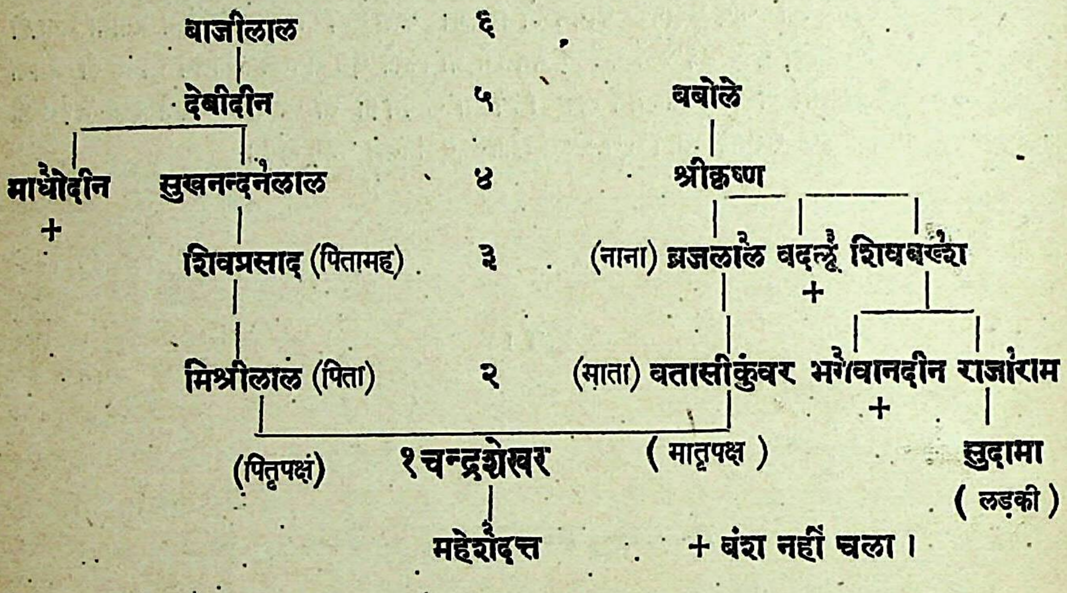
बाजीलाल
६
देबीदीन
५
बबोले
माधोदीन
+
सुखनन्दनलाल
४
श्रीकृष्ण
शिवप्रसाद (पितामह)
३
(नाना) ब्रजलाल
बदलू
+
शिवबख्श
मिश्रीलाल (पिता)
२
(माता) बतासीकुंवर
भगवानदीन
+
राजाराम
(पितृपक्ष)
१ चन्द्रशेखर
(मातृपक्ष)
सुदामा
(लड़की)
महेशदत्त
+ वंश नहीं चला ।

पूर्वजोंका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

बाजीलालजी दो भाई थे, इनके भाईकी सन्तान ज़िला कानपुरमें डोमनपुर ग्रामके अलावल खेरेमें रहती है, इस समय जगमोहन और मनमोहन शुक्ल उस शाखामें हैं । किन्तु ख़ास डोमनपुर निवासी शिवचन्द शुक्लका खानदान उक्त शाखामें नहीं बल्कि अधिक दूरके किसी पूर्वजकी शाखामें है । बाजीलालजीके एक पुत्र तथा चार कन्याएं थीं । एक कन्याका विवाह परसूके मिश्रोंके यहां रावतपुर ज़िला कानपुरमें श्रीयुत पं० बल्देवप्रसादजी मिश्रके घरानेमें, और दूसरी कन्याका विवाह मसवानपुर ज़िला कानपुरमें गोवर्द्धनके त्रिपाठी पं० बल्देवप्रसादजीके घरानेमें हुआ । इन दोनो कन्याओंकी संतान अभीतक चली जाती है ! बाकी दो कन्याओंकी कोई संतान नहीं हुयी । यह मालूम नहीं कि उनका विवाह हो गया था या नहीं । उक्त श्रीयुत पं० बल्देवप्रसादजी मिश्रने मुझे यज्ञोपवीत संस्कारमें गायत्री मंत्रोपदेश किया था तबसे मैं उन्हे गुरु रूपसे मानताहूं इस समय उनके दो पुत्र भी मौजूद हैं एकका नाम है यज्ञेश्वरप्रसाद दूसरेका नाम स्मरण नहीं ।

मेरे पितामह शिवप्रसादजी और मिश्रजीके परस्पर प्रगाढ़ प्रीति थी, वे आज भी मेरे ऊपर वैसाही अनुग्रह करते हैं। उक्त बलदेव प्रसाद त्रिपाठीके वंशमें इस समय गया प्रसादजी और उनके दो पुत्र मौजूद हैं।

देवीदीनजीके दो पुत्र थे, सुखनन्दनलाल और माधोदीन। सुखनन्दनलालजीके एक मात्र पुत्र मेरे पितामह शिवप्रसादजी थे; पुत्र जन्मके कुछ वर्ष बाद वे व्यापारके लिये बंगाल चलेगये और मैमनसिंह ज़िलेमें अठारह वाड़ी नामक स्थानमें रहकर पहले पहल देनलेनका काम शुरू किया पीछे उसमें अच्छी सफलता होनेपर उन्होने रुई और गरजनके तेलकाभी व्यापार बढ़ाया। घरमें रहे केवल उनके भाई माधोदीनजी। कुछ दिन बाद टेढ़ा में डाका पड़ा घरका सब धन और माल असबाब डाकू लूट लेगये: तबसे माधोदीनने टेढ़ा छोड़नेका विचार अपने चित्तमें निश्चित किया। थोडेही दिन बाद वे टेढ़ा छोड़कर नजबगढ़ ज़िला कानपुरमें गंगाजीके तटपर एक मकान बनाकर रहने लगे। टेढ़ामें जाना आना बराबर जारी रहा। माधोदीनजीने अपने भतीजेका विवाह सनगवां ज़िला कानपुरमें गोपनाथी मिश्र चैनसुखजीकी कन्याके साथ किया। चैनसुखजीको लोग चैनूबाबा भी कहा करते थे। मिश्रोंका घराना उस समय विद्या, धन योग्यता आदिसे संपन्न था। चैनसुखजीके तीन विवाह हुए तीसरा विवाह भीतरगांबमें उजागर प्रसाद शुक्लकी कन्याके साथ हुआ इसी विवाहसे जो कन्या उत्पन्न हुयी उसीसे मेरे पितामह शिवप्रसादजीका विवाह हुआ। कुछ समयके पश्चात् चैनसुखजी सनगवां छोड़ अपनी तीसरी ससुराल भीतरगांवमें जा बसे उन्होने माधोदीनजीसे सनगवांके अपने घरोंमें रहनेके लिये आग्रह किया अस्तु माधोदीनजी सनगवांमें रहने लगे तबसे आजतक सनगवांमें रहते चले आते हैं। माधोदीनजी दो दफा बंगाल गये किंतु ज्यादा दिन नहीं ठहरे कुछ दिन बाद मेरे पितामह शिवप्रसादजी अपने पिताको घर लिवालानेके लिये बंगाल गये और ग्यारह वर्षतक वहां रहे। सुखनन्दनलालजीने उन्हे घर भेज दिया और अपने शीघ्र आनेका वचन भी दिया। इस बीचमें माधोदीनजीका देहान्त हुआ यह मालूम नहीं है कि बंगालमें हुआ या सनगवांमें। सुखनन्दनलालजीने बंगालका सब काम समेटना चाहा दुर्भाग्यवश उनकी इक्कीस नावें रुईसे लदी हुई और २५।३० नावें गरजनके तेलकी जो किसी देसावरको जारही थीं, जलगयीं। बहुत बड़ी हानि हुई उन्होनें सब काम बंद कर दिया और जो कुछ रुपया था सब लेकर घर चल दिये। अठारहवाड़ीका घर और बाग़ सब, महुआ गांव ज़िला कानपुरके निवासी गंगासागरजी शुक्लके सिपुर्द करदिया। रास्तेमें ठगों ने उन्हे ताडा और पीछा किया, पटनेके समीप सब धन तथा माल असबाव लूट लिया। रास्तेमें वह बीमार पड़ गये, वैसीही हालतमें घर आये पास कुछ न रह गया। घरमें आकर केवल मात्र ग्यारह दिन जीवित रह कर वैकुंठवास किया। छत्तीस वर्ष इकट्ठे बंगालमें रह कर घर आये थे कहते हैं कि घरमें आकर वह बहुत कम बोले अंतमें उन्होने कहा कि "जो कुछ हमने कमायाथा सब जाता रहा तुम सब लोग ईश्वरपर भरोसा करके कमाओ और खाओ" इनके देहावसानके समय मेरे पिता मिश्रीलालजीका जन्म हो चुका था। पीछे बंगालका संबंध टूट गया क्योंकि घरसे फिर कोई वहां नहीं गया। सुखनन्दनलालजीके मरनेके बाद मुख्यतः घरका सब भार मेरे पितामह शिवप्रसादजीपर आगया। आपने कानपुरकी दीवानी अदालतमें 'मुबस्सर बही' के पद पर नौकरी करली जिसे वह अपने देहावसान तक बराबर करते रहे। युक्त प्रांतकी दीवानी अदालतोंमें जब कोई मुक़द्दमा बहीखातेकी बुनियादपर दायर होता है तो अदालत यह देखनेके लिये कि, मुद्दईके दावेका हिसाब किताब सब ठीक है या नहीं? और जिन जिन बातोंपर उज्र मुद्दा-

लेह वहीखातेमें करता हो उनका क्या जवाब है ? ' मुबस्सर वही ' से रिपोर्ट तलब करती है। ऐसी पृथा पहले आमतौरसे थी किंतु अब झगडेके मुक़द्दमोंमे ही ऐसी रिपोर्ट तलबकी जाती है, ऐसी रिपोर्ट देनेवालेको ' मुबस्सर वही ' कहते हैं।

मर्दोंके बंगालमें रहनेके समयमें ख़ास तौरसे घरके कामों तथा स्त्रियों, बच्चोंकी देखरेख सदैव दुलारेलालजी मिश्र किया करते थे। दुलारेलालजी, मेरे पितामह शिवप्रसादजीके सालेके पुत्र थे। मिश्रोंका परिवार भरपूर था, सब प्रकारसे सुखी था, इस परिवारके साथ ग्रन्थकारका, पितृ मातृ बन्धु अर्थात् पिताके मातृ बन्धुका संबंध है। इसलिये उस वंशका संक्षिप्त परिचय नीचेके नक़शेमें देताहूं—

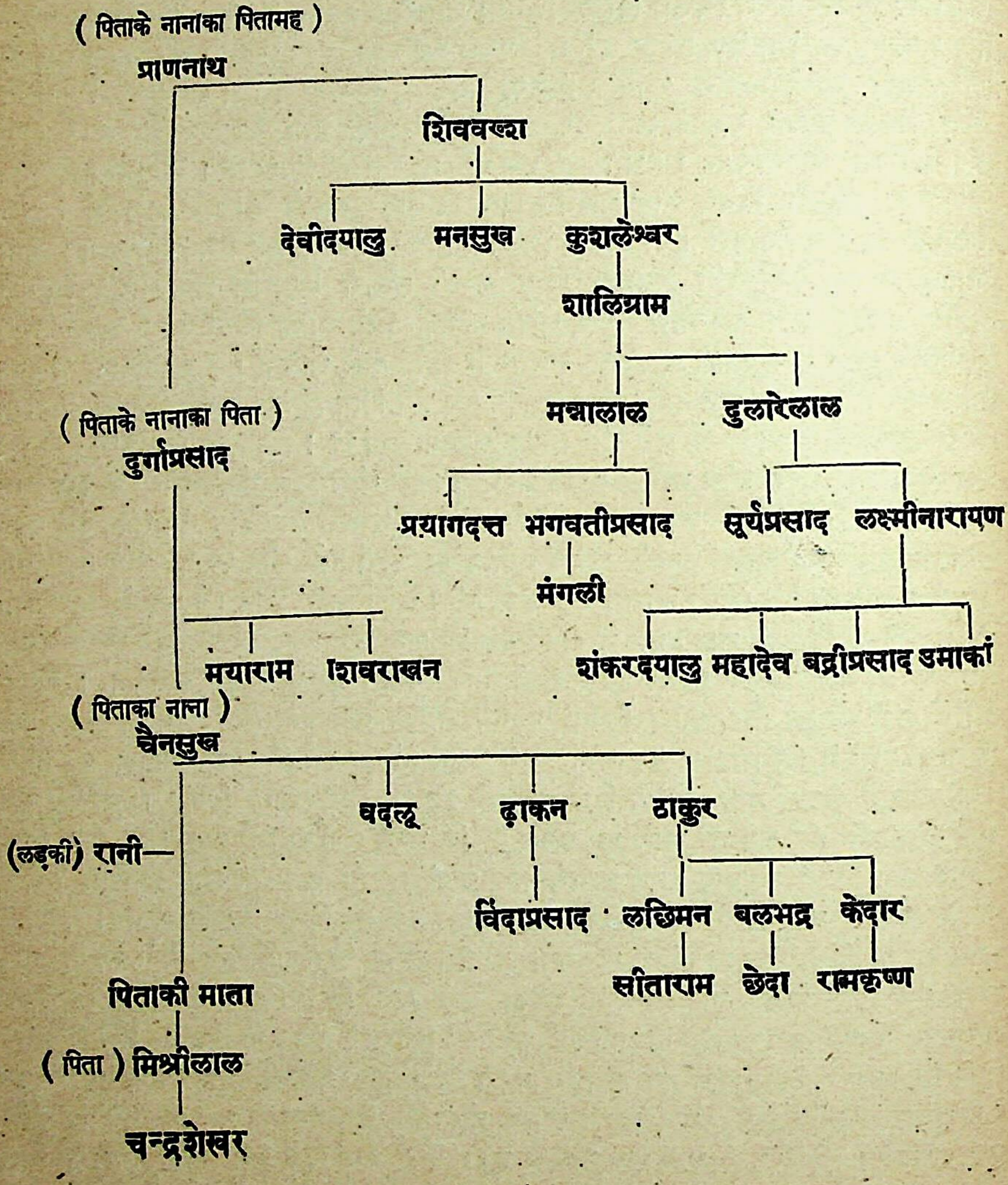
(पिताके नानाका पितामह)
प्राणनाथ
शिवबख्श
देवीदयालु
मनसुख
कुशलेश्वर
शालिग्राम
(पिताके नानाका पिता)
दुर्गाप्रसाद
मन्नालाल
दुलारेलाल
प्रयागदत्त
भगवतीप्रसाद
सूर्यप्रसाद
लक्ष्मीनारायण
मंगली
मयाराम
शिवराखन
शंकरदयालु
महादेव
बद्रीप्रसाद
उमाकांत
(पिताका नाना)
चैनसुख
बदलू
ढाकन
ठाकुर
(लड़की) रानी—
विंदाप्रसाद
लछिमन
बलभद्र
केदार
सीताराम
छेदा
रामकृष्ण
पिताकी माता
(पिता) मिश्रीलाल
चन्द्रशेखर

ग्रंथकर्ताका वंश परिचय.

ऊपरके नक़शेमें ग्रन्थकारके पिताके वृद्धप्रमातामह तकका वंश बताया गया। यह वंश सनगवां निवासी गोपनाथी मिश्रोंका है। प्राणनाथजीके पुत्र दुर्गाप्रसादके वंशजों ने सनगवां छोड़ दिया किंतु उनके दूसरे पुत्र शिवबख्शजीके वंशज आज भी वहां बसते हैं। इसी शाखामें दुलारेलालजी थे, इनकी और हमारे पितामह शिवप्रसादजीकी अवस्था भी क़रीव क़रीब समान थी। मेरे पितामह शिवप्रसादजीका जन्म आषाढ़ शुक्ल नवमी सम्वत् १८९५ का था तथा उनका वैकुण्ठवास मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी सम्वत् १९६० में हुआ, जीवन काल ६५ वर्ष ४ मास ११ दिनका है। दुलारेलालजीका जन्म श्रावण कृष्ण पंचमी सम्वत् १८९९ का था और देहावसान पौष कृष्ण नवमी सम्वत १९६६ को हुआ, जीवनकाल ६७ वर्ष ५ मास ४ दिनका है। मेरे पिता मिश्रीलालका जन्म सम्वत् १९१४ में हुआ तथा उनका शरीरांत मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी सम्वत १९३५ में हुआ। एवं मेरी माताका जन्म सम्वत् १९२१ में तथा सरीरांत मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी सम्वत् १९६० में हुआ। पिताजीका देहान्त २१ या २२ वर्षकी उमरमें हुआ उन्होने नागरी उर्दू अंगरेज़ीकी अच्छी शिक्षा प्राप्तकी थी और शिक्षणकालमें ही उनका देहान्त हुआ, पिताजीकी मृत्युके समय ग्रन्थकारकी उमर केवल ग्यारह मासकी थी। भरण—पोषण, शिक्षा आदि सब मेरे पितामहने दी, सदैव उन्होने अपने पास रखा, किसी तरहके कुमार्गमें नहीं जाने दिया, वह पान बहुत खाते थे किंतु मुझे यदि कभी पान खाता देखते तो मना करते, उनके ऐसे प्रबंधके कारण ही कोई व्यसन न पड़ने पाया; पितामहजीके सिवाय मैंने अपने किसी पूर्वजको नहीं देखा। उन्होने देवनागरी, उर्दू और अंगरेज़ीकी शिक्षा दी महाजनी हिसाब किताब तथा वही खातेके जमाख़र्च समझनेके लिये कालूराम रामप्रताप की प्रसिद्ध पीढ़ीमें शिक्षा दिलाई। सदैव धार्मिक उपदेश और पूर्वजोंके इतिहास कहा करतेथे, उनकी मृत्युके समय मेरी उमर लगभग २७ वर्षके थी। उस समयतक मैंने द्रव्योपार्जन की कुछ भी चिंता नहीं की। उनके जीवन कालमें ही मुझे संस्कृत पढ़नेकी रुचि हुई, यद्यपि पितामहजी नहीं चाहते थे किंतु उन्होने मना भी नहीं किया। कुछ व्याकरण पढ़नेके बाद मैंने वैद्यक ग्रन्थ पढ़नेमें अधिक परिश्रम किया, पीछे संस्कृतके काव्य भी पढ़े और कानपुरमें कुछ दिन वैद्यक का काम भी करता रहा। इसी अवसरमें मेरी नानी का देहांत हुआ और फिर माता तथा नानाके बड़े भाईके परस्पर उत्तराधिकारके संबंधमें मुक़द्दमा चलने लगा। ३।४ वर्षतक बड़े ज़ोर मुक़द्दमें बाज़ी हुई अंतमें माताजीको बापकी सब जायदाद मिली। इन मुक़द्दमोंके चलनेके समयमें बिधनू ग्राम निवासी विंदाप्रसादजी तथा बालेप्रसादजी त्रिपाठीसे अधिक सहायता मिली। इन मुक़द्दमों की पैरवीमें ही मुझे क़ानून जाननेका शौक़ पैदा हुआ और सर्व प्रथम ज़ाबता दीवानी नामक क़ानून की पुस्तक पढ़ी, मुक़द्दमोंका अंत होनेके कुछ सालबाद पूज्यपाद पितामह बाबा शिवप्रसादजीने वैकुण्ठवास किया। आप प्लेगसे बीमार हुए थे मृत्युके समय पितामह जीने मुझे तीन आज्ञाएं दी थीं पहली यह कि मेरी माताके मुक़द्दमोंमें ख़र्चेकी डिकरी शिवबख्शजी पर क़रीब तेरहसौ रुपये की थी उसे सब वसूल कर लेना या उनका मकान नीलाम कराके खुद ख़रीद लेना; दूसरी आज्ञा यहदी कि सनगवांमें अब न रहना; तीसरी आज्ञा यह दी कि जहां तकहो रोकड़के काम की नौकरी न करना; अंतमें यह भी कहा कि मैं तुझे ईश्वरके सिपुर्द करताहूं, थोड़ेही समय के बाद "त्र्यंबकं यजामहे॰" इस वेद मंत्रका जप करते करते उन्होने इस लोककी लीला संवरणकी। पितामहकी मृत्यु कानपुर में हुई, दूसरे दिन मेरी माताजी भी प्लेगसे बीमार

पड़ी हम सब उन्हे लेकर खिरसा ग्राम गये और बिन्दा प्रसाद त्रिपाठीके "हार" नामक स्थानमें ठहरे ऐसे समय मुझे खिरसाके बेनीमाधव जी त्रिपाठी से बहुत सहायता प्राप्त हुई। माता जीने मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी सम्वत १९६० की रात्रिमें शरीर छोड़ा। खिरसामें, पितामह और माताकी क्रिया कर्म समाप्त कर मैं कानपुर आया, कुछ ही दिन पश्चात् बाबू नील माधवराय जज ख़फ़ीफ़ा के अनुग्रहसे अदालतमें हमारे पितामह की जगह मुझे मिलगयी। मैं यहां अपनी जीवनी नहीं लिखना चाहता। कहना केवल इतना रहगया कि पितामहकी तीन आज्ञाओंमेसे मैं केवल एकही का पालन करसका; यानी रोकड़के काम की नौकरी कभी नहीं की। सनगवां हम नहीं छोड़ सके, न छोड़नेका कारण, उपरोक्त दुलारेलालजीके पुत्र सूर्यप्रसाद तथा लक्ष्मीनारायणजी के परस्पर घरेलू प्रेम है। केवल इन्हींके कारण सनगवां छूट न सका। एक आज्ञा डिकरी वसूल करने की थी इसमें इकदम उलटा काण्ड होगया सारांश यह कि मामा राजाराम की कन्या सुदामा जिनके साथ विवाही गयी थीं वे बम्बईमें बड़े संकटमें पड़ गये। बंबई जानेके लिये और उस संकटसे पीछा छुटानेके लिये उस लड़की सुदामाने मुझे बुलाया तथा सहायता मांगी। सब पुरानी दुश्मनी छोड़, और अपना बहुतसा रुपया ख़र्च करके तथा बम्बई में डेढ़ मास रहकर उस सारे परिवारको विपत्तिसे मुक्त किया अब मैं डिकरी किससे वसूल करता, अब तो उलटा उनकी परवरिशका भी ज़िम्मेदार बन गया। भगवानदीनका देहांत इस संकट आनेसे पहलेही होचुकाथा, पीछे राजारामका भी देहान्त होगया अब उस वंशमें केवल सुदामा जीवित है। इसके पश्चात् सम्वत् १९६३ में मेरी दादी (पितामही) का देहान्त सनगवांमें हुआ। इस समय मेरे परिवारमें केवल तीन शरीर जीवित हैं, ग्रन्थ कर्ता, उसकी स्त्री तथा एक पुत्र महेशदत्त।

ग्रन्थ कर्ता का जन्म पौष कृष्ण एकादशी सम्वत १९३४ में, तथा महेश दत्तका जन्म वैसाख कृष्ण त्रयोदशी सम्वत् १९७१ में हुआ। ऊपर जो प्रथम नक़्शा वंश परिचय का दिया गया है उसमें ग्रन्थ कर्ताके पितृ पक्ष तथा मातृ पक्षके पूर्वज स्पष्ट रूपसे बतादिये गये हैं। हम जानते हैं कि पाठकोंको इसके पढ़नेसे कुछ लाभ नहीं है फिरभी प्राचीन शैलीके अनुसार संक्षिप्त रूपसे ग्रन्थकारके वंशका परिचय दिया गया किंतु उसकी जीवनी यह नहींहै। आशा है, कि इस अनावश्यक विवरणके लिये पाठक क्षमा करेंगे।

पुस्तक मिलनेका पता—
चंद्रशेखर शुक्ल
मु० पो०—सनगवाँ ज़िला—कानपुर.

ग्रन्थकार.
ता. १५ जुलाई सन १९२० ई०

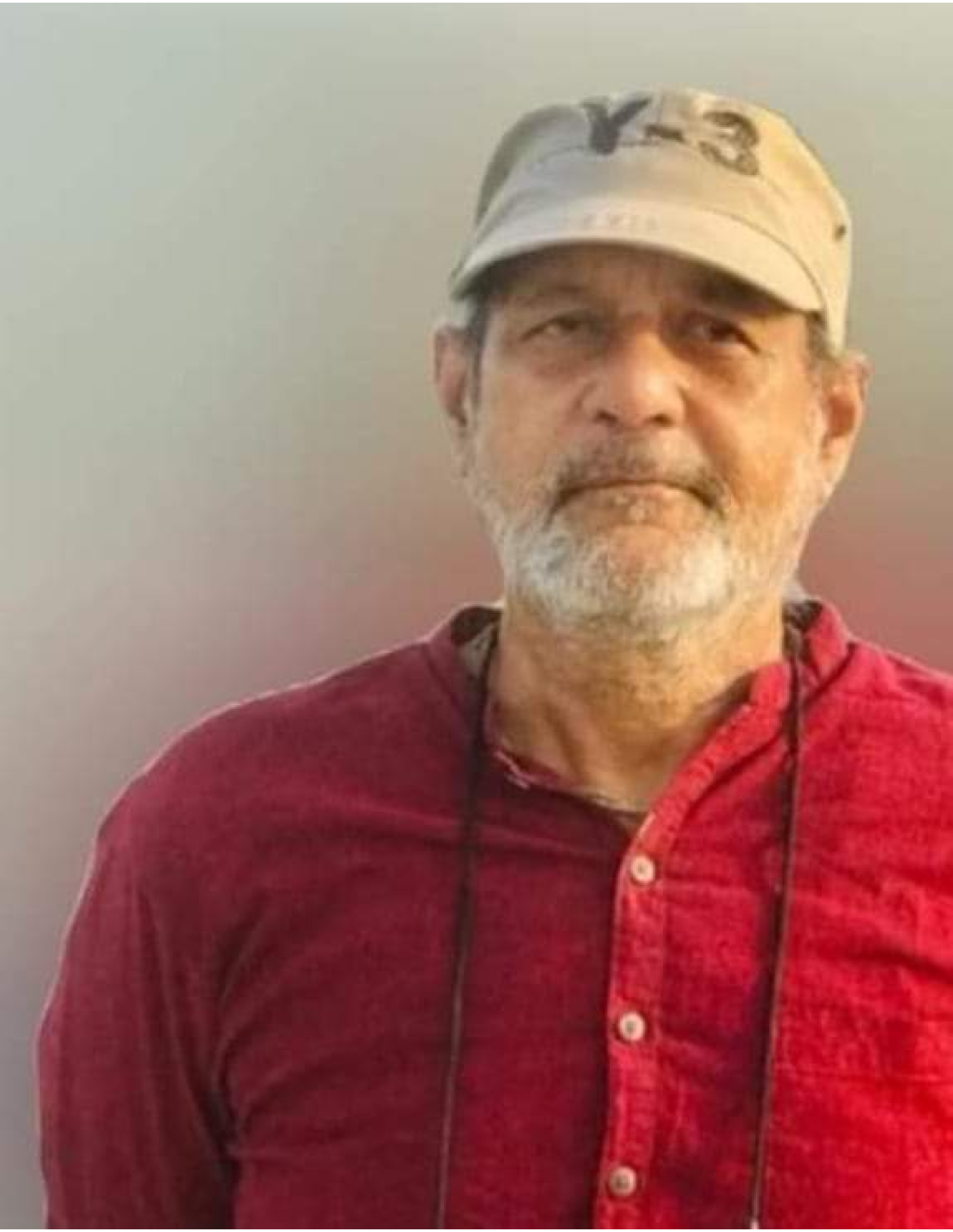

This PDF you are browsing is in a series of several scanned documents from the Chambal Archives Collection in Etawah, UP

The Archive was collected over a lifetime through the efforts of Shri Krishna Porwal ji (b. 27 July 1951) s/o Shri Jamuna Prasad, Hindi Poet. Archivist and Knowledge Aficianado

The Archives contains around 80,000 books including old newspapers and pre-Independence Journals predominantly in Hindi and Urdu.

Several Books are from the 17th Century. Atleast two manuscripts are also in the Archives - 1786 Copy of Rama Charit Manas and another Bengali Manuscript.Also included are antique painitings, antique maps, coins, and stamps from all over the World.

Chambal Archives also has old cameras, typewriters, TVs, VCR/VCPs, Video Cassettes, Lanterns and several other Cultural and Technological Paraphernelia

Collectors and Art/Literature Lovers can contact him if they wish through his facebook page

Scanning and uploading by eGangotri Digital Preservation Trust and Sarayu Trust Foundation.